July to September 2022
E-Journal
Volume I, Issue XXXIX

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 6.780

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 02

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 08/09

03. Referee Board 10

04. Spokesperson 12

05. Impact of Health on The Life of the Employed Person (Dr. Sonali Singh) 14

06. Role of Rural Women in Agricultural Activities: Challenges and Suggestions (Dr. Kiran Kumar P) 16

07. Assessment of Herbicidal /Weedicidal Property of Nigar (Bhavna Rajput) 21

08. Treatment of Nature by “Words Worth, Shelley and Keats: The Romantic Legends” in Their Poetry (Shabeena Bano, Dr. Shaheen Saulat) 24

09. Critical Analysis of Section 236 of the Companies Act, 2013 (Aprajita Bhargava) 27

10. Study The Importance Of New Born Baby Dress Manufacturing Industries In Madhya Pradesh (Dr. Prakash Garg, Kaustubh Sharma) 30

11. A Study on Role of Micro Finance in Rural Development (Pratishtha Kumekar, Dr. Shubham Chouhan) 36

12. Use of Rat Uterus for Study of Pathogenesis of Immunological Infertility in Bovine Female (Jayshree Hardenia) 39

13. A Study of Lipid Profile Among Sports and Non-Sports Females (Dr. Dilip Singh Chouhan, Vinod Nair) 41

14. Comparative Study of Physical Fitness Components and Psychological Variables of Sports Persons (Dr. Balidan Jain, Sonal Rajput) 45

15. Physical Fitness, Selected Physiological and Body Composition Variables of Aarohi and Government Schools: A Comparative Study (Dr. Santosh Lamba, Ashok Mundotiya) 49

16. Assessing the Indian Physical Education Curriculum in Relation to the International Standards of Physical Education at Elementary Level (Bhawani Pal Singh Rathore, Raja Ram Guarjar) 52

17. पेसा कानून (डॉ. बसंत नाग, एन.आर. साव) 56

18. जनपद शाहजहाँपुर (उ.प्र.) में औद्योगिक विकास का प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव: एक भौगोलिक अध्ययन (डॉ. इन्दू मिश्रा, गया सरन) 58

19. उच्च माध्यमिक विद्यालयी विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि पर अध्ययन (श्रीमति शिल्पा गौर) 61

20. ग्लूटेन कितना लाभदायक कितना हानिकारक (डॉ. अर्चना कुकरेती) 63

21. ‘आधे-अधूरे’ : मध्यवर्गीय समाज का आधुनिकता बोध (डॉ. रंजना मिश्रा) 66

22. शिष्यों के प्रति प्रेमानुराग : विश्वनाथ त्रिपाठी (अतुल कुमार) 68

23. बैंक ऑफ बडौदा के वित्तीय (क्रियाशीलता व लाभप्रदता) विश्लेषण पर एक अध्ययन (श्रीमति आरती वर्मा, डॉ. पी.के. सन्से) 72

24. सुशासन और नौकरशाही (डॉ. प्रतिभा जैन) 75

25. कोविड-19 का विश्व राजनीति पर प्रभाव: एक अवलोकन (डॉ. रजनी दुबे) 78
26. सामाजिक न्याय के संदर्भ में महिलाओं की विधिक स्थिति: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन........ 80
(श्रीमति ज्योति पांचाल मिस्त्री)
27. हाड़ौती मे मराठा प्रवेश की परिस्थितियों का अध्ययन (मणिराज सिंह राठौड़) 83
28. विधि और विधिक संस्थाओं में सामाजिक न्याय (डॉ. नीति निपुण सक्सेना) 85
29. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आर्थिक-सामाजिक अध्ययन........ 88
(झाबुआ जिले के मेघनगर विकासखण्ड़ के संदर्भ में)(हेमता डुडवे)
30. नैतिक शिक्षा के महान दार्शनिक गुरु नानक (डॉ. रविन्द्र गासो)........ 92
31. महिला उद्यमियों के विकास में तृतीय क्षेत्र का योगदान (कमल सिंह मालवीय, डॉ. आर.के. बाकलिवाल)........ 96
32. भारतीय कृषि की चुनौतियां व समास्याएं (धनीराम अहिरवार)........ 99
33. आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता एवं प्रावधान (डॉ. सुचेता सिंह)........ 101
34. ग्रामीण विकास योजनाओं का समीक्षात्मक अध्ययन: आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में (डॉ. गोरेलाल डावर) 103
35. भारत में नक्सलवाद की समस्या व समाधान (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)........ 106
(डॉ. अनुराधा जैन, पूजा साकेत)
36. भारत की अर्थव्यवस्था की समस्याएं : निर्धनता एवं बेरोजगारी (सुमन भंवर)........ 110
37. Women Characters in the short stories of Thomas Hardy and Rabindra Nath Tagore – 112
A Comparative Study (Rajni Mishra)
38. COVID-19 and It's Impact on Various Sectors of Indian Economy (Dr. Prahalad Dhaker) 115
39. A Conceptual Model Proposed to Select A Bank for Applying Loan 120
(Neha Yadav, Dr. Chetan Nagar)
40. देवास जिले में महिला उद्यमिता एवं स्वरोजगारमूलक योजनाओं का अध्ययन 122
(नवीन कुमार बिठौरे, डॉ. बी.आर.नलवाया)
41. युवाओं का चहुमुखी विकास और नई शिक्षा नीति (डॉ. कलिका व्यास डोलस) 125
42. बनास नदी बेसिन (राजस्थान) में वर्तमान कालिक (1951-2001) नगरीकरण (डॉ. काश्मीर कुमार भट्ट) 130
43. षाडगुण व मण्डल सिद्धांत : विदेश नीति के आधार स्तम्भ (शुभम ओझा)........ 136
44. राजनीतिक दलों के माध्यम से भारत में चुनावी-जनसहभागिता की स्थिति (डॉ. शोभा गौतम) 140
45. राजस्थान की राजनीति में दलित- चुनावी जनसहभागिता का अध्ययन (रजनी गगवानी) 144
46. A Study on Consumer Behaviour Towards online Shopping in Nagpur City 147
(Dr. Rajeshwar Dinkar Rahangdale)
47. भारत के स्वाधीनता संग्राम में बुंदेलखण्ड की महिलाओं का योगदान (विमल चौधरी, डॉ. किरन दुवेदी पाठक) 153
48. भारत में यूनिकॉर्न एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. प्रवीण शर्मा) 156
49. Corporate Social Reporting : Approachable Concept for Accounting and Accountants 159
(Shuchi Gupta, Dr. Deepak Gupta)
50. गाँधीजी के सत्याग्रह और हिन्दी भाषा (डॉ. बिन्दू परस्ते) 163
51. सुशासन की भूमिका (हरदीप सिंह) 165

52. ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 170
(लखनऊ जिले के विशेष सन्दर्भ में) (शोभना शुक्ला)

53. Judicial Intervention in Arbitration: A Study (Anjali Mudgal, Dr. Mamta Mishra) 173

54. Human Health and Yoga : Dimensions of Holistic Development (Sachin Verma) 177

55. जुगल किशोर मुख्तार: एक समाज सुधारक (स्नेहा जैन) 180

56. अर्वाचीन लोकतंत्र के संस्थापक-प्रजापति दक्ष (डॉ. ईश्वरलाल प्रजापति) 182

57. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विद्यार्थी और आवासीय ऋण संवितरण का तुलनात्मक विश्लेषण 186
(डॉ. संजय पण्डित, रूकमणी यादव)

58. राष्ट्रीय प्रगति के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है (डॉ. वर्चसा सैनी) 190

59. भारत का गौरव - यूपीआई (डॉ. प्रवीण ओझा) 192

60. प्राणायाम का युवा कार्यालय कर्मियों की निद्रा पर प्रभाव का एक अध्ययन 194
(डॉ. अजय कुमार चौधरी, जसवंत मेनारिया)

61. दृष्टि बाधिता अर्थ, विशेषताऐं, पहचान तथा लक्षण (डॉ. रचना राठौड़, अन्जु दोसी).............................. 196

62. Habeas Corpus (Dr. Saptmuni Dwivedi) 200

63. National Education Policy:2020 (Kartikeswar Patro) 202

64. मानव एवं पशुसाधन आधारित जैविक कृषि का स्वरूप (चाँदनी कुशवाहा).. 207

65. भारतेंदु युगीन पत्रकारिता परम्परा पर एक नजर (डॉ. गुलाब सिंह डावर) 209

66. मुरार विकासखंड के विद्यालयीन बालकों के अहारीय तुलनात्मक अध्ययन (निधि यादव, डॉ. मंजू दुबे) 212

67. हिन्दू धर्म में अंत्येष्टि संस्कार के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन (निशा राज़दान) 214

68. Comparative Analysis of the Psychological Variables of Anxiety, Aggression and Self-Concept 217
in Hockey Boys Players from the State of Haryana's Attackers and Defenders (Dr. Shamsher Kasnia)

69. A Brief Review of Summation of A Certain Function (Dr. Dalendra Kumar Bhatt) 223

70. ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विपणन का तुलनात्मक अध्ययन (दिलीप कुमार कुशवाह, डॉ. पुष्पलता चौकसे) 225

71. Necessity of Uniform Civil Code in India: A Study (Dr. Sunil Kumar Pandey, Aditya Verma) 227

72. Development of Legal Langauge in India (Dr. Humera Qureishi, Salim Ajmeri) 231

73. Invasion of Privacy Right By Visual Media: A Need for Regulation 233
(Gayatri Yadav, Mahima Sharma)

74. Grievances of Rape Victims In Indian Society (Abhimanyu Sharma, Sanviksha Rawatkar) 237

75. Effect of Yoga Practices and Physical Exercises on Selected Physiological and Biochemical 244
Variables Among Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus Women (Dr. Santosh Lamba, Deepesh Vats)

76. A Comparative Study of Physical Fitness and Physiological Fitness Components of 248
Volleyball and Kabaddi Players of Udaipur City (Dr. BrajKishor Choudhary, Balkar Singh)

77. A Comprehensive Study of Emotional Intelligence, Mental Toughness and Personality 252
Traits of Open and Closed Skill Athletes (Dr. BrajKishor Choudhary, Praveen Singh)

78. लोक विमर्श: लोक शब्द की अवधारणा, व्याप्ति और सत्ता (डॉ. अमित रंजन) 255

79. On Invariant Submanifold of $\psi(7, 1)$ Structure Manifold (Lakhan Singh) 258

80. भारत में स्मार्ट खेती: संभावनाए और चुनौतियां (डॉ. पंकज जायसवाल).. 260

81. An Exploration into the Causes and Remedies of Chemical Leak Accidents (Dr. S.K.Udaipure)..... 264

82. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता का तुलनात्मक अध्ययन 270
(डॉ. महेश कुमार मुछाल, योगेश कुमार)

83. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के हितलाभ को प्राप्त करनेमें बीमित व्यक्तियों को आने वाली समस्यायों 276
का अध्ययन (इन्दौर जिलें के संदर्भ में) (गीतांजली कर्डक, डॉ. पी.के सनसे)

84. Rootlessness and Nostalgia in Some of the Novels of Bharti Mukherjee (Dr. Vishal Sen) 279

85. किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण में वृद्धि का विश्लेषणात्मक अध्ययन 281
(इंदौर जिले के विशेष सन्दर्भ में) (माधुरी यादव, डॉ. एल.एन. शर्मा)

86. जनजातीय क्षेत्रों में मानव अधिकारों के संरक्षण की स्थिति (झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में 286
एक अध्ययन) (संजु अलावा)

87. श्रमण संस्कृति की वैदिक संस्कृति को देन (डॉ. रणजीतसिंह मेवाड़े) 288

88. Benefit of Fiber (Dr. S.K. Udaipure) 290

89. प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विस्फोट के पूर्व निमाड़ (डॉ. महेशलाल गर्ग) 292

90. अनुसूचित जनजाति का विकास एवं सरकारी नीतियाँ-झाबुआ जिले के संदर्भ में विश्लेषणात्मक 295
अध्ययन (रमेश अमलियार)

91. Operational and Financial Performance of Madhya Pradesh Financial Corporation- 297
An Overview (Sweety Ohlan, Dr. P.K. Sanse)

92. Study of the Influence of Sodium chloride and Sodium corbonate on Photocatalytic 300
Degradation of Pararosanilin Dye (Dr. David Swami)

93. Socio-Economic Status of Nuh District of Haryana: A Case Study of the Bhogipur Village 302
(Dr. Mukesh Kumar, Dr. Rajpal Bhiduri)

94. मोबलिंचिंग : मानवता के विरुद्ध अपराध (डॉ. श्यामसिंह राजपुरोहित) 308

95. नीमच एवं मन्दसौर जिले के मध्य मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का तुलनात्मक अध्ययन 314
(रुचि कण्डारा, डॉ. एल.एन. शर्मा)

96. एकांकी एवं संयुक्त परिवारों की किशोरियों के कुपोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन 323
(डॉ. मीता श्रीवास्तव, डॉ. मंजू दुबे)

97. चम्पारण सत्याग्रह - एक शुभारंभ (डॉ. शुक्ला ओझा) 325

98. वैदिक दर्शन में अहिंसा की अवधारणा (मलय वर्मा) 328

99. Louisa May Alcott's Little Women: Redefining Feminism in the Nineteenth Century 330
(Dr. Nempal Singh)

100. Right To Cohabit: A Human Right (Dr. Nisha Sharma) 334

101. सामाजिक विकास और महिला सशक्तिकरण : महिला विकास का एक विकल्प (मंजु मीणा, डॉ. रेखा माली) ... 339

102. भारतीय सीमाओं का वर्तमान भू राजनीतिक महत्व (डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी) 343

103. Capital Punishment is Justified or Not? (Manaswi Agrawal) 346

104. कैदियों के मानवाधिकार संरक्षण के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टिकोण - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 350
(डॉ. लोक नारायण मिश्रा)

105. समय के संबंध में भारतीय अवधारणा (डॉ. मधुसूदन चौबे) 354

106. Child Labour and It's Determinants in Rajasthan (Dr. Swati Sanadhya) 358

107. A Comparison of Balance Between Single and Doubles Badminton Players (Ms. Kavita) 360

108. Self Help Groups and Status of Tribals (Dr. Mamta Pawar) 362

109. Cultural Conflict and the Indian Diaspora in the non-fictional works of V.S.Naipaul 366
(Prof. Aafia Zaman)

110. राजा राम मोहन राय: भारतीय पुनर्जागरण के जनक एवं आधुनिक भारत के निर्माता (मुकेश चन्द) 369

111. प्राथमिक शिक्षा का विकास में महत्व (डॉ. उदय प्रताप सिंह) 372

112. भारत में भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानूनी प्रावधान: एक संक्षिप्त अध्ययन 374
(प्रो. विकास चन्द्र वशिष्ठ, नवीन भास्कर)

113. Urbanization and Environmental Degradation: A Sociological Perspective in India 379
(Mallu Ram Meena)

114. धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता (डॉ. संध्या जयपाल) 384

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Regional Editor Board - International & National

1.	Dr. Manisha Thakur	-	Fulton College, Arizona State University, America.
2.	Mr. Ashok Kumar	-	Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3.	Ass. Prof. Beciu Silviu	-	Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4.	Mr. Khgendra Prasad Subedi	-	Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5.	Prof. Dr. G.C. Khimesara	-	Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6.	Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav	-	Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7.	Prof. Dr. Anoop Vyas	-	Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8.	Prof. Dr. P.P. Pandey	-	Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9.	Prof. Dr. Sanjay Bhayani	-	HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10.	Prof. Dr. Pratap Rao Kadam	-	HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11.	Prof. Dr. B.S. Jhare	-	Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12.	Prof. Dr. Sanjay Khare	-	Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13.	Prof. Dr. R.P. Upadhayay	-	Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14.	Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma	-	Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15.	Prof. Akhilesh Jadhav	-	Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16.	Prof. Dr. Kamal Jain	-	Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17.	Prof. Dr. D.L. Khadse	-	Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18.	Prof. Dr.Vandna Jain	-	Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19.	Prof. Dr. Hardayal Ahirwar	-	Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20.	Prof. Dr. Sharda Trivedi	-	Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21.	Prof. Dr. Usha Shrivastav	-	HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22.	Prof. Dr. G. P. Dawre	-	Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23.	Prof. Dr. H.K. Chouarsiya	-	Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24.	Prof. Dr. Vivek Patel	-	Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25.	Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary	-	Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26.	Prof. Dr. P.K. Mishra	-	Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27.	Prof. Dr. Jitendra K. Sharma	-	Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28.	Prof. Dr. R. K. Gautam	-	Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29.	Prof. Dr. Gayatri Vajpai	-	Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30.	Prof. Dr. Avinash Shendare	-	HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31.	Prof. Dr. J.C. Mehta	-	Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32.	Prof. Dr. B.S. Makkad	-	HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33.	Prof. Dr. P.P. Mishra	-	HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34.	Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar	-	Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35.	Prof. Dr. K.L. Sahu	-	Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36.	Prof. Dr. Malini Johnson	-	Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37.	Prof. Dr. Ravi Gaur	-	Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38.	Prof. Dr. Vishal Purohit	-	M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

****

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
			***** Commerce *****
Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
			***** Management *****
Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)
			***** Law *****
Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3)	Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4)	Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
			***** Arts *****
Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
		(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)

***** Home Science *****

Diet/Nutrition Science	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)

***** Education *****

Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)

***** Architecture *****

Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)

***** Physical Education *****

Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
		(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)

***** Library Science *****

Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Dr. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Impact of Health on The Life of the Employed Person

Dr. Sonali Singh*

***Physical Education Department, J.K.P.(PG) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA**

Abstract - Work is important on many levels and may provide meaning and focus for our lives.Work-related issues may include job dissatisfaction, workplace injury, stress, discrimination and bullying, violence, accidental death, retirement, retrenchment and unemployment.Common causes of work-related stress include long hours, heavy workload, job insecurity and conflicts with co-workers or bosses.The stress of dealing with changing work circumstances that are out of your control can increase the risk of health problems such as anxiety and depression.

Introduction - Work is important to most of us on many levels. Doing a job we enjoy and find satisfying can provide a meaningful focus for our lives, as well as bringing in an income. Our standard of living hinges on the money we make, while employment often contributes to our self-image and self-esteem.Work-related problems can affect our physical, emotional and mental health. Common issues include job dissatisfaction, workplace injury, stress, discrimination and bullying, violence, accidental death and retirement. Job loss, retrenchment or unexpected loss of income can also cause distress and hardship.

Dealing with stress at work - The cost of workers compensation claims for stress-related conditions in Australia is very high. Common causes of work-related stress include long hours, heavy workload, job insecurity and conflicts with co-workers or bosses. On a strictly business level, workplace conflict leads to downturns in productivity and increases in absenteeism. It is in an organisation's best interests to ensure that employees are happy at work.Paying attention to your 'work–life balance' can help you manage work-related stress. Burnout can occur when a person strives too hard in one area of life while neglecting everything else. 'Workaholics', for example, put all their energies into their career, which can put their family life, social life and personal interests out of balance.

Discrimination at work - Unlawful discrimination occurs when someone is treated less favourably than another person or group because of characteristics such as:

1. Race, colour, national or ethnic origin
2. Sex
3. Age
4. Disability
5. Pregnancy status
6. Marital status
7. Religion
8. Sexual preference
9. Trade union activity.
10. Workplace discrimination can occur when:
11. Recruiting and selecting staff
12. Offering terms, conditions and benefits of employment
13. Deciding who receives training and what sort of training is offered
14. Selecting staff for transfer, promotion, retrenchment or dismissal.

Workplace violence and bullying - Workplace violence is conflict escalated to the point of physical, emotional or psychological attack. It includes threats, insults, racial abuse, sexual harassment or physical contact such as pushing or punching. The attack may come from anybody in the workplace, including an employer, co-worker, customer or service user. Bullying is a form of violence that can occur in the workplace. Bullying includes any behaviour that intimidates, offends, degrades or humiliates another person.

Dangerous workplaces - Some workplaces pose a greater health threat than others. For example:

Shift work – a person working the night shift is at greater risk of a range of disorders, accidents and other effects. These may include obesity, cardiovascular disease, gastrointestinal problems, transport accidents, work-related accidents, family problems and divorce.

Certain occupations – jobs in forestry, fishing, mining, transport and storage, agriculture and construction are the most dangerous in Australia.

Hazardous work practices – any workplace that doesn't promote and enforce safe work practices is dangerous, regardless of the industry. Examples of hazardous work practices include not wearing personal safety equipment or failing to use proper manual handling techniques.

Workplace injuries: selected statistics - General

information on workplace injuries from the Australian Bureau of Statistics includes:

1. About six Australians in every 100 experience a work-related injury every year.
2. About half of all work-related injuries require time off work.
3. People who work in jobs that require physical labour are at higher risk of injury.
4. The most common health issues for office workers include musculoskeletal injuries such as repetitive strain injury (RSI).
5. The rate of injury is highest in younger workers. Contributing factors may include job inexperience, lack of adequate training, and a tendency to work in jobs that present an increased risk of injury, such as retail.
6. The highest injury rate by age group is among men aged 20–24 years, with about 10 injured per 100 employed men. By comparison, the injury rate among women of the same age is half that.
7. The industries with the highest risk of injury for female workers include accommodation, cafes and restaurants.
8. The industries with the highest risk of injury for male workers include agriculture, forestry and fishing.

Accidental deaths in the workplace - In 2007–08, work-related injury caused the death of 150 Australians, with men accounting for 137 of those fatalities. About 80 per cent of those fatalities occurred in four industries:

1. Construction
2. Transport and storage
3. Agriculture, forestry and fishing
4. Manufacturing.
5. Generally speaking, the most common causes of work-related fatal injury include:
6. Vehicle accidents (account for about four workplace deaths in every 10)
7. Falling objects
8. Moving objects
9. Falls
10. Becoming trapped in moving machinery.

Retirement - Responses to retirement depend on the reason for leaving the workforce. For example, a person who planned for their retirement is more likely to feel positive about it, while a person forced into early retirement due to redundancy or illness may find it harder to cope.

Where to get help:

1. Your doctor
2. Career counsellor or psychologist
3. Your manager
4. Human resources manager at your workplace
5. Occupational Health and Safety Officer in your workplace
6. Your union
7. Accountant or financial planner
8. WorkCover Advisory Service Tel. 1800 136 089
9. Industrial Deaths Support & Advocacy Inc. (IDSA) Tel. (03) 9654 3353
10. Worksafe Victoria Tel. 1800 136 089 or (03) 9641 1444 (for referral only)
11. Victorian Trades Hall Council (OH&S Unit) Tel. (03) 9659 3511
12. The Australian Centre for Grief and Bereavement Tel. (03) 9265 2111 or 1800 642 066
13. Job Watch Tel. (03) 9662 1933 or 1800 331 617
14. ACTU Workers' Line Tel. 1300 362 223
15. Centrelink Employment Services Line Tel. 13 2850
16. Seniors' Information Victoria Tel. 1300 135 090
17. Department of Jobs and Small Business, Tel.1300 488 064.

Conclusion - World leaders like Bill Gates have long advocated the benefits of corporate employee health. The benefits are being fast recognized throughout the world.Employers must encourage a healthier workforce. Promoting employee health is not only beneficial for employees; it is beneficial for employers as well. It creates a positive and efficient work culture and environment. Promoting the health of employees will help them perform better. They will be happier, satisfied, and stress-free in general. It will also create team-building opportunities. This will further support a healthy work environment and create a work-life balance.A healthier workforce is more engaged, focused, and productive. Being healthy improves the overall quality of life, reducing risk factors for diseases. Furthermore, a healthy workplace will reduce absenteeism and employee turnover. Thus, employers can reap many benefits by promoting employee health in their workplaces.

References:-

1. 4102.0 - Australian Social Trends, 2007 ARCHIVED ISSUE Released at 11:30 AM (CANBERRA TIME) 07/08/2007
2. Statistics, Safe WAustraliaork , Australian Government.
3. Employee Health: A Vital Factor For Workplace Productivity PUBLISHED:08 MARCH, 2019

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Role of Rural Women in Agricultural Activities: Challenges and Suggestions

Dr. Kiran Kumar P *

***Assistant Professor (Economics) Rani Channamma University, Belagavi (Karnataka) INDIA**

Abstract - Women make essential contributions to agriculture and rural economic activities in all developing country regions. Their roles vary considerably among and within regions and are changing rapidly in many parts of the world where economic and social forces are transforming the agriculture sector. Over the years, there is a gradual realization of the key role of women in agricultural development and their contribution in the field of agriculture, food security, horticulture, dairy, nutrition, fisheries, and other allied sectors. This paper highlights the participation of rural women in agriculture. In the food security the rural women over the world play a major role, agricultural production and in the development and stability of the rural areas but women face a number of constraints in approaching agricultural extension sources especially in developing countries. The findings in this study indicate that though women contribute much of the labour in agriculture production, they are constrained in terms of access and control over productive resources. Women's empowerment is revealed to be an important dimension towards poverty reduction which is the first millennium development goal. This is the case because agriculture is one of the major strategies towards achieving the goal and women's contribution cannot be overlooked if reality is to prevail.

Key Words- Women, Gender, Agriculture, Constraints, Labour.

Introduction - Women constitute half of the global population and one-third of the labour force, but receive only one-tenth of the world income and own less than one percent of the world's property. The major occupation of rural women is agriculture and related activities and thereby they contribute about three-forth of the labour required for agricultural operations. Broadly their contribution to socio-economic development has two fold, say, within the home as well as outside the home. A women as a caretaker of the members of the family attends to food requirements. She looks after the health of all members of the family. These two things are very important in maintaining the productivity of working force. Women in India, which is predominantly agricultural, participate in economic activities and contribute their labour actively. Yet, due to the nature of their work, which is intertwined with household activities at times and is often unpaid, on the one hand, and the flawed definition of economic activity, on the other hand, women's economic participation remains statistically invisible (Suneeta 2012).

Women have always played a key role in agricultural production; their importance both as workers and as farm managers has been growing, as more men move to non-farm job leading to an increased feminization of agriculture (Kiran *et al* 2009). Today 53 per cent of all male workers are in agriculture as against 75 per cent of all female workers, and 85 per cent of all rural female workers, are in agriculture. Further, an estimated 20 per cent of rural households are de facto female headed, due to widowhood, desertion, or male out-migration. These women are often managing agriculture and providing family subsistence with little male assistance. Hence agricultural productivity is increasingly dependent on the ability of women to function effectively as farmers (GoI 2012). Rural women face a number of constraints on agricultural productivity (Gangaiah 2007). With the development of agricultural economy and other economic activities, the demand for women's labour in both the agricultural and non-agricultural sectors has been on the rise. Women may work on the farms owned by them or on family farms or as tenants or as wage earners and as such they form large proportions of agricultural workers.

Classification of Women Agricultural Labour - To understand the nature and rural class structure, rural women are classified into two categories, namely, landless agricultural labour and very small cultivators. Landless labour in turn can be classified into two broad categories, say, permanent labour attached to cultivating household and casual labour. Permanent or attached labour generally works on annual or seasonal basis and they work on some sort of daily wage. Their wages are determined by custom or tradition. On the other hand, temporary or casual labours

are engaged only during peak period for work. Their employment is temporary and they are paid at the market rate. They are not attached to any landlords. The second category very small cultivators can again be divided into three subgroups, namely, cultivators, share croppers and leaseholders. Small farmers possess very little land and therefore have to devote most of their time working on the lands of others as labour. Share croppers are those who, while sharing the produce of the land for their work, also work as labour. Tenants are those who not only work on the leased land but also work as labour.

An important characteristic of the female agricultural labour in India is that women get low wages because hired labour can be substituted by the family labour. Economic conditions of women labour are very pitiable. The hours of work are not fixed. The wage rates paid are also low compared to the male workers for the same work. Illiteracy, lack of awareness, low level of skills, suppression, nature of employment, lack of knowledge about Minimum Wages Act, lack of bargaining power and migration are the disadvantages of women labour. In the process of development women labour suffers in many ways. She believes that men and women both have equal strength and that none is inferior to her.

Objectives of the Study and Methodology:

1. To analyze the changing trends of women participation in agriculture;
2. to study the socio-economic condition of the rural women farmers in the study area;
3. to study the role women in farm production activity;
4. to analyze constraints faced by the rural women in the agriculture sector in the study area;
5. to recommend the policy measures to strengthen and to overcome these constraints;

The study has utilized both secondary and primary data. The relevant secondary data have been collected from various reports and documents of Agriculture Department, Economic Survey. The study was conducted in Dakshina Kannada district, which comprises of five taluks, namely Mangalore, Puttur, Bantwal, Belthangady and Sullia. Out of which one Puttur taluk was selected through simple random sampling system. Puttur Taluk consists of 68 villages, out of which two were selected through simple random sampling system. 75 farm families were selected at random from selected villages. The data were collected with the help of a pre-tested interview schedule. The data thus collected were analyzed by using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for reporting results and drawing conclusions.

Results and Discussion - Women are a critical component of agriculture in developing countries, and contributing to ensuring food security and nutrition. Given the right possibilities, such knowledge can allow women to be innovation leaders in sustainable agriculture. Unfortunately, despite their wealth of knowledge and capacity, women farmers are neglected by policy makers, often not being recognized as productive farmers. Their farm work is frequently unpaid or under-valued; they tend to be excluded from decision-making; and they do not have equal access to land and other resources, credit, markets, education, extension services and inputs. The researcher identified the following constraints under different categories as social-economic and technical constraints. Respondents were interviewed to find out their perceptions about agricultural extension education services in tabulated, figure and presented in tables.

Socio-economic Condition of Respondents in the Study Area - The socio-economic condition of the respondents is represented in Table 1 which shows that 53.3 per cent of the respondents were within 20-30 years of age, 37 per cent were above the age of 41 years. Many of the respondents were married (68 per cent) among these were widows (13 per cent) while 18.6 per cent were single. Across different levels of education, it is observed that most of the respondents had primary school education accounting for 58.6 per cent, followed by illiterate with 20 per cent, secondary education with 13 per cent, higher education with 8 per cent. Women's assess to land is limited, most of the respondents had small land for their personal farm, 48 per cent had less than 1 acres, 18.6 per cent had the land of 1 to 2 acres and only 12 per cent had the land of more than 3 acres for farming.

Table 1: Distribution of Sample Farmers with their Socio-economic Conditions

Variables	Frequency	Per cent
Age (years)		
20-30	40	53.3
31-40	7	9.3
Above 41	28	37.3
Marital Status		
Single	14	18.6
Married	51	68
Widow	10	13.3
Educational Status		
Illiterate	15	20
Primary	44	58.6
Secondary	10	13.3
Higher	6	8
Size of the Farm		
Less than 1 acres	36	48
1 to 2 acres	14	18.6
2 to 3 acres	16	21.3
More than 3 acres	9	12

Source: Field Study

Role Of Women In Agricultural Production - Table 2 shows percentage distributions of farm operations in which women were involved in the study area. It is observed that majority of the women farmers were engaged in harvesting of the farm products which accounts for 94.6 per cent, followed by irrigation with 93.3 per cent and the digging of

the field is only as low as 22.6 per cent. There are nine agricultural operations were identified in which women actively participated. These operations were seed storage, winnowing, care of animals, harvesting, weeding, soak pit, sowing, applying manure in the field, using implements, respectively. They further found that women participated in four farm operations that is, seed storage (75 per cent), winnowing (75 per cent), care of animals (74 per cent) and harvesting (71 per cent) (Sharma and Singh 1970).

Women's substantial contribution continues to be undervalued in conventional agricultural and economic analyses and policies, while men's contribution remains the central, often sole focus of attention. Table 3 provides data on the area under different crops, by the women in the study area. The crops that are generally cultivated by the sample farmers include Jasmine, Areca nut, Coconut, Banana and Paddy. Among all these major crops to be cultivated by the sample farmers, most of them cultivate Jasmine accounting for 97.4 per cent and Banana accounting for 56 per cent followed by Paddy with 46.6 per cent, Areca Nut with as low as 24 per cent. Pandey and Pareek (1988) indicated that in fruit, vegetable and flower gardens women help to a great extent in operations like weeding, hoeing, application of manures and fertilizers, harvesting and processing of the produce.

Table 2: Distribution of Respondents According to Farm Operations Engaged by Women

Type of Activity	Frequency	Per cent
Land Clearing	27	36.0
Digging	17	22.6
Weeding and Pruning	61	81.3
Sowing	33	44.0
Irrigation	70	93.3
Harvesting	71	94.6
Marketing	24	32.0
Other Activity	9	12.0

Source: Field Study

The study noted that, there was a need for development of cheaper techniques for mist houses, tissue culture, modernizing post-harvest technologies related to grading, packaging and marketing. Further, noted that farm women should be trained in modern production techniques of fruits, vegetables and flowers (Sen and Rani 1990).

Table 3: Distribution of Respondents According to their Farm Production

Crop	Frequency	Per cent
Paddy	35	46.6
Areca nut	18	24.0
Coco nut	21	28.0
Floriculture	73	97.4
Banana	42	56.0
Live stock	39	52.0
Other	12	16.1

Source: Field Study

The table indicates that women tend to produce crops for family consumption as well as crops that generate income within their locality so as to enable them take care of themselves. The activities of these women go beyond crop production to other agricultural aspects like livestock production. More than 50 per cent were involved in live stock production. Most of the respondents depend on farming as the only source of income and livelihood.

Constraints Faced by Women Farmers - An effort has made to explore the problems of women cultivators from the study areas. There are several constraints such as Social, Economic and Technical which reported in these study areas. Lack of awareness about the new diseases due to climate change, loss of agriculture products while assembling and marketing, lower price and the like.

Table 4: Distribution of the Women Farmers with Social and Economic Constraints

Social Constraints	Frequency	Per cent
Male dominance	63	84.1
Social Customs and Taboos	47	62.6
Availability of Time	69	92.0
Family norms	55	73.3
Other	25	33.3
Economic Constraints		
Mobility	60	80.2
Access to credit	58	77.3
Loss of Agriculture Products	44	58.6
Lower Price	29	38.6

Source: Field Study

Table 4 provides the data on social and economic problems of women farmers. It has been observed that, cultural norms, male dominance, less availability of time and resistance from family members were the major constraints, which are being faced by rural women. Majority of the women respondents (80 per cent) of the respondents indicated lack of mobility as the major constraints in approaching agricultural services. Moreover a large majority 77.0 per cent of the respondents indicated lack of access to credit as the core constraint in approaching agricultural services for rural women. Loss of agricultural products while assembling, packing or transporting which accounts for 58.6 per cent was also another economic constraint. Low price was also another economic constraint in the study area which accounts for 38.6 per cent. These results were also observed by Raju et al. (2001). FAO (2001) and Sadaf et al. (2005) also reported that less time availability, cultural norms, male dominance etc., of these constraints faced by women farmers. Shelly and Costa (2000) reported that in social customs/norms are also major constraints faced by women involved in fish farming.

Table 5: Distribution of the Respondents According to their Suggestions for Improving the Involvement of Rural Women in Extension Services

Suggestions	Frequency	Percentage
Female extension workers	60	80.0
Training programme for women (agricultural development and livestock)	57	76.1
Government and private organization	32	42.6
Extension field staff should be trained to educate the women engaged in farming	48	64.0

Source: Field Study

Table 5 reveals that imperative suggestions given by the respondents were maximum female subject matter specialists should be produced in the field of agriculture 80.0%, training program for female e.g., (agricultural development & livestock) 76.1%, Government and private organization should focus more attention on problems of rural women 42.6% and extension field staff should be trained to educate the women engaged in farming 64.0%. Similar suggestions were also reported by Sadaf *et al.* (2005), Majaka (2001) and Raju *et al.* (2001).

Conclusion and Recommendations - Women play an indispensable role in farming and in improving the quality of life in rural areas. However, their contributions often remain concealed due to some social barriers and gender bias. In spite of social, political and economic constraints, women farmers have proved extremely resourceful and hardworking in their attempt to ensure household food security. Social constraints place barriers around their access to scientific and technological information. Policies should be designed to ensure women's control over complementary resources including irrigation, credit, water, forest, fuel, fodder, information and training. The contribution of women to agricultural and rural development should be maximized by implementing solutions to the specific problems they face as economic, social and technical aspects. More female extension workers should be trained and sent to help female farmers. It is necessary to particularly identify women as an integral part of the agriculture. The existing women's group in the village should be organized and strengthened to increase women's access to extension services, credit facilities, agricultural inputs and even marketing services. Government should launch specific training skills courses and educational programmes for rural women keeping in view their problems and also should be broadcast through television, radio and group meetings at the access areas.

References:-

1. Ashish Mathur (2011): "Women Entrepreneurs in the Indian Agricultural Sector", ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research Vol.1 Issue 2,
2. Chattopadhyay, T .K. (2000): "Present Status of Floriculture in West Bengal", *Financing Agriculture*, Vol. 32(2), pp 10-15
3. Fabiyi, Danladi, Akande and Mahmood (2007): "Role of Women in Agricultural Development and Their Constraints:A Case Study of Biliri Local Government Area, Gombe State, Nigeria", Pakistan Journal of Nutrition 6 (6): 676-680, 2007
4. FAO, 1995. *Women, Agriculture and Rural Development.* A Synthesis Report of the Near East Region, Rome, Italy
5. FAO, 2001. *Research and Extension: A Gender Perceptive*. Women in Development Service (SDWW): Women and Population Division, Rome, Italy
6. Gangaiah, C. (2007): "Floriculture Earns Higher Farm Returns*", Southern Economist*, Vol. 47(5), pp16-17.
7. Government of India (2012): Report of the Working Group on Empowerment of Women for the XI Plan. Ministry of Women and Child of Development.
8. Kiran Kumar P (2012) "Economics of Floriculture: With Special Reference to Jasmine Crop; A Case Study of Udupi District in Karnataka", Ph.D thesis (unpublished) Submitted to Mangalore University, Karnataka.
9. Kiran Kumar P, V.B Hans and Jayasheela (2009) "Indian Agriculture: Crisis and Challenges under Globalization", *Social Action,* Vol 59(1), Jan-March 2009. ISSN-0037-7627
10. Kundu,K.K., Singh,J., Singh,V.K. and Suhag, K.S. (1997): "India's Floriculture Export-Growth, Status, Constraints and Export Strategies: An Analysis", *Indian Journal of Agricultural Marketing,* Vol. 11(1&2), pp14-20
11. Majake, C., 2001. *Women and the Agriculture Sector*. Commission on Gender Equality, South Africa
12. Pandey (2009): "Indian Agriculture – An Introduction", Director, Central Institute of Agricultural Engineering, Bhopal, India Fourth Session of the Technical Committee of APCAEM 10-12 February 2009, Chiang Rai, Thailand
13. Pandey, R.M. and Pareek, O.P. (1988): "Appropriate Horticulture Production Technologies for Farm Women", International Conference of Farm Women, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
14. Raju, K.A., G.S. Roy, T.S. Kamala and M.S. Rani, 2001. *Constraints andSuggestions for Effective Implementation of Farm WomenDevelopment Programmes.* MANAGE Extension Research Review, India
15. Sadaf, S., A. Javed and M. Luqman, 2005. Constraints faced by rural women in approaching agriculture extension services: A case study of district Faisalabad, Pakistan. *Indus J. Biol. Sci.,* 2: 483–488
16. Sadaf, S., A. Javed and M. Luqman, 2006. Performance of rural women for agriculture information source: A case study of district Faisalabad, Pakistan. *J. Agric. Soc. Sci.,* 2: 145–149
17. Sen, D and Rani, G.J. (1990): "Women in Dairing: A Case Study", *Journal of Rural Development,* Vol. 9(5),

pp 809-831

18. Sharma and Singh, T. (1970): "Participation of Rural Women in Decision Making Process Related to Farm Business", *Indian Journal of Extension Education,* Section 6, pp43-50.
19. Shelly, A.B. and M.D. Costa, 2000. *Women in Aquaculture: Initiatives of Caritas Bangladesh*, pp: 77–87. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), Bangladesh
20. Subramanian, P. and Mulleria Venugopal (2006), The Buddingg Economy of a Flower- The Case of 'Mangaluru Mallige', *Indian Journal of Marketing,* 36(4), April, pp 24-28.
21. Sundaram Satya, I. (2003): "Floriculture: Fluctuating Fortunes", *Facts for You*, Vol. 23(11), pp9-11.
22. Tahir Munir Butt, Zakaria Yousaf Hassan, Khalid Mehmood and Sher Muhammad (2010): "Role of Rural Women in Agricultural Development and their Constraints", Journal of Agriculture &Social Sciences, Vol. 6, No. 3.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Assessment of Herbicidal /Weedicidal Property of Nigar

Bhavna Rajput*

***Department of Botany, Dr. C.V. Raman University, Khandwa (M.P.) INDIA**

Abstract - Plants release many secondary metabolites to the environment that can be harnessed for important uses. These secondary metabolites are known as allelochemicals. The current worldwide demand for cheaper, more environmentally-friendly weed management technologies has motivated a number of studies on the allelopathic interaction between crops and weeds. Nigar plant has been observed to have allelopathic effects on certain weeds. In order to evaluate the influence of Nigar plant on selected weeds, an experiment was laid out in Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replicates. Treatments included weedy check (no weed control measure, having all weeds including Nigar plant), weed free, Nigar plant intercrop and all weeds except Nigar plant. Three cultivars of beans (Rosecoco, Mwitemania and Mwezi Mbili) were used. Data collection included the total number of four prominent weeds over a span of four weeks. A 50 x 50 quadrat was laid on the same spot in all the treatments and the weeds enclosed within it were counted separately. Data analysis was done by ANOVA in Genstat and results presented using graphs. Results showed that Nigar plant enhanced bean growth and development whereas it inhibited the germination and growth of some weeds i.e. field mustard, broom weed, double thorn and couch grass. It was concluded that Nigar plant exhibited negative allelopathy on the weeds that were studied and positive allelopathy on all the bean cultivars. From the results it is recommended that further research be carried out on more crops and more weeds so as to have an in-depth understanding of this subject.

Keywords- Allelopathy, Metabolites, Nigar plant, Weeds.

Introduction - Scientific name :Guizotica abyssinica L.
Common Name : Ram til

Nigar is a minor oilseed crop that is grown predominantly under rainfed conditions. Nigar seed is used as a human food. The seed contains 37- 47% oil, which is pale yellow with nutty taste and a pleasant odour. The oil is used for culinary purposes, anointing the body, manufacturing paints and soft soaps and for lighting and lubrication. The Nigar oil is good absorbent of fragrance of flowers due to which it is used as a base oil by perfume industry. Nigar oil can be used for birth control and treatment of syphilis. Nigar seed cake is a valuable cattle feed particularly for milch cattle. Nigar meal with 30% protein and 17% crude fibre in India could replace linseed cake in calf ration. It can also be used as a manure. Nigaris also used as a green manure for increasing soil organic carbon.In India, Nigar is grown on an area of 2.61 lakh ha mainly during kharif. However, in Odisha it is a rabi crop. Andha Pradesh, Assam, Chattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha and West Bengal are the states where Nigar is grown. The average yield in India is 3.21 q / ha. Limited choice of High Yielding Varieties, use of farm saved seed with low seed replacement rate and low input application are the major factors contributing to low yield in Nigar.

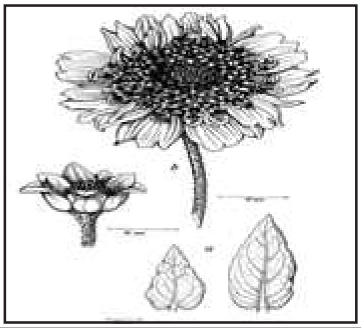

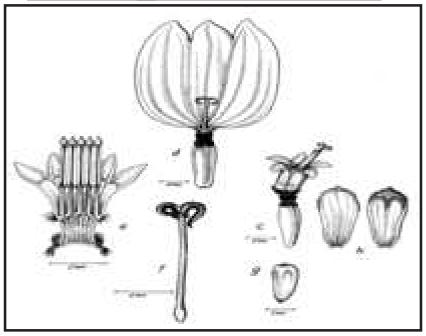

Study site: Field experiments were conducted at the University Research farm for two seasons from

December 2022 - February 2022,July 2022 – October 2022

Objective:

1. To evaluate the allelopathic effect of Nigar plant on controlling of Prathenium hysterophorus.
2. To determine the weed suppressive activity of Nigar plant in the field.

Material and Method: A laboratory experiment was conducted to evaluate the effect G. abyssinica plant parts and their concentration on P.hysterophorus at Weed Science Research Unit, Dr. C.V. Raman University Plant Fresh local G. abyssinica plant leaf, stem and root at vegetative growth stage were collected from Dr. C.V. Raman University surrounding farmer's field. The root mud was washed with tap water and risen with deionized water. The growing fresh tissues of leaf, stem and root partswere crushed and grinded with pestle and mortal separately (Kowthar et al., 2011), eighty gram of each grind plant material was mixed in distilled water at 1g/ml ratio, soaked and blended with blender (Oudhia et al.,1999). The mixtures were extracted using 100 x 100rpm centrifuge for twenty minutes. The filtered extracts was poured into 250 ml volumetric flasks, well covered by aluminum foil and preserved in refrigerator set to -50C. Ten percent filtered extracts was taken from 70ml stock solution for each plant parts. Five different concentrations 15, 30, 45, 60 and 75% were prepared for each plant parts. Ten sound seeds of P.hysterophorus were sown on a filter paper in a 12cm diameter sterilized Petri dish. The filter paper was moistened with (10ml) aqueous extract of leaf, stem and root extract of G. abyssinica plant with the respective concentration in 48hrs. Control check was treated similarly with distilled water. Thetreatments were arranged using Complete Randomized Design with three replications. The Petri dishes with treatments were incubated at 25ºC for 15 days. Data on germination% and germination rate was recorded within day interval until the final as described by Ellis and Roberts (1981). Seedling length and fresh weight were taken directly by using ruler and sensitive balance, respectively after the seedling root and shoot separated by scissor. The data on dry weight was recorded after root and shoot dried by oven dry for 48hr at 70 0C, and the collected data were analyzed and tested using SAS

Result and Discussion: Germination percentage and rate:The analysis of variance showed that aqueous extracts of G. abyssinica root, stem and leaf significantly ($p<0.05$) affect the germination percentage of Parthenium seeds (Table-1). Maximum seed germination (62.2%) was achieved for the leaf and the minimum (51.667%) was found for the stem extract of G. abyssinica. This indicated that stem extract of G. abyssinica was having relatively more inhibitory effect on germination percentage than corresponding leaf extract. There was no significant inhibitory difference among G. abyssinica plant part (root, stem and leaf) aqueous extracts on the germination rate of Parthenium ($p<0.05$). In general, all plant parts affect equally the germination rate of the Parthenium seed. In line with these results, Modupe and Joshua (2013), announced that among extracts obtained from different sorghum plant parts, stem comprise maximum effects in preventative property on Euphorbia heterophylla weed seeds germination.

Germination of P. hysterophorus seeds were adversely affected by aqueous extracts of G. abyssinica(Table-2). However, germination response of P. hysterophorus seed varied with the levels of concentration.

Table:1 Effect of Niger (G. Abyssinia L) plant part on germination and growth of Parthenon hysterophorus.

Plant part	Germin -ation(%)	Germina -tion rate	Root len -gth (cm)	Shoot len -gth(Cm)
Leaf	62.22	0.66	1.73	2.908
Stem	51.67	0.62	1.55	3.25
Root	59.44%	0.706	1.25	2.54
SE(m)	14.69	0.15	0.20	0.28
Cv(%)	25.42	8.4	9.92	11.35

N.B.similar letter in each column show non-sigificant different according to Duncan's multiple range test (DMRT) at 0.05 level of probability.

Table:2 effect to different aqueous extract concentration of Niger plant on germination and growth of p.hystrophorus.

Aqua's extrac(%)	Germin -ation (%)	Germin ation rate	Root len -gth (cm)	Shoot len -gth(Cm)
0	81.11	1.143	3.36	6.47
15	77.78	0.821	3.81	5.09
30	65.56	0.739	2.05	3.33
45	71.11	0.724	0.48	1.49
60	41.11	0.438	0.33	0.81
75	10.00	0.121	0.07	0.23
SE(m)	14.69	0.15	0.20	0.28
CV(%)	25.42	8.4	9.92	11.36

All extracts negatively affect the germination of P. hysterophorus, when compared with the control. Nigar aqua's extract with 60 and 75% inhibited the germination of P. hysterophorus seed by 59% and 90%, respectively. There was no significant difference among 15, 30, and 45% treatments on germination rate; nevertheless increase ? 60% in concentration of aqua extract significantly affected growth parameters. The decrease in germination rate may be due to the slowdown of living processes of the plants caused by the loss of seeds respiration resulted by chemicals (Rezaee et al., 2008; Gella et al., 2013). Mohammadi and Rajaie (2009) also reported the decreased in germination rate with increases allelochemicals. Reduction in seed germination under allelochemical could be due to the reduction or delay in reserve mobilization under allelopathy stress conditions (Gniazowska and Bagatek, 2005).

Root and shoot lengths:-The root, stem, and leaf aqueous extracts of G. abyssinica significantly affect root length of Parthenium seedlings. The maximum seedlings root length was observed on leaf and stem extracts, while the minimum

Parthenium seedlings root length (1.25cm) on the root extracts (Table-1). There is no significant difference ($p<0.05$) on the inhibitory effect of G. abyssinica plant parts (root, stem and leaf) aqueous extracts on shoot length of Parthenium (Table-1). Aqueous extracts of all the three plant parts exhibited phytotoxic activity against seedling growth of the noxious weed. The susceptibility of Parthenium to different levels of extracts could be due to inherent differences in various biochemicals involved in the process. Gholami et al., (2011) found that allelochemicals inhibits plant root growth through generation of reactive oxygen species induced oxidative damage. These observations showed that G. abyssinica root may possess higher inhibitory effect on the root growth of Parthenium because root is the first plant part that contact allelochemicals from the solution. Aqueous extracts of G. abyssinica concentration significantly affect shoot length growth. The concentration of extract part increases the inhibition of the shoot length (Table 2). The maximum (0.23cm) and minimum (5.09cm) inhibitory effect of G. abyssinica in shoot length was observed on 75 and 15%, respectively. The reduction in seedlings roots and shoot lengths (Table 2) may be attributed to the reduced rate of cell division and cell elongation due to the presence of allelochemicals in the aqueous extracts (Gholami et al., 2011). Jefferson and Pennacchio, (2003) concluded that reducing of seedling growth of weeds by allelochemicals in soil are detrimental to their survival since plants that usually germinate at slower rates are smaller.

Conclusions and recommendations

Conclusions:

1. Nigar plants poses threat on seed germination percentage and rate, seedlings root, and shoot lengths of P. hysterophorus
2. Nigar plant exhibited negative allelopathy on the weeds that were studied.

References:-

1. Batish DR, Singh HP, Kohli RK, Kaur S (2001). Crop allelopathy and its role in ecological agriculture. J. Crop. Prod., 4 (2): 121-161.
2. Ben HM, Hebit G, Kremer RJ, Quassama O (2001). Allelopathic effects of barley extracts on germination and seedlings growth of bread and durum wheat. Agrono., 21: 65-71.
3. Bertin C, Leslie TW, Georg HJ, Thomas O (2007). Grass roots chemistry: meta tyrosine, an herbicidal non-protein amino acid. Proc Natl. Acad. Sci. 104 (43): 16964 16969.
4. Bulcha W (2007). Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. Record from PROTA4U. van der Vossen, H.A.M. & Mkamilo, G.S. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Resources végétales de l'Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands.
5. Central Statistical Agency (CSA) (2014). Report on area and production of major crops, agricultural sample survey 2013/2014. Statistical Bulletin, Addis Ababa.Chou HC (1980). Allelopathic researches in the subtropical vegetation in Taiwan. Comp. Physiol. Ecol.,5: 222-234. Dadkhah A (2012).
6. Allelopathic effect of Ephedra major on growth and photosynthesis of Cirsium arvens weed. Int. J. Agric., 2(4): 416-419.
7. Ellis RA, Roberts EH (1981). The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Sci.Technol.,9:373- 409.
8. Eneyew T (2013). Evaluation of Ethiopian Nigarseed(Guizotia Abyssinica Cass) Production, Seed Storage and Virgin Oil Expression. Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Pp. 1-16
9. Gella D, Habtamu A, Takele N (2013).Allelopathic effect of aqueous extracts of major weed species plant parts on germination and growth of wheat. J. Agri. and Crop Res., 1(3): 30-35.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Treatment of Nature by 'Words Worth, Shelley and Keats: The Romantic Legends' in Their Poetry

Shabeena Bano* **Dr. Shaheen Saulat****

*Research Scholar (English) Mansarowar Global University, Village Gadia and Ratnakhedi (M.P.) INDIA
** Research Guide (English) Mansarowar Global University, Village Gadia and Ratnakhedi (M.P.) INDIA

Abstract - Romanticism is marked by the celebration of six primary characteristics: talk of nature, focus on the individual and spirituality, celebration of isolation and melancholy, interest in the common man, idealization of women, and personification and pathetic fallacy.Romantic poets had an immense love for nature and celebrate its various dimensions in all of their writings. They adorned their writings by the beauty of green meadow, thick forest, thin flowers, rural scenes, high hills, river banks, small rills, seasons, and beauty of birds, furious animals, soft lambs, fresh air, wild wind, sun rises and sets, starry nights and calm sea and what not in their verses. Thus, almost every romantic poet touched every nuance of natural beauty. In this way they tried to heal sorrow of the human beings by their writing. By this paper I have tried to focus on few works of Wordsworth, Shelly and Keats and their treatment of nature.

Keywords- Nuances, demise, mirth,desolate, evokes, bestows, ascertain, capacity, carefree.

Introduction- Romantic poetry is the poetry of the Romantic era, an artistic, musical, literary, and intellectual movement that originated towards the end of the 18th century in Europe. It involved as a reaction against prevailing the 18th century,and lasted approximately from 1800 to 1850.The early 19th century poets revolted against the narrow-mindedness and narrow civic sense of the classical school. ForRomantic poets found nature as the source of inspiration. For them nature has answer for all unanswered questions of the mankind. In the words of Abercrombie, "Romanticism is a withdrawal from outer experience to concentrate on inner experience." To some others, it is the "Renaissance of Wonder". Romanticism has also been defined as 'liberalism in literature' because it sought freedom from old conventions of poetry. Other scholars, such as Grierson, Irving Babbitt, Herford, Watts-Dunton, C. M. Bowra and Dr. Stendhal, etc. have also written elaborately on Romanticism.

These poets teach people how to love nature and in return how nature loves them. They viewed varied perspectives of nature and its greatness. The use of simple language added more to portray humble beauty of nature. They personified and glorified nature as God, man, ghost etc. Wordsworth takes images like meadows, fields, and birds and uses them to show what gives him life. Life being whatever a person needs to move on, and without those objects can't have life. Wordsworth does not compare himself to these things like Shelley, but instead uses them as an example of how he feels about the stages of living.This theme of the nature and its beauty was widely handled by Keats. "Wordsworth and Keats took nature as an infinite source and for them it was like lovely imaginings. In his poetry Wordsworth portrayed mountains as the symbol of loneliness and Keats' portrayal of darkness reflecting glooms and windy mossy ways made both the poets different from other poets who wrote about nature "(Goodman, 2007, p.22).

This paper focuses how these romantic poets have treated nature.

Wordsworth - Wordsworth is the leader of Romanticism and true son of Romantic Revival. His historical background and his poetry are the best introduction of 19th century Romanticism. "Both Wordsworth and Coleridge formulated that poetry is the spontaneous overflow of powerful human feeling" (Goodman, 2007, p.50). He coloured his imagination with nature in the most beautiful way for common man.At places he is melancholic about the gulf between humanity and nature. He believed that the subjects of the poetry should be only nature and human nature and its objects should be the reflection of emotions stimulated by the World and humanity. Wordsworth's lyrics, odes and sonnets make him a great romantic poet (Goodman, 2007, p.50).For him nature is the source of happiness. He gives an extraordinary contrast because he categories the sublime and the ridiculous. He has a kind of middle style; at its best it has grace and dignity, a heart searching simplicity, and a certain magical enlightenment of phrase that is all his own.Further, he emphasizes how nature brings

joy and in his poem Lines written in *Early Spring*, Wordsworth is sad about how modern life has made man to forget this beauty of nature. Rustic natural beauty of the village was gradually swallowed by Urbanization, globalization, which also sways mirth of men and women.

To regain those rural visuals, Wordsworth writes:

Through primrose tufts, in that green bower,
.....And 'tis my faith that every flower
Enjoys the air it breathes.
The birds around me hopped and played,
Their thoughts I cannot measure: —
But the least motion which they made,
It seemed a thrill of pleasure.
The budding twigs spread out their fan,
To catch the breezy air;
And I must think, do all I can,
That there was pleasure there…..(9-20)

Wordsworth stresses on the point of how modern life is divorced from nature in his poem *Tintern Abbey.* He writes:

These beauteous forms,
Through a long absence,have not been to me
As is a landscape to a blind man's eye:
But oft, in lonely rooms, and 'mid the din
Of towns and cities, I have owed to them
In hours of weariness, ...(22-17)

For Wordsworth nature was a guide friend, and guardian. He believedthat after his demise this nature will bring happiness to his sister to lead a better life in the world. As a poet of humanity this hope is not only for his sister alone but for entire mankind. Nature bestows on us both health and wealth. To ascertain his thought, he writes:

the banks Of this fair river;
thou my dearest Friend,
My dear, dear Friend;... (114-116)

Wordsworth understands that nature has the capacity to heal, she will cure all ailments of him if a man treats her as a friend. He strongly believes that nature never betrays anybody and he writes;

Knowing that Nature never did betray
The heart that loved her; 'tis her privilege,
Through all the years of this our life,
to lead From joy to joy: .... (122-125)

Shelley - Percy Bysshe Shelley is a notable poet of the Romantic era, as his works present all extremes of the period, including joyous ecstasy and despair (Poetry Foundation 2019b). Shelley an idealist and an abstract thinker created a separate niche for himself. But on the contrary he was a revolutionary and ardent lover of democracy too. His works are different from Wordsworth's ones, as the poet does not focus on describing the real world. Instead, he presents a better world that does not exist yet because it is, in ways, overly ideal.

Shelley's *Mont Blank* presents the author's almost spiritual appreciation for nature. The reader can feel that the poet recognizes the beauty that surrounds him and wants to translate his knowledge about it through imagination. In this work, the author describes the landscape of Switzerland, referring to it as the secret Strength (Shelley 2003). Shelley compares the human brain to the stream that flows through people's minds, sometimes dark, sometimes glittering, and sometimes being a reflecting gloom (Shelley 2003).. He treated poetry as a tool for pouring his thoughts to the world. Shelly was the one who admired the desolate rocks and caves, lightning and thunder, the fury of the storms, the waves dancing fast and bright, and the lightening of the noon-tide ocean flashing around him. In his poem *To a Skylark*Shelley evokes natural beauty and attitude of a bird. He elaborates the carefree way in which the bird flies. He brings the attention of the bird and teaches us to enjoy natural attitude of it. Shelley urges human beings to get bliss of nature through this bird.

He asks the Skylark the source of its happiness:

..What object are the fountains
Of thy happy strains?
What fields, or waves,
or mountains?
What shapes of sky or plain (71-74)

Shelley has accepted that natural things are a source of happiness. He find human beings beyond the happiness of this bird. According to him if human beings give up pride, hate, fear and sorrow they can reach the steep of joy like Skylark. He writes:

…if we could scorn
Hate, and pride, and fear;
If we were things born
Not to shed a tear (86-89)

He points out that fear of deathis another misery of mankind which is completely ignored by the bird while flying high in the sky. The poem teaches that man should enjoy the present moment and do not have fear of death. Another poem of Shelley makes a request to the West wind to make human beings happy.

In his Ode to the West Wind, he earnestly appeals:

Drive my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth!(63-64)

The poet implies that the individual's imagination cannot be tamed, constrained, or limited in any way. Instead, he presents the imagination as the power all people can use to transform the world around them and connect to the experiences and feelings they desire to have in their life.

Keats - John Keats was essentially a Romantic poet. His poetry is the meeting ground of old Hellenism and medieval romanticism and even his Hellenism is romantic. His romance is largely derived from English and Italian romancers of the Middle ages (Goodman, 2007, p.134). Keats always admired Spenser and Boccaccio and his imagination was always influenced after reading both the poets' poetry. Keats poetry showed the romance of three worlds: the antique; the medieval and the modern where

his poetry had rich and pictorial expressions.Keats is the poet of sensations. His intellectual work includes working on notions, images and qualities. His balance between perfect classicism and romantic intensity is remarkable. The favourite themes in Keats's Romanticism are set in the 'Odes' in short and elaborate forms, constructed with harmonious skill, sculptural grace of Greek attitudes, the nostalgia of the charming myths of Hellas, the changing seasons and the joys of the earth (Legouis&Cazamian, 1926).

English Romanticism attains in Keats the final stage of its progress, and this pessimism is deeper and more significant. It has not its secret source of any Tragic Mystery and it is thus much more inevitable. Keats expresses the beauty of nature, both real and artistic forms. Keats looks at Nature with wonder and awe, and simple delight.Keats does not think nature as noble as other phases of development but on the other hand he does not challenge nature's importance. That is why nature imagery is an important element in many of his poetry. He believes that "A things beauty of is a joy forever". Same as Shelly, he also seeks the shelter of nature to generate happiness.

In his poem Ode to a Nightingale, he writes:

My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk:
'Tis not through envy of thy happy lot, But being too happy in thy happiness,— (1- 6)

Keats is astonished to see the happiness of the nightingale. Before hearing the song of the bird, he tried many ways of forgetting worries but nightingale's song makes him completely happy, so he wants to merge with the bird as one. It indicates that eternal happiness can be achieved only by uniting with Mother Nature. In another poem Keats, praises the artistic beauty of nature. Keats is not satisfied with the beauty of present rather he yearns for eternal beauty. He portrays the artistic beauty of nature in his poem Ode on a Grecian Urn. He writes:

Ah, happy, happy boughs! that cannot shed
leaves, nor ever bid the Spring adieu;
And, happy melodist, unwearied,
Forever piping songs forever new;
More happy love! more happy, happy love!
Forever warm and still to be enjoyed,
Forever panting, and forever young; (21-27)

A juvenile icon in the arsenal of literature John Keats could weave the threads of minerals for mere twenty five years. He bestowed the showers of his masterpieces with a speed of a comet. With a vaulting intellectual aim, he has constructed for himself a house of notions and reflections. The sensuous, the beautiful and the sensitive- all shaped his entity being individual or an artist. The prudence, with which he handled nature, was through its senses.

Conclusion - Romanticism is not a pure psychology. English Romanticism cannot be considered as one artistic principle which stands in conflict with other principle. It does not have its own victory over other principles. The personality of the poet is its main characteristic as it depends upon the poet's sensibility and imagination though one's intelligence is a general thing.

Wordsworth, Shelly and Keats have plighted that nature has bestowed, safety and unwearied joy to mankind. They have showcased almost all aspects of nature's beauty in their poems. Both Shelley and Keats are ardent lovers of nature but their views and appreciation are different. Keats was a lover of concrete beauty and pictorial artist of nature. But Shelley is an ethereal dreamer, idealist and loves reflected loveliness and glory. The approach of the two poets varies but their love for nature is worth appreciating. Wordsworth approaches nature as a power of beauty, calm and balm for happy, peace. It can be said in a nut shell that- Wordsworth's imagination isolates and focuses, Keats fills in and enriches, Shelley's dissolves and transcends. These three romantic poets have tried their best to bring humanity, happiness and shake all their sorrows through natural beauty and rural settings. Under the light of above discussion it can be summed up that nature is our best guide to lead a happy life.

References:-

1. Kermode, Frank and John Hollander, eds. The Oxford Anthology of English Literature.2Vols.London:OUP, 1973.Print. "John Keats Speech".123Helpme.com.05 Sep 2013.
2. "A worksheet on reading Wordsworth and Romantic Poetry." n.d. Web.
3. Dr. Sen. S. "John Keats: Selected Poems." 2009. Unique Publishers. New Delhi Goodman, Wr. "History Of English Literature." Vol. 2. 2007. Doaba House. New Delhi "John, Keats, Romanticism." n.d.Scribd.Web. "Keats 2, Lamia." Power Point Slide, 53.
4. Legouis, Emile &Cazamian, Louis."A History of English Literature."Vol. 1. 1926. The Macmillan Company. New York. p. 390.
5. "Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey." 2011. ENotes. Web.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Critical Analysis of Section 236 of the Companies Act, 2013

Aprajita Bhargava*

***Project Co-Ordinator, R.D.Public School, Betul (M.P.) INDIA**

Abstract - The controversy relating to the rights of Minority shareholders and the Majority rule has been the epicentre of discussion since ages. Foss v. Harbottle has marked the intrusion of Majority Rule i.e. the majority shareholders has the control over the decision of the Board. But this rule has time and again challenged the rights and interests of the minority shareholders. Though the concept of 'squeezing out' of the minority shareholders has always been prevalent, but it lacked a backing statute under Companies Act, 1996. Under Section 236 of the new Companies Act 2013, the concept has been specifically introduced, but is to-some-extent partipris in its approach. In this paper, we would focus on analysing the existing scenario of the minority rights and compare the same with the 'concept of squeezing out' prevailing in various countries and thereby suggest what can be implemented to fill-up the shortcomings of Section 236.
Keywords- majority rule, minority shareholder's right, squeezing out.

Introduction: Minority Shareholders - Companies Act 2013 does not explicitly define the term 'shareholders' but under Section 2 (55), the term 'member' has been defined which includes subscribers to the memorandum of the company. Thus, we can derivethe meaning of the term 'shareholder' as the person who holds the shares of a company.

Usually, the majority shareholders own more than 50% of company's shares, whereas the minority shareholders hold less than 50% of the shares of the company.But as per Section 236 of the Act, 'minority shareholding' has been referred to shareholders holding not more than 10% of the shares of the company. So technically, the majority shareholders majorly influence the decision-making process of the company.

As per Black Law's Dictionary, minority shareholder means "Equity holder with less than 50% ownership of the firm's equity capital and having no vote in the control of the firm" But the term "minority shareholding" has usually been used in respect of shareholders holding shares of the company not more than 10%.

Under Companies Act, 2013, Section 151 defines the term "small shareholders". It means that the shareholders holding shares having nominal value of not more than Rs. 20,000 or as may be prescribed. So, small shareholders can also be considered as minority shareholders.

Concept of 'Squeeze Out' - Squeeze out implies the acquisition of minority shareholders by majority shareholders through cash compensation. It is a mechanism where the shareholders holding 90% or more shares of a company have the power or ability to acquire the shares of the minority shareholders. It is a mechanism to lower down the power of the minority shareholders.

Though the concept of 'squeezing out' was practically prevalent in the corporate sector throughout the world, but under Companies Act, 2013, Section 236 introduces the concept explicitly. This was enforced by the Ministry of Corporate Affairs vide notification dated December 7, 2016.

Majority Rule - The concept of 'majority rule' had its genesis in Foss v. Harbottle. In the case, the two minority shareholders of Victoria Park Company filed a suit against the five directors of the company alleging that the company's property were misused and misapplied and mortgages over the property were given improperly. They requested for a receiver to be appointed. The Court held that the plaintiffs were not competent enough to bring such proceedings against the company or its representatives. Added to this, the court also held that the minority shareholders are bound by the decision of the majority shareholders. The 'Majority Rule' was thus established.

Four exceptions to the rule were made to shield the rights of the minority shareholders.

a. Any transaction or action which is illegal or ultra vires the company, the rule shall not be applicable as the majority shareholders cannot approve to or decide such action.
b. To apply ordinary resolution i.e. simple majority for any corporate act where the constitution of the company mandates special resolution.

c. When the act by the company against which complaint has been made by the shareholders infringes their personal right as an individual.

d. Where directors fail to take appropriate action against any wrongdoing or fraud committed against the shareholders. In Pavlides v Jensen, it was held that actual fraud should be caused in order to bring action against the company and not mere negligence. But Daniels v Daniels came up with a more liberal approach i.e. if shareholders had no other option but to sue the directors, they can. Where the directors act in such a manner that benefits them at the cost of the company, then the shareholders having no remedy to it, shall be able to file a suit against the directors.

Rights of Minority Shareholders under Companies' Act 2013

1. Right to appoint Small Shareholders' Director - The question of appointment of small shareholders director was first raised by the minority shareholders of the oldest drug company in India, Alembic Ltd.

Section 151 of the Companies' Act 2013 empowers the listed companies to suomotu or on application by atleast one thousand small shareholders or one-tenth of such shareholders having shares less than Rs. 20,000 in value toappoint a director representing small shareholders.

2. Right to apply to NCLT in case of Oppression and Mismanagement - The Board of Directors are responsible for acting to maximize value of shares held by the shareholders. It's a fundamental rule that the majority shareholders enjoy the maximum power in controlling the affairs of the company than the minority shareholders. Though there is a high chance that the decisions of the majority shareholders are not in favour of the minority shareholders, in that case, they can take the issue up or approach the National Company Law Tribunal (NCLT) as per the provisions of the Companies' Act, 2013. Sections 241, 242 and 243 deal with the oppression and mismanagement.

Issues with the provision - The amended Section 236 of Companies' Act 2013 lacks the clarity relating to whether the minority shareholders are bound to accept the exit offer or offer to purchase their shares or they have the power to purchase of Minority Shareholders-

1. In the event of an acquirer, or a person acting in concert with such acquirer, becoming registered holder of ninety per cent. or more of the issued equity share capital of a company, or in the event of any person or group of persons becoming ninety per cent. majority or holding ninety per cent. of the issued equity share capital of a company, by virtue of an amalgamation, share exchange, conversion of securities or for any other reason, such acquirer, person or group of persons, as the case may be, shall notify the company of their intention to buy the remaining equity shares.
2. The acquirer, person or group of persons under sub-section (1) shall offer to the minority shareholders of the company for buying the equity shares held by such shareholders at a price determined on the basis of valuation by a registered valuer in accordance with such rules as may be prescribed.
3. Without prejudice to the provisions of sub-sections (1) and (2), the minority shareholders of the company may offer to the majority shareholders to purchase the minority equity shareholding of the company at the price determined in accordance with such rules as may be prescribed under sub-section (2).
4. The majority shareholders shall deposit an amount equal to the value of shares to be acquired by them under sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be, in a separate bank account to be operated by the transferor company for at least one year for payment to the minority shareholders and such amount shall be disbursed to the entitled shareholders within sixty days: Provided that such disbursement shall continue to be made to the entitled shareholders for a period of one year, who for any reason had not been made disbursement within the said period of sixty days or if the disbursement have been made within the aforesaid period of sixty days, fail to receive or claim payment arising out of such disbursement.
5. In the event of a purchase under this section, the transferor company shall act as a transfer agent for receiving and paying the price to the minority shareholders and for taking delivery of the shares and delivering such shares to the majority, as the case may be.
6. In the absence of a physical delivery of shares by the shareholders within the time specified by the company, the share certificates shall be deemed to be cancelled, and the transferor company shall be authorised to issue shares in lieu of the cancelled shares and complete the transfer in accordance with law and make payment of the price out of deposit made under sub-section (4) by the majority in advance to the minority by dispatch of such payment.
7. In the event of a majority shareholder or shareholders requiring a full purchase and making payment of price by deposit with the company for any shareholder or shareholders who have died or ceased to exist, or whose heirs, successors, administrators or assignees have not been brought on record by transmission, the right of such shareholders to make an offer for sale of minority equity shareholding shall continue and be available for a period of three years from the date of majority acquisition or majority shareholding.
8. Where the shares of minority shareholders have been acquired in pursuance of this section and as on or prior to the date of transfer following such acquisition, the shareholders holding seventy-five per cent. or more minority equity shareholding negotiate or reach an understanding on a higher price for any transfer, pro-

posed or agreed upon, of the shares held by them without disclosing the fact or likelihood of transfer taking place on the basis of such negotiation, understanding or agreement, the majority shareholders shall share the additional compensation so received by them with such minority shareholders on a pro rata basis. Explanation—For the purposes of this section, the expressions ¯acquirer and ¯person acting in concert shall have the meanings respectively assigned to them in clause (b) and clause (e) of sub regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997.

9. When a shareholder or the majority equity shareholder fails to acquire full purchase of the shares of the minority equity shareholders, then, the provisions of this section shall continue to apply to the residual minority equity shareholders, even though, the shares of the company of the residual minority equity shareholder had been delisted; and dissent.

For example, in case of merger, it is explicitly mentioned that if the majority of the creditors or shareholders of the company assent to the merger, then Tribunal may sanction the said compromise or arrangement.

Added to that, the Act does not clearly state the time limit within which the minority shareholders are to give away their shares to the majority shareholders.

Lastly, there is no provision in the Act which talks about conducting a separate meeting for the minority shareholders to enable them to bring forward their concerns relating to buying of their shares by the majority shareholders.

Legislation across countries relating to Purchase of Minority Shareholding.

United Kingdom - The concept of "Squeezing Out' is prevalent in United Kingdom. As per the Companies' Act 2006 of UK, squeezing out of the minority shareholders can be done by two ways:

1. By takeovers, and
2. By the scheme of arrangement

The majority shareholder can acquire the shares of the minority shareholders only if they are able to acquire or unconditionally contracted to acquire 90% of shares carrying voting rights, then they have to send a notice to the minority shareholders regarding compulsory acquisition of their share. If notice containing all the terms of acquisition is not sent, then it shall be considered to be a criminal offence.

United States of America - In USA, the shareholders, if they acquire 90% or even 85% of shares can offer the minority shareholders to acquire their shares at a price without taking approval from other shareholders. The minority shareholders have the right or power to challenge the price paid against such shares by the majority shareholders. But the shareholders who accept tender offers are not eligible to challenge or question the price paid.

Norway - Like UK, USA and India, Norway too has a provision according to which the majority shareholders i.e. the shareholders holding 90% of shares having voting rights can compulsorily acquire the shares of minority shareholders. The minority shareholders can only demur about the price paid for the shares.

Australia - There are two methods of squeeze out:

1. Compulsory acquisition following takeover, and
2. Compulsory acquisition in other conditions

Here also, the threshold for compulsory acquisition is 90%. The minority shareholders can dissent to the acquisition by signing an objection form and the company needs to submit the same to the Australian Securities and Investment Commission (ASIC). The ASIC has to decide and resolve the said proceeding and accordingly the acquisition shall take place.

Conclusion - Squeezing Out is a situation where minority shareholders are given the opportunity to give up their shares to the majority shareholders and exit. Section 236 elucidates the purchase of minority shareholdings by the majority shareholders in exchange of considerations.

Though inclusion of the concept of squeezing out[25] is no-doubt a progressive move for India, yet the drawback lies to the fact that there is no clarity to the provision. Like in case of UK, USA and Norway as elucidated above, the term "compulsory acquisition" has been mentioned, which indicates that the minority shareholders do not have much option but to give their shares away for acquisition. They have the right to dissent to the price paid to them. Whereas in case of Australia the minority shareholders can submit objection which are required to be considered.So, if Section 236 is amended to an extent that it shall clear out the ambiguity, then it can be treated as a fulcrum for deciding the boon and controversies in future.

References:-

1. Ezeanya, Ann. Exception to the Rule in Foss v Harbottle: Comparison of the Decisions in Daniels v. Daniels and Pavildes v.Jensen.www.academia.edu, https://www.academia.edu/13600514/Exception _to_ the_rule_in_ Foss_v_Harbottle_Comparison_of_the_ decisions_in_Daniels_v._Daniels_and_ Pavildes_v._ Jensen. Accessed 19 Dec. 2018.
2. A Board Seat- Business News. https://www.business today.in/magazine/focus/a-board-seat/story/ 258715.html. Accessed 19 Dec. 2018.
3. 'Squeezing out Minority Shareholders, Sec 236 of Companies Act 2013'. B.Samrish&Co.Company Secretaries, 3 Aug. 2017, https://www.bsamrishindia.com/ squeezing-out-minority-shareholders-sec-236-of-companies-act- 2013/.
4. Minority Squeeze Out: A strong provision under Section 236 of the Companies Act 2013, Vinod Kothari & Co, Company Secretaries, Corporate Law Services Division, 31 Jan. 2017, http://vinodkothari.com/wp-content/uploads/2017/02/Squeezing_out_ of_ minority_ section_236_of_the_Companies_Act_2013.pdf.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Study the Importance of New Born Baby Dress Manufacturing Industries in Madhya Pradesh

Dr. Prakash Garg* Kaustubh Sharma**

*Research Guide, Shri Atal Bihari Vajpai Government Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA
** Research Scholar, Shri Atal Bihari Vajpai Government Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - Indore is idiosyncratic and furnished opportunities for marketers to sell their products and services to the potential customers who have returned to their habitual life. Knowing mothers' brand choice is essential for creating strategies for baby items in the market. Using Grounded Theory approach, this study explores how marketing academics and the marketers can gain fresh insights into mother's behaviour of baby dress products in the post-conflict marketing environment. By using this methodology, researcher analysed 40 in-depth interviews with mothers in the post conflict marketing environment. This approach allowed the development of new knowledge about the mother's purchase behaviour on baby dress brands. The researcher identified unique behavioural patterns in the consumer brand choice, in a post-conflict marketing environment. The findings of the study show that mothers are seeking for a better benefit, such as hygiene, comfortable, user friendly, nursery print, environmentally friendly, price, softness and stretch, fashion and style, safe and secure, size and weight, which are match with their living patterns cultural norms, as well as the baby's care. Especially they more concern on brand benefits, which match the needs of the society. This research has an implication to design a unique strategy to attract the mothers to purchase particular brand in the country.
Keywords- Baby Dress Brands, Grounded theory approach, Mother brand choice post-conflict marketing environment.

Introduction - The need for baby dress industries has been around since the beginning of time.Throughout history, parents have created various versions of baby dress using a wide range of materials, depending on the natural resources available. It was not until 1950's that the disposal dresses came into being as we know it today. Today there are several baby dresses brand available that have taken great strides since the baby dress beginning. Technological advances in materials used have taken the use and through baby dress to a whole new level.

Brand industries benefits consists of 'bits' of information that are linked to the brand name in consumer memory and that, when combined with the brand name, make up a brand image (Keller, 1993). The brand benefits themselves can come from a variety of sources, including consumer experiences, marketing communication (Krishnan, 1993). The linkages between a brand benefit of a particular brand and other brands in the market place means that associatedattributes can be unique to the particular brand,consumers search for that unique feature (Meyers Levy, 1989).It is a difficult task to identify how consumers perceive the quality of a product. The complex nature of quality perception can be well understood when a product with excellent attributes do not impress the consumers, whereas, a poorly made product impress the consumers as having excellent quality. For buying a certain product the consumer perceived the quality of that product related with the other competitors' product available in the market. As the perception of baby dress industries depends on some quality attributes marketers or manufacturers should define quality of baby dress on the basis of customization.

Baby dress are popular choice because of their convenience. If the nappy is already full, they can just throw it. Adding to its convenience is the nappy diaper's absorption capacity. Modern nappy diapers have absorbent crystals that can carry more liquid than an ordinary cloth diaper can. Since theliquid is absorbed, rashes are prevented andconstant dress change is unnecessary. A disposable nappy diaper is more sanitary than itscloth counterpart. Once a nappy diaper is used, it is thrown away or washable. Multinational companies are struggling tomarket their products among the stiffcompetition. Baby dressindustries have come as anessential baby care product because of itseasiness for child upkeep. Mothers searchfor new relaxed products to grow theirchildren in their busy life. Each mother has achoice for selectingparticular brand ofbaby dress. Understanding the product benefitsbehind what makes customers decide to purchase baby dress, gives marketers avaluable opportunity to improve their babydress and raise their values.

Also known as disposable baby dress, adisposable nappy is a sponge-like garmentwhich is worn by babies or

individuals whoare unable to control their bowel or bladder movements. An example of this would be the use of disposable baby dress by astronauts because many times they need to be stationary for very long hours for instance before they take off from earth while awaiting clearing and launches.

This research allowed the development of new industries and knowledge about the product benefitspurchaser shows on the brand selection andexamine exactly these considerations fromthe mother'sperspective, most specially in Indore market in Madhya Pradesh. Brandchoice refers to the purchase of one brandinstead of another where a choice exists.Consumer buying decision eventually isinfluenced by the number of factors orreasons; this concept of decision making is rooted historically in personal,psychological, demographic, and social concerns of the consumer (Menon & Menon,1997).

As theory suggests that the consumers areusually choosing a brand they recognize. Ifthe consumers do not choose the brandaccording to traditional theories,then whatare the dominant factors that have a greatereffect on the buying behaviour of a consumer?A lot of controversies are arising whilelooking into the literature regardingthe"consumer choice decision", whether thedecisions are based on some attributes oftheproduct like quality, price, brand credibility,or on the basis of consumer attitudeandintention, advertising, group influences,innovations, and brand loyalty, or thedecisions are made on the ground of brandawareness.

The marketing mix refers to the set ofactions, or tactics, that a company uses topromote its brand or product in themarket.The 4Ps make up a typical marketing mix -Price, Product, Promotion and Place.However, nowadays, the marketing mixincreasingly includes several other Ps likePackaging, Positioning, People and evenPolitics as vital mix elements.

Understanding the product benefits behindwhat makescustomers decide to purchasebaby dresses, gives marketers a valuableopportunity toimprove their baby dresses and raise their values.

Statement Of The Problem: In Cloth market, consumer behaviouralaspects have been changed, due to manymarketing developments and manufacturing industries, mothers choose baby dresses as an essential for comfortable for babies. Working mothers and even house wives also use this product to reduce their problems in caring babies. There aremany babiesdress brands available in themarket, but mothers choose some brands,they avoid some brands due to some reasons.

Studying the factors, which influencing thebrand choice help the marketers to, modifytheir brands. Designing features which match with the needs of the particular context give advantages to both the consumers andproducers, many researchers, have doneresearch on Factors Attracted New Businesses Towards Gwalior District (Archchutha, Kumaradeepan & Karunanithy, 2014) Factors affecting the Consumers' Choices of Toothpaste (Vaikunthavasan, 2012), factors influencing customer perceived value of services inmedical services (Sivanenthira Shivany,2013), factors influencing the retail store measuring the preference dairy brands (ChimbozaMutandwa, 2007). But no studies related toexplore the factors influencing the brandchoice of baby dress products, particularlyin New Market, Bhopal.

The problem in every firm for whatbenefitconsumer seek for, it is important to know about the actual expectation of the users. In Northern Madhya Pradesh Guna, a unique have unique features, it is good tosee thedeterminate features of a product. Therefore,through the grounded theory methodology this applied research was carried out to getthe inside of the users.

Research Question: Based on the research problem of the study the following research question (RQ) isformulated. What are the factors influencing the brandchoices of the baby dresses in Electronic Complex?

Review Of Literature

According to Phillips (1988), manufacturing industries as awhole can be termed as "a trademark thatconveys a promise". This promise includessymbolic and functional features which are linked by the market to a brand. Brand in its totality is "the sum of all marketing mixelements".

Kapferer (1997) describes that the manufacturing industries as asymbol, a sign which is external to the product, and that its function is to reveal the hidden attributes of the product that are hardto be reached and contacted.

Manufacturing industries forms a strategic position andparticular associations in the consumer'smind.Brand choice actually indicates theconsumer's selective choice of particular brand i.e., itshows the preference or demandof a specific brand over the competitors' industries (2005) conducted a research study on mobile industry in Bhopal to examine theconsumers' choice. In thisresearch they studied different aspects andfactors that havean influence over new mobile purchase intentions and also thosefactors which affectmobile phone change among the consumers in Bhopal. The study revealed that although mobile phone choiceis based on personal feelings, opinions andtastes (subjective choice), there are alsosome other general factors which appear tohave an influence onchoice.

The most prominent factors that influence brand choice when changing the mobile phonesare: technical problems, price, innovative services, brand, reliability,basic properties,and design and outside influence. Hsin,Huery and Yating (2009) identified that cellular phone manufacturers ought to builda brand and promote itsbrand awareness through sales promotion, advertising, and other marketing activities.When brand awareness is high, its brand loyalty will alsoincrease. Consumers will evaluate perceived quality of a product from their purchase experience. As a result,brand loyalty and brand preference

will increase and also purchase intention.

Gupta(1988) indicates that industries and marketing mixhave a strong relationship with consumersbuying patterns, brand choices and incidences of purchase.

Baby dresses are convenientbecausethey can be purchased at almost all retailstores, such as Cloth market, Prem store, Palasia, New Market, and just in few retail stores that carry awide variety of baby dresses.

Baby Dresses are also very convenientwhile traveling.Traveling with young child can be difficult at times. Throw into the mixhaving to change a dress or dresses, thing scan then become almost chaotic. Baby dresses are easier to use and dispose of unlike their cloth counterparts.

Another one of the advantages of baby dress is wetness protection. Their nappies are much more absorbent than their cloth counterpart. A baby can go to sleep with disposable dress many more times than a cloth diaper. Disposable dress also leaks much less than the cloth diaper.

This is especially true at night when a baby isin their diaper for an extended period of time.Many of the baby dress today aremade with Leak Guard protection that keeps the fluids locked into the diaperand not onthe clothes or the bedding.

Some of the other advantages of baby dress are their ease of use and their size.Almost all disposable diapers have built inready to use straps made of pure cotton fabric that makesecuring the dress mucheasier and quickerthan using a cloth diaper with safety pins.

Baby dress also come in a variety of sizes.This is probably the best of the advantages of disposable dresses. If you have ever tried putting a cloth diaper that is too big on a baby, it can bedisastrous.Baby dress are made in different sizes that will fit you baby perfectly.

Research Methodology – A Grounded Theory Approach: The present study focuses on the qualitative methodology, and the grounded theory approach for exploring the industries benefits,which influencing brand selection of babydress brands.Analysis of marketing research methods shows that qualitative analysis of environment is the most popular.Qualitative analysis is usually being used inthedesign of business development strategies (Matekoniene, 2002).

There is lack of theories related to the manufacturing industries benefits, influencing the brandselection, and the strategies related to the baby dress product brand. Therefore, the study intends to explore the factors using the grounded theory approach.The development of marketing academic knowledge is built upon the advancements of its research methods. Inspired by the theme of 'Doing more with less', this paper examinesthe qualitative methodological approach of Grounded Theory (GT) in relation to its benefits for marketing academics and researchers, as well as the baby diaper productsand distributors.

Theoretical Sampling, which states that the respondents, from whom the data collectionis appropriate to answer the researchq uestion, the research can collect the data. In this research population of the study are themothers who purchase diaper brands in Indore market. 40 mothers were selected as the theoretical sample size whowould givethe insights on the phenomenon.(Glaserand Strauss 1967; Goulding 2000). In thepresent study, the open coding process ledto researchers selectively interviewing respondents based on where the emerging factors stipulated. According to table1 irregularity in demographics is a tactic used to acquire respondents whom will offer the most insights for the study.

Table 1: Demographic of respondents

Occupation	Age				Total
	25-34	35-44	45-54	Above 55	
Workers	5	4	2	1	15
Non- Workers	7	7	4	3	25
Total	12	11	6	4	40

Based on Grounded Theory, in this study,researchers employed the following techniques for concept coding:

a) writing memos for every interview summarizing key themes and non-verbal reactions;
b) Using photographs of manufacturing industries 'maps'.
c) writing a 'researcher diary' that brings together key concepts across all the interviews.

Data Analysis And Finding: Interview data were translated and transcribed into the table to make conclusion to the research question. Researchers categorized the theme and highlighted which give thesame meaning to explore thefactors of manufacturing industries of babydress products.Initially researchers identified 16 factors form the brands, and the labels of baby dress,then data coding methods, insights of the mothers were analysed. From the first coding, firstorder categories were found, and from the second coding, and thirdc oding second and third order categorized were found. There searchers found influence the manufacturing industries of baby dress brands, those factors are hygiene,absorbency, comfortable, user-friendly,green ingredients, environmentally friendly, price,softness and stretch, fashion and style,safe and secure, size and weight. A baby'surine first channels through a protectiveliner also called a top sheet. Pampers' top sheet has a thin layer of mild lotion to help maintain the health of baby's skin by protecting itfrom wetness.

The urine then passes through the absorption layer, which is made from cloth-like polyester fibres that are both soft and effective at quickly absorbing liquid andmovingit away from baby's skin.

"We are using pampers on my daughter without the problem.I decide to try these tosave some money but bad decision they gave her painful diaper,rash with 2 days of used. They might be okay for some babies butthose with sensitive skin. I love baby dress but lots of control with quality control. I willnever buy diaperproduct because I don't

like seeking my daughter cry like crazy due to therashes on from using this diaper"

I am 27 years old and I am a house wife I have only a son. I have only a son. I am using pampers. These baby dress work great at night time, make sure to fasten the tapes as high as possible across the front of the dress. Thereis a lot of absorbent material in the front ofthe dress. If you fasten the tapes to low, thetop of the dress tends to roll over exposing some of the absorbent material and babyclothes will get wet if they pee a lot at night.This is not an issue forus during the day because we change the diapers often enough that it does not get as saturated."

"I love baby dress but have a lot of problems with quality control it is not brand specificwith both these and swaddlers (mainly swaddlers) the tabs tear off while trying to fasten the dress. This dress gives many benefits. Such as softness, high absorbency, low leaks (as long as you don't run close on the Wight limits)"

The outer cover of the dress, also known asthe back sheet, is made of a breathable filmtopped with soft cloth-like fibres to helpprevent wetness from transferring to baby'sbed or clothes. A mother responded, that*"Ultra Baby dress extra soft on the inside and the outside so it's more comfortable for mybaby.Also added more cushioning on the back since newborn spend most of their time lying down"*

"I used soft love dress for my baby. I am working in a private sector and completed my degree. My monthly income more than 80000. The baby dress are strong absorbents and water proof and more adjustable sizesare in the brand. I think its soft and healthy.I didn't face any problem with dress productyet"

Absorbent core technology has superior absorbency that locks wetness away while staying slim and flexible. So,baby stays dry overnight without any bulkiness to restrictmovement.

"I have tried every brand of dress is all I will ever buy. I have never had any leakage problems with any of theirdress and never had any problems withdress rash. My daughter is on the smaller side, so I don't know how it would compare when used on larger infants/toddlers. I love pampers and the rewards program is a great bonus."

Dry and breathable dress are clinically proven to help prevent rash. The soft,textured pad pulls pee and runny poopquickly away from baby's skin. The Aircirculation liner improves breathability to keep wetness way.*"Choosing the right baby dress for my baby can be a complex process. Factors such as fit, comfort, ease of use,and environmental concerns all factor into this decision. A significant advantage for branded product users, in this respect, is that their extra-absorbency and moisture indicators can reduce the number of changes a baby needs in a day".*

"I am 30 years old and I have 2 children. I used to baby dress for my kids. My first son has been pampering baby sin his 31st day. It's comfort and secure, breathable and I think its extra protection for my baby. I notice write away that dress were huge in size butfelt really light weight. However, with these dresses, it's doesn't matter even during theday when I am changing him every 3-4hours, his dressesare damp of outside (Leaving his cloths damp, and smells fairly quickly)"

"I worked in a public sector. I have 3 kidsand I used First Cry dress.I have lots of advantages when I use this one. It has ultra-breathable back sheet, patented trible elastics patch aloe vera liners. Its super absorbents overnight.These dresses workgreat."

Baby dress most sizeable advantage forparents is the ease of use. With the custom fitdesigns, their nappy reduces leaks and eliminatethe need for constant clothing changes.Cloth do not always have the samecomprehensive fit and also do not usespecialabsorption pads that work aseffectively as diapers options. A motherresponded that

"I have concerns about the amount ofchemicals used in disposable diapers andseek outgreen diapers as an alternative;however, many green diapers use some of thesamechemicals as Pampers and otherdisposable diapers, including superabsorbent polymersin their padding."

"It can do what it says stand up to 12 hours of peeing overnight. It handles big bowelmovements well. It's never leaked. My babyhas not had any kind of reaction to thediaper. I've used many dress on my kids and Baby dress are myfavourite. I love the soft exterior and how lightand thin it is. chemically like some other brands I've tried but has a nice baby powder scent. The only reason I marked it four stars is because it's supposed to be a 12-hour diaper (not that I would ever leave it on that long), but sometimes my baby wakes up with her clothes smelling like pee because it leaked during the night when she was sleeping".

In Manufacturing industries of baby dress, acrylic polymers facilitate theabsorption of urine into the pad, allowing thedress to hold more liquid than it normallywould. From the data given by the mothers,the following factors have been identified.

1. **Cost:** One of the biggest factors in choosing thetype of dress is the cost. If mothers' looking at budget, they will need to consider a range of factors. Even cloth diapers, which are traditionally pricier up front, but are then lower in cost later, have the added cost of laundering the baby dresses.
2. **Functionality:** Mothers who have ever suffered through a diaper blowout know that functionality isthe most important factor for a baby dress brandor type.
3. **Environmentalism:** The biggest environmental impact comes from the manufacturing process, according to the mothers' view, who have more concern on environmentalism, expects the disposable baby dress, should be more user friendly, the dress which be launderedare welcomed by them.
4. **Size :** Under this size factor, mothers expect different

packing size for their family income and save their money. Mothers expect that the size should match with the weight of the babies. Mothers who purchase baby dress first time, they try with the weight of the babies, with size of the nappies.

5. **Reaction:** Some babies simply have more sensitive skin, especially when combined with the chemicals some times used in disposable dresses. If baby has are action to one type of dress, it may be time to try another brand. They expressed that the products used to launder baby dress can also serve as an irritant toyour baby's sensitive skin.

6. **Absorbency:** A good dress keeps wetness away from baby's skin, helping to protect against irritation, rashes, and chafing.

7. **Softness and Stretch:** A soft surface gently protects baby's delicate skin, and stretchy sides allow mothers to comfortably adjust the dress to your baby'sunique shape for a custom fit.

8. **Shaped for new born :** A cutout on the front of the dress goes around baby's body. This helpskeep the area dry and exposed to air to help it help mothers expect differentdress fornewly born babies.

9. **Lotion:** Some disposable dresses have petroleum-based lotions in the liner, and some arescented with light fragrance. Mothers responded that unwanted chemicals which are used to make fragrance should be avoided.

10. **Stretch sides:** These sides help the dress to do a better jobof moulding to a baby's body,which can help stop leaks. Dresses with stretch sides can bemore comfortable, too. This feature is foundon disposable dress and on waterproof cloth nappy covers and all-in-one cloth nappy styles.

11. **Ultra-absorbent core:** Most disposable dress have materials in the crotch padding that enhance absorbency.

12. **Fashion and Style:** Plenty of baby dress specifically for boys or girls, and not just because of where the most absorbency is placed in the dress. Some manufacturers offer cartoon characters or patterns printed on dresses that are geared toward one gender or the other.

These are the viable reasons as to why disposable dress are chosen by some parents.

13. **Convenience:** For starters, disposable nappies are available in almost all retail shops. Regardless of which stated that they travel to, you are bound to find disposable nappy. Furthermore, when travelling, using disposable dress is very convenient. Things can become chaotic if you carry the regular dress. With disposable nappy, they do not need to walk around with wastes in their bag for cleaning later.

14. **Leak Protection:** As compared to their counterparts, disposable nappies are more absorbency, more than three time before they can be changed, unlike a cloth baby dress or disposable nappies, can be able to hold three times. Disposable dresses are also known to leakmuch less andthis can be seen when a baby wears a nappy for long hours. Most disposable dresses today are being manufactures with a leak guard protection which keeps fluids locked into nappy which prevents thedress form leaking.

15. **Easy to use:** This is one of the main benefits of using disposable dress most disposable nappies have straps which make securing the dress much quicker and easier than tying a cloth nappy with pins. Disposable dress also come in different sizes which make it possible for use on all baby sizes.

Conclusion: Through the explorative study, study the importance of new born baby dress manufacturing industries in M.P. The findings of the study show that consumers are seeking for a better benefit, such as hygiene,absorbency, comfortable, user-friendly,green ingredients, environmentally friendly, price, softness and stretch, fashion and style,safe and secure, size and weight, which are match with their living patterns cultural norms, as well as the baby's care.Especially they more concern on brand benefits, which match the needs of the society. This research has an implication to design a unique strategy to attract the customers to purchase particular brand in specific context.This research can test the identified factors infuture through quantitative methodology.

References:-

1. Archchutha,T. Kumaradeepan, V.& Karunanithy, M (2014).FactorsAttracted New Businesses Towards Indore District - A Study on Post WarPerspectives Proceedings of University International Research Conference
2. Chamhuri, N., & Batt, P. J. (2013).Exploring the factors influencing consumers' choiceof retail store when purchasing fresh meat in International Food and Agribusiness Management Review, 16(3), 99-122.
3. Agribusiness Management Review,
4. 16(3), 99-122.
5. Chimboza, D. and Mutandwa, E. (2007),"Measuring the determinants of brand preference in a dairy product market", Indian Journal of BusinessManagement, Vol. 1,No. 9, pp. 230-237
6. Agribusiness Management Review,
7. 16(3), 99-122.
8. Gupta,S. (1988), Impact of sales promotion when, what and how much to buy.Journalof Marketing Research, Nov25, 1988
9. Hsin.K, Huery Ren.Y, YaTing.Y., (2009),"The impact of Brand awareness on consumer purchase intention: Theme diating effect of perceived qualityand brand loyalty", The Journal ofinternational Management studies,4(1). 135-145
10. Karjaluoto, H., Karvonen, J., Kesti, M.,Koivumäki T., Manninen, M., Pakola,J., Ristola,A. and Salo, J.(2005),"Factors Affecting Consumer Choiceof Mobile Phones: Two Studies from Bhopal", Journal of Euromarketing,Vol. 14, No. 3, pp. 59-82
11. Kapferer, J.-N. (1997), Strategic Brand Management,

Kogan Page, Great Britain Jim Hanson, "16 ways-Performance of Advanced diaper brands" Marketing Technology service. Inc.Jerry Kathman MIT, pressJournal, Development in the new economy

12. Juan.C. Gazquez-Abad, Manuel Sanchez-Perez, (2009)"Factors influencing olive oil Brand choice in India: an empirical analysis using scanner Data", Agribusiness, Vol 25(1)36-55(2009)
13. Menon, A. and Menon, A. (1997),"Enviropreneurial marketing strategy: the emergence of corporate environmentalism as market strategy",Journal of Marketing, Vol.61, pp. 51-67.

Table 2: Examples of in-vivo codes, first-order categories and second-order themes

In vivo codes	**First order categories**	**Second order theme**
Clean,Neat,Fresh, Pure, Dirtless,Healthy	Clean, Hygiene	Hygiene
Absorbent,Dry,Color indicator, Ultra-absorbent core, Wetness indicators, Leak protection, Functionality	Absorbentdry	Absorbency
Comfortable,Convenient, Easy to Use, Enjoying, RE-adjusting	Comfortable	Comfortable
User Friendly,Manageable, Useful, Easy Operated	Manageable	User Friendly
Green Ingredients,Natural,Natural Elements	Green Ingredients	Green Ingredients
Environmentally Friendly, Eco Friendly	Eco Friendly	Environmentally Friendly
Cost, Amount Charge, Expenditure Price	Cost	Price
Softness, Stretch, Smoothness, Longish, Elasticity	Softness	Softness&Stretch
Secure, Safe, Protection, Guarded	Safe & Secure	Safe & Secure
Size, Weight	Size	Size & Weight
Fashion, Style, Usage Method	Fashion	Fashion & Style

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

A Study on Role of Micro Finance in Rural Development

Pratishtha Kumekar* Dr. Shubham Chouhan**

*Research Scholar, School Of Commerce, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA
** Assistant Professor (Commerce) Government College, Bhabra, Distt. Alirajpur (M.P.) INDIA

Abstract - Rural development is primarily concerned with addressing the needs of the rural poor in the matter of sustainable economic activities. The alleviation of rural poverty can be achieved by identifying income-generating activities with a focus on micro finance as the basic input for socio-economic development. There is an existing a huge demand for tiny loans in the country, the progress of the Non-banking financial company (NBFC) microfinance institutions gathered momentum. Microfinance has now been recognized as a potent tool to address the issue of poverty, catering to a niche market earlier occupied by money lenders. Microfinance is unique among development interventions: it can deliver these social benefits on an ongoing, permanent basis and on a large scale. Microfinance allows poor people to protect, diversify, and increase their sources of income, the essential path out of poverty and hunger. The objective of present study is to examine whether household access to microfinance reduces poverty. Where institutional finance failed Microfinance delivered, but the outreach is too small. There is a question mark on the viability of the Microfinance Institutions. There is a need for an all round effort to help develop the fledgling Microfinance Industry while tackling the tradeoff between outreach and sustainability. This research is based on the primary data collected from field survey carried out by the author in the villages around khargone district, it covers Sanawad area, barwaha area, Bhikangaw area etc.
Keywords- Microfinance, Role of Microfinance, Development in Microfinance.

Introduction - Microfinance is the provision of financial services to low-income clients, including consumers and the self-employed, who traditionally lack access to banking and related services. Refers to institutions that specialize in making very small loans to very poor persons in developing countries. Instead of using collateral to assure repayment, these lenders harness social pressure within the borrower's community. The provision of small loans (microcredit) to poor people to help them engage in productive activities or grow very small businesses. The term may also include a broader range of services, including credit, savings, and insurance.

The main idea seems straightforward: micro = really small, so microfinance is financial service in small amounts for poor people.

Rural development- Present strategy of rural development mainly focuses on poverty alleviation, better livelihood opportunities, provision of basic amenities and infrastructure facilities through innovative programmers of wage and self employment. The above goals will be achieved by various programmers support being implements creating partnership with communities, Nongovernment organization, community based organizations, institutions, PRTs and industrial establishments, while the department of rural development will provide logistic support both on technical and administrative side for programmers.

Concept of Self help group- Self-Help Groups (SHGs) are informal associations of people who choose to come together to find ways to improve their living conditions. It can be defined as self governed, peer controlled information group of people with similar socio-economic background and having a desire to collectively perform common purpose. Villages face numerous problems related to poverty, illiteracy, lack of skills, lack of formal credit etc. These problems cannot be tackled at an individual level and need collective efforts. Thus SHG can become a vehicle of change for the poor and marginalized. SHG rely on the notion of "Self Help" to encourage self-employment and poverty alleviation.

IMPORTANT FEATURES OF MICRO-FINANCE

1. Micro-finance is an essential part of rural finance.
2. It mainly deals in small loans and basically caters to the poor households.
3. It is provided through the NGOs, generally referred to as Self Help Groups (SHGs).
4. It is one of the most effective and warranted Poverty Alleviation Strategies.
5. It provides an incentive to poor people grab self-employment opportunities.
6. It is more service-oriented and less profit-oriented.

7. It is meant to assist small entrepreneurs and producers.
8. Poor borrowers are rarely defaulters in repayment of loans as they are simple and God-fearing.
9. India needs to establish several micro-finance institutions.

Data Collection- The data was collected from the general public who state in villages around khargone district. it covers bhikangau area, mandleshwar area, maheshwar area, barwaha area, sanawad area. For data collection the questionnaire method was use and interview based. The sample size is 250 and random sampling method used. The survey finding are as follows:-

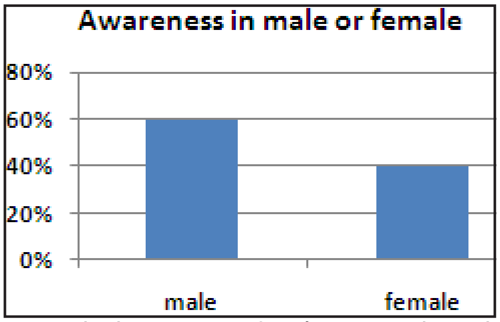

The above graph shows 60% of male aware about the micro finance from the bank and only 40% female are aware of this facilities.

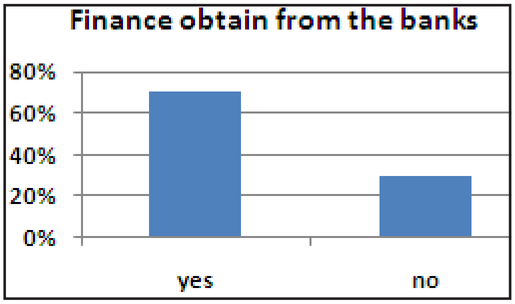

The above graph shows 70% of the people have obtained the micro finance from the banks.

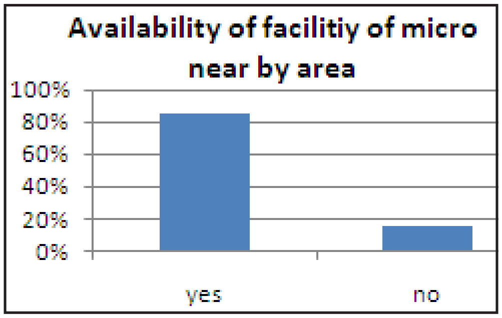

The above graph shows availability of facility of micro finance near by area is 85%. it means around the khargone district bank network is good which is efficient to provide the micro finance to a rural public.

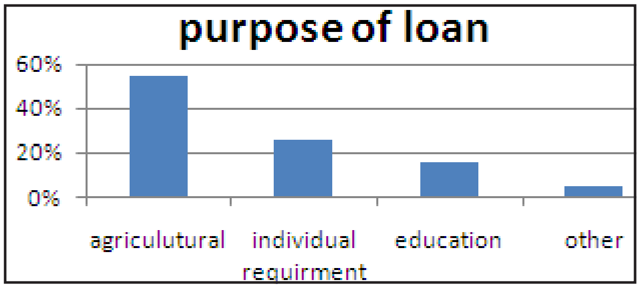

The above graph shows purpose of loan taken by people 55% people taken loan for agricultural, 25% people taken loan for individual requirements, 15% people taken loan for education and remaining was taken for home small requirement like gas connection repair etc, 5% people taken loan for other work.

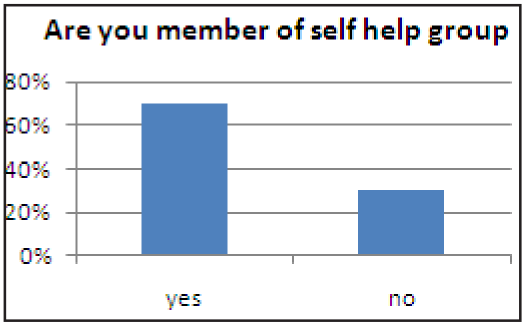

The above graphs shows 70% people are member of SHG those people only available the facility of SHG saving and loan facility in the from of micro finance. 30% of people taking loan from the bank but they are apply for a loan as person there fore the benefit of SHG . they are not able to get.

Finding- The major finding of survey was females are not aware of SHG through which they can save money and can take micro finance. The reach of banking services in the rural area is good through the different cooperative banks and major of the micro finance taken by people for agricultures purpose. Secondly loan was taken for individual requirements, awareness about SHG of micro finance is very less. These people are not aware of benefit of SHG.

Conclusion-RBI data shows that informal source provide a significant part of the total credits needs of the rural population. The magnitude of the dependence of the rural. poor on informal source of credit can be observed from the findings of the . all India debts and investment survey 1992 which shows that the share of the non institutional agencies in the outstanding cash dues of the rural households was 46%, However , the dependence of rural households on such informal sources had reduced of their total outstanding dues steadily. Microfinance develops saving habits amoung people.

Now poor people with meager income can also save

and are bankable. The financial resources generated through savings and micro credit obtained from banks are utilized to provide loans and advances to its members. Thus microfinance helps in mobilizations of savings, due to micro finance poor people get employment. It also helps them to improve their entrepreneurial skills and encourage them to exploit business to opportunities, employment increase income level which in turn reduces poverty . Micro finance promotes mutual help and cooperation among members the collective effort of group promotes economics interest and help in achieving socio-economic transition.

References :-

1. Mohanty, Mohanpatra & Khuntia" Micro finance' A poverty Reduction Tool" ISSN (print); 2319-2526, Volume-2 issue-1, 2013.
2. Mahapatra & patra " Micro finance and its role in india" http://ssrn.com/ abstract=1697251.
3. https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10054
4. https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/9789813140745_0001
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310972/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Use of Rat Uterus for Study of Pathogenesis of Immunological Infertility in Bovine Female

Jayshree Hardenia*

*Govt. P.G. College, Pipariya, Distt. Hoshangabad (M.P.) INDIA

Introduction - In VIVO Interactions of bovine spermatozoa in the uterus of rats actively xenoimmunized by Intramuscular route with bovine spermatozoa, passively xenoimmunized by the intrauterine route with bovine sperm antisera raised tn rats passively xenoimmunized by the intrauterine route with bovine sperm antisera from repeat breeder cows harbouring high titres of antisperm antibodies and non immmumzed rat model with a view to assess the suitability of rat for understanding some aspects of the pathogenesis of immunological infertility in bovines.

Materials And Methods

Experimental rats: Albino rats (n=6) were actively immunized with bull semen (0.25 ml intramuscularly). Primary injection – 200 x 10^6 sperms/ml in Fruend's Complete Antigen (FCA); 1st booster – 200 x 10^6 sperms/ml in saline and IInd booster – 200 x 10^6 sperms/ml in saline. Sperm antibody titre was determined by Capillary Agglutination Test (Jain, 1985) and Tube Slide Agglutination Test (Shulman, 1975). Titre of 1:32 to 1:64 was obtained in the rats were used as experimental animals.

Control: Non immunized rats (n=6).

Experimental Procedure: Rats in oestrus were anaesthetized and posterior laparotomy was performed exposing the abdominal cavity. The bifurcation of the uterine horn was exposed and each uterine horn was ligated separately at the base and tip using sterile cotton thread. Freshly collected bovine spermatozoa were given two washings in normal saline and reconstituted to 500 x 10v sperm cells per ml of saline. Before use, individual motility and sperm viable count was recorded. This constituted the antigen used for challenge.

A dose of 0.1 ml of the antigen was deposited for incubation in both the horns with the help of a 24 gauge needle just anterior to the base ligature.A sterile gauge soaked with saline was placed over the wound and kept wet by frequent spraying of normal saline over it.The rats were left for 15 mins and one horn was removed by severing from below tho ligature near the bifurcation and above the ligature for the apex. The other horn was removed after 30 minutes. The uterus was then dissected out from the abdominal cavity, separated into left and right horn and gentle washing of the horns was done with normal saline to remoive adhered blood and rolled over a clean blotting paper to dry it.The tip of the horn was severed and flushed with 0.1 ml normal saline.

The following parameters were studied Degree and pattern of sperm agglutination, sperm motility sperm viable count acrosomal integrity, sperm normal/abnormal count, sperm mensuration characteristics, phagocytic activity in the uterus, histopathology of the uterine horn was studied for tissue reaction to bovine spermatozoa in both the groups.

It was concluded that systemic immunization of the rats by intramuscular injection with bovine sperm (xenoimunization) results in an immune response reflected by presence of antisperm antibodies in serum.Incubation of the bovine sperm in bovine sperm actively xenoimmunized uterus or passively xenoimmunized uterus of rats with bovine antisperm antibodies raised in other rats or antisera from repeat breeder cows harbouring sperm antibodies resulted in a dramatic loss in sperm motility, percentage of viable sperms, sperms with intact acrosomes, increase in percentage normal sperms due to preferential removal of abnormal sperms over normal sperms and variation in the sperm mensuration characteristics. A vigorous phagocytic activity with a high degree of spermophagy was evident in the bovine sperm actively and passively xenoimmunized tract of rats which reflected a high rate of sperm disposal as compared to that in the non immunized control rats or in the uterine horn infused with sera of non immunized rats or virgin heifers. A violent acute anaphylactic response was observed in bovine sperm actively and passively xenoimmunized tract of the rats subsequent to a local antigenic challenge in the uterus, grossly characterized by oedema and congestion,and histopathologically by all events of the classical local Type Ill hypersensitivity reaction (Arthus reaction). Based on the observations in the study, a model of the pathogenesis of immunological infertility with respect to certain events like immobilization of the sperm, inhibition of sperm migration through the female genital tract and possibly, inactivation

of acrosomal enzymes of sperm presumed essential for fertilization and inhibition of sperm attachment to and penetration of ova could be explained.

References:-

1. Shulman, S. (1975). Sperm antibodies and their relation
2. To infertility. In: Reproduction and Antibody
3. Response, CRC Press Inc., U.S.A. pp 37-92.
4. Jain S.K. (1985). Hormonal Biochemical and Immunological Studies on Conception Failure in Buffaloes. Ph.D.
5. Haryana Agricultural University, Dissertation,Hisar.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

A Study of Lipid Profile Among Sports and Non-Sports Females

Dr. Dilip Singh Chouhan* Vinod Nair**

***Assistant Professor (Physical and Yoga Education) JRNRV University, Udaipur (Raj.) INDIA**
**** Research Scholar, JRNRV University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - Lipid profiles are used as part of a heart risk assessment to help determine and decide the risk of heart disease. Regular physical activity positively affects lipoprotein and blood lipid profiles. Scientific understanding is that planned exercise or physical activity alters levels of blood triglyceride. After exercise training, total blood cholesterol generally does not change until body weight is reduced or diet composition is changed. The manner in which cholesterol is moves by lipoproteins in the liquid connective tissue is altered, therefore the amount of high density lipoprotein cholesterol in the blood is high.

Introduction - Games and Sports are the crucial part of the human life from the medieval time, whether it is necessity for survival, hunting down for food, getting shelter, protecting one and family from animals, weather conditions, enemies. Sports can be generally defined as an activity that involves physical education and fitness skills, governed by a set of rules and procedures and requires participation of people as a means of recreation or competition. This facilitates development of mental health and improves body fitness. Sports involve participation of multiple players or teams in a competitive environment and helps in physical development of each player involved. There are two types of sports – Indoor and Outdoor sports.

Lipids are a class of fats such as substances which are essential constituents of cells and sources of energy and also known as triglycerides, fats are made up of fatty acids, either glycerol . The main types include fats and oil wax, steroids, which are important in staying healthy. Lipids are also known as fats, which play many important roles in your body, giving energy to your hormones that you will not be able to digest properly and absorb food.

Lipids or fatty particles that are present in the outer membrane cell line in animals as well as in the blood circulation. It is commonly produces as cholesterol lipids in the blood of two reasons that is diet and no protection and fatty diet intake. It is essential to keep the lipid levels within limit. In case an individual's increased risk to cardiac diseases, individual person carefully avoid fatty foods. Lipid panel is a type of blood test and check the level of cholesterol in the blood.Before a lipid profile test no drink and eat anything than water before 12 hours .This is the best technique to provide accurate results of blood sample. Sports have a beneficial effect on lipid profiles. Lipoproteins and lipids are issues of risk for coronary heart disease. The effect of physical activity in sports on lipid status is accomplished by lipoprotein enzyme activities in metabolism that includes lipoproteins and cholesterol transport proteins. Lipid depots in the body are virtually inexhaustible energy sources during physical activities and increase their use with periods of physical activity.Fatty acids that are used for muscle energy making during exercise are derived from adipose tissue, so there is a proliferation of lipoproteins and triglycerides in muscle cells at the depot. Sports training leads to an increase in beta adrenergic sensibility of adipose tissue, and an increased uses of fatty acids as an energy source. This adaptive mechanism reaches its maximum after the four months. Physical activity is of great intensity that exceeds the limit of aerobic capacity, resulting in increased levels of lactate in the blood, which facilitate the conversion of triglycerides to free glycerol and fatty acids. This decreases the availability of free fatty acids as an energy source, releasing carbohydrates as their main source of energy during intense exercise. When workout intensity is power consumption and well controlled is a major factor affecting lipoproteins and lipids. Training leads to a series of adaptive, morphological, and functional changes at the cardiovascular system level, neuromuscular systems, as well as lipid sports. Physical activity leads to an increase in the concentration of HDL cholesterol, and a decrease in triglyceride, total, and LDL cholesterol.

Review of literature:

W. L. Haskell 1984. The study was carried out on chronic and acute effects on lipoprotein and plasma lipid concentrations. The lowering triglyceride result is an acute reaction with cholesterol having more chronic component. Acute triglyceride deficiency is caused by accelerated

catabolism as an effect of greater than before LPL activity. Following these exercise and on extra chronic basis reduced the VLDL-TG synthesis may happens in response to increased tissue insulin sensitivity. The lower body fat content of the endurance expert athletes also contributes to low triglyceride concentrations over this same mechanism. The intensity of plasma triglyceride response to chronic or acute exercise is strongly influenced with pre-exercise values. A lower level in plasma triglyceride only happens when the pre exercise values were elevated. The more exercise result on plasma cholesterol is increase in the HDL-C as a result of endurance training like to be associated with increased the triglyceride catabolism and LPL activity. That response is not permanently achieved with practice training and has been particularly difficult to demonstrate in already sedentary women. Exercise results on the HDL-C may be exacerbated by weight loss or changes in nutrient consumption but these inter-relationships are not well recognised. The dose response relation exists with standard HDL-C values and lower limits affected by exercise status. High HDL-C related with strength training is the end result of an increase in the less dense HDLC sub fraction, with an increase in both protein and lipid components. LDL-C declines relatively little with training. A genetic mechanism for these exercise specific results has not been established.

Duvigneaud, Lynn Matton, et.al. 1985. The aim of study was analyse to lipid profiles in women and men according to the energy expenditure for the duration of sports participation, active leisure time, energy expenditure and over-all energy expenditure. The subjects grouped with sex, age, sports, energy expenditure and active leisure time. Group differences were investigated by examining covalent with body mass index and intake alcohol as covariates. The Physical activity was measured by using electronic questionnaire. Samples of foisting blood taken to the measure the, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, total cholesterol and the ratio of TC: HDL-C. Study section consisted of 11women and men between the ages of 1 and 5 years with changes in lipid profile detected in the youngest group less than 65 years, favouring the most active group. Were in in more detail, when distinguished by males have a good health lipid profile for energy, active leisure time, HDLC and TC.HDLC. Women for HDLC, LDLC and TC, found TC: HDLC was when distinguished by energy expenditure, men and women under the age of 45 years with high levels power expenditure due to sports. Healthy lipids show profile compared to their sedentarycounterparts. If separating subjects according with the expenditure of energy throughout active rest time or the overall energy disbursement, men had a healthy lipid profile seen in active subjects.

Jean-Pierre despres et.al.1985.472 subjects (236 women and 23 hundred men), aged 1 to 50 years, participated in the determination of % body fat by weight underwater, six subcutaneous skin thickness assessments, and one Sample for measurement of 12-hour fast blood serum (TG), high-density lipoprotein cholesterol, total Cholesterol lipoprotein and HDL ratio. She were significantly improved than men, these higher values of TG, CHOL and H Density-C ratios. Correlation and difference analyzes have shown that body obesity appears more nearly associated with serum lipids in men and women. In addition, the link among each serum lipids and skinfold showed that subscapular and belly fat depots are more closely connected with SL than other fat depots in men. Among women, correlations were regional and lower differ was reduced. The county trend saw in men re-mined significant after correction for associated variables like as age, smoking, energy, maximum aerobic strength, alcohol. On the other hand, no result of increased body fitness was observed in HD Lipoprotein Cholesterol stages in women. The implications of the study suggest that measurement of subclass and abdo- fat should be reflected and interpreting blood lipid, mainly in men. Highest amount of fat must be existing in women or men to notice changes in serum lipids profile.

Calo CM et.al.2007. Unwritten anthropological facilities and anatomy of members of female national team and Italian hockey players were analysed. The study was to verify whether morphological features could affect the performance of different groups. Each player was measured for his total height, weight, bioelectrical impedance analysis and thickness of 9 skin-falls. Dissimilar equations were used to analyse Fat% by skin thickness. Average increments is not a significant advantage for this game. In contrast the proportional trunk, limb plays a significant role for performance of mid-field players. The % of hockey player's body fat was lower than the fat percentage of non-athlete women of the same age. Important differences were found between the fat% determined by the fat percentage and dermal thickness obtained by the bioelectrical impedance analysis.

Roberto Wagner Jr. Freire de Freitas, et.al. 2013. Cross-sectional study on lipid profiles in university scholars include 702 students of both sexes enrolled in many courses at Fortaleza-CE in public university. Demographic data on the lifestyle habits collected using self-administered questionnaire. Blood samples was performed in the clinical laboratory. A mainly younger population with max.Women (62.7%) with mini. age of 21.5 years has been shown. High levels related with triglycerides, lowdensity lipoprotein and high cholesterol found in 23.0%, 5.9% and9.7% of scholars respectively. Cholesterol related with High Density Lipoprotein at 12.0% compact values of subjects and was related to smoking ($P = 0.0232$) and physiological in movement ($P = 0.0356$).

Kamaljit Singh et.al.2016. Overnight fasting samples of one thousand thirty one apparently over a period of three years healthy persons of the Punjab visiting to the hospital tested for the serum-lipid profile. Mean ± Standard Deviation

of triglycerides, serum T-C, VLDL-C, LDL-C and HDL-C in mg/dl 182.2 ± 33.9, 122.4 ± 33.4, 44.1 ± 6.8, 113.9 ± 32.0, 24.6 ± 7.1 correspondingly. When these subjects grouped according to sex and age, no significantly change was observed among most of the groups. When associated with similar age of males, HDL-C was found higher in females and Serum triglycerides found to be low and vice versa. With advancing age, levels of LDL-C and TC found to be higher in women.

Research Objective:

1. To find out and compare the Serum Cholesterol of sports and non-sports female.
2. To find out and compare the Triglycerides of sports and non-sports female.
3. To find out and compare the High density lipoprotein Cholesterol of sports and non- sports female.
4. To find out and compare the low density lipoprotein Cholesterol of sports and non- sports female.
5. To find out and compare the Total Cholesterol of sports and non- sports female.

Research Hypothesis:

1. There may exist a remarkable difference in serum cholesterol between sports and non-sports females.
2. There may exist a remarkable difference in triglycerides in sports and non-sports females.
3. There may exist a significance difference in high density lipoprotein cholesterol between sports and non-sports females.
4. There may exist a notable difference in low density lipoprotein cholesterol between sports and non-sports females.
5. There may exist a significance difference in total cholesterol between sports and non-sports females.

Research process:

PROPOSED METHODOLOGY OF RESEARCH FOR THE INVESTIGATION: Methodology for investigation primarily based on selected problem nature .In this piece of investigation quantitative and qualitative approach has been utilized. Research methodology employed for this investigation is considered as descriptive survey method. These adopted methods of investigation are utilized to implement the selected area of investigation. The research methodology adopted for the investigation assists the investigator in analyzing, interpreting and addressing the present level of problem and give fruitful solution. This descriptive survey method of investigation considered as an appropriate and authentic method of investigation in physical education and also in other social science subjects

TARGET POPULATION AND SELECTION OF SAMPLE: Interested individuals group for whom generalization is being carried out is considered as target population for the purpose of investigation. The portion of population for which the investigator has access is considered as targeted population. The investigator targeted the players and non-players female of Rajasthan higher educational institutions in form of different colleges/universities. Therefore, sports and non-sports female playing and studying in Rajasthan higher educational institutes were considered as targeted population for this work of investigation.

SELECTED SAMPLE FOR THIS INVESTIGATION: In this work of investigation a total sample comprised of 160 players and non-players female playing and studying in higher educational institutes in form of colleges and universities of Rajasthan was considered as sample for present investigation. The selected sample was sub-grouped in equal numbers as 80 were in female players and same numbers were provided in non-players female groups. The selected subjects age ranged between 18 to 27 years. Purposive sampling technique was employed for selecting sample. The female players were selected from the record of inter-university, 53 national, state, and inter-collegiate level sports tournaments available in different colleges and universities directorate of sports. Boxing, wrestling, football and hockey female players were selected from various universities of Rajasthan. Equal number of female players were selected from these combative and team sports that is 20 female players were selected from each sport for this work of investigation. Required data was collected after taking consent of concerned coaches and physical education teachers of selected players. Non-players were selected purposely from various educational institution of Rajasthan after taking consent from respective principals of colleges.

Variables Of The Study:

1. Lipid profile: - Lipid profile is a panel of blood tests that serves as an initial broad medical screening tools for abnormalities in lipids, such as cholesterol and triglycerides.
2. Serum Cholesterol: - Serum Cholesterol is the amount of Cholesterol in the blood. Triglycerides: - Triglycerides is type of fat in the blood.
3. High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL):- HDL is also called good Cholesterol which protect against heart attack.
4. Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL):- LDL is also called bad Cholesterol which becomes the reason of heart attack.
5. Total Cholesterol (LDL):- Total blood Cholesterol is a measure of LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, and other lipid components

Statistical Analysis Of Data: The data obtained through purposive sampling were compiled and tabulated variable-wise .The SPSS statistical software was used for analysis of data. At initial stage, the data were treated by descriptive statistics i.e. mean and standard deviation of all the variables were computed to know the level of significance of the differences of female player and non- players female on each variable Later on, in order to compare among the dimensions of Lipid Profile and find the inferences, the data was analysed using t-test or One Way ANOVA.

Conclusion: The purpose of the present study was to compare the Lipid Profile components among sports and non-sports females. Overall four sports i.e. two individuals (Boxing and Wrestling) and two team games (Hockey and Football) were taken for the study. The data was collected for statistical treatment and analyzed in accordance to the hypothesis.

1. The finding revealed total serum cholesterol, Low density lipoprotein cholesterol, Very low density lipoprotein and Serum Triglyceride showed significantly higher values and High density lipoprotein cholesterol showed significantly lower values in sedentary individuals when studied with the players/athletes.
2. The results of ANOVA of serum cholesterol, triglycerides, high density lipoprotein cholesterol, low density lipoprotein cholesterol and total cholesterol in combative and team sports females.
3. Total Cholesterol (TC), Triglyceride (TG) and Low Density Lipoprotein (LDL) levels were found significantly increased in distance runners as compared to football players and basketball players.

Recommendations:

1. A similar study with certain other variables related to Lipid Profile such as clinical risk profiles, lipid modifying cardiovascular disease (therapy, reduce CVD), glucose tolerance, bone turnover, aerobic and resistance training etc. can be undertaken.
2. It is also recommended that high level of total cholesterol and low –density lipoprotein cholesterol are important risk factors .The risk of CHD is lowest in young men and women don't have other risk factors, it is also this recommendation is defined by the presence by a combination of multiple factors.
3. It is also recommended that Drug therapy is usually more effective than diet alone in improving lipids profile, but choice of treatment should consider overall risk, costs of treatment, and patient preferences.
4. Guidelines for treating lipids disorders are available from the National Institutes of health.
5. The present study has been conducted on sports and non-sports females of various institutions situated in Rajasthan state affiliated under various Universities. Similar type of study can also be conducted at school and University level.
6. The similar nature of studies may also be conducted for other parts of India

References:-

1. Ashook, Galoon (1977) "Comparison of Cardiovascular Endurance of Football Players and Endurance Runners'', (Unpublished Master's Thesis, Jiwaji University, 1977).
2. Abdel-Maksoud M, Sazonov V, Gutkin SW, Hokanson JE.J CardiovascPharmacol. (2008) Apr Effects of modifying triglycerides and triglyceride-rich lipoproteins on cardiovascular outcomes. 331-51. doi: 10.1097/FJC.0b013e318165e2e7.
3. Anderson, Boon. JE, (2009) The study of dietary fiber, lipids, low quality and high quality fibers produce acetate, fiber binds bile acids, 2009 science study 4, 1309-1320.
4. BirsenUçar 1 , ZübeyirKiliç, EnerCaðriDinleyici, Omer Colak, ErdoðanGüneþ (2007) Dec Serum lipid profiles including non-high density lipoprotein cholesterol levels in Turkish school-children 7(4): 415- 20. Bush TL, Fried LP, Barrett-Connor E.
5. Clin Chem. (1988) Cholesterol, lipoproteins, and coronary heart disease in women.; 34(8B): B60-70.PMID: 3042201. Bersot TP, Palaoðlu KE, Mahley RW.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Comparative Study of Physical Fitness Components and Psychological Variables of Sports Persons

Dr. Balidan Jain* Sonal Rajput **

*Associate Professor (Education) JRNRV University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Research Scholar, JRNRV University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - The aim of physical education is to deal with the scope of the physical potentialthrough the expansion and growth of varying networks such as respiratory system anddigestive system in the body. The engagement in good setup of physical educationadds furtherance to physical endurance, strength and growth, structurally as well asfunctionally. The body plays the most prominent role in Muscular solidity, which isessential in our intricate modern life. Also involvement in systematic physical fitnessprogrammers reduces these stress and pressure to a greater level.

Introduction - Physical fitness indicates the level of strength of the body to perform the day to day chores and to overcome dealing with unexpected changes in course of life.

Physical well-being should be of essential prominence to every human existence. Most of the eminent physical educators have viewed to perpetuate a healthy body from cradle to grave. This can only be attained when we all willfully indulge into a well-designed physical fitness program. It is aptly expressed in an old saying, “Exercise may not necessarily add years to your life, but will add up life to your years” which is indeed a truth. Performance below to standardized tests especially on items such as speed and swiftness is not evocative of bad physical soundness state. In sports dominating countries rapid progress in the sphere of sports and games has been noticed due to their scientific approach in training and equipment, experiments, application of scientific knowledge as well as research findings in the area of sports. Intellectual environment has brought scientific revolution in every field including the field of games and sports. The notion of healthiness has a long and elaborated background. As per the literature the existence of fitness can also be found in the works of Charles Darwin.

Physical soundness is the potential to do extra hard work and retrieve to same state of alleviation in the short period of time. This wholly depends upon the level of speed, strength, agility, power, endurance and flexibility one possesses. These following aspects of physical fitness are beneficial for various sports and games. Physical fitness relies on various aspects like heredity, lifestyle, hygienic, nutrition and bodily equations of a person. Physical fitness as a phrase cites the complete vigorous physiological level of the man. The condition of being in the state of sound health is the major attention of any country or people. There are many fitness elements that require to be advanced. These elements are muscular durability, agility, cardiovascular and respiratory endurance, flexibility, strength, power, speed and the correct maintenance of body weight. Also, when bearing in mind a great range of sports, certain components assume a considerable importance, for e.g. the essential requirement for suppleness in gymnastics, the prominence of power in weight-lifting and other sports, of course, requires involvement from various elements of fitness in different stages.

Physical education inclinations have lately evolved to integrate a greater variety of activities. Introducing subjects to activities like walking, hiking, bowling and Frisbee at a very initial stage can help them in evolving good habits that will furthermore convert them into better adulthood. Some teachers have initiated to take part in stress- handling techniques like yoga and deep breathing. Educating non-traditional sports to pupils may also give the required encouragement to them to enhance their activities, and can also help them to know about various cultures.

Also the mingling of health and nutrition to the physical education programhas significance. The Child Nutrition and WIC Re-authorization Act of 2004 considered that all districts schools associated with a communal funded school meal program encourage well-being tendencies which emphasis the physical soundness and nutritional values, by educating students about sports and movement abilities, physical education teachers are now incorporating a little about healthy information wellness and nutritional importance into the educational structure. This is highly persistent at the essential school stature, where the pupil

does not have a particular class dealing with such aspects. Lately, many introductory institutions have particular classes dealing with health issues for students.

Review of literature:

McCarthy and Kelly (1978) analyzed a link between performance and aggression among hockey players. With particular penances utilized as a level of aggression, two male groups of college ice hockey players were juxtaposed for contrasts in targets and assists. Those scored high in aggression rated prominently more goals in comparison with those low in aggression. When the similar groups were juxtaposed for shots on goals, major contrasts were observed, responding the high aggressive group. Efforts to understand performance and persona levels were not victorious when comparison on a self-report level of anger was analyzed.

Chin (1996) analyzed a particular badminton physical fineness testing on badminton singles players. The outcomes depicted that no major contrast was observed on elite badminton male players. Elite male badminton players must have agility, muscle endurance and muscle strength and elite badminton female players must have cardio respiratory function, footwork and power etc.

Opara (1997) compared health – regarding physical fineness of high school students of argyle academy and river side academy that have different physical education programmers and found that the pupils from argyle academy showcased majorly superior scores for the 20m Shuttle run and trunk life, while those from riverside park 28 academy revealed prominently superior scores for the cure – ups and 90 degree push – ups. There was no major contrast in the sum of fine skill folder, back Saver sit and Reach and waist to hip Ratio.

Raglan (2001) proved as an players mental well-being either degrades or gets better his presentation should up and down consistently, and there is now appropriate support for this view point. Studies have proved that between 70% - 85% of successful and unsuccessful players can be recognized using common psychological levels of personality structure and mood state, a better state to alter but inappropriate for the motive of choosing players. Longitudinal MHM study depicts that the mood state reactions of players shows a dose-response connection with their teaching load, a result that has depicted ability for decreasing the happening of his staleness syndrome in players who have gone through rigorous physical training.

Cappella and Weinstein (2006) studied “The prevention of social aggression among girls” and represented the first systematic effort to prove a theory-based program designed to decrease girls’ social aggression and enlarge constructive supervision between peers. Fifth-grade girls from six public schools were randomly assigned within classrooms for the social aggression avoidance program (SAPP) and the different reading clubs. A school-based small group program, the SAPP was exhibited to have a constructive effect for all students in the domain of communal problem solving. For students greater baseline communal issues, teachers found constructive changes in SAPP members prosaically behavior. In addition, the item of the program was analytic reading club members raised their reading attainment at higher rates than SAPP participants. Pointing female students in a program concentrated on solving communal issues from multiple outlooks may be useful inclusion to broader, multilevel advantages to stop aggression and advance leadership in schools.

Sood (2012) revealed that female pupils of senior secondary school had significantly higher aggression level in comparison to male pupils of senior secondary school. There was no major contrast in aggression among students of senior secondary school in regard to their family type, institution type and type of social class. Also there were prominent contrasts in aggression between senior secondary school pupils at various levels of their optimistic-pessimistic attitude.

Anita (2013) adjustment builds a capability in a person to do task efficiently, keeps equilibrium between himself and his surroundings and improves his persona in all terms Achievement is a real capability gained by a person with the practice of his powers. The present research has been gone through with a view to investigate and establish the adjustment problem related to home, health, social, emotional and school adjustment of girl student achievers. The descriptive survey method has been applied to take the research further. Higher secondary adjustment inventory (HSAI) created by A.K. Singh and A. Sengupta was used to gather the data and seeked on chosen 100 girl students achievers have been chosen on the grounds of their higher secondary board examination outcome by irregular sampling method. The study of data and the outcome shows towards the significance of adjustment issues regarding social, home, 33 health, school, emotional etc. Low achievers difficulties require an immediate resolution and the society need to be well-adjusted and mentally stable citizens.

Kumar (2014) examined physical fitness variable of 15-19 years of urban and rural area of Rohtak district in relation to their age. To fulfill the objective of the study 40 Basketball player (20 each) players of Rohtak was selected. The age of the selected subjects ranged from 15 to 19 years. Only (Standing Board Jump and 50 yard dash 35 tests) were used to measures the selected physical fitness variables of the players. The study was delimited to Aapher youth fitness test. In order to analyze the data t-test was used to analyze the data and investigator observed the significant different between Rural and Urban basketball players of Rohtak

Randhawa (2015) decided and assessed the Specific Physical wellness test and aptitude trial of Football players. Add up to 91 football players of which, 36 school level male football players, 20 school level male players, 17 college

level male football players and 18 school level female football players volunteered as subjects. Also, ANOVA was used to regulate the distinction in means among all gatherings of subjects in particular school level, school level and college level. It was observed that the exhibitions of the subjects in the changed particular wellness test were altogether connected with the exhibitions of the subjects with the composite score landed at four basic football aptitudes and engine capacities of the subjects.

Patil and Patil (2018) carried out to assess the influence of locus of control on aggressive behavior of sportsperson, To meet the objectives of the present study the data was collected at 63rd All India Inter University Athletics Championship held in January 2003 at Gulbarga University, Gulbarga by administering personal-bio-data schedule, aggressive and Locus of control was administered, the responses were scored and terminated as per the manual, after collecting data "t" test was employed to assess the significant impact of locus of control on aggressive behaviour on aggressive behavior of sportsperson, the calculated "t" value was significant at table value at 0.05 level. The result has found that internal locus of control leads to control emotion and understand the situation in real sense with practical aspect, whereas external locus of control sportsperson would lose their temper and behavior assertively without understanding the consequence, hence formulated hypothesizes was tested and proved positively and drawn the conclusion that aggressive behavior of sportsperson depends upon the beliefs system and mind state of the person.

Research objective: The main objective of the present study was comparative analyzed the physical fitness components and psychological variables of the sports person in Haryana. To achieve the main objective followings sub objectives framed such as:

1. To compare the endurance, agility, strength, aggression and anxiety of the players of individual game and team game.
2. To compare the home, health, social, emotional, educational and total adjustment of the players of individual game and team game.

Research hypothesis:

1. There is no prominent contrast between the endurance, agility, strength, aggression and anxiety of the players of individual game and team game.
2. There is no prominent contrast between home, health, social, emotional, educational and total adjustment of the players of individual game and team game.

Research process:

Source of data: Regarding the need of the current research the investigator used practical and survey method. The players of Rajasthan stateof age range 19-25 years who have 1st three positions in individual game such as Wrestling, Boxing and Archery and team game such as Volleyball, Basketball and Handball sports mentioned above at the inter colligate level of their university were the source of data in present study.

Sample: According to the criteria of the current research, the investigator selected total 160 male players (80 players for individual game); (80 players for team game) of age range 19 to 25 years from Rajasthan state.

Tool used: A researcher will require different data gathering tools or techniques which may differ in their design, complexity, administration and interpretation. The tools used in this research are as under:

1. Physical Fitness Test:

i) 12 Minutes Run/Walk: To Measure Endurance
ii) Zig-Zag Run: To measure Agility
iii) Medicine Ball throw: To Measure Strength

2. Psychological Test:

The following Psychological Test used for the current research.

i) Aggression Scale by Dr. R.L. Bharadwaj in Hindi Version (2008).
ii) Sinha's Comprehensive Anxiety Test by A.K.P Sinha, L.N.K. Sinha Hindi Version (2011).
iii) Adjustment Inventory for College Students by A.K.P. Sihna and R.P. Singh, Hindi Version (2012).

Conclusion: On the basis of results of the present study researcher concluded that individual game players are more endurance than team game players. Team game players have more strength than the individual game players. However, there is no significance difference between individual game players and team game players on agility. Individual game players are more aggressive than team game players. Similarly there is no significance difference between individual game players and team game players on anxiety. In case of adjustment, there is no significant difference between individual game players and team game players on Home adjustment, health adjustment, social adjustment, emotional adjustment, educational adjustment and total adjustment

Recommendations for further study:

1. The present study was conducted on only 160 players, 80 players from individual game player and 80 from team game players. A similar study can be conducted on the large sample.
2. A comparative study can be conducted on other state players.
3. The present study was conducted only on the three physical fitness components, the 12 minutes run and walk test to measured endurance of the Players, the Zig- zag runs to measured agility of the players and the Medicine Ball Throw to Measure Strength of the Players. A similar study can be conducted on more physical fitness components.
4. The present study was conducted only on three psychological variables aggression, anxiety and adjustment. A similar study can be conducted on more psychological variables.

5. Similar study can be conducted on the school students.

References:-

1. Anita, R., (2013). Diversity Management at Workplace: Aspects, Challenges, and Strategies. IJETSR, 5(1), 306-316.
2. Basak S., &Dutta S., (2016). A Comparative study of physical fitness parameters between general college students and training college students, international journal of experimental research and review, 4(2), 26-30.
3. Bashir, M., Kumari, S., & Kumar, S. (2016). Aggression and self-concept among sports men and non-sports men: A comparative study, 5(2), 1-8.
4. Blume, D., D.,(1978). On some essential theoretical positions for the investigation of the coordination skills. Theory and practice of body culture, 27(1), 29-36.
5. Bostom, Bates, Mazzarella, Block, &Adler, (1987).Ergometer Modification for Combined Arm-Leg Use by Lower Extremity Amputees in Cardiovascular Testing and Training. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 244- 247.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Physical Fitness, Selected Physiological and Body Composition Variables of Aarohi and Government Schools: A Comparative Study

Dr. Santosh Lamba* Ashok Mundotiya**

***Assistant Professor (Physical Education) JRNRV University, Udaipur (Raj.) INDIA**
**** Research Scholar, JRNRV University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - The present study concentrated on the various physical fitness, physiological and body composition variables. Body composition variables are very important consideration while selecting the sports persons. The researchers himself a lecturer in physical education and trained many sports persons/students. Therefore the researcher compared the physical fitness, selected physiological and body composition variables of Aarohi and Government schools' students. In the present study the following physical fitness, selected physiological and body composition components were taken and compare between Aarohi and Government schools' students.

Introduction - The average person needs regular physical activity simply because the human body was designed to move. To keep it healthy, you need to move. Health related fitness means that you choose a variety of activities to benefit your body and your mind. Physical fitness is the ability to do the daily task with vigor and alertness, with undue fatigue, and with ample energy to engage in leisure pursuit and to meet emergency situations. – H. Harrison Clarke.

Physical fitness is a general state of health and well-being or specifically the ability to perform aspects of sports occupations. Before the industrial revolution, fitness was the capacity to carry out the day's activities without undue fatigue. However, with automation and changes in life routine. Physical fitness is a measure of the body's ability to work efficiently and effectively in sports field and leisure activities, to be healthy, to resist hypo kinetic and to meet emergency situations.

The physical training deals mainly with the preparation the players physically for his profession as sportsman. The players must be developed to the highest individual potential standard physical efficiency so that he will not only be able to assimilate their forms of physical training without strain but will also acquire the physical skill and strength endurance necessary for the games. He has to form in his own game and sports.

The physical training is designed to produce mobility, strength, endurance, agility and speed. Duration of 40 minutes exercises is required for the development of endurance. Physical training has a variety of activities to sustain the interest of the players and for inducing harmonious development. Physical activity is considered as a gift due to its immense benefits and ability to provide care for a wide range of diseases without having to intake medications. But aside from providing care, physical exercise can also be used as a preventive too. With regular physical activity, it is believed that one can improve health and well-being such that the body is better able to fight off diseases. The discipline of exercise makes one think differently about one's mind and body by enhancing the mind-body bond. People of any age or gender can benefit from the exercise. Its restorative mechanism is what makes exercise unique from other medical approaches or exercise trends that are currently practiced by various individuals. It emphasizes the promotion of a healthy well-being more than it focuses on trying to cure diseases. Indeed, prevention is still several ways better than cure and anyone who has tried can attest to this. In fact, players who have adapted exercise in habit of their regular fitness routine do so since it significantly improves their health maintenance system.

Review of literature:

Ajit Singh (2000) conducted a study to know the relationship between physical characteristics, motor ability and motor skill variables of male volleyball players. He concluded that the height, flexibility, wrist flexion, wrist extension, trunk hyperextension, speed, arm strength, leg explosive power, dynamic balance and agility were the main contributor for the volleyball playing ability.

Rajiv Majumdar (2001) compared selected physiological variables and motor ability of rural and urban tribal students of Tripura. The subjects were 50 male players of origin and

50 players of tribal origin residing in urban area. There was no significant difference in motor ability levels as obtained from Barrows motor ability test items between rural and urban subjects. The urban tribal school students were significantly superior index then rural students. There was no significant difference between rural tribal and urban tribal in body surface area and testing pulse rate performance in standing broad jump.

Waver Frenkl (2001) a study of the selected anthropometric and exercise physiological characteristics of Hungarian athletes. The subjects were 20 water polo players, 20 paddlers and 20 modern pentathlonists. Results showed that there were significant differences in mean height, body mass and body composition characteristics. The greatest oxygen uptake comparative to body mass was found in the modern pentathlonists and the lowest one in the water polo players.

PitauIbnziaten (2002) a study to analyze the body composition of male school children with an age ranges of 10 to 14 years players from 10 League teams. The sample corresponds to 29% of the total population (954). Following variables; six skinfolds, six lengths, eight heights, six girths and nine diameters were measured. The results showed that these athletes are taller, weigh more and have a larger span than the athletes of other studies. From ages 10 to 14years, the percentage of fat mass decreases and a change in the distribution of subcutaneous fat is observed.

Vikram Singh and Ajay Koley (2002) a study of skinfold thickness of seventy sprinters, sixty-five long distance runners, twenty-six high hurdles and twentyfour low hurdlers of inter-university, national and international level Indian athletes. The result showed highly significant differences in subscapular skinfold between sprinters and long distance runners and between long distance runners and high hurdlers. There were statistically significant differences in supra iliac skinfold between sprinters and long distance runners. No significant differences were found in between any other groups.

Mark Grgantov (2006) a study to evaluated 246 female volleyball players divided into four age groups: 32 players aged 12 to 13 years, 147 players aged 14 to 15 years, 50 players aged 16 to 17 years, and 17 players aged 18 to 19 years. The quality of performance was assessed as a criterion variable. Results showed the female volleyball players of various age groups to differ significantly according to the variables assessing the longitudinal skeleton dimensionality, and body mass and volume, as well as in all tests used on volleyball technique evaluation. Analysis of variance within age groups additionally clarified the process of modification in all studied variables.

Warp Medeiros (2013) a study on 20 male beach volleyball players from the Brazilian Circuit 2012. Jackson and Pollock's seven-skinfolds model was utilized. Results showed the greatest average value of skin fat was found for the abdominal skinfold (12.5 mm), followed by the supra iliac (11.4 mm) and thigh (10.8 mm). The minimum percentage body fat found was 4%, with the maximum being 16%, and the average 8%, below the mean theoretical ideal percentage of 15%.

Sharp Nilkbkhtr (2013) a study to investigate relation between anthropometrics and body type endomorph, mesomorph and ectomorph with factors aerobic fitness, speed and power of 100 untrained male students of Tehran University. The physical fitness factor was measured through a special related method designed by Heath.

Research objective:

1. To test the difference in physical fitness variables of Rajasthan Govt. School and Aarohi School students.
2. To test the difference in physiological variables of Rajasthan Govt. School and Aarohi School students.
3. To test the difference in body composition variables of Rajasthan Govt. School and Aarohi School students.

Research hypothesis:

1. There is no significant difference of physical fitness variables of boys' and girls' students of Govt. school and Aarohi School.
2. There is no significant difference of physiological variables of boys' and girls' students of Govt. school and Aarohi School.
3. There is no significant difference of body composition variables of boys' and girls' students of Govt. school and Aarohi School.

Research process:

Sources Of The Data: The sources of the data for the present study are the students (girls and boys) from Aarohi and Government schools of Udaipur district of Rajasthan state.

Procedure For Collection Of Data: The investigator met the subjects, whom were to be tested, in their respective school camps and explained and guided to them the purpose of the present investigation. He demonstrated them the various tests items, which the subjects had to took, so that the subjects form a mental prepare of various tests they was going to attempt. The subjects were asked to clarify their doubts by asking questions and quires. The research scholar also took the help of other research scholars, classmates, coaches and other professional friends to record the data of different test items in a require manner.

Selection Of Variables:

Physical Fitness Variables :

1. Speed: 50 meters sprint
2. Strength: Standing broad jump
3. Endurance: 1.5 K.M. Run
4. Flexibility: Sit and reach test
5. Agility:ZigZag run

Physiological and Body Composition Variables :

1. Blood components: CBC test
2. Skin fold measurements: Skin fold caliper
3. Calculation of BMI: BMI test

Criterion Measures: The criterion measure was used to collect the data in a deal and systematic way to record in a correct unit and style for each test item.

1. CBC test of the subjects was measured with the help of laboratory technician and measurement was in number of CBC. CBC tests were measured for the study.
2. Body fat percentage was measured by skin folds clipper.
3. Body mass index was measured by weighing machine and stadiometer.

Instrumental Reliability: During the present study, the following instruments/device was used for the measurement of physiological and Kin-anthropometrical variables: a) Digital Stopwatch b) Measuring Tape c) Skin fold Caliber d) Height and Weight measurement instrument and table.

Statistical Procedures: For the present study, the mean value, standard deviation, 't'-test was applied to analyze the data, different steps in 't' – test was used in spas software and the final conclusion was drawn and it was also be compared with the significant value at .05 level of confidence.

Conclusion: The analysis of data reveals for the physical fitness variables like standing broad jump, 50 metre run, sit and reach test, zigzag run and 1.5 k.m. run were observed as significant difference and our hypotheses related the above variables were rejected. Physiological variables like hemoglobin, platelet, RBC and WBC was observed as significant difference and our hypotheses related the above variables were rejected. Body composition variables like height, weight, BMI and body fat was observed as significant difference and our 144 hypotheses related the above variables were rejected. It is showed that there was no significance different between physical fitness variables Aarohi school and government school students and data also reveals that the mean scores of Aarohi school students for the physical fitness variables like standing broad jump, 50 metre run, sit and reach test, zigzag run and 1.5 k.m. run were better than government school students. It is showed that there was no significance different between Physiological variables Aarohi school and government school students and data also reveals that the mean scores of Aarohi school students for physiological variables like hemoglobin, platelet, RBC and WBC were better than government school students. It is showed that there was no significance different between body composition variables Aarohi school and government school students and data also reveals that the mean scores of Aarohi school students for the body composition variables like height, weight, BMI and body fat were better than government school students.

Recommendations for further study:

1. The similar nature of studies may be conducted on school students. The similar nature of studies may also be conducted to compare the other nature of sports/ sports persons.
2. The studies may be conducted with the help of other selected physiological and body composition variables and with different physical fitness test items.
3. The similar nature of studies may also be conducted in other parts of India.
4. The outcomes of the present study may be helpful for the sports trainers, coaches, physical fitness experts, sports planners, supervisors and sports administrators etc. to utilize the abilities of players.

References:-

1. **Ajay Kumar**, "A study of anthropometric measurements, body composition and somatotyping differences in high performer and low performer high jumpers.'' Unpublished Master's Dissertation Submitted to the Amravati University, cited by Bibliographical Dissertation Abstracts, Degree College of Physical Education Publication, Amravati, 2012.
2. **Ajit Singh**, "A study to know the relationship between physical characteristics, motor ability and motor skill variables of male volleyball players.'' Dissertation Abstracts International: 12, p-341, November, 2000.
3. **Alarm Theoharopoulos**, "Comparison of physical fitness basketball players physical condition at the ages of 13 until 16 years old,'' Research Quarterly, USA, 2009.
4. **Alok Sharma**, "A study on selected anthropometric variables of female volleyball players of senior secondary school level.'' Unpublished Master's Dissertation Submitted to the Amravati University, cited by Bibliographical Dissertation Abstracts, Degree College of Physical Education Publication, Amravati, 2013.
5. **Black Nimphius**, "A study to assess the relationship between strength, power, speed and change of direction performance of female softball players."Dissertation Abstract International Journal:21, 232,2012.
6. **Brady Stamm**, "A study of the body structure of female volleyball players. Research quarterly, March,2004.
7. **Bretty Rainoldi**, "Differences in myoelectric manifestations of fatigue in sprinters and long distance runners", Onlus, Rome, Italy, Issue 3 (March 2008)
8. **Brown Duncan**, "A study of anthropometric and physiological characteristics of junior elite volleyball players.''Journal of Applied Physiology,Vol- 3, 2005.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Assessing the Indian Physical Education Curriculum in Relation to the International Standards of Physical Education at Elementary Level

Bhawani Pal Singh Rathore* Raja Ram Guarjar**

*Professor (Physical Education) JRNRV University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Research Scholar, JRNRV University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Physical education provides children with learning opportunities through the medium of movement and contributes to their overall development by helping them to lead full, active and healthy lives. Many have opined that Physical Education holds less importance in the day to day academic life of many students. But the academic structure should be formulated in such a way that it becomes a part of their daily academic routine. Physical education is the major part of the education program for all students. A variety of physical activities learn by the students. It teaches students about how body move to perform a physical activity and what are the health-related benefits for regular physical activities. By performing regular activity one can adopt a physically active, healthy lifestyle. The study could be one of its kinds of study to benchmark international standards of physical education to Indian population. The study could be used to suggest Indian standards in physical education. The study could be used for assessing standards achievements in Indian perspectives using standard blue print of test. Scoring rubrics design specifically could be used to classify the students in a physical education programme for the grade of 3, 4, and 5.

Introduction - In order to establish the standard, it is necessary to assemble and eloquent the statements of professional organizations. The fundamental survival of every human being is physical. It is very difficult to get any kind of education without stress on motor activity. It is not decorous in its objective. The most precisions gift by nature is human body, it is necessary to maintain its growth and development which is mostly depending upon the quality and quantity performance on centrifugal activity. The word 'physical' denotes an organic structure that signals all human features such as strength, pace, survival, health, execution etc. it is not easy to define the term physical education which is generally refers to the sports education. It is generally speculated that physical education is sports education. In simple words physical education is a way of imparting education through motor activities. The approach is different from education as it accomplishes the task by physical exertion. Physical education provides children with learning opportunities through the medium of movement and contributes to their overall development by helping them to lead full, active and healthy lives. Many have opined that Physical Education holds less importance in the day to day academic life of many students. But the academic structure should be formulated in such a way that it becomes a part of their daily academic routine. Physical education is the major part of the education program for all students. A variety of physical activities learn by the students. It teaches students about how body move to perform a physical activity and what are the health-related benefits for regular physical activities. By performing regular activity one can adopt a physically active, healthy lifestyle. The following points indicate main benefits for a student in performing physical activity:

1. Development of Confidence in every situation of life
2. How to perform a task independently
3. Maintain self-confidence in achieving goal
4. Positive social skills
5. Leadership quality for growth of team
6. Improvement in academics.

All the areas of curriculum of model content standards are good opportunities not only for students but also for experts. To lead a full active and healthy life physical education provides all learning opportunities through medium of movements. Science and Math are important for mental development of a child likewise physical education is not less significant field. Physical education is essential for physical, mental and intellectual growth of a student. Physical education plays a vital role in the development of a child. Therefore the academic structure should be formulated in such a way that it becomes a part of their daily academic routine

Review of literature:

According to**Hussainet.all (2011)** curriculum achievement depend on its evaluation process during curriculum development. The process initiation needs to be from the grass-root level. A critical aspect during the process of curriculum development is the Content selection regarding objective consideration especially with respect to the content organization. The study states that the revision in curriculum is independent of the feedbacks received. The following study investigates the issues pertaining to curriculum development. A survey on 810professionals involved in curriculum development of the validated questionnaire (84 statements was conducted. Result showed a significant association between existing process and desired process for curriculum development.

According to**Hashimet.all (2014)** aimed to judge the parameters of physical fitness in achievement of National Standards of Physical Education. Participants were 279 primary school boys (N=79, 10 years), (n = 94, 11 years) & (12 years, n = 106) from 5 Perak schools. To test the fitness, FITNESSGRAM with the following parameters trunk lift, 90 degree pushups, modified pull-up, back saver sit and reach and PACER was used. ANOVA analysis showed an important difference in the level of physical fitness among the group of boys age 10, 11 and 12 years.

Tidén and Nyberg (2015) developed and initial validation of the NyTid test. a processoriented movement evaluating tool. Participants were1,260 (627 girls and 633 boys; age M=14.39). Initially, EFAs was executed in sample 1, with one third of the participants which signaled that the 17 skills in the test to be reduced to 12 and divided into 4 factors. In the second stage, the suggested factor structure was cross-validated with CFAs in the larger Sample 2. The study proves that the NyTid test is a validated process-oriented measurement tool developed children aged 12 and 16 years.

According to **A. MichalisStylianou, Tiffany Kloeppel, Pamela Kulinna and Han van der Mars(Oct, 2016)** studied the PE teacher fidelity in relation to the curricular models and outcomes of physical activity. The Dynamic Physical Education (with low, moderate, and high fidelity) classes were conducted. Observation was made to compare PA levels, lesson context, and teacher PA promotion behavior among classes. Observations on 4thand 5h grade 20 PE teachers were done thrice a day. The SOFIT instrument was used for data collection. Group difference tests and statistics are described in data analysis. The observation instrument measures the significant differences in several items which were found among the three fidelity groups. No significant moderate-to-vigorous PA or lesson context differences were found among the three groups. The final results projected those students who were under high fidelity teachers spent higher proportion of lesson (7.5%) in vigorous PA than by teacher in low fidelity. Teachers who were in the moderate and high fidelity spent a significantly higher proportion of lesson time promoting in-class PA in comparison to teachers who were in the low fidelity group. Fidelity of implementation to the DPE model had little impact on student PA. Thestudy suggests the methodological importance of examining teacher fidelity to curricular models and the outcomes associated with it.

According to **Stephen J. Virgilio. (Oct, 1985).** The purpose of this study is to discuss current problems in relation with curriculum design in physical education, and to give suggestions for model-based attempts to channelize the process of implementing new curriculums. This process of curriculum implementation, broken into two phases: Pre-operational stage and Operational stage. Some essential points within each of the two stages were discussed, for curriculum changes in general education and specifically for physical education. The most important aspects or elements of curriculum implementation are: support (material and human), change strategies, communication channels, staff development, and instructional planning. Each element has very significant role in the process, and the lack of any single element will hinder the efficacy of the changes desired. The result of the study is presents a model of the curriculum change process.

According to **Vincent J. Melograno. (Nov 2009)**. This study was expounded about educational reform has more naturalistic, authentic judgement of student learning. The meter of alternative assessment has swung toward a portfolio format. To help measurement and evaluation instructors, an 8-step process is explained for both pre-service and in-service physical education academicians. These steps are (a) ascertain general and specific purposes; (b) choose the type(s) of portfolios to be used; (c) create an organizing framework; (d) identify construction, storage, and management options; (e) establish a system for selecting items; (f) determine reflection and self-assessment techniques; (g) plan conference strategies; and (h) design evaluation criteria and procedures.

Research objective:

1. To suggest/demonstrate the Indian physical education programme assists in achieving the NPES (National physical education programme) as drawn by (ICHPER•SD)
2. Develop the test blue print for assessing the standards achievement.
3. Developing assessment sheets and scoring rubrics. (Based on standards 1,2,3,4 and 5) or level class/age group.
4. Recommended Indian standards based on class/age group.
5. Draw/develop national physical education standards to Indian population.

Research process: Mixed Method Research: Multi methodology or multi method research comprises the employment of multiple methods to collect data and administer research in a series of related research studies.

Mixed methods research is thoroughly precise as it involves an amalgamation of paradigms, data of qualitative and quantitative nature and methodologies in a study to be researched.

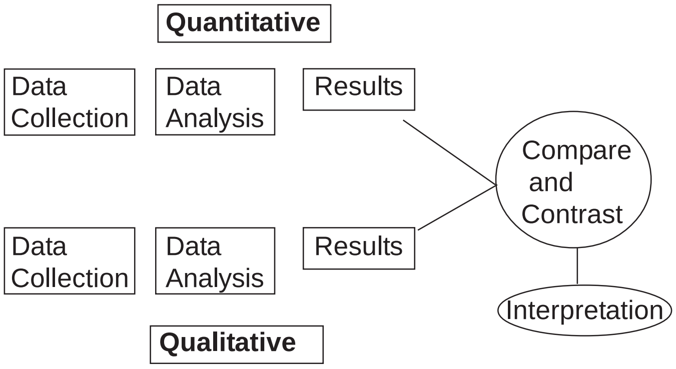

Variables of the study:

1. Policy And Environment
2. Curriculum
3. Implementation

i) Activity Goals, Objective and Outcomes
ii) Assessment
iii) Feedback

Sampling Technique: Multistage sampling is a composite sampling procedure in which clusters are made to select the population. In cluster sampling, a kind of probability sampling, the population is divided into clusters or groups, followed by choosing of either one or more than one cluster at random within which each subject is sampled.

Steps of the study:

1. Opinion of physical education personals by task force composed of researchers, measurement, evaluation experts, teacher educator's physical education teacher, and educational administrators.
2. Preparation of test blue print for assessing the standards. Initial writing Re-writing Final writing Administration of test
3. Writing (Valid) assessment sheets and scoring rubrics.
4. Establishing the content validity.
   Content validity is different from face validity, which refers not to what the test actually measures, but to what it superficially appears to measure. Face validity assesses whether the test "looks valid" to the examinees who take it, the administrative personnel who decide on its use and other technically untrained observers. Content validity requires the use of recognized subject matter experts to evaluate whether test items assess defined content and more rigorous statistical tests than does the assessment of face validity. Content validity is most often addressed in academic and vocational testing, where test items need to reflect the knowledge actually required for a given topic area (e.g., history) or job skill (e.g., accounting).
5. Piloting assessment. A test or examination (informally, exam) is an assessment intended to measure a test-takers knowledge, skill, aptitude, physical fitness, or classification in many other topics (e.g., beliefs). A test may be administered verbally, on paper, on a computer, or in a confined area that requires a test taker to physically perform a set of skills. Tests vary in style, rigor and requirements.
6. Interview, focus group review & re-review. An interview is a conversation where questions are asked and answers are given. In common parlance, the word "interview" refers to a one-on-one conversation with one person acting in the role of the interviewer and the other in the role of the interviewee. The interviewer asks questions, the interviewee responds, with participants taking turns talking. Interviews usually involve a transfer of information from interviewee to interviewer, which is usually the primary purpose of the interview, although information transfers can happen in both directions simultaneously. Focus Group: is a form of qualitative research in which a group of people are asked about their perceptions, opinions, beliefs, and attitudes towards a product, service, concept, advertisement, idea, or packaging. Questions are asked in an interactive group setting where participants are free to talk with other group members. During this process, the researcher either takes notes or records the vital points he or she is getting from the group. Care should be noted to select members of the group carefully for effective and authoritative responses.
7. Tool development
8. Standards mapping define by (ICHPER•SD)
9. Recommended : Indian standards

Conclusions:

1. There is a gap between the syllabus for PE and the actual execution of it during the games period. We need to develop a robust sports curriculum with grade-wise lesson plans for every proficiency level.
2. India does not have clear cut benchmark and outcome based direction in their policy.
3. Curriculum outline or draft will be suggested in line with the NCF guidelines 2005. It provides only the way to achieve certain goals.
4. India does not have clear cut benchmark and outcome based direction in their policy. So, there is a need of one nation one curriculum with inculcate of content, instruction, assessment task and scoring rubrics.
5. Curriculum outline or draft will be suggested in line with the NCF guidelines 2005. It provides only the way to achieve certain goals.
6. In India there is no standard curriculum only recommendation by NCERT therefore model curriculum will be proposed.
7. Creation of a national sports structure is more vital than creating sports infrastructure. It is widely observed that schools (particularly private schools) consider

promoting sports through creation of world class infrastructure. While it is important to have good quality grounds, turfs, pitches, courts and arenas, it is equally critical to have a supporting curriculum to complement such facilities.

Recommendations:

1. PE curriculum framework should be drafted, piloted & tested and implemented in line with International standards of physical education
2. Collaborative approach for framing and development of Physical education programme by benchmarking with international physical education programs.
3. Develop standards in line with International standards of Physical education guidelines and incorporate with: National Assessment standards: defines metrics, methods, process for conducting sports assessments.
4. Monitor Curriculum evaluation standards – assists in inspection, proper evaluation of results & teaching methods and providing corrective actions.
5. The National Boards of Education or Federations to be brought into scheme of things for effective implementation of curriculum framework.
6. Foundation of a National Physical Education Curriculum Authority to oversee and inter-relate with other key stakeholders like the CBSE, NCERT, IB and Cambridge education with Sports Authority of India (SAI), state level education authorities.
7. The National Physical Education Curriculum Authority to ensure inter-operability functions and make transition & implementation of physical education curriculum constructive in schools.
8. National Education Boards to ensure physical education and allied activities are brought under national focus for accelerated and inclusive Physical education development in the country.
9. Promote concept of sporting culture in schools and communities.
10. Joyful engagement in sports and physical activities is seen as a way of life. So, offer generous/substantial competitive environment at school level. As CBSE implemented HPE Programme for class 9th to 12th in 2018

References:-

1. AfzaalHussain, Dr. AshiqHussainDogar, Muhammad Azeem, AzraShakoor. (2011). Evaluation of Curriculum Development Process, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1, Issue no 14,pg; 263-271.
2. Ahmad Hashim, Mohd. SaniMadon, NurHaziyantiMohd Khalid, NelfiantybintiMohd Rashid, Sadzali bin Hassan andYusopbin Ahmad.(2014). National Physical Education Standards: Level of Physical Fitness Male Student Primary School in Malaysia, International Journal of Social Science Research, Vol. 2, issue 2, Pg. 94- 103.
3. Blazevic, S., Biliæ, •.,Bonacin, D., Širiæ, V. &Bonacin, D. (2007). Identification developments in boys in the first grade of primary schools on the basis of changes structure distinct taxon under the influence of treatment. Sport Science 1, (2): 59-64
4. Bureau for the development of education (2007). Physical education curriculum from first to third grade in nine year primary education, Skopje: Macedonian ministry of education.
5. California Department of Education (2009). Physical Education Framework for California Public Schools, Sacramento, California: California Department of Education.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

पेसा कानून

डॉ. बसंत नाग* एन.आर. साव**

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) भा.प्र.देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) भा.प्र. देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में 90 दशक के दौरान दो महत्वपूर्ण बदलाव परिलक्षित हुए, एक है उदारीकरण की नीति तो दूसरी ग्राम स्वराज की परिकल्पना। उदारीकरण नीति के अंतर्गत देश के कई कानूनों में शिथिलता लाते हुए उद्योग धंधों के विस्तार के नाम पर कानून के कठोर नियमों में परिवर्तन किया गया। सत्ता का विकेन्द्रीकरण इस बात की ओर इंगित करता है कि ग्राम स्वराज की स्थापना हेतु पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत वर्ष में लागू किया गया। गांधी जी के ग्राम स्वराज के परिकल्पना को साकार रूप से फलीभूत करने के लिये सशक्त ग्राम सभा की स्थापना सन् 1992 में 73 वें संविधान अधिनियम से केन्द्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा का प्रावधान है, ठीक उसी तरह गांव में ग्राम सभा को स्थान दिया गया है।

संविधान में संशोधन कर 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गयी, जिनमें 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार ग्राम सभा एवं पंचायतों को सौपा गया है, लेकिन जिस तरह आर्थिक उदारीकरण के लिए कानूनों में बदलाव की आवश्यकता थी, ठीक उसी रूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ड.) के पैरा 4 उपपैरा (ख) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह पंचायती राज व्यवस्था पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों को विकास करने की शक्ति प्रदान करती है। पंचायती राज व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में सशर्त लागू होगी और यह शर्त भारत की संसद तय करेगी। इन्हीं शर्तो को पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 बनाकर निर्धारित किया गया, जिन्हें आज हम पेसा कानून के नाम से जानते हैं।

पेसा कानून जनजातियों की परम्पराओं रीति-रिवाजों तथा अपनी सामुदायिक मान्यताओं एवं समस्याओं से संबंधित अधिनियम है। यह अधिनियम पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में लागू होता है। पेसा का पूरा नाम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक (The Provisions On The Panchayats Extension To The Scheduled Areas Bill) है। भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर सन् 1996 में विधेयक प्रस्तुत किया गया और दिसम्बर 1996 में दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के अनुमोदन से 24 दिसम्बर को लागू हो गया। जनजाति क्षेत्रों में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

ग्राम सभा, स्थानीय योजनाओं और संसाधनों के अनुरूप नियंत्रण और प्रमाणन का अधिकार धारा 4(ड.) एवं (च) में स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधान में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गयी, लेकिन इस अधिनियम के प्रावधान जनजातीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था, इनको दूर करने हेतु संविधान के 9 वें भाग में विशिष्ट पंचायत उपबंध बनाया गया।

पेसा कानून के कुछ विशेष प्रावधान इस प्रकार से है :-

1) गांव में कर्ज देने वाले साहूकार को ग्राम सभा लाइसेंस देगी।
2) आपसी विवादों का निपटारा ग्राम स्तर पर होगा। पुलिस इनमें कोई दखल नहीं देगी।
3) शासकीय अधिकारी, कर्मचारी ग्रामीणों के मर्जी के बिना खनन कार्य नहीं करेंगे। संविधान के पांचवी अनुसूची के अनुसार यह कानून जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति निवासरत है, वहां लागू होगा। पेसा नियम 2 नवम्बर 2011 से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, आदि क्षेत्रों में लागू किया गया। भारत में इनका पालन आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में लागू किया गया। प्रत्येक तीन-तीन माह के अंतराल में चार ग्राम सभा होती है।
4) पेसा कानून के द्वारा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में समस्याओं का निराकरण परम्परागत तरीकों से निपटाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
5) विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन अनुमोदन का अधिकार पंचायत को दिया गया है।
6) विकास परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व इन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुर्नवास पूर्व ग्राम सभा से परामर्श लेने का अधिकार।
7) लघु जल संसाधनों के स्वामित्व, प्रबंधन, गौण वनोपज के स्वामित्व का अधिकार।
8) खनिजों के लिए खनन मजदूरी अथवा नीलामी दरों में रियायत से पूर्व अनुमोदन का अधिकार।
9) शराबबंदी लागू करने और मादक द्रव्यों की बिक्री एवं उपयोग को नियमित करने का अधिकार।
10) साहूकारी प्रथा पर नियंत्रण का अधिकार।
11) स्थानीय और जनजाति उपयोजनाओं से प्राप्त राशि को ग्रामीण विकास के लिये नियोजन करने का अधिकार।
12) स्थानीय बाजारों का प्रबंधन, भूमि अलगाव पर नियंत्रण, नशीले पदार्थो पर नियंत्रण करना।

13) सांस्कृतिक परम्पराओं के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु प्रावधान।
14) अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में आत्मनिर्णय लेने का अधिकार (Right to Self Determination) की गारंटी दी गयी है।
15) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिये ग्राम सभा उत्तरदायी होगी तथा धन का सदुपयोग करने का उत्तरदायित्व।

अत: स्पष्ट है इस कानून के तहत नियमों को प्रभावशाली रूप से क्रियान्वयन कर विकास के लिये स्वतंत्र रूप से कार्य करना है।

16) छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले घोषणा पत्र में पेसा कानून लागू करने की बातें कही गयी थी, जिनके नियम बनाने के लिये तीन जिलों, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर के 19 विकासखंड के जनजाति समाज के पदाधिकारियों ने इस संदर्भ में सूरजपुर जिले के ग्राम लटोरी में परिचर्चा कर सुझाव प्रस्तुत किये, जिनमें जनजाति लड़की का विवाह गैर जनजाति लड़के से हो जाती है, तो लड़कियों के अधिकार समाप्त करने की बातें कही गयी।

छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 20 वर्ष हो गये है, लेकिन पेसा को लागू करने के लिये नियम नहीं बना पाये है। पेसा कानून के प्रावधानों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इनका क्रियान्वयन केन्द्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य से जुड़े सूची में बनने वाले कानूनों पर निर्भर करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक पॉलिसी पेपर यह कहता है।

पेसा कानून जनजातीय समाज को स्वशासन का अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ सहयोगी लोकतंत्र के द्वारा ग्राम प्रशासन स्थापित कर मुख्य रूप से ग्राम सभा की सभी गतिविधियों को पारदर्शी बनाकर जनजातीय समुदाय की पारम्परिक, सांस्कृतिक रीति-रिवाजों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए किया गया प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996 के नियमों का निर्धारण करने के लिये कांकेर जिले के पंचायतों के जनजातीय नेताओं एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने पहली बैठक रखी। जहां पर इस संदर्भ में व्यापक चर्चा की गयी। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर बस्तर कांकेर में गोधन नामक स्थान में छत्तीसगढ़ के पांच जिलों के 16 जनजाति विकास खंड के प्रतिनिधियों ने अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में इनकी कमियों को दूर करने तथा पेसा कानून में बदलाव हेतु सुझाव भी दिये। इनकी प्रमुख मांग थी कि पेसा कानून को अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाना। किसी भी सामाज की स्थिति वहां रहने वाले लोगों की स्थिति पर निर्भर करती है। भारत जनजाति बाहुल्य देश है और जनजातियों के विकास भी देश के विकास को दर्शाती है। इनके हितों की सुरक्षा के लिए एक ऐसे कानून की मांग की गयी जहां पर हम जनजाति क्षेत्रों की सुरक्षा कर सकें। जनजाति स्वशासन पर विचार किए बिना जनजाति विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता। जनजाति क्षेत्रों में शोषण, हिंसा एवं पिछड़ेपन पर नियंत्रण पाने के लिये तथा विकास के अवसर प्रदान करने हेतु जनजाति स्वशासन पर विचार करना अनिवार्य है।

पेसा अधिनियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेसा कानून छठवीं अनुसूची की तुलना में अधिक प्रासंगिक है क्योंकि जनजाति आर्थिक और राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यधिक कमजोर है। सांस्कृतिक रूप से जनजातियों की विशिष्ट पहचान है, जो इन्हें एक निराली छबि प्रदान करती है। पांचवी अनुसूची लागू जनजाति क्षेत्रों में जो इस सरंक्षण सूची से बाहर है, निर्बल हैं। उनके लिये पेसा कानून मील का पत्थर साबित होता है। इस अधिनियम का पारित होना, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिबध्दता का कार्य था क्योंकि यह सत्ता संतुलन को बदलने का कार्य कर स्थानीय स्तर पर जनजातियों के पक्ष में स्वशासन की व्यवस्था की। पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन विकास लायेगा। पांचवी अनुसूची में इन्होंने यह स्वीकार किया कि जनजातियों के जीवन शैली, मूल्यव्यवस्था और विश्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण स्वीकारते हुए जनजाति स्वशासन को प्राथमिकता दी गयी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में विभिन्न जनजातीय समुदाय निवासरत हैं, इनकी संस्कृति और परम्पराओं को पुजारी, मांझी, मुखिया आदि के द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। आधुनिकीकरण के इस दौर में कुछ परम्पराएं पीछे छुटते जा रही है।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्य बनाये रखने के लिये पेसा कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। जनजातीय क्षेत्रों के लिये यह कानून अधिकार दिलाने का कार्य कर रही है, इसी कड़ी में वन अधिकार पत्र भी प्रदान किये जा रहे हैं। इससे लोकतंत्र को गहरा एवं मजबूत करने के लिये लोगों की भागीदारी में वृद्धि होगी। पेसा कानून जनजाति क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करने में सहायक सिद्ध होगी। इससे जनजातियों के अन्यंत्र पलायन एवं विस्थापन को रोका जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और प्रबंधन से जनजातियों के आय और आजीविका के क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगा सकते हैं, अगर अवैध तरीके से किसी ने जनजातियों की भूमि को हस्तांतरित किए हैं तो उन्हें वापस किया जा सकता है। शराब बिक्री की खपत, गांव के बाजारों का प्रबंधन, शोषण को कम करने के लिये अत्यंत लाभकारी एवं महत्वपूर्ण है। यदि पेसा कानून को लागू करन में गंभीरता बरती जाये तो हम जनजाति क्षेत्रों में मरणासन्न स्वशासन प्रणाली को पुर्नजीवित कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक समाचार पत्र
2. studymarathon.com
3. hastakswep.com
4. panchayat.gov.in
5. dustantimes.com.translate.google.in
6. नवभारत- दैनिक समाचार पत्र- (21 जून 2022)
7. पत्रिका- दैनिक समाचार पत्र
8. hindimongabay.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

जनपद शाहजहाँपुर (उ.प्र.) में औद्योगिक विकास का प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभावः एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. इन्दू मिश्रा* गया सरन**

* एसोसिएट प्रोफेसर (भूगोल) वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर (उ.प्र.) भारत
** शोध छात्र (भूगोल) वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – सर्वविदित है, कि औद्योगिक विकास से ही क्षेत्रीय विकास को गति मिलती है। इसके विकास से ही क्षेत्र विशेष में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, फलस्वरूप क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ ही साथ औद्योगिक विकास का प्रभाव प्राकृतिक वातावरण पर नकारात्मक रूप में देखने को मिलता है। अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुआँ और गैसों से प्राकृतिक पर्यावरण असन्तुलित हो रहा है, जिससे समस्त जैविक तन्त्र प्रभावित होता है (वर्ष 1950 से तेजी के साथ औद्योगिकरण हो रहा है जिसके कारण भूमि तथा ऊर्जा संसाधनों का निरन्तर दोहन और वन संसाधन की अनियन्त्रित कटाई के फलस्वरूप प्राकृतिक असंतुलन के कारण मानव व अन्य जीव-जन्तु अपने जीवन का आस्तित्व बनाये रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रभावों का सामना कर रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र में अनेक वन्य जीव मिलते हैं, जिनमें हिंसक एवं अहिंसक जीव, जैसे तेंदुआ, जंगली सुअर, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घे, बिच्छू, ऊदबिलाव एवं अन्य जंगली जानवर जनपद के उत्तरी छोर पर अधिक मिलते हैं। रिलायंस तापीय ऊर्जा केन्द्र (रोजा) एवं इसमें कार्यरत मजदूरों के आवासीय परिसर जहाँ हैं वहाँ पर भी अनेक जानवर मिलते थे।

प्रकृति से छेड़-छाड़ का नतीजा हम लोगों को पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखने को मिल रहा है। अतः क्षेत्र में इनकी संख्या में भारी कमी का आँकलन किया जा रहा है और इनका सम्मिलित प्रभाव प्राकृतिक पर्यावरण पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

प्रस्तावना – मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान हेतु प्राचीन काल से ही प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर था, परन्तु कालान्तर में मानव के बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ ही प्राकृतिक स्रोतों एवं संसाधनों के उपयोग में विविधता देखने को मिलती है। मानव प्राचीन सभ्यता से वर्तमान सभ्यता की ओर उन्मुख होते हुये प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में अपनी बौद्धिक क्षमता एवं तकनीकी के माध्यम से विभिन्न रूपों में उपयोग करना सीख गया है। अतः आधुनिक मानव सभ्यता के ऊँचे शिखर पर पहुँचने के साथ-साथ तकनीकी विकास एवं औद्योगिक विकास में निरन्तर प्रयासरत हैं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा अधिकतम जनसंख्या प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में संलग्न है। भारत में औद्योगीकरण का विकास पश्चिमी देशो के अपेक्षा देर से प्रारम्भ हुआ, जिसका मुख्य कारण अंध विश्वास, रूढ़िवादिता, भाग्यवादिता एवं शिक्षा का पिछड़ापन आदि रहा है। भारत में औद्योगीकरण का वास्तविक विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ। भारत में औद्योगीकरण के विकास के द्वारा जहाँ एक ओर लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप भारत में आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी तीव्रगति से विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। शाहजहाँपुर में औद्योगीकरण का विकास भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न रूपों में हुआ है। शाहजहाँपुर में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के भिन्नता का मुख्य कारण क्षेत्रीय भिन्नता, संसाधनों की अवस्थिति, जलवायु में विविधता, शिक्षा का स्तर एवं तकनीकी प्रसार में विविधता आदि है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में औद्योगीकरण के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से मध्यम एवं बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप औद्योगिक विकास में तीव्रता के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी तीव्रगति से प्रगति हुई, जिससे भारत काआर्थिक विकास देशों की उच्च श्रेणी के अन्तर्गत पायी जाती है। भारत में औद्योगीकरण के विकास को दो चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण (1947-1980) में सरकार ने औद्योगिक विकास को क्रमिक रूप से अपना नियन्त्रण विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर बढ़ाया, जबकि दूसरे चरण (1980-1992) में औद्योगीकरण के विकास के लिये अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाया गया। भारत में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता एवं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिये बड़े एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गयी। भारत में औद्योगिक विकास में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के साथ ही भारतीय लोगों की क्षमता को प्रोत्साहित एवं विकसित किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य- इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती औद्योगिक इकाइयों का स्थानिक विश्लेषण करते हुये उनका पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन करना है तथा उसका प्रभाव कम करने के लिये उपयुक्त रणनीति प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र- जनपद शाहजहाँपुर, उ0प्र0 के रूहेलखण्ड के दक्षिण-पूर्व भाग में स्थित है, जोएक मैदानी भाग है, जिसका निर्माण तराई भागों में

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

प्रवाहित नदियों द्वारा लाये गये मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। इनमें मुख्य रूप से बांगर एवं खादर के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। जनपद शाहजहाँपुर का भौगोलिक विस्तार $27^0$28' उत्तरी अक्षांश से $28^0$22' उत्तरी अक्षांश तथा $79^0$19' पूर्वी देशान्तर से $80^0$20' पूर्वी देशान्तर के बीच अवस्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4575 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय जनगणना विभाग 2011 के अनुसार शाहजहाँपुर की कुल जनसंख्या 3006538 है जिसमें पुरूष 1606403 तथा महिला 1400135 हैं। इसके पूर्व में जनपद लखीमपुरखीरी, दक्षिण में हरदोई, फर्रूखाबाद, पश्चिम में बदायूँ एवं बरेली तथा उत्तर में पीलीभीत जिला स्थित है। वर्तमान में जनपद शाहजहाँपुर में कुल चार तहसीलें (सदर, तिलहर, पुवायां और जलालाबाद), 15 विकासखण्ड (बंडा, खुटार, पुवायां, सिंधौली, कटरा-खुद्दागंज, जैतीपुर, तिलहर, निगोही, कांठ, ददरौल, भावलखेड़ा, मदनापुर, कलान, मिर्जापुर और जलालाबाद), 1077 ग्राम पंचायत और 2325 गाँव हैं। जनपद की मुख्य नदियों में गंगा, रामगंगा, गोमती और गर्रा हैं। गोमती की मुख्य सहायक नदियों में कथना, झुकमा और मोसारे हैं। गर्रा की मुख्य नदियों में खन्नौत, सुकेता और काई नदी हैं। जनपद शाहजहाँपुर की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 150 मीटर से 200 मीटर के बीच पायी जाती है।

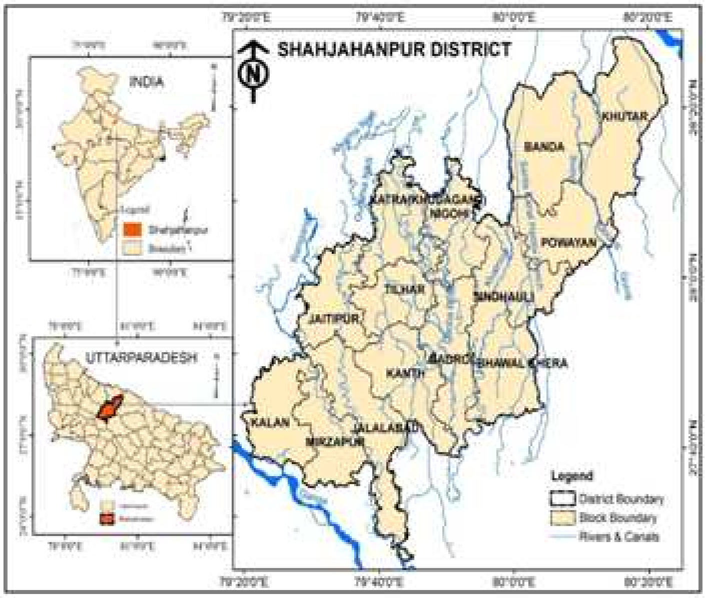

मानचित्र-अवस्थिति मानचित्र

विधि तंत्र- प्रस्तुत शोध पत्र हेतु द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है इन तथ्यों को जनपद की विभिन्न जनगणना पुस्तिकाओं, गजेटियर, सांख्यिकीय पत्रिकाओं आदि से प्राप्त किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रस्तुत शोध पत्र में व्यवस्थित अवलोकन को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। जिससे यथा स्थिति दृष्टिगत हो सके। आँकड़ों का विश्लेषण एवं मानचित्रण विभिन्न सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया गया है।

अध्ययनक्षेत्र में औद्योगिक विकास का स्रोत- जनपद शाहजहाँपुर में औद्योगिक विकास सन्तोषजनक नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ 2008-09 में पंजीकृत कारखानों की संख्या 130 थी, वहीं 2018-19 में यह घटकर 120 ही रह गयी। इसी प्रकार लघु औद्योगिक इकाईयों की संख्या 2008-09 में 611 थी तो 2018-19 में मात्र 9 इकाईयों की वृद्धि हुई, जो बढ़कर 620 ही हो पायी थी। खादी ग्रामोद्योग इकाइयों में कमी बहुत ही निराशाजनक रही, जहाँ 2008-09 में इनकी संख्या 94 थी, वहीं 2018-19 में मात्र 12 ही शेष बची हैं। जनपद में 2008-09 में समस्त इकाईयों का योग जहाँ 835 था वहीं 2018-19 में घटकर इनकी संख्या मात्र 752 ही शेष रह गयी। इसकी नकारात्मक वृद्धि का एक अन्य कारण यह है, कि अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा निर्मित सामान जनमानस को अच्छे लगते हैं और यहाँ के नागरिक उन्हीं को पसन्द करते हैं।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

औद्योगिक विकास का प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव- पर्यावरण जैव एवं अजैव तत्वों का समुच्चय है, जिसका बोध स्थान और काल के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। पर्यावरण के अजैव तत्व प्रकृति के आधारी तत्व हैं, जिनके सहयोग से जैव तत्वों (पौधे एवं जीव जन्तु) का विकास हुआ है। ये दोनों तत्व प्राकृतिक पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। इनमें से जैव तत्वों का औद्योगिक विकास के कारण अवनयन हो रहा है।

अध्ययन क्षेत्र में अनेक वन जीव मिलते हैं, जिनमें हिंसक एवं अहिंसक जीव जैसे तेंदुआ, जगंली सुअर, जंगली कुत्ते, बिच्छू, ऊदविलाव सेही, सियार, भेड़िया, खरहा, बन्दर, जंगली चूहें, जंगली मुर्गियाँ, लोमड़ी, नीलगाय एवं मगरमच्छ आदि प्रमुख हैं। ये जनपद के उत्तरी छोर पर अधिक मिलते हैं। रिलायस तापीय ऊर्जा केन्द्र (रोजा) एवं इसमें कार्यरत मजदूरों के आवासीय परिसर जहाँ हैं, वहाँ पर भी यह सभी जीव-जन्तु बहुतायत से मिलते थे, लेकिन अब कभी-कभार ही इनके दर्शन हो पाते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव- जनपद की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का अपना विशिष्ट महत्व एवं स्थान है। ये जनपदीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। आज उद्योगों पर चर्चा इसलिये भी आवश्यक है, कि उद्योगों से पर्यावरण को अपार क्षति पहुँचती है वहीं पर यह आर्थिक वृद्धि में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। अतः हमें उद्योगों का विकास इस प्रकार करना चाहिए, जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचायें और मानव के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. कुमार, संजय एवं कुमार, एस0 (2010) फिरोजाबाद जनपद में औद्योगिक विकास का स्वास्थ्य पर प्रभाव, रूहेलखण्ड भौगोलिक शोध पत्रिका (धामपुर-बिजनौर)।
2. नसरीन (1994), औद्योगीकरण का अर्थतन्त्र पर प्रभाव: कानपुर लखनऊ औद्योगिक अक्ष का प्रतीक अध्ययन।
3. राव, बी0पी0 श्रीवास्तव, वी0के0 (1995) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, गोरखपुर।
4. साहू, ए0एस0 (1990), भूमि उपयोग प्रतिरूप भूगोल शोध पत्रिका।
5. जिला सांख्यिकीय पत्रिका जनपद शाहजहाँपुर (2018-19)

तालिका 1

क्र.	विकास खण्ड	पंजीकृत कारखाने		लघु औद्योगिक इकाईयाँ		खादी ग्रामोद्योग इकाईयाँ		समस्त इकाईयों का योग	
		2008-09	2018-19	2008-09	2018-19	2008-09	2018-19	2008-09	2018-19
1.	बण्डा	11	7	39	58	2	0	52	55
2.	खुटार	8	8	56	8	9	0	73	16
3.	पुवायां	11	6	46	31	18	0	75	37
4.	सिंघौली	5	5	43	4	10	0	58	9
5.	कटरा-खुदागंज	9	8	35	9	1	2	45	19
6.	जैतीपुर	3	3	5	16	2	1	10	20
7.	तिलहर	5	5	46	16	12	0	63	17
8.	निगोही	6	6	13	31	3	0	22	37
9.	कांठ	5	5	14	6	1	0	20	11
10.	ददरौल	9	.9	18	19	6	0	33	28
11.	भावलखेड़ा	6	6	42	53	12	1	60	60
12.	कलान	5	5	6	8	3	2	14	15
13.	मिर्जापुर	4	4	6	2	4	0	14	6
14.	जलालाबाद	7	7	74	3	8	1	89	11
15.	मदनापुर	5	5	6	6	3	5	14	16
	योग ग्रामीण	**99**	**89**	**449**	**270**	**94**	**12**	**642**	**371**
	योग नगरीय	**31**	**31**	**162**	**350**	**0**	**0**	**193**	**381**
	योग जनपद	**130**	**120**	**611**	**620**	**94**	**12**	**835**	**752**

स्रोत- जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2008-09
जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2018-19

****

उच्च माध्यमिक विद्यालयी विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि पर अध्ययन

श्रीमती शिल्पा गौर *

* सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग सूर्या कॉलेज, जगदलपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन में उच्च माध्यमिक विद्यालयी विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि पर अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि पर तुलनात्मक अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श हेतु दुर्ग संभाग के दुर्ग जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। अध्ययन हेतु एस.के. मंगल एवं शुभ्रा मंगल द्धारा निर्मित संवेगात्मक बुद्धि उपकरण का उपयोग किया गया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि उच्च माध्यमिक विद्यालयी विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया गया। उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्रों के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया गया। उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्राओं के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया गया।

शब्द कुंजी – छात्र-छात्राओं, संवेगात्मक बुद्धि।

प्रस्तावना – संवेगात्मक बुद्धि मानव जीवन का प्रमुख पहलू है। छात्र-छात्राओं के लिये ये जरूरी है कि वे अपने संवेग पर नियंत्रण कर सके और उसे सही समय पर प्रस्तुत करने की क्षमता भी उनमें होनी चाहिए। उच्च मानसिक विकास में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर छात्र-छात्राओं में मानसिक नियंत्रण न हो तो वे तनाव में आ जाते हैं। हीनता की भावना उनमें आ जाती है। अगर छात्र-छात्राओं में मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं तो हीनता व तनाव के स्थान पर आत्म सुरक्षा आता है, विश्वास की भावना आ जाती है। संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि के क्षेत्र में यह एक नया प्रत्यय है। इस प्रकार की बुद्धि का तात्पर्य उस दक्षता से है जिसके द्धारा कोई व्यक्ति अपने तथा दूसरे के संवेगों को समझता है, उन्हें प्रेरित करता है और अपने तथा दूसरे के संवेगों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है।

गोलमैन एवं बोयातिक(1995) 'संवेगात्मक बुद्धि से हमारा तात्पर्य स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता तथा सामाजिक दक्षताओं के सही समय पर प्रभावी ढंग से प्रयुक्त करने की दक्षता है।'

बर औन (1967) 'संवेगात्मक बुद्धि द्धारा वह क्षमता परिवर्तित होता है जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन के पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाता है और जो व्यक्ति की जिन्दगी में जिसने पेशेवर तथा व्यक्तिगत धंधा भी सम्मिलित है, सफलता प्राप्त करने में मदद करता है।'

उद्देश्य:

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयी विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्रों के संवेगात्मक बुद्धि पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्राओं के संवेगात्मक बुद्धि तुलनात्मक पर अध्ययन करना।

परिकल्पना:

H01: उच्च माध्यमिक विद्यालयी विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।

H02: उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्रों के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।

H03: उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्राओं के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।

विधि – प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

परिसीमा – प्रस्तुत अध्ययन में छ.ग. राज्य के दुर्ग जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

न्यादर्श– प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श हेतु दुर्ग जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के दुर्ग जिले में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत 10वीं कक्षा के 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

उपकरण–प्रस्तुत शोध में अध्ययन हेतु एस.के. मंगल एवं शुभ्रा मंगल द्धारा निर्मित संवेगात्मक बुद्धि मापनी उपकरण का उपयोग किया गया है।

सांख्यिकीय उपचार–प्रस्तुत शोध अध्ययन में सांख्यिकीय उपचार हेतु टी-मूल्य ज्ञात किया गया है।

परिणाम एवं विवेचना

परिकल्पना H01 : उच्च माध्यमिक विद्यालयी विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।

उपर्युक्त परिकल्पना की सत्यता की जाँच करने के लिए शोधकर्ता ने मध्यमान, प्रमाणिक विचलन ज्ञात कर टी-मूल्य ज्ञात किया। प्राप्त मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व टी-मूल्य को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी क्रमांक 1: उच्च माध्यमिक विद्यालयी विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि का सांख्यिकीय विवरण

क्र.	समूह	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी-मूल्य
1.	**शहरी विद्यार्थियों**	50	54.82	10.63	0.51
2.	**ग्रामीण विद्यार्थियों**	50	53.72	6.76	
	df = 98		**P>0.05**		

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि शहरी संवेगात्मक बृद्धि वाले विद्यार्थियों का मध्यमान 54.82 तथा प्रमाणिक विचलन 10.63 है। इसी प्रकर ग्रामीण संवेगात्मक बुद्धि वाले विद्यार्थियों का मध्यमान 53.72 तथा प्रमाणिक विचलन 6.76 है तथा t का मान 0.51 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता की कोटि 98 पर 0.05 पर सार्थक अंतर नही है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शोधकर्ता द्धारा प्रतिपादित परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालयी विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया गया। परिकल्पना स्वीकृत हुई।

परिकल्पना H02 उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्रों के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।

उपर्युक्त परिकल्पना की सत्यता की जाँच करने के लिए शोधकर्ता ने मध्यमान, प्रमाणिक विचलन ज्ञात कर टी-मूल्य ज्ञात किया। प्राप्त मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व टी-मूल्य को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी क्रमांक 2 : उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्रों के संवेगात्मक बुद्धि का सांख्यिकीय विवरण

क्र.	समूह	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी-मूल्य
1.	**शहरी छात्रों**	25	52.2	9.61	0.61
2.	**ग्रामीण छात्रो**	25	50.7	7.71	
	df = 48		**P>0.01**		

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि शहरी छात्रों संवेगात्मक बृद्धि वाले विद्यार्थियों का मध्यमान 52.2 तथा प्रमाणिक विचलन 9.61 है। इसी प्रकर ग्रामीण छात्रों संवेगात्मक बुद्धि वाले विद्यार्थियों का मध्यमान 50.7 तथा प्रमाणिक विचलन 7.71 है तथा t का मान 0.61 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता की कोटि 48 पर 0.05 पर सार्थक अंतर नही है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शोधकर्ता द्धारा प्रतिपादित परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्रों के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया गया। परिकल्पना स्वीकृत हुई।

परिकल्पना H03 उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्राओं के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।

उपर्युक्त परिकल्पना की सत्यता की जाँच करने के लिए शोधकर्ता ने मध्यमान, प्रमाणिक विचलन ज्ञात कर टी-मूल्य ज्ञात किया। प्राप्त मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व टी-मूल्य को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी क्रमांक 3: उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्राओं के संवेगात्मक बुद्धि का सांख्यिकीय विवरण

क्र	समूह	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी-मूल्य
1.	**शहरी छात्राओं**	25	50.12	5.91	0.90
2.	**ग्रामीण छात्राओं**	25	60.1	8.47	
	df = 48		**P>0.05**		

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 3 से स्पष्ट है कि संवेगात्मक बुद्धि वाले शहरी छात्राओं का मध्यमान 50.12 तथा प्रमाणिक विचलन 5.91 है। इसी प्रकार संवेगात्मक बुद्धि वाले छात्राओं का मध्यमान 60.1 तथा प्रमाणिक विचलन 8.47 है t का मान 0.90 है जो कि स्वतंत्रता की कोटि 48 पर 0.05 पर सार्थक अंतर नही है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शोधकर्ता द्धारा प्रतिपादित परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्राओं के संवेगात्मक बुद्धि पर सार्थक अंतर नही पाया गया स्वीकृत होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Asthana, b. (2005), measurement and evaluation in psychology and educational, Vinod Pustak Mandir,Agra,630-642.
2. Barodiya, a., & agrawal, n. Methodology educational research and educational statics. Agra: radha prakasan mandir,18-44
3. Singh, A.K. (2008), The Psychology Of Personality Delhi Motilal Varanasi Das Publication,1-17.
4. Singh, R., Sharma, O.P. (2007-08),Educational Research And Statistics, Agra- 2 Agrwal Publication,118-218.
5. Tyagi, Pathak (2009), The Genral Tweory Of Education, Agra Vinod Pustak Mandir, 2-45.
6. Verma, r.(1997-98), educational and vocational guidance,Vinod Pustak Mandir,Agra,97-112.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

ग्लूटेन कितना लाभदायक कितना हानिकारक

डॉ. अर्चना कुकरेती *

*असिस्टेंट प्रोफेसर (गृह विज्ञान विभाग) राजकीय महाविद्यालय बड़कोट, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) भारत

प्रस्तावना - भारतीय भोजन को बिना रोटी के पूरा नहीं माना जा सकता है, भारत मे बडे स्तर पर गेहूं का उपयोग किसी न किसी रूप मे किया जाता है; इसे रोटी, चपाती, पूरी, पराठे के रूप मे आहार का हिस्सा रखा जाता है और इस कारण स्वाभाविक है कि भारतीय भोजन मे ग्लूटेन की अधिकता होती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसका एक कारण यह है कि वर्तमान मे गेहूं के जो बीज बोए जाते हैं वह एक प्रकार के हाइब्रिड बीज हैं। इस प्रकार के बीजों मे भारी मात्रा मे ग्लूटेन व अन्य ऐसे प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें हमारा शरीर आसानी से पचा नहीं पाता है। साधारण शब्दों मे कहा जाए तो ग्लूटेन एक प्रकार का वो लसलसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के अन्दर भोजन को बांधने का काम करता है। यह ग्लूटेन उन लोंगों के लिए नुकसानदायक है जिन्हें या तो गेहूं से एलर्जी है या किसी विशेष भोजन जैसे अण्डा, मूंगफली, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन इत्यादि से। वे लोग जो एक विशेष प्रकार के रोग जिसे सीलिएक रोग कहते हैं, से पीड़ित हैं; इस रोग (सीलिएक रोग) को एक विशेष प्रकार की एलर्जी के रूप मे समझा जा सकता है जिसमे व्यक्ति की रोग-प्रतिरोधक प्रणाली को व आंतों को क्षति हो सकती है। और दीर्घकालिक समय तक यही चलता रहता है तो यह स्थिति निम्न रोगों का कारण बन सकती है-

1. हाईपो/हाईपर थायराईडिस्म
2. ऑस्टियोपीनिया
3. ऑस्टियोपोरेसिस
4. लिम्फोमा

1. थाईराईड संबंधी रोग- थाईराईड का प्रमुख कार्य शरीर मे टी-3 और टी-4 हार्मोन को स्रवित करना है जो शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करता है। थाईराईड गर्दन के अग्रभाग मे कॉलर बोन के ठीक ऊपर तितली के आकार की एक ग्रंथी होती है। यह एक एंडोक्राइन ग्लेण्ड है जिसे नलिकाहीन ग्रंथि भी कहा जा सकता है, जो कि हार्मोन को बनाता है और ग्रंथि के समीप से गुजरने वाली रक्त वाहनियों मे स्रवित करता है। थाईराईड संबंधी बीमारी दो प्रकार की हो सकती है-

अ. हाइपर थायराईडिस्म: इस स्थिति मे सामान्य से अधिक मात्रा मे टी-3 और टी-4 निर्मित और स्रवित होता है।

ब. हाईपो थायराईडिस्म: इस स्थिति मे सामान्य से कम मात्रा मे टी-3 और टी-4 निर्मित और स्रवित होता है।

जीवन-शैली मे सुधार लाकर काफी हद तक थाईराईड को नियंत्रित किया जा सकता है; जैसे, संतुलित आहार, पर्याप्त मात्रा मे आयोडीन का सेवन, तनाव को दूर करने के लिए योग/ध्यान/शारीरिक व्यायाम इत्यादि।

2. आस्टियोपीनिया- यह अस्थियों से जुड़ी एक प्रकार की समस्या है जिसमे मरीज की अस्थियां कमजोर हो जाती हैं व उनकी सघनता कम हो जाती है। यदि आस्टियोपीनिया की स्थिति का समय पर उपचार न किया गया तो यह स्थिति आस्टियोपोरेसिस का रूप ले लेती है।

3. ऑस्टियोपोरेसिस- यह एक ऐसी अवस्था है जिसमे ग्रसित मरीज की अस्थियां कमजोर व नाजुक हो जाती है। ऑस्टियोपोरेसिस मे शरीर निरन्तर हड्डी के ऊतकों का अवशोषण कर उनको बदलता रहता है। इस रोग मे नई हड्डियां उतनी आसानी और तेजी से नहीं बनती हैं जितनी तेजी से पुरानी हड्डी नष्ट होती है। इसे एक प्रकार का चयापचय का रोग कहा जा सकता है जिसके कारण हड्डी के घनत्व मे कमी आने के साथ-साथ हड्डियां नाजुक हो जाती हैं, इस कारण अस्थि-भंग (फ्रेक्चर) होने की अशंका बढ़ जाती है।

4. लिम्फोमा- लिम्फोमा को एक प्रकार का कैंसर कहा जाता है, जो शरीर मे जीवाणु, विषाणु, अन्य सूक्ष्म-जीवी इत्यादि के विरूद्ध रोग-प्रतिरोधात्मक क्षमता उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं मे होता है; अर्थात् यह किसी भी व्यक्ति के शरीर मे रोगाणुओं से लड़ने वाले तंत्र का एक प्रकार का कैंसर है जिसे लसीका तंत्र के रूप मे जाना जाता है। यह मुख्यत: टी व बी प्रकार की कोशिकाओं मे होता है जो कि शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं।

इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति को ग्लूटेन से एलर्जी है तो ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन के कुछ समय बाद ही निम्न प्रकार के लक्षण प्रकट होने लगते हैं-

1. भौहों पर दाने आना।
2. सिर दर्द।
3. मसूड़ों में सूजन और रक्त-स्राव।
4. कब्ज़/दस्त।
5. उल्टी/जी मिचलाना।
6. जोड़ों मे दर्द होना, इत्यादि।

उपरोक्त लक्षण यह स्पष्ट कर देते हैं कि व्यक्ति-विशेष को ग्लूटेन से एक विशेष प्रकार की एलर्जी है। क्लिनिकल न्यूट्रीशनिस्ट और सीलिएक सोसायटी ऑफ इण्डिया के संस्थापक डॉ. इशी खोसला के अनुसार-भारत मे प्रत्येक एक सौ चालीस व्यक्तियों में एक व्यक्ति को सीलिएक रोग से ग्रसित होने का अनुमान है, जो आँत (छोटी) में एक प्रकार की पुरानी

सूजन की बीमारी है।

ग्लूटेन के नुकसान

1. सीलिएक बीमारी: यह रोग प्राय: अनुवांशिक रूप से संवेदनशील व्यक्तियों को होता है जिसमे ग्लूटेन शरीर मे पूरी तरह से पच नहीं पाता है, जिस कारण एक असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है और परिणामस्वरूप छोटी आँत को नुकसान होता है।

लक्षण :

1. दस्त
2. वजन घटना
3. कमजोरी
4. एनीमिया
5. चिड़चिड़ापन
6. उल्टी/जी मिचलाना इत्यादि

2. सूजन/मोटापा: ग्लूटेन के बारे मे एक तर्क यह भी है कि यह शरीर को चर्बी घटाने या वजन घटाने के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इस कारण शरीर मे चर्बी घटाने के लिए लोग ग्लूटेन फ्री डाइट का अनुसरण करते हैं।

3. आँतों पर प्रभाव: ग्लूटेन आँतों की क्रियाशीलता को कम करता है, इस कारण आँतों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ग्लूटेन को आँतों की समस्या से जोड़ कर देखा जाता है।

4. पोषक तत्वों के अवशोषण मे बाधक: ग्लूटेन ट्रिगर पारगम्यता किसी व्यक्ति की आँत से प्रभावित होती है, इसलिए हमारे शरीर मे आँतों का अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाना कठिन हो जाता है।

5. रक्त शर्करा को बढ़ाना: ग्लूटेन का निरन्तर अधिक सेवन करने से रक्त शर्करा लेवल बढ़ जाता है। हमारे शरीर मे रक्त मे मौजूद बायोमार्कर के साथ ग्लूटेन की उपस्थिति के कारण बड़ी मात्रा मे ग्लूटेन के सेवन से टाइप-1 डाइबिटीज़ का खतरा बना रहता है।

6. पाचन संबंधी समस्याएं: ग्लूटेन के अधिक सेवन से पाचन संबंधित रोगों की आशंका बढ़ जाती है; जैसे गैस बनना, अपच, पेट फूलना, कब्ज या दस्त इत्यादि।

ग्लूटेन के लाभ- ग्लूटेन गेहूं में सर्वाधिक मात्रा मे पाया जाता है। गेहूं से बनी रोटी, पूरी, पराठा इत्यादि का प्रयोग हमारे समाज मे बहुतायत मे किया जाता है। ग्लूटेन के अधिक सेवन के कारण नुकसान के साथ-साथ कुछ लाभ भी हैं, जिन पर भी चर्चा करना आवश्यक है-

1. यदि गेहूं से बने आहार को भोजन से हटा दिया जाएगा तो हमे सरलता से उपलब्ध होने वाले पोषक तत्वों से वंचित होना पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों को सीलिएक रोग नहीं है और वे ग्लूटेन मुक्त आहार का सेवन करते रहते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे लौह, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन डी उचित मात्रा मे नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण उनके शरीर मे इन पोषक तत्वों की कमी बन जाती है।
2. शोध के आधार पर यह बात भी सामने आई है कि जिन लोगों के समूह को ग्लूटेन से किसी प्रकार की कोई दिक्कत/एलर्जी नहीं है और वे गेहूं का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनमे हृदय की बीमारी का जोखिम बढ़ जाता है।
3. एक अन्य अध्ययन के अनुसार ग्लूटेन युक्त भोज्य पदार्थ के सेवन से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है।

ग्लूटेन का विकल्प- ग्लूटेन के विकल्प पर चर्चा की जाए तो गेहूं के स्थान पर निम्न भोज्य पदार्थ का सेवन किया जा सकता है:

1. आलू का स्टार्च या आटा।
2. मक्का का स्टार्च या आटा।
3. साबूदाने का आटा।
4. चावल का आटा।
5. बाजरे का आटा।
6. रागी का आटा।
7. सिंघाड़े का आटा/कुट्टू का आटा।
8. सोयाबीन का आटा।
9. चने का आटा।
10. अण्डे इत्यादि ग्लूटेन मुक्त आटे का विकल्प बन सकते हैं।

ग्लूटेन से एलर्जी के कारण- कुछ विशेष लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होने का कोई विशेष कारण नहीं ज्ञात है। यदि किसी व्यक्ति को ग्लूटेन से एलर्जी के लक्षण दिखाई दें तो उसके आहार मे से ग्लूटेन (गेहूं) युक्त भोज्य पदार्थ को तुरन्त ही बंद कर देना चाहिए और ग्लूटेन के स्थान पर डोसा, पोहा, बाजरे/रागी/मक्के की रोटी के साथ-साथ साबूदाने या ब्राउन राइस से बने आहार को भोजन मे सम्मिलित करना चाहिए।

बच्चों मे ग्लूटेन एलर्जी होने पर आहार परिवर्तन के समय कुछ विशेष बातों को ध्यान मे रखकर आहार आयोजन करना चाहिए।

1. अनजाने मे आहार मे ग्लूटेन युक्त भोज्य पदार्थ के शामिल हो जाने से बच्चे को जो लक्षण आयेंगे उनके प्रति माता-पिता को विशेष जागरूक रहना चाहिए।
2. उन भोज्य पदार्थों की सूची तैयार करनी चाहिए जो बच्चे के लिए रूचिकर हो।
3. बच्चे को उनकी एलर्जी की समस्या के संबंध मे सही जानकारी उचित तरीके से समझानी चाहिए ताकि बच्चा इस समस्या को अपने जीवन का यथार्त स्वीकार करते हुए ग्लूटेन युक्त भोज्य पदार्थ का स्वयं अपनी इच्छा से त्याग कर सके।
4. बच्चे को बाजार की मिठाई इत्यादि से दूर रखना चाहिए; इसके स्थान पर घर की बनी खीर, कस्टर्ड इत्यादि दी जा सकती है।
5. चिकित्सक से आवश्यक परामर्श लें जिससे समस्या का मूल कारण ज्ञात हो सके। बच्चों मे आँतों मे परजीवी कीटाणुओं, विषाणुओं के संक्रमण या फ्रक्टोस/लैक्टोज़/मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे कुछ विशेष पदार्थों से भी एलर्जी हो सकती है।

ग्लूटेन मुक्त आटे के विभिन्न विकल्प- निम्न प्रकार के आटे का प्रयोग ग्लूटेन फ्री आटे के विकल्प के रूप मे सरलता से किया जा सकता है। और इस प्रकार के आटे पोषक तत्वों की दृष्टि से भी अधिक उपयुक्त होते हैं।

1. बेसन (चने की दाल का आटा): बेसन एक प्रकार से चने की दाल का बना आटा है जिससे मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, जिंक, पोटेशियम इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के नमकीन और मीठे व्यंजन बनाने मे किया जाता है।

2. चावल का आटा/ब्राउन राइस आटा: यह चावल से पीसकर तैयार किया गया आटा है। ब्राउन राइस सामान्य चावल की तुलना मे स्वास्थ्य वर्धक होता है क्योंकि यह बिना पॉलिश किया होता है। चावल मे कुछ मात्रा मे प्रोटीन व अधिक मात्रा मे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके आटे से रोटी,

चीला, पैन केक, डोसा व अन्य मीठे और नमकीन व्यंजन बनाए जा सकते हैं।

3. कुट्टू का आटा: सिंघाड़े को पीसकर यह आटा तैयार किया जाता है। इसके आटे से पैन केक, रोटी, पराठा, पूरी, ढोकला, पकौड़ा आसानी से तैयार किये जा सकते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से नवरात्री मे व्रत मे किया जाता है। इसमे मुख्य रूप मे प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह फाइबर व लवण की प्राप्ति का अच्छा स्रोत है।

4. सोयाबीन का आटा: यह हल्के पीले रंग का आटा होता है जो सोयाबीन की दाल को पीसकर तैयार किया जाता है। यह प्रोटीन, कैल्शियम, लौह, विटामिन ए व बी की प्राप्ति का अच्छा स्रोत है।

5. चौलाई/रामदाना का आटा: रामदाना 'अमरनाथ' के पौधे का बीज है। यह प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन की प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। यह रफेज़ की प्राप्ति का भी अच्छा स्रोत है। इसके आटे से लड्डू, पूरी, पराठा, थेपला आदि व्यंजन बनाए जाते हैं।

6. बाजरे का आटा: बाजरे का आटा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फॉलिक एसिड की प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। बाजरे की रोटी उन लोगों के लिए लाभदायक है जिन्हें एसिडिटी की समस्या रहती है। बाजरे के आटे से विभिन्न प्रकार की रोटी, नॉन, लड्डू तैयार किये जाते हैं।

7. रागी का आटा: रागी को उत्तराखण्ड मे मंडुवा/कोदा इत्यादि नामों से जाना जाता है। बीज के रूप मे इसे कोदा कहा जाता है। यह प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन की प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। यह हल्के भूरे रंग का आटा होता है। इससे रोटी, डोसा, पराठा, पैन केक, बिस्कुट व अन्य मीठे व्यंजन (मिठाइयांर) बनाये जाते हैं।

9. ज्वार का आटा: यह आटा ज्वार के दानों को पीसकर तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान मे अधिक किया जाता है। इसके बीज दिखने मे सफेद व पीले रंग के होते हैं। ज्वार के आटे से रोटी, पराठा, पूरी, ढोकला, पकौड़े तैयार किये जाते हैं।

उपरोक्त प्रकार के सभी आटे को गेहूं का अच्छा विकल्प माना जा सकता है। गेहूं से तैयार रोटी को भोजन मे सम्मिलित करने से व्यक्ति को एक प्रकार की मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि गेहूं के आटे से तैयार रोटी का प्रयोग व्यक्ति बहुत लम्बे समय से कर रहा है और गेहूं से तैयार रोटी के बिना भारतीय भोजन की कल्पना भी असंभव है। रोटी से प्राप्त होने वाली मानसिक सन्तुष्टि को उपरोक्त प्रकार के आटे से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकार के आटे का प्रयोग उन लोगों के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट का अच्छा विकल्प होने के साथ–साथ अन्य पोषक तत्वों व रफेज की प्राप्ति का भी अच्छा स्रोत है जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी है। और इन्हें सरलता से गेहूं के विकल्प के रूप मे आहार मे शामिल किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://translate.google.com>trans-Gluten
2. hhttps://www.myupchar.com
3. https://www.thehealthsite.com>diet
4. https://hindi.news18.com>lifestyle
5. hhttps://www.livehindustan.com
6. hhttps://helloswasthya.com
7. hhttps://navbharattimes.indiatimes.com
8. hhttps://www.lybrate.com-Osteopenia
9. https://www.fhs.gov.hk- महिलाओं मे ऑस्टियोपोरेसिस
10. https://helloswasthya.com- लिम्फोमा क्या है? जाने इसके कारण, लक्षण, उपाय
11. https://www.logintohealth.com लिम्फोमा क्या है
12. https://helloswasthya.com>osteop
13. https://www.onlymyhealth.com ऑस्टियोपीनिया व आस्टियोपोरेसिस

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

'आधे-अधूरे' : मध्यवर्गीय समाज का आधुनिकता बोध

डॉ. रंजना मिश्रा*

* प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – नाटक मनुष्य के नैतिक और चारित्रिक विकास में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि साहित्य की इस विधा में शिक्षण और अनुकरण दोनों ही रीतियों से जनमानस को सन्देश प्रेषित होता है। नाटक का कथानक ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक कैसा भी हो, उसमें किसी न किसी रूप में समाज के किसी न किसी अंग का वर्णन अवश्य मिल ही जाता है, इसीलिए दर्शक और पाठक का कलाकार की भूमिका से तादाम्य स्थापित होता है, नाटक में घटित घटनायें और वातावरण दर्शक को अपने जीवन का ही लगता है यहीं वह शिक्षा ग्रहण करता है और अपना सर्वांगींण विकास करता है।

साठोत्तरी नाटक जीवन में अकेलेपन, रिक्तताबोध, मानवीय संबंधों की जड़ता को अभिव्यक्ति देने वाले विषयों से संबंधित हैं। स्त्री-पुरुष के बदले हुए संबंधों, व्यक्तियों की क्लांत मनोदशा और अकेलेपन की पीड़ा इन नाटकों की विषयवस्तु रही है।

मोहन राकेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। जो व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षपाती हैं। अपने-आपको एक स्वतंत्र कलाकार के साँचे में ढालने के लिए उन्हें कठोर संघर्ष करना पड़ा था। यही विद्रोह की चिन्गारी उनकी रचनाओं में प्राण स्फूर्त करती है। उनका बहुमुखी गद्य लेखन परम्परा का अन्धानुकरण नहीं बल्कि मौलिकता का सृजन है। 'आधे-अधूरे' मोहन राकेश की तीसरी नाट्यकृति है, जिसमें समाज की विसंगतियों से जूझने का सीधा प्रयास किया गया है। आधुनिक युग के पूर्ण नाटकों की कड़ी में यह अंतिम नाटक है, जो सन् 1969 ई. में प्रकाशित हुआ। नाटककार का विषय चयन इतना उत्कृष्ट है, जो अनेक मध्यमवर्गीय परिवारों को अपने जीवन की कथा-सा प्रतीत होता है और नाटक में अभिव्यक्त मूल्यसंकट आज के समय और समाज की महती समस्या है। आधे-अधूरे मध्यवर्गीय जीवन की विडम्बना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है जिसमें प्रमुख रूप से विघटन की प्रक्रिया का अंकन है। यह विघटन व्यक्ति, परिवार, समाज और देश में सर्वत्र व्याप्त है। नाटक का नायक महेन्द्रनाथ अपने अधूरेपन को भरने के लिए विवाह करता है, परन्तु नायिका सावित्री जिस पूर्ण पुरूष की तलाश में है, वह महेन्द्रनाथ में नहीं खोज पाती, पूर्णता की खोज में भटकती वह जिन चार पुरूषों के सम्पर्क में आती है, सब उसे अधूरे प्रतीत होते हैं सबमें उसे कोई न कोई कमी दिखाई पड़ती है और अंतत: वह इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि पूर्णता किसी में नहीं है, सब आधे-अधूरे हैं।

राकेश जी को व्यक्तिगत जीवन में अत्यधिक आर्थिक विपन्नताओं और अनवरत् संघर्षों का सामना करना पड़ा। वे अपनी बात कहते हैं- 'घर में शीलन रहती है। नालियों से बदबू उठती है। सीढ़ियाँ अँधेरी हैं। घर में दम घुटता है। अन्दर गली में भाग जाता हूँ, पकड़कर लाया जाता हूँ। घर में बन्द रखा जाता हूँ रो-रोकर बीमार हो जाता हूँ।' यह घुटन, यह दबाव और मुक्ति की छटपटाहट 'आधे-अधूरे' नाटक में सर्वत्र अभिव्यक्त है। उनका यथार्थ बोध, परिस्थितियों से जूझने की अदम्य क्षमता और मुक्ति की छटपटाहट उनके पारिवारिक घुटन भरे वातावरण की ही देन है, जो उनके इस नाटक में सर्वत्र अभिव्यक्ति पाती है। अतिमहत्वाकांक्षी आधुनिक स्त्री की प्रतीक सावित्री जीवन के सभी भौतिक सुख-साधनों को संचित करना चाहती है। अथक प्रयासों के बावजूद उसका पति उसकी महत्वाकांक्षा को पूर्ण नहीं कर पाता। पति महेन्द्रनाथ के इस असामर्थ्य को उसका अधूरापन मानकर सावित्री पति का परित्याग कर अन्य पुरूषों की ओर आकृष्ट होती है किन्तु फिर भी उसकी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती। वह जिसके भी सम्पर्क में आती है, उसे किसी न किसी दृष्टि से अधूरा पाती है तब उसे लगता है - 'सब के सब एक से हैं। अलग-अलग मुखौटे पर चेहरा? चेहरा सबका एक ही।' सावित्री के सम्पर्क में आया चौथा पुरूष मि. जुनेजा कहता है - 'तुम्हें लगता है तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाँये से हटकर बायें, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने में क्या सचमुच कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें?' सम्पूर्ण नाटक में इसी टूटन, बिखराव की अभिव्यक्ति हैं यह टूटन व्यक्ति से शुरू होती है और फिर पूरे समाज को अपने में समेट लेती है। अधूरापन कहाँ नहीं है व्यक्ति, परिवार, समाज सर्वत्र इसे देखा जा सकता है। आज चारों ओर असंतोष, अविश्वास, संशय व्याप्त है। नाटक का प्रत्येक पात्र खण्डित व्यक्तित्व लिये है। पति-पत्नी के बीच का तनाव एक आम बात है। इस नाटक के नायक-नायिका में यह तनाव इस सीमा तक है कि घर बिखरने की नौबत आ गई है, बड़ी लड़की घर से भाग चुकी है, छोटी इतनी गुस्ताख है कि माता-पिता की कोई बात नहीं मानती, लड़का बेरोजगार है और बाप भी बेकारी झेल रहा है। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी नायिका सावित्री के कन्धों पर है, क्योंकि वह नौकरी करती है। इस घर में एक नया आदमी आता है, जो स्त्री के खालीपन को भरने का प्रयास करता है, उसके अधूरेपन को पूर्णता में बदलना चाहता है पर स्त्री को उसमें भी कहीं न कहीं अधूरापन दिखाई देता है।

'आधे-अधूरे' नाटक का मूल उद्देश्य वर्तमान मध्यवर्गीय जीवन की विसंगति को प्रस्तुत करना है। नाटक का प्रत्येक पात्र दूसरों को अधूरा और अपने को पूर्ण समझता है। नाटक में चित्रित परिवार के स्त्री, पुरूष, बच्चे

सभी अपने-अपने ढंग से जीते हुए अपनी कामनाओं एवं आकांक्षाओं का बोझ लिए हुए टूटते बिखरते हैं। वे अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, इसीलिए क्रियाहीन हैं। सभी में अविश्वास, कुण्ठा, संशय, हीनताबोध एवं विघटन के भाव हैं। सब अपने-अपने अस्तित्व के प्रति सजग हैं और अधूरेपन का भाव लिए जी रहे हैं। नायिका सावित्री का तर्क है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधूरेपन को भरने के लिए पूर्णता की तलाश में विवाह करता है, घर बसाता है किन्तु विवाह करने के बाद यदि ऐसा लगे कि उसका अधूरापन अभी भी ज्यों का त्यों है और लोग उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मन में तीव्र आक्रोश पैदा होता है। सावित्री को लगता है कि उसका पति महेन्द्र यही कर रहा है। सावित्री के सम्पर्क में आया हुआ चौथा पुरूष जुनेजा अच्छी तरह जानता है कि सावित्री अस्थिर बुद्धि वाली नारी है और एक जगह टिककर रहना उसके लिए सम्भव नहीं है। वह सावित्री से साफ कहता है- 'तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है - कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह न मिल पाता, इसलिए जिस किसी के साथ भी जिन्दगी शुरू करतीं, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बैचेन बनी रहतीं।'

बहुत कुछ पाने के लालच में व्यक्ति प्राप्त को भी खो देता है। सावित्री के मन का विश्लेषण करते हुए मि. जुनेजा उसे समझाते हैं कि तुम अपनी मुट्ठी में कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थीं। परिणाम यह हुआ कि तुम्हारी मुट्ठी में जो था वह भी धीरे-धीरे फिसलता गया। पूर्ण पुरूष की तलाश में भटकती सावित्री का पति भी उसे छोड़कर चला गया। सावित्री के मन में एक भय और भटकन व्याप्त हो गई, उसका मन शंकालु हो गया, असुरक्षा की भावना उसके मन में व्याप्त हो गई।

नाटककार ने सावित्री-महेन्द्र के कथानक के माध्यम से मध्यवर्गीय भारतीय परिवारों के विघटन को अभिव्यक्त किया है। आधुनिकता बोध को इस नाटक में कई रूपों में देखा जा सकता है। अस्तित्ववादी जीवनदर्शन के साथ युगीन परिवेश की यथार्थ अभिव्यक्ति नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। पारिवारिक सदस्यों के केवल एक साथ रहने से परिवार नहीं बनते, वे एक-दूसरे के सुख-दुख, आशा, आकांक्षाओं में सहभागी बनते हुए एक परिवार बनाते हैं। 'आधे-अधूरे' में वर्णित परिवारजन घर के भीतर होकर भी घर से बाहर हैं। सबको व्यर्थता एवं रिक्तता का बोध होता है। नाटककार ने आधुनिक युग को हर दृष्टि से इस कृति में साकार करने का प्रयास किया है। नाटक की प्रस्तावना भी आधुनिकबोध को स्पष्ट करती है। नाटक के पात्र ही नहीं बल्कि नाट्यशिल्प भी आधुनिकता बोध से समग्रत: जुड़े हैं। नाटक में बौद्धिकता और अतिआधुनिकता अपने चरम पर है। यह युग के अधूरेपन को भी अभिव्यक्त करने में सफल कृति है।

मोहन राकेश एक कुशल नाट्य शिल्पी थे। वे रंगकर्म के विशेषज्ञ थे, अत: उन्होंने अपनी सभी नाट्य कृतियाँ रंगमंच की दृष्टि से लिखी हैं तथा रंगमंच पर इन्हें सफलतापूर्वक अभिनीत भी किया जा चुका है। इस नाटक के शिल्प में नवीनता, सांकेतिकता एवं बिम्बधर्मिता दिखाई पड़ती है। मोहन राकेश के नाटकों का शिल्प वेजोड़ है। रंगमंच की दृष्टि से यह पूर्ण सफल नाटक है। संवाद, भाषा, प्रस्तुतीकरण, दृश्य संकेत, रंग निर्देश, छाया-प्रकाश आदि सभी दृष्टियों से राकेश जी के नाटक रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किये जाने योग्य है।

भाषा की दृष्टि से आधे-अधूरे एक प्रयोगधर्मी नाटक है राकेश जी के नाटकों की भाषा सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण एवं पात्रानुकूल है। राकेश जी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों की शक्ति को पहचान कर ही उनका प्रयोग भाव एवं विचार की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। इसमें संवाद भले ही लम्बे-लम्बे हों लेकिन वे इस प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं कि उनसे कहीं भी दर्शक को असहज स्थिति का बोध नहीं होता। 'आधे-अधूरे' आज भी भाषा की दृष्टि से हिन्दी नाटकों में मील का पत्थर माना जाता है। भाषा के प्रति राकेश जी कितने सजग थे इसका पता निम्न कथन से चलता है- 'लगता है दिमाग में एक जंगल उभर आया है। कुछ ऐसा है जो गहरे सूनेपन के अन्दर से भी एक अर्थ का आभास देता रहता है।'

आज का जीवन जिन अनेक प्रकार की विसंगतियों के फलस्वरूप अधूरेपन की अनुभूतियों से भर चुका है, विशेषत: काम और अर्थ के संबंध में, उसे ही जीवन्त पात्रों के माध्यम से रूपायित करने की चेष्टा नाटककार ने की है। मनोविश्लेषण के आधार पर मध्यवर्गीय परिवार में व्याप्त कलह एवं कुण्ठा की अभिव्यक्ति की है। यह बात जानते हुए भी कि सब कुछ एक साथ, एक जगह एक व्यक्ति में नहीं मिल सकता, सावित्री अपने पति को अपूर्ण समझती है। केवल वही नहीं बल्कि परिवार का प्रत्येक सदस्य पारिवारिक सुख से वंचित एक अजीब सी घुटन बैचेनी और अकेलेपन के घेरे में भटक रहा है। जीवन के प्रति एक स्वस्थ, सरल दृष्टिकोण ही पति-पत्नी का अधूरापन दूर करता है और उन्हें सही मायने में पूर्ण बनाता है। अपने-आप को परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूल बनाना एवं प्रत्येक स्थिति में अपने परस्पर व्यवहार को संयत रखना मानवीय विकास का सर्वोपरि लक्षण है। यही सन्देश-प्रेषण मोहन राकेश का प्रमुख उद्देश्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आधे-अधूरे - मोहन राकेश
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास - डॉ. नगेन्द्र

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

शिष्यों के प्रति प्रेमानुराग : विश्वनाथ त्रिपाठी

अतुल कुमार *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई यह किताब हिन्दी साहित्य जगत में संस्मरण विधा में अद्वितीय है। त्रिपाठी जी के संस्मरण कुछ अलग तरह के संस्मरण है बहुत सारे रचनाकारों ने अपने अध्यापकों के बारे में संस्मरण लिखा है परन्तु त्रिपाठी जी ने अपने शिष्यों पर संस्मरण लिखा। मेरी जानकारी में संभवत: यह हिन्दी की पहली रचना है। इस किताब में कुल सत्तरह अध्याय हैं, लेखक ने किताब का प्रारंभ अपने प्रारंभिक गुरू पंडित रच्छाराम गुरू को स्मरण करते हुए लिखा है। इसके साथ ही विश्वनाथ त्रिपाठी के अध्यापकीय जीवन में उनके संपर्क में आये छात्र-छात्राओं के स्मृतियों को इस पुस्तक में लिखा गया है।

त्रिपाठी जी ने अपने इस किताब के प्रथम अध्याय में शिष्यों से पहले गुरू वंदना की, जिसमें उनके प्रारम्भिक गुरू गाँव के गया प्रसाद शिवाला पाठशाला के रच्छाराम पंडित की वंदना की है। संस्मरणकार ने इस अध्याय में अपने गुरू की सहजता, सरलता एवं प्रेमानुराग को चित्रित करते हैं। त्रिपाठी जी यह भी बताते हैं कि इस पाठशाला में विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन जिन लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे वे तीज-त्योहार पंडित जी को सीधा एवं भोजन करा देते थे। लेखक ने यह भी बताया है कि उस समय पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले पाठ को गाने के लय में पढ़ाया जाता था। त्रिपाठी जी ने एक घटना का भी जिक्र करते है कि एक बार मैं स्कूल से दोपहर में घर लौटा तो पिताजी खाना खा रहे थे, उन्होनें पूछा कहाँ गये थे तो मैंने झट से कहा – पाठशाला। उन्होनें पूछा कि क्या पढ़ा तुमने तो मैंने गीत की रपटीली लय में बोला – **'या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा, छ, त्र, ग्या।' (पृ. सं. 14)** यह सुनकर माँ और पिताजी बहुत हँसे। त्रिपाठी जी ने इस अध्याय में अपने कुछ ऐसे सहपाठियों का भी जिक्र करते हैं जो संपन्न परिवार से थे, जिनके कपड़े और जूतों को देखकर संस्मरणकार उन चीजों की कल्पना करता। अध्याय के अंत में त्रिपाठी जी ने अपने गुरू की सहृदयता एवं विद्यार्थियों से लगाव को रेखांकित किया है, और बताते हैं कि **'एक बार मैं बीमार पड़ गया। दो-तीन दिन तक स्कूल नहीं गया। चौथे या पॉचवे दिन पंडित रच्छाराम मेरे घर आये और अगले दिन मेरे घर आकर मुझे अपने साथ स्कूल ले गये।' (पृ. सं. 16)** एक बार मैं बीमार पड़ गया था। दो-तीन दिन पाठशाला नहीं गया, चौथे या पांचवे दिन स्वयं पंडित इच्छाराम उनसे मिलने घर आ गये।

दूसरे अध्याय में त्रिपाठी जी ने बताया कि बचपन में मुझे मास्टर बनने का बहुत शौक था। जिसकी शुरूआत मैंने अपने घर से ही शुरू किया। मैंने अपने छोटे भाई शेर सिंह (चन्द्रकलाधारी त्रिपाठी) को पढ़ाना शुरू कर दिया। बचपन में मुझे मास्टर का मतलब एक ही पता था – छड़ीवाला व्यक्ति। त्रिपाठी जी बताते हैं कि मैंने अपने पहले शिष्य अर्थात् छोटे भाई को जान बूझकर गुणा-भाग का एक कठिन सवाल दिया कि वह न लगा सके। फिर इसके बाद मैं अपनी मास्टरी झाड़ सकूँ। अंत में जब छोटे भाई ने सवाल गलत कर दिया तो मैंने बॉस की पतली कैनी से उसके पीठ में दो-तीन लगाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि माँ से डाँट सुननी पड़ी और शाम को पिताजी से पिटते-पिटते बच गये।

दूसरी घटना बनारस की है, जब मैं अपने गुरू हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ गया तो उन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति देखते हुए ट्यूशन पढ़ाने की सलाह दी। परन्तु बाद में यह हुआ कि मैं यहाँ किसी को जानता तो नहीं, तब गुरूदेव ने कहा तुम मेरे दोनों बेटों को पढ़ाओ। द्विवेदी जी के दो बेटे थे, बड़े का नाम लालजी (मुकुन्द) और छोटे गिप्पी (सिद्धार्थ) इनको पढ़ाना तो मेरे लिए और भी अच्छा था। एक तो आर्थिक और दूसरा गुरूदेव के घर रोज आना-जाना और साथ ही ज्ञान की बातों को सीखने का भी अवसर मिला। अगले दिन से मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने लगा 'गिप्पी' तो सरल और सहज था परन्तु 'लालजी' पढ़ाई के समय अपने पराक्रम-कथाएँ, यार-दोस्तों की बात करता। एक बार मैंने उसका कान पकड़कर खींचा, वह बहुत गुस्सा हो गया और मुझे अपने दोस्तों से पिटवाने के लिए धमकी दिया। विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने इस अध्याय में अपने जीवन के इन दो घटनाओं का वर्णन किया, जिसमें मास्टर साहब बनने की लालसा ने उन्हें पिटते-पिटते बचाया।

इस अध्याय में त्रिपाठी जी ने अध्यापन की पहली नौकरी के अनुभव को व्यक्त किया है, जिसमें त्रिपाठी जी पहली नौकरी डी.एस.बी. गवर्नमेंट कॉलेज, नैनीताल में मिली। इस समय तक इनका विवाह हो चुका था। त्रिपाठी जी पहली बार नैनीताल जा रहे थे तो रास्ते में अद्भुत सौंदर्य को देख उनका हृदय द्रवीभूत हो गया था। लेकिन जब नैनीताल पहुँचे तो इनका कॉलेज ऊँची पहाड़ियों में स्थित था, जहाँ बहुत मेहनत से चढ़ना संभव होता था। त्रिपाठी जी बताते हैं कि कॉलेज में मैं पहली क्लास लेने गया तो उससे पहले ही सहयोगियों ने सचेत कर दिया था कि क्लास में एक लड़का है – चन्द्रशेखर चंदोला। वह बहुत शैतान है और नये अध्यापकों के लिए तो 'टेरर' है। पहली क्लास लेने के लिए कक्षा में प्रवेश किया तो पहली ही क्लास में मेरा सामना उसी शरारती छात्र से हुई। त्रिपाठी जी कक्षा में जिस समय 'रामचन्द्रिका' पढ़ा रहे थे, उसी समय उसने एक प्रश्न पूछा – **'सर, कवि कहते हैं कि धर्म-कर्म के काम पत्नी के साथ किए जाते हैं। पत्नी के साथ और कौन-कौन से धर्म-कर्म के काम किए जाते हैं ?' (पृ. सं. 23)** इसके

बाद कक्षा में सभी विद्यार्थी खूब हँसे और मैं क्लास से बाहर आ गया। उस छात्र के व्यवहार ने मेरे मन में एक गहरा दु:ख भर दिया। नैनीताल आते-आते उन्होंने जो प्राकृतिक सौंदर्य देखा, वह उनके मन को आकर्षित किया था वह सब टूट गया। बनारस याद आने लगा था और अध्यापक बनने का रोमांच चूर-चूर हो रहा था।

चौथे अध्याय में त्रिपाठी जी ने दिल्ली में स्थित आर्ट्स फैकल्टी, डेल्ही स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हिन्दू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज आदि का वर्णन तथा छात्र-छात्राओं के पहनावे और रहन-सहन की बात बताई गई है। आजादी के बाद नेहरू युग आया और कवियों और लेखकों ने समाज के यथार्थ स्वरूप को जनता के सामने लाने का काम किया है। पाँचवें अध्याय में त्रिपाठी जी ने सन् 1959 में जब वे दिल्ली आये और उनकी नियुक्ति करोड़ीमल कॉलेज में हुई। कॉलेज में छात्र-छात्राओं की संख्या काफी थी, मेरे पदभार ग्रहण करने के थोड़े ही दिन बाद हिन्दी विभाग के अध्यापक एवं छात्र-छात्राओं की पिकनिक ले जाने की तैयारी हुई और मैं पहली बार हरियाणा के एक गाँव ज्योती-कला को देखा। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस अध्याय में यह भी बताया कि हिन्दी में लड़कियों की संख्या अधिक थी और हिन्दी विषय वही छात्र/छात्रायें लेते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे। इस विषय पर हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भण्डारी ने खूब रस लेकर कहा कि - **'अंग्रेजी की, हिस्ट्री की, पॉलीटिकल साइंस की छात्राएँ ऊँचे घरों से आती हैं। उनके पास कारें होती हैं, ... इधर हिन्दी वाली छात्राएँ हैं। इनमें से किसी का बाप रेहड़ी लगाता है, कोई दर्जी है, कोई धोबी, किसी की परचून की दुकान है, किसी की मूंज वाली खाट की। ये किसी अध्यापिका की क्या मदद कर सकती हैं ?'** (पृ. सं. 39) त्रिपाठी जी बताते हैं कि मेरे क्लास में एक लड़का ठण्डी के दिन में कम्बल ओढ़कर और साथ ही दिल्ली मिल्क स्कीम की चार बोतलें लाता था।

त्रिपाठी जी ने यह भी बताया है कि हिन्दी के छात्र-छात्राओं में गुरू के प्रति सम्मान एवं आत्मनिष्ठता देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य किसी भी विषय के छात्र-छात्राओं में दुर्लभ मिलता है। करोड़ीमल कॉलेज रंगमंचीय गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था, अन्य विषय के छात्र/ छात्राएँ हिन्दी विभाग में आयोजित बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल होते।

विदाई समारोह का जैसा आत्मीय एवं भव्य समारोह का आयोजन हिन्दी विभाग में होता है, वैसा अन्य किसी भी विभाग में नहीं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने यह भी बताया कि जितना सहयोग की भावना हिन्दी के छात्र-छात्राओं में देखने को मिलता है वैसा किसी अन्य विषयों में नहीं। त्रिपाठी जी ने विद्यार्थियों के जीवन को बहुत नजदीक से देखा, उन्होंने बताया कि विद्यार्थी नौकरी पाने के लिए इतना कठिन संघर्ष करते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उनका जीवन कारागार में व्यतीत हो रहा हो, जहाँ वे अपने सारे सुख का होम कर देते हैं। साथ ही कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो अध्यापक के संपर्क में आते हैं और फिर धीरे-धीरे घर आना और फिर गुरू माता की सेवा आदि कार्य करके नौकरी प्राप्त की लालसा रखते।

त्रिपाठी जी ने बताया कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे भी छात्र आये जिन्हें जुगाड़ छात्र कह सकते हैं, जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रोफेसरों के आगे-पीछे घूमते थे, इसमें उनका दोष नहीं था, दोष था तो सिस्टम का। क्योंकि उस समय यही सब चल रहा था।

इस अध्याय में त्रिपाठी जी ने जब पहली बार सन् 1959 ई. में दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में पदस्थ हुए, तो उस समय प्राचार्य के रूप में डॉ. सरूप सिंह थे। त्रिपाठी जी से डॉ. सरूप सिंह का व्यवहार अत्यंत सहज एवं सरल था। एक बार मैंने प्राचार्य महोदय से कुछ पैसे माँगे, जिससे वे अपने पत्नी को इलाहाबाद से यहाँ ला सकें। तो प्राचार्य महोदय ने कहा कि भाई नौकरी ज्वॉइन करते ही उधार मांगना शुरू कर दिये, तुम तो बड़े काम के आदमी निकले यह कहकर सर ने क्लर्क से पैसे दिलवा दिया।

इस अध्याय में विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिन्दी विभाग को और वहाँ पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अन्य विभागों के छात्र-छात्राओं से अलग माना। त्रिपाठी जी का मानना है कि हिन्दी विभाग के छात्र एवं अध्यापकों के बीच में घनिष्ठ संबंध रहता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग का ऐसा वातावरण था कि मैं स्वयं तीसरे पहर छात्रों के साथ बैठकर गप मारता था। इसी दौरान श्रीप्रकाश नाम का एक छात्र मेरे पास आया और दु:खी होकर बोला कि - **'मुझे कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता। लोग दर्शनीय शिष्यों के सुपरवाइजर बनना चाहते हैं। मैं हकलाता हूँ, लोग पीछे मुझे मेंटल कहते हैं। मैं क्या करूँ ? आप मुझे अपने निर्देशन में रख लीजिए। मैंने पता लगा लिया है, आपके पास जगह खाली है।'** (पृ. सं. 77) इस तरह के छात्र मेरे अध्यापन काल में आये जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। कुछ ऐसे भी छात्र आये जो पढ़ने-लिखने में अच्छे थे परन्तु मेरे अध्यापकीय जीवन में कई छात्र-छात्राओं की मौत का समाचार सुनने को मिला, जिसे सुनकर मन दु:ख से बैठ जाता है। शिक्षक छात्रों के माँ-बाप तो नहीं होते, लेकिन वे इन रिश्ते से भी बढ़कर होते हैं।

बारहवें अध्याय में विश्वनाथ त्रिपाठी ने बताया कि आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ जिसका प्रभाव उच्चतर कक्षाओं में देखने को मिल जाता है। हरिशंकर परसाई के शब्दों में कहें कि नौकरी शुरू करते ही लड़की, लड़का हो जाती है। त्रिपाठी जी ने इसमें यह भी बताया है कि अब लड़कियाँ भी लड़कों से आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार अध्यापन काल में कई छात्राएँ त्रिपाठी जी के संपर्क में आई जिनमें - उषा, शशि आदि। जिनके व्यक्तित्व एवं गुणों से प्रभावित होकर आगे बढ़ने का भी आशीर्वाद दिया। एक छात्रा शशिबाला शर्मा जो जीवन के विषम परिस्थितियों से भी हार नहीं मानी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि 'जो अस जरा, सो कस नहीं महकै' (जो इतना जला है, वह ऐसी सुगन्धि क्यों न बिखेरे!) अर्थात् जिसने अपने आपको जितना तपाया है संघर्ष किया है, वह उतना ही चमका है।

तेरहवें अध्याय में त्रिपाठी जी ने सन् 1980 में दिलशाद गार्डन में जब फ्लैट लिया और उनके अध्यापकीय जीवन में दीपक नाम के छात्र पर आधारित है, जो स्वयं त्रिपाठी जी के यहाँ किराये में रहता था। दीपक सिद्धांतवादी छात्र था, उसे यदि यह पता चल जाये कि शादी में दहेज लिया गया है तो वह किसी की भी शादी हो वह नहीं जाता। त्रिपाठी जी कहते हैं कि छात्र कई तरह के होते है, परन्तु सच्ची बात यह है कि अच्छे अध्यापक छात्रों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आचार-विचार और चरित्र में अपने अध्यापकों से बेहतर होते हैं। बाद में दीपक की नियुक्ति अध्यापक के रूप में हिन्दू कॉलेज में हुई। एक बार की बात है, हिन्दू कॉलेज में किसी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था, उसमें मैं भी था। संगोष्ठी का संचालन दीपक ही कर रहा था। कार्यक्रम के अंत में दीपक बोला कि - **'हमारे गुरूओं ने हम पर अपनी विचारधारा कभी नहीं लादी। उन्होंने हमें आलोचना का अधिकार भी दिया। उन्होंने अपने प्रति की गई हमारी आलोचना को सहन किया।'** (पृ. सं. 92)

ऐसी ही दीपक से जुड़ी हुई बहुत सी घटनाएँ याद आती है, जिनमें एक बहुत ही रोचक घटना है कि जब बेटियों की शादी हो गई तो घर में हम दोनों पति-पत्नी ही रहते थे, लेकिन जब कभी मुझे बाहर जाना होता था तो पत्नी घर पर अकेली रहती थी, तो मैं दीपक को ही कह जाता था कि रात में वहाँ जाकर रहे। एक रात की घटना पत्नी ने बताया कि - **'एक बार रात को नल की टोंटी से पानी आ रहा था। टोंटी टूट गई थी, दीपक दो घंटे अकेले टोंटी की जगह कपड़े बाँध-बाँधकर पानी रोकता रहा। जब पानी की सप्लाई बंद होने का समय हो गया, तब सोया।'** (पृ. सं. 93) त्रिपाठी जी ने इसमें दीपक का नि:स्वार्थता एवं गुरू के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाने का प्रयास किया है जो आज के समय में मिलना कठिन है।

चौदहवें अध्याय में त्रिपाठी जी ने अपने अध्यापक बनने से पूर्व जब वे काशी विश्वविद्यालय से एम. ए. कर चुकने के बाद की घटना का वर्णन करते हैं। त्रिपाठी जी ने बताया कि उसी दौरान दो चीनी विद्यार्थी मुझसे हिन्दी पढ़ने के लिए ट्यूशन आते थे। इन विदेशी छात्र-छात्राओं का विश्वनाथ त्रिपाठी के जीवन में जो प्रभाव रहा है, उनके व्यक्तित्व से वे जितना प्रभावित हुए, उनका बड़े ही रोचक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

पन्द्रहवें अध्याय में विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान कुछ ऐसे छात्र-छात्राओं से संपर्क हुआ जो दृष्टिहीन थे लेकिन उन्हें अपने विकलांगता का तनिक भी दु:ख नहीं था, बल्कि उनके अंदर कुछ विशेष गुण थे, जो उन्हें सामान्य बच्चों से भी अलग करता है। लेकिन इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आजादी के बाद समाज में स्त्रियों एवं दलितों की स्थिति में बहुत बदलाव हुआ है। इसी तरह विकलांग जनों की भी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। इसके लिए बहुत सारी योजनाएँ चलाये गये, जिसका लाभ लेकर इससे छात्र-छात्राओं ने न केवल प्रारंभिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा में भी अपनी सहभागिता कर पाई।

त्रिपाठी जी बताते हैं कि एक बार मैं दयाल सिंह कॉलेज में भाषण के लिए आमंत्रित था तो मैं सुनील माडलीवाल के साथ गया। केदार मंडल जी आमंत्रित किये थे। केदार मंडल विकलांग थे लेकिन उनकी विकलांगता कहीं से भी झलक नहीं रही थी, वे इतने पॉजिटिव एनर्जी से सभी काम कर रहे थे जिन्हें देखकर गर्व महसूस होता है। लेखक बताते हैं कि जब मैं मॉडल टाउन में रहता था मेरा एक विद्यार्थी सरकारी छात्रावास में रहता था, कुछ छात्रवृत्ति भी मिलती थी। एक बार मैंने छात्रावास की स्थिति पूछी तो उसने जो कुछ भी कहा, उससे आजादी से पहले और बाद की स्थिति को सहजता एवं सरलता से समझा जा सकता है। उसने कहा कि सर घर से तो यह अच्छा है, कम से कम हमें यहाँ रहने, खाने और पढ़ने की सुविधा तो मिल जाती है, घर में तो यह भी संभव नहीं हैं। मेरे प्रति घर वालों का जो व्यवहार है वह अच्छा नहीं है। गाँव के लोग भी मुझे हेय दृष्टि से देखते है, जैसे वे हम पर एहसान कर रहे हैं।

तुलसी जयंती के अवसर पर एक दृष्टिहीन छात्र ने 'श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भय भय दारूणम' इतना मधुर स्वर में गाया कि लोग कुछ क्षण के लिए मंत्रमुग्ध हो गये। इस तरह कई छात्र-छात्राएँ उनके अध्यापन काल में आये, जिनमें सुभाष रूपेला, नीरव अडालजा और प्रीति अडालजा इत्यादि आये, जिनमें अद्‌भुत एवं अद्वितीय मेधा थी। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि किस प्रकार कुछ लोगों में आत्म साहस होता है। वे किसी भी परिस्थिति में झुकना स्वीकार नहीं करते। संस्मरणकार ने बताया है कि ऐसे विद्यार्थियों से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनके अदम्य साहस को मैं सलाम करता हूँ।

सोलहवें अध्याय में संस्मरणकार ने 'वर्ण-व्यवस्था' पर प्रकाश डाला है और कहा है कि भारत में लोगों के नस-नस में वर्ण व्यवस्था व्याप्त है। लेखक अपने जीवन के घटनाओं से वर्ण व्यवस्था को समझाते हैं कि लोगों को नाम से पहले जाति जानने की उत्सुकता रहती है। त्रिपाठी जी जिस समय बलरामपुर में रहते थे, उसी समय उन्होंने आर.एस.एस. (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) से जुड़ गये थे। नानक प्रसाद नाम का मेरा एक सहपाठी था जो एक दलित जाति का था। मैं जात-पात नहीं मानता था, इसीलिए एक दिन मैंने कहा कि मेरे साथ चलो और आर.एस.एस. शाखा से जुड़ जाओ। उसने पहले मना किया पर मेरे बार-बार कहने पर मान गया। समाज में जाति-पाँति की समस्या लंबे समय से चला आ रहा है। इस समय तक भी स्कूलों में दलित जाति के बच्चे बहुत ही कम होते थे। शिक्षा पर किसी धर्म विशेष का अधिकार था।

लेकिन नवें दशक में एक छात्र मिला 'चन्द्रभान' जो दलित होने पर गर्व करता था। चन्द्रभान के व्यक्तित्व के बारे में लेखक बताते हैं कि वह कम और सटीक बोलता है। लेखक इस छात्र के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और कहते हैं कि ऐसा दलित व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। चन्द्रभान का नि:स्वार्थ व्यक्तित्व देखने लायक थी।

पुस्तक के अंतिम अध्याय में विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने लगभग चालीस वर्षो के अध्यापकीय जीवन में आये अनेक प्रकार के विद्यार्थियों का वर्णन किया। त्रिपाठी जी बताते हैं कि पहले मुझमें इतनी समझ नहीं थी, कि मैं विद्यार्थियों को अच्छे से समझ सकूँ, परन्तु धीरे-धीरे मैंने छात्र-छात्राओं से जुड़ना शुरू किया, तो जाना छात्र-छात्राओं में अपने काम के प्रति गहरी निष्ठा होती है, वे भी अपने शिक्षक से बहुत कुछ सीखते हैं। संस्मरणकार ने यह भी बताया है कि बहुत से लोगों का कहना है कि अध्यापन कार्य सबसे सहज एवं सरल होता है, लेकिन क्लास में विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाना बड़ी चुनौती से कम काम नहीं है।

विश्वनाथ त्रिपाठी बताते हैं कि एक बार विभाग में मुझसे और डॉ. नित्यानंद तिवारी से जवाब-तलबी हुई तो प्रोफे. वाइस चांसलर प्रोफे. कौल ने हमें बुलाया और कहा कि - **'देखिए! क्लास में कुछ गड़बड़ी हुई, विद्यार्थी आपकी शिकायत करते हैं, तब आपको हम नहीं बचा सकते। कोई नहीं बचा सकता। क्लास में लड़के संतुष्ट हैं, तो आप शराब पीजिए, जितने अच्छे-बुरे शौक हैं, पूरे कीजिए। यूनिवर्सिटी आपका बाल-बाँका नहीं कर सकती।'** (पृ. सं. 116) त्रिपाठी जी बताते है कि एक बार मैंने कॉलेज के ही एक छात्र को शराब पीते हुए देखा पहले मैं उसे नजर अंदाज करना चाहा परन्तु मेरे कर्त्तव्य ने बोलने के लिए प्रेरित किया और डरता हुआ उनसे शराब न पीने की विनती की, जिसके बाद से वे शराब पीना छोड़ देते हैं। त्रिपाठी जी ने कहा कि यदि मैं उसी समय गुस्सा होकर उन्हें डाँटता तो शायद वह ही मुझे उलटा सीधा कहकर भगा देते, परन्तु प्यार से समझाने पर वे शांति पूर्वक मेरी बात का और मुझसे माफी भी माँगी। इस अध्याय में त्रिपाठी जी ने बताया कि कॉलेज में विद्यार्थी अध्यापक से नहीं डरते। विद्यार्थी अध्यापक का हृदय से सम्मान करते हैं या तो उनकी उपेक्षा या घृणा करते हैं।

विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस अध्याय के अंत में कहा कि मेरे प्रिय छात्र रहे द्वारिका प्रसाद चारूमित्र ने एक बार नौकरी के लिए मुझसे कहा कि सर, एक बार यदि आप नौकरी के लिए सिफारिश कर देंगे तो मेरा काम हो जायेगा

और मैंने कहा कि द्वारिका एक घण्टे बाद फिर आकर मुझे यह बात कहना तो मैं अध्यक्ष से बात कर लूँगा। परन्तु द्वारिका प्रसाद आधे घण्टे में ही आकर कहा कि सर आप बात मत कीजिए। इसके साथ इन्हीं दिनों वेद प्रकाश और नीरज दो छात्र मेरे संपर्क में आये। नीरज ने तो कभी भी नौकरी के लिए मुँह नहीं खोला, परन्तु वेद प्रकाश ने एक बार कहा कि सर आप मेरे लिए परेशान न होइए, मैं अपने जीवन यापन भर के लिए कमा लेता हूँ और अंत में त्रिपाठी जी कहते हैं कि यदि शिष्य विद्वान एवं यशस्वी हो तो इससे अध्यापक का गौरव बढ़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'गुरूजी की खेतीबारी' विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रकाशक – राजकुमार प्रकाशन (2015), नई दिल्ली
2. वही, पृ. क्र. 14, 16, 23, 39, 77, 92, 93, 116,
3. 'विश्वनाथ त्रिपाठी के बारे में', संपादक – द्वारिका प्रसाद चारूमित्र, प्रकाशक – अनुज्ञा बुक्स, नई दिल्ली (2019)
4. 'बहुवचन' पत्रिका संपादक अशोक मिश्र, प्रकाशक – महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

बैंक ऑफ बडौदा के वित्तीय (क्रियाशीलता व लाभप्रदता) विश्लेषण पर एक अध्ययन

श्रीमति आरती वर्मा* डॉ. पी.के. सन्‍से**

* शोधार्थी, स्कुल ऑफ कामर्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (वाणिज्य) बी.एल.पी. महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – बैंक वित्तीय संस्थान की दुनिया का एक हिस्सा है यह निवेश बैंको बीमा कम्पनियों, वित कम्पनियों, निवेश प्रबंधको और अन्य कम्पनियों के साथ खडे रहते हैं, जो धन के निर्माण और उसके प्रवाह से लाभ उठाते हैं।

बैंकिग क्षेत्र राष्ट्रीय विकास के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। राष्ट्रो की प्रणाली मे एक अद्धितीय स्थान रखता है। बैंक ऑफ बडौदा भारत में दुसरा सबसे बडा और प्रमुख लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में से एक हैं। यह अध्ययन क्रियाशीलता विश्लेषण के तहत बैंक ऑफ बडौदा की वित्तीय स्थिति को देखता हैं। वित्तीय विश्लेषण कुछ क्षेत्रो मे कुछ छोटी कमियों के साथ बैंक की मौलिक कमियो का पता लगाता है। यह शोध अत: दूसरे बैंको के साथ बैंक ऑफ बडौदा की क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है।

शब्द कुंजी – वित्तीय जोखिम, अनुपात विश्लेषण, बाजार सवेंदनशीलता पूंजी पर्याप्तता।

प्रस्तावना – बैंकिंग क्षेत्र में नियोजित अर्थव्यवस्था की जरुरतों के प्रति उल्लेखनीय कियाएँ दिखाई हैं। भारतीय बैंकिंग राष्ट्र और उसके लोगो की जीवन रेखा है। बैंक ने अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भूमिका क्षेत्रो को विकसित करने मे अपनी महत्त्पूर्ण भूमिका निभाता है। तथा भारतीय क्षितिज पर एक नई प्रगति की शुरूआत करने में मदद की है। अर्थव्यवस्था से हमारे देश में एक अनुकरणीय परिवर्तन हुआ है। और इसने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। बैंक ऑफ बडौदा एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैकिंग और वित्तीय संस्था हैं। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार का स्वामित्व है। 32 मिलियन ग्राहको के साथ भारत का चौथा सबसे बडा राष्ट्रीयकृत बैंक है।

यह अध्ययन मे पिछले पांच वर्षो के लिए बैंक ऑफ बडौदा के क्रियाशीलता विश्लेषण करने का एक प्रयास किया है। जिससे की बैंक की वित्तीय क्षमता के बारे मे महत्त्वपूर्ण जानकारी दी जा सके। अनुपात विश्लेषण की गणना बैंक के चिटठा व लाभ हानि खाते की महत्वपूर्ण मदों से निर्धारित किया जाता हैं अनुपात विश्लेषण के द्धारा हम वित्तीय स्थिति और बैंक के निएपादन का सही आकलन कर सके। विश्लेषण से यह सुझाव दिया जा सकता है कि अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक को आय बढाने के लिए कौन से सही उपाय करने होगे।

साहित्य की समीक्षा – बैंक के प्रदर्शन या क्रियाशीलता को मापने का बैंकिग अनुसंधान मुख्य केन्द्र बिंदु रहा है। क्रियाशीलता के सापेक्ष गणना का उपयोग करके बैंको की क्रियाशीलता को निर्धारित करने के लिए पहले ही कई अध्ययन किये जा चुके है।

किसी भी बैंक के वित्तीय विवरण का निदान करने के लिए वित्तीय अनुपात बहुत प्रभावशील होते है।

साजी क्षझुंगल गोविन्द जायर (2021) पारंपकि उपकरणों की तुलना मे बैंको के वित्तीय क्रियाशीलता का मूल्याकंन करने के लिए आज उपलब्ध कई तकनीको मे से वित्तीय विश्लेषण रेटिंग मॉडल को स्पष्ट जोखिम मूल्याकंन प्रणाली निर्धारित करने गुणवता प्रदर्शन के विकास और निगरानी की पहचान करने मे कुशल माना जाता है इसमे समस्याओ और कमियो का सुधार का विवरण है।

चौधरी एवं सिंह (2012) ने परिसंपति गुणवता को आधार मानकर 1991 के वित्तीय सुधारो की वृद्धि पर पडने वाले प्रभाव की जॉंच का अध्ययन किया है। शोध मे जोखिम प्रबंधन, गैर निष्पादित सम्पतियाँ स्तर प्रभावी लागत प्रबंधन और वित्तीय पहचान की भारत मे बैंक की सुद्दढता सुनिष्चित करने वाले प्रमुख खिलाडियों के रुप मे शामिल करना।

रेडडी एवं प्रसाद (2011) ने CAMEL माडॅल का उपयोग करके बैंकिग क्षेत्र की वित्तीय सुद्दढता का आकलन किया गया उनके अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय बैकिंग समग्र आधार पर है।

धोष (2010) भारतीय बैंको में ऋण वृद्धि बैंक सुद्दढता और वित्तीय प्रबंधन के बीच अत: क्रिया की जॉंच करता है। अध्ययन मे यह पाया गया है कि निजी क्षेत्र के बैंक के प्रदर्शन ऋण मे अधिक वृद्धि भारतीय बैंक की सुद्दढता को बढाती है।

दास और अन्य (2010) बैंक की वित्तीय स्थिति ,पूंजी पर्याप्त अनुपात विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता हैं एक वृद्धि पूंजी पर्याप्त अनुपात मे अधिक उत्पादक क्षमता की ओर जाता हैं। जो बैंको की अधिक लाभ प्रदता को उत्पन्न करता है।

समस्या का विवरण – बैंकिग क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं यह अर्थव्यवस्या को जीवित रहने एवं आर्थिक संकटो से बचाने मे सहयोग करता है। जब आर्थिक मंदी ने दुनिया भर मे बैंकिग प्रणाली को प्रभावित किया था। तब भारत की वित्तीय प्रणाली अच्छी तरह से टिक सकती थी। संकट के समय में भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने प्रतिस्पर्धा विकास

दक्षता मे प्रगति दिखाई और आर्थिक चुनौतिक के दौरान बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय संचालन को स्थिर बना रखा। इस प्रकार इसका उद्देश्य अनुपात विश्लेषण का उपयोग करते हुए भारतीय बैकिंग प्रणाली का वित्तीय स्तर का आकलन करने के लिए बैंक ऑफ बडौदा के क्रियाशीलता का आंकलन करना जरुरी है।

अध्ययन का उद्देश्य- इस शोध के निम्न उद्देश्य है:

1. बैंक ऑफ बडौदा के वित्तीय क्रियाशीलता (performance) का अध्ययन करना।
2. विभिन्न वित्तीय अनुपातो का विश्लेषण करना।
3. बैंक के वित्तीय क्रियाशीलता को अधिकतम करने के बहुमूल्य सुझाव देना।

कार्य प्रणाली (विधि)- इस शोध मे मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की पाँच वर्ष की अवधि के (समंको) बैंक ऑफ बडौदा के वित्तीय आकडो का उपयोग किया है। मार्च 2016 से 2012 तक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय जानकारी के लिए प्राथमिक डेटा स्त्रोत का गठन करती है। हमारी अनुभवजन्य पद्धति के अधिकार विवरण नीचे दिए गए है।

वित्तीय अनुपात :- Financial Ratio

- **पूंजी पर्याप्तता - (BOB)** बैंक ऑफ बडौदा की पूंजी पर्याप्तता (अनुपात) की स्थिति की गणना बैंक का चिट्ठा का उपयोग कर किया जा सकता है। जैसे पूंजी अनुपात व सम्पति अनुपात के लिए अग्रिम ,जमा अनुपात लिए अग्रिम तथा कुल निवेष पर ऋण/ समता अनुपात।
- **सपंति की गुणवता -** इसके अतंर्गत NPA Total Assets Net NPA Net Advance कुल संम्पति से कुल विनियोग अनुपात, अग्रिम के लिए सकल गैर निष्पादित सम्पतियाँ व प्रावधान का आकलन करके बैंक की सम्पति की गुणवता की गणना की जा सकती है।
- **प्रबंधन क्षमता -** कुल जमा पर कुल अग्रिम प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय आय अनुमान की लागत औसत संपति के लिए परिचालन व्यय सकल लाभ अनुपात आदि अनुपातों के माध्यम से बैंक की प्रबंधकीय क्षमता की गणना की जा सकती है।
- **लाभ प्रदता -** लाभप्रदता अनुपात ज्ञात करने के लिए शुद्ध परिचालन लाभ का औसत सपंति से अनुपात,सकल लाभ का औसत सपंति,लाभांश भुगतान अनुपात तथा गैर ब्याज आय का औसत अस्तियाँ औसत अस्तियो पर प्रतिफल अग्रिमो पर प्रतिफल जमाराशि की लागत से बैंक की आय की स्थिति का आकलन किया जा सकता है।
- **तरलता -** वित्तीय अनुपात, कुल जमा के लिए तरल सपंति कुल समपति के लिए तरल सम्पति कुल सम्पति के लिए सरकारी प्रतिकृति स्वीकृति प्रतिभूतियाँ तथा ग्राहक जमा और कुल ऋण के माध्यम से हम बैंक की तरलता अनुपात की स्थिति का मूल्याकंन करते है।

आकड़ो का विश्लेषण

1 **तालिका 1 मे सकल लाभ (% में मान)**

वर्ष	अनुपात	बढना/घटना
2016	25.97	-
2017	27.70	173
2018	30.86	316
2019	32.96	210
2020	31.81	-115

उपर्युक्त तालिका 1 मे बैंक ऑफ बडौदा के शुद्ध सकल लाभ के अन्तर को दर्शाती है। यह देखा गया है। कि 2020 मे गिरावट आई है। और अध्ययन के अन्य वर्षो के अनुपात मे उतार चढाव हो रहा है। लेकिन 2010 से 2019 तक अनुपात मे वृद्धि देखी गई। इसलिए बैक को सकल लाभ बढाने के लिए सही उपाय करने होगे क्योकि यही बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करते है।

(2) परिचालन शुद्ध लाभ अनुपात :- परिचालन शुद्ध लाभ में

वर्ष	अनुपात	बढना /घटना
2016	7.78	-
2017	8.71	0.93
2018	10.63	1.92
2019	12.82	2.19
2020	10.86	-1.96

उपर्युक्त तालिका क 2 में बैंक ऑफ बडौदा के परिचालन शुद्ध लाभ अनुपात का अन्तर को प्रदर्शित करती है। यह पाया गया है कि 2016 से 2019 तक इसमे वृद्धि देखी गई तथा 2020 मे गिरावट आई है। इसलिए बैंक की परिचालन शुद्ध लाभ मे वृद्धि करना होगी जिससे कि बैंक के लाभ को बढाया जा सकता हैं।

(3) विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय अनुपात

वर्ष	अनुपात	बढना/घटना
2016	161	-
2017	026	-135
2018	083	057
2019	0075	-0755
2020	006	-0015

उपर्युक्त तालिका क 3 में बैंक की विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय अनुपात मे काफी उतार चढाव देखने को मिलते है। इसमे 2017 मे केवल वृद्धि देखी गई तथा 2016 से 2020 के बीच कमी देखी गई जो कि वित्तीय स्थिति को अच्छा प्रदर्शित नही करती है। इस प्रकार यह असंतोषजनक है।

(4) कुल सम्पति का कुल आय पर अनुपात

वर्ष	अनुपात	बढना/घटना
2016	13.68	-
2017	14.19	0.51
2018	14.31	0.12
2019	13.93	-0.38
2020	13.42	-0.51

उपर्युक्त तालिका क 4 की कुल सम्पति का कुल आय पर अनुपात का विश्लेषण करती है। यह देखा गया है कि अनुपात मे प्रथम के दो वर्षो मे वृद्धि देखी गई तथा अन्त के दो वर्षो मे कमी को प्रदर्शित करता है। इसलिए कुल सम्पति को कुल आय की अपेक्षा बढाना होगा जिससे लाभ अधिक हो सके।

(5) गैर सम्पति का कुल आय पर अनुपात

वर्ष	अनुपात	बढना /घटना
2016	0127	-
2017	0117	0010
2018	0106	-0011
2019	0125	0019
2020	0123	-0002

उपर्युक्त तालिका क 5 में गैर सम्पति का कुल आय पर अनुपात में अन्तर प्रदर्शित करती है। इससें यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गैर सम्पति का अनुपात में उतार–चढाव देखने को मिला है। जिससे की लाभप्रदता मे कमी के संकेत दिखाई देते है। जो बैंक की सम्पति मे प्रबंधन क्षमता की गणना करता हैं। कम अनुपात अधिक सम्पतियों उनके लाभ को बढाने मे मदद करता है।

अध्ययन के निष्कर्ष और सुझाव – उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष पाया गया है कि बैंक के सकल लाभ परिचालन शुद्ध लाभ विनियोजित पुंजी पर प्रत्याय कुल सम्पति और गैर सम्पति आय को अधिकतम करने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता है। जो सम्पति की गुणवता प्रबंधन गुणवता कमाई को प्रदर्शित करता है।

बैंक की क्षमता मध्यम है और शुद्ध लाभ पर रिटर्न सम्मान रूप से अच्छा प्रदर्शित करता है।

सुझाव– उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है। कि सकल लाभ परिचालन लाभ कुल सम्पति/ गैर सम्पति पर रिटर्न और ब्याज आय को बढाकर वित्तीय प्रदर्शन का अधिकतम किया जा सकता है भारतीय बैंकिंग उद्योगो सबसे तेजी से बढने वाला उद्योग है। और इस प्रतिस्वर्धा मे जीवित रहने के लिए बैंक ऑफ बडौदा को आर्थिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. ईएमए,एसए, एट अल, (2003), वित्तीय सेवाओं में ब्राडिंग की भूमिका पर एक पारसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य: छोटे व्यवसाय के बाजार। विपणन प्रबंधन के जर्नलय वॉल्यूम। 19, पृ। 1021–1042।
2. प्रो0किनले– मुद्रा बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पृष्ठ–165
3. आर0एस0 सेयर्स – मार्डन बैंकिंग – पृष्ठ –3
4. www.bankofbaroda.in
5. www.rbi.org.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

सुशासन और नौकरशाही

डॉ. प्रतिभा जैन *

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में सुशासन और नौकरशाही प्रशासन का मेरूदण्ड होता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में कार्यपालिका दो तरह की होती है। राजनीतिक एवं अराजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल चुनाव के परिणाम पर निर्भर करता है तथा मतदाता के विश्वास पर्यन्त ही कायम रहता है। इसलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। अराजनीतिक कार्यपालिका के तहत अधिकारी तंत्र या नौकरशाही वर्ग आता है जो राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण एवं निर्देशन में काम करता है लेकिन राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से अप्रभावत रहता है। इसलिये इसे स्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। अधिकारी तंत्र की वजह से ही समय-समय पर होने वाले सत्ता परिवर्तन के बावजूद शासन प्रशासन में स्थायित्व एवं निरंतरता बनी रहती है। गौरतलब है कि अधिकारी तंत्र एवं निर्धारित सेवाशर्त के अधीन, नियम-कानून के दायरे में रहकर शक्ति एवं सत्ता का जनहित में उपयोग करते हैं तथा राजनीतिक नेतृत्व के प्रति और अंतत: जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं इसलिए इन्हें लोक सेवक भी कहा जाता हे। ये अपनी प्रकृति से निष्पक्ष, कार्यकुशल दक्ष एवं प्रशिक्षित प्रशासक होते है जो रानीतिक नेतृत्व (सरकार) को नीति निर्माण में सहयोग एवं परामर्श देते हैं तथा सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करते हैं।

शब्द कुंजी – जबावदेही, पारदर्शी, अधिकारी तंत्र, भ्रष्टाचार।

प्रस्तावना – सुशासन जैसा कि नाम से ही अच्छे अथवा श्रेष्ठ शासन का बोध होता है। सुशासन शब्द सुशासन से बनता है जिसमें 'सु'-उपसर्ग का अर्थ श्रेष्ठ तथा शासन शब्द का अर्थ प्रशासनिक व्यवस्थाओं से है अर्थात् जो शासन जन-जन के लिए कल्याणकारी हो, मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित हो, निष्पक्ष हो, धार्मिक सुशासन मान सकते हैं। जिस प्रकार ईश्वर और प्रकृति का हर हाल में निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार व वातावरण प्रत्येक मानव के लिये होता है, परमात्मा का किसी भी आत्मा के साथ कोई भेद नहीं होता। सूर्य का प्रकाश व चन्द्रमा की शीतलता विश्व में सभी समान रूप से प्राप्त होती है। गंगा की पवित्रता में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भेद नहीं होता उसी प्रकार भेदरहित जन कल्याण व राष्ट्र कल्याण युक्त शासन ही सुशासन है।

यह आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में ही सुशासन स्थापित हो सके सुशासन को तो हम राजतंत्र में देख सकते हैं। 'रामराज्य' शासन को सुशासन की संज्ञा दी जाती है व आदर्श माना जाता है।

भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातत्व के आधार पर उच्चकोटि की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान है जिससे कि भारत में जनता के लिए कल्याणकारी तथा राष्ट्र की प्रगति का सुशासन स्थापित किया जा सके।

भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रचलन है और इस व्यवस्था का उद्देश्य सुशासन स्थापित करना व क्रियान्वित करना है। संसदात्मक प्रजातंत्र में मंत्रियों और नौकरशाहों (लोकसेवक) के मध्य परस्पर घनिष्ठ संबंध रहते है। इन दोनों को इस प्रकार से प्रशासनिक गाड़ी के दो पहिये माना जाता सकता है। मंत्रियों द्वारा निर्मत प्रशासनिक नीतियों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व नौकरशाहों के ऊपर रहता है। नौकरशाहों का कार्य नीति के क्रियान्वयन तक ही सीमित न होकर नीतियों को बनाने में मंत्रियों को अपने विशिष्ट परामर्श देना है। इस तरह संसदीय शासन व्यवस्था, उदाहरणार्थ अविशेषज्ञों (मंत्रियों) और विशेषज्ञों (नौकरशाहों) के समन्वय पर आधारित होती है। मंत्रियों में अधिकांशत: प्रशासनिक अनभिज्ञता तथा नौकरशाहों में प्रशासनिक ज्ञान की विशिष्टता होती है।

नौकरशाही शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची 'ब्यूरोक्रेसी' है जो फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरों शब्द से लिया गया है यह शब्द सरकारी विभाग का परिचायक है। फ्रांस में ब्यूरों शब्द का प्रयोग ड्राअर युक्त मेज अथवा लिखने वाली डेस्क के लिए होता है। डेस्क पर ढकने वाले कपड़े को ब्यूरल कहा जाता था। अत: इसी आधार पर ब्यूरों शब्द सरकारी कार्यों का परिचायक बन गया। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व ब्यरों शब्द सरकार के लिए प्रयुक्त होता था। 19वीं शताब्दी में यूरोज के सभी राष्ट्रों में इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। जहां-जहां सरकार की निरंकुशता, संकुचित दृष्टिकोण तथा सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता दृष्टिगोचर हुई, वहीं उसे नौकरशाही कहा जाने लगा। धीरे-धीरे इसका अर्थ नियमों का कठोर पालन, अनुत्तरदायित्व, जटिल प्रक्रियाओं तथा निहित स्वार्थों से लिया जाने लगा। नौकरशाही शब्द को विभिन्न विद्वानों ने सकारात्मक और नकारात्मक अर्थों में लिया है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार-'जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह का तथा प्रजांतत्र का अर्थ जनता का शासन होता है उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी 'ब्यूरो' शासन है।'

रावर्ट सी. स्टोन-इस पद का शाब्दिक अर्थ कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा शासन है। सामान्यत: इसका प्रयोग दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के संदर्भ में लिया गया है। नौकरशाही संगठनों लाल फीताशाही, कठोर नियम और कार्यविधि पर जोर दिया जाता है। मोस्का

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

महोदय ने नौकरशाही उच्चवर्गीय अधिकारियों का नियंत्रण बताया। जो.एस.मिल. मानते हैं कि नौकरशाही समाज में सरकार का व्यावसायिक प्रशासक वर्ग मानते हैं। हरमन फाइनर नौकरशाही सरकारी अधिकारियों का शासन तथा मेज का शासन कहकर सम्बोधित करते हैं। रेम्जेक्योर नौकरशाही का अर्थ स्थाई अधिकारी और व्यवसायिक प्रशासक बताते है। लोपलोम्बरा–नौकरशाही के अंतर्गत अभी लोक सेवाओं को बताते हैं। पीटर ब्लाव का विश्वास है कि नौकरशाही वह संगठन है जो प्रशासन में अधिकतम कुशलता लाता है।

प्रचलन में नौकरशाही शब्द का प्रयोग लोक सेवाओं की कमियों एवं उनकी अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति की ओर इंगित करने के लिए किया जाता है। यथार्थ में नौकरशाही का अभिप्राय उस संगठन से है जिसमें कार्य कुशल, प्रशिक्षित तथा कर्तव्यपरायण सरकारी कर्मचारी होते हैं।

भारतीय प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में नौकरशाही का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही नौकरशाहों का वर्चस्व रहा है। नौकरशाहों के माध्यम से प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जाता रहा है। पं. जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'हिन्दूस्तान की कहानी' में मौर्यकालीन नौकरशाही के विषय में लिखा है मौर्यकाल में काफी फैली हुई ओर कड़ी नौकरशाही थी। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत के शासन में भी नौकरशाहों की अह्म भूमिका रही है। ब्रिटिश राज के शासन में तो नौकरशाही और भी अधिका महत्वपूर्ण हो गयी थी।

नौकरशाही जनहित के लिए काम करती है। इसके सौ कामों के पीछे जनहित की भावना छिपी होती है। वे न्याय तथा लोक कल्याण के संरक्षक होते हैं। योग्यता पर आधारित नौकरशाही का आधार सरकारी अधिकारी के गुण होते है। जिससे कि वे सुशासन स्थापित व कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। योग्यता की जांच के लिए निष्पक्ष तथा वस्तुगत परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इसका लक्ष्य लोक–सेवा की कुशलता है। इस व्यवस्था में लोक सेवक (नौकरशाह) किसी के अनुग्रह भार से दवा नहीं रहता तथा सदैव सामान्य हित की अभिवृद्धि में रूचि ले सकता है। आधुनिक लोकतंत्र में लो कर्मचारी लोगों की सेवा में नियुक्ति एक अधिकारी होता है। जिसकी नियुक्त निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित उद्देश्य हेतु की जाती है लोक सेवा के सदस्य युवा काल में सेवा में प्रवेश कर स्थाई रूप से अपने पदों पर रहकर निश्चित आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

ये अधिकारी राजनीति से तटस्थ रहते हैं तथा राजनीतिक दलबंदी में सक्रिय भाग नहीं लेते तथा राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं होते, राजनीतिक आन्दोलन और निर्वाचन में भाग नहीं लेते किसी भी दल की सरकार सत्ता में हो, पर इन अधिकारियों का कार्य नीतियों का कार्यान्वय करके सुशासन बनाये रखना होता है। पेशेवर कहे जाने वाले सामान्य दक्षतायुक्त ये कर्मचारी सरकारी सेवा करते हैं। लोक सेवाओं (नौकरशाही) का संगठन उच्चतर अधिकारियों द्वारा निम्नतर अधिकारियों पर शासन के लिये होता है। जो पद सोपान का सिद्धांत माना जाता है। ऐसा करने से निम्नतर कर्मचारी नियंत्रण में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन व योजनाओं का क्रियान्वयन निष्ठापूर्वक करते रहते हैं और जनता के कल्याण में सहायक सिद्ध होते हैं।

भारत में अधिकांश शासकीय कार्य नौकरशाहों द्वारा किये जाते हैं। गांवों की अधिकांशत: अशिक्षित जनता है जो अपने छोटे–छोटे कार्यों के लिए पटवारी, ग्राम सेवक, तहसील कार्यालयों के क्लर्कों तथा जिले के अधिकारियों की तरफ देखती है। कृषि के लिए खाद, बीज आदि लेना हो या सहकारी बैंक से ऋण या पटवारी से कोई पट्टा लेना हो तो जनता को घूस का सहारा ही लेना पड़ता है।

सर्वोच्च स्तर के बड़े–बड़े अधिकारी ऊपर से तटस्थ दिखाई देते हैं किन्तु वे राजनीति से कहीं न कहीं जुड़े रहते है तथा वे अपने विचारों को छिपाकर सरकारी निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं। इन अधिकारियों में लालफीताशाली अथवा अनावश्यक औपचारिकता पाई जाती है। नौकरशाही औपचारिकता में विश्वास करते हुए नियमों व विनियमों का कठोरता के साथ पालन करते हैं। परिणामस्वरूप कार्य देरी से हो पाते हैं और महत्वपूर्ण निर्णयों में बाधा पड़ती है। प्रक्रिया में औपचारिकता के कारण जन सेवा, जन कल्याण की उपेक्षा हो जाती है। ये सरकारी तंत्र औपचारिकताओं के चक्कर में मशीन जैसा बन गया है तथा निर्णय क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। अधिकारीगण उत्तरदायित्व का वहन नहीं करते हैं तथा हर बात का उत्तरदायित्व दूसरों पर डालते रहते हैं। विलम्ब तथा निर्णय क्षमता का उपयोग न करना अधिकारियों द्वारा स्थापित सुशासन में बाधक तत्व बना है।

नौकरशाहों में एक अवधारणा है कि बड़े–बड़े पद उन्हें शासन करने के लिए मिल हैं न कि जनता की सेवा के लिए। वे अपने आपको जनता का स्वामी मानते हैं न कि सेवक। जन–सामान्य के सुख–दु:ख से अधिकारीगण अलग–थलग रहता है जिनका अवलोकन ग्रामीण अंचलों में आसानी से किया जा सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकारियों का यह विशिष्ट वर्ग समूचे शासन में प्रशासकीय पदों को ग्रहण करता है।

ब्रिटिश काल में नौकरशाही को शासक की भूमिका मिली थी। नौकरशाही एक ऐसे तंत्र के रूप में सामने आई जिस पर जनता, कानून व राजनीतिज्ञों का अंकुश नहीं होता था। ब्रिटिश सरकार उन्हें अपना प्रतिनिधि मानती थी और भारत की जनता उन्हें शासक समझती थी। औपनिवेशिक काल की स्थिति ने शासन सेवाओं पर जो भी नियंत्रण अपेक्षित है उन्हें विकसित नहीं होने दिया। परिणामस्वरूप लोक सेवाएं (नौकरशाही) कानून की प्रतीक और संरक्षक से अधिक कानून की स्वामी बन गई। अंकुशों के प्रभाव में नौकरशाही अनुत्तरदायी बन गई थी और हजारों मील दूर से इन पर निर्भर करने वाली भारत सचिव उनका नाममात्र का नियंत्रक बना रहा। स्वतंत्र भारत को प्रशासनिक क्षेत्र में विरासत मिली उसमें अनुत्तरदायी सेवाएं एक बहुत बड़ी विशेषता थी।

स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिज्ञों, अपराधियों और नौकरशाही के मध्य घनिष्ठ साठ–गांठ स्थापितहोने की प्रवृत्ति उभरी जो सुशासन के हित में नहीं है। इस तरह की बुराईयों से दूर रहकर ही अधिकार वर्ग सुशासन को कायम रख सकता है।

नौकरशाही लोकप्रिय मांगों के प्रति अनुत्तरदायी होता है नौकरशाहों में शक्ति की भूख होती है और यह धीरे–धीरे नीति निर्माण के कार्यो पर प्रभावी होती जा रही है। नौकरशाही के लिए स्वेच्छाचारिता, तानाशाही, परिवर्तन विरोधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नौकरशहों में जन–साधारण के प्रति अधिकांशत: तिरस्कार की भावना, राजनेताओं को सही परामर्श देने की क्षमता का अभाव, कार्यो को टालने की मनोवृत्ति, विकासात्मक दृष्टिकोण का अभाव, शक्ति की अनुचित लालसा, अनुदारवादी या परिवर्तनवादी दृष्टिकोण, हस्तान्तरित विधन की प्रक्रिया का दुरूप्योग आदि ऐसे दोष है जिनके रहते सुशासन की परिकल्पना कठिन है।

नौकरशाही में विभिन्न दोषों के निहित होने पर भी सरकारी प्रशासन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, यथार्थ में तो नौकरशाही पहले की अपेक्षा

कुशल, विवेकशाली, निष्पक्ष और न्याय संगत शासन चला रही है। अपनी कार्यकुशलता, विशिष्ट ज्ञान निष्पक्षता, नियमों तथा कानूनों के पालन आदि अनेक गुणों के कारण वर्तमान समय में प्रशासन का अनिवार्य अंग बन गया है। नौकरशाही आज के युग में अपरिहार्यता मानी जाती है। अपरिहार्य नौकरशाही को संसदीय प्रजातंत्र का आधार (मूल) कहा जाता है। नौकरशाही के जन-प्रतिनिधि स्वरूप का विकास करने हेतु कुछ सुझाव है:

1. सुशासन में समान न्याय तथा अनुचित पक्षपात को रोकरने के लिए समाज के विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक वर्गो का प्रतिनिधित्व नौकरशाहों में करना होगा।
2. नौकरशाही पर नियंत्रण रखने वाले मंत्रियों का योग्य, कार्यकुशल होना आवश्यक है अन्यथ सरकारी सेवक उन पर हावी होकर जनतंत्र की स्वतंत्रता को सकंट में डाल देगें। भारत में तो कई मंत्री भ्रष्टता की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, जातिगत, क्षेत्रगत भेदभाव तथ अन्य बुराइयां उनमें स्वयं ही व्याप्त होती है जिसके कारण प्रशासन तंत्र में मंत्री और नौकरशाह दोनों ही अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं।
3. नौकरशाही की निरंकुशता का मुख्य स्त्रोत प्रत्यायोजित विधि निर्माण है अत: प्रत्यायोजितविधि निर्माण में कमी करके नौकरशाही को सुशासन के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सका है।
4. प्रशासनिक संगठन की प्रभावशाली संचार व्यवस्था के साथ-साथ प्रशासकों तथा प्रशासितों के मध्य भी प्रभावशाली संचार व्यवस्था होनी चाहिए।
5. सुशावन के लिए सामान्य जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है गैर सरकारी जनता प्रशासन में योगदान प्रदान कर सच्चे अर्थो में प्रजातंत्रात्मक शासन बनाया जा सकता है।
6. राजनीतिक वर्ग तथा नौकरशाह दोनों का ही एक दूसरे पर कोई दबाव न हो, ऐसा सहयोगात्मक रवैया हो जो जनता व राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा।
7. समय-समय पर नौकरशाहों को नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तनों से अवगत कराया जावे और प्रशिक्षण की उचित व्यवस्थ होना भी नौकरशाहों को अधिक उत्तरदायी और सक्षम बनाकर सुशासन में प्रमुख भूमिका अदा करने में सहायक सिद्ध होगा।
8. नौकरशही को अपने कार्यो के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप निरन्तर बढ़ता जा रहा है। कभी-कभी तो नौकरशाहों को मौखिक आदेश दिये जाते है और उनका पालन न करने पर उन्हें दण्डित किया जाता है। नौकरशाही पर दबाव, शोषण करके तथा मनोबल गिराकर राजनेता प्रशासन को सफल बनाकर सुशासन नहीं बनाये रख सकते है। मनोबल का ह्रास के कारण अनेक नीतियों का क्रियान्वयन समुचित रूप से नहीं हो पाता है।

सुशासन को स्थापित करके बनाये रखने के लिए प्रशासन में नौकरशाहों के योगदान की अपेक्षा नहीं की जा सकती उनका अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। और प्रशासन तंत्र को नियंत्रण में बनाये रखने और योजनाओं के क्रियान्वयन में नौकरशाह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हरबर्ट मैरीसन ने लिखा है 'नौकरशाही वह मूल्य है जो संसदीय प्रजातंत्र के लिए हमें चुकाना पड़ता है। वस्तुत: नौकरशाही अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। नौकरशाही को ऐसे नियंत्रित किया जाये कि वह जनता व राष्ट्र के कल्याण के लिए सेवक ही बने रहें 'स्वामी' बनकर हावी न होने पायें।' नौकरशाही को खुद ही कार्य संस्कृति में बदलाव का बाहक बनना चाहिए और इसी तरह प्रशासनिक सुधार लाने के पहले उनकी मानसिकता बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए तभी सुशासन और नौकरशही एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो सकेगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एम.पी. शर्मा (1976)-लोक प्रशासन, सिद्धांत एवं व्यवहार।
2. आर.बी.जैन-भारतीय समाज, अधिकारी तंत्र और सुशासन।
3. बी.एल.फड़िया-भारतीय शासन एवं राजनीति।
4. गुप्ता एवं सिंह (2011)-सुशासन नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली।
5. बी.पी. सिंह-भारत में सुशासन की चुनौतियाँ।
6. योजना, जनवरी 2013 पृ. 11
7. प्रतियोगिता दर्पण।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

कोविड-19 का विश्व राजनीति पर प्रभाव: एक अवलोकन

डॉ. रजनी दुबे *

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत में पहले भी इस तरह की महामारी का असर राजनीति पर पड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है केन्द्र और राज्य सरकारें इससे निपटने के लिये युद्ध स्तर पर काम कर रहीं है। इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ गई है। लोग अपने घरों में बंद है, हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा है। राजनीति पर भी इसका प्रभाव अछूता नहीं है क्योंकि वह किसी न किसी रूप में हर क्षेत्र की गतिविधियो से जुड़ी हुई है। कोविड 19 महामारी के चलते सरकार ने दक्षिण एशियाई देशों के समुह सार्क के सदस्य देशों के बीच तारों को एक बार फिर से जोड़ दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी गतिरोध देखने को मिला है।

शब्द कुंजी – कोविड 19, विश्व राजनीति, वैश्विक निर्माण, क्वारंटाइन, वैश्विक आपदा, सार्क समूह।

प्रस्तावना – भारत में पूर्व में भी कोविड 19 जैसी महामारी का असर राजनीति पर पड़ा है। 1918 में स्पैनिश फ्लू नाम की महामारी फैली थी एक अनुमान के मुताबिक उस महामारी में भारत में 1.8 करोड़ की जान गई थी यह उस वक्त की भारत की आबादी का छ: प्रतिशत था वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख में कोविड 19 की तुलना उसी महामारी से की गई है। हालाकि यह भी कहा गया है कि तब से लेकर अब तक दुनिया काफी बदली है। उतना नुकसान संभवता अब नहीं होगा। लेकिन 1918 की महामारी का भारतीय राजनीति पर गहरा असर पड़ा है। बिट्रिश लेखिका लॉरा स्पिनी ने 1918 की महामारी के दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों पर एक पुस्तक लिखी है- पेल राईडर: स्पिनीश फ्लू ऑफ 1918 एंड हाउ इट चेन्ड दा वर्ल्ड, वॉलस्ट्रीट।

कोविड 19 महामारी के चलते सरकार ने दक्षिण एशियाई देशों के समुह सार्क के सदस्य देशों के बीच तारों को एक बार फिर से जोड़ दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी मतभेदों के चलते सार्क समुह के सदस्य देशों में 2016 से ही गतिरोध देखने को मिला था। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, अफगानिस्तान, मालद्धीप और पाकिस्तान, सार्क के सभी सदस्य देशों ने सरकार के बीडियों कार्नफ्रेस कॉल मे न केवल हिस्सा लिया बल्कि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त तौर पर फंड तैयार करने पर सहमत हो गये।

विश्व राजनीति पर प्रभाव:

1. कोविड 19 संकट के साये में अमेरिका और चीन जैसी दो वैश्विक महाशक्तियों के बीच टकराव से विश्व राजनीति पर गंभीर प्रभाव होने की आशंका व्यक्त की जा रहीं है।
2. इसका पहला प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में समपन्न व्यापार समझोते पर हुआ। चीन के इस घटना क्रम में लापरवाही भरे रूख के कारण दुनिया भर में चीन को संदेह की नजर से देखा जाने लगा।
3. इस आपदा में एक दुसरे के घोर विरोधी रहे ईरान और अमेरिका को नजदीक ला दिया है, जिससे तृतीय विश्व युद्ध के रूप में मंडराने वाला संभावित खतरा टलता नजर आ रहा है।
4. इस वैश्विक आपदा से निपटने में नाकाम रहे इटली में कुछ समय के भीतर ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट भी देखने को मिल सकता है ऐसा अनुमान है कि इटली को अपनी खोई हुई साख हासिल करने में कई दशक लग सकते है क्योकि इटली ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल रहा है।
5. युरोपियन युनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन में गठित नई सरकार पर यह संकट आर्थिक व राजनीतिक रूप से अतिशय दवाब उत्पन्न करेगा।
6. कोरोना वायरस के केन्द्र के रूप में चीन के विख्यात होने से दुनिया भर में चीन के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव में ईजाफा होने की आशंका है।
7. चीन के विनिर्माण क्षेत्र को अपना प्रभुत्व पुर्नस्थापित करने में कई दशक तक लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है जिससे उसकी नव सम्राज्य वादी नीतियों पर विराम लग सकता है।
8. वैश्विक विनिर्माण के नये केन्द्र स्थापित करने में अत्यधिक समय और धन की आवश्यकता होगी क्योंकि विश्व के अन्य देशों में चीन के जैसी अवसंरचना और सस्ते श्रम का अभाव है।
9. जर्मनी की चान्सलर समेत युरोप महाद्धीप के अन्य प्रमुख नेताओं का मानना है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरे महाद्धीप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुये आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती है।

यदि आज हम कोरोना वायरस का नाम सुनते है तो जो वस्तु स्थिति सर्व प्रथम उभरकर सामने आ गई है वह क्वारंटाईन (अपनी गतिविधयों को स्वयं तक सिमित करना) या आइसोलेशन (एकीकरण) हैं। यह आइसोलेशन न केवल व्यक्ति या समाज के स्तर पर हुआ है बल्कि विभिन्न देशों की सीमाओं

के स्तर पर भी हो गया है। इस वैश्विक आपदा की स्थिति में जहां एक ओर युद्ध स्तर पर बचाव के प्रयास किये जा रहे है तो वहीं दूसरी ओर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज (विकसित देश) के बीच इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी प्रारंभ हो गया है हाल ही में चीन सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अधिकारिक रूप से यह दावा किया कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कोरोना वायरस को वुहान वायरस या चाईनीज फ्लू के रूप में संबोधित करना प्रारंभ कर दिया है, ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या इस वायरस का प्रभाव भू-रणनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित कर देगा? क्या एक बार फिर विश्व शीत युद्ध के दौर में प्रवेश कर जायेगा? क्या 21वीं सदी के आरंभ में विकसित बहुध्रुवीय वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था एक ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर मुड़ जायेगी?

कोरोना वायरस की उत्पत्ति में अमेरिका की भूमिका के संदर्भ में चीन के दावे को रूस का साथ मिला है और दोनों देशों ने सामूहिक रूप से इस आपदा से निपटने के लिये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। रूस के इस कदम से वैश्विक राजनीति में अमेरिका-चीन टकराव बढ़ने के आसार व्यक्त किये जा रहे है।

कोविड 19 के प्रभावों को दुर करने हेतु सुझाव:

1. नि:संदेह इस संकट से सही तरीके से निपटने वाली महाशक्ति बदलती वैश्विक राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाऐगी।
2. वर्तमान में पूरा विश्व एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है, यह समय एक दुसरे पर दोषारोपड़ करने का नहीं बल्कि एक जुटता प्रदर्शित करते हुये इस अद्दश्य शत्रु से लड़ने का है।
3. वैश्विक महाशक्तियों को अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुये समस्त प्रयास इस महामारी की हर संभव रोकधाम की दिशा में करने चाहिये इसके साथ ही भारत से सीख लेते हुये अपने पड़ोसी देशों व उन क्षेत्रीय संगठनों जिसका वे हिस्सा है, कि ओर सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिये।
4. कोरोना वायरस के रूप में दुनिया के समक्ष एक अभूतपूर्व संकट उतपन्न हुआ है और इसका प्रसार जितनी तेजी से हो रहा है, वह इसे अधिक चिंता जनक बनाता है इसीलिये इससे निपटने के लिये विश्व का प्रत्येक प्रयास इस महामारी के पूर्णत: उन्मूलन का होना चाहिये।
5. विश्व के सभी देशों को वि निर्माण क्षेत्र व आपूर्ति श्रखला के विभिन्न केन्द्रो के निर्माण की दिशा में भी कार्य करना होगा।
6. कोविड-19 के लिये अभी यह नही कहा जा सकता कि यह विश्व को कैसे प्रभावित करेगा परन्तु इस प्रकोप ने लोकतांत्रिक और तानाशाही दोनों देशों को देखा है, जो लोगों के आवागमन पर कठोर प्रतिबंध लगा रहा है।
7. पश्चिमी दुनिया इस महामारी के केन्द्र में है।
8. इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्हित किया।
9. यह वैश्विकरण के सिद्धांतों को वापस लेने का कारण हो सकता है।
10. यह विश्व राजनीति में प्रमुख शक्ति परिवर्तन भी उतपन्न कर सकता है।
11. यह संपूर्ण विश्व में एक नकारात्मक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है।
12. कोरोना वायरस से भारत भी अछुता नहीं रहा है, भारत को अपना पूरा ध्यान वायरस के संक्रमण को रोकने में लगाना चाहिये।
13. भारत को आपदा की स्थिती में बदलती हुई वैश्विक राजनीति के किसी भी समूह में शामिल नहीं होना चाहिये क्योंकि इससे भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार लाभ प्राप्त नहीं होता है।
14. भारत को अपने पड़ोसी देंशो तथा क्षेत्रीय संगठनों जैसे सार्क और बिम्स्टेक के साथ मिलकर एक विशेष कार्यदल का गठन करना चाहिये ताकि इस आपदा से निपटने की तैयारियों में समन्वय व संचार की कमी न रह सके।

करोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित देश जैसे चीन, टाईबान, हांगकांग, जापान आदि देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिये महामारी रोगों के विशेषज्ञ टॉलबर्ट नेन्सवाह के मुताबिक कुछ कारगर प्रावधानों को तेजी से लागू किया गया इस देशों में लागू किये गये पाँच सबसे कारगर प्रावधान ये रहे है-

1. जाँच, जाँच और फिर से जाँच।
2. सवंमित मरीज को ऐकांत में रखना।
3. तैयारी और त्वरित कार्यवाही।
4. सोशल डिस्टैसिंग।
5. साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

विभिन्न महामारियां अलग-अलग समय में संपूर्ण विश्व पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती है और वे न केवल स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते है बल्कि विश्व राजनीति में बदलाव में भी महत्तवपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

संदंर्भ ग्रंथ सूची:-

1. ध्रुव जय शंकर, आर्थिक कमजोरियां और कोविड 19 के बाद की दुनिया का बदलता शक्ति संतुलन, 23 जुलाई 2020, orfonlineorg.com
2. संचिन बोगोई, करोना वायरस, भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित कर रही है यह महामारी, 12 अप्रैल 2020, www.BBC.com
3. शशी थरूर समीर सरन, कोविड 19, अव्यवस्था और नई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका, 08 अप्रैल 2020 orfonlineorg.com
4. अरविंद गुप्ता, कोविड 19 संकट का वैश्विक प्रभाव, 21 अप्रैल 2020, www.vifindia.org
5. जे. सी. चौधरी, विश्व स्तर पर कोरोना वायरस के वर्तमान एवं बाद में प्रभाव, www.bhaskar.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

सामाजिक न्याय के संदर्भ में महिलाओं की विधिक स्थिति: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

श्रीमति ज्योति पांचाल मिस्त्री *

* असिस्टेंट प्रोफेसर, लॉ एंड लीगल स्टडीज सेज यूनिवर्सिटी, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य का मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्याय पूर्ण समाज की स्थापना से हैं जिसमें आर्थिक और सामाजिक विषमता न्यूनतम हो और समाज समावेशी हो साथ ही साथ जिसमें संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता हो सामाजिक न्याय का उद्देश्य जो है। वह भारत के सभी नागरिकों से जुड़ा है जिसमें विशेष रूप से अगर महिलाओं को शामिल किया जाए तो उचित होगा। क्योंकि सामाजिक न्याय किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि समाज में रहने वाला प्रत्येक वर्ग चाहे वह महिला हो या पुरुष उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसके व्यक्तिगत विचार उसी तरह से महत्वपूर्ण हो जिस तरह से एक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य की छवि लिए है और यहां सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य लैंगिक जातिगत नस्लीय व आर्थिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकारों तक समान रूप से सुनिश्चित पहुंचाना है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रारंभ से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक न्याय के बीच विवाद का विषय रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता लैंगिक भेदभाव महिलाओं से जुड़ी और समानता है। सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में हमारे सामने हैं इसलिए यह आवश्यक है कि सामाजिक न्याय में महिलाओं के अधिकारों की सुनिश्चित था को अधिक प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय शब्द को कठोर प्रतियोगिता के विरुद्ध कमजोर वृद्धों दीन हीन महिलाओं बच्चों और अन्य सुविधाओं से वंचित राज्य द्वारा संरक्षण के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह सिद्धांत एक विषय विषमता मूलक समाज के सर्व समावेशी समाज के रूप में परिवर्तन में एक मार्गदर्शक का कार्य करता है।

शब्द कुंजी – व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लैंगिक असमानता , विरोधाभासी विचारधारा, सर्व समावेशी समाज।

प्रस्तावना – सामाजिक न्याय की संकल्पना निश्चित रूप से भारत के संदर्भ में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत में भांति-भांति के धर्म संप्रदाय, आस्था, विश्वास , वर्ग, जाति के लोग रहते हैं , उचित तालमेल का होना अत्यंत आवश्यक है वह निश्चित रूप से उनके अधिकारों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है इसीलिए भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना का संकल्प भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या हो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर परिस्थितियों के अनुरूप काल के अनुसार सामाजिक न्याय के अलग अलग मायने हैं वह भौतिक सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों के अनुरूप समाज की आज से जुड़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच सामंजस्य का होना व उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना ही सामाजिक न्याय है सामान्य तौर पर हम सामाजिक न्याय को अगर सूक्ष्मा रूप से अध्ययन करें तो समाज की जो मेन कड़ी है या सृष्टि के निर्माता महिला व पुरुष के बीच सामंजस्य समानता की स्थापना की आवश्यकता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम धर्म जाति वर्ग के अनुरूप सामाजिक न्याय की स्थापना करें क्योंकि समाज के जो दो पहिए हैं। स्त्री या पुरुष अगर उन दोनों के बीच सामंजस्य है समानता है तो सामाजिक न्याय अपने आप स्थापित किया जा सकता है। भारतीय समाज में परंपरागत रूढ़ियों के चलते कुछ ऐसी कुरीतियां हैं। जिनके कारण महिलाओं की दशा कई मामलों में देनी भी है वह कई ऐसी स्थितियां हैं जिनके चलते महिलाएं काफी पिछड़ी हुई हैं जो कि हमारी सामाजिक न्याय की संकल्पना को पीछे धकेल का है वह उसके पूर्ण रुप से पालन में कहीं न कहीं बाधा का कार्य करता है रुकावट का कार्य करता है अगर हम यह चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग प्रत्येक समुदाय प्रत्येक धर्म आगे बढ़े, विकास करें, तो सबसे पहले महिलाओं के विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय के कुछ बाधक तत्व; पहला असमानता , कितना आसान है आज के समय में भारत के संदर्भ में यह कह देना कि भारत में महिलाओं को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। जिनका कि आजकल दुरुपयोग भी होने लगा है वह महिला व पुरुष के बीच और समानता जैसी कोई चीज नहीं है। इनके तुष्टीकरण के लिए हमारे पास कुछ भारतीय संविधान के अनुच्छेद भी हैं जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 14 हुआ 15 तीन व राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी राज्य को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि वे महिलाओं से जुड़ी सारी अव्यवस्थाओं को दूर करें व समानता को निश्चित करें परंतु क्या संविधान के इन अनेक अनुच्छेदों के हो जाने से महिलाओं को हर वह समानता का अधिकार प्राप्त है या उसका वह अधिकार समर्पित है। जिसकी कि वह वास्तविक में अधिकारीनी है अगर ऐसा होता तो आज के

समय में महिलाओं से जुड़े जो भी कुरीतियां , परंपरागत रूढ़ियों, अंधविश्वास, धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव, भ्रूण हत्या जैसी चीजें नहीं होती , परंतु आज भी भारत की महिलाओं के पास इतने अधिकार हैं। परंतु उनका उचित निर्वाचन नहीं होने के कारण महिलाएं आज भी कहीं न कहीं पिछड़ी हुई हैं जो कि हमारे सामाजिक न्याय की संकल्पना के लिए बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा बड़ा बड़ा कारण है समाज में व्याप्त अपराध अगर हम सामाजिक न्याय को इस मामले से देखें कि समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ समानता का व्यवहार हो वह उनके अधिकार सुरक्षित रहें यहां भी महिलाओं से जुड़े होने वाले अपराधों का उल्लेख करना उचित होगा कि सामान्यत: महिलाओं से जुड़े जो अपराध है। चाहे वह घरेलू हिंसा हो कन्या भ्रूण हत्या हो या यौन अपराध हो। इन सभी अपराधों की रिपोर्ट अगर उठाकर देखी जाए तो निरंतर इन में वृद्धि ही हुई है जो कि सामाजिक न्याय के रूप में या सामान्य न्याय के लिए भी हमारे लिए बहुत बड़ा बाधा का विषय है।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध पत्र में शोध की सिद्धांत परम्परागत प्रविधि का उपयोग किया गया है जिसके माध्यम से विभिन्न समाचार पत्र, लेख को पढ़ने के पश्चात शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत विचारों को इसमें समावेशित किया है।

उपकल्पना : प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से कुछ उपकल्पनाएं निर्मित की जा रहे हैं। जिसमें सर्वप्रथम है सामाजिक न्याय की संकल्पना को परिपूर्ण किए जाने में लैंगिक असमानता एक नकारात्मक भूमिका निभाती है, दूसरी सामाजिक न्याय को प्राप्त किए जाने हेतु महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है तीसरी सामाजिक न्याय व महिलाओं के अधिकारों की सुनिश्चितता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।

शोध के उद्देश्य: प्रस्तुत शोध के माध्यम से शोधकर्ता सामाजिक न्याय जैसी परिकल्पना के साथ महिलाओं से जुड़े अपराध महिलाओं से जुड़े विषय बताएं उनके अधिकारों के संरक्षण व महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध जो कि सामाजिक न्याय की परिकल्पना को ठेस पहुंचाते हैं। उनके लिए एक विश्लेषणात्मक अध्ययन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझा गया इसी हेतु शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत विषय के संदर्भ।

विश्लेषण : सामाजिक न्याय व महिलाओं से जुड़ी विषमताओं को कई रूप से समझा जा सकता है। जिसमें समाज में व्याप्त ऐसी विभिन्न समस्याएं हैं जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति हैं उनके मध्य जो सामाजिक विशेष समानताएं हैं। उसके कारण सामाजिक न्याय की परिकल्पना को पूर्ण रूप से पाए जाने में कई चुनौतियां हमारे सामने हैं जिनमें प्रमुख रूप से महिलाओं की का शिक्षित होना महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना होना महिलाओं के विरुद्ध होने वाले विभिन्न अपराध महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु उचित कानूनी व्यवस्था व संस्थाओं का ना होना महिलाओं का समाज में और सुरक्षित होना महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानून व विधायक का उचित क्रियान्वयन ना होना महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। उनका उन तक ना पहुंच पाना व उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाना प्रमुख रूप से हैं। जब भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाए। निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का जो आधार है। वह आर्थिक सामाजिक व महिलाओं की राजनीतिक पहचान व उनकी महत्ता है भारतीय सामाजिक स्थिति को अगर देखा जाए तो आज भी महिलाएं अपनी आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं जिसमें विधि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि महिलाओं के संबंधा में पर्याप्त विधियों का निर्माण किया गया है।

भारत जैसे समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु कई तरह की आपराधिक व सिविल विधियों को बनाया गया है जिससे वह अपनी स्थितियों को सुधार सकें संविधान में महिलाओं की स्थिति को बेहतर किए जाने हेतु विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। परंतु सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कई बार यह महसूस होता है कि महिलाओं की स्थितियों को सूत्र किए जाने हेतु महिलाओं के लिए बनाई गई विधियों का उचित क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कस्बों में यहां तक कि बड़े शहरों में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं हैं या उन्हें जागरूक होने नहीं दिया जाता है महिलाओं की इन समस्याओं का सामान्य रूप से देखा जाए तो कोई समाधान भी नजर नहीं आता क्योंकि इस तरह की समस्याओं के लिए सबसे आवश्यक यह है कि महिलाओं को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जिस हेतु सबसे पहले समाज में व्याप्त पुरुष प्रधान मानसिकता को बदलना आवश्यक है। अगर हम सामाजिक न्याय के लिए दृढ़ नाम के विरुद्ध महिलाओं से जुड़ी और समानताओं को दूर किए जाने हेतु कुछ समाधान प्रस्तुत हैं जो कि सामाजिक न्याय के संकल्प को सुनिश्चित किए जाने हेतु सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

पहला अगर हम महिलाओं से जुड़े अपराधों को कम किए जाने हेतु दृढ़ संकल्पित हो व उनसे जुड़े हो अपराधों को कम किए जाने हेतु प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए महिलाओं से जुड़े कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। वह उनका क्रियान्वयन किया जा सके तो महिलाओं से जुड़े अपराधों को कम किया जा सकता है।

दूसरा सामाजिक न्याय को स्थापित किए जाने में महिलाओं से जुड़ी शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं जिसमें महिलाएं अपनी शिक्षा के लिए वह लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा इस तरह की योजनाएं निर्मित की जाए जिससे अधिक से अधिक महिलाएं लड़कियां शिक्षित हो वह अपने लिए सही वह गलत का निर्णय ले सकें बाल बालिका शिक्षा देश के विकास के लिए व सामाजिक विकास के लिए सामाजिक न्याय के लिए अत्यंत आवश्यक है जब तक देश की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी जब तक देश की महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत शत प्रतिशत ना हो जाए तब तक सामाजिक न्याय व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाना मुश्किल है।

तीसरा आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए वह आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए वह महिलाएं जो शिक्षित नहीं है। उनके लिए कुछ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएं जिसके द्वारा वह अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए जाने हेतु प्रयासरत रहें। वह अपनी आत्मनिर्भरता मान सम्मान को बना सकें।

चौथा पुरुष प्रधान समाज में व्याप्त कुरीतियां है। जिसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक है कि वे महिलाओं से जुड़ी भ्रांतियां कुरीतियां अंधविश्वास को दूर करें जिससे महिलाएं जागरूक होकर आत्म विश्वासी होकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकें।

पांचवा महिलाओं से जुड़े अधिकारों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

किया जाए जिससे कोई भी महिला घरेलू हिंसा यौन हिंसा यौन शोषण या किसी भी तरह के अपराध के लिए स्वयं ठोस कदम उठा सके ऐसे अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. https://www.drishtiias.com/hindi/images/dlp-demo/upsc/gs-pack-3/Social-Justice.pdf
2. https://hi.wikipedia.org/wiki
3. https://www.studyfry.com/
4. hhttps://hindi.livelaw.in/category/columns/domestic-violence-act-pwdva-2005-165603
5. जे एन पांडे : भारत का संविधान।
6. डी डी बसु : भारत का संविधान।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

हाड़ौती मे मराठा प्रवेश की परिस्थितियों का अध्ययन

मणिराज सिंह राठौड़ *

*शोधार्थी (इतिहास) गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (राज.) भारत

हाड़ौती एक परिचय – दक्षिणी पूर्वी राजपूताना का क्षेत्र चौहान वंश की हाड़ा शाखा के द्धारा शासित होने के कारण हाड़ौती कहलाता है। जिसमे वर्तमान के कोटा, बूंढी, झालावाड़ तथा बारां जिले सम्मिलित है। इस क्षेत्र की सीमा मध्यप्रदेश से मिलती है। यह क्षेत्र वनों से परिपूर्ण है तथा यहाँ चम्बल, काली सिंध, पार्वती इत्यादि नदियाँ बहती है। यहाँ पहाड़िया तथा दर्रे भी मौजूद है।

बूंदी का नाम बूँदा मीणा के नाम पर रखा गया, कालांतर मे देवा हाड़ा ने मीणाओ को पराजित कर 1241 मे बूंदी राज्य की स्थापना की। कुंभाकालीन रणकपुरअभिलेख मे बूंदी का नाम 'वृंदावती' मिलता है। इसी प्रकार कोटिया शाखा के भीलों के नाम पर कोटा का नाम पड़ा, समर सिंह हाड़ा ने 1264 मे कोटा पर अधिकार कर लिया इस तरह कोटा, बूंदी राज्य का ही भाग था। जैत्र सिंह हाड़ा ने कोटा तथा बर सिंह हाड़ा ने 1354 मे तारागढ़(बूंदी) किले का निर्माण करवाया। शाहजहाँ के शासनकाल मे कोटा का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया गया तथा राव माधोसिंह इसका 1631 मे प्रथम शासक बना। इसके शासनकाल मे मुग़ल राज्य की दृष्टि मे हाड़ौती की शक्ति का केंद्र बूंदी न होकर कोटा बन गया।कालांतर मे अंग्रेजों ने कोटा से 19 परगने मिलाकर 1838 मे झालावाड़ राज्य की स्थापना की, झाला मदन सिंह को पहला शासक बनाकर राजराणा की उपाधि दी गई।

मराठा राजनीति का उद्भव – मराठों का इतिहास प्रारंभ से ही विवादास्पद रहा है।मराठों के राजनीतिक उत्थान की इतिहासकारों ने विभिन्न व्याख्या दी है जैसे की भौगोलिक स्थिति, औरंगज़ेब की नीतियां, भक्ति आंदोलन शिवाजी का नेतृत्व इत्यादि।

महादेव गोविंद रानाडे अपनी पुस्तक राइज ऑफ द मराठा पावर में लिखते है की भौगोलिक स्थिति के कारण ही इनमे स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई और इसी कारण कोई भी शासक अधिक समय के लिए मराठों को अपने अधीन नहीं कर सका। तुकाराम रामदास जैसे संतो ने मनुष्य की समानता परजोर दिया जिससे एक विशिष्ठ मराठा पहचान का उद्भव हुआ।सर जादूनाथ सरकार और जी एस सर देसाई जैसे इतिहासकार मराठों के उत्थान को औरंगज़ेब की हिंदू विरोधी नीतियों का परिणाम मानते है।इन्होंने मुगल और निजाम शाही के अधीन सेना में कार्य करते हुए सैन्य अनुभव प्राप्त किया और दक्कन की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति का लाभ उठाते हुए अपने राज्य की स्थापना के प्रयास किए जो शिवाजी के नेतृत्व के कारण स्वराज की अवधारणा में फलीभूत हुई।मराठों के राजनीतिक उत्कर्ष का श्रेय मुख्यत: शिवाजी को जाता है, शिवाजी ने बीजापुर के कई प्रदेश जीते और दक्कन का सूबेदार शाइस्ता खाँ उन्हें रोकने में असफल रहा।इसके पश्चात मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि1665 स्वीकार करने को बाध्य किया ।आगरा दरबार में नजरबंद किए जाने के बाद शिवाजी आगरा से कुंवर राम सिंह की सहायता से भाग निकले और 1674 में ब्राह्मण गंगा भट्ट के द्धारा उनका राज्याभिषेक करवाया गया। शिवाजी की मृत्यु के कुछ सालों बाद मराठों मे गृह कलह प्रारंभ हो गया तथा शिवाजी व शाहू के बीच संघर्ष चालू हुआ, अंतत: 1707 में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से शाहू ने सत्ता प्राप्त की ओर1713 बालाजी को अपना पेशवा नियुक्त किया। 1719 में जहांदार शाह ने शाहू को मराठों का स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लिया, पेशवा के अधीन मराठा उत्तर की ओर बढ़े 1728 में पालखेड के युद्ध में निजाम को तथा 1733 में मालवा के सूबेदार आमेर नरेश सवाई जय सिंह को मंदसौर के युद्ध में परास्त किया।मालवा प्रवेश करने पर मराठों को राजपुताने पर आक्रमण करने के लिए आसान मार्ग मिल गया ।

मराठों के प्रवेश के समय राजपूताना की राजनीतिक अवस्था – औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद राजपुताने के राजा आपसी कलह में ध्यान देने लगे प्रत्येक राजपूत राज्य गृह कलेश का केंद्र बन गया और मराठो को इन राजाओंके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का अवसर मिला,इसके तीन प्रमुख केंद्र थे। कोटा व बूंदी में बुद्ध सिंह व दलेलसिंह,जोधपुर में अभय सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह व बख्तसिंह में संघर्ष हुआ और बख्तसिंह ने मराठों की सहायता से गद्दी प्राप्त कर ली इसी प्रकार जयपुर में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद मराठों का हस्तक्षेप व लूटमार काफी बढ़ गए, इन तीनों राज्यों के गृह युद्ध ने मराठों को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित किया इस कारण मराठा राजपूताना में किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे। इस प्रक्रिया में मराठे धन वसूल करने के साथ ही उन्हें अपने राजनीतिक प्रभुत्व में रखने हेतु प्रयास करने लगे।

हाड़ौती मे प्रवेश के कारण – मुग़ल साम्राज्य का पतन – मजबूत मुग़ल साम्राज्य के समय बादशाह राजपूत नरेशों को नियंत्रित व इनके मध्य मध्यस्त की भूमिका निभाता था। परंतु मुग़ल साम्राज्य के कमजोर होने से राजपूतों के आपसी झगड़े अनियंत्रित हो गए ओर इसी राजनीतिक स्थिति ने मराठों को प्रवेश का अवसर दिया।

मराठों की प्रसारवादी नीति– पेशवा के काल मे मराठों ने उत्तरी भारत मे प्रसारवादी नीति का पालन किया और '1728–29 मे बाजीराव मालवा व बुंदेलखंड मे, जो की मुग़ल साम्राज्य के बीचों बीच थे, अपने पैर जमाने मे सफल हो गया'। तत्पश्चात राजपूताना (मुख्यत: हाड़ौती)के मालवा से

सटे होने के कारण बाजीराव की दृष्टि इस ओर पड़ी।

मराठों की लूट की मनोवृत्ति – प्रारंभ मे शिवाजी ने संसाधनों के अभाव मे मुग़ल छावनियों ओर व्यापारिक केंद्रों पर छापे मारकर धन एकत्रित किया तथा इस धन का प्रयोग अपनी सैन्य शक्ति को दृढ़ करने व साम्राज्य निर्माण मे किया। परंतु कालांतर मे साम्राज्य स्थापना के बाद भी मराठों ने राजस्व का एक प्रमुख स्त्रोत लूट को बनाए रखा जैसे चिमाजी की मालवा विजय मे देखने को मिलता है। 'सातारा मे तो धन की सबसे ज्यादा जरूरत थी ; चिमाजी की विजय की सूचना जब सातारा पहुची तो पत्र द्वारा चिमाजी से यही पूछा गया की इस युद्ध मे कितना द्रव्य हाथ लगा। इसलिए राजपुताने के आर्थिक शोषण की नियत से उन्होंने यहाँ प्रवेश किया।

दक्षिण की तत्कालीन अवस्था – भौगोलिक कारणों से मराठों के इलाके आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं थे साथ ही दक्षिण मे निरंतर युद्धों से आर्थिक भार भी बढ़ा। इसीलिए छत्रपति शाहू ने पेशवा को गुजरात व मालवा से चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने के आदेश दिए ओर अगला पड़ाव प्राकृतिक रूप से हाड़ौती व शेष राजपूताना था।

बूंदी मे उत्तराधिकार संघर्ष – 'बूंदी के राव बुद्ध सिंह ने राज्यच्युत होने पर पहले मेवाड़ वालों से मदद मांगी, पर राजा जय सिंह के लिहाज के कारण राणा ने जब उसका साथ न दिया तो उसकी स्त्री ने दलेल सिंह के बड़े भाई और बुद्ध सिंह के तरफदार सरदार प्रताप सिंह हाड़ा को मल्हार होल्कर से सहायता लेने भेजा। तब मराठों को राजपूत राज्यों के आपसी मामलों में भी दखल देने का मौका मिला।' इस प्रकार बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष ने न केवल हाड़ौती अपितु सम्पूर्ण राजपूताना मे मराठों के प्रवेश के द्वार खोल दिए।

राजस्थान की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था ने मराठों को राजस्थान मे प्रवेश के लिए प्रेरित किया। मराठों के आक्रमण साम्राज्यवादी प्रकृति के नहीं थे उनका उद्देश्य यहा राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करके धन लूटना था, कुछ इतिहासकारो का मानना है कि अगर मराठे आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होते तो शायद राजस्थान उनके आक्रमणों से बच जाता परंतु मराठों की प्रसारवादी नीति ओर हाड़ौती की सामरिक स्थिति के कारण हाड़ौती में मराठा प्रवेश स्वाभाविक था। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष ने मराठों को हाड़ौती में प्रवेश का अवसर प्रदान किया एवं इसके पश्चात मराठों ने राजपूताने के सभी राज्यों मे हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया जिसके दूरगामी परिणाम हुए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. हुकूम चंद जैन, 2018 , पेज 75,77,78
2. सरकार, पेज 132
3. वर्मा, 2006, पेज 255
4. सिंह, 1935, पेज 216
5. पृथ्वी सिंह मेहता, 1950, पेज 117

****

विधि और विधिक संस्थाओं में सामाजिक न्याय

डॉ. नीति निपुण सक्सेना *

* एच ओ डी, इंस्टिट्यूट ऑफ़ लॉ एंड लीगल स्टडीज, सेज यूनिवर्सिटी, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय समाज आज जिन विधियों का उपयोग कर रहा है तथा जिन विधिक संस्थाओं के माध्यम से न्याय प्राप्ति की ओर अग्रसर है तथा न्याय प्राप्ति में अपना स्थान बनाए हुए हैं उन व्यवस्थाओं में सामाजिक न्याय को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है इसी का परिणाम यह है कि आज विधि और विधिक संस्थाओं में सामाजिक न्याय का वर्चस्व शाली स्थान है और इस सामाजिक न्याय के बल पर ही हमारी न्यायिक व्यवस्था न्याय को पूर्णता प्रदान करने की दिशा में पूर्ण तरह सक्षम और अग्रसर है।

शब्द कुंजी – सामाजिक न्याय, विधि, विधिक संस्थाएं।

प्रस्तावना – आज भारतीय समाज विश्व के अग्रणी समाजों में अपना स्थान बनाए हुए उसका प्रमुख कारण है भारत में अपनी सोच, उसकी आध्यात्मिकता है तथा उसकी न्यायिक व्यवस्थाओं में न्याय की प्राप्ति। जिसके कारण भारत को विश्व के परिदृश्य पर एक अभूतपूर्व स्थान प्राप्त है। प्राचीन काल से ही भारत अध्यात्म में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और इस अध्यात्म का मूल कारण उसकी अपनी न्याय व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का संचालन है।

उपकल्पना – भारतीय विधि और विधिक व्यवस्थाओं में सामाजिक न्याय पूर्ण रूप से व्याप्त है।

शोध प्रविधि – परंपरा वादी शोध प्रविधि का उपयोग किया गया है जिसमें विभिन्न विधियों का अध्ययन तथा सामाजिक आंकड़ों को संग्रहित किया गया है।

विश्लेषण

संविधान और सामाजिक न्याय – भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में परिलक्षित होता है जिसके विभिन्न प्रावधान सामाजिक न्याय की अवधारणा को बताते हैं संविधान की उद्देशिका तथा भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहे जाने वाले मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक न्याय दिखाई देता है।

भारतीय संविधान की उद्देशिका राजनीतिक न्याय की बात के साथ-साथ सामाजिक और न्याय की बात भी करती है इसमें विचार, अभिव्यक्ति , विश्वास, पूजा की बात, अवसरों की समानता, सभी लोगों के बीच भाईचारे के विकास, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ भारत की एकता और अखंडता की बात की गई है इस प्रकार से जनतांत्रिक तरीके से भारतीय संविधान की उद्देशिका सामाजिक आर्थिक और न्याय दर्शन की ओर ध्यान आकृष्ट करती है मौलिक अधिकारों के माध्यम से सामाजिक न्याय के विकास की बात, एक समतावादी समाज की स्थापना करके जिसमें सभी को समान दर्जा मिल पाए। स्वतंत्रता अब लोगों की निजी संपत्ति नहीं होगी और सभी उस स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग कर सकेंगे, शोषण के विरुद्ध सभी नागरिकों को सभी व्यक्तियों को अधिकार होगा, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात मौलिक अधिकारों के अंतर्गत की गई है यह सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं।

सामाजिक न्याय की अवधारणा का बहुत स्पष्ट एवं प्रखर, मुखर प्रतिपादना राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत भाग 4 में की गई है इसके अंतर्गत नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं।

अनुच्छेद 38 का मूल सिद्धांत जो राज्य को निर्देश देता है कि लोक कल्याण कार्य किए जाएं और ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें, जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में चाहे वह सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक हो न्याय सुलभ कराया जा सके। नई सामाजिक व्यवस्था के लिए यह निर्देश भी दिए गए हैं, कि सभी लोगों के जीवन यापन के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाने चाहिए भौतिक साधनों के स्वामित्व का नियंत्रण का विभाजन इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके तथा आर्थिक व्यवस्थाओं का संचालन भी इस प्रकार से होना चाहिए कि कुछ लोगों के हाथों में उत्पादन के साधनों एवं धन का केंद्रीकरण सामान्य लोगों के हितों के विरुद्ध ना हो सके महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन तथा श्रमिक स्त्रियों पुरुषों बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनकी शक्ति के दुरुपयोग ना हो ऐसी व्यवस्थाएं बच्चों के व्यक्तित्व का विकास तथा स्वास्थ्य प्रदर्शन प्रधान हो सके तथा बच्चों और युवाओं के नैतिक और भौतिक शोषण को भी बचाया जा सके अनुच्छेद 41 लोगों के लिए काम केअवसर प्रदान करने शिक्षा की व्यवस्था करने वृद्धावस्था में बीमारी और अपंगता की स्थिति में व्यवस्था करने के प्रावधान करता है अनुच्छेद 42 कार्य के लिए मानवीय परिस्थितियों का निर्माण गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की बात करता है मजदूरों के लिए चाहे वे खेती हरो औद्योगिक हो उनके आराम सामाजिक न्याय सांस्कृतिक अवसर की व्यवस्था करने की बात करता है अनुच्छेद 43 के माध्यम से 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। अनुच्छेद 46के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक आर्थिक संवर्धन की बात तथा

शोषण एवं अन्याय से बचाने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है संविधान में सामाजिक न्याय किस संबंधित प्रावधानों को समय-समय पर क्रियान्वित करने के लिए विशेष कदम भी उठाए जाते रहे हैं।

विभिन्न विधियां – सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों के माध्यम से विभिन्न विधेयक पारित किए गए हैं इन विधेयकों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नाइनटीन एटी एट संपदा शुल्क अधिनियम 1953 छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1950 से भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1956 धनकर अधिनियम 1957 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960 वस्ती सुधार एवं सफाई अधिनियम 1950 बोनस भुगतान अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम1948 बंधित श्रम प्रति अति उत्साह धन अधिनियम 1976 एवं श्रम अधिनियम 1970 विस्थापित व्यक्ति प्रतिकार एवं पुनर्वास अधिनियम 1954 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिक 52 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1940 एक साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 एक विवाद अधिनियम 1940 7 प्रसूति प्रसुविध अधिनियम 1961 उपदान संदाय अधिनियम 1972 आदि आदि।

सामाजिक विधान की कुछ श्रेणियां सामाजिक बुराइयों के निवारण के लिए अधिनियम पेश करती हैं जैसे छुआछूत दहेज वेश्यावृत्ति आदि के संबंध में सामुदायिक कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा मकान की योजनाओं के संबंध में सामाजिक सुरक्षा की विधान जैसे सामाजिक न्याय वृद्धावस्था प्रसूति सुविधाएं सामाजिक कार्य और सामाजिक कल्याण जैसे बाल कल्याण उपचार अपराधा परिवीक्षा जुआ निवारण इसके अलावा कुछ विधियां जो जमीदारी के उन्मूलन काश्तकारी भूदान सहकारिता से संबंधित हैं सभी सामाजिक न्याय की ओर संकेत करती हैं।

न्याय विधि अनुसार प्रदान करने में राज्य प्रशासन का भी अपना अहम रोल होता है राज्य प्रशासन का एक आवश्यक कार्य न्याय प्रशासन भी है न्याय का प्रमुख औजार विधि ही है न्याय प्रशासन ने न्यायालय के माध्यम से किया जाता है न्यायालय केवल विधि के ही न्यायालय नहीं है बल्कि वह न्याय के भी न्यायालय हैं सामंड ने विधि की जो परिभाषा दी है वह विधि के उद्देश्य के संदर्भ में है। विधि को वह विधि को सिद्धांतों के समूह के रूप में मानते हैं जिन्हें राज्य न्याय प्रशासन में मान्यता देता है और लागू करता है इसे और स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि विधि उन नियमों से बनती हैं जिन्हें न्याय के न्यायालय मान्यता देते हैं और उसके अनुसार न्याय करते हैं विधि के जो कार्य एवं उद्देश्य बताएं हैं वह न्याय स्थापना और शांति पूर्वक परिवर्तन है अतः विधि के उद्देश्यों में एक न्याय भी है विधि का उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है और वह न्याय विधि के अनुसार होना चाहिए वह न्याय राष्ट्रीय विधि के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए विधि तमाम बुराइयों के लिए निसंदेह एक उपाय या उपचार है परंतु वह स्वयं अपने साथ बुराइयां ले आती है विधि के अनुसार न्याय से तात्पर्य है लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए जबकि किसी के साथ भी ने व्यवहार करने के विशेष कारण ना हो अपनी हैसियत एवं स्थिति के बावजूद सभी उसी विधि एवं विधिक प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए।

भारतीय न्यायपालिका– सामाजिक न्याय की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने में भारतीय न्यायपालिका का अपना अहम रोल है या अपनी भूमिका अपने निर्णयों के माध्यम से देती है ऐसे विभिन्न निर्णय जो कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं।

यद्यपि न्यायपालिका के कुछ निर्णय ऐसे भी हैं जिन्होंने की सामाजिक न्याय की अवधारणा को धाक्का पहुंचाने का काम किया है उन वादों में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद, आरसी कूपर बनाम यूनियन इंडिया और प्रीवि पर्स जैसे वाद हैं इन निर्णयों को प्रभाव को कम कर देने के लिए भारतीय संसद ने संविधान का 24 व 25 वा संशोधन किया तथा केशवानंद भारती के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 25 वा 24 वा और 29 वें संविधान संशोधन को संवैधानिक ठहराया बाद में अपने कई निर्णय और विशेषकर 1978 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में अपने व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया का मामला यह एक ऐतिहासिक मामला था जिसने भारत सरकार ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से 13 अगस्त 1990 और ऑफिशियल मेमोरेंडम 1991 के माध्यम से भारत सरकार की नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% नियुक्ति पर आरक्षण के प्रावधान किए थे भारत सरकार के इस आरक्षण संबंधी आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय ने विचार-विमर्श तथा तथ्यों को सुनने और समझने के उपरांत अपने निर्णय में इस 27% आरक्षण के प्रावधान को सही एवं वैधा माना और भारत सरकार के संशोधित आदेश1 991 में 10% जिस अतिरिक्त आरक्षण के प्रावधान को वैध ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन नियुक्तियों में जिसमें विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है आरक्षण को अनुचित बताया और अभी निर्धारित किया कि इसमें आरक्षण नहीं होना होगा।

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला इस वाद के माध्यम से सामाजिक न्याय को अर्थवान बनाया गया है प्रस्तुत वाद जिसमें शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया है काफी सहायक हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार का सहवर्ती या सहगमी है जब तक शिक्षा का अधिकार एक वास्तविकता ना बन जाए तब भारत के अधिकांश लोगों के लिए जो अशिक्षित हैं भारत के संविधान द्वारा प्रदत्ता मौलिक अधिकार पहुंचकर बाहर होंगे।

रणवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रुदल जा बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार, पीपुल्स यूनियन फॉर यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इत्यादि आदि वादों की लिस्ट बहुत लंबी है इन वादों के माध्यम से हमारी न्यायपालिका ने सामाजिक न्याय की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उपसंहार– सामाजिक न्याय की अवधारणा को हमारी विधि और न्यायपालिका पूर्ण रूप से साकार रूप प्रदान कर रहे हैं संविधान की प्रस्तावना से लेकर विभिन्न अनुच्छेदों में सामाजिक न्याय को बताया गया है तथा विभिन्न विधियां सामाजिक न्याय की दिशा में अपना योगदान दे रही हैंतथा सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ते हुए कदम समाज को एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर रहे हैं जिससे महिला पुरुष समानता तथा अमीरी गरीबी की दीवाल को पाटा जा सकेगा एवं ऊंच-नीच के भेद को हटाकर समानता स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध एक सूत्र में हम बंद कर देश को विश्व गुरु की ओर ले जाने में अपनी सकारात्मक भूमिका दे पाएंगे।

सुझाव – सामाजिक न्याय की अवधारणा फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है किंतु फिर भी आज कुछ कमियां दिखाई देती हैं उन कमियों के निराकरण के लिए कुछ सुझाव अग्रेषित किए जा रहे हैं :

1. विधि अपना काम पूर्ण क्षमता से कर पा रही है लेकिन आज भी समाज की मानसिकता को बदलना की आवश्यकता है।
2. सामाजिक न्याय जो किताबों में और कुछ उदाहरण के रूप में ही दिखाई दे रहा है उसे संपूर्ण समाज में व्याप्त करने की आवश्यकता है।
3. शिक्षा को न सिर्फ डिग्रियों तक रखा जाए वरण शिक्षा को मानसिकता बदलने के हथियार के रूप में परिणित करना होगा।
4. सरकार के प्रयासों के साथ साथ ही एनजीओ के प्रयास भी हो तो समाज को एक नई दिशा मिल सकेगी।
5. महिला शिक्षा का मतलब उन्हें कमाने योग्य बनाने से नहीं है बल्कि दिमागी रूप से सक्षम करने से है।
6. न्याय सिर्फ दिखाने के लिए नही होना चाहिए, बल्कि वास्तविकता में होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विधिशास्त्र त्रिपाठी
2. विधिशास्त्र परांजपे
3. विधिशास्त्र अनिरुद्ध प्रसाद
4. https://sarkariguider.in
5. https://socialjustice.gov.in/
6. https://www.investopedia.com/terms/s/social-justice.asp

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आर्थिक-सामाजिक अध्ययन (झाबुआ जिले के मेघनगर विकासखण्ड़ के संदर्भ में)

हेमता डुडवे *

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना से लेकर वर्तमान तक विभिन्न योजनाओं द्वारा ग्रामीण विकास के संबंध में अभी तक केन्द्र एवं राज्य शासन के द्वारा लगभग 150 योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन किया जा चुका है। कुछ योजनाएं आज भी संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य निर्धन परिवारों को प्रगतिशील बनाने के साथ ही सहकारी भावना के साथ काम करने हेतु तैयार करते हुए उत्पादन बढाना और रोजगार में वृद्धि करना हैं। शासन द्वारा संचालित की जा रही, ग्रामीण विकास और कल्याण की भावना को ध्यान रखते हुए, सामाजिक न्याय एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ देश में स्वतंत्रता प्रप्ति के समय इन योजनाओं और कार्यक्रमों की संख्या बहुत कम थी। समय के साथ इन योजनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। पिछले कुछ दो दशकों से शासन द्वारा विभिन्न अवसरों पर नई-नई योजनाओं की भरमार सी होती जा रही है।

शब्द कुंजी -ग्रामीण विकास, निर्धनता, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रोजगार,बचत।

प्रस्तावना - देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का अस्तित्व में रहने का प्रमुख कारण रोजगार का अभाव होना है। रोजगार के अभाव में लोगों का जीवन निर्वाह करना दूभर हो जाता है और वे गरीबी की अवस्था में ही बने रहते है। अत: गरीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना पहली प्राथमिकता है और यह तभी संभव है, जब ग्रामीण विकास की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाए। ग्रामीण विकास से अभिप्राय है-ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना। यह एक ऐसी व्यूह रचना है, जो लोगों के विशिष्ट समूह निर्माण, ग्रामीण के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने के लिए बनाई गई है। इसके माध्यम से विकास के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन की तलाश में लगे निर्धनतम लोगों तक पहुँचाना है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ग्रामीण विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, परिणाम स्वरूप हमारे गाँव आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियोजित आर्थिक विकास के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है। ग्रामीण विकास जहाँ एक ओर कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योगों के विकास पर निर्भर है, वहीं इन कार्यों के लिये आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता तथा ग्रामीण रोजगार भी आवश्यक है, जिससे गाँवों की निर्धानता दूर होकर उनका कायाकल्प हो सके। इस दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विकास के लिये सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए गए।

साहित्य समीक्षा

1. **राय** (2014) के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्रामीण विकास से लोगों के आर्थिक सुधार के साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है। इस संदर्भ में, ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी में वृद्धि, योजना के विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों के बेहतर प्रवर्तन और क्रेडिट तक पहुँच के लिए बेहतर संभावनाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार और गरीबी उन्मूलन की जरुरत है।

2. **जगदीश्वरी** (2015) ने अपने शोध कार्य में स्पष्ट किया है कि जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यो के आधार पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात पर आम सहमति बनी है और यह स्पष्ट हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कारण महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण में उनके सामाजिक एवं आर्थिक पहलूओं को प्रभावित किया है। सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण हासिल करने और उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद की है। सशक्तिकरण भी महिलाओं के जीवन और संसाधनों को व्यवस्थित करता है।

3. **दासगुप्ता एवं राय** (2015) ने अपन शोध आलेख में स्पष्ट किया है कि प्राचीन काल से मानव सभ्यता को अपने सतत् विकास चरण में कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें गरीबी सबसे विनाशकारी प्रतीत होती है। भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में इस तरह की समस्या का सामना कर रहा है। जो समावेशी विकास के साथ-साथ कई विकसित और विकासशील देशों के साथ कई आयामों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। दुर्भाग्यवश, आजादी के सत्तार 70 वर्षों के बाद भी गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) श्रेणी के अंतर्गत भारतीय आबादी का एक बड़ा प्रतिशत है। इस

संदर्भ में विभिन्न शोध अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण भारत बहुत पीड़ित है, जो भारत के शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक गंभीर माना जाता है। इसलिए गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिसके माध्यम से सामान्य जनसंख्या की आजीविका विकसित की जा सकती है और इस संदर्भ में ग्रामीण गरीबों को विशेष रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। इस मुद्दे का सम्मान करते हुए और सामाजिक-आर्थिक बहिष्कृत गरीब लोगों के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण सीमा से विभिन्न विकासशील और अविकसित देशों के लिए समावेशी विकास का स्वागत करते हुए विभिन्न प्रचार और विकास कार्यक्रमों की घोषणा की गई।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अवधारणा - वर्ष 2010 के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-व्यापन करने वाले अनुमानित 7 करोड़ परिवारों में से करीब 4.5 करोड़ परिवारो को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जाना था और देश में विद्यमान स्व-सहायता समूहों को अधिक मजबूत किया जाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना आवश्यक था। इस को आधार मानकर देश की कल्याणकारी सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (S.G.S.Y.) को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (N.R.L.M.) के रूप में प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन किया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों, सिविल सोसायटी संगठनों, बैंकरों एवं विद्वानों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क को 9 दिसंबर, 2010 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का औपचारिक रूप से 3 जून 2011 को शुरू किया गया था। इसे वित्तीय वर्ष 2010-11 के बाद से लागू किया गया है। 29 मार्च 2016 से एनआरएलएम का नाम बदल कर दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की सहभागिता के संबंध का अध्ययन करना।
2. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बचत की स्थिति का अध्ययन करना।
3. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र- मध्यप्रदेश के पश्चिम में स्थित झाबुआ जिले के मेघनगर विकासखण्ड को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया।

अध्ययन की इकाई- दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लाभान्वित स्वयं सहायता समूह के सदस्य अध्ययन की इकाई होगी।

उत्तरदाताओं का चयन- अध्ययन के लिये 10 गांव का चयन दैव निदर्शन विधि द्वारा चयनित करन, उसमें से प्रत्येक गांव से 09 स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि का प्रयोग कर कुल 90 सदस्यों का अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

तथ्यों का संकलन- प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकडों का संग्रहण किया जा रहा हैं और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

तालिका क्रं. 1: परिवारों की वार्षिक आय राशि

क्रं.	व्यय विवरण (वार्षिक)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	40000 से कम	14	15.6
2.	40000-60000	12	13.2
3.	60000-80000	20	22.2
	80000-100000	**44**	**49.0**
	योग	**90**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उक्त तालिका क्र. 01 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से पारिवारिक वार्षिक आय करने वाले प्रवर्ग में 40000 से कम 15.6 प्रतिशत उत्तरदाता है, 40000से 60000 के मध्य 13.2 प्रतिशत है, 60000से 80000 के मध्य आय प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं 22.2 प्रतिशत हैं, 80000.से 100000 तक आय प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 49.0 है। इस तरह से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं की आय सीमित है और खर्चे अधिक है। वह अपने खर्चों को अन्य स्रोतों से राशि लेकर पूरा करते है, जिसमें मिशन से ऋण लेकर अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते है।

स्वयं सहायता समूह के गठन की शुरूआत में प्रारंभिक रूप से सदस्यों द्वारा बहुत कम राशि से बचत प्रारम्भ की जाती है। प्रत्येक समूह के सदस्यों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बचत राशि जमा करवाई जाती है। बचत राशि से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है-

तालिका क्रं. 2: स्वयं सहायता समूह की शुरूआत कितनी प्रारंभिक बचत राशि के शुरू किया

क्रं.	बचत राशि	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	50 से कम	55	61.13
2.	50-100	22	24.44
3.	100-200	07	7.77
4.	200 से अधिक	06	6.66
	योग	90	100

स्रोंत: प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त तालिका क्र. 02 से स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के समय आर्थिक स्थिति के रूप में बचत का स्तर में अंतर पाया गया है कि 61.13 प्रतिशत उत्तरदाता है ऐसे है जिनकी बचत 50 रूपये से भी कम है वहीं 200 से अधिक बचत वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 6.66 प्रतिशत है जबकि 100 से 200 तक बचत वाले उत्तरदाताओं की संख्या 7.77 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर बचत का स्तर बहुत ही कम था जिसका प्रमुख कारण रोजगार की कमी एवं मजदूरी करने से केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति ही कर पा रहे थे।

समूह के माध्यम से रोजगार व आर्थिक सहायता द्वारा सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने से उनमें बचत की प्रवृति में भी परिवर्तन हुआ वे अपनी आय का कुछ अंश बचत के रूप में जमा करवाने लगें। इसी आधार पर प्राप्त जानकारी नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका क्रं.3: समूह में वर्तमान में बचत राशि

क्रं.	बचत राशि	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	50-100	06	6.66
2.	100-200	72	80.00

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

3.	200 से अधिक	12	13.34
	योग	90	100

स्रोंत: प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर।

उक्त तालिका क्र. 03 में समूह में जुड़ने के पश्चात वर्तमान समय में उत्तरदाताओं की बचत की स्थिति को दर्शाया गया है। जिसमें देखा गया है कि 50 से 100 रूपये की बचत करने वालों की संख्या 6.66 प्रतिशत है जबकि 100 से 200 तक की बचत करने वालों की संख्या 80 प्रतिशत है। वहीं 200 से अधिक बचत करने वालों की संख्या 13.34 प्रतिशत हो गई है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि समूह में जुडने के पश्चात आय के स्तर में वृद्धि हुई है और वह पहले की अपेक्षा अपना जीवन-यापन बेहतर ढंग कर पा रहे है।

व्यक्ति अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं आर्थिक सुदृढता के लिए समूह के माध्यम से ऋण लेकर अन्य व्यवसाय, स्वरोजगार, कृषि उपकरण या अन्य कार्य करता है, और अतिरिक्त आय प्राप्त करता है। जिससे उसका जीवन स्तर में परिवर्तन होता है और धीरे-धीरे वह आर्थिक आत्मनिर्भर हो जाता है। इसी उद्देश्य के लिए निम्न कारणों से वह ऋण लेता है।

तालिका क्रं. 4: स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण लेने का कारण

क्र	ऋण लेने का कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि कार्य	9	10.00
2.	लघु उद्योग	12	13.33
3.	कुटीर उद्योग	5	5.56
4.	व्यवसायिककार्य के लिये	56	62.22
5.	कुक्कुट, मत्स्य पालन	8	8.89
	योग	**90**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उक्त तालिका क्र. 04 में स्वयं सहायता समूह से ऋण लेने के कारणों को स्पष्ट किया गया है। जिसमें सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि कुल सर्वेक्षित उत्तरदाता में से 62.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ऋण व्यवसायिक कार्य के लिए ऋण लिया है। 8.89 प्रतिशत उत्तरदाता ने कुक्कुट तथा मत्स्य पालन के लिए ऋण लिया हुआ हैं। वहीं कृषि कार्यो के लिए 10.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समूह से ऋण प्राप्त किया हुआ है। जबकि लघु तथा कुटीर उद्योग के लिए क्रमश: 13.33 तथा 5.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्टार्टअप तथा मेक इन इंडिया के लिए उद्यम स्थापित करने के लिए स्वंय सहायता समूह से ऋण लेकर अपना व्यवसाय तथा उद्यम स्थापित किया हुआ है।

बैंक द्वारा ऋण राशि पर ब्याज वसूल किया जाता है। ब्याजदर मासिक, त्रैमासिक ,अर्द्धवार्षिक या वार्षिक हो सकती है तथा ब्याज दर में भी भिन्नता हो सकती है। इस तालिका में समूह के सदस्यों द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण राशि पर ब्याज की दर का आकलन प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रं. 5: स्वयं सहायता समूह के द्वारा प्राप्त ऋण की राशि पर ब्याज की दर

क्रं.	ब्याज की दर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	0-1	02	2.22
2.	2-3	86	95.56
3.	3- से अधिक	02	2.22
	योग	90	100

स्रोंत: प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर।

उक्त तालिका क्र. 05 में स्वंय सहायता समूह से ऋण प्राप्ति पर ब्याज दर की स्थिति का अध्ययन किया गया है। जिसमें कुल उत्तरदाता में से 2.22 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताया है कि स्वयं से ऋण पर ब्याज की दर 1 प्रतिशत से मासिक होती है। वहीं 95.56 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताया है कि ब्याज की दर 2 से 3 प्रतिशत मासिक निर्धारित की जाती है। जबकि 3 प्रतिशत से अधिक ब्याज की दर 2.23 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को समाज में प्रतिष्ठित करना या उनकी सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। महिला सशक्तिकरण द्वारा ही महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा का अध्ययन करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आए है।

तालिका क्रं. 6: उत्तरदाताओं का सामाजिक प्रतिष्ठा का स्तर

क्रं.	सामाजिक प्रतिष्ठा का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	वृद्धि	73	81.11
2.	कमी	6	6.67
3.	यथावत्	11	12.22
	योग	**90**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उपरोक्त तालिका क्र. 06 में स्वयं सहायता समूह में जुडने के बाद सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थिति का अध्ययन किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि 81.11 प्रतिशत उत्तरदाता ने स्वीकार किया है कि समूह में जुड़ने के बाद उनकी समाज में प्रतिष्ठा में तीव्र सकारात्मक बदलाव हुआ है। क्योंकि पहले की तुलना में ज्यादा महत्व एवं महत्वपूर्ण कार्यो में सम्मिलित किया जाता है। जबकि 6.67 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताया है कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आयी है। जबकि 12.22 प्रतिशत उत्तरदाता ने स्वीकार किया है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई बदलाव नहीं आया है।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता व स्थायित्व निश्चित व नियमित नहीं होता है। लेकिन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वयं का रोजगार स्थायित्व किया या अन्य स्त्रोंत से रोजगार के स्थायित्व की स्थिति की जानकारी निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है।

तालिका क्रं.7: उत्तरदाताओं के रोजगार की स्थिति

क्रं.	रोजगार में स्थायित्व	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	वृद्धि	75	83.33
2.	कमी	7	7.78
3.	यथावत्	8	8.89
	योग	**90**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उपरोक्त तालिका क्र. 07 में रोजगार की स्थिति का अध्ययन किया गया है। जिसमें कुल सर्वेक्षित उत्तरदाता में से 83.33 प्रतिशत उत्तरदाता के रोजगार में वृद्धि हुई है। जबकि 7.78 उत्तरदाता ने कमी को स्वीकार किया गया है।

जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अपेक्षाकृत कम होती है। बीमारी की स्थिति में स्वास्थ्य केन्द्र पर जाने के बजाय झाड़-फूँकं व बड़वा के पास जाते है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी प्रचलन है। लेकिन समूह से जुडने के बाद स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लोगों में आ रही है। निम्न तालिका में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की स्थिति स्पष्ट की गई है।

तालिका क्रं. 8: उत्तरदातओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की स्थिति

क्रं.	स्वास्थ्य के जागरूकता स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	वृद्धि	55	61.11
2.	कमी	6	6.67
3.	यथावत्	29	32.22
	योग	**90**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उक्त तालिका 08 में स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता की स्थिति का अध्ययन किया गया है। जिसमें कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से 61.11 प्रतिशत उत्तरदाता को स्वास्थ्य के संबंध जागरूकता में वृद्धि हुई है। जबकि 6.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में कमी हुई है, 32.22 प्रतिशत यथवत् है।

स्वास्थ्य संबंधी सुविधा के लिए शासन द्वारा 108 डायल एक बहुउपयोगी योजना है, जिसके माध्यम से गंभीर स्थिति में व्यक्तियों त्वरित स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है। उतरदाताओं द्वारा 108 डायल का उपयोग करने संबंधी जानकारी निम्न सारणी से प्राप्त हुई है।

तालिका क्रं. 9: उत्तरदाताओं द्वारा 108 डायल का उपयोग

क्रं.	108 डायल योजना का लाभ स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	वृद्धि	79	87.78
2.	कमी	04	4.44
3.	यथावत्	07	7.78
	योग	**90**	**100**

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त संमको के आधार पर।

उक्त तालिका क्रं. 09 में 108 डायल के उपयोग के संबंध स्थिति का अध्ययन किया गया है। जिसमें 87.22 प्रतिशत उत्तरदाता 108 डायल योजना का लाभ लेने की स्थिति में वृद्धि की बात को स्वीकार किया गया है। जबकि 5 प्रतिशत ने बाताया है 108 डायल सेवा में कमी हुई है। लेकिन 7.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 108 डायल योजना का लाभ की स्थिति को यथावत मानते है।

समस्या– अध्ययन के दौरान विकास जागरूकता कि साथ ही कुछ समस्याओं की ओर ध्यानाकर्षण हुआ।

1. परिवारों में पारम्परिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को घर से बाहर निकलाकर कार्य करने की स्वीकृति न मिलना।
2. महिला के नेतृत्व में कार्य करना असुविधाजनक व असहज महसूस करना।
3. महिलाओं पर ढोहरी जिम्मेदारी आ जाने से शारीरिक व मानसिक तनाव का कारण।

सुझाव:

1. आजीविका मिशन योजना द्वारा ग्रामीण विकास हो रहा है, लेकिन ग्रामीणों में अभी भी परम्पराओं और रीति–रिवाजों के प्रति अट्ट श्रद्धा है जिनकी समय के साथ, उपयोगिता व प्रांसगिकता नही रही है। उनके प्रति जागरूकता की आवश्यकता है।क्योंकि उनके निर्वाह में अनावश्यकत व्यय होता है।
2. महिलाओं के प्रति परिवार व समाज में विचारधार में परिवर्तन की आवश्यकता है।
3. महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन एवं समर्थन देने की आवश्यकता है।
4. बचत के प्रति अधिक जागरूकता की आवश्यकता है।

निष्कर्ष– दीनदयाल अन्त्योद योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास तो हुआ है, साथ ही सामाजिक दृष्टि से भी प्रगतिशील है। यदि उपरोक्तानूसार सुझावों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए तो जो भी समस्याएँ पाई गई है, उनका समाधान होने से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक– सामाजिक विकास अपेक्षाकृत बेहतर हो सकता है। आवश्यकता इस बात कि है कि इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाए साथ ही इसके कियान्वयन में गंभीरता व इच्छाशक्ति आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Roy, Jayashree (2014), IRDP to NRLM: A Brief Review of Rural Development Initiatives in India, International Journal of Humanities and Social Science Invention ISSN-2319 – 7714, pp. 5-8
2. Jagadeeswari,B.Yasodha(2015½]EMPOWERMENT OF SHG WOMEN MEMBERS IN राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कार्यान्वयन का स्वरूप, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2014
3. CUDDALORE DISTRICT THROUGH AAJEEVIKA-NRLM SCHEME BY MAHALIR THITTAM, International Journal of Business and Administration Research Review, ISSN -2348-0653, pp. 15-21
4. DasGupta, Manidipa and Roy, Nirupom (2015), National Rural Livelihood Mission (NRLM) and Sustainable Livelihood Development through Poverty Alleviation, International Journal of Multidisciplinary, ISSN- 2455-3085, pp. 107-113
5. 'ग्रामीण विकास को समर्पित' कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2018।
6. श्री निवासन जीनेशनल लाइवलीहुड्स मिशन कुरूक्षेत्र, नं. 12 अक्टूबर 2011।107. सिंह चरणदाधीच, सी.एल.एवं अनंत एस. वित्तीय समावेशन और सामाजिक बदलाव योजना , अंक 8 अगस्त 2015।
7. प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार भारत 2015 अध्याय ग्रामीण और शहरी विकास, पृष्ठ634–688।
8. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन– स्वयं सहायता समूह के चरण एवं सूक्ष्म वित संबधित पुस्तिका।
9. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ राज्य ग्रामीण आजीवका मिशन– समूह से समृद्धि की ओर (पत्रक)।
10. हलचल (2014), जेवियर समाज सेवा संस्थान, राँची, पृ. 15

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

नैतिक शिक्षा के महान दार्शनिक गुरु नानक

डॉ. रविन्द्र गासो *

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (हिन्दी) डी.ए.वी. कॉलेज, पूण्डरी (कैथल) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) भारत

शोध सारांश – गुरु नानक देव जी मध्यकालीन भारत की सन्त काव्य-धारा के सर्वप्रमुख कवियों में से एक हैं। आपने धर्म-व्यवस्था और समाज-व्यवस्था में सुधार के लिए क्रांतिकारी दर्शन दिया। अपनी विचारधारा को क्रियान्वित करने के लिए गुरु जी ने 'किरत (श्रम) करो', 'वंड छको' (बांट कर खाओ), 'नाम जपो' के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, उसकी बुनियाद नैतिकता है।

गुरु जी का समूचा जीवन व दर्शन नैतिकता का महान उदाहरण है। समाज, जीवन, अध्यात्म के अपने आदर्श में गुरु जी ने नैतिकता को बुनियाद माना है। यह नैतिकता साधारण या कृत्रिम नहीं - न्यायपूर्ण, शोषणमुक्त, भ्रष्टाचार-मुक्त, अत्याचार-मुक्त व्यवस्था इसका आधार है।

गुरु जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को उसके कुकर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। बुरे कर्म करने वाले राजाओं, धर्म के ठेकेदारों, पुरोहितों आदि सभी को गुरु जी ने बुरे कर्म करने, लोगों का शोषण करने, भ्रष्टाचार करने, चोरी-यारी करने, लोभ-लालच- अहंकार करने, पाखण्ड, अंधविश्वास करने के लिए लताड़ा है। कथनी और करनी की एकता आपके जीवन और विचारधारा का आधार है।

गुरु जी स्पष्ट कहते हैं कि जीवात्मा अगर बातों से अच्छी है परन्तु उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, मन में खोट है और बुराई है तो बाहर से अच्छा दिखने का कोई लाभ नहीं है। सत्य को तभी जाना जा सकता है जब हृदय भी सच्चा हो।

प्रस्तावना – गुरु नानक देव जी (1469-1539 ई.) मध्यकालीन भारत के महान सन्त, क्रान्तिकारी, समाज-सुधारक, अद्‌भुत-अद्वितीय युग-द्रष्टा और युग-स्रष्टा हैं। धर्म-व्यवस्था ही नहीं, समाज व्यवस्था में सुधार हेतु गुरु नानक देव जी ने जो फलसफा दिया, उसका सबसे सशक्त पक्ष है उसे व्यावहारिक-मॉडल बनाकर क्रियान्वित करना। आपका फलसफा यथार्थ-ऐतिहासिक जमीन से पैदा हुआ। भारतीय समाज को रूढ़ियों, अन्धविश्वासों, कर्मकाण्डों, अज्ञानता, मूर्त्ति-पूजा, जाति-प्रथा, स्त्री व मानव-विरोधी विचारधारा, भय-भ्रम-अनैतिकता से मुक्त करने का काम गुरु नानक देव जी ने किया।

गुरु जी की वाणी (कुल 974 सबद) 'श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी' में सुव्यवस्थित ढंग से सुरक्षित है, इसीलिए इसमें प्रक्षिप्त अंश नहीं हैं।

गुरु जी ने 25 वर्ष उदासियों (लम्बी धार्मिक यात्राएँ) के अनुभवों के उपरान्त जीवन के अन्तिम 18 वर्ष रावी नदी के तट पर करतारपुर नामक स्थान पर समाज-जीवन-अध्यात्म के अपने अनुपम-अद्वितीय मॉडल को कार्य रूप दिया। इसमें 'नैतिकता' को बुनियाद माना गया है। यह 'नैतिकता' साधारण या कृत्रिम नहीं क्योंकि न्यायपूर्ण, शोषणमुक्त, भ्रष्टाचार-अत्याचार मुक्त व्यवस्था इसका आधार है। गुरु जी की इस नैतिक-शिक्षा को समझना उनके फलसफे को समझने के लिए बहुत जरूरी है।

कथनी और करनी में एकत्व का भाव गुरु नानक दर्शन की बुनियाद है। बाबा नानक का जीवन ठोस यथार्थ के वैज्ञानिक आधारों पर खड़ा अद्वितीय अद्‌भुत प्रकाश-स्तम्भ है। गुरु जी ने अपनी वाणी में जो रास्ता दिखाया, उस पर स्वयं अपनी महान जीवन गाथा लिखी। आपका सब कुछ सचमुच का है, कुछ भी कृत्रिम, मिथ्या या दोहरा या दिखावे का नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च नैतिक मूल्यों, आदर्शों, मानवीयता की स्थापना की। इतिहास में ऐसे दार्शनिक दुर्लभ हैं जिन्होंने अपनी कथनी (दर्शन) को करनी (व्यावहारिक रूप) में बदला हो। इसी कारण गुरु नानक देव जी दुनिया के सभी धर्मावलम्बियों, सभी वर्गों में समादृत हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी का अध्ययन हमें बताता है कि उन्होंने जिन बुनियादी बातों को आधार बनाया उनमें है :-

1. ईश्वर की सच्ची वास्तविक संकल्पना की खोज।
2. जगत और जीवन का सार और उद्देश्य।
3. सच्ची भक्ति का मार्ग सच्चा हृदय है।
4. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के परित्याग हेतु मानव-समाज में भेदभाव, शोषण और अन्याय को समाप्त करना नानक-दर्शन का मूलाधार है।
5. अच्छे कर्मों, उच्च नैतिक मूल्यों-आदर्शों का पालन नहीं करने वाली भक्ति और जीवन अर्थहीन है और उसे कुकर्मों की सजा अवश्य मिलेगी।

नानक-दर्शन बातों से अच्छा होने और कर्म में नीच या बुरा होने को स्वीकार नहीं करता। मन से दोषयुक्त, बुरा देखने वाली और बाहर से सुन्दर दिखने वाली जीवात्मा को गुरु जी ने पूर्णतः असफल, निरर्थक कहा है।

गली असी चंगीआ आचारी बुरीआह।
मनहु कुसुधा कालीआ बाहरि चिटवीआह।।

हम (जीव रूपी नारियां) बातों से अच्छी बनती हैं, परन्तु (यह कैसे हो सकता है जब हम कर्म में अच्छी नहीं हैं।) (हम) मन से खोटी और बुरा देखने वाली हैं, परन्तु बाहर से सुन्दर बनकर दिखलाती हैं।

गुरु-नानक जी 'रहत' अर्थात् 'रहणी' की मर्यादा (रहत-मर्यादा) का निष्कर्ष देते हैं। गुरु जी ने देश-काल और धर्म-जाति की सीमाओं को दरकिनार कर 'मानस-धर्म' की स्थापना की।

'गुरु जी ने अपनी धर्म-साधना में सदाचरण को विशिष्ट स्थान दिया है। सदाचरण के भी आगे दो रूप देखे जा सकते हैं - एक नैतिक आचरण यथा - धीरज, संतोष, संयम, परोपकार, दया, क्षमा, शील, समदर्शिता, निर्भयता, निरवैरता, परस्पर प्रेम-भाव, उदारता, सहनशीलता आदि। और दूसरे निषिद्ध आचरण का त्याग, यथा - कामादिक वासनाएं, मान, कपट, तृष्णा आदि का निषेध। गुरु जी ने अपनी वाणी में सर्वत्र नैतिक आचरणों के पालन पर बल दिया है और निषिद्ध कर्मों के त्याग में ही मनुष्यता का कल्याण बताया है। अत: गुरु नानक देव जी के सहज-धर्म की आधारभूमि सच्ची नैतिकता है। इसी का नामांतर 'रहणी' अथवा 'रहत' है।'[1]

'सचु करणी अरु अंतरि सेवा' अर्थात् शुभ कर्म और हृदय में लोक-सेवा की उमंग ही अगम-अलख निराकार ईश्वर के ध्यान में सन्तुष्टि का आधार है। ईश्वर-ध्यान में सन्तुष्टि का भाव अच्छे कर्मों और जन-सेवा के बिना संभव नही। गुरु नानक देव जी सेवा को सर्वोच्च भाव के लिए सन्तोषी होना जरूरी मानते हैं -

'सेव कीती संतोखीईं जिन्ही सचो सचु धिआइआ।
ओन्ही मंदे पैरु न रखिओ करि सुक्रितु धरमु कमाइआ।।'

अर्थात् (अहन्त्व से मुक्ति पाने का साधन सेवा है, परन्तु) 'सेवा सन्तोषी मनुष्य कर सकते हैं जिन्होंने केवल सत्य प्रभु की उपासना की है। वे अशुभ कर्मों में पैर नहीं रखते, वे शुभ कर्म करके अपना धर्म पालन करते हैं।'[2]

ज्यादातर धर्मोपदेशक भक्ति-मार्ग में सिर्फ जप-तप यानी समाज-मानवता से अलग रहकर आत्मिक-साधना का मार्ग बताते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी 'विचि दुनिया सेव कमाईए ता दरगह बैसणु पाईए' की बुनियादी बात कहते हैं। वे कहते हैं - 'करणी बाझहु भिसति न पायी' (नेक करनी (कर्मों) के बिना किसी को बहिशत नहीं मिलता) या फिर 'अगै करणी कीरति वाचीए बहि लेखा करि समझाइआ' (कर्मों की गुण-स्तुति का लेखा-जोखा होता है।) या फिर 'मंदा चंगा आपणा आपे ही कीता पावणा' (अपने किये अच्छे-बुरे कर्मों का फल स्वयं उसे ही आगे जाकर मिलेगा।)

'आसा दी वार' की पउड़ी-21 में गुरु नानक देव जी का वचन है कि जब प्रत्येक मनुष्य को अपने किये हुए कर्मों का ही फल मिलता है तो फिर अशुभ कमाई क्यों की जाये (अशुभ कर्म क्यों किये जायें) बुरे कर्म सर्वथा नहीं करने चाहिए, लम्बी नज़र (दूर-दृष्टि) रखनी चाहिए कि बुरे कर्मों का फल क्या होगा -

'जितु कीता पाईऐ आपणा सा घाल बुरी किउ घालीऐ।
मंदा मूलि न कीचई दे लम्मी नदरि निहालीऐ।।'

(आसा दी वार; पउड़ी-21)

अनगिनत धर्म-ग्रन्थों के अनगिनत पाठ करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु की सभा में केवल एक बात स्वीकृत होती है कि अच्छे कर्म करते हुए अहंकार त्यागकर मनुष्य प्रभु के समीप जा सकता है या नहीं -

पढ़ि पढ़ि गडी लदीअहि ...।

x x x x

नानक लेखै इक गल होरु हउमै झखणा झाख।

(आसा दी वार)

गुरु नानक देव जी शुभ-कर्म को जीवन का व्यवहार बनाने का उपदेश कृषि-कर्म के रूपक द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि मन को हल चलाने वाला हलवाहक, शुभ-कर्म को खेती का धन्धा (काम-काज), श्रम को पानी और शरीर को खेत बना। **'नाम'** को बीज बनाकर सन्तोष रूपी सुहागा (खेत समतल करने वाला लकड़ी का मोटा शहतीर) चला। गरीबी का वेष (ड्योल) बना अर्थात् विनम्रता की ड्योल पानी को रोकने, संयमित करने हेतु बनानी है। प्रभु-प्रेम को खेती के जैसा काम बनाओ तो यह खेती फलदायिनी होगी। जो इस प्रकार की खेती करते हैं, उनके घर भाग्यों से पूर्ण देखोगे -

मनु हाली किरसाणी करणी सरमु पाणी तनु खेतु।
नाम बीजु संतोखु सुहागा रखु गरीबी वेसु।
भाउ करम करि जंमसी से घर भागठ देखु।

(राग सोरठि)

यह इसलिए भी जरूरी है कि सत्य-प्रभु सभी के कर्मों को देखता है, उसके आगे जाति या बल नहीं चलता, जीवों की पहचान उसके कर्मों से होती है -

'अगै जाति न जोरु है अगै जीउ नवे।'

गुरु नानक देव जी तत्कालीन दुरावस्था के चित्रण में मनुष्य के बुरे कर्मों का खण्डन करते हुए लिखते हैं -

'लबु पापु दुइ राजा महता कूड़ होआ सिकदार।
कामु नेबु सदि पुछीऐ बहि बहि करे बीचारु।
अंधी रयति गिआन विहूणी भाहि भरे मुरदारु।
गिआनी नचहि वाजे वावहि रूप करहि सीगारु।
उचे कूकहि वादा गावहि जोधा का वीचारु।
मूरख पंडित हिकमति हुजति संजै करहि पिआरु।
धरमी धरमु करहि गावावहि मंगहि मोख दुआरु।
जती सदावहि जुगति न जाणहि छडि बहहि घरबारु।
सभु को पूरा आपे होवै घटि न कोई आखै।
पति परवाणा पिछे पाईऐ ता नानक तोलिआ जापै।'

'(कलियुग में) पाप मानो राजा है, लोभ उसका सचिव है और मिथ्या उसका सरदार है। कामदेव सहायक है जिसे बुलाकर परामर्श किया जाता है और जो इनके साथ बैठकर विचार करता है। इस राज्य की जनता (वे जीव जो इस राज्य के प्रति स्वामी-भक्ति दिखाते हैं) ज्ञानहीन हैं जो मृतकों के समान स्वामी-भक्ति दिखाती है (सिर झुकाती है, अधीनता स्वीकार करती है)। (इस राज्य में ज्ञानी, ध्यानी, पंडित और धर्मात्मा भी हैं) ज्ञानी लोग (रासों में) नाचते हैं - ऊँचा कूदते हैं, युद्धों की कहानियाँ (रामायण, महाभारत, पुराण आदि) गाते हैं और शूरवीरों की बातें करते हैं (और बस वास्तविकता धर्म-साधना कोई नहीं)। पंडित (पढ़े हुए) मूर्ख हैं, चालाकी करते हैं, तर्क भी उपस्थित करते हैं, परन्तु धन-संचय से प्रेम करते हैं। धर्मात्मा लोग धर्म का कार्य करते हैं परन्तु धर्म खो देते हैं (क्योंकि आन्तरिक रूप से वासनाओं के अधीन हैं) वे धर्म-कर्म के मूल्य के रूप में मुक्ति मांग लेते हैं (धर्म-कर्म, धर्म के लिए नहीं, कामना के अधीन होकर करते हैं)। कई अपने आपको यति कहलवाते हैं परन्तु यतित्व की युक्ति नहीं जानते हैं, वैसे ही घरबार छोड़ बैठते हैं। (अद्भुत क्रीड़ा है कि) प्रत्येक मनुष्य अपने आपको पूर्ण समझता है। यह कोई नहीं कहता है कि मुझ में कोई त्रुटि है। (नानक) तोल में ठीक तुला हुआ, अथवा पूर्ण तुला हुआ, वह समझा जाना चाहिए, जो प्रभु की ओर से प्राप्त प्रतिष्ठा रूपी बाट तराजू के पिछले पलडे में डालकर तोला जाए, जो प्रभु के घर तोल में पूर्ण उतरे।'[3]

गुरु नानक देव जी का यह कथन कितना अद्भुत है कि जो धर्मात्मा धर्म-कर्म करके उसे गाता है और उसके एवज़ में मोक्ष मांगता है, उसका धर्म-कर्म व्यर्थ है, निस्सार है। निष्काम कर्म ही फलता-फूलता है। पुण्य-

कर्म करने वालों, दान करने वालों का भी यही हाल है जिन्हें 'वासनाओं' ने अपने आधीन कर लिया है।

'आसा दी वार' में **'जनेऊ संस्कार'** का खण्डन करते हुए गुरु नानक देव जी सत्य-वचन कहते हैं -

'लख चोरिया लख जारीआ लख कूड़ीआ लख गालि।
लख ठगीआ पहिनामीआ राति दिनसु जीअ नालि।'

बुरी संगति, बुरे लोगों के कूड़ (मिथ्या) का गुरु नानक जी खण्डन करते हैं -

'चोरा जारा रंडीआ कुटणीआ दीबाणु।
वेदीना की दोसती वेदीना का खाणु।'

माया-जनित पाँच विकारों को त्यागना भक्ति का उद्देश्य है, मूल है -

हउमै गरबु निवारीऐ कामु क्रोध अहंकारु।
लबु लोभु परजालीऐ नामु मिल आधारु।

बुरे कर्म करने वालों की भक्ति ईश्वर के यहां स्वीकार्य नहीं - **'चोरु सलाहे चीतु न भीजै'** और जो सच्चे हैं उनकी पुकार प्रभु बिना उनके बोले सुन लेता है -

सुणि मन अंधे कुते कूड़िआर।
बिनु बोले बूझीऐ सचिआर।

खोटा सिक्का यदि खरों में मिला भी दिया जाये तो जब भी परख होगी उसे अलग निकाल दिया जायेगा। कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा -

जैसा करे सु तैसा पावै।
आपि बीजै आपै ही खावै।

गुरु नानक देव जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्ती से हिदायत करते हैं। उनका मानना है कि चोरी का धन चोर (मोहाका) अपने पितरों के निमित्त दान देता है तो उसके पितरों को चोर ठहराया जायेगा। दूसरों का घर लूट कर, लूटे हुए धन से पिण्ड-दान करवाने वाले ब्राह्मण को भी न्याय दिया जायेगा अर्थात् उसे भी दण्ड मिलेगा (उसके हाथ काटे जायेंगे)। इसलिए निष्कर्ष यह है कि आगे वही मिलता है जो अच्छे कर्मों की नेक कमाई में से पितरों के निमित्त दिया गया है -

जे मोहाका घरु मुहै घरु मुहि पितरी देइ।
अगै वसतु सिञाणीऐ पितरी चोर करेइ।
वढीअहि हथ दलाल के मुसफी एह करेइ।
नानक अगै सो मिलै जि खटै घाले देइ।।

रिश्वतखोर से भी बड़ा पापी शोषक है। शोषण की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सत्ताधारी शोषक मनुष्यों का आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक शोषण करते हैं। परम्परागत व्याख्याता रक्त पीने वाले शाष्शण का अर्थ अत्याचार करते हैं, अत्याचार को महज शारीरिक-क्षति तक सीमित कर भावार्थ किया जाता है। जबकि शोषण सदियों से दलित-पीड़ित जनता का सन्ताप है। गुरु नानक देव जी द्वारा **'माणसखाणेय, 'छुरी चलाने वालेय, 'रक्त पीने वालेय** लोगों की पहचान मनुष्यों के बुरे कर्मों की श्रेणी में रखी गई है - जिसके अर्थ वृहद सांस्कृतिक इतिहास के सन्दर्भों में करने अपेक्षित हैं-

'माणसखाणे करहि निवाज
छुरी वगाइनी तिन गलि ताग।
x x x
कूड़ी रासि कूड़ा वापारु।
कूड़ु बोलि करहि आहारु।
सरम धरम का डेरा दूरि।
नानक कूड़ु रहिआ भरपूरि।
मथै टिका तेड़ि धोती कखाई।
हथि छुरि जगत कासाई।
नील वसत्र पहिरि होवहि परवाणु।
(आसा दी वार)

गुरु नानक देव जी हिन्दु और मुसलमान दोनों धर्मों के सत्ताधारी धर्म-गुरुओं के शोषण का निष्पक्ष व ईमानदारी से खण्डन करते हैं - इस प्रकार उन्होंने हिन्दू और मुसलमान धर्मावलंबी जनता की मुक्ति का सुनहरा सपना बुना जो भविष्य में जनता के मुक्ति-संघर्षों में बड़ी भूमिका बना।

गुरु नानक देव जी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि खुदा का नाम अगर पवित्र हृदय से उच्चरित किया जाये तभी प्रभु की दरगाह में स्वीकृत होगा। मनुष्यों का रक्त पीने वालों का हृदय कैसे पवित्र रह सकता है। रक्त-पीने का अर्थ अन्याय-अत्याचार ही नहीं शोषण की भयंकर दीर्घ व्यवस्था है-

'जे रतु लगै कपड़ै जामा होइ पलीतु।
जो रतु पीवहि माणसा तिन किउ निरमलु चीतु।
नानक नाउ खदाइ का दिलि हछै मुखि लेहु।
अवरि दिवाजे दुनि के झूठे अमल करेहु।'

दूसरे का अधिकार छीनना (मुरदारु) मृत-पशु खाने के समान है, ऐसे आगू (नेता) अन्ततः प्रभु की कचहरी में पहचाने जाते हैं -

कूड़ि बोलि मुरदारु खाइ।
अवरी नो समझावणि जाइ।
मुठा आपि मुहाए साथै।
नानक ऐसा आगू जापै।

'माझ की वार' में गुरु नानक देव जी का वचन है -

हकु पराइआ नानका उसु सुअर उस गाई।
गुरु पीर हामा ता भरे जा मुरदारु न खाइ।
गली भिसती न जाईऐ छुटै सचु कमाइ।
मारण पाहि हराम महि होइ हलालु न जाइ।
नानक गली कुड़ीई कूड़ो पलै पाइ।

दूसरे के अधिकार छीनना मुसलमान के लिए सूअर खाने के समान है और हिन्दू के लिए गाय। जो मनुष्य ऐसा जघन्य पाप नहीं करता और नेक कर्म करता है, गुरु और पीर उसी मनुष्य की सिफारिश करता है। केवल बातों से मनुष्य को स्वर्ग नहीं मिलता। वहां मुक्ति सच की कमाई से ही मिलती है, अच्छे-कर्म ही सच्ची कमाई हैं। और भी अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या करते हुए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हराम (अधर्म) की कमाई के धन में मसाले डाले जायें तो वह हलाल (धर्म की कमाई का धन) नहीं हो सकता। मसाले का अर्थ दान-पुन्न करना है। हराम की कमाई हराम ही रहेगी चाहे उसमें से कितना भी दान-पुन्न कर लें। कूड़ (मिथ्या, झूठी बातों) से सत्य नहीं मिलता अर्थात् बुरे कर्मों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं।

'करणि कलमा आखि कै ता मुसलमाणु सदाइ' अर्थात् अच्छे-ऊँचे कर्म करने वाला ही मुसलमान कहलाने का अधिकारी है -

'मिहर मसीति सिदकु मुसला हकु हलाल कुराणु।
सरम सुँनति सीलु रोजा होलु मुसलमाणु।
करणी काबा सचु पीरु कलमा करम निवाज।

तसबी सा तिसु भावसी नानक रखै लाज।

दया, दृढ़-आस्था, हक-हलाल की कमाई, मेहनत, शील, ऊँचे-अच्छे कर्म, सत्य, अच्छा-व्यवहार-आचरण, प्रभु-इच्छा के प्रति समर्पण आदि गुणों वाला ही मुसलमान है, जिसकी प्रभु रक्षा करता है।

समस्त जीवों के प्रति दया (सरबि जीआ मिहरंमति) करना अच्छे-शुभ-ऊँचे कर्म का
आधार बिन्दु हैं।

'बदफैली गैबाना खसमु न जाणई।
सो कहीऐ देवाना आपु न पछाणई।'

गुरु नानक देव जी कहते हैं जो छिपकर (गँवारु) बुरे-कर्म (बदफैली) करता है उसे न अपनी पहचान है न ही प्रभु की। प्रभु सर्वत्र विद्यमान है और उससे कुछ छिप नहीं सकता।

गुरु नानक देव जी **'हउमै'** को त्याग कर नम्रता को जिन्दगी जीने का आधार मानते हैं। तराजू का भारी पलड़ा ही झुकता है। फलदार टहनी ही झुकी हुई होती है। सभी गुणों का सार-तत्तव मधुर-व्यवहार और विनम्रता है -

'मिठतु नीवी नानका गुण चंगिआईआ ततु'

एक और श्लोक है **'आसा दी वार'** में -

'नानक फिकै बोलिऐ तनु मनु फिका होइ ....।'

झूठी प्रतिष्ठा और दिखावा करने वालों से अच्छे वे गरीब हैं जो अच्छे कर्म करते हैं-

'अंदरहु झूठे पैज बाहरि दुनीआ अंदरि फैलु।
अठसठि तीरथ जे नावहि उतरै नाही मैलु।
जिन्ह पटु अंदरि बाहरि गुदड़ु ते भले संसारि।'
(आसा दी वार)

कर्मों का महत्त्व गुरु नानक देव जी की विचारधारा में सर्वोपरि है। गुरु जी अच्छे कर्मों से कोई समझौता नहीं करते। उन्होंने अच्छे कर्मों में सच्चाई को देखा और दिखावा करने वालों की खबर ली है। भक्ति-कर्म में, सामाजिक जीवन में, व्यवस्था में कहीं भी कृत्रिम-झूठे लोगों को गुरु जी ने गलत ही नहीं कहा, उनका सख्त शब्दों में खण्डन किया है। गुरु जी का वचन है कि सच्चे हृदय से ही सच्चे प्रभु का दीदार हो सकता है -

'सचु ता परु जाणीऐ जा रिदै सचा होइ।'

गुरु नानक देव जी बातों में अर्थात् सिर्फ कहने भर के लिए अच्छे-कर्मों का महत्तव बताना निरर्थक मानते हैं। उनके जीवन का, विचारधारा का आधार ही **'कथनी और करनी'** की एकता है। इसीलिए मानव-समाज को चेतावनी देते हुए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं -

'गलीं असी चंगीआ आचारी बुरीआह।
मनहु कुसुधा कालीआं बाहरि चिटवीआह।'

अर्थात् 'हम (जीव रूपी नारियां) बातों से अच्छी बनती हैं परन्तु (यह कैसे हो सकता है) जब हम कर्म में अच्छी नहीं हैं। (हम) मन से खोटी और बुरा देखने वाली हैं, परन्तु बाहर से सुन्दर दिखलाती हैं।'[4]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. रतन सिंह जग्गी; गुरु नानक : व्यक्तित्व, कृतित्व और चिन्तन; भाषा विभाग, पंजाब, पटियाला; 1995; पृ. 661
2. डॉ. तारन सिंह; गुरु नानक वाणी प्रकाश; पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला; 1988; पृ. 556
3. वही, पृ. 568-69
4. वही, पृ. 207
5. डॉ. रविन्द्र गासो; गुरु नानक देव जी : व्यक्तित्व और विचारधारा; अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली, 2022
6. डॉ. रविन्द्र गासो; गुरु नानक कृत, 'आसा दी वार' : एक अध्ययन; अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली; 2022
7. डॉ. रविन्द्र गासो; गुरु नानक कृत, 'जपुजी साहिब' : एक अध्ययन; अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली; 2022
8. डॉ. रतन सिंह जग्गी (सं.); 'आसा दी वार' का टीका (पंजाबी में); पंजाबी यूनिवर्सिटी; पटियाला; 2009
9. डॉ. गुरशरन कौर जग्गी; आसा दी वार : व्याख्या और विश्लेषण (पंजाबी में); पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला; 2010
10. प्रो. हरबंस सिंह; गुरु नानक और सिक्ख धर्म की उत्पत्ति (पंजाबी में); पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला; 2010
11. भाई जोध सिंह; गुरु नानक वाणी; (पंजाबी में) नैशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली; पाँचवां संस्करण, 1996

****

महिला उद्यमियों के विकास में तृतीय क्षेत्र का योगदान

कमल सिंह मालवीय* डॉ. आर.के.बाकलिवाल **

*शोधार्थी, शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशक, शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इतिहास साक्षी है कि पुरातन काल में भारत उद्यमिता व स्वरोजगार के मामले में अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठता के शिखर पर था। भारत में औद्योगिक कला तथा शिल्प कला तथा कारीगरी में श्रेष्ठ था। प्राचीन काल से चली आ रही उद्यमिता की अवधारणा विगत कुछ वर्षों में कुछ फीकी सी रह गई है क्योंकि उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी काफी कम देखी गई है। अत: आज भारत को जरूरत है महिला उद्यमिता को बढ़ाने की वहीं दूसरे पक्ष में देखा जाए तो महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आज तृतीय क्षेत्र का योगदान काफी बढ़ रहा है क्योंकि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंक आते हैं। बैंक के द्वारा ही वित्त की व्यवस्था होती है हम कह सकते हैं कि बैंक आज अपना योगदान महिला उद्यमियों के विकास में दे रही है साथ ही साथ उद्योगों के कार्य में परिवहन बैंक भंडारण संचार इत्यादि तृतीयक सेवाएं अपना योगदान दे रहे हैं यदि व्यवसाय चल रहे हैं तो उनमें कर्मचारियों की भी आवश्यकता है। अत: कर्मचारी भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उद्योगों के विकास में तृतीय क्षेत्र अपना योगदान दे रहा है वहीं मध्यप्रदेश में देखा जाए तो महिला उद्यमियों के विकास हेतु शासन द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें की महिला उद्यमियों को वित्त की व्यवस्था की जा रही है साथ ही साथ उन्हें वित्त जाने की ऋण में विशेष प्रकार की सब्सिडी अथवा छूट भी प्रदान की जा रही है अत: हम कह सकते हैं कि महिला उद्यमियों के विकास में शासन के साथ-साथ तृतीय क्षेत्र अपना विशेष योगदान दे रहा है।

प्रस्तावना – आज हमारे देश में कई प्रकार के उद्योगों का संचालन होता है तथा उद्योगों के प्रति हर व्यक्ति सजग रहता है उद्योग एक ऐसा कार्य हो गया है जिसके द्वारा कम समय में अधिक रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं तथा वस्तुओं का सदुपयोग भी हम कर सकते हैं। भारत में उद्यमियों की स्थिति भारत आजाद होने से पहले बिगड़ी हुई दुर्दशा थी लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के प्रति काफी जागरुकता देखी गई व्यापार में भारत विदेशों से अपने संबंध बनाने लगा तथा भारतीय लोग विदेशों से नई तकनीकी लाने लगे जिससे उद्योगों की स्थिति बढ़ने लगी लेकिन बड़े बड़े स्तर पर देखा जाए तो उद्योग का संचालन सिर्फ पूंजीपति लोग हैं कर पाते थे लेकिन भारत की ज्यादा आबादी के कारण अधिकतर लोग मजदूर बनकर ही रह गए लेकिन इस स्थिति को भारत में गंभीरता से देखा गया। अत: अब छोटे-छोटे स्तर पर उद्योगों का संचालन होने लगा छोटे स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों का प्रारंभ हुआ तथा उद्योगों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने लगा हर स्तर पर चाहे छोटे कपड़े के उद्योग हो या छोटी सी बेकरी उद्योग सभी में व्यक्ति अपनी रुचि दिखाने लगा। वैसे देखा जाए तो भारत देश में उद्योगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जिसका प्रमुख कारण एकमात्र तृतीय क्षेत्र का योगदान है क्योंकि आज तृतीय क्षेत्र में स्थित बैंक बीमा परिवहन संचार तथा सेवा के द्वारा ही उद्योगों का संचालन हो पा रहा है। अत: हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र उद्योगों के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आज के युग में महिला उद्यमी एक नए रूप में उभर कर हमारे सामने आई हैं क्योंकि किसी महिला के लिए स्वयं का रोजगार होना उसका एक स्वाभिमान है। अत: महिला उद्यमी अपने उद्योगों के प्रति सजग दिखाई दे रही है भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं को हर कार्य में आगे माना जाता आ रहा है अत: उद्योग के जगत में भी आज महिलाएं अपने कदम आगे रख रही वहीं दूसरी ओर महिला उद्यमियों के सहयोग हेतु बैंक भी अपना कदम आगे बढ़ा रही है। महिला उद्यमियों के लिए उचित समय पर उचित वित्त की पूर्ति बैंकों के द्वारा की जा रही है। बीमा कंपनी भी अपनी सेवाएं महिला उद्योगों को प्रदान कर रही है। परिवहन सेवाओं में महिला उद्यमी अपना कदम आगे बढ़ा रही है अत: हम एक निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महिला उद्यमी के सहयोग में तृतीय क्षेत्र यानी कि बैंक बीमा कंपनी परिवहन भंडारण संचार सेवा इत्यादि सहयोग कर रहे हैं तथा साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शासन के कई नियमों तथा निर्देशों के अनुसार आज महिला उद्यमी अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं।

परिकल्पना– महिला उद्यमियों के प्रति हमने कई विचार प्रस्तुत किए लेकिन इस अति लघु शोध में निम्न परिकल्पनाए रखी है जो निम्न बिंदु अनुसार हैं।

1. तृतीय क्षेत्र का कौन सा महत्वपूर्ण पहलू महिला उद्यमी हेतु सहयोगी है।
2. महिला उद्यमियों के प्रति सरकार की क्या नीतियां हैं।
3. महिला उद्यमियों हेतु वित्त की पूर्ति पर्याप्त है अथवा नहीं।
4. महिला उद्यमियों में युवा वर्ग का रुझान कैसा है।
5. उद्योगों को तृतीय क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है।

उक्त परिकल्पनाओं के साथ हमने इस अति लघु शोध को प्रस्तुत किया है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत अतिलघु शोध में हमने द्वितीयक आकड़ो का प्रयोग किया है। जिसमें विभिन्न समाचान प्रत्रो तथा विभिन्न वेबसाइट का प्रयोग किया है।

तृतीय क्षेत्र – सरल शब्दों में, तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों से

माल का उत्पादन नहीं होता, लेकिन वे विनिर्माण की प्रक्रिया और उपभोक्ताओं तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती हैं।

उदाहरण के लिए – परिवहन सेवा का उपयोग करके माल को देश हर कोनो तक पहुँचाया जाता है।

तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्न पहलू हैं:

1. शिक्षा
2. वित्तीय सेवाएं
3. परिवहन
4. व्यक्तिगत सेवाएँ
5. दूरसंचार
6. पर्यटन
7. स्वास्थ्य सेवाएँ
8. फार्मेसी
9. सूचान प्रौद्योगिकी
10. अपशिष्ट निपटान
11. परामर्श
12. खुदरा बिक्री
13. फ्रेंचाइजिंग इत्यादि

उद्यमिता की आवश्यकता एवं महत्व– विकासशील देशों में उद्यमिता समृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार है, तो विकसित देशों में यह सृजनात्मक चिंतन सामाजिक समस्याओं, नवप्रवर्तन एवं साहिफ समाज के विकास की महत्वपूर्ण पद्धति है। हमें विश्व के विभिन्न देशों में जो औद्योगिक विकास दिखाई देती है, यह उद्यमियों की ही देन है। ऐसे में उद्यमी अपना तन,मन,धन सर्वस्व लगाकर उपक्रमों को खड़ा करते है। मानवीय एवं प्राक्रतिक साधनों की प्रचुरता समृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। वस्तुत: ऐसे ही लोग देश अप्रयुक्त साधनों का अधिकतम उपयोग करके उसके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते है। उद्यमी ही देश में नवीन वस्तुओं का निर्माण करके रोजगार, विनियोग व आय में वृद्धि करके संतुष्टि के स्तर को ऊँचा करके तथा सम्पूर्ण समाज में उद्यमशीलता व साहसिक चिंतन मनन करके राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाते है। उद्यमी अपनी व्यवसायिक क्रियाओं के द्वारा ही देश की आर्थिक व सामाजिक समस्याओं तथा गरीबी, निम्न उत्पादकता, आर्थिक सामाजिक विषमता, शोषण व अपराध आदि का निवारण करते हैं। श्री येल ब्रोजन ने ठीक ही कहा है साहसीकरण, आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। वह अर्थव्यवस्था की धुरी होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उसके बिना उद्योग की गाड़ी को चला नहीं सकते।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं – महिला उद्यमियों के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जो महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित करती है। तथा प्रशिक्षित करने के साथ में उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान करती अत: शासन द्वारा चलाई जाने वाली निम्न योजनाएं हम यहां पर देखेंगे।

कौशल्या योजना– कौशल्या योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोषित योजना है जिसके अंतर्गत रोजगार उन्मुखी राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करना है।

योजना का उद्देश्य –

1. रोजगार अथवा स्त्रोजगार प्राप्रू करने के लिए महिलाओं को आवश्यमक कौशल प्रदाय करना।
2. गैर–परम्परागत क्षेत्रों में कौशल प्रदान कर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना।
3. महिलाओं की रोजगार अवसर में वृद्धि करना।
4. प्रशिक्षण उपरांत पारिश्रमिक स्तर में वृद्धि हासिल करना।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सुविधाएं– मध्यप्रदेश शासन द्वारा महिला उद्यमियों को वित्तीय सुविधाएं बैंक द्वारा दी जाती है। तथा समय–समय पर इन वित्तीय वित्तीय ऋणों पर विशेष छूट भी दी जाती है या फिर सीधी भाषा में कहें तो इन्हें सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिला उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृत बैंक एक महत्वपूर्ण विकल्प है क्योंकि राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा कम से कम ब्याज दर पर ऋण लिया जाता है तथा शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी जल्द ही उपलब्ध करा दी जाती है। अत: महिला उद्यमियों को वित्त की व्यवस्था बैंक के द्वारा प्राप्त होती है।

भारत में उद्यमिता और महिलाए– महिला उद्यमियों का कम प्रतिनिधित्व: हाल के दशकों में भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद, अभी भी महिला उद्यमियों का संख्या काफी कम है।

भारत में केवल 20% उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं (जो कि 22 से 27 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं) और कोविड–19 महामारी ने महिलाओं उद्यमियों के इस प्रतिशत को ओर अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

स्टार्टअप्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: केवल 6% महिलाएँ भारतीय स्टार्टअप्स की संस्थापक हैं।

वर्ष 2018–2020 के मध्य कम–से–कम एक महिला सह–संस्थापक वाले स्टार्टअप्स द्वारा केवल 5% फंडिंग ही जुटाई जा सकी और केवल एकमात्र महिला संस्थापकों वाले स्टार्टअप्स कुल निवेशक फंडिंग का केवल 1.43% हिस्सा ही प्राप्त कर सके।

क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व: इक्विटी व्यापार के स्वामित्तव के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र (मुख्य रूप से कागज और तंबाकू उत्पादों से संबंधित) में महिलाओं द्वारा धारित हिस्सेदारी 50% से भी अधिक है।

हालाँकि कंप्यूटर, मोटर वाहन, धातु उत्पादों, मशीनरी और उपकरणों से संबंधित उद्योगों में महिलाओं की 2% या उससे भी कम की हिस्सेदारी देखी जाती हैं।

भारत की पहल– भारत सरकार द्वारा स्त्री शक्ति पैकेज, उद्योगिनी योजना, महिला उद्यम निधि योजना, महिला बैंक, महिला कॉयर योजना और महिला उद्यमिता मंच जैसी पहल के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।

महिला उद्यमियों के समक्ष चुनौतियाँ – क्षमताओं पर रूढ़िवादिता: महिलाओं को प्राय: पुरुषों के विपरीत 'शारीरिक रूप से कमजोर' माना जाता है, जबकि पारंपरिक रूप से पुरुषों को संरक्षक और रक्षक के रूप में देखा जाता है। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुरुष और महिला शारीरिक रूप से भिन्न हैं, भले ही एक औसत पुरुष एक औसत महिला की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक मजबूत हो, लेकिन यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि प्रत्येक महिला शारीरिक रूप से कमजोर है।

'मस्तिष्क' क्षमता का आकलन करने हेतु जैविक पहलुओं का उपयोग करना: एक पुरानी धारणा यह रही है कि पुरुष अधिक तार्किक होते हैं, जबकि महिलाओं को अधिक सहानुभूतिपूर्ण माना जाता है, जिसके

परिणामस्वरूप प्राय: महिलाओं को कुछ निश्चित व्यवसायों तक सीमित कर दिया जाता है।

हालाँकि यह तर्क सतही तौर पर कुछ लोगों के लिये तार्किक हो सकता है, लेकिन जब इसका उपयोग महिलाओं को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिये किया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता।

पितृसत्तात्मक और पारिवारिक बाधाएँ: भले ही बहुत सी महिलाओं के पास ऐसे क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुँचने की क्षमता और इच्छा होती है, लेकिन वे अक्सर समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा अपने सपनों को नकार देती हैं।

निष्कर्ष – महिला उद्यमियों की स्थिति को आज देखा जाए तो भारत में काफी गिरावट आई है लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि महिला उद्यमी आगे नहीं बढ़ सकती यदि प्रयास किए जाए तो हर कार्य संभव है महिला उद्यमियों के कार्य हेतु शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा शासन के द्वारा महिला उद्यमियों को उद्योग हेतु प्रेरित किया जा रहा है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तृतीय क्षेत्र भी महिला उद्यमियों के विकास में काफी योगदान दे रहा है क्योंकि बिना वित्त के कोई भी व्यवसाय नहीं हो सकता। अत: वित्त की व्यवस्था सिर्फ बैंक के द्वारा ही की जा सकती है। अत: बैंक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हर व्यवसाय में भंडारण तथा परिवहन की आवश्यकता रहती है। अत: भंडारण तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं भी आती है जो कि उद्योगों में महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योगों में बिना कर्मचारी के कुछ भी कार्य नहीं हो सकता निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महिला उद्यमियों के विकास में तृतीय क्षेत्र काफी योगदान दे रहा है। वहीं हमने अपनी परिकल्पना में देखा था कि क्या युवा पीढ़ी महिला उद्यमियों के साथ अपनी रुचि दिखा रही है तो यह कथन काफी सत्य है कि हां आज की युवा पीढ़ी ही महिला उद्यमी बनकर उभरी है। अत: निष्कर्ष में हम सभी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महिला उद्यमियों के विकास में तृतीय क्षेत्र अपनी काफी भूमिकाएं निभा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नईदुनिया भोपाल।
2. शोध सरीता।
3. www. Shodhganga.com
4. www.agri.co.in.
5. www.apexbank.mp.in.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

भारतीय कृषि की चुनौतियां व समास्याएं

धनीराम अहिरवार *

* शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय एक कृषि प्रधान देश है इसीलिए भारतीय अर्थव्यावस्था को एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यहां कृषि ना केवल प्राचीनतम व परंपरागत व्यवसायों में से एक हैं बल्कि जीवन यापन का जारिया भी हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यावस्था का मुख्य आधार भी हैं। राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग लगभग 46 प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता हैं जहॉं पर लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर लगी हुई हैं परंतु कृषि की दिशा संतोषजनक नहीं हैं। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ने कृषि को बुरी तरह प्रभावित किया हैं। हालाकि स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में अनेक कार्य हुए हैं इसके बावजूद भारतीय कृषि में अनेक समस्याएं हैं।

देश के श्रमिकों में दो तिहाई भाग कृषि श्रमिकों का हैं। देश के लगभग 130 करोड़ आबादी का भरण पोषण कृषि के विकास से ही संभव हुआ हैं साथ ही भारत के करोड़ों पशुओं को भोजन कृषि से प्राप्त होता हैं। सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 26 प्रतिशत कृषि से मिलता हैं। गैर कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुएं और अधिकांश बड़े उद्योगों को कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता हैं।

भारतीय कृषि की चुनौतियां व समस्याएं – कृषि को मानसूनी जुआ भारत के संदर्भ में शायद इसी लिए कहा गया हैं क्यों कि भारतीय कृषि में अनेक समस्याएं व चुनौतियां मौजूद हैं। कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं निम्नलिखित हैं –

1. फसलों की न्यून उत्पादकता – भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं में से एक फसलों के न्यून या कम उत्पादकता की हैं। देश ने निरंतर ही कृषि उत्पादकता में वृद्धि की हैं फिर भी देश में फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के कई देशों की तुलना में अब भी कम हैं जो कि प्रस्तुत आकड़ों से समझा जा सकता हैं –

क्रं.	देश	उत्पादन (प्रति/हेक्टेयर) टन में
1.	भारत	3.37
2.	चीन	5.48
3.	यूक्रेन	4.06
4.	विश्व	3.47

2. अनिश्चित वर्षा– भारतीय कृषि मानसून पर आधारित कृषि है। जब वर्षा समय पर नहीं हो पाती तब देश के अधिकांश क्षेत्रों में सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है जहां कहीं पर सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है वहीं फसल उत्पादन हो पाता हैं। देश के कुल कृषि भूमि क्षेत्र का मात्र लगभग 44 प्रतिशत भाग में सिंचाई उपलब्ध हैं शेष भाग आज भी मानसून पर निर्भर हैं। इस प्रकार भारत में आज भी सिंचाई के साधनों की कमी हैं।

वर्षा की अनिश्चितता वैसे तो प्रक्रति जन समस्यां है। भारतीय कृषि विशेषकर खरीफ की फसलें मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। मानसून के आने और लौटने में अनिश्चित रहता है। कभी-कभी मानसून काल के बीच में लंबा अंतराल हो जाने की वजह से कृषि फसलों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता हैं।

3. प्रति व्यक्ति भूमि की औसत उपलब्धता में कमी– भारत में भूमि के पीढ़ी दर पीढ़ी बटवारे की प्रथा एवं देश की निरंतर तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति भूमि की औसत उपलब्धता कम होती जा रही हैं।

क्रं.	वर्ष	औसत प्रति हेक्टेयर भूमि
1.	1951	0.75
2.	1961	0.30
3.	1971	0.15
4.	2018	0.11

4. भूमि का असंतुलित वितरण– भारत में कृषि भूमि का वितरण असमान है खेतों के छोटे आकार व विक्रय होने के कारण आधुनिक विधि से कृषि करना एक समस्या मूलक है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार तथा चकबंदी कार्यक्रम चलाएं जाने के बावजूद भी एक प्रतिशत धनी किसानों जमींदारों के पास कुल भूमि का 20 प्रतिशत है। देश में 10 प्रतिशत किसानों के पास कुल भूमि का 50 प्रतिशत हैं और देश के 89 प्रतिशत किसानों के पास कुल भूमि का मात्र मात्र 30 प्रतिशत हैं। इस प्रकार एक किसान के पास औसत 0.1 हेक्टेयर भूमि हैं और वह भी छोटे-छोटे भूखण्डों में बटी हुई हैं।

5. जोतों का छोटा आकार– भारतीय कृषि के समक्ष एक प्रमुख समस्या यह भी है कि अधिकांश किसानों के पास जोत खेत का आकार बहुत छोटा है। भारत में जोत के औसत आकार 2 हेक्टेयर से कम हैं। जब कि न्यूजीलैंड में 184 अमेरिका 58 और ब्रिटेन में 24.5 व हालैंड में 26 हेक्टेयर है।

6. किसानों में गरीबी व अशिक्षा– भारतीय कृषि के समक्ष सबसे गंभीर समस्या किसानों में अशिक्षा व गरीबी का विद्यमान होना भी हैं। देश में अधिकांश किसानों के पास आधुनिक कृषि करने के लिए विनियोग क्षमता उन्नत बीज सिंचाई की सुविधा उर्वरक यंत्र व रासायनिक दवाइयों की कमी हैं। भारतीय किसान खेत में किसी प्रकार बीज डाल देता हैं तथा साधारण निदाई गुड़ाई के बाद जो भी उपज मिल जाती हैं उसी में संतुष्ट हो जाता हैं

यदि किसी प्रकार प्रकार उपयुक्त साधन उपलब्ध हो भी जाए तो कृषकों के शिक्षा अभाव के कारण इन साधनों का समुचित उपयोग नही कर पाते फलस्वरूप उत्पादन भी अत्यंत कम हो पाता हैं।

7. भूमि विविधता के कारण उपकरणों के प्रयोग में समस्या– भारत का कृषि भू–भाग विविधता भरा हैं। अलग–अलग क्षेत्र में मिट्टी भी अलग–अलग हैं। कृषि कार्य के लिए बनाये गये कई उपकारण इस प्रकार होते हैं कि एक कृषि मिट्टी के लिए सही होते हैं किंतु वही उपकरण दूसरी तरह की कृषि मिट्टी के लिए सही नही होते। इस प्रकार देश के अलग–अलग क्षेत्रों के लिए अलग–अलग उपकरण बनाने पड़ते हैं।

8. आवारा पशुओं की समस्या– आवारा पशुओं की समस्या भारतीय कृषकों के लिए एक नवीनतम समस्यों में से हैं। इस संदर्भ में अब तक कोई आकड़े तो मौजूद नहीं हैं किंतु अवलोक के आधार पर यह कहना सही होगा कि आज देश में लाखों करोड़ों पशु आवारा हैं जो भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है। आवार पशुओं को देखकर कई सारे किसान अपने बंधे हुए जानवरों को भी खुलें में छोड़ देते है जिससे समस्या और भी गंभीर हो जाती है। सरकार द्वारा इस समास्या से निजात के लिए देशभर गौ शालाएं भी खोली गई हैं फिर भी इस समस्या से छुटकारा अब तक नहीं मिला हैं।

निष्कर्ष– निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता हैं कि भारत में आज भी कृषि में बहुत सी समस्यां विद्यमान हैं किन्तु इस क्षेत्र में राज्य की भागेदारी के साथ, क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करके, किसानों के लिए आदानों का वित्तपोषण करके, सहकारी प्रयासों का प्रावधान करके और कल्याणकारी उपायों का संवर्धन करके समस्याओं और चुनौतियों को कम किया जा सकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 आर्थिक समीक्षा 2021–22, आर्थिक कार्य विभाग भारत सरकार
2 डॉ. बाला शशि : कृषि संकट को समझना : उभरती चुनौतियों का अध्ययन, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, वर्ष 2021
3 Sendhil Ramadas, T.M. Kiran Kumar and Gyanendra pratap Singh, Wheat Production in India : Trends and Prospects Annual report, Indian Concil of Agricultural Resrarch, 2021-22
4 Annual report, Ministry of Food Proeessing Industries Government of India
5 wwww.geographygygan.com/bhartiy-krishi-samasye/
6 wwww.geographygygan.com/bharat-men-krishi-vikash/
7 wwww.tradingeconomics.com
8 wwww.researchgate.net/Publication

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता एवं प्रावधान

डॉ. सुचेता सिंह *

*अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - कोविड-19 के प्रकोप ने समूची दुनिया में बडे बदलाव लाये है। विकसित तथा विकासशील देशों को अपनी आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने को मजबूर किया है। लोगों के व्यक्तिगत आर्थिक, सामाजिक जीवन पद्धतियों में परिवर्तन दिखने लगे, आयुर्वेद, औषधियों, योग, ध्यान तथा प्राकृतिक जीवन पद्धति की तरफ आम लोगों की अभिरूचि बढ़ी। प्रत्येक व्यक्ति एक नये तरीके से सोचने लगा। हमारे देश के सरकार ने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने तथा दूसरे देशो पर निर्भरता को कम करने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत की शुरूआत की थीं। जिससे देश आर्थिक रूप से शक्तिशाली बने तथा दूसरे देशो को निर्भरता कम की जा सके। यद्यपि इस प्रकार की विचारधारा महात्मा गांधी के स्वावलम्बन के विचार का समष्टि रूप है। किंतु ऐसे महामारी के समय आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरूआत देश के विकास की गति को नई दिशा एवं दशा की ओर ले जायेगा।

पिछले कुछ महीनो से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बार-बार कह रहे थे कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ले जाने की जरूरत है। इसी दिशा में 12 मई 2020 को उन्होनें 20 लाख करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जो कि भारत की जी.डी.पी. के 10 प्रतिशत के बराबर होता है। इसका उद्देश्य विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) की कड़ी प्रतिस्पर्धा में देश को आत्मनिर्भर बनाना और कोविड-19 से प्रभावित गरीब बरोजगारो में मांग की कमी तथा प्रवासी श्रमिकों को सशक्त करने में मदद करना। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद वित्ता मंत्री निर्मला सीतारमन ने पांच प्रेस वार्ताऐं की और आर्थिक पैकेज के अंतर्गत विस्तृत उपायो की घोषणा की।

विगत कई महीनो से दुनिया भर के छोटे-बडे देश कोरोना महामारी से परेशान है, अर्थव्यवस्थाऐं ध्वस्त हो चुकी है। कोविड-19 से पहले और बाद की दुनिया में कई बड़े बदलाव आ गये है। आर्थिक मोर्चो पर सरकारे विफल हो रही है। इस दृष्टि से देखा जाय तो भारत के प्रधानमंत्री द्धारा आत्मनिर्भर भारत निर्माण की घोषणा महामारी के संकट से बचने तथा देश के विकास को एक नई रफ्तार देने की दिशा में कारगर साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। हम इस आलेख में आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता, इसकी उपादेता तथा आर्थिक पैकेज के अंतर्गत प्रस्तावित मुख्य उपायो का सारांश उल्लेखित करेंगे। साथ ही इस अभियान के मायने क्या है लोकल के लिये वोकल क्या है ? क्या महात्मा गांधी जी के स्वावलंबन के विचारो से यह अभियान मेल खाता है आदि विषयों पर केन्द्रित रहेंगे। यह आलेख आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति लोगो में नई समझ पैदा करेगा। परंतु इसको हमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक तर्को के आधार पर देखने की जरूरत है।

मुख्य शब्द - सप्लाई चेन, स्वावलंबन, आत्म केन्द्रित, वैश्विकरण, गतिशील, जनसांख्यिकी, आधारभूत संरचना, एम.एस.एम.ई., प्रौद्योगिकी, मांग, प्रवासी श्रमिक।

आत्मनिर्भर भारत के मायने - 24 अप्रैल 2020 को 'राष्ट्रीय पंचायत दिवस' के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर होना चाहिए जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरते पूरी कर सके। आत्मनिर्भर गांव लोकतंत्र को मजबूत करेगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि विकास के फल रिस कर जमीनी स्तर तक पहुचेगा। इसी प्रकार जिला अपने स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक राज्य को भी अपने स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए और इस प्रकार पूरे देश को अपने स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता (Self Reliance) की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता, आत्मकेन्द्रित (Self Centered) से अलग है। भारत वसुधैव, कुटुंबकम की भावना में विश्वास करता है। चूंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है। अत: भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्विकरण का बहिष्कार नहीं किया जायेगा। अपितु दुनिया के विकास में मदद की जायेगी।

12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्राधनमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा वैश्विक परिदृश्य में आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ बदल गया हैं। यह अर्थव्यवस्था केन्द्रित वैश्विक न होकर मानव केन्द्रित वैश्विक होगा। भारत की संस्कृति व परंमपराऐं आत्मनिर्भरता के बारे में बताती है। भारत में आत्मनिर्भरता का विचार पुराना है। महात्मा गांधी जी का स्वाविलंबन का विचार इसी बुनियादी सोच का रूप हैं। कोरोना संकट ने हमें स्थानीय उत्पादन, स्थानीय बाजार और स्थानीय आपूर्ति का महत्व समझाया है। आर्थिक पैकेज की अवधारणा को परिवर्तित किया गया हैं।

आत्मनिर्भर भारत मिशन के चरण - आत्मनिर्भर भारत मिशन दो चरणों में लागू किया जायेगा।

1. **प्रथम चरण -** इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक खिलौने जैसे क्षेत्रो को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।
2. **द्वितीय चरण -** इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रो को प्रोत्साहित किया जायेगा।

आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ :

1. **अर्थव्यवस्था –** ऐसी अर्थव्यवस्था जो बृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो।
2. **आधारभूत संरचना –** ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने।
3. **प्रौद्योगिकी –** 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्राणाली।
4. **गतिशील जनसांख्यिकी –** गतिशील जनसांख्यिकी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए उर्जा का स्त्रोत है।
5. **मांग –** प्रधानमंत्री जी कहते है कि पांच स्तम्भ है आत्मनिर्भरता को वापस लाने के जिनमे से मांग, मांग और आपूर्ति का चक्र हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है इसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने की जरूरत है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में सोपित आर्थिक पैकेज के अंतर्गत प्रस्तावित मुख्य उपायो का सारांष –

कृषि और संबंद्ध क्षेत्र :

1. किसानो को रियायती ऋण।
2. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड।
3. किसानो के लिये आपातकालीन कार्यशील पूंजी।
4. मछुआरो को आर्थिक सहयोग।
5. पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास।
6. रोजगार बढ़ाने हेतु कैपा फंडस।
7. अनिवार्य वस्तु एक्ट में संशोधन।
8. कृषि मार्केटिंग सुधार।
9. कृषि उत्पाद का मूल निर्धारण और क्वालिटी का आश्वासन।

सार्वजनिक स्वास्थ्य – सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाया जायेगा साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर के संस्थानों में निवेश किया जायेगा।

तकनीकी आधारित शिक्षा – डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा के लिये मल्टीमोड एक्सेस ई-विद्या को लांच किया जायेगा।

प्रवासी श्रमिक के लिए – एक राष्ट्र एक कार्ड प्रवासियों के लिये खाद्यानो की नि:शुल्क आपूर्ति। प्रावासी श्रमिकों/शहरी निर्धनों के लिये सस्ते रेटंल हाउसिंग काम्पलेक्स।

एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में बदलाव – MSME की नई परिभाषा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगो के विकास एक्ट 2006 में संशोधन किया जायेगा। प्रस्तावित परिभाषा में सूक्ष्म उद्योगो के लिये 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये लघु उद्योगों को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रू. तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रू. किया जावेगा। वार्षिक टर्नओव्हर की सीमा क्रमश: 5 करोड़, 50 करोड़ एवं 100 करोड़ रहेगा।

इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन संशोधन – इनसॉल्वेंसी और बैकरप्सी संहिता 2016 के अंतर्गत एम.एस.एम.ई. के लिये एक इनसॉल्वेंसी रेसोल्यूशन फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया जायेगा।

ग्लोबल टैंडर्स को अनुमति नहीं – भारत में एम.एस.एम.ई. को विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित करने के लिये सरकारी खरीद टेडर्स में 200 करोड़ रूपये तक के ग्लोबल टेंडर्स की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण – नई पी.एस.ई. नीति की घोषणा में पी.एस.ई. के निजीकरण की योजना हैं। कुछ रणनीतिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर इन्हे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

रक्षा क्षेत्र में एफ.डी.आई. की सीमा में बदलाव – रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से मैन्युफैक्चरिंग में एफ.डी.आई. की सीमा 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत की जायेगी। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये साथ ही आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मेक इन इण्डिया को प्रस्तावित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड के नियमीकरण के जरिये ऑर्डिनेन्स सप्लाई में स्वायत्ता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करने की योजना है।

आत्मनिर्भर भारत के लिये सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति:

1. सरकार ने नई सुसंगत नीति की घोषणा जहां सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिये खुले है, वहां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परिभाषित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे।
2. जनहित में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूची को अधिसूचित किया जायेगा। जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अनिवार्य समझा जाता है।
3. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम से कम एक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रहेगा।
4. अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण किया जायेगा।
5. व्यर्थ के पाशासनिक खर्च का कम करने के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या सामान्य रूप से 1 से 4 तक की रखी जायेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की भारत सरकार की दूरदर्शिता पूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, कि मुद्रिकरण एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।

वास्तव में देखा जाय तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा ऐसे समय की गयी जबकि समूची दुनिया कोरोना महामारी संकट हमारे लिये आपदा भी है और अवसर भी है। देश को आर्थिक संकट से उबारने एवं आर्थिक विकास की नई गति प्रदान में यह अभियान कारगर साबित होगा। महात्मा गांधी जी का स्वालम्बन का विचार वर्तमान परिपेक्ष में अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रत्येक गांव से लेकर राष्ट्र स्तर पर स्वालम्बन की आवश्यकता है। स्थानीय उत्पादो को बाजार, उनकी आपूर्ति को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हमें लोकल फॉर वोकल को जीवन मंत्र बनाने की दिशा में प्रयास करना होगा। लोकल के लिये आवाज उठानी होगी स्थानीय उत्पादो में गुणवत्ता एवं सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा। स्थानीय स्तर पर बने उत्पादो को जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से आत्मनिर्भर उस सीमा तक बनता है जितना कभी नहीं था। लोकल को जीवन मंत्र बनाना होगा। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज एवं स्वालम्बन की अवधारणा को आज के संदर्भ में प्रासंगिक करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वार्ता – भारतीय आर्थिक शोध संस्थान इलाहाबाद अप्रैल 2021
2. तथ्यभारती – नवम्बर 2020
3. दृष्टि (The Vision)
4. प्रतियोगिता दर्पण – भारतीय अर्थव्यवस्था नवम्बर 2021-22

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

ग्रामीण विकास योजनाओं का समीक्षात्मक अध्ययन: आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में

डॉ. गोरेलाल डावर *

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, सिराली, जिला हरदा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रथम पंचवर्षीय से ही आत्मनिर्भर भारत की नींव रख गई थी एक अप्रैल 1951 से प्रारम्भ योजना से जहाँ देश ने द्वितीय विश्व युद्ध एवं देश के विभाजन ने अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त किया था। आत्मनिर्भर भारत का सपना सन 1947 से ही प्रारंभ हो गया था आजाद भारत के सामने बडी समस्या जनता को अन्न उपलब्ध करना एक गम्भीर चुनौती थी परन्तु भारत की इच्छाशक्ति के आगे सभी समस्याओं का निराकरण कर लिया था। देश की अर्थव्यवस्था को सबल बनाना जिससे देश को भविष्य में आर्थिक विकास सम्भव हो सके। इसके लिये परिवहन के साधनों का विकास करना एवं संचार की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करना इसके साथ–साथ कृषि के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल 2378 करोड़ व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1956 में घोषित की गई औघोगिक नीति में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया इस प्रकार देश में 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निमार्ण हो चुका है जिनमें तीन वार्षिक योजनाएं भी बनाई गई थी। वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके उनके स्थान पर नीति आयोग(राष्ट्रीय भारत परिर्वतन संस्थान) का गठन किया गया नीति आयोग का उद्देश्य केन्द्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक व तकनीकि सलाह भी यह देता है विश्व में फैली महामारी कोविड–19 वायरस ने एक तरफ सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया वहीं भारत ने इस गम्भीर समस्या का सामना किया और देश की अर्थव्यवस्था को विकास के रास्ते पर पहुंचाया। केन्द्र सरकार की ओर 7 जनवरी 2022 से जारी वित्त वर्ष 2021–2022 में जीडीपी के पहले एडवंस एस्टीमेट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके मुताबिक,चालु वित्त वर्ष 2021–2022 में विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। देश की अर्थव्यवस्था इस साल प्री–कोविड स्तर से 1.85 लाख करोड़ रूपए (1.27 फीसदी) बड़ी हो जाएगी। सरकार द्वारा कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए बचाव एवं टीकाकरण के लिए अपने स्तर से प्रयास किए और इसमें वे सफल हुए है।

शोध परिकल्पना:

1. गांवों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु किए गए सरकारी प्रयासों का अध्ययन।
2. आत्मनिर्भर भारत के लिए गांवों के विकास एवं किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों का अध्ययन करना।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था को इस प्रकार की विकसित करना कि वह विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ आसानी से कदम से कदम मिलाकर चल सके।
4. किसानों को उनके उत्पादन का उचित एवं सही मूल्य मिले इसके लिये किये गये प्रयासों का अध्ययन करना।

शोध उद्देश्य:

1. भारत को आत्मनिर्भर बनाने के किए गये ग्रामीण विकास योजनाओं का अवलोकन।
2. भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु किए गए प्रयासों का मूल्यांकन।
3. सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के किए गए प्रयासों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोध पत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों का अध्ययन करना एवं दैव निर्दशन के माध्यम से देश में योजनाओं के संचालन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना एवं उनका निराकरण के लिए सुझाव प्रस्तुत करना शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये शासन द्वारा चलाई गये योजनायें निम्न प्रकार है–

1. **सांसद आदर्श ग्राम योजना –** सांसद आदर्शयोजना गांवो के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है। जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों में विकास और बुनियादी ढांचें रखने हेतु सभी राजनीतिक दलों के सांसद को इस योजना के तहत गांव को गोद लेना है और 2016 तक उसे आदर्श गांव बनाना था।
2. **प्रधानमंत्री जन धन योजना –** प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिग सुविधायें मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। इस परियोजना में सभी बैंकों को ई–मेल भेजा जिसमें 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया गया।
3. **प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना–** प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना,जिसका नाम सितबर 2016 में इंदिरा आवास योजना से बदलकर

प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। बीपीएल परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद को 45000 रूपये से बढ़ाकर 70000 रूपये कर दिया गया। भारत में एक केन्द्र प्रायोजित आवास निर्माण योजना है। योजना का वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के लिए है। इस योजना के तहत धनराशि घर की किसी महिला के नाम पर ही निर्गत की जाती है। भारत निर्माण के अंतर्गत चल रही इंदिरा आवास योजना पर 2010-2011 में दस हजार करोड़ रूपये की धनराशि आंवटित करायी गयी है।

4. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-** प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गरीब महिलाओं को जल्द ही मिट्टी के चुल्हे से आजादी मिल जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सषक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है।

5. **दोपहर भोजन योजना-** दोपहर भोजना योजना इसे मध्यान्ह भोजन योजना भी कहते है,इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में नामांकन बढ़ाने,उन्हें बनाए रखने और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया।

6. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-** किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये 13 जनवरी 2016 को फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा कम करायेगी।

7. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम-** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम(मनरेगा) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है,जिसे 7 सितम्बर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रूपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-संबधित अकुशल मजदूरी करने के लिय तैयार है। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केन्द्र सरकार का परिव्यय 40100 करोड़ रूपये था। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था,मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्थ-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य,चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हो या ना हो। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है। इस अधिनियम के तहत पुरूषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। मनरेगा ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करता है।

8. **बलराम योजना-** इस योजना का शुभारम्भ उड़िषा राज्य से हुआ है इस योजना में सात लाख भूमिहीन कृषकों को उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनको फसल ऋण सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इससे उन निर्धन भूमिहीन किसानों को अपनी फसल की बुवाई से संबंधित खाद व बीज आदि सामग्री प्राप्त कर सकते है।

9. **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना -** प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत ऐसे राज्यों का चुनाव किया गया है जिन राज्यो के किसानों की भूमि पर खारे पानी की वजह से भूमि बंजर हो चुकी है ऐसे गरीब किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए नीली क्रांति को लाने की आवश्यकता बतायी गई है इस योजना से देश के विभिन्न राज्यों जिनमें मुख्य रूप से पंजाब,हरियाणा,राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहरों की फ्लडिंग सिंचाई पद्यति से जमीन को अधिक हानि हुई। भारत में लगभग 46000 करोड़ रूपये की मछली का निर्यात प्रतिवर्ष किया जाता है जिसमें झींगा मछली की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है सरकार की ढाई लाख हेक्टेयर भूमि में झींगा मछली का उत्पादन करने की योजना है इस योजना के तहत सबसे पहले कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा,तालाब खोदाई व उन्नतशील बीज आदि का बंदोबस्त सरकार द्वारा किया जाएगा। वर्तमान समय में देश के 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तालाब एवं 32 लाख हेक्टेयर में बड़े जलाषय है लेकिन इनमें वैज्ञानिक तकनीकि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जिससे उत्पादन कम मिल रहा है। जिसके कारण से उत्पादन में कमी आ रही है।

9. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना-** इस योजना का प्रारम्भ 1 फरवरी 2019 से किया गया है। इस योजना में भारतीय किसान जो गरीबी में रहकर जीवन यापन करते है उनके सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उन किसानों की आर्थिक मदद की है,जिनकी फसल बुवाई के बाद कोई आय नहीं होती है। सरकार द्वारा 6000 रूपये एक वर्ष में किसानों को उनके खातों में भेज दिये जाते है तथा यह धन तीन किस्तों में किसानों के पास पहुँच जाता है। यह राशि सम्मान जनक रूप से दिया जाता है। इससे वे अगर चाहे तो बीज एवं खाद या सिंचाई के रूप में इस धन का प्रयोग कृषक कर सकते है इस योजना से सरकार ने गरीब किसानों की आर्थिक मदद की है।

10. **आयुष्मान भारत योजना-** यह भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया इस योजना का लाभ उन गरीब जनता को मिलेगा जिनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है तथा वे अपना इलाज अच्छी तरह से नहीं करा सकते है। इस योजना में उनको 5 लाख रूपये तक बिना कैश का नि:शुल्क उपचार किया जाएगा जिसके कारण उन गरीब जनता को मदद प्रदान की गई है। जो कि महँगा इलाज नहीं करवा सकते थे अब वे आसानी से सरकारी या निजी अस्पताल में अपना इलाज करा सकते है इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्तर पर सभी नागरिकों को उचित इलाज पहुँचाना है।

11. **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना-** इस योजना के शुभारम्भ 25 जुलाई 2015 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक गांव को विद्युत से अच्छादित करने का था। इस योजना में भारत के विभिन्न राज्यों के ऐसे ग्रामों का चयन किया गया जिनमें अभी तक विद्युत की व्यवस्था नहीं है और अभी भी ग्रामवासी अंधकार में जीवन यापन कर रहे है सरकार ने प्रत्येक ग्राम को विद्युतीकरण करने का फैसला लिया जिसके कारण आज प्रत्येक गांव में विद्युत पहुंच गई है। जिससे वे अपना रोजगार

प्राप्त कर सकता है कोई भी उद्योग लगा सकता है। जिससे उसकी आर्थिक दशा में सुधार हो सकता है।

12. इंदिरा वन मितान योजना– इस योजना को छत्तीसगढ़ में प्रारम्भ किया गया था इस योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढावा देने के लिए इस योजना को लागू किया गया इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के विफल होने के कारण :

1. विकास योजना से संबंधित जानकारी का अभाव होना भी इन योजनाओं के असफल होने का प्रमुख कारण रहा है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का निम्न स्तर भी एक प्रमुख कारण है जिससे की योजनायें सही ढ़ग से संचालित नहीं हो पाती है।
3. बढ़ती जनसंख्या योजनाओं को सफल बनाने में सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि जनसंख्या अधिक है ओर संसाधन सीमित होने से प्रत्येक व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।
4. योजनाओं का संचालन गरीब व साधन विहीन समाज को प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है परन्तु वास्तव में उस व्यक्ति को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। साधन सम्पन्न व्यक्ति उस योजना का लाभ प्राप्त कर लेता है।

विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु सुझाव:

1. विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार सही ढ़ग से होना चाहिए जिसकी जानकारी निम्न स्तर व आवष्यकता जनित व्यक्ति तक होनी चाहिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता है जिससे जनता अपने अधिकारों को समझा सके और योजना का लाभ ले सके।
3. दिन–प्रतिदिन हो रही जनसंख्या पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है जनसंख्या का स्तर कम होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को विकास योजनाओं का लाभ मिल सकेगा ओर वह स्वयं के विकास के साथ देश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान कर सकेगा।
4. विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक होना चाहिए क्योंकि अगर सरकार ऐसा करने में सफल नहीं होती है तो योजनाओं का लाभ साधन–सम्पन्न व्यक्तियों को प्राप्त हो जाएगा इसे रोकने के लिए सरकार योजना के उचित लाभार्थी का चयन करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष–सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओ के सफल संचालन के लिए योजनाओं में कार्य करने वाली समिति ईमानदार होनी चाहिए जिससे कि वह समिति योग्य व योजना के पात्र व्यक्ति को इसका लाभ दिया जाए। विकास योजनाओं का प्रत्येक स्तर पर मुल्यांकन करने की आवश्यकता है जिससे योजनाओं में आने वाली कमी को उचित समय पर दूर किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक भास्कर समाचार पत्र– जनवरी 2022।
2. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश शासन ।
3. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग भारत सरकार।
4. योजनाओं संबंधी विभिन्न प्रकाशित पत्रिकायें।
5. प्रतियोगिता साहित्य।
6. विकिपिडिया।
7. इंटरनेट।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

भारत में नक्सलवाद की समस्या व समाधान (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अनुराधा जैन* पूजा साकेत**

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाडी से हुई जहाँ भारतीय कम्युनिष्ठ पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के विरूद्ध एक सशस्त्र आंदोलन का प्रारंभ किया। नक्सलवादियों का संघर्ष उन आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। जिनके हितों को सरकार अनदेखा करती है। प्रस्तुत शोध पत्र में नक्सलवाद के कारण स्थिति व विभिन्न बड़ी घटनाओं का उल्लेख करते हुए इसको नियंत्रित करने के लिए सुझाव दिए हैं।
शब्द कुंजी – नक्सलवाद, भाओवाद, आंदोलन, साम्यवाद, राजनैतिक, सर्वहारा।

प्रस्तावना – नक्सलवाद की शुरूआत सन् 1948 में आन्ध्रप्रदेश में हो गयी थी जिसका दमन भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत पर कब्जा करते समय किया था। वर्तमान नक्सलवाद का उदय सन् 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुआ है जहाँ भारतीय कम्युनिष्ठ पार्टी के नेता 'चारू मजूमदार' और 'कानू सान्याल' ने सत्ता के विरूद्ध एक सशस्त्र आंदोलन का आरम्भ किया। मजूमदार चीन के कम्युनिष्ठ नेता माओत्सेतुंग के बहुत बड़े प्रशासकों में से एक थे और उनका मानना था कि भारत में मजदूरों और किसानों की इस दुर्दशा के पीछे भारत की सरकारी नीतियॉ है। जिसके कारण भारत में उच्च वर्ग का शासन निम्न वर्ग के ऊपर स्थापित हो गया है। इस अन्यायपूर्ण दमनकारी वर्चस्व केवल सशस्त्र विद्रोह से ही समाप्त किया जा सकता है।

1967 में नक्सलवादियों ने कम्युनिष्ठ क्रान्तिकारी की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। इन विद्रोहियों ने औपचारिक रूप से स्वयं को भारतीय कम्युनिष्ठ पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के विरूद्ध सशस्त्र लड़ाई छोड़ दी।

1971 के आन्तरिक विद्रोह और मजूमदार की मृत्यु के बाद यह आंदोलन बहुत सी शाखाओं में विभाजित होकर अपने लक्ष्य से भटक गयी।

यदि हम नक्सलवाद की गतिविधियों का वर्णन करें तो हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद की विचारधारा एवं चिन्तन शून्य है। भटका हुआ आंदोलन अतिवादी है। साथ ही देश के सभी वर्ग के सुख समृद्धि का विरोधी है। जिसका प्रमुख उद्देश्य हिंसा फैलाना है। नक्सलवादियों को न तो गरीब से और न ही बेसहारा लोगों से कोई मतलब है। वास्तव में नक्सलवादियों का आम जनता तथा पिछड़े अशिक्षित व सीधे-साधे लोगों को कुछ लालच देकर उन्हें केवल मोहरा बनाया जा रहा है। भारत के कई प्रदेशों में नक्सलवाद की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अब यह केवल एक व्यवसाय बन कर रह गया है।

नक्सलवाद यह प्रचारित करने में सफल रहा है कि सरकार भारत की गरीबी को मिटाने में असफल है या कुछ नही कर रही है।

उद्देश्य– भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें सभी नागरिक समान अधिकार तथा समानता का, समता का भाईचारा का, सभी को एकसूत्र में बांधने का कार्य भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है लेकिन कुछ प्रान्तों में या क्षेत्रों में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा गुलाम तथा अपने इशारों पर नचाने के लिए बाध्य किया जाता है। स्पष्ट रूप से यह कार्य नक्सलवाद से प्रेरित होकर किया जा रहा है। भारत के कई प्रदेश है जैसे-मध्यप्रदेश, झारखण्ड, बिहार, उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना व छत्तीसगढ़ में राज्य नक्सल प्रभावित राज्य है इनमें से सबसे अधिक प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ है जो नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है। इसके कारण भारत के कई इलाके विकसित नही हो पाये जिसके अध्ययन के उद्देश्य निम्न है-

1. नक्सलवाद के उत्पत्ति विकास व विचारधारा का अध्ययन करना।
2. नक्सलवाद के वास्तविक स्वरूप का अध्ययन करना।
3. नक्सलवाद के आर्थिक राजनीतिक व सामाजिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन विवरणात्मक प्रकृति का एवं विश्लेषणात्मक प्रविधि पर आधारित है जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से अध्ययन सामग्री प्राप्त की गई है जिसमें छत्तीसगढ़ के वीजापुर जिले में पदस्थ जवान से साक्षात्कार कर जानकारी प्राप्त की गई तथा द्वितीयक स्त्रोत के रूप में पुस्तकालय पत्र-पत्रिकाएँ समाचार पत्र इन्टरनेट तथा प्रकाशित शोध पत्र शोधकार्य से सामग्री को संग्रहीत करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान के समस्याओं व परिपेक्ष को ध्यान में रख कर अध्ययन किया गया है। शोध का उच्चतम परिणाम प्राप्त हो तथा भविष्य में द्वितीयक शोध सामग्री के रूप में अध्ययन किये जा सकें।

परिकल्पना:

1. नक्सलवाद की समस्या एक ध्यात्मक आंदोलन है।

2. नक्सलवाद असमानता अन्याय व भ्रष्टाचार के विरोध का कारण है।
3. नक्सलवाद सामन्तवादी विचारों जमींदारों शोषणकर्ताओं पुलिस प्रशासन व सैन्य प्रशासन को जिम्मेदार मानता है।
4. नक्सलवाद आदिवासी समाज में समानता भाईचारा का समर्थक है।

मुख्य भाग – नक्सलवाद साम्यवादी क्रान्तिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्यूनिष्ठ आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ।

नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवादी से हुई है। जहाँ भारतीय कम्युनिष्ठ पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्पाल ने 1967 में सत्ता के विरूद्ध एक सशस्त्र आंदोलन का प्रारंभ किया। मजूमदार चीन के कम्युनिष्ठ माओत्से तुंग के बहुत बड़े प्रशासकों में से एक थे और उनका मानना था कि भारतीय श्रमिकों एवं किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियाँ उत्तरदायी है जिसके कारण उच्च वर्गो का शासन तन्त्र और फलस्वरूप कृषि तन्त्र पर वर्चस्व स्थापित हुआ है।

इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रान्ति से ही समाप्त किया जा सकता है। 1967 में 'नक्सवादियों' ने कम्युनिष्ठ क्रान्तिकारियों को एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। इन विद्रोहियों ने औपचारिक रूप से स्वयं को भारतीय कम्युनिष्ठ पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के विरूद्ध भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई लड़ी।

इससे पहले 1972 में आंदोलन के हिंसक होने के कारण चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिन के लिए कारावास में डाल दिया गया जहाँ कारावास के दौरान चारू मजूमदार की मृत्यु हो गई।

नक्सलवाद आंदोलन के प्रणेता कानू ने आंदोलन के राजनीतिक शिकार होने के कारण वे अपने मुद्दों से भटक गया जिसके कारण परेशान होकर 23 मार्च 2010 में आत्महत्या कर लिये। केन्द्र व राज्य सरकारें माओवादी हिंसा को मुख्यत: कानून व्यवस्था की समस्या मानती रही है लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक आर्थिक कारण भी रहे है।

आंदोलन के गंभीर रूप लेने के बाद से नक्सवादियों का कपन था कि हम आदिवासी व गरीब जनता के लिए लड़ रहे है जिसकी सरकार हमेशा से अनदेखा कर रही है। आदिवासियों के क्षेत्र में काफी वन सम्पदा व प्राकृतिक खनिजों की भरमार है जिससे शासकीय व निजी कम्पनियॉं इन खनिजों की दोहन करने में कोई कमी नही बरती।

इन आदिवासी बाहुल्य इलाके में इतनी खनिज सम्पदा होने के बाद भी इन इलाके में इतनी दयनीय स्थिति है कि यहाँ न सड़के न बिजली न पानी पीने की व्यवस्था न शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएँ न ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ और न ही किसी प्रकार का कोई रोजगार की व्यवव्था है।

सरकार के द्वारा चलाई गई किसी भी प्रकार की विकास की योजनाओं को पहुंचने नही दिया जाता इन आदिवाससी बाहुल्य इलाके को अशिक्षित व गरीब बनाये रखना चाहते हैं जिससे कि यहाँ की जनता अपने विकास के बारे में सोच भी न सके।

नक्सलवादियों की मांगे :

1. पृथक राज्य की मांग।
2. अधिग्रहीत भूमि को मुक्त करवाना।
3. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से पुलिस कैम्प हटाने की मांग।
4. सरकारी नीतियों का सही इस्तेमाल।

नक्सलवाद के उदय के कारण – नक्सलवादियों का संघर्ष उन आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था जिनके हितों को सरकार अनदेखा करती है। इसके माध्यम से नक्सली जमीन अधिकार और खनिज संसाधनों के वितरण के लिए स्थानीय विकास के लिए संघर्ष करते हैं जितने राज्यों में नक्सवाद की समस्या है उन सभी राज्यों में व क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है। तथा इन इलाकों में बुनियादी जरूरतों व सुविधाओं का अभाव है जैसे पीने के लिए पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ अस्पताल की कमी रोजगार की कमी है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में शासकीय व निजी कम्पनिया कोई कमी नही की यह कारण भी नक्सलवाद का कारण है।

1. **राजनीतिक कारण–** आदिवासियों के प्रति राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति और उदासीनता सबसे अधिक महत्व पूर्ण कारकों में से एक रही जो इस तरह के विद्रोह का कारण बनी।

प्रभावित राज्यों में समाज के वंचित वर्गो को संरचनात्मक अध्ययन के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए भारत में राजनीतिक प्राधिकरण की अक्षमता।

आर्थिक कारण– नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी और आर्थिक असमानता और अविकसितता।

आदिवासी भूमि और जंगलों में खनन कम्पनियों का प्रवेश, आदिवासियों के लिए आजीविका के लिए खतरा।

स्वदेशी जन जातीय आवादी अपनी आजीविका के पारम्परिक स्त्रोत से उखाड़कर अपनी भूमि से वंचित हो गई।

आदिवासियों पर संशाधन शोषण लाभ नही दिया जाता है।

पर्यावरणीय दुर्दशा– खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण भूमि और जल संशाधनों के विनाश के रूप में पर्यावरणीय गिरावट।

मूलभूत सुविधाओं का अभाव– शिक्षा, स्वतंत्रता, स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव।

असमानता, अशिक्षा और अवसरों की कमी के कारण सामाजिक रूप से पिछड़े आदिवासी नक्सलियों का प्रमुख आधार है।

आजादी के बाद भी नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इनके जीवन में कोई सुधार नही आया अत: जनता को धीरे–धीरे यह समझ में आ गया है कि न तो केन्द्र सरकार और न राजय सरकार इन सामाजिक बुराइयों व भ्रष्टाचार नक्सली समस्याओं को दूर करने के उपाय निर्धारित नही कर रही है और इन्ही कारणो से नक्सलवाद को बढ़ावा मिल रहा है।

नक्सलवाद के निवारण के उपाय– नक्सलवाद की समस्याओं को दूर तभी किया जा सकता है जब इससे प्रभावित लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जाय नक्सलवाद की समस्या मुख्यत: उन इलाकों में ज्यादा फलती फूलती है जहाँ आदिवासी अशिक्षित हो। अत: नक्सल प्रभावित लोगों की शिक्षा और अच्दा रोजगार देकर भुखमरी, गरीबी को दूर करके मुख्यधारा से जोड़कर कुछ हद तक नक्सलवाद को समाप्त किया जा सकता है।

सुशासन:

1. देश में नक्सलियों की उपस्थिति से देश की कानून व्यवस्था का भी पता चलता है जो खतरे को रोकने में नाकाम रही है।
2. नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को एक सुसंगत राष्ट्रीय रणनीति को लागू करने की आवश्यकता है।

संवाद:

1. नक्सल नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच संवाद एक तरह से

समाधान का काम हो सकता है।

2. सरकार को नक्सलियों के साथ ईमानदारी से बातचीत शुरू करनी चाहिए।

अधिक रोजगार पैदा करें और मजदूरी बढ़ाएँ:

1. क्षेत्रों में असुरक्षित आजीविका और बेरोजगारी ने लोगों को नक्सलियों से जुड़ने के अलावा कोई विकल्प नही छोड़ा।
2. यदि हम वास्तव में नक्सलवाद को समाप्त करने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस क्षेत्र के लोगों को अच्छी मजदूरी के साथ उचित रोजगार उपलब्ध करवाना होगा।

पुनर्वास और पुनर्वास:

1. विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बिना किसी प्रावधान के क्षेत्र में खनन के आधार, सिंचाई क्षेत्र, उद्योग आदि केवल गरीबों के संकट में शामिल हो गए है।
2. इन प्रभावित आबादी के पुनर्वास पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय गिरावट को रोके:

1. खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण भूमि और जल संसाधनों के विनाश के रूप में पर्यावरणीय गिरावट।
2. स्थानीय लोगों को बाधित जीवन और पर्यटक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के साथ छोड़ दिया जाता है।

कमजोर वर्गो के राजनीतिक हॉसिए पर रोक:

1. समाज के कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभी भी उच्च वर्ग के भेदभाव का सामना करते है।
2. इन दलित वर्गो को राजनीतिक रूप से नक्सलियों को निशाना बनाने और उनका मुकाबला करने में बराबर की भागीदारी नही मिलती है।

असमानता को दूर करें:

1. आर्थिक असमानता और अमीर और गरीबों के बीच बढ़ती दूरी एक मुख्य समस्या है जिसने नक्सलवाद के विकास में योगदान दिया है।
2. इस दूरी को नक्सलवाद को रोकने के लिए जल्दवाजी में मरने की जरूरत है।

बता दें कि आम नागरिकों को पहुंच मूलभूत संसाधनों तक है:

1. अशान्ति के प्रमुख कारणों में से एक है औद्योगिक उद्देश्यों के लिए वन और आदिवासी लोगों की भूमि का शोषण।
2. भूमि की हानि और शिक्षा, स्वतंत्रता, स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी।

आदिवासियों के कल्याण के लिए कदम उठाए:

1. असमानता अशिक्षा, और अवसरों की कमी के कारण सामाजिक रूप से पिछड़े आदिवासी नक्सलियों के लिए प्रमुख समर्थन औजार बनाते है।
2. इन लोगों को नक्सल के जाल मे गिरने से रोकने का कार्य महत्वपूर्ण है।

नक्सलियों द्वारा किए गये हमले:

घटना क्रमांक नं.1: दिनांक 03, सितम्बर 2005

1. पड़ेरा गांव थाना-बीजपुर बीजापुर-गंगधीर रोड़ दांतेवाड़ा जिला।
2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के माइड निरोधी वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया गया जिससे वाहन हवा मे उछल 30 फिट की दूरी पर गिरा जिस केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 24 जवान शहीद हुए तथा 3 अन्य घायल हुए।
3. विस्फोटक को कच्चा रोड़ में जमीन के अंदर गाड़ा गया था।

घटना क्रमांक नं.2: नया बस्ती बोकरो झारखण्ड की घटना दिसम्बर 2006

1. एस.टी.एफ. झारखण्ड पुलिस के 15 जवान शहीद, एक बुरी तरह से घायल।
2. तर द्वारा संचालित मैकेनिक जिसे लगभग 100 फिट की दूरी से मैन्युअली ऑपरेट किया गया था।
3. लगभग 12 किमी अमोनियम नाइट्रेट और एल्युमीनियम पाउडर के मिश्रण से बना विस्फोटक।

घटना नं.3: चतरा झारखण्ड के कुण्डा थाना में घटित घटना 8 अक्टूबर 2005

1. धातु निर्मित तिजोरी पर पैसे होने का लेबल लगा था पुलिस कर्मियों द्वारा खोलने के प्रयास से प्रेसर बम फटा।
2. 12 पुलिस कर्मी जिसमें राज्य पुलिस का एक उप पुलिस अधीक्षक एवं सी.आर.पी.एफ का एक सहायक कमांडेट शामिल थे, शहीद हुए तथा 16 अन्य घायल हुए।

घटना नं.4: मुंगेर पुलिस अधीक्षक की हत्या दिनांक 05 जनवरी 2005

1. कच्चे रोड़ के नीचे छुपाये लगभग 08 से 11 किलो के स्टील के दूध के बर्तन में छुपाए गये विस्फोटक से पुलिस अधीक्षक के वाहनों के काफिले को उड़ाया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक सहित पॉच अन्य पुलिसकर्मी शहीद हुए।
2. लगभग 10 एल.ई.डी. लगाए गऐ थे जिनमें पॉच विस्फोट हुए तथा किन्हीं कारणों वस पॉच विस्फोटक नही हो पाये थे।
3. विस्फोट में अमोनिया नाइट्रेट एवं माइट्रोग्लेसीन जिसे जिलेटिन भी कहते है का भी प्रयोग किया गया था।

घटना नं.5: पलामू झारखण्ड में 03 फरवरी 2005 को विस्फोट की घटना।

1. घटना चतरपुरी-नौडिया रोड पर 01 बजे हुई।
2. कच्चे रोड के मध्य में प्लास्टिक के डब्बे में करीब 15 किलो विस्फोटक छुपाया गया था।
3. विस्फोट में चतरपुर थाना के थानेदार सहित 05 अन्य कर्मियों की मौत हुई थी।
4. टमोनियम नाइट्रेट एवं नाइट्रोग्लिसरीन आधारित एक एल.ई.डी. लगाया गया था।

घटना नं.6 : ग्ढचिरोली महाराष्ट्र के धोदराज गांव मे 22 फरवरी 2005

1. 12/15 किलो का एक एलईडी जो कच्ची सड़क के मध्य गड़ा हुआ था को विस्फोट किया गया जिसमें पुलिस की गाड़ी चपेट में आने से 07 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई तथा अन्य 14 घायल हुए थे।
2. इस विस्फोट में रिमोट से नियन्त्रित करने वाली मशीन बम का इस्तेमाल किया गया था।

घटना नं.7: जीटकानी शिवहर बिहार - 22 अक्टूबर 2010

1. नक्सलवादियों ने पुलिस पेट्रोल पर जा रहे दल के वालन को निशाना बनाया।
2. विस्फोट कर गाड़ी को एक पुलिस के पास उड़ा दिया गया जिसमें 06

सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गवाई तथा 01 घायल हो गया।

घटना नं.8

1. परिमीली गढ़ चिरोली/महाराष्ट्र में 04 अक्टूबर 2010 को पुलिस के एक वाहन में विस्फोट कर उड़ा दिया गया जिसमे 05 पुलिसकर्मियों मारे गये।

घटना नं.9: चिगांवरम सुकमा दंतेवाड़ा-17 मई 2010 की घटना

1. 44 आदमी जिसमें 16 पुलिसकर्मी थे मारे गये तथा 06 घायल हुए।
2. पक्के ब्लैक टॉप सड़क के नीचे भारी मात्रा में दवाएँ गए विस्फोट से नक्सलियों ने 01 बस को निशाना बनाया।

घटना नं.10

1. कोड़ापाल वीजापुर 07मई 2010 को नक्सलवादियों ने विस्फोट किया जिसमें 07 सुरक्षा कर्मी मारे गये तथा अन्य घायल हो गया।

06 अप्रैल 2010 – सल 2010 में नक्सलवादियों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा कर्मियों पर बड़ा हमला हुआ था इस हमले में 76 सी0आर0पी0एफ0 के 76 जवान शहीद हो गये थे।

08 मई 2010– छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलवादियों ने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में धमाका किया इस हमले में सी0आर0पी0एफ0 के 08 जवान शहीद हो गये।

29 जून 2010– छत्तीसगड़ के नारायणपुर जिले में नक्सलवादियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया इस हमले में सी0आर0पी0एफ0 के 26 जवानों ने अपनी कुर्बानी दी।

18 अक्टूबर 2012– विहार के गया जिले में माओवादियों ने लैंडमाइन के जरिए सी0आर0पी0एफ0 के जवानों में हमला किया इस हमले में 06 जवान शहीद हो गये।

06 मई 2013– छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 के हमले में कांग्रेस पार्टी के 25 कार्यकर्ता और नेताओं की जान चली गई थी मारे गये नेताओं में महेन्द्र कर्मा तथा राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष आनंद कुमार पटले भी मारे गये थे।

02 जुलाई 2013– नक्सलवादियों ने झारखण्ड पुलिस को निशाना बनाया हमले में पाकुड और झारखण्ड के एम0पी0सहित 04 पुलिस कर्मियों की जान चली गई।

28 फरवरी व 11 मार्च 2014– ये दोनों ही घटनाएँ छत्तीसगढ़ में घटी जिसमें मिला कर 21 पुलिस कर्मियों की जान चली गई।

12 मार्च व 24 अप्रैल 2017– दोनों हमले छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की है जिसमें सी0आर0पी0एफ0 के 37 जवान शहीद हो गये।

13 मार्च 2018– छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुए नक्सली हमले में सी0आर0पी0एफ0 के 09 जवान शहीद हो गये और 25 अन्य घायल हुए थे।

2019– 2019 में नक्सलियों द्वारा कई बार पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया गया जिससे पुलिस कर्मी के साथ-साथ आम जनता व कुछ जनता-प्रतिनिधि शामिल थे।

03 अप्रैल 2021–छत्तीसगढ़ के वीजापुर से कुछ दूर में स्थित जंग में सी0आर0पी0एफ0 के जवानों की टुकड़ो जंगल गस्त के दौरान नक्सली ताक लगा कर बैठे थे तथा जवानों के पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी जिसमें 22 जवान शहीद हो गये कई अन्य घायल हुए।

22 फरवरी 2022– छत्तीसगड़ के वीजापुर जिले के वासागुडा थाना क्षेत्र के तीम्मापुर जंगलों में मुठभेड़ हुई जिसमें गोली लगने से घायल जवान शहीद हो गया।

निष्कर्ष – नक्सलवाद के उभार के लिए आर्थिक और राजनीतिक दोनों कारण ही उत्तरवादी है इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि मेसा अधिनियम के अन्तर्गत आदिवासी को कुछ जंगली उत्पादों की अनुमति दे दी जाय छत्तीसगढ़ झारखण्ड मध्यप्रदेश उड़ीसा एवं आन्ध्रप्रदेश और इनमें से जुड़े क्षेत्रों के साल लाल गलियारों से चलाई गई किसी भी योजना से चाहे गये परिणाम नजर नही आये है। सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियों को नक्सली गांव कस्बों तक पहुंचने नही देते सरकार के द्वारा बनवायी जा रही सड़कों से नक्सली बम से विस्फोट करा देते है जिससे सरकार व सरकार से जुड़े लोग आतंकित होकर उन नीतियों को अमल में लाया नही जाता राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के द्वारा मिला धन का पूरा व्यय भी नही किया जाता और बाद में यह बोल दिया जाता है कि यह नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। उपर्युक्त चर्चा के बाद यही कह सकते हैं कि नक्सली हिंसा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राजनीतिक व आर्थिक दोनों क्षेत्रों में निपटने पर नियंत्रित करने की आवष्यकता है। प्रभावित क्षेत्रों में आम जनता की सुरक्षा करना भी आवष्यक है सुरक्षा के साथ-साथ शांतिपूर्ण योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए केन्द्र व राज्य दोनों मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी जरूरतों पर जैसे - शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल सड़क से रोजगार देकर मुख्यधारा से जोड़ा जा सके तथा उनमें अपने हक अधिकार के लिए जागरूकता लाई जा सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में टास्कफोर्स का गठन किया जाय और पुलिस फोर्स के प्रति विश्वास पैदा किया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा आवश्यकता नेतृत्व की है। जिससे समस्या को जड़ से खत्मा किया जाय लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत सरकार इसे खत्म करने की दृढ मानसिकता बना ही नही पा रही है इसीलिए सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए उचित रणनीति बनाने की सख्त जरूरत है ताकि नक्सलवाद जैसे अति गंभीर समस्या से निपटा जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. राकेश कुमार सिंह: नक्सलवाद और पुलिस की भूमिका, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, 2012
2. डॉ. एस के मिश्रा: नक्सलवाद, के डब्ल्यू नई दिल्ली, 2010
3. नक्सलवाद - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक विकास, विश्व भारती प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. डॉ0 बी0एल0 फडिया: अन्तराष्ट्रीय राजनीति (2003), आगरा साहित्य भवन प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. विहारूराम बघेल: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ऐतिहासिक अवधारणा।
6. दैनिक भास्कर, 3 मार्च, 2018, पृ. सं. 01 एवं 06: 03 अप्रैल, 2021 पृ.सं. 01 एवं 08: 22 फरवरी, 2022, पृ. सं. 01 एवं 04

पत्र-पत्रिकाएँ :

1. दैनिक भास्कर ,08 अक्टूबर, सन् 2005
2. नई दुनिया, 22 अक्टूबर, 2010
3. पत्रिका, 08 अक्टूबर, 2012
4. नव भारत, 06 मई 2013
5. स्वयं के विचार।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

भारत की अर्थव्यवस्था की समस्याएं : निर्धनता एवं बेरोजगारी

सुमन भंवर *

* शोधार्थी, शासकीय महाविद्यालय,गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत की अर्थव्वस्था की प्रमुख समस्याओं में निर्धनता गरीबी बरसों पुरानी समस्याएँ है जो आजादी के बाद से अभी तक विद्यमान है। यह निर्धनता की सरल परिभाषा के रूप में यह कहा जा सकता है कि जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन, स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग आवश्कताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ है।

कृषि विशेषज्ञ ने निर्धनता को दो भागों में बाँटा है– सापेक्षित निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्षिक निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न वर्गो के लोगों में अन्य वर्गों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता है। जिस देश, राज्य, वर्ग का जीवन स्तर दूसरे में पायी जानेवाली असमानता को प्रकट करती है। भारत में खेतीहर मजदूर ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लोग, घरेलू नौकर, दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक आदि निर्धन श्रेणी में आते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जिसकी आय एक डालर से भी कम है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत जैसे देशों की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। इसलिण भारत अन्य विकसित देशों की तुलना में एक निर्धन देश साबित होता है।

निरपेक्ष निर्धनता – निरपेक्ष निर्धरता से आशय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। अधिकतर देशों के प्रति व्यक्ति उपयोग की जाने वाली कैलोरी तथा न्यूनतम उपभोग क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होनी चाहिए। विश्व बैंक के अनुसार निर्धनता रेखा का मानक 1.25 डालर प्रतिदिन माना है। ग्रमीण क्षेत्र में गरीबी रेखा 816 रूपये प्रति व्यक्ति मासिक व शहरी क्षेत्र हेतु 1000 रूपये प्रति व्यक्ति मासिक आय निर्धारित की गई है। किन्तु यह मजाक सब राज्यों में और सब वर्गों में एक जैसा नहीं है। उदाहरण के लिए उड़िसा में 695 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति मास निर्धारित किया गया है। गरीबी रेखा के नवीनत आकलन के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की कुल जनसंख्या का 21.9 गरीबी रेखा के नीचे हैं।

भारत निर्धनता याने गरीबी के कारण – जो कारण भारत में राष्ट्रीय आय कम होने के लिए उत्तरदायी है, वही कारण भारत में निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। इन कारणों का संक्षिप्त विवेचन निम्नानुसार किया जा रहा है–

1. आर्थिक कारण
2. सामाजिक कारण
3. राजनैतिक या प्रशासनिक कारण

1. आर्थिक कारण – इन आर्थिक कारणों में प्रमुख कारणों का उल्लेख इस प्रकार किया जा रहा है।

(अ) कृषि पर अत्यधिक निर्भरता – भारत की राष्ट्रीय आय कम होने का प्रमुख कारण ह है कि कृषि पर अधिक जनसंख्या निर्भर है। दुर्भाग्य से जब कभी मानसून असफल होता है तो सूची भारत की कृषि व्यवस्था विफल हो जाती है। जिससे राष्ट्रीय आय में भारी कमी हो जाती है। क्योंकि भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है।

(ब) औद्योगिक ढंग के आधारभूत बड़े उद्योगों का अभाव है। औद्योगीकरण नहीं होने से जनता का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर ही निर्भर माना जाता है।

(स) पूंजी निर्माण की कमी – भारत में औसत आय अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए बचत नहीं हो पाती। इसलिए पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाती। अधिकांश लोग अपने पैतृक धंधों में लगे रहते है। जिनकी आय भी पर्याप्त नहीं है इस कारण पूंजी निर्माण की संभावना काफी कमजोर पायी जाती है।

(द) आर्थिक निर्णय संरचना का अभाव – भारत में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आर्थिक संरचना इसलिए आर्थिक निर्माण संरचना नहीं हो पाती।

(इ) जनसंख्यां में तीव्र वृद्धि – पिछले कतिपय दशकों से जनसंख्यां में तीव्रता से वृद्धि हो रही है जिससे प्रति व्यक्ति औसत आय भी धीरे धीरे कम हो रही है।

(फ) राष्ट्रीय आय का असमान वितरण – देश में राष्ट्रीय आय का वितरण बहुत ही असमान है। कुछ औद्योगिक घरानों की आय अत्यधिक है। तो दूसरी और गरीबों के पास पैसा नहीं है। इससे अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की आय में भारी असमानता है। फलत: समस्त कार्यकारी जनता को लाभकारी रोजगार दिलाना कठिन हो गया है।

(क) मुद्रास्फीती का दबाव – भारत में आम जरूरतों की वस्तुओं की कीमत लगातार बढ रही है जिससे गरीबों और मध्यमवर्गीय लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

2. सामाजिक कारण – आम भारती अपनी पुराने जातिवद, धर्मवाद और पुरानी रूढियों से ग्रस्त है। नवीन उद्योगों की और जनता का झुकाव नहीं होने से उनमें आर्थिक विकास अत्यंत धीमा है। आमतौर पर लोग भाग्वादी है। इसलिए वें उद्योगों को नहीं देख पाते। जनसंख्या कम बढोत्री भी आर्थिक विकास में अवरोध पैदा करती है। लोग ऋणग्रस्त है। जिससे वे बचत, विनियोग जैसी आर्थिक विकास में अवरोध पैदा करती है। लोग ऋण ग्रस्त है। जिससे वे बचत, विनियोग जैसी आर्थिक प्रक्रिया के प्रति उत्सुक नहीं है।

भारत में अशिक्षा भी भारी मात्रा में है। अनुसूचित जाति और जनजातियों में शिक्षा के प्रति दुर्लक्ष्य अधिक पाया जाता है। लोग विकास की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए है। जाति प्रथा और संयुक्त प्रणाली में विकास में बाधक है।

3. **राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण –** बरसों तक भारत का जनमानस विदेशी शासकों के हाथों में रहा है। जिन्होंने देश के विकास की और भरपूर प्रयास नहीं किये। राजनैतिक अस्थिरता के कारण भी विकास की ओर पर्याप्त धन नहीं दिया गया।

भारत में बेरोजगारी:

1. **अदृश्य बेरोजगारी –** कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है, जब श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता शून्य हो जाती है अर्थात् इन व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र से हटाने के बाद भी कृषि क्षेत्र की उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

2. **खुली बेरोजगारी –** बहुत से लोगों के पास कई श्रमिक काम काज के बिना होते हैं। वे काम के इच्छुक है उनमें काम की शक्ति और योग्यता भी है लेकिन उन लोगों के पास काम ही नहीं है। इसलिए वे बेरोजगार बने रहते हैं।

3. **मौसमी बेरोजगारी –** मुख्य मौसमी बेरोजगारी श्रमिक किसानों में अधिक पाई जाती है। उनके पास 6 से 7 माह तक के काम रहते हैं। जैसे बोवनी के समय, फसल कटाई के समय, आदि कामों के समय ही उनके पास कम रहते है। लेकिन शेष दिनों में वे बेरोजगारी बने रहते हैं। इस प्रकार वर्ष के कुछ महीनों में ही काम मिलता है। शेष दिनों में वे बेरोजगारी बने रहते है।

4. **शिक्षित बेरोजगारी –** हजार पढे लिखे, योग्ताधारी शिक्षित लोगों की शिक्षा पूरी होने के बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं होती। इसलिए वे पढे लिखने के बावजूद बेरोजगार बने रहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या निरंतर बढती जा रही है। इससे समाज में अशांति और दुराचार को प्रश्रय मिलता है।

बेरोजगारी के दुष्परिणाम:

1. आर्थिक दुष्परिणाम के कारण मानव शक्ति व्यर्थ होने लगती है। मानव शक्ति का सदुपयोग नहीं होने से व्यक्तियों में विकृतियाँ पैदा हो जाती है।
2. आर्थिक सम्पन्नता धीरे धीरे घटने लगती है। बेरोजगार लोगों की आय में भारी मात्रा में गिरावट आने लगती है। कई लोग इसी कारण ऋणग्रस्त हो जाते है। लोगों की आर्थिक समस्याएं बढने लगती है।

औद्योगिक संघर्ष – बेरोजगारी से औद्योगिक संघर्षों में वृद्धि हो जाती है। मालिक बेरोजगारी का लाभ उठाकर लोगों को बहुत कम मजदूरी देते हैं। जिससे शोषण की प्रवृत्ति बढती है। निर्धनता में वृद्धि होती है। बेरोजगार वक्ति की आय कम हो जाती है। जिससे उपभोग के अनेक साधनों से व्यक्ति वंचित हो जाता है। जिससे गरीबी का प्रमाण बढने लगता है।

सामाजिक और राजनैतिक दुष्परिणाम

1. **सामाजिक समस्याओं का जन्म –** जिस देश में बेरोजगारी बढती जाती है उस देश में नयी नयी सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। चोरी, डकैती, बेईमानी, अनैतिकता, शराब खोरी आदि दुष्प्रवृत्तियाँ बढती जाती है। सामाजिक सुरक्षा और शांति के प्रयासों में अनेक संकट पैदा हो जाते है।

2. **श्रम का शोषण–** बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिकों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। अधिक काम करके थोड़ी से पैसे उन्हें दिये जाते है। इससे लोगों की कुशलता पर बुरा प्रभाव होता है।

3. **सामाजिक असमानता–** जितनी बेरोजगारी बढती है उतनी उसमें सामाजिक विषमता पैदा होती है। कुछ लोगों सम्पन्न होते हैं जिसके बनिस्बत हजारों लोग गरीब हो जाते हैं।

4. इन सब स्थितियों से देश में राजनैतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों और शांति को खतरा पैदा हो जाता है।

इस प्रकार बेरोजगारी अनेक समस्याओं को पैदा करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अर्थशास्त्र– डॉ. अनुपम अग्रवाल और सौमय रंजन एबीपीडी पब्लि. आगरा 2019–20
2. विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन– डॉ. राम रतन शर्मा, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
3. कृषि अर्थशास्त्र– जय प्रकाश मिश्र, साहित्य पब्लि., आगरा
4. भारतीय आर्थिक नीति– डॉ.पी.डी. माहेश्वरी 2011
5. म.प्र. : एक परिच, – जितेन्द्रसिंह भदौरिया, और राकेश गौतम–मैकग्रा हिल्स, प्रा.लि. 2020

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Women Characters in the short stories of Thomas Hardy and Rabindra Nath Tagore - A Comparative Study

Rajni Mishra*

***Assistant Professor (English) Govt. (Model Autonomous) Holkar Science College, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract - Characterisation is one of the main elements of a story. As every human being is possessed with different nature and traits, the characters of a story are also multicoloured and multifaceted. Some are good, some are villains,some are round and some are flat characters.The present paper is an attempt to compare and contrast the women characters of Thomas Hardy and Rabindranath Tagore. Both the writers have been termed as feminists and have created myriad women characters. They had a deep insight into woman's heart. The period of creation of both of them was more or less the same. They saw the advent of the modern era.Both the artists painted the canvas of literature with colourful,life like images.

Keywords- Delineation, Gender, Ideology, Portraiture, Feminism.

Introduction - Characters are the nerve centres of a work of fiction. They set the plot in motion. In the short stories of Hardy and Tagore, the female characters steal the show. Both the authors have presented them in different shades, hues and colours. As they have highlighted the female characters, both have been termed as feminists. Both were poets and understood the deep intricacies of women's heart. The time of their creation is more or less the same. The societal norms prevalent in both the countries, bear semblance to each other, specially the condition of women folk. In the Victorian society, the main organising principles were gender and class. Double standards were set for men and women. The Victorian gender ideology stated that men and women are different and meant for different things. Women were considered as means of reproduction and their feelings did not matter. Men were independent; women were dependent. They were denied many rights, even the right to vote. Conditions were even worse in India. Besides these vices, there were child marriage, illiteracy and sati pratha too. England was standing on the threshold of modernism. There was the advent of industrialisation and India was struggling for its independence.This was the time of political and social turmoil. Both the authors were realistic in their approach and presented life like characters.

Content

Women Characters of Thomas Hardy - Hardy had an intuitive insight and understanding of the psychological complexities of the female mind. This he had achieved in his boyhood by writing love letters of village maidens .His females belong to different classes of the society. He has created versatile women characters in his four short story collections. As the name indicates, ' *A Group of Noble Dames'* is completely dedicated to women characters. He has portrayed ten aristocratic ladies, all of different temperaments. All may not be liked by us but they have been beautifully presented as real and flawed human beings, with their shallowness, pride and romanticism. Barbara in '*Barbara of theHouse of Grebe'* is young, proud but vulnerable. Betty in '*The First Countess OfWessex'* and Emmeline in '*The Duchess of Hamptonshire'* are timid and weak. Lady Caroline in '*The Marchioness of Stonehenge'* is proud, vain, jealous and aristocratic. Lady Icenway in '*The Lady Icenway'* is proud and masterful and Annetta in '*SquirePatrick's Lady'* is imaginative. All these noble dames suffer under class consciousness. Their class obstructs them in gaining true happiness.

In contrast to these high, aristocratic ladies,he has delineated simple, rustic characters in *'Wessex Tales.'* Ella Marchmill in *'An Imaginative Lady'* bears semblance to Annetta in imagination. Their imaginativeness causes harm to their offsprings. Sophy in *'A Son's Veto'* is meek and submissive; dominated, first by her husband and then by her son. She represents that typical Victorian woman, whose fate is decided by men. Gertrude and Rhoda in, *'The Withered Arm'* belong to different class and possess different characteristics. Gertrude is young, gentle, altruistic and belongs to high-class whereas Rhoda is a rustic, strong and independent woman. Rhoda and Gertrude suffer at the hands of the same man.Prof. Michael Irwin comments on Gertrude's character, "Gertrude Lodge, the unfortunate victim, resembles the heroines of several similar stories in being 'delicate' prone to 'throb' or 'palpitate.' Her nervous

sensitivity makes her vulnerable even to unintentional malignity." (Wessex Tales-XIV)

Lizzy Newbury in *'The Distracted Preacher'* and Sally Hall in *'Interlopers ofthe Knap'* are strong, independent and determined young ladies. Sally presents an embodiment of the spirit of new woman by taking the decision to remain a spinster throughout her life. This was not an easy decision to be taken in the Victorian age. She seems to belong to the modern age. She is full of self-respect and does not take any man, after being rejected by one.

In *'Life's Little Ironies'* too, Hardy has portrayed some prominent women characters. Edith Harnham and Anna in *'On the Western Circuit'* are presented to us as two opposite characters. Edith is grave, emotional, educated and mature but she's lonely, bound in an incompatible marriage with an old man. Anna is a naïve,innocent, young peasant girl who is illiterate. They cross each other's way by loving the same man, but Edith keeps her morality and retraces her steps. Carline in *'TheFiddler of the Reels'* is depicted as a weak minded girl, who gives into momentary pleasures, unable to resist the frivolous Mop Ollamoor.

The character of Laura in *'A Changed Man'* is of a girl who changes into a mature lady at the end of the story. She marries a soldier for good life but deviates from him when he becomes a priest, thinks of leaving him too. But the goodness of her character stops her from doing so and she lives as Mrs.Maumbry and dies as his widow. Lucy in *'The Fellow Townsmen'* and 'Selena in *'Entering a Dragoon'* are victims of fate.

Hardy was aware of the demands of women in the later part of the nineteenth century. These were access to education and profession, right to vote and divorce; they wanted to be free from many other forms of injustice and discrimination. Hardy became the voice of the women to get them liberated from the constraints of the Victorian era.

Women characters of Rabindra Nath Tagore - Tagore has presented multidimensional women characters in the entire length and breadth of his literary works. Different shades of women are seen in his stories. Some are meek and submissive, whereas others are strong, brave and determined. They make their way in the male dominated society. Progressive and open minded women characters were created by him, who fought for their rights. This was not acceptable by the conservative society of his time. He gave a vision of modern India through his women characters.His chief emphasis was on women education. Tagore deviated from the romantic tradition of Bankim, who was a popular author and his predecessor. He created real, life like characters. Chandra in the story '*Punishment*' is presented as young, beautiful,proud and full of self-respect. She does not forgive her husband for proving her guilty of her sister in law's murder, which was done by his brother. In the society of his time the value of women was hardly recognised beyond family relationships but he created women who established their own identity and individuality. Mrinal in *'The Wife's Letter'* and Anila in '*House Number One'* are such characters who became the voice of the new woman. They had the courage to break the meaningless and loveless sacred bond of marriage and go out in search of their own identity. K.V. Dominic states, " Mrinal is the embodiment of Bengali woman's emancipation, liberty and freedom who voices against the marginalisation of woman in a patriarchal society."(Dominic-09)

Anila keeps her sanctity and does not give in to Sitangshu's proposal of love. She leaves her insensitive husband's house,never to return. Kalyani in *'TheUnknown Woman'* and Sohini in *'The Laboratory'* are presented as the true embodiments of New Woman.Kalyani has the courage to take the decision of staying a lifelong spinster when her father is humiliated by the groom's uncle. Sohini herself proposes Nandkishore to marry her. She remains loyal to him by fulfilling his dream of creating a laboratory. After his death she protects his property bravely. She also uses her womanly charms for her job. According to conventional morality Sohini would be considered an unchaste woman but it was her loyalty to her husband which made her do all this.

Giribala in '*Fury Appeased'*leaves her husband's home after being insulted by him. In order to punish him,she joins the same theatre which he used to visit and becomes successful as an actress.Shashi in *'Elder Sister'* is a modest, homely, loving house wife who changes into a courageous lady to protect her orphaned brother. She goes against her husband and even sacrifices her life for his sake. Subha in *'Subha'* is an object of pity whose character reveals the shallowness of the society. A dumb girl, she gets hatred even from her mother and is married without disclosing her deformity. She is rejected by her husband for her weakness. Nirupama in *'Profit and Loss'* is literally killed for getting less dowry. This shows that girls were treated like commodities and not human beings in the market of marriage. Kusum in 'The Ghat' becomes a victim of the traditional Indian practice of asceticism. There are characters like Mani in *'Mashi'* and Manimalika in *'The Lost Jewels'* who are insensitive towards their good husbands. Mrinamayi in *'The Conclusion'* is a fun loving, carefree tomboy adolescent, who has to bear the burden of child marriage. Although impudent in the beginning she turns into a dutiful wife in the end.

Tagore took a very courageous step in delineating the character of Kamla in *'TheStory of a Muslim Woman'*. She is presented as a fearless woman who does not hesitate in marrying a muslim boy, the son of her protector. At a time when Bengal was burning with communalism, creating such a character was an act of great courage.

On a vast canvas Tagore has painted wonderful characters using various colours. Along with bright colours he has used light,pastel shades too.

Comparative Study - Much similarity is found in the portraiture of the women characters of both the writers.

Their heroines suffer greatly as they are subdued by male dominance. Subha and Sophy are meek and submissive. They are weak, flat characters as they are unable to raise their voice against injustice. Both of them suffer at the hands of their own people. Kusum, Emmeline, Barbara and Kadambinialso belong to this group. Betty has the same characteristics but she is lucky at the hands of fate. Milly who seems to be a flat character throughout the story, taking commands from Lady Carolyn, suddenly changes into a round character at the end of the story when her motherhood is challenged. Similarly, when Shashi's role is changed from a sister to a mother, for her small brother, from a kind loving wife she changes into a courageous lady, when she sees injustice being done with her orphaned brother. Analysing Shashi's character critic Upendra Nath Bhattacharya writes, "When women sees her beloved is helpless, then her love becomes stronger, and then she, like a fortress defends her beloved from any blow and attack. When Shashi found that her Nilmani had none, she then started through all she might to defend him from the attack of her cruel and egoistic husband." (Dominic-51)

Although both the writers were great propagators of women emancipation, Tagore takes the higher tilt. He created progressive and open minded women characters, who fought for their rights. Tagore's heroines, Mrinal andAnila have the courage to break the meaningless and loveless sacred bond of marriage and leave their homes. But, Edith Harnham and Ella Marchmill are unable to do so. They are bound by the conservative society and continue in an unhappy, incompatible marriage.

Hardy's heroine Sally Hall is an exact replica of Tagore's Kalyani. Through their characters the authors have explored the psyche of women who have the courage and determination to lead a single life. Both are kind, helping, caring but they cannot lose their self-respect for anything. Some of the women like Lucy, Selena,Kadambini and Nirupama are victims of fate.

Conclusion - Both Hardy and Tagore have delineated their female characters with different colours but Tagore's canvas seems to be more colourful. His female characters have been presented as living, breathing spitfires of ambition and desire. They are not merely romantic and ornamental figures but the pivot of a household. They were not to be treated as dolls or puppets but demanded to be treated and respected as human beings. Hardy's women are more sinned against than sinning. Although the women characters have been painted in various hues but none of them is villainous or atrocious. No shady character has been portrayed either by Hardy or Tagore.

References:-

1. Hardy, Thomas. *Wessex Tales, Wordsworth Classics,* Hertfordshire, 1999. Print.
2. Dominic, K.V. *Pathos in the Short Stories of RabindraNath Tagore,* NewDelhi; Sarup Book Publishers Pvt.Ltd. 2009. Print.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

COVID-19 and It's Impact on Various Sectors of Indian Economy

Dr. Prahalad Dhaker*

***Assistant Professor (Economics) Government College, Kherwara, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - The current pandemic situation has unfavorable reflective effect on Indian business and sectors of economy. Nearby, the effect of the Covid-19 pandemic could rapid log jam in local interest. This will bring about collapse of buying power because of occupation misfortunes or pay chops and hinder impact of conceded request will have a more drawn out enduring effect on various areas, particularly where request is optional in nature. India's real GDP beat to its base in more than six years during 2019-20. India's development for one year from now 2020-21 is measure in the middle of 5.3% to 5.7%. The pandemic has revealed numerous shortcomings in the worldwide framework. In spite of our aggregated involvement with emergency the board, this infection has had the option to seclude us all in our homes. This virus has caused serious pause for the Indian economy. The current pandemic could prompt a 04% lasting adversity to genuine Indian total national output (GDP). It is assessed for India's Gross Domestic Product (GDP) development rate to 1.9 % for 2020-21. This will be the least after India recorded development rate at 1.1% in 1991-92.

The Covid-19 has upset significant areas; it's markedly obvious that differentareas the avionics, telecom, travel industry and transportation auto area,are most affected areas that are confronting negativerepercussion of the current fiasco. In the given fact, withall the retail areas closing down their business the occupation of thelaborers are at ideal danger. The Government of numerous nationshas offered backing to the businesses to pay compensations to theirworkers. The current examination is attempted to contemplate theeffect of Covid-19in different sectors considering the informationwhich are supporting in nature, diverse proper factual apparatuses and procedures are applied for review and end.This disease has spread out across the globe within a span of few months. Many industries have been affected bythe nation-wide lockdown.All economies are facing theproblems how to the economy open and functioning during Covid-19. The Companies are expected to register the poor growth in business. The organization'sfinancial performance will remain slow in the coming few quarters.

On the other hand, there are some industries which are impacted adversely. There are some industries which areimpacted positively. This research paper is based on thesecondarydata collectedfromthedifferent sources.For the past two year now, the world is worried to struggle this dreadedpandemic.Medicine has been thrown to a violent test of its character.Science has been trying to find the answer of How and Why of thepandemic. While an early vaccinewas '*Cry of the day*',changed variants caused greater harm, by put up the recovery of thenation in the form of second wave. The present paper is a review of the advent of thepandemic, measures taken, itsrevival and the crumbling down of the nation. Its impactson various socio-economic ranges have far more reaching consequences than expected. Onthe analysisitsafter-effectsarefar extendingandlastingthan expected.
Keywords- Covid-19, Economy, Industry, Pandemic and Financial Performance etc.

Introduction - The happeningof Covid-19has affected countries in a huge manner, particularly the cross country lockdowns which have carried social and monetary life to animmobilize. A world which everlastingly hummed with exercises has fallen quiet and all the assets have been redirected to meeting the never-experienced emergency. There is a multi-sectoral effect of the infection as the monetary exercises of countries have eased back down. What is astounding and important is an alert which was rung in 2019 by the World Health Organization (WHO) about the world's powerlessness to battle a worldwide pandemic. In 2019 joint report from the WHO and the World Bank assessed the effect of such a pandemic at 2.2 percent to 4.8 percent of worldwide GDP. That expectation appears to have materialized, as we see the world getting overwhelmed by this emergency.In another report entitled Covid-19 and the universe of work: Impact and strategy reactions by International Labor Organization (ILO), it was

clarified that the emergency has just changed into a monetary and work market stun, affecting gracefully (creation of products and ventures) yet in addition interest (utilization and speculation).

The Worldwide International Monetary Fund's (IMF) boss said that, World is confronted with remarkable vulnerability about the profundity and term of this emergency, and it was the most noticeably terrible financial aftermath since the Great Depression'. The IMF assessed the outer financing requirements for developing business sectors and creating economies in trillions of dollars. India also is moaning under the burden of the pandemic and according to news reports in Economic Times distributed on March 2020, the business analysts are pegging the expense of the COVID-19 lockdown at US$120 billion or 4% of the GDP.

This Covid-19 pandemic influenced the assembling and the administrations area friendliness, visits and voyages, medical care, retail, banks, inns, land, training, wellbeing, IT, entertainment, media and others. The financial pressure has begun and will develop quickly. While lockdown and social separating bring about efficiency misfortune from one viewpoint, they cause a sharp decrease sought after for merchandise and enterprises by the customers in the market on the other, in this way prompting a breakdown in monetary action. Nonetheless, lockdown and social separating are the main practical instruments accessible to forestall the spread of Covid-19. Governments are learning by doing, as it was on account of achievement of control technique in Bhilwara (district), state Rajasthan, India, the monetary dangers of shutting the economy stay in any case. Likewise, complimenting the caseload bend is basic for economy everywhere, except it accompanies a monetary expense.

Objectives of the Study- The important objectives are as follows;

1. To Study the Impact of Covid-19 on Various Sectors of Indian Economy.
2. To Study the Benefits by Covid-19 to Indian Economy.

Literature Review - There are thousands of evidence which proves that infectious disease spate impact the economic development of a country. The economic cost of the infectious disease is the subsidies given to the poor, health facilities provided to the patient and losses incurred by the business organizations due to non-functional business operations. During the wave of infectious disease, workers are not able to work and business organizations are not in the position to run the operations at the full capacity. The millions of peoples will lose their jobs and companies will lose their orders taken from their clients from across the globe. The logic to bear this cost is that social security is more important than economic benefits. If the people are secured and healthy; economic growth can be achieved after some time.

The influenza virus had proven more dangerous and deadliest in human history. It cost loss of millions and deaths of millions in Spain. Similarly, Corona virus appears to be deadliest and spread person to person at a very fast pace. So far, there is no vaccine developed which could be used for the treatment of the corona virus patients. As of now, nationwide lockdown seems to be the only option to save the lives of people. Impact of Covid-19 in urban areas is more than rural areas. It is because of population density and environmental issues. Large numbers of people are living with fear and uncertainties.People are fearful because they are considering Covid-19 as a major reason for the people's death. However, this has not been proven but the perception of the people is like this. The Covid-19 as the third key factor for people death after cancer and cardiovascular. According to the research conducted by the Sunstein (1997) explains that an individual's willingness to pay increases when they feel that it can cost their life. They will search for best doctors and best treatment to avoid the impact deadly virus. People perception of Covid-19 is very negative as far as its impact on their life, business operation and economy is concerned. Due to the Covid-19, business is not able to operate and many other businesses are likely to collapse.

The many studies have outlined the effects of COVID-19 on world economy. World GDP is estimated to be reduced drastically due to COVID-19 because consumption and investment activities are very low. People are spending their income on only essential items not luxury one. People want to save their income because they are not very sure that how long this virus will prevail in the world. United States of America, China and India are the three main economies driving the world's consumption activities. As compare to US and China, India is relatively safe and the virus effects are not as fearful as were in US and China. Lower consumption effects will not only confine to US, China and India but also to other major world economies.

Methodology - This research paper has needed secondary source of data, the data has been collected from varies sources i.e. periodicals, articles, reports, books, journals, and online website on the subject.

Major Impacts of Covid-19 on Indian Economy- The intact way across the nation, over 45% of the families have shown crude pay drops in contrast with a year ago's numbers. The utilized ones are not wealthy either, as there have been various reports of compensation cuts the whole way across different associations in India. During the lockdown, the nation's economy was required to lose an expected USD 4.5 billion each and every day it stayed shut. Out of the USD 2.8 trillion economies being run in the country, under 25% of the whole framework was scarcely practical and enrolling such a development in the business sectors. The gracefully chains are under trouble because of the lockdown, because of the underlying absence of clearness among fundamentals and unnecessary items.The most gambled gathering of individuals in the economy is

casual area and every day wage laborers, as they have consistently been.

Smallholders that had put resources into short-lived nourishments before the unexpected conditions being confronted today are additionally confronting vulnerability the whole way across India.Most significant associations the country over have either briefly suspended or altogether diminished their activities in such a period. New and up and coming new businesses have accepted a profound fall as the pandemic has influenced their financing levels. Securities exchanges in India recorded the most exceedingly awful misfortunes looked by different organizations throughout the entire existence of India on the March, 2020.

(a) Local Monetary Issues: As of June 8, India was on John Hopkins University's dashboard, setting seventh on the rundown of nations with most diseases – at that point, it had recorded an enormous 258,090 positive cases, with 7,263 recorded passings. In the nation's most recent financial projections, India's GDP is relied upon to shrink by 6.8% in its present monetary year, more terrible than its slowest-in- 11-years climb the last quarter.An inexact 84% of Indian families are confronting pay diminishes since the start of the lockdown, as indicated by an investigation distributed by the Universities of Pennsylvania and Chicago, and Center for Monitoring the India Economy, Mumbai. They had likewise reasoned that the pandemic had caused a sharp and wide negative effect on family unit pay, as 33%, everything being equal, will be unable to get by past seven days without extra help.

(b) Sectorial Impact: The National Restaurant Association of India (NRAI), which speaks to 500,000 or more eateries the nation over, has exhorted its individuals to close down eat in activities beginning Wednesday till March 31, 2020. This will affect activities of thousands of eat in eateries, bars, bars and bistros. By augmentation, food conveyance stages, for example, Swingy and Zomato that are without anyone else working - have additionally endured a hotshot. Requests on Swingy and Zomato have dropped 60% in the midst of the pandemic.

(c) The Gracefully of the Food and Agriculture: The item will be influenced in the coming seasons because of low planting of the up and coming occasional harvests which will influence the mandi activities as said by the Ministry of Agriculture. The organizations which manage Agro-synthetic rely upon send out for completed merchandise and import of crude materials. The food retail with the Central government and State governments permitting free development of products of the soil the Bricks and Mortar staple retail chains are working typically however with the deficiency of staff is affecting activity.

It is normal that with delayed lockdown the interest for the food supplies will increment. The online food staple, then again, endures an enormous misfortune because of the limitation of conveyance vehicles. With the deficiency of work, the food preparing units are confronting a hunch in typical capacity yet the administration is attempting to back out the circumstance until that the production lines need to acclimate to working with low work check. A significant objective in the catch of Coronavirus for the following barely any months the Indian fare is affected because of low purchaser request the fare arranged products like fish, mangoes, grapes are smashing this will affect the future harvest accessibility.

(d) Food and Agriculture: The food and horticulture area contributes the most noteworthy in GDP for example 16.5% and 43% to the business area. The significant part of the food handling area manages dairy (29%), consumable oil (32%), and grains (10%). India likewise stands number one in dairy and flavors items at a worldwide situation (send out).

(e) Online Business Area: The online business in the present economy assumes a significant part in the economy with a piece of the overall industry of USD 950 billion. It contributes 10% to the Indian GDP and demonstrated an extraordinary in the work area in the FY 2019 viz 8%. Its significant portions are the family and individual consideration items (50 %), medical care fragment (31%) and the food and drink area (19%).At fog the social removing because of danger of Corona virus the propensity of the customers to overload on basic item and wares viz rice, flour and lentils. This gave ascend in the deals of the FMCG organizations which it saw fall in the stir in exchange because of twisted flexibly chain .the internet business area saw a dunk in development with tension on the gracefully chain conveyances and the desires for the buyers on the organizations to think of more up to date circulation channels zeroing in on direct to client courses.

In this taking off climate the overseeing and anticipating of interest will assume an imperative function in the client connection area. Ordering the wares into part for example fundamental products and unimportant items demonstrated various reactions in the market.Displacement of migrant workers has an effect. During the Covid-19 pandemic, Indian migrant workers were at risk:Migrant workers stranded in Delhi during the fourth period of the lockdown Tens of millions of migrant workers were laid off as a result of the 2020 lockdown. Many migrant workers were left jobless after factories and workplaces were closed. As a result, they agreed to walk hundreds of kilometres back to their ancestral villages, mostly accompanied by their friends. As a result, the federal and state governments took a variety of steps to assist them. The federal government then declared that it had requested state governments to set up immediate relief camps for migrant workers returning to their home countries, and that it had issued orders securing migrants' rights.The central government claimed in its report to the Supreme Court of India on March 30, 2020, that migrant workers, fearful of their survival, moved in the panic caused by false news that the lockdown would last more

than three months. In early May, the Indian Railways were finally given permission to run "Shramik Special" trains for stranded migrant workers and others but this change came with its own set of complications. The Supreme Court acknowledged on May 26 that the migrant workers' issues had not been resolved and required the federal government and states to provide free food, shelter, and transportation to stranded migrant workers.

(f) Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector: This area contributes 30% to 35% of the GDP, indicating a bifurcation of miniature (99%), little (0.52%) and medium (0.01%) undertaking. On the off chance that we see the sectorial dissemination of MSMEs, it shows 49% from country and 51 % from the semi-metropolitan and metropolitan zones.Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, and Madhya Pradesh have the most noteworthy number of enlisted MSMEs, an investigation by the AIMO assessed that about a fourth of more than 75 million is confronting conclusion if the conclusion goes past about a month and if the lockdown actually expands the circumstance would compound influencing the work of 114 million individuals influencing the GDP.

Purchaser products, pieces of clothing, coordination's are confronting a sharp drop in the business and the MSMEs occupied with the administration area are as yet working, be that as it may, is probably going to seclude due to plunging liquidity compels and buying limit.Areas which relies upon import, for example, gadgets, pharma, shopper durables and so on are confronting a ruin causing a tremendous joy over the worth chain. As a sprinkle of help came the RBI declaration of a three-month ban on reimbursements of credit and decrease in the repo rate as the greater part of the MSMEs relies upon the advance financing from the legislature.

(g) Drug Scarcity: The Indian pharmaceutical companies warned in January 2020 that if the pandemic situation in China worsened, drug supplies could be jeopardised. China supplies roughly 70% of India's pharmaceutical ingredients. In March 2020, India imposed export restrictions on 26 pharmaceutical ingredients, signalling imminent global shortages. Some COVID-19 patients turned to the black market during the second wave of the pandemic in India due to drug shortages. Other relevant COVID-19 related drugs faced dwindling stocks and a dramatic increase in raw material costs in April, 2021.

(h) The Economic Effects: Also see the COVID-19 pandemic's economic effects. The economic effect of the second wave has been less serious than the first wave due to fewer limits on social activity during the second wave compared to the first wave's lockdown steps.As compared to the first wave, socioeconomic indicators such as power demand, labour participation, and railway freight traffic dropped less during the second wave. Considering the intensity of the second wave, the first wave has increased domestic economic resilience, which is evident throughout the second wave."Economic activity has learned to work 'with Covid,'" the Indian Finance Ministry wrote in their Monthly Economic Review for April 2021, which was published on 7 May 2021. Poverty has risen in India since the start of the pandemic, and livelihoods have been impacted.The Covid-19's Impact on the NIFTY 50 Index of the National Stock Exchange of India (January 2020 to 19 May 2020)."The NIFTY 50 is the National Stock Exchange of India's (NSE) benchmark broad-based stock market index for the Indian equity market."S&P Bombay Stock Exchange (BSE) 500 Index (January 2015 to 1 April 2021).

(i) The Effect of the Covid-19 Pandemic on Education: The union government ordered the closure of schools and colleges on March 16, 2020.The Central Board of Secondary Education (CBSE) issued updated examination centre guidelines on March 18 that included social distancing steps. The CBSE and JEE exams for admission to Indian Institutes of Technology and other engineering colleges were postponed on March 19. School exams were postponed or cancelled throughout the country, and younger students were either promoted automatically or based on prior results. The Civil Services Examination interview has also been delayed by the Union Public Service Commission. Just a few Indian educational institutions have successfully adapted to e-learning and remote learning; the digital gap is exacerbated by severe energy shortages and a lack of internet access.

(j) The Impact on Healthcare Workers: During the pandemic in Kerala, healthcare staff and the Indian Medical Association (IMA) announced on August 8, 2020 that 198 doctors had died as a result of COVID-19. By October 2020 and 3 February 2021, the number had risen to 515 and 734. However, the health ministry declared in the RajyaSabha and LokSabha on February 2 and 5, 2021, that COVID-19 had killed 162/174 physicians, 107/116 nurses, and 44 ASHA staff/199 healthcare workers. The estimates come from the government's "COVID-19 Insurance Scheme for Health Workers."

According to the IMA, there have been 747 deaths of doctors as of April 17, 2021. Covid has contaminated tens of thousands of physicians, nurses, and other health care professionals. Starting on January 16, 2021, healthcare staff and frontline workers in India were given covid vaccinations first. This involved 9,616,697 healthcare employees and 14,314,563 frontline workers, with the majority receiving their second dose by May 2021.

Benefits by Covid-19: There are a numerous advantages by Corona virus. Above focuses expressed generally the negative effect of the lockdown, yet we would pass up a major opportunity something in the event that we don't recognize the development of computerized imbued innovative increase. With the coming of the lockdown the greater part of the area moved their working on the web the MNC are using their work from home choice to carry on a continuous working.While these patterns were at that

point in the child steps, they had to hit the quick forward catch. The advanced world got such a push that the little retail areas like the Bricks and Mortar stores are additionally utilizing applications like PayTM, Google pay, Phone pay, BHIM UPI and other computerized channels. The instruction area is currently totally dependent on the computerized stages the schools and colleges are directing their normal classes being in the solace of their home with different online stages, for example, google study halls, zoom, and so on they are likewise acquainting new programming with their educational plans, for example, advanced grounds where the understudies can get to their school library, charge installments, online tests and so forth This current emergency has featured the significance of putting resources into advancements like cloud information and digital protection, self-administration abilities, and e-administration.

Conclusion: A worldwide unhappiness currently appears to be unavoidable. In any case, how reflective and long the plunge will be relies upon the attainment of measures taken to expect the spread of Covid-19, the impacts of government approaches to relieve liquidity issues in small and medium entrepreneurs (SMEs) and to help families under monetary pain. It additionally relies on how organizations respond and get ready for the re-beginning of financial exercises. Also, most importantly, it relies upon how long the current lockdowns will last.The nation is confronting an additional customary testing time in this money related year. India needs to earnestly figure out how to pad the interest side shocks actuated by expected lockdowns and other progressing control measure.The spiraling and unavoidable Covid-19 pandemic has twisted the world's flourishing economy in unpredictable and questionable terms. Yet, it essentially demonstrated that the current plunge appears to be principally not the same as downturns of the past which had shocked the nation's financial request. While the countries aggregates enterprises and multinationals keep on understanding the extent of the pandemic, it is without a doubt the need of great importance to get ready for a future that is economical, basically more suitable for living and working.

While the exceptional context has made an incredible harm the economy, particularly during times of lockdown, the country should deal with it, by presentation of monetary measures. As the public government imagines, assurance of the two lives and job is required. The monetary movement must start step by step in the wake of screening of the workforce. Severe preventive measures ought to be executed by the business so as to protect the strength of the laborers. While strategy and changes ought to be given out by the administration enough to rescue the economy, the business, common social orders and networks have an equivalent part in keeping up the harmony. The standards of social separating, evading or dropping get-togethers, and utilization of veils and sanitizers ought to be the lifestyle till we can annihilate the infection.

During this time, the economy is compared with social conduct of mankind, so the duty of bringing back financial activity isn't of government alone. Be that as it may, each emergency achieves a novel occasion to reevaluate on the way attempted for the advancement of a person, network and society. The Covid-19 pandemic has a reasonable directive for the Indian economy to embrace practical formative models, which depend on confidence, comprehensive systems and are climate cordial.After analyzing the various reports, it is concluded that Indian economy has not been affected as badly as the other economies impacted. However, some industries have been affected badly and hit the financial performance of the companies badly.

On the other hand, some industries are performing good and expected to perform well in the coming few quarters. Covid-19 has created several opportunities for their growth and development. There many industries which are growing at the fast pace during the pandemic. Pharmaceutical industry has grown up exponentially during this virus and certain drugs are more in demand. India has exported. Many pharmaceutical companies are spending a lot on the research and development to create medicine to avoid the negative effects of Covid-19. The demand for sanitizers and masks has increased exponentially. The chemical sectors will also see the high demand for its products due to rising demand of disinfectants and medicines. Online education and online training platform i.e. Google classroom, Googlemeet, WebEx, Zoomwill also be into high demand.

References:-

1. Bhattacharya, Amit (2021). "India's Covid toll tops 3 lakh, 50,000 deaths in 12 days. The Times of India.
2. Gettleman, Jeffrey; Yasir, Sameer; Kumar, Hari; Raj, Suhasini; Loke, Atul (2021). "As Covid-19 Devastates India, Deaths Go Undercounted". The New York Times. ISSN 0362-4331.
3. India's 'double mutation' covid virus variant is worrying the world. mint. Bloomberg. April, 2021.
4. India received 2,060 oxygen concentrators, three oxygen generation plants as foreign aid. The Hindu. PTI. May, 2021. ISSN 0971-751X.
5. Pubby, Manu (2020). "Low cost, high volume products being developed; DRDO chief says scientists rising to the occasion". The Economic Times.
6. Rajagopal, Krishnadas (2020). "Supreme Court orders Centre and States to immediately provide transport, food and shelter free of cost to stranded migrant workers". The Hindu. ISSN 0971-751X.
7. Shivani Kumar (2020). "Covid-19: Number of recoveries exceeds active cases for first time". Hindustan Times. New Delhi.
8. World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 72.

A Conceptual Model Proposed to Select A Bank for Applying Loan

Neha Yadav* Dr. Chetan Nagar**

*Reaserch Scholar, Sage University, Indore (M.P.) INDIA
** Professor (Computer Science) Sage University, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - Loans are the core business for banks. When applying for a loan from a lender we can be overwhelmed with the easy availability and no collateral risk but we may forget to consider some crucial factors. Now day's loans are easily available from various lenders such as banks, some banking financial companies NBFs sometimes within hours. However the range and diversity of loans offering may confuse prospective borrowers and leave them to think what is most suitable for them. Applicant end up comparing the different loan offers of various lenders. The first parameter is interest rate but other aspect can be equally important before a borrower settles for the best loan option. In this paper we discussed about a conceptual model that will help the customer to take the decision from which bank he can receive the loan easily.
Keywords- NBF, cibil score, credit score, machine learning.

Introduction - Now a day to fulfill the human needs whether it is related to basic requirements, education, home, luxuries loan is an easy medium through which he can achieve them but sometimes it becomes very hassle due to certain terms and conditions. So anybody who wants to have loan he has to aware of all the parameters about the loan. People normally overlook these parameters and in future lots of hidden things are come to knowledge, due to which the taken loan becomes problem for us. So before receiving loan from any financial organization people should aware about all the related parameters regarding the loan .There are various categories of loan offered by banks according to customers requirements but customer should select the bank after thinking about all the charges and his requirements.

Type of employees - Getting loan is basically depends on the types of employees to know the source of income. Following are the possible categories of employees that any bank considers-

1. Salaried
2. Business owner
3. Self employed
4. Independent worker
5. Student
6. Retired person
7. Homemaker

Methodology- Since there are so many banks and financial companies are available that offers various kinds of loan within a very short period of time but the customer has to take care of all their terms and conditions. In methodology we are discussing and considering the factors that affect the choice of customer for selecting bank to get loan. User can evaluate himself at different parameters.

Factors affecting - Getting loan is also depends on so many parameters. Some commonly parameters that affect customer's loan process are age, monthly income, work experience, cibil score, residential status, type of employment etc.

Type of bank - There are various types of banks working in India that is nationalized, private, small bank. Infect at present some loan provider companies are running on only mobile app. So we should aware about the reputation of bank.

Rejection on first stage - Most application does not pass the first stage of verification. They are rejected on the basic criteria such as age, income, poor-bank verification and proof documents which do not satisfy the lender's requirements. So make sure that the eligibility requirements of lending banks have been carefully read and by following them accurately step by step.

Credit Score - Credit score is an honest reflection of financial health that is good or bad. It speaks more about us than we could ever do ourselves. And this is the one thing on which bank can not compromise upon. It is extremely important for bank to verify our credit worthiness before lending because it is extremely important for banks to verify our credit worthiness before lending because it is their money that is being invested in customer. No any bank want to invest in someone if it was not sure of the person's capability to repay back the loan with interest. So as an

applicant, before applying for a loan customer is to regularly check his credit score and find ways of improving it. This will help to increase the scales in favor whenever he finally decides to apply for a personal loan.

Regular Source of Income - Bank would not lend their money to a person who does not have regular incomes that is basic sufficient income to pay the basic EMI for the loan.

Hidden Charges - Sometimes people tend to ignore the charges over and above the interest rate, but in reality, these charges can become a hefty sum. Some fees that are not mentioned out rightly by the bank are –

1. Processing Fees
2. Fines on missed installments
3. Charges on prepayments
4. Charges on preclosure
5. Transactional fees

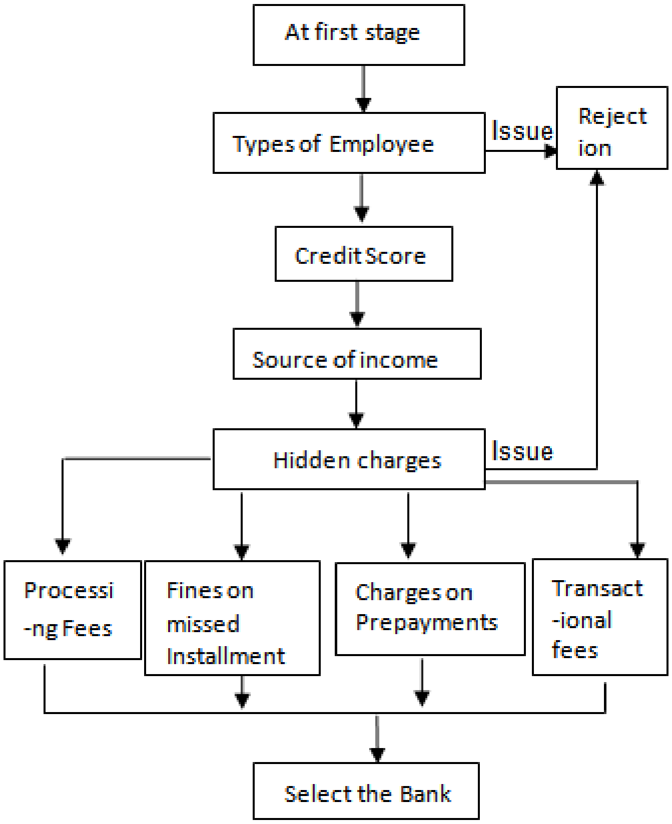

Flowchart for selection of bank to get loan (describing different parameter)

Future Scope - We can apply this proposed model to machine learning system by taking the all affecting factors as a variable. The whole purpose of this research is to automate the selection process of bank to receive the loan. In future, we can develop an application which will help the customer where he can compare the affecting factors before applying the loan. Different types of bank can also be included. The affecting factors of different financial institutions can be compared so the time will reduce to take the decision.

Conclusion - This paper establishes bank selection conceptual models for customer who wants to apply for the loan and compare the affecting factors of different banks to get the loan. Applicant end up comparing the different loan offers of various lenders and first parameter is interest rate but other aspect can be equally important before a borrower settles for the best loan option. In this paper we discussed about proposed system that will help the customer to take the decision from which bank he can receive the loan easily. Apart from these customers should aware of everything before applying a loan to any particular bank. Bank loan advertisements may be so attractive that how fast and effortless their loan processes are, but we already know that the scenario is not so easy. Getting loans from traditional sources in India remains a long drawn procedure. Finally, the theoretical model added to the theoretical system in the behavioral field. Researchers can refer to this research model for their researches in different fields of activity

References:-

1. Karthikeyan S.M. ,Pushpa Ravikumar - "A Comparative Analysis of Feature Selection for Loan Prediction Model", International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 174 – No. 11, January 2021.
2. Pidikiti Supriya, Myneedi Pavani, Nagarapu Saisushma, Namburi Vimala Kumari, K. Vikas, ¯Loan Prediction by using Machine Learning Models , International Journal of Engineering and Techniques, Vol. 5, Issue 2, pp. 144-148, Mar-Apr 2019.
3. S. Vimala, K.C. Sharmili, ¯Prediction of Loan Risk using NB and Support Vector Machine , International Conference on Advancements in Computing Technolog -ies (ICACT 2018), vol. 4, no. 2, pp. 110-113, 2018.
4. X. Francis Jency, V.P.Sumathi, Janani Shiva Sri, ¯An Exploratory Data Analysis for Loan Prediction Based on Nature of the Clients , International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol. 7, No. 48, pp. 176-179, 2018.
5. Kumar Arun, Garg Ishan, Kaur Sanmeet, Loan Approval Prediction based on Machine Learning Approach , IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), Vol. 18, Issue 3, pp. 79-81, Ver. I (May-Jun. 2016)
6. Aboobyda Jafar Hamid, Tarig Mohammed Ahmed,"Developing prediction model of loan in risk in banks usingdata mining", Machine Learning and Applications: An International Journal (MLAIJ) Vol.3, No.1, March 2016.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

देवास जिले में महिला उद्यमिता एवं स्वरोजगार मूलक योजनाओं का अध्ययन

नवीन कुमार बिठौरे* डॉ. बी.आर.नलवाया **

* शोधार्थी, राजीव गांधी शसकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत
**शोध निर्देशक, राजीव गांधी शसकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आज बहुत से शिक्षित युवा है जिनके पास नौकरी नहीं हैं और बेरोजगार है इसलिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है की उनको रोजगार दिया जाये इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है और कुछ राज्य सरकार द्वारा और कुछ केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

ऐसी ही योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गयी है जिसका नाम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक स्वरोजगार की तरफ आकर्षित हो सके इस शोध के माध्यम से।

किसी भी राष्ट्र के लिये उद्यमिता अतिआवश्यक तत्व है। यह सर्वमान्य तथ्य हैं कि कोई भी देश उपलब्ध मानव संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके ही आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चूंकि मानव का आधा भाग महिलाएं होती है। इसलिये कोई राष्ट्र महिलाओं की सहभागिता के बिना आर्थिक विकास का सपना पूरा नहीं कर सकता है। इसलिये प्रत्येक राष्ट्र में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहित करने में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है यहां पर आदिकाल से महिलाएं उपेक्षित रही है उनका कार्यक्रम का दायरा घर परिवार तक ही सीमित रहा है। सत्यता यह है कि महिलाओं के अपने घर परिवार तक सीमित रहने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। आज उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाएं प्रबंध, संचालन व सहभागिता के क्षेत्र में तीव्र गति से सफलता प्रप्त कर रही है। भारत की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिला का स्थान एवं कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित है, किन्तु आदिकाल से ही वह पुरुषो के साथ आवश्यकता पड़ने पर पीछे नहीं रही। विकसित देशों में महिलाओं पुरूषों के साथ बिना भेदभाव के कार्य करती रहती है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में प्रयासरत है। शिक्षा प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा निर्देश जैसे–जैसे मिहिलाओं में विकसित हो रहा है। क्रमश: कृषि पशुपालन औद्योगिक क्षेत्रों में भी महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ी है।

प्रस्तावना – भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गांव और खेती पर टिकी है। प्राचीन काल से ही हम देखते आ रहे है कि हर जगह महिलाएं ही सबसे ज्यादा कार्य में लगी रहती हैं फिर भी किसी को पता नहीं अर्थव्यस्था में महिलाओं का क्या योगदान है इस पर किसी ने ध्यान नहीं दीया।

पढ़लिखकर विकास की दौड़ में आ खड़ी हुई महिलाएँ अब घर की चारदिवारी के बहार की दुनिया में भी शामिल हो रही हैं। बदली हुई सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर आसानी से मिलने लगे है। जिसके कारण उनके लिये विकास के दरवाजे खुले है। राष्ट्र निर्माण व आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान काफी महत्व रखता है।

महिलाओं में समानतनता की भावना विकसित करने एवं चेतना जागृत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा की गई। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी देखी जा सकती है। फिर भी भारत जैसे पुरूष प्रधान देश में महिलाओं की आकांक्षाओं को सामाजिक बंधन के कारण साकर रूप नहीं मिल सका है। आर्थिक तंगी के कारण महिलाओं को मानसिक श्रम के अलावा शारीरिक श्रम भी करने को बाध्य होना पड़ता है, जिसके लिये उनकी अशिक्षा, प्रशिक्षण और दिशा निर्देश का आभाव है।

भारत में सबसे अधिक महिलाएँ कृषि और खनन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में काम करती है। कृषि के साथ अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है। महिला श्रम मानवीय समाज का महत्वपूर्ण अंग है। जिसके माध्यम से समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का निर्वहन होता है और आर्थिक संरचना की निर्माण प्रक्रिया प्रस्फुटित होती है। ऐतिहासिक विकास के साथ–साथ महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति और जीवन शैली में आंशिक सुधार हुआ है। भारतीय समाज में महिलाओं के आर्थिक परिस्थितियों का निरूपण करने के लिये आवश्यक है कि संपूर्ण उत्पादन संरचना में महिला श्रम और उसकी सहभागिता को विवेचन किया जाए। गोरे का कथन महत्वपूर्ण है। जिसमें उन्होने लिखा हे कि परिवार में स्त्री के छोटे दर्जे का संबंध आर्थिक कार्यो से उसके अलग रखे जाने से है।

भारत सरकार ने महिला उद्यमिता को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि महिला के अधिपत्य एवं नियंत्रण वाली कोई भी संस्था जिसका कम से कम पूंजी का 51 प्रतिशत लाभ महिला को प्राप्त हो तथा संस्था द्वारा उपलब्ध रोजगार का 51 प्रतिशत महिलाओं को प्राप्त हो तो इस संस्था को महिला उद्यमिता से संबंधित माना जा सकता है।

महिलाए परिवार की धुरी होती है। उन्हे आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने और विकास में हिस्सेदारी बनाये रखने के लिये उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेष करना अत्यंत आवश्यक है उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता निष्चित रूप में भारत के औद्योगिक व आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,210,854,977 है इसमें महिलाओं की जनसंख्या करीब 58.65 करोड़ है। म.प्र. की कुल जनसंख्या 72,626,809 है जिसमें महिलाएं 35,014,503 है। महिलाओं की इस विशाल जनसंख्या को अनदेखा कर देश एवं प्रदेश के आर्थिक समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती है। मानवीय संसाधन के इस बड़े भाग को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक हर दृष्टि से समर्थ करके ही विकास के लक्ष्यों को पाया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 59.24 प्रतिशत महिलाएं 2008 में भारतीय प्रषासनिक सेवा के लिये चुनी गई जबकि 2007 में यह आंकड़ा 18 प्रतिशत तक सीमित था। 2014 में हुये आम चुनाव में 12.15 प्रतिशत महिलाएं बतौर सांसद चुनी गई। अब तक चुनी गई महिला सांसदो में 66 महिला सांसद की यह सबसे बड़ी संख्या है। आज महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में अपने को साबित कर रही है। आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एवं देश के आर्थिक विकास के लिये महिआओं की भागीदारी बहुत आवश्यक हो गई है सरकार महिलाओं को प्रोत्साहन के लिये समय-समय पर विशेष योजनाये भी निकाल रही है।

महिलाओं की सृजनात्मक ऊर्जा विभिन्न व प्रेरणात्मक योजनाओं से आर्थिक विकास की नई दिषा का दिग्दर्शन कराती है। महिलाओं के लिये विषिष्ट प्रेरणायें व योजना महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकता को देखते हुये तथा महिलाओं की उद्योग स्वरोजगार के क्षेत्र में अधिकाधिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवल महिलाओं हेतु कुछ विशिष्ट योजनाये प्रतिपादित की जाती है। प्रेरणात्मक मार्गदर्षन सहायता तथा अनुदान कार्यकमों से बदलाव भी आया है।

उद्देश्य- स्वाधीनता के 70 वर्ष बीत जाने पर भी महिला उद्यमिता का विकास तीव्रता से नहीं हुआ है इस कमी का कारण क्या है अतीत में हुई कमियों को पूर्ण करने के लिये क्या किया जाना चाहिए इस शोध में इन्ही सब बातो पर चर्चा की गई है। राष्ट्रीय राज्य एवं ग्राम स्तर पर महिला उद्यमिता के उन्नयन तथा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं संस्थापक अवरोधकों पर रोकने के लिए इस क्षेत्र में निरंतर शोध की आवश्यकता है।

1. महिला स्वरोजगार मूलक योजनाओं में समस्या के सुधार हेतु उचित सुझाव देना।
2. महिला स्वरोजगार मूलक योजनाओं के संचालन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना।
3. महिला स्वरोजगार मूलक योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. उज्जैन जिले की कुल आबादी में निम्म आय वर्ग का विस्तृत विश्लेषण करना।
5. महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक स्थिति और समाज में उनकी हैसियत को उठाने के लिये आर्थिक आत्मनिर्भरता के साधन के रूप में विकसित करना।
6. महिला स्वरोजगार मूलक योजनाओं से संबन्धित वैधानिक पहलुओं को सामने लाना।
7. महिलाओं को उद्यमीय जीवन अपनाने की दशा में उनके सामने आने वाली परेशानियों का पूर्वाभास कराना।
8. महिलाओं को उद्यमीय जीवन अपनाने की दशा में उनके सामने आने वाली परेशानियों का पूर्वाभास कराना।

शोध प्रविधि - शोध या अन्वेषण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में ध्यानपूर्वक नये तथ्यों की खोज के लिए किये गये परिक्षण को अध्ययन कहते है।

शोध के कार्य में महिला उद्ययमिता एवं स्वरोगारमूलक योजनाओं से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आकड़ो को प्राप्त करने के लिये द्वितीयक आकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। द्वितीयक आकड़े जैसे महिला उद्यमिता एवं स्वरोजगारमूलक योजनाओं की समस्या से संबंधित प्रकाशित-अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शासकीय आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी, एवं इंटरनेट आदि का प्रयोग किया गया है।

उपकल्पना - इस शोध पत्र में निम्न उपकलपनाएँली गयीं है-

1. महिलाओं में शिक्षा का विकास होने से उनमें उद्यमिता के प्रति जगरुकता आयी है।
2. महिलायें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुई है और समाज में उद्यमिता के जरियें विशिष्ट स्थान बनाने की उतसुकता उनमें पैदा हुई है।
3. महिलाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जाड़ जायेगा जसमें उनहें आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी कौशल सिखाया जायेगा।
4. इसके साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करना भी सरकार का लक्ष्य है।
5. महिला उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाओं की प्राप्ति के लिए कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

जिस व्यवसाय में महिलाओं का स्वामित्व, प्रबंध और नियन्त्रण होता है उसे महिला उद्यमिय कहते है। यदि किसी देश की समृद्धि, संस्कृति, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है तो पहले उस देश की महिलाओं का अध्ययन करना चाहिए।

आज के समय में कई ऐसी महिलाए है जो बड़ी-बड़ी कम्पनी को संचालित कर रही है व बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है कुछ ऐसी ही महिलाओं के बारे में विशेष जानकारी-

भावना सुरेश, सह-संस्थापक और सीईओ, 10 क्लब - भावना वर्तमान में ई-कॉमर्स रोल-अप व्यवसार में एकमात्र महिला उद्यमी हैं। इससे पहले, उन्होने लामुडी की सह-स्थापना की, जो एक प्रमुख वैश्विक प्रॉपटेक वेंचर है, जो 30 देशों में संचालित होता है। 10 क्लब ने हाल ही में फायरसाइड वेंचर्स और स्पेस में एक्टिव एक अंतरराष्ट्रीय निवेशक के सह-नेतृत्व में देश के सबसे बड़े सीड राउंड में से एक में 40 मिलियन डॉलर जुटाए थे।

सुची मुखर्जी - गर्ल्स फैशन हब लाइम रोड के बारे में लगभग हर महिला जानती है। इसका श्रेय जाता है सुची मुखर्जी को। मिस मुखर्जी और उनके दोस्तों अुकुश मेहरा और प्रशांत मलिक के द्वारा 2012 में लाइम रोड की स्थापना की गई थी। तब से लाइम रोड ऑनलाइन शॉपिंग का हब बन चुका है और धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। सुची 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में बढ़ती हुई प्रतिभा के लिए सम्मानित हो चुकी हैं।

विनीता वाली - ब्रिटानिया इण्स्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ

कारोबार की दुनिया में शीर्ष पर है। इकोनोमिक्स टाइम्स की तरफ से 2009 में उन्हें बिजनेस ऑफ द ईराक के खिताब से भी नवाजा गया है।

चन्द्रा कोचर – जन्म 17 नवम्बर 1961 एम.बी.ए. एम.ए.मैनेजमेंट स्टडी, मुम्बई, एम.डी., सी.ई.ओ. आई. सी.आई बैंक, भारत। चन्द्रा कोचर को फेब्स पत्रिका ने दुनिया की सौ सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में से माना है।

तथ्यों का सारणीयन विश्लेषण एवं व्याख्या – किसी भी शोधार्थी द्धारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थो में तभी प्रभावी होते है, जब शोधार्थी द्धारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाये। इसके लिये यह आवश्यक है कि शोधार्थी द्धारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरण द्धारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीद्ध किया जाये।

शोध क्षेत्र देवास जिले के महिला उद्योमिता एवं स्वरोजगारमूलक योजनाओं एवं आर्थिक विकास हेतु शोधार्थी ने कुछ शोध उपकरणों की सहायता ली है, जिसके द्धारा एकत्रित तथ्यो का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या द्धारा वस्तु स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गयी है। जो इस प्रकार है –

देवास जिले की जनसंख्या 2011 के आंकडो के आधार पर 15,63,715 है। जिसमें पुरूष जनसंख्या 8,05,359 है और महिलाओ की जनसंख्या 7,58,356 है। इन आकडों के आधार पर देवास जिले में कुल गाँवो की संख्या 1160 है, तथा नगर पालिका+नगर पंचायत 14 है और ग्राम पंचायत की संख्या 495 है। इन सब आकडों को ध्यान में रखते हुए देवास मे महिलाओं के लिए कई सारी सरकारी योंजनाए चलाई जा रही है जिसकी सहायता से वे अपना स्वंय का व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकती है।

योजनाएं जो सरकार द्धारा चलाई जा रही है– हेल्थकेयर, खानपान उद्योग, ब्यूटी पार्लर, डाटा एंट्री व अकांउटिंग, कला और हस्त कला, फैशन उद्योग आदी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिसकी सहायता से वे स्वंय का व्यवसाय शुरू कर सकती है और समाज में अपनी पहचान बना सकती है।

धर्म	**2011 जनसंख्या**	**प्रतिशत**	**2022 की अनुमानित जनसंख्या**
हिंदू	1,376,591	88.03%	1,611,162
मुसलमान	174,259	11.14%	203,953
ईसाई	2,355	0.15%	2,756
सिख	2,330	0.15%	2,727
बौद्ध	382	0.02%	447
जैन	6,497	0.42%	7,604
अघोषित	1,229	0.08%	1,438
अन्य	72	0.00%	84
कुल	1,563,715	100%	1,830,172

देवास की आबादी – धर्म के अनुसार विवरण

महिला उद्यमिता की समस्यायें:

1. देश का सामाजिक ढाँचा परम्परागत एवं महिला उद्यमियों के प्रति कठोर, संवेदनहीन है।
2. सामान्यत: महिलाओं में अपने आप निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है।
3. महिला उद्यमियों को सामान्यत: ऋण की प्राप्ति में अनेक कठिनाओं का सामना करना पड़ता है।
4. भारत में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत पुरूष की तुलना में कम हैं शिक्षा के आभाव में वह तकनीकी ज्ञान एवं विपणन के सम्बन्ध में सजग नहीं रह पाती जिसका विपरीत प्रभाव उनके व्यवसाय के विकास पर पड़ता है।
5. महिला उद्यमीता कभी–कभी नवीनतम तकनीक से पूर्णत: जानकारी नहीं ले पाती है जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है।

सुझाव– किसी भी योजना को सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु बेहतर प्रबंध का होना अत्यन्त आवश्यक है। देश में महिलाओं की सुविधाओं के लिए कई तरह की योजनाए चलायी जा रही हैं। जिसका उपयोग वे समय के अनुसार कर सकती है

निष्कर्ष – आज देश के समक्ष सबसे बडी चुनौती बेरोजगारी की है। प्रत्येक पढ़ा लिखा युवक,युवतियों का उद्देश्य शिक्षा पश्चात रोजगार प्राप्त करना होता है। देश के प्रत्येक शिक्षित वर्ग को शसकीय नौकरी नही दी जा सकती है। इसका प्रमुख कारण है, शाकसीय पदों का सीमित हाना। ऐसी स्थिति को देखते हुऐ राज्य सरकार ने स्वरोजगार योजना को शुरू करने का निर्णय लिया जिससे एमपी में जितेने भी गरीब वर्ग के लोग है और वे स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते है लिकिन उनके पास अपना रोजगार शुरू करने के लिए पैसे नहीं होते। और वे ना तो खुद का रोजगार खोल पाते है और कोई छोटी मोटी नौकरी करने लगते है। जिस कारण उनका खुद का स्वरोजगार खोलने का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन एमपी सरकार ने ऐसी समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है जसमें आवेदन करके लाभार्थी अपना उद्योयोग शरु कर सकता है। और इस योजना से बहुत से लोग को रोजगार मिलेगा और राज्यों में बोरागारी नहीं फैलेगी और साथ ही राज्य का विकास होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1 डॉ. अग्रवाल के.बी. उद्यमिता विकास।
2 डॉ. तिवारी अंशुजा, डॉ. तिवारी संजय महिला उद्‌मिता, ओमेगा पब्लिकेस दिल्ली।
3 उद्‌मिता समाचर पत्र।
4 डॉ. एस. पी. माथुर, भारत में उद्यमिता विकास 2010, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस मुम्बई।
5 डॉ. मिलिन्द कोठारी, उद्यमिता विकास 2016 रमेश बुक डिपो, जयपुर–नई दिल्ली।
6 दैनिक समाचार, दैनिक भास्कर।
7 इंटरनेट आदी।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

युवाओं का चहुमुखी विकास और नई शिक्षा नीति

डॉ. कलिका व्यास डोलस *

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान एवं नई शिक्षा नीति प्रभारी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – लगभग 38 वर्षो पश्चात् आई नई शिक्षा नीति के पदार्पण ने युवाओं एवं उनके अभिभावकों में एक अजीब सी हलचल उत्पन्न हो गई है। परम्परागत ढर्रे से चली आ रही पुरानी शिक्षा नीति से युवाओं को छुटकारा मिल गया है जो युवाओं के एक पक्षीय विकास पर केंद्रीत थी, परंतु नई शिक्षा नीति ने युवाओं के सर्वांगीण विकास को केन्द्र में रखा है। जिससे युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस शिक्षा नीति ने जमीनी स्तर पर युवाओं की समस्याओं को समझा है एवं उनसे निपटने के उपाय भी बताए हैं।

शब्द कुंजी – युवा चहुमुखी विकास, नई शिक्षा नीति।

अभी तक आई और सभी शिक्षा नीतियाँ असफल होने का मुख्य कारण है कि वे भारतीय संस्कृति के अनुकूल नही थी। हमारी संस्कृति गुरूकल परम्परा की पोषक रही है। गुरूकुल पद्धति केवल ज्ञान प्राप्ति का स्थान नही था वहां गुरूकुल के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी, नींव मजबूत की जाती थी जिससे भविष्य भी सुखकर होता था। न केवल सैद्धान्तिक ज्ञान दिया जाता था वरन् व्यवहारिक ज्ञान, उसके कार्यान्वयन का अवसर, श्रम की प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सभी पर बल दिया जाकर बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता था, परंतु मध्य काल में मुगलों एवं विशेषकर अंग्रेजों के आगमन एवं आक्रमण से सारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई एवं जो भारत शिक्षा का गढ़ माना जाता था, जहॉं तक्षशिला नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जहॉं विदेशो से भी छात्र पढ़ने आते थे उसका नामोनिशान मिट गया। विडंबना इस बात की थी कि अंग्रेजों की यह भ्रामक धारणा थी कि हिंदू अनपढ़-गवॉर है, वे पिछड़े है, उन्हें कुछ नही आता एवं उनका यदि कोई भला कर सकता है तो वे केवल अंग्रेज ही कर सकते हैं। 1902 में चार्ल्स ग्रांट का एक आलेख प्रकाशित हुआ था जिसमें उसने भारत के हिंदु एवं मुसलमानों की अज्ञानता का चित्रांकन करते हुए अंग्रेजी शिक्षण पद्धति की वकालत की थी। उसके अनुसार भारतीय जंगली एवं असभ्य है तथा उन्हें सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजी अत्यावश्यक है। उसने इसी आलेख में आगे लिखा 'भारतीय अज्ञानता के कारण गलतियॉं करते है और ये गलतियॉं उन्हें कभी बताई ही नही जाती ऐसे में केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ही उन्हें सभ्य बना सकती है एवं अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षण देने से वे हमारे अन्य साहित्य तथा धर्म, संस्कृति से भी परिचित होंगे तथा इससे हमारे धर्म, संस्कृति एवं अंग्रेजी भाषा का स्वत: ही प्रचार प्रसार हो जाएगा'। इस आलेख को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप भारत में अंग्रेजी माध्यम एवं पद्धति में पाश्चात्य शैली की शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात हुआ। इसके पश्चात 1813 में मैकाले ने सारे विश्व की भाषा की जननी संस्कृत को गवॉंरू भाषा कहते हुए संस्कृत साहित्य को फिजूल कहकर भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा ही दिए जाने की सलाह दी। गर्वनर जनरल ने भी मैकाले की सलाह का अनुमोदन करते हुए अंग्रेजी ढंग की शिक्षा नीति की घोषणा कर दी जिसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं संस्कृति के ताबूत में आखरी कील ठोंकने का कार्य किया। जिसे हम आज भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपनाए हुए है। इस नीति का प्रत्यक्ष परिणाम तो यह हुआ कि भारतीयों की अपनी श्रेष्ठ गुरूकुल परंपरा का लोप हो गया एवं सरकारी बाबू बनकर तैयार होने लगे। इस नीति का अप्रत्यक्ष एवं भयंकर परिणाम यह हुआ कि श्रम की प्रतिष्ठा नष्ट हुई, श्रम को अपमानित किया गया एवं सरकार की अंग्रेजी नौकरी, जो कि नौकर शब्द से बना है, को श्रेष्ठ साबित किया गया। अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में सरकारी नौकरी पाने वाले भारतीयों में श्रेष्ठता की दुर्भावना का बीजारोपण किया एवं आगे चलकर इस बीज ने ऐसी विषबेला का रूप धारण किया जिससे सम्पूर्ण भारतीय समाज दो भागों में विभक्त हो गया। एक श्रेष्ठ वर्ग तथा दूसरा गुलाम एवं तथाकथित असभ्य वर्ग। यह श्रेष्ठी वर्ग की इन अंग्रेजी ना जानने वालो से मिलने में भी अपमान महसूस करने लगा। जिसने भारतीय समाज में ऐसी खाई पैदा की जो आज भी उपस्थित है। श्रेष्ठ वर्ग ऐसा वर्ग बना जो पाश्चात्य विचारों एवं जीवन शैली से प्रभावित था तथा अपने ही देश व बाकी लोगों से कट गया।

सन् 1853 में इसी शिक्षण पद्धति में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया, जिसने संस्कृत एवं अन्य भाषाओं की उपादेयता को तो स्वीकार किया गया परंतु सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दिए जाने की बात को तथा संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के अध्ययन को अनुपयोगी बना दिया गया तथा पुन: समाज को दो वर्गो में बॉंटकर दीवार खड़ी कर दी। 1882 में सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप भारत की प्रथम शिक्षा नीति निर्धारित हुई।

इसके पश्चात् भी शिक्षा प्रणाली को लेकर अनेक प्रयोग हुए परंतु सभी प्रयोग अंग्रेजी शिक्षा को केन्द्र में रखकर ही हुए। परिवर्तन आया तो केवल केंद्रबिंदु के आसपास के क्षेत्र में। परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति प्राय: लुप्त हो गई। इतना सब होने के पश्चात भी आज भी अनेक लोग है जो यह मानते है कि ब्रिटिश शासन ने इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली देकर हमारा कल्याण ही किया है परंतु वे भूल रहे है कि यह प्रणाली एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जो हमारे भारतीय संस्कृति एवं चरित्र से मेल नहीं खाती। हमारी संस्कृति सदैव से ही गुरूकुल संस्कृति रही है एवं इसीलिए हम विश्व प्रसिद्ध

नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय का निर्माण कर पाए जहॉं केवल भारत ही नही विश्व के हर कोने से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अंग्रेजो ने जो शिक्षा प्रणाली लागू की उसके कारण केवल सरकारी नौकर एवं बाबू पैदा हो रहे थे। श्रम की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। आज कोई कृषि नही करना चाहता क्योंकि कृषि को गंवारों व अनपढ़ लोगो का कार्य माना जाता है। इसी प्रकार भाषा को लेकर इस शिक्षा ने एक अलग प्रकार का न्यूनगंड या इनफिरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया है, जिसके चलते अनेक तेजस्वी विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पा रहे है क्योकि वे अंग्रेजी नहीं जानते। अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। इस शिक्षा प्रणाली ने इस कदर हम भारतीयों को अपना मानसिक गुलाम बना दिया है जिससे हम आज 200 वर्षो के बाद भी उबर नहीं पाए हैं। अत: आवश्यकता थी कि एक ऐसी शिक्षा नीति आए जो भारत वे चरित्र, स्वभाव एवं संस्कृति के अनुरूप हो, जिस नीति में भारतीयता का पुट हो एवं नई शिक्षा नीति 2020 ने सर्वप्रथम इसी दिशा में कार्य करने का प्रयास किया है।

अभी तक हमारा दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमें अनेक अवसर आए जब हम अपनी त्रुटियों में सुधार कर सकते थे परंतु हर बार आई शिक्षा नीति ने अनेक परिवर्तन तो दिए परंतु शिक्षा नीति में भारत की आत्मा को समाहित करने पर बल नहीं दिया गया। स्वतंत्रता के साथ ही राजनीतिक गुलामी की बेड़िया तो टूट गई परंतु वैचारिक एवं मानसिक जंजीरो से हम आजाद नहीं हो पाए। जबकि हमारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी से कई गुना अधिक प्राचीन व्यवस्था है। इसके प्रमाण के रूप में हम कह सकते है कि इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे, आइए जानते हैं हमारे गुरुकुल कैसे बन्द हुए। संख्या में इतने अधिक होने के बाद भी समाप्त कैसे हो गए।

हमारे सनातन संस्कृति परम्परा के गुरुकुल में क्या क्या पढाई होती थी, ये जान लेना पहले जरूरी है।

01 अग्नि विद्या (Metallurgy)
02 वायु विद्या (Flight)
03 जल विद्या (Navigation)
04 अंतरिक्ष विद्या (Space Science)
05 पृथ्वी विद्या (Environment)
06 सूर्य विद्या (Solar Study)
07 चन्द्र व लोक विद्या (Lunar Study)
08 मेघ विद्या (Weather Forecast)
09 पदार्थ विद्युत विद्या (Battery)
10 सौर ऊर्जा विद्या (Solar Energy)
11 दिन रात्रि विद्या
12 सृष्टि विद्या (Space Research)
13 खगोल विद्या (Astronomy)
14 भूगोल विद्या (Geography)
15 काल विद्या (Time)
16 भूगर्भ विद्या (Geology Mining)
17 रत्न व धातु विद्या (Gems & Metals)
18 आकर्षण विद्या (Gravity)
19 प्रकाश विद्या (Solar Energy)
20 तार विद्या (Communication)
21 विमान विद्या (Plane)
22 जलयान विद्या (Water Vessels)
23 अग्नेय अस्त्र विद्या (Arms & Ammunitio)
24 जीव जंतु विज्ञान विद्या (Zoology Botany)
25 यज्ञ विद्या (Material Sic)

ये तो बात हुई वैज्ञानिक विद्याओं की, अब बात करते हैं व्यावसायिक और तकनीकी विधा की :

26 वाणिज्य (Commerce)
27 कृषि (Agriculture)
28 पशुपालन (Animal Husbandry)
29 पक्षिपलन (Bird Keeping)
30 पशु प्रशिक्षण (Animal Training)
31 यान यन्त्रकार (Mechanics)
32 रथकार (Vehicle Designing)
33 रतन्कार (Gems)
34 सुवर्णकार (Jewellery Designing)
35 वस्त्रकार (Textile)
36 कुम्भकार (Pottery)
37 लोहकार (Metallurgy)
38 तक्षक
39 रंगसाज (Dying)
40 खटवाकर
41 रज्जुकर (Logistics)
42 वास्तुकार (Architect)
43 पाकविद्या (Cooking)
44 सारथ्य (Driving)
45 नदी प्रबन्धक (Water Management)
46 सुचिकार (Data Entry)
47 गोशाला प्रबन्धक (Animal Husbandry)
48 उद्यान (Horticulture)
49 वन पाल (Horticulture)
50 नापित (Paramedical)

जिस देश के गुरुकुल इतने समृद्ध हों उस देश को आखिर कैसे गुलाम बनाया गया होगा?

मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा–हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी 'देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था' को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह 'अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था' लानी होगी और तभी इस देश में शरीर से हिन्दुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे।

1850 तक इस देश में '7 लाख 32 हजार' गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गाँव थे '7 लाख 50 हजार' मतलब हर गाँव में औसतन एक गुरुकुल तो था ही। और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में 'Higher Learning Institute' हुआ करते थे। उन सबमें 18 विषय पढ़ाए जाते थे और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे न कि राजा, महाराजा।

अंग्रेजों का एक अधिकारी था G-W. स्नजीमत और दूसरा था Thomas Munro दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग-अलग समय सर्वे किया था। स्नजीमत, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है और Munro, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है।

मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल करता था – 'कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले उसे पूरी तरह जोत दिया जाता है वैसे ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी।' इस लिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैरकानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैरकानूनी हो गयी, फिर संस्कृत को गैरकानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया, उनमें आग लगा दी, उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा- पीटा, जेल में डाला।

गुरुकुलों में शिक्षा नि:शुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे 'फ्री स्कूल' कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गयी, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गयी, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गयी, ये तीनों गुलामी जमाने के यूनिवर्सिटी आज भी देश में मौजूद हैं।

मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी जो बहुत मशहूर चिट्ठी है, उसमें वो लिखता है कि 'इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी परम्पराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे, जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश से तो अंग्रेज भले ही चले जाएँ इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी।'

उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है और उस एक्ट की महिमा देखिये कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, जबकि जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो हम सोचते है कि इससे दूसरों पर रोब पड़ेगा, हम तो खुद में हीन हो गए हैं जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, उस देश का कल्याण कैसे संभव है?

हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति बहुत ही समृद्ध और विशाल थी और यही कारण था कि हम विश्वगुरु थे। हमारी शिक्षा पद्धति से पैसे कमाने वाले मशीन पैदा नहीं होते थे बल्कि मानवता के कल्याण हेतु अच्छे और विद्वान इंसान पैदा होते थे। आज तो जो बहुत पढ़ा लिखा है वही सबसे अधिक भ्रष्ट है, वही सबसे बड़ा चोर है।

हमने अपना इतिहास गवां दिया है! क्योंकि अंग्रेज हमसे हमारी पहचान छीनने में सफल हुए। उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर के हमें अपनी संस्कृति, मूल धर्म, ज्ञान और समृद्धि से अलग कर दिया।

आज जो स्कूलों और कॉलेजों का हाल है वो क्या ही लिखा जाए! हम न जाने ऐसे लोग कैसे पैदा कर रहें हैं जिनमें जिम्मेवारी का कोई एहसास नहीं है। जिन्हें सिर्फ पद और पैसों से प्यार है। हम इतने असरसल कैसे होते जा रहें हैं? किसी भी समाज की स्थिति का अनुमान वहां के शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति से लगाया जा सकता है। आज हम इसमें बहुत असफल हैं। हमने स्कूल और कॉलेज तो बना लिए लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण हुआ उसकी पूर्ति के योग्य इंसान और सिस्टम नहीं बना पाए!

जब आप अपने देश का इतिहास पढ़ेंगे तो आप गर्व भी महसूस करेंगे और रोएंगे भी क्योंकि आपने जो गवां दिया है वो पैसों रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता! हमें एक बड़े पुनर्जागरण की जरूरत है।

हमें जागना ही होगा और कोई विकल्प नहीं !

इस जनजागरण मे नई शिक्षा नीति कारगर साबित होगी।

नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा इन सभी कमियों को दूर कर एक वतन, समीचीन एवं भारतीय संस्कृति को पोषक नीति का निर्माण किया है जो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति एवं परिवेश को केंद्र में रखकर तैयार की गई है।

नवीन शिक्षा नीति 2020 में पुरानी शिक्षण पद्धति के सारे दोशों को समाप्त करने का प्रयास किया गया हैं, जिससे भारतीय युवा अपने राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वोत्तम दे सके एवं इन विशेषताओं के जो सुपरिणाम होंगे, उनसे भी हम क्रमानुसार परिचित होंगे।

1. **मातृभाषा में शिक्षण** – यह सर्वविदित है कि बालक मॉ के सर्वाधिक निकट होता है एवं मॉ एवं मातृभाषा ही उसकी प्रथम भाषा होती है इसलिए जितनी जल्दी एवं स्पष्ट तरीके से वह मातृभाषा में सीख पाता है उतना अन्य भाषा में नही साथ ही मातृभाषा में जो अपनत्व होता है वह अन्य भाषा में नही होता। मातृभाषा में अध्ययन का अप्रत्यक्ष धनात्मक परिणाम यह होता है कि वह मातृभाषा से अपनी मातृभूमि से भी बंध जाता है, जिससे उसकी मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना दृढ़ हाती है। अत: नई शिक्षा नीति में मातृभाषा एवं बहुभाषावाद की शक्ति पर बल दिया गया है, जिसके अन्तर्गत कम से कम कक्षा आठ तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा रहेगा।

2. **सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने पर बल** – नई शिक्षा नीति में वर्तमान की साक्षरता दर पर चिंता जताते हुए साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए प्रयास करने पर बल दिया हैं। 2050 तक 50 प्रतिषत सकल नामांकन को बढ़ाने हेतु कार्य किया जाएगा। चूंकि साक्षरता और विकास का सीधा संबंध है, जो प्रदेश या देश जितना अधिक साक्षर होगा वह उतना ही अधिक विकास करता है। अत: भारत को विकसित देश बनाने में साक्षरता की कम दर एक बहुत बड़ा रोड़ा या बाधा है एवं इसी बाधा को दूर करने का प्रयास नई शिक्षा नीति में किया गया है।

क्योकि जैसा पूर्व में कहा गया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली अर्थात गुरूकुल परम्परा केवल शिक्षा प्रदान करने मात्र का माध्यम नही था, गुरूकुल के माध्यम से आदर्श जीवन शैली, नैतिक मूल्यों का विकास, राष्ट्रप्रेम आदि जैसे गुणों के साथ विद्यार्थी के ना केवल शारीरिक वरन् आध्यात्मिक विकास पर भी बल दिया जाता था।

उच्च शिक्षा से संबंधित मुख्य बिंदु

3. **बहुआयामी दृष्टिकोण** – अभी तक उच्च शिक्षा में मुख्य संकाय के रूप में कला, वाणिज्य, एवं विज्ञान संकाय प्रमुख होते थे, जिससे एक संकाय विषेष के क्षेत्र में तो विद्यार्थी निपुण हो जाता था परंतु अन्य के बारे में उसे बेसिक जानकारी भी नही होती थी जो कि सर्वथा अनुचित है। अत: नई शिक्षा नीति में इस समस्या को दूर करने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिससे हर विद्यार्थी अपने संकाय के विषय के साथ अन्य संकाय के कुछ विषयों से भी परिचित होंगे जो कि उसका बहुमुखी विकास करेगा।

4. **एकाधिक प्रवेश एवं निकास** – अभी तक की शिक्षा प्रणाली के अनुसार यदि विद्यार्थी एक बार स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश करता है एवं

किसी कारणवश एक वर्ष पश्चात उसे महाविद्यालय से अध्ययन छोड़ना पड़ता है एवं पुन: कुछ वर्षो के अंतराल से यदि वह अध्ययन करना चाहता है तो उसे पुन: प्रथम वर्ष से प्रारंभ करना पड़ता था जिससे उसका पहले वाला एक वर्ष बर्बाद हो जाता था एवं इस करण से कई विद्यार्थी आगे पढ़ाई नही करना चाहते थे अत: अब ऐसे ड्रापआउट विद्यार्थी जो एक या दो वर्ष अध्ययन पश्चात बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे उन्हे नई शिक्षा नीति अन्तर्गत पुन: वही से जहॉ उन्होने पढ़ाई छोड़ी थी, अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो गई है, जो हमारे सकल नामांकन को बढ़ाने में भी योगदान देगी। अर्थात कई प्रवेश एवं कई निकास के साथ उसके पास विकल्प उपलब्ध होंगे। जिससे 1 वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष पूर्ण करने पर डिग्री तथा 4 वर्ष पूर्ण करने पर डिग्री विथ रिसर्च प्राप्त होगा।

5. **समग्र विकास पर बल** – नई शिक्षा नीति में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है, पुरानी पद्धति में केवल एक संकाय का अध्ययन करने से विद्यार्थी का एंकागी विकास होता था, परंतु नई शिक्षा नीति द्वारा वैकल्पिक एवं व्यवसायिक विषयों के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी के सर्वोगीण विकास पर बल दिया गया हैं। जिसमे काफी संख्या में विकल्प उपलब्ध है जैसे जैविक खेती, इनकम टैक्स, कंम्प्यूटर से संबंधित पाठ्यक्रम, पोषण विज्ञान, नर्सिंग हाईजीन एवं व्यक्तित्व विकास आदि अनेक पाठ्यक्रम । जिनमें से विद्यार्थी एक विषय का चयन करता है। प्राचीन शिक्षा नीति में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके तहत विद्यार्थी अन्य संकाय के विषय ले सके। नई शिक्षा नीति में इलेक्टिव एवं व्यवसयिक विषयों के रूप में अन्य संकायों के अपनी रूचि के विषयों का चयन कर विद्यार्थी स्वयं का सर्वांगीण विकास कर सकता है।

6. **शारीरिक स्वास्थ्य को समुन्नत करने पर बल** – पूर्व शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा प्रवेषित विद्यार्थी के केवल बौद्धिक विकास पर ही बल दिया जाता रहा, परंतु स्वस्थ तन में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है इस उक्ति में विष्वास करते हुए नई शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा में परिवर्तित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा ने आधार पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में योग शिक्षा अनिवार्य है जो कि एक अत्यन्त ही सराहनीय कदम है। जिस देश का योग सात समंदर पार कर विदेशों में पहुँच गया है, एवं जिस वहा सराहा जा रहा है, वही योग हमारे विद्यार्थी भूलते जा रहे है जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का सबसे प्राचीन एवं उत्तम तरीका है। प्राचीन शिक्षा नीति के फलस्वरूप उच्च शिक्षा का विद्यार्थी केवल किताबी कीड़ा बनकर रह गया था परंतु नई शिक्षा नीति विद्यार्थी के बौद्धिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके शारीरिक स्वास्थ्य को समुन्नत करने पर बल देती है इसी बात को और बल देने के लिए क्रीड़ा विषय को विद्यार्थी एक विषय के रूप में पढ़ेंगे एवं क्रीड़ा का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर स्वयं को भी स्वस्थ रखेंगे तथा राज्य एवं राष्ट्र स्तर की खेल प्रतियोगिता में भी सहभागिता कर पाऐंगे।

7. **समाज एवं राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास** – भारतीय युवा आज भटक रहा है उसे राष्ट्रप्रेम से जोड़ना आवष्यक है। स्वतंत्रता के पूर्व के युवा के जीवन का उद्देश्य था उसे राष्ट्र को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करना था परंतु आज के युवा को बिना कुर्बानी दिए सब कुछ हासिल हो गया है अत: राष्ट्र के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी से वह विमुख होता जा रहा है आवष्यकता है कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे है तो देश का युवा बलिदानियों का संघर्ष जाने एवं राष्ट्र के प्रति जान न्यौछावर करने का जज्बा भी उसमें जागे। इस हेतु भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रयासरत है एवं इसलिए NSS एवं NCC को एक विषय के रूप में अध्ययन करने का प्रावधान रखा गया है। NCC वो इकाई है जिसके माध्यम से महाविद्यालय से अनेक युवकों को सैनिक बनाया जा सकता है। अनुशासन एवं देशप्रेम में NCC की पहचान है एवं यही आज के युवाओं में जगाने की आवश्यकता है इसके साथ ही जिस समाज में हम रह रहे है उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है अत: NSS के माध्यम से विद्यार्थियों को समाज में प्रेम एवं समाज के प्रति युवाओं में कर्तव्य भावना का विकास किया जाता है। इसलिए नई शिक्षा नीति में क्रीड़ा की भांति NSS एवं NCC को भी एक विषय के रूप में मान्यता देकर विद्यार्थियों में राष्ट्र एवं समाज के प्रति प्रेम एवं कर्तव्य भावना का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है।

8. **क्रेडिट पद्धति** – राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यह सर्वथा नवीन पद्धति है। जिसमें अंको को डिजिटली क्रेडिट के रूप में संग्रहित किया जाएगा, जिसमें अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट का जब चाहे उपयोग कर सकेगा। यह कार्य एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से सम्पन्न होगा। जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

9. **शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा** – शोध एवं अनुसंधान आज की महती आवश्यकता है। रिसर्च के क्षेत्र में आज हम भारतवासी काफी पीछे है यदि हमें विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र तक की यात्रा पूरी करनी है तो निष्चित ही हमें शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नही है परंतु संसाधनों के अभाव में अनुसंधान नही हो पाते। अत: अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमे पूर्ण शिक्षा का इंतजार भी नही करना पड़ेगी। पुरानी पद्धति में स्नातकोत्तर कक्षा के उपरांत ही विद्यार्थी शोधकार्य कर पाता था परंतु नवीन शिक्षा नीति में स्नातक के अंतिम वर्ष में ही शोध कार्य करेगा, तभी उसे स्नातक की 4 वर्षीय डिग्री मिल पाएगी। इस प्रकार युवाओं को शोध के लिए स्नातक स्तर से ही तैयार किया जाएगा जिसका लाभ संपूर्ण राष्ट्र को होगा।

इस हेतु Research/Teaching intensive Universities की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही भारतीय परिसर में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी, जिससे विदेश का पूरा एक्सपोजर भारतीय विद्यार्थियों को भी मिले।

10. **भारतीय संस्कृति के अनुरूप/स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा** – नवीन शिक्षा नीति पूर्णत: पाठ्यक्रम को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाया गया है। जिससे हर विषय की प्राथमिक इकाई को भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति के साथ जोड़कर पाठ्यक्रम बनाने के कड़े निर्देश दिए गए है जिससे हमारे सभी विद्यार्थी हमारी गौरवमयी संस्कृति से परिचित हो सके। साथ ही स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा दिया गया है क्योंकि हमारे पुराण, ग्रंथ, ज्ञान के भंडार है चूंकि इन्हे पाठ्यक्रम में कभी समाहित ही नही किया गया तब विद्यार्थी कैसे इनका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यहा तक की कुछ विश्वविद्यालय में रामायण को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है तथा उसे अन्य विषयों के साथ भी जोड़ा गया है। पुरानी शिक्षा नीति ने हमें अपने गौरवपूर्ण इतिहास से परिचित कराने के बजाय विदेशी आक्रांताओं को नायक बनाया हमारे समक्ष रखा। आज आवश्यकता है कि हम अपने भुलाए जा चुके वीरो, सैनिकों, राजा-महाराजा, योद्धाओं, रानियों को याद करें एवं स्वयं गौरान्वित हो।

11. **कौशल विकास** – नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा से ही कौशल विकास पर बल दिया गया है। नौकरी करना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। हम कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार को अपनाते आए है एवं वही

उचित भी है। आज का विद्यार्थी डिग्री प्राप्त कर नौकरी करना चाहता है जिससे श्रम की प्रतिष्ठा का ह्रास हुआ है। साथ ही सरकार की भी अपनी सीमाएं है वो सभी युवा वर्ग नौकरी नही दे सकती। ऐसी स्थिति में युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार की ओर उन्मुख होना होगा। वर्तमान में इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे है, कई युवा आज नौकरी छोड़ अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे है, जिसे सरकार द्वारा भी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। नई शिक्षा नीति में इसी कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने का भी प्रयास किया गया है।

12. शिक्षक प्रशिक्षण – वर्तमान में देश–विदेश में हर क्षेत्र में इतनी तेजी से परिवर्तन आ रहे है कि शिक्षक को भी इन परिवर्तनों हेतु स्वयं को तैयार रखना होगा। यदि समयानुसार एवं तकनीक अनुसार शिक्षक समुदाय में परिवर्तन नही आया तो वह पिछड़ जाएगा।

अत: नवीन शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें अपडेट रखने की पहल भी की गई है। पुरानी शिक्षण पद्धति में एक बार शिक्षक पद पर आसीन हो जाता था तो उसे किसी प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त नही होता था। परंतु नई शिक्षा नीति के आत्मनिर्भर भारत के इंडिकेटर 6 के द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था की गई हैं।

अतएव हम कह सकते है कि नई शिक्षा नीति 2020 अपने आप में संपूर्ण है एवं इसके क्रियान्वयन से सभी स्टेटहोल्डर्स यथा, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, समाज, समुदाय एवं देश लाभान्वित होगा।

उपसंहार – नवीन शिक्षा नीति 2020 भविष्य के भारत को गढ़ने एवं भारत के भविष्य को बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। यदि इस शिक्षा नीति को सही तरीके से क्रियान्वित किया गया तो भारत को आगामी वर्षो में 'विश्वगुरू' बनने में कोई रोक नही सकता। क्योंकि अब हमने प्रारंभ में पढ़ा कि किसी देश को यदि खोखला करना हो तो उसकी शिक्षा पद्धति में सर्वप्रथम वार करो। उसे उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसके इतिहास से दूर करो तो वह धीरे–धीरे स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और यही अब तक की शिक्षा नीतियॉं करनी है। आक्रांताओं के इतिहास एवं नायको को हमने महिमामंडित किया एवं उसकी ही अध्ययन कर अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए। जबकि नवीन शिक्षा नीति के द्वारा विद्यार्थी अपनी संस्कृति से परिचित होगा, देशीय ज्ञान प्राप्त करेगा। उसका चहुंमुखी विकास होगा वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से एक सर्वथा योग्य विद्यार्थी, शोधकर्ता एवं नागरिक बनेगा। ऐसी हम आशा करते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

बनास नदी बेसिन (राजस्थान) में वर्तमान कालिक (1951-2001) नगरीकरण

डॉ. काश्मीर कुमार भट्ट*

* सह आचार्य (भूगोल) राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) भारत

शोध समस्या - कुल जनसंख्या में नगरीय केन्द्रों में निवसित (नगरीय) जनसंख्या का प्रतिशत अंश नगरीकरण तथा एक समयावधि में इस अंश में हुई वृद्धि नगरीकरण की दर कहलाती है। मिश्रा व मिश्रा (1998) के अनुसार नगरीकरण चतुर्आयामी- जनांकिकीय, पारिस्थितिकीय, सामाजिक-तकनीकि एवं आर्थिक-प्रक्रिया है। विश्व इतिहास में नगर चूंकि सभ्यता के केन्द्र रहे हैं। अत: इनमें निवसित (नगरीय) जनसंख्या के विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्तर को सुनिश्चित करने के साथ-साथ समीपस्थ ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्रेरक का कार्य ये केन्द्र करते रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतवर्ष में विकसित सिन्धु-सारस्वत सभ्यता विश्व में विकसित हुई नगर सभ्यताओं में अग्रणी सिद्ध होती है और पश्चात्काल में दक्षिणी राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में हुए नगरीकरण के पर्याप्त ऐतिप्त प्रमाण मिलते आये हैं।

विश्व रंगमंच पर सहस्त्रों वर्षों से जारी नगरकेन्द्रों के उद्‌भव एवं उनमें आये उतार-चढ़ाव सम्बन्धी यात्रा औद्योगिक क्रान्तिकाल से पूर्व तक बहुत धीमी रही। मशीनों, नवीन तकनीकों एवं खोजों से औद्योगीकरण संभव हुआ और तब से यूरोप सहित विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में नगरीय केन्द्रों में तथा उनमें निवसित जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। विगत (बीसवीं) शताब्दी को 'नगरीकरण की शताब्दी' तथा इसके उत्तरार्द्ध (1951-2000) को 'नगरीय विस्फोट' काल के रूप में मान्य किया गया है। 'गांवों के देश' के रूप में ख्यात भारतवर्ष भी उक्त प्रक्रिया से अछूता नहीं रह सका और देश के विभिन्न भागों में नगरीकरण के स्तरों में अपेक्षाकृत उच्चता एवं दर में पर्याप्त वृद्धि दिखायी दी।

विशाल क्षेत्रफल, विराट जनसमूह, सुदीर्घ ऐतिहासिक यात्रा एवं भौगोलिक विविधताओं से युक्त भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में नगरीकरण के स्तर एवं प्रवृत्तियों की दृष्टि से भी विविधता पाई जाती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर राजस्थान के 'बनास नदी बेसिन' में तहसीलश: तथा नगरीय केन्द्रश: नगरीकरण के स्तर व दर व उनमें हुए परिवर्तनों का विवेचन-विश्लेषण इस शोध-पत्र में किया गया है।

बनास नदी बेसिन : आधारभूत एवं नगरीय तथ्य- बनास नदी बेसिन 24°15' उत्र से 27° उत्तरी अक्षांश तथा 73°30' पूर्व से 77° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। बनास नदी बेसिन पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भाग को समाहित करता है। बेसिन के क्षेत्र को राजस्थान प्रशासनिक मानचित्र से समायोजित करने से ज्ञात होता है कि बेसिन क्षेत्र में राजस्थान की 53 तहसीलें तथा 10 जिलों का अधिकांश भाग समाहित है। इसमें समस्त राजसमन्द, भीलवाड़ा एवं टोंक जिला, ब्यावर तहसील को छोड़कर समस्त अजमेर जिला, जयपुर का दक्षिणी क्षेत्र, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों के उत्तरी क्षेत्र, सवाईमाधोपुर व दौसा का दक्षिणी तथा करौली के पश्चिमी क्षेत्र आते हैं। बेसिन क्षेत्र का क्षेत्रफल 46020 वर्ग किमी, जनसंख्या 12127788 है। क्षेत्र में 2001 के अनुसार नगरीकरण 36.82 प्रतिशत है।

शोध उद्देश्य:

1. बनास नदी बेसिन में नगरीकरण के स्तरों तथा प्रवृत्तियों विषयक क्षेत्रीय व कालिक प्रतिरूपों का निर्धारण-विवेचन।
2. अध्ययन क्षेत्र में नगरीकरण की दर व गति का आंकलन।

अध्ययन सामग्री :

1. शोधकार्य की पृष्ठभूमि नगरीय भूगोल सम्बन्धी ग्रन्थों व शोधकार्यों पर तथा बनास नदी बेसिन के प्राकृतिक स्वरूप का निर्धारण-विवेचन भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, भूसर्वेक्षण व मौसम विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्रों व प्रतिवेदनों तथा राजस्थान के भूगोल सम्बन्धी ग्रन्थों पर आधारित है।
2. जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित राजस्थान के प्राथमिक जनगणना सार (1951 से 1991); राजस्थान की सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक सारणियों (1961-1991); तथा अन्तरताने पर उपलब्ध राजस्थान के प्राथमिक जनगणना सार (Cesus of India, 2001 : http://www.censusindia.net) के आधार पर आर्थिक एवं जनांकिकीय पक्षोपपक्षों का विवेचन किया गया है।
3. नगरीकरण की ऐतिहासिक यात्रा का लेखा-जोखा, सम्बन्धित जिलों के गजेटियर्स, राजस्थान की प्रशासनिक मानचित्रावली (1971-1991), राजस्थान की नगर निर्देशिका (1951-1991) एवं जनगणना पुस्तिकाओं पर आधारित है।

विधितंत्र :

1. प्रत्यक्ष पर्यविक्षण एवं क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों तथा भारत की जनगणना, क्षेत्र के नगरनिकाय कार्यालयों से संकलित द्वितीयक आँकड़ों का परिष्कार विविध सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया गया है।
2. भारतवर्ष व राजस्थान के संदर्भ में बनास नदी बेसिन में नगरीकरण के स्तर, दर, गति व विचलन एवं प्रदेश के जनसांख्यिकीय पक्षोपपक्षों का आंकलन-निर्धारण प्रतिशत मूल्य विधि के माध्यम से हुआ है। प्रस्तुत शोध पत्र में 1951-2001 (वर्तमानकालिक) में नगरीकरण

की प्रवृत्तियों का विवेचन किया जा रहा है।

भारत, राजस्थान व बेसिन क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन – प्रस्तुत सारणी में 1951 से 2001 के मध्य राष्ट्रीय, प्रादेशिक नगरीकरण की तुलना बेसिन क्षेत्र से करने पर निम्न तथ्य उभरते है-

नगरीकरण के स्तर

जनगणना वर्ष	राष्ट्रीय औसत	राज्य औसत	बेसिन औसत
1951	17.2	18.5	24.7
1961	18.0	16.3	23.1
1971	19.9	17.6	26.3
1981	23.3	20.9	30.79
1991	25.7	22.9	31.11
2001	27.8	23.4	36.82

1. समस्त विश्व के नगरीकरण (>50%) की तुलना में भारत में नगरीकरण के स्तर काफी कम है।
2. भारत में नगरीकरण की तुलना में राजस्थान में नगरीकरण के स्तर और भी कम है।
3. नदी बेसिन होने के कारण कृषि कार्य की अधिकता, कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार, मैदानी क्षेत्र होने के परिणामस्वरूप बनास नदी बेसिन में हुये विकास के कारण बेसिन में नगरीकरण के स्तर राजस्थान एवं राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। जो कि एक सुखद पहलु है।

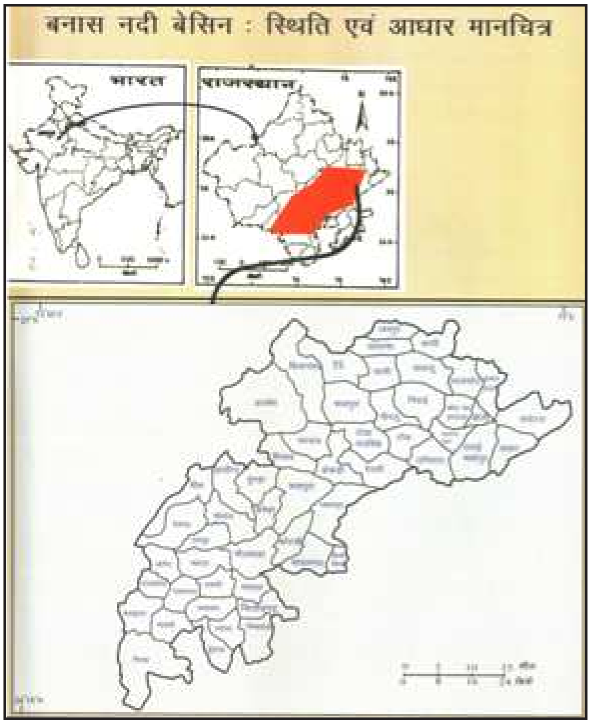

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध (1951-2001) में नगरीकरण:

1951 में नगरीकरण – 1951 की जनगणनानुसार 24.74 प्रतिशत आबादी नगरों में निवास करती है। तहसील स्तर पर अध्ययन करने से निम्न तथ्य उभरकर आते हैं।

अति उच्च नगरीकरण (50 प्रतिशत से अधिक) – अति उच्च नगरीकरण के स्तर जयपुर तथा अजमेर तहसीलों में मिलते हैं।

उच्च नगरीकरण (30 से 50 प्रतिशत) – नगरीकरण के उच्च स्तर उदयपुर, टोंक एवं भीलवाड़ा तहसीलों में दृष्टिगत होते हैं।

नगरीकरण के औसत स्तर (15 से 30 प्रतिशत) किशनगढ़, सरवाड़, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा तथा देवगढ़ तहसीलों में दिखाई देते हैं जबकि इसके निम्न स्तर केकड़ी, हुरड़ा, बनेड़ा, सहाड़ा, आमेट, राजसमन्द, नाथद्वारा एवं भीम तहसीलों में दृष्टिगोचर होते हैं। बेसिन में 14 तहसीलें इस प्रकार की हैं जहाँ नगरीकरण की दर शून्य है अर्थात् जहाँ एक भी नगरीय केन्द्र नहीं है।

1961 में नगरीकरण – जनगणना निदेशालय द्वारा नगरीय केन्द्रों की परिभाषा में परिवर्तन किये जाने के कारण 1961 में नगरीय जनसंख्या में देशभर में कमी आई उसी का परिणाम राजस्थान राज्य एवं इस क्षेत्र में भी दिखाई दिया एवं यह कमी मुख्यत: पाँचवी व छठी श्रेणी के नगरों में आयी। 1961 में क्षेत्र की 23.12 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती थी।

नगरीकरण के अति उच्च (>50%) एवं उच्च (30-50%) स्तर 1951 की भांति उन्हीं तहसीलों में पाये गये। औसत (15-30%) स्तर भी पूर्व की भांति समान तहसीलों में पाये गये। राजसमन्द तहसील इसका अपवाद रही जिसने पहली बार इस श्रेणी में प्रवेश किया। निम्न स्तर (0-15%) बेसिन के पूर्वी क्षेत्र में पाये गये। पूर्वी क्षेत्र के अतिरिक्त मालपुरा, केकड़ी, सहाड़ा एवं नाथद्वारा तहसीलों में निम्न स्तर दृष्टिगत हुये। सम्पूर्णत: ग्रामीण तहसीलों की संख्या 1951 में 14 थी वो बढ़कर 1961 में 27 हो गयी। उत्तर में दुदु से सपोटरा पट्टी मध्य पूर्व में जहाजपुर, कोटड़ी, माण्डलगढ़ त्रिकोण मध्य पश्चिम में भीम, आसीन्द, हुरड़ा, रायपुर, बनेड़ा, तथा माण्डल तहसीलें, दक्षिण में आमेट से डूंगला तक का क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण है। इसी के छुटपुट अंश के रूप में मध्य में टोडारायसिंह तथा दक्षिण में राशमी, गंगरार तहसीलें दिखाई देती है।

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध (1951-2001) में नगरीकरण
(अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

1971 में नगरीकरण – 1971 में क्षेत्र में नगरीकरण 26.34% रहा। अति उच्च एवं उच्च नगरीकरण के स्तर 1951 व 1961 की भांति समान रहे। केवल गिरवा (उदयपुर) एवं सवाईमाधोपुर तहसीलें इसका उपवाद रही जिन्होंने क्रमश: उच्च से अति उच्च तथा औसत से उच्च श्रेणियों में अपना स्थान बनाया निम्न श्रेणी में पांच नयी तहसीलें केकड़ी, कपासन, जहाजपुर, टोडारायसिंह एवं सांगानेर तहसीलें जुड़ी। उपरोक्त पांचों तहसीलों के तहसील मुख्यालयों को नगर का दर्जा मिल जाने के कारण ये परिवर्तन हुआ। शेष बची 23 तहसीलों में शून्य नगरीकरण पाया गया। अर्थात् ये सम्पूर्णत: ग्रामीण थी। नगरीकरण के सर्वाधिक स्तर जयपुर (92.11%) में पाये गये।

1981 में नगरीकरण – अति उच्च (>50%) नगरीकरण के स्तर अजमेर, भीलवाड़ा, गिरवा व जयपुर तहसीलों में पाये गये। जबकि इसके उच्च (30-50%) अंश दक्षिणवर्ती चित्तौड़गढ़ व उत्तरी पूर्वी टोंक तहसीलों में पाये गये। औसत अंश उत्तर में सांगानेर उत्तर पूर्व में सवाईमाधोपुर, टोडारायसिंह उत्तर पश्चिम में नाथद्वारा, राजसमन्द तथा दक्षिण पूर्व में निम्बाहेड़ा तहसीलों में दिखते हैं।

निम्न अंश युक्त तहसीलें उत्तरी क्षेत्र की बस्सी-चाकसू-लालसोट - निवाई-उनियारा पट्टी, मध्य में शाहपुरा-मालपुरा-देवली-जहाजपुर पट्टी एवं केकड़ी-सरवाड़ युग्म, उत्तर मध्य में माण्डल, सहाड़ा तथा दक्षिण में आमेट व कपासन के रूप दृष्टिगत होती है।

तहसीलानुसार नगरीकरण

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

क्र.	तहसील	1981	1991	2001
1.	अजमेर	65.27	64.11	73.24
2.	आमेट	6.45	16.96	15.90
3.	आसीन्द	15.06	6.63	4.76
4.	बामनवास	Nil	Nil	NIL
5.	बनेड़ा	Nil	Nil	NIL
6.	बस्सी	8.60	8.65	Nil
7.	बौंली	Nil	Nil	NIL
8.	बिजौलियाँ	Nil	Nil	15.36
9.	भदेसर	Nil	Nil	NIL
10.	भीलवाड़ा	52.98	58.64	63.07
11.	भीम	Nil	Nil	NIL
12.	भिनाय	Nil	Nil	NIL
13.	चाकसू	12.44	8.49	15.30
14.	चौथ का बरवाडा	Nil	Nil	NIL
15.	चित्तौड़गढ़	32.36	34.52	36.42
16.	देवगढ़	18.39	17.92	17.49
17.	देवली	8.85	11.01	10.58
18.	दुदु	Nil	Nil	NIL
19.	डूँगला	Nil	Nil	NIL
20.	फागी	Nil	Nil	NIL
21.	गंगरार	Nil	Nil	NIL
22.	गिरवा	53.67	55.32	52.57
23.	हुरड़ा	Nil	20.87	21.12
24.	जहाजपुर	9.87	10.19	10.08
25.	जयपुर	92.69	93.39	95.46
26.	कपासन	10.32	10.47	10.61
27.	केकड़ी	10.47	9.39	19.50
28.	किशनगढ़	29.89	31.79	34.69
29.	खंडार	Nil	Nil	NIL
30.	कोटड़ी	Nil	Nil	NIL
31.	लालसोट	9.91	10.06	10.10
32.	मलारना डूगर	Nil	Nil	NIL
33.	मालपुरा	13.09	13.74	13.39
34.	माण्डल	9.54	10.28	Nil
35.	माण्डलगढ़	Nil	14.28	13.28
36.	मावली	8.67	9.11	9.19
37.	नाथद्वारा	15.29	15.87	17.68
38.	निम्बाहेड़ा	22.79	27.54	28.26
39.	निवाई	12.93	14.27	18.71
40.	पीपलू	Nil	Nil	NIL
41.	रेलमगरा	Nil	Nil	2.50
42.	रायपुर	Nil	Nil	NIL
43.	राजसमन्द	23.42	26.35	28.38
44.	राशमी	Nil	Nil	NIL
45.	सहाड़ा	13.14	15.17	14.83
46.	सांगानेर	15.26	25.24	77.09
47.	सपोटरा	Nil	Nil	NIL
48.	सरवाड़	10.24	11.20	12.35
49.	सवाई माधोपुर	28.95	5.76	38.49
50.	शाहपुरा	15.92	16.38	15.72
51.	टोडारायसिंह	15.26	16.27	16.15
52.	टोंक	36.11	37.23	56.82
53.	उनियारा	7.92	8.18	7.56

शून्य नगरीकरण उत्तर पूर्वी बोली-बामनवास-सपोटरा-खंडार तहसील समूह उत्तर में फागी-दुदु युग्म मध्य में भिनाय-हुरड़ा, बनेड़ा-कोटड़ी, माण्डलगढ़- बिजोलिया समूह तथा दक्षिण में राशमी एवं गंगरार एवं डूँगला तहसीलों में दृष्टिगोचर होते हैं। शून्य नगरीकरण 16 तहसीलों में पाया गया।

1991 में नगरीकरण – अति उच्च एवं उच्च नगरीकरण उन्हीं तहसीलों में पाया गया। केवल किशनगढ़ तहसील अपवाद रही जो औसत से उच्च स्तर तक पदोन्नत हुयी। औसत एवं निम्न नगरीकरण श्रेणी में भी 1981 की स्थिती बरकरार रही। अपवाद स्वरूप कुछ परिवर्तन हुये जिनमें आमेट का निम्न से औसत में पदोन्नत तथा आसीन्द का औसत से निम्न में पदावनत होना प्रमुख है। सहाड़ा तहसील भी निम्न से औसत में क्रमोन्नत हुयी। गुलाबपुरा को नगरीय केन्द्र का दर्जा मिल जाने से हुरड़ा तहसील शून्य से सीधे औसत नगरीकरण श्रेणी में पहुँच गयी।

शून्य नगरीकरण वाली तहसीलें पूर्व की भाँति समान रही। नवगठित रेलमगरा व रायपुर तहसीलें भी कोई नगरीय केन्द्र नहीं होने से इसी श्रेणी में रही।

2001 में नगरीकरण – 1991 की तुलना में 2001 में नगरीकरण के स्तर लगभग वही बने रहे। कुछ तहसीलें अपवाद रही जिनमें चाकसू, केकड़ी, निवाई निम्न (0-15) श्रेणी से निकलकर मध्यम (15-30) श्रेणी में सम्मिलित हो गयी। सांगानेर तहसील 1991 में मध्यम श्रेणी में थी वह 1111 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सर्वोच्च श्रेणी (>50%) में सम्मिलित हो गयी, साथ ही टोंक तहसील भी 1991 के उच्च स्तर से पदोन्नत होकर अतिउच्च श्रेणी में सम्मिलित हो गयी। इस प्रकार अति उच्च श्रेणी में अब कुल 6 तहसीलें आ गयी। अतिउच्च श्रेणी में पूर्व की भाँति अजमेर, भीलवाड़ा, गिर्वा, जयपुर तहसीलें बनी रही जबकि बामनवास, बनेड़ा, बस्सी, बोली, भदेसर, भीम, भीनाय, चौथ का बरवाड़ा, दूदू, डूंगला, फागी, गंगरार, खंडार, कोटड़ी, मलारना डूंगर, माण्डल, पीपलू, रायपुर, राशमी, सपोटरा तहसीलों में शून्य नगरीकरण पाया गया। शेष तहसीलों में पूर्व के स्तर बने रहे।

नगरीकरण में श्रेणीश: परिवर्तन – आगे प्रस्तुत सारणी में नगरों में विभिन्न दशकों में उनकी श्रेणी में हुये परिवर्तन का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है।

नगर केन्द्रों का श्रेणीश: वर्गीकरण

क्र.	नाम	1951	1961	1971	1981	1991	2001
1.	अजमेर	I	I	I	I	I	I
2.	आमेट	VI			IV	IV	IV
3.	आसीन्द	V	IV	IV			
4.	बस्सी			IV	IV		
5.	भीलवाड़ा	III	III	II	I	I	I
6.	चाकसू	V	V	IV	IV	III	III

7.	चित्तौड़गढ़	IV	IV	III	III	II	II
8.	देवगढ़	V	V	V	IV	IV	IV
9.	देवली	VI	V	IV	IV	IV	III
10.	फतहनगर						
11.	गंगापुर	V	V	V	IV	IV	IV
12.	गुलाबपुरा					IV	III
13.	जहाजपुर	VI		V	IV	IV	IV
14.	जयपुर	I	I	I	I	I	I
15.	कपासन	V	V	IV	IV	IV	IV
16.	केकड़ी	V	IV	IV	III	III	III
17.	किशनगढ़	III	III	III	II	II	I
18.	लालसोट	V			IV	III	III
19.	मालपुरा	V	IV	IV	IV	III	III
20.	माण्डल				IV	IV	
21.	माण्डलगढ़					IV	III
22.	नाथद्वारा	IV	IV	IV	III	III	III
23.	निम्बाहेड़ा	IV	IV	IV	III	III	III
24.	निवाई	V	V	IV	IV	III	III
25.	पुष्कर	V	V	V	V	IV	IV
26.	राजसमन्द	V	IV	IV	III	III	II
27.	सांगानेर	V		IV	III	III	I
28.	सरवाड़	VI	V	V	V	IV	IV
29.	सवाईमाधोपुर	IV	III	III	II	II	I
30.	शाहपुरा	IV	IV	IV	IV	III	III
31.	टोडरा						
32.	टोडाराय सिंह	V		IV	IV	IV	III
33.	टोंक	III	III	II	II	I	I
34.	उदयपुर	II	I	I	I	I	I
35.	उनियारा	VI	V	V	V	V	IV

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान -प्राथमिक जनगणना सार, II- I, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
2. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान -आर्थिक सारणियाँ, III- I, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
3. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान -सामाजिक एवं सांस्कृतिक सारणियाँ, IV- क-ग, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
4. भारत की जनगणना 1991 : *राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका -उदयपुर,* जनगणना निदेशालय, जयपुर।
5. भारत की जनगणना 1991 : *राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका -चित्तौड़गढ़,* जनगणना निदेशालय, जयपुर।
6. भारत की जनगणना 1991 : *राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका -बांसवाड़ा,* जनगणना निदेशालय, जयपुर।
7. भारत की जनगणना 1991 : *राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका -सिरोही,* जनगणना निदेशालय, जयपुर।
8. भारत की जनगणना 1991 : *राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका -डूँगरपुर,* जनगणना निदेशालय, जयपुर।
9. भारत की जनगणना 1991 : *राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका -टोंक,* जनगणना निदेशालय, जयपुर।
10. भारत की जनगणना 1991 : *राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका -अजमेर,* जनगणना निदेशालय, जयपुर।
11. भारत की जनगणना 1991 : *राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका -सवाई माधोपुर,* जनगणना निदेशालय, जयपुर।
12. भारत की जनगणना 1991 : *राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका -भीलवाड़ा,* जनगणना निदेशालय, जयपुर।
13. राजस्थान सरकार, 1993 : *जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण - सिरोही,* जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।
14. राजस्थान सरकार, 1994 : *जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण - चित्तौड़गढ़,* जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।
15. राजस्थान सरकार, 1994 : *जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण - डूंगरपुर,* जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।
16. राजस्थान सरकार, 1994 : *जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण - बांसवाड़ा,* जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।
17. राजस्थान सरकार, 1995 : *जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण - उदयपुर,* जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।
18. रिजवी, एस. एम. 2007 : सांख्यिकीय भूगोल (द्वितीय संस्करण), राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
19. शर्मा, हरिशंकर एवं शर्मा, एम. एल. 2004 : राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।

References :-

1. Abercrombie P. 1952 : Town and Country Planning. Oxford University Press, Oxford.
2. Agarwal, P.C. 1970 : The Growth of Urban Population in Chattisgarh. Geographical Outlook, Ranchi, Vol. 7, pp. 27-44.
3. Ali, S.M. 1956 : Towns of the Indian Desert. Proceedings of I.G.U. Seminar, AMU, Aligarh, pp. 281-299.
4. Bhattacharya, B. 1979: Urban Development in India. Shree Publishing House, New Delhi.
5. Carter, H. 1955 : The Study of Urban Geography. Edward Arnold, London (4th ed.) 1995.
6. Davis, K. 1962 : Urbanization in India : Past and Future. in India's Urban Future, (ed.) R. Turner, O.U.P., Bombay, pp 10-26.
7. Gibbs, J.P., 1961 : Urban Research Methods. D. Van Nostrand Company, New Jersey.
8. Harries C.D. & Ullman, E.L. 1945 : The Nature of Cities. New York.
9. Johnson, J.H., 1967 : Urban Geography - An Introductory Analysis. Pergamon Press Publication, London.
10. Kosambi, M. 1994 : Urbanization and Urban Development in India. I.C.S.S.R., New Delhi.
11. Mandal. R.B. (ed.) 1982 : Urbanization and Regional Development. Concept Publishing Company, New Delhi.
12. Mishra, V. C. 1967 : Geography of Rajasthan. National

Book Trust, New Delhi.

Government Publications:-

1. Census of India, 1971 : *Rajasthan- Administrative Atlas*. Directorate of Census Operations, Jaipur.
2. Census of India, 1971 : *Rajasthan- General Population Tables, II-A.*
3. Census of India, 1971 : *Rajasthan- Town Directory, IV-A.*
4. Census of India, 1981 : *Rajasthan- Administrative Atlas.*
5. Census of India, 1981 : *Rajasthan- Primary Census Abstract, II-B.*
6. Census of India, 1981 : *Rajasthan- Town Directory, X-A.*

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध (1951.2001) में नगरीकरण

नगरीय केन्द्र

क्र.	नगर	1951	1961	1971	1981	1991	2001
1.	अजमेर	196633	231240	264291	375593	402700	490520
		(33.53)	(17.40)	(14.29)	(42.11)	(7.22)	(21.81)
2.	आमेट	4991			10698	14614	16672
						(36.60)	(14.09)
3.	आसीन्द				9461	11080	14123
						(17.11)	(27.46)
4.	बस्सी				11131	15135	नगर नहीं
						(35.97)	
5.	बिजौलियॉ					9419	12389
							(31.53)
6.	भीलवाड़ा	29668	43499	82155	122625	183965	280128
		(95.58)	(46.62)	(88.87)	(49.26)	(50.02)	(52.27)
7.	चाकसू	5962	8063	10411	14213	20408	29113
		(35.01)	(35.24)	(29.12)	(31.52)	(43.59)	(42.65)
8.	चित्तौड़गढ़	11863	16888	25917	44990	71569	96219
		(27.56)	(42.36)	(53.48)	(73.59)	(59.08)	(34.31)
9.	दरीबा						2833
10.	देवगढ़	6872	8032	8738	12831	13933	16505
		(19.68)	(16.88)	(8.79)	(46.84)	(8.59)	(18.46)
11.	देवली	4021	5274	12299	11159	16779	20026
		(.1.23)	(31.16)	(133.20)	(9.27)	(50.36)	(19.35)
12.	फतहनगर				13210	16485	नगर नहीं
						(24.79)	
13.	गंगापुर	5097	7769	9504	11434	15224	17073
				(22.33)	(20.31)	(33.15)	(12.15)
14.	गुलाबपुरा					19253	24362
							(9.60)
15.	जहाजपुर	4297		9313	12328	15086	18815
		(1.03)			(32.27)	(22.32)	(24.71)
16.	जयपुर	291130	403444	615258	977165	1458483	1870771
		(65.59)	(38.58)	(52.50)	(58.82)	(49.25)	(28.26)
17.	कपासन	6883	8371	10907	13858	16028	18663
		(13.11)	(21.62)	(30.30)	(27.06)	(15.66)	(16.44)
18.	केकड़ी	9816	12394	14997	20393	25573	34135
		(19.05)	(26.26)	(21)	(35.98)	(25.40)	(33.48)

19.	किशनगढ़	25696	25244	37405	62032	81948	116222
		(77.72)	(.1.76)	(48.19)	(65.84)	(32.11)	(41.82)
20.	लालसोट	7539			15297	20975	28249
		(12.17)				(37.12)	(34.68)
21.	मालपुरा	8010	10622	13971	17994	23643	27360
		(21.09)	(32.61)	(31.53)	(28.80)	(31.40)	(15.72)
22.	माण्डल				13386	16844	नगर नहीं
						(25.83)	
23.	माण्डलगढ़					16635	20169
							(24.24)
24.	मावली					19648	नगर नहीं
25.	नाथद्वारा	12341	13890	18893	24856	30878	37026
		(27.17)	(12.55)	(36.02)	(31.56)	(24.23)	(19.91)
26.	निम्बाहेड़ा	10585	11655	16542	27763	41921	53327
		(53.45)	(10.11)	(41.93)	(67.83)	(51)	(27.21)
27.	निवाई	6079	8317	10198	15961	22889	31365
		(8.33)	(36.82)	(22.62)	(56.51)	(43.41)	(37.03)
28.	पुष्कर	5934	6703	7341	9368	11506	14791
		(12.96)	(12.96)	(9.52)	(27.61)	(22.83)	(28.55)
29.	राजसमन्द	5432	11272	14242	27492	38831	55687
			(107.51)	(26.35)	(93.03)	(41.24)	(43.41)
30.	सांगानेर	6843		11617	21941	36463	441870
					(88.87)	(66.19)	(1111.83)
31.	सरवाड़	4810	6182	7728	9215	12316	16202
		(18.65)	(28.52)	(25.01)	(19.24)	(33.66)	(31.55)
32.	सवाई माधोपुर	11417	20952	43284	59083	77690	101997
		(36.05)	(83.52)	(106.59)	(36.50)	(31.50)	(31.28)
33.	शाहपुरा	11609	12165	15334	19329	23644	27792
		(16.80)	(4.79)	(26.05)	(26.05)	(22.32)	(17.54)
34.	टोडरा						5247
35.	टोडाराय सिंह	7199		10833	13879	17641	21217
		(26.25)			(28.12)	(27.11)	(20.28)
36.	टोंक	42833	43413	55866	77653	100079	135689
		(10.82)	(1.35)	(28.68)	(39.00)	(28.88)	(35.58)
37.	उदयपुर	89621	111139	161278	232588	308571	389438
		(50.25)	(24.01)	(45.11)	(44.22)	(32.71)	(26.21)
38.	उनियारा	4558	5760	6027	7198	9233	10834
		(.4.74)	(26.37)	(4.64)	(19.43)	(28.08)	(17.34)
39.	वनस्थली						6677

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

षाडगुण व मण्डल सिद्धांत : विदेश नीति के आधार स्तम्भ

शुभम ओझा*

*जूनियर रिसर्च फेलो, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान नवीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बढ़ते तनाव व अशांति के चलते यह अनिवार्य हो जाता है कि यह पता लगाया जाए कि युद्ध व हिंसा से बचते हुए कैसे आत्मरक्षा व विकास किया जाए?इस समस्या का समाधान कौटिल्य रचित 'अर्थशास्त्र' नामक ग्रन्थ में मिलता है। इस ग्रंथ में कौटिल्य द्वारा राजा के गुण, राजकार्य, राज्य के अङ्गोंके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक, प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था के साथ-साथ विदेश संबंधों के संचालन हेतु षाडगुण नीति व मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जो कि वर्तमान में भी राज्यों की विदेश नीति को संचालित करने की क्षमता रखते हैं। इनका अनुसरण करके समसामयिक नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बिगड़े हुए संबंधों को सुधारा जा सकता है तथा संघर्ष को कूटनीतिक तरीके से सुलाझाया जा सकता है। इस हेतु प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत द्वितीयक स्रोतों की सहायता से मंडल सिद्धांत व षाडगुण नीतिका विशद वर्णन किया गया है।

शब्द कुंजी – कौटिल्य,अर्थशास्त्र, विदेश सम्बन्ध, षाडगुण नीति, मंडल सिद्धांत।

प्रस्तावना – यह माना जाता है कि कौटिल्य का जन्म 300 ई.पू. एक ब्राम्हण परिवार में हुआ था। इनके नामकरण के सम्बंध में विद्वानों में मतभेद हैं। नीतिसार में इन्हें वात्स्यायन,मल्लनाग,द्रमिल, पक्षील स्वामी,अंगल, वराणक, चाणक्य, विष्णुगुप्त व कात्यायन नाम से संबोधित किया गया है। (मिश्र,2008 : 13)।नन्दसाम्राज्य द्वारा उनका अपमान किए जाने के बाद उन्होंने तत्कालीन राजा को श्राप दिया कि वह वो इस साम्राज्य का सर्वनाश कर देंगे (मुखर्जी,1988 : 21)।तत्पश्चात कौटिल्य एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में लगे जो कि इस नंद वंश के शासन को चेतावनी दे। कौटिल्य की यह तलाश चंद्रगुप्त मौर्य पर जाकर समाप्त हुई। बाद में कौटिल्य इसी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री बने।अपने प्रधानमंत्रीत्व काल में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शासन कला संबंधी ज्ञान प्रदान किया।उनकी इन शिक्षाओं कोकालांतर में 'अर्थशास्त्र' नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ 15 अधिकरणों, 150 अध्यायों, 180 प्रकरणों तथा 380 कारिकाओं (श्लोकों) में वर्गीकृत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लोगों की नजर में बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में आया। यह ग्रंथ 1904 में मैसूर राजकीय ओरिएंटल लाइब्रेरी के डॉ. शास्त्री को सौंपा गया। उन्होंने इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1909 में तथा अंग्रेजी अनुवाद 1915 में प्रकाशित किया।

कौटिल्य के इस ग्रंथ अर्थशास्त्र की विषय वस्तु आधुनिक अर्थशास्त्र से पूर्णता भिन्न है। इस ग्रंथ में कौटिल्य ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक व्यवस्था व प्रशासन का विस्तार से उल्लेख कर राजा को राजधर्म निभाने के उपदेश दिए हैं तथा राजनीतिक संबंधों तथा कार्यो के संचालन की शिक्षा दी है।

प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र ज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित किया गया। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, राजनीति का विज्ञान है। इसका तात्पर्य राजनीति,समृद्धि वास्तविक उम्मीदों, शक्ति को प्राप्त करने व बनाए रखने के तरीकों से हैं (अमेरिकन पॉलीटिकल साइंस रिव्यू, 1964 : 549)स्वयं कौटिल्य के अनुसार,'अर्थ संपूर्ण मानव का जीवन या उनकी वृति है। अर्थात मानवों से भरी पृथ्वी अर्थ है, जो शास्त्रपृथ्वी की प्राप्ति व संरक्षण का आधार है वह 'अर्थशास्त्र' है।'(मिश्र,2008 : 2)।जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने कौटिल्य को उग्रमैक्यावली की संज्ञा दी है। वेबर ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिक्स एस वोकेशन' में अर्थशास्त्र की तुलना मध्यकालीन विचारक मैक्यावली की कृति 'द प्रिंस' से करते हुए लिखा है कि मैक्यावली की प्रिंस अर्थशास्त्र से कम हानिकारक है (वेबर,1965 : 220)।

परराष्ट्र संबंधों के संचालन के संबंध में भी कौटिल्य द्वारा राजा को यथार्थवादी परामर्श दिया गया है। जिसके तहत कौटिल्य द्वारा दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं-प्रथम, मंडल सिद्धांत तथा द्वितीय,षाडगुण नीति।अर्थशास्त्र के छठे अधयाय में प्रकृतियों और षाडगुणों का वर्णन किया गया है। साथ ही शांति व उद्योग का महत्व बताया गया है। इस अधिकरण को मंडलयोनि के नाम से जाना जाता है। इस अधिकरण में बताए गए 6 गुणों का विस्तार सातवें अधिकरण में किया गया है। इस अधयाय में 18 प्रकरणों का उल्लेख किया गया है।

मंडल सिद्धांत – मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राजा को राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है अंतर राज्य संबंधों में एक ही राज्य की विजिगीषु से मित्रता या शत्रुता को कौटिल्य मुख्यत: उनकी भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर स्वीकार करते हैं(चतुर्वेदी,2010 : 85)।इस सिद्धांत का उल्लेख तो महाकाव्यों में भी किया गया है तथा मनुस्मृति में भी मंडल सिद्धांत का उल्लेख है लेकिन मनु ने मंडल सिद्धांत को जहां छोड़ा था। वहीं से कौटिल्य ने उसे ग्रहण किया उसे पूर्णता प्रदान की ताकि वह कौटिल्य के तथा बाद के समस्याओं की आवश्यकताओं के अनुकूल बन सके (सालटोरे,1963: 475)। कौटिल्य के अनुसार,विजिगीषु, उसके सामने के 5, पीछे के 4राज्य होते हैं। जिसे दशक मंडल कहा जता है। (देखें : चित्र 1)

अरिमित्र मित्र
मित्र-मित्र
अरि- मित्र
मित्र
अरि
विजिगीषु
पार्ष्णिग्राह
आक्रन्द
पार्ष्णिग्राह सार
आक्रन्द सार

चित्र : 1 दशक मंडल

उपर्युक्त दशक मंडल के अतिरिक्त 1-1 मध्यम व उदासीन राज्य भी होता है। इसप्रकार कुल 12 राज्यों का एक 'राजमंडल' बनाता है।इन 12 राज्यों की 5- 5 प्रकृतियां होती हैं। यह पांच प्रकृतियां मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और बल है। इस प्रकार 12 राज्य व उनकी 60 द्रव्य प्रकृतियां मिलाकर कुल 72 प्रकृतियां होती हैं।नीतिशास्त्री कहते हैं कि प्रत्येक राजा की मंडल के विभिन्न राजाओं के प्रति किस प्रकार की पर राष्ट्र नीति है? उनमें कितनी सामर्थ है या कमजोरी है? उनके अधिकारी व प्रजा उनसे कितने संतुष्ट हैं? इत्यादि प्रश्नों पर सदा विचार करना चाहिए व तदनुसार अपनी परराष्ट्र नीति में आवश्यक अदल- बदल करते रहना चाहिए। इस तरह की संधि करनी चाहिए कि दो गुटों का बल समान हो, जिससे स्वभावत: ही एक दूसरे गुट पर हमला न कर सकेगा (अलतेकर,1959 : 229)।मित्र के पश्चात अरि मित्र, उसके आगे मित्र- मित्र व उसके पश्चात अरि मित्र- मित्र राजा रहते हैं। इस तरह परराष्ट्र नीति निर्धारित करते समय विजिगिषु राजा को अपने सामने के 5 राजाओं का विचार करना पड़ता है (अल्तेकर,1959 : 224)

1. **विजिगीषु –** कौटिल्य नेमंडल में केंद्रित राजा को कौटिल्य ने विजिगीषु की संज्ञा दी है।उनके अनुसार, विजिगीषु राज्य के लिए यह आवश्यक है कि उसका चरित्र निर्मल हो, उसमें व्यक्तिगत व शक्ति सामर्थ्य हो तथा वह नीति निपुण हो। वस्तुत: राज्य मंडल के अन्य राज्यों का नामकरण उसी के संदर्भ में किया गया है। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि जो राजा आत्मसम्मान, अमात्य आदि द्रव्य प्रकृति दृष्टि से संपन्न और नीति का आश्रय लेने वाला हो उसको विजिगीषु कहते हैं।

2. **अरि –** ऐसा राज्य जिसकी सीमा विजिगीषु के राज्य से लगती है उसे कौटिल्य ने अरि अर्थात शत्रु की संज्ञा दी है । कौटिल्य के अनुसार सीमावर्ती राज्यों से सदैव तनावपूर्ण सम्बन्धारहेंगें। अत: उनसे मित्रता संभव नहीं है।विजिगीषु के आगे और पीछे दोनों ही तरफ शत्रु रहते हैं। इन दोनों में भेद करने के लिए कौटिल्य ने विजिगीषु के अग्रभाग के शत्रु को अरि तथा पिछले भाग के शत्रु को पार्षणिग्रह कहा है।कौटिल्य ने शत्रु को 3 वर्गों में विभाजित किया हैद्द 1. स्वाभाविक। 2. दायभागी। 3. सहज। (चतुर्वेदी,2010 : 86)।

3. **मित्र –** कौटिल्य के अनुसार ऐसा राज्य है जिसकी सीमा विजिगीषु की शत्रु से लगती है वह अरि का तो शत्रु होगा लेकिन विजिगीषु का स्वाभाविक मित्र होगा। उनके अनुसार, जो मंत्र – उत्साह आदि शक्तियों से युक्त हो तथा समय आने पर सहायता कर सकें।

4. **मध्यम –** ऐसे राजा जो विजिगीषु व उसके शत्रु के राज्य की सीमा पर स्थितहो। जिसमें दोनों को एक ही साथ या पृथक-पृथक मदद देने या रोकने की ताकत हो किंतु जो उनके झगड़े में भाग न लेना पसंद करे, उसे मध्यम राज्य कहतेहैं।

5. **उदासीन –**ऐसा राज्य जिसकी सीमा विजिगीषु से लगती हो ना उसके किसी शत्रु से और ना ही मित्र से लगती हो कहीं दूर स्थित ऐसे राज्य को उदासीन राज्य कहा जाता है। उदासीन राज्य, विजिगिषु, मित्र, अरि व मध्यम सभी राज्यों से अधिक शक्तिशाली होता है तथा दोनों के मध्य सन्धि व विग्रह करवाने की स्थिति में रहता है(खान,1996 : 294)।

षाडगुण नीति – पर राष्ट्रों से संबंधों का संचालन करते समय परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने के नियमों को कौटिल्य ने षाडगुण नीति के रूप में प्रतिपादित किया है, जिसके तहत कौटिल्य राजा को परिस्थिति अनुसार ही नीतियों का अनुसरण करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके अनुसार, षाडगुण नीति के समुचित प्रयोग से राजा को वर्तमान में ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी लाभ होता है। ऐसा नारद का मंतव्य है। कौटिल्य के अनुसार षाडगुण राज्य का मूल मंत्र है, क्योंकि राजाओं की जय- पराजय इसी पर निर्भर है। इसलिए षाडगुण नीति के समुचित प्रयोग से राजा स्थिरता और समृद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है।इन नीतियों के संबंधा में कौटिल्य के विचार निम्नांकित हैं

1. **संधि –** कौटिल्य के अनुसार संधि दो राजाओं के मध्य किया हुआ प्रबंधा है।शान्तिपर्व में संधि कब करनी चाहिए। इस विषय पर मत व्यक्त करते हुए बताया गया है कि 'यदि राजा यह देखता है कि संधि करने पर मैं बड़े-बड़े कार्यों को संपादित कर, शत्रु के महान कार्यों को हानि पहुंचा सकूंगा अथवा उत्तम कार्यों का संपादन करने के साथ-साथ शत्रु के उत्तम कार्यों से भी लाभ उठा सकूंगा अथवा शत्रु से संधि कर लेने के उपरांत जब शत्रु में मेरे प्रति विश्वास हो जाएगा, तो गुप्तचरो अथवा विष प्रयोग आदि के द्वारा शत्रु का नाश कर दूंगा अथवा कृपा प्रदर्शन कर शत्रु के उत्तम मनुष्यों को अपनी कार्यकुशलता से अपनी ओर आकृष्ट कर सकूंगा।राजा को सन्धि कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कमजोर राजा को बलशाली शत्रु से संधि कर लेनी चाहिए परंतु बलशाली राजा को कमजोर राज्य से संधि नहीं करनी चाहिए।'

कौटिल्य ने संधि का कई आधारों पर वर्गीकरण किया है जैसे; संयुक्त आक्रमण के आधार पर संधि, विजय के उपरांत लाभ के आधार पर संधि, विकास के आधार पर संधि तथा संधि के योग्य - अयोग्य पक्षों की भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। कौटिल्य के अनुसार, यदि कोई राजा अपने से बलशाली राजा से शांति संधि कर लेता है, परंतु बाद में वह यह अनुभव करता है कि वह स्वयं पर्याप्त शक्तिशाली हो गया है तो, उसे पुरानी शांति संधि तोड़कर अपनी शक्ति के अनुरूप नई नीति का निर्णय करना चाहिए। यहां भी कौटिल्य ने राजनीति को साधारण नैतिकता के बंधान से मुक्त रखा है (गाबा,2016 : 54)।

2. **विग्रह –**कौटिल्य के अनुसार शत्रु का कोई उपकार करना विग्रह है। उन्होंने ऐसे शत्रु पर आक्रमण का परामर्श दिया गया है, जो दुर्बल, प्रमादग्रस्त और बंधु रहित हो तथा जिसके मित्र व सहायक ना हो , ऐसे दुर्बल शत्रु के साथ ही विग्रह करना चाहिए।अधिक शक्ति वाले के साथ विग्रह करने पर हीन शक्ति राजा की वही दुर्दशा होती है जो कि गजारोही सैनिकों के साथ युद्ध में पैदल लड़ने वाले सैनिकों की होती है।सामान बल वाले के साथ

विग्रह करने पर वे दोनों ही उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दो कच्चे घड़े आपस में टकराने पर दोनों नष्ट हो जाते हैं।हीन शक्ति के साथ विग्रह करने का वही परिणाम होता है जो पत्थर से घड़े पर चोट करने का होता है।

3. यान - यान से तात्पर्य अभियान या शत्रु सेना पर आक्रमण से है। कौटिल्य मानते हैं कि शक्तिशाली राजा को ही यान का मार्ग अपनाना चाहिए।शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व कौटिल्य ने देशकाल,शत्रु की शक्ति राजधानी,पृष्ठ भाग व सरहदी इलाकों की सुरक्षा तथा यथेष्ट कोष को साथ ले चलने का परामर्श देते हैं।विजिगीषु राजा शत्रु पर जो आक्रमण करता है उसे सदगुण के तहत यान की संज्ञा दी गई है। सेना देश और काल पर विचार कर फौजी कार्यवाही की तैयारी ही यान कहलाती है (दीक्षितार,1944 : 322)।

कौटिल्य ने यान के तीन प्रकारों का उल्लेख किया है : विग्रह यान, सन्धाय यान, संभूयप्रयाण।

4. आसन - कौटिल्य के मतानुसार युद्ध की प्रतीक्षा में शांत बैठे रहना 'आसन' कहलाता है। आसन के दो प्रकार हैं: पहला, विग्रह आसन और दूसरा,संधि आसन। अपनी उन्नति व वृद्धि के लिए इस गुण का अनुसरण करना चाहिए।

जब राजा को लगे कि उसका शत्रु उसका कुछ बिगाड़ने की सामर्थ्य में नहीं है ना ही राजा स्वयं शत्रु का कुछ बिगाड़ सकता है तो उसे आसन नीति अपनानी चाहिए।कौटिल्य के अनुसार, परिस्थितियों की मांग व अपना लाभ ही तटस्थता की नीति का मूल हेतु है ना कि नैतिक चेतना (खान,1996 : 254)। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जब राजा शक्ति संपन्न हो, तभी उसे युद्ध की घोषणा करके आसन नीति का अवलंबन करना चाहिए, परंतु जब ऐसा प्रतीत हो कि युद्ध की घोषणा करने के पश्चात 'विग्रह आसन' की नीति सफल नहीं हो सकती, तब उसे 'सन्धाय नीति' का ही अनुसरण करना चाहिए(चतुर्वेदी,2010 : 84)।

5. संश्रय - निर्बल राजा को आत्मरक्षा के लिए अपनी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली राजा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। संश्रय की व्याख्या करते हुए कौटिल्य लिखते हैं कि अन्य राजा के प्रति अर्थात निर्बल राजा का स्वयं को अर्पित कर देना ही संशय है। दीक्षितार ने संश्रय नीति के शाब्दिक और व्यापक अर्थ की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है । सहायता, सहारा या अवलंबन और व्यापक अर्थ में इसका तात्पर्य है - मित्रों की सहायता की तलाश (दीक्षितार,1944 : 324)।संश्रय का लक्षण निर्दिष्ट करते हुए कौटिल्य ने बताया है कि जब किसी बलवान शत्रु द्वारा राजा को चुनौती दी जाए तथा उसके प्रतिकार का अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई पड़े, तो राजा को अन्य बलवान, कुलीन, सत्य-प्रतिज्ञा वाले एवं श्रेष्ठ आचरण से युक्त किसी राजा का आश्रय लेकर शत्रु को परास्त करना चाहिए।कौटिल्य ने निर्बल राजा को परामर्श दिया है कि वह न्यायपरायण राजा का आश्रय ग्रहण करें। यदि अनेक राजा न्यायपरायण हो तो, जिसकी अमात्य आदि प्रकृति अपने अनुकूल हो ! उनके अनुसार, वह मध्यम तथा उदासीन राजाओं का भी आश्रय ले सकता है अथवा ऐसे भी राजा की शरण ले सकता है, जिसके साथ उसका परंपरागत,विवाहादि संबंध रहा हो अथवा जो उसका प्रिय हो।

6. द्वैधीभाव - द्वैधीभाव का अर्थ, दोविपरीत परिस्थितियों को अपनाना ताकि विरोधी उसके वास्तविक मंतव्य के विषय में भ्रम में पड़ जाएं। कौटिल्य के अनुसार, संधि व विग्रह दोनों गुणों को एक साथ काम लेना। द्वैधीभाव की परिभाषा के विषय में कौटिल्य का मत मनु और शुक्र से भिन्न है। मनु और शुक्र द्वैधीभाव को ऐसी नीति के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें शासक अपनी सेना को दो टुकड़ों में विभाजित कर उन्हें अलग-अलग स्थानों पर नियोजित करे जबकि द्वैधीभावको परिभाषित करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि 'विजयोच्छुक राजा दूसरे राज्यों से मेलजोल बढ़ाए और एक सामंत को अपनी और मिलाकर दूसरे सामंत पर आक्रमण करें।'

षाडगुण नीति की वरीयताएं - षाडगुण नीति के अंतर्गत सभी गुणों का तुलनात्मक महत्त्व निर्धारित करते हुए कौटिल्य ने कहते हैं कि राजा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इन 6 गुणों को अपनाना चाहिए। उनका मत है कि 'जब संधि एवं विग्रह दोनों को अपनाने से एक ही प्रकार के लाभ की आशा हो, तब संधि गुण का ही अवलंबन करना चाहिए। इसी प्रकार यदि आसन और यान से तथा संश्रयव द्वैधीभाव से बराबर लाभ होने की संभावना हो तो,क्रमश: आसन एवं द्वैधीभाव नीति का अनुसरण करना ही विवेक सम्मत होगा।'(देखें सारणी : 1)

श्रेयस्कर नीति	द्वितीय वरीयता की नीति
संधि	विग्रह
आसन	यान
द्वैधीभाव	संश्रय

सारणी : 1द्वैधीभावनीति की वरीयताएं

परराष्ट्र संबंधों के संचालन में कौटिल्य नीति की प्रासंगिकता - राजनैतिक और कूटनीति संबंधी रणनीति के प्रति एक संहिताबद्ध दृष्टिकोण का उल्लेख कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जो शासनकला पर पहला रचनात्मक ग्रंथ है। कौटिल्य का यह दृढ़मत था कि राष्ट्र अपने राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य हित में ही काम करते हैं। कौटिल्य के विचार में अवसरानुकूलता विदेश नीति का मुख्य आधार होता है। कौटिल्य ने एक प्रभावी विदेश नीति तैयार करने हेतु अपनाए जाने वाले उपाय भी बताए (गणपति,2017)।

विदेश नीति निर्माण में कौटिल्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका प्रसिद्ध 'मंडल सिद्धांत' है, जिसमें वे मानते हैं कि पड़ोसियों के दुश्मन होने की सबसे अधिक संभावना है, जबकि किसी के पड़ोसी के राज्य मित्र होंगे (चक्रवर्ती,2016)।

विशेषज्ञों की उपर्युक्त टिप्पणियों से स्पष्ट है कि कौटिल्य की नीतियां सर्वकालिक महत्त्व की हैं। समसामयिक परिदृश्य में बढ़ती यथार्थवादिता के संदर्भ में कौटिल्य के विचारों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। यदि इनके सिद्धान्तों का सही अर्थों में पालन किया जाए तो विश्व में कूटनीतिक गलतियों के परिणामस्वरूप होने वाले युद्ध व संघर्ष को रोका जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अमेरिकन पॉलीटिकल साइंस रिव्यू(1964),अंक 3
2. अल्तेकर:(1959)'प्राचीन भारतीय शासन पद्धति',विश्वविद्यालय प्रकाशन : वाराणसी
3. कौटिल्य: 'अर्थशास्त्र;
4. कामकंद: 'नीतिसार'
5. खान,सीमा:(1995)'कौटिल्य की कूटनीति की सार्थकता'शोध प्रबंध : प. रविशंकर विश्वविद्यालय
6. गाबा,ओमप्रकाश:(2016)'भारतीय राजनीतिक विचारक'मयूर

पेपरबैक्स : नोएडा

7. गणपति,एम.(मार्च 17, 2017)'भारतीय विदेश नीति की :परेखा'विदेश मंत्रालय : भारत https://mea.gov.in/distinguished-lectures-detail-hi.htm?
8. चतुर्वेदी,मधुकर श्याम:(2010)'प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक',कॉलेज बुक हाउऊस : जयपुर
9. चक्रवर्ती,पी. आर.:(फरवरी 19, 2016)'राष्ट्रीय विकास के लिए विदेश नीति की चुनौतियाँ',विदेश मंत्रालय : भारत सरकार https://www-mea-gov-in.translate.goog/distinguished-lectures-detail.htm?
10. दीक्षितार,रामचंद्र वी.आर.:(1944)'वॉर इन एसेंट इंडिया',मैकमिलन एंड कंपनी लिमिटेड: कलकत्ता,लन्दन(1988),हिन्दू सभ्यता, राजकमल प्रकाशन : नई दिल्ली
11. मिश्र,अनिल कुमार:(2008)'कौटिल्य अर्थशास्त्र',प्रभात प्रकाशन : नई दिल्ली
12. वैबर,मैक्स:(1965)'पॉलिटिक्स एस वोकेशन',फॉर्ट्रेस प्रेस.
13. सालटोरे,बी.ए.:(1963)'एसेंट इंडियन पोलिटिकल थॉट एन्ड इंस्टिट्यूशन्स',एशिया पब्लिशिंग हाउस : मुंबई

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

राजनीतिक दलों के माध्यम से भारत में चुनावी-जनसहभागिता की स्थिति

डॉ. शोभा गौतम *

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) से.मु.मा. राज. कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) भारत

शोध सारांश – नागरिकों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में भागीदार निभाने का एक अन्य माध्यम राजनीति दल है। राजनीतिक दल प्रमुख रूप में सरकार का गठन करने,सरकार की साझेदारी, सरकार गिराने, सरकार की आलोचना करने तथा इन सब कार्यों हेतु जनमत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इनकी सभी गतिविधियां प्राय: चुनाव से ही संबंधित होती है।इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल, विरोध-प्रदर्शन, बन्द,जन-जागृति अभियान,रैली,बहिष्कार, सभा,रोड शो व अन्य माध्यमों से राजनीतिक गतिशीलता में योगदान देते है और जनता को राजनीतिक व्यवस्था की ओर आगत प्रेषित करने हेतु प्रेरित है।

शब्द कुंजी – राजनीतिक दल, चुनावी जनसहभागिता,लोकतंत्र, दक्षिण एशिया।

राजनीतिक दलों के माध्यम से चुनावी-जनसहभागिता – भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2021, सितम्बर 23 को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 2858 राजनीतिक दल पंजीकृत है। जिनमें से 8 राष्ट्रीय,54 राज्यस्तरीय व 2796 दलों को कोई दर्ज़ा प्राप्त नहीं है। इनमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में 2293 पंजीकृत दलों में सेमात्र 673 अर्थात 29.93 प्रतिशत दलों ने लोकसभा चुनाव हेतु अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे।इससे पूर्व वर्ष 2014 में भारत में राजनीतिक दलों की कुल संख्या 1627 थी और इनमें से कुल 464 राजनीतिक दलों ने ही लोकसभा चुनाव लड़ा अर्थात कि मात्र 28.51 प्रतिशत राजनीतिक दलों ने ही चुनावी-राजनीति में भाग लिया जबकि वर्ष 2009 में 1000 पंजीकृत राजनीतिक दलों में से 363 (36.3 प्रतिशत) ने चुनावी-मैदान में ताल ठोकी थी। वर्ष 2004 के लोकसभा आम चुनाव के दौरान 702 पंजीकृत राजनीतिक दलों में से 230 (32.76 :) ने ही चुनाव लड़ा।

विगत एक दशक (2009 से 2019) में 'चुनाव' में राजनीतिक दलों की भागीदारी में करीब सात फीसदी की कमी दर्ज की गई है। इस दौरान कुल पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या में तो लगभग ढ़ाई गुना की बढ़ोतरी हुई है लेकिन चुनावों में राजनीतिक दलों की घटती भागीदारी एक विडम्बना की स्थिति उत्पन्न करती है।

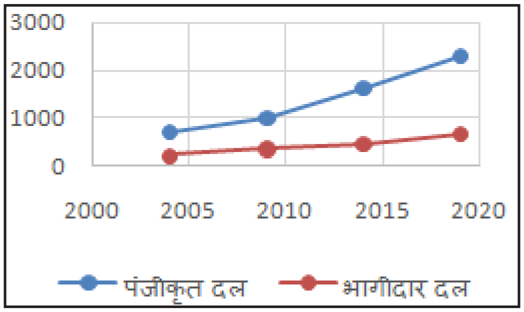

चित्र-1, वर्ष 2004 से 2019 के मध्य हुए लोकसभा आम चुनावों में भागीदार राजनीतिक दलोंव तत्कालीन पंजीकृत दलों के बीच संख्यात्मक अंतर।

लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार के रूप में भाग लेने की प्रवृत्ति में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। वर्ष 2004 की तुलना में 2009 के लोकसभा आम चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या में 48.48 प्रतिशत का भारी उछाल आया परन्तु वर्ष 2014 के चुनाव में मात्र 2.24 की बाद बढ़त दर्ज की गई।जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले की तुलना में 2.38 प्रतिशत कम उम्मीदवारों की चुनावी भागीदारी दर्ज हुई।

चित्र -2, विगत चार लोकसभा चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या।

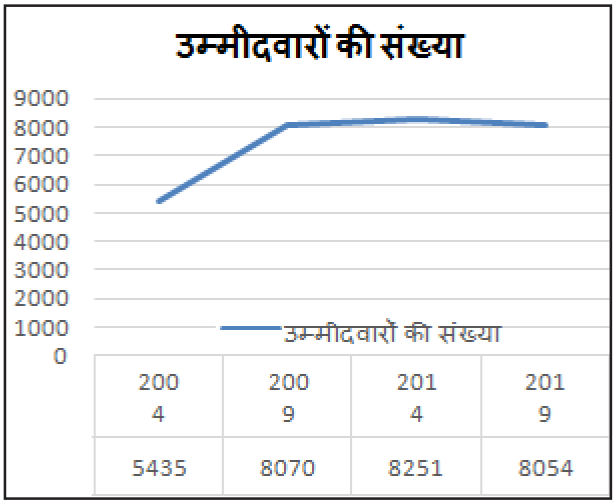

स्रोत - निर्वाचन आयोग, भारत।

17 वीं लोकसभा चुनाव में 18.7 प्रतिशत युवाओं ने चुनाव लड़ा।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

इनकी आयु 25 से 35 वर्ष के मध्य थी।शोध पत्र में 21वीं शताब्दी के चारों लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त किया गया जनमत प्रतिशत निम्न-लिखित है:

चित्र -3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में प्राप्त किये गए मत प्रतिशत का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के जनसमर्थन में कमी आई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले मत प्रतिशत में लगभग डेढ़ गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिसका प्रमुख कारण सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग व इसके माध्यम से प्रचार-प्रसार,ई-सक्रियता,राष्ट्रवादी विचारधारा,वंशवाद के प्रति जनाक्रोश,अच्छे दिनों की आशा एवं नवीन विकल्प की जनइच्छा माना जा सकता है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 से 2014 के बीच देश में हुए कुल विरोध-प्रदर्शनों में से करीब 32 प्रतिशत आंदोलनों का संचालन राजनीतिक दलों द्वारा किया गया था।यदि इसमें दलों से संबंधित छात्र-संगठन व मजदूर संघों को भी शामिल कर दिया जाए तो यह आंकड़ा 50 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। विभाग के पूर्व राज्य पुलिस प्रमुख राहुल गोपाल का कहना है कि यद्यपि महाराष्ट्र में वर्ष 2009 से 2014 की कालावधि में बड़ी संख्या में प्रदर्शन दलों द्वारा संचालित/आयोजित थे,परन्तु उनका स्तर व गहनता इतनी अधिक ऊंची नहीं थी (ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट, 2014)। राजनीतिक लाभ प्राप्ति हेतु राजनीतिक दलों व कार्यकर्ताओं द्वारा दंगों का सहारा लिया जाता है। जिसे पॉल ब्रास 'संस्थागत दंगा व्यवस्था' का नाम देते हैं।

जनता के अभिमुखन हेतु राजनीतिक दलों द्वारा सभा आयोजित कर उनका मत निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है,परन्तु इन जनसभाओं में जनभागीदारी जागृत/सक्रिय उतनी नहीं रह पाती है और न ही जनसभाओं में व्यक्त जनमत एवं जनव्यवहार में कोई साम्य पाया जाता है। इस सम्बंध में सत्येंद्र कुमार द्वारा वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान किये गए एथनोग्राफिकल अध्ययन के उनके निम्न अनुभव को साझा करना प्रासंगिक होगा।

'वे (मेरठ जिले के खानपुर ग्रामवासी) कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे।गाँव की एक चुनावी सभा में जब भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री आई तो लोगों ने अपनी राजनीतिक निष्ठा और जुड़ाव से परे जाकर उनका स्वागत किया और उनकी सभा में शामिल भी हुए थे।इसी तरह जब मैंने कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से सभा में जाने के बारे में जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने बताया कि सभा में शामिल होनागाँव का एक शिष्टाचार मात्र है,इससे अधिक कुछ नहीं'(कुमार, 2015-217)।

वर्ष 2019 में विकासशील समाज अध्ययन पीठ-लोकनीति द्वारा निष्पादित उत्तरमतदान राष्ट्रीय चुनाव सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि नागरिकों की सह-चुनावी गतिविधियों यथा - चन्दा एकत्र करना/देना पोस्टर लगाना व पर्चे वितरित करने में अधिक रुचि नहीं है। जिनका सँख्यात्मक विवरण निम्न ग्राफ के माध्यम से दिया गया है। (उत्तर मतदान सर्वेक्षण, 2019 - 16-17)

चित्र - 4 , चुनावी गतिविधि व भागीदारी प्रतिशत

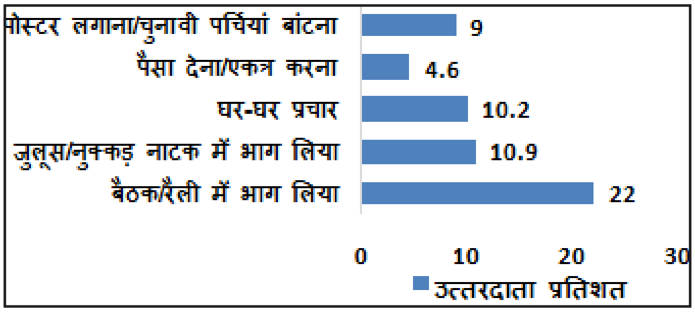

विगत एक दशक में नागरिकों की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है परन्तु यह अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। सुहास पल्शीकर एवं संजय कुमार को उद्धरित करना यहाँ प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है। लेखक द्वय के अनुसार 'सक्रिय भागीदारी आज भी समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की ही अधिक है और उसमें भी शिक्षा व वर्ग प्रमुख निर्णायक कारक हैं यद्यपि अन्य पिछड़ा वर्ग ने पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में प्रवेश किया हो किन्तु दलित,आदिवासी, महिलाएं एवं निर्धन आज भी परिधि पर है' (कुमार - पल्शीकर, 2004)

दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की स्थिति- विकासशील समाज अध्ययन पीठ, लोकनीति एवं जैन विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्त्वाधान में कराए गए सर्वेक्षण के प्रथम प्रतिवेदन में भारतीय लोकतंत्र की कमियों व मजबूतीयों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि आजादी के सत्तर वर्षों के बाद भारत एक श्रेष्ठ लोकतंत्र का उदाहरण तो है,किन्तु उसे गरीबी,विविधता एवं मानवाधिकारों की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है।

प्रमुख निष्कर्ष (स्टेटऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, 2008):

1) **लोकतंत्र की आकांक्षा -** भारत की आर्थिक परिस्थितियां लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। फिर भी 92 प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि लोकतंत्र उनके लिए श्रेष्ठ प्रणाली है। तथ्यों का संकेत है कि दक्षिण एशिया में भारत व श्रीलंका में सुदृढ़तम स्तर पर लोकतंत्र का समर्थन किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, भारत 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लोकतंत्र की परंपरागत परिभाषा के स्थान पर लोकतंत्र का अपना अलग अर्थ निकलते है।

2) **संस्थाएं एवं राजनीति -** सर्वेक्षण में अधिकांश व्यक्तियों ने तुलनात्मक रूप से संस्थओं में विश्वास व्यक्त किया है।विशेष रूप से वो संस्थाएं,जिनका गठन चुनाव के माध्यम से नहीं होता है,जैसे कि सशस्त्र सेनाओं पर सर्वेक्षित नब्बे फीसदी जनता ने विश्वास व्यक्त किया,जबकि साठ प्रतिशत ने लोकसेवकों पर विश्वास जताया है। शोधार्थियों के अनुसार, राजनीतिक दलों व संस्थाओं में न्यून विश्वास का कारण,इन संस्थाओं में वास्तविक प्रतिनिधित्व की कमी है।

3) **राजनीतिक दल व प्रतिस्पर्धा -** राजनीतिक दल आंदोलन व राजनीतिक गतिशीलता के साधन हैं वर्तमान में अपराधिकरण व भ्रष्टाचार राजनीतिक दलों में सामान्य है,व्यक्ति विशेष दल की पहचान बन चुके हैं।ये दल नवीन मशीनरी का निर्माण करने में विफल हैं।साथ ही राष्ट्रीय व राज्य-स्तरीय दलों में वंशवाद व केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता के आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं-

चित्र- 5राजनीतिक गतिविधि व उसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

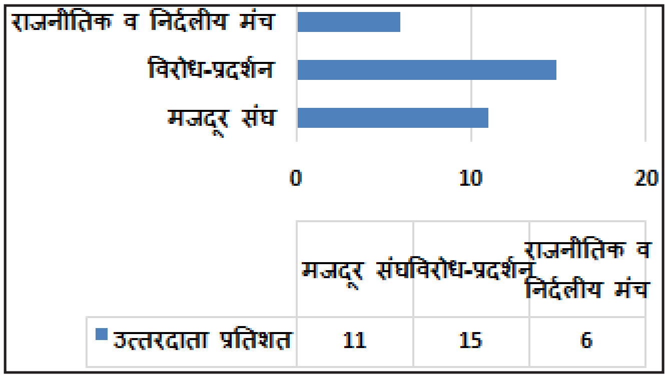

अध्ययनकर्त्ताओं ने पाया कि राजनीतिक मंच एवं राजनीतिक संगठन परस्पर व्यापी हैं। जैसे करीब 75 प्रतिशत मजदूर संघ कार्यकर्त्ताओं ने स्वीकारा कि वो किसी न किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हैं।

4) राजनीतिक निर्गत – भारत में लोगों के लिए मताधिकार न सिर्फ एक गंभीर प्रक्रिया है, बल्कि प्रभावी भी है। सर्वेक्षण के अनुसार,67 प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि उनके मत(वोट) से परिवर्तन आएगा। साथ ही पांचों देशों की तुलना में नागरिकों को मतदान से मिलने वाली सन्तुष्टि का स्तर अधिक है।

स्टेट ऑफ डैमोक्रेसी इन साऊथ एशिया की दूसरी रिपोर्ट हेतु एक प्रतिनिधि सेम्पल और सामान्य प्रश्नावली के आधार पर सर्वेक्षण किया गया। जिस हेतु 19,409 उत्तारदाताओं का चयन किया गया था। वर्ष 2017 में प्रकाशित इस प्रतिवेदन का कमल नयन चौबे द्वारा 'लोकतंत्र का वैकल्पिक विमर्श–विविधता, असमानता और पारंपरिक पहचानों की पेचीदगी' विषयक लेख में निम्न प्रकार से विश्लेषण किया गया है–

नागरिक संस्थाओं से अभिभूत नहीं हैं ; वे उन संस्थओं के प्राधिकार के चलते उनका अंधानुकरण नहीं करते हैं।संस्थाओं और नागरिकों के बीच का सम्बंधा संस्थाओं की शक्ति पर लोकतांत्रिक तरीके से प्रश्न करने और उनके प्रति सन्देह भाव रखने पर आधारित है।यह लोकतंत्र की सकारात्मक शक्ति को दर्शाता है।

अपेक्षाओं से भरे समाजों में संस्थाओं का प्रदर्शन– संस्थाएं लोकतंत्र की श्रृंखला में कमजोर कड़ी हैं। मोटे तौर पर सरकार के अंग सार्वजनिक जांच–पड़ताल और जवाबदेहिता से परे हैं। ये गंभीर आलोचना का सामना कर रही हैं, लेकिन इनके प्रति पूरी तरह से अविश्वास की संस्कृति नहीं है।

दलगत राजनीति,गैर–दलीय राजनीतिक संगठन और लोकतंत्र– दलीय व्यवस्था ने स्थानिक और सामाजिक विविधताओं को प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया है।दक्षिण एशिया (भारत में भी) राजनीतिक दल चुनाव और संरक्षण (पेट्रोनेज) की मशीन बन चुके हैं। फिर भी इन्होंने सहभागी लोकतंत्र को गहनता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मतदान करने के अतिरिक्त राजनीतिक भागीदारी के संकेत काफी हद तक खामोश ही हैं।

सारांश में कलम नयन चौबे द्वारा किये गए रिपोर्ट के विश्लेषण का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा–लोकतंत्र की संस्कृति,व्यवहार और संस्थाओं ने लोगों को प्रजाजनों से नागरिक में बदल दिया है। प्रश्न खड़ा करते हुए की क्या दक्षिण एशिया (भारत भी शामिल है) में लोकतंत्र की परियोजना समाज के सभी तबकों के लिए ऐसा 'स्पेस' बना सकती है कि वे खुद को लोकतंत्र का मालिक समझें और इसकी सफलता में योगदान करें?

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए चौबे लिखते हैं कि स्पष्टत: लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ वास्तविक अर्थों में समावेशन को बढ़ावा दिया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उत्तर मतदान सर्वेक्षण.(2019)'विकासशील समाज अध्ययन पीठ–लोकनीति' – दिल्ली, प्रश्न संख्या 9(a,b,c,d,e) पृष्ठ संख्या–16–17
2. एपिसोड 6 –'यूथ पार्टिसिपेशन इन इंडियन एलेक्शन्स' (2020) 'असोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' रीट्रीव्ड 2020, अगस्त 24. https://adrindia-org.content.episode-6-youth-participation-indian-elections
3. कुमार, संजय, पल्शीकर, सुहास,(2004)'पार्टिसिपेट्री नॉर्म्स– हाउ ब्रॉड–बेस्ड इट इस?''इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली'वोल्युम –39,इशू नम्बर – 51–2004, दिसम्बर 18
4. कुमार,सत्येंद्र,(2015)'राजनीतिक अध्ययन में एथनोग्राफी की भूमिका' प्रतिमान– समय,समाज,संस्कृति – जनवरी– जून 2015 (अंक – 1).पृष्ठ संख्या–217
5. चौबे,कमल नयन,(2017)'लोकतंत्र का वैकल्पिक विमर्श–विविधता, असमानता व पारंपरिक पहचानों की पेचीदगियां'प्रतिमान – समय,समाज,संस्कृति – जनवरी–जून 2017 (अंक–9). पृष्ठ संख्या–140
6. निर्वाचन आयोग, भारत।
7. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट,जुलाई–सितम्बर,2014
8. स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया,(2008).इंडिया सम्री,1 एग्जेक्युटिव सम्री,इंटरनेशनल,आई.डी.ई.ए.,2008

चित्र -3, वर्ष 2004 से 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय दलों को प्राप्त मत प्रतिशत

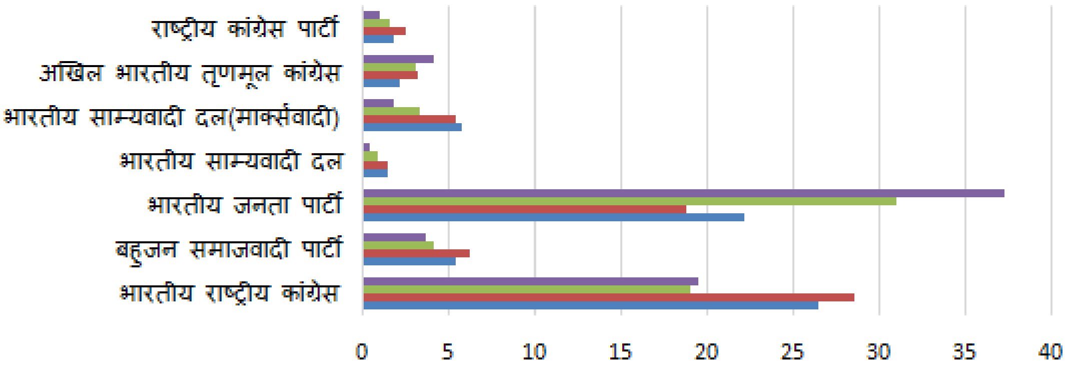

	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	बहुजन समाजवादी पार्टी	भारतीय जनता पार्टी	भारतीय साम्यवादी दल	भारतीय साम्यवादी दल(मार्क्सवादी)	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस	राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी
2019	19.49	3.63	37.36	0.37	1.75	4.07	0.92
2014	19.03	4.1	31	0.78	3.3	3.08	1.56
2009	28.55	6.17	18.8	1.43	5.33	3.2	2.4
2004	26.53	5.33	22.16	1.41	5.66	2.07	1.8

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

राजस्थान की राजनीति में दलित - चुनावी जनसहभागिता का अध्ययन

रजनी गगवानी *

* जूनियर रिसर्च फैलो (राजनीति विज्ञान) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोधपत्र में अनुसूचित जातियों को दलित मानते हुएउनकी चुनावी भागीदारी का विश्लेषण किया गया है।चुनावी जनसहभागिता के अंतर्गत केवल मतदान व चुनाव लड़नेपर ही ध्यान केंद्रित किया गया है।प्रस्तुत शोध का उद्देश्य दलित समुदाय के चुनावी समावेशन का स्तर, प्रवृत्ति व समस्याओं का अध्ययन करने हेतु ऐतिहासिक,वर्णनात्मक व निदानात्मक अनुसन्धान पद्धतियों का प्रयोग कियागया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक व द्वितीय तथ्यों हेतु राजकीय। निजी प्रतिवेदनों व अध्ययनों, पुस्तकों,समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, शोधपत्रों व आंकड़ों की सहायता ली गई है।

शब्द कुंजी – अनुसूचित जाति, दलित, चुनावी जनसहभागिता, आरक्षण।

प्रस्तावना – ऐतिहासिक रूप से वर्ण व्यवस्था पर आधारित हिंदू समाज में वर्ण के आधार परकिये गए कार्य विभाजन के कारण शूद्र वर्ण को राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा गया।यही शूद्र वर्ण कालांतर में दलित कहलाया।व्युत्पत्ति के अनुसार, 'दलित' शब्द संस्कृत शब्द दलित से आया है।जिसका अर्थ है 'कुचला हुआ', 'निचला', 'दबा हुआ' या 'टुकड़ों में टूट हुआ'। इसका सबसे पहले प्रयोग ज्योति राव फूल ने19वीं सदी में महाराष्ट्र के पिछड़े वर्गों और अन्य उत्पीड़ित वर्गों के संदर्भ में किया था (चिन्था, 2015 रू83)।दलित पेंथर्स आंदोलन के घोषणापत्र के अनुसार,अनुसूचित जाति, जनजाति, नव-बौद्ध, कामगार, भूमिहीन, निर्धन किसान,महिलाएं तथा वे सभी व्यक्ति दलित-दलित की श्रेणी में आतेहैं, जो कि राजनीतिक, आर्थिक या धर्म के नाम पर शोषित हों (रायट: 2016)।यद्यपि शोध सुविधा हेतु प्रस्तुत पत्र में केवल अनुसूचित जाति का ही अध्ययन किया गया है।

दलितों के सदियों पुराने राजनीतिक अपवर्जन को समाप्त करते हुए स्वातन्त्र्योत्तर काल में उनके चुनावी समावेशन को सुनिश्चित व इसे संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने हेतु लोकसभा, विधानसभाओं व स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई।जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भी राजनीतिक संस्थाओं में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। इसी क्रम में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि चुनावों के माध्यम से दलित समुदाय राजनीतिक व्यवस्था में कितना भागीदारी बन पाया है ? क्या यह केवल आरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित है या उसके आगे भी विस्तृत है? तथा आगे की क्या राह हो सकती है !

राजस्थान में दलित - एक परिचय- भारत की जनगणना,2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसँख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का 17.83 % (1.22 करोड़) है। अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान की 59 जातियाँ अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। इनमें भी प्रमुख जातियां मेघवाल, ढोली, धोबी, वाल्मीकि, जीनगर, चमार, कोली/ कोरी, कंजर, खटीक, मदारी, महार, बलाई, सांसी व सालवी हैं।

राजस्थान में निवासरत अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का करीब 50 प्रतिशत मेघवाल हैं। यही मेघवाल सालवी,बुनकर,बलाई व मेघवंशी में विभाजित है,जो कि मध्य व पश्चिम राजस्थान में निवासरत है। शेष आधी दलित आबादी में जाटव शामिल हैं, जो कि उत्तरप्रदेश की सीमा से लगते पूर्वी राजस्थान में निवासरत है। यह भी बैरवा व रैगर उप जातियों में विभाजित है।दलित समुदाय की 18.5 प्रतिशत जनसंख्या शहरी है। जिसमें जीनगर वाल्मीकि व खटीक सम्मिलित हैं,जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 2.4 प्रतिशत है (धारा, 2018)।

धर्म	जनसंख्या	प्रतिशत
हिंदू	11,999,984	98.18
सिख	2,14,837	1.75
बौद्ध	6,772	0.55

राजनीतिक जनसहभागिता

देश की शासन प्रणाली में जनता का किसी भी तरीके से भागीदार बनना, राजनीतिक जन सहभागिता कहलाती है।मिशेल रूश एवं आल्टोफ के अनुसार, 'व्यक्ति द्वारा राजनीतिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर भूमिका निर्वहन को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं (मिशेल - आल्टोफ, 1971: 14)।'राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी कई प्रकारों से हो सकती है। मोटे रूप से इसे निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है।

1. चुनावी जनसहभागिता।
2. गैर-चुनावी/चुनावेत्तारजनसहभागिता।

1. चुनावी जनसहभागिता- चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला एक लोकप्रिय माध्यम है। चुनावों के दौरान नागरिक किसी प्रत्याशी के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रचार करके, मतदान द्वारा, स्वयं चुनावी रण में उम्मीदवार होकर, राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता अथवा चंदा देना,किसी दल का पद अथवा सदस्यता ग्रहण

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

करना, चुनावी रैली, सभा में भाग लेकर एवं दल का गठन करके नागरिक राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका का निर्वहन करते हैं।

2. गैर-चुनावी/चुनावेत्तर जनसहभागिता-चुनावी प्रक्रिया के इतर नागरिकों द्वारा शासन में जिस किसी भी माध्यम से अपनेराजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, गैर-चुनावी अथवा चुनावेत्तर जनसहभागिता की श्रेणी में आते हैं।इसके अंतर्गत किसी आंदोलन में भाग लेना, दबाव/हित समूहों के माध्यम से लॉबिंग, जनमत संग्रह में मतदान करना, ज्ञापन देना, तालाबन्दी, मार्ग अवरुद्ध करना, दंगा व अन्य विरोध/समर्थन प्रदर्शन करना, राजनेताओं से संपर्क साधना, जनसमस्याओं अथवा निजी समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन से संपर्क करना, हड़ताल, काम-बन्दी, सरकार सम्बन्धित सूचना-मांगना, जनसंचार माध्यमों से राजनीतिक-बहसों में भाग लेना अथवा बहस सुनना, राजकीय निर्णयों को प्रभावित करने हेतु आंदोलन चलाना शामिल है।प्रस्तुत शोध पत्र का सरोकार केवल चुनावी सहभागिता से है, जिसके अंतर्गत मतदान व चुनाव लड़ने के रूप में दलितों के चुनावी समावेशन का अध्ययन किया गया है।

मतदाता के रूप में दलित - मतदान में किसी व्यक्ति की सच्ची रुचि समग्र रूप से राज्य व्यवस्था के हितों केसाथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है (फर्स्ट पोस्ट : 2020)।मतदान वयस्क नागरिकों की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी की प्राथमिक गतिविधि है। अतः यहराजनीतिक समावेशन के स्तर को जानने का महत्वपूर्ण पैमाना है। यद्यपि चुनाव आयोग द्वारा समुदाय-वार मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है फिर भी दलितों हेतु आरक्षित स्थानों पर मतदान की स्थिति जान कर उनके रुझानों का अध्ययन किया जा सकता है।राजस्थान से 4 स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किये गए हैं। यह क्षेत्र श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुरव करौली-धौलपुर हैं। इन चारों स्थानों पर विगत तीन लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत का अध्ययन करने पर यह मालूम पड़ता है कि दलितों हेतु आरक्षित क्षेत्रों पर नागरिकों की मतदाता के रूप में जनभागीदारी निरन्तर बढ़ रही है। जिसे कि निम्न चार्टकी सहायता से समझा जा सकता है।

स्रोत:वोटर टर्नआउट रिपोर्ट, 2009, 14, 19. चुनाव आयोग, राजस्थान

उपर्युक्त चार्ट यह सिद्ध करता है कि मतदान के प्रति दलितों की रूचि बढ़ी है। यदि राजनीतिक दलों के आधार पर दलितों की वरीयता देखी जाए तो उसमें भी एक 'शिफ्ट' देखा जा रहा है। मांडलगढ़ (भीलवाड़ा, राजस्थान) के पूर्व विधायक श्री विवेक धाकड़ इस पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि'पहले दलित कांग्रेस का वोट बैंक माने जाते थे लेकिन पंचायतीराज व्यवस्था आने के बाद दलित समुदायों में आरक्षण के परिणामस्वरुप जातियों के हिसाब से बंटवारा होने लगा और आज का दलित समुदाय किसी एक का वोट बैंक नहीं रहा है लेकिन हाँ ! भाजपा की तरफ उनके रुझान में बढ़ोतरी हुई है (धाकड़, 2022)।'

चुनाव लड़ने के स्तर पर दलित जनसहभागिता - राजस्थान एक रियासती और सामंती प्रदेश होने के कारण यहां आज़ादी से पहले दलित समुदायकी चुनावी उम्मीदवार रूप में शासन व्यवस्था में भागीदारी लगभग नगण्य थी। संविधान लागू होने के साथ ही दलितों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा व लोकसभा में स्थानों का आरक्षण किया गया। जिसमें समय-समय पर परिसीमन के माध्यम से बदलाव किया जाता रहा है। वर्ष 2008 के परिसीमन द्वारा राजस्थान विधानसभा में दलितों हेतु 34 तथा लोकसभा हेतु 4 स्थान आरक्षित किए गए। वर्तमान में राजस्थानविधानसभा में आरक्षित इन स्थानों का चित्रात्मक प्रदर्शन इस प्रकार है।

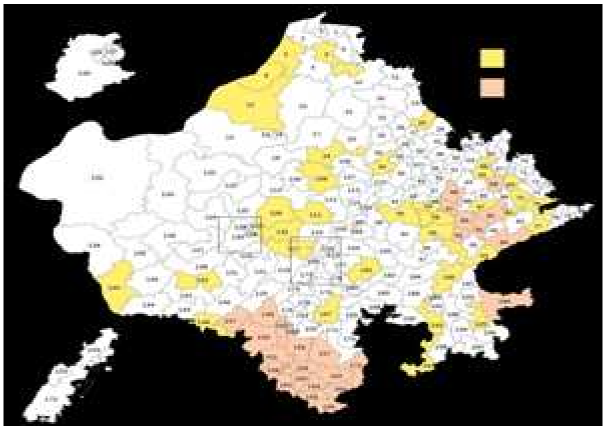

स्रोत: चुनाव आयोग , राजस्थान।

आरक्षण के कारण निर्धारित स्थानों पर केवल दलित समुदाय के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप दलितों का न्यूनतम प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित हुआ लेकिन सम्पूर्ण भारत में न्यूनाधिक यही प्रवृत्ति देखने को मिली है कि आरक्षित स्थानों के अतिरिक्त इन समुदायों के उम्मीदवारों को कोई राष्ट्रीय दल टिकट नहीं प्रदान करता है। राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति दिखाई देती है।इस सम्बंध में दलित लेखक व कार्यकर्ता श्री भंवर मेघवंशी टिप्पणी करते हुए बताते हैं कि'आरक्षण एक हद निर्धारित कर देता है। फिर उन स्थानों पर भी आपको टिकट नहीं मिलता है, जहां आप की संख्या अच्छी है या आप जीतने की स्थिति में है क्योंकि आप को टिकट नहीं मिलता है और निर्दलीय के रूप में तो चुनाव जीतना और अधिक मुश्किल हो जाता है। अपवाद स्वरूप ही अनारक्षित सीटों पर दलित समुदाय के व्यक्तियों को टिकट मिलता है (मेघवंशी : 2022)।'

दलितों के सीमित प्रतिनिधित्व का एक ताजा उदाहरण वर्ष 2018 में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा चुनावों में देखा जा सकता है। इस चुनाव में संपूर्ण राजस्थान में सिर्फ मनोहरथाना (झालावाड़) अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र पर ही राष्ट्रीय दलों से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया गया। शेष सभी अनारक्षित विधानसभा क्षेत्रों पर प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को ही टिकट दिया।

दलित हितों का एक मात्र प्रतिनिधि दल होने का दावा करने वाली बीएसपी के राजस्थान में मत-समर्थन में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं।वर्ष 2013 की तुलना में बीएसपी के मत समर्थन में वर्ष 2018 में मात्र 0.63% की बढ़ोतरी देखी गई परंतु उसे प्राप्त सीटें दोगुनी हो गई। लोकसभा चुनाव हेतु

राजस्थान में अनारक्षित निर्वाचनक्षेत्र पर दलित उम्मीदवार को चुनावी टिकट प्रदान करने के दलों के ट्रेक रिकॉर्ड का तुलनात्मक विश्लेषण निम्न प्रकार है ;

दल	2019	2014	2009	2004
भाजपा	2	2	1	1
कांग्रेस	3	1	2	2
बीएसपी	15	135	54	83

स्रोत: 17वी लोकसभा: इन मैनीवेज़, 'द न्यू लोअर हाउस विल ब्रेकओल्ड पैटर्न' इकोनॉमिक टाइम्स, मई, 25–2019.

बीएसपी का राजस्थान में चुनावी रिकॉर्ड

वि.स. चुनाव वर्ष	उम्मीदवार	जीते	मत–प्रतिशत
1990	–	00	–
1998	118	2	2.17
2003	124	2	3.98
2008	199	6	7.60
2013	195	3	3.27
2018	199	6	4.0

स्रोत: चुनाव आयोग, राजस्थान
http://ceorajasthan.nic.in/Election%20Results %20and%20Statistics.aspx

उपर्युक्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यद्यपि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के मत समर्थन में तो उतार चढ़ाव आते रहे हैं परंतु अनुसूचित जाति के मतदाताओं का विश्वास जीतने में बीएसपी राजस्थान में विफल रही है पिछले एक दशक में हुए तीन विधानसभा चुनावों में बीएसपी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 34 स्थानों में से एक भी स्थान पर विजयी नहीं रही है जबकि वर्ष 2018 में गठित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2018 में संपन्न हुए राजस्थान विधानसभा चुनावों में दो आरक्षित स्थानों (पश्चिमी राजस्थान के नागौर जिले का मेड़ता व जोधपुर जिले का भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र) पर जीत दर्ज की है।

निष्कर्ष– उपर्युक्त तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान समय में राजस्थान में दलित समुदाय की चुनावी सहभागिता के सम्बंध में दो तरह के पैटर्न चलन में हैं।

पहला, मतदाता के रूप में दलितों की सहभागिता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह समुदाय अपने मत का महत्व समझने तथा उसका बढ़–चढ़ कर प्रयोग करने लगा है। यद्यपि उनका रुझान, उनकी आर्थिक स्थिति के साथ बदलता रहता है। इसके अतिरिक्त पहले जहाँ दलित कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते थे। वहीं, वर्तमान बीजेपी उनकी पसंद बनती जा रही है। बसपा के राजस्थान में जनाधार मत–प्रतिशत व विधानसभा स्थानों के रूप में बढ़ता–घटता रहा है।

दूसरा, चुनाव लडने के स्तर पर दलितों की शासन में सहभागिता प्राय: उनके लिए आरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित रही है। अनारक्षित क्षेत्रों पर दलितों को टिकट देने में राजनीतिक दल रूचि नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी भी अपवाद स्वरूप ही अनारक्षित क्षेत्रों पर दलित जाति के सदस्य को टिकट प्रदान करती है। इसके पीछे संभवत: यह मानसिकता हो सकती है कि 'जब दलितों के लिए स्थान आरक्षित हैं तो वे अन्य समुदायों के हिस्से पर क्यों दावा करें!' कारण और भी हो सकते हैं लेकिन इनके कारण दलितों की प्रतिनिधित्व स्तर पर जनभागीदारी केवल आरक्षित क्षेत्रों तक ही सीमित रही है।आवश्यकता है कि इस हदबन्दी को तोड़कर समान अवसरों का सृजन किया जाए। इस हेतु रूढ़िवादिता को कम करना, राजनीतिक दलों में सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के अतिरिक्त स्वयं दलितों को भी आर्थिक व शैक्षणिक रूप से सक्षम बना कर समस्या–समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. 17वी लोकसभा : इन मैनी वेज़, द न्यू लोअर हाउस विल ब्रेक ओल्ड पैटर्न.(मई,25 2019)'इकोनॉमिक टाइम्स'.Retrievedfrom
2. https://m.economictimes.com/news/elections/lok-sabha/india/17th-lok-sabha-in-many-ways-the-new-lower-house-will-breakoldpatterns/amp_articleshow/69499650.cms
3. एस. एस. चिन्था.(2015)'द मीनिंग ऑफ दलित एंड इट्स टू परसेप्शन बाय इंडियन सोसायटी एंड दलित राइटर्स : ट्रांसलेशन : एन एनालिटिकल स्टडी'इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश लेंग्वेज एंड लिटरेचर,वॉल्यूम : 3, इश्यू : 2
4. चुनाव आयोग, राजस्थान https://ceorajasthan.nic.in/Map
5. चुनाव आयोग, राजस्थान Retrieved from
6. http://ceorajasthan.nic.in/Election%20Results% 20and %20Statistics.asx
7. दलित पैंथर्स मेनीफेस्टो,(जनवरी 23, 2016)'रायट'Retrieved from
8. https://raiot.in/dalit-panthersmanifesto/#:~:text=The%20Dalit%20Panthers%20was% 20a,moveme%20in%20the%20United%20States.
9. धाकड़, विवेक,(2022, फरवरी 11).साक्षात्कार पर आधारित
10. धारा,तुषार,(2018)'वाय बीजेपी इस अनलाइकली टू गेट दलित वोट्स इन द राजस्थान इलेक्शन्स' कारवां मैगज़ीन, अक्तूबर 28,2018 Retrieved from
11. https://caravanmagazine.in/politics/dalit-votes-bjp-rajasthan-elections2018
12. मिशेल,रूश.आल्टोफ,(1971)'एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी',नेल्सन पब्लिशर : यू.के.
13. मेघवंशी, भंवर,(2022, मार्च 23),साक्षात्कार पर आधारित
14. 'लोकतंत्र में सामूहिक लाभ'(2020, फरवरी 11). फर्स्ट पोस्ट–Retrieved fromhttps://www.firstpost.com/living/in-a-democracy-the-importance-of-voting-with-a-view-for-collective-benefit-7976631.html/amp
15. वोटर टर्नआउट रिपोर्ट, 2009, 2014, 2019, चुनाव आयोग, राजस्थान, Retrieved fromhttp://164.100.153.10/ceoraj/voter_rep.aspx

****

A Study on Consumer Behaviour Towards online Shopping in Nagpur City

Dr. Rajeshwar Dinkar Rahangdale*

***Assistant Professor & Head (Economics) Rashtrasant Tukdoji College, Chimur, Distt. Chandrapur (Mh.) INDIA**

Abstract - Online shopping is the most recent phenomenon in the Indian online space. Men and women of all ages visit E-commerce websites regularly and buy the necessities of life. The objective of the study is to understand the consumer awareness and preferences towards various products available online, to understand the frequency of online shopping and the amount spent on a single purchase, and to understand the factors affecting the online purchase and the choice of payment gateway. The study is empirical in nature and a cross-sectional research design was applied and the primary data was collected through a structured questionnaire. A sample size of 800 respondents was taken, who is at present living in Nagpur city. Mainly in areas like the Sitabuldi area, Mahal area, and Itwari area by applying judgmental and convenience sampling methods. This study analyses the various factors that affect the online shopping behavior of the consumers by using the Buyer Black Box Model which is like our mind processing various stimuli it receives and helping it in concluding. Here we had studied the attitude, behavior, and intentions shown by the consumers when they decide to buy products online by using the hierarchy of effects model. Moreover, a separate gender-wise differentiation was made to know how Male and Female reacts to a particular category of the product comprised of apparel, Beauty products, Household items, electronic gadgets, etc. A preference measurement check was made to know the perception of the consumer regarding the top E-commerce website i.e. FLIPKART, AMAZON, SNAPDEAL, JABONG, Shopclues, and others. The major reason behind their perception was based on various discounts, easy payment facilities, easy return facilities, timely and express delivery. “Reduced search cost”, “Discounts” and “Ease of purchase” were the top three aspects that generally people look upon while purchasing online, and a thorough study was made among the people in Nagpur. In the future, this study can be done among different demographic profiles & in other cities.
Keywords- Awareness, Consumer Behaviour, Nagpur, Online Shopping.

Introduction - In the era of globalization along with the expansion of E-commerce, various businesses started their sales and marketing efforts for their products through the internet. Over the decades, organizations are providing soup to nut to their customers online. Online shopping is one of the fastest-growing phenomena. It is considered a medium for transactions between firms and consumers. Online shopping also includes supply chain management, marketing over the internet, 24 x 7 timing, availability of a variety of products, etc.

Electronic commerce draws on technologies such as mobile commerce, supply chain management, online transaction processing, electronic data interchange, inventory management system, electronic fund transfer, etc. E-commerce may take up some of the subsequent facilities such as B2B electronic data interchange, provide direct retail sale and marketing to customers, employ in the launching of new products and services, etc.

Online shopping is a form of electronic commerce that allows the consumer to buy products and services over the internet. Through online shopping, many organizations have gained remarkable opportunities to boost their sales and to uphold direct relationships with their customers. The new businesses provide all kinds of products at the doorway of the e-shoppers in the fingertip. The business model for admirable services quality is based on various fundamentals such as low price, big range of choices, ample information about products, availability, and convenience.

Revolutionary change in the development of online shopping is due to the varying lifestyle of the consumers and expansion of online activity. Major E-shoppers grab online opportunities since different products get better discounts. Much above that, it saves time and gives total relief from the crowd.

Everything has merits and demerits. The approach of Indians is more tending towards real shopping where they can touch, and compare products before buying. Therefore Indian society faces differences in people’s opinions towards

online shopping. This paper attempts to study peoples perception towards online shopping and also tries to extrapolate information regarding the demand for the same.

Hybrid Online Shopping: Another type of cross-channel E-commerce uses a combination of virtual and real existence to solve shopper problems. Through real existence, we incorporate any asset that enables potential buyers to interact in the reverse direction (for example, not via the internet, but the internet). Maybe 17 years old) exchange currency with employees of affiliated companies or at affiliated company premises. For example, our broader meaning of real existence can be based on profitable topics such as companies or professionals. May not include closure, but use existing real (pre-network) assets as a drawing feed. We can expect that there are many reasons why cross-border e-commerce is more attractive than physical or completely virtual market management methods. The construction can be planned together in the following ways: cost-reducing technologies, benefits of trust-building methods, market growth/scope, the relative proportion of complementary connections, increased trust, Geographic location, and other markets.

Reasons for buying through the online channel: It has various clarifications on online shopping, and they even have some explanations below, showing online purchases; convenience, better cost, sorting, sending donations, cost reduction, expense rate, social issues, active shopping, cheap old/unused use purchases, and shop cautiously.

Significance of the study: An out-and-out referring to lifestyle is persuading purchasers worldwide to recognize web shopping as a choice rather than standard real shopping. People, to save time and money Imai report 2009 reveals that in each Reasonable sense, 25% of the are convinced to purchase things and affiliations complete Indian people is living in metropolitan associations. For the most part, web use is a shopping channel. There isn't as a general rule anything, low amount to only 24% among metropolitan people. Electronic retailing is constantly seen reliably as an objective and accessible medium to Shop. It appropriately gets crucial for online retailers to consider online commercialization and how it is going on exactly as expected in right now of speedy globalization.

Objectives of the study:

1. To study the impact of socio-social parts on online buying Behavior.
2. To examine the perspective on buyers for the web buying conduct about care and Customer satisfaction.
3. To study the limitation of E-shopping issues with attracting and holding Customers in the Indian climate.

Research methodology: Assessment isn't just engaged to the difference in currently certified factors and building up to date data yet discovering new authentic components needed through the cycle dynamic changes in the overall people. The theory is portrayed as a game plan of strategies and rules to work with the mix and examination of data. It gives the early phase to picking an approach made of hypotheses, data thought, and which strategies for the subject.

Research method: There are Two Pivotal assessment methods; Excited and Quantitative assessment. An eager assessment gives bits Of Information and an Impression of the issue set. In this Evaluation hypothetical assessment was used to get an understanding of web shopping. The enthusiastic assessment strategy includes the blend of a variety of test papers, making and knowing individual experiences of the online client and Non-online clients. Quantitative assessment wants to quantify the data and commonly, applies a sort of real assessment. In this assessment, more emphasis is laid on Quantitative assessment.

Research Design: The cutting-edge assessment game-plan becomes exploratory with inside the key degrees than with inside the wake of having the encounters into the problem it becomes affirmed and surveyed through obvious assessment. The form of obvious exam layout embraced the appraisal become affordable.

Sampling Design: In this examination, the event of the appraisal turned into from the start difficulty to purposive, comfort, and Judgment investigating. Nagpur modified into the important thing season of searching over the unit. The Judgments of respondents trusted the solace framework.

Location of the study: Nagpur and incorporate space of the appraisal.

Limitations of the study: The appraisal has been pushed with huge duty at the same time as retaining with inside the thoughts the accomplishment of beginning Development is considered as primary to have the second one. Authentic Design changed into executed to damage every piece of the appraisal. All affirmations were relied upon to Transport an orderly record to decrease the section of propensity to its maximum unimportant degree. The facts changed into amassed via extraordinarily near organized attempt and each attempt changed into made to assert consistency all. The confirmation of the dimensions changed into during defined and each reaction has been recorded fittingly.

Review of related literature: E-commerce is a tool for reducing administrative costs and time, aligning business processes, and fostering relationships between business partners and customers (Charles, 1998). The internet and electronic commerce were the two most significant developments in the nineties. A sizeable increase in the number of online consumers and an increase in worldwide sales has been observed. Acceptance of E-commerce and advancements in technology has boosted the E-commerce industry and has also resulted in some online (Blosch, 2000; Hamid&Kassim, 2004). Purchase intentions of customers are influenced by perception, motivation, learning, attitudes, and beliefs. The perception refers to what does the customer think of the information provided on the internet and consequently how is the decision affected. Motivation

is the driving force that influences the decision. Learning is something that is gained by the customer's own experience. Attitudes are reflected in factors that matter the most to the customer while & Beliefs reflect customer opinion post or during the experience (Kotler& Armstrong, 1997).

Data Analysis and Interpretation: This part presents the segment profile of respondents. The data for the appraisal has been accumulated from the 800 respondents of different spaces of Nagpur with the help of the audit made by the expert. The assessment has been done ward on some piece ascribes or factors like occupation, age, pay, tutoring, etc.

Association of Age and Online Shopping:

1. Ho (A): There is no relationship between age with online shopping..
2. H1 (A): There is A relationship between age with online shopping.

Age	Frequency	Percent	Cumulative Percent
18-30 Years	428	53.5	53.5
30-45 Years	345	43.1	96.6
Above 45 Years	27	3.4	100.0
Total System	800	100.0	

Test Statistics:

	Frequency	Age
Chi-Square	788.810	336.018
Df	**3**	**2**
Asymp. Sig	**.000**	**.000**

Interpretation: Age is one of the huge part factors that impact web shopping. In the current table, four age packs are considered in picking the impact on utilization of web shopping among Indian clients for instance less than 18 years of age, 18-30 years, 30-45 years of age, and more than 45 years. It is goliath (P<.05). As necessities are we reject the invalid theory Ho (A) and see the elective speculation H1 (A). Similarly, it is normal that age has an enormous relationship with online shopping. Out of the four age social gatherings, the best respondents I.E 53.5% respondents lie between 18-30 years and 42.9% lies in the age get-together of extended length. It is found that youngsters have the most raised data and lean towards more online shopping than the age bunch above years.

Association of Gender and Online Shopping:

1. Ho. (B): There is no gender heading of buyer who has a relationship with electronic shopping.
2. H1 (B): There is a gender heading of a buyer who has a relationship with electronic shopping.

Gender	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Male	400	49.5	50.0
Female	400	49.5	100.0

Test Statistics:

	Frequency	Age
Chi-Square	788.810	.000
Df	**3**	**1**
Asymp. Sig	**.000**	**.000**

Interpretation: Sex was connected with the assessment to find the partition among individuals and females concerning opinions towards electronic sopping. The table explained the value of Chi-square is .000 with 3 Degree of plausibility. It is insignificant (P>.05). Consequently, we see the invalid Hypothesis Ho (B) and reject the elective theory H1 (B). It is actuated that sexual course has no relationship with web shopping. The evaluation found that both individuals and females are showing interest in preferring web shopping. Gone are the days when females were not allowed to accomplish the work and take immense decisions in the family. Regardless, as of nowadays, the nuclear metropolitan families are mushrooming up and females' desire to be a working part is unfathomable. Because of the twofold spousal compensation, the purchasing power of females has been loosened up and they wish to see the value in the top tier progression. There has been a focal change in shopping plans the degree that repeats and the shopping cycle. Females will indeed go in for the inspiration purchase and buy considerably more from time to time. Rising working females have in like manner offered a lift to electronic shopping. As of nowadays, Females have confidence in the standard and duplicate others in web shopping. It is seen that now females are not homemakers, rather they are home supervisors. What's more, considering the making of delineation of nuclear metropolitan families and twofold spousal compensation, the work, and status of women are crucial in the extraordinary related to when, where, and how of procurement decisions. Hence, there has been a working solidification in astounding in the family. Investigating, the web shopping affiliations are offering to associate with offers and Developments to attract both the sexual approaches to buy the things on the web. The assessment is like manner found that as online 139 shopping is making arrangement among Indian purchasers, so the two people and Females do offer tendency to Electronic shopping in India.

Perception of Consumers Regarding the Online Buying Behaviour:

Perception Of Consumers	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Strongly Disagree	11	1.4	1.4
Disagree	107	13.4	14.8
Not Sure	72	9.0	23.8
Agree	488	61	84.8
Total	800	100.0	

Interpretation: The above table uncovers that 63.7 respondents agree that online shopping gives better quality things. The mean worth 3.4525 recommends that people see quality as one of the fundamental segments which empower them for electronic shopping. Online shopping is useful because of the critical worth availability of things. Diverse web shopping fights give the best, best things at savage expenses. The things passed on by the shopping protests are of in everyday standards and are guaranteed

to satisfy the necessities of the purchasers. There are certain online areas that have an astounding record of giving the best and changing things to buyers. The shopping objections like naaptol.com, fashionista.com are known for giving the choicest thing at a sensible expense. Shopping on the Web has become striking one can find the latest ventured things at the best expenses.

Respondents Response on Preference of Shopping Websites:

	Frequency	Percent	Cumulati -ve Percent
Amazon.Com	240	30	30.5
Flipkart.Com	138	17.3	47.3
Snapdeal.Com	41	5.1	52.4
Homeshop18.Com	235	29.4	81.8
Jabong.Com	3	0.4	82.2
Fashion And You.Com	98	12.3	94.5
Shopclues.Com	1	0.1	94.6
Indiashopping.Com	5	0.6	95.2
Others	39	4.9	100.0
Total	800	100.0	

Interpretation: The above table uncovers that 30% of respondents visited amazon. The clarification being amazon is the most coordinated web shopping webpage page and it is the general brand among areas offering electronic shopping. E-limits are the world's online money Manager's bunch interfacing with trade on a space, public and for the most part reason. With an alternate and intensely hot area for individuals and private endeavors, Amazon offers an online stage where innumerable things are traded each day. The Amazon trust and security pack are given to making Amazon an ensured and reliable spot to trade. The get-together makes 185 trusts locally through various edifying resources, rules and techniques, and trust-building programs, all of which help with staying aware of general business place security and baffle and fight pressure. The Amazon toolbar as of now joins "Record Guardian," a contraption that interfaces with people to get their record by showing when they are on a genuine Amazon page and frightened them when they are on a possibly beguiling (Spoof) site. The second most visited site is homeshop18 by 29.4% of respondents. Homeshop18 is the best E-following relationship in India giving shopping relationship on the web, Tv, and through insignificant. Homeshop18 will most likely be awesome by and large trusted in E-back giving an unrivaled stage to virtual shopping to Indians overall reliably homeshop18 shows up at 100 Million+ buyers and 20 Million+ Families in India and www.homeshop18.com is one of India's speediest making electronic business regions with more than 2.8+ multi-month to month visitors (Source: commodore Inc., April 2012) Homeshop18 tries to give incomprehensible things at astounding worth to purchasers through creative, restricted and specific retail experiences on web and Tv. The association has today emerged as the best blended-media retailer in India with a base of 5 Million+ happy and satisfied customers. The connection has a few regarded recognitions and has helped marquee brands like Samsung, Nokia, Godrej, Reebok, Dell, etc.

Respondents Response on Importance of Promotion in Online Shopping:

	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Not Important	71	8.9	8.9
Somewhat	147	18.4	27.3
Very Important	582	72.6	100.0
Total	800	100.0	

Interpretation: The table uncovers that 72.6% of respondents consider developments recognize an essential part in astonishing for web shopping. Online plans levels of progress attract the customers towards electronic shopping. So there are unmistakable shopping regions giving bound time offers like coupons, limits, cashback offers, cash down, free development, web notices, etc. To interface with the customers. A diverse area holds difficulties and sweepstakes to draw traffic and keep customers returning. difficulties require limits while sweepstakes join simply an unadulterated shot at drawing for the champs. These business progress practices make energy about brand and allure the purchaser the client to visit a shopping site.

Income And Promotion In Online Shopping And Income Cross Tabulation (see in last page)

Chi-Square Tests:

Pearson Chi-Square	Value91.058	DF6	Asymp. Sig. (2-Sided).000
Likelihood Ratio	93.027	6	.000
Linear-By-Linear Association	11.559	1	.000

Symmetric Measures:

		Value	Approx. Sig.
Nominal By Nominal	Contingency Coefficient	.320	.000

Interpretation: The above table uncovers that development recognizes a fundamental part in web shopping. The value of probability coefficient is .320 which depicts that there is relationship among pay and development. restricted time tries like combo packs, restricts furthermore draw the more basic compensation people. Other than in the table the respondents obtaining Rs. 25000-50000 Rupees competition to do electronic shopping if there is availability of novel plans onthe things.

Findings, Suggestions and Conclusions: The above table uncovers that development recognizes a fundamental part of web shopping. The value of the probability coefficient is .320 which depicts that there is a relationship between pay and development. restricted time tries like combo packs, restricts furthermore draw the more basic compensation people. Other than in the table the respondents obtained Rs. 25000-50000 Rupees

competition to do electronic shopping if there is the availability of novel plans on the things.

Findings ofthe Study: The shopper lead of Indian vendee is developing irrefutably. Internet searching has modified and affected our overall individuals considering everything. This utilization of progress has opened new entrances and openings that attract a genuinely obliging way today. At no matter purpose any spot, 24x7availability, variety, choice, openness, convenience, quick and higher affiliations, plans, offers and limits, a motivation for money are a phase of the elemental reasons in online shopping that wedged Indian purchasers to lean toward electronic shopping.

Electronic shopping is filling in Indian culture attributable to the distinction in gift day culture. At the end within the Indian culture, no male overwhelming propensity is found in the current evaluation. This is often a speedy consequence of care, twofold spousal compensation, and making a piece of feminines in the overall people. In Indian culture, a lot of young' whether or not it's Male or Female do maintain more internet searching than others. They don't stop quickly in setting in the deals of things through web shopping.

A lot of energetic do maintain more electronic shopping since they're making an attempt people and grasp the sport arrange of web shopping whereas the adulthood individuals are peril reluctant and love certified searching. Individual standing acknowledges an elementary half in shopping for conduct regarding obtaining of things through the online. The appraisal found that hot dogs and single inclination toward a lot of electronic shopping than married people since they are doing web finding out amuse simply and fulfillment. The part factors like age, pay, occupation, getting ready, and talent to use the web have a fundamental relationship with electronic shopping. There's a positive affiliation between occupations, preparing with web shopping. within and out that matters, all individuals contemplate web shopping. The unimaginable target in riding cyber web bounty components checking the items before buying. The clarification is the problems regarding the safety of the visas.

Conclusions: Shopping on the web is another experience, and from a general point of view, it has influenced customer presence in its short lead-up time. The reliable filling is expected for the coming years with the current levels of progress and appropriate in their buying behavior and has taken the relationship to another level and convinced distinctive to complete the fundamental redesigns and changes to present itself to the new market of trained buyers. The results of this structure represent the relationship requirements for the correct consideration of the online market. The evaluation resulted in a push view and a way to online shopping, even for those buyers who like standard shops. These customers are taken into account in the meetings of elderly and small people and the isolated shopping experience is worthwhile for social reasons, for example when living with colleagues. Customers have all the stores to be even smarter by collecting information on the internet and starting to get it from standard stores there. The rapid improvement in the web business has brought about a change in the retail sector as a whole. Techniques to generate interest despite different bottlenecks, through a growing network and greater advantages and reach individual sharper. Parts bought online, better for E-shops, stock trading, and exciting cutting centers, could give the impression of buying benefits. Consideration of online customer sub-profiles; gender, age, and mentoring have an important relationship to online shopping in India's current circumstances. Online customers see the advantages of E-shopping just as critically and satisfactorily as they are reluctant to use the internet for shopping.

Suggestions:

1. With so many devices and so many different screen sizes the companies need a design that will look great across all platforms. While their design may look wonderful on a large computer screen that same design might be clunky and hard to use on a cell phone screen. A responsive design will be beautiful and easy to use on all platforms.
2. The companies can give customers a perfect bundles that experts pick out is something that customers really enjoy. It gives them the perfect idea of what to buy. They also feel like they are saving time by having everything they want already packaged together.
3. The customers need to easily be able to find what they want. The search options should be obvious and well organized. The categories should lead to the discovery of new and great products that the customer may not have thought of.
4. Government should play a pivotal role in encouraging online shopping.
5. E-marketers must give a thought to secure, time saving, information about product and services factors when they design there online product strategy.
6. The study highlights that convenience, accessibility, scope, attraction, reliability, experience and clarity are the important factors considered by the online shopper.
7. Usage of internet includes the consumer's purchase of product as well as the consumer intention to secure for product related information while experiencing the new technology.
8. Banking should promote Debit card, Credit card facility in online shopping.

References:-

1. AmarCheema; PurushottamPapatla, "Relative importance of online versus offline information for internet purchases: the effect of product category and internet experience", Journal of Business Research, Vol. 17, Issue 4, Jan 2009, pp 32-35.

2. Chih-Chien Wang, Chun-An Chen &Jui-Chin Jiang," The Impact of Knowledge and Trust on E-Consumers Online Shopping Activities: An Empirical Study", Journal of Computers, Vol. 4, No. 1, Jan 2009, pp.11-18.
3. Ankur Kumar Rastogi, "A study of Indian online consumers and their buying behavior", International Research Journal, Vol. 1, Issue 10, 2010,pp.:80.
4. Feng Zhu and Xiaoquan (Michael) Zhang," Impact of Online Consumer Reviews on Sales: The Moderating Role of Product and Consumer Characteristics", Journal of Marketing, Vol., 74 Issue 2, 2010, pp. 133- 148.
5. Ashih Bhatt, "Consumers attitude towards online shopping in selected region of Gujarat",Journal of Marketing & Management,Vol.-02,No.-02, 2014.
6. Bigné-Alcañiz, E., Ruiz-Mafé, C., Aldás-Manzano, J. and Sanz-Blas, S, "Influence of online shopping information dependency and innovativeness on internet shopping adoption", Online Information Review, vol. 32, no. 5, 2008, pp. 648-667.
7. Bourlakis, M., Papagiannidis, S. and Fox, H, "E-consumer behaviour: Past, present and future trajectories of an evolving retail revolution", International Journal of E-Business Research, vol. 4, no. 3, 2008, pp.64-67, 69, 71-76.
8. Broekhuizen, T. and Huizingh, E, "Online purchase determinants: Is their effect moderated by direct experience?" Management Research News, vol. 32, no. 5, 2009, pp. 440-457.
9. Butler, P. and Peppard, J,"Consumer purchasing on the internet: Processes and prospects", European Management Journal, vol. 16, no. 5, 1998, pp.600-610.
10. Chen, R. and He, F, (2003), "Examination of brand knowledge, perceived risk and consumers' intention to adopt an online retailer", Total Quality Management & Business Excellence, vol. 14, no. 6, pp. 677.
11. Chirag Parmar, "A Comparative Study on Various Payment Options in Online Shopping", International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, vol. 3, Issue 4, 2015, pp. 2433-2436.
12. MingyaoHu, Elliot Rabinovich and HanpingHou, "Customers complaints in online shopping: the role of signal credibility", Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 16, No 2, 2014, pp. 95- 104.
13. Sanjeev Kumar and SavitaMaan, "Status and Scope of Online Shopping: An Interactive Analysis through Literature Review", International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, Vol. 2, Issue 12, December 2013, pp. 100-108.

Income And Promotion In Online Shopping And Income Cross Tabulation:

			Income				Total
			Below10,000	10,000-25,000	25,001 -50,000	50,001-1,00,000	
Promotion	Not Important	Count	25	6	37	3	71
		Expected Count	16.5	20.6	29.7	4.2	71.0
	Somewhat Important	Count	34	84	27	2	147
		Expected Count	34.2	42.6	61.6	8.6	147.0
	Very Important	Count	127	142	271	42	582
		Expected Count	135.2	168.6	244	34.2	582.0
Total		Count	186	232	335	47	800
		Expected Count	185.9	231.8	335.3	47.0	800.0

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

भारत के स्वाधीनता संग्राम में बुंदेलखण्ड की महिलाओं का योगदान

विमल चौधरी* डॉ. किरन दुवेदी पाठक**

* शोधार्थी, सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशक, सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन (म.प्र.) भारत

बुंदेलखण्ड की भौगोलिक स्थिति और विस्तार – बुंदेलखण्ड भारत के ठीक मध्य भाग में स्थित है महाभारत के युद्ध के समय बुंदेलखण्ड को चेदी का देश कहा जाता था बुंदेलखण्ड के नामकरण के पहले जैजाकभुक्ति के नाम से पुकारा जाता था जैजाकभुक्ति पर चंदेल वंश के शासको द्वारा शासन किया जाता था वैदिक काल से लेकर बुंदेलो के शासनकाल तक इस लम्बें समय में इस क्षेत्र में अनेक राजवंशो ने शासन किया और इस क्षेत्र अपनी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से प्रभावित किया बुंदेलखण्ड में प्राचीन समय में मौर्यो, शुंग, शक ,कुषाण, नाग ,गुप्त, कल्चुरी, चंदेल, अफगान ,मुगलों, बुंदेलो, गौंड, मराठों व अंग्रेजो ने शासन किया बुंदेलखण्ड में चंदेलों के बाद बुंदेलो ने शासन किया एक से 116वीं सदी में बुंदेलो का उत्कर्ष व शासन सभालने के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखण्ड पड़ा कुछ विद्वानो के अनुसार बुंदेलखण्ड में चंदेलो के पश्चात इस क्षेत्र पर काशी के गहरवार जाती के वंशजो ने अपना शासन जमाया यह अपने आप को काशी के गहरवार राजा वीरभद्र के पुत्र पंचम के वंशज मानते हैं आगे चलकर गहरवार जाती के राजाओं ने अपने नाम के आगे बुंदेला शब्द जोड़ा आगे चलकर इन्हीं नरेशो ने प्रभुत्व से प्रसारित होकर सम्पुर्ण क्षेत्र का नाम बुंदेलखण्ड हो गया

बुंदेलखण्ड भौगोलिक विस्तार – भारत के मध्य में स्थित बुंदेलखण्ड को भौगोलिक भाषाई व सांस्कृतिक सीमाएं उत्तर में यमुना, दक्षिण में नर्मदा और पश्चिम उत्तर में चंबल और पूर्वोत्तर में टोंस नदियों द्वारा निर्धारित होती है बुंदेलखण्ड का विस्तार म. प्र. के मध्यभाग और उत्तरी भाग तथा उ.प्र. के दक्षिणीं भाग में फैला हुआ है। बुंदेलखण्ड का विस्तार 24.6 उत्तरी अक्षांश से 26.23 उत्तरी अक्षांश तथा 77.51 पूर्वी देशान्तर से 86.0 पूर्वी देशान्तर के मध्य है। बुंदेलखण्ड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, जैतपुर, महोवा व काल्पी आते हैं। इसके साथ-साथ मध्यप्रदेश के जिले पन्ना, टीकमगढ, छतरपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, दतिया, भिण्ड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी व गुना जिले आते हैं।

बुंदेलखण्ड का अधिकतर क्षेत्र पहाडी भूमि है। जल की अधिकतम 60 से 100 सेमी वर्षा प्राप्त होती है। बुंदेलखण्ड की प्रमुख फसल तिलहन है। यहां की प्रमुख नदियां यमुना, केन वेतवा, चम्बल, काली सिंध, टोंस है यहां पर घने वनों का विस्तार पाया जाता है वनों में प्रमुख रूप से सागौन, शीशम, आम, महुआ व अन्य घने वनों का विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 150 मीटर से लेकर 400 मीटर तक है इसमें बुंदेलखण्ड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है बुंदेलखण्ड में मुख्य रूप से काली एवं पीली मिट्टी पायी जाती है यहां लाल एवं भूरी व ककरीली मिट्टी पायी जाती है साथ ही इसके उत्तर क्षेत्र में ढोमट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यहां की जलवायु समशीतोष्ण है जिसके कारण गर्मियों में अधिक गर्मी व सर्दियों में अधिक सर्दी लगती है। बुंदेलखण्ड के प्रमुख खनिज संसाधन चूना पत्थर हीरा व मैंग्नीज है चूना पत्थर की उपलबधता के कारण इस क्षेत्र में सीमेण्ट उद्योग प्रमुख है।बुंदेलखण्ड के मूलनिवासी सामान्यत: कृषि कार्यो में संलग्न हैं।

पृष्ठभूमि– भारत के स्वाधीनता के आंदोलन में बुंदेलखण्ड की महिलाओं ने बढ-चढकर हिस्सा लिया था। जिनके उत्साह व साहस वीरगाथा आज भी बुंदेलखण्ड व भारत के जन-जन को सुनायी जाती है बुंदेलखण्ड की भूमि पर हमेशा से अनेक वीरांगनाएं होती आईं हैं जिनमें झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, झलकारी बाई, रामगढ़ की रानी अवन्ती बाई व इनकी सहायिका गिरधारी बाई और अनेक वीरांगनाए जन्मी व अपने साहस से बुंदेलखण्ड को गौरान्वित किया। सांची की बुंदेलखण्ड की महिलाओं ने चाहें 1842 बुंदेला विद्रोह हुआ हो या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 संग्राम और 19 वीं व 20 वीं शताब्दी में हुए असहयोग आंदोलन हो या भारत छोडों या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो बुंदेलखण्ड की महिलाओं ने हिस्सा लिया।

1857 का स्वतंत्रता संग्राम व झांसी की रानी लक्ष्मी बाई– बुंदेलखण्ड में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि 1857 से लगभग 15-20 वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ हो गई थी और धीरे-धीरे इस चिंगारी 1857 आते-आते भयंकर ज्वाला का स्वरूप धारण कर लिया था। डलहौजी की हडप नीति के अतंर्गत लार्ड अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। और इसी क्रम में झांसी के महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु का समाचार डलहौजी को मिला और वे झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनते ही आक्रामक नीति का अनुसरण किया और ये भारत मे ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और इसी क्रम में डलहौजी ने भारतीय रियासतों के दत्तक पुत्र गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जो भारत में प्राचीन काल से चली आ रही थी। डलहौजी को झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु और पुत्र गोद लेने की जानकारी जब डलहौजी को प्राप्त हुई और डलहौजी ने झांसी को अंग्रेजी शासन में मिलाने का निश्चय किया। अंग्रेजों ने झांसी को अपने साम्राज्य में मिला लिया और रानी को किला खाली करके शहर में रहना पड़ा झांसी की रानी लक्ष्मी बाई अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए अंग्रेजों को पत्राचार करती रहीं और अपना राज्य प्राप्त करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर

के सम्मुख अपना मुकदमा प्रस्तुत किया लेकिन मुकदमे का कोई लाभ नहीं मिला आगे चलकर हडप नीति के अंतर्गत कई देशी राज्यों को हडप लिया। 1856 में अचानक अंग्रेजी साम्राज्य के अवध को मिला लिया इससे अन्या राज्यों के मन में भी यह वातावाण व्याप्त होने लगा इसी कडी में भारत की स्वतंत्रता को लेकर जो रोजाना योजना बनाई जा रहीं थी अनेक देशी रियासतों से इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने को कहा गया था अवध के विलय के बाद धीरे-धीरे देशी रियासतों की क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु योगदान देने का वचन दिया।

बुंदेलखण्ड में 1857 क्रांति का प्रारंभ– बुंदेलखण्ड में 1857 क्रांति का प्रारंभ दक्षिण बुंदेलखण्ड से प्रारंभ हुआ बुंदेलखण्ड में क्रांति का आरंभ राजा मर्दन सिंह ने खुरई पर अधिकार कर लिया और चंदेरी की ओर बढे मर्दन सिंह व झांसी की रानी के बीच कई पत्राचार हुए थे मर्दन सिंह ने झांसी की रानी को युद्ध में सहायता देने का वचन दिया था साथ ही वह शाहगढ़ के राजा वख्तवली ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ कर दिया था राजा मर्दन सिंह व वख्तवली ने एक-दूसरे की सहायता करने का वचन दिया था और दोनों ने अंग्रेजों से युद्ध किया।

झांसी की रानी का अंग्रेजों से युद्ध– झांसी की रानी अंग्रेजों से युद्ध नहीं करना चाहती थी लेकिन अंग्रेजों ने महारानी के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा झांसी की रानी ने अंग्रेजों से युद्ध प्रारंभ कर दिया झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध 23 मार्च 1858 को प्रारंभ हुआ और यह युद्ध 18 दिन तक चला और झांसी की हार भांपते हुए रानी ने नाना साहब से सहायता मांगी नाना साहब ने तात्या टोपे को झांसी की ओर भेजा लेकिन तात्या की सेना युद्ध के लिए ना मिलने के कारण तात्या की हार हुई इस परिस्थितियों को देखकर रानी ने अकेले ही मोर्चा संभाला। किले पर कब्जा होते देख रानी ने किले को छोड दिया और 3 अप्रैल 1858 को झांसी से प्रस्थान किया और काल्पी की ओर चली गयीं। जब ह्यरोज को खबर मिली कि क्रांतिकारियों का जमावडा काल्पी में तो वह काल्पी की ओर चले गए और ह्यरोज ने काल्पी पर आक्रमण किया जहां पर लक्ष्मी बाई ने एक सैनिक टुकडी का नेतृत्व किया व सेना का धैर्य बांधा काल्पी में क्रांतिकारियों की सेना को पीछे हटना पडा और क्रांतिकारी ग्वालियर की ओर बढे ग्वालियर में जीवाजी राव सिंधिया अंग्रेजों वास्तविक रेजिडेंट थे लेकिन ग्वालियर की सेना ने महारानी लक्ष्मी बाई का साथ देने का निश्चय किया और मुरार के निकट सिंधिया की सेना हार हुई ह्यरोज को ग्वालियर की हार सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और ह्यरोज ने मुरार पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया व ग्वालियर की ओर बढा और रानी लक्ष्मी बाई ने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लडती रहीं व अंत में अपने सम्मान की रक्षा हेतु खुद युद्ध से निकल गयीं और 18 जून 1858 को मृत्यु हो गयी। रानी के अदम्य साहस व गौरवगाथाएं आज भी बुंदेलखण्ड के बच्चों-बच्चों के जुवां पर रहतीं है।

महान वीरांगना अवंतीबाई– 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम में रामगढ की रानी अवंतीबाई के साहस को हम भूल नहीं सकते और रानी अवंतीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है रायगढ मध्यप्रदेश की छोटी सी रियासत थी जो कि वर्तमान में मण्डला जिले की पहाडियों के मध्य स्थित थी जहां गढा मण्डला के आधीन प्राचीन राजपूत सामंत शासन करते थे गढा मण्डला के अंतिम राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बाद उनकी एकमात्र पुत्र विक्रमजीत सिंह ने क्रातिकारियों का नेतृत्व करते थे।

रानी अवंतीबाई का जन्म 1831 में जुझार सिंह के यहां हुआ था रानी अवंतीबाई बचपन से ही वरछी कृपाण और ढाल से खेला करती थीं। रानी अवंतीबाई का विवाह विक्रमजीत से हुआ विक्रमजीत का अस्वस्थता के कारण रानी ही शासन-प्रशासन देखती थीं। गढा मण्डला का राज्य भी डलहौजी की हडप नीति का शिकार हुआ आगे चलकर रानी ने अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और यह युद्ध की तैयारी करनी लगीं और रानी ने कहा वह जीते जी सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगीं इसी बात को देखते हुए 1858 को ब्रिटिश सेना ने रामगढ के किले को घेर लिया और रानी को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया लेकिन रानी ने किले से बाहर निकल कर अंग्रेजों से युद्ध करने लगीं वे स्वयं युद्ध का नेतृत्व कर रहीं थी अंग्रेज भी रानी के साथ व युद्ध क्षमता देखकर दंग रह गए। रानी ने कई मोर्चो में अंग्रेजों को शिकस्त दी अंग्रेजी सेना ने रानी को चारों तरफ से घेर लिया तब भी रानी ने साहस नहीं छोडा लेकिन युद्ध में अचानक रानी के एक हाथ में गोली लगने से उनके हाथ से बंदुक छूटकर गिर गई और अपने सम्मान हेतु रानी ने अपने पेट में तलवार मारकर वीरगति को प्राप्त हो गयीं रानी के अदम्य साहस की गाथा आज भी जन-जन को सुनाई जाती है।

जैतपुर की रानी – जैतपुर बुंदेलखण्ड की एक छोटी सी रियासत थी जैतपुर के राजा पारीक्षित थे जो अंग्रेजों को अपने यहां से उखाड फैंकना चाहते थे और राजा पारीक्षित ने ही 1842 में बुंदेला बिद्रोह के कर्णधार व करता-धरता व प्रमुख नेतृत्व करते थे अपने लोगों के धोखे के कारण 1842 में बुंदेला विद्रोह तो सफल नहीं हो सका और राजापारीक्षित ने विद्रोह को जारी रखते हुए जैतपुर छोड दिया व अंग्रेजों ने जैतपुर पर अधिकार कर लिया और इसी दुख में राजा पारीक्षित की मृत्यु हो गई।

जैतपुर के अपदस्त राजा पारीक्षित की रानी ने अपने राज्य को प्राप्त करने हेतु अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांति का रास्ता अपनाया और आगे चलकर 1857 की क्रांति में रानी ने अपनी अहम् भूमिका निभाई और जैतपुर से विद्रोह किया लेकिन अंग्रेजों की ओर से चरखारी रियासत की फौज ने अंग्रेज की ओर से रानी को कैद कर लिया। गढ कुढार के दुर्ग में रानी को अंग्रेजों ने कैद कर के रखा।

झलकारी बाई– झलकारी बाई जन्म 1830 में हुआ था झलकारी बाई बचपन से ही वीर व लडाकू थी अपने पिता से वीरों की कहानियां सुनकर वे निडर हो गयीं थी झलकारी बाई देखने में रानी लक्ष्मीबाई की तरह थीं रानी ने झलकारी बाई को देखकर अपने आस-पास अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा रानी ने स्त्रियों की एक विशाल सेना बनाई और झलकारी बाई को उसमें प्रमुख स्थान दिया झलकारी बाई रानी के साथ हर मोर्चे में युद्ध में अपना अदम्य साहस दिखाया और रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी छोडकर काल्पी की ओर बढी तो झलकारी बाई ने रानी की तरह भेष-भूषा बनाकर अंग्रेजों से लोहा बनाती रहीं।

वीरांगना वीरानयनी – वीरांगना वीरानयनी विजया राधोगढ में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया जब अंग्रेजों रोधोगढ के किले को चारों ओर से घेर लिया तब स्त्रियों ने किले के फाटक बंद कर लिए थे वीरानयनी ने संपूर्ण किले में घूम-घूम कर सभी में उत्साह भरा दुर्भाग्य से तोप को एक गोला रानी पर गिरा जिससे रानी वीरगति को प्राप्त हो गयीं।

वीरांगना ताईबाई – वीरांगना ताईबाई ने 1857 जालौन उत्तरप्रदेश से 1857 की क्रांति के समय लगभग सात माह में जालौन को स्वतंत्र कराया व स्वतंत्र क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की व उसके प्रमुख रूप में कार्य किया क्रांतिकारी सरकार की स्थापना के साथ वीरांगना ताईबाई ने अनेक

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

क्रांतिकारियों जिनमें राव साहब ने व तात्या टोपे प्रमुख हैं धन एवं बल से अपना पूरा सहयोग किया वीरांगना ताईबाई जालौन के मराठा राजवंश से संबंध रखती थीं। जालौन के मराठा राज्य के संस्थापक गोविंद पंत बल्लाल खैर थे और ताईबाई जालौन के साथ-साथ गोविंद पंत की नातिन थी। जालौन राज्य में भी उत्तराधिकारी बनने का प्रश्न आया और अंग्रेजों ने केशव राय को गोद लेने पर अंग्रेजों ने स्टे लगा दी व अंग्रेजी शासन ने जालौन का विलय अंग्रेजी शासन में कर लिया ताईबाई की दोबेदारी को भी अंग्रेजी शासन ने नकार दिया ताईबाई को जब अंग्रेजों के इस अन्याय पूर्ण कार्यों की जानकारी लगी तो ताईबाई के हृदय में अंग्रेजों के प्रति घृणा और असंतोष की आग भडक उठी और 1857 की क्रांति में ज्वाला के रूप में प्रकट हुई ताईबाई संसाधन जुटाकर 1858 तक अंग्रेजों का विरोध करती रहीं व तात्य टोपे को अपना सहयोग देती रहीं। 10 मई 1858 को उरई में अंग्रेजों की ओर से नए डिप्टी कमीश्नर टरनन के समक्ष अपने सहयोगियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया आत्मसमर्पण करने के बाद ताईबाई व उनके सहयोगियों जिनमें नारायाण राव गोविंद राव विश्वास राव व गोपाल राव को अंग्रेजों के विरूद्ध क्रांति को प्रोत्साहन देने व क्रांति में भाग लेने व अंग्रेजी शासन के विद्रोह करने के आरोप में राजद्रोह का मुकदमा लगाकर सभी को आजीवन कारावास का दण्ड दिया व रानी ताईबाई व उनके सहयोगियों को मुंगेर निर्बासित कर दिया गया और निर्बासित जीवन में ही महान वीरांगना की मृत्यु हो गई।

ताईबाई के योगदान व साहस को भुला जा चुका है और जिसे हमें आज याद करने की आवश्यकता है और ताईबाई ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया और देश की आजादी के लिए अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों का विरोध किया।

सभी वर्णित वीरांगनाओं के योगदान को भारतवर्ष भुला चुका है किस प्रकार इन वीरांगनाओं ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और से अंग्रेजी शासन को निकलाने हेतु अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया और देश के लिए सब कुछ त्याग कर दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. भवानीदीन शाहजहां पुर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान 1992।
2. विपिन चंद्र, अमलेश त्रिपाठी 'स्वतंत्रता संग्राम' नेशनल बुक, डिपो दिल्ली।
3. पं. जवाहर लाल नेहरू 'विश्व इतिहास की झलक' द्वितीय खण्ड नई दिल्ली, राजधानी ग्रन्थाकार 1987।
4. सुधीर सक्सेना, 'मध्यप्रदेश में आजादी की लडाई और आदिवासी।'
5. डॉ. ईश्वरी प्रसाद, 'अर्शचीन भारत का इतिहास' इण्डियन।
6. ताप्ती राय, 'पोलिटिक्स ऑफ ए पॉपुलर राइजिंग बुंदेलखण्ड इन 1857'।
7. डॉ. वृंदावनलाल वर्मा, 'झांसी की रानी', झांसी 1979 ।
8. डॉ. भरत मिश्र, '1857 की क्रांति और उसके प्रमुख क्रांतिकारी गाथा पब्लिकेशन' अंशारी रोड दरियागंज।
9. सर सुंदरलाल, 'भारत में अंग्रेजी राज्य' सूचना और प्रसार मंत्रालय भारत सरकार।
10. भगवानदास श्रीवास्तव, 'दियान देश पंत बुंदेला बुदेलखण्ड महान क्रांतिकारी'।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

भारत में यूनिकॉर्न एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. प्रवीण शर्मा *

* प्राध्यापक (वाणिज्य) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – शनैः शनैः स्टार्टअप व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने की ओर अग्रसर है। युवा शक्ति इसके माधयम से नवीन कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। परिणामस्वरूप देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप (7770 करोड़ डॉलर का वैल्यूएशन हासिल कर) की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है एवं विश्व का हर 10वाँ यूनिकॉर्न भारत में आकार ले रहा है। उनकी संख्या के मान से भारत अमेरिका एवं चीन के बाद विष्व में तीसरे स्थान पर है। बेंगलुरु के नियोबैंक प्लेटफार्म ओपन को भारत के 100 वें यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया। परिणामस्वरूप देश के सभी यूनिकॉर्नो का कुल मूल्यांकन 332.7 अरब डालर तक पहुंच गया है।

प्रस्तुत शोध भारत की अर्थव्यवस्था में यूनिकॉर्न की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया गया है। इस शोध को द्वितीयक समंको, सूचनाओं एवं प्रकाशित सामग्री की सहायता से सम्पन्न किया गया है। प्रस्तुत शोध के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए है :

1. भारत में यूनिकॉर्न की स्थिति का विश्लेषण करना।
2. यूनिकॉर्न के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का ऑकलन करना।
3. यूनिकॉर्न के भविष्य को ज्ञात करना।

परिकल्पनाएँ – परिकल्पनाएँ शोध हेतु क्षेत्र निर्धारण एवं मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करती है। इनसे शोध के विश्लेषण पश्चात् निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। प्रस्तुत शोध की निम्नांकित परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई है :–

1. भारत में स्टार्टअप व्यवसायों का विस्तार हो रहा है।
2. भारत में स्टार्टअप व्यवसाय के विस्तार के कारण यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ रही है।
3. बढ़ते हुए यूनिकॉर्न के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय स्टार्टअप का भविष्य उज्जवल हो रहा है।

स्टार्टअप्स एवं यूनिकॉर्न – यूनिकॉर्न एक ऐसा शब्द है जो निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप का वर्णन करता है, जिसका मूल्यांकन 1 बिलियन डॉलर से अधिक है इस शब्द का उद्गम पूंजी निवेशक काउबाय वेंचर्स के फाउण्डर एलीन ली द्वारा 2013 में दुर्लभ तकनीकी स्टार्टअप का वर्णन करने के लिए पेश किया गया था जिसकी कीमत 1 मिलियन डालर से अधिक थी। यूनिकॉर्न कंपनियों में 62% ही ऐसी है जो बिजनेस टू कंज्यूमर (B2C) कंपनियां है। जिनका प्रमुख उद्देश्य अपने ग्राहकों को किफायती दाम पर आसानी से उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं को उपलब्ध करवाकर उनके दैनंदिनी जीवन का हिस्सा बनना है। इसका व्यवसाय सामान्यतया उच्च तकनीकी पर आधारित होता है। इनके बाजार में प्रवेश करते ही बाजार में उथल–पुथल शुरू हो जाती है। जैसे स्विगी या जोमैटो ने खानपान के क्षेत्र में किया। ओला व उबर ने परिवहन के क्षेत्र में यह अपने उत्पाद को लगातार नवीनतम करते हैं जिससे इन्हें प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की क्षमता मिलती रहती है। यह अपने तरीकों में परिवर्तन नहीं करती वरन ग्राहकों के मध्य धीरे–धारे मांग पैदा करती रहती है।

भारत में यूनिकॉर्न की प्रगति को तालिका क्रमांक 1 में दर्शाया गया है :–

तालिका क्र. 1: भारत में यूनिकॉर्न की प्रगति (2011 से 2021)

वर्ष	**यूनिकॉर्न की संख्या**	**%परिवर्तन (पूर्व वर्ष की तुलना में)**
2011	1	100%
2012	1	100%
2013	1	100%
2014	2	200%
2015	3	50%
2016	4	33%
2017	1	25%
2018	8	700%
2019	9	12.5%
2020	11	22.22%
2021	44	300%
2022(प्रथम तिमाही)	15	34.09%
योग	100	

(स्त्रोत – आयरन पिलर फण्ड डाक्यूमेंट की रिपोर्ट)

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2018 में यूनिकॉर्न की संख्या में 700% की वृद्धि दर्ज हुई जबकि वर्ष 2019 में सबसे कम 12.5% वृद्धि भी हुई। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2021 में सर्वाधिक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने लेकिन वर्ष 2011 से वर्ष 2022 तक निरंतर स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न बनते रहें। कोरोना के बावजूद स्टार्टअप का युनिकॉर्न में परिवर्तन होना भारतीय युवाओं की प्रतिभा को दर्शाता है।

वेंचर कैपिटल एक प्रकार का वित्त प्रदान करने का एक स्वरूप है जिसके अंतर्गत विनियोगकर्ता मुख्य रूप से विनियोगकर्ता बैंक व संस्थान ऐसी स्टार्टअप कंपनी में छोटे कारोबारियों को फंड उपलब्ध कराते हैं जिनमें दीर्घकालीन विकास की संभावना है।

स्टार्टअप एक प्रकार की नई कंपनी होती है जिसमें कुछ व्यक्तिनए कारोबारी नए आईडिया पर मिलकर काम करते हैं जिसके परिणामस्वरूप

ग्राहकों को एक नवीनतम उत्पाद या सेवा दी जाती है। भारत में ओला, उबर, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न,पॉलिसी बाजार डॉट कॉम, नायका, स्विगी, मेकमाय ट्रिप डॉट कॉम, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे आदि स्टार्टअप की श्रेणी में आते हैं।

भारत में यूनिकॉर्न की स्थिति – भारत में यूनिकॉर्न का भविष्य उज्जवल है। वित्त वर्ष 2016-17 से जहाँ हर वर्ष एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहा था। वहीं दूसरी ओर विगत 4 वर्षों में 2017-18 वित्त वर्ष के बाद से यूनिकॉर्न की संख्या में तेजी से वृद्धि रही है। जो सालाना 66% की वृद्धि हो रही है।**पीडब्ल्यू सी इंडिया** की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 73 स्टार्टअप सूनिकॉर्न (Sunicorn) है जो कि 2022 में यूनिकॉर्न बन सकते हैं।सूनिकॉर्न का अर्थ हैजो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने की कतार में है।

आयरन पिलर इन्वेस्टमेंट फंड की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक देश में यूनिकॉर्न की संख्या 250 तक पहुंच सकती है भारत में यूनिकॉर्न का मूल्यांकन भीउनकी संख्या बढ़ने के साथ-साथ बढ़ा है। जिसे तालिका क्रमांक 2 में दर्शाया गया है :-

तालिका क्र. 02 भारत में यूनिकॉर्न के मूल्यांकन की प्रगति (अरब डॉलर में)

वर्ष	**यूनिकॉर्न का मूल्यांकन**	**परिवर्तन(अरब डालर में)**	**% परिवर्तन (पूर्व वर्ष की तुलना में)**
2011	1	-	-
2016	61	60	-
2019	251	190	316%
2020	302	51	16.31%
2021	333	32	9.61%
2022	354	21	6.31%

(स्रोत – आयरन पिलर फण्ड डाक्यूमेंट की रिपोर्ट)

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि:

1. 2011 से 2022 तक के दशक में, वर्ष 2022 में देश में यूनिकॉर्न का मूल्यांकन सर्वाधिक 354 अरब डॉलर का था।
2. जबकि वर्ष 2011 में यह मात्रा 1 अरब डॉलर ही था। पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि 190 अरब डॉलर वर्ष 2019 में हुई है। यद्यपि वर्ष 2019 के यूनिकॉर्न के मूल्यांकन की प्रगति में गिरवट निरन्तर रही है। यह कोरोना काल की पाबंदियों के कारण होना प्रतीत होता है।

मई 2022 तक भारत विश्व में स्टार्टअप्स के मान से **तीसरे देश** के रूप में उभर कर सामने आया है जबकि इसके 647 जिलों में 69000 DPIIT के स्टार्टअप के रूप में पहचाने गए।**गुणवत्ता के मान से भारत द्वितीय स्थान पर रहा एवं वैज्ञानिक प्रकाशनों एवं विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्ता में मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोत्तम स्थान पर रहा है।** भारत में स्टार्टअप कुछ निश्चित क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहे हैं। देश में स्टार्टअप लगभग 56 क्षेत्रों के उद्योगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं यथा 13% प्रौद्योगिकी सेवाओं 9%, स्वास्थ्य एवं जीव जीव विज्ञान 7%, शिक्षा 5%, व्यवसायिक एवं वाणिज्य क्षेत्र 5%, कृषि व 5% खाद्य एवं पेय पदार्थ के क्षेत्र में कार्यरत हैं। विगत 6 वर्षों में (2015-2021) भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। जो क्रमश:

1. निवेश के मान से 9 गुना
2. फण्डिंग के मान से 7 गुना
3. इन्क्युबेटर की संख्या के मान से 7 गुना वृद्धि हुई है।

भारतीय यूनिकॉर्नवर्तमान समय में अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से संचालित कर रहे हैं।

Work from home के कारण महामारी के समय में डिजिटल व्यवसाय में बाढ़ आ गई परिणामस्वरूप एक बड़ी संख्या में स्टार्टअप यूनिकॉर्न में परिवर्तित हो गए। मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम, बड़ी संख्या में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या का आधार एवं डिजिटल आधारित व्यवसायों के मॉडल ने भारतीय स्टार्टअप्स की ओर निवेशकों को आकर्षित किया।

वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम अब यूनिकॉर्न से परे नए स्टार्टअप प्रबंधान डेकाकार्न के युग में प्रवेश कर रहा है। एक डेकाकार्न स्टार्टअप वह कंपनी है जिसका मूल्यांकन 10 बिलियन से ज्यादा है।

मई 2022 तक 45 कंपनियों ने विश्व में डेकाकार्न का स्तर हासिल किया है। भारत में चार कंपनियां क्रमश: फ्लिपकार्ट, बायजूस, नायका एवं स्विगीडेकाकार्न के समूह में शामिल हो गई है जो गौरव की बात है। यूनिकॉर्न (100 करोड़ डालर मूल्यांकन) से डेकाकार्न (1000 करोड़ डालर का मूल्यांकन)डेकाकार्न से हेक्टोकार्न(10000 हजार करोड़ डालर का मूल्यांकन)विश्व की केवल दो कंपनियां क्रमश: बाइटडांस (टिक-टॉक की पेटेंट कंपनी) O List, DI है।

भारत के यूनिकॉर्न एवं लाभदायकता – यूनिकॉर्न के लिए लाभदायकता एक चुनौती है। भारत में वर्तमान में यूनिकॉर्न की वृद्धि दर बहुत अच्छी है किंतु इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप का वित्तीय प्रदर्शन संदेहात्मक है। विशेष रूप से लाभदायकता की दृष्टि से **एक्सट्रेकर डाटा ट्रैकिंग प्लेटफार्म फिन्ट्रेकर** के अनुसार भारत के 100 यूनिकॉर्न में से केवल 18 लाभप्रद स्थिति में है। 57 गहन हानिमें हैं शेष 25 ऐसे है जो मुख्य रूप से अमेरिका व सिंगापुर में पंजीकृत हैं जिन्होंने अपनी आय लाभ या हानि को प्रकाशित नहीं किया है।

डाटा एनालिटिक्स कंपनी **ट्रेक्सन टेक्नोलासिस** के अनुसार ऐसे कई यूनिकार्न है जिनके मूल्यांकन को लेकर भरोसा है और उम्मीद है कि वह भविष्य में लाभदायकता/आय के मामले में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

चुनौतियां– भारत का वर्ष 2021 का सूचना प्रौद्योगिकी का राजस्व 194 बिलियन रहा है। भारतीय स्कंध बाजार यूनिकॉर्न कंपनियों से अत्यधिक त्याग की अपेक्षा रखता है जबकि वे अपनी अधिकांश पूंजी खफा चुकी होती हैं। हाल ही में Paytm के IPO में गिरावट सहायक नहीं रही है जिसकी बाजार पूंजी 19 बिलियन डालर से 4.6 बिलियन डालर रह गई हैं वह भी 1 वर्ष में।भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप के समक्ष निम्नांकित चुनौतियां हैं:-

1. विनियोगकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी मुकदमा बाजी होना।
2. मीडिया का यूनिकॉर्न के प्रति नकारात्मक व विवादास्पद रवैया।
3. इंजीनियर्स ग्रेजुएट की बहुतायत में उपलब्धि है तो दूसरी ओर उनकी गुणवत्ता में गिरावट है।
4. इंजीनियर्स की नौकरियों से बहुतायता से इस्तीफा देने की प्रवृत्ति।
5. एक ओर वेतन में वृद्धि की इच्छा की जा रही है तो दूसरी ओर इंजीनियर्स की सेवाओं में गिरावट आ रही है।
6. भारतीय पूंजी बाजार अत्यधिक गहरा है जिससे यूनिकॉर्न के आईपीओ में मदद नहीं मिल पाती है।
7. योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति में बाधा।
8. प्रशिक्षण व ठहराव का अभाव।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

9. वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता का अभाव।
10. आर्थिक संसाधनों की अपर्याप्तता शोध व अनुसंधान सुविधाओं की कमी।
11. ग्राहक अनुसंधान की ओर कम सुझाव तथा उन्नत तकनीकों व प्रविधियों का कम उपयोग।
12. उत्पादन लागत नियंत्रित करने की समस्या चुनौती।

परिकल्पनाओं कसौटी- यद्यपि यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लाभप्रदता पर अभी प्रश्नवाचक चिह्न है। तथापि भारत में इसके बावजूद स्टार्टअप व्यवसाय तेजी से स्थापित हो रहे हैं एवं यूनिकॉर्न में परिवर्तित हो रहे है। इस संदर्भ उल्लेखनीय है कि विगत दो दशकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाखों डालर्स का बहुआयामी सहयोग प्रदान करने वाली स्टार्टअप कम्पनियों द्वारा अनेकानेक प्रकार से रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे है। इसमें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की सक्रियता विशेष रूप से वर्णन करने योग्य है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नई स्टार्टअप नीति (स्टॅार्ट अप इंडिया योजना 2018) लाई गई है ताकि लगातार स्टार्टअप की संख्या बढ़ती रहे और ऐसा हो भी रहा है। भारतीय स्टार्टअप विदेशों में भी अपने पैर फैला रहे हैं और फंडिंग प्राप्त करने में सफल होकर यूनिकॉर्न में परिवर्तित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप भारत में यूनिकॉर्न का भविष्य उज्जवल है। शोधार्थी की तीनों परिकल्पनाऐं अनुकूल सिद्ध हुई है।

सुझाव:

1. विनियोगकर्ताओं को कानूनी पेचिदगियों व मुकदमे बाजी से बचना चाहिए अर्थात कानून सरल सहज होने चाहिए।
2. भारतीय मीडिया को सकारात्मक खबरों से यूनिकॉर्न का स्वागत करना चाहिए।
3. भारत को इंजीनियर्स की गुणवत्ता में सुधार के उपाय करना चाहिए।
4. इंजीनियर्स को स्विच ओवर (कंपनी बदलने) की प्रवृत्ति से बचना चाहिए।
5. पूंजी बाजार को यूनिकॉर्न के प्रति विश्वास व्यक्त करना चाहिए।
6. यूनिकॉर्न/स्टार्टअप्स को प्रारम्भिक असफलताओं से विचलित न होकर अंतिम लक्ष्य प्राप्ति तक अडिग रहना चाहिए।
7. ऐसे उत्पाद व सेवाएँ जिनमें हमेशा विकास की संभावनाएँ होती है, उन्हे ही स्टार्टअप्स के लिए चुनना चाहिए।
8. लागत को कम रखने के लिए लगातार शोध व अनुसंधान करते रहना चाहिए।
9. शासन द्वारा संचालित योजनाओं व कोषों का ईमानदारी एवं निष्ठा से फायदा उठाना चाहिए।
10. उत्पाद प्रस्तुत करते समय वैश्विक मापदण्डों व अन्तर्राष्ट्रीय विपणन अवसरों को ध्यान में रखना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. The Indian Unicorn story its rise and challengers ahead.
2. दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 22 मई 2022
3. आयरन पिलर इन्वेस्टमेंट फण्ड एण्ड डाक्यूमेंट की रिपोर्ट - 2022
4. डब्ल्यू.वी.सी. इंडिया की रिपोर्ट - 2022
5. एक्सट्रेकर डाटा प्लेटफार्म फ्रिन्टकर की रिपोर्ट 2021-22
6. ट्रक्सन टेक्नॉलोजीस की रिपोर्ट 2021-22

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Corporate Social Reporting : Approachable Concept for Accounting and Accountants

Shuchi Gupta* Dr. Deepak Gupta**

*Research Scholar (JNIBM), Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA
** Professor and Dean (JNIBM),Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract - Every business plays a critical role in sustainable development of the societies, countries and the world. The role of business is increasingly important for sustainable growth economically, socially and environmentally. In earlier decades, leading and socially conscious Corporate used to mention their CSR initiatives as a part of their annual reports, on a voluntary basis, pertaining to corporate philanthropic activities mostly unrelated to their core business. With the emphasis on Triple Bottom Line reporting, corporate realised the need for the development of management information systems and reporting practices to assist them in their pursuit of sustainability. India is the first country in the world that required mandatory CSR investments (most of the developed countries require mandatory reporting but not investments) The Companies Act 2013 also requires mandatory CSR reporting. The corporate India is governed by a number of Statutory Regulations which contain detailed provisions regarding Corporate Social Reporting. It may however be emphasized that the provisions on Corporate Social Reporting forms the part of detailed provisions under the relevant statue / law and not separately provided for as Social Reporting statues .One has to look into various statues to find the provisions covering the items on social aspects and its reporting there to. CSR Accounting can be viewed as acknowledging, assuming responsibility for and being transparent about the impacts of an organization's policies, decisions, actions, products and associated performance.
Keywords- Corporate Social Reporting, CSR Accounting, Sustainable Development.

Introduction - As per stakeholder theory, CSR reporting can be used as a key and strategic tool for engaging with stakeholders. CSR reports can act as a central charter for public relations, for communication and creation of mutual understanding and for managing potential conflicts. Apart from this, following are some major benefits of CSR reporting. As per legitimacy theory, CSR reports can help corporate achieve legitimacy through the fulfilment of their social responsibility. The legitimacy theory explains that when corporate management responds to the expectations of the community, governments and other stakeholders, the corporate gains more legitimacy, trust and a social license to operate. The concept of sustainable development requires companies to "meet the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs." This definition implies that the companies should aim for sustainable growth which requires complete evaluation of its supply chain in terms of the impact it makes on economic social and environmental front. Sustainable growth and profitability without sacrificing the future growth potential and without impacting social environment which would be endangered by short term profit motives.

These CSR reporting may take the form of printed reports, brochures, leaflets, slides, presentations, podcasts or video clips etc, using either some standard formats or through tailor made formats meant for respective stakeholders, which may be provided online in readable or downloadable forms. Organizations that aim for active engagement of stakeholders may prefer ongoing an interactive communication as against one of annual printed reports.

According to the accounting research being conducted from time to time there are several frameworks and guiding principles available for establishing the sustainability/CSR programs that can form the basis for measurement and evaluation, yet there is no universally accepted standards and matrices for measuring the sustainability oblique CSR progress. Different companies follow different measures for monitoring and measuring CSR programs. However, the reporting requirements for CSR programs under several standards, and legal compliance requirements, do mandate adoption of suitable measurement and reporting systems with relevant matrices.

Objectives:

1. How CSR reporting can help to create a culture of trust, transparency and accountability. Effective CSR reporting can improve the corporate brand image,

social reputation and can create corporate goodwill.

2. CSR reporting allows a company to measure and improve its CSR performance and forces companies to measure their CSR impact constantly.
3. CSR reporting can promote an internal audit of what the company does and why it is done.

Literature Review:

The corporate India is governed by a number of Statutory Regulations which contain detailed provisions regarding Corporate Social Reporting. It may however be emphasized that the provisions on Corporate Social Reporting forms the part of detailed provisions under the relevant statue / law and not separately provided for as Social Reporting statues .One has to look into various statues to find the provisions covering the items on social aspects and its reporting there to. The Corporate India is broadly governed by the accounting requirements of reporting as provided in the Companies Act,1956 .However under the Income Tax Act,1961, there are a number of provisions which provides certain concessions and exemptions to the corporate Indian entity on fulfilling certain social responsibilities. Thus one has also to look into the provisions under the Income Tax Act, 1961.Besides one has to look into pronouncement of Premier Professional Institution in the country. In the absence of any legal requirement there is no specific anonymity in the pattern of copy social reporting it will differ from country to country depending on the perceptions understandings and practices prevalent in the respective countries the investments made by the companies in monetary terms on rural areas may be available in the annual reports but it does not necessarily and truly reflect the level of corporate commitments on the aspects for a better company social reporting three essential ingredients are a must.

Research Methodology - As mentioned above in the objectives that proper metrics should be used to CSR objectives and proper matrices are also available that reflect that the companies are accounting for the CSR initiatives properly. After closely going through the various corporate websites, we were able to figure out different categories under which CSR initiatives are disclosed in the Annual Reports of the Companies and concluded that companies are accounting the CSR expenditures in their final accounts and hence this affects the overall profit earned by the company. The basic tool for examination into the above problem was the annual reports of these companies. Website of each of these companies was analyzed and for CSR disclosure the data is collected by content analysis method. The period under study is taken from 2019 to 2021. We tested the efficacy of our research by implementing correlation, t-test and other statistical tools for testing the hypotheses. We have taken two different sectors to withdraw a conclusion. The sample from the public sector contains 10 companies and private sector contains another set of 10 companies. The CSR reporting is viewed and Social Disclosure Index has been prepared for all the companies. The SDI is then being compared to the PAT of the company and a correlation is established between the Capital Employed and the SDI. The findings of the above analysis have been summarized in the Findings below.

Results/ Analysis:

1. The table below depicts the PAT and Capital Employed of few public sector Indian companies along with their SDI developed by the researcher after allotting scores for social reporting as it is considered that corporate report on the basis of their profits and the investments they hold.

TABLE 1.1

S.	Name of the company	Capital Employed(in Cr)	PAT (in cr)	SDI
1	Gujrat State Fertilizer ltd	10035.48	9417.67	66.67
2	Hindustan Aeronautics	26435.19	8239.06	66.67
3	Engineers India Ltd	72359.88	1430.24	26.67
4	National Thermal Power	327893.32	9566.21	83.33
5	Coachin ShipyardLtd	4250.58	32.01	16.67
6	Rural Electrification Corp ltd	400617.54	8378.24	73.33
7	SAIL	72748.24	4148.13	46.67
8	Tata Communication Ltd	13566.84	1251.52	26.67
9	Ferro Scrap Nigam Ltd	294.75	22.75	16.67
10	GAIL (INDIA) Ltd	68832.63	6142.82	26.67

Source: Compiled from the Annual reports of the Companies

Ho1 = The Capital Employed by a public sector company has no association with the SDI

Karl Pearson co-efficient of correlation was used to test the hypotheses and co-efficient was tested for significance at 5% level of significance using t-test. The result obtained was as follows:

TABLE 1.2: Coefficient Of Correlation Between Capital Emp &Sdi In Public Sector Companies

Coeff of Cor	R	Computed value -t	Table value -t	Hyp
CAPITAL EMP & SDI	0.6661	2.526	2.306	H_1

Source: Compiled from the Annual reports of the companies.

Table value of t at (v=10-2=8 d.o.f) at 5% level of significance comes to 2.306, being less than the computed value of t being 2.526 and hence null hypotheses is rejected. Hence there is some significant relationship between the

Capital Employed and SDI of public sector companies and capital employed as a factor has significant influence over the social reporting practices of public sector companies.

Ho2= The Profit after Tax (PAT) of a public sector company has no association with the SDI.

Karl Pearson co-efficient of correlation was used to test the hypotheses and co-efficient was tested for significance at 5% level of significance using t-test. The result obtained was as follows:

TABLE 1.3: Coefficient Of Correlation Between Pat& Sdi In Public Sector Companies

Coeff of Cor	R	Computed value -t	Table value -t	Hyp
PAT & SDI	0.9180	2.3142	2.306	H_1

Source: Compiled from the Annual reports of the companies.

Table value of t at (v=10-2=8 d.o.f) at 5% level of significance comes to 2.306, being less than the computed value of t being 2.3142 and hence null hypotheses is rejected. Hence there is some significant relationship between the PAT and SDI of public sector companies. Thus PAT as a factor has significant influence over the social disclosure practices of public sector companies.

2. The table below depicts the PAT and ROI of few private sector Indian companies along with their SDI developed by the researcher after allotting scores for social reporting as it is considered that corporate report on the basis of their profits and the investments they hold.

TABLE 2.1:

S.	Name of the company	Capital Employed(in Cr)	PAT (in cr)	SDI
1	Mahindra and Mahindra	151329.32	29371	40.00
2	Hero Motocorp ltd	115656.87	2964.2	46.67
3	Tata Consultancy Services	107359	30960	46.67
4	Deepak Fertilizers and petrochemicals	163.78	406.44	23.33
5	Hindustan Zinc Ltd	37851	7980	33.33
6	Eicher Motors	11929.8	1346.89	26.67
7	Tata Power	68082.91	1438.65	40.00
8	TISCO	174620.07	38189.79	46.67
9	ITC ltd	63129.62	33382.88	53.33
10	Bajaj Auto ltd	27958.17	4875.02	33.33

Source: Compiled from the Annual reports of the Companies

Ho3= The Capital Employed by a private sector company has no association with the SDI

Karl Pearson co-efficient of correlation was used to test the hypotheses and co-efficient was tested for significance at 5% level of significance using t-test. The result obtained was as follows:

TABLE 2.2: Coefficient Of Correlation Between Capital Emp & Sdi In Private Sector Companies

Coeff of Cor	R	Computed value -t	Table value -t	Hyp
CAPITAL EMP & SDI	0.7040	2.8038	2.306	H_1

Source: Compiled from the Annual reports of the companies.

Table value of t at (v=10-2=8 d.o.f) at 5% level of significance comes to 2.306, being less than the computed value of t being 2.8038 and hence null hypotheses is rejected. Hence there is some significant relationship between the Capital Employed and SDI of private sector companies. Thus Capital Employed as a factor has significant influence over the social reporting practices of private sector companies.

Ho4= The Profit after Tax (PAT) of a private sector company has no association with the SDI.

Karl Pearson co-efficient of correlation was used to test the hypotheses and co-efficient was tested for significance at 5% level of significance using t-test. The result obtained was as follows:

TABLE 2.3: Coefficient Of Correlation Between Pat & Sdi In Private Sector Companies

Coeff of Cor	R	Computed value -t	Table value -t	Hyp
PAT & SDI	0.7058	2.8182	2.306	H_1

Source: Compiled from the Annual reports of the companies.

Table value of t at (v=10-2=8 d.o.f) at 5% level of significance comes to 2.306, being less than the computed value of t being 2.8182 and hence null hypotheses is rejected. Hence there is some significant relationship between the PAT and SDI of public sector companies. Thus PAT as a factor has significant influence over the social reporting practices of private sector companies.

Thus the final conclusion of this analysis was that whether the company is a public sector company or a private sector company, the CSR reportings are affected and associated with factors like Capital Employed and Profit after Tax of a company.

Further the research would be continued with other factors like age of company, sales of a company and even with the ROI of a company.

Conclusion: Corporate Social Responsibility is multi disciplinary that is it is used by the companies for various aspects. Companies today are very well aware to harness the benefits of CSR. Essentially speaking come on business organizations are focused around economic activities, however it cannot operate in an isolated economically oriented environment. It interacts with social, political and technological entities during its operations and consequentially the environment is shaped by the complex interaction of these forces. Ample provisions have been made to project the corporate social involvement in the

areas pertaining to the employees, consumers, local community as well as the society at large. The above information if separately provided along with the annual report would go a long way in measuring and improving the Corporate Social Performance .The measure of social involvement and the effectiveness of the same together would make the information base complete for Corporate Social Performance Reporting for a particular group.

In India, apart from CSR reporting required to be done with annual reports, all listed companies are also required by SEBI, to furnish "Business Responsibility Report (BRR)" in accordance with the "National Voluntary Guidelines" consisting of nine principles issued by Ministry of Corporate Affairs. The accountants and the accounting fraternity still are in a stage of immaturity when we talk about CSR reports and the reporting requirements of a concern because there is still to be done in this field and the pioneer institutes are looked upon for better conclusions.

References:-

1. **Balamurugan.T,Dr.Anandhi.K (2020):***Analysis of corporate social responsibility practice of Indian Railways,*Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)Volume 7, Issue 2
2. **Dr. Vethirajan.C, Dr.Mahalingam.A, Dr. Shunmugam.M, Ariyadevi.N , Antony Nancy .J,Jeyachitra S.(2020):***Corporate Social Responsibility Practices by Indan Industries during Covid-1,*A Journal of Composition Theory, Volume XIII, Issue
3. **Sushil Kumar and KidwaiAnab (2018):***CSR disclosures and transparency among top Indian companies* ,Int. J. Indian Culture and Business Management, Vol. 16, No. 1, 57.
4. **Krishnan Akhil (2018):***Comparative analysis study on CSR expenditure in India: the case of Manufacturing and Service Industries***,** International Journal of Pure and Applied Mathematics,Volume 118 No. 9 2018, 421-443.
5. **Kaur Puneet (2017):***Corporate Social Responsibility: A Contribution by Indian Banks,*International Journal of Business and General Management (IJBGM)**,**Vol. 6, Issue 5, 87-104.
6. **Bihari Suresh Chandra and Pradhan Sudeepta (2011):***CSR and Performance:The Story of Banks in India,*Journal of Transnational Management,16:20–35.
7. **Singh Satinder and Sharma Aishwarya (2015)**:*Corporate social responsibility practices in India: Analysis of Public companies*,International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research,(Volume 1, Issue 11).
8. **Arora Summi and Jaideep(2017):***Corporate Social Reporting in India: A Study of Some Selected Indian Companies***,**Pacific Business Review International, Volume 10 Issue 1.
9. **Mr. Candrashekhar Rawat Sarika (2017):***An Analysis Of Corporate Social Responsibility Expenditure In India***,** Airo International Research Journal,Volume IX.
10. **Dr. Shyam Reena (2016):***An Analysis Of Corporate Social Responsibility In India,* International Journal of Research,Granthaalayah,[Vol.4(Iss.5)].
11. **Baghla Ashish (2018),***Corporate Social Responsibility Practices in India: A Study of Few Companies***.** Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education,Vol. 15, Issue No.10.
12. **Sandeep Kumar (March 2018):***Corporate Social Reporting Practices Of Selected Public Sector Companies of India***,**IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM),Volume 20, Issue 3. Ver. 3, PP 73-78

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

गाँधीजी के सत्याग्रह और हिन्दी भाषा

डॉ. बिन्दू परस्ते *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – महात्मा गाँधी न तो दार्शनिक थे जिन्होंने गहन अध्ययन एवं मनन के पश्चात् एक सुव्यस्थित दर्शन प्रस्तुत किया हो, न ही वे एक राजनीतिक थे जिन्होंने राजनीति को राजनीति मानकर एक नेता की भूमिका निभायी हो, और न ही वे एक सन्त थे जिन्होंने इस जगत को मिथ्या मानगर अपने को ब्रम्ह में लीन कर लिया हो। किन्तु अजीब बात है वे यह सब कुछ न होते हुए भी, यही सब कुछ थे। अपने जीवन दर्शन को व्यवस्थित रूप देने का अवकाश नहीं था फिर भी दार्शनिक मुद्रा में कठोर सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने किया। राजनीतिज्ञ न होते हुए भी उन्होंने अपने को देश और विदेश की राजनीति से हर क्षण संबंध रखा। गुफावासी, संसार कागी संत न होते हुए भी उनका मसीहायी अंदाज प्रखर बना रहा। उनका सर्वकापी व्यक्तित्व अधितिज फैला रहा तथा उनके कृतित्व ने मानव जीवन के हर पहलू को साधिकार आत्मसात किया। व्यक्ति, परिवार, समाज, जाति, संस्कार, भोजन, संपत्ति, चिकित्सा, वाणिज्य, कला, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, प्रेम, सौन्दर्य, विवाह, ब्रम्हचर्य, पठन-पाठन, भाषण, लेखन, सम्पादन, अहिंसा, सत्य, ईश्वर, धर्म, नीति, नियम, जीवन, मृत्यु इन सभी विषयों पर उन्होंने चिंतन किया। लोगों ने उन्हें देखा, सुना, पढ़ा, सहमत-असहमत हुए, उनका तीव्र समर्थन किया, किन्तु प्रेम और श्रद्धा उन्हें जितना मिला उतना विश्व में किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला क्योंकि उनके विरोधी भी उन्हें एक व्यक्ति के रूप में प्रेम करते रहे।

मेरा जीवन ही मेरी वाणी है – कहने वाले गाँधी दार्शनिक एवं आन्दोलनकर्ता दोनों थे। गांधीजी दक्षिण अफ्रीका एक व्यापार संस्थान के कानूनी सलाहकार के रूप में वहाँ पहुँचे। कहाँ तो वे एक साधारण मनुष्य की तरह रोजी-रोटी की धुन में दक्षिण अफ्रीका गए और कहाँ नियति ने उन्हें स्वयं इतिहास लिखने और इतिहास बन जाने का कार्य सौंप दिया। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति बहुत ही बुरी थी और उनके साथ अत्यधिक दुर्व्यव्यवहार किया जाता था। स्वयं गाँधीजी के साथ भी दुर्व्यव्हार हुआ। इस दुर्व्यव्यवहार ने उनके जीवन की धारा बदल दी। उस समय एशिया का सिखों के विरूद्ध कानून बनाये जाते थे। रंगभेद नीति सम्बन्धी कानून कठोर से कठोरतर होते चले गए और जब कठोरतम कानून 'एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट' पारित हुआ तब गाँधीजी ने घोषणा की 'हम इसका सामना करेंगे और इसके सामने झुकने से इंकार करेंगे। वे जानते थे कि यह संघर्ष दीर्घकालीन होगा, इसलिए उन्होंने मैं साहसपूर्वक एवं निश्चयपूर्वक यह घोषणा कर सकता हूँ कि जब तक अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अडिग मुट्ठी भर सच्चे लोग होंगे इस संघर्ष का केवल एक अन्त हो सकता है और वह होगी विजय।'

इस कथन के द्वारा गाँधीजी ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे भविष्य में भी कितनी ही बार उपयोग किया गया। गाँधीजी ने इस संघर्ष में अपने देशवासियों का नेतृत्व किया और जेल गए।

गाँधीजी पीछे नहीं हटे। यहीं से गाँधीजी ने सत्याग्रह की शुरूआत की। यह सत्याग्रह 1913 में शुरू हुआ। इस सत्याग्रह की मूल बातें थी – (1) धार्मिक ढंग से हुई भारतीय शादियों को गैर कानूनी घोषित करना। (2) पौंड 3 कर के विरूद्ध हड़ताली मजदूर जुलाई 1914 के अंत में तीनों समस्याओं का समाधान हो गया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का सामने करते हुए गाँधीजी को काला आदमी कहकर ट्रेन से उसका सामान फेंककर उन्हें अपमानित कर ट्रेन से उतार दिया। 1915 में गाँधीजी भारत वापस आ गए। अप्रैल 1917 में गाँधीजी चम्पारन गए। चम्पारन में खेतिहर की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। एक दिन जब वे किसानों से बयान ले रहे थे तब खुफिया पुलिस अफसर वहाँ उपस्थित हुए। गाँधीजी सत्याग्रह में किसी प्रकार की गोपनीयता अनुचित मानते थे। प्रांत के गर्वनर ने इस मामले में हस्तक्षेप कर एवं समिति बनाई जिसमें गाँधीजी भी सदस्य थे। समिति ने सर्व सम्मति से किसानों के पक्ष में निर्णय दिया और यह अनुशंसा की की मालिक किसानों का जो शोषण कर चुके है उसका एक हिस्सा उन्हें वापस दे दे और कानून द्वारा तीन कन्थिया समाप्त किया जावे। गाँधीजी ने गाँव सुधार, स्वास्थ्य, सफाई, साक्षरता आदि बातों की सीख दी। स्वयं कस्तूरबा गाँधी ने महिलाओं को स्वच्छता का पाठा पढ़ाया।

1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल चौपट हो जाने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। गाँधीजी ने गुजरात सभा के अध्यक्ष होने के नाते प्रार्थनाएँ और तार सरकार को भेजे, किन्तु इन सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार प्रार्थनाओं और आवेदनों के असफल हो जाने के बाद, गाँधीजी ने पट्टीदारों को यह परामर्श दिया कि उन्हें सत्याग्रह आंदोलन छेड़ देना चाहिए।

सत्याग्रह आन्दोलन छेड़े जाने के बाद प्रारंभ में तो सत्याग्रहियों ने खूब साहस का परिचय दिया किन्तु जैसे ही सरकार ने अत्याचार शुरू किए लोगों का साहस टूटने लगा। इसके फलस्वरूप सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए। गाँधीजी ने कहा जब जेल जाने का भय दूर हो जाता है तब दबाव या अत्याचार लोगों के अन्दर उत्साह भर देता है।

इस सत्याग्रह का फल यद्यपि किसी शासकीय घोषणा से प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि सरकार ने लोगों को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी किन्तु बाद में उन्होंने लोगों को पैसा भरने के लिए बाध्य नहीं किया।

यह गाँधीजी द्वारा भारत की धरती पर किया गया सत्याग्रह का प्रथम

प्रयोग था। बाररोली सत्याग्रह भारतीय सत्याग्रह इतिहास की अन्यतम उपलब्धि है। अपनी प्रारंभिक स्थिति में बाररोली आन्दोलन अचानक ही रूक गया, क्योंकि चोरा–चोरी हत्याकांड के कारण गाँधीजी ने नागरिक अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया था। लेकिन 1928 में एक बार फिर बाररोली के किसानों ने निश्चय किया कि वे नये सिरे से संघर्ष करेंगे। गांधीजी ने स्थिति का समुचित अध्ययन किया और ठहराया कि किसानों की भूमि का जो लगान बढ़ाया गया था, बहुत ज्यादा था और इसलिए किसानों का यह निर्णय ठीक था कि वे इस बढ़ोत्तरी के विरूद्ध सत्याग्रह करेंगे।

किसानों की प्रार्थना पर सरकार वल्लभ भाई पटेल ने उनका नेतृत्व सम्भाला इस प्रकार बारदोली आन्दोलन दोबारा 12 फरवरी को छेड़ा गया। सत्याग्रहियों की मांग थी की एक निष्पक्ष समिति गठन की जाये जो इस बात की जाँच करें, कि कितनी भूमि पर कितना लगान लगाया जाना उचित है। साढ़े पाँच वर्षो तक यह संघर्ष अनवरत चलता रहा। उसके पश्चात् सरकार झूकी और एक जाँच समिति नियुक्त हुई जिसमें किसानों की सारी शिकायत धीरे–धीरे दूर कर दी।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वाधीनता की आकांक्षाओं को सम्पूर्णतया अस्त कर देना चाहा। कहाँ तो युद्ध के दौरान उन्होंने वादा किया था कि भारत को स्वाधीनता प्रदान करेंगे और कहाँ उन्होंने भारतवासियों के नागरिक अधिकारों को ध्वस्त करने के लिए 1919 का कुख्यात रौलेट एक्ट बनाया। गाँधीजी ने रोलैट बिल पारित होने के पहले ही 24 फरवरी 1914 को सत्याग्रह की घोषणा कर दी। गाँधीजी ने सत्याग्रह की तिथि 30 मार्च निश्चित की थी परन्तु बाद में इसे 6 अप्रैल कर दिया गया। यह सत्याग्रह अहिंसा के अनुकूल था। इस सत्याग्रह की प्रशंसा में नेहरूजी ने लिखा है – यह हमारी भर्त्सना की, शोर गुल की राजनीति से बिल्कुल अलग है जिसमें लम्बे भाषण होते हैं जिनका समापन निरर्थक प्रभावहीन विरोध के प्रस्तावों के होता है और इन्हें कोई गंभरीता पूर्वक ग्रहण नहीं करता। यद्यपि ऊपरी सतह पर सत्याग्रह प्रभावहीन रहा किन्तु रोलैट एक्ट की नियति जिसकी वापसी के लिए आन्दोलन छेड़ा गया था, भ्रष्ट हो चुकी थी।

1929 के लाहौर कांग्रेस के पूर्व भारतीय नेताओं ने लार्ड इरविन से भेंट की किन्तु उनकी वार्ता असफल रही और गांधीजी द्वारा प्रस्तुत ग्यारह भूमि मांग पत्र, जो वे पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर लाना चाहते थे इसे भी ब्रिटिश शासन ने ठुकरा दिया। पश्चातरूप हर तरफ से निराशा और असफलता हाथ लगने के कारण लोग स्वाभाविक रूप से संघर्ष के लिए मचलने लगे। इसी समय साइमन कमीशन आया उसका हर तरफ विरोध हुआ।

इस आंदोलन का सूत्रपात औपचारिक रूप से उस दिन हुआ जब कांग्रेस कार्य समिति तथा 2 जनवरी 1930 की बैठक के दिन 21 केन्द्रीय सभासदों ने एवं 172 प्रांतीय सभासदों ने लागपत्र दिया। कार्यसमिति के निर्णयानुसार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 14 फरवरी 1930 को कार्य समिति ने साबरमती सभा में गांधीजी को नागरिक अवज्ञा आन्दोलन का सर्वेसर्वा घोषित कर दिया। 2 मार्च को गाँधीजी ने वायसराय को एक पत्र लिखा – 'मैं आपको किसी अनावश्यक अपमानजनक स्थिति में नहीं डालना चाहता अर्थात् जहाँ तक मुझसे बन पड़ता है इस पत्र के द्वारा आपके किसी प्रकार की धमकी नहीं देना चाहती किन्तु यह मेरा परम कर्तव्य है जिसे एक नागरिक प्रतिरोधी के रूप में निभा रहा हूँ।'

सारा देश सनसनी से भरा हुआ था। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा यह पूछे जाने पर कि गाँधीजी का आगामी कार्यक्रम क्या है। गाँधीजी ने कहा मैं दिन–रात यही सोच रहा हूँ और मुझे अपने चारों तरफ फैले अंधकार में प्रकाश की किरण नहीं दिखलाई पड़ रही है। नेहरूजी ने लिखा इस समय वातावरण में एक ही प्रश्न गूंज रहा था– कैसे–कैसे हम स्वराज्य प्राप्त करे और तब महात्मा ने हमें आभास दिया। नमक अचानक ही एक रहस्यमयी शब्द बन गया। एक शक्ति का शब्द। नमक कानून को तोड़ा जाना था।

12 माच्र 1930 को सुबह साढ़े तीन बजे सारी दुनिया में एक अजूबा देखा, एक करिश्मा देखा। गाँधीजी ने अपने 12 साथियों सहित दाण्डी की ओर पद यात्रा शुरू की। मोतीलाल नेहरू ने कहा – रामचन्द्र भगवान की लंका की ऐतिहासिक यात्रा की तरह गाँधीजी की यह यात्रा चिरस्मरणीय रहेगी। गाँधीजी ने प्रतिज्ञा की कि वे जब तक नमक कानून को समाप्त नहीं करवा देंगे। आश्रम नहीं लौटेंगे। गाँधीजी और उनके साथ 5 अप्रैल को सुबह दाण्डी पहुँचे। 5 अप्रैल को प्रात:काल 6 बजे गांधीजी एवं उनके सहयोगियों ने समुद्र में स्नान किया और समुद्र के किनारे पड़े हुए नमक को उठाते हुए नमक कानून को तोड़ा। 5 मई 1930 को गांधीजी को बन्दी बना लिया गया। गाँधीजी के निर्देशानुसार सत्याग्रहियों ने श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में अहिंसक चढ़ाई की। सारे देश में पुलि की निष्ठुरता एवं अत्याचार बर्बरता की सीमा लांघ गया था। लोगों पर लाठी, वर्षा, गोलीबारी की कुछ बेछिचक चलती रही। 26 जनवरी 1931 को गांधीजी को रिहा किया गया।

यह गाँधीजी का अंतिम आन्दोलन था। लोगों की ब्रिटिश विरोधी भावना पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी। इस मनोवैज्ञानिक क्षण पर गाँधीजी ने भारत छोड़ो आन्दोलन का सूत्रपात किया।

जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा में एक प्रस्ताव पास कर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा। 6 मई 1941 को इस सत्याग्रह का अन्त हुआ। गांधीजी तथा अन्य नेताओं को रिहा किया गया। इस सत्याग्रह के दौरान गांधीजी को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा परन्तु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बराबर बहादुरी से लड़ते रहे।

गांधीजी का हिन्दी के प्रति एक विशेष लगाव प्रारंभ से ही रहा है। उन्होंने हिन्दी को मातृभाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हिन्दी के प्रचार–प्रसार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके हिन्दी के प्रति प्रेम को हम उनकी आत्मकथा में सहज रूप से देखते है। उन्होंने जो किताबें लिखी है उनमें भी हिन्दी को प्रमुख रूप से उजागर किया है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हिन्दी में ही उन्होंने अपने सारे कार्य सम्पन्न किए है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सत्य के प्रयोग – महात्मा गांधी
2. गांधी दर्शन – डॉ. प्रभात कुमार भट्टाचार्य
3. हिन्दी का उद्‌भव और विकास – संकलित

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

सुशासन की भूमिका

हरदीप सिंह *

*एम.ए, एमफिल, (राजनीति विज्ञान) श्री सिद्धि विनायक सह शिक्षा महाविद्यालय, टिब्बी, हनुमानगढ़ (राज.) भारत

प्रस्तावना – सुशासन से तात्पर्य किसी सामाजिक – राजनीतिक ईकाई (जैसे नगर निगम ,राज्य सरकार आदि) को इस प्रकार चलाना कि वह वांछित परिणाम दे। सुशासन के अन्तर्गत बहुत सी चीजें आती हैं जिनमें अच्छा बजट, सही प्रबन्ध, कानून का शासन, सदाचार इत्यादि। इसके विपरीत पारदर्शिता की कमी या सम्पूर्ण अभाव, जंगल राज, लोगों की कम भागीदारी, भ्रष्टाचारी का बोलबाला आदि दु:शासन के लक्षण हैं।

'शासन' शब्द में 'सु' उपसर्ग लग जाने से 'सुशासन' शब्द का जन्म होता है। 'सु' उपसर्ग का अर्थ, अच्छा, मंगलकारी आदि भावों को व्यक्त करने वाला होता है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन की भाषा में सुशासन की तरह लगने वाले कुछ और बहुप्रचलित–घिसेपिटे शब्द जैसे – प्रशासन, स्वशासन, अनुशासन आदि। इन सभी शब्दों का सम्बन्ध शासन से है। शासन आदिमयुग की कबीलाई संस्कृति से लेकर आज तक की आधुनिक मानव सभ्यता के विकास क्रम में अलग–अलग विशिष्ट रूपों में प्रणाली के तौर पर विकसित ओर स्थापित होती आई है। इस विकासक्रम में परंपराओं से अर्जित ज्ञान और लोककल्याण की भावनाओं की अवधारणा प्रबल प्रेरक की भूमिका में रही है। इस अर्थ में शासन की सभी प्रणालियाँ कृत्रिम हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुशासन व्यक्ति को भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही से मुक्त कर प्रशासन को स्पष्ट साधारण, नैतिक, उत्तरदायी, जिम्मेदारी योग्य, व पारदर्शी बनाता है।

सुशासन के प्रमुख तत्त्व – संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुशासन के निम्नलिखित आठ विशेषताएँ होती हैं –

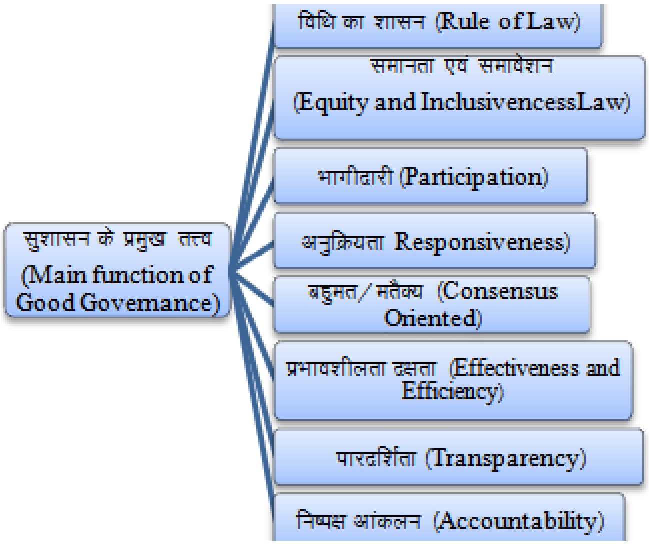

सुशासन–परिचय, परिभाषा – किसी राज्य या देश में अपने मामलों का प्रबन्धन करने के लिए सरकार जो कार्यवाही करती है, उसे शासन कहा जाता है। यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। शासन के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अच्छा या बुरा और नागरिक उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं। सुशासन आज की विश्व व्यवस्था में बढ़ते महत्त्व का शब्द है। यह आमतौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनो क्षेत्रों में चर्चा की जाती है।

सुशासन की अवधारणा कोई नई अवधारणा नही है, भले ही प्रमुख संगठनों और सहायता देने वालों के लिए यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या देशों को सहायता दी जानी चाहिए या नही, यह अब चर्चा का विषय लगता है।

भारत में, इस अवधारणा के बारे में चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक **'अर्थशास्त्र'** में बात की गई थी। वह एक अच्छे राजा की विशेषताओं का इस प्रकार उल्लेख करता है, 'उनकी प्रजा के सुख में उसका सुख है, उनके कल्याण में उसका कल्याण है, जो अपने आप को भाता है, उसे वह अच्छा नही मानता, परन्तु जो अपनी प्रजा को अच्छा लगता है, वही अच्छा समझता है।महात्मा गाँधी ने भी 'सु–राज' शब्द का शाब्दिक अर्थ सुशासन दिया था।शासन को 'निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्णयों को लागू किया जाता है' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।शासन किसी भी स्तर पर शामिल निर्णय लेने और प्रशासन को संदर्भित करता है, अर्थात राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, कॉर्पोरेट परिवार इसमें शामिल हैं। सरकार शासन में एक प्रमुख अभिनेता है।शासन के स्तर के बारे में बात करने के आधार पर, अन्य अभिनेता सहकारी समितियां, निकाय, संघ, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक नेता, प्रभावशाली जमीदार, उद्योग, राजनीतिक दल, वित्त संस्थान, लॉबी, थिंक टेंक, सैन्य आदि होंगे।शासन में, सरकार और सेना के अलावा सभी अभिनेताओं को 'नागरिक समाज' कहा जाता है।कुछ क्षेत्रों में, संगठित अपराध सिंडिकेट जैसे भू–माफिया भी निर्णय लेने और इसलिए शासन को प्रभावित कर सकते हैं।ध्यान देने योग्य बात यह है कि नागरिक सुशासन के मूल में है। इसलिए, नागरिक–केंद्रित प्रशासन और सुशासन साथ–साथ चलते हैं।

सुशासन की परिभाषा – विश्व बैंक शासन को परिभाशित करता है कि विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबन्ध में शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है।

सुशासन की स्थापना – 23 दिसम्बर 2014 को, नब्बे वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और पंडित मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत) को भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा योग्यता के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न, के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया था।घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नव निर्वाचित प्रशासन ने स्थापित किया कि पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को अब से भारत में सुशासन दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना की है कि दोनो ने क्रिसमस की एक ही तारीख को सुशासन दिवस की स्थापना की और साथ ही इस तारीख को सरकारी कार्य दिवस के रूप में घोषित करने के लिए, राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाया।

सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए, श्री अमित शाह ने कहा कि लोग लम्बे समय से सुशासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पिछले सात वर्षों में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा दिया गया था। उन्होने कहा कि 2014 से लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है। क्योंकि उन्हें मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास का लाभ मिलना शुरू हो गया है। सुशासन का उदाहरण देते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले सात वर्षों में मोदी सरकार के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नही लगा है क्योंकि यह एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन है।

इस मौके पर कार्मिक, पीजी और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि नागरिक केंद्रित प्रशासन मोदी सरकार के शासन मॉडल के केन्द्र में है। उन्होने कहा, सुशासन सूचकांक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आंकलन करने में मदद करेगा।

सुशासन दिवस – भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती दिसम्बर के पच्चीसवें दिन मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के बारे में भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी।

भारत में सुशासन की स्थिति (सुशासन सूचकांक रिपोर्ट 2021)

जीजीआई 2021 फ्रेमवर्क में दस क्षेत्रों और 58 संकेतकों को शामिल किया गया है।

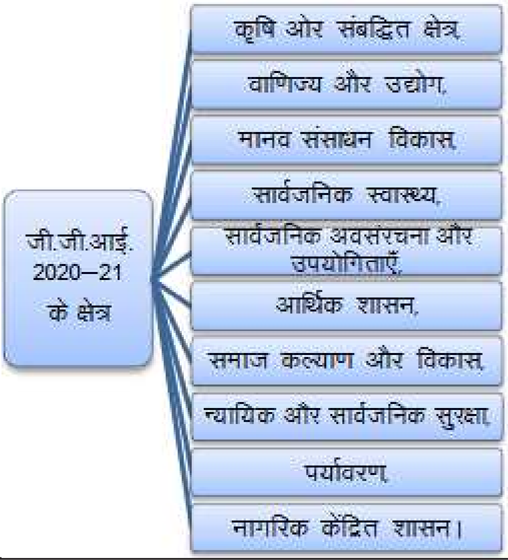

जीजीआई 2020–21राज्य औरकेन्द्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है :–

गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए समग्र रैंक स्कोर में शीर्ष पर है। जीजीआई 2021 का कहना है कि गुजरात ने 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और गोवा ने जी.जी.आई. 2019 संकेतकों पर 24.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। गुजरात ने आर्थिक शासन, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचे और उपयोगिताओं, सामजिक सुरक्षा सहित 10 में से 5 क्षेत्रों में जोरदार प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचे और उपयोगिताओं, सामाजिक कल्याण और विकास में जोरदार प्रदर्शन किया है। गोवा ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचे और उपयोगिताओं, आर्थिक, सामाजिक कल्याण और विकास और पर्यावरण में जोरदार प्रदर्शन किया है।

जी.जी.आई. 2021 का कहना है कि उत्तर प्रदेश ने जी.जी.आई. 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। क्षेत्रों में यू.पी. ने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है और समाज कल्याण और विकास और न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा में भी वृद्धि दिखाई है। उत्तर प्रदेश ने जन शिकायत निवारण सहित नागरिक केंद्रित शासन में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

जी.जी.आई 2021 का कहना है कि झारखण्ड ने जीजीआई 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। झारखण्ड ने 10 सैक्टरों के 7 सैक्टरों में दमदार प्रदर्शन किया है। राजस्थान ने जी.जी.आई 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। राजस्थान ने न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन में अन्य राज्यों (ग्रुप बी) श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

जी.जी.आई. 2021 का कहना है कि उत्तर–पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, मिजोरम और जम्मू और कश्मीर ने जी.जी.आई. 2019 की तुलना में क्रमश: 10.4 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्ज की है। मिजोरम ने वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य में जोरदार प्रदर्शन किया है ओर आर्थिक शासन। जम्मू और कश्मीर ने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया है ओर कृषि और संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचे और उपयोगिताओं और न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रों में अपने स्कोर में सुधार किया है।

जी.जी.आई. 2021 का कहना हे कि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली जी.जी.आई 2019 संकेतकों की तुलना में 14 जी.जी.आई. 2021 का कहना है कि उत्तर–पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, मिजोरम और जम्मू ओर कश्मीर ने जी.जी.आई. 2019 की तुलना में क्रमश: 10.4 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्ज की है। मिजोरम ने वाणिज्य और

उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य में जोरदार प्रदर्शन किया है और आर्थिक शासन, जम्मू और कश्मीर ने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया है, और आर्थिक शासन। जम्मू ओर कश्मीर ने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया है और कृषि और सम्बन्ध क्षेत्र, सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचे और उपयोगिताओं और न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रों में अपने स्कोर में सुधार किया है।

जी.जी.आई. 2021 का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली जी.जी.आई 2019 संकेतकों की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए समग्र रैंक में शीर्ष पर है। दिल्ली ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों, वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक बुनियादी ढ़ांचे और उपयोगिताओं और समाज कल्याण और विकास में जोरदार प्रदर्शन किया है।

जी.जी.आई. 2021 का कहना है कि 20 राज्यों ने जी.जी.आई 2019 इंडेक्स स्कोर की तुलना में अपने समग्र जी.जी.आई. स्कोर में सुधार किया है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त क्षेत्रवार स्कोर एक या दूसरे क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। स्कोरिंग के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि राज्यों के बीच उनके समग्र शासन स्कोर में बहुत मामूली अंतर है। यह इंगित करता है कि भारत के राज्यों में समग्र शासन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है।

तालिका 1 - (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

मौजूदा मात्रात्मक संकेतकों के अलावा, अतिरिक्त प्रक्रिया और इनपुट-आधारित संकेतकों को जीजीआई 2020-21 ढ़ांचे का हिस्सा बनाया गया है। अतिरिक्त आयामों को शामिल करने का उद्देश्य जी.जी.आई. को शासन को मापने का एक अधिक समग्र उपकरण बनाना है। जी.जी.आई 2020 की रिपोर्ट में गुणात्मक पहलुओं को शामिल करने, नए संकेतकों को शामिल करने के लिए दृष्टिकोण और सूचकांक गणना के लिए आवश्यक डेटा उपलब्ध कराने का रोडमैप शामिल है।

सुशासन का मापन - सुशासन यह मापने की प्रक्रिया है कि कैसे सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक मामलों का संचालन करते हैं और सार्वजनिक संसाधनों का प्रबन्ध करते हैं। और मानव अधिकारों की प्राप्ति की गारंटी देते हैं जो अनिवार्य रूप से दुरूपयोग और भ्रष्टाचार से मुक्त है और कानून के शासन के लिए उचित सम्मान के साथ हैं। शासन 'निर्णय लेने की प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्णयों को लागू किया जाता है। (या लागू नही किया जाता है) इस संदर्भ में शासन कॉर्पोरेट, अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय शासन के साथ साथ समाज के अन्य क्षेत्रों के बीच बातचीत पर लागू हो सकता है।

इस प्रकार 'सुशासन' की अवधारणा अप्रभावी अर्थव्यवस्थाओं या राजनीतिक निकायों की व्यवहार्य अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक निकायों के साथ तुलना करने के लिए एक मॉडल के रूप में उभरती है। यह अवधारणा समाज में चुनिंदा समूहों के विपरीत जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारों और स्वशासी निकायों की जिम्मेदारी पर केंद्रित है क्योंकि जिन देशों को अक्सर 'सबसे सफल' के रूप में वर्णित किया जाता है, वे उदार लोकतांत्रिक राज्य हैं, जो यूरोप और अमेरिका में केंद्रित हैं।सुशासन मानक अक्सर इन राज्यों के खिलाफ अन्य राज्य संस्थानों को मापते हैं। सहायता संगठन और विकसित देशों के अधिकारी अक्सर 'सुशासन' के अर्थ को संगठन के एजेंडे के अनुरूप आवश्यकताओं के एक सेट पर केंद्रित करेंगे, जिससे 'सुशासन' कई अलग-अलग संदर्भों में कई अलग-अलग चीजों को दर्शाता है।

राजनीति - देशों के संदर्भ में सुशासन एक व्यापक शब्द है, और इस संबंध में, एक अनूठी परिभाषा खोजना मुश्किल है। फुकुयामा (2013) के अनुसार, शासन को अच्छा या बुरा मानने के दो आयाम हैं, उदाहरण के लिए करों के संग्रह के माध्यम से, अधिक स्वायत्तता होनी चाहिए क्योंकि नौकरशाह बहुत सारे विवरणों के बिना निर्देश दिए बिना चीजों को अच्छी तरह से संचालित करने में सक्षम है। कम सक्षम राज्यों में हालांकि, कम विवेक और अधिक नियम स्थापित करना वांछनीय है।

सुशासन के बारे में सोचने का दूसरा तरीका परिणामों के माध्यम से है। चूंकि सरकारें अपने नागरिकों के लिए सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान जैसे लक्ष्यों को पूरा करती हैं, इसलिए सुशासन के बारे में सोचने का कोई बेहतर तरीका नही है, जोकि सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, अनुबंधों को लागू करना, सम्पत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और मतदान करने और उचित वेतन पाने की उनकी क्षमता।

इसी तरह, सुशासन को प्रभावी तरीके से सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के साथ अनुमानित किया जा सकता है, आबादी में कुछ समूहों जैसे गरीबों और अल्पसंख्यकों को उच्च भागीदारी दी जाती है, गारंटी है कि नागरिकों के पास सरकार पर नियंत्रण और संतुलन का अवसर है, स्थापना और नागरिकों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणालियों के अस्तित्व के लिए मानदंडों को लागू करना।

व्यवसाय - कॉर्पोरेट मामलों में, सुशासन को निम्नलिखित में से किसी भी सम्बन्ध में देखा जा सकता है :

1. शासन और कॉर्पोरेट प्रबंधन के बीच
2. शासन और कर्मचारी मानकों के बीच
3. कार्यस्थल में शासन और भ्रष्टाचार के बीच

कॉर्पोरेट क्षेत्रों के सम्बन्ध में सुशासन का अर्थ अभिनेताओं के बीच भिन्न होता है। कॉर्पोरेट मामलों में सुशासन को प्रभावित करने के प्रयास में कानून बनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 2002 के डरीलरशिी-जुश्रशू अधिनियम ने व्यवसायों के पालन के लिए आवश्यकताओं की स्थापना की। भ्रष्टाचार और कपटपूर्ण गतिविधियों को बेनकाब करने के लिए निगमों द्वारा व्हिसलब्लोइंग का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।

सुधार और मानक - सुशासन को बढ़ावा देने के लिए तीन संस्थानों में सुधार किया जा सकता है, राज्य, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज। हालांकि, विभिन्न संस्कृतियों में सुधार की आवश्यकता और मांग उस देश के समाज की प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। विभिन्न देश स्तरीय पहलों और अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलनों ने विभिन्न प्रकार के शासन सुधारों पर जोर दिया। सुधार के लिए प्रत्येक आंदोलन अपनी आवश्यकताओं और एजेंडे के आधार पर सुशासन के लिए मानदण्ड स्थापित करता है। अन्तरराष्ट्रीय समुदाय में प्रमुख संगठनों के लिए सुशासन मानकों के उदाहरण निम्नलिखित हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ - संयुक्त राष्ट्र (यू.एन) सुशासन में बढ़ती भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के अनुसार, 'सुशासन मानव अधिकारों और कानून के शासन के लिए सम्मान सुनिश्चित कर रहा है, लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और क्षमता को बढ़ावा दे रहा है।'

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) ब्रेटन बुड्स, न्यू हैम्पशायर में एक संयुक्त राष्ट्र (यु.एन) सम्मेलन में बनाया गया था। 1996 में आईएमएफ ने 'अपने सभी पहलुओं में सुशासन को बढ़ावा देने, कानून के शासन को सुनिश्चित करने, सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता और जवाबदेही में सुधार करने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, एक ढ़ांचे के आवश्यक तत्वों के रूप में घोषित किया, जिसके भीतर अर्थव्यवस्थाएं समृद्ध हो सकती है। आईएमएफ को लगता है कि अर्थव्यवस्था के भीतर भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था के अप्रभावी शासन के कारण होता है, या तो बहुत अधिक विनियमन या बहुत कम विनियमन। आईएमएफ से ऋण प्राप्त करने के लिए, देशों के पास आईएमएफ द्वारा निर्धारित कुछ सुशासन नीतियां होनी चाहिए।

विश्व बैंक – विश्व बैंक ने 1992 की अपनी रिपोर्ट 'गवर्नेंस एण्ड डेवलपमेंट' में इस अवधारणा को पेश किया। दस्तावेज के अनुसार, सुशासन सुदृढ़ आर्थिक नीतियों का एक अनिवार्य पूरक है और एक ऐसा वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए केंद्रीय है जो मजबूत और समान विकास को बढ़ावा देता है। विश्व बैंक के लिए सुशासन में निम्नलिखित घटक होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्धन में क्षमता और दक्षता, जवाबदेही, विकास के लिए कानूनी ढ़ांचा और सूचना और पारदर्शिता।

विश्वव्यापी शासन संकेतक 200 से अधिक देशों के शासन की गुणवत्ता को मापने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। यह उनके माप, आवाज और जवाबदेही, राजनीतिक स्थिरता और हिंसा की कमी, सरकारी प्रभावशीलता, नियामक गुणवत्ता, कानून के शासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए शासन के छह आयामों का उपयोग करता है। वे 1996 से देशों का अध्ययन कर रहे हैं।

प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय वित्त पोषण– विश्व बैंक जैसे प्रमुख दाताओं और अंतरराष्ट्रीय वित्तिय संस्थान, इस शर्त पर अपनी सहायता और ऋण का आधार बना रहे हैं कि प्राप्तकर्ता सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सुधार करता है। यह ज्यादातर खराब शासन और भ्रष्टाचार के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण हैं।

जनतंत्रीकरण – नागरिक समाज, विकेंद्रीकरण, शान्तिपूर्वक संघर्ष प्रबन्ध और जवाबदेही जैसी अवधारणाओं का उपयोग अक्सर सुशासन की अवधारणा को परिभाषित करते समय किया जाता है, इसलिए सुशासन की परिभाषा कई विचारों को बढ़ावा देती है जो प्रभावशाली लोकतांत्रिक शासन के साथ निकटता से मेल खाते हैं। आश्चर्य नही कि सुशासन पर जोर देने की तुलना कभी –कभी लोकतांत्रिक सरकार को बढ़ावा देने से की जा सकती है। हालांकि, प्रवासी विकास संस्थान के अलीना रोचा मेनोकल द्वारा लोकतंत्र ओर विकास के बीच सम्बन्ध का विश्लेषण करने वाली 2011 की एक साहित्य समीक्षा इस सम्बन्ध पर साक्ष्य की अनिर्णायकता पर बल देती है।

उदाहरण – पश्चिमी लोकतांत्रिक शासन और सुशासन की अवधारणा के बीच कुछ अभिनेताओं के लिए इस घनिष्ठ सम्बन्ध का एक अच्छा उदाहरण 12 अगस्त 2009 को नाईजीरिया में अमेरिकी विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा दिया गया बयान है।

फिर से, राष्ट्रपति ओबामा के भाषण का उल्लेख करने के लिए, अफ्रीका को और अधिक मजबूत पुरूषों की आवश्यकता नही है, उसे और अधिक मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों की आवश्यकता है जो समय की कसौटी पर खरे उतर सकें। (तालियां) सुशासन के बिना, तेल की कोई मात्रा या सहायता की कोई राशि नही, कोई भी प्रयास, नाईजीरिया की सफलता की गारंटी नही दे सकता है। लेकिन सुशासन से नाइजीरिया को कोई नही रोक सकता यह वही संदेश है जो मैंने अपनी सभी बैठकों में किया है, जिसमें आज दोपहर आपके अध्यक्ष के साथ मेरी बैठक भी शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका सुधार के लिए सात सूत्री एजेंडा का समर्थन करता है जिसकी रूपरेखा राष्ट्रपति याद 'अदुआ ने दी थी। हमारा मानना है कि सड़कों पर, बिजली पर और शिक्षा पर और उस एजेंडे के अन्य सभी बिंदु उस तरह की ठोस प्रगति को प्रदर्शित करेंगे जिसका नाइजीरिया के लोग इंतजार कर रहे हैं।

विद्वानों के दृष्टिकोण – नायेफ अल–रोधन ने अपनी 2009 की पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एण्ड द डिग्निटी ऑफ मैंन: ए फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री एण्ड सिविलाईजेशन ट्रायम्फ में, अच्छे राष्ट्रीय शासन को सुनिश्चित करने के लिए आठ न्यूनतम मानदण्ड प्रस्तावित किए। अल–रोधन के आठ न्यूनतम मानदण्ड हैं। 1–भागीदारी, समानता और समावेशन, 2– कानून का शासन, 3– शक्तियों का पृथक्करण, 4– स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया, 5– सरकारी वैधता, 6–जवाबदेही, 7–पारदर्शिता और 8– राजनीति में पैसे के विकृत प्रभाव को सीमित करना। पुस्तक में, उनका तर्क है कि मानव जाति के लिए 1932 से 1972 तक टस्केगी अध्ययन ने राष्ट्रीय अनुसंधान अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इस कानून ने बुनियादी नैतिक तरीकों की रूपरेखा तैयार की जिसमें शोध किया जाना है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग (डी.एच.ई.डब्ल्यु.) ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनके लिए अपनी पढ़ाई में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्वैच्छिक समझौतों की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों में शासन का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जब मानव विषयों पर अध्ययन किया जा रहा हो तो नीतियां सुरक्षित और नैतिक हों। राष्ट्रीय अनुसंधान अधिनियम के बाद एथिक्स एडवाइजरी बोर्ड जैसे अन्य संगठन भी स्थापित किए गये हैं जो बायोमेडिकल रिसर्च की समीक्षा करते हैं। कई संघीय एजेंसियों ने 1991 में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संघीय नीति को अपनाया। 1995 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के नेतृत्व में राष्ट्रीय जैवनैतिकता सलाहकार आयोग की स्थापना की, जिसका कार्य अनुसंधान स्वयंसेवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों और नीतियों की समीक्षा करना था।

सैम एगेरे के अनुसार, 'शासन के लिए एक स्पष्ट सुपरिभाषित दायरे की कमी के कारण छोड़ी गयी विवेकाधीन जगह उपयोगकताओं को अपने मापदंडों को चुनने और सेट करने की अनुमति देती है।

कंटेस्टिंग गुड गवर्नेंस पुस्तक में ईवा पोलुहा और मोना रोसेन्डहल उन मानकों को चुनौती देते हैं जो सरकार में 'अच्छाई' के उपायों के रूप में पश्चिमी लोकतंत्र के लिए सामान्य है। राजनीतिक मानवशास्त्रीय तरीकों को लागू करके, वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सरकारें यह मानती हैं कि वे निर्णय लेते समय सुशासन की अवधारणाओं को लागू करती हैं, सांस्कृतिक अन्तर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के विषम मानकों के साथ संघर्ष का कारण बन सकता है।

सुशासन आलोचना का एक अतिरिक्त स्त्रोत सुरेन्द्र मुंशी द्वारा लिखित द इंटेलिजेंट पर्सन गाइड टू गुड गवर्नेंस है। मुंशी का काम सुशासन को 'पुनर्जीवित' करने के लिए बनाया गया था। बहुत से लोग या तो दूर हो जाते हैं और शासन के विचार से ऊब जाते हैं, या उन्हें पता ही नही होता कि इसके पास क्या है। यह पुस्तक एक सामान्य चर्चा है कि सुशासन का उद्देश्य क्या है

और यह हमारे पूरे समाज में उस उद्देश्य को कैसे पूरा करता है। मुंशी ने किताब को शोध करने वाले या केवल 'शासन के मुद्दे से सम्बन्धित लोगों' की ओर लक्षित किया।

रीथिंकिग सिस्टम्स: कॉन्फिगरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी इन कंटेम्परेरी गवर्नेंस, माईकल पी. क्रोजियर द्वारा लिखित, सुशासन का विश्लेषण करने वाला एक और काम है। क्रोजियर के लेख में संचार प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों की विभिन्न गतिशीलता और शासन पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई है। विभिन्न दृष्टिकोणों का विचार पूरे लेख में प्रस्तुत किया गया हैं यह पाठक को यह देखने में सक्षम बनाता है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से समकालीन शासन कैसा है। क्रोजियर का उद्देश्य समाज के भीतर शासन और नीति कैसे संचालित होता है, विशेष रूप से दिन-प्रतिदिन होने वाले निरंतर परिवर्तनों के संदर्भ में एक खुली मानसिकता बनाना था।

हाल की आलोचना इस विचार के उद्देश्य से की गई है कि सुशासन और संस्थान आर्थिक विकास के प्राथमिक व्याख्यात्मक चर में से एक हैं, जैसे कि कॉफमैन, क्रै और एसेमोग्लू और रॉबिन्सन, द्वारा तर्क दिया गया है, जिसने संस्थागत सुधारों को वैश्विक स्तर पर उच्च स्तर पर रखा है। विकास एजेंडा आलोचना मूल रूप से इस मुद्दे से संबंधित है कि पिछले 70 वर्षों में अपेक्षाकृत कुछ देश तेजी से विकास करने में कामयाब रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. AIMA (1997) Corporate Governance and Business Ethics : New Delhi : Excel Books.
2. A Koi, M. and H. Kim (eds.) (1995) Corporate Governance in Transitional Economies, Insider Control and the Role of Banks, washington D.C., The world Bank.
3. Aberbach, J.D.R.D. Putnam and B.A. Rockman (1981) Bureancrats and Politicians in Western Democracies (Cambridge, MA:Harvard University Press)
4. Aberle, D.F.A.K. Cohen, A.K. Davis, M.J. Levy, Jr. and F.X.Sutton (1950), "The Functional Prerequisites of Society", Ethics 60:100-1.
5. Acemoglu, D.and J.A. Robinson (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty (New York:Crown).
6. Alam, M.S.(1989), "Anatomy of Corruption: An Approach to the Political Economy of Under development", American Journal of Economics and Sociology 48:441-56.
7. Arora, Ramesh Kand Tanjul Saxena Leds) (2004) Corporate Governance; issues and Perspective Janus; Mangaldeep.
8. Almond, G.A. and J.S. Coleman (1960) The politics of Developing Areas (Princeton, NJ: Princeton University Press).
9. Allison, G. And P Zelikow (1999), Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (2nd edn) (New York: Longman).
10. Almond, G.A. (1988), "The Return to the State", American Political Science Review 82:853-74.
11. Almond, G.A. and J.S. Coleman (1957), Politics in Developing Societies (Princeton, NJ: Princeton University Press).
12. Almond, G.A. and G.B. Powell (1966), Comparative Politics: A Developmenttal Approach (Boston, MA :Little, Brown).
13. Ames, B.C. (2001) Deadlock (Boston, MA, Little, Brown).
14. Ames, B.C. (2001), Deadlock of Demorcacy in Brazil (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press).
15. Anderson, C.W. (1970), The Political Economy of Mordern Spain (Madison, WI:University of Wisconsin Press).
16. Andrews, M. (2012), The Limits of Institutional Reform in Develompemtn: Changing Rules for Realistic Solutions (Cambridge: Cambridge University Press).
17. Andrews, M. (2008) "The Good Governance Agenda; Beyond Indicators Without Theory", Oxford Development Studies 36:379-407.
18. Acuna, C.(in press), Instituciones Y actors de la politica y las politicas publicas en la Argentina (Buenos Aires: OSDE).
19. Alford, J. and J. O'Flynn (2012), Retbinking Public Service Delivery: Managing with External Providers (Basingstoke:Palgrave).

तालिका 1

सैक्टर्स	समूह अ	समूह ब	पूर्वोत्तर ओर पहाड़ी राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश	मिजोरम	डी एण्ड एन हवेली
वाणिज्य और उद्योग	तेलंगाना	उतर प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	दमन और दीव
मानव संसाधन विकास	पंजाब	उड़ीसा	हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़
सार्वजनिक स्वास्थ्य	केरल	पश्चिम बंगाल	मिजोरम	एक प्रायद्वीप
सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिताएं	गोवा	बिहार	हिमाचल प्रदेश	एक प्रायद्वीप
आर्थिक शासन	गुजरात	उड़ीसा	त्रिपुरा	दिल्ली
समाज कल्याण और विकास	तेलंगाना	छत्तीसगढ़	सिक्किम	डी एण्ड एन हवेली
न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा	तमिलनाडु	राजस्थान	नागालैण्ड	चंडीगढ़
पर्यावरण	केरल	राजस्थान	मणिपुर	दमन और दीव
नागरिक केंद्रित शासन	हरियाणा	राजस्थान	उत्तराखण्ड	दिल्ली
कम्पोजिट	गुजरात	मध्य प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	दिल्ली

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (लखनऊ जिले के विशेष सन्दर्भ में)

शोभना शुक्ला*

* शोधार्थी, समाजशास्त्र विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी भी देश अथावा समाज के लिए महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण एक गंभीर समस्या है। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण का दुष्प्रभाव परिवार एवं उसकी आनेवाली संतानों पर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अस्वस्थता प्राय: गरीबी, अज्ञानता, जागरूकता एवं चिकित्सकीय सुविधा के अभाव के कारण होता है। महिलाएं समाज का आधार स्तंभ है। महिलाओं के अस्वस्थ एवं कुपोषित होने के की स्थिति में हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अत: एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए महिलाओं को स्वस्थ होना एक अनिवार्य दशा है।
शब्द कुंजी – ग्रामीण, महिलाएं, स्वास्थ्य, जागरूकता, चिकित्सा, समाज।

प्रस्तावना – समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को मापने के लिए स्वास्थय को एक महत्वपूर्ण सूचक के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण भारत में निवास करती है। सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं। समाज के इस आधे हिस्से पर परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवार निर्भर है। अत: महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की प्राथमिकता सर्वोपरि होनी चाहिए। एक अस्वस्थ महिला द्वारा कुपोषित बच्चे को जन्म देने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए समय समय पर सरकारों द्वारा प्रयास किया गया किन्तु महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य तथा कुपोषण के कारण मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर को रोक नहीं पायें हैं। महिलाओं का स्वास्थ्य प्रमुखतया जैवकीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों से प्रभावित होता है। प्रस्तुत शोध आलेख में लखनऊ जिले की ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है। इस शोध आलेख के लिए प्राथमिक तथ्यों को स्रोत के रूप में लिया गया है।

अध्ययन का महत्व – भारतीय समाज में मातृत्व स्वास्थ्य के आज भी कई मिथक विद्यमान हैं। मातृत्व स्वास्थ्य को उनकी निम्न पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। जिसके परिणामस्वरूप मातृत्व मृत्यु दर जैसी गंभीर समस्यायें उत्पन्न होती हैं। अज्ञानता, गरीबी, शिक्षा तथा सामाजिक-सांस्कृतिक जागरूकता के अभाव में मातृत्व स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारियों का नितान्त अभाव है। शोध के निष्कर्ष मातृत्व स्वास्थ्य से जुडे विभिन्न अनसुलझे पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। फलस्वरूप मातृत्व स्वास्थ्य से संबधित भ्रामक धारणाओं के निराकरण, समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना और साथ ही साथ मातृत्व मृत्यु दर को कम करने में मदद मिली। इसके साथ-साथ अध्ययन एवं उसके निष्कर्ष भविष्य में मातृत्व स्वास्थ्य सम्बंधित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उसके मूल्यांकन में भी मदद करगे।

साहित्य की समीक्षा:

नवीनाथम, के० एवं धर्मालिंगम, ए० (2000) ने अपने अध्ययन में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में मातृत्व स्वास्थ्य से सम्बंधित घटकों का परीक्षण किया। इन्होंने एन०एफ०एच०एस०-1(1992-93) से प्राप्त आंकड़ों को शामिल किया। यह अध्ययन विवाहित महिलाओं के अधिकांश प्रसवों पर ध्यान केन्द्रित करता है और यह निष्कर्ष में पाते हैं कि महिला स्वास्थ्य के सम्पूर्ण अध्ययन की आवश्यकता है।

सिंह एवं मिश्रा (1990) का अध्ययन मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण के लिए राज्य सरकार एवं योजना आयोग द्वारा किये गये प्रयासों का विश्लेषण है। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना से सातवीं पंचवर्षीय योजना तक बाल एवं महिला कल्याण के लिए चलायी जाने वाली नीतियों एवं उन पर होने वाले व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया तथा विभिन्न योजनाओं में किस प्रकार महिलाएं विकास की ओर अग्रसर हैं।

वर्मा (2011) ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर निम्न होता है। इनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाता है, विशेषकर मातृत्व स्वास्थ्य के सम्बन्ध में। NFHS-1, NFHS-2, NFHS-3 के प्राप्त आकड़ों के अनुसार प्रसवपूर्व देखभाल का प्रतिशत ग्रामीण स्तर की महिलाओं में कम रहता हैं।

मोनिका शर्मा (1991) ने 'महिला स्वास्थ्य : समस्याओं व विशेष मुद्दे' पर भारतीय जनगणना आंकड़ों के आधार पर महिलाओं के विभिन्न स्वास्थ्य सम्बंधी मुद्दों जैसे कि लिंगानुपात, जीवन प्रत्याशा, विवाह की उम्र, पोषण स्तर प्रसव, गर्भपात व स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े पूर्वाग्रहों पर विश्लेषण किया और यह पाया कि महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग धीमी गति से हुआ, क्योंकि उनमें शिक्षा व जागरूकता की कमी है।

भाटिया (1995) ने अपने आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर गाँव में सामुदायिक अध्ययन में यह पाया कि मातृत्व मृत्यु दर शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। जिसका मुख्य कारण महिलाओं में स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव व अशिक्षा है।

मिनोचा (2012) ने अपने अध्ययन में पाया है कि भारतीय समाज

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

में महिलाओं को लैंगिक असमानता के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके साथ स्वास्थ्य देखभाल में हमेशा भेदभाव होता है।

प्रवीण एण्ड दास (2004) ने 1998 में लागू प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर अध्ययन किया है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के दो गांवो की ग्रामीण महिलाओं पर अधारित है। इस अध्ययन के निष्कर्ष से यह स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण महिलाएं स्वास्थ्य केन्द्रों की देख-भाल, सेवाओं में गुणवत्ता न होने, स्वास्थ्य केन्द्र में कर्मियों का अभाव, उनके कठोर व अभद्र व्यवहार के कारण स्वास्थ्य केन्द्रों से संतुष्ट नहीं हैं।

मेहता (1992) के अनुसार परिवार में जिम्मेदारियों का भार उठाते हुये महिलाएं अपने भोजन व पोषण में अनदेखी करती हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला के पोषण, स्वास्थ्य देखभाल की कमी के कारण महिला एनीमिया से पीड़ित हो जाती है।

नागदेवा (2003) ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रसवपर्वू सुविधा के अध्ययन में यह पाया कि टिटनेस टॉक्साइड व आई0एफ0ए0 दवाओं के वितरण का प्रतिशत शहरी क्षेत्र में बढ़ा है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव पूर्व जाँचों का उपयोग कम पाया गया है, जिसमें प्रसव कालीन जटिलताओं का स्तर बढ़ा है।

अध्ययन का उद्देश्य:

- ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र – प्रस्तुत शोध हेतु उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले का अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन किया गया है, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ का क्षेत्रफल 2528.0 वर्ग कि0मी0 है, इसका विस्तार $26^0 30'$–$27^0 10'$ उत्तरी अक्षाशं से $80^0 30'$ से $81^0 13'$ पूर्वी देशान्तर तक है। यह राज्य के मध्य भाग में स्थित है, इसके उत्तर-पूर्व में सीतापुर जिला, बाराबंकी। रायबरेली दक्षिण में, उत्तर-पश्चिम में हरदोई और दक्षिण-पश्चिम में उन्नाव जिला स्थित है। यहाँ की कुल जनसंख्या 45,89,838 है, जिसमें 23,94,476 पुरूष तथा 21,95,362 महिलायें हैं यहाँ का लिंगानुपात 917 महिलाएँ प्रति 1000 पुरूष हैं। यहाँ की कुल साक्षरता दर 77.3 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता 82.6 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 71.5 प्रतिशत है (**स्रोत-जनगणना 2011**)।

शोध विधितंत्र – प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक तथ्यों पर आधारित है। इस शोध पत्र में लखनऊ जिले के ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। इसके लिए लखनऊ जिले के दो ग्रामीण विकास खण्डों (काकोरी एवं सरोजनी नगर) का चयन कर प्रत्येक विकासखण्ड से 10 ग्राम प्रंचायतों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति से किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण महिला जनसंख्या का 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति के लाटरी विधि द्वारा कुल 315 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। उत्तरदाताओं के चयन के पश्चात उनसे प्रत्यक्ष सम्पर्क कर साक्षात्कार अनुसूची से के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों को संकलित किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के लिए अभिलेखों, शोध अध्ययनों, दस्तावेजों अदि का भी उपयोग किया गया है। प्राप्त तथ्यों को सांख्यिकीय पद्धतियों के माध्यम से चित्रों एवं सारणी के रूप में प्रदर्शित कर विश्लेषण कर निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

तथ्यों का विश्लेषण

ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति

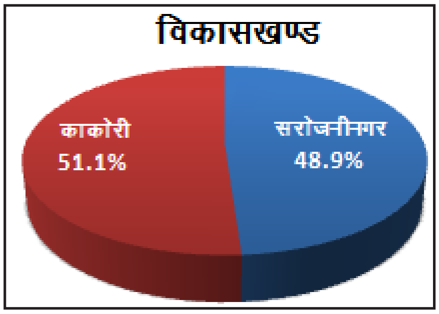

उपर्यक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि लखनऊ जिले के अध्ययन क्षेत्र में काकोरी विकासखंड से 51.1 प्रतिशत एवं सरोजिनी नगर विकास खंड से 48.9 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं का अध्ययन किया गया है।

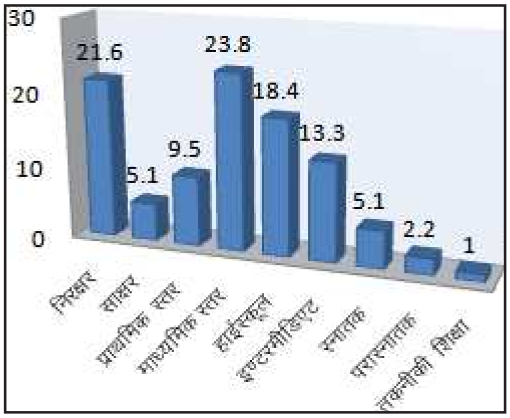

उपर्युक्त दण्ड आरेख में शिक्षा के स्तर को दर्शया गया है। तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उत्तर दाताओं में सर्वाधिक 23.8 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की हुई थी, 21.6 प्रतिशत निरक्षर, 18.4 प्रतिशत हाई स्कूल, 13.3 प्रतिशत इंटरमीडिएट, 9.5 प्रतिशत प्राथमिक 5.1 प्रतिशत क्रमश: साक्षर एवं स्नातक, 2.2 प्रतिशत परास्नातक एवं 1 प्रतिशत तकनीकी शिक्षा प्राप्त महिलाएं पाई गईं।

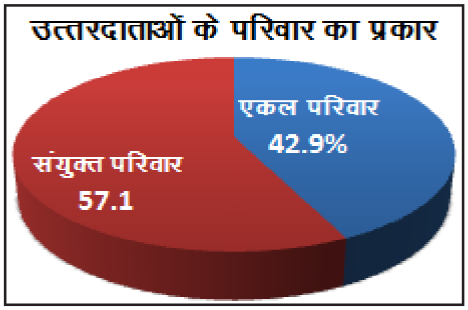

अध्ययन क्षेत्र में 57.1 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार से एवं 42.9 प्रतिशत उत्तरदाता एकल परिवार से संबंधित हैं।

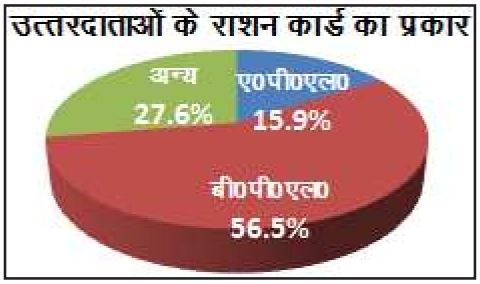

अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 56.5 प्रतिशत उत्तरदाता गरीबी रेखा के नीचे, 15.9 प्रतिशत उत्तरदाता गरीबी रेखा के ऊपर एवं 27.6 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य राशन कार्ड धारी पाए गए।

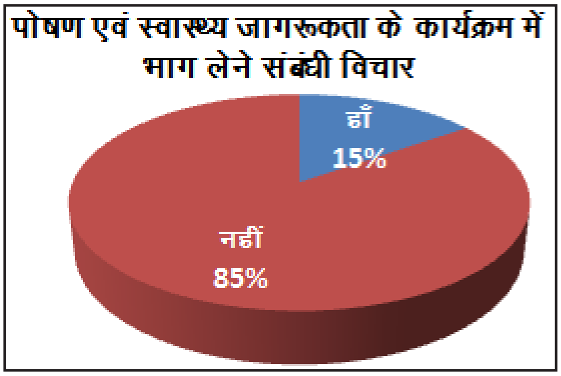

इस अध्ययन में पाया गया है कि 85 प्रतिशत महिलाएं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में भाग नहीं लेती 15 प्रतिशत महिलाएं ही स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधि में भाग लेती हैं।

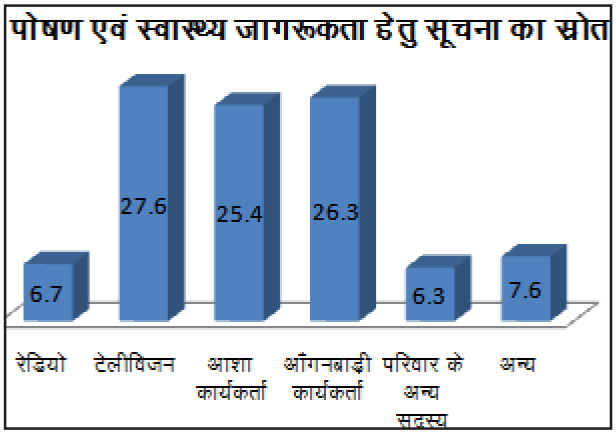

इस अध्ययन में सम्मिलित समस्त महिलाओं में से 27.6 प्रतिशत महिलाएं टेलीविजन से स्वास्थ्य जागरूकता हेतु सूचना प्राप्त करती हैं। 26.3 प्रतिशत महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से 25.44 प्रतिशत आशा कार्यकर्ता से, 6.7 प्रतिशत रेडियो से 6.3 प्रतिशत महिलाएं परिवार के सदस्यों से एवं 7.6 प्रतिशत महिलाएं स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अन्य स्रोतों का उपयोग करती हैं।

निष्कर्ष:

1. सभी उत्तरदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित हैं।
2. सर्वाधिक उत्तरदाता माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त हैं एवं बहुत कम महिलाएं स्नातक अथवा परास्नातक हैं। अत: स्पष्ट है कि उत्तरदाओं में शिक्षा का अभाव देखने को मिला।
3. सर्वाधिक उत्तरदाता संयुक्त परिवार से संबंधित हैं। इससे स्पष्ट है कि ग्रमीण क्षेत्रों में आज भी संयुक्त परिवार अस्तित्व में है।
4. सर्वाधिक महिलाओं का परिवार गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहा है। अत: मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहने की संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा से ग्रामीण महिलाओं को वंचित होना पड़ता है।
5. सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा आयोजित पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम में सर्वाधिक महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ग्रामीण महिलाएं दैनिक मजदूरी के लिए काम पर निकल जाती हैं।
6. सर्वाधिक महिलाएं अपने पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। जागरूकता के लिए ये महिलाएं टेलीविजन, रेडियो, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि से जानकारी प्राप्त करती हैं।
7. तथ्य प्रदर्शित करते हैं कि जागरूकता कार्यक्रम में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं किन्तु सूचना के अन्य स्रोतों का उपयोग कर वे अपने पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हैं।

सुझाव:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना आश्यक है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम शुल्क पर महिलाओं के लिए सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
3. ग्रामीण महिलाओं के गरीबी के स्तर को दूर करने के लिए उन्हें कम ब्याज दर पर लोन दे कर सफल उद्यमी बनाया जाये।
4. सरकार अथवा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के स्वरूप में बदलाव करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो सकें।
5. महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए सरकारी स्तर पर निरंतर निगरानी एवं पौष्टिक पोषाहार की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे महिलाओं में कुपोषण दूर किया जा सके।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में एवं आस-पास के वातावरण को स्वच्छ बनाये रख कर अन्य प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रावत, हरिकृष्ण (2013) सामाजिक शोध की विधियाँ, रावत पब्लिकेशन , जयपुर।
2. सिंह, राम गोपाल (2014) सामाजिक अनुसंधान पद्धति विज्ञान, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
3. नवीनाथम, के0 एण्ड धर्मालिंगम, ए0, (2000), यूटीलाईजेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसस इन साउथ इण्डिया
4. अकरम मो0, (2014), सोसियोलॉजी ऑफ हेल्थ, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. सिंह, सुरेन्द्र, एवं पी0 डी0 मिश्रा, (1990), भारत में सामाजिक नीति, नियोजन एवं विकास, क्वालिटी पब्लिकेशनस, लखनऊ।
6. गोपालन, सी0; (1989), वूमेन एण्ड न्यूट्रीशन इन इंडियाय, न्यू दिल्ली।
7. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2014-15), भारत सरकार।
8. जनगणना, (2011) डिस्ट्रिक्ट सेन्सस, हैण्डबुक रिपोर्ट, लखनऊ,उत्तर प्रदेश।
9. शर्मा, मोनिका, (1991), वूमेन एण्ड हेल्थ प्रोब्लम एण्ड इशू इन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ इन इण्डिया, संपादन टी0 एम0 डॉन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Judicial Intervention in Arbitration: A Study

Anjali Mudgal* Dr. Mamta Mishra**

*Research Scholar, Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA
**Assistant Professor, Madhav Vidhi MahaVidyalaya, Gwalior (M.P.) INDIA

Abstract - Arbitration is the referral of a dispute or difference between at least two parties to a person or persons other than a judiciary for resolution after both sides have been heard judicially, by a person or persons other than a court of competent jurisdiction, it is believed by a section of people that judicial intervention is antithetical to arbitration, and this viewpoint is shared by a section of the arbitration community in India. On the other hand, the Law Commission of India does not share this viewpoint, as it understands that the judicial system is critical to the arbitral procedure's success. It is based on the principle of eliminating a dispute from the ordinary courts and allowing the parties to choose a private tribunal to resolve it. Furthermore, in respect of its powers of intervention, the Indian judiciary has taken an extensive approach. The Supreme Court's decisions interpreted the Arbitration and Conciliation Act, which was against the spirit of the UNCITRAL Model Law, causing widespread condemnation from the international business sector. However, to avoid judicial intervention, the Indian judiciary construed arbitration agreements to give priority to the seat of arbitration with the help of 'seat theory' which is internationally accepted in the field of arbitration. Nevertheless, in an arbitral procedure, judicial intervention may occur at several points. At the outset, when arbitration procedures are set an arbitrator may need the intervention of a judiciary during a certain time to help the arbitrators, judicial intervention may be necessary to determine if it is an interim order or a preliminary injunction. The question of whether there is a need for the judiciary to intervene in arbitral awards has significant importance or an issue of interim measures during the arbitration. This research paper aims to discuss the historical background,the necessity of Judicial intervention and its significance in arbitral awards.
Key Words- Historical background of Arbitration, Constitutional aspect,Judicial pronouncements.

Introduction - In 1800 BC, the ADR is developing when the Mari kingdom was using the Mediation process to settle the disputes with the other kingdoms. The Indian Panchayat system and Madhyasta helps to solve the disputes in the early 500 BC.

The ADR techniques that have received recognition as:-

1. Arbitration.
2. Negotiation
3. Mediation,and
4. Conciliation

There are three main methods for resolving conflicts:

1. Resolution of Dispute through Traditional method
2. Resolution of Dispute through Alternate method.

In recent years, because of the rapid growth of industrialization and globalization, the excessive burden placed on the judiciary because of many pending cases due to lengthy court procedures has resulted in arbitration becoming a time-efficient and reliable means of resolving disputes not only in India but around the world. Furthermore, by allowing for greater flexibility in the procedure for dispute resolution, arbitration creates far larger and more open opportunities for networking between the disputing parties. The primary objective of introducing arbitration as a dispute resolution mechanism was to create a rapid and convenient dispute resolution process that was also cost-effective when compared to traditional court proceedings. It is currently one of the most popular methods of conflict resolution since it includes a mediation and conciliation procedure that encourages parties to resolve their disagreements outside of court and in a short amount of time.

Section 2 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 defines "Arbitration" as unless the context otherwise requires[1]

(a) Arbitration means any arbitration whether administered by permanent Arbitral Institution and

(b) Arbitration Agreement' means and Agreement referred to in Section 7. It is thought in some quarters that judicial intervention is anathema to arbitration, and this The Commission recognizes that the judicial machinery provides essential support for the arbitral process. View is not alien to a section of the arbitral community even in India. The Commission, however, does not subscribe to this view.

In India, the evolution of arbitration law has a lengthy history. The Bengal Regulations were the first to implement

modern arbitration in India in 1772. Eventually, the Arbitration and Conciliation Act of 1996 was enacted[2].The court must step in when there is an initial dispute over who should be the arbitrator. An 'award' is a decision made by an arbitrator through an arbitration tribunal that is like a decision or judgment made by a court of law.

An Arbitral Award specified under Section 31 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 is merely a statement of an arbitral tribunal's determination of issues, and there is no basis for appeal against the award in the 1996 Act, which is based on the UNCITRAL Model Law. Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act of 1996, on the other hand, allows an aggrieved party to request that the arbitral award be set aside.

Historical Background of Alternative Dispute Resolution- Dispute Settlement is not a new concept for the society. It has been prevalent in India since time immemorial. The earliest evolution of the concept of arbitration can be traced back to the time when King Solomon settled the dispute between two mothers where each one was claiming the right on the baby boy and the issue was who the true mother of a baby boy was.6 The first Arbitration Act was passed in the year 1698 under William III. Later on changes were made in accordance with the need. In India, first Arbitration Act was passed in the year 1899 and then after Arbitration Act, 1940 was enacted but it was also rejected due to some ambiguities in it[3]. Finally in the year 1996, Government came up with "The Arbitration & Conciliation Act" which is in continuance with the recent amendment in August, 2019.The four ways of dispute resolution were also covered by Chanakya:-

1. Sama- It is a type of conciliar approach
2. Dama- It means to pay value or compensation
3. Danda- Use of coercive force
4. Bheda- Use of trickery, logics to influence the mind of others

Role of Judiciary in Arbitration - In India, the development of arbitration law has a lengthy history. The Bengal Regulations were the first to implement modern arbitration in British India in 1772. In time, the Arbitration and Conciliation Act of 1996 was enacted. The 1996 legislation was only enacted after two ordinances were approved following the implementation of the New Economic Policy in 1991. The 1996 legislation is structured in such a way that the court's supervisory role in arbitration procedures and arbitral decisions is minimized. The preamble of this Act states that it is based on the UNCITRAL Model Law.

ADR is not a new concept for the society. The concept of Dispute Settlement has been in existence for more than thousands of years. Chanakya (350-275 BCE) gave the concept of Dispute Settlement as Sama, Dana, Danda, Bheda in the primitive society. Quran which was revealed in between (Circa 650-656) also talks about the Dispute Settlement Method. Abu Dawud said that "There is a great reward for those who facilitate reconciliation between disputing parties".

The Law Commission of India, in its 14th report, suggested devising of ways to make sure that justice should be uncomplicated, swift, easy on the pocket, effectual and substantial. In its 245th report5 titled "Arrear and Backlog: Creating Additional Judicial (WO) manpower, Law Commission mentioned that 4407861 and 10544695 cases are pending in the Higher Judicial Services and Subordinate Judicial Services respectively[4]. Denial of timely justice amounts to denial of justice itself. Law Commission specifically mentioned that appropriate ADR methods can divert cases outside the Court system and lead to overall reduction in pendency in the judicial system. Therefore a piecemeal approach to delay reduction should be achieved in favour of a systematic perspective.

The ADR is only a branch of Government, It cannot be left as a Car without break, the supervision by Judiciary is essential.

Constitutional Aspectabout ADR - M.C. Setalvad, the 1st A.G. of India said: "Without a question, the British administrative system was outstanding and produced excellent achievements, but it also had flaws that have been shown in two different ways. We are now a democratic and a very populous country. In these days, therefore, what is required is a radical change in the method of administration of justice. We want court to which people can go with ease and with as little cost as possible. Not only must justice be delivered quickly, but it also must be simple to approach and resolved quickly, both of which can only be accomplished if the system is fully revamped."

The preamble of the Indian Constitution seeks to provide JUSTICE- social, economic and political to every individual. The preamble in unequivocal terms declares that the source of all authority under the Constitution is the people of India and there is no subordination to external authority. The sole purpose of the Constitution is to safeguard the rights of the Individual. In case dispute arises between the individuals, institutions, etc.

ADR is one of the major function of Indian Judiciary. The Government of India works through different organs and judiciary is one of the main organ of the government which works for the administration of justice.

A. R. Antulayv. Avdesh Kumar[5]

In this case, the Supreme Court issued the following guidelines for the speedy trial of cases.

1. The accused has a right to a speedy trial under Article 21 of the Constitution. The accused has the right to a timely trial. The fact that a rapid trial is in the public interest or serves the social interest does not negate the accused's right to a timely trial. It is in the best interests of everyone involved if the accused's guilt or innocence be established as soon as feasible under the circumstances.
2. The right to a prompt trial derived from Art.21 covers all stages,including investigation, inquiry, and trial, as wellas appeal, revision, and retry. That is how the Supreme Court

interpreted this freedom, and there is no need to have a narrow perspective.

Role of ADR System in Promoting Speedy justice - Any maturesocietymust havea functioningjudicialsystem. Our Constitution's preamble expresses aspirations such as "justice-social, economic, and political." Equal access to justice is guaranteed by Article 39-A of the Indian Constitution. The inabilityofthe criminaljustice systemto keep criminalbehaviour under strict control is seenas contributing to the breakdown of the institution. The term "crime-control" connotes a technique that is bothordered and efficient. Those who are guiltyare arrested, prosecuted, convicted, and punished. Preventing others from committing crimes Individual rights are safeguarded.

The judiciary has played a key role in promoting and establishing India as "an arbitration-friendly country, and the day is not far away when India will pose a substantial challenge in hosting international arbitrations. When a party challenges a party's choice of arbitration, the Supreme Court of India and other High Courts have taken a hands-off approach to the issue. Indian courts have progressively adopted an arbitration-friendly stance. Any study of recent trends in civil litigation must include a discussion of the virtualrevolutioninalternativedisputeresolution(ADR).

Judicial Pronouncements

In Bharat Sewa Sansthanv. U.P. Electronics Corporation Limited[6] - In Bharat SewaSansthan v. U.P. Electronics Corporation Limited, H.K. Sema, J.- The Apex Court, stated that: "The Arbitration Act's primary goal is to provide an arbitration process that is fair, effective, and tailored to the demands of the particular arbitration, to lessen the supervisory function of courts in the arbitral process, and to enable an arbitral tribunal to use mediation, conciliation, and other forms of alternative dispute resolution." In exercising its competence and jurisdiction under Article 142 of the Indian Constitution, this court will not be required to disregard the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

Salem Bar-Association v. Union of India[7] - This is also a milestone case in field of arbitration in India,In this case SC said that the main reason why Sec. 89, CPC has been inserted is to ensure that all cases which are filed in court need not necessarily to be decided by the Court itself. Seeing the delay in judgment and limited availability of judges, it has now become important to resolve disputes by alternative dispute resolution mechanisms. The concept of ADR has been successful in certain countries to such extend that over 90 percent of the cases are settled out of the court.

The court further said that although section 89 CPC lays emphasis on out of the court settlement in order to reduce the burden of court but it has failed in its objective. And thus directed to constitute a committee to make the provision of this section become effective and result in quicker dispensation of justice.This simply implies that every attempt must be taken to reach an acceptable agreement between the parties, but if conciliation, mediation, or judicial settlement is not feasible despite these efforts, the matter will go to trial.[8]

Bihar State Mineral Dev. Corpn. & Anr. V.Encon Builders(I) Pvt.Ltd[9] - S.B. Sinha, J. pointed forththe fundamentalaspects ofthe arbitrationagreement in Bihar State Mineral Dev. Corpn. &Anr. V. Encon Builders (I) Pvt. Ltd.:

1. In conjunction with any planned event, there must be a current or future difference.
2. The parties must in tend to settle their differences through a private tribunal.
3. The parties must agree to be bound by the tribunal's ruling in writing.

Theparties mustbejointand many

Food Corporation of India v. Joginderpal Mahinder pal[10]- The scope of interference of the award passed by an arbitrator was dealt with by the Apex Court when they said – "It is the function of the Court of law to oversee that the arbitrator acts within the norms of Justice. Once they do so and the award is clear, just and fair, the Court should as far as possible give effect to the award of the parties and make the parties compel to adhere to and obey the decision of their chosen adjudicator. It is in this perspective that one should view the scope and limit of corrections by the Court of an award made by the arbitrator."

Brij Mohan Lal v. Union of India[11] - It was held that an independent and efficient judicial system is one of the basic structures of our Constitution. It is our Constitutional obligation to ensure that the backlog of cases is decreased and efforts are made to increase the disposal of cases.

Afcons Infrastucture Ltd. and ors.v. Cherian Varkey Construction co. (P) Ltd[12] - The hon'ble supreme court stated that if section 89 of the CPC is read literallyin conjunction with the Arbitration and Conciliation Act, the trial judge is not obligated to formulate all of the terms and conditions of the settlement; instead, it may be asserted in a single phrase or multiple with the rationale of the potential of settlement between the parties, and the reference can be created simply.Second, the ambiguity insubsections (c) and (d) willbe remedied bythe legislature, but until then, the words will be interchanged for purposes of interpretation to avoid future ambiguities

ONGC v. Collector of Central Excise (ONGC II)[13] - In this case it was held that public undertaking to resolve the disputes amicably by mutual consultation in or through or good offices empowered agencies of govt. or arbitration avoiding litigation. Government of India directed to constitute a committee consisting of representatives of different departments. To monitor such dispute and to ensure that no litigation could come to the Court or tribunal without the Committee's prior examination and clearance.Every High Court was instructed to share the order with all of the lower courts for information.

Chief Conservator of Forest v. Collector[14] - It was said that state/union govt. must evolve a mechanism for resolving interdepartmental controversies- disputes between departments of Government cannot be contested in court.

Ayodhya Title Dispute- Hon'ble Supreme Court in one of the most politically sensitive cases (Ayodhya Title Suit Case) referred Mediation. The apex court in its hearing observed that the issue is not about 1,500 square feet land, but about religious sentiments. The bench said they believed this to be a better course of action than insisting on a judicial pronouncement and that the dispute be resolved amicably. Supreme Court decision in Ayodhya Title Suit Case shows the importance Judiciary emphasis on ADR mechanisms. ADR is not only seen as an alternate mechanism but is also considered as a harmonious method of solving the dispute where focus is not only on solving dispute but on satisfying the parties.

Conclusion- Although, ADR mechanism got a new dimension after it's codification but still its application seems to be very limited and subject to various restrictions which makes it vague. Judiciary has played very crucial role in enhancing the application of ADR but question always arises regarding the extent of interference by courts in ADR. The reason for such conflict is Lack of Consistency in decisions by Indian Judiciary on Arbitration.

Inspite of some drawbacks, the scope of Alternate dispute resolution has widened in last few decades and it has been successful in its prime objective (reducing the burden of judiciary).

After analyzing the background and scope of ADR, the paper provides for some suggestive measures which need to be considered in order to enhance the efficiency of ADR mechanisms.

Suggestions:

1. Currently ADR mechanism is limited only to urban areas. The knowledge of ADR option needs to be given to the people especially in rural areas so as to increase its application.
2. Conduct Model of Countries like - Singapore where ADR is huge success need to be looked upon and its provisions should be adopted.
3. Referring some particular type of cases (family disputes, breach of contract etc.) to ADR should be made mandatory.
4. Application of ADR mechanism should be increased in Commercial matters.
5. Arbitration Advocacy - Lawyers and personnel needs to be trained in techniques of Negotiations, Mediation, Conciliation, Arbitration or Counseling.
6. ADR in present context is limited only to certain type of cases, the application of ADR need to be widened.
7. Each Court must have Arbitration and Mediation Centres.This would guarantee that the ADR forum takes control of the conflicts that can be resolved using any of the ADR techniques first. If parties fail to arrive at settlement, only then the matter be taken to the Courts.
8. Need for more ADR centers - In cities like Delhi there is one centre for ADR and few in other cities, which is not sufficient in view of a large number of disputes arising. At least one ADR centre at each district headquarters needs to be established.

References:-

1. Dhingra, Aarushi. "Arbitration and Conciliation Act, 1996-An Overview." Available at SSRN 3582896 (2020).
2. Tiwari, Vartika, and PragyaDubey. "The Debate around Applicability: An Analysis of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015." Ind. Arb. L. Rev.1 (2019)
3. Naushad, Raghib, and Nabil Iqbal. "Tracking the History of Alternative Dispute Resolution in India." Issue 4 Int'l JL Mgmt. & Human. 3 (2020)
4. Ibid
5. 1988AIR 1531
6. *Civil Appeal No. 2016 of 2006 Decided On,29 August 2007*
7. 2003(1)sec49,AIR2003SC 189
8. Ibid
9. Dholakia, S. K. "Arbitration agreement in construction contracts." Indian J. Arb. L. 1 (2012)
10. 1989AIR 1263
11. LAL, BRIJ MOHAN. "v. UNION OF INDIA & ORS." (2012).
12. SCC Online8SCC 24
13. Jain, Sankalp. "Forms of Alternative Dispute Resolution." Available at SSRN 3896949 (2020).
14. Dey, Chandana. "Women, forest products and protected areas: A case study of Jaldapara Wildlife Sanctuary, West Bengal, India." Social change and conservation (1997)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Human Health and Yoga : Dimensions of Holistic Development

Sachin Verma*

*Research Scholar (Sociology) Janta Vadic College, Baraut (Baghpat) (U.P.) INDIA

Abstract - The word yoga is derived from the Sanskrit word Dhraja suffix. Which means to join. In the temporal sense, achieving any objective can be considered to be done with full skill and with full devotion, whereas in the spiritual sense, connecting the individual soul with the collective self i.e. God is yoga. Every success of life depends on education. Yoga and education give us perfection on restraint. Our mind will be controlled only when our body is healthy because without a healthy body no possibility of progress can be seen in any field. If we love ourselves then we have to keep our body healthy. The human body is the temple of God, it is our duty to keep it healthy. If the body is healthy then the mind is also happy. The whole world looks sad to the sick person. Yoga and physical education not only keep the body healthy, but along with the body and also make the soul strong. Ashtanga Yoga, which was preached by Maharishi Patanjali, is one of the keys to making life successful.
Keywords - Yoga, sick person, emotion, ethical.

Introduction - India has always been a land of yogis, rishis, philosophers and inventors. The word Bharat is derived from Bha-gyan, Rat-lagerehna. Which means - the land whose inhabitants are always engaged in the search for knowledge. Today in this scientific age, those people of India who have become blind followers of western civilization and culture, they are not worried about the consequences. They have forgotten that we are the children of sages and sages. Maharishi Patanjali, the devotee of philosophy, gives the meaning of the word yoga to 'restraint of change'. Proof, Vikalpa, Sleep and Memory, these five methods, when the rhythm is attained in the mind by the means of practice and dispassion and the mind becomes situated in the form of the visionary (soul), then yoga occurs. Every success of a person's life depends on a controlled mind and our mind will be controlled only when our body is healthy, because without a healthy body no possibility of progress can be seen in any field. If we have love for ourselves then the body has to be kept healthy. The human body is the temple of God. It is our duty to keep it healthy. If the body is healthy then the mind also remains happy, otherwise the whole world looks sad to a sick person. Yoga not only keeps the body healthy but also strengthens the body as well as the mind and soul.

India is the only country in the whole world, whose belief in all religions has given separate existence to self and body and has propounded the principle of reincarnation, the name of Maharishi Patanjali is special in this form, who has self-realized Suggested the ultimate scientific path of interview Scientific tests are being done on many sources of his yoga-philosophy. In Indian philosophy and ideology, different practices of body, mind, soul, liberation and austerity have been represented. Ashtanga Yoga, which was preached by Maharishi Patanjali, is one of the keys to making life successful.

Ashtanga Yoga: Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhi -**सभाध्योष्टावङगानि।**

All the elements of a complete religion are present in the philosophy of Maharishi Patanjali. There is complete scientificness in his ideologies, actions, there is a wonderful harmony, solution and harmony, which has met every test, without discriminating high-low, rich-poor, best-worst, for the humanity of the world, he has grown his knowledge. Ashtanga Yoga- Philosophy, invented by Maharishi Patanjali, is a science that embodies all the needs, aspirations and possibilities of human beings. It is the simplest method to take man to the climax of development. This yoga is one, not sect or religion.

युक्तहारबिहारस्ययुक्तचेस्टस्यकर्मसु।
मुक्सवप्नायबोधास्ययोगोंभवतिदुखहा।।

The sum of those who make proper efforts and those who are capable and awake is proved in the right amount of food, which destroys all sorrows.

In the word yoga meaning, achieving any objective can be considered to be done with full skill and with full devotion, whereas in the spiritual sense it is yoga to connect the individual self with the collective self i.e. God. Through

this, a person has to be proficient at every level to achieve perfection by establishing the right coordination between nature and man by controlling his body, senses and mind. In this, the initial level or stairs, Yama, Niyama Pratyahara are such by which a person can become capable of moving forward. It is this universal that makes success unquestionable. The same situation should be understood in education also.

The message of the great Indian saint and thinker Swami Vivekananda was - 'Be brave in the struggle of life, tell everyone that you are fearless. Abandon fear, because fear is death, fear is sin, fear is unrighteousness, fear has no place in life. 3 That is why, with diligence, continuous effort and always emphasized. Regarding education, he believed that we need that education by which character is formed. The power of the brain increases, the intellect is developed and man can stand on his own feet. Yoga is capable of making man capable of this.

Maharishi Patanjali has called the stability of the restless mind as yoga. 'Yoga-chishratvarti: nirodhaah; According to the Kathopanishad, the firm control of consciousness and mind is called yoga.

MahayogiAurobindo, while explaining yoga in detail, has said – Yoga is a means of full development of the person at all levels of physical, mental, emotional, intellectual and spiritual.

In the words of Dr. HR Nagendra- 'Yoga is the science of the whole way of life, which is full of strength and imbalance, health and happiness, knowledge and efficiency, self-control and service spirit.'

Yoga is a science that organizes our entire life process. Yoga itself is also considered a conscious process. Due to which man is successful in efficiently doing all round development of aspects like body, mind, intellect etc. Thus yoga is both a means and an end to lead the soul from ignorance to knowledge, from darkness to light and from death to immortality.

Yoga has been found to be very helpful in achieving the following objectives of education. as,

1. Development of physical and mental health.
2. Controlling emotions.
3. Emphasis on moral and ethical discipline.
4. Emphasis on self and inner discipline.
5. Emphasis on spiritual development through education and yoga.
6. Development of immunity.
7. Emphasis on spiritual development.
8. Development of memory power and reasoning ability.

Ashtanga Yoga by Maharishi Patanjali is the key to make life successful. It is a path on which a person can easily achieve his set values. Eight stages of self-development journey have been presented in Ashtanga Yoga-

Ashtanga Path

Outdoor instrument

1. Yama
2. Niyama
3. Asana
4. Pranayama

Intimate

5. Pratyahara
6. Dharna
7. Dhyana
8. Samadhi

1. Yama- Those who block the pace of life, destroy health and take them to the face of death before time is all Yama.

2. Rules- The rules are those who suppress mental disorders, acquire consciousness, increase the capacity for progress, free from the fear of death and provide good health and longevity.

3. Asana- It is absolutely necessary for the body to be capable for the achievements of yoga. The body parts have to be made healthy and capable. That position of the body, in which the body can be kept stable for a long time without distraction, this is the posture of the seeker.

4. Pranayama- The purpose of Pranayama is to transmit and regulate the desired amount of Pranayama in the body. This fourth step of yoga practice makes the seeker so powerful that even if deadly gases spread in the atmosphere, he will not suffer any harm. The breath may not come but the life should not be disturbed, the aim of pranayama is to attain such a wonderful ability.

5. Pratyahara- Along with other needs of the body, food and water are also an essential requirement. The science of yoga has discovered this method. Due to which proper nutrition can be given to the body without eating gross food. Sadhak is given training through Pratyahara to be free from the anxiety of hunger and thirst and can practice yoga with certainty.

6. Dharana- To become worthy of war and the vision of truth by becoming free from hypnosis, the purpose of this step is this little difficult sadhna. Freedom from perception is the aim of this phase of training. All physical and worldly temptations, attachments and aversions, etc., are discarded as soon as they become attached to Dharana. It is only after the end of perception that the vision of truth becomes available and the trap of illusion and illusion is broken.

7. Meditation- Self-realization is the worthy of realization, meditation is the only courageous man who puts life at stake, leaving the attachment of the body and the world, is a true yoga seeker. Such worthy seekers attain self-knowledge. The rightly knowledgeable position in the Eastern Consciousness without any alternative is meditation.

8. Samadhi – Samadhi is the state which is completely free from fear, containing all solutions in itself. Show the body and the soul as two separate objects, this body of the soil, being a witness to consciousness in itself, but can neither affect nor bind it, then this visible body is only a form of trance. Only the symbol remains.

Those persons who have complete control over their body, mind and mind, who are not slaves to pleasures and

keep restraint on themselves, that person can be called healthy. Physical health means such health in which all the parts of the body are healthy and function properly. If all the small and big parts of the body are healthy then we can say that we are healthy. Nowadays, due to the lack of physical exertion, vascular obstruction has become natural. Yoga has a positive effect on the nervous system and the activity of the respiratory system can be increased. The body is made healthy by controlling the heart rate and the speed of blood flow regularly. Through this, the digestion process increases and becomes regular by getting enough exercise of the intestines, the spinal cord and muscles become strong, dynamic and flexible. In this way, yoga makes a proper increase in physical and mental abilities.

If we follow the appropriate rules, then surely we can not only live a healthy and healthy life for more than a hundred years, but can also get full, joyful enjoyment of our life. Stability, concentration and virtues are attained through yoga. Which the yogi experiences through meditation. Often disturbances of thoughts and feelings create disorientation in the mind and a chain of negative thoughts starts. In such waves arising in the conscience through yoga, stagnation is created and motivated to grow with courage and patience. is nurtured and reaches the dimensions of success.

It is clear that while yoga is the basis of the meaning of every action, education and knowledge are very helpful in the acquisition, because unless the work is done with full concentration and concentration, the achievement of the objective remains doubtful. Through yoga one can prepare himself to work with the engrossment of a person. Yoga is a method that guides the mind while enabling it to work with the body.10 Our sages knew this very well and that is why in ancient times yoga education was given to the learners in ashrams and gurukuls. The rules of yoga are so simple that no difficulty will be experienced while applying them, just need to be alert and alert.

References:-

1. Dr.SarojSaxena, Philosopher of Education and Sociologist Basis Publications, Agra, p. 26
2. Shrimad Bhagwat Gita- 6-77
3. Dainik Jagran Newspaper, dated 17.2009, page 8
4. Rajendra Tyagi, Arogya Deep-Publisher Akhand Paramdham, Delhi, p. 20
5. Pt. Shri Ram Sharma Acharya, AkhandJyoti-AkhandJyotiSansthan, Mathura, page 16
6. Shri Sudhanshu Maharaj, JeevanSanchetana – VishwaJagriti Mission, New Delhi, p. 12
7. Swami Ramdev, Pranayama Rahasya- July-2004, Yoga Sadhana, Divine Publications Haridwar, p. 46
8. Shri YogeshwaranandaSaraswati-Bahiranga Yoga-Paramhansa Yoga Niketan Trust, New Delhi, p. 32
9. Swami Vigyanand, 1998, Yoga Vigyan-7, Yog Niketan Trust Rishikesh, p 30

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

जुगल किशोर मुख्तार: एक समाज सुधारक

स्नेहा जैन*

* शोधार्थी, हिंदी अध्ययन शाला एवं शोध केंद्र महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – सुधार तो बिगड़े हुए का किया जाता है, सुधरे को क्या सुधारना ? लेख में बात उस समय की है जब समाज परतंत्रता की जंजीरों में जकडा हुआ था। राष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीति एवं धार्मिक सभी तरह का पतन अपनी पराकाष्ठा पर था। समाज में कई अवंछनीय तत्व घर कर गए थे। तब समाज को परिष्कृत करने का दायित्व साहित के कंधों पर था। तत्कालीन लेखकों कवियों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस कार्य को अंजाम देने का दायित्व निभाया। उन्हीं में से एक थे – 'युगवीर'। जिन्होंने समाज सुधार के कोने कोने को भॉपा। एक ओर उन्होंने हर कुरीति के पीछे प्रश्न चिन्ह लगाया है तो दूसरी ओर अपनी प्रबुद्ध लेखनी से उसका समाधान भी खोज कर लेखक के सामने प्रस्तुत किया है। लेखक समाज में व्याप्त हिंसा, झूठ, चोरी, मारकाट, विश्वासघात, रिश्वतखोरी, व्यभिचार, बलात्कार, विलासप्रियता , विषयासक्ति, फिजूलखर्ची, शारीरिक पतन, धार्मिक भावशून्यता, सांप्रदाकि असंतोष आदि पर अपनी मजबूत लेखनी चलाता है एवं अहिंसा, सत्य, आचौर्य, संतोष सदाचरण, प्रेम, सदव्यवहार, परोपकार, मैत्रीभाव, दयाभाव निर्भयता, मन की दृढ़ता, न्यायप्रिय राजा, रोगमुक्त प्रजा, भयमुक्त समाज विश्वबंधुत्व की भावना, कर्तव्यनिष्ठा, धार्मिक सहिष्णुता, मितव्ययिता, देशप्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, आत्मानुशासन एवं संयमित जीवन के रूप में समाधान भी प्रस्तुत करता है। लेखक 'भारत की स्वतंत्रता, उसका झंडा और कर्तव्य' पर भी लिखता है। 'हमारी दुर्दशा क्यों'? पर भी जागरूक करता है।' हम दुखी क्यों है'? में 'बुरे कर्म का बुरा नतीजा बताता है'। 'अपमान या अत्याचार' निबंध में स्त्री संबंधी समस्या को 'विचारणीय प्रश्न' बनाकर छोड़ देता है। लेखक ने हर सामाजिक क्षेत्र को आँका है एवं अपने ढ़ंग से लेखनीबद्ध किया है।

प्रस्तावना – सारे विश्व में क्रांति का स्वर था। नया युग दहलीज पर दस्तक दे चुका था। देशी उद्योग धंधों पर विदेशी औधोगिक क्रांति का प्रभाव था। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र भी इससे अछूते न थे। समाज में कई तरह के अनाचार, अत्याचार, कुरीतियां जन्म ले चुकी थी। अंग्रेजी राज ने भारत की आर्थिक रीढ़ को तोड़ दिया था। 'फूट डालो राज करो' की नीति ने सामाजिक एकता को घुन लगा दिया था। हिंदु और मुस्लिम भावना का मंत्र कानो में फूंक कर सांप्रदायिकता की चिंगारी सुलगा दी गई थी। जिसे तात्कालीन प्रेस,भाषण, पत्र पत्रिकाओं का माध्यम मिला और चारो तरफ सामाजिक, धार्मिक आर्थिक, हाहाकार मच गया।

एक ओर जहां पत्र-पत्रिकाओं, प्रेस और साहित्य का सांप्रायिकता बढाने में दुरूपयोग किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर इन माध्यमों का सदुपयोग करने वाली बुद्धिजीवी पीढ़ी का भी सक्रिय उदय हो चुका था। जिसमें पुनरूत्थान का प्रभाव पड़ने लगा था। राष्ट्रीय आंदोलन और समाज सुधारों ने अंग्रेजी राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने की पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी।

ऐसे समय में 'जुगल किशोर मुख्तार' 'युगवीर' की लेखनी भी जाग उठी और जैसे सारे जगत को स्वर्ग बनाने का जिम्मा अपने सिर पर लेकर खड़ी हो गई।

तत्कालीन समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता आंदोलनों की चलती परंपरा में प्रसाद, पंत, निरालाल के समकालीन,गांधीवादी विचारधारा के अत्यंत निकट, अपने धार्मिक मूल्यों को अंजली में समेटे हुए 'युगवीर' ने एक ओर तो धार्मिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया हे तो दूसरी ओर बाहरी आडंबरों को धरनी धूरित किया है।

'इसके सिवाय जिधर देखिए उधर ही हिंसा, झूठ, चोरी, लूटखसौटी, मारकाट, सीनाजोरी, विश्वासघात, रिश्वतखोरी, व्यभिचार , बलात्कार, विलासप्रियतता, विषयासक्ति और फूट का बाजार गर्म है! छलकपट , दंभ, मायाजाल, धोखा, दंगा, फेरब, जालसाजी, ओर चालबाजी का दौर है। .... उन्हें छोटी-छोटी सुकुमार कन्याओं का हाथ बूढ़े बाबाओं को पकडते हुए जरा भी संकोच नहीं होता, जरा भी तरस या रहम नहीं आता, न उनका बज्र हृदय ही ऐसा घोर पाप करतेहुए धड़कता है या कॉपता है।'

'युगवीर' राजनीतिक परिस्थितियों से नाखुश है। नैतिक बदलाव के पक्षधर है। आत्मिक सुख-शांति, सभ्यता की खुली किताब की तरह, उच्च आदर्शों युक्त समाज की चाह रखते हैं एवं साहित्य में इन विचारों का खुलकर प्रतिपादन करते हुए दिखाई देते हैं।

'लोग कहते हैं आजकल जमाना उन्नति का है। मुझे तो इन हालों पर कुछ उन्नति का जमाना मालूम नहीं होता बल्कि सारा अवनति का जान पड़ता है।। जब हमारी आत्मिक शक्ति, शारीरिक बल, नीति, सभ्यता, शिष्टता, धर्म-कर्म और सुख-शांति का बराबर दिवाला निकाला जाता है। इस जमाने को उन्नति का जमाना कैसे कह सकते हैं ?[2]

सरलता और सहजता के मामले में 'युगवीर' प्रेमचंद से पीछे नहीं हैं। बाहरी चकाचौंध की दुनिया को रास्ता दिखाते हुए कहते हैं- सारी समस्याओं की जड़ व्यर्थ का दिखावा और फिजूलखर्ची है।

'हम सरल सहज जीवन जिएँ, फिजूलखर्ची से बचें, अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करें। संतोषी सदा सुखी की नीति अपनाएं,

हम सुखी हो सकते हैं।'[3]
मार्क्सवाद के उगते हुए बीज भी 'युगवीर' साहित्य में मुखरित होते हैं।

'जिसमें कोई वास्तविक तत्व न हो और जो समय–समय पर किसी कारण विशेष से देश या समाज में प्रचलित हो गए हों, उन सबकी खुले शब्दों में आलोचना कीजिए।' [4]

'युगवीर' ने चलती हुई प्रथाओं और विचारधाराओं की लीक से हटकर साहित्य में शोध करके अपने स्पष्ट एवं तर्कसंगत विचार प्रस्तुत किए एवं निडरता से सभी को यह कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं।

'जो वचन वर्गना .... नहीं होता। यह ख्याल निर्मूल जान पड़ता है।' [5]

'युगवीर' खोखले क्रिया कांडों को भी धर्म नहीं मानते। भक्ति में भाव की प्रधानता की दृष्टि से युगवीर कबीर के समकक्ष जान पड़ते हैं।

'यह भाव शून्य होने से बकरी के गले में लकटते हुए थनों के समान है! बकरी के गले में थन जिस प्रकार देखने के लिए थन होते हैं, पर वे थन का काम नहीं देते। उनसे दूध नहीं निकलता। ठीक वही हालत हमारी उक्त धार्मिक क्रियाओं की हो रही है।' [6]

'युगवीर' संस्कृत श्लोक 'कर्मन्ये वाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन। न हि सुप्तस्त सिंहस्य, प्रविशन्ति मुखे मृगा:'।। की पैरवी करते नजर आते हैं।16 से भुलाइए। अकर्मण्य और आलसी पुरूषों को कर्मनिष्ठ और पुरूषार्थी बनाइए'। [7]

आजादी के 75 वर्षों बाद भी राष्ट्रभाषा की समस्या बरकरार है। इस समस्या को एक शतक वर्षों पूर्व 'युगवीर' ने अपने लेखों में अवतरित किया था। मातृभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और लेखन के प्रति वह ललकार आज भी उतनी ही सार्थक एवं चुनौतीपूर्ण है जितनी आज से एक सौ वर्ष पूर्व रही होगी।

'यदि आप चाहते हैं कि हिंदी भाषा का भारत में सर्वत्र प्रचार हो जाए और आप उसे राष्ट्रभाषा बनाने की इच्छा रखते हैं तो आप हिंदी साहित्य का जी जान से प्रचार कीजिए, स्वयं हिंदी लिखित, हिंदी बोलिए, औरों को लिखने और बोलने के लिए प्रेरित कीजिए .... हिंदी पत्रों और पुस्तकों को पढ़िए, उन्हें दूसरों को पढ़ने दीजिए अथवा पढ़ने की प्रेरणा दीजिए, हिंदी में लेख लिखिए .... आप देखेंगे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई।'[8]

1916 जहां एक ओर निराला की उत्कृष्ट रचना 'जूही की कली' प्रकाशित हो रही थी। वहीं दूसरी ओर दुनियॉ के सभी धर्मो का नवनीत कही जाने वाली रचना 'मेरी भावना' जाति, धर्म, देश , समाज और भाषाओं की सीमा से उन्मुक्त, मानव की मानवता का गुणगान बनकर उभरी।

'फैले प्रेम परस्पर जग में ....' [9]

'सुखी रहैं सब जीव जगत के ....' [10]

'अपमान या अत्याचार' स्वप्न शैली में लिखा गया लेख है। इसमें एक तेजस्वी स्त्री को 'अखिल भारतीय महिला सभा' के सभापति के रूप में दर्शाकर महिलाओं की स्वतंत्रताा एवं बंधन मुक्ति की बात प्रकाश में लाई गई है। लेखक ने सन 1924 में वर्तमान स्त्री विमर्श के बीज रोपित कर दिए थे। जिसका अंकुरणण पश्चात प्रस्फुटन संप्रति हम देख रहे हैं।

'आप लोग स्त्रियों से घूंघट निकलवाते हो–उन्हें पर्दा करने के लिए मजबूर करते हो– इसका क्या कारण है ?'

अंत कथन: सारांश कहा जा सकता है कि 'युगवीर' लेखक या साहित्यकार बाद में है, 'समाज सुधारक' पहले। विज्ञान की भाषा में कहें तो – 'उत्प्रेरक' कहना गलत ना होगा। वह जानते ही नहीं, मानते भी थे कि 'सोए हुए सैनिकों से जंग नहीं जीती जा सकती' बिना प्रेरणा के लोगों को जगाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने अपने हर लेख में किसी ना किसी तरह से जनमानस को परिष्कृत करने एवं समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों से निपटने का मार्ग पशस्त किया है। जनमानस को बाध्य किया है कि गुड़ में चिपकी मक्खी की तरह रूढ़ियों से ना चिपके रहें। जागें, उठें और नई सुबह का स्वागत करें।

'युगवीर' की रचनाएं एक ओर विश्व बंधुत्व, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, बसुधैव। [1]

कुटुंबकम की भावना की पैरवी करती है, तो दूसरी ओर आत्मानुशासन, धर्मनिष्ठा, संयमित जीवन को सर्वोत्कृष्ट बताती है। 'युगवीर' अपनी विपुल साहित्य साधना में अपनी पूरी क्षमता से समाज में फैल रही कुरीतियों का खुलकर विरोध करते नजर आते हैं। नई चेतना की ओर अग्रसर होने के लिए सब का आव्हान करते हैं। साहित्य में नए नए अनुसंधान करते हैं और एक स्वस्थ निर्माण में कटिबंध जान पड़ते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुख्तार, जुगल किशोर, हम दुखी क्यों है ? परवार बंधु पत्रिका: अप्रैल 1927
2. मुख्तार, जुगल किशोर, हम दुखी क्यों है ? परवार बंधु पत्रिका: अप्रैल 1927
3. मुख्तार, जुगल किशोर, हम दुखी क्यों है ? परवार बंधु पत्रिका: अप्रैल 1927
4. मुख्तार, जुगल किशोर, युगवीर निबंधावली, दिल्ली: वीर सेवा मंदिर ट्रस्ट, 1983
5. मुख्तार, जुगल किशोर, जैनाचार्यो का शासन भेद, दिल्ली: वीर सेवा मंदिर ट्रस्ट, 1916
6. मुख्तार, जुगल किशोर, युगवीर निबंधावली, निबंध क्रमांक 22, पृष्ठ क्रमांक 267
7. मुख्तार, जुगल किशोर, सुधार का मूल मंत्र, जैन हिंतैषी पत्रिका, जुलाई 1917
8. मुख्तार, जुगल किशोर, युगवीर निबंधावली, निबंध क्रमांक 01, पृष्ठ क्रमांक 5
9. मुख्तार, जुगल किशोर, मेरी भावना, जैन हिंतैषी पत्रिका, संयुक्त अंक अप्रैल–मई 1916
10. मुख्तार, जुगल किशोर, मेरी भावना, जैन हिंतैषी पत्रिका, संयुक्त अंक अप्रैल–मई 1916

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

अर्वाचीन लोकतंत्र के संस्थापक-प्रजापति दक्ष

डॉ. ईश्वरलाल प्रजापति *

* वार्ड नं. 12, मकान नं. 616, पाटीदार छात्रावास के पास, ग्वालटोली, नीमच (म.प्र.) भारत

शोध सारांश- आर्यो की शासनोत्पत्ति का सूत्रपात परिवार के शासन व्यवस्था से प्रारंभ हुआ। वैदिक काल में प्रजापति ने अपनी दो पुत्रियों के समान पालन करने योग्य (1) सभा एवं (2) समिति के माध्यम से 'लोकतंत्र' स्थापित किया है। वैदिक काल में निर्वाचित राजा को बहुत अधिक महत्व था। वैदिक काल में राजा जनसेवक होता था जिसे सभा व समिति पद से हटा सकती थी। विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र की अवधारणा को प्रजापति ने अपनी पुत्री रुपी संस्था (1) सभा एवं (2) समिति के माध्यम से स्थापित किया है। प्रजापति ने अपनी पुत्री रूपी संस्था (1) सभा व (2) समिति के माध्यम से सर्वप्रथम विराज आर्य को राजा निर्वाचित करावाया। सुशासित राज्य के संचालन हेतु वेतन भोगी कर्मचारी 'रत्निन' रखा जाता था। आर्यो की दास (दस्यु), पणि (पणियों) से गोत्र (गाय) गोवष्ठी के लिए युद्ध होता रहता था। पाश्चात्य देशों ने लोकतंत्र की अवधारणा आर्यों से सीखा है। सिन्धु घाटी व हरप्पा की बस्तियों के विनाश के कारण वैदिक ग्रामीण आर्य सभ्यता आस्तित्व में आयी।

प्रस्तावना - विश्व के सम्पूर्ण धर्म ग्रंथों में 'ऋग्वेद' को अर्वाचीन ग्रंथ माना गया है। जिसका प्रादूर्भाव ऋषियों के माध्यम से 'प्रजापति' ने जन कल्याण व ज्ञान प्रकाश हेतु किया है। वैदिक विज्ञान की दृष्टि से (1) अग्नि द्वारा ऋग्वेद, (2) वायु द्वारा यजुर्वेद, (3) आदित्य द्वारा सामदेव को एवं (4) अंगिरा द्वारा अथर्ववेद को द्यूलोक रश्मि तरंगों द्वारा प्रजापति ने उत्पन्न किया। वेद की वैज्ञानिक भाषा संस्कृत, विषय वस्तु की वैज्ञानिकता एवं उसकी प्राचीनता को देखते हुए 'युनेस्कों' UNESCO ने वेदों की कई पाण्डूलिपि को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सम्मिलित किया है। आज के आधुनिक युग में भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नासा (NASA) एवं राष्ट्रीय संस्था इसरो (ISRO) भी कई विषय एवं शोध के लिए वेदों के मंत्र को वैज्ञानिक चिंतन का आधार मानकर स्वीकार करती है।

ऐतिहासिक दृष्टि से भी आधुनिक इतिहासकार वेदों को अर्वाचीन ग्रंथ या ईसा पूर्व 6500 वर्ष पुराना मानते है, फिर भी वेदों की काल गणना को लेकर विश्व में वैज्ञानिकों व इतिहासकारों का अलग-अलग मत है, लेकिन 'एशिया के इतिहास' में दक्ष प्रजापति का जन्म 18,575 वर्ष पूर्व बताया है जिन्हें आयुर्वेद का ज्ञान था, बताया गया है।

वेदों में आज के आधुनिक विज्ञान के कई विषयों जिसमें-वेद-वेदांत, अष्टादश विद्याऐं, अर्थशास्त्र, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ललित कला, हस्तविद्या, मंत्र व शिल्प विद्या, विज्ञान, भौतिक, रसायन, भूगोल, यज्ञ, खगोल, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, वनस्पति, धर्म, दर्शन, न्याय, व्याकरण, कृषि, वाणिज्य आदि का उल्लेख मिलता है, जिसमें ऋग्वेद व अथर्ववेद में 'लोकतंत्र' की व्यवस्था का वर्णन भी मिलता है।

वर्तमान में भारत में 15 अगस्त 1947 को संवैधानिक लोकतंत्र (गण राज्य) के रूप में आधुनिक लोकतंत्र स्थापित हुआ। इतिहास के एथेन्सी लोकतंत्र का इतिहास 2000 से 2500 वर्ष पुराना है। आधुनिक इतिहास की दृष्टि से आजादी का महान चार्टर, मैग्नाकार्टा (MAGAN CARTA) इंग्लैण्ड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले सन् 1215 ई. में जारी हुआ था, जो लैटिन भाषा का होकर जिसमें इंग्लैण्ड के राजा 'जॉन' ने सामंतों को कुछ अधिकार दिये थे। मैग्नाकार्टा ने राजा की प्रजा (जन) के कुछ अधिकारों की रक्षा की पुष्टि की गई है। जिसमें ब्रिटिश वैधानिक अधिनियम का 'श्री गणेश' माना जाता है, जो आधुनिक लोकतंत्र का आधार है।

भारत देश में लोकतंत्र का ज्ञात इतिहास 304 वर्ष ईसा पूर्व चक्रवर्ती सम्राट अशोक का, 540 वर्ष ईसा पूर्व महावीर स्वामी का इतिहास उपलब्ध है तथा 2500 वर्ष पूर्व विश्व को चन्द्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने पहला गणराज्य

दिया, लेकिन इसके भी पुर्व भारत में पूर्व वैदिक काल में भी लोकतंत्र बहुत ही लोकप्रिय था।

जैसे हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है, ठीक इसी प्रकार शासनोत्पत्ति का सूत्रपात परिवार से प्रारम्भ होता है। 'पितृपक्षप्राधान्य सिद्धांत' के अनुसार परिवार में पिता सर्वोपरि होता है तथा सब पर शासन करने वाला होता है। ज्यों-ज्यों आर्यो का समाज विकसित होने लगा त्यों-त्यों पारिवारिक शासन के समान राजकीय शासन का भी विकास हुआ। प्राचीन आर्यो ने पारिवारिक शासन व्यवस्था से राजकीय शासन व्यवस्था सीखीं।

पूर्व वैदिक युग में 'ऋग्वेद' प्रकाश में था, जिसमें विश्व का पहला प्रदेश (राज्य) का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 'सप्त सैन्धव प्रदेश' मुख्य था जो सात नदियों के पास स्थापित था। (1) सरस्वती (घग्घर), (1) सिन्धु नदी (3) सतलज (शतुद्री) नदी (4) विपासा (व्यास) नदी (5) रावी (परुपिणी) नदी (6) झेलम (वितस्वा) नदी एवं (7) चेनाब (अस्क्नि) नदी आदि जहां अर्वाचीन आर्य (सिन्धु) राज्य करते थे, जो स्थान क्षेत्र आज भारत के पंजाब प्रांत से लेकर अफगानिस्तान के मध्य है। जिसमें आर्य पञ्चजन (1) अनु (2) द्रुम्हा (3) यदू (4) पुरू एवं (5) तुर्वसु अनेक कबीलों व जनों में विभक्त होकर 'ग्रामणी' व 'विश' में निवास करते थे। प्रजापति के मार्गदर्शन में जन (लोग) वैदिक धर्म (मार्ग) पर चलकर एक-दूसरे की रक्षा व सहयोग करते थे। तब जन गोत्र सम्पन्न व प्रजापति सर्वोपरि था।

कालांतर में आर्यो की जन वृद्धि एवं गो-चारण के कारण क्षेत्र का विस्तार हुआ और धीरे-धीरे मूलयों का पतन प्रारम्भ हुआ। 'मात्स्यन्याय' सिद्धांत के कारण बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी और गाय (गोत्र) व गो-चारण के लिए आर्यो, पणियों, दस्यु के मध्य लड़ाई-झगड़े व युद्ध होने लगे, तब प्रजापति ने जन कल्याण हेतु एक **लाख अध्याय** का '**प्रजापति शास्त्र'** या **'नीति शास्त्र'** लिखा जिसमें राजा, प्रजा, राज्य, राष्ट्र, शासन व प्रशासन संचालन का नियम लिखा गया जो दुनिया का पहला लोकतंत्र है।

ऋग्वेद में राजनैतिक जीवन में 'सभा' व 'समिति' का महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेद में प्रजापति ने सातवें अध्याय में 'प्रजा सूक्त' में प्रजा (जन) को एक मत, एक विचार व एक उद्देश्य हेतु कार्य करने का निर्देश दिया है। 'राष्ट्रसभा सूक्त' में 'सभा' का उल्लेख किया गया है। प्रजापति ने अपनी पुत्रियों के समान पालन करने योग्य जन कल्याण हेतु लोकतंत्र के रूप में (1) समिति एवं (2) सभा का गठन किया है तो राजा (प्रजापति) की रक्षा करती है ।

सभा च सा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने।
येना संगच्छ उप मा स शिक्षाच्चारु वादनि पितरः सङ्गतेषु।।

- अथर्ववेद 7/12/1

अर्थ- समिति और सभा प्रजापति के द्वारा पुत्रियों के समान पालन करने योग्य है। वे (समिति एवं सभा) प्रजापति राजा की रक्षा करें। हे पितरों! जिनसे परामर्श माँगू वह सभासद मुझे उचित सलाह प्रदान करें।

विद्म ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि।
ये ते के च सभासदस्ते में सन्तु सवाचसः ।।

- अथर्ववेद 7/12/2

अर्थ- हे सभा! हम आपके नाम को जानते है। आपका नरिष्ठा (अरिष्टरहित) नाम उचित ही है। सभा के जो कोई भी सदस्य हो, वे हमारे साथ समान विचार एवं वाणी वाली होकर रहें।

उक्त मंत्र में प्रजापति ने अपनी दो विदुषी पुत्रियों के समान (1) समिति एवं (2) सभा के द्वारा प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था 'जन' को सौंपा है। जिसमें राजा भी प्रजा के अधीन रहता है, इस व्यवस्था को 'गण' अर्थात् गिनना या चुनना कहा जाता है। 'गण' के द्वारा जिसे चुना जाता है उसे पति या 'गणपति' कहा जाता है। जिसमें जनता समिति व सभा के माध्यम से अपने राजा का चुनाव करती है और सभा के सदस्य समान विचार व वाणी वाले होकर राजा का समर्थन करती है। राजा को पद से हटाने का अधिकार भी समिति सभा को प्राप्त है।

(1) सभा का चुनाव-वैदिक काल में ग्राम का प्रत्येक गोत्र या हर परिवार अपना 'गृहपति' का चुनाव करता था। ग्राम के सभी 'गृहपति' मिलकर सभा (ग्राम-सभा) बनाते थे और सभी सभासद या सभावती मिलकर अपना सभापति का चुनाव करते थे। वेदों में प्रजापति ने ऐसी ग्राम की जन-जन द्वारा चुनी गई सभा को जन या जनता की आवाज कहा है। इस सभा में सभासद अपनी बात को रखता था। साथ ही राष्ट्र का प्रशासन करती थी। सभा ही राष्ट्रीय न्यायपालिका होती थी, जिसका निर्णय सभी को मानना होता था और सभा ही राजा को दिशा देने का काम करती थीं।

वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जो सिन्धु घाटी सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई थी। वैदिक ग्राम के प्रत्येक ग्राम में 'सभा' का चुनाव होता था और सभा द्वारा अपना एक सभापति (गण-पति) चुना जाता था। ग्राम के समूह को 'विश' कहा जाता था।

भाषा में अर्थालंकार की दृष्टि से वेदों में 'संघ' व 'गण' या गिनना फिर चुनाव के द्वारा सभा बनाई जाती थी और सभा का एक सभापति (गण-पति) चुना जाता था। जिसे पौराणिक काल में प्रजापति की पुत्री 'सभा' को 'दुर्गा' के रूप में बताया गया है। पुराणों में दुर्गा के निर्माण में सभी देवता अपना-अपना अंश (मत) देकर संघ (सभा) का निर्माण करते थे जो शक्ति दुर्गा के रूप में पूजनीय है। पुराणों में दुर्गा को भी दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में वर्णन किया गया है। पश्चिम देशों में इसी अवधारणा की नजल करके अंश, अंशदाता व कंपनी स्थापना का मंत्र का सीखा है।

2. समिति का चुनाव- वेदों में प्रजापति की बड़ी पुत्री का नाम 'समिति' है, जो अपनी छोटी बहन 'सभा' के सभी 'सभापति' द्वारा मिलकर बनाई जाती थी। समिति का चुनाव हो जाने के बाद समिति अपना 'ईशान' का चुनाव करती थी। उसके बाद सभी सभापति मिलकर अपने 'राष्ट्र समिति' का चुनाव करती थी और राष्ट्रीय समिति अपने 'राजा' का चुनाव करती थी। राजा लोक सेवक होता था। वेदों में ब्रह्म शक्ति (ज्ञान) एवं क्षत्र शक्ति (सेना) के द्वारा 'राजपुरोहित' नियुक्त किया जाता था, जो लोक सेवक होता था। राजपुरोहित समिति (सम+मती) समान बुद्ध या 'मत' के माध्यम से निर्णय कर राजधर्म को पुष्ट करता हुआ 'राजा' का मार्गदर्शन करता था। वेदों में 'ब्रह्मशक्ति' को ज्ञान शक्ति कहा गया है जिसे पुराणों में अर्थालंकार के रूप में ज्ञान (प्रज्ञा) की देवी सरस्वती के रूप में अलंकृत किया गया है। इस प्रकार प्रजापति की बड़ी पुत्री सरस्वती या शारदा है। वेदों में समिति की परम्परा को अमर (अमृत) कहा है, जिसे देवता (राजा), ऋषि, ज्ञानी आदि लोग ब्रह्मज्ञान या बुद्धि के द्वारा सरस्वती को 'वरण' (अमृतपान) करना बताया गया है।

स्पष्ट है कि वेदों में प्रजापति दक्ष ने जन-जन व गोत्र-गोत्र की संयुक्त शक्ति पुत्री रुप 'सभा' (पौराणिक रुप दुर्गा) एवं 'समिति' (अर्थात्

सम+मती) सभी की समान मति (बुद्धि) से लिये गये निर्णय (परैाणिक रुप सरस्वती) के माध्यम से विश्व में सर्वप्रथम 'लोकतंत्र' की संवैधानिक स्थापना की है और प्रजापति ने उक्त दो पुत्रियां (1) सभा एवं (2) समिति के माध्यम से सर्वप्रथम 'विराज आर्य' को राजा नियुक्त किया, उसके बाद क्रमशः लोकतंत्र के माध्यम से 'सुबल आर्य', 'सुपर्ण आर्य', 'सुबाहू आर्य', 'सुराज आर्य' आदि राजा पूर्व वैदिक काल में हुए।

ग्राम में प्रशासनिक 'पद' संरचना :

1. **कुलपा**–ग्राम में शासन का प्रतिनिधि 'कुल्पा' होता था। जो गांव में गोत्र गृहपति व राजा के बीच सेतु का काम करता था, गांव में जिसे 'राजन' भी कहा जाता था। वर्तमान शासन व्यवस्था में जिसे 'सचिव' या 'मंत्री' कहा जाता है।

2. **विराजपति**–ग्राम की सम्पत्ति के रक्षक को 'विराजपति' कहा जाता था। जन–गोत्र की गायों की रक्षा करने के कारण इसे 'जनगोप' भी कहा जाता था।

3. **ग्रामणी**– ग्रामणी को 'मनु' कहा जाता था, जो गाँव का मुखिया कहाता था। जिसे ग्राम गोप भी कहा जाता था। जिसे वर्तमान में 'सरपंच' कहा जाता था।

4. **सभापति**–गांव का प्रत्येक गोत्र व प्रत्येक परिवार अपना एक गृहपति चुनता था और गृहपति 'सभा' बनाते थे। सभी सभासद मिलकर अपना एक 'सभापति' का चुनाव करते थे।

5. **सभावती**– ग्राम की सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सभासद में से एक महिला सदस्य को सभावती चुना जाता था। जो सभा में महिलाओं का हित रखती थी।

राज्य में प्रशासनिक 'पद' संरचना :

1. **राजा**– वैदिक काल में वंशक्रमागत राजा व चुनाव द्वारा निर्वाचित राजा होता था। ऋग्वेद में प्रजापति के अनुसार सभा एवं समिति के माध्यम से निर्वाचित राजा का अधिक महत्व था। शतपथ ब्राह्मण में 'राजा' को 'प्रजापति' कहा गया है। जिसके अनुसार 'राजा' में परमात्मा का अंश माना जाता था। जो राजा प्रजा पालन आदि कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करता था, उसी को देवता कहलाने का अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल के कालांतर में लौह तकनीक आगमन से राज्य विस्तार के साथ 'बली' (कर) का रूप उत्पादन का छठा भाग निश्चित किया, परिणाम स्वरूप राजा की सहायता के लिए कर्मचारी (नौकरशाह) व पदाधिकारी नियुक्त किये जान लगें, जिन्हें 'रत्निन' कहा जाता था, जो वेतन पर काम करते थे। राजा भी जनता का जनसेवक होता था।

2. **पुरोहित**– पुरोहित वेतन भोगी पद था, जो धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था। पुरोहित को राष्ट्रगोप भी कहा जाता था जो समिति का मुखिया होता था और समिति के परामर्श के बाद राजा को आदेश देता था। पुरोहित ही राजा का 'राज्याभिषेक' करवाता था तथा राजपद के विकास हेतु पुरोहित ही राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ, सर्वमेघ 'यज्ञ' भी करवाता था। राजा अपनी वीरता, त्याग, तप व जन कल्याण की बातों को 'सभा' एवं 'समिति' में बताता था।

3. **सेनानी**–सेना के प्रधान को सेनानी कहा जाता था, जो सेना का संचालन व प्रबंध' करता था। 'गविष्ठी' युद्ध में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। सेनापति या सेनाध्यक्ष भी कहते थे।

4. **राजमहिषी**–राज्य में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 'राजमहिषी' करती थी। राज्य में महिलाओं का हित व न्याय का ध्यान रखती थी एवं ग्राम में सभावती से सम्पर्क में रहा करती थी। राजमहिषी के पद पर महिला को ही नियुक्ति दी जाती थी।

5. **सूत**– राजा के रथ को चलाने वाले को 'सूत' या 'सारथी' कहा जाता था, राजा का विश्वास पात्र होता था।

6. **तक्षण कला**– बढ़ईगिरी या सुतारी का काम करने वाला जो राजा का रथ बनाने का काम करता था। धातु, पत्थर व काठ पर खोदकर कुछ बनाने का कामक रता था।

7. **क्षत्र**–सत्ता, शक्ति या बल, राज सत्ता का प्रतिनिधि द्वारा शासित क्षेत्र (पुर) को क्षत्र कहते थे।

8. **अन्तःपुराध्यक्षः**– राज कोष से अच्छी–अच्छी वस्तुओं का वितरण गरीबों को करता था।

9. **संग्रहिता**–राज्य का कोषाध्यक्ष होता था।

10. **भागदूध**– ग्राम में जनता से कर (बली) वसूल करने वाले को भागदूध कहा जाता था।

11. **अक्षावाप**–आय–व्यय का लेखाध्यक्ष को 'अक्षावाप' कहा जाता था।

12. **गोविकर्तृ**– वनाध्यक्ष व वन की देख रेख करने वाला।

13. **मध्यमची**–न्यायाधीश (प्रश्न विभाग)।

राजा का सखा–विद्धशक आदि 'रत्निन' वेतन भोगी कर्मचारी होते थे। वैदिक काल में आगे विकास के क्रम में पद संरचना की सूची बढ़ती गई। उक्त 'रत्निन' की सूची का उल्लेख यजुर्वेद में ज्यादा मिलता है।

शब्दार्थ:

गोत्र– गायों की रक्षा करने या स्थान या गाय बाँधने का स्थान 'बाड़ा' जहां गायों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ परिवार मिलकर अपना एक गोत्र (बाड़ा) या स्थान रखते थे। जिससे गायों की चारों एवं हिंसक पशु से रक्षा की जा सकें।

पणि/पणिये– पाण लोगों का एक वर्ग था जो व्यापारी व ब्याज खाने वाले लोग थे।

दस्यु/दास–स्थानीय आदिवासी लोग दास लोग कहते थे।

विश–ग्रामों को मिलाकर 'विश' बनता या ग्राम के समूह को 'विश' कहा जाता था, जो पुरों का संरक्षक माना जाता था। जिसे 'विशपति' कहा जाता था।

ग्राम–बहुत से जन व परिवारों से मिलकर ग्राम बनता था। जहां बहुत से परिवार रहते थे। गोष्ठियों के समूह को ग्राम नाम से जाना जाता है।

बली (कर)– जनता (जन) से उत्पादन का छठां भाग कर या बलि के रूप में राजा वसूल करता था।

गोष्ठी– बहुत से परिवार या गोत्रों की गाय चराने के लिए एक सर्व साधारण चारागाह होता था जिसे 'गोष्ठ' कहते थे। गोष्ठ को 'ब्रज भी कहा जाता था। जिन गोत्रों के लिए एक ही 'गोष्ठ' होता था उन्हें गोष्ठ कहा जाता था। वर्तमान में जिसे चरनोई भूमि कहा जाता है।

सिन्धु घाटी सभ्यता व हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद वैदिक कालीन ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ जिसमें प्रजापति ने एक लाख अध्याय का शास्त्र लिखा था। वैदिक काल एवं पौराणिक काल के बीच भाषांतर का काल था जिसमें प्राकृत व पाली भाषा एवं धम्य लिपि, ब्रह्मलिपि व शारदा लिपि प्रचलन में होते हुए 'संस्कृत' भाषा का चलन हुआ जो पूर्व वैदिक काल था। 550 वर्ष ईसा पूर्व से पुष्य मित्र शंगु तक, तब जैन, बौद्ध व वैदिक

सनातन धर्म में कुछ विरोध की स्थिति उत्पन्न होने के कारण कुछ संशोधन के साथ 'पौराणिक काल' आया, जिसमें पुराण लिखे गयें। 304 वर्ष ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक का काल था जिस समय भारत में 16-20 विश्वविद्यालय संचालित थे जिसमें सभी विषय का अध्ययन-अध्यापन कार्य करवाया जाता था जिसमें ज्ञान-विज्ञान के साहित्य उत्कृष्ट स्थिति में विद्यमान थे।

भारत में प्राजीन काल से ही आक्रमण होते रहे है। परन्तु छठी से सातवीं सदी के बाद भारत पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और भारत के अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान पर आक्रमण बढ़ गये परिणामस्वरूप सन् 1203 ई. में बख्तियार खिलजी ने नालंदा व तक्षशिला सहित कई विश्वविद्यालय जलाकर नष्ट कर दिया, जिसमें भारतीय ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथ जलकर नष्ट हो गये।

कालांतार में मुगोल शासक के बाद अंग्रेज ब्रिटिश शासकों ने भारत पर राज किया। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिये भारतीय शिक्षा एवं न्याय व्यवस्था पर कुठाराघात किया। इ ंग्लैण्ड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत भाषा विज्ञान (संस्कृत) के विद्धान-मैक्समूलर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौ लाख रुपये में अनुबंधित किया और मैक्समूलर ने 100 वैदिक ब्राह्मणों की सहायता से व प्रो.एच.एच. विल्सन से मिलाकर सन् 1846 में ऋग्वेद का मुद्रण ऑक्सफोर्ड वि.वि. इंग्लैण्ड से करवाया और मैक्समूलर ने भारतीय ज्ञान व ऋग्वेद आदि ग्रंथों में कई 'प्रक्षेप पैदा कर दिया ताकि भारतीयों को नीचा दिखा सकें'।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. ऋग्वेद भाष्य-महर्षि दयानंद सरस्वती
   ऋ. 2.41.5, 6.13.2, 7.20.5, 7.88.5
   8.69.1, 10.84.2, 9.92.6, 10.173.1
2. अर्थवेद भाष्य - 6.87.1, 7.12.1 व 2
3. यजुर्वेद भाष्य - 16-25, 23-19
   शतपथ ब्राह्मण -5.15.14, 5.1.1.12.5.31
   ऐतरेय ब्राह्मण-8.15
4. उपनिषद् रहस्य-स्व. श्री महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज।
5. शब्द-रूपावती-पंडित युधिष्ठित मीमांसक।
6. प्राचीन भारत का इतिहास-द्विजेन्द्र नारायण झा कृष्ण मोहन श्रीमाली।
7. पाणिनी कालीन भारत वर्ष- वासुदेवशरण अग्रवाल।
8. आर्यः संरचना का पुनर्गठन- प्रो रोमिला थापर।
9. श्री प्रजापति दक्ष स्मृति ग्रंथ- डॉ. ईश्वरलाल प्रजापति।
10. प्रजापति का तत्व दर्शन- डॉ. ईश्वरलाल प्रजापति।
11. वेदकालीन समाज-डॉ. शिवदत्त ज्ञानी।
12. निरुक्त शास्त्रम्- पं. भगवददत्त बी.ए. रिसर्चस्कॉलर।
13. संस्कृत-साहित्य कोष-डॉ.राजवंश सहाय हीरा।
14. श्री दक्ष वेलफेयर एण्ड सोसायटी, होशियारपुर (पंजाब)।
15. लोकसभा, टी.वी. भारत सरकार। (संसद)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विद्यार्थी और आवासीय ऋण संवितरण का तुलनात्मक विश्लेषण

डॉ. संजय पण्डित* रूकमणी यादव**

* प्राध्यापक (वाणिज्य) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, और छात्र इसे प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मील जाते हैं। हालाँकि, शिक्षा की लागत हाल ही में बढ़ रही है और विद्यार्थी ऋण का विकल्प सबसे अच्छा समाधान प्रतीत होता है। घर खरीदना ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़े सपनों में से एक है और पूरी तरह से एक असाधारण मामला है। इस तरह के सपने को पूरा करने के लिए खरीदारों की ओर से बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होती है और अपने बजट में घर को समायोजित करने के लिए सबसे अच्छा आवासीय ऋण के माध्यम से किया जा सकता है। शोध से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019 और 2021 में शहरी क्षेत्र में आवासीय ऋण की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय ऋण अधिक है लेकिन वर्ष 2020 में ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय ऋण की तुलना में शहरी क्षेत्र में आवासीय ऋण में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय ऋण सबसे अधिक मांग वाला ऋण है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण वर्ष 2019 में शहरी क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन वर्ष 2020 और 2021 में ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण शहरी क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण की तुलना में कम हो गया है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण, वाहन ऋण और बंधक ऋण की तुलना में आवासीय ऋण सबसे अधिक मांग वाला ऋण है तथा ग्रामीण क्षेत्र में भी आवासीय ऋण सबसे अधिक मांग वाला ऋण है।
शब्द कुंजी – प्रमुख कारक, ऋण के प्रकार, पात्रता मानदंड, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र।

प्रस्तावना – विद्यार्थी ऋण माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा से संबंधित खर्चों के वित्तपोषण के लिए उधार ली गई राशि है।विद्यार्थी ऋण का उद्देश्य ट्यूशन, किताबों और आपूर्ति की लागत और रहने के खर्च को कवर करना है, जबकि उधारकर्ता डिग्री हासिल करने की प्रक्रिया में है। भुगतान अक्सर स्थगित कर दिया जाता है, जबकि छात्र कॉलेज में होते हैं और, ऋणदाता के आधार पर, कभी–कभी डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें अतिरिक्त छह महीने की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस अवधि को कभी–कभी 'अनुग्रह अवधि' के रूप में जाना जाता है। आवासीय–आवास ऋण, जिसे बंधक के रूप में भी जाना जाता है, एक व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि है, आमतौर पर बैंकों और कंपनियों से जो पैसा उधार देते हैं। उधारकर्ता को आसान मासिक किस्तों या ईएमआई में ब्याज के साथ ऋण राशि वापस चुकानी होगी जो कि ऋण की प्रकृति के आधार पर 10–30 वर्षों के बीच भिन्न हो सकती है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी जाने वाली विद्यार्थी और आवासीय ऋण के बारे में अध्ययन करना।
2. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थी और आवासीय ऋण संवितरण की तुलना करना।

परिकल्पना:

1. $H1_0$: ग्रामीण क्षेत्र में आवास ऋण शहरी क्षेत्र में आवास ऋण से अधिक नहीं है।
2. $H2_0$: ग्रामीण क्षेत्र में आवास ऋण अत्यधिक मांग वाला ऋण नहीं है।
3. $H3_0$: शहरी क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण अत्यधिक मांग वाला ऋण नहीं है।

अनुसंधान क्रियाविधि– सर्वेक्षण कार्य के दौरान मैंने उन रीतियों का प्रयोग किया है जो सर्वेक्षण कार्य के लिए समय समय पर आवश्यक प्रतीत हुई जैसे– व्यक्तिगत, शासकीय प्रलेखों का प्रयोग, विशेषकर प्रत्यक्ष साक्षात्कार व प्रश्नावली द्वारा नमूने की पद्धति द्वारा वांछित जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया है।

(ए) प्राथमिक डेटा के स्रोत:

1. इंदौर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं।
2. बैंक के शाखा प्रबंधक।
3. कर्मचारी विशेष रूप से लेखाकार।

(बी) माध्यमिक डेटा के स्रोत:

1. विभिन्न वार्षिक और प्रकाशित रिपोर्ट।
2. पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में लेख।
3. इंटरनेट।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

डेविड एन. बैरोन (1998):न्यूयॉर्क शहर में उपभोक्ता ऋण प्रदाताओं के बीच वैधता के मार्ग, 1914–1934 इस पत्र में, लेखक ने दो संगठनात्मक रूपों के प्रारंभिक विकास का अध्ययन किया।

क्रेडिट यूनियन और मॉरिस प्लान बैंक, जो बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में सामाजिक रूप से स्वीकार्य साहूकार बन गए। वैधता के तीन रूप, संज्ञानात्मक, नैतिक और व्यावहारिक उनके विकास और सामाजिक एकीकरण को समझने में महत्वपूर्ण हैं। संज्ञानात्मक वैधता उस चीज से मेल

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

खाती है जिसे आमतौर पर संगठनात्मक पारिस्थितिकीविदों द्वारा वैधता के रूप में माना जाता है। संगठनों की नैतिक वैधता तब तक होती है जब तक उन्हें समाज के अधिकांश सदस्यों की नैतिक स्वीकृति प्राप्त होती है। व्यावहारिक वैधता 'एक संगठन के सबसे तात्कालिक दर्शकों की स्व-रुचि गणना पर टिकी हुई है' (सुचमैन 1995)। विश्लेषण पिछले कार्य से दो तरह से आगे जाता है। सबसे पहले, वैधता के नए तंत्र को संगठनात्मक नींव और विकास के मॉडल में पेश किया जाता है। दूसरा, यह माना जाता है कि संगठन जानबूझकर अपने कार्यों से उनकी वैधता को प्रभावित करने में सक्षम हैं। अनुभवजन्य परीक्षण ऐतिहासिक सामग्री के गुणात्मक विश्लेषण के साथ संस्थापक और विकास दर के मात्रात्मक विश्लेषण को जोड़ते हैं। वैधता की घनत्व-निर्भर प्रक्रियाओं के अलावा, संगठन सामाजिक-आंदोलन जैसे तरीके से कार्य करते पाए जाते हैं, जिससे उनकी नैतिक वैधता में वृद्धि होती है। यह उनकी स्थापना और विकास दर को बढ़ाता है, और उन्हें धन-उधार के पहले के रूपों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है जिसमें नैतिक वैधता का अभाव था। मुझे इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि व्यावहारिक वैधता सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से फैली हुई है।

मिंग-चुनत्सियाशू-पिंगलिनबचिंग-चानचेंगबयेन-पिंगलिन (2009): उपभोक्ता ऋण डिफॉल्ट भविष्यवाणी मॉडल - डीईए-डीए और तंत्रिका नेटवर्क का एक आवेदन: इस पत्र में लेखक ताइवान में एक निश्चित वित्तीय संस्थान से असुरक्षित उपभोक्ता ऋण के ग्राहकों पर अनुभवजन्य विश्लेषण करने के माध्यम से उपभोक्ता ऋण डिफॉल्ट भविष्यवाणी मॉडल का निर्माण करते हैं, और वास्तविक समय में भेदभावपूर्ण जानकारी के रूप में उधारकर्ता के जनसांख्यिकीय चर और पैसे के रवैये को अपनाते हैं। इसके अलावा, हम इन चार उल्लिखित विधियों की उपयुक्तता की तुलना करने के लिए क्रमशः चार भविष्यवाणी विधियों, जैसे डीए, एलआर, एनएन और डीईए-डीए के माध्यम से निर्माण करते हैं। परिणाम बताते हैं कि डीईए-डीए और एनएन में बेहतर भविष्यवाणी करने की क्षमता है और वे इष्टतम भविष्यवाणी मॉडल हैं जो इस अध्ययन के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा, इस अध्ययन से पता चला है कि डिफॉल्ट ऋण भविष्यवाणी मॉडल में अतिरिक्त धन रवैये के बाद उच्च स्तर की भविष्यवाणी क्षमता होगी।

दिमित्रियोस सी.लुजिसाबएंजेलोस टी.वौल्डिसैकवासिलियोस एल.मेटाक्सस (2012): ग्रीस में गैर-निष्पादित ऋणों के मैक्रोइकॉनॉमिक और बैंक-विशिष्ट निर्धारक: बंधक, व्यापार और उपभोक्ता ऋण पोर्टफोलियो का तुलनात्मक अध्ययन: यह पेपर ग्रीक बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) के निर्धारकों की जांच करने के लिए गतिशील पैनल डेटा विधियों का उपयोग करता है, प्रत्येक ऋण श्रेणी (उपभोक्ता ऋण, व्यवसाय ऋण और बंधक) के लिए अलग से। अध्ययन इस परिकल्पना से प्रेरित है कि मैक्रोइकॉनॉमिक और बैंक-विशिष्ट चर दोनों का ऋण गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव विभिन्न ऋण श्रेणियों के बीच भिन्न होते हैं। परिणाम बताते हैं कि, सभी ऋण श्रेणियों के लिए, ग्रीक बैंकिंग प्रणाली में एनपीएल को मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक चर (जीडीपी, बेरोजगारी, ब्याज दर, सार्वजनिक ऋण) और प्रबंधन गुणवत्ता द्वारा समझाया जा सकता है। ऋण श्रेणियों के बीच मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों के मात्रात्मक प्रभाव में अंतर स्पष्ट है, गैर-निष्पादित बंधक समष्टि आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के लिए सबसे कम उत्तरदायी हैं।

कारा लॉन स्टावरोस पेरिस्टियानीक (1996): 1990 के क्रेडिट मंदी के दौरान उपभोक्ता ऋण दरों का व्यवहार: यह अध्ययन वाणिज्यिक बैंकों के ऋण मूल्य निर्धारण व्यवहार की जांच करके 1990 की ऋण मंदी की पुनः जांच करता है। हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि बड़े, कम पूंजी वाले बैंकों ने उपभोक्ताओं को बेहतर पूंजीकृत संस्थानों के सापेक्ष औसत से अधिक ऋण दर वसूल कर ऋण मंदी में योगदान दिया। उधार देने में यह असमानता बैंक फंडिंग लागतों के लिए लेखांकन के बाद भी मौजूद है। इस प्रकार, हम तर्क देते हैं कि बड़े, कम पूंजी वाले बैंकों के बीच उधार में मंदी आई थी। कम पूंजी वाले बैंकों के बीच उधार देने की अनिच्छा कम से कम व्यवहार का सूचक है जो क्रेडिट संकट के अनुरूप है।

ऋण को प्रभावित करने वाले कारक

विद्यार्थी ऋण को प्रभावित करने वाले कारक:

1. छात्र का अकादमिक रिकॉर्ड।
2. कॉलेज या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा।
3. आपके द्वारा पीछा किए जाने वाले पाठ्यक्रम का प्रकार।
4. संपार्श्विक आप प्रदान करते हैं।
5. संयुक्त उधारकर्ता आय और क्रेडिट इतिहास।
6. देश की आर्थिक स्थिति।

आवासीय ऋण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक:

1. एमसीएलआर फंड की सीमांत लागत आधारित उधार दर।
2. ब्याज का प्रकार।
3. ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात।
4. क्रेडिट अंक।
5. संपत्ति का स्थान।
6. नौकरी प्रोफाइल।
7. ऋण की अवधि।

भारत में आवासीय ऋण के प्रकार:

1. आवासीय ऋण।
2. आवासीय निर्माण ऋण।
3. आवासीय विस्तार ऋण।
4. आवासीय सुधार ऋण।
5. आवासीय ऋण बैलेंस ट्रांसफर।
6. समग्र आवासीय ऋण।

भारत में विद्यार्थी ऋण के प्रकार:

1. घरेलू विद्यार्थी ऋण।
2. विदेश में अध्ययन विद्यार्थी ऋण।
3. स्नातक छात्र ऋण।
4. स्नातक विद्यार्थी ऋण।
5. व्यावसायिक विद्यार्थी ऋण।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऋण पात्रता मानदंड

आवासीय ऋण पात्रता मानदंड

पात्रता मानदंड	वेतनभोगी और स्वरोजगार
आय मानदंड	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आवासीय ऋण के लिए न्यूनतम वेतन रु.25000
आयु मानदंड	न्यूनतम: 21 वर्ष अधिकतम: 60 वर्ष
ऋण अवधि	30 वर्ष तक
ऋण राशि	आपकी चुकौती क्षमता के आधार पर कोई सीमा नहीं

ब्याज दर	9.7% से शुरू
प्रोसेसिंग शुल्क	ऋण राशि का 0.50% या ख्छठ 20,000
पूर्व भुगतान शुल्क	शून्य
राष्ट्रीयता	भारतीय

विद्यार्थी ऋण पात्रता मानदंड

पात्रता मानदंड	**जिन छात्रों ने प्रवेश सुरक्षित कर लिया है**
ऋण अवधि	15 साल तक
ऋण राशि	20 लाख तक
ब्याज दर	एमसीएलआर 2.00%
प्रोसेसिंग शुल्क	शून्य

शोध की व्याख्या

$H1_0$: ग्रामीण क्षेत्र में आवास ऋण शहरी क्षेत्र में आवास ऋण से अधिक नहीं है।

तालिका 1 (निचे देखे) तालिका 1 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019 और 2021 में शहरी क्षेत्र में आवासीय ऋण की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय ऋण अधिक है लेकिन वर्ष 2020 में ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय ऋण की तुलना में शहरी क्षेत्र में आवासीय ऋण में वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्ष 2019 और 2021 के लिए वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। वर्ष 2020 के लिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

$H2_0$: ग्रामीण क्षेत्र में आवास ऋण अत्यधिक मांग वाला ऋण नहीं है।

तालिका 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)) तालिका 2 से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय ऋण सबसे अधिक मांग वाला ऋण है। अत: शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है तथा वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

$H3_0$: शहरी क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण अत्यधिक मांग वाला ऋण नहीं है।

तालिका 3 (अगले पृष्ठ पर देखे) तालिका 3 से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण वर्ष 2019 में शहरी क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन वर्ष 2020 और 2021 में ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण शहरी क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण की तुलना में कम हो गया है। वर्ष 2019 के लिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है और वर्ष 2020 और 2021 के लिए वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

निष्कर्ष

तालिका 4 (अगले पृष्ठ पर देखे) तालिका 4 से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में विद्यार्थी ऋण, वाहन ऋण और बंधक ऋण की तुलना में आवासीय ऋण सबसे अधिक मांग वाला ऋण है।

तालिका 5 (अगले पृष्ठ पर देखे) तालिका 5 से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में गृह ऋण सबसे अधिक मांग वाला ऋण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. हैण्ड बुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन इण्डियन इकानॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
2. द बिजनेस बैंकर्स हैण्ड बुक (द बैंक ऑफ इण्डिया ऑफिसर्स -एसोसिएशन)
3. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट
4. भारत में बैंकिंग प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट
5. आई.बी.ए. बुलेटिन
6. शर्मा, आर. एन., 'बैंक में घटती हुई लाभप्रदत्ता लाभ आयोजन' आई.बी.ए. बुलेटिन, अंक 2, जनवरी 1986, पृ. 8-9
7. तिवारी, अमिताभ, 'ग्रामीण विकास में बैंक की भूमिका', खादी ग्रामोद्योग, जुलाई 1998, पृ. 360-67
8. नवीन, एन. सी., 'बैंक में लाभोन्मुख जमा सम्मिश्रण', आई.बी.ए. बुलेटिन, अंक 8, मार्च, 1993, पृ 141-42.
9. नंबूहिशद, एम. पी. एन.,'बैंक शाखा में लाभप्रदत्ता कुछ समस्याएँ', बैंक आफ इंडियन बुलेटिन, अगस्त 1998, वर्ष 25, पृ. 85-89.
10. ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नई दिल्ली.
11. वार्षिक प्रतिवेदन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वर्ष- 2019, 2020, 2021.

तालिका 1 : आवासीय ऋण

आवासीय ऋण	2019		2020		2021	
	कुल योग TOTAL_ACCT	कुल योग TOTAL_OS	कुल योग TOTAL_ACCT	कुल योग TOTAL_OS	कुल योग TOTAL_ACCT	कुल योग TOTAL_OS
ग्रामीण	2561	4544.22	2376	2485.59	1796	10798.49
अर्ध शहरी	1632	2085.19	1846	2798.82	720	6384.64
शहरी	2215	7327.68	2308	7296.58	1664	9037.1

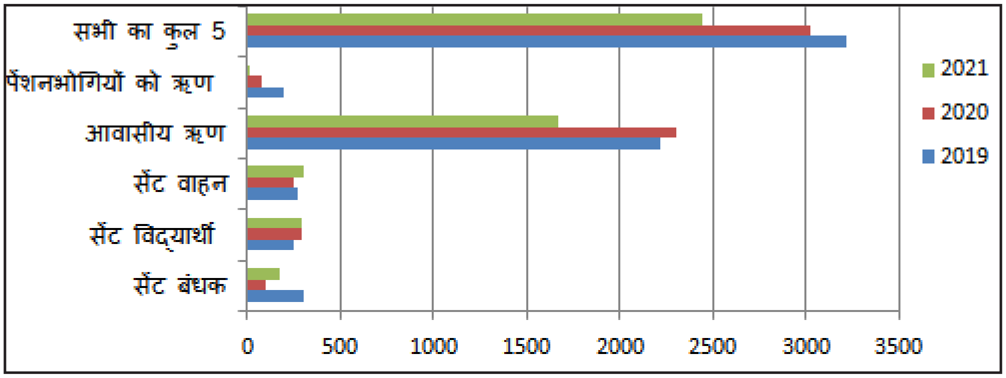

तालिका 2 : ग्रामीण शाखाओं में सभी ऋण

ग्रामीण शाखा का योग	2019		2020		2021	
	कुल योग TOTAL_ACCT	कुल योग TOTAL_OS	कुल योग TOTAL_ACCT	कुल योग TOTAL_OS	कुल योग TOTAL_ACCT	कुल योग TOTAL_OS
सेंट बंधक	151	1050.31	15	90.3	256	2812.08
सेंट विद्यार्थी	282	709.21	122	255.38	291	1222.87
सेंट वाहन आवासीय ऋण	226 2561	668.97 4544.22	132 2376	352.43 2485.59	432 1796	1400.4 10798.49
पेंशनभोगियों को ऋण	246	242.34	12	4.97	14	5.56
सभी का कुल 5	3466	7215.05	2657	3188.67	2789	16239.4

तालिका 3 : विद्यार्थी ऋण

विद्यार्थी ऋण	2019		2020		2021	
	कुल योग TOTAL_ACCT	कुल योग TOTAL_OS	कुल योग TOTAL_ACCT	कुल योग TOTAL_OS	कुल योग TOTAL_ACCT	कुल योग TOTAL_OS
ग्रामीण	282	709.21	122	255.38	291	1222.87
अर्ध शहरी	136	291.88	113	288.4	171	699.07
शहरी	243	752.22	294	835.03	296	1060.7

तालिका 4 : शहरी शाखाओं में सभी ऋण

शहरी शाखा का योग	2019 कुल योग TOTAL_ACCT	2020 कुल योग TOTAL_ACCT	2021 कुल योग TOTAL_ACCT
सेंट बंधक	300	97	172
सेंट विद्यार्थी	243	294	296
सेंट वाहन	267	249	306
आवासीय ऋण	2215	2308	1664
पेंशनभोगियों को ऋण	196	73	8
सभी का कुल 5	3221	3021	2446

तालिका 5 : ग्रामीण शाखाओं में सभी ऋण

ग्रामीण शाखा का योग	2019 कुल योग TOTAL_ACCT	2020 कुल योग TOTAL_ACCT	2021 कुल योग TOTAL_ACCT
सेंट बंधक	151	15	256
सेंट विद्यार्थी	282	122	291
सेंट वाहन	226	132	432
आवासीय ऋण	2561	2376	1796
पेंशनभोगियों को ऋण	246	12	14
सभी का कुल 5	3466	2657	2789

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

राष्ट्रीय प्रगति के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है

डॉ. वर्चसा सैनी*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) जे के पी पीजी कॉलेज, मुज़फ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता और आर्थिक प्रगति किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का परिचायक है। जिस समाज या राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति जितनी मजबूत सम्मानजनक और सक्रिय होती है वह समाज या राष्ट्र उतना ही समृद्ध और उन्नतशाली होगा। प्राचीन काल में नारी को समानता प्राप्त थी।महिलाएं पुरुषों की प्रेरणा भी बनी, राज्य के कार्यो से लेकर रणभूमि तक महारानीयों की भूमिका रहती थी। रजिया सुल्तान जैसी महिलाओं ने सल्तनत चला कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया वहीं दूसरी ओर जीजाबाई,रानी लक्ष्मी बाई की अद्भुत राजनीतिक क्षमता व साहस से सभी परिचित हैं। आज हम भारतीय समाज में स्त्री पुरुष में जो समानता की बात करते हैं, वह उचित प्रतीत नहीं होती। महिलाएं किसी न किसी रूप में असमानता, अत्याचार एवं शोषण का शिकार हो रही है। उनकी इस अवस्था में अभी तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। यह सब सशक्तिकरण की वास्तविकता को दर्शाता है।यद्यपि प्रजातंत्र के विकास के साथ-साथ महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ अंतर अवश्य आया है आज प्रत्येक स्तर पर सशक्तिकरण हेतु महिलाएं कहीं न कहीं संघर्षरत है।

यूं तो महिला सशक्तिकरण की पहल 1975 में महिलाओं पर पहला भी सम्मेलन मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया। लेकिन महिलाओं पर तीसरा विश्व सम्मेलन 1985 नैरोबी में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में उन क्षेत्रों को निर्धारित किया गया जिनके द्वारा महिलाओं की समानता में प्रगति को मापा जा सकता है जैसे संवैधानिक और कानूनी उपाय, सामाजिक, राजनीतिक भागीदारी में समानता और निर्णय लेना महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं के चहुंमुखी विकास का माध्यम है, जिससे वे स्वावलंबी होकर पुरुषों के समान राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता दे। दूसरे शब्दों में महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा औरआर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वे सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके।यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और देश की प्रगति में अपना परचम लहराए। जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना,मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 में नारी हितों को संरक्षित किया अनुच्छेद 51 (क) में यह व्यवस्था दी गई थी प्रत्येक नागरिक का वैधानिक दायित्व है कि वह महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध होने वाले किसी भी गतिविधि का विरोध करें। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सफल बनाने हेतु प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। जो राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य के लिए है। 1993 में घोषित 73वें और 74 वे संविधान संशोधन दो कारणों से मील का पत्थर है,पहला स्थानीय सशक्तिकरण और दूसरा महिला सशक्तिकरण 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई ताकि देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन में वह सक्रिय भागीदारी निभा सके। त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना नि:संदेह एक क्रांतिकारी कदम है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए 24 अप्रैल 1990 को पहला महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस मनाया गया देश के शासन में महिलाओं को कम आंकना हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।खासकर जब महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात हो प्रभावी महिला नेतृत्व के बिना घरेलू हिंसा यौन उत्पीड़न और प्रजनन अधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित नहीं किया जा सकता है। बदलावों ने भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को जमीनी स्तर पर प्रवेश करने में मदद की है। महिलाओं की भागीदारी ने स्वयं सहायता समूहो सरकारी समितियों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के जरिए आजीविका विकल्पों को बनाने, विकसित करने और बढ़ावा देने में मदद की है महिला नेताओं ने अपने पुरुष समकक्षो की तुलना में लिंग असमानता,घरेलू शोषण, प्रजनन कल्याणऔर शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके क्रांति ला दी है। भारतीय समाज में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है।

जहां एक ओर भारत की प्रसिद्ध उद्यमी फाल्गुनी नायर,वंदना लूथरा, इंदिरा नूरी, शहनाज हुसैन, रितु कुमार,विनीता सिंह आदि महिलाओं ने अपवादों को छोड़कर अपनी भूमिका सक्षमता से निभाते हुए सिद्ध किया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र जैसे विधि, अकादमिक, साहित्य,संगीत,नृत्य, खेल, मीडिया उद्योग आईटी सहित आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी निर्णायक भूमिका निभाने में पुरुषों से कम नहीं है।वहीं दूसरी ओर प्रेक्षापास्त्र अग्नि-5 के सफल परीक्षण के बाद महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस की मुख्य भूमिका उभर कर सामने आयी। मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रमुख शिष्या डॉ. थॉमस को इस परीक्षण के बाद 'मिसाइल वूमेन'अथवा 'अग्निपुत्री' नामों से संबोधित किया जाने लगा है। मिसाइल कार्यक्रम का संपूर्ण नेतृत्व संभालने वाली वे देश की प्रथम महिला वैज्ञानिक बन गई। पहले प्रश्न उठता था कि

राजनीतिक सत्ता पर महिलाओं की भूमिका क्या होगी ? क्या मैं चुनाव में भाग लेने का साहस करेंगीं ? क्या वह मंचों पर उन्मुक्त भाषण दे पायेंगी, क्या समस्याओं का समाधान खोज पायेंगी? लेकिन इन सबके बावजूद महिलाओं में जबरदस्त राजनीतिक चेतना आई है।पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से ऐसे अनेक भ्रांतियां टूट रही है कि महिलाएं राजनीतिक भूमिका निभाने एवं नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ होती है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक योजनाएं ला रही है, जिसका लाभ बड़े स्तर पर महिलाओं को मिल रहा है। जिससे वह हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। भुनेश्वर में 4 जून 2022 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व पर जोर दिया क्योंकि यह उनके सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाता है। पटनायक ने कहा कि कोई भी परिवार,समाज,राज्य या देश अपनी महिलाओं को सशक्त किए बिना कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उड़ीसा ने पंचायतों में 50% सीटें आरक्षित की है।बीजू जनता दल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित की जो किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है।

देश के राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की मौजूदगी का सवाल बौद्धिक बहसों, सेमीनारों और गोष्ठियों में गूँजता रहता है। देखा जाए तो इस देश ने दशकों पहले ही अपनी बागडोर श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में सौंप दी थी। स्वर्गीय जयललिता, सोनिया गांधी, मायावती,ममता बनर्जी और आज भारत के प्रथम नागरिक वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसी भारतीय राजनीति के अंबर के चमकते सितारे हैं; लेकिन प्रश्न यह है कि स्टमक का दायरा कितना व्यापक कितना सघन और कितना स्थाई है। आजादी से लेकर आज तक भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सत्ता में साझेदारी के लिए किए गए प्रयत्नों को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति वाले प्रश्न को हर चुनाव कुछ समय के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है।सभी राजनीतिक दल चुनावी शतरंज में महिलाओं की सुरक्षा को मोहरा बनाकर 'राजनीति' तो करते हैं। लेकिन उन्हें सुरक्षित भविष्य के लिए बड़ी राजनीतिक भूमिका देना उनके एजेंडे में नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के संविधान में टिकट वितरण की प्रक्रिया में महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करने का जिक्र नहीं है,पर व्यवहारिक तौर पर जो लैंगिक असमानता है उसके हम सब गवाह है।

आज की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक, भागीदारी के समान अवसर नहीं है विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं विश्व के हर कोने में नेतृत्व के स्तर पर कम ही आंकी गई है।जबकि विश्व के विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिन देशों में महत्वपूर्ण पदों पर 25 से 30% तक महिलाओं की हिस्सेदारी है वह परंपरागत सोच व्यवस्था में परिवर्तन कर महिलाओं के उत्थान का पुरजोर समर्थन करती है।

महिला सशक्तिकरण के बिना किसी भी देश के मानव विकास एवं राष्ट्र निर्माण का सपना पूरा नहीं हो सकता। अगर महिलाओं के साथ किसी भी क्षेत्र में भेदभाव ने किया जाए समान अवसर दिया जाए तो देश के विकास की नई ऊंचाइया छुएगा। आई एम एफ के एक अनुमान के अनुसार देश की श्रम शक्ति में महिलाओं की समान भागीदारी से ही भारत की जीडीपी में 27% की वृद्धि हो सकती है। महिलाओं को अपनी शक्ति पहचान नहीं होगी अपने फैसले लेने का हक ना मिलना महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी बाधा है महिलाओं को अपने निर्णय लेने के मामले में आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उस दौर में गांधीजी की सोच जितनी सुदृढ़ थी वह इस दौर के लोगों के लिए एक मिसाल है। आज के समय में बापू के विचारों को फिर से याद करने का समय है। गांधीजी यह कभी नहीं चाहते थे कि महिलाओं को सशक्तिकरण का विषय बनाया जाए। इस बात को मानते थे कि महिलाएं स्वयं इतनी सशक्त है कि वह स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे मानते थे कि अगर महिलाओं को स्वतंत्र होना है तो सबसे पहले उनको निडर बनाना होगा। परिवार एवं समाज के कुत्सित बंधनों को तोड़ते हुए जबरदस्ती थोपे गए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी होगी, उनका विरोध करना होगा।यही निडरता यही ताकत उनके जुल्मों से आजादी दिला सकती हैं और समाज में एक नई पहचान बनाने की हिम्मत दे सकती है। गांधी जी ने अपने भाषण में कई बार कहा कि जिनको हम अबला मानते हैं अगर वह सबल बन जाए तो हर असहाय ही शक्तिशाली हो जाएगा।इसी क्रम में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करना नहीं चाहिए उनके अनुसार लैंगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो,मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए उसे दूर करना आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष मारिया फ़र्नान्डा एस्पिनोसा ने आग्रह किया कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति होने वाली हिंसा और भेदभाव के ख़िलाफ़ अपने प्रयासों को दोगुना कर देना चाहिए।'हमें नेतृत्व करने वाली और महिलाएं चाहिए जिनकी सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी हो और जो निर्णय लेती हों।'

सरकार एवं समाज के सभी वर्ग को कुत्सित एवं रूढ़िवादी मानसिकता के ऊपर उठ महिलाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी स्थानों में बराबरी का हक देना होगा, नारी गरिमा की अवमानना प्रत्येक स्तर पर अस्वीकार्य है, इसे प्रांतीय, धर्म, वर्ग, जाति आदि संकीर्ण तराजुओं में नहीं तोला जा सकता। कर्मण्यता, संवेदनशीलता एवं कर्तव्य निष्ठा के अभाव में राष्ट्र के विकासोन्मुख होने की बात करना निरर्थक है। आज की स्थितियों से स्पष्ट है कि इस तरह की समस्या कानूनी कम सामाजिक ज्यादा है इस सामाजिक मानसिकता को बदलना का जिम्मा देश की वर्तमान युवा पीढ़ी को ही उठाना होगा तभी राष्ट्र विकास की यात्रा सही मायनों में पूर्ण मानी जाएगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. ऐश्वर्या झा सामाजिक ,आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी ही महिला सशक्तिकरण की कुंजी ,8 मार्च2022 From amarujala.com
2. शुभम सोनदा वाले, क्यों मनाया जाता है महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस जाने इसका महत्व और इतिहास , 24 April 2022 From enavabharat.com
3. एच. एल.दुसाथ, लैंगिक असमानता तथा आर्थिक और सामाजिक विषमता से पार पाने का एक अभिनव विचार, 3 april 2022 From www.hastakshep.com
4. दीपक अरोड़ा,नारी सुरक्षा के अभाव में राष्ट्रीय प्रगति असंभव, 9 Feb 2022 From punjab kesari.in
5. सुशील कुमार शर्मा,भारत के उत्थान में बेटियों का योगदान From webdunia.com
6. navbharattimes.indiatimes.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

भारत का गौरव - यूपीआई

डॉ. प्रवीण ओझा*

*प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) बी.एल.पी. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - यूपीआई एक बैंकिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से पेमेन्ट एप्लिकेशन पर राशि का लेनदेन किया जाता है। ऑनलाइन या डिजिटल पेमेन्ट का यह अत्यधिक लोकप्रिय सिस्टम है। इसका पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किये गये ऑनलाइन भुगतान का एक स्वरूप है। गूगल पे पर बैंक खाता जोड़ने के लिये यह आवश्यक है कि आपका बैंक यूपीआई से धन के लेनदेन की सुविधा प्रदान करता हो। यूपीआई आईडी ग्राहक का एक प्रकार का पता होता है जो यूपीआई पर आपकी पहचान प्रस्तुत कराता है। यूपीआई पिन वह नम्बर है जिसका प्रयोग कोई नवीन पेमेन्ट अकाउन्ट जोड़ते समय या कोई लेनदेन करते समय किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसे रीसेट भी किया जा सकता है। गूगल पे के साथ पेमेन्ट की सुविधा देने वाले जिन बैंकों के माध्यम से यूपीआई आईडी बनाया जाता है उनके नाम हैं - स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आदि। उपभोक्ता उनके बैंक खाते के लिये ज्यादा से ज्यादा चार यूपीआई आईडी बना सकते हैं। यदि तकनीकी समस्या के कारण इनमें से कोई आईडी काम नहीं करती है तो पेमेन्ट हेतु अतिरिक्त आईडी का प्रयोग भी किया जा सकता है। यह ग्राहक की बैंक का पहचानकर्ता है, जिसकी मदद से सीधे अपने बैंक खाते से पैसे भेज सकते हैं या पा सकते हैं। यह एक एप है जिसकी स्थापना दिसम्बर 2015 में समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर ने की थी। यह एक ग्यारह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। 11 अप्रैल 2016 में यूनिफाइड पेमेन्ट इंटरफेस (यूपीआई) की शुरूआत हुयी, जिसके प्रयोग से पैसे के लेन-देन की प्रक्रिया आसान एवं सुविधाजनक हो गयी। आज यह जन-जन में प्रचलित है। इसकी दैनिक भुगतान की सीमा एक लाख रूपये प्रतिदिन है।

भारत द्वारा विकसित मेड इन इण्डिया पेमेन्ट सिस्टम यूपीआई देश की ऐसी व्यापक सफलता है जिसने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में भी गहरी पैठ बनायी है। प्रतिमाह लगभग 6 अरब रूपये का लेनदेन, 10 लाख करोड़ रूपये से अधिक मूल्य एवं 260 मिलियन उपयोगकर्ताओं की संख्या के आंकड़ों के साथ भारत में निर्मित एवं संचालित यूपीआई का विश्व का सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाला रीयल टाइम इकोसिस्टम कहलाने का गौरव प्राप्त है। मध्यस्थों को हटाकर इसने ऐसा भुगतान तंत्र विकसित किया है जो शुल्क रहित है जिसने 26 करोड़ (260 मिलियन) उपभोगकर्ताओं को आकर्षित किया है। भारत में इसकी पहुँच सर्वव्यापी है एवं 300 से अधिक बैंक यूपीआई उपयोगकर्ता बैंक खाते के माध्यम से अपने लिंकेज की पेशकश के प्रस्ताव रख रहे हैं। एनपीसीआई के मदद एवं भीम के अतिरिक्त 50 से अधिक सक्षम एप की भी पेशकश की गयी है। मई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने इसकी पहुँच का विस्तार करते हुये ग्राहकों को फोन पर इस एप के माध्यम से कार्ड रहित लेनदेन में एटीएम से 5,000/- रूपये तक निकालने की सुविधा प्रदान की है। अप्रैल 2020 में यूपीआई को विदेशी बाजारों में स्थान बनाने हेतु NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड लांच किया और आज एशिया, मध्य पूर्व एवं यूरोप के अनेक देश आगे बढ़कर इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा करवाये एक अध्ययन में ये तथ्य सामने आये हैं कि भारत में डिजिटल भुगतान उद्योग 2026 तक वर्तमान में 3 ट्रिलियन से बढ़कर 10 ट्रिलियन तक पहुँच जायेगा। एनपीसीआई के सलाहकार नंदन नीलकेणि का कहना है कि पेमेंट का यह सुरक्षित विकल्प है।

देश में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रचलित प्लेटफार्म है। यह फण्ड ट्रान्सफर के साथ-साथ एवं मर्चेन्ट पेमेन्ट सिस्टम भी है। जनवरी 2020 से यूपीआई लेनदेन को शून्य शुल्क ढांचा अनिवार्य कर दिया था अर्थात् इस पर किसी भी प्रकार के किसी भी शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का इस भुगतान पर 'टियर्ड' चार्ज लगाने का विचार चल रहा है। इस संबंध में बैंक ने 3 अक्टूबर 2022 तक हितधारकों के सुझाव भी आमंत्रित किये। रिजर्व बैंक ने यह भी जानना चाहा है कि यदि भुगतान पर चार्ज लगाया जाता है तो क्या यह भुगतान मूल्य के आधार पर मर्चेन्ट डिस्काउन्ट रेट (MDR) लगाया जाना चाहिये या भुगतान मूल्य के बावजूद MDR के रूप में एक निश्चित राशि चार्ज की जानी चाहिये। बैंक ने यह भी पूछा है कि शुल्क की दर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को निर्धारित करनी चाहिये या बाजार को यह निर्धारण की अनुमति दी जा जाये कि शुल्क प्रारंभ किये जाये अथवा नहीं। विविध भुगतान सेवाओं पर सेवा के बदले जो राशि व्यापारी से ली जाती है उसे एमडीआर कहा जाता है फिलहाल इस नि:शुल्क व्यवस्था का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

जुलाई 2022 में इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत 30 देशों से यूपीआई के संबंध में बात कर रहा है तथा इनके साथ एमओयू भी साइन हो रहे हैं। भारत के यूपीआई ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनायी है। नेशनल पेमेन्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया इंटरनेशनल पेमेन्ट्स लिमिटेड जो संक्षेप में एनआईपीएल के नाम अधिक चर्चित है, ने यूपीआई के माध्यम से भुगतान को व्यापक बनाने हेतु यूरोपीय भुगतान सुविधाकर्ता वर्ल्ड लाइन के साथ साझेदारी की है एवं आईपीएल एनपीसीआई की अन्तर्राष्ट्रीय शाखा है। इस साझेदारी के

परिणामस्वरूप वर्ल्ड लाइन का क्यू आर कोड आधारित तंत्र व्यापारियों के पी.ओ.एस. (पाइंट ऑफ सेल) सिस्टम को मोबाईल फोन के माध्यम से यूपीआई भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। यूरोप में भुगतान हेतु भारतीय रूपये डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग कर सकेंगे। यह इसके विस्तार की दिशा में नवीनतम प्रयास है। इसके अतिरिक्त 13 सितम्बर 2021 को दस देशों के साथ यूपीआई क्यू आर बेस्ड पेमेन्ट को लोकप्रिय बनाने हेतु एनआईपीएल ने समझौते पर हस्ताक्षर किये जो इसकी बड़ी सफलता मानी जाती है। यह समझौता सिंगापुर स्थित लिक्विड ग्रुप के साथ करते हुए घोषणा की गयी कि 'लिक्विड ग्रुप सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैण्ड, फिलीपीन्स, वियतनाम, कम्बोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान के दस बाजारों में मर्चेन्ट एक्वायरिंग पार्टनर्स के एक व्यापक नेटवर्क को एकीकृत करता है। 2022 के प्रारंभ से सहयोग भीम एप का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को उत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया में दो मिलियन से अधिक व्यापारियों को इस प्रणाली से भुगतान हेतु सक्षम बनाया जायेगा।' इस समझौते को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हुए नेपाल को यूपीआई लागू करने वाला प्रथम विदेशी देश कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। वहाँ की मनम इन्फोटेक और गेटवे पेमेंट्स सर्विस के सहयोग से पर्सन टू पर्सन (P2P) और पर्सन टु व्यापारी (P2M) और सीमा पार भुगतान को न केवल लागू किया गया बल्कि उसे लोकप्रिय भी बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2022 में सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर यूपीआई और पेनाऊ के बीच अन्तर को लागू करने की व्यवस्था का प्रारंभ किया है। भूटान ऐसा प्रथम देश है जिसने भीम एप के माध्यम से यूपीआई लेनदेन को अपनाया है। भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी को 13 जुलाई 2021 को यह उपलब्ध कराया गया। मलेशिया में भी 2021 में मर्चेन्ट एशिया नामक संस्था ने एनआईपीएल के सहयोग से यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गयी है। संयुक्त अरब अमीरात में लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग, मशरेक बैंक और नेटवर्क इन्टरनेशनल के साथ एनआईपीएल ने भागीदारी कर 21 अप्रैल 2022 को मशरेक के निओ पे के माध्यम से यूपीआई को वहाँ प्रारंभ किया है। ओमान में सेन्ट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ एनपीसीआई ने समझौते पर हस्ताक्षर कर क्यू आर आधारित यूपीआई पेमेन्ट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था लागू की है।

यूरोप में भी इस व्यवस्था के विस्तार के सुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं। फ्रांस में लाइरा नेटवर्क ने एनआईपीएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिससे वहाँ विद्यार्थियों एवं पर्यटकों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्राप्त हो गयी है। यूनाइटेड किंगडम में भी भुगतान समाधान प्रदाता एक्सपर्ट के सहयोग से अगस्त से एनआईपीएल ने इस व्यवस्था को लागू किया है। यूरोप के अन्य देश भी इस परिधि में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ वर्ल्ड लाइन के साथ समझौता किया गया है जिससे बेल्जियम, स्विटजरलैण्ड और नीदरलैण्ड सहित अनेक बाजार भी इस व्यवस्था से लाभान्वित हो सकेंगे। जुलाई 2022 में भारत की इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत 30 देशों के साथ यूपीआई के संबंध में बात कर रहा है तथा इनके साथ एमओयू भी साइन करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत के गौरव को स्थापित करने वाले इस देशी (भारतीय) एप की सफलता वंदनीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

प्राणायाम का युवा कार्यालय कर्मियों की निद्रा पर प्रभाव का एक अध्ययन

डॉ. अजय कुमार चौधरी* जसवंत मेनारिया**

* सह आचार्य, मीरा कन्या राजकीय महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधकर्ता, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – कार्यालयों में कार्यभार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसके साथ समायोजन बैठाना कर्मचारियों के लिए कई बार दुष्कर हो जाता है। ऐसे में वह चिंता और तनावग्रस्त हो जाते हैं परिणामत: उन्हें नींद से संबंधित कई परेशानियां होने लगती है। यह देखा गया है कि कई कार्यालय कर्मियों को बेचैनी रहती है, पर्याप्त नींद नहीं आती। जिस कारण वे दिन में भी थकान का अनुभव करते हैं। उनका कार्य में मन नहीं लगता और एकाग्रचित्त की कमी रहती है। इस समस्या के समाधान में प्राणायाम का क्या योगदान हो सकता है यह जानने का प्रयास किया गया। एक प्रयोगात्मक समूह पर अध्ययन करते हुए यह ज्ञात हुआ कि साठ दिवस तक प्रतिदिन आधा घंटा प्राणायाम के अभ्यास से युवा कार्यालय कर्मियों की निद्रा के स्तर में सार्थक सुधार हुआ।

शब्द कुंजी – प्राणायाम, कार्यालय कर्मी, निद्रा, प्रयोगात्मक समूह।

प्रस्तावना – युवाओं विशेषकर कार्यालय कर्मियों में अनिद्रा तथा नींद की कमी की परेशानी कई बार देखने और सुनने को मिलती है। उनकी जीवनशैली अति व्यस्त हो गई है। वे मोबाइल पर अपना लंबा समय गुजारते हैं, कंप्यूटर के समक्ष आंखें गड़ाए बैठे रहने से उनका सिर भारी हो जाता है। घर लौटने पर भी वे कुछ घंटे टी.वी. जरूर देखते हैं। इन सब का मिश्रित प्रभाव उनकी दिनचर्या और निद्रा पर पड़ता है। मानसिक रूप से अशांत होने के कारण उन्हें सही से नींद नहीं आ पाती है।

कई बार कई कर्मियों को कार्यालय में अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है इसके अतिरिक्त रात्रि कालीन सत्र (शिफ्ट) में भी कार्य करना पड़ता है इससे उनका बायोलॉजिकल चक्र असंतुलित हो जाता है और उन्हें नींद की कमी हो जाती है। यह भी बड़ा जरूरी है कि वे कम समय में भी गहरी नींद लेते हुए अपने शरीर को वांछित विश्राम दे सके। योग इस हेतु लाभकारी हो सकता है।

श्वास प्रश्वास का नियमन ही प्राणायाम कहलाता है। इसके द्वारा मन को भटकने से रोकना संभव है और चिड़चिड़ापन में तथा रोष में इसके नियमित अभ्यास से कमी आ जाती है। प्राणायाम के द्वारा प्राणशक्ति उत्प्रेरित होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाले विचारों पर नियंत्रण की क्षमता तथा निद्रा में अभिवृद्धि होती है।

पूर्ववर्ती शोध – मंगेश, सारिका और किरण (2013)[1] उम्र के बढ़ने के साथ-साथ नींद की समस्या भी होने लगती है। अल्पकाल में प्राणायाम करने से तो नींद में सुधार होता है किंतु दीर्घकाल तक योग अभ्यास करने से निद्रा की गुणवत्ता तथा जीवन शैली में क्या वृद्धावस्था में भी कुछ परिवर्तन होता है यह जानने हेतु 60 वर्ष से अधिक के 65 व्यक्तियों (महिलाओं और पुरुषों) पर एक गहन शोध किया गया जिसके अनुसार यह पाया गया कि न सिर्फ उनके नींद लेने की गुणवत्ता में सुधार हुआ अपितु उनकी जीवन शैली में भी सार्थक रूप से दीर्घकालीन योग का अच्छो प्रभाव पड़ा। उनकी शारीरिक पुष्टि में वृद्धि हुई, दिन के समय नींद के झोंके आने की समस्या भी दूर हो गई।

अमृत कौर और महेश मित्रा (2019)[2] 40 ऐसे रोगियों का चयन किया गया जोकि अनिद्रा, खरटि या दिन के समय नींद की शिकायत से पीड़ित थे। इन्हें नियंत्रित समूह तथा प्रयोग समूह दो भागों में विभक्त किया गया तथा उन्हें नियमित प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। कुछ समय पश्चात् यह देखा गया कि प्राणायाम से प्रयोगात्मक समूह में खरटि लेने की समस्या काफी कम हुई, उनमें शिथिलता और दोपहर के समय नींद आने की समस्या में कमी आई। साथ ही साथ उन्हें रात्रि में भी गहरी नींद आने लगी वहीं दूसरी ओर नियंत्रण समूह में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया।

महात्मा श्री, प्रशांत और गिरिजा (2019)[3] प्राणायाम के माध्यम से तनाव में कमी आती है, हृदय गति सामान्य होती है, रक्तचाप संतुलित होता है परिणाम स्वरूप नींद भी अच्छी आती है। 19से 61 आयु वर्ग के 40 व्यक्तियों पर 20 दिन तक प्राणायाम के अभ्यास से यह ज्ञात हुआ कि अल्पकालीन प्राणायाम का अभ्यास से भी काफी लाभकारी रहता है और इसके माध्यम से व्यक्तियों को अच्छी नींद आने लगती है।

वेंग और अन्यक (2020)[4] के अनुसार महिलाओं की निद्रा संबंधी समस्याओं के निदान में तथा उनके भूलने की समस्या में कमी लाने में योग एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है। योग के माध्यम से सभी आयु वर्ग की महिलाओं की निद्रा संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

धनलक्ष्मी और अन्य (2022)[5] कोविड-19 रोगियों पर एक शोध अध्ययन किया गया जिसके अंतर्गत घर में एकांत में रह रहे 42 कोविड-19 रोगियों पर शोध किया गया। इन चयनित रोगियों को प्रतिदिन 20 मिनट ऑनलाइन ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया जिससे उनके दुश्चिंता के स्तर, अवसाद तथा निद्रा में काफी सुधार आया। पिट्सबर्ग स्लीप

क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार यह अंतर सार्थक रूप से प्रामाणिक पाया गया।

शोध का उद्देश्य – नियमित रूप से प्राणायाम करने का युवा कार्यालय कर्मियों की निद्रा पर प्रभाव ज्ञात करना।

शोध परिकल्पना – प्राणायाम का युवा कार्यालय कर्मियों की निद्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शोध विश्लेषण – शोध कार्य के अंतर्गत उदयपुर संभाग के डेढ़ सौ पुरुष व महिला कार्यालय कर्मियों का याद्दच्छिक रूप से चयन किया गया जो कि न्यूनतम 3 वर्ष से कार्य में संलग्न थे एवं जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष थी। इन कार्यालय कर्मियों की निद्रा का स्तर ज्ञात किया गया जिससे यह पता चला कि 50.67% कार्यालय कर्मियों को ही सामान्य नींद आती है जबकि 28.67% को बहुत कमजोर नींद आती है, बार-बार उड़ जाती है। मात्र 20.67% युवा कार्यालय कर्मियों को ही गहरी नींद आती है।

तालिका 1: प्राणायाम के पूर्व युवा कार्यालय कर्मियों की निद्रा

निद्रा	कार्यालय कर्मी	प्रतिशत	भार	अंक
कमजोर निद्रा	43	28.67	1	43
सामान्यि निद्रा	76	50.67	2	152
गहरी निद्रा	31	20.67	3	93
योग	150	100.0		288

ग्राफ 1: प्राणायाम के पूर्व युवा कार्यालय कर्मियों की निद्रा

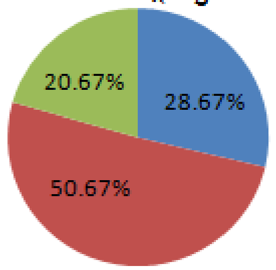

इन चयनित युवा कार्यालय कर्मियों को 60 दिनों तक प्रतिदिन आधा घंटा प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। उसके उपरांत उनकी नींद का स्तर पुन: मापा गया। प्राणायाम के उपरांत 56% युवा कार्यालय कर्मियों को गहरी नींद आने लगी मात्र 7.33% कार्यालय कर्मी ही ऐसे थे जिन्हें की कमजोर नींद की शिकायत बाकी रही जबकि 36.67% को सामान्य नींद आने लगी।

तालिका 2: प्राणायाम के उपरान्त युवा कार्यालय कर्मियों की निद्रा

निद्रा	कार्यालय कर्मी	प्रतिशत	भार	अंक
कमजोर निद्रा	11	7.33	1	11
सामान्यि निद्रा	55	36.67	2	110
गहरी निद्रा	84	56.00	3	252
योग	150	100.00		373

ग्राफ 2: प्राणायाम के उपरान्त युवा कार्यालय कर्मियों की निद्रा

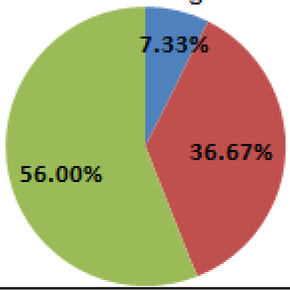

तालिका 3 में प्राणायाम के पूर्व तथा प्राणायाम के पशात निद्रा के स्तर की तुलना हेतु युग्मक 't' परीक्षण से प्राप्त परिणामों को दर्शाया गया है।

तालिका 3: टी परिक्षण

	निद्रा मध्यमान	मानक विचलन	संख्या	स्वायतंत्रय अंश	टी	पी
प्राणायाम के पूर्व	1.92	0.63	150	149	2.67	0.00
प्राणायाम के उपरान्त	2.49	0.56	150			

उपरोक्त तालिका को देखने पर स्पष्ट होता है की प्राणायाम के पूर्व युवा कार्यालय कर्मियों के निद्रा स्तर का मध्यमान 1.92 प्राप्त हुआ तथा प्राणायाम के पश्चात युवा कार्यालय कर्मियों के निद्रा स्तर का मध्यमान 2.49 प्राप्त हुआ 't' का मान 2.67 प्राप्त हुआ जो की 0.01 स्तर पर सार्थक तात्पर्य है की प्राणायाम के पूर्व तथा प्राणायाम के पश्चात निद्रा स्तर में सार्थक परिवर्तन हुआ है। मध्यमान अंकों को देखने पर स्पष्ट होता है की प्राणायाम के कारण निद्रा स्तर में सार्थक रूप से सुधार हुआ है।

परिकल्पना परीक्षण– अध्ययन के परिणामों के आधार पर परिकल्पना ***'प्राणायाम का युवा कार्यालय कर्मियों की निद्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।'*** को अस्वीकृत किया जाता है।

शोध निष्कर्ष – नियमित प्राणायाम के माध्यम से कार्यालय कर्मियों को सहजता का अनुभव होने लगता है; उनकी निद्रा की गुणवत्ता में सुधार आता है। वे कमजोर या सामान्य नींद की अपेक्षा बेहतर और गहरी नींद लेने लगते हैं जिससे कि उनके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार हो सकता है। अत: युवा कार्यालय कर्मियों को नियमित प्राणायाम का अभ्यास लाभकारी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Bankar MA, Chaudhari SK andChaudhari KD. (2013) Impact of long term Yoga practice on sleep quality and quality of life in the elderly,*J Ayurveda Integr Med*. Jan; Vol. 4 (1) pp. 28-32.
2. Amrit Kaur and Mahesh Mitra (2019) Effect of oropharyngeal exercises and Pranayama on snoring, daytime sleepiness and quality of sleep in patients with moderate obstructive Sleep Apnea Syndrome, *European Respiratory Journal*, Vol. 54,pp. 577.
3. Mamatha Shree, Prashanth K.S and Girija B (2019) Effect of short term pranayama on perceived stress, sleep quality, heart rate, and blood pressure, *International Journal of Physiology*, April-June, Vol. 7, No. 2 pp. 114-115.
4. Wang, WL., Chen, KH., Pan, YC. et al. (2020) The effect of yoga on sleep quality and insomnia in women with sleep problems: a systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry* 20, 195.
5. ThanalakshmiJagadeesan, Archana R, Kannan R, Timsi Jain, Aadhyyanth R. Allu, Tamil Selvi G, M.Maveerane, Mahesh kumarKuppusamy (2022) Effect of Bhramari Pranayama intervention on stress, anxiety, depression and sleep quality among COVID 19 patients in home isolation, Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, Vol 13 (3) July–September 2022.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

दृष्टि बाधिता अर्थ, विशेषताऐं, पहचान तथा लक्षण

डॉ. रचना राठौड़* अन्जु दोसी**

* सह-आचार्य, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक (उदयपुर) (राज.) भारत
** व्याख्याता (शिक्षा) लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक (उदयपुर) (राज.) भारत

शोध सारांश – दृष्टि बाधित बालक ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते है कुछ बालक गंभीर रूप से दृष्टिबाधित होते है। दृष्टि बाधित का स्नैलन चार्ट के माध्यम से मापन किया जाता है। दृष्टि बाधित बालकों की विशेषताएँ, भाषा के विकास, मानसिक योग्यता तथा सामाजिक तथा कार्य समायोजन के आधार पर विभाजन किया गया है।

प्रस्तुत लेख में शोधार्थी दृष्टि बाधित बालक के प्रकार, वर्गीकरण, दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा, कारण, अर्थ, विशेषताएँ, इनकी पहचान, दृष्टि दोष के कारण, समस्याएँ तथा ऐसे बालकों शिक्षा कैसे हो ?

इन बालकों की लक्षण/विशेषताएँ क्या-क्या होती है ? संज्ञानात्मक विकास, भाषा संबंधी विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि संबंधी विकास संबंधी विशेषताओं का भी विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दृष्टिबाधित बालकों की पहचान कैसे करें ? आदि बिन्दुओं को भी देखा गया है।

दृष्टिबाधित बालक – अपनी ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से उनके साथ सम्पर्क स्थापित करते हैं इसलिए ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान का द्वार भी कहा जाता है मुख्यत: ज्ञानेन्द्रियाँ पांच प्रकार की होती है। ये पांच ज्ञानेन्द्रियाँ क्रमश: आंख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा है। इन पांचों इन्द्रियों का अपना-अपना महत्व है, परन्तु आंखों का महत्व जीवन में अतिविशेष है क्योंकि सबसे अधिक अनुभव हम आंखों से ही प्राप्त करते है। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि मनुष्य वातावरण से प्राप्त सभी सूचनाओं का लगभग 80 प्रतिशत आंखों के माध्यम से प्राप्त करता है। इसी कारण आंख को मस्तिष्क का बाह्य विस्तार भी कहा जाता है। यदि आंखों की कार्यक्षमता में रूकावट उत्पन्न हो जाए या इसका शरीर में अभाव हो तो मानव दृष्टि जैसे प्राकृतिक उपहार से वंचित हो जाता है। यहाँ विस्तार से दृष्टिबाधित का अर्थ, प्रकार, कारण एवं रोकथाम के बारे में वर्णन किया गया है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लक्षणों सम्बन्धित जानकारियाँ भी प्रस्तुत है।

दृष्टिबाधित का अर्थ – सामान्य शब्दों में ठीक प्रकार से देख पाने मे असमर्थता दृष्टिबाधिता कहलाती है। दृष्टि की अपनी सामान्य क्रियात्मकता से विचलन की स्थिति दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आता है। दृष्टिबाधिता का अर्थ है कि दृष्टि में सभी उपचारात्मक प्रयासों एवं सुधारात्मक लेंसों के प्रयोग के बावजूद दृष्टिक्षति का मौजूद होना, इस क्षति के कारण व्यक्ति को देखने में परेशानी होती है। दृष्टिहीन/नैत्रहीन की क्षति के कारण विद्यार्थी को पढ़ने/पढ़ाने में दिक्कत होती है।

सारे दृष्टिहीन व्यक्तियों में दृष्टि का पूर्ण अभाव नहीं होता है। अधिकतर दृष्टिबाधिता की श्रेणी मे आने वाले व्यक्तियों में दृष्टि की कुछ न कुछ अवशिष्ट या शेष दृष्टि होती हैं, जब व्यक्ति में अवशिष्ट दृष्टि एक स्तर से अधिक ऊपर होती है तब ऐसी स्थिति कमदृष्टि या अल्पदृष्टि कहलाती है परन्तु अवशिष्ट दृष्टि का एक स्तर से कम होना या दृष्टि का पूर्णत: अभाव होना नेत्रहीनता या दृष्टिहीनता की श्रेणी में आता है।

दृष्टि तीक्ष्णता – दृष्टि तीक्ष्णता का अर्थ है आंख के देखने की क्षमता। यह व्यक्ति की निर्धारित दूरी से स्पष्ट नहीं देख पाना है। यह दूर व पास दोनों दूरियों के लिए मापी जाती है। दृष्टि तीक्षणता को मापने के लिए सामान्यत: स्नेलेन आई चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इसे भिन्न रूप में लिखा जाता है। जैसे 20 60 फिट दृष्टितीक्ष्णता का अर्थ है कि सामान्य दृष्टि से जिस वस्तु को 60 फिट की दूरी से देखा जा सकता है। एक प्रभावित या क्षतिग्रस्त दृष्टि उस वस्तु को 20 फिट की दूरी से देख सकती है अर्थात् यदि कोई वस्तु को 60 फिट की दूरी पर रखी है तो 20 60 दृष्टि तीक्ष्णता वाले व्यक्ति को भली प्रकार से देखने के लिए उस वस्तु को 20 फिट की दूरी पर लाना होगा।

दृष्टि क्षेत्र – दृष्टि क्षेत्र से तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा सीधे देखने पर उसके द्वारा प्रत्यक्षित कुल क्षेत्र व्यक्ति ठीक सामने की वस्तु को देखने के साथ ही एक निश्चित परिधि में आने वाले सभी वस्तुओं को देख सकता है। दृष्टि को बिल्कुल सीध में रखने पर एक सामान्य दृष्टि त लगभग 180 डिग्री तक की परिधि में आने वाली सभी वस्तुओं के देख पाने में सक्षम होता है।

दृष्टिबाधित का वर्गीकरण एवं परिभाषा– दृष्टिबाधिता दो प्रकार की होती है :

1. अल्पदृष्टिदोष अर्थात कम दिखायी पड़ना।
2. पूर्णत: दृष्टि अभाव/दृष्टिहीन।

व्यक्ति दृष्टिहीन है या अल्प दृष्टिहीन वाला व्यक्ति की अवशिष्ट या शेष दृष्टि पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति से अवशिष्ट दृष्टि एक स्तर से अधिक होती है तो अल्पदृष्टि की श्रेणी में आता है। निर्धारित स्तर से कम अवशिष्ट होने पर या दृष्टि का पूर्णता अभाव होने पर व्यक्ति दृष्टिहीनता की श्रेणी में आता है।

आंशिक या अल्प दृष्टिदोष – कानूनी परिभाषा के अनुसार सुधारात्मक उपायों के बावजूद अल्पदृष्टि तीक्ष्णता (20/70 फीट) से कम या दृष्टि क्षेत्र 20 डिसी से कम होता है अर्थात् सामान्य दृष्टि वाला, जिस वस्तु को 20 फीट की दूरी से देख सकता है। उसे अल्पदृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 फीट की दूरी से देख पायेगा तथा दृष्टि के बिल्कुल सीध में रखने पर व्यक्ति

मात्र 20 डिग्री या कम की परिधि में आने वाली वस्तुओं को देख सकने में सक्षम होगा।

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार – अल्पदृष्टि वाले व्यक्ति से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनकी दृष्टि क्रियाशीलता में उपचार या सर्वोत्तम सुधार के बाद भी दोष होता है, किन्तु वे उपयुक्त सहायक उपकरणों के साथ कार्यों को करने या उनकी योजना बनाने के लिए दृष्टि का प्रयोग करते हो या वे दृष्टि का प्रयोग कर सकेंगे। इस अधिनियम में दी गयी परिभाषा में दृष्टि तीक्ष्णता पर जोर ना देकर सहायक उपकरणों की सहायता से दृष्टि के उपयोग की क्षमता को आधार बनाया गया है।

शैक्षणिक परिभाषा के अनुसार – अल्पदृष्टि वाले वे विद्यार्थी होते हैं जो कि छपे हुए अक्षर पढ़ तो सकते हैं परन्तु उनके लिए मोटी छपाई वाली पुस्तकों या लिखे हुए अक्षरों के बड़ा करके दिखाने वाले उपकरणों की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक परिभाषा शिक्षकों को बच्चे से संबंधित शैक्षणिक निर्णय लेने मे सहायता करती है।

इस प्रकार हमने देखा कि अल्प दृष्टि की श्रेणी में वे बच्चे या व्यक्ति आते हैं जिनमें अवशिष्ट की मात्रा सामान्य दृष्टि वाले तथा पूर्ण अन्धत्व के बीच की होती है। इनको पढ़ने-लिखने, चलने-फिरने अथवा सामान्य काम-काज करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के दृष्टिमूलक कार्य प्रभावित हो सकते हैं तथा दृष्टिमूलक कार्य का सम्पादन करने के लिए इन्हें सहायक उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है।

दृष्टिहीनता या पूर्णता या अंधता – वैधानिक रूप से दृष्टिहीनता वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति की दृष्टितीक्ष्णता, स्वस्थ अच्छे नेत्र में, चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस के साथ सर्वोत्तम सम्भव सुधार करने के बाद 20/200 या उससे कम हो अथवा वे व्यक्ति जिनका दृष्टिक्षेत्र 20 डिग्री से कम होता है।

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार – दृष्टिहीनता अथवा पूर्णत: दृष्टि अभाव उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी एक स्थिति से ग्रस्त होता है।

1. दृष्टि का पूर्ण अभाव।
2. अच्छी आँख में, चश्में या कॉन्टेक्ट लेंस से सर्वोत्तम सुधार के बाद भी दृष्टि तीक्ष्णता 6-60 (मीटर) या 20/200 (फीट) से अधिक न होना।
3. 20 डिग्री से अधिक का दृष्टिक्षेत्र न होना।

शैक्षणिक परिभाषा के अनुसार – दृष्टिहीन व्यक्ति वे व्यक्ति है जिनकी आंखे इतनी गंभीर रूप से प्रभावित है कि उनको शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ब्रेल लिपि या श्रव्यटेप और रिकार्ड का उपयोग करना पड़ता है। दृष्टिहीनता के शैक्षणिक परिभाषा जो कि शिक्षकों को यह निर्णय लेने में सहायता करती है कि बच्चे को किस प्रकार से शिक्षित किया जाए।

दृष्टिबाधिता के कारण – दृष्टिबाधिता के कारणों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे जन्म के आधार पर, आनुवांशिक या अर्जित, नेत्र में प्रभावित स्थान इत्यादि अनेकों ऐसे आधार है जिस पर कारणों का वर्गीकरण किया जाता है। कुछ आधार का विवरण निम्नवत् है –

जन्म के आधार पर:

1. जन्म से पूर्व के कारण।
2. जन्म के दौरान के कारण।
3. जन्म के बाद के कारण।

1. जन्म के पूर्व के कारण:

1. गर्भावस्था के दौरान एक्स-रे करवाना।
2. गर्भावस्था के दौरान विशेष रूप से प्रथम महीनों में किसी संक्रामक रोग या बीमारियों (जैसे सिफलिस) या जर्मन खसरा (रूबैला) का होना।
3. डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिला का एंटीबायटिक या कोई अन्य दवा लेना।
4. रक्त समूह की जटिलताएँ या आर.एच. असंगति।
5. गर्भवती माता का कुपोषित या स्वास्थ्य खराब होना।
6. नजदीकी खून के रिश्ते में शादी।
7. परिवार में दृष्टिदोष के इतिहास का होना।

2. जन्म के दौरान के कारण:

1. प्रसव में प्रयुक्त उपकरणों के गलत प्रयोग के कारण।
2. प्रसव के दौरान शिशु को मिलने वाले ऑक्सीजन से बाधित होना।
3. समयपूर्व प्रसव।
4. जन्म के समय शिशु के वजन कम होना।

3. जन्म के बाद के कारण:

1. नेत्र में ट्युमर का होना।
2. विटामिन ए की कमी।
3. नेत्र या मस्तिष्क पर चोट लगना।
4. आंख में हुए संक्रमण के प्रति लापरवाही।
5. बाल्यवस्था में संक्रामक रोग।

दृष्टि अक्षमता की रोकथाम – सही जानकारी तथा थोड़ी सावधानी से अधिकतर बच्चों में दृष्टि अक्षमता की रोकथाम की जा सकती है। दृष्टिअक्षमता रोकने तथा नेत्रों के उचित देखभाल के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है:

1. बच्चो को सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ रखना और पौष्टिक आहार देना दृष्टिदोष की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है गर्भवती माताओं एवं बच्चों का आहार विटामिन ए से परिपूरित होना चाहिए।
2. गर्भावस्था के दौरान जर्मन मीजल्स (खसरा) या किसी अन्य संक्रामक रोग से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए।
3. शिशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए टीकाकृत किया जाना चाहिए।
4. जब तक संभव हो बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए।
5. गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डॉक्टर के परामर्श के बिना कोई दवा नहीं लेनी चाहिए।
6. खसरे से पीड़ित बच्चे को बिटामिन ए से परिपूरित खाद्य पदार्थ देना चाहिए क्योंकि खसरे के साथ शुष्क नेत्र होने का खतरा बढ़ जाता है।
7. नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह संबंध न करना बच्चे में दृष्टिबाधिता के रोकथाम का पूर्व उपाय है।
8. आँखों की समस्याओं या देखने में कठिनाइयों के प्रारंभिक लक्षणों के लिए जाँच कराया जाना चाहिए।
9. गंदे पानी में तैरने या स्नान करने से बच कर नेत्रों के संक्रमण को रोका जा सकता है।
10. सिर की चोट से बचाव नेत्र की क्षति के खतरे को कम करता है।
11. घर व बच्चे को साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए।
12. रोहे (ट्रायकोमा) वाले व्यक्ति के लक्षण पता चलते ही तुरन्त उपचार

किया जाना चाहिए।

13. नोक दारतीर, गोलियों, ज्वलनशील पदार्थ, पटाखो, अम्ल आदि को बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए।
14. आंख की चोटे प्राय: बच्चों में दृष्टिहिनता का करण बन जाती है इसलिए बच्चों को चोटों से बचाकर रखना चाहिए।

दृष्टिबाधित बच्चों के लक्षण/विशेषताएँ – दृष्टिबाधित बच्चों अथवा व्यक्तियों के लक्षण अथवा विशेषताएं बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है जैसे दृष्टिबाधिता का प्रकार एवं उसकी गंभीरता, किस उम्र में दृष्टिबाधिता आयी जन्म से या जन्म के बाद किस अवस्था में, अवशिष्ट दृष्टि की मात्रा कितनी है तथा कितनी कुशलता से उसका प्रयोग किया जा रहा है. संसाधनों तथा उपकरणों की उपलब्धता, उनकी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वीकृति सामंजस्य, दृष्टिबाधिता के साथ किसी अन्य विकलांगता की मौजूदगी दृष्टिबाधिता के प्रति सांस्कतिक तथा सामाजिक अभिवृति/दृष्टिकोण इत्यादि तथा सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए उपलब्ध हस्तक्षेपण तकनीकियों की प्रकृति तथा उनका प्रयोग।

इन सभी कारकों के बावजूद दृष्टिबाधिता समूह के अन्तर्गत आने वाले विद्यार्थियों में कुछ सामान्य लक्षण पाये जाते हैं जो कि निम्नवत् है –

1. **संज्ञानात्मक विकास तथा सम्प्रत्यय सम्बन्धित विशेषताएँ –** सामान्यत: दृष्टिहीन एवं अल्पदृष्टिदोष वाले बच्चे संज्ञानात्मक विकास एवं प्रत्यय निर्माण में दृष्टिवान बच्चों के पीछे रहते हैं पर्याप्त प्रशिक्षण, शीघ्र हस्तक्षेप एवं वास्तविक अनुभव देकर उनको प्रत्यय निर्माण एवं सांज्ञानात्मक विकास में सहायता की जा सकती है। दृष्टिबाधित बच्चे के बौद्धिक परीक्षणों में प्राप्तांकों में लगभग दृष्टिवान् विद्यार्थियों जैसे ही समान वितरण का प्रदर्शन करते हैं। सभी दृष्टिबाधित बच्चों में सम्प्रत्यय विकास विलम्ब से नहीं होता है खास कर उन बच्चों में जिसमें दृष्टिक्षय अल्पमात्रा में हो या फिर वे बच्चे जिनमें दृष्टिबाधिता से जीवनकाल में बाद में ग्रसित हुए हो दृष्टिबाधिता बच्चों में सम्प्रत्यय विकास में अवशिष्ट दृष्टि बहुत ही सहायक होती है।

2. **भाषा विकास सम्बन्धित विशेषताएँ –** विद्यार्थियों का भाषा विकास जन्म के कुछ माह के पश्चात् ही विद्यार्थी द्वारा वस्तुओं व क्रियाओं के पहचानने खोज की योग्यता तथा अवसर पर निर्भर करती है। यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कठिन हो जाती है। ये बच्चे स्पर्श या श्रवण पर निर्भर करते है जो कि उनके सीखने के अनुभवों को कम करता है। वस्तुओं तथा क्रियाओं के वास्तविक अनुभवों की अनुपलब्धता की वजह से दृष्टिबाधित व्यक्ति बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका वे सही–सही, सार्थक एवं सटीक अर्थ नहीं जानते हैं। मौखिकता को कम करने के लिए दृष्टिबाधित बच्चों को प्रारंभ से ही अनुभवों को मूर्त रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। इन बच्चों में भाषा के साथ–साथ संवेगों के उतार–चढ़ाव, मुख मुद्राओं के प्रदर्शन इत्यदि का अभाव होता है।

3. **सामाजिक विकास संबंधित विशेषताएँ –** दृष्टिबाधिता के कारण इन बच्चों को मिलने वाले सामाजिक अनुभव तथा प्राय: अन्त:क्रिया में सहभागिता मे कमी की वजह से उचित सामाजिक कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं जिससे इन्हें अन्त व्यक्तिगत रिश्तों को बनाने मे कठिनाई होती है। सामाजिक व्यवहारों का अनुभव दृश्य अनुकरण पर अधिक निर्भर करती है। बच्चे बहुत सारे सामाजिक व्यवहार व कौशलों के बारे में दूसरों को देखकर सीख जाते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सांकेतिक भाषाओं, शारीरिक भाषाओं एवं भावभंगिमाओं को समझने में समस्या आती है जिसे दृष्टिवान बच्चे सामान्य आसानी से दूसरों का अनुकरण करके सीख जाते हैं। अत: बहुत सारे दृष्टिबाधित बच्चे अपने हम उम्र बच्चों से सामाजिक अपरिपक्वता तथा अकेलापन का प्रदर्शन करते हैं।

टटल तथा टटल (1996) ने अपने शोध में पाया कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए स्व–सम्मान को प्राप्त करना कठिन होता है क्योंकि विद्यालय के सामाजिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत स्वजानकारी प्राय: सामाजिक अकेलापन, कम अपेक्षाएँ तथा अति सुरक्षा से प्रभावित होती है। दृष्टिबाधित बच्चों का सामाजिक विकास उनके हम उम्र बच्चों से धीमे होता है। इसका सामाजिक विकास इनके माता–पिता तथा अन्य लोगों की इनसे अपेक्षाओं से भी गम्भीरता से प्रभावित होती है, इनसे की गयी अपेक्षाएं उचित तथा प्राप्त होने योग्य होनी चाहिए। यह बच्चे के स्वच्छ छवि तथा आत्म सम्मान के साथ उनके स्वयं की समाजिक योग्यता की और सकारात्मक दृष्टि को बढ़ाता है जो विद्यार्थियों के सामाजिक कौशलों के कुशलता को समृद्ध करेगा। ऐसे बच्चों की सामाजिक उत्सवों में दृष्टिवान बच्चों जैसी ही सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

4. **शैक्षणिक उपलब्धि सम्बन्धित विशेषताएं –** बहुत से शोधों द्वारा यह पाया गया है कि दृष्टिबाधित बच्चों की बौद्धिक क्षमता दृष्टिवान बच्चों जैसे ही होती है परन्तु दृष्टिदोष वाले बच्चों की शैक्षणिक अथवा विद्यालयी उपलब्धि कम होती है। पियरनगलो तथा गियुलिनि (2007) के अनुसार 'दृष्टि में क्षतिग्रस्तता, सुधार के साथ भी बच्चो को शैक्षणिक प्रदर्शन को विपरीत तरीके से प्रभावित करती है।'

इनकी शैक्षणिक उपलब्धि विशेष कर पढना लिखना तथा भाषा प्रमुख क्षेत्र है। जिनमें इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह बहुत सारी सूचनाएं जैसे पाठयभाग लिखित/लेखा चित्र चेहरे की भाव भंगिमा तथा सांकेतिक सूचना को प्राप्त करके कुशलतापूर्वक प्रयोग करने तथा प्रदर्शित करने में चुनौतियों का सामना करते हैं। वेल प्रिन्ट के आकार इनके दृष्टि क्षमता के अनुसार श्रव्य सामग्रियों का उपयोग सहायक तकनीकीयों को उपलब्ध करके उनकी शैक्षिक उपलब्धि समान दृष्टि वाले बच्चों जैसी की जा सकती है।

5. **गामक तथा चलन सम्बन्धित विशेषताएं –** दृष्टिबाधित बच्चों चलिष्णुता, कौशल तथा गामक कौशलों में सामान्य मानक से पीछे रहते हैं इसका कारण दृष्टि उद्दीपनों में कमी, दृष्य अनुकरणों के माध्यम से न सीख पाना तथा वातावरणीय कारकों जैसे माता–पिता द्वारा अतिसुरक्षा प्राप्त होना, गामक गतिविधियों में अवसरों की कमी समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण इत्यादि का होना है। इससे इन्हे गामक समन्वय में समस्या आती है। इनमें दिशाबोध, स्थान विभेद की क्षमता तथा सूक्ष्म गामक कौशलों का विकास विलम्ब से होता है। इसको यह पता लगाना कठिन होता है कि ये कहाँ है तथा वातावरण के सन्दर्भ में इनकी शारीरिक स्थिति सम्बन्धी जानकारी भी कम होती है।

6. **अल्प दृष्टि वाले विद्यार्थियो के लिए दृष्टिक्रियात्मकता सम्बन्धित विशेषताएं:**

1. दूर की वस्तु को देखने के लिए असामान्य रूप से सिर को आगे–पीछे करते हैं।
2. श्यामपट्ट से लिखते समय साथियों की कापी देखकर लिखवाते हैं।
3. अपने आप को प्रकाश स्रोत के पास रखने का प्रयास करते हैं जैसे लैम्प, खिड़की, इत्यादि या कुछ बच्चे प्रकाश से घबराते हैं तथा प्रकाश

के प्रति अति संवेदनशील होते हैं।

4. इन्हें अपने शरीर के सापेक्ष वस्तुओं की दूरियों के संबंध में निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होती है।
5. वस्तुओं को आंख के बहुत नजदीक लाकर देखते हैं।

7. अन्य इंद्रियों के प्रयोग संबंधित विशेषताएँ – नैत्रहीन विद्यार्थी दृष्टि के अतिरिक्त अन्य ज्ञानेन्द्रियों का अधिक उपयोग करते हैं दृष्टिहीन बालक अन्य ज्ञानेन्द्रियों यथा आंख के अतिरिक्त कान, नाक, त्वचा तथा जिह्वा का प्रयोग सामान्य दृष्टिवाले से अधिक सजग होकर करते हैं क्योंकि वे सूचनाओं तथा वातावरण से सम्पर्क के लिए वें आंख के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं।

दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान – जन्म से दृष्टिहीनता की स्थित सामान्यत: एक वर्ष की आयु के अन्दर ही पहचाना जा सकता है। यह माता–पिता या अन्य परिवार के सदस्यों के लिए स्वाभाविक होता है क्योंकि इस स्थिति में उनकी तरफ देखता नहीं है या हिलती हुई वस्तुओं या अन्य वस्तुए जो बच्चों को आकर्षित करती है, उनके लिए वो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया का प्रदर्शन नहीं करता है। बच्चे में अल्पदृष्टया आशिक दृष्टि की पहचान से पूर्णत दृष्टि भाव से कठिन होता है। प्राय: इन बच्चों की पहचान तब तक नहीं हो पाती जब तक कि विद्यालय जाना प्रारम्भ नहीं करते की दृष्टि सम्बन्धी समस्या की पहचान जब तक ये कक्षा 3 या कक्षा 4 में नहीं जाते हैं।

दृष्टिबाधिता के औपचारिक पहचान के लिए नेत्र विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है जो कि विविध परिक्षणों के माध्यम से पहचान करता है। जैसे स्नेलेन चार्ट, डेनेवर आई परिक्षण इत्यादि प्रयोग में लाये जाते हैं। जो कि दृष्टितीक्ष्णता का आपन करते हैं। यह लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रयोग होना प्रारंभ होता है। उपकरण और अधिक छोटे बच्चों के नेत्र परीक्षण के उपयोग में लाया जाता है। छोटे बच्चों की नेत्र क्षमता के आकलन में प्रमुख समस्या यह आती है कि दृष्टि बाधित की यह पता नहीं होता कि देखने का तात्पर्य है ? दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वास्तव में नहीं जानते कि वह देख रहे है ठीक है या नहीं है तथा जो दूसरे सामान्य आंख वाले देख रहे है उनसे भिन्न है या वैसा ही है। माता–पिता तथा प्रारम्भिक विद्यालयी जीवन के अध्यापक की भूमिका इनके शीघ्र पहचान में अति महत्वपूर्ण होती है।

माता–पिता तथा अध्यापक द्वारा अल्पदृष्टि वाले बच्चों या अवशिष्ट दृष्टि वाले बच्चों की पहचान इनके आँखों की बाह्य आकृति, आँखों के प्रयोग के साथ संलग्न शिकायते तथा उनके देखने सम्बन्धी व्यवहारों के अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। मात्र व्यवहार के आधार पर इनके पहचान सम्बन्धी निर्णय नहीं लिया जा सकता व्यवहार के साथ आँखों की बाह्य आकृति तथा उनकी दृष्टि सम्बन्धी शिकायतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण संस्था ने दृष्टिबाधित बच्चों की व्यवहारिक पहचान के लिए निम्नलिखित लक्षण बताए है:

1. ऐसी बच्चे प्राण यह शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें ठीक से देखने में कठिनाई होती है। ये सिर दर्द या चक्कर का भी अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चों के नजदीक, जब कोई कार्य करना पड़ता है तो उन्हें किसी वस्तु के दो चित्र (क्नइसम टपेपवद) दिखायी देता है।
2. ऐसे बच्चे की पलके लाल उभ री हुई मोटी या फूली हुई होती है। इनकी आँखों से अक्सर पानी गिरता रहता है।
3. दृष्टिदोष से पीड़ित बच्चे तीव्र प्रकाश से घबराते है तथा प्रकाश के प्रति तीव्र संवेदनशील रहते हैं।
4. ऐसे बच्चे खेल खेलने या उसमें भाग लेने में असमर्थ रहते हैं जिन्हें कुछ दूर तक देखने की आवश्यकता होती है।
5. दृष्टिदोष से पीड़ित बच्चे किताब या छोटे पदार्थों को आंख के बहुत नजदीक लाकर पड़ते हैं तथा देखने का प्रयास करते हैं।
6. ये बच्चे अक्सर छोटी वस्तुओं से ठोकर खाकर लड़खड़ा जाते हैं।
7. ये बच्चे आंखों को मुलमुलाते रहते हैं। ये प्राय: चिल्लाते हैं और चिड़चिड़ापन भी रखते हैं. जब भी इन्हें कोई ऐसा कार्य भी करना पड़ता है, जिसमे अच्छी तरह देखने की आवश्यकता पड़ती है।
8. ऐसे बच्चे एक आँख को ढक लेते है या बन्द कर लेते हैं तथा नजदीक व दूर की वस्तुओं या पदार्थों को देखते समय या तो वे अपने सिर को झुका लेते हैं या आगे की और बढ़ा लेते हैं।
9. ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय कठिनाई होती है तथा कठिनाईयों की अनुभूति भी होती है। इन्हें अच्छी तरह से देखने की आवश्यकता होती है।
10. ये बच्चे धूंधलेपन को दूर करने की कोशिश करते है और आंखो को मसलते या रगड़ते है। इनकी भौंहे चढ़ी रहती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Sukhiya S.P. and Mahrotra, P.V. (1986) : “Elements of Educational Research”, Allied Publishers Pvt. Ltd., Bombay.
2. Tale, M.W. (1967) : “Statistics in Education and Psychology”, p.205.
3. Buch, M.B. : “ Fourth Survey of Research in Education”, (3984-89), N.C.E.R.T. New Delhi, 1992.
4. Buch, M.B. : “Fifth Survey of Research in Education”, Vol. I, (1988-92) N.C.E.R.T. New Delhi, 1997, P.392-418.
5. http://article.sapub.org
6. http://www.thejaps.org.pk
7. http://www.jbar.impactfactor.org

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Habeas Corpus

Dr. Saptmuni Dwivedi *

*Faculty (Law) A.P.S. University, Rewa (M.P.) INDIA

Abstract - The writ of Habeas Corpus means that "You may have your body". This is a writ which is used for illegal detention. This remedy of this writ is provided under article 32 and 226 of the Constitution of India by Apex Court and High Courts.

Introduction - In *Corpus Juris Secundum*[1]the nature of Habeas Corpus has been explained in the following manner: "The writ of *habeas corpus* is a writ directed to the person detaining another, commanding him to produce the body of the prisoner at the designated time and place, with the day and cause of his caption and detention, to do, submit to, and receive whatsoever the court or Judge awarding the writ shall consider in that behalf."

According to Blackstone in his Commentaries: "It is a writ antecedent to statute, and throwing its root deep into the genuine of our common law. It is perhaps the most important writ known to the constitutional law of England, affording as it does a swift and imperative remedy in all cases of illegal restraint or confinement. It is of immemorial antiquity, an instance of its use occurring in the thirty third year of Edward I."[2]

Halsbury Laws of England[3] has described the nature of writ as follows:

"The writ of *habeas corpus ad subjiciendum* unlike other writs of *habeas corpus* is prerogative writ, that is to say it is an extraordinary remedy, which is issued upon cause shown in cases where the ordinary legal remedies are inapplicable or inadequate. The writ is writ of right and is granted *ex debito justitiate.* It is not, however, a writ of course. Both at common law and by statute the writ of habeas corpus may be granted only upon its ground for its issue being shown: The writ may not in general be refused merely because there exists an alternative remedy by which the validity of the detention can be questioned."

It further observes: "Any person is entitled to institute proceedings to obtain a writ of habeas corpus for the purposes of liberating another from an illegal imprisonment and person who is legally entitled to the custody of another may apply for the writ in order to regain that custody. In any case where access is denied to a person alleged to be unjustifiably detained, so that there are no instructions from the prisoner, the application may be made by any prisoner, the application may be made by any relation or friend on an affidavit setting forth the reasons for its being made."[4.2]

Applicability of Res Judicata: In English and American Courts the principle of Res Judicata is not applicable in this writ. The condition is almost same in India also where the High Courts are concerned. A High Court functions in Divisions not in benches. When it function as a Division, it speaks for the entire court, and, therefore it cannot set aside the earlier by another Division Bench.[2]This view has been accepted by High Courts of Allahabad, Bombay, Madras, Nagpur, Patna and East Punjab but according to Calcutta High Court successive application of habeas corpus can be filed.

In case of **"Kirti Kumar v. Union of India[5]"**, the Court observed that at least so far as petition for habeas corpus are concerned, the doctrine of constructive res judicata does not apply.

In this context, Subba Rao, C.J. observed as follows:

"If the doctrine of res judicata is attracted to an application for a writ of habeas corpus, there is no reason why the principles of constructive res judicata cannot also govern the said application, for the rule of constructive res judicata, and if that be applied, the scope of the liberty of an individual will be considerably narrowed. If the doctrine of constructive res judicata be applied, the Supreme Court, though it is enjoined by the Constitution to protect the right of person illegally detained, will become powerless to do so. That would be whittling down the wide sweep of the constitutional protection."[6]

Who can apply?

Not only the man who is imprisoned or detained in confinement but any person provided he is not an absolute stranger, can institute proceedings to obtain a writ of habeas corpus for the purpose of liberating another from an illegal imprisonment.[7]

Habeas corpus is an exception to the general rule that a writ petition can be made only by a person whose rights

have been infringed by the impugned order.[8]An application for *habeas Corpus* may thus be made even by a stranger, a social worker.[9]

So, in this manner the writ of Habeas Corpus is used in India and it is very important and Hon'ble Supreme Court can even by a post card accept it as a writ Petition.

Reffeences:-

Books Referred:-

1. Judicial Process By- Dr. G.P. Tripathi, Central Law Publications, First Edition, 2013
2. Jagdish Swarup Constitution of India By- Dr. L.M. Singhvi, Modern Law Publications, 2nd Edition (In three volumes) (Latest Edition)
3. The Constitutional of India Vol.1 & 2.By- Kagzi , M.C. Jain -New Delhi: India Law House, (Latest Edition)
4. Introduction to the Constitution of India By- Basu, Durga Das Lexis Nexis, 21st Edition 2013
5. D.D. Basu's Shorter Constitution of India Authors- Justice A.R. Lakshmanan, V.R. Manohar, 2009 (Reprint 2015) Lexis Nexis (In two volumes)
6. Constitutional Law of India By- H.M. Seervai, Fourth Edition, Silver Jublee Edition, Reprinted (Vols. 1 to 3) 2012, Universal Law Publishing Co. (In three Volumes)
7. Constituent Assembly Debates, Book No. 1 (Vol. 1-VI), Reprint 2009
8. Constituent Assembly Debates, Book No. 2 (Vol. VII), Reprint 2009
9. Constituent Assembly Debates, Book No. 3 (Vol. VIII), Reprint 2009
10. Constituent Assembly Debates, Book No. 4 (Vol. IX), Reprint 2009
11. Constituent Assembly Debates, Book No. 5 (Vol. X-XII), Reprint 2009
12. The Indian Constitution and Social Revolution: Right to Property Since Independence By- V. Krishna Ananth
13. The Constitutional Law of India By- Dr. J.N. Pandey, (Latest Edition)

Law Journals:-

1. AIR 1984 SC 1895: (1985)1 SCC 41: 1985 CrLJ 356: 1984 CrLR 441 (SC): 1985 CAR 51: 1985 SCC (Cr) 37
2. AIR 1951 SC 41: 1950 SCR 869: 1951 SCJ 29: (1951) 21 Comp Cas 33
3. AIR 1967 SC 1335 (1337): (1967)2 SCR 271: 1967 Cr LJ 1204
4. AIR 1981 SC 728: (1981)2 SCR 352: (1981)2 SCC 427 (440): 1981 CrLJ 286: (1982) 52 Comp Cas 543: 1981 CAR 130: 1981 SCC (Cr) 463: 1981 CrLR 99 (SC)
5. AIR 1967 SC 1335 (1396): (1967)2 SCR 271: 1967 CrLJ 1204
6. AIR 2004 J&K 6
7. AIR 2004 J & K 6 (10 (DB)

Footnote:-

1. Vol. 39, p. 424, Ghulam Sarwar v. Union of India, AIR 1967 SC 1335 (1396): (1967)2 SCR 271: 1967 CrLJ 1204; see also World Human Rights Protection v. Union of India, AIR 2004 J&K 6 cited in Jagdish Swarup Constitution of India By- Dr. L.M. Singhvi, Modern Law Publications, 2nd Edition at P.1464
2. Jagdish Swarup Constitution of India By- Dr. L.M. Singhvi, Modern Law Publications, 2nd Edition at P.1464
3. Fourth Edition Vol. II, paragraph 1455, referred in *World Human Rights Protection v. Union of India,* AIR 2004 J & K 6 (10 (DB)
4. Ibid at paragraph 1476
2. at Page 1467
5. AIR 1981 SC 728: (1981)2 SCR 352: (1981)2 SCC 427 (440): 1981 CrLJ 286: (1982) 52 Comp Cas 543: 1981 CAR 130: 1981 SCC (Cr) 463: 1981 CrLR 99 (SC)
6. Ghulam Sarwar v. Union of India, AIR 1967 SC 1335 (1337): (1967)2 SCR 271: 1967 Cr LJ 1204

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

National Education Policy:2020

Kartikeswar Patro*

***Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - The objective of writing this research paper is to bring the National Education Policy 2020 to the knowledge of everyone. It was one of the great efforts of the government of India. Many educationists contributed a lot for the modernization of education system of India. Government of India contributes a lot for the progress of education from the grass root level to higher education. Here I am presenting the New Education Policy 2020 with its aim and objective which will make India a powerful country in future. The main aim of this National Educational Policy is transferring India into a global knowledge superpower. It also develops the deep respect of our students towards the Fundamental Duties and Constitutional values.
Key words- Education Policy, Education,Curriculum, Academic.

Introduction - Education is a fundamental right for Indians. It helps to achieve and promoting national development. It provides basic knowledge to achieve the economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration and cultural preservation. India's high quality education is a source to develop the talent of an individual for development of one of the best society in the world. Government of India introduced the global education development agenda for Sustainable Development in 2015. Its main aim was to "ensure quality education and promote lifelong learning opportunities for all" by 2030. To achieve this goal it is necessary to bring change in entire education system. Present world has gone a rapid change in the field of knowledge with various scientific and technological advances. Many unskilled jobs may be replaced by machines. So this world urgent need of such knowledge of mathematics, computer science, and data science with the conjunction of science, social sciences and humanities.

Our curriculum includes overall development of a child on the basis of basic arts, crafts, humanities, games, sports and fitness, languages, literature, culture, and values, in addition to science and mathematics. Education must build character of our children and enable learners to be ethical, rational, compassionate, and caring and prepare them for fulfilling employment. There is a urgent need of reform to develop the bridge between the current state of learning and upcoming education for our future generation. This National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century introduces all aspects of the needs of education structure. It emphasized on the development of the creative potential of each individual. The rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thought has been a guiding light for this Policy.

The Fundamental Principles of National Education Policy 2020:

1. Create awareness among the teachers as well as parents to promote each holistic development in both academic and non-academic in each and every student.
2. Every student up to Grade 3 must achieve Foundational Literacy and Numeracy.
3. There must be an opportunities for learners to choose their subjects as per their talent and interest.
4. There should not be any difference between arts and sciences, curricular and extra-curricular activities, vocational and academic streams.
5. A child must develop multi disciplinary subject in order to ensure the unity and integrity of all knowledge.
6. Importance on the development of understanding among the children instead of rote learning for exams.
7. Emphasis on the development of logical decision making and innovation.
8. Promotion and development of multilingualism and the power of language among the children in teaching and learning process.
9. Development ethics and human values among the children like empathy, respect for others, cleanliness, courtesy, democratic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality, and justice.
10. Development of life skills education such as communication, cooperation, teamwork, and resilience.
11. More focus on regular formative assessment instead of summative assessment.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

12. Emphasis on practical based education with the help of technology in teaching and learning process.
13. Removal of language barriers on education process.
14. Systematic educational planning and management for *Divyang* students.
15. Train the young mind to respect the diversity of India and respect the local context in all curriculums.
16. Equal education policy for all age group students from early childhood care to school education as well as higher education.
17. Our education system must be on the basis of integrity, transparency and resource efficiency.
18. Teachers and faculty are the heart of learning process. It is necessary to work on their recruitment, professional development, creating a positive working environment and their service condition.
19. Research in teaching field is necessary for the outstanding development in education.
20. Teaching and learning process must be on regular assessment by educational experts.
21. Receiving quality education in Indian soil is the basic rights of every child of India.

Features of New Educational Policy 2020:

- **Foundational education** consists of two groups of 5 years such as: - **Anganwadi / Preschool /Balvatika** -3 years for the children age group 3 to 6 years.
- **Class I&II** for 2 years for the children age group 6 to 8 years.
- **Preparatory class: -** for Class III to V of 3 years for the children age group 8 to 11 years.
- **Middle school: -** for Class VI to VIII of 3 years for the children age group 11 to 14 years.
- **Secondary School: -** for Class IX to XII of 4 years for the children age group 14 to 18 years.

1. There will be no board examination for class10 and 12.
2. New educational policy structure will be 5+3+3+4 years.
3. Preschool up to 5 years, middle school up to 6 to 8 years, High School up to 8 to 11 years, Graduation will be the age of 12 years onwards.
4. Any Degree courses will be 4 years.
5. Vocational courses for class 6th onwards.
6. Students can choose subjects from class 8th to 11th.
7. All graduation courses will have major and minor subject.

Example - science student can have Physics as Major and Music as minor also. Child can choose any combination subject.

1. Higher education will be governed by only one single authority.
2. UGC and AICTE will be merged.
3. The process for grading system for All University Government, Private, Open, Deemed, Vocational etc will be same.
4. New Teacher Training Board will be setup for all kinds of teachers in country to maintain equality and best quality of training, no such state can change this policy.
5. Accreditation system of all collage will be same; every collage will get autonomous rights and funds on the basis of its rating.
6. Government of India will Prepare New Basic learning programme for parents to teach children up to 3 years in home and for pre school 3 to 6 years.
7. Student can opt in multiple entry and exit from any course as per their wish.
8. Credit system for graduation course. Every student will get some credits which he can utilize if he takes break in course and come back again to complete course.
9. All schools exams will be semester system. It will conduct twice a year.
10. The syllabus will be reduced to core knowledge of any subject.
11. More focus on student practical and application knowledge.
12. For any graduation course if student complete only one year he will get a basic certificate, if he complete two years then he will get Diploma certificate and if he complete full course then he will get degree certificate. If a student will break in between the study it will be no wastage.
13. All the graduation course feed of all Universities will be governed by single authority.

Salient features of New Educational Policy 2020.

1. Self-reliant India.
2. Sustainable development goals.
3. Education as Economy booster.
4. Internationalization of Higher Education.
5. Digitalized pedagogy and classrooms.
6. A layered Accreditation system.
7. Equipping teachers with latest technology and education methodology.

Part I. School Education:

This policy modified the present system of school education with a new curriculum on the basis of 5+3+3+4 age group 3 to 18 years. Its main aim was to provide a strong base for early childhood care and education from age 3 years.

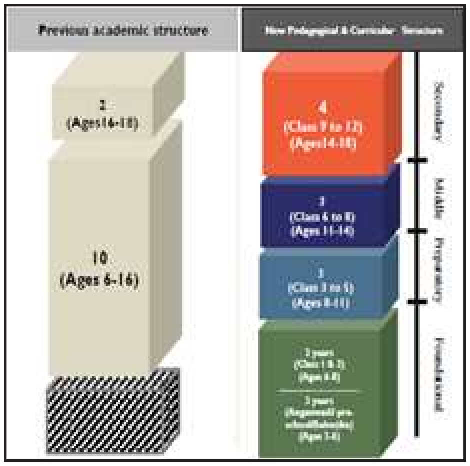

Early Childhood Care and Education: The Foundation of Learning:

1. Importance in Early Childhood Care and Education particularly children from socio-economically disadvantaged backgrounds by 2030.
2. Education for early childhood must be consisting of flexible, multi-faceted, multi-level, play-based, activity-based, and inquiry-based learning.
3. A National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education (NCPFECCE) for children will serve as a guide both for parents and for early childhood care and education institutions.
4. Special attention will be given the socio-economically disadvantaged district.
5. Anganwadi Centres will be high-quality infrastructure, play equipment, and well-trained Anganwadi workers and teachers.
6. Every child of India will learn in "Preparatory Class" or "Balavatika" before class-I which is fully equipped with play based learning with the focus on literacy and numeracy as well as development of cognitive attitude.
7. Mid day meal programme, Health check-ups and monitoring system will introduce Anganwadi as well as of primary schools.
8. Appointment of high quality teachers in Anganwadis. Current Anganwadi workers and teachers will be trained through a pedagogical framework developed by NCERT.
9. Establishment of Ashramshalas in tribal-dominated areas.
10. MHRD will sole responsible for continuation of Early Childhood Care and Education (ECCE) curriculum and pedagogy. The responsibility of planning and implementation of (ECCE) under the Ministries of HRD, Women and Child Development (WCD), Health and Family Welfare (HFW), and Tribal Affairs.

Foundational Literacy and Numeracy: An Urgent & Necessary Prerequisite to Learning:

1. Every child must develop the ability to read and write and perform basic operations with numbers by Grade-3.
2. Achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school by 2025.
3. All State governments will prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary schools to be achieved by 2025.
4. A high-quality resource on foundational literacy and numeracy will be made available on the Digital Infrastructure for Knowledge Sharing (DIKSHA).
5. Enjoyable and inspirational books for students will available in all local and Indian languages.
6. Nutritious breakfast in addition to Mid Day Meals with local fruits will be provided to children.
7. All school children will go under regular health check up for 100% immunization. Health card will be issued for everyone for monitoring the health status.
8. Teacher vacancies must be filled in a time-bound manner. They must be well trained and supported with continuous professional development.

Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Levels:

1. To achieve 100% Gross Enrolment Ratio in preschool to secondary level by 2030.
2. Universal access and to obtain quality education including vocational education from pre-school to Grade 12.
3. Initiatives will be undertaken to bring back such children who have dropped out and to prevent further children from dropping out.
4. To create interest in student teaching learning process must be knowledgeable teachers of local language, curriculum must be engaging and useful.
5. Special emphasis on Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs).
6. To make education process easier for both governments as well as non-governmental organizations will encourage to children to study local culture, geography, and demographics.
7. The main focus of learning process will be less emphasis on input and greater emphasis on output.
8. Emphasis on the involvement of community and volunteer for enhancing learning of children.
9. Appointment of literate volunteers, retired scientists, government and semi government employees, and educators for career guidance.
10. Emphasis on vocational education courses, adult literacy and life enrichment programmes in regional languages.

The learning process in school curriculum should be enjoyable and engagement of student in learning process:

1. New structure of school curriculum and pedagogy was designed on the basis of 5+3+3+4 years.
2. The main aim of education will not only be cognitive development of a child, but also building character and creating overall development of an child equipped with all skills which are need in 21st century.
3. Curriculum content will be reduced in each subject to develop critical thinking, inquiry based, discovery-based, discussion-based, and analysis based learning.
4. Our content will focus on key concepts, ideas, applications, and problem- solving.
5. Teaching and learning will be conducted in a more interactive manner.
6. Classroom sessions will be fun, creative, collaborative, and exploratory activities.
7. Our learning process based on experimental basis like as arts, sports and story integrated education.

8. An opportunity will be given to every student to select their subject as their own choice so that they can design their own life style.
9. Preference to local language and regional language. Child can understand the subject very well. Three language formulas will continue in teaching learning process.
10. Students must have flexibility in choosing their individual subjects, skills, and capacities which will help them to become good, successful, innovative, and productive human beings.
11. National Curricular Framework for School Education 2020-21 will be undertaken by the NCERT based on the principles of National Education Policy 2020.
12. All textbooks shall aim to contain the essential core material which is important on a national level, but at the same time these materials contains local contexts and needs.
13. The assessment process will be the overall development of a child.
14. The talents of every student must be discovered, nurtured, fostered, and developed. These talents may express themselves in the form of varying interests, dispositions, and capacities.

Teachers shape the future of our nation by teaching student. They pass their knowledge, skills, and ethics to students:

1. Recruitment of teachers based on the technology. Appointment of teachers on the basis of qualification.
2. Service environment and teaching atmosphere must be pleasant for teachers in schools.
3. Teachers will be given opportunities for self-improvement and to learn the latest innovations and advances in their professions.
4. The performance of teachers work must be recognized and promoted, and must be given increment and incentives for their best work.
5. A common guiding set of Professional Standard Setting Body (PSSB) will be developed by 2022, by the National Council for Teacher Education.
6. Need of special educators of such specialist teaching the children with disabilities.
7. Teachers must be trained high quality content.

Equitable and Inclusive Education: Learning for All:

1. Education is one of the important tools for achieving equality and social justice. Every child of India must get the opportunity to learn.
2. Development of gender and social category in school education.

Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes/Clusters:

1. Establishment of primary school in every nook and corner of country under Samagra Shiksha Scheme.
2. Opportunities for teachers to teach multiple grades and subjects at a time.
3. State government will encourage establishing Bal Bhavans. Every child of all ages can visit Bal Bhavan once a week.
4. Every school should organize the celebration and honour for whole community to promote social, intellectual and volunteer's activity for the community as a Samajik Chetna Kendra.

Standard-setting and Accreditation for School Education:

1. The main aim of the school education system is to improve educational outcomes. Everyone will try to perform their excellence with complete transparency.
2. The department of school education will be responsible for policy making and monitoring as well as improvement of the education system of every state.
3. The Directorate of school education will work independently to implement policy of education in every state.
4. State School Standard Authority (SSSA) will work to maintain quality based education. The frame work for these parameters for quality education will be created by State Council of Educational Research and Training (SCERT).
5. The SCERT will develop a School Quality Assessment and Accreditation Framework (SQAAF).

Part II. Higher Education

Quality Universities and Colleges: A New and Forward-looking Vision for India's Higher Education System:

1. Higher education plays an important role in promoting sustainable livelihood and economic development of a nation.
2. Establishment of multidisciplinary universities and colleges in every district. The medium of instruction or programmes in local or any Indian languages.
3. Planning for multidisciplinary undergraduate education.
4. Restructure of curriculum, pedagogy, assessment, and student support for enhanced student experiences.
5. Reform in the appointment of faculty on the basis of merit and career progression based on teaching, research, and service.
6. Establishment of a National Research Foundation to provide fund for research activity in universities and colleges.

Institutional Restructuring and Consolidation:

1. Transforming higher education institutions into large multidisciplinary universities, colleges, and Higher Education Institutions (HEI) clusters and Knowledge Hubs. The strength for admission for each institution will be 3,000 or more students.

Towards a More Holistic and Multidisciplinary Education:

1. The motto of higher education is to develop all capacities of human beings such as intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner.

2. Model universities for multi disciplinary education with IITs, IIMs, etc., called MERUs (Multidisciplinary Education and Research Universities). Its aim is to attain higher quality of education in India.

Optimal Learning Environments and Support for Students:

1. The curriculum must be updated, interesting and relevant with the latest knowledge and learning outcomes.
2. It must attract the large number of foreign student to study in Indian university.
3. Students must have plenty of opportunities for participation in sports, culture, arts clubs, eco-clubs, activity clubs, community service projects etc.
4. Government will provide financial support to the needy students. Scholarship will provide the meritorious students belonging to SC, ST, OBC, and other Socio-Economical Disadvantaged Groups (SEDGs).

Motivated, Energized, and Capable Faculty:

1. The most important factor for the success of higher education is the appointment of quality and meritorious faculty.
2. The student- teacher ratio should not be much difference. It will create the comfortable atmosphere for teaching learning process.

Equity and Inclusion in Higher Education:

1. Opportunities will be available to all individuals to maintain the quality of higher education.

Teacher Education:

1. Teachers must be well-versed in Indian values, languages, knowledge, ethos, and traditions including tribal traditions, and latest advances in education and pedagogy.

Importance of Vocational Education:

1. There must be a clear action plan to provide vocational education to 50% of students in school and higher education system.

National Research Foundation will provide Quality Academic Research in all fields of education.

Transforming the Regulatory System of Higher Education:

1. All educational institutions of India will work as a not to profit organisation.

Effective Governance and Leadership that enables the creation of a culture of excellence and innovation in Higher Education Institutions.

1. It creates an opportunities for strong self-governance and outstanding merit-based appointments of institutional leaders.

Part III. Other Key Areas Of Focus:

1. Professional Education such as agricultural universities, legal universities, health science universities, technical universities and in other fields is an integral part of the higher education system in India.
2. Adult literacy programme will conduct with the help of volunteerism and community involvement.
3. More emphasis will be given for the promotion of Indian Languages, Arts & Culture in higher education system.
4. Use of information and communication technology in education system of India.
5. Online and Digital Education is one of the important source of teaching learning process during the time of pandemic.

Part IV. Making It Happen:

1. Central Advisory Board of Education (CABE) will prepare a long term vision for the successful of New National Education Policy 2020.
2. Government of India will expenditure from its economic budget for providing Affordable and Quality Education for All.

Government of India will require multiple initiatives and actions to implement this New Education Policy 2020:

1. For the implementation of this Policy will be led by various bodies including MHRD, CABE, Union and State Governments, education-related Ministries, State Departments of Education, Boards, NTA, the regulatory bodies of school and higher education, NCERT, SCERTs,
2. Implementation of this policy in a phased manner.
3. Since education is a concurrent subject, it will need careful planning, joint monitoring, and collaborative implementation between the Centre and States.
4. Timely infusion of requisite resources human, infrastructural, and financial at the Central and State levels will be crucial for the satisfactory execution of the Policy.
5. The entire policy will be in an operational mode by 2030-40 in India.

Conclusion: Present days India is moving towards one of the developed countries as well as one of the three largest economies in the world. So India needs to develop in the field of climatic change, pollution, depletion of resources, energy, water, food, sanitation, and new skilled labour as well as in biology, chemistry, physics, agriculture, climate science, and social science. India also needs to develop research in the field of infectious disease management and development of vaccines due to growing emergence of epidemics and pandemics. As per the needs of present world, India must follow quickly changing in employment landscape and global ecosystem. Our children should know how to learn. Our education system must be based on less content and more towards learning. Our content must be develop in problem solving and critical thinking as well as creative and multidisciplinary, innovate and ready to accept the learning of present change. Pedagogy must evolve to make education more enjoyable and based on practical, experiential, discovery-oriented, learner-centred, discussion-based and flexible.

References:-

1. National Education Policy 2020. (Ministry of Human Resource Development, Government of India)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

मानव एवं पशुसाधन आधारित जैविक कृषि का स्वरूप

चाँदनी कुशवाहा*

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - हमारा देश कृषि प्रधान देश है जो पुरातन काल से ही यहां कृषि का कार्य हो रहा है यहां 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है कृषि एवं पशुओं का परस्पर धनिष्ठ संबंध है ये एक दूसरे के पूरक है ये वह कृषि है जिसमें पर्यावरण के स्वच्छ प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुऐ भूमि, जल, वायु को प्रदूषित किये बिना दीर्घ कालीन व स्थिर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रदूषण रहित कृषि है ये कृषि पशुओं पर आधारित है जो एक के द्वारा दूसरे का पोषण होता है। कृषि का उत्पाद पशुओं का भोजन है और पशुओं का उत्पाद कृषि है! एक अच्छा पोषण अच्छा स्वास्थ्य दूसरे के अच्छे उत्पादन का कारण बनता है। अपनी जमीन में कृषि करके उसमें से जो भूसा-चारा निकलता है उससे पशुओं का लालन पालन हो जाता है। जो पूरी कृषि करने के लिए खाद व कीटनाशक के रूप मे पर्याप्त गोबर गोमूत्र किसानों को प्राप्त होता है। ये जैविक कृषि का मुख्य पोषक तत्व है।

जैविक कृषि की मूलभूत आवश्यकताएं- खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, मृदा सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा।

कृषि कार्यों में पशुधन का महत्व - पशुधन का उपयोग मानव जीवन में निम्न प्रकार से होता है।

1. **कृषि मे पशुओ का उपयोग -** आज के समय मे देखा जाये तो कृषि करने के लिऐ पशुपालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ जाते औसत आकार 2 हैक्टेयर से भी कम है। अत: यांत्रिक कृषि सम्भव नही है। भारतीय कृषि मे अभी भी पशुओं के द्वारा कृषि की जाती है। विश्व मे पाये जाने वाले पशुओं की संख्या का 1/4 भाग भारत में है। विश्व में लगभग 20 प्रतिशत गाय, बैल भारत में पाये जाते है। पशुओं का घनत्व भारत में 102 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। कृषि के कार्यों में पशु खेती की तैयारी से लेकर जब तक फसल उत्पाद की बिक्री ना हो जाए तब तक सभी कार्यों में सहयोग करते है। बैल हल चलाने में, पाटा चलाने में, सिंचाई के स्त्रोतों को चलाने में, गहाई, बुआई, जुताई कराने में, बोझा ढ़ोने में, इत्यादि सभी कार्यों में मदद करते है। किसानों की गरीबी, खेतों का छोटा आकार, यॉत्रिक मशीनों के रख-रखाव में अज्ञानता के कारण अधिकांश किसान पशु चालित कृषि यत्रों पर निर्भर है।

2. **स्वास्थ्य के लिए दूध द्वारा पशु प्रोटीन की मात्रा-** हमारे देश में महिलओं और पुरूषों का स्वास्थ भी पशुपालन पर आधारित है। क्योंकि हमारे देश में शाकाहारी लोग अधिक हैं। अत: पशु प्रोटीन का एक मात्र स्त्रोत दूध ही है। उन देशों में जहाँ लोग माँस अण्डा खाते हैं, प्रत्येक पुरूष के लिए लगभग 450 ग्राम दूध प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से हमारे देश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 500 ग्राम दूध उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि देश में जितना दूध उपलब्ध होता है। वह प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 186 ग्राम हिस्से में आता है। गाय के दूध में 4.50% वसा, 3.45% प्रोटीन, दूध सर्करा 0.7% खनिज लवण में पाया जाता है। हमारे शरीर के पोषण एवं वृद्धि के लिए मुख्यत: प्रोटीन व विटामिन की आवश्यकता होती है। सभी पदार्थ में पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होते है। जो हमारे शरीर को स्वास्थ बनाती है।

3. **भूमि की उर्वरकता के लिए जीवांश खादों की प्राप्ति-** पशुओं के मलमूत्र का भी हमारे कृषि की अर्थव्यवस्था में भारी योगदान है। पशु हमें कृषि करने के लिए अच्छे बैल और खाने-पीने के लिए दूध, दही, घी, मट्ठा तो देती ही है। उसके साथ हमारी कृषि भूमि की उर्वराशक्ति को बनाए रखने में भी बहुमूल्य योगदान देती है। जैसे- गोबर से जैविक खाद बनाना, गोमूत्र से कीटनाशक बनाना आदि। ये सब पशुपालन करके पूरा किया जाता है। अनाज, फल, सब्जियों को बाजार में बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए बैल-गाड़ी की सहायता से कर सकते हैं। खाना पकाने में भी उपले की जरूरत होती है। गोबर गैस के लिए गोबर की आवश्यकता होती है, जो पशुपालन करके पूरा किया जाता है।

4. **देश की अर्थव्यवस्था में पशुओं का योगदान-** पशुओं से प्राप्त चमड़ा भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इससे करोड़ों रूपये के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित होती है।

5. **पशु पालन से मनुष्य को व्यवसाय व रोजगार की प्राप्ति-** ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा पशुपालन भी साथ में करते हैं, क्योंकि पशुपालन करने का मुख्य उद्देश्य कृषि की जरूरतों को पूरा करना दूध, दही, घी, पनीर, उत्पादन से सम्बन्धी व्यवसाय करना, गोबर के उपले बनाकर बेचना, गोबर की खाद बनाकर बेचना, गोबर की गैस बनवाना, आदि सम्बन्धी कार्य किया जाता है जिससे लोगों को रोजगार भी मिल जाता है भारत में 7.5 करोड़ महिलाऐं पशुपालन के कार्य में लगी हुई हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि देश की जैविक खेती में पशुओं का ही योगदान है। कृषि उत्पादन में उन्नति भी कुछ हद तक पशुओं के उपर निर्भर करती है।

समस्याएँ- हमारे देश में गायें अब सुखी पूर्वक नहीं रह रही हैं। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। जिसके कारण उनकी जनसंख्या निरन्तर घटती जा रही है। आधे पेट भोजन मिलने के कारण उनका दुग्ध उत्पादन घट रहा है जिसके कारण उनकी संताने कमजोर होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो किसान कृषि कर रहे हैं, वे पशुपालन को महत्व नहीं देते हैं। वे बाहरी खाद कीटनाशकों पर निर्भर रहते हैं। अब खेती करने के लिए ट्रैक्टर, हारवेस्टर आदि का उपयोग करने की वजह से वे अब खेतों में जुताई के लिए

बैलों का उपयोग नहीं करते हैं। जिससे दिन प्रतिदिन पशुपालन का स्तर घटता जा रहा है, और कृषि करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, क्योंकि कृषि करने के लिए अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है। लेकिन किसान तो अब बाजार के ही पदार्थों पर निर्भर रहने लगे हैं। कृषि का सामान लाना ले जाना अब ट्रैक्टर, द्वारा किया जाता है जिसके कारण धीरे-धीरे पशुपालन में कमी होती जा रही है।

निष्कर्ष- निष्कर्ष में यह कहा गया है कि मानव एवं पशुधन पर आधारित अनेक समस्याएं है। उनके निवारण के लिए सरकार किसानों को कृषि से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ दें। पशु पालन करने के लिए सरकार सब्सिडी दें। कमजोर व आवारा पशुओं को सरकार द्वारा स्थापित गो-सदन में भेज दिया जाऐ यदि देश के आधे परिवार भी अपने घर में अच्छी नस्ल की गाय पालकर उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था करें तो देश में कुछ समय बाद ही अच्छी गाये हो जायेंगी। जिनके द्वारा दूध, दही, घी बहुत होगा साथ ही जैविक खेती करने के लिए किसानों को अच्छी खाद व कीटनाशक पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी और उत्तम बैल मिलने पर मिलने पर देश में धन-धान्य की कमी न रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. महेश चन्द्र - भारतीय कृषि की आर्थिक समस्या।
2. पी.के. गुप्ता - कृषि अर्थशास्त्र।
3. मोहन चदत्रावार -जैविक खेती और पशुप्रबंधन।
4. श्री श्याम प्रसाद शर्मा - कृषि विज्ञान।
5. अरूण के शर्मा - जैविक खेती: नई दिशाएँ सजीव-सरल-सतर्त्अ
6. प्रतियोगिता दर्पण ।
7. कुरूक्षेत्र पत्रिका, मई 2019, नई दिल्ली ।
8. श्री श्याम प्रसाद शर्मा, कृषि विज्ञान, नगीना प्रकाशन, मेरठ उ.प्र.।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

भारतेंदु युगीन पत्रकारिता परम्परा पर एक नजर

डॉ. गुलाब सिंह डावर*

* सहायक प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरोद, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत में पत्रकारिता का आरंभ यद्यपि हिकिज गजट के प्रकाशन होने के साथ ही हो गया था। परंतु भारतीय सन्दर्भों में पत्रकारिता की वास्तविक शुरुआत 1826 में हिंदी के प्रथम समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' के प्रकाशन के साथ मानी जाती हैं। अंग्रेजी पत्रकारिता की केन्द्रीय सोच व्यावसायिक अधिक थी और जो वैचारिक थी वह भारतीय जनमानस कों पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित करना था। हिंदी पत्रकारिता का ध्येय जन्म से ही जन सामान्य के दु:ख दर्दो कों अभिव्यक्ति देना और उसमे स्वतंत्र चेतना का विकास करना था। हिंदी पत्रकारिता लगभग पौने दो-सौ वर्ष लम्बी जीवन यात्रा तय करती हैं।

हिंदी साहित्य का कालविभाजन और नामकरण सीमांकन को लेकर अनेक पक्ष हमारे सामने आते हैं। किसी कालखण्ड का आरम्भ किस समय से होता हैं। वैज्ञानिक सत्यता के आधार पर नहीं बताया जा सकता कौन सा कालखण्ड कब बदला। वस्तुत: कालखंड का बदलाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हैं। इसे लेकर अलग अलग मत सामने आते हैं।

भारतेंदु युग (1857-1900 ई)- हिंदी पत्रकारिता में भारतेंदु हरिश्चन्द्रजी ने 1868 से पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखना आरंभ कर दिया था। साहित्य प्रेमियों के लिए 'कवि वचन सुधा' का प्रकाशन किया ,किन्तु अपनी छाप पत्रकारिता में हरिश्चंद्र चन्द्रिका (1884) से छोड़ी। भारतेन्दुयुगीन पत्रकारों में बालकृष्ण भट्ट ,बद्रीनारायण प्रेमधन,पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि साहित्यकार ने जनता मे राष्ट्रीय एकता की भावना जाग्रत करना उनका मुख्य उद्देश्य था।यह युग नवीन विचारधारा से भरा हुआ माना जाता हैं। भारतवासियों के मन में देश कों स्वतंत्र कराने के बीज पुष्पित ,पल्लवित होने लगे थे। वे स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जागरूक हो रहे थे। उन्हें धीरे-धीरे अपनी संस्कृति ,सभ्यता के साथ भाषा के प्रति नव चेतना पैदा हो रही थी। इस काल में भारतेंदु जी ने साहित्य की समस्त विधाओं के प्रेरणास्रोत बनकर उभरे व सांस्कृतिक समन्वय का प्रयास किया ,इसीलिए उन्हें हिंदी के इस युग का 'प्रवर्तक' कहा जाता हैं।

हिंदी साहित्य की धारा को श्रृंगारकालीन परम्पराओं और रुढियों के बंधन से हटाकर राष्ट्रीयता और समाज सुधार आदि की नयी दिशा में ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य भारतेंदु ने ही आरम्भ किया। उनके कविताओं में स्वतन्त्रता और क्रान्ति के स्वर का जयघोष सुनाई देता हैं। हिंदी मैं राष्ट्रीय काव्यधारा के विकास के साथ वे भाषा के लिए मशाल लेकर खड़े हो गए थे। उन्होंने लिखा था कि 'निज भाषा उन्नति आहै ,सब उन्नति कों मूल' **'भारतेंदु का उदय भारतीयता ,राष्ट्रीय चेतना का उदय था। यह वह युग था जब हिंदी भाषा के जीवन मैं नवीन रक्त का संचार हुआ। भारतेंदु जी ने संस्पर्श से हिंदी गद्य और पद्य दोनों कों नवीन स्फूर्ति ,नयी चेतना, नूतन कल्पना ही नहीं मिली वरन पत्राकारिता की अवरुद्ध गति कों भी बल मिला। उन्होंने अपनी प्रेरणा और अपने द्रव्य से अनेक पत्रों का सम्पादन व प्रकाशन किया।'**[1]

15 अगस्त 1867 कों काशी से 'कवि वचन सुधा' मासिक पत्रिका का प्रकाशन कर हिंदी पत्रकारिता में नए युग का सूत्रपात किया। पत्रिका क माध्यम से भारतेंदु जी ने भारतीय जनता कों हिंदी कविता की परम्परा से परिचित कराने का प्रयास किया। हरिश्चंद्र चन्द्रिका में कविता ,आलोचना, उपन्यास ,हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता है। **'जनवरी 1874 में भारतेंदु जी ने 'बालबोधिनी' नामक मासिक पत्रिका निकाली जो स्त्रियों की पत्रिका थी। यह पत्रिका नारी जागरण की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि हिंदी की भाषा शैली की दृष्टि से भी उल्लेखनीय थी।'**[2] भारतेंदुयुगीन काव्य प्रवर्तियों में हिंदी काव्य को श्रृंगारपूर्ण और राजाश्रय के वातावरण से निकालकर राष्ट्रप्रेम ,समाज सुधार आदि की स्वस्थ्य भावनाओं से ओतप्रोत कर उसे आम जन तक पहुँचाया एवं आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश प्रेम की व्यंजना ,सामाजिक चेतना ,भक्ति भावना ,हिन्दू संस्कृति से प्रेम ,प्राचीनता और नवीनता का समन्वय,भाषा, प्रेम श्रृंगार और सोंदर्य का वर्णन ,हास्य ,व्यंग्य ,प्रकृति चित्रण ,रस ,भाषा, काव्यरूप प्रमुखता से रही हैं।

युगीन पत्र-पत्रिकाएँ- भारतेंदु के उदय के पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर पूरा हो चुका था। पत्र पत्रिकाओं का सम्बंध सीधे जन जागरण से हैं। किसी प्रकार के अन्याय या पक्षपात का प्रतिकार करने के लिए जनता जब उठ खड़ी होती हैं तो उसे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेना पड़ता हैं। उन दिनों जन जागरण का केंद्र कलकत्ता नगर था। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ वही से माना जाता हैं। **'उदन्त मार्तण्ड (1826) बंगदूत (1829) प्रजामित्र (1834) बनारस अखबार (1845) मार्तण्ड (1846) मालवा अखबार (1849) सुधाकर (1850) बुद्धि प्रकाश (1852) समाचार सुधावर्षण (1854) प्रजाहितेशी (1855) तत्व बोधिनी (1865) ज्ञानप्रदायिनी (1866) वृतांत विलास (1867) आदि।'**[3] साप्ताहिक पत्रों का ही प्रकाशन हुआ। पत्र पत्रिकाओं का उददेश्य जनता में जागरण और सुधार की भावना उत्पन्न करना था। अन्याय का प्रतिकार भी ,अपनी सीमाओं में ये पात्र पत्रिकाएँ करती थी। कई पत्रिकाए दो-दो या तीन-तीन भाषाओ में निकलती थी।

इनमें प्रयुक्त हिंदी हिंदी भाषा टूटी-फूटी और अपरिमार्जित होती थी।

भारतेंदुजी का स्थान हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अन्यतम हैं। हिंदी पत्रकारिता के दूसरे उत्थान में हिंदी भाषा का रूप स्थिर और परिमार्जित हुआ। जागरण और सुधार की भावना का प्रसार हुआ तथा अनेक जाति के उत्थान के लिए जातीय और धार्मिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया। पत्र पत्रिकाओं में गंभीर लेख कुछ शुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ। **'कवि वचन सुधा (1868) जगत समाचार (1869) सुलभ समाचार (1871) बिहार बंधु (1871) चरणादि चंद्रिका (1873) हरिश्चंद्र मैगजीन (1873) बालबोधिनी (1874) भारतबंधु (1874) काशी पत्रिका (1875) हिंदी प्रदीप (1877) कायस्थ समाचार (1878) आर्यमित्र (1878) उचित वक्ता (1878) भारत सुदशा (1879) सार सुधानिधि (1879) क्षत्रिय पत्रिका (1880) आनंद कादम्बिनी (1881) भारतेंदु (1883) देवनागरी प्रचारक (1882) ब्राह्मण (1883) काशी समाचार (1883) इंदु (1883) कान्यकुब्ज प्रकाश (1884) हिन्दोस्थान (1885) भारतोदय (1885) आदि।'**[4]

हिंदी पत्रकारिता में तृतीय उत्थान में 200 से अधिक छोटी बड़ी हिंदी पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई। इनमें हिंदी भाषा की सुचना भी मिलती हैं। **'आर्यवर्त (1887) रहस्य चंद्रिका (1888) हिंदी बंगवासी (1890) नागरी-निरद (1893) साहित्य सुधा निधि (1894) श्री वेंकटेश्वर समाचार (1895) विधा विनोद (1895) नागरी प्रचारिणी पत्रिका (1896) रहस्यापूर्ति (1897) रसिक पत्रिका (1897) उपन्यास (1898) पंडित पत्रिका (1898) सरस्वती (1900) आदि।'**[5] तीसरे उत्थान तक राजनितिक चेतना का केंद्रबिंदु बंगाल ही था। हिंदी प्रदेश में भारतेंदु के समय में जो राष्ट्रीय जागरण की लहर आई थी ,उसे हिंदी प्रदीप ने पूरी शक्ति से जीवित रखा। **'इस पूरी अवधि में राष्ट्र का नेतृत्व काँग्रेस के नरम या उदार नेताओं के हाथ में था। इसलिए पत्र पत्रिकाओं में भी सामान्यत: विद्रोही स्वर मुखरित नहीं हुआ। यह प्रवृति लोकमान्य तिलक की प्रभाववृथि के बाद आगे चलकर व्यक्त हुई।'**[6]

मालवीय युग- सन 1887 में काका काकर के राजा रामपाल सिंह ने मालवीय जी के सम्पादकत्व में **'हिन्दोस्थान'** नाम समाचार पात्र का प्रकाशन आरम्भ किया,बाद में मालवीय जी ने स्वयं **'अभ्युदय'** नामक पत्रिका निकाली। मालवीय युग में पात्र पत्रिकाओं में लीडर,हिन्दुस्तान टाइम्स, सनातन धर्म ,मर्यादा प्रमुख हैं। बालमुकुन्द गुप्त,अमृतलाल चक्रवर्ती, गोपालराम गहमरी आदि उस युग के प्रमुख सम्पादक थे। पत्रिका का लक्ष्य राजनैतिक चेतना जागृत करना था।

भारतेंदुजी के प्रथम उत्थान का अंत होते-होते तो अनूदित उपन्यासों का ताता बंध गया। पिछले अनुवादको का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न हुआ था। अधिकांश अनुवादक प्राय: भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं-कहीं तो शब्द और मुहावरे तक ज्यो की त्यों रख दिए जाते थे। अनुवादको में नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासो के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृति और योग्यता उत्पन्न हो गई।

हिंदी गद्य की पात्र पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में अनेक पत्रिकायें निकली। अधिकांश पत्र पत्रिकाएँ तो थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गई ,पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित साधन और हिंदी की सेवा की हैं जैसे- बिहार बंधु ,भारत मित्र ,भारत जीवन ,उचित वक्ता,दैनिक हिन्दोस्थान ,आर्यदर्पण ,ब्राह्मण ,हिंदी प्रदीप आदि। **'मित्र विलास'** सनातन धर्म का समर्थक पत्र था ,जिसमें पंजाब में हिंदी का बहुत कुछ कार्य किया था। 'ब्राह्मण' 'हिंदी प्रदीपय और 'आनंदकादम्बिनी' साहित्यिक पत्र थे,जिनमें बहुत सुन्दर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएँ निकाला करती थी। इन पत्र पत्रिकाओं को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

मूल्यांकन - वस्तुत: भारतेंदु युग देश के पुनर्जागरण के साथ साहित्य का नवजागरण युग माना जाता हैं। जिसने शताब्दियों से सोये हुए देशवासियों में स्वतन्त्रता की चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। इस काल में कुटियों से लेकर राजमहलो तक आम आदमी के मन में काव्य रस ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं। इस युग के लेखको के साहित्य में अनेक नए विषयों कों समाहित किया हैं जिसने इस काल की नई प्रवृत्ति कों जन्म दिया।

आलोच्चयुगीन गद्य साहित्य के विवेचनात्मक सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता हैं कि इस युग के साहित्य सृजन का प्रेरक तत्व राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण ही था। भारतेंदु ने साहित्य के नए पथ पर मोड़ दिया था और साहित्य तथा समाज के अंतराल कों कम किया था। आलोच्य युग में यह जागरण प्रत्येक साहित्यिक विधा का अंतर्वर्ती प्रवाह बन गया। निबंध हो या आलोचना कहानी हो हा उपन्यास उसके कलात्मक परिधान कों हटा देने पर भीतर राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की चेतना अवश्य परिलक्षित होती हैं। साहित्य कुछ रसिको की वस्तु न रहकर समस्त शिक्षित जनता की वस्तु बन गया। नयी जीवन दृष्टि ने नयी भाषा को माध्यम बनाया। खड़ी बोली पूर्णत: प्रतिष्ठित हुई ,उसे पंडिताऊपन और ठेट गंवारूपन से मुक्त करके मांजा संवारा गया। वस्तुत: हिंदी प्रदेश की जनता अपने सारे जीवन को नए ढंग से व्यवस्थित कर रहे थी। अपने कों नए युग के अनुकूल बना रही थी। इसलिए भाषा कों भी युग की नई चेतना की अभिव्यक्ति के लिए सक्षम बनाने की चेष्टा की गई। लेकाको का ध्यान हिंदी के प्रचार प्रसार और परिमार्जन के साथ ही उसके अभावों की ओर भी गया। और अपने सीमित साधनों कों संगठित करके उन्होंने योजनाबद्द रूप में साहित्य के अभावों की पूर्ति का प्रयत्न किया। नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन इसी भावना के प्रतीक हैं। साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा समाज सुधार ,चरित्र निर्माण या व्यापक राष्ट्रहित होने के कारण इस काल की साहित्य कृतियों में कलात्मक निखार तो नहीं आया किन्तु सभी प्रकार की गद्य विधाओं की विकास परम्परा का आरम्भ अवश्य हो गया। साहित्य के दुर्लभ ग्रंथो की खोज हिंदी साहित्येतिहास के निर्माण प्राचीन ग्रंथो का प्रकाशन और ज्ञान विज्ञान से सम्बन्ध उपयोगी साहित्य की सृष्टि को प्रोत्साहन देकर इन संस्थाओं ने साहित्य निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई हैं। ज्ञान के साहित्य का माध्यम बनाने की दिशा में जो कुछ किया गया वह इन संस्थाओं और 'सरस्वती' जैसी कुछ पत्रिकाओं द्वारा ही किया गया। भारतेंदु का सबसे बड़ा योगदान यह हैं की उन्होंने हिंदी साहित्य कों नवीन मार्ग दिखलाया। देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदुजी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. नगेन्द्र एवं डॉ. हरदयाल ,हिंदी साहित्य का इतिहास ,मयूर बुक्स, नई दिल्ली, पृ. 471

2. डॉ. नगेन्द्र एवं डॉ. हरदयाल ,हिंदी साहित्य का इतिहास ,मयूर बुक्स, नई दिल्ली, पृ. 513
3. डॉ. नगेन्द्र एवं डॉ. हरदयाल ,हिंदी साहित्य का इतिहास,मयूर बुक्स, नई दिल्ली, पृ. 469
4. डॉ. नगेन्द्र एवं डॉ. हरदयाल ,हिंदी साहित्य का इतिहास,मयूर बुक्स, नई दिल्ली, पृ. 471
5. डॉ. नगेन्द्र एवं डॉ. हरदयाल ,हिंदी साहित्य का इतिहास ,मयूर बुक्स, नई दिल्ली, पृ. 471
6. कर्मवीर– 17 जनवरी 1919 ई. को साप्ताहिक 'कर्मवीर' प्रकाशन, खंडवा (म. प्र.) से आरंभ

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

मुरार विकासखंड के विद्यालयीन बालकों के अहारीय तुलनात्मक अध्ययन

निधि यादव* डॉ. मंजू दुबे**

* शोधार्थी (गृहविज्ञान) शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (गृहविज्ञान) शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – 'आहार जीवन का आधार है। प्रत्येक प्राणी के जीवन के लिये आहार आवश्यक है।'[1] इसके अभाव में मनुष्य का शरीर कमजोर और रोग ग्रस्त हो जाता है। 'भोजन मनुष्य की भूख को शांत करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर का निर्माण एवं ऊतकों की टूट-फूट की मरम्मत करता है, शरीर की रोगरोधक क्षमता में वृद्धि करता है।'[2] आहार का सामाजिक महत्व भी है। 'भोजन के माध्यम से लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दर्शाते हैं तथा विवाह, जन्मदिन आदि शुभ अवसरों पर खास भोजन परोसते हैं।' भोजन के माध्यम से लोग अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं। आतिथ्य सत्कार करके लोग सम्मान व आत्मीयता व्यक्त करते हैं। आहार के सामान्तया दो स्वरूप देखे जाते हैं- 1. शाकाहारी, 2. मांसाहारी। बालकों का आहारीय स्वरूप उनके परिवार की संरचना, संवर्ग, परिवार की आय, शैक्षिक स्तर एवं लिंग आदि से प्रभावित हो सकता है।

उद्देश्य– प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है:

1. विद्यालयीन बालकों के आहारीय स्वरूप का अध्ययन करना।
2. विद्यालयीन बालकों के आहार स्वरूप का आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर विश्लेषण करना।

शोध प्रविधि – मुरार विकासखण्ड के विद्यालयीन बालकों के आहारीय स्वरूप का अध्ययन करने के लिये 50 बालकों एवं 50 बालिकाओं कुल 100 विद्यार्थियों का दैव निदर्शन विधि से चयन किया गया। तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची निर्मित की गई। प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन– संकलित किये गये तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन तालिका क्रमांक 1-6 में प्रदर्शित किया गया है-

तालिका क्रमांक – 1: विद्यार्थियों के आहारीय स्वरूप का आवास के अनुसार वर्गीकरण

आवास	शाकाहारी		मांसाहारी		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण	39	39.0	11	11.0	50	50.0
नगरीय	20	20.0	30	30.0	50	50.0
योग	59	59.0	41	41.0	100	100.0

तालिका क्रमांक -1 में विद्यार्थियों के आहारीय स्वरूप का आवास के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तालिका दर्शाती है कि मुरार विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र के सर्वेक्षित 50(50.0%) विद्यार्थियों में 39(39.0%) विद्यार्थी शाकाहारी तथा 11(11.0%) मांसाहारी पाये गये तथा नगरीय क्षेत्र के 50(50.0%) विद्यार्थियों में 20(20.0%) विद्यार्थी शाकाहारी तथा 30(30.%) मांसाहारी पाये गये। इस प्रकार मुरार विकासखण्ड में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या 59(59.0%) पाई गई है जो कि मांसाहारी विद्यार्थियों 41(41.%) की तुलना में अधिक है। शाकाहारी विद्यार्थियों की सर्वाधिक संख्या 39(39.0%) ग्रामीण क्षेत्र में मांसाहारी विद्यार्थियों की सर्वाधिक संख्या 30(30.0%) नगरीय क्षेत्र में पाई गई है।

तालिका क्रमांक – 2: विद्यार्थियों के आहारीय स्वरूप का लिंगानुसार वर्गीकरण

लिंग	शाकाहारी		मांसाहारी		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बालक	27	27.0	23	23.0	50	50.0
बालिकायें	32	32.0	18	18.0	50	50.0
योग	59	59.0	41	41.0	100	100.0

तालिका क्रमांक - 2 में विद्यार्थियों के आहारीय स्वरूप का लिंगानुसार वर्गीकरण किया गया है। तालिका दर्शाती है कि 27(27.0%) बालक शाकाहारी तथा 23(23.0%) बालक मांसाहारी पाये गये। इस प्रकार शाकाहारी बालकों की संख्या मांसाहारी बालकों की तुलना में अधिक पाई गई। बालिकाओं के आहारीय स्वरूप का विश्लेषण करने पर 32(32.0%) बालिकायें शाकाहारी तथा 18(18.0%) मांसाहारी पाई गईं। इस प्रकार शाकाहारी बालिकाओं की संख्या मांसाहारी बालिकाओं की तुलना में अधिक पाई गई। बालक एवं बालिकाओं का तुलनात्मक अवलोकन करने पर शाकाहारी विद्यार्थियों में बालिकायें बालकों की तुलना में अधिक पाई गईं तथा मांसाहारी विद्यार्थियों में बालक बालिकाओं की तुलना में अधिक पाये गये।

तालिका क्रमांक – 3: विद्यार्थियों के आहारीय स्वरूप का पारिवारिक संरचना के अनुसार वर्गीकरण

पारिवारिक संरचना	शाकाहारी		मांसाहारी		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
संयुक्त	41	41.0	09	09.0	50	50.0
एकाकी	18	18.0	32	32.0	50	50.0
योग	59	59.0	41	41.0	100	100.0

तालिका क्रमांक - 3 में विद्यार्थियों के आहारीय स्वरूप का पारिवारिक संरचना के अनुसार वर्गीकरण किया गया हे। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शाकाहारी परिवारों की संख्या 41(41.0%) एकाकी परिवारों की संख्या 18(18.0%) की तुलना में अधिक है तथा मांसाहारी

परिवारों में एकाकी परिवारों की संख्या 32(32.0%) संयुक्त परिवारों की संख्या 09(9.0%) की तुलना में अधिक है। संयुक्त एवं एकाकी परिवारों के आहारीय स्वरूप का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर संयुक्त परिवारों में शाकाहारी परिवारों की संख्या तथा एकाकी परिवारों में मांसाहारी परिवारों की संख्या अधिक पाई गई।

तालिका क्रमांक – 4: विद्यार्थियों आहारीय स्वरूप का संवर्ग के अनुसार वर्गीकरण

संवर्ग	शाकाहारी		मांसाहारी		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	15	15.0	09	09.0	24	24.0
अनुसूचित जाति	20	20.0	11	11.0	31	31.0
अनुसूचित जनजाति	03	03.0	04	04.0	07	07.0
पिछड़ा वर्ग	21	21.0	17	17.0	38	38.0
योग	59	59.0	41	41.0	100	100.0

तालिका क्रमांक – 4 में विद्यार्थियों के आहारीय स्वरूप का संवर्ग के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तालिका दर्शाती है कि सामान्य जाति के विद्यार्थियों में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या 15(15.0%) है जो कि मांसाहारी विद्यार्थियों की संख्या 9(9.0%) की तुलना में अधिक है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या 20(20.0%) है जो कि मांसाहारी विद्यार्थियों की संख्या 11(11.0%) की तुलना में अधिक है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में मांसाहारी विद्यार्थियों की संख्या 04(4.0%) है जो कि शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या 3(3.0%) की तुलना में मामूली अधिक है। पिछड़ा वर्ग में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या 21(21.0%) मांसाहारी विद्यार्थियों 17(17.0%) की तुलना में अधिक है। संवर्ग के आधार पर तुलनात्मक वर्गीकरण करने पर सामान्य, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या मांसाहारी विद्यार्थियों की तुलना में अधिक पाई गई तथा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में मांसाहारी विद्यार्थियों की संख्या शाकाहारी विद्यार्थियों की तलना में अधिक पाई गई।

तालिका क्रमांक – 5: विद्यार्थियों के आहारीय स्वरूप का व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण

व्यवसाय	शाकाहारी		मांसाहारी		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
नौकरी	03	03.0	06	06.0	09	09.0
रोजगार	19	19.0	09	09.0	28	28.0
मजदूरी	37	37.0	26	26.0	63	63.0
योग	59	59.0	41	41.0	100	100.0

तालिका क्रमांक – 5 में विद्यार्थियों के व्यवसाय के अनुसार आहारीय स्वरूप का वर्गीकरण किया गया है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शाकाहारी विद्यार्थियों में सर्वाधिक विद्यार्थी 37(37.0%) मजदूरी करने वाले परिवारों के हैं तथा मांसाहारी विद्यार्थियों में सर्वाधिक विद्यार्थी 26(26.0%) मजूदरी करने वाले परिवारों के हैं। इस प्रकार नौकरी करने वाले परिवारों के विद्यार्थियों में मांसाहारी विद्यार्थी 06(6.0%) हैं जो कि शाकाहारी विद्यार्थियों 31(31.0%) की तुलना में अधिक है। रोजगार करने वाले परिवारों में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या 19(19.0%) है जो कि मांसाहारी विद्यार्थियों की संख्या 09(9.0%) की तुलना में अधिक है। मजदूरी करने वाले परिवारों में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या 37(37.0%) है जो कि मांसाहारी विद्यार्थियों की संख्या 26(26.0%) की तुलना में अधिक है।

इस प्रकार नौकरी करनेवाले परिवारों में मांसाहारी तथा रोजगार व मजदूरी करने वाले परिवारों में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या अधिक पाई गई।

तालिका क्रमांक – 6: विद्यार्थियों के आहारीय स्वरूप का परिवार की शैक्षिक स्थिति के अनुसार वर्गीकरण

व्यवसाय	शाकाहारी		मांसाहारी		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
शिक्षित	29	29.0	21	21.0	50	50.0
अशिक्षित	30	30.0	20	20.0	50	50.0
योग	59	59.0	41	41.0	100	100.0

तालिका क्रमांक – 6 में विद्यार्थियों के आहारीय स्वरूप का उनके परिवार की शैक्षिक स्थिति के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अशिक्षित परिवारों के शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या 30(30.0%) शिक्षित परिवारों के शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या 29(29.0%) की तुलना में अधिक है। मांसाहारी विद्यार्थियों में शिक्षित परिवारों के विद्यार्थियों की संख्या 21(21.0%) अशिक्षित परिवारों के विद्यार्थियों की संख्या 20(20.0%) की तुलना में अधिक है। इस प्रकार शिक्षित परिवारों के विद्यार्थियों में मांसाहारी तथा अशिक्षित परिवारों के विद्यार्थियों में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या अधिक पाई गई।

निष्कर्ष :

1. मुरार विकासखण्ड के विद्यार्थियों में शाकाहारी विद्यार्थी मांसाहारी विद्यार्थियों की तुलना में अधिक हैं। शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या गाँवों में तथा मांसाहारी विद्यार्थियों की संख्या नगरीय क्षेत्र में अधिक है।
2. शाकाहारी बालिकायें बालकों की तुलना में तथा मांसाहारी बालक बालिकाओं की तुलना में अधिक पाये गये।
3. संयुक्त परिवारों में शाकाहारी परिवारों तथा एकाकी परिवारों में मांसाहारी परिवारों की संख्या अधिक पाई गई।
4. सामान्य, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या मांसाहारी विद्यार्थियों की तुलना में अधिक पाई गई तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में मांसाहारी विद्यार्थियों की तुलना में अधिक पाई गई।
5. नौकरी करने वाले परिवारों में मांसाहारी तथा बेरोजगार व मजदूरी करने वाले परिवारों में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या अधिक पाई गई।
6. शिक्षित परिवारों के विद्यार्थियों में मांसाहारी तथा अशिक्षित परिवारों के विद्यार्थियों में शाकाहारी विद्यार्थियों की संख्या अधिक पाई गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. hi.m.wikipedia.org
2. https://www.mpgkpdf.com>2021/08
3. https://www.mpgkpdf.com>2021/08
4. मिथलेश कुमारी, 'उच्चतर पोषण', यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. नारायणन् सुधा, 'आहार नियोजन', रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर।
6. पल्टा, अरूणा, 'आहार एवं पोषण', शिवा प्रकाशन, इन्दौर।
7. राणावत, रमा, 'भोजन और स्वास्थ्य', विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

हिन्दू धर्म में अंत्येष्टि संस्कार के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन

निशा राज़दान *

* शोधार्थी (समाजशास्त्र विभाग) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र हिन्दू धर्म में अंत्येष्टि संस्कार के व्यवहारिक पक्ष पर आधारित है। अन्त्येष्टि को अंतिम संस्कार कहा जाता है। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत अंतिम संस्कार में होने वाले कर्मकांड को करने से जीव की अतृप्त वासनायें शान्त हो जाती हैं। वह सभी मोह माया और बंधनों को त्यागकर पृथ्वी लोक से परलोक की ओर गमन करता है। इसी निमित्त मृत देह का विधिवत संस्कार किया जाता है। अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम यज्ञ। यह यज्ञ मृत व्यक्ति के शव के लिए किया जाता है। बौधायन पितृमेधसूत्र में अंतिम संस्कार के महत्व को बताते हुए ये कहा गया है कि 'जातसंस्कारैणेमं लोकमभिजयति मृतसंस्कारैणामुं लोकम।' अर्थात जातकर्म आदि संस्कारों से मनुष्य इह लोक (पृथ्वी लोक) को जीतता है और 'अंत्येष्टि संस्कार' से परलोक पर विजय प्राप्त करता है। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि,'तस्यान्मातरं पितरमाचार्य पत्नीं पुत्रं शि यमन्तेवासिनं पितृव्यं मातुलं सगोत्रमसगोत्रं वा दायमुपयच्छेद्दहनं संस्कारेण संस्कुर्वन्ति।' जिसका अर्थ है यदि मृत्यु हो जाए तो माता, पिता, आचार्य, पत्नी, पुत्र, शिष्य, चाचा, मामा, सगोत्र, असगोत्र का दायित्व ग्रहण करना चाहिए और संस्कारपूर्ण मृत शरीर का दाह करना चाहिए। शोधार्थी द्वारा अंत्येष्टि संस्कार से सम्बन्धित लोगों के व्यवहारिक पक्ष को वैज्ञानिक विधि से अध्ययन कर उजागर करने करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. मृत्यु उपरान्त प्रचलित व्यवहारिक अनुष्ठान (अंत्येष्टि संस्कार) की महत्ता को धर्मशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जानना।
2. ग्रामीण तथा शहरी परिप्रेक्ष्य में अंत्येष्टि संस्कार की प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन विधि – प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक है जिसमें अंत्येष्टि संस्कार की प्रक्रियाओं के परम्परागत स्वरूप का आधुनिक परिवर्तनों के साथ ग्रामीण एवं नगरीय संदर्भ में अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र हेतु राजस्थान के उदयपुर शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पन्न किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु लेटिन वर्ग निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। इस पद्धति के आधार पर कुल मिलाकर 160 उत्तरदाताओं को निदर्शन में सम्मिलित किया गया है। इस अनुसंधान में प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु संरक्षित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

दाह संस्कार की प्रक्रिया में भिन्नाता – हिन्दू धर्म के सामान्य वर्ग में दाह संस्कार को ही प्राथमिकता दी जाती है। अन्य पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों जैसे गौस्वामी,नाथ और साधु संप्रदाय में मृतक को विधिवत समाधि देने का प्रचलन है जबकि अनुसूचित जाति में सम्मिलित जातियों में मृतक को दफनाने की प्रथा के साथ-साथ विधिवत दाह संस्कार भी किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों में दाह संस्कार की प्रक्रिया को विधिवत किया जाता है और उसका अगली पीढ़ी हेतु समाजीकरण भी किया जाता है। अध्ययन में पाया गया कि 86 प्रतिशत ग्रामीण और 80 प्रतिशत शहरी उत्तरदाता इस बात से सहमत है कि हिन्दू धर्म में दाह संस्कार की प्रक्रिया जाति, वर्ग और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग है।

सम्पूर्ण जानकार के रूप में व्यक्त करना – अध्ययन से यह सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्र से 96 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार की प्रक्रिया में लोगों द्वारा अनावश्यक पंचायती करने के साथ रायचंद की भूमिका अधिक निभाई जाती है जो केवल और केवल दिखावा मात्र है। इस प्रकार के लोग पुरोहितों और समाज के बुर्जुगों को ज्ञान देने लगते है और विधिवत प्रक्रिया में कई प्रकार के झूठे आयाम जोड़ देते हैं जो आगे चलकर विचलन उत्पन्ना करते हैं।

समाजीकरण की प्रक्रिया का अभाव – शहरी समाज में अंत्येष्टि संस्कार को समय एवं परिस्थिति के साथ मात्र पूर्ण करने का लक्ष्य होता है। शहरी समाज में सोलह संस्कारों पर वार्तालाप तक नहीं होता। अत: यह स्पष्ट है कि नगरीय समाज में अंत्येष्टि संस्कार हेतु समाजीकरण की प्रक्रिया का अभाव होता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र से 96 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के 93 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि ग्रामीण समाज में बालकों एवं युवाओं की अंत्येष्टि संस्कार में कई भूमिकाएँ होती है जिसका निर्वहन उन्हीं से करवाया जाता है।

दाह संस्कार में मार्गदर्शन – अध्ययन यह तथ्य प्रकट हुए कि ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से 48-48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पुरोहित द्वारा मार्गदर्शन करना बताया तथा ग्रामीण क्षेत्र से 8 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र से 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी भी व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन करना बताया। ग्रामीण क्षेत्र से 25 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनुभवी बुजुर्ग एवं ग्रामीण क्षेत्र से 20 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा दाह संस्कार से पूर्व घर पर की जाने वाली प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन करना बताया।

शव यात्रा निकालना – शोध में यह सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्र से 89 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र से 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे हस्त निर्मित बाँस की सज्जा पर शव को ले जाते है और 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शव को मोक्ष रथ पर ले जाना बताया। ग्रामीण क्षेत्र से 5 प्रतिशत एवं

शहरी क्षेत्र से 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने धातु निर्मित सज्जा जबकि ग्रामीण क्षेत्र से 6 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र से 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि समय और परिस्थिति के अनुसार किसी भी विकल्प पर शव यात्रा निकाली जा सकती है।

घर की सफाई – शव को शमशान घाट ले जाने के पश्चात घर पर सफाई करने के व्यवहारिक पक्ष में जो तथ्य सामने आए उसमें ग्रामीण क्षेत्र से 68 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि घर की बहू द्वारा सफाई का कार्य किया जाता है तथा सबसे ग्रामीण क्षेत्र से 6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि घर की बेटी द्वारा यह कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र से 10 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बहनों द्वारा यह कार्य किया जाता है जबकि ग्रामीण क्षेत्र से 21 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि घर कोई भी महिला सफाई का कार्य कर लेती है।

लकड़ियों की उपलब्धता – ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दाह संस्कार हेतु धर्मशास्त्रीय प्रक्रियाएँ अपनाई जा रही है। शहरों में जनता की माँग के अनुसार नगर निगम टाल पर लकड़ियों को सशुल्क लकड़ियाँ उपलब्ध करवायी जाती है। अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र से 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना की प्रत्येक घर से एक लकड़ी ले जाई जाती हैं तथा शहरी क्षेत्र के 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना की टाल से लकड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र से 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि दाह संस्कार हेतु सामुहिक निर्णय से छोड़ दिए गए क्षेत्रों से लकड़ियाँ लाई जाती हैं।

दाह संस्कार के बाद विसर्जन – अध्ययन से यह सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्र से 68 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि सभी लोग अंत तक रूकते है एवं ग्रामीण क्षेत्र से 4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 16 प्रतिशत ने बताया कि सभी लोग विसर्जित हो जाते है तथा ग्रामीण क्षेत्र से 23 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 73 प्रतिशत ने बताया कि सिर्फ रिश्तेदार रूकते है जबकि ग्रामीण क्षेत्र से 6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि दाह संस्कार के बाद दो-चार लोग ही रूकते है।

दाह संस्कार के बाद स्नान की प्रक्रिया – अनुसंधान में यह भी पाया गया कि दाह संस्कार के बाद ग्रामीण क्षेत्र से 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि सभी लोग बिना स्नान किए और मंदिर दर्शन किए घर नहीं जाते एवं ग्रामीण क्षेत्र से 14 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 79 प्रतिशत ने बताया कि सभी लोग हाथ-पाँव धोकर पानी के छींटे मारकर घर चले जाते है तथा ग्रामीण क्षेत्र से 3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 21 प्रतिशत ने बताया कि सिर्फ केवल पानी के छींटे मार कर दाह संस्कार के बाद सभी लोग घर चले जाते है।

दाह संस्कार के बाद घर पर आए लोगों को अल्पाहार कराना – शोध में यह सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्र से 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि शवयात्रा में सम्मिलित सभी लोग पुन: मृतक के घर पर आते है और उनको अल्पाहार भी करवाया जाता है क्योंकि यह शस्त्रोक्त प्रक्रिया है जिसमें मृतक के घर पुन: आया जाता है। शहरी क्षेत्र से 100 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र से 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि मृतक के घर पर किसी भी प्रकार का अल्पाहार करते उन्होंने नहीं देखा है। अत: इस प्रकार की प्रक्रिया शोक संतृप्त परिवार के यहाँ करना मानवीय कैसे हो सकता है?

द्वादशाकर्म से पूर्व बैठकों का आयोजन – मृतक के द्वादशकर्म से पूर्व बैठकों के आयोजन के व्यवहारिक पक्ष में जो तथ्य सामने आए उसमें यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र से 9 प्रतिशत उत्तरदाता और शहरी क्षेत्र से 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार द्वादशकर्म से पूर्व उठावणा की बैठक रखी जाती है एवं ग्रामीण क्षेत्र से 64 प्रतिशत उत्तरदाता और शहरी क्षेत्र से 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मृत्यु तिथि से द्वादशा के बीच नियमित बैठक रखी जाती है तथा ग्रामीण क्षेत्र से 16 प्रतिशत उत्तरदाता और शहरी क्षेत्र से 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उठावणा से पृथक बैठक रखी जाती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र से 11 प्रतिशत उत्तरदाता और शहरी क्षेत्र से 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार द्वादशकर्म से पूर्व मात्र शोक सभा की एक बैठक रखी जाती है।

द्वादशा और पगड़ी दस्तूर – द्वादशा और पगड़ी दस्तूर के रिवाज के व्यवहारिक पक्ष में यह उभर कर आया कि ग्रामीण क्षेत्र से 94 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि द्वादशा और पगड़ी दस्तूर के रिवाज का बहुत महत्व है क्योंकि इस रिवाज में किसी परिवार के सब से अधिक उम्र वाले पुरुष की मृत्यु होने पर अगले सब से अधिक आयु वाले जीवित पुरुष के सर पर रस्मी तरीक़े से पगड़ी बाँधी जाती है। क्योंकि पगड़ी इस क्षेत्र के समाज में इज्ज़त का प्रतीक है इसलिए इस रस्म से दर्शाया जाता है के परिवार के मान-सम्मान और कल्याण की ज़िम्मेदारी अब इस पुरुष के कन्धों पर है।

निष्कर्ष:

1. 86 प्रतिशत ग्रामीण और 80 प्रतिशत शहरी उत्तरदाता इस बात से सहमत है कि हिन्दू धर्म में दाह संस्कार की प्रक्रिया जाति, वर्ग और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग है।
2. ग्रामीण क्षेत्र से 96 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार की प्रक्रिया में लोगों द्वारा अनावश्यक पंचायती करने के साथ रायचंद की भूमिका अधिक निभाई जाती है जो केवल और केवल दिखावा मात्र है।
3. 96 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के 93 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि ग्रामीण समाज में बालकों एवं युवाओं की अंत्येष्टि संस्कार में कई भूमिकाएँ होती है जिसका निर्वहन उन्हीं से करवाया जाता है।
4. ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से 48-48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पुरोहित द्वारा मार्गदर्शन करना बताया।
5. ग्रामीण क्षेत्र से 89 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र से 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे हस्त निर्मित बाँस की सज्जा पर शव को ले जाते है।
6. ग्रामीण क्षेत्र से 68 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि घर की बहु द्वारा सफाई का कार्य किया जाता है।
7. ग्रामीण क्षेत्र से 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना की प्रत्येक घर से एक लकड़ी ले जाई जाती हैं तथा शहरी क्षेत्र के 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना की टाल से लकड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं।
8. 68 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि सभी अंतिम संसकार पूर्ण होने तक लोग अंत तक रूकते है।
9. ग्रामीण क्षेत्र से 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि सभी लोग बिना स्नान किए और मंदिर दर्शन किए घर नहीं जाते शहरी क्षेत्र से 21 प्रतिशत ने बताया कि सिर्फ केवल पानी के छींटे मार कर दाह

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

संस्कार के बाद सभी लोग घर चले जाते है।

10. ग्रामीण क्षेत्र से 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि शवयात्रा में सम्मिलित सभी लोग पुन: मृतक के घर पर आते है और उनको अल्पाहार भी करवाया जाता है।
11. ग्रामीण क्षेत्र से 64 प्रतिशत उत्तरदाता और शहरी क्षेत्र से 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मृत्यु तिथि से द्धादशा के बीच नियमित बैठक रखी जाती है।
12. 94 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि द्धादशा और पगड़ी दस्तूर के रिवाज का बहुत महत्व है।

सुझाव – अंत्येष्टि संस्कार शास्त्रौक्त होने के साथ–साथ सामुदायिक सहभागिता का एक जीवन्त उदाहरण है। समय के साथ–साथ इस संस्कार में लोगों के द्धारा सहभागिता में कमी आई है। प्राथमिक अभिकरण में बालकों का संस्कारों के प्रति समाजीकरण होता रहता है। द्धितीयक अभिकरण में भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों के संस्कारों का उल्लेख नैतिक शिक्षा में कर बालकों का एक जैसा समाजीकरण किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आश्वलायन श्रौतसूत्र 6।10
2. शतपथ ब्राह्मण 12.5.2.14,ऋग्वेद 10.16.7, ऋग्वेद 10.14.10

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Comparative Analysis of the Psychological Variables of Anxiety, Aggression and Self-Concept in Hockey Boys Players from the State of Haryana's Attackers and Defenders

Dr. Shamsher Kasnia*

***Assistant Professor, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa (Haryana) INDIA**

Abstract - In the current study, 100 hockey players from Haryana were the subject. The study's scope was confined to 100 hockey players from the state of Haryana. was further reduced to 100 boy hockey players (50 attackers and 50 defenders). Players competing at the State level and between the ages of (18-25 years). The study's focus was only on the subjects' self-concept, aggression, and anxiety measures. The players were divided into Attacker and Defender groups, then into boy Attacker and Defender hockey players, all while keeping in mind the study's goals. In order to collect data on the three psychological components that have the greatest impact, a questionnaire method and an interview methodology were used. compare the level of Anxiety, Aggression and Self-concept between the Attacking and Defending playing positions in Hockey Game. To achieve this objective a sample of 100 players was collected, This will further help to identify sportspersons who may have potential to be of high calibre. Competitive sports are full of challenges, so youngsters taken to competitive sports must display the required psychological attributes including aggression, anxiety and Self-Concept to meet the challenges successfully. The variables anxiety, aggression and Self-Concept need to be studied properly, both from the theoretical and practical point of view. conclusions may be drawn The defender and attacker (boys) were found to be low on Anxiety levels. Attacker (boys) were found to be higher on Aggression levels when compared with defender (boys) There was an insignificant difference between the attacker and defender boys hockey players on Self-Concept scale however there was a significant difference between the attacker and defender boys hockey players.

Introduction - During the Ancient Olympics in Greece, every winner was worshiped and cherished as demigods because of the art the performer presented a provided a means of entertainment for many. Though Performance in every walk of life is cherished it is the mastery of Art in any field be it sports or otherwise, it is always looked upon as an act of statesmanship. That is the reason why in many countries throughout the world the highest civilian awards in that country are given to Sportspersons also who have influenced the lives of many. Modern Olympic games were initiated by the Greeks and other European nations and since the Olympic movement, nations spent time, energy and money to prepare their teams to win laurels in different games and sports. In field hockey India made a sensational debut in 1928 (India at the 1928 Summer Olympics, 2020) and won gold medal at the Amsterdam Olympics and continued to reign Supreme in the game till 1956 Melbourne Olympics (India at the 1956 Summer Olympics, 2015). Till the late 80's or 90's hockey has literally ruled the minds of people of India. People used to glue to the different means of communications be it radio or television for any international event. India has always eagerly looked forward to the medal prospects in Hockey till now. Later on, when the World Cup was started in 1971 (Hockey World Cup Barcelona 1971, 1971), India was among the top contenders for winning it. It will be correct to say that till the time field hockey was played on the natural surface we have dominated the game in all spirits. But after the change in the playing surface we have failed to match the pace of the game in true sense though we have remained in the top six teams of the world.Hockey is a fast and furious game of remarkable complexity, and the variety of skills displayed not only confuses but also enthuses and entertains even the most knowledgeable spectator. At the international level those skills are a result of years of painstaking practice by players who have made sacrifices. While speed and stamina are the during the practice phase and the competition phase, an athlete should remain mentally calm and sound. The initial stages of developing this capacity will require focused effort, by the sportsperson (Rushall,

Mental Skills Training for Sports, 1995). A great deal of research has been nourished to the effects of anxiety on sports performance. Researcher has found that competitive state anxiety is higher for amateur athletes in individual sports compared with athletes in team sports (Simon & Martens, 1977). Anxiety exerts a variety of athletic performance. Stress is a state that results from the demands that are placed on the individual which compels a person to engage in some coping behaviour. Arousal can be considered to be a single to the individual that he or she has entered a stressful state and is characterized by physiological signs. Anxiety results when the individual doubt his or her ability to cope with the situation that causes him or her stress. Another important point that needs to be clarified is the difference between state and trait anxiety (Spielberger, Theory and Research on Anxiety,1966)

Aggression: Sports are highly competitive in nature and because of this competitiveness players and teams focus on even the minutest of the details be it behavioural or otherwise. In some sports less aggression is required, such as games where the chances of individual contact is very less like chess, billiards, Korfball etc but in some sports where the individual contact is more aggressiveness is a by part like boxing, wrestling, football, hockey and basketball etc. it is generally said that Team Sports competition without Aggression is body without soul.

Self- Concept: Interest in self, what it is and how it develops is not a recent phenomenon. Self-Concept is the collection and gathering of information about the self-such as self beliefs about the personality dimensions, physical characteristics, abilities, values, goals and roles. From the very beginning stage of Infancy a child acquires and organize information about themselves as a way that enables themselves to understand the relation between their self and the social world around them. This is an ongoing process of children's emerging Cognitive skills and their relationships with their family and friends.

Statement Of The Problem: The problem of the study was stated as Comparative analysis of the psychological variables of anxiety, aggression, and self-concept in hockey players from the state of Haryana's attackers and defenders.

Objectives Of The Study: To find out the difference in anxiety, aggression, self-concept level between attacker and defender boys Hockey players.

Hypotheses Of The Study: On the basis of different research findings, understanding of the problem, it was hypothesized that: -

H01: There would be a significant difference in the Anxiety level between attacker and defender boy hockey players.

H02: There would be a significant difference in the Anxiety level between attacker and defender boy hockey players.

H03: There would be no significant difference in the Self-Concept between attacker and defender boy hockey players.

Research Methodology

Selection of the subjects: The present Study was conducted on 100 hockey players of Haryana. The Study was delimited to 100 hockey players of Haryana state. was further delimited to 100 boys (attacker=50 & defender=50) hockey players. The study was delimited to State level players between the age group of (18-25 years). The scope was limited to the parameters of Anxiety, Aggression and Self- Concept variables of the subjects. Keeping in view the objectives of the study the players were categorized into Attacker and Defender players and further categorized into boys further sub categorized into Attacker and Defender hockey players. The questionnaire method and interview technique were used as tools for gathering data Selection of Variables on the three most important psychological factors which have a great effect on the performance of the players playing position as well as the overall performance. It was decided to study on the variables of Anxiety, Aggression and Self-concept with relation to the playing position as Attackers and Defenders.

Tools used for data collection: For the purpose of collection of data of the psychological variables the following tests were used.

1. Anxiety was assessed using Sports Competition Anxiety Test developed by Martens (1990).
2. Aggression was assessed using Sports Aggression Inventory developed by Prof. Anand Kumar Srivastava and Prem Shankar Shukla (1998).
3. Self-Concept was assessed using Self-concept questionnaire developed by Dr. Raj Kumar Saraswat (1984).

Data- Collection

Statistical Technique used for analyzing the data

Reliability and Validity Quotient of Various Tests

S.	Variable	Test	Reliability
1	Anxiety	Sports Competition Anxiety Test	0.85
2	Aggression	Sports Aggression Inventory	0.73
3	Self-Concept	Self-Concept Scale	0.91

Analysis And Interpretation Of Results: The present study has been designed to study and compare the level of Anxiety, Aggression and Self-concept between the Attacking and Defending playing positions in Hockey Game. To achieve this objective, a sample of 100 players was collected, out of which 50 were Attacker boys, 50 Defender Boys.

Data Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Anxiety Scale

Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Anxiety Scale.

Category	No.	Mean	Standard Deviation
Attacker Boys	50	18.75	2.94
Defender Boys	50	18.52	3.49

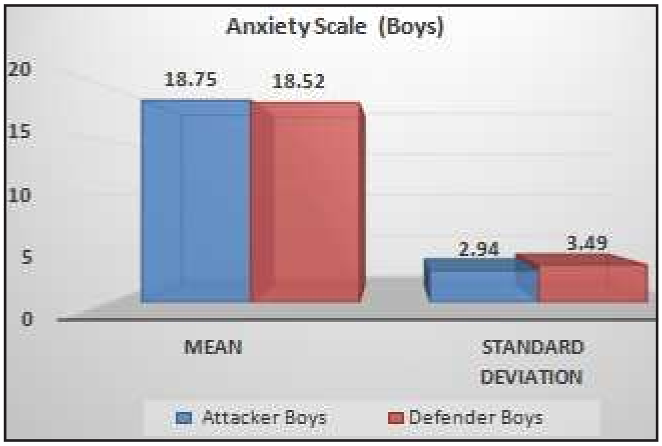

Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Anxiety Scale: anxiety scale of Attacker Boys and Defender Boys is illustrated. The mean score of Attacker boys was 18.75 whereas the mean score of defender boys was 18.52. The Standard deviation of defender boys is higher than the attacker boys with the values of 3.49 and 2.94 respectively which shows that there is more homogeneity in the data of attacker boys as compared to defender boys.

Statistical Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Anxiety Scale (see in last page)

From the table, after the computation of the scores it was found that the t-value was 0.356 and the table t-value was 1.98 and therefore there exists no significant difference at 95% level of confidence. The p-value was calculated to be 0.7223.

Data Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Aggression Scale.

Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Aggression Scale.

Category	No.	Mean	Standard Deviation
Attacker Boys	50	12.54	2.46
Defender Boys	50	11.12	2.80

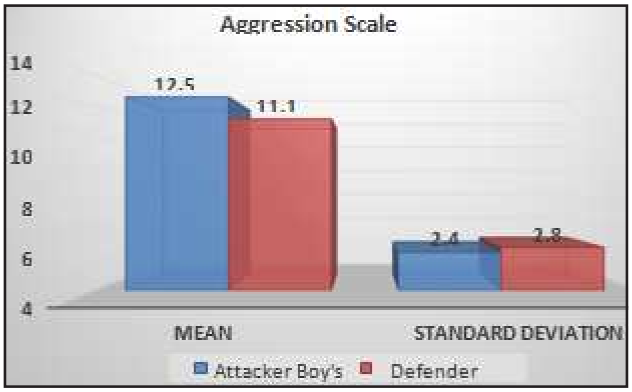

Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Aggression Scale

The level of aggression in attacker boys and defender boys is elucidated. The mean score of 50 attacker boys was 12.54 and the mean score of defender boys was 11.12. The data shows that the level of aggression in attacker boys is much higher than that of defender boys and the scores of aggression boys was more homogeneous when compared to the standard deviation scores of defenders with the same gender. The standard deviation scores are 2.46 and 2.80 respectively. After comparing the test values with the standardized test norms, it canbe further stated that the defender boys had low aggression however, attacker boys were found to be in moderate aggression category.

Statistical Analysis of Mean and Standard Deviation Scores on the Anxiety Scale

Statistical Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Aggression Scale (see in last page)

From the table, the mean and the standard deviation scores were statistically analysed to find out the significance of difference. The t-value was computed as 2.694, however the table t-value at 98 degree of freedom is 1.98. Therefore, the results on Aggression scale are extremely significant at 99% level of confidence.

Data Analysis of Attacker and Defender boys on Self-Concept Scale.

Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Self-Concept Scale.

Category	No.	Mean	Standard Deviation
Attacker Boys	50	175.46	16.03
Defender Boys	50	167.33	22.33

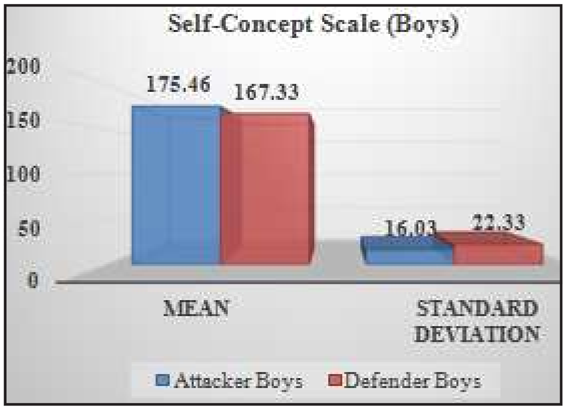

Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Self-Concept Scale- The mean and standard deviation scores of Attacker and Defender boys on Self-Concept scale. The mean score of attacker boys was 175.46 and the mean score of defender boys was 167.33. From the mean score it is evident that the attacker boys are higher than the defender boys. The scores of attacker boys are more uniform with the value of 16.03 and the standard deviation of defender boys is scattered when compared with the value of 22.33. When the data was compared with the standardized norms both the attacker and defender players fall into the category of above average Self-Concept with the values ranging from 145 to 192.

Statistical Analysis of Mean and Standard Deviation Scores on Self Concept Scale

Statistical Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Self- Concept Scale (see in last page)

From the statistics in table, the standard error of first mean was 2.267 and the second mean was 3.158. The standard error of the differences of mean values was 3.887. The t-test value was computed as 2.091 and the p-value is 0.0391. The results are statistically significant at 95% confidence interval.The purpose of the present research was to study the psychological set-up of the attacker and defender categories of hockey players. The subject sample for the present research comprised of 100 hockey players out of which 100 were boys and 100 samples were hockey players. The subjects were further sub-categorized into 50 attacker and 50 defenders each for boys .

Result and Discussion: The results of the present study will help to identify anxiety, aggression and Self-Concept of Attacker and Defender Hockey players of Haryana. This will further help to identify sportspersons who may have potential to be of high calibre. Competitive sports are full of challenges, so youngsters taken to competitive sports must display the required psychological attributes including aggression, anxiety and Self-Concept to meet the challenges successfully. The variables anxiety, aggression and Self-Concept need to be studied properly, both from the theoretical and practical point of view. The knowledge about the variables may enable the teacher and coaches to takes decisions in their work with young players taking part at different levels and train them in a proper way.

Conclusions: Within the limits and limitations of the present study and on the basis of the results following conclusions may be drawn: The defender and attacker (boys) were found to be low on Anxiety levels. Attacker (boys) were found to be higher on Aggression levels when compared with defender (boys) There was an insignificant difference between the attacker and defender male hockey players on Self-Concept scale however there was a significant difference between the attacker and defender female hockey players.

References :-

1. Aksoy, C., Saritas , N., & Coskun, B. (2016, September). The Comparison of Anxiety Level between Male and Female Athletes in Amateur Teams. *Science, Movement and Health, 16*(2), 280-284.
2. Alderman, R. (1974). *Psychological Behaviour in Sports.* Philadelphia: W.B. Saunders Co.
3. Allie, J., Larson, A., & DeBeliso, M. (2018). Level of Anxiety: Practice vs. Competition in NCAA Division I North American Football Players. *International Journal of Sports Science, 8*(4), 118-123. doi:10.5923/j.sports.20180804.02
4. Chauhan, N. (1977). *Second Stratum Personality Factors, Sex and Age of Adolescents as corelates of Originality* (Vol. 14 (1)). Indian Psychological Review.
5. Chauhan, S. N., & Das, R. (2018). A Comparative Study of Sports Competition Anxiety between Basketball and Volleyball Players. *Semantic Scholar*. Retrieved February 2020
6. Chourjit, M., & Nongdren, R. (2015, September). Comparative Study on Anxiety Level Between Boys and Girls Football Players. *International Journal of Research-Granthaalayah, 3*(9), 96-100.
7. Cratty, B. (1973). *Psychology in Contemporary Sport, Guidelines for Coaches and Athletes.* New Jersey.
8. Dar, I., & Ahmed, M. (2017). Comparative study of Aggression and Will to Win between Defenders and Attackers in Soccer . *International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education, 2*(1), 332-334.
9. Dureha, D., Yaduvanshi, S., & Mishra. (2011). A Comparative Study of Incentive Motivation, Achievement Motivation and Anxiety Level Between National and International Hockey Players. . *44*.
10. Eloff, M., Monyeki, M., & Grobbelaar, H. (2011). Mental skill levels of South African male student field hockey players in different playing positions. *African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance, 17*(4), 636-646. Retrieved May 14, 2019
11. Franken, R. (1994). *Human Motivation 3rd Edition .* CA: Brooks/Cole Publishing Co.
12. Freud, S. (n.d.). Inhibitions, Symptoms and Anxiety. *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud , 20*, 77-178.
13. *Hockey World Cup Barcelona 1971*. (1971, October 15). Retrieved March 28, 2020, from Federation of International Hockey: http://www.fih.ch/events/world-cup/hockey-world-cup-barcelona-1971-m/
14. Husman, B., & Silva, J. (1984). *Aggression in Sport: Definitional and Theoretical Considerations.* IL: Human Kinetics.
15. *India at the 1928 Summer Olympics*. (2020, Jan 31). Retrieved March 29, 2020, from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/India_at_the_1928_Summer_Olympics
16. *India at the 1956 Summer Olympics*. (2015, September 22). Retrieved March 28, 2020, from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/India_at_the_1956_Summer_Olympi
17. James, W. (1890). *Psychology: The Briefer Course.* New York: Holt, Rinehart & Winston.
18. Junge, A., & Feddermann-Demont, N. (2016, January 19). Prevalence of Depression and Anxiety in top-level Male and Female Football Players . *BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 2*(1). doi:10.1136/bmjsem-2015-000087
19. KA, R. (2016). Analysis of psychological differentials among men football, hockey and cricket players. *International Journal of Applied Research, 2*(7), 488-490.
20. Kamlesh, M. (1998). *Psychology in Physical Education and Sports.* New Delhi: Metropolitan Book Co.
21. Khan, A., & Sorate, B. A. (2016). A Comparative Study of Sports Competition Anxiety within Jimma University Male Players of Different Sports. *Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 17*, 38-41.

22. Khan, M., Khan, A., Khan, S., & Khan, S. (2017). Effects of Anxiety on Athletic Performance. *Res Inves Sports Med*, 19-23. doi:10.31031/RISM.2017.01. 000508
23. Kumar, V., & Chouhan, G. (2016, October). A comparative study of Anxiety and Aggression between Rural and Urban players of Udaipur Division. *Times International Journal of Research*.
24. Kurt, C., Catikkas, F., OmUrlU, I., & AtalaO, O. (2012). Comparison of Loneliness, Trait Anger-Anger Expression Style, Self-Esteem Attributes with Different Playing Position in Soccer. *Journal of Physical Eucation & Sport, 12*(1), 39- 43. doi:10.7752/jpes.2012.01007
25. Lorenz, K. (1966). *On Aggression.* New York: Brace and World.
26. Mahoney, M., & Arener, M. (1977). *Psychology of Elite Athlete: An Exploratory Study* (Vol. 1). (C. T. Research, Ed.)
27. Mahrokh, D., & Ayoub, B. (2012). The Comparison of Aggression of Football players in Different Positions. *Science, Movement and Health, 12*(2), 314-319.
28. Maslow, A. (1971). *The farther reaches of Human Nature.* New York: The Viking Press.
29. Mouloud, K. (2016, February). Level of State Anxiety Among Youth Football Players According Different Playing Positions. *Sport Mont, 17*(1), 33-37. doi:10.26773/smj.190206
30. Mouloud, K. (2019). Level of State Anxiety among Youth Football Players According Different Playing Positions. *Sport Mont, 1*, 33-37. doi:10.26773/smj.190206
31. Mouloud, K., & Elkader, B. (2016, November). Self-efficacy and Achievement Motivation among Football Player. *The Swedish Journal of Scientific Research, 3*(11), 13-19. Retrieved 2019
32. Nayek, B., & Chatterjee, K. (2013). Comparative Study on Pre-competition Anxiety between National and State Level Women Athletes. *Journal of Sports and Physical Education, 1*(2), 33-36.
33. Prior, A. (1950). *Objects of Thought* . New York: Oxford at the Clarendon Press.
34. Purkey, W. (1988). *An Overview of Self-Concept Theory for Counselors.* ERIC Document Reproduction Service.
35. Rushall, B. (1989). *Mental Skills Training for Sports.* Sports Science Associates.
36. Rushall, B. (1995). *Mental Skills Training for Sports.* Springvalley CA: Sports Science Association.
37. S, A., & Chandrappa, N. (2017). A Comparative Study of Personality Traits Between Male and Female on Volleyball Player. *International Journal of Physical Education, Sports and Health, 4*(1), 260-261.
38. Safraoui, S. (2014, January). Physical, Emotional, and Competitive Aggression Tendencies in Contact and Non-Contact Collegiate Athletes. *Online Theses and Dissertations*, 220. Eastern Kentucky University.
39. Saraswat, R., & Gaur, J. (1981). *Approaches for the measurement of the self-concept- An Introduction* (Vol. 16 (3)). Indian Educational Review.
40. Schmidt, J., Pierce, A., Guskiewicz, K., Mihalik, J., Pamukoff, D., & Mihalik, J. (2016, May). Safe Play Knowledge, Aggression, and Head Impact Biomechanics in Adolescent Ice Hockey Players. *Journal of Athletic Training*, 366-372.
41. Sendhil, R. (2016, January). Relationship of Psychological Variables and Playing Ability among Hockey Players as a Function of Gender. *International Journal of Fitness, Health, Physical Education & Iron Games, 3*(1), pp. 25-30.
42. Sharma, L. (2015). A Comparative Study of Aggression Behaviour between Sports person and non-sports person of Bhiwani district . *International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2*(3), 180-182.
43. Sidhu, J., Singh, K., & Singh, C. (2011). Anxiety and Aggression level between male and female athletes at University Level: An Emprical Study. *Journal of Health and Fitness, 3*(1), 84-88.
44. Simon, J., & Martens, R. (1977). *Psychology of Motor Behavior and Sports: SCAT as a Predictor of A-States in Varying Competitive Situation: Human Kinetics* (Vol. 3).

Statistical Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Anxiety Scale

Group	Mean	Standard Deviation	SEM	SEDM	t-value	Significance Level (p)	Remarks
Attacker Boys (n=50)	18.75	2.94	0.416	0.645	0.356	0.7223	Not Significant
DefenderBoys (n=50)	18.52	3.49	0.494				

Df=98, Level of Significance=0.05, Table t-value=1.9

Statistical Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Aggression Scale

Group	Mean	Standard Deviation	SEM	SEDM	t- value	Significance Level (p)	Remarks
Attacker Boys (n=50)	12.54	2.46	0.3479	0.527	2.694	0.0083	Significant**
Defender Boys (n=50)	11.12	2.8	0.396				

Df=98, Level of Significance=0.05, Table t-value=1.98

Statistical Analysis of Attacker Boys and Defender Boys on Self- Concept Scale

Group	Mean	Standard Deviation	SEM	SED M	t- value	Significance Level (p)	Remarks
Attacker Boys (n=50)	175.46	16.03	2.267	3.887	2.091	0.0391	Significant
Defender Boys (n=50)	167.33	22.33	3.158				

Df=98, Level of Significance=0.05, Table t-value=1.98

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

A Brief Review of Summation of A Certain Function

Dr. Dalendra Kumar Bhatt*

***Asst. Professor, Govt. College, Sitamau, Distt. Mandsaur (M.P.) INDIA**

Abstract - A Journey of function rises in many branches to applied mathematics, physics, computer science and many more mathematical and numerical analysis. If we can't find identical value of a function then we approximated it by a specific class to process of summation. In general, approximation of a function helps us to find an identical value of a function among a predefined class that target a function in a well define path.
Keywords- Degrees of approximation, Approximation of a function, Fourier series, summability methods and generalize summability methods.
AMS Subject Classification2010: 40G05, 42A16, 42A24, 42B05, 42A10, 42B08.

Introduction - Approximations may be used because incomplete information prevents use of exact representations. An approximation is a representation of something that is not exact, but still close enough to be useful. Although approximation is most often applied to numbers, it is also used to such things as mathematical functions and other axioms etc.

The approximation of function has been discussed by number of authors like Bernstin [1912], Alexits [1928], Chandra [1975], Holland and Sahney [1976], Qureshi [1982] and Lal [2000] etc. But till now no work seems to have been done in the present work. In this attempt we make an advanced study on the approximation of function.

Goal of Investigation: In this paper, author deal with summation of a certain function. The object of the present paper is to rises A Journey of summation of a certain function. Summation is also a branch of both mathematical and numerical analysis. Summation is very helpful us to variety a specific class of process of a particular approximation method or interpolation.

We now define Fourier trigonometric series as: A Fourier series is a periodic function of the sum of an infinite set of sines and cosines. we can also use complex exponential function in place of sine and cosine. The Fourier series is named in honor of the great Mathematician Jean-Baptiste-Joseph Fourier (1768–1830), for his important contributions for the study of trigonometric series.

Let f be the periodic function with period 2Π and integrable in the sense of Lebesgue over[-Π,Π]. Then the Fourier series of f at a point t = x is given by

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

where a_0, a_n and b_n are the Fourier coefficients of f.

It is well known that the derived series of a Fourier series may not itself a Fourier series.

Summability Methods: There are many types of summation process of infinite series have specific class to process of summation. There are basically two processes of summation which are T- process and Pi- process.

The most commonly used method of Summability is the methods are Cesaro Summability, Borel's methods, Nörlund Summability, The generalized Nörlund Summability, Euler Summability, Matrix Summability and Riesz Summability etc. We can also use products of summability methods essentially serve the same purpose in dealing with divergent series as summability methods.

Conclusion: Summability methods mainly functionalized sequences or functions to another sequences or functions. Mostly summability methods are preserves convergence of the sequences or functions. An ancient summability method namely Cesaro begin summation process of infinite series. That was mile stone of summation process. That's give us a way to know how a sequence is summable with implies convergence. The Borel's method is another fundamental method for summation process. These methods, was introduced from the beginning of the 20th century by number of authors like Bernstin [1912], Alexits [1928], Flett [1956], Chandra [1975], Holland and Sahney [1976], Qureshi [1982], Lal [2000] and the string continue for further generalization by using a weaker conditions to make these as a particular cases.

Since the *Lip* $(\xi(t), r)$Class is generalization of α , $Lip(\alpha, r)$ class. And If $\xi(t)=t^{\alpha}$ then $Lip(\xi(t), r)$ class reduces to the *Lip* (α , r) class and if $r \to \infty$ then *Lip* (α , r) class reduces to the *Lip* α class.

Therefore this reduces to generalize the previous summation process by using weaker conditions on sequences or functions.

References:-

1. **Alexits, G.,** Convergence problems of orthogonal series, Pergamon Press, New York (1961).
2. **Borwein, D.,** A logarithmic Method of Summability, J. Lond. Math. Soc. 33. (1958), 212-220.
3. Chandra P., On the degree of approximation of functions belonging to the Lipschitz class,Vol 8, (Nanta Math. Pub.) 88-91
4. **Flett, T.M.,** On the degree of approximation to a function by the Cesáro means of its fourier series, Quart. Jour. Math. Vol. 7 (1956), 81-95.
5. **Hardy, G.H.,** Divergent series, First Edition, Oxford University Press, 70, (1949).
6. **Holland ASB and Sahney BN**., On the degree of approximation by (E, 9) means, Vol 11,(Studia Sci. Math. Hung.), (1976)431-435.
7. **Lal S.**, On the degree of approximation of Lipschitz function by (N, p_n)(C, 1) means of its fourier seris,Vol 31,(Ranchi Univ. Math. Jour. Ranchi), (2000)79-85.
8. **Qureshi K.,** On degree of approximation of a functions belonging to the class Lip α, Vol 13,(Indian Jour. of pure and Appl. Math. India), (1982) 898-903.
9. **Töeplitz O.,** Uber allgemeine linease Mittelbildunges, Vol 22,(Prace Mat., fiz), (1913) 113-119.
10. **Zygmund, A.,** On the degree of approximation of function by Fejér means, Bull. Amer. Math. Soc., vol-5, (1945), 274-278.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विपणन का तुलनात्मक अध्ययन

दिलीप कुमार कुशवाह* डॉ. पुष्पलता चौकसे**

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहगढ़ (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – ऑनलाइन विपणन से आशय ऐसे विपणन से है जिसमें उपभोक्ता इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से कभी भी और कहीं से भी 24 घंटे खरीदारी कर सकते हैं। आधुनिक युग में व्यस्त जीवन शैली, अत्यधिक ट्रैफिक और ईंधन के लगातार बढ़ते दामों के कारण ऑनलाइन विपणन काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। विक्रय की पूर्व निर्धारित एवं निश्चित शर्तें, माल वापसी की गारंटी, ऑनलाइन भुगतान सुविधा सुपुर्दगी पर भुगतान की सुविधा, सामान वापसी की स्पष्ट नीति आदि सुविधाओं की वजह से ऑनलाइन विपणन काफी लोकप्रिय हो गया है।

शोध का औचित्य– ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विपणन के लाभ एवं सीमाओं के बारे में अध्ययन करना।

ऑनलाइन विपणन के लाभ – ऑनलाइन विपणन में उपभोक्ताओं कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती हैं। इसलिये ऑनलाइन विपणन बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ऑनलाइन विपणन के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

1. समय की बचत।
2. श्रम की बचत।
3. ईंधन की बचत।
4. निश्चित एवं पूर्व निर्धारित विक्रय शर्तें।
5. ऑनलाइन भुगतान एवं सुपुर्दगी पर भुगतान की सुविधा।
6. विक्रय वापसी की सुविधा।
7. उत्पाद का प्रदर्शन एवं विवरण।
8. मानक साइज के उत्पादों के लिये उपयुक्त।
9. कतिपय उत्पादों के लिये उपयुक्त।
10. सरकार को उचित कर की प्राप्ति।

समय की बचत – ऑनलाइन विपणन में उपभोक्ता घर बैठे, कार्यस्थल से अथवा कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से खरीददारी कर सकता है। ऑफलाइन विपणन की तरह बाजार जाकर वस्तुओं को नही खरीदना पड़ता परिणामस्वरुप उपभोक्ता के समय की बचत होती है।

श्रम की बचत – ऑनलाइन विपणन में कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से खरीददारी की जा सकती है। अत: उपभोक्ता के श्रम की बचत होती है।

ईधन की बचत – ऑनलाइन विपणन में उपभोक्ता को बाजार नही जाना पड़ता परिणामस्वरुप बाजार आने-जाने में लगने वाले अनावश्यक ईधन की बचत होती है।

निश्चित एवं पूर्व निर्धारित विक्रय शर्तें – ऑनलाइन विपणन में सामान्यतया विक्रय की निश्चित एवं पूर्व निर्धारित विक्रय शर्तें होती है। अत: उपभोक्ता को ठगे जाने का भय नही रहता।

ऑनलाइन भुगतान एवं सुपुर्दगी पर भुगतान की सुविधा – ऑनलाइन विपणन में अधिकतर भुगतान ऑनलाइन होते हैं एवं उपभोक्ता को सुपुर्दगी पर भुगतान की सुविधा भी दी जाती है।

विक्रय वापसी की सुविधा – ऑनलाइन विपणन में अधिकतर कम्पनीज ग्राहक को माल पसंद न आने पर माल वापसी की सुविधा भी देती हैं।

उत्पाद का प्रदर्शन एवं विवरण – ऑनलाइन विपणन में उत्पाद का ऑनलाइन लिया जाता है एवं उससे संबंधित पूर्ण विवरण भी उपलब्ध करवाया जाता है।

मानक साइज के उत्पादों के लिये उपयुक्त – ऑनलाइन विपणन मानक साइज के उत्पादों जैसे-गार्मेंट्स, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक आयटम के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है।

कतिपय उत्पादों के लिये उपयुक्त – कतिपय उत्पादों जैसे महिलाओं के अंडर गार्मेंट्स के लिये ऑनलाइन विपणन उपयुक्त है। भारत में कई बार महिलायें संकोच वश अपनी पसंद को ठीक प्रकार से प्रकट नहीं कर पातीं। ऐसी स्थिति में उनके लिये ऑनलाइन विपणन एक उचित माध्यम है।

सरकार को उचित कर की प्राप्ति – ऑनलाइन विपणन में प्रत्येक व्यवहार (Transaction) का लेखा होता है। वस्तुओं पर विभिन्न दर से कर लगाया जाता है। चूँकि सारे व्यवहार लिखित होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अत: सरकार को उचित कर की प्राप्ति होती है।

ऑनलाइन विपणन की सीमाएं – ये सही है कि ऑनलाइन विपणन तेजी से प्रगति कर रहा है। फिर भी ऑनलाइन विपणन की कुछ सीमाएं भी हैं। जो अग्रलिखित हैं -

1. उत्पाद को छूकर देखने की सुविधा नहीं।
2. मोल-भाव का अभाव।
3. विक्रेता और उपभोक्ता के परस्पर संबंधों का अभाव।
4. कतिपय उत्पादों के लिये ही उपयुक्त।
5. छोटे खुदरा व्यापारियों के लिये चुनौतीपूर्ण।

उत्पाद को छूकर देखने की सुविधा नही – ऑनलाइन विपणन में उपभोक्ता वस्तुओं को केवल स्क्रीन पर देख सकता है। वस्तु को छूकर उसकी गुणवत्ता का पता नही लगा सकता।

मोल-भाव का अभाव – ऑनलाइन विपणन में विक्रय की शर्तें निश्चित एवं पूर्व निर्धारित होती हैं इसलिये उपभोक्ता को मोल-भाव करने की सुविधा नहीं होती।

विक्रेता और उपभोक्ता के परस्पर संबंधों का अभाव – ऑनलाइन

विपणन में विक्रेता और उपभोक्ता के बीच भौतिक सम्पर्क नहीं हो पाता। जिससे विक्रेता और उपभोक्ता के बीच परस्पर सम्बंध का अभाव रहता है।

कतिपय उत्पादों के लिये ही उपयुक्त – यद्यपि ऑनलाइन विपणन तेजी से विकसित हो रहा है लेकिन आज भी ऑनलाइन विपणन कतिपय उत्पादों के लिये ही उपयुक्त है।

छोटे खुदरा व्यापारियों के लिये चुनौतीपूर्ण – तेजी से विकसित ऑनलाइन विपणन ने छोटे खुदरा व्यापारियों के लिये बड़ी चुनौती है। अपने सीमित संसाधनों के कारण वे बड़ी ऑनलाइन कंपनीज से प्रतियोगिता नहीं कर पाते।

ऑफलाइन विपणन – ऑफलाइन विपणन में उपभोक्ता एवं विक्रेता के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता व्यवसायिक परिसर में पहुंचकर, वस्तु के मूल्य, गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त होकर अपनी पसंद की वस्तु खरीदता है। ऑफलाइन विपणन में विक्रय की शर्तें, मूल्य, गारंटी विक्रेता और क्रेता के द्वारा विक्रय के दौरान तय की जाती हैं। भुगतान का तरीका विक्रेता और उपभोक्ता परस्पर बातचीत करते करते हैं।

ऑफलाइन विपणन के लाभ – ऑफलाइन विपणन या परम्परागत विपणन के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं :

1. उत्पाद को स्पर्श कर के देखने की सुविधा।
2. परख कर देखने की सुविधा।
3. मोल–भाव की सुविधा।
4. विक्रय कला का उपयोग।
5. परिवार के साथ जाकर खरीददारी का आनन्द।
6. विक्रेता एवं उपभोक्ता के बीच मधुर संबंधों का लाभ।
7. उधारी की सुविधा।
8. उपभोक्ताओं को उपहार।

उत्पाद को स्पर्श करके देखने की सुविधा – ऑफलाइन विपणन में उपभोक्ता व्यवसायिक परिसर में जाकर वस्तुयें खरीदता है। वह वस्तुओं को छूकर देख सकता है और उसकी गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त हो सकता है।

परख कर देखने की सुविधा – ऑफलाइन विपणन में उपभोक्ता वस्तुओं को परख कर देख सकता है और सही माप के बारे में आश्वस्त हो सकता है।

मोल–भाव की सुविधा – ऑफलाइन विपणन में उपभोक्ता दुकानदार से वस्तु का मोल–भाव करके वस्तु खरीद सकता है। ऑनलाइन विपणन में यह सुविधा नही होती।

विक्रय कला का उपयोग – ऑफलाइन विपणन में विक्रय कला का महत्वपूर्ण स्थान है। ऑफलाइन विपणन विक्रेता की कला पर अत्यधिक निर्भर करता है। इस प्रकार ऑफलाइन विक्रय कला का उपयोग होता है।

परिवार के साथ जाकर खरीददारी का आनन्द – ऑफलाइन विपणन में बाजार, सुपरमार्केट एवं माल्स में परिवार सहित जाकर खरीददारी का आनन्द लिया जा सकता है। खरीददारी के साथ– साथ खाने का आनन्द भी लिया जा सकता है।

विक्रेता एवं उपभोक्ता के बीच मधुर संबंधों का लाभ –ऑफलाइन विपणन में उपभोक्ता व्यक्तिगत रुप से व्यवसायिक परिसर में पहुंचकर वस्तुओं को खरीदता है। परिणामस्वरुप विक्रेता और उपभोक्ता के बीच मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं। जिसका लाभ दोनों पक्षों को मिलता है ।

उधारी की सुविधा – ऑफलाइन विपणन में बहुत से विक्रेता अपने नियमित ग्राहकों को उधारी की सुविधा देते हैं। ये सुविधा साधारणतया ऑनलाइन विपणन में नही पाई जाती।

उपभोक्ताओं को उपहार – ऑफलाइन विपणन में विक्रेता अपने नियमित उपभोक्ताओं को त्यौहारों के अवसर उपहार देते हैं। ये विशेषता ऑनलाइन विपणन में प्राय: नहीं पाई जाती।

ऑफलाइन विपणन की सीमाएं – ऑफलाइन विपणन के लाभों के साथ–साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जो अग्रलिखित हैं :

1. अधिक समय लगना।
2. अधिक श्रम लगना।
3. ईधन का अनावश्यक उपयोग।
4. विक्रय की शर्तों का पूर्व निर्धारित न होना।
5. मोल–भाव में उपभोक्ताओं को ठगे जाने का भय।
6. सरकार को राजस्व की हानि।

अधिक समय लगना – आजकल ज्यादातर बड़े शहरों में ट्रेफिक की समस्या आम बात है। ऑफलाइन विपणन में उपभोक्ता का बाजार जाने– आने में अत्यधिक समय लगता है।

अधिक श्रम लगना – ऑफलाइन विपणन में बाजार जाने और खरीददारी करने में अनावश्यक श्रम लगता है।

ईधन का अनावश्यक उपयोग – ऑफलाइन विपणन में समय और श्रम के साथ ईधन का भी अनावश्यक उपयोग होता है।

विक्रय की शर्तों का पूर्व निर्धारित न होना – ऑफलाइन विपणन में विक्रय की शर्तें प्रायरू पूर्व निर्धारित नही होती। वे उपभोक्ता और विक्रेता के बीच परस्पर बातचीत से तय होती हैं। जिससे कई बार उपभोक्ता को ठगे जाने का डर रहता है।

मोल–भाव में उपभोक्ताओं को ठगे जाने का भय – ऑफलाइन विपणन में विक्रेता विक्रय कला में निपुण होते हैं। इसलिये मोल–भाव में उपभोक्ताओं के ठगे जाने का भय रहता है।

सरकार को राजस्व की हानि – ऑफलाइन विपणन में कई बार विक्रेता उपभोक्ता को पक्का बिल नही देते। जिससे बेचे गये माल पर कर नही चुकाया जाता। परिणामस्वरुप सरकार को राजस्व की हानि होती है।

उपसंहार – उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आज भी ऑफलाइन विपणन प्रासंगिक है। यद्यपि ऑनलाइन विपणन काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है फिर भी ऑनलाइन विपणन कतिपय उत्पादों तक ही सीमित है। आज भी सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता ऑफलाइन खरीदारी करते हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन विपणन काफी लोकप्रिय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Andrews, R.L. and Currim, I.S. (2004) `Behavioural differences between consumers attracted to shopping online versus traditional supermarkets: implications for enterprise design and marketing strategy', Int. J. Internet Marketing & Advertising, Vol.1,No.1,pp.38–61.
2. Andrianto Widjaja and Yosua Giovanni W (2018) Impact of Online to Offline (O2O) Commerce Service Quality and Brand Image on Customer Satisfaction and Repeat Purchase Intention, International Journal of Advanced Engineering, Management and Science (IJAEMS), Vol-4, Issue-3, pp.163-170
3. जैन, डॉ. एस.सी. (2013) 'उपभोक्ता व्यवहार', विपणन के सिद्धांत कोड़ 2515, साहित्य भवन पब्लीकेशन आगरा, पेज नं. 27–50

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Necessity of Uniform Civil Code in India: A Study

Dr. Sunil Kumar Pandey* Aditya Verma**

***Principal, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**
**** B.A.LLB(Hons) 09th Sem., Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - This paper talks about the nature, idea and concept of uniform civil code. The basic question that whether uniform civil code is demand of time has been tried to answer in this research paper. In this paper the issues and challenges have also been discussed. Firstly this paper start off with an introduction to the uniform civil code, it's origin and the basic nature of our country in respect of religion.

Then this paper talks about how the problem of gender inequality has arose in the past and still going on in Hindu personal law as well as Muslim personal law. The Most important point how the implementation of uniform civil code will contribute in women empowerment and upliftment of the status of women in areas like family and marriage. No doubt uniform civil code can be a great source to secure gender equality.

The need of the uniform civil code was understood back then also to avoid discrimination, hatred and partition. As we go ahead this paper discusses about the correlation between uniform civil code and secularism and also how implementation of UCC will decrease the dirty politics during elections and other disputes in the name of religion. After that as we mentioned earlier it discusses whether the UCC should be implemented in a country like India or not and its merits and demerits.

This paper talks about the cases and it's judgement by the court towards uniform civil code.

In the end this paper winds up with conclusion and suggestion.

Introduction - India's diversity includes a wide range of ethnicities and religions. In India we may find people from all walks of life who practice a wide variety of practices. This diversity is mirrored in our legal system, which is built on personal rules that take religious beliefs into account. Article 25 of the Indian constitution declares India to be a secular nation, and the values of secularism are established in that article, which stipulates that everyone is free to practice their faith and that no one is discriminated against on any grounds.

Article 44 of the Directive Principles of State Policy states that it is the state's responsibility to ensure that citizens throughout the country have access to a uniform civil code. Another name for it is "one country, one rule." The major goal of enacting a standard Civil Code in India is to provide a legal framework that governs the personal affairs of all citizens, regardless of faith. Personal laws differ from public laws in that they cover marriage, inheritance, adoption, divorce, and maintenance. India follows a secularist model in which it makes special provisions for people of all different religions, and the main idea behind the Uniform Civil Code is to treat everyone equally regardless of religion.

The current issue stems from the fact that there are variations and contradictions in personal laws. There is no consistency. There have also been cases where personal laws have rejected or refused to grant women their rights. The Uniform Civil Code can be enacted to address these flaws. The Uniform Civil Code is a set of uniform personal laws pertaining to all citizens of the United States. This code will supersede India's existing religious personal laws, creating a uniform rule that will apply to all citizens, regardless of religion. Under Article 44 of our Constitution, the framers intended for this to happen.

Historical background: Around the turn of the twentieth century, a movement for a Uniform Civil Code arose in response to demands for women's rights, equality, and secularism. It is possible that the historical analysis from the colonial period is relevant. A conflicting system of personal laws exists in a multicultural country like India. During the British Raj, personal laws were initially drafted, mostly for Hindus and Muslims. Britishers extended legislative exemption to certain specific areas of Hindu and Muslim legislation because they believed that interfering in religious matters would be detrimental to their peaceful trade.

The decision to include it in the Directive Principles of State Policy, Article 35 in the draft Constitution, and Article 44 in the final Constitution was predicated on assurances from Nehru and Gandhi that the The uniform civil code's

passage would be postponed, but that it would remain a state goal. This compromise, however, was met with strong opposition, with critics claiming that personal rules based on religion create divisions within the society by compartmentalizing various elements of life. In the decades thereafter, the The uniform civil code debate has centered on how to reconcile the competing stances of inviolability that each set of rights claims for itself, a space produced by the challenge of individual vs. group rights.

Despite substantial resistance from traditional Hindus, the Indian government enacted the Hindu Code Bill. It was the country's first significant democratic movement. Until 1947, a few laws were passed to better the status of women; one example is the Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939. Following that, the legislature wing of the state enacted.

- The Special Marriage Act 1954
- The Hindu Code 1955-56
- The Dowry Prohibition Act 1961.

In 1985, when the Shah Bano case was at its peak, Uniform Civil Code garnered a lot of attention. It is at the centre of far too many conversations about the contentious issue of Uniform Civil Code.

Concept of Uniform Civil Code: It is to be noted that uniform civil code which is into itself the sense of 'uniformity' which is to be brought in the secular state and the applicability of such code extends to all the citizens irrespective of their religion, caste and tribe.

After being applicable to all, such a code becomes futile pertaining to our personal laws whether it is Hindu law, Muslim law or any other personal law in which the issues related to marriage, divorce, succession, inheritance, adoption and other family matters.

There is multiplicity of family laws in India and they have their own personal laws like the Hindus have their Hindu law (Hindu Marriage Act, 1955), Muslims have their Muslim law, Christians have their Christians Marriage Act, 1872, the Indian Divorce Act, 1869, the Jews have their uncodified customary marriage law, Parsis have their own Parsi marriage and Divorce Act, 1936 and other laws.

It is seen personally so far that each person carries his own law wherever he goes in India. The personal laws vary widely on the basis of their sources, philosophy and application. Therefore, an inherent difficulty and resistance is seen so as to bringing people together and to unite them when they are governed by different religions and personal laws.

Personal Laws and Uniform Civil Code: The personal laws are taken from the customs which were favourable to the men society. The reason behind the arrival of Hindu and Muslim personal laws in the early 20th century was to protect the private realm of the family and keep away from the eyes of the colonial state. The men are always considered superior in personal matters such as marriage, adoption, maintenance or even the succession. Women are discriminated in every aspect of life. Before 1955 polygamy which is a custom of having more than one wife at the same time was common among the Hindus. Even when polygamy was abolished from Hindu Personal Law there was an aggressive reaction by Hindu men who threatened to convert into Islam as they felt that they were being deprived of their customary rights.

According to the Hindu Succession Act 1956, the rights of inheritance in ancestral property were not given to daughters. At present all the Hindus have also different Hindu Personal Law based on the states of India, like a person who belongs to Sikh religion is allowed to carry a dagger known as kripan but at the same time if others carry it they will be arrested by the police. In the case of adoption a Hindu women is not allowed to adopt a child and for that matter she cannot even become natural guardian of her own child till the lifetime of her husband.

In the case of Muslim society it is equally harsh and discriminating against women. From the beginning itself the women are given secondary status. In Islamic religion, husband is allowed to marry and have more than one wife but the same rule does not apply to the wife as she will consider impure. There are several laws which infringes women's right and one of them is "Triple Talaq." According to Triple Talaq a Muslim man can give divorce to his wife by saying Talaq thrice and wife cannot do anything about it. India is filled with cases where husband have divorced their wives over phone calls, messages etc. Under Muslim Personal Law a Muslim man is liable to give maintenance only till the period of Iddat and not beyond it.

Based on the above personal laws a demand for the implementation of UCC in India raised by the people and especially women all over the country. They felt the need of Uniform Civil Code to fill the gap of equality. The dissatisfaction and feeling of letdown was conveyed by the All India Women's Conference (AIWC) with male dominated legislature.

Uniform Civil Code and Indian Constitution: Article 44of the Indian Constitution (Directive Principles of the State Policy) states that "The state shall endeavor to secure for its citizens a uniform civil code throughout the territory of India."

This article has always been a subject of debate and such debate has also left the subject of this article i.e. uniform civil code staggering and whirling in an orbit on an axis on its own with the rotating public opinion.

The Constitution of India enshrines Article 44 of the DPSP with a view to achieve the uniformity of law, its secularization in order to make it equitable and non-discriminatory.

The preamble of the Indian Constitution which constitutes a Secular Democratic Republic' which implies that there shall be no state religion and no state shall discriminate on the basis of religion. The uniform civil code must strike a balance between the protection of fundamental

rights and religious principles of different communities of personal laws of each religion that comprises of separate ingredients and are founded on different ideologies. It is often seen that Communalism breeds discrimination at two levels:

- Between people of different religions and
- Between the two sexes

It was only the Hindu law where its codification was taken forward that too in spited of great protest but till now codification of Muslim law is still a sensitized issue owing to its politization.

Need for Uniform Civil Code and Merits: Uniform Civil Code is of highly necessity for the individuals belonging to different religions and denominations. And not only this, bringing this uniformity is exigent for the promotion of national unity. In order to achieve this goal, adhering to the spirit of secularism, various divergent religious ideologies must merge into a common and unified principles and objectives. The idea behind having this uniform civil code that governs personal laws is to treat every person equally with just and fair laws. Moreover, such code would aid to put in place the set of laws which would govern personal matters of all citizens irrespective of their religion, which is the cornerstone of secularism.

Another purpose of having this code would ensure national unity and integrity, to put an end to gender discrimination and also to strengthen the secular fabric. It is to be noted that the emphasis has been laid only on the gender friendly reforms of personal laws which is seen from Shah Bano case to Shayara Bano case who filed PIL in the Supreme Court in which triple talaq was declared unconstitutional. It is noteworthy that in the political and social scenario, the liberal sections of the society are demanding this code to be put into effect which would govern individuals across all religions, caste and tribe and to protect their fundamental and constitutional rights as guaranteed by the Constitution of India.

Merits of Uniform Civil Code

If the concept of One Nation One Code is enacted and enforced:

It would accelerate national integrity,
There could be avoidance of overlapping of provisions of law,
Litigation would decrease due to personal law,
There would be arousal of sense of oneness and the national spirit and

There would be a new phase of the country with new force and power which would aid to face any odds after finally defeating the communal forces.

The instances of such oneness and integrity are Israel, Japan, Russia and France.

The achievement of uniform civil code becomes more desirable when it comes to the diversity of the matrimonial laws, simplify the Indian legal system and make Indian society more homogeneous. The uniform civil code will envisage uniform provisions that will be applicable to everyone and which will be based on social justice and gender equality in family matters.

Role of Indian Judiciary: The judiciary has faced a plethora of problems in upholding the social reforms in the private sphere that the legislation tries to bring through various enactments. There is a surfeit of cases that takes into consideration the concept of Uniform Civil Code. Some of them are as follows:

Mohd. Ahmad Khan v. Shah Bano (referred to as Shah Bano case) in which a divorced Muslim woman was brought within the ambit of Section 125 of Code of Criminal Procedure, 1973 by the Supreme Court in which it was declared by the Apex court that she was entitled for maintenance even after the completion of iddat period.

S.R. Bommai v. Union of India, it was held by the court that religion is the matter of individual faith and cannot be mixed with the secular activities. Secular activities can be regulated by the State by enacting a law.

Sarla Mudgal v Union of India 1995, in which Justice Kuldip Singh reiterated the need for the Parliament to frame a Uniform Civil Code, which would help the cause of national integration by removing contradictions based on ideologies. Therefore, the responsibility entrusted on the State under Article 44 of the Constitution whereby a Uniform Civil Code must be secured has been urged by the Supreme Court repeatedly as a matter of urgency.

Mary Roy v. State of Kerela , where it was argued before the Supreme Court was that certain provisions of Travancore Christian Succession Act, 1916, were unconstitutional under Art. 14 Under these provisions, on the death of an intestate, his widow was entitled to have only a life interest terminable at her death or remarriage and his daughter. It was also argued that the Travancore Act had been superseded by the Indian Succession Act, 1925. The Supreme Court avoided examining the question whether gender inequality in matters of succession and inheritance violated Art.14, but , nevertheless, ruled that the Travancore Act had been superseded by the Indian Succession Act Mary Roy has been characterized as a "momentous" decision in the direction of ensuring gender equality in the matter of succession.

Bai Tahira v. Ali Hussain Fisaalli, according to the Ambedkarian point of view, he states that:

"Speaking for myself, there are several excellent provisions of the Muslim law understood in its pristine and progressive intendment which may adorn India's common civil code. There is more in Mohammed than in Manu, if interpreted in its humanist liberalism and away from the desert context, which helps women and orphans, modernises marriage and morals, widens divorce and inheritance."

State of Bombay v. Narasu Appa Mali,in this case the constitutional validity of the Bombay (Prevention of Hindu Bigamous Marriages) Act, 1946 was to be determined by the High Court of Bombay. One of the two major contentions

was that it was violative of articles 14 and 15 since the Hindus were singled out to abolish bigamy while the Muslim counterparts remained at full liberty to contract more than one marriage and this was discrimination on the grounds of religion. Questions such as these were raised due to an absence of a common civil code and clash of different principles in different personal laws.

Srinivasa Aiyar v. Saraswati Ammal,in this case the High Court of Madras upheld the validity of Madras Prohibition of Bigamy Act on similar grounds.

Conclusion and Suggestion: As we evaluate the different viewpoints mentioned above the best possible solution to the problems is the implementation of UCC. We need to make personal laws uniform for all the citizens regardless of religion. The bill of UCC was passed but due to opposition and criticism it never happened. UCC in India is a dream for the members of Constituent Assembly, Judges, and legal scholars as they know the importance and need for it in a country like India.

It is very important for the people to realize and understand that law and religion are very different sphere and it should not be combined together. UCC is not about threatening the minorities but to unite every individual and prevent discrimination. This will not only help the citizens but overall the nation itlelf to become a progressive and a developed nation.

Even the courts have emphasized the Parliament to introduce the UCC in the country. By but no sincere effort has been made to move even one step forward to implement living in a secular nation. Since the Independence the debate on UCC has been going on UCC.

The main thing which people needs to understand is that UCC is not violative of article 25. People will be allowed to follow any religion according to constitution without any kind of hindrance. This is a crucial need to bring UCC in India and I hope shortly we will make our personal laws uniform and achieve the aim to be a truly democratic nation. The previous discussions which have been made in the above debates have led to suggest the following measures:

The state being disinclined to impose Uniform Civil Code on diverse people, in such circumstances, the minimum a state should do to generate those conditions that will make a progressive outlook of the people.

Muslims being the most backward among the minorities in India, the only solution is to spread education Muslims masses. It becomes the duty of the Muslim intelligentia to educate the Muslim community about its rights and obligations.

A good environment for the Uniform Civil Code must be prepared by the government by explaining the contents and significance of Article 44 of the Indian Constitution.

Social reforms should be brought slowly and steadily by the State.

An attempt should be made to enact a model Uniform Civil Code embodying what is best in all personal laws. It must be a synthesis of the good in our diverse personal laws.

References:-

1. The Constitution of India By M.P.Jain
2. Wikipedia
3. Case Laws
4. Articles
5. Legal Service India

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Development of Legal Langauge in India

Dr. Humera Qureishi* Salim Ajmeri**

*Assistant Professor (English) Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA
** LL.B. Final Year, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Language is the expression of thought by means of speech-sound. It is sum-total of such signs of our thoughts and feelings as are capable of external perception and as could be produced and repeated at will. Language means a system of words and their use and it is a way or communicating, ideas, feelings and desires by means of a system of sound symbols. The dictionary meaning of the word "language is system of sounds, words, patterns, etc., used by humans to communicate thoughts and feelings. It also means 'words, phrases, etc.,' used in a sentence form by a particular group of people. Legal English language is a specialized kind of language used by such people as, lawyers, judges, and others who need to use such language among themselves for professional needs for oral or written communication. However, legal English is not only for professionals within the field of law. Many laymen find themselves facing the use of legal English many times in their lives, when they take part in social and legal acts; understanding of legal text becomes a necessity. Legal language, the way we know it today, has gone through centuries of development and has been shaped by many internal and external forces. This paper looks at the past and present of legal English.
Keywords- Language, Expression, Legal, English, Development, Communication.

Introduction - English is the main language of law, international business, and general global communication. It is certainly considered the main legal language in the European Union. Legal English is globalized and widely accepted. It is used by lawyers and other professionals in the field of law. Legal language is a language of very specific characteristics regarding its terminology, structure, grammar, punctuation, and other conventions. The development of Legal English has been molded together with the history of Great Britain and its legislation and common law. For many centuries English has been the official language of British population, but French and Latin languages have had major influence on legal English. Many archaic linguistic forms still used in legal English today are the result of just such circumstance. Legal English, language that is such an important part of people's existence, specifically in times when dealing with difficult situations, is one that is not always easy to understand by common citizens.

The English language, as Tiresome (The Nature of Legal language) suggests, has gone through centuries of development. It has been shaped by history, principally by major political, societal, and industrial events. Legal English as a variety of the English language is no exception. Throughout the history of English language, or in this case the history of legal English, the linguistic consequences of the turmoil, constant changes, and modifying events cannot be overlooked. They are evident in the style, structure, and morphology of contemporary legal English, a language that every legal professional – including a legal translator –uses every day. It is imperative that legal translators have solid knowledge base of the development of legal English and are aware of the influences that shaped it throughout the centuries.

System of the administration of justice was introduced in India with the firm root of British rule. Indian Legal System is based on the Anglo-Saxon legal system. As is the case of legal system so is the case with legal language. India does not have legal language developed out of our indigenous system and languages. Along with English many other languages are inseparably associated with the legal language. English is born Anglo-Saxon legal system in which Celt and Anglican were indigenous languages of the England and Saxon was a German language. English continued words derived from many languages of titanic and Romanic school in Europe. English enriched by accepting words from other languages such as Latin, Greek, French, etc. In this background legal language in India mainly based on English, the alien language and is bound to be problematic in India. consensus because of the Norman Conquest, French became the official language of the courts in England. The English language was spoken by the majority of people in England; it was the language of the common people. However, the court, as well as the

government, legal officials, religious dignitaries, and military representatives used French, which was at that time considered to be the language of upper classes. This fact can be used to explain the influence of French on the development of the English legal language. The strong influence of French on contemporary legal English can be seen in many key legal terms, such as agreement, attorney, claim, contract, covenant, guardian, trespass, pledge, obligation, debt, agreement, and many more.

As much as French influenced the development of the English legal language, it was Latin that was the preferred language when writing legal documents. Latin would ultimately have more influence on English than French in the Middle English period. Loaned Latin legal terms changed pronunciations of Germanic or English words. For a long time, Latin remained the language of scholarship and science. It was taught through the medium of French. It is suggested that Latin terms were pronounced and spelt in the French way, so in many cases it is quite hard to discriminate whether certain English words are of French or Latin origin due to the mutual influence of both languages.

It is safe to say that the centuries of influence of other languages on English has left a major mark on the contemporary language. According to Holds worth (1956: 14), one cannot become a professional in the legal field "without the knowledge of the authentic books of the law in their genuine language" , where French and Latin are considered genuine language.

Each subgroup of legal English has its own characteristics, vocabulary, and multiple typical features. However, regardless of which subgroup of legal English is considered, legal English in general follows very strict rules regarding its style, tone, morphology, level of formality, and grammatical structures in both its oral and written form. It is expected that these rules be applied under any circumstances, whether in original legal documents or their translated versions. Failure to do so can have potentially devastating consequences, as it would take away the uniformity and universality of legal language, or cause possible misunderstandings, which have to be avoided at any cost to maintain the value of the document. Therefore, utmost care must be taken and detailed studies or research must be done before drafting and translating such documents.

One of the obligatory aspects of legal English is its preciseness. Hunt (2002:114) declares that "ambiguity is the most serious disease of language and nowhere is the absence of this disease more important than in legislation". In other words, general language can and often is vague, but in legal language, ambiguity is decidedly detrimental, as it can lead to negative consequences. Hunt argues that preciseness is closely related to clarity. He defines precise language as "that which is unambiguous and capable of only bearing the meaning intended by its author". Hunt (2002: 116) adds, "Plain language is not necessarily clear language." In other words, if a piece of language is understood by someone, it does not automatically mean that the exact and intended meaning is being communicated. Despite a clear need for legal language to be specific, precise, formal, and universal, a movement for simplification of legal English has formed and is likely to make a mark on the way in which legal English is perceived and created.

Lack of knowledge in the field of legal language does not excuse one from liability. It is widely accepted that every person is to know what the law is; and if he/she does not, he/she must make true efforts to learn the law. The same goes for the complex phenomenon that is legal language. Legal language, in all its complexity and splendor, is here to serve as a communication tool in everyday law- related situations. It is not, as much as we would like it to be that way, just a language of lawyers; common people face it regularly as well.

Conclusion: Looking into the history of legal English, one can gain understanding of the complexity of certain legal expressions. Globalization of legal English may, however, need lead to making this language more accessible to everyone. That is what language is, always fluid, always malleable, always there to express the ideas of the very people who shape it. Conclusion of law means **a determination of the law applicable to a finding of fact**. law means a legal decision of a government agency regarding a legal question or controversy made by applying relevant statutes, regulations, rules, or other legal principles to the facts of the case.

References:-

1. Legal Language, Legal Writing and General English (Sixth Edition, 2014) by Dr. S. C. Tripathi, Central Law Publications.
2. Legal Language, Legal Writing and General English by B.M. Gandhi, Edition 1nd 2009) Publisher – Eastern Book Company.
3. Hold worth, W.S. (1956) : History of English Law, Vol. 1 (7th Edition), P. 14 (2002).
4. Legal Language and Legal Writing by Dr. S R Myneni (Edition 2nd 2020) , Publisher - Asia Law House.
5. Textbook on Legal Language & Legal Writing by Prof. Dr. K.L. Bhatia (3rd Edition , 2016) Publisher – Lexis Nexis.
6. Legal Language Legal Writing & General English by S.K Mishra, Edition 2018 Publisher – Allahabad Law Agency.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Invasion of Privacy Right By Visual Media: A Need for Regulation

Gayatri Yadav* Mahima Sharma**

*Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA
**LLM 3rd Semester, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - When you think of the term '*privacy*', do you think of it as being more closely associated with a right or a privilege? If you chose the latter option, it is because we, as Indians, have grown up in a culture that has progressively desensitised privacy as a fundamental value over the years. As spying culture becomes more commonplace in random neighbourhoods, the soothing notion of assessing someone else's life by keeping a close check on their everyday behaviours has sadly permeated into the professional industry of journalism as well. It is widely acknowledged that the general public has a 'right to know' about a wide range of events that take place in and around us. When it comes to knowledge sharing, the media is essential. It has a significant impact on the formation and moulding of public opinion. The degree to which this 'right to know' exists, as well as the tension that arises between this right and the right to privacy, will be discussed in depth.
Keywords- Fundamental Rights, Privacy, Media, Visual Media, Invasion.

Introduction - Different Facets: The moderate impulse to gossip has developed into an obsession, with the content of the media being forced to be as invasive as possible to satisfy the addiction. The media, did not hold back in delivering what the audience desired. Views are worth money, and the greater the number of individuals who participate in this invasion of privacy, the greater the validation of the media's job. "In the case of *Olmstead v. United States*, the right to privacy was defined as the right to be left alone." Privacy may also be defined as the freedom to make choices about one's own affairs, as well as the right to be free from any kind of intervention by the government or other institutions in one's personal affairs.

It is possible to raise legitimate concerns about the public execution of a fundamental right in a society of over 8 billion people, but such concerns are quickly drowned out by the enormous need for pleasure that can only be satisfied by immersing oneself in the lives of others. Some people are never made aware that Article 21, which is best known as the article on the right to life, actually devotes a few lines to another right that is as vital, the right to privacy, which is not commonly known. Others, on the other hand, are not concerned enough to express their displeasure; I'm not sure which is more frightening: their ignorance or their desensitivity. From television news networks to 60-second news pieces on social media, even news in the form of memes is extensively disseminated and spreads worldwide. Half-truths and personal information, particularly about celebrities, become subjects of conversation for days on end, leaving them with no choice but to knock on the doors of the legal system in order to shield themselves from the prying eyes of the press.

"Articles 19 and 21 of the Indian Constitution expressly state that they have been given the opportunity to exercise their right to speak and express themselves, as well as the freedom they enjoy as a result of our laws, as well as the rules and regulations that established our legislative assembly decades ago." It is true that the right to freedom of expression may truly be pushed to a whole new level, transcending the constraints that already exist, but governments attempt to keep the freedom under control so that it does not interfere with the functioning of the government. Individual liberty and privacy are both protected under Article 21 of our Constitution, which is widely recognised as being essential to human well-being. The right of a human being or a citizen to have privacy over anything is an underlying truth under the right to life.

The need to protect privacy from visual media: For example, one of the most fundamental ways to govern such intrusions of privacy may be to strive toward creating a balance between a media's rights and its obligations. As an agent and dispenser of information in order to respect the right of the general public to know (which was defended by the court in the case of "*State of Uttar Pradesh v Raj Narain"*), the right is to respect the constitutional right to privacy of an individual and the responsibility is to refrain from encouraging the culture of intrusion by promoting it as simple entertainment.

The press is considered to be the fourth pillar of democratic government. The researcher completely see the necessity for it to sometimes cross the narrow line between privacy and truth-telling in order to provide the entire truth. Such acts of intrusion, carried out just once in a while under the guise of a legitimate limitation placed on any basic right, should be permitted, provided that they are seen as an exception granted due to the exigencies of the circumstances. It should be avoided from becoming a standard mode of operation. Disclosing material that is not authorised to be published, breaching a former convict's right to be forgotten, pursuing celebrities with cameras, and invading their personal space should not be considered standard journalistic practise under any circumstances. The personal conduct of a public servant, such as getting drunk with a friend, is not the concern of the media, does not constitute news for the public benefit, and thus constitutes a violation of privacy. In other words, getting drunk with a friend is not news for the public benefit, and thus does not constitute a violation of privacy. As was explained in detail in court in the case of *UPSC v. R.K Jain*, the media has the option of exposing personal information if doing so is in the public's best interest as a whole.

How can laws help in regulation?

"It was in the case of *Kharak Singh vs. State of U.P.* that the Supreme Court of India acknowledged the right to privacy as a fundamental constitutional right for the first time. However, it was only after the case of *R. Rajagopal v. State of Tamil Nadu* that it was tied to Article 21 of the Constitution."

The media does not just cover local news and political events; it also covers national news and political affairs. It is also a main source of information on concerns and crimes involving minors, as well as rape victims and perpetrators. When the media's sensitivity fails to meet the needs of these situations, mankind takes a step backward in time. Several pieces of legislation have been passed in recognition of the necessity to protect the privacy of such organisations. The researcher is of the view that the intrusion of the media into the life of the general public is a significant concern with a level of severity that is considerably greater than is generally recognised. The emotional agony, shame, and public scorn that victims experience are frequently incomparably little in comparison to the consequences. As a result, every instance of this kind of infraction should be sanctioned, sending a message to every government institution about the seriousness of the aim to preserve the privacy of the people.

Legal framework & Recent Developments: In India, there is no designated legal structure that protects the right to privacy of individuals. "A large portion of the right to life and personal liberty protected by Article 21 of the Indian constitution may be regarded. A number of instances served as the foundation for the protection of an individual's right to privacy."

In the case of "*Kharak Singh v. State of Uttar Pradesh*", the court recognised that any trespass into a person's house is a violation of that person's personal liberty under the law. The decision was perplexing since it did not explicitly state that the right to privacy is a component of Article 21. Going forward, it has been determined in "*Gobind v. State Of Madhya Pradesh And Anr*., that if the Court finds that a claimed right is eligible to protection under the basic privacy right doctrine, any legislation infringing on that right must meet the compelling state interest test."

Similarly, in *Rajagopal v. State of Tamil Nadu,* the court found that "the right to privacy is not expressly stated as a basic right in our Constitution, but has been derived from Article 21 of the Constitution. In this case, the courts came across the point that the right to privacy is a critical component of the right to life and liberty and that it should be protected. Even if defamation cannot be stated to be a violation of the right to privacy since defamation in public is an unwarranted assault on the person, it may not be considered to be the party responsible for breaching the rights of the state." The individual put to death for the murders he committed, as well as the fact that he willingly claimed in his memoirs that he had strong relationships with several police personnel, were both considered in this case.

People's Union of Civil Liberties v. Union of India and Anr, the court ruled that tapping is a significant infringement of an individual's privacy and that it should be prohibited. Article 21 of the Constitution is violated when a phone is tapped without permission, according to the ruling. The case is referred to as a wiretapping case, and the issue before the court was whether or not this would constitute an invasion of a person's right to privacy with relation to any sort of sensitive information of any kind. Any form of communication where one's privacy is invaded, whether at home or at the workplace, would fall under the category of not violating one's right to private. If phone tapping is permitted under the technique established by legislation, it would be a violation of Article 21 of the Indian Constitution. As a result of *Puttuswamy v. Union of India*, the Supreme Court of India has ruled that the "right to privacy is a basic right guaranteed by Part III of the Indian Constitution." A similar decision, *Ram Jethmalani & Ors v. Union of India and Ors*, found that "the right to privacy is an inherent aspect of one's fundamental human right to life. The protection of personal privacy is a deeply held constitutional ideal, and human beings must be permitted areas of freedom that are free of public inspection unless they engage in criminal behaviour." A large number of basic rights may be derived or interpreted from Article 21, which is why it is referred to as the "heart of fundamental rights." One such right was the right to one's own privacy. As a result, the right to privacy of people has been given its genuine significance. Every person has the right to live a decent life in accordance with their abilities. Furthermore, privacy is an essential

component of living a decent existence.

It is also vital to emphasise the right to privacy guaranteed by international conventions. Article 12 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights states that "no one should be subjected to arbitrary interference with his or her private, family, home, or communications, or to assaults on his or her honour or reputation, or to any other kind of arbitrary punishment." Each and every person has a right to be protected by the law from such interference or assaults. Under Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights (1976), the state is required to ensure that individuals are protected by law against "arbitrary or unlawful interference with his privacy or that of his family; interference with his home or correspondence; or unlawful attacks on his honour and reputation." In addition, Article 16 of the Convention on the Rights of the Child "protects a minor from any unlawful interference with his or her right to privacy and imposes a positive obligation on States that have ratified the convention to enact legislation protecting the right to privacy of children under the age of majority."

The Supreme Court of India decided in the case of "*State of Uttar Pradesh V. Raj Narain* that Article 19 (1) (a) of the Indian Constitution, in addition to protecting freedom of expression and expression, also ensures the right to receive information on issues of public interest." To a certain degree, the print media was governed by the Press Council of India. In the case of electronic media, however, this was not the case. The right to freedom of expression and expression protected by Article 19(1) (a) includes the right to freedom of the press. It expressly grants the freedom to gather and disseminate information to anybody. This is unquestionably vital in a democratic nation such as India. "The Supreme Court of India declared in *Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India v. Cricket Association of Bengal* that the freedom of speech and expression includes the right to receive information and to communicate it." Freedom of expression and speech are essential for self-expression, which is a critical component of having a free conscience and being able to fulfil one's potential.

When is an infringement of privacy right acceptable?

Terms such as 'public interest' and 'public person' are now useful in this context, as well. When information about a person's private life is made public as part of the public record, the publishing of such material is permissible. For more clarity, the invasion of a person's privacy is permitted when it comes to questions of public morality. Whenever a person's right to privacy comes in conflict with a wider public benefit, the term "public interest" is used to determine who wins. As a result, the right to privacy is not an inalienable right.

When it comes to the media, it becomes even more critical to guarantee that information is released for the benefit of the public rather than to defame someone or any organisation. Consider the following piece of news that was published in the year 2010 to demonstrate this point: "*The media reported that Sunanda Pushkar, a close friend of the Minister of State for External Affairs, Shashi Tharoor, has a significant stake in the IPL Kochi team, and the media exposure resulted in Shashi Tharoor's resignation from the cabinet.*" The media's inquiry was acceptable, but reporting about her previous relationships and how she dressed had no influence on the public's interest or responsibility, said the report. In topics pertaining to their own lives or decisions, a person is not responsible to anybody. There have been several instances in which the effect of visual media on private life has been documented. The right to freedom of expression and expression of thought gave rise to the right to the press, while the right to life and personal liberty gave rise to the right to privacy for an individual. The Right to Information Act increases the rights of the media much more than it already does. Balance must be struck between these two rights, and "public good" serves to bridge the gap between the two rights in question. In a variety of instances, the morbid inquisitiveness of visual media may cause people's reputations to be tarnished. In addition to this, it would be inadequate if it did not address the shifting mentalities of viewers or readers. Many individuals like reading gossip and unrestrained reports, which are both available on the internet. A shift in this mindset is required by its very nature, since such interests produce a petty urge to intrude on the private of another human.

The Supreme Court has ruled on several occasions in cases involving the fabrication of tales and the invasion of privacy. In *Jagran T.V. Pvt. Ltd. v. Union Of India & Anr.*, "the Supreme Court criticised the role of the media in creating scenarios of entrapment and applying the 'inducement test' in the case. Such incentive tests, according to the court, are a violation of the individual's right to privacy." According to the ruling, news organisations must take efforts to prevent reporters from making or broadcasting any programme that is based on entrapment and that is false, invasive, or sensitive.

Because of the extent to which their right to privacy has been breached as a result of their hanging out, their reputation has suffered as a result. A person's right to privacy has been breached and his or her dignity has been diminished as a result of this practise. As we all know, the United Nations Convention on the Rights of the Human Being has been interfering with a citizen's right to privacy in an inconsistent manner. Article 16 of the Convention on the Rights of the Child provides protection for anybody under the age of eighteen (18) years, including minors. It is possible that if someone attempts to intervene, they will have committed a felony by violating their personal space. India has safeguards in place to protect the character of youngsters, especially teenagers and those who have been victims of abuse. Although there are certain exceptions, there are times when the rule on protection does not apply

at any moment when a youngster is in the presence of an adult. “A person’s right to privacy is not an absolute right, but rather a necessary one, and it does not always apply in the same manner in all circumstances and to all sorts of individuals. Privacy with regard to a certain class of people is similar to public authority in that it provides protection as opposed to the privacy of the individual citizen.”

Conclusion: The right to privacy is something that is likely to become more important in India in the future. At the same time, the media may be a powerful tool for bringing forth shocking truths that are critical for a developing country’s development. The media plays an important role in informing citizens about the result of the votes they cast during elections. The crux of the matter is that we cannot conceive a world in which print and electronic media are not there. On the other hand, the number of persons who are intentionally or unintentionally brought into contempt by the media is not insignificant at this point.

In final remarks, the researcher want to point out that, despite all of this, the right to privacy remains unprotected by the primary statutes. Despite the fact that journalists continue to be slain and arrested for breaching the privacy of a person, this is the proper comparison to make in contrast to other rights. Following are the exceptions to privacy that most nations recognise, including those based on overwhelming public interest, protection, and state protection. In spite of this, as the research paper reveals, the inappropriate invasion into private life by the media is prevalent.

References:-

1. Olmstead v. United States 277 US 438 (1928)
2. France Bélanger and Robert E. Crossler, ‘Privacy in the Digital Age: A Review of Information Privacy Research in Information Systems’ 4 MIS Quarterly (2011)1017–41.
3. Dmitry Epstein, Merrill C. Roth, and Eric P.S. Baumer, ‘It’s the Definition, Stupid! Framing of Online Privacy in the Internet Governance Forum Debates’ 4 JIP(2014)144–72.
4. State of Uttar Pradesh v. Raj Narain 1975 SCR (3) 333.
5. UPSC v. R.K Jain 2012 SCC OnLine Del 3642.
6. Kharak Singh v. State of U.P., (1964) 1 SCR 332.
7. R. Rajagopal v. State of T.N., (1994) 6 SCC 632.
8. Lina M. Khan, ‘The Separation of Platforms and Commerce’ 4 CLR(2019) 973–1098.
9. Shubhra Bhattacharya, ‘Invasion of Privacy Right by Visual Media: Need for Regulation’ (2020) Bn’W <https://bnwjournal.com/2020/12/11/invasion-of-privacy-right-by-visual-media-need-for-regulation/#:~:text=If%20they%20were%20totally%20unaware, India%20 as% 20in%20Article%2021 > accessed 20 November 2022.
10. Kharak Singh v. State of U.P., (1964) 1 SCR 332.
11. Dr. JN Pandey(Constitutional Law book of India)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Grievances of Rape Victims In Indian Society

Abhimanyu Sharma* Sanviksha Rawatkar **

***Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**
**** LLM, 3rd Sem., Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - Rape is one of the heinous offences and in our society it is a stigma and people blemish this directly or indirectly to victim only. The conditions of victims of Rape in India is not so satisfied because they faces a lot in our society or we can say that the impacts or aftermaths of rape are dreadful. To get justice, the victim has to go through the atmosphere of such a way as if the same crime is being repeated with her again. Many barriers also come between a rape victim and justice. Sometimes even to register a complaint is a big fight for her or for her family especially for the poor or marginalized communities. The support services are also not so much active. So a victim of rape confronts many physical, psychological as well as sociological impacts after the incidence.

There is a need to change the mindsets of the society. The victim or survivors of rape required to be supported by the society, the society must ensure them that it was not her fault, and we are with them.Basically supporting the rape victims is the requisite of our society.

In this report, we present the effects and aftermaths which are faced by the victims of rape and also the barriers which are faced by the victims in the journey to the Justice. The basic hindrances or problems which a woman victim faces from various authorities like police authorities, medical professional and also from the society. And finally we conclude this report by giving various measures to overcome this situation and how situations can be made adequate for woman.
Keywords- Rape, Sexual Assault, Survivors,Vational Examinations, Gender Neutral.

Introduction - Rape is not a new concept to our society. It was prevalent in ancient and modern time also. Rape in our society is a stigma and if we talk about reality there are a large numbers of rape cases which goes unreported just because of the societal perception. The response which a rape victim gets is not less than a rape; they feel ashamed and humiliated when they come forward because of the society's thinking that it's the woman's fault. And if the woman is unmarried she has great difficulty in getting married because society treat her like untouchables. Along with that there is a constant fear to the families of the victim or victim herself in reporting the offence. Simply we can say that the survivor of Rape offence almost feel like she is the one who did commit any crime. So it is the most important need of our society to make such kindof laws and also to do such amendments in our laws which not only gave justice to the victims but also help them in starting their life afresh and the support authorities or society must try that she feel secure and comfortable after that incidence.

In India Rape is fourth most common crime against women in India. According to the 2019 annual report of the National Crime Records Bureau(NCRB), 32033 rape cases were registered across the country, or an average of 88 cases daily. Rape is a traumatic experience which impacts the victims in physical, psychological, and sociological way. In India the Rape survivors faces a crucial barriers in obtaining justice and other support services. We can say that the state of rape victims in India is not in satisfying condition because the rape victims not only faces hurdles in getting justice but along with that she also confront the society which have a totally different perspective. I would like to say without any doubt that like in present situation how people run away from COVID-19 positive person similarly in normal circumstances people run away from the victim of rape like she is the one who committed the offence. The 82-page report, **everyone blames me: Barriers to Justice and Support Services for Sexual Assault Survivors in India,** in this report the woman who survive rape and other sexual offences usually suffer humiliation and faces miserable conditions in police stations and hospitals.Authorities most of the times are unwilling to register complaints and victims and witnesses sometimes don't receive any protection, medical practitioners even now compel the victims for "two-finger" tests. The rape victims in India even after Rape faces a lot which a person even cannot imagine. As we all know, 8 years ago, the whole country was in shock the limits of brutality were crossed in Delhi Gang rape case. Now a time there are very stronger

laws and policies, but there is no proper implementation of those laws and policies and also the police authorities, doctors and courts must ensure that the victims of the rape must treated with dignity. In fact rape victims faces many barriers to justice also.

"We have never seen such brutality all over lives" this was the statement of the doctors of Nirbhaya's case, the girl who was gang raped in Delhi in a bus which led to ultimate organ failure and ultimately results in death. Here a question arises, "Is a woman's dignity and life worth anything in this country"? If we particularly talk about the Nirbhaya case then it took more than 7 years in delivering justice to the Victim.

As observed by **Justice ArjitPasayat**

"While the murderer destroys the physical frame of the victim, a rapist degrades and defiles the soul of a helpless female.**"**

In a famous case **Rafiq v. State of U.P AIR 1980**"A murderer kills the body but a rapist kills the souls."

"It takes time to change mind-sets, but the Indian government should ensure medical counselling, and legal support to victims and their families, and at the same time do more to sensitize police officers, judicial officials, and medicalprofessionals on the proper handling of sexual violence cases."

Victims of rape or sexual assault come from a wide range of genders,ages, sexualorientations, ethnicities, geographical locations, cultures, and degrees of impairment or disability. Incidences of rape are classified into a number of categories, and they may describe the relationship of the perpetrator to the victim and the context of the sexual assault. These include daterape, gangrape, maritalrape, in consensual, childsexualabuse, prisonrape, acquaint-ancerape, warrape and statutoryrape.Forced sexual activity can be committed over a long period of time with little to no physical injury.

After 1860 for over a century, the laws relating to sexual offences and rape remains unchanged until the incident of **Mathura Rape case**. The verdict of this case sparked the protests all over country and this leads to change in existing laws. After this the **Criminal Law (Amendment) Act, 1983** passed which inserted a new Section 114-A in Indian Evidence Act, 1872, in which there is presumption of absence of consent in prosecutions of rape if the victim says so.

Further in Indian Penal Code, 1860 a new Section 228-A was added which made the disclosure of victims of certain offences including rape a punishable offence.

After that the major changes were brought in 2013 by **Criminal Law (Amendment) Act, 2013,** after the report of Justice J.S. Verma Committee. Age of consent was raised from 16 to 18 by this Amendment. Sexual intercourse with a woman with or without her consent when she is below 18 years of age amounts to rape. A woman under 18 is considered incapable of giving consent for sexual intercourse. This amendment also expanded the definition of Sexual offenses which now include Sexual Harassment, Voyeurism and Stalking. New sections were added to the Criminal Law with this

Amendment. This Amendment proved to be the most crucial Amendment in Criminal Laws which brings a lot of changes regarding these laws.

Rape Victims Faces Barriers to Justice: Rape has such a terrible effect on woman due to which her whole life changed. From time to time, the law has been changed along with the changing environment, for which new laws related to women were brought and revised. The major amendment was brought in 2013 after the Nirbhaya Case on the recommendation of Justice JS Verma Committee. This Amendment of 2013 expanded the definition of Sexual Offences. Now the term Sexual Offences also include Sexual Harassment, Voyeurism and Stalking. Before this Amendment there was no any punishment for the above acts. As per many surveys it was reported that there was delay in investigating the case and in filing charge-sheets. The aggrieved person or their relatives says that they feared after filing complaints against the crime because the accused easily gets bail and give threats to the Victim or their families. The proper protection is not provided to the victims during the pendency of trials also even if the protection is required. Sometime it was also highlighted that the police authorities or other supportive authorities does not take crime seriously just because a girl or woman who was raped is belonged to a low caste. The victims from marginalized and poor communities lack sufficient legal assistance because they are not aware about their rights and in a ruling Supreme Court ruled out that the Police shall provide legal assistance to the victims of Sexual Assault and also keep a list of legal aid options. There are number of initiatives which are taken by the National and State Governments to support the victims of Sexual Assault but due to proper monitoring and evaluation they are not so effective.

The resources we have and the support may assist the victims in numerous ways and with this support they may feel confident and it will become easy in some way to cope up with the tragedy they had been go through. There is a lot of need to change the way society views a rape victim.

The primary barrierswhich are faced by a victim of rape are:

i. **Difficulty in Register Complaints:** The survivors or victims especially who belong to lower or marginalized communities faces difficulty in registering a complaint. The Human Rights Watch also find out that in India the victims usually afraid to report the crime because of the threats from accused and to they also find it difficult to overcome from the barriers of Justice which provide almost no protection to the victim.

ii. **Suffers Humiliation:** The victims of rape often suffer

humiliation by various supportive authorities and also by police authorities, the medical professionals even after the guidelines of Supreme Court follow the degrading tests like "two-finger" test etc. Rape is an offence against woman but in our society woman is treated like she is the one who committed the offence. Rape is still construed as women's shame and the woman also feel not comfortable in talking about the offence of rape.

iii. Poor Police Response: The Police Authorities do not always follow the rules which are provided by the statutes. Sometimes the authorities pressurise the victim's family to settle or compromise.

iv. Failure to provide access to Adequate Health Services: **In 2014,**

Ministry of Health and Family Welfare issued guidelines for medico-legal care for survivors of sexual violence to standardize healthcare professionals' examination and treatment of sexual assault survivors. These guidelines provide better scientific medical information and also eliminate the myths like two finger test by limiting it to internal vaginal examinations. But as per India's federal structure, heath care is the matter which comes in state list, so State Governments are not bound to follow these guidelines. So far only a few state have adopted these guidelines.

v. Lack of access to effective Legal Assistance: The survivors especially who belong to poor or marginalised communities confront the inadequacy of legal assistance. They even are not aware of their rights of legal aid. In 1994, Supreme Court issued guidelines, in which court ruled out that the victims of sexual assault should be provided legal assistance and it is the duty of Police authorities to keep a list of all legal aid options in all Police Stations.

vi. Lack of Support Services: In India there is no such nationwide monitoring and appraisal structure to assess the implementation and efficacy of laws governing violence against woman. In 2013, the Central Government take an initiative for the help of rape victims by establishing Nirbhaya Fund for prevention, protection and rehabilitation of woman, by allocating funds. Many other schemes for this purpose established but there is lack of coordination and little awareness about these schemes to the public.

Effects Of Rape On Victims: Rape is such a traumatic experience which leaves many impacts on the victims physical as well as psychological. The impacts which a victim may go through are:

1. Psychological Impact

- **Immediate effect –** the survivors or victims usually have fear, scary thoughts and nightmares followed by the incidence.
- **Anxiety –** they have high level of anxiety or phobia after the attack. They often also have the feeling of nervousness, uneasiness, dread or may have panic attacks.
- **Hyper sexuality –** this is also one of the impact on victim.
- **Post-traumatic Stress Disorder-** The National Victim Centre and the Crime Victim's Research and Treatment Centre released a report which have finding that 31% of the woman after the incidence at some faces PTSD.
- Depression.
- **Self-Blame –** it causes in victim lack of motivation, empathy, feeling of isolation, anger, aggression etc.
- **Suicide –** survivors of rape are more likely to commit rape because they feel embarrassed about the victim, have feeling of self-blame.

2. Physical Impact

- **Gynaecological effects –** like survivors suffer vaginal bleeding or infection, vaginitis inflammation, chronic pelvic pain, urinary tract infection etc.
- Pregnancy.
- Sexually Transmitted Diseases.

3. Sociological impact and mistreatment of victims: After sexual assault, victim is subjected to investigation and sometimes it may convert into mistreatment. During the trial victims also suffer a loss of privacy and her credibility also challenged. Secondary victimisation and self-blaming is also the effects which are faced by the victims of Sexual assault.

- **Secondary Victimisation –** as we know in our rape is a stigma or a taboo regarding sex and sexuality. For example, a victim of rape is treated as damaged by the society. They may abandoned by their own families or friends, have feeling of isolation, or have problem in getting married, divorced by the husband if already married. This is known as Secondary Victimisation.
- **Self-Blaming –** here the term blaming refers to making responsible for the crime to the victim, like in this context society makes different attitudes towards the rape victim like the behaviour of woman with male members, her dressing sense and all. These all things can cause to believe in victim that the crime was her fault.

The Laws on Rape and Sexual Crime

Rape as a clearly defined offence was first introduced in the Indian Penal Code in Prior to this, there were often diverse and conflicting laws prevailing across India.

The word „rape is derived from the Latin term „*rapio*', which means to seize. Thus, rape literally means a forcible seizure.

Section 375 of the IPC made punishable the act of sex by a man with a woman if it was done against her will or without her consent. The definition of rape also included sex when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested, in fear of death or of hurt.

Also, sex with or without her consent, when she is under 18 years is considered rape. However, under the exception, sexual intercourse or sexual acts by a man with his wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape.

"State Of Rape Victims In India"

For over a century after 1860, the criminal law relating to rape and sexual assault cases remained unchanged.

The amendments, carried out in the year 1983 by the Criminal Law (Amendment) Act 1983, have overhauled the law relating to rape. These amendments were a result of countrywide criticism by all sections of society against the judgment of the Supreme Court in ***Tukaram v State of Maharashtra***, AIR 1978 which is popularly referred to as the **Mathura rape case**. To nullify the effect of the Supreme Court judgment in the Mathura case and other cases of that period, extensive amendments were introduced to the IPC and to the Indian Evidence Act. Sections 376A to 376D were added to the IPC and s. 114A was introduced in the Evidence Act.

In the IPC, Section 228A was added which makes it punishable to disclose the identity of the victim of certain offences including rape.

The nationwide public outcry, in 2012, following the December 16 gang rape and murder in Delhi, led to the passing of the Criminal Law (Amendment) Act in 2013 which widened the definition of rape and made punishment more stringent.

Parliament made the amendments on the recommendation of the Justice J.S. Verma Committee, which was constituted to re-look the criminal laws in the country and recommend changes.

The 2013 Act, which came into effect on April 2, 2013, increased jail terms in most sexual assault cases and also provided for the death penalty in rape cases that cause death of the victim or leaves her in a vegetative state.

It also created new offences, such as use of criminal force on a woman with intent to disrobe, voyeurism and stalking.

The punishment for gang rape was increased to 20 years to life imprisonmentfrom the earlier 10 years to life imprisonment.

Earlier, there was no specific provision in law for offences such as use ofunwelcome physical contact, words or gestures, demand or request for sexual favours, showing pornography against the will of a woman or making sexual remarks. But, the 2013 Act clearly defined these offences and allocated punishment. Similarly, stalking was made punishable with up to three years in jail. The offence of acid attack was increased to 10 years of imprisonment.

The Criminal Law (Amendment) Act, 2018 for the first time put death penalty as a possible punishment for rape of a girl under 12 years and the minimum punishment is 20 years in jail.

Definition of rape is not gender neutral: In the case of rape of minors, according to the POCSO Act, the victim may either be male or female (and the offender could also be of either gender). However, in cases of adults under the IPC, rape is as an offence only if the offender is male and the victim is female. The Law Commission of India (2000) and the Justice Verma Committee (2013) had recommended that this definition of rape should be made gender neutral and should apply equally to both male and female victims but it has not been incorporated till now in the code.

Important Cases:

1. R. v. Williams AIR 1923 (1 KB 340)
2. *Tukaram v. State of Maharashtra AIR 1979 SCR (1) 810*
3. State of Maharashtra v. Madhukar Narayan Mardikar AIR 1990
4. *Sakshi v. Union of India AIR 2004*
5. Delhi Domestic Working Women's Forum v. Union of India & Others AIR 1994
6. *Priya Patel v. State of M.P. etc. AIR 2006*

So, there were two major amendments in Section 375:-

(i) *Subs. by Act 43 of 1983, s. 3, for the heading "Of rape" and ss. 375 and 376* and

(ii) *Subs. by Act 13 of 2013, s. 9, for sections 375, 376, 376A, 376B, 376C and 376D (w.e.f. 03-02-2013).*

375.Rape.—A man is said to commit "rape" if he**—**

(a) Penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or

(b) Inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or

(c) Manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do sowith him or any other person; or

(d) Applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person, under the circumstances falling under any of the following seven descriptions:**—**

***First*.—**Against her will.

***Secondly*.—**Without her consent.

***Thirdly*.—**With her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested, in fear of death or of hurt.

***Fourthly*.—**With her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.

***Fifthly*.—**With her consent when, at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent.

***Sixthly*.—**With or without her consent, when she is under eighteen years of age.

***Seventhly*.—**When she is unable to communicate consent.

***Explanation* 1.—**For the purposes of this section, "vagina" shall also include labia majora.

***Explanation* 2.—**Consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gestures or any form

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

of verbal or non-verbal communication, communicates willingness to participate in the specific sexual act:

Provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of that fact, be regarded as consenting to the sexual activity. ***Exception* 1.—**A medical procedure or intervention shall not constitute rape. ***Exception* 2.—**Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under fifteen years of age, is not rape.

376.Punishment for rape.—(*1*) Whoever, except in the cases provided for in sub- section (*2*), commits rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than seven years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(2) Whoever,—

(a) being a police officer, commits rape**—**

(i) within the limits of the police station to which such police officer is appointed; or

(ii) In the premises of any station house; or

(iii) On a woman in such police officer's custody or in the custody of a police officer subordinate to such police officer; or

(b) Being a public servant, commits rape on a woman in such public servant's custody or in the custody of a public servant subordinate to such public servant; or

(c) Being a member of the armed forces deployed in an area by the Central or a State Government commits rape in such area; or

(d) Being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a women's or children's institution, commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution; or (e)being on the management or on the staff of a hospital, commits rape on a woman in that hospital; or

(f) Being a relative, guardian or teacher of, or a person in a position of trust or authority towards the woman, commits rape on such woman; or (g)commits rape during communal or sectarian violence; or

(h) Commits rape on a woman knowing her to be pregnant; or

(i) Commits rape on a woman when she is under sixteen years of age; or

(j) Commits rape, on a woman incapable of giving consent; or

(k) Being in a position of control or dominance over a woman, commits rape onsuch woman; or

(l) Commits rape on a woman suffering from mental or physical disability; or

(m) While committing rape causes grievous bodily harm or maims or disfigures or endangers the life of a woman; or

(n) Commits rape repeatedly on the same woman, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

Explanation.**—**For the purposes of this sub-section,**—**

(a) "Armed Forces" means the naval, military and air forces and includes any member of the Armed Forces constituted under any law for the time being in force, including the paramilitary forces and any auxiliary forces that are under the control of the Central Government or the State Government;

(b) "Hospital" means the precincts of the hospital and includes the precincts of any institution for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation;

(c) "Police officer" shall have the same meaning as assigned to the expression "police" under the Police Act, 1861 (5 of 1861);

(d) "Women's or children's institution" means an institution, whether called an orphanage or a home for neglected women or children or a widow's home or an institution called by any other name, which is established and maintained for the reception and care of women or children.

376A. Punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim.—

Whoever, commits an offence punishable under sub-section (*1*) or sub-section (*2*) of section 376 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman or causes the woman to be in a persistent vegetative state, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, or with death.

376B. Sexual intercourse by husband upon his wife during separation.— Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation.**—**In this section, "sexual intercourse" shall mean any of the acts mentioned in clauses (*a*) to (*d*) of section 375.

376C. Sexual intercourse by a person in authority.—

Whoever, being**—**

(a) In a position of authority or in a fiduciary relationship; or

(b) A public servant; or

(c) Superintendent or manager of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force, or a women's or children's institution; or

(d) On the management of a hospital or being on the staff

of a hospital, abuses such position or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

***Explanation* 1.—**In this section, "sexual intercourse" shall mean any of the acts mentioned in clauses (*a*) to (*d*) of section 375.

***Explanation* 2.—**For the purposes of this section, *Explanation* 1 to section 375 shall also be applicable.

***Explanation* 3.—**"Superintendent", in relation to a jail, remand home or other place of custody or a women's or children's institution, includes a person holding any other office in such jail, remand home, place or institution by virtue of which such person can exercise any authority or control over its inmates.

***Explanation* 4.—**The expressions "hospital" and "women's or children's institution" shall respectively have the same meaning as in *Explanation* to sub- section (*2*) of section 376.

376D. Gang rape.—Where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

376E. Punishment for repeat offenders.—Whoever has been previously convicted of an offence punishable under section 376 or section 376A or section 376D and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, or with death.

Suggestion: Learning about rape prevention represents something women can do to proactively protect themselves against a potential assault. Keep in mind that even when you take all the precautions necessary to protect yourself and stay safe, you still may not prevent rape. Victims never bear any of the responsibility for sexual assault; the perpetrator bears all responsibility and criminal guilt.

Rape Prevention Tips and Advice: Women can learn about rape prevention and use this knowledge to help them stay safe in many situations where sexual assault could occur. You can help prevent rape by taking these steps:

- ***Listen to your intuition when alone –*** Although you can never fully protect yourself from potential sexual assault, it's important that you avoid dangerous situations. Stay aware of your surroundings, avoid isolated public areas, walk with determination even if you're lost, trust your gut, keep your cell phone charged and with you, avoid going somewhere alone with a person you don't know well, don't use music headphones when walking alone.
- ***Reduce risk in social situations –*** Go to parties and social events with a group of friends and stay with the group. Do not leave your drink unattended. This leaves a potential rapist an opportunity to slip a date rape drug in it. Take it with you to go to the ladies room or anywhere else, even for a short time. If you do leave it, just get a new drink. Do not accept drinks from a stranger or someone you just met.
- ***Don't reveal too much on social media –*** Some social media platforms, such as Foursquare and others, use GPS locating service to tell friends where to find you. But think about it, would-be sexual predators can use these tools to find you as well. Turn off the location feature of these mobile apps on your cell phone before going out.

What to Do When Being Raped: Despite your best efforts to prevent rape, you still need to know what to do when being raped. You could find yourself in a situation where you feel pressured into sexual activities that you don't want by a friend or acquaintance. Alternatively, a stranger could break into your home or grab you on the street. You need to know what to do to try to get out of these situations — just in case:

- State clearly and unequivocally that you do not want to engage in sex of any kind with the person. Remember you do not have any obligation to participate in any activity that makes you feel uncomfortable.
- Arrange a special code word with a close friend or family member that you can say if talking on the phone to them to indicate that you are in a dangerous situation and need help.
- Make up an excuse as to why you need to leave or that you are having your period, or even that you have a sexually transmitted disease.
- Look for an escape route or way to get out of the room.
- Call attention to yourself by screaming or making a scene and yell for help.
- If someone actually attacks you, scratch him with your fingernails and pull his hair, bite, and kick - do anything to make him let go even for a second and then run. When you get away, go directly to the police. Do not wash your hands or do anything to destroy or contaminate any physical evidence you may have on your body (i.e. perpetrator's skin under your nails).
- As a last resort, try to humanize yourself in the eyes of your attacker. Try to make the attacker see you as a person rather than objectify you. Talk about your family, your kids, your mother. Tell him he is better than the way he is behaving.
- If your attacker is armed with a gun or knife, the above

tactics may not work effectively. Any act of aggression may cause him to become more violent and angry. However, a last resort, violent attack may represent your only hope of escaping rape. If you choose to physically attack an armed aggressor, your action must be unexpected, sudden, and intensely painful. Target his most vulnerable spots, such as testicles, eye sockets, instep, or windpipe with a lethal intention.

Perhaps the two most important rape prevention tips you can remember are: trust your intuition and gut feelings and remain fully aware of your surroundings when alone and in social settings with friends, at all time.s

Conclusion: After studying the effects of rape on victims in India and barriers which are faced by the victims of rape we may conclude that there is an urgent need of change in our society towards the survivors or victims of rape. What our society needed is to support the victims of rape. There must be fast track courts for the trials of the rape victims and there must be a limitation period in which the cases of the rape must be concluded. The training and regular courses may also be provided to the authorities like polices officers, judicial officers, and other medical professionals so that they can handle these types of cases more properly.Security should be provided to the victim as well as witnesses for which laws should be made. The support services which are meant for the victims of rape must be easily accessible and well equipped. The Government must implement and develop more tactile plans to make the public places safer and comfortable for woman. The Sexual Education should also be there as basic education in schools because even in 21st Century people are hesitant to talk about sex education in front of their children.

References:-

E- Books:-
1. June Elsner Kathleen, (1978). Long-term Effects of Rape: A Literature Review and Exploratory Question-naire, Portland State University
2. Tripathi S.C and Arora Vibha., 6th Edition (2015). Law relating to Women and Children, Central Law PublicationBrown Jennifer M. and Walklate Sandra L., (2011). Handbook on Sexual Violence. Routledge

Journals:-
1. Sharma, Manu, (2014), Changing law on Rape: Critical evaluation;Chotanagpur Law Journal, J232-J241p.
2. Sasikumar, J. and Madhan, K. (Jan- March 2015) Ahead and aftermath of Delhi Nirbhaya Rape Case: Content analysis of representation of sexual assaults in selected. Indian Police Journal (Prev. Police R&D Journal), 96-105p.

Reports:-
1. J.S. Verma Committee Report; January 23, 2013
2. The Criminal Law (Amendment) Act, 2013
3. The Criminal Law (Amendment) Act, 2018
4. Crime in India, Statistics 2016, National Crime Records Bureau (Ministry of Home Affairs) Government of India

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Effect of Yoga Practices and Physical Exercises on Selected Physiological and Biochemical Variables Among Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus Women

Dr. Santosh Lamba* Deepesh Vats**

*Assistant Professor (Physical Education) JRNRV University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Research Scholar, JRNRV University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - In India the diabetic population was rapidly increasing with 30 million diabetic patients, the largest in the world. Forty percent of all diabetic admissions to hospitals in India is due to lack of exercises. Researches showed that physical exercises has been shown to reduce cholesterol levels, have a protective effect from coronary heart disease, reduce body weight, reduce blood pressure and improve circulation in medical patients. Physical exercises such as walking for about 30 minutes after eating have been beneficial in keeping post prandial blood sugars in control for many patients. They feel that they can accomplish a 20 to 30 minutes walks 2 or 3 times per day and over a couple of months, they feel better. Many have reduced their medication levels during their tenure in their walking programme. (Girish and Sridhar, 2007)

Researches also proved that yogic exercises significantly alter blood glucose, blood cholesterol, blood lipids and other benefits to different population. Thus, yoga places an important role in reducing the blood glucose level by increasing the level of secretion of insulin. The investigator in this research study interested to find out the relative effect of yogic training and physical exercises on selected physiological and biochemical variables among non-insulin dependent diabetes mellitus women.

Introduction - In today's fast paced life, people are leading a very unhealthy lifestyle. The increasing rate of health diseases, stress levels, lack or inadequate sleep is caused due to the fast paced life style. People get so engrossed in coming up in life that they forget their health. There is a popular saying 'If wealth is lost, something is lost, but if health is lost, everything is lost". It is the apt time that people start concentrating on their health and well-being. Thus, physical activity is associated with reduced risk of type II diabetes. Researches have proved the frequency and intensity of physical activity makes a difference to the risk of type II diabetes. Both vigorous exercise (e.g. running) and moderate exercise (i.e. walking) reduce the risk of type II diabetes. The more exercise taken, the greater the risk reduction. Just over three hours a week of vigorous exercise reduces the risk by 46%. Just three hours a week brisk walking reduces the risk by 42%. In other words, a daily brisk walk of thirty minutes approximately halves the risk of type II diabetes.

In India the diabetic population was rapidly increasing with 30 million diabetic patients, the largest in the world. Forty percent of all diabetic admissions to hospitals in India are due to lack of exercises. Researches showed that physical exercises has been shown to reduce cholesterol levels, have a protective effect from coronary heart disease, reduce body weight, reduce blood pressure and improve circulation in medical patients. Physical exercises such as walking for about 30 minutes after eating have been beneficial in keeping post prandial blood sugars in control for many patients. They feel that they can accomplish a 20 to 30 minutes walks 2 or 3 times per day and over a couple of months, they feel better. Many have reduced their medication levels during their tenure in their walking programme. (Girish and Sridhar, 2007)

Researches also proved that yogic exercises significantly alter blood glucose, blood cholesterol, blood lipids and other benefits to different population. Thus, yoga places an important role in reducing the blood glucose level by increasing the level of secretion of insulin. The investigator in this research study interested to find out the relative effect of yogic training and physical exercises on selected physiological and biochemical variables among non-insulin dependent diabetes mellitus women.

Review of Literature:

Hegde SV, et al. (2013) studied the effectiveness of yoga intervention on oxidative stress, glycemic status, blood pressure and anthropometry in prediabetes. They selected twenty nine prediabetes subjects aged 30-75 years. Malondialdehyde, glutathione, vitamin C, vitamin E, superoxide dismutase, plasma glucose, glycatedh aemoglobin, BMI, waist circumference, waist-to-hip ratio and blood pressure were measured. Yoga intervention

resulted in a significant decline in malondial dehyde(p<0.001), relative to the control group. In comparison with the control, there was a significant improvement in BMI, waist circumference, systolic blood pressure and fasting glucose levels at follow-up. No significant improvement in glycatedhaemoglobin, waist-to-hip ratio or any of the antioxidants was observed. Yoga intervention may be helpful in control of oxidative stress in prediabetessubjects. Yoga can also be beneficial in reduction in BMI, waist circumference, systolic blood pressure and fasting glucose. Effect of yoga on antioxidant parameters was not evident in this study. The findings of this study need to be confirmed in larger trials involving active control groups.

Shantakumari N, et al. (2013) assessed the effectiveness of yoga in the management of dyslipidemia in patients of type 2diabetes mellitus. This randomized parallel study was carried out in Medical College Trivandrum, Kerala, India. Hundred type 2 diabetics with dyslipidemia were randomized into control and yoga groups. The control group was prescribed oral hypoglycemic drugs. The yoga group practiced yoga daily for 1 h duration along with oral hypoglycemic drugs for 3 months. The lipid profiles of both the groups were compared at the start and at the end of 3 months. After intervention with yoga for a period of 3 months the study group showed a decrease in total cholesterol, triglycerides and LDL, with an improvement in HDL. Yoga, being a lifestyle incorporating exercise and stress management training, targets the elevated lipid levels in patients with diabetes through integrated approaches.

Balaji PA, Varne SR, and Ali SS. (2012) reported that Yoga is an ancient Indian way of life, which includes changes in mental attitude, diet, and the practice of specific techniques such as yogaasanas (postures), breathing practices (pranayamas), and meditation to attain the highest level of consciousness. Since a decade, there has been a surge in the research on yoga, but we do find very few reviews regarding yogic practices and transcendental meditation (TM) in health and disease. Keeping this in view, a Medline search was done to review relevant articles in English literature on evaluation of physiological effects of yogic practices and TM. Data were constructed; issues were reviewed and found that there were considerable health benefits, including improved cognition, respiration, reduced cardiovascular risk, body mass index, blood pressure, and diabetes. Yoga also influenced immunity and ameliorated joint disorders.

Jyotsna VP, et al. (2012) assessed the effect of a comprehensive yogic breathing program on glycemic control and quality of life (QOL) in patients with diabetes. This is a prospective randomized controlled intervention trial. Patients having HbA1c between 6 and 9% for at least 3 months with lifestyle modification and oral anti diabetic medication were included. They were followed-up and randomized at 6 months into two groups: one group receiving standard treatment of diabetes and the other group receiving standard treatment of diabetes and taught and told to regularly practice the comprehensive yogic breathing program (SudarshanKriya Yoga and Pranayam). Change in fasting and post-prandial blood sugars, glycated hemoglobin and QOL as assessed by the World Health Organization QOL WHOQOL BREF questionnaire were assessed. There was a trend toward improvement in glycemic control in the group practicing the comprehensive yogic breathing program compared with the group following standard treatment alone, although this was not significant. There was significant improvement in physical, psychological and social domains and total QOL post-intervention in the group practicing the comprehensive yogic breathing program as compared with the group following standard treatment alone. There was significant improvement in the QOL and a non-significant trend toward improvement in glycemic control in the group practicing the comprehensive yogic breathing program compared with the group that was following standard treatment alone.

Lakka TA and Laaksonen DE. (2007) in their study, "Physical activity in prevention and treatment of the metabolic syndrome", followed randomised controlled trials have shown that exercise training has a mild or moderate favourable effect on many metabolic and cardiovascular risk factors that constitute or are related to the metabolic syndrome (MetS). Epidemiological studies suggest that regular physical activity prevents type 2 diabetes, cardiovascular disease, and premature mortality in large part through these risk factors. The measurement of maximal oxygen consumption may provide an efficient means to target even individuals with relatively few metabolic risk factors who may benefit from more intensive intervention.

Stampfer MJ, et al. (2000) made a study on, "Primary prevention of coronary heart disease in women through diet and lifestyle." They observed 84,129 women participating in the Nurses' Health Study who were free of diagnosed cardiovascular disease, cancer, and diabetes at base line in 1980. Information on diet and lifestyle was updated periodically. During 14 years of follow-up, we documented 1128 major coronary events (296 deaths from coronary heart disease and 832 nonfatal infarctions). Eighty-two percent of coronary events in the study cohort (95 percent confidence interval, 58 to 93 percent) could be attributed to lack of adherence to this low-risk pattern. Among women, adherence to lifestyle guidelines involving diet, exercise, and abstinence from smoking is associated with a very low risk of coronary heart disease.

Research Objective:

1. To select suitable physical exercises to control selected physiological and biochemical variables levels in non-insulin dependent diabetes women.
2. To understand the effect of yoga exercises in controlling selected biochemical variables levels of non-insulin

dependent diabetes women.

3. To determine the importance of selection of the physical exercises voluntarily by the subjects since the exercise duration was kept constant.
4. To determine the importance of rest combined with selection of physical exercises voluntarily by the subjects since the rest interval and the exercise duration were kept constant.
5. To compare the relative effect of physical exercises and yogic exercises on non-insulin dependent diabetes mellitus women.

Research Hypothesis:

1. There would be significant difference in selected physiological variable, resting pulse rate, breath holding time, systolic blood pressure and diastolic blood pressure due to yogic practices and physical exercises compared to control group of the non-insulin dependent diabetes women.
2. Comparing between the treatment groups, namely, yogic practices and physical exercises, yogic practices would be significantly better than physical exercises group in altering resting pulse rate, breath holding time, systolic blood pressure and diastolic blood pressure of the non-insulin dependent diabetes women.
3. There would be significant difference in selected biochemical variable, blood sugar, uric acid, total cholesterol, triglycerides and high-density lipoprotein due to yogic practices and physical exercises compared to control group of the non-insulin dependent diabetes women.
4. Comparing between the treatment groups, namely, yogic practices and physical exercises, yogic practices would be significantly better than physical exercises group in altering blood sugar, uric acid, total cholesterol, triglycerides and high-density lipoprotein of the non-insulin dependent diabetes women.

Research process

Selection Of Subjects: Among the diabetic patients undergoing treatment in Government Hospitals and Diabetic Centres in Udaipur, sixty non-insulin dependent diabetes women. We randomly selected as subjects in the age group of 35 to 45. They were preliminarily assessed of their blood sugar through standard tests and medical reports of them were verified. The selected subjects were assigned into three different groups based on their mean random blood sugar level. Equated groups design was used with twenty subjects in each group, namely, experimental group I, experimental group II and control group respectively.

1. Experimental Group I: Along with their routine diabetic medication subjects were provided with the physical exercises consisting of brisk continuous walking, slow jogging and free hand 70 exercises for 50 minutes. The physical exercises were performed from Monday through Saturday for six days in a week.
2. Experimental Group II: Along with their routine diabetic medication subjects were provided with yogic practices for 50 minutes. The training was provided from Monday through Saturday for six days in a week. The requirements of the experimental procedures, testing as well as exercise schedules were explained to them so as to avoid any ambiguity of the effort required on their part and prior to the administration of the study, the investigator got the individual consent from each subject.
3. Control Group: Subjects who were in the control group didn't undergo any exercise but followed their routine diabetic treatment and diet prescribed by the physicians.

Selection Of Variables: Taking into consideration of feasibility criteria, availability of instruments and the relevance of the variables of the present study, the following variables were selected.

- Dependent Variables Physiological variables

a) Resting Heart Rate
b) Breath Holding Time
c) Systolic Blood Pressure
d) Diastolic Blood Pressure

- Biochemical Variables

a) Blood Sugar
b) Uric Acid
c) Total Cholesterol
d) Triglycerides
e) High Density Lipoprotein

- Independent Variables

a) Twelve weeks of Physical Exercises
b) Twelve Weeks Yogic Practices

Experimental Design: Randomly selected sixty non-insulin dependent diabetes mellitus patients (N=60) in the age group of 35 to 45 were grouped into three based on their mean random blood sugar level. Thus, equated groups design was used with twenty subjects in each group, namely control group, experimental group I and experimental group II respectively. Pre tests were conducted for all the subjects on selected physiological and biochemical variables such as resting pulse rate, breath holding time, systolic blood pressure and diastolic blood pressure and biochemical variables such as blood glucose, uric acid, blood cholesterol, triglycerides and high density lipoprotein. This formed initial scores of the subjects. The experimental groups participated in their respective exercises, namely physical exercises and for twelve weeks and yogic practices for twelve weeks.

Immediately after completion of the experimental period, the post tests were conducted on the above said dependent variables after a period twelve weeks on the subjects, which formed final scores of the subjects. The difference between initial and final scores was considered as the effect of respective treatment. To test statistical significance, ANCOVA was used. In all cases 0.05 levels was fixed to test the hypothesis of this study.

Conclusion:

1. The comparison between treatment groups, namely, yogic practices group and physical exercises group proved that there was no significant difference on resting pulse rate, breath holding time, and systolic blood pressure.
2. The comparison between treatment groups, namely, yogic practices group and physical exercises group proved that yogic practices group was significantly better than physical exercise group in altering diastolic blood pressure, blood sugar, uric acid, total cholesterol, triglycerides and high density lipoprotein.

Recommendations for Further Study:

1. This study proved that yogic practices and physical exercises would significantly improve selected physiological and biochemical variables than control group. A study may be under taken to find out the combined effect of yogic practices and physical exercises on selected physiological and biochemical variables among non-insulin dependent diabetes mellitus women.
2. A longitudinal study may be undertaken to find out the influence of yogic practices and physical exercises on the life style modification of non-insulin dependent diabetes mellitus women.
3. Separate researches may be undertaken to compare the effect of yogic practices and physical exercises among women and men non-insulin diabetes mellitus patients.
4. A separate research may be undertaken to find out the effect of yogic practices and physical exercises on selected physical fitness variables of the diabetic women patients.
5. A similar study with larger samples may be undertaken to support the findings of this study.
6. Similar study may be undertaken among other ailment patients such as, hypertension, arthritis etcetera

References:-

1. Bearge J. Manly (1963),The Guide of Educational Research, New Delhi: Surestra Publication House, p. 107.
2. David H. Clarke (1975)Exercise Physiology (Englewood cliffs:N.J.Prentice Hall, Inc.) p.204.
3. Dwivedi, Girish&Dwivedi, Shridhar (2007).History of Medicine: Sushruta – the Clinician – Teacher par Excellence, National Informatics Centre (Government of India)
4. Edwards NL (2011).Crystal deposition diseases. in: Goldman L, Schafer AI, eds. Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier.
5. George Brooks and Thomas D.Fahay (1985),Exercise Physiology Human bioenergetics and its applications (Macmillan publishing company, USA) p.688.
6. Harrison H. Clarke (1976)Application of Measurement to Health and Physical Education (Englewood cliffs; N.J. prentice Hall Inc., 1976) p.169.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

A Comparative Study of Physical Fitness and Physiological Fitness Components of Volleyball and Kabaddi Players of Udaipur City

Dr. BrajKishor Choudhary* Balkar Singh**

***Associate Professor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA**
**** Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA**

Abstract - Present study is an inspiration to do something for the college going students. The sample of the study was purposive sampling technique select from various colleges from Udaipur city. In this study, eight variables were investigated viz. Cardiovascular Endurance, muscular Endurance, flexibility, breath holding capacity, pulse rate, systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Total 240 subjects of age between 18 to 26 years were selected. For the purpose of analyzing data, Mean, Standard Deviation, and 'T' test was applied and the level of significant was set up at 0.05 levels. Mean and S.D & t-ratio of volleyball &Kabbadi in relation to cardiovascular endurance (34.18#38.81 & 4.22#4.87) t'value 7.87, muscular endurance (32.81#32.68 & 0.24#1.79) t'value 0.57, flexibility (5.68#5.69 & 2.66#2.60) t'value 0.02, breath holding capacity (0.92#0.78 & 0.41#0.38) t'value 0.051, pulse rate (69.52# 68.99 & 4.92#4.68) t'value 0.85, systolic blood pressure (121.12#121.15 & 7.27#8.34) t'value 0.029, diastolic blood pressure (67.86#68.62 & 0.83#0.94) t'value 0.60. The researcher found no significant difference in muscular endurance, flexibility, breath holding capacity (inspiration), pulse rate, blood pressure (systolic and diastolic) between volleyball and Kabbadi players, so the hypothesis given related to them are rejected. While as, the researcher also found significant difference in cardiovascular endurance between volleyball and Kabbadi players, so the hypothesis given is accepted.

Introduction - Physical education is very important part in today's life; it is directly affected on our body. Every person must have possessed his/her health. Physical education program helps to provide to improve the health. Therefore in physical education not only included physical health but it also included mental, social and emotional health (Benjamin A.E.W. 2016).

In 2002 the WHO (World Health Organization) unequivocally, physical activity, habit and nutrition influence health throughout our life. Physical education and sports are a common way for well-being and healthy lifestyle (Varja 2018).

There is overwhelming evidence for physical activity has a positive impact on the body structure and our overall health, it prevents physiological and psychological disease (Bouchoreet.al, 2007 and WHO 2011).

UNESO recognized every human being has a fundamental right for access to sports, games and physical education for the development of his/her overall personality (UNESO 1978).

Sport is key component of active lifestyle and mental well-being (United Nations 2017) Fitness is very important for balanced life and to live a full. Physical fitness is an important part to every person for his/her normal growth and development. In physical fitness multi-dimensional characteristics involve but physical fitness divided into two areas (Thakor 2014). Regular physical activity and exercise encourage our good health and reduce our health disease, Increase life expectancy,improve our quality of life. Many researchers suggested that people who are doing daily exercise, who are active tend to life happy and longer. Physical fitness divided into two groups health related and skill related physical fitness.

Every person must know about the physical fitness, its need and importance. Physical fitness makes you physically comfortable, mentally stronger and more with your body to contend with the demand that every- day life makes upon you. Regular physical exercise increases our bones and muscles physically powerful. It also improves self-confidence, preventing obesity; reduce the risk of developing several diseases. Daily minimum of 30 minutes physical exercise can improve your quality of life. Physical activity means to do some physical activity no matter where and how does not mean go to some club, garden and gym. No matter what your shape, age and gender. You should exercise regular, you can wear your favorite dress it can increased relaxation (Elmaged 2016).

The game Kabaddi, most popular game in India was

first introduced as a demonstration sport during 1930 the modern Kabaddi game was played. Amateur Kabaddi Federation in India (AKFI) was existence in 1972. The 1st Asian Kabaddi championship held in 1980 and winner was India.

Review of literature:

Sheikh et. al., (2018) conducted study to find out the difference in motor fitness components among the football and volleyball players of A.P.S University Rewa. Fifteen football male players and fifteen volleyball players (aged 18 to 20years) only male players were selected for this study. Muscular strength and speed variables were selected as a motor fitness variables selected for the purpose study. Statistical techniques, the statistical techniques adopted to find out the differences were way analysis of t test. In all cases the level of significance at 0.05 levels was set. Push-ups and bent knee sit-ups tests were used to measure the motor fitness components of present study. Conclusion, it was concluded that there was no significant difference between football and volleyball groups In case muscular strength (8.99±0.31and 8.80 ±0.29 p> 0.05) volleyball players muscular strength was better than football players, in speed movement there was no significant difference mean and SD value of football players was found (13.80±5.55) similarly mean and SD value of volleyball players was found (13.20 ± 5.21) and t value was found 0.30 Which is less than table value (p< 0.05) the result show that there was significant difference in motor fitness between football and volleyball players of A.P.S. University of Rewa.

Singh (2017) made a research toanalyze the anthropometric variables of Kabaddi and Kho-Kho players. Forty male Kabaddi (n=20) Kho-Kh0 (n=20) players of two districts of Haryana namely Sirsa and Rohtak. The selection of subjects was made on random basis whereas the subjects were taken from among theage ranged 17.64 ± 2.54 years. Standing height, sitting height, leg length, upper (anthropometric characteristics) were selected variables for the Kabaddi and Kho-Kho players mean reduction in standing height of Kabaddi players 173.45 ± 3.84 Kho-Kho players 182.75 ± 4.982 (p > 0.05) significant difference in sitting height of Kabaddi players 86.625 ± 2.869 Kho-Kho players 89.425 ± 3.125 (p > 0.05) and forearm length of Kabaddi players (46.35 ± 1.994 Kho-Kho players 47.95 ± 0.958 (p > 0.05). the data was analysed by using t test at 0.05 level of significant. The result indicate that there was significant difference, standing height, sitting height and forearm length were taller the Kho-Kho players compared than Kabaddi players, on the other variables leg length and upper arm length were similar between Kho-Kho and Kabaddi players.

Grant et. al., (1992) studied on the effects of a 10-week university fitness program on health-related fitness variables. Twenty-one male exercisers, aged 37.0(10.3) years (mean (S.D.); range 21-58), and 22 male controls, aged 38.6(7.9) years (mean (S.D.); range 17-54), volunteered to take part. Two sample t-tests and 95% confidence intervals were used to determine if the exercise group demonstrated a greater average progress than the control group and the average improvement in both groups separately. The exercise group showed a greater average improvement over the controls from Test 1 (before fitness program) to Test 2 (after) in the following: steady-state heart rate (beats min-1) 95% confidence intervals (-7.8, - 16.2); predicted VO2max (ml kg-1min-1): 95% confidence intervals (3.2, 6.6); situps (repetitions): 95% confidence intervals (3.1, 7.0); flexibility (cm): 95% confidence intervals (3.3, 6.9). There was no significant difference between the exercise group and control group in body weight, percentage body fat, blood pressure, total plasma cholesterol, high-density lipoprotein and triglycerides. The exercise program enhanced aerobic fitness, local muscular Endurance and flexibility. However, the increase in aerobic fitness did not coincide with beneficial changes in the coronary risk profile.

Vishnu (2017) evaluated the degree of components between kho-kho and Kabaddi girls' players of Tamil Nadu. Methods; a sample of 100 subjects of 50 Kho-Kho and 50 Kabaddi players aged 10 to 15 years. All sample selected with random sample technique from Kerla. The subjects performed only speed, explosive power of arms and agility physical fitness gears. the mean and SD score of kho-kho and Kabaddi girls' players of with respect to speed 4.30 ± 0.51 and 4.11 ± 0.34, explosive power of arm 4.51 ± 1.01 and 4.41 ± 0.91 and last agility 15.53 ± 1.23 and 15.01 0.80. There were three activities in this test which were 30 meter run dash, medicine ball test and zig-zag run test to measure speed, explosive power of arm and agility. There were significant differences in all of the physical fitness components. Speed and strength power were higher of kho-kho players comparison to kabaddi players, but Kabaddi players had better agility in compared to Kho-kho players.

Rahaman and Singh (2018) examined the divergence of will to win between male and female inter-collegiate kabaddi players of Manipur. 60 male Kabaddi players and 60 female kabaddi players in Thoubal college, Thoubal under the Manipur University, Canchipur (India). All subjects were taken from participated in the inter-collegiate kabaddi tournaments. The sample for the study was selected randomly. Their age ranged from 17 to 28 years old. To assess their level will to win by used will to win questioner developed by Kumar and Shukla.The data was analysed with the help of mean, Sd and t test, statistical tools by using statistical package for the spss16 version to find out the significant discrepancy between the present group in this study. The mean will to win of male 7.17and girls 6.93 the Sd was found will to win of male 0.79 and female 1.46 significance difference was found (t= 0.77 p < 0.05) that level of will to win of these male and female kabaddi players was average which is efferent essential to be push forward in excelling high level of will to win among the Kabaddi

players during the tournaments.

Huang and Malina (2002) relationship between physical activity and healthrelated physical fitness in 282 Taiwanese adolescents 12-14 years were selected as subjects.In this study the subjects were randomly selected from the 7th, 8th and 9th grades in 2 junior high schools of Taiwan. Physical activity was estimated as total daily energy expenditure and energy expenditure in moderate-to-vigorous physical activity from 24-hour activity records for 3 days, 2 week days and 1weekend day. Health-related fitness was assessed as the one-mile run timed sit-ups sit-andreaction, and subcutaneous fatness (sum of the triceps, subscapular, suprailiac, and medial calf skinfolds). Physical activity is considerably and positively correlated with 1-mile run performance and the sit-and-reach, but not with sit-ups and subcutaneous fitness. Overall, the strength of the relationships between estimated energy expenditure and specific fitness items in the total sample vary from low to sensible, with only 1% to 12% of the variance in fitness variables being explained by estimated energy expenditure. Comparisons of active versus inactive and fit versus unfit adolescents provide additional insights. The more active are also more fit in cardiorespiratory endurance and in the Sit & Reach than the less active, and the fit in the One-Mile Run and Sit & Reach are more vigorous than the less fit in each item, respectively.

Research objective:

1. The Objective of the study was to compare the physical fitness between inter college level volleyball and kabaddi players of Udaipur City.
2. The Objective of the study was to compare the physiological fitness components between inter college level Volleyball and kabaddi players of Udaipur City.
3. To understand various parameters of physical and Physiological Fitness Components between inter college level Volleyball and kabaddi players of Udaipur City.
4. To analyze the present level of physical and Physiological Fitness of Volleyball and Kabbadi Players of Udaipur City.

Research hypothesis:

1. There would be significant difference in cardio vascular endurance between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.
2. There would be significant difference in muscular strength between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.
3. There would be significant difference in flexibility between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.
4. There would be significant difference in breath holding capacity between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.
5. There would be significant difference in pulse rate between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.
6. There would be significant difference in systolic blood pressure between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.
7. There would be significant difference in diastolic blood pressure between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.

Research process:

Population: In this research two groups were targeted; first as volleyball players group and second was Kabaddi players group. One hundred twenty college students considered as volleyball players group and one hundred twenty college students considered as Kabaddi players group. The population of the study was all college students of Udaipur city of Rajasthan State. The age of the subjects were ranged between 18 to 26 years.

Sampling: After due consideration of all the points, purposive sampling technique was employed. Only male Kabaddi and Volleyball Players were selected purposely for the study. A total number of 240 samples were selected from the Kabbadi and Volleyball. In which 120 were Kabbadi Players and rest 120 were Volleyball Players. This was a survey study under Descriptive Research. The criterion measures adopted for this study were physiological and physical fitness components from colleges of Udaipur city.

Research Design: This study is survey method under Descriptive type Research. Descriptive research was used to describe characteristics of a population or phenomenon being studied. It does not answer questions about why/how/when the characteristics occurred.

Selection Of Variables: Because this research was based on physical fitness, therefore following variables were selected. Selected Physical fitness components are as follows:

1. Cardio vascular endurance
2. Muscular endurance.
3. Flexibility

For this study physiological component was selected are as follows:

1. Breathe Hold Capacity
2. Pulse Rate
3. Blood Pressure

Collection Of Data: The researcher used purposive sampling method for this study and selected inter-collegiate volleyball and Kabbadi players from Udaipur city. In all the seven (7) tests, first test was selected by the researcher for evaluating the Cardiovascular Endurance, second was selected for evaluating the muscular endurance, third was selected for evaluating the flexibility, fourth was selected for evaluating the breath holding capacity, fifth was selected for evaluating the pulse rate, sixth were selected for evaluating the systolic blood pressure and seventh was selected for evaluating the diastolic blood pressure.

Tools Of The Study: For this research I had selected sphygnometer, Steel Tape, Stop Watch, Weighting Machine, sit and reach Box, measuring tape, marking powder, and Marking Cones. These tools were used to collect the data

from experimental & control group for this study.

Methods And Tests: The analysis of data was done using Mean, Standard Deviation, and 'T' test and the level of significant was set up at 0.05 levels.

For measuring Cardio-vascular Endurance 12 minute Run & Walk Test was used, the Muscular Endurance was evaluated by using 1 minute Bent Knee Sit Up test. Flexibility component was measured by using sit and reach Test. Pulse Rate was evaluated by using Place players pointer and middle fingers on the inside of his opposite wrist just below the thumb, and finally blood pressure was measured by using Sphygnometer.

Conclusions:

1. Significant difference of Cardio vascular endurance between kabaddi and volleyball players group. In Cardio vascular endurance Volleyball Players were found to be better than Kabaddi Players of Udaipur city.
2. There was significant difference of muscular endurance between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.
3. There was no significant difference of flexibility between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.
4. There was no significant difference of Breath Hold Capacity between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.
5. There was no significant difference of Pulse Rate between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.
6. There was no significant difference of Systolic Blood Pressure between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.
7. There was no Significant difference of diastolic Blood Pressure between kabaddi and volleyball players of Udaipur city.

Recommendations for further studies:

1. The present study was conducted on only 240 players, 120 players from Kabaddiand 120 from Volleyball players. A similar study can be conducted on the large sample.
2. A comparative study can be conducted on other state players.
3. This study was conducted only on male players. Hence, it can also be conducted on female players.
4. Similar study can be conducted on the school students.

References:-

1. Bag A. et. al., (2015).Comparative Study on Physical Fitness of Volleyball and Football Players in University Level.Journal of Sports and Physical Education. 2 (5), 01-05.
2. Baldev Singh.(2018) Comparative study of anthropometric variables of male kabaddi and kho-kho players. International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education 2018; 3(1): 177-178.ISSN: 2456-0057.
3. Cheng, Jen-Son, Yang, Ming-Ching, Ting, Ping-Ho, Chen, Wan-Lin; Huang, Yi-Yu (2011). Leisure, Lifestyle, And Health-Related Physical Fitness for College Students 39,(3), 2011, pp. 321-332(12).
4. Dhananjay Kumar and Arjun Singh (2010) Relationship of selected physical and physiological variables to the performance in long jump, Internat. J. Phy. Edu., 3 (1&2) Apr. & Oct., 2010 V Volume 3,no 1and 2.
5. EevaVarja (2018) the importance of quality physical education for a developing country.
6. Florence J. and Baghurst T. (2013). Assessment And Analysis Of Skill Related Health Concepts In Physical Education And Coaching. OAHDERD.50, 2013.
7. G Kumaran and Sameer Bashir (2018) Comparison of selected physical fitness components between Kashmiri and Non Kashmiri physical education students of Annamalaiuniversity.International Journal of Yoga, Physiotherapy and Physical Education ISSN: 2456-5067 Impact Factor: RJIF 5.24 www.sports journal.in,Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 54-56

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

A Comprehensive Study of Emotional Intelligence, Mental Toughness and Personality Traits of Open and Closed Skill Athletes

Dr. BrajKishor Choudhary* Praveen Singh**

*Associate Professor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - This present study was led to decide the significant difference between open and closed skill athletes with regards to mental toughness and flow state. A closed skill sport athlete essentially knows when and how to execute the movements/skills, which are unrealistic to change or affected by outside components. Closed skill sports may incorporate abilities which are prepared in a set example and have clear starting and endings, for example, sports, swimming, bowling, gymnastics, shooting etc. Closed sports include skills which have the tendency to be self-paced and require focus on a relatively unchanged environment (Lerner et al., 1996). Open skilled sports are sports which incorporate execution of abilities which are controlled by the steady change of the environment. Skills are adapted to the instability of the environment which are predominantly perceptual and paced externally (Knapp, 2002). These games are, for example, football, tennis, badminton, handball and basketball and etc. But with the phenomenal and ever increasing popularity of psychological variables in the past few years, there is a lack of study on this particular discipline, for this purpose that the present study of emotional intelligence, mental toughness and personality traits is proposed and undertaken using the sample from male inter-college level athletes of open and closed skills.
Keywords- athletes, emotional intelligence, psychology, mental toughness, personality.

Introduction - Psychology is both an applied and academic field that studies the human mind and behavior. Research in psychology looks to comprehend and clarify thought, emotion and behavior. Utilizations of psychology incorporate psychological well-being treatment, performance improvement, self-improvement, ergonomics and numerous different territories influencing wellbeing and everyday life. Today, psychologists want to utilize more target exploratory systems to comprehend, clarify, and foresee human behavior. Psychological studies are exceptionally organized, starting with a theory that is then experimentally tried. Psychology has two noteworthy zones of center: academic psychology and applied psychology.

Academic psychology concentrates on the investigation of diverse subsubjects inside of psychology including personality psychology, social psychology and developmental psychology. Most top competitors and mentors trust that psychological variables assume a pivotal part for top performance. At the point when physical aptitudes are equally coordinated as they have a tendency to be in aggressive game the contender with more prominent control over his or her brain will normally rise as the victor. Mental quality is not going to adjust for absence of expertise. Be that as it may, in close challenges it can have the effect in the middle of winning and losing. Individuals are by nature focused and eager for their incredibleness in all athletic performance. Each team needs to demonstrate their incomparable quality by challenging other group. Along these lines this test animates, moves and persuades every one of the players to sweat and endeavor to perform at ideal level in present competitive sports world.

The noteworthiness of emotional impact on game performance has regularly been obvious in many remarks of observers, team directors and sports analysts on competitors' and teams' performances amid and after competitions. Frequently, they remark on players' self-confidence or absence of it, forcefulness or meekness, versatility or discouragement, outrage or excitement, dissatisfactionor determination and different types of emotionality while crediting to such components, the obligation regarding the achievement or disappointment of their performance. The suggestion is that planning of competitors for fruitful performance in significant challenges.

Can never again be predicated just on preparing them

for ideal mental qualities and physical qualities as Toughness, speed, flexibility and skills additionally and maybe, all the more critically, on preparing for improvement of sufficient emotional intelligence, which will make conceivable an effective conveyance of the considerable number of trainings obtained.

Review of literature:

Ulucan (2012) examined the passionate knowledge levels of competitors in various branches of game as far as some demographic variables. In this study, a 5-dimensional and 19-thing scale was utilized, which was produced by Schutte et al. (1998) and afterward subjected to a legitimacy and unwavering quality study by Lane for use in games. A sum of (N=480) individuals partook in the study. It was watched that Emotional Intelligence expanded altogether in parallel with the expansion in age levels, and that the Emotional Intelligence levels of cooperative people were observed to be essentially higher than that of competitors in individual branches of game.

Lamba (2010) led a study to discover contrast in the middle of male and female competitors in their passionate insight. To finish the target of the study, 140 competitors having measure up to number of male and female was arbitrarily drawn from the schools of Rohtak (Haryana). Passionate Intelligence Test by Chadha (1998) was connected to gather the information and "t" test was connected to establish out mean contrast between the scores of male and female competitors. The outcomes demonstrated that there was larger amount of passionate insight among female than their partner male competitors.

Kumar et al. (2009) directed a study to think about the mental strength among theist, skeptic and deist conviction sportsmen having a place with both individual and group amusement. The example comprised of 60 players of twenty each in every gathering (Theist, Atheist and Deist). To decide the mental strength among various players who admitted to be theist, nonbeliever and deist, Dr. Alan Goldberg survey on mental sturdiness was controlled. Mean standard deviation and ANOVA was utilized to think about the mental strength among theist, skeptic and deist. The discoveries uncovered no critical distinction was found among theist, agnostic and deist conviction sportspersons in connection to mental sturdiness (F=0.192) as acquired f-quality was not exactly required f-proportion to be noteworthy at 0.05 level with (4, 57) level of flexibility. A few studies have demonstrated that mental strength has positive association with religion/supplication to God yet on the premise of present discoveries it can be reasoned that mental durability has no connection with Theistism, Atheistism or Deistism.

Lindahl (2006) intended to examine if there is a relationship between diversion knowledge and enthusiastic insight in Swedish ice hockey players. Members were (N=55) Swedish ice hockey players from four distinct groups on four levels and one mentor from every group. The players age ran from 17 to 35 (M=22, 95, SD=4, 57). The players finished the Emotional Skills and Competence Questionnaire and their mentors evaluated every player's diversion knowledge utilizing Game Intelligence as a part of Ice Hockey Survey. A multivariate investigation of fluctuation was performed and the outcomes demonstrated no huge contrasts in enthusiastic knowledge between those with high amusement insight and low diversion insight.

Bruce et al. (1982) inspected a study on different evaluations of competitors (265 male and 134 female) were regulated the German form of the EPQ. The whole being so as to gather was portrayed more extraverted and less depressed people (contrasted with populace standards); sex contrasts were shown, female profiles being higher on emotionality and lower on Psychoticism (intense mindedness) with no noteworthy distinction being seen in mean Extraversion scores. At the point when assembled regarding 'level of focused inclusion', top-class male competitors were appeared to be essentially more extreme minded and less steady than center or lower-class members, a practically inverse pattern being found in females, where top competitors were at risk to be more extraverted, less masochist and less forceful and intense minded than alternate classes.

Jean et al. (1980) directed a study to deciding the achievement or disappointment of a shooter. Deliberate estimation of identity attributes demonstrates this to be the situation. Shooters are preselected by goodness of their identity for various types of shooting games. Shooters likewise vary in the way they respond to stretch, and estimation of the adapting capacities of shooters gives a just about 100% expectation rate of a shooter's potential achievement or disappointment at universal level.

Research objective:

1. To find out the significant differences between open and closed skill athletes on the variable Emotional Intelligence.
2. To find out the significant differences between open and closed skill athletes on the variable Mental Toughness.
3. To find out the significant differences between open and closed skill athletes on the variable Personality Traits.

Research hypothesis:

1. There would be significant differences between open and closed skill athletes on the variable Emotional Intelligence.
2. There would be significant differences between open and closed skill athletes on the variable Mental Toughness.
3. There would be significant differences between open and closed skill athletes on the variable Personality Traits.

Research process:

SELECTION OF SUBJECT POPULATIONS: 209 male

inter-college level players were chosen as subjects. They were further dispersed under two aggregations which incorporates n=130; open skill and n=79; closed skill.

SUBJECT POPULATIONSN=209

Open Skills	Sample:	Closed Skills n=130	Sample: n=79
Volleyball	42	Archery	39
Handball	45	Gymnastics	12
Basketball	43	Shooting	28

VARIABLE SELECTION:

- Emotional Intelligence
- Mental Toughness
- Personality Traits

STATISTICAL TECHNIQUES EMPLOYED: Unpaired T-test was employed for data analysis. The data was further subjected to one way analysis of variance (ANOVA). For testing the hypotheses, the level of significance was set at 0.05.

Conclusions:

Emotional Intelligence:

- Significant differences between subjects from open skill sports group were found for the self-awareness (p<.05), value orientation (p<.05) and commitment (p<.05). However, no significant differences were found for empathy (p>.05), self-motivation (p>.05), emotional stability (p>.05), managing relations (p>.05), integrity (p>.05), self-development (p>.05), altruistic behavior (p>.05) and emotional intelligence (p>.05).
- Significant differences between subjects from closed skill sports group were found for the Self-awareness (P<.05). However, no significant differences were found for empathy (P>.05), self-motivation (P>.05), emotional stability (P>.05), managing relations (P>.05), integrity (P>.05), self-development (P>.05), value orientation (P>.05), commitment (P>.05), altruistic behavior (P>.05) and emotional intelligence (P>.05)

Mental Toughness:

- Significant differences between subjects from open skill sports group were found for the motivation (p<.05). However, no significant differences were found for reboundability (P<.05), ability to handle pressure (P<.05), concentration (P<.05), confidence (P<.05) and mental toughness (P<.05).
- No significant differences were found for reboundability (p>.05), ability to handle pressure (p>.05), concentration (p>.05), confidence (p>.05), motivation (p>.05), and mental toughness (p>.05), between subjects from closed skill sports group.

Personality Traits:

- Significant differences between subjects from open skill sports group were found for cool v/s warm (p<.05), trusting v/s suspicious (p<.05), self-assured v/s apprehensive (p<.05) and group oriented v/s self-sufficient (p<.05), However, no significant differences were found for concrete thinking v/s abstract (p>.05), feeling v/s emotional stable (p>.05), submissive v/s dominant (p>.05), sober v/s enthusiastic (p>.05), expedient v/s conscientious (p>.05), shy v/s bold (p>.05), minded v/s tender minded (p>.05), practical v/s imaginative (p>.05), forthright v/s shrewd (p>.05), conservative v/s experimenting (p>.05), undisciplined v/s following self-image (p>.05), relaxed v/s tense (p>.05).
- Significant differences between subjects from open skill sports group were found for practical v/s imaginative (p<.05) and forthright v/s shrewd (p<.05). However, no significant differences were found for cool v/s warm (p>.05), concrete thinking v/s abstract thinking (p>.05), feeling v/s emotional stable (p>.05), submissive v/s dominant (p>.05), sober v/s enthusiastic (p>.05), expedient v/s conscientious (p>.05), shy v/s bold (p>.05), tough minded v/s tender minded (p>.05), trusting v/s suspicious (p>.05), assured v/s apprehensive (p>.05), conservative v/s experimenting (p>.05), group oriented v/s self-sufficient (p>.05), undisciplined v/s following self-image (p>.05) and relaxed v/s tense (p>.05) between subjects from closed skill sports group.

Recommendations for further study:

- Consider ought to would specific qualitative also quantitative benchmarking in the recommended topical which, perhaps, will be not done proceeding in this specific documented /area.
- The examine might unite sports scientists, professionals, investigate fellows on further investigate those different scrutinize parameters on this specific field / area.
- The display study ought help previously, enriching those reality research in this domain;

References:-

1. Adegbesan, O.A. (2008). Assessment of Mental Toughness Status of University Athletes before Competition in Nigeria. The African Symposium, 8(1), 18- 23.
2. Ahmed, S., Khan, K.S., & Ahmed, S. (2011). A study on emotional intelligence among male and female volleyball players. Golden Research Thoughts, 1(3), 1-4.
3. Bal, B.S., Singh, K., Sood, M., & Kumar, S. (2011). Emotional intelligence and sporting performance: A comparison between open and closed skill athletes. Journal of Physical Education and Sports Management, 2(5), 48-52.
4. Crust, L., &Azadi, K. (2010). Mental Toughness and Athletes' Use of Psychological Strategies. European Journal of Sport Science, 10(1), 43-51.
5. Daniel, J.G., & John, R.B. (1990). Personality and Leader Behavior in Collegiate Football: A Multidimensional Approach to Performance. Journal of Research in Personality, l24, 355-370.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

लोक विमर्श: लोक शब्द की अवधारणा, व्याप्ति और सत्ता

डॉ. अमित रंजन *

* राज भवन, निकट डॉ. शशिकान्त तिवारी होटल रुद्रा के पीछे, साधनापुरी, छपरा (बिहार) भारत

प्रस्तावना – लोक संस्कृति और परंपरा से सम्बद्ध लोक जीवन आधुनिक काल के महत्त्वपूर्ण विमर्शों में से एक है। लोक भारोपीय एक सम्पूर्ण शब्द है जिससे जुड़ कर अन्य शब्द भी लोक की व्यापकता और उसकी अनगढ़ता पा जाते हैं तो दूसरी ओर लोक का चोला धारण करते ही अपने वास्तविक अर्थ को अंशत: खो देते हैं क्योंकि उनका अर्थ विस्तार हो जाता है। जैसे लोक साहित्य, लोक कला, लोक चित्र, लोक शिल्प, लोक गीत, लोक नाट्यआदि। जैसे लोक नाट्य का अर्थ है नाट्य कला की रीतियों से अनभिज्ञ कलाकारों द्वारा प्रस्तुतिकरण जिसके लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती जबकि नाटक से आशय दृश्य काव्य या रूपक के भेदों से है।

लोक शब्द प्राचीन है, लोक जीवन का संबंध मनुष्य के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। लोक मानस को अभिव्यक्ति देने वाला लोक जीवन सजीव और अत्यंत विस्तृत है। लोक शब्द जितना प्राचीन है उसका अध्ययन उतना ही नवीन। इसे ग्राम जनता आदि शब्दों का पर्यायवाची बताया गया पर इसकी व्याप्ति बड़े भू–भाग तक फैले हुए मानव समाज तक है। लोक शब्द आज असभ्य, अशिक्षित, मूढ़ समाज का ही द्योतक न रह कर जीवंत संस्कृति और परंपरा का परिचायक बन चुका है जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस जुड़ाव की भी एक सांस्कृतिक परंपरा दिखती है जो उस लोक समूह की पहचान है। समाज और साहित्य में लोक के साथ साहित्य, संस्कृति, मानस, मनोवृत्ति, परम्परा, कला, वार्त्ता, भाषा आदि शब्दों को जोड़ कर अध्ययन की परम्परा है किन्तु इन सभी की अवधारणाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। लोक का स्वरूप मुख्य रूप से मौखिक है, लोक जीवन में कुछ कलाएँ ऐसी हैं जिन्हें देख सुन या अनुकरण कर ही परम्परा से सीखा जा सकता है जैसे लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक गीत। लोक तत्वों के विश्लेषण से समाज का समाजशास्त्रीय और भाषा वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। अस्तु लोक संस्कृति और परंपरा की धरोहर होने के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी अपनी महत्ता स्थापित कर चुका है और यही इसकी विराट सत्ता और व्याप्ति का ऐकांतिक प्रमाण है।

लोक शब्द का प्रयोग प्राचीनकाल से ही होता आ रहा है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी में लोक शब्द लोक दर्शने धातु में धञ् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होना माना गया है लोक्यंतेड.सौ।[1] इस शब्द का अर्थ देखना, निहारना या प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना है जिसका आत्मनेपदी लट्लकार में अन्य पुरुष एक वचन लोकते है। अस्तु लोक शब्द का अर्थ है देखने वाला। अत: लोक शब्द का प्रयोग पूरे जनसमुदाय के लिए होता है। ऋगवेद में लोक शब्द का प्रयोग जन के लिए किया गया है इसी कारण इसका प्रयोग जनता के लिए भी किया जाता है।

लोक शब्द बहुत प्राचीन है, ऋगवेद पुरुष सुक्त में लोक शब्द का व्यवहार जीव तथा स्थान दोनो रूपों में किया गया है–

नाभ्यां आसीदंतरिक्षं शीर्ष्णों द्यौ: समवर्तत।
पदभ्यां भूमि: दिश–श्रोत्रातथा लोकां अकल्पयन।।[2]

लोक शब्द का उल्लेख वेदों में भी साधारण जनता के लिए किया गया है। ऋगवेद में लोक के लिए जन शब्द का प्रयोग मिलता है।[3] अथर्ववेद में पार्थिव और दिव्य दो लोकों की स्थिति व्यक्त की गई है। जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण में कहा गया है कि लोक अनेक प्रकार से फैला हुआ है, प्रत्येक वस्तु में यह व्याप्त है, कौन इसे प्रयत्न कर भी जान सकता है–

वहु व्याहितो वा अयं वहुशो लोक:।
क एतद अस्य पुनरीहितो अयात्। [4]

महाभाष्यकार पातंजलि ने जनसाधारण के अर्थ में लोक शब्द का प्रयोग किया है। पाणिनी ने भी लोक की सत्ता को स्वीकार किया है, उन्होंने अनेक शब्दों की निष्पत्ति में उनके वेद तथा लोक में व्यवहृत स्वरूपों का अलग–अलग उल्लेख किया है। अष्टाध्यायी में लोक तथा सर्वलोक शब्दों में उन् प्रत्यय के योग से लौकिक और सार्वलौकिक शब्दों की निष्पत्ति की गई है। बररुचि और महाभाष्यकार पतंजलि ने इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया है। भरतमुनी ने नाट्यशास्त्र में नाटक की लोकधर्मी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है।

महाभारत में महर्षि व्यास ने अपने शत् साहस्त्री संहिता की विशेषताओं को वर्णित करते हुए लिखा है–

अज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विचेष्टत:।
ज्ञानांजनशलाकांभिर्नेत्रोन्मीलनकारकम्। [5]

अर्थात यह ग्रंथ (महाभारत) अज्ञान रुपी अंधकार से अंधे व्यक्ति लोक (साधारण जनता) की आँखों को ज्ञान रुपी अंजन की शलाका लगा कर खोल देता है। अत: स्पष्ट है कि प्राचीन ग्रंथों में लोक शब्द का प्रयोग जनसाधारण के लिए किया गया है।

भगवद्गीता में लोक और लोक संग्रह शब्द कई स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं, यहाँ भी लोक शब्द का प्रयोग साधारण जनता के लिए किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में लोक वेद शब्दों का प्रयोग कर समाज में इनकी सत्ता को प्रतिपादित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिन्तामणि में अनेक स्थानों पर लोक शब्द का प्रयोग जनता के लिए किया है।

शब्दकोश में लोक शब्द के कई अर्थ मिलते हैं– स्थान, संसार, प्रदेश,

जन या लोग, समाज, प्राणी या यश आदि। उपनिषदों में इहलोक तथा परलोक शब्दों का प्रयोग लोक के स्थान विशेष के रुप में प्रकट करता है। निरुक्त में पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक शब्दों का प्रयोग स्थान के रुप में मिलता है। पुराणों में सात लोकों का वर्णन है- भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्लोक या ब्रह्मलोक। इनके अतिरिक्त अतल, नितल, पितल, घबस्ति, तल, सुतल, पाताल सब मिला कर चौदह लोकों का वर्णन है। हिन्दी का लोग शब्द लोक शब्द से ही बना है। साहित्य में लोक शब्द विशेषण के रुप में प्रयुक्त हुआ है। लोक साहित्य में इस शब्द का अत्यंत व्यापक अर्थ है।

यहाँ अब तक के अध्ययन का निष्कर्ष है कि भारतीय साहित्य में लोक शब्द बहुत प्राचीन काल से प्रयुक्त होता रहा है। लोक शब्द की व्युत्पत्ति लोक दर्शने धातु में धञ् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होना मानी गई है जिसका अर्थ देखना है। अत: मूल अर्थ देखना होता है। व्यवहार में लोक शब्द का प्रयोग सम्पूर्ण जनमानस के लिए होता है। ऋगवेद में लोक शब्द का प्रयोग जन के लिए किया गया है। पुरूष सुक्त में लोक शब्द का प्रयोग स्थान तथा जीव दोनों के रुप में मिलता है। अथर्वेद में लोक शब्द से दो लोकों, पार्थिव एवं दिव्य, की स्थिति का बोध कराया गया है। उपनिषदों में लोक शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर है। इसी परम्परा में लोक शब्द का प्रयोग महाभारत और श्रीमद्भागवत गीता में भी हउ है। पाणिनी, बररुचि और पातंजलि ने लोक शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया है। भरतमुनी के नाट्यशास्त्र में लोक शब्द की सटीक उद्भावना की गई है- नाट्य शास्त्र के सम्बंध में उन्होंने लिखा है कि इस शास्त्र की रचना लोक मनोरंजनार्थ की जा रही है।

वस्तुत: लोक शब्द प्राचीनकाल से ही विकासमूलक रहा है। विद्वानों के अनुसार प्रारंभ में ज्ञान के स्तर पर सभी मनुष्य एक समान थे परन्तु इनमें से कुछ लोगों ने वाह्य वातावरण, प्रकृतिक परिवेश और आर्थिक व्यापारों के अनुकरण के चलते बौद्धिक रूप से स्वयं को विकसित कर लिया और आगे चल कर विशिष्ट वर्ग में परिणत हो कर सुसंस्कृत, शिक्षित और सुसभ्य कहलाने लगे वहीं इनके समानान्तर शेष लोग इससे अछूते रह कर मानसिक रुप से कम विकसित रह जिन्हें जनसामान्य कहा जाने लगा।

हिन्दी साहित्यकोश में लोक शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं- वह जिसे इहलोक, परलोक तथा त्रिलोक का ज्ञान है और दूसरा अर्थ जनसामान्य है जिसका हिन्दी रूप लोग है।

पण्डित रामनरेश त्रिपाठी ग्राम को लोक का पर्यायवाची मानते हैं, इन्होंने लोकगीतों के लिए ग्राम्यगीत शब्द का प्रयोग किया है। [6]

डॉ0 सत्येन्द्र का मत है कि लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है।[7]

डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है बल्कि नगरों और गाँवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं। ये लोग नगर में परिष्कृत रुचि सम्पन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले सोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रुचि वाले लोगों की विलासिता और सुकुमारिता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएँ आवश्यक होती हैं, उन्हें उत्पन्न करते हैं। [8]

डॉ0 कुंज बिहारी दास नो लोक शब्द को पारिभाषित करते हुए लिखा है कि The people that live in more or less primitive conditions outside sphere or sophisticated influence. अर्थात् जो लोग संस्कृत तथा परिष्कृत लोगों के प्रभाव से बाहर रहते हुए अपनी पुरातन परिस्थिति में विद्यमान हैं उन्हें ही लोक कहा जाता है। [9]

डॉ0 कृष्णदेव उपाधयाय ने लोक शब्द को पारिभाषित करते हुए लिखा है कि आधुनिक सभ्यता से दूर, अपनी सहज प्राकृतिक अवस्था में वर्त्तमान, तथाकथित असभ्य एवं अशिक्षित जनता को लोक कहते हैं, जिनका जीवन-दर्शन और रहन- सहन प्राचीन परंपराओं, विश्वासों तथा आस्थाओं द्वारा परिचालित और नियंत्रित होता है।[10] वो आगे कहते हैं कि जो लोग संस्कृति तथा परिष्कृत लोगों के प्रभाव से बाहर रहते हुए अपनी पुरातन स्थिति में वर्त्तमान हैं उन्हें लोक की संज्ञा प्राप्त है और उनके साहित्य को लोक साहित्य सहा जा सकता है।

डॉ0 श्याम परमार लोक की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि लोक का प्रयोग गीत, वार्त्ता, कथा, संगीत, साहित्य आदि से युक्त हो कर साधारण जन समाज, जिसमें पूर्वसंचित परम्पराएँ, भावनाएं, विश्वास और आदर्श सुरक्षित हैं तथा जिसमें भाषा और साहित्यगत सामग्री ही नहीं, अपितु अनेक विषयों के अनगढ़ किन्तु ठोस रत्न छिपे हैं, के अर्थ में होता है। इस शब्द को अर्थ विस्तार देते हुए वे लिखते हैं कि वेद और लोक की भिन्नता वेद की प्रतिष्ठा के साथ लोक के स्वतंत्र सीमित अर्थ से ऊपर उठ चुका है। उसकी भावना वैदिक और अवैदिक दोनों क्षेत्रों को स्वाभाविक रुप से स्पर्श करने लगी है।

पं0 श्रीराम शर्मा के अनुसार लोक शब्द उस विशेष जनसमूह का वाचक है जो साज-सज्जा, सभ्यता, शिक्षा, परिष्कार आदि से दूर आदिम मनोवृत्तियों के अवशेषों से युक्त परिधि को समाविष्ट करती है।

हिन्दी का लोक शब्द अंग्रेजी शब्द फोक (Folk) का पर्यायवाची है। Folk की उत्पत्ति Folc से हुई है जो ऐंग्लो सेक्शन शब्द है और जर्मनी में Volk के रूप में प्रचलित है।[11]

डॉ0 वार्कर के अनुसार फोक शब्द से सभ्यता से दूर रहने वाली किसी पूरी जाति का बोध होता है। डॉ0 सोफिया बर्न के अनुसार लोक शब्द का प्रयोग परंपरा प्रवाही जीवन व्यतीत करने वालों के लिए किया जाता है।

फारलेक्स के मुक्त शब्दकोश में लोक को कुछ इस तरह पारिभाषित किया गया है कि The common people of a society or religion considered as the representative of a traditional way of life and especially as the originators or carriers of the customs belief and art that makes up a distinctive culture.[12]

आंग्लभाषी प्रयोग की दृष्टि से फोक शब्द असंस्कृत और मूढ़ समाज अथवा जाति का द्योतक है पर सर्वसाधारण जन और राष्ट्र के लिए भी इसका प्रयोग होता है। [13]

19वीं शताब्दी के मध्य तक नृतत्वशास्त्र के अन्तर्गत केवल सामान्य संस्कृति का अध्ययन प्रचलित था। एडवर्ड टेरल ने नृतत्तव विषय पर विवेचन करते हुए एक शास्त्रीय आधार प्रदान किया। इस प्रकार आंग्लभाषी समाज में लोक शब्द का प्रयोग उस समय विशेष रूप से असंस्कृत तथा मूढ़ समाजों के लिए किया गया। समय के साथ लोक के अर्थ में विस्तार हुआ। 20 वीं शताब्दी के मध्यकाल में अमेरिकी लोकवार्त्ताकार हरजोंग ने लोक से तात्पर्य उस जनसमूह से बताया जिसमें नगर की संस्कृति, आर्थिक एवं शिक्षामूलक विविधता कम परिलक्षित होती है। वहाँ जीवनगत विविधताएँ, रीति-नीतियाँ और वार्त्ताएँ जिनमें गीत भी सम्मिलित होते हैं, सारे समूह में समान रुप से

प्रचलित रहती हैं।

प्राचीन, अर्वाचीन और पाश्चात्य विद्धानों के मतों के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपने आप में पूर्णता का बोध लिए, आभिजात्य शिक्षा एवं संस्कृति से विलग प्राकृतिक परिवेश में परंपरा प्रवाही जीवन व्यतीत करने वाले लोग ही लोक हैं जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं बल्कि वे अनुभव हैं जिन्हें वो व्यवहार से सीखते हैं। इनका जीवन परंपरा, रीति-रिवाज, मान्यताओं और विश्वासों से परिचालित और नियंत्रित होता है। ये सहज, सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिद्धांत कौमुदी, पृ0 417 (वेंकटेश्वर प्रेस, मुंबई)
2. ऋगवेद: पुरूषसुक्त 10/90/24
3. ऋगवेद: 3/53/12
4. जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण 3/28
5. महाभारत: आ0 प0 1/84
6. पण्डित राम नरेश त्रिपाठी: जनपद खण्ड 1 पृ0 16
7. लोक साहित्य विज्ञान, डॉ0 सत्येन्द्र, पृ0 3
8. डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी, जनपद, वर्ष 1, अंक 1, पृ0 65
9. डॉ0 कुंज बिहारी दास: ए ओरिजीन ऑफ फोकलोर
10. डॉ0 कृष्णदे उपाधयाय, लोक साहित्य की भूमिका, पृ0 22
11. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, 1926
12. द फ्री डिक्शनरी बाई फारलेक्स ऑन फोक
13. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, 1926

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

On Invariant Submanifold of ψ (7, 1) Structure Manifold

Lakhan Singh*

***Department of Mathematics, D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA**

Abstract - In this paper we have studied various properties of a ψ**(7, 1)** structure manifold under two different assumptions, the nature of induced structure ψ,have also been discussed.
Keywords- Invariant submanifold, projection operators, Nijenhuis tensor, and complementary distributions.

Introduction - Let V^m be a C^∞ m – dimensional Riemannian manifold imbedded in a C^∞n-dimensional Riemannian manifold M^n .where m<n . the imbedding being denoted by $f: V^m \rightarrow M^n$

let B be the mapping induced by$f$ i.e. $B = df$

$df: T(V) \rightarrow T(M)$

let T(V,M) be the set of all vectors tangent to the submanifold f(V). It is well known that

$B: T(V) \rightarrow T(V,M)$ is an isomorphism. The set of all vectors normal to f(V) forms a vector bundle over f(V) . which we shall denote by N(V, M) . we call N(V, M)the normal bundle of V^m. the vector bundle induced by f from N(V, M) is denoted by N(V). we denote by C : N(V)$\rightarrow$N(V, M) the natural isomorphism and by $\eta pr_s(V)$ the space of allC tensor field of type (r, s) associated with N(V) . thus $\zeta 0_0(V)= \eta 0_0(V)$ is the space of all C^∞ functions defined on V^m while an element of $\eta 1_0(V)$ is a C^∞ vector field normal to V^m and an element of $\zeta 1_0(V)$is a C^∞vector field tangential to V^m.

let X and Y be vector fields defined along f(V) and X, Y be the local extensions of X and Y respectively. then [X, Y] is a vector field tangential to M^n and its restrictions [X, Y] / f(V) to f(V) is determined independently of these local extensions X and Y .Thus [X, Y] is defined as

(1.1) [X, Y] = [X, Y] / f(V) since B is isomorphism

(1.2) [BX, BY] = B[X, Y] for all X, Y $\varepsilon\zeta$

Let G be the Riemannian metric tensor of M^n , we define g and g* on V^m and N(V) respectively as

(1.3) $g(X_1, X_2) = G(BX_1, BX_2) f$, and

(1.4) $g^*(N_1, N_2)= G(CN_1, CN_2)$ for all $X_1, X_2 \zeta$ and $N_1, N_2 \eta$.

It can be verified that g and g* are the induced metrics on V^m and N(V) respectively.

Let ∇ Riemannian connection determined by G in M^n , then ∇ induces a connection ∇ in f(V) defined by

(1.5) $\nabla_X Y = \nabla_X Y / f(V)$

Where X and Y are arbitrary C^∞ vector fields defined along f(V) and tangential with f(V) .

Let us suppose that $M^n$is a $C^\infty\psi$ (7, 1) structure manifold with structure tensor of type (1,1) satisfying

(1.6) $\psi^7 + \psi = 0$

Let L and M be the complementary distributions corresponding to the projection operators

(1.7) $l = -\psi^6$, $m = I + \psi^6$

Where I denotes the identity operator.

From (1.6) and (1.7), we have

(1.8) (a) $l + m = I$ (b) $l^2 = l$

(c) $m^2 = m$ (d) $lm = ml = 0$

Let D_l and D_m be the subspaces inherited by complementary projection operators l and m respectively . we define

D_l={ X T_p(V) : l X = X, mX = 0 }

D_m={ X T_p(V) : mX = X , l X= 0 }

Thus $T_p(V) = D_l + D_m$

Also Ker l ={ X : lX = 0 } = D_m

Ker$m$ ={ X : mX = 0 } = $D_l$at each point p of $f(V)$

2. invariant submanifold of ψ (7,1) structure manifold

We call $V^m$to be invariant submanifold of M^n if the tangent space $T^p(f(V))$ of$f$(V) is invariant by the linear mapping ψ at each point p of$f$(V). thus

(2.1) $\psi BX = BX$, for all X ζ and being a (1.1) tensor field in V^m .

Theorem (2.1) : Let N and N be the Nijenhuis tensors determined by ψ and ψ in M^n and V^m respectively ,then

(2.2) N(BX, BY) = BN(X,Y), for all X,Y ζ

Proof : we have, by using (1.2) and (2.1)

(2.3) N(BX, BY) = [ψ BX, ψ BY]+ψ^2[BX, BY]- ψ [ψ BX, BY]-ψ [BX, ψBY]

= [BψX, BψY]+ψ^2B[X, Y]-ψ[BψX, BY]-ψ[BX, BψY]

= B[ψX, ψY]+Bψ^2[X, Y]-ψB[ψX, Y]-ψB[X, ψY]

= B{[ψX, ψY]+ψ^2[X, Y]-ψ[ψX, Y]-ψ[X, ψY]

= BN(X,Y)

3. Distribution M never being tangential to *f* (V)

Theorem (3.1) :if the distribution Mis never tangential to f (V) , then

(3.1) m(BX) = 0 for all X ζ

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

And the induced structure ψ onV^m satisfies

(3.2) $\psi^6 = -I$

Proof : if possible m(BX) 0, From (2.1) we get

(3.3) $\psi^6 BX = B\psi^6 X$; from (1.7) and (3.3)

$m(BX) = (I + \psi^6)BX$

$=BX + B\psi^6 X$

(3.4) $m(BX) = B(X + \psi^6 X)$

this relation shows that m(BX) is tangential to *f*(V) which contradicts the hypothesis . thus m(BX) = 0 . using this result in (3.4) and remembering that B is an isomorphism , we get

(3.5) $\psi^6 = -I$, which gives that ψ^3 acts as an almost complex structure onV^m. thusV^m is even dimensional.

Theorem (3.2) : Let M be never tangential to *f*(V) , then

(3.6) N_m (BX, BY) = 0

Proof : we have

(3.7) N_m (BX, BY) = [mBX, mBY]+m^2[BX, BY]- m [mBX, BY]-m[BX, mBY]

Using (1.2), (1.8)(c),and (3.1) we get (3.6)

Theorem (3.3) : Let M be never tangential to *f*(V) , then

(3.8) N_l (BX, BY) = 0

Proof : we have

(3.9) N_l (BX, BY) = [*l*BX, *l*BY]+l^2[BX, BY]- *l* [*l*BX, BY]–*l*[BX, *l*BY]

Using (1.2) , (1.8)(a), (b) and (1.3) in (3.9) ; we get (3.8) .

Theorem (3.4) : Let M be never tangential to *f*(V) , define

(3.10) H(X, Y) = N(X, Y) – N(mX, Y) – N(X, mY) + N(mX, mY)

For all X, Y ζ, then

Then (3.11) H(X, Y) = BN(X, Y)

Proof : using X = BX, Y = BY and (2.2), (3.1) in (3.10) we get (3.11)

4. Distribution M always being tangential to *f* (V)

Theorem (4.1) :let the distribution M be always tangential to *f* (V) , then

(4.1) (a) m(BX) = BmX (b) *l*(BX) = B*l*X

Proof : from (3.4), we get (4.1)(a). also

(4.2) $l = -\psi^6$

$lX = -\psi^6 X$

(4.3) $BlX = -B\psi^6 X$ using (2.1) in (4.3)

(4.4) $BlX = -\psi^6 BX = l(BX)$, which is (4.1)(b)

Theorem (4.2) :let the distribution M be always tangential to *f* (V) , then , l and m satisfy

(4.5) (a)$l+m = I$ (b)$lm= ml = 0$ (c)$l^2=l$ (d)$m^2=m$.

Using (1.8) and (4.1) we get the results .

Theorem (4.3) : If the distribution M is always tangential to *f* (V), then

(4.6) $\psi^7 + \psi = 0$

Proof : from (2.1)

(4.7) $\psi^7 BX = B\psi^7 X$

Using (1.6) in (4.7)

$-\psi BX = B\psi^7 X$

$-B\psi X = B\psi^7 X$

$\psi^7 + \psi = 0$ which is (4.6)

Theorem (4.4) : If the distribution M is always tangential to *f* (V), then as in (3.10)

(4.8) H(BX, BY) = BH(X, Y)

Proof : from (3.10) we get

(4.9) H(BX, BY) = N(BX, BY) – N(mBX, BY) – N(BX, mBY) + N(mBX, mBY)

Using (4.1)(a) and (2.2) in (4.9) we get (4.8).

References:-

1. Bejancu , A, CR-submanifolds of a Kaehler Manifold l, proc. Amer. Math. Soc ., 69,135-143(1978).
2. Demetropoulou-Psomopoulou, D. and Andreou, F. Gouli, On Necessary and sufficient conditions for an N- Dimensional Manifold to admit a Tensor Field f(0) of type (1,1) satisfying) $f^{2v+3} + f = 0$ Tensor (N.S.), 42,252-257(1985)
3. Blair, D.E. and Chen , B.Y., On CR- submanifolds of Hermitian Manifolds . Israel Journal of Mathematics ,34(4),353-363(1979).
4. Goldberg, S.I. and Yano,K., On normal globally framed f- manifolds . Tohoku Math., I. 22,362-370(1970).
5. Goldberg, S.I., On the Existance of Manifold with an F-structure . Tensor (N.S.),26,323-329(1972).
6. Upadhyay, M.D. and Gupta, V.C. Integrability conditions of a structure $f_ë$satisfying $f^3 + ë^2 f = 0$, publications mathematics , 24(3-4),249-255(1977).
7. Yano, K., On structure defined by a tensor Reid f of type (1,1) satisfying $f^3 + f = 0$, Tensor (N.S.) 14,99-109(1963)
8. Yano, K. and Kon, M., Differential geometry of CR-submanifolds ,Geometriate Dedicala.10, 369-391(1981).
9. Das , L.S., Nivas, R. and Singh , A. On CR-structures and F-structures satisfying $F^{4n} + F^{4n-1} \ldots\ldots + F^2 + F = 0$, Tesor N.S.70.255-260(2008).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

भारत में स्मार्ट खेती: संभावनाए और चुनौतियां

डॉ. पंकज जायसवाल *

* अध्यक्ष (भूगोल विभाग) साई पी0जी0 कॉलेज फतेहपुर, बाराबंकी (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – कृषि क्षेत्र में भारत ने आजादी के बाद एक लंबा एवं संघर्ष भरा सफर तय किया है। हरितक्रांति तथा कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान तथा प्रसार ने भारत को न सिर्फ खाद्यान्न में वरन दुग्ध उत्पादन में भी विश्व के शिखर पर खड़ा कर दिया और आज भारत फल एवं सब्जियों में, दूध, मसाले एवं जूट में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक है। धान एवं गेहूं में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं वैश्विक स्तर पर भारत 80 प्रतिशत से अधिक फसलों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। हरितक्रांति ने विश्व पटल पर भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में अत्यधिक मदद की तथा इस लक्ष्य को भली-भांति पूरा भी किया गया है। परंतु आज समय की मांग खाद्य सुरक्षा में सुधार के साथ-साथ अधिक आय अर्जित करना भी है। बढ़ती हुई आबादी, घटती हुई उपजाऊ कृषि भूमि, कम होते हुए रोज़गार तथा निवेश एवं बाज़ार के जोखिमों ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के समक्ष कृषि को लाभकारी बनाने में बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

विकसित देशों ने आधुनिक खेती को लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने हेतु डिजिटल आधारित स्मार्ट खेतीपर जोर दिया है जो भारत के लिए भी सुनहरा अवसर है। बढ़ती वैश्विक आबादी के संयोजन, उच्च फसल उपज की बढ़ती मांग, प्राकृतिक संसाधनों का न र कुशलतापूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के कारण स्मार्ट खेती का महत्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है। विश्वभर में स्मार्ट खेतीमुख्यत: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित कृषि की वृद्धि एवं भविष्य अनुमान को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

स्मार्ट कृषि – स्मार्ट फार्मिंग एक कृषि प्रबंधन अवधारणा है जो कृषि उद्योग को उन्नत तकनीक का लाभ उठाने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत बड़े डेटा, क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कृषि उत्पाद की ट्रैकिंग, निगरानी, स्वचालन और संचालन का विश्लेषण।

तालिका:-1 विश्वभर में स्मार्ट खेतीमुख्यत: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (खढि) आधारित कृषि की वृद्धि एवं भविष्य अनुमान

वर्ष	इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित कृषि फार्म
2000	52 करोड़ 25 लाख कृषि फार्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) से जुड़े
2016	54 करोड़ कृषि फार्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) से जुड़े
2035	79 करोड़ कृषि फार्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) से जुड़ेंगे
2050	205 करोड़ कृषि फार्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जुड़ेंगे

स्रोत : स्मार्ट खेतीपर आधारित विभिन्न अनुसंधान द्वारा संकलित

करने हेतु किया जाता हैं।

स्मार्ट खेती के तकनीकी तत्व : स्मार्ट खेती में मुख्यत: निम्नलिखित तकनीकों का अलग-अलग प्रकार से उपयोग शामिल

- **सेंसर :** पानी, प्रकाश, आर्द्रता और तापमान प्रबंधन तथा मृदा स्कैनिंग के लिए विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग किया जाता है।
- **दूरसंचार तकनीकियां** जैसे उन्नत नेटवर्किंग और जीपीएस
- **इंटरनेट ऑफ थिंग्स** (IoT) आधारित समाधान, रोबोटिक्स और स्वचालन को सक्षम करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
- **निर्णय** लेने और कीट रोग एवं मौसम आधारित भविष्य अनुमान हेतु डेटा विश्लेषण उपकरण
- **फसल की पैदावार मिट्टी-** मानचित्रण, जलवायु परिवर्तन, उर्वरक अनुप्रयोगों, मौसम डेटा, मशीनरी और पशु स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों का डेटा संग्रह
- **दूरस्थ निगरानी एवं लगातार डेटा एकत्र** करने हेतु उपग्रह और ड्रोन आधारित आईटी सिस्टम

स्मार्ट खेती/ फार्म प्रक्रिया

फार्म में आकड़ा संग्रह: खेत में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए सेंसर मिट्टी हवा आदि के बारे में डेटा एकत्र कर एक जगह प्रसारित करते हैं

निवारण एवं आकलन: एकत्र किए गए डेटा का सिस्टम द्वारा विश्लेषण किया जाता है और निगरानी की गई वस्तु या प्रक्रिया की स्थिति के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। संभावित समस्याओं की पहचान भी की जाती है।

निर्णय : पिछले चरणों में पहचानी गई समस्याओं के आधार पर, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का उपयोग कर समाधान किया जाता है।

कार्रवाई : पिछले चरण में पहचाने गए समाधानों को क्रियान्वित किया जाता है। पुन: सेंसर द्वारा मिट्टी, हवा, नमी आदि पर एक नया माप किया जाता है और पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है।

इस स्वचालित स्मार्ट खेती प्रक्रिया से उच्च परिशुद्धता और 24/7 नियंत्रण के साथ प्रमुख संसाधनों जैसे पानी, ऊर्जा, उर्वरक एवं समय की बचत होती है। वर्तमान में स्मार्ट खेतीतकनीकों का मुख्यत: कृषि के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है (तालिका-2)

भारत में इलेक्ट्रॉनिक कृषि से स्मार्ट खेती की ओर बढ़ते कदम: गत 20 वर्षों में सूचना संचार तकनीकियों (ICTs) से कृषि सहित हर क्षेत्र में क्रांति आ गई है। शुरुआती दौर में कृषि क्षेत्र में मात्र इंटरनेट के उपयोग से लेकर आज वर्तमान में स्मार्ट फोन एवं मोबाइल ऐप के उपयोग तक कृषि के

अधिकांश कार्यों के लिए सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त की जा रही है। भारत में सूचना संचार तकनीकियों (ICTs) का उपयोग एवं विकास निम्नलिखित

तालिका-2 : स्मार्ट खेतीतकनीकों का कृषि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग

कृषि क्षेत्र	स्मार्ट खेती तकनीकों का प्रयोग
फसल जल प्रबंधन	कृषि गतिविधियों को कुशल तरीके से करने के लिए पर्याप्त पानी आवश्यक है। सिंचाई के लिए उचित जल प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं पानी की बर्बादी को कम करने के लिए कृषि IoT को वेब मैप सर्विस (WMS) और सेंसर ऑब्ज़र्वेशन सर्विस (SOS) के साथ एकीकृत किया गया है।
सुव्यतता कृषि (प्रेसिजन कृषि)	मौसम की जानकारी के संदर्भ में उच्च सटीकता की आवश्यकता होती है जिससे फसल के नुकसान की संभावना कम हो जाती है। कृषि IoT किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, मिट्टी की गुणवत्ता, श्रम की लागत और कीट एवं रोगों के संदर्भ में वास्तविक समय के डेटा की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है।
एकीकृत कीट या नियंत्रण (आईपीएम/सी)	कृषि IoT सिस्टम तापमान, नमी, पौधों की वृद्धि और कीटों के स्तर की उचित लाइव डेटा निगरानी के माध्यम से किसानों को सटीक पर्यावरणीय डेटा प्रदान करता ताकि उत्पादन के दौरान उचित देखभाल की जा सके।
खाद्य उत्पादन और सुरक्षा	कृषि IoT प्रणाली कृषि उत्पाद भंडारण हेतु गोदाम के तापमान, शिपिंग परिवहन प्रबंधन प्रणाली जैसे विभिन्न मापदंडों की सटीक निगरानी करती है और क्लाउड आधारित रिकॉर्डिंग सिस्टम को भी एकीकृत करती है।

प्रोजेक्ट्स द्वारा क्रमबद्ध हुआ जो आज स्मार्ट खेतीकी ओर अग्रसर है-

ग्राम ज्ञान केंद्र : एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) द्वारा 1998 में शुरू किया गया यह भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसमें सूचना संचार तकनीकियों (ICTs) का कृषि विकास हेतु उपयोग हुआ। यह परियोजना पुडुचेरी में आईसीटी मोड में शुरू की गई थी ताकि ग्रामीणों को कृषि आधारित प्रासंगिक जानकारी सही समय पर तुरंत प्रदान की जा सके। ग्राम ज्ञान केंद्रों में कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन के रूप में उपयुक्त हार्डवेयर लगाए गए जो एक वायरलेस संचार लिंक से जुड़े थे। किसानों को फसल चयन, फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा, फसल प्रबंधन, फसल से पहले और कटाई के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित संपूर्ण समाधान प्रदान किए गए।

भूमि परियोजना : वर्ष 1998 में, कर्नाटक सरकार ने भूमि परियोजना के अंतर्गत पूरे राज्य के भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया। अब तक कर्नाटक राज्य के राजस्व विभाग ने 65 लाख से अधिक किसानों के भूमि स्वामित्व के दो करोड़ से अधिक रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत किया है। किसान 15 रुपये के मामूली भुगतान के बाद किसी भी निकटतम तालुका (तहसील) कार्यालय में जाकर अपने अधिकार किरायेदारी और फसलों का एक कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है जिसे आरटीसी कहा जाता है, एक दस्तावेज जिसे ऋण उद्देश्यों के लिए कई विभागों और बैंकों द्वारा आवश्यक और स्वीकार किया जाता है। इस सूचना संचार तकनीकी ने किसानों द्वारा कृषि ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है।

ई-चौपाल : आई.टी.सी. द्वारा जून 2000 में शुरू किया गया, 'ई-चौपाल' ग्रामीण भारत में इंटरनेट-आधारित स्मार्ट खेतीहेतु अपनी एक अलग सफल पहचान बना चुका है। किसानों द्वारा प्रबंधित ग्रामीण इंटरनेट कियोस्क जिन्हें 'संचालक' कहा जाता है, किसानों को मौसम और बाज़ार की कीमतों पर अपनी स्थानीय भाषा में तैयार जानकारी पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को कृषि से संबंधित सभी इनपुट एवं बाज़ार की सही जानकारी सही समय पर मिलती हैं। स्मार्ट खेतीकी ओर अग्रसर होते हुए अब ई-चौपाल द्वारा किसानों की आवश्यकता अनुसार कृषि जानकारी और किसानों के दरवाज़े से कृषि उपज की खरीद भी शुरू की गई है। श्ई-चौपाल सेवाएं आज 10 राज्यों (मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड) में 6100 कियोस्क के माध्यम से 35,000 से अधिक गांवों में फसलों की एक श्रृंखला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्रा प्रदेश और तमिलनाडु के सोयाबीन, कॉफी, गेहूं, चावल, दालें, झींगा उगाने वाले लगभग 40.1 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचती हैं।

आई-किसान : आई-किसान की शुरुआत नागार्जुन समूह द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में गांवों में सूचना कियोस्क की स्थापना के साथ एक वेबपोर्टल शुरू किया गया था। यूजर्स को यह सुविधा फ्री में दी गई थी। यह आठ क्षेत्रीय भाषाओं में फसलों, कृषि पद्धतियों, फसल विपणन योग्यता और मेट्रोलॉजिकल डेटा से संबंधित किसानों को उनकी मांग के अनुसार कृषि इनपुट प्रदान करता है।

किसान कॉल सेंटर : किसान कॉल सेंटर 2004 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों के प्रश्नों के उत्तार उनकी मूल भाषा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे। ये केंद्र बहुत मामूली हार्डवेयर और परिचालन लागत के साथ काम करते हैं। बुनियादी ढांचे में इंटरनेट से जुड़ा एक कंप्यूटर और एक टेलीकांफ्रेंसिंग प्रणाली शामिल है। किसान एक टोल फ्री नंबर 18001801551 डॉयल कर अपनी समस्या तकनीकी कार्यकारी या वैज्ञानिक को प्रात: 6 से रात 10 बजे के बीच कभी भी दर्ज करा सकता है जिसका समाधान तुरंत या अधिकतम 72 घंटे में दे दिया जाता है। इन केंद्रों द्वारा प्रतिदिन 25,000 कॉल दर्ज की जाती हैं। वर्तमान में, किसान कॉल सेंटर 21 स्थानों से 22 क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित हो रहे हैं और पूरे देश को कवर करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) : बाज़ार में खरीदार या व्यापारी की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना ही ए.पी.एम.सी मंडियों में कृषि विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का गठन किया गया। ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार का उद्देश्य एपीएमसी में भौतिक उपस्थिति तथा किसी पूर्व शर्त के बिना खरीदारों तथा किसानों के मध्य खरीदारी करवाना है। साथ ही ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार पूरे राज्य में व्यापार के लिए वैध एकल लाइसेंस और एकल कर की स्थापना भी करता है। सितंबर 2016 तक, भारत में लगभग 250 एपीएमसी ऑनलाइन हो गए थे (कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, 2016)। किसान मुख्य रूप से देश में फैले 6,900 एपीएमसी मंडियों में अपनी उपज की भौतिक रूप से नीलामी करते हैं जिनमें

खरीददार ज्यादातर स्थानीय व्यापारी हैं। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों और व्यापरियों से आग्रह कर रही है कि वे ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार का उपयोग करे और कोविड-19 के खतरे की बीच नीलामी स्थल पर जाने से बचे और इस सन्दर्भ में किसानें ने 585 मंडियो में ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से आनलाइन बोली लगाना शुरू भी कर दिया है जिसकों स्मार्ट कृषि के अन्तर्गत स्मार्ट मार्केटिंग का नाम दिया जा रहा है।

तालिका-3 : कुल खाद्यान्न उत्पादन के विपणन में ई- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का हिस्सा

वर्ष	कुल खाद्यान्न उत्पादन (तेल के बीज सहित) (टन)	ई- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का हिस्सा
2015-16	141,790,000	10.00 प्रतिशत
2016-17	159,853,600	5.82 प्रतिशत
2017-18	161,472,500	5.84 प्रतिशत
2018-19	162,196,000	14.40 प्रतिशत

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना (एनईजीपीए) : कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना (एनईजीपीए) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू में 2010-11 में सात पायलट राज्यों में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि तक समय पर पहुंच के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग के माध्यम से भारत में तेज़ी से विकास हासिल करना है। वर्ष 2014-15 में इस योजना को शेष सभी राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आगे बढ़ाया गया था। नई डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व को समझते हुए, किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति (डीएफआई) ने भारत सरकार की डिजिटल कृषि पहलों को और विस्तार देने और बढ़ाने की सिफारिश की है जिसके अंतर्गत ई-गवर्नेस योजना में स्मार्ट खेतीके नवीन प्रबंधन प्रारूप जैसे रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), रोबोटिक्स, ड्रोन, सेंसर और ब्लॉकचेन शामिल किए गए हैं। स्मार्ट खेतीको कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार ने कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना (NeGPA) दिशानिर्देशों को 2020-21 में संशोधित किया है तथा दो मुख्य कदम उठाए हैं।

एकीकृत किसान सेवा मंच (यूएफएसपी): एकीकृत किसान सेवा मंच देशभर में कृषि परिस्थिति की विभिन्न सार्वजनिक और निजी आईटी प्रणालियों के मुख्य बुनियादी ढांचे, डेटा, अनुप्रयोगों और उपकरणों का एक संयोजन है। यह स्मार्ट खेतीएवं डिजिटल सेवाओं से जुड़े सार्वजनिक और निजी सेवा प्रदात्तओं के साथ-साथ सरकार से किसान तक (G2F), सरकार से व्यवसाय (G2B), व्यवसाय से किसान (B2F) और व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) के पंजीकरण को सक्षम बनाता है।

किसान सम्बन्धित अभिलेख: किसानों के लिए बेहतर योजना, निगरानी, नीति निर्माण, रणनीति तैयार करने और स्मार्ट खेतीसे जुड़ी योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए भूमि अभिलेखों से जुड़ा एक राष्ट्रव्यापी किसान डेटाबेस बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत सभी किसानों को उनकी विशिष्ट पहचान के लिए विशिष्ट किसान आईडी (FID) दी जा रही है।

भारत में स्मार्ट खेती के समक्ष चुनौतियां एवं संभावनाएं:2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 17.8 प्रतिशत था, जोकि 2020-21 में बढ़कर 19.9 हो गया है। भारत सरकार द्वारा कृषि विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं की इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका रही है किन्तु 2050 में खाद्य सुरक्षा से संबंधित आने वाली कृषि चुनौतियों से सामना करने हेतु भारत को स्मार्ट खेती तकनीकों को बड़े पैमाने में क्रियान्वित करना होगा जिनमें मुख्यत: निम्नलिखित दो क्षेत्र शामिल हैं।

सुव्यतता कृषि (प्रेसिजन कृषि) : प्रेसिजन कृषि के अंतर्गत फसल एवं मृदा में सही-इनपुट सही समय में सही मात्रा में सही जगह पर और श्सही तरीके से दिया जाता है। इसके लिए मौसम, मिट्टी की नमी एवं तापमान, उर्वरक दर, पानी का बहाव, कृषि रसायनों की आवाजाही और बारिश की सटीक जानकारी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (जीपीएस) जैसी स्मार्ट खेती तकनीकों से जुटाई जाती है। इजराइल ने इन्हीं तकनीकों का उपयोग कर ड्रिप सिंचाई में एक नई क्रांति ला दी है जिसके अंतर्गत 75 प्रतिशत से अधिक इज़राइली कृषि फार्म पूर्ण रूप से प्रेसिजन कृषि करते हैं। हालांकि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है जो कुल सिंचाई क्षमता का लगभग 85 प्रतिशत (139.90 मिलियन हेक्टेयर) प्राप्त कर चुका है, जिसमें भविष्य में वृद्धि की सीमित संभावनाएं हैं। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार पानी की कुल मांग 2050 तक आपूर्ति से अधिक हो जाएगी। जल उपयोग दक्षता में भारत चीन, ब्राज़ील और अमेरिका जैसे प्रमुख कृषि देशों की तुलना में एक इकाई खाद्य फसल का उत्पादन करने के लिए 2-3 गुना अधिक पानी का उपयोग करता है। स्मार्ट खेती आधारित ड्रिप सिंचाई प्रणाली की ऑन-फार्म दक्षता, पारंपरिक सिंचाई विधियों की तुलना 90 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। साथ ही, फल और सब्जी फसलों में उत्पादकता में 42-53 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए, ड्रिप सिंचाई कृषि लागत को 20-50 प्रतिशत, बिजली की खपत को लगभग 30 प्रतिशत और उर्वरक की खपत को लगभग 28 प्रतिशत तक कम करने में मदद करता है। देश में कुल सिंचित क्षेत्र 68,649 हज़ार हेक्टेयर है। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि 12,908.44 हज़ार हेक्टेयर है जिसमें ड्रिप सिंचाई 6,112.05 हज़ार हेक्टेयर और छिड़काव सिंचाई 6,796.39 हजार हेक्टेयर है। स्पष्ट है कि देश में कुल सिंचित भूमि में से केवल 19 प्रतिशत ही सूक्ष्म सिंचाई के अधीन है, जिसका अधिकतम भाग स्मार्ट खेती आधारित भी नहीं है। भारत को न सिर्फ अपने सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र की वृद्धि करनी होगी बल्कि इजराइल समान भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का उपयोग कर स्मार्ट सिंचाई तकनीकों पर जोर देना होगा। किसानों को सिंचित पानी उपलब्धा कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन इस ओर एक सराहनीय कदम है। प्रेसिजन कृषि का वैश्विक बाज़ार 13.09 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2022 तक 6.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार आकार तक पहुंचने की उम्मीद है जिसका लाभ भारत को अवश्य लेना चाहिए।

स्वचालित (ऑटोमेटेड) कृषि: सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT). डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण उपकरण एवं आईटी सिस्टम आधारित कृषि स्मार्ट खेतीके वो अवयव हैं जो कृषि को स्वचालित (ओटोमेटेड) बनाते हैं। वर्तमान में 70 इज़राइली कंपनियां फसलों और मिट्टी की अवश्यकताओं का विश्लेषण, निगरानी और स्वचालित करने के लिए उपकरण बनाती हैं, जिससे संसाधनों की न्यूनतम बर्बादी, अधिकतम दक्षता और उपज सुनिश्चित होती

है। कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इज़राइल की एजेंसी, 'मशाव' एवं भारतीय राज्य सरकारों ने स्वचालित (ऑटोमेटेड) कृषि खासतौर पर जल प्रबंधन हेतु देश में 20 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। भारत में स्वचालित (ऑटोमेटेड) कृषि की अभी बस शुरुआत ही है जिसके अंतर्गत कुछ एग्री स्टार्टअप ही यह सुविधा किसानों को दे रहे हैं जैसे सेटस्योर, फसल, एआई बानों, गोबसकों, क्रॉपाइन एवं इंटेलो लैब्स आदि है।

इसके अतिरिक्त 8 सितंबर, 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत पूसा संस्थान, नई दिल्ली में भा.कृ.अनु.प.- परिशुद्धता कृषि नेटवर्क कार्यक्रम (भाकृअनुप-एनईपीपीए) का शुभारंभ किया गया है। भारतीय कृषि में चुनौतियों और प्रौद्योगिकियों, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और हाल की सरकारी पहलों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को कृषि - लाभप्रद उद्यम बनाने के लिए सुरक्षित पर्यावरण और गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ निरंतर संवर्धित इनपुट उपयोग और उत्पादन प्रणाली के लिए सटीक एजी-टेक विकसित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। नेटवर्क कार्यक्रम में पूसा संस्थान के नेतृत्व में 16 भागीदार संस्थान (7 एसएमडी) शामिल हैं। स्मार्ट खेती के कार्यान्वयन हेतु पूसा संस्थान में नानाजी देशमुख फेनोमिक्स सेंटर की स्थापना की गई है जिसमें संसाधन कुशल, जलवायु स्मार्ट और उच्च उपज वाली खेती के विकास के लिए उच्च प्रवाह क्षमता सेंसर आधारित संयंत्र फेनोटाइपिंग पर भारतीय और अमेरिकी परिदृश्य हेतु व्यवस्था की गई है जो स्मार्ट खेतीके लिए मौलिक हैं व परिशुद्ध कृषि हेतु मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का आकलन व निगरानी के लिए ड्रोन रिमोट सेंसिंग सहित सेंसर और सेंसिंग तकनीक संबंधी अत्याधुनिक तकनीकों और आईओटी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। आज फेनोमिक्स पौधों की वृद्धि, प्रदर्शन और संरचना का अध्ययन, विभिन्न सेंसरों को शामिल कर नई तकनीकों का उपयोग करता है, जहां पर सेंसिंग प्लेटफॉर्म, और बिग डेटा एनालिटिक्स पर्यावरण के लिए पौधों की प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से चित्रित करने और विकास का वर्णन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव): शिखर सम्मेलन-2020 इस सम्मेलन में भारत में स्मार्ट खेतीको बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने चार लक्ष्यों को समक्ष रखा है (i) हाई थ्रूपुट फील्ड फीनोटाइपिंग तथा मृदा और फसल स्वास्थ्य निगरानी एवं प्रबंधन के लिए एकीकृत प्लेटफार्मों, रोबोटिक्स, आईओटी और डब्ल्यूएसएन के साथ स्वदेशी कम लागत वाले सेंसरों का विकास (ii) दबावों, भेदभाव और वास्तविक समय में पहचान एवं प्रबंधन के सेंसर आधारित अभिज्ञान के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स और मॉडलिंग (iii) वास्तविक समय में फसल की निगरानी और प्रबंधन के लिए विभिन्न सेंसर, इंटर सेंसर कैलिब्रेशन और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए यूएवी (मानव रहित विमान) आधारित इमेजिंग के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल तथा (iv) भारतीय कृषि के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयुक्त किफायती स्केल न्यूट्रल परिशुद्ध कृषि प्रौद्योगिकियों का विकास।

भारत सरकार कृषि को स्मार्ट एवं किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु कई योजनाएं मुख्यत: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार सूक्ष्म सिंचाई कोष बारानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित कर रही है जो कृषि क्षेत्र में डिजिटल आधारित स्मार्ट खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अंतर्गत मुख्यत: इलेक्ट्रॉनिक एवं मोबाइल ऐप - आधारित कृषि पर जोर दिया जा रहा है। सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण उपकरण एवं आईटी सिस्टम आधारित कृषि की अभी भारत में शुरूआत ही हुई है। भारत को स्मार्ट खेती से जुड़ी हुई चुनौतियों एवं संभावनाओं को बारीकी से समझकर नीतियों का निर्माण कर उनका अनुपालन करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. कुरूक्षेत्र, अंक-7, मई 2007
2. भूगोल और आप, अंक-7, संख्या-2, मार्च-अप्रैल 2008
3. कुरूक्षेत्र, अंक- 9, जुलाई 2008
4. कुरूक्षेत्र, अंक- 2, दिसम्बर 2021
5. कुरूक्षेत्र, अंक- 3, जनवरी 2022
6. कृषि भूगोल, प्रोफेसर बी0एन0 सिंह, 2007

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

An Exploration into the Causes and Remedies of Chemical Leak Accidents

Dr. S.K.Udaipure*

***Prof. & Head (Chemistry) Govt. Narmada P.G.College, Narmadapurma (M.P.) INDIA**

Abstract - Based on a newly developed accident causation model—the 24Model—this research conducts a thorough examination and analysis of a catastrophic hazardous chemical accident with domino effects in China. In order to prevent repeating the same mistakes, the incident's causes and origins at the human and organisational levels have been identified. This catastrophe started with a vinyl chloride leak brought on by the operators' improper handling and the bell housing of the gas holder failing. Hazardous chemical leakage accidents present a pressing task for fire departments engaged in emergency rescue. It is vital to analyse the feature and law of leaking accidents and determine how they affect emergency rescue since they are significant in both theory and practise. Since information technology has recently advanced so quickly in areas like sensing, communications, and databases, we are now able to employ simulation trials to study serious mishaps brought on by dangerous chemicals. These accidents frequently result in not only serious repercussions and financial losses, but also traffic congestion at the same time, due to the toxicity and spread of dangerous chemicals.
Keywords- Leak Accidents, Chemical, Exploration, Hazardous, Dangerous Chemicals.

Introduction - Hazardous chemical leakage accidents refer to the leakage of hazardous chemicals during their production, transport, storage, and use as a result of design flaws, illegal activity, equipment failure, and other factors. These accidents may result in environmental pollution, fire and explosion, casualties, and other severe repercussions.

Chlorine, ammonia, hydrogen fluoride, formaldehyde, and other dangerous chemicals are used and released in the chemical production process, or they are transported using tank cars or delivery pipes. Due to the fast development of the petroleum and chemical industries, many hazardous chemicals are now present on chemical production lines or kept in warehouses by chemical companies. In addition, various factors like as war, vandalism, natural disasters, and others pose a risk for their leaking incidents.

The attributes of dangerous mixtures incorporate combustibility, hazardousness, harmfulness, and destructiveness. Unintentional events during the production, stockpiling, transportation, or different exercises of synthetic compounds much of the time bring about a progression of cascading types of influence and can have serious repercussions, including mass mortality, property misfortunes, and ecological corruption. This kind of fiasco is critical to deal with security and hazard the executives happens routinely in China's cycle industry, and even shows a vertical propensity after some time. The Chinese government has made various moves as of late to advance the circumstance, and various examinations on the recurrence of dangerous compound mishaps have been directed These activities incorporate the joining of synthetic modern stops, checking and controlling administrator ways of behaving, changing related regulations and guidelines, and so forth.

Hazardous chemicals have grown in importance as a component of industrial and agricultural production, construction for national security, and everyday life as a result of the expansion of the global economy. Serious incidents brought on by dangerous substances have, nevertheless, been happening more frequently globally in recent years. For instance, a chemical firm in Panyu, Guangzhou, experienced an acryl ate leakage accident on February 7, 2010, and thousands of neighbouring residents were immediately evacuated. On April 17, 2013, an explosion at a fertiliser plant in western Texas, America, resulted in the burning of at least 10 buildings, 35 fatalities, and more than 160 injuries. On July 19, 2014, a very severe traffic and deflagration disaster on the Shanghai-Kunming expressway in Shaoyang, Hunan, resulted in 54 fatalities, 6 injuries, and a 53 million Yuan direct economic loss. A methanethiol leakage catastrophe that happened on November 15, 2014 at an American DuPont facility in southeast Houston resulted in 4 fatalities, 1 person injured, and many local households were impacted.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Review of Literature

The Gas Chamber Rule, 2004, characterizes packed flammable gas (CNG) as a mix of hydrocarbon gases and fumes, essentially methane in vaporous structure that has been compacted for use as an auto fuel. Flammable gas is compacted at exceptionally high strain, frequently somewhere in the range of 3000 and 3600 psi, to make packed petroleum gas, or CNG (Ahmad, 2004). Since petroleum gas is lighter than air, it just becomes combustible in a moderately little scope of gas fixations (somewhere in the range of 3.7% and 17% by volume) when joined with air. Petroleum gas is a bountiful, reasonable, and environmentally agreeable fuel for vehicles. Synthetically, it normally contains essentially of methane — over 90% of it — with hints of ethane, propane, butane, carbon dioxide, and different gases.

It has been utilized in autos for the overwhelming majority years in countries including Argentina, Italy, Pakistan, Brazil, the US, and New Zealand. In India, CNG was first utilized as a vehicle fuel in the last part of the 1990s. In Delhi (May 2001), the quantity of CNG transports extended rapidly from 900 to 7000, potentially making it the biggest city CNG transport armada on the planet, as per Erlandsson and Weaver (2002). Because of the absence of CNG filling stations around the country, the central concern with CNG transports in India is that they can't go for longer than 200 miles all at once. In case of a CNG release, the region nearest to the roof would be the most in danger for fire, while for fluid fuel, it is in every case nearest to the floor. On account of the strength of the flammable gas chambers and fuel framework, breaks and fires are regularly forestalled. Mishap information are available for diesel-controlled vehicles, however for CNG vehicles — which as of late became famous in India — there are not many deadly mishap information and encounters. The fundamental purposes behind CNG vehicle mishaps incorporate underlying issues, driver blunders during filling activities, and gas pipe detachments. Flammable gas vehicles are secure when utilized in genuine rush hour gridlock around the world, as time has shown.

Brijwasan Road, directly across from Oberoi Farm. According to witnesses, the truck's headlights were on full beam as it sped into Najafgarh. The victims' Wagon R, which was travelling in the opposite direction and trying to pass another car on the one-lane road without a divider, crashed into the truck. Within ten seconds, the automobile caught fire. Right behind the automobile, a motorbike was also struck, wounding both of its riders. Three guys were burned alive inside the automobile after it swerved multiple times and was launched into the air as a result of the collision (Times ofIndia, 9th Nov. 2008 New Delhi Ed.).

The transport was worked with 12 chambers right away and was in consistence with IS: 15490:2004 prerequisites (Indian Standard Code). These 12 chambers had a solitary filling point and were flowed. These chambers followed great designing standards. The valve complied with IS: 3224:2002 guidelines. Six of the 12 chambers can hold 80 L of water, while the other six can hold 50 L. Three extra gas chambers with a 80 L water limit were introduced by the proprietor, two of which met IS: 15490:2004 prerequisites while the others didn't. The two chambers were introduced by a neighborhood seller and met the prerequisites of IS: 3224:2002 for the valve, which affirmed the IS particular as per the Gas Chamber Rules, 2004. The other chamber had a different filling point since it didn't meet IS determinations.

Method: Figure 1 illustrates the unique structure of the 24Model, which is the instrument used in this study to analyse the hazardous chemical accident. Here, "2" refers to organisational and individual-level reasons; "4" refers to a classification of causes that includes unsafe acts and conditions, defects in routine behaviour, problems in the safety management system, and weaknesses in safety culture. According to the 24Model, all accidents are the responsibility of the organisation and are primarily a result of internal organisational causes (at both the human and organisational levels). For the managers of the organisation to enhance safety performance, the internal reasons are far more able to be changed and controlled; hence they are typically the focal focuses of accident investigation and analysis. In general, accidents are caused by variables that influence internal ones, such as natural occurrences, flawed design, inadequate government oversight, defects in laws or regulations, etc.

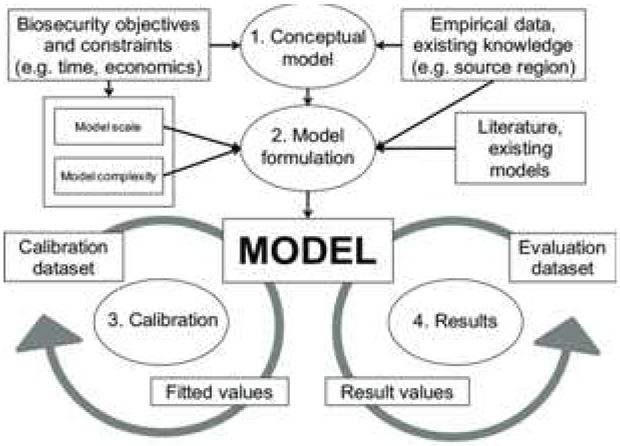

Figure: 1 the 24Model framework

The immediate causes of an accident, according to Heinrich's theory are unsafe behaviours and environments. These causes are also influenced by a variety of other variables, including an individual's safety awareness, knowledge, and behaviours as well as their psychological and physical health .Recognized fundamental causes of failures at the person level include flaws in organisational safety management and safety culture. An organization's safety management is carried out through a safety management system; hence, weaknesses in the system can be used as a barometer to show weaknesses in safety

management.

Accident Overview

Substance and Installation: This catastrophe started with a vinyl chloride leak from storage at Shenghua Company; the spilled gas was ignited by a high-temperature device during diffusion, and the original ignition later changed into a deadly detonation. Caustic soda and polyvinyl chloride resin are the major products of Shanghais Company. In order to use or store vinyl chloride, an essential intermediate product, in large numbers, an accident just occurred during the compression and condensation of the substance. Figure 2 displays a simple process flow diagram for vinyl chloride. Vinyl chloride is a poisonous, flammable, and explosive substance that is included in China's Hazardous Chemicals Catalogue. The blend with air is effortlessly lighted once it comes into contact with an open fire or hot surface since it has a low glimmer point (78 °C) and many unst able cutoff points (from 3.6% to 33% by volume). This exhibits that vinyl chloride is exceptionally ignitable and perilous, accordingly care ought to be taken while creating, putting away, and utilizing this material.

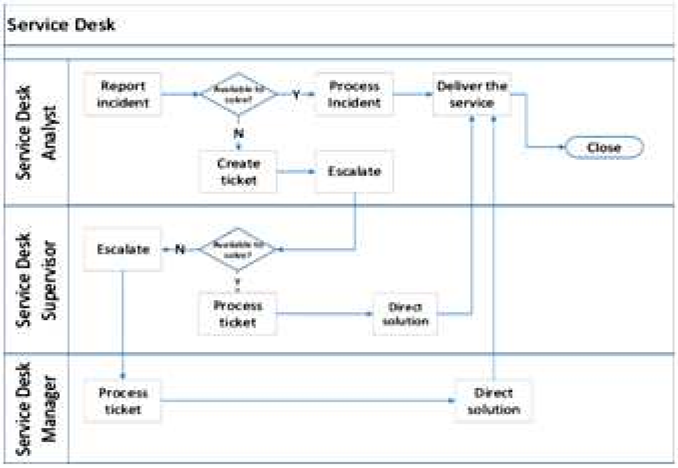

Figure: 2 the flowchart of the process involved in this occurrence.

Investigations conducted on-site revealed that the vinyl chloride storage facilities are situated on Shenghua Company's south side. Three gas holders with volumes of 5300 m3 (1#), 2500 m3 (2#), and 2500 m3 (3#) are arranged from west to east, and two identical spherical tanks with a combined volume of 2000 m3 are put side by side.

Process and Consequence: The functional information in the Conveyed Control Framework (DCS) of the polyvinyl chloride (PVC) studio of Shenghua Organization showed that at 0:36:53 on November 28, 2018, the channel strain of the blower joined to the 1# chloroethylene gas holder startlingly dropped from 0.19 kPa to 0.05 kPa. At the point when the DCS administrators saw this change, they confused it with a normal shortage of natural substances in the establishment. To safeguard the soundness of the whole strain framework, they began to physically alter the blower's return valve to diminish the amount of vinyl chloride streaming into the correcting tower . In roughly three minutes, the return valve's opening degree rose from 30% to 60% to finally 80%, allowing many gases to return to the gas holding. The dynamic adjustment of the return valve causes the compressor's inlet pressure to shift, as seen in Figure 3 below. Clearly, the compressor's final inlet pressure remained low at 0.13 kPa rather than rising to the desired amount. This suggests that the gas holder may let off vinyl chloride leaks.

Time Line	P(KPA)
2.3	3.2
3.6	4.6
3.9	4.9
4.2	5.2
4.8	5.8
5.8	6.9
6.2	7.8

Table: 1 variations in the compressor's inlet pressure as the return valve is opened to various degrees.

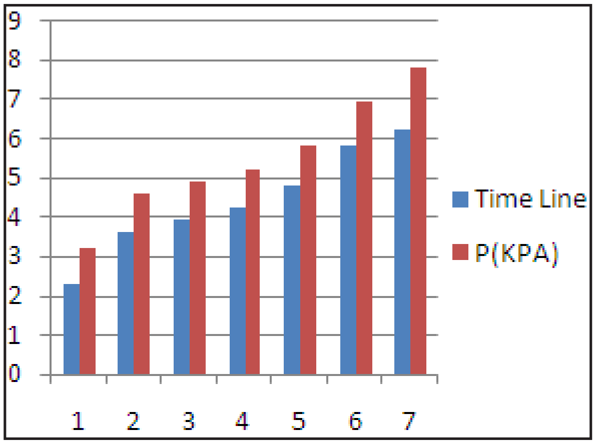

Figure: 3 Variations in the compressor's inlet pressure when the return valve is opened to various degrees

Accident Anatomy

Sequential Events: This dangerous chemical mishap demonstrated once more that even a small modification in the way something is done can have significant effects. Large-scale accidents frequently result from unanticipated interconnections between many failures, and the failure of one component can cause the failure of other components or subsystems. This incident started out as a local leak in a vinyl chloride gas container changing the pressure system, but it gradually turned into numerous flames and explosions. Based on this, we undertook a thorough analysis of the cause and progression of the accident, and the investigation report helped us identify a number of crucial moments. An ESD that has been further developed for the sake of a better illustration is shown in Figure 4.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

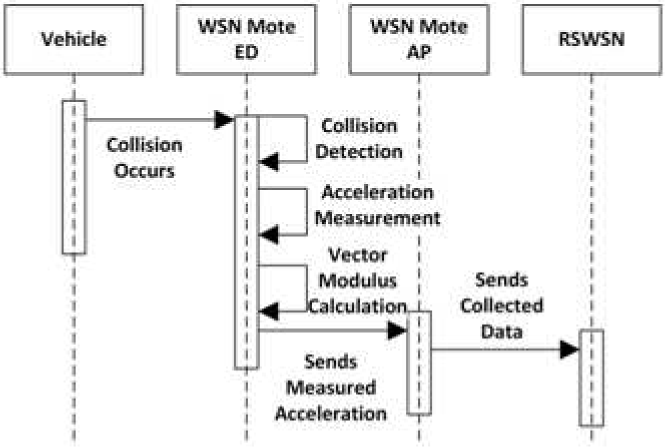

Figure: 4 The accident's event sequence diagram (ESD). The ringer lodging, the middle piece, and the storage are the three essential parts of the 1# vinyl chloride gas holder, as portrayed in Figure 5 above. At the point when the strain (i.e., how much vinyl chloride) in the gas holder changes, the ringer lodging can go all over in light of the fact that it is connected to the focal part by many sets of matching aide rails and guide rollers. It very well may be expected that there was a development blockage between the ringer lodging and the middle piece since, preceding the calamity, the DCS information uncovered that the level of the 1# gas holder had not changed over a huge timeframe in spite of an ascent in vinyl chloride. Examinations led nearby for this gas holder uncovered that the ringer lodging was shifted and in a condition of stagnation because of a huge hole that had created between a couple of guide rollers and guide rails on one side of the chime lodging and a profound sliding rubbing follow on the contrary side.

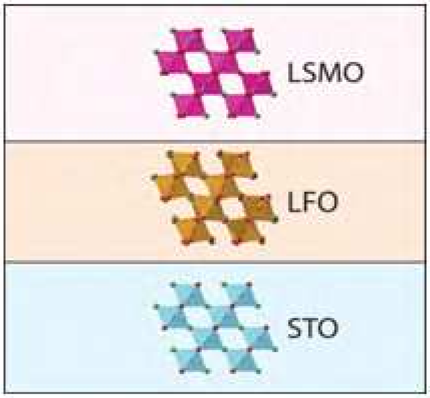

Figure: 5 the graphic representation of the bell housing tilted.

With the ever-evolving expansion in vinyl chloride consumption, the inner strain of the gas holder rose, and at last the gas penetrated the water boundary. The strain at the blower's feedback quickly diminished after the vessel's underlying breaks; however the administrators were uninformed that the gas holder had separated. Without even a trace of a wellbeing review and report, they quickly expanded the blower return valve's initial degree as per standard working system to enhance the strain inside the gas compartment, which encouraged the continuous vinyl chloride spills. The real level of the vinyl chloride gas holder is 5.9 m, but as per a field study, the level of the gas holder after the debacle was exclusively around 0.9 m. The chime lodging's width is 22.5 m, and the spillage volume of vinyl chloride is determined as follows:

$$\Pi R^2 \times H = 3.14 \times (22.5 \div 2)^2 \times 5 \approx 2046 \text{ m}^3$$

Despite the fact that Shenghua Organization had introduced gas recognition gadgets around the 1# vinyl chloride gas holder, as was at that point referenced, the gadgets were in a weak state because of ill-advised use and the board in the creation and didn't sound a caution when the break happened, making it unthinkable for the on the job staff to perceive the danger in time.

Causation Analysis and Discussion: Large-scale mishaps frequently result from unforeseen interconnections between several failures. According to the examination of the sequential events and involved organisations discussed above, this accident had a layered collection of origins and causes. These causes ranged from simple ones (such as mechanical problems) to more deep-rooted ones, such administrative shortcomings or a weak safety culture inside the company. A Fishbone diagram has been created for the accident to show the role that each casual component was responsible for. Ishikawa and Luo created the Fishbone diagram, also known as the Ishikawa diagram or cause and effect diagram, which is used to list the causes that result in or contribute to a certain consequence. A qualitative analytic method to find event causes is the Fishbone diagram, which depicts the relationship between an issue and its underlying causes . The Fishbone diagram can organise complex incident causes through a step-by-step, in-depth analysis of probable influencing factors. As can be seen in Figure 6 the primary contributing factors to this event have been divided into six categories.

Figure: 6 (see in last page)

As can be observed, there are more sub-causes under the categories of individuals, environments, internal management, and external supervision than there are under the others. The following part will continue the analysis and discussion for these categories.

Unsafe Acts at the Individual Level: This accident is not an exception to Heinrich's domino hypothesis of accident causation, which holds that risky acts and unsafe surroundings are the primary contributors to accidents. Also, various measurable examinations of mishap causes have exhibited that most of perilous states of being connected to mishaps, specifically the imperfections in certain offices, were welcomed on by the administrator's risky demonstrations. As a result, pinpointing and eradicating those particular unsafe acts is essential for the prevention of such accidents. According to the PRC Ministry of Emergency Management's recent classification of the aforementioned accident at Shenghua Company as a

"accountability accident "meticulous attention to human elements should be given when conducting cause analysis. Based on this, we identified a number of important risky behaviours from this event and provided matching unsafe bodily conditions or serious outcomes brought on by them, which are shown in Table2

Table: 2 (see in last page)

Practically each of the individual risky ways of behaving associated with this misfortune disregarded important regulations or designing prerequisites, as per a survey of these guidelines. Reinforcing wellbeing oversight and conduct controls for workers inside the association is consequently the immediate and effective answer for forestall such setbacks. The slant and development deterrent of the chime lodging could be found or even stayed away from, and vinyl chloride breaks wouldn't happen, assuming the hardware the board work force perform routine examinations and upkeep on vinyl chloride gas holders stringently as per the authoritative guidelines in Table 2. The underlying vinyl chloride breaks would be found and managed quickly in the event that the gas recognition gadgets on the two sides of the gas compartment were controlled and opened actually. Further releases and the spread of vinyl chloride might be forestalled if the DCS administrators would definitively perceive the atypical changes in strain and make a proper move. The quantity of fatalities and property harms probably won't be as high in the event that the transporters appropriately stuck to the boycott signs put on Common Thruway 310.

Various prior mishap examinations have shown that there should be the executives issues inside the organization hidden the direct causal causes causing the mishap, like hazardous working circumstances and unsafe individual demonstrations. At the end of the day, hierarchical defects are the essential patron of mishaps. Like how the previously mentioned examinations of successive occasions and quick causal variables propose, hierarchical cycle security the board was associated with the main drivers of this unsafe substance mishap, including correspondence between closely involved individuals, activity systems, wellbeing plan, wellbeing preparing, risk recognizable proof, and evaluation. They are the mishap's hidden causes, which are normally viewed as the main contemplations while creating systems for forestalling mishaps. The particulars of these parts will be shrouded in more detail underneath.

Conclusion: This article investigated and analysed a catastrophic hazardous chemical accident with a domino effect utilising the 24Model, concentrating mostly on its causes, effects, and classification of causes. Based on this, a number of crucial PSM lessons were distilled, which can be applied to prevent repeating the same errors in the future. This accident involves a number of significant companies, and Shanghais Company should bear the primary blame. The organisation discovered several high-risk dangerous behaviours that violated rules as the direct causes of this catastrophe, including failing to overhaul the gas holder within six years, severely altering the compressor's return valve, parking illegally, etc. Due to Shanghais Company's equipment management staff's negligence in terms of routine maintenance and overhaul for facilities, unsafe circumstances of vinyl chloride gas holders were not promptly identified and remedied. Vehicles from Shenghua Company's suppliers were illegally parked on Provincial Highway 310 that evening, and many of the drivers were asleep when the ignition occurred, which is why there were such a significant number of injuries and property losses.

References:-

1. B. Y. Chen, W. H. K. Lam, A. Sumalee, Q. Li, and Z.-C. Li, "Vulnerability analysis for large-scale and congested road networks with demand uncertainty," Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 46, no. 3, pp. 501–516, 2012.
2. C. Xie and M. A. Turnquist, "Lane-based evacuation network optimization: an integrated Lagrangian relaxation and tabu search approach," Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 19, no. 1, pp. 40–63, 2011.
3. G. J. Lim, S. Zangeneh, M. Reza Baharnemati, and T. Assavapokee, "A capacitated network flow optimization approach for short notice evacuation planning," European Journal of Operational Research, vol. 223, no. 1, pp. 234–245, 2012.
4. J. Duanmu, M. Chowdhury, K. Taaffe, and C. Jordan, "Buffering in evacuation management for optimal traffic demand distribution," Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 48, no. 3, pp. 684–700, 2012.
5. J.-B. Sheu and C. Pan, "A method for designing centralized emergency supply network to respond to large-scale natural disasters," Transportation Research Part B: Methodological, vol. 67, pp. 284–305, 2014.
6. K. Uchida, "Estimating the value of travel time and of travel time reliability in road networks," Transportation Research Part B: Methodological, vol. 66, pp. 129–147, 2014.
7. M. G. H. Bell, A. Fonzone, and C. Polyzoni, "Depot location in degradable transport networks," Transportation Research Part B: Methodological, vol. 66, pp. 148–161, 2014.
8. M. Snelder, H. J. van Zuylen, and L. H. Immers, "A framework for robustness analysis of road networks for short term variations in supply," Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 46, no. 5, pp. 828–842, 2012.
9. P. Murray-Tuite and B. Wolshon, "Evacuation transportation modeling: an overview of research, development, and practice," Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 27, pp. 25–45, 2013.
10. T. J. Cova and J. P. Johnson, "A network flow model for lane-based evacuation routing," Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 37, no. 7, pp.

579–604, 2003.

11. W. H. Hamacher and S. A. Tjandra, Mathematical Modeling of Evacuation Problems A State of The Art, Pedestrian and evacuation dynamics, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 2002, 227–266.
12. W. Zhang, J. Zhou, Y. Liu, X. Chen, and C. Wang, "Emergency evacuation planning against dike-break flood: a GIS-based DSS for flood detention basin of Jingjiang in central China," Natural Hazards, vol. 81, no. 2, pp. 1283–1301, 2016.
13. X. Zhang and G.-L. Chang, "A dynamic evacuation model for pedestrian-vehicle mixed-flow networks," Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 40, pp. 75–92, 2014.
14. Y. Hadas and A. Laor, "Network design model with evacuation constraints," Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 47, pp. 1–9, 2013.
15. Z. Fang, Q. Li, Q. Li, L. D. Han, and S.-L. Shaw, "A space-time efficiency model for optimizing intra-intersection vehicle-pedestrian evacuation movements," Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 31, pp. 112–130, 2013.

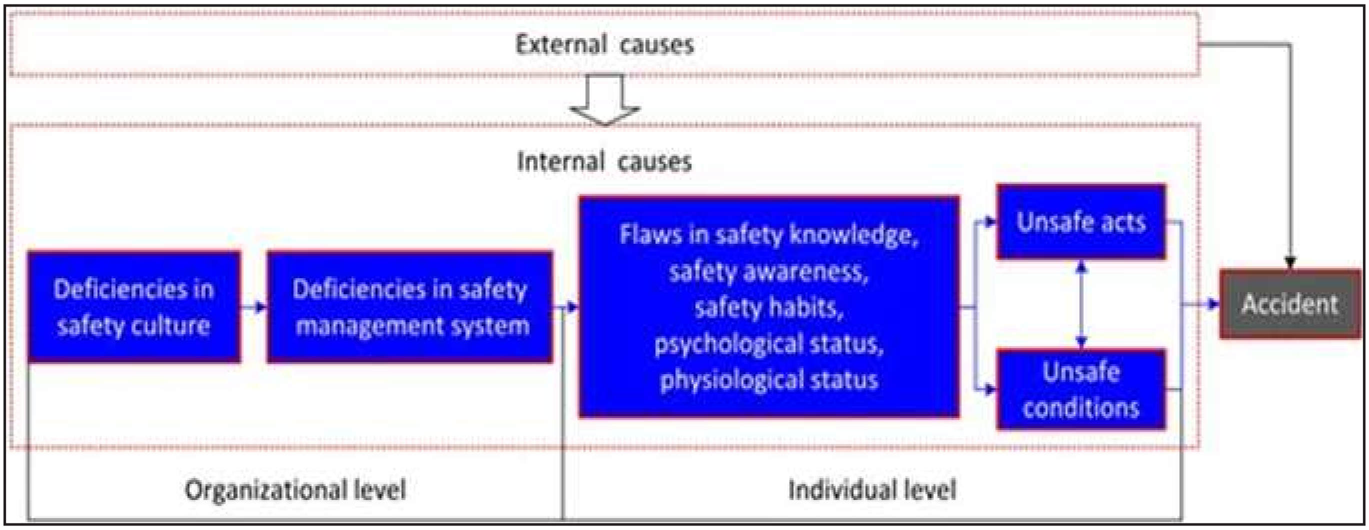

Figure: 6 Fishbone diagrams depict the accident with the dangerous substance

Table: 2 unsafe behaviour on the part of individuals contributed to the hazardous chemical disaster.

Unsafe Act	Consequences	Violations of Relevant Laws and Regulations
Not having the gas holder overhauled within 6 years	It was thought that one of the main contributing factors to the vinyl chloride leak was the bell housing's tilted and stagnant condition.	As opposed to the Gas Holder Upkeep and Upgrade Guidelines, the support and redesign term for gas holders is commonly 2 to 5 years; The medium upkeep time for gas holders is 1-2 years, and the update term is 5-6 years, which is against Shenghua Organization's guidelines for support and redesign of low tension wet-type gas holders.
severely adjusting the compressor's return valve	Large amounts of vinyl chloride spilled after the annular water seal failed.	It was a high-risk act that conflicted with the association's standard working strategy, which frames the things that should be dealt with while utilizing specific bits of hardware.
Improper gas detection device management and use (e.g., operating roughly, turning off alarm devices frequently).	When vinyl chloride escaped, the gas detection gadget malfunctioned and failed to warn the operator.	Infringing upon the Interval Guidelines on the Management of Significant Peril Establishments for Risky Synthetic compounds: significant danger establishments ought to be furnished with trustworthy observing and caution gadgets for the hole of harmful and ignitable gases, and those gadgets ought to have the elements of data stockpiling, transmission, and nonstop records.
parking improperly.	The number of injuries and property damages increased as the automobiles caught fire one after another.	Ten no-leaving signs were dispersedly put on Commonplace Expressway 310 near the side of Shenghua Organization to tell vehicles that they were in break of the wellbeing signs forced by the public authority traffic light office.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. महेश कुमार मुछाल*   योगेश कुमार**

* एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यापक शिक्षण विभाग, दिगम्बर जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत
** शोध छात्र, अध्यापक शिक्षण विभाग, दिगम्बर जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – व्यक्ति के चरित्र निर्माण में योग की सर्वोच्च भूमिका है। योग मनुष्यों में मनुष्यता के मूल्यों को जागृत करता है। योग के अभ्यास से कई प्रकार के भाव जैसे क्षमा, दयाभाव, कृपालुता, ज्ञान एवं उदारता प्राकृतिक रूप से ही प्रस्फुलित होने लगती है। अतएव कोई भी शक्ति योग शक्ति के समान नहीं है और न ही योग से बढ़कर कोई मनुष्य का मित्र हो सकता है। इसीलिए योग को भारतीय सभ्यता की भरी-पूरी सभ्यता कहा जाता है। योग का महत्व और उपयोग आधुनिक जगत में भी निरन्तर बढ़ रहा है। शिक्षा हमारे समाज में, जीवन का एक अभिन्न अंग है। पुरातन काल से ही हमारा भारतवर्ष विश्व को धार्मिक, साँस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक विचार धाराएँ प्रदान करता आया है। दुर्भाग्य से पश्चिमी सभ्यता के अन्धाधुंध अनुशरण से भारत में धार्मिक-आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का विलोप हो रहा है। हमारे पूर्वजों की भाँति, आधुनिक जगत के नेताओं को भी विद्यार्थियों के चँहमुखी विकास के लिए नैतिक शिक्षा एवं योग शिक्षा पर बल देना चाहिए। आधुनिक शिक्षा पद्धति में योग को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। योग विश्व के लिए उपकारी हैं। योग धर्म का एक अंग होने के नाते प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन का भी भाग हैं।

संदर्भ साहित्य की समीक्षा

विरक (1971) ने शरीर की लोचशीलता पर योगासनों का प्रभाव देखने के लिए अध्ययन किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि कुछ योगासन रीढ़ की हड्डी को आगे तथा पीछे की ओर झुकाते हैं जिससे शरीर में लचकता बढ़ती है। **प्रताप (1972)** ने इस तथ्य पर अधिक बल दिया कि योगाभ्यास, श्वास क्रिया तथा मानसिक स्थिति में अटूट सम्बन्ध पाया जाता है। **कोछर (1976)** ने 14.18 वर्ष के किशोर बालकों की मानसिक थकावट पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन किया। सिंह राजेन्द्र (1987) ने अपने शोध में बताया कि व्यक्ति की श्वास-प्रश्वास एकाग्रता और ध्यान एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं। **वैष्णव, जी0 के0(1988)** ने अपने शोध कार्य के पश्चात बतायाकि योग शिक्षक शारीरिक शिक्षा के प्रति उच्च अनुकूल अभिवृत्ति रखते हैं- क्योंकि यह शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। **श्री वास्तव एस0 के0 (2000)** ने अपने शोध निष्कर्षो में बतायाकि योगाभ्यासी छात्र-छात्राओं में अतिस्नेही, नैतिकवादी, उच्च सामाजिकता, आज्ञाकारी शालीनता एवं ओजस्वी शीलगुण गैर योगाभ्यासी छात्र-छात्राओं से अधिक होते हैं। **दुबे, शैलेन्द्र (2000)** ने अपने शोध निष्कर्षों में बताया कि योग शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में लगन शीलता, मानवता, नैतिक मूल्य एवं आर्थिक शक्ति, व्यक्तिगत मूल्य योग शिक्षा ग्रहण न करने वालों की अपेक्षा अधिक है। **डॉ बेन्सन (1987)** ने ध्यान के प्रभावों का अध्ययन किया और निष्कर्ष दिया कि नियमित 20 मिनट का ध्यान पूरे दिन तरोताजा हल्का-फुल्का बनाये रखने के लिए पर्याप्त है।

मुछाल (2008) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की योग अभिवृत्ति के अध्ययन में पाया कि अधिकांश विद्यार्थी जो योग के प्रति उच्च अभिवृत्ति रखते हैं, इन उच्च अभिवृत्ति वाले विद्यार्थियों से कुछ आसन कराये गए जिनमें अधिकांश विद्यार्थी पाद-हस्तासन 68% हलासन 62% सर्वांगासन 67% चक्रासन 40% ठीक तरह से कर पाते हैं जबकि पाद पश्चिमोत्तानासन 28% मयूरासन 10% इन कठिन आसनों को कर पाते हैं। यदि इन विद्यार्थियों को कुछ और अभ्यास कराया जाय तो कठिन आसनों को भी कर पायेंगे। इस आधार पर कह सकते हैं कि किसी कार्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उस कार्य के प्रति सकारात्मक रुचि को प्रदर्शित करती है। अन्य उद्देश्य में योग अभिवृत्ति को विकसित होने के कारणों में 62% विद्यार्थियों को दूदर्शन व केबल कार्यक्रम को आधार बताया। 35% विद्यार्थियों ने समाचार पत्र से जानकारी, 30% ने योग शिविर तथा 24% विद्यार्थियों ने अपने माता-पिता के द्वारा योग सीखा। स्वास्थ्य एवं योग सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने में उपरोक्त चारों कारकों ने अपना मत व्यक्त किया है।

शेटिनलुख्त, टी, (2021) ने कोविड-19 महामारी का वृद्ध वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और संभावित उपचार विकल्प के अध्ययन में पाया कि इस कोविड-19 महामारी परिदृश्य में मनोवैज्ञानिक कल्याण गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अवसाद, चिंता, समायोजन विकार, जुनूनी बाध्यकारी विकार, अभिघातज के बाद का तनाव विकार,इस महामारी के दौरान मनोविकार और यहां तक कि आत्मघाती विचार और प्रयास भी चरम पर हैं। अकेलापन और सामाजिक अलगाव बुजुर्गों में संवेदी वंचित स्थिति की स्थिति पैदा कर सकता है। संज्ञानात्मक कार्य भी तेज गति से घट रहे हैं। चिकित्सीय स्थितियों का बढ़ना मधुमेह की तरह, प्रणालीगत उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक किडनी रोग, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्ट्रोक सहित अन्य दुर्बल करने वाली स्थितियां, मायोकार्डियल इस्किमिया और मैलिग्नेंसी को अस्पतालों में पर्याप्त जगह एवं उचित देखभाल नहीं मिल रही है और उपचार देरी हो रही है।

चंद्रकांत जे0 (2022) मानसिक स्वास्थ्य और जीवन तनाव पर विपश्यना ध्यान के प्रभाव का अध्ययन किया अध्ययन में पाया कि विपश्यना ध्यान का मनोवैज्ञानिक लाभ व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मक होता है साथ ही जीवन तनाव का सामना करने हेतु विभिन्न

तरीकों परी को घर विद्यालय अध्ययन एवं कार्य में समायोजन हेतु अधिक उपयोगी होता है जीवन की गुणवत्ता एवं शोध द्वारा निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विपश्यना ध्यान निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन लाता है और तनाव नियंत्रण में सहायक होता हैं।

निमिता के0 जे0 (2022) कोविड 19 समय मे भारत में जरा चिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पर अध्ययन किया. अध्ययन में पाया कि कोविड-19 ने दुनिया को प्रभावित किया है और विशेष रूप से भारत जैसे देशों में सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 2020-2021 में लॉकडाउन अवधि में मानसिक कारणों से कई आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। कोविड-19 के डर से व्यक्तियों ने आत्महत्या की संबद्ध अवसाद। अवसाद, चिंता, समायोजन विकार, जुनूनी बाध्यकारी विकार, अभिघातज के बाद का तनाव विकार, मनोविकार और यहां तक कि आत्मघाती विचार और प्रयास इस महामारी के दौरान चरम पर हैं। अकेलापन और सामाजिक अलगाव की स्थिति को जन्म दे सकता है बुजुर्गों में संज्ञानात्मक कार्य कम हो रहा है। एनजीओ की भूमिका और सरकार बुजुर्गों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आघात से निपटने में मदद कर रही है।

अध्ययन की आवश्यकता- योग एवं शिक्षा पर शोधकार्य का गहन अध्ययन करने एवं विश्लेषण के पश्चात् शोधकर्त्ता ने पाया कि अब तक योग से सम्बन्धित शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्ययन हुए वे शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर योग के प्रभाव पर हुए तथा दुबे तथा अन्य ने विद्यार्थियों की स्मृति एवं विज्ञान विषय में उपलब्धि पर योगाभ्यास के प्रभाव पर अध्ययन हुआ लेकिन अब तक माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों एवं गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारणशीलता पर अध्ययन नहीं हुआ। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित प्रतीत होती है।

वशिष्ठ संहिता – इसमें धारणा की चार परिभाषाएँ दी गई हैं। अर्थात् जो योगी यम आदि गुणों से योग विद्या को जानते हैं, वे अपने में चित्ता की स्थिरता को धारणा कहते हैं। अन्य तीन परिभाषाओं में बाह्य अंतरिक्ष का चिंतन और हृदय में आंतरिक स्थान को एक अवधारणा कहा गया है। एक में बीज मंत्रों के साथ पंचमहाभूतों का चिंतन और एक में पांच देवताओं का चिंतन धारणा कहलाता है।

स्वामी विवेकानंद- धारणा का अर्थ है शरीर के अंदर या बाहर किसी स्थान पर मन को पकड़ना या स्थापित करना। मन को किसी विशेष स्थान पर धारण करने का अर्थ है मन को शरीर के अन्य स्थानों से हटा देना और उसे किसी विशेष अंग के अनुभव में बलपूर्वक लगा देना।

स्वामी शिवानंद – विचारों के संचार को धारणा कहा जाता है। केवल एक ही पदार्थ पर मानसिक प्रवृत्तियों को स्थिर करना और स्थापित करना धारणा है। वह विधि जिसमें मन और मन की प्रवृत्तियां एकाग्र होती हैं। उनमें चंचलता और व्याकुलता नहीं होती, वह (या वह विधि) धारणा कहलाती है।

वर्तमान में नैदानिक समस्या से प्रभावित लोगों के चिकित्सा और योग शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले खर्च से नई उम्मीदें जगी हैं। यद्यपि योग शिक्षा प्राचीन काल से चली आ रही संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। जिसे कई शोधों द्वारा माना गया है कि योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वहीं योग से तनाव और अवसाद को भी दूर किया जा सकता है। लेकिन अष्टांग योग का छठा चरण धारणा है, जो मन को एक स्थान पर केंद्रित और केंद्रित करना है, जो अधिकांश शिक्षा में स्मृति शक्ति या एकाग्रता से संबंधित है, इसलिए वर्तमान धारणा को मापने में, हम क्या पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करें और इसे अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। उसी से संबंधित बयानों का उपयोग वहन क्षमता को मापने के लिए किया गया है।

धारनशीलता का आयाम

लक्ष्य- एक लक्ष्य भविष्य या वांछित परिणाम का एक विचार है जिसे एक व्यक्ति या लोगों का समूह कल्पना करता है, योजना बनाता है और प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। लोग समय सीमा निर्धारित करके एक सीमित समय के भीतर लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक लक्ष्य मोटे तौर पर एक उद्देश्य या लक्ष्य के समान होता है, प्रत्याशित परिणाम जो प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करता है, या एक अंत, जो एक वस्तु है, या तो एक भौतिक वस्तु या एक अमूर्त वस्तु है, जिसका आंतरिक मूल्य है।

मेमोरी पावर- मेमोरी हमारे आस-पास की दुनिया से जानकारी लेने, इसे संसाधित करने, इसे संग्रहीत करने और बाद में उस जानकारी को याद करने की प्रक्रिया है, कभी-कभी कई सालों बाद।इसके अतिरिक्त, नेविगेशन और आत्मकथात्मक स्मृति दोनों से संबंधित भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सोचने की क्षमता है।

एकाग्रता – एकाग्र होने की क्रिया या प्रक्रिया रू विशेष रूप से एकाग्र होने की अवस्था रू किसी एक वस्तु पर ध्यान की दिशा वह सब शोर मेरी एकाग्रता को भंग कर रहा है। बीरू एक अकादमिक प्रमुख या एक प्रमुख के भीतर फोकस का क्षेत्र छात्र ने कानून को अपनी एकाग्रता के रूप में चुना।

एकांत- एकांत एकांत या अलगाव की स्थिति है, यानी लोगों के साथ संपर्क की कमी। स्थिति के आधार पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। अल्पकालिक एकांत को अक्सर ऐसे समय के रूप में महत्व दिया जाता है जब कोई बिना परेशान हुए काम कर सकता है, सोच सकता है या आराम कर सकता है। गोपनीयता के लिए इसे वांछित किया जा सकता है। अवांछित दीर्घकालिक एकांत खराब रिश्तों, प्रियजनों की हानि, जानबूझकर परसंद, संक्रामक रोग, मानसिक विकार, तंत्रिका संबंधी विकार, या रोजगार या स्थिति की परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकता है।

योग- योग मन पर नियंत्रण पाने की एक प्रक्रिया है। योग किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास में तेजी लाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। योग एक विशेष कौशल है जो मन को उसकी सूक्ष्म स्थिति तक पहुँचाता है: ययोगं कर्मसु कौशलं (गीता 2.50)। योग क्रिया में निपुणता है। कार्रवाई में विश्राम और जागरूकता बनाए रखने में निपुणता है। आराम से कार्रवाई प्रक्रिया है। कार्रवाई में दक्षता एक परिणाम है। इस प्रकार योग मन पर अधिकार करने का एक कुशल विज्ञान है। योग को लोकप्रिय रूप से पूर्णता की अंतिम स्थिति तक पहुंचने की एक प्रक्रिया या तकनीक के रूप में जाना जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों एवं गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारणशीलता की तुलना करना।
2. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों एवं गैर योगाभ्यासी छात्रों की धारणशीलता धारण शीलता की तुलना करना।
3. माध्यमिक स्तर कीं योगाभ्यासी छात्राओं एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारणशीलता धारण शीलता की तुलना करना।
4. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारणशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं

की धारणशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

6. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता धारण शीलता की तुलना करना।
7. माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता धारण शीलता की तुलना करना।

अध्ययन की परिकल्पना :

1. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों एवं गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारणशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों एवं गैर योगाभ्यासी छात्रों की धारणशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर कीं योगाभ्यासी छात्राओं एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारणशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारणशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की धारणशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
7 माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श– प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखंड राज्य के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सभी विद्यार्थी प्रस्तुत शोध की जनसंख्या है। आंकड़ों के संकलन के लिए न्यादर्श के रूप में उत्तराखंड राज्य के दो जनपदों देहरादून, एवं हरिद्वार से प्रत्येक से चार–चार विद्यालयो को लिया गया है जिनकी कुल संख्या आठ है जिसमें प्रत्येक जनपद से दो ग्रामीण एवं दो शहरी विद्यालय को लिया गया है। इस प्रकार चार ग्रामीण एवं चार शहरी विद्यालय लिए गये है जिनमें प्रत्येक विद्यालय से 50 विद्यार्थियों केा चयनित किया गया है। इस प्रकार न्यादर्श में कुल 400 विद्यार्थियों को लिया गया है। न्यादर्श के चयन के लिये याद्दच्छिक विधि का प्रयोग किया गया हैं।

उपकरण :

धारण शीलता मापनी– विद्यार्थियों की धारण शीलता के मापन हेतु डा0 एम0 के0 मुछाल एवं योगेश कुमार द्वारा निर्मित मानकीकृत योग धारण शीलता का प्रयोग किया गया है। यह धारण शीलता मापनी नेशनल साइकोलॉजिकल कारपोरेशन, आगरा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित है। प्रस्तुत मापनी का परीक्षण 13 से 24 वर्ष के विद्यार्थियों पर किया गया है। इस धारणशीलता मापनी में लक्ष्य, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, योग एवं एकांत से संबंधित कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने पांच विकल्प पूर्णत– सहमत, सहमत, अनिश्चित, सहमत, पूर्णत: असहमत दिये है। मापनी की विश्वसनीयता में स्प्लिट हाफ (अर्द्ध विच्छेदन) विधि द्वारा .83 यह सम्बन्ध गुणांक पाया गया। 65 मदों की सूची 13–24 वर्ष आयु वर्ग के 300 विद्यार्थियों पर प्रशासित की गई। विषयों के प्राप्त अंकों के आधार पर उच्च और निम्न समूह तैयार किए गए थे। प्रत्येक कथम के संबंध में दो समूहों की प्रतिक्रियाओं की तुलना करने के लिए यतह परीक्षण लागू किया गया था। महत्वपूर्ण स्तर की सीमा 0.05 और 0.01 के भीतर स्थापित की गई थी। स्वतंत्रता अंश (डीएफ) = 52 के साथ 40 कथनो का मूल्य तालिका मान 1.67 और 2.66 से अधिक पाया गया। जो कथन महत्वहीन थे उन्हें बाहर रखा गया था और अंत में 40 कथनों को मापनी (स्केल) के लिए चुना गया था।

तथ्यों का एकत्रीकरण – प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थियों को योग अभिवृत्ति मापनी भरने हेतु प्रशासित किया तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।

तथ्यों का सारणीयन एवं विवेचना :

1. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता मध्यमानों का क्रान्तिक–अनुपात दर्शाने वाली तालिका –1
2. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की धारण शीलता के मध्यमानों का क्रान्तिक–अनुपात दर्शाने वाली तालिका– 2
3. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्राओं व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता में के मध्यमानों का क्रान्तिक–अनुपात दर्शाने वाली तालिका 3
4. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की धारण शीलता मध्यमानों का क्रान्तिक–अनुपात दर्शाने वाली तालिका –4
5. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता मध्यमानों का क्रान्तिक–अनुपात दर्शाने वाली तालिका –5
6. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता मध्यमानों का क्रान्तिक–अनुपात दर्शाने वाली तालिका –6
7. माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की धारण शीलता मध्यमानों का क्रान्तिक–अनुपात दर्शाने वाली तालिका – 7

तालिका–1: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता मध्यमानों का क्रान्तिक–अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात CR	सार्थकता स्तर	
					0.01 स्तर पर	0.05 स्तर पर
योगाभ्यासी	200	147.09	12.00	2.167	सार्थक	सार्थक
गैर योगाभ्यासी	200	144.23	14.59			

उपरोक्त तालिका 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 200 योगाभ्यासी विद्यार्थियों एवं 200 गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 147.09 तथा 144.23 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 12.00 तथा 14.59 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक–अनुपात का मान 2.167 पाया गया। जो कि मुक्तांश 398 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता मे असमानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है को अस्वीकृत किया जाता है।'

तालिका–2 : माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों

की धारण शीलता के मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात CR	सार्थकता स्तर
योगाभ्यासी छात्रो	100	143.53	14.14	1.83	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक
गैर योगा-भ्यासी छात्रों	100	148.03	20.04		

उपरोक्त तालिका 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रो एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्रो की धारण शीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 143.53 तथा 148.03 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 14.14 तथा 20.04 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 1.83 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की धारण शीलता मे समानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है को स्वीकृत किया जाता है।

तालिका-3: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्राओं व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता में के मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
योगाभ्यासी छात्राओं	100	150.33	16.55	2.13	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक
गैर योगाभ्या-सी छात्राओं	100	146.07	11.13		

उपरोक्त तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्राओं एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 150.33 तथा 146.07 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 16.55 तथा 11.13 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 2.13 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता मे असमानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है को अस्वीकृत किया जाता है।'

तालिका-4: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की धारण शीलता मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
योगाभ्यासी छात्रों	100	143.53	14.14	1.744	0.01सार्थकता स्तर पर असार्थक NS
गैर योगाभ्या-सी छात्राओं	100	146.67	11.13		

तालिका संख्या 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 143.53 तथा 144.23 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 12.00 तथा 14.59 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 1.744 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की धारण शीलता मे असमानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है को अस्वीकृत किया जाता है।'

तालिका-5: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
गैर योगाभ्यासी छात्रों	100	148.03	20.04	0.892	0.01सार्थकता स्तर पर असार्थक NS
योगाभ्यासी छात्राओं	100	150.33	16.55		

तालिका संख्या 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 148.03 तथा 150.33 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 20.04 तथा 16.55 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की धारणशीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 0892 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की धारणशीलता मे समानता पायी गयी। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की धारणशीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की धारणशीलता के मध्य सार्थक अन्तर नही होता

है को अस्वीकृत किया जाता है।'

तालिका-6: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
योगाभ्यासी छात्रों	100	143.53	14.14	3.133	0.01सार्थकता स्तर पर असार्थक
गैर योगाभ्या-सी छात्राओं	100	150.33	16.55		NS

तालिका संख्या 6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 143.53 तथा 150.33एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 14.14 तथा 16.5 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 3.133 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.0 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.57 से अधिक है। अर्थात माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता मे असमानता पायी गयी । निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है को अस्वीकृत किया जाता है।

तालिका - 7: माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की धारण शीलता मध्यमानों का क्रान्तिक-अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
गैर योगाभ्यासी छात्र	100	148.03	20.04	0.593	0.05सार्थकता स्तर पर असार्थक
गैर योगाभ्या-सी छात्राओं	100	146.67	11.13		NS

तालिका संख्या 7 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों एवं 100 गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 148.03 तथा 146.67 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 20.04 तथा 11.13 प्राप्त हुआ। माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 0.593 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता मे असमानता पायी गयी । निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर नही होता है को स्वीकृत किया जाता है।'

निष्कर्ष

1. माध्यमिक स्तर के 200 योगाभ्यासी विद्यार्थियों एवं 200 गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता मे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 2.167 पाया गया। जो कि मुक्तांश 398 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी विद्यार्थियों व गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।
2. माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्रों की धारण शीलता मे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 1.83 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्रों की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।
3. माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्राओं एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता मे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 2.13 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।
4. माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता मे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 1.744 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।
5. माध्यमिक स्तर के 100 गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता मे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 0892 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। ष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर कीं गैर योगाभ्यासी छात्रों एवं योगाभ्यासी छात्राओं की धारणशीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।
6. माध्यमिक स्तर के 100 योगाभ्यासी छात्रों एवं 100 गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता मे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 3.133 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.0 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.57 से अधिक है। निष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के योगाभ्यासी छात्रों व योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया।
7. तालिका संख्या 4.10 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के 100 गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों एवं 100 गैर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की धारण शीलता मे परिगणित क्रान्तिक-अनुपात का मान 0.593 पाया गया। जो कि मुक्तांश 198 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। नष्कर्ष के रूप में माध्यमिक स्तर के गैर योगाभ्यासी छात्रों व गैर योगाभ्यासी छात्राओं की धारण शीलता के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया।

संदर्भ ग्रन्थसूची :-

1. Agarwal, Kusum (1999) A study of parental attitudes and socio-economic back ground of the educationally failed adolescents. Indian journal of Education reseach Vol.18 (1) 17-22.
2. Agarwal, Rekha and Kapoor, Mala (1998) Parents' Participation is children's academic activities at the primary level, Journal of Indian education, Vol.XXIII (4), 61-68.
3. Annakili, C.M. (1993) A Comparative study of yoga asanas and gymnastic in selected physical physiology and psychological variables, Unpublished M. Phil. thesis, Alagappa University.
4. दुबे, अनिल कुमार एवं अन्य (2008) विद्यार्थियों की स्मृति एवं विज्ञान में उपलब्धि पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, वर्ष–27 अंक–2, 69.76.
5. Garg, Chitra (1992) A study of family relation, socio-economic status, intteligence and adjustment of failed high school students, Fifth Survey of Eductuional Research, Vol.1, 728-730.
6. Iyengar, K.S. B (1998) Light on yoga. New Delhi. Harper Collins publisher India private limited, Darya Ganj,
7. Kochar, H.C. (1976) Influence of Yogic Practices on mental Fatigue. Yoga Mimansa, Vol.28 (2), 3.
8. Kumar, Arun (2006) A Comparative study of emotional intelligence of adolescents Exposed to yoga and non yoga practices, Unpublished M.Ed. Dissertation, Panjab University Chandigarh.
9. Mall, N.N. (1982) Cardiovascular responses of active, passive and yogic recovery postures and maximum work output. Unpublished doctoral thesis, Physical Education. Panjab University. Chandigarh.
10. Pratap V. (1972) Diurnal pattern of nostril breathing: An exploratory Study. Yoga Mimansa, Vol. 14 (3&4), 8-17.
11. Rani, J. N. and Rao, K.V.P (2005) IMPACT OF YOGA TRAINING ON BODY IMAGE AND DEPRESSION. ANDHRA UNIVERSITY, VISHKHAPATNAM, PSYCHO -LOGICAL STUDIES, VOL. 50 (1), 98-100.
12. Sunita (2002) Effect of yoga exercises on self-concept and mental health of secondary school students. Unpublished M.Ed. dissertation, Panjab University, Chandigarh.
13. Virk, J.S. (1971) Effect of yogic asanas on trunk flexibility. Unpublished M.A. dissertation, Physical Education, Panjab University, Chandigarh.
14. आचार्य बाल कृष्ण, 'विज्ञान की कसौटी पर योग', पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार, 2007
15. आयंगर, बी0के0एस0, 'सभी के लिए योग', भारत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005
16. दुबे, शैलेन्द्र (2000) : 'योग शिक्षा ग्रहण करने वाले तथा योग शिक्षा ग्रहण न करने वाले विद्यार्थियों के नैतिक तथा व्यक्तिगत मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन', रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
17. मुछाल, एम0 के0 (2007) तनाव मुक्ति में योग, योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, वर्ष 51, अंक (1)
18. मुछाल, एम0 के0 (2009) प्राणायाम : रोगोपचार की सामर्थ्यदायी प्रक्रिया, योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, वर्ष 53, अंक (1)
19. मुछाल महेश कुमार 'योग अभिवृति मापनी' नेशनल साइकोलॉजीकल कार्पोरेशन आगरा वर्ष 2008
20. सिंह, राजेन्द्र (1987) : 'Effect of Pranayama on Development of Accuracy in Air Rifle Shooting' जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
21. श्रीवास्तव, एस. के. (2000) : 'योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्तव का तुलनात्मक अध्ययन', जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
22. श्री वास्तव मंयक कुमार (2004) : शासकीय तथा अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन परिप्रेक्ष्य वर्ष 11 अंक 2 नीपा, नई दिल्ली
23. शर्मा राम अवतार (2000) : बाल अपराध एवं कारागार में बाल बंदियों पर योग का प्रभाव हेल्थ फॉर ऑल थ्रू योगा संस्करण प्रथम वर्ष 2000 योग अध्ययन विभाग, डॉ0 हरीसिंह गौर विश्व विद्यालय, सागर
24. शर्मा श्रीराम 'व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएँ', अखंड ज्योति संस्थान मथुरा संस्करण द्वितीय वर्ष 1998
25. Shteinlukht, T. (2021). COVID-19 Pandemia Impact on Mental Health of Older Adults and Possible Treatment Options. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 29(4), S102-S103. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2021.01.098
26. Nimitha. K J (2022) COVID 19 and its impact on Geriatric mental health in India The International Journal of Indian Psychology ISSN 2348-5396 | ISSN: 2349-3429 (Print) Volume 10, Issue 1, January- March, 2022 https://www.ijip.in © 2022
27. Chandrakanth J. (2022) The Impact of Vipasana Meditation on Mental Health and Life Stress The International Journal of Indian Psychology ISSN 2348-5396 | ISSN: 2349-3429 (Print) Volume 10, Issue 1, January- March, 2022 https://www.ijip.in © 2022

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के हितलाभ को प्राप्त करने में बीमित व्यक्तियों को आने वाली समस्यायों का अध्ययन (इन्दौर जिलें के संदर्भ में)

गीतांजली कर्डक* डॉ. पी.के सनसे**

* शोधार्थी, वाणिज्य अध्ययन शाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशक, भेरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कर्मचारी राज्य बीमा योजना संगठित क्षेत्र के बीमित कामगारों को आवश्यकता आधारित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने विभिन्न कामगारो समूह की आवश्यकताओं के लिए अनेक हितलाभ योजनाओं को तैयार करने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य क.रा.बी. योजना का लाभ प्राप्त करने में हितग्राहियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में पता लगाना है। अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक समंकों पर आधारित है। प्रश्नावली के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठानों और कारखानों में काम करने वाले और क.रा.बी. निगम की शाखा कार्यालयों के तहत पंजीकृत।

प्रस्तावना – कर्मचारी राज्य बीमा योजना संगठित क्षेत्र के बीमित कामगारों को आवश्यकता आधारित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने विभिन्न कामगारो समूह की आवश्यकताओं के लिए अनेक हितलाभ योजनाओं को तैयार करने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया है। यह योजना जिसे पहली बार 1952 में 1.20 लाख कामगारों के प्रारंभिक कवरेज के साथ दो केन्द्रों दिल्ली और कानपुर में क्रियान्वित किया गया था, मार्च 2017 तक यह योजना 24 पूर्ण जिलो/जहॉं पहले केंद्रो में योजना पर 3.19 करोड़ बीमित व्यक्तियो को रोजगार देने वाले 8.98 लाख नियोक्ताओं पर लागू हुआ। यह अधिनियम 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले गैर-मौसमी कारखानो पर लागू होता है। इस योजना का विस्तार दुकानो, होटलो, रेस्त्राओं, सिनेमागृहों सहित प्रीव्यू थिएटरों, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रमों और समाचार पत्रों के प्रतिष्ठानों 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली निजी शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों तक कर दिया गया है। अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के कर्मचारी का मासिक वेतन 21000/- प्रतिमाह है। वे इस योजना के तहत कवर किए गए है। नियोक्ता को कर्मचारी के वेतन का 4.75 प्रतिशत योगदान करते है और कर्मचारी अपने वेतन का 1.75 प्रतिशत का योगदान करते है, जो कुल वेतन का 6.50 प्रतिशत है।

1. क.रा.बी. अधिनियम में बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारजनों को चिकित्सा देखरेख, उपचार, दवाइयॉं, इंजेक्शन, विशेषज्ञ परामर्श और अस्पताल में भरती की सुविधा प्रदान करती है। सेवा निवृत्त और स्थायी रुप से अपंग बीमित व्यक्तियो और उनके जीवन साथी को 120/- रुपये के टोकन वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर चिकित्सा देखभाल भी प्रदान की जाती है।
2. बीमारी हितलाभ बीमित श्रमिकों को मजदूरी के 70% की दर से नकद क्षतिपूर्ति के रुप में प्रमाणित बीमारी की अवधि के दौरान वर्ष में अधिकतम 91 दिनो के लिए देय है। बीमारी लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए बीमित कर्मचारी कों 6 महीने की योगदान अवधि में 78 दिनों के लिए योगदान करना आवश्यक है।
3. प्रसूति/गर्भावस्था के लिए मातृत्व लाभ तीन महीने के लिए देय है, जो पिछले वर्ष में 70 दिनों के लिए योगदान के अधीन पूर्ण वेतन की दर पर चिकित्सा सलाह पर एक महीने के लिए और बढ़ाया गया है।
4. अपंगता हितलाभ में अस्थायी अपंगता हितलाभ में बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से और रोजगार चोट के मामले मे किसी भी योगदान का भुगतान करने के बावजूद। अस्थायी विकलांगता लाभ 90% वेतन की दर से तब तक देय होगा जब तक अपंगता बनी रहती है। स्थायी अपंगता हितलाभ में चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित अर्जन क्षमता की हानि की सीमा के आधार पर मासिक भुगतान के रुप में वेतन के 90% की दर से हितलाभ का भुगतान किया जाता है।
5. आश्रितजन हितलाभ वेतन के 90% की दर से मासिक भुगतान के रुप में मृतक बीमित व्यक्ति के आश्रितों को उन मामलों मे भुगतान किया जाता है, जहॉं रोजगार चोट या व्यावसायिक खतरों के कारण मृत्यु हो जाती है।
6. अंत्येष्ठि व्यय जो बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से आश्रितों या अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 10,000/- रुपये की राशि देय है।

साहित्य की समीक्षा :

1. डेंश यू और मुरलीधरन वी आर (2011) से क.रा.बी. योजना के तहत नामांकित बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य सेवा उपयोग और भयावह स्वास्थ्य भुगतानों से बचाने में इसकी भूमिका का अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला है कि क.रा.बी. योजना जोखिमपूर्ण भुगतानों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए नही पाई गई है। दवाओ और अभद्र कर्मियों के रुप में निम्न सेवा गुणवत्ता और क.रा.बी. हितलाभ प्राप्त करने के लिए सेवा प्रक्रियाओं के बारे मे जागरुकता की कमी ने क.रा.बी. औषधालयों एवं

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने की प्राथमिकता को कम कर दिया है।

2. विद्युत विकास वैश्य (2015) ने असम में क.रा.बी. निगम सेवाओं की प्राप्ति के बारे मे बीमित व्यक्तियों की धारणा पर एक अध्ययन किया। निष्कर्षो से पता चला कि बीमित व्यक्ति चिकित्सा और नकद हितलाभ से संतुष्ट नही है। और अभी भी क.रा.बी. योजनाओं में सुधार करने और इसे एक बेहतर बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

3. शिंगडे पूनम जी, माधवी एच (2016) ने गुलबर्ग शहर के लाभार्थियों के बीच क.रा.बी. योजना के बारे में जागरुकता और संतुष्टि पर एक क्रास सेक्शनल अध्ययन किया। क.रा.बी. निगम के बारे में चयनित प्रतिष्ठानों में लाभार्थियों के बीच जागरुकता का अध्ययन किया गया, जिसमें दिखाया गया कि अधिकांश लाभार्थी क.रा.बी. निगम में उनके योगदान और उन्हे उपलब्ध चिकित्सा लाभों के बारे मे जानते थे लेकिन नकद हितलाभों के बारे मे उन्हे कम जानकारी थी, के पात्र है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि कम जागरुकता के परिणामस्वरुप क.रा.बी. योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का कम उपयोग हुआ है।

समस्या का कथन – क.रा.बी. निगम भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून, कम आय वाले कर्मचारियों को बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएॅं प्रदान करता है। जिसके माध्यम से श्रमिक वर्ग के स्वास्थ्य एवं निवास की स्थिति में सुधार करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या बीमित हितग्राहियों को अच्छी सेवा मिल रही है और यह शोध पत्र इन्दौर जिले में बीमित व्यक्तियों को क.रा.बी. हितलाभ प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को जानने की कोशिश करता है।

अध्ययन के उद्देश्य – इस अध्ययन में निम्न उद्देश्यों को पूरा किया गया है–

1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले हितलाभों के बारे में जानना।
2. कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में इन्दौर जिले के बीमित व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाना ।
3. इन्दौर जिले के बीमित व्यक्तियों द्वारा क.रा.बी. निगम के चिकित्सा हितलाभ को प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को जानना।

अध्ययन की प्रविधि:

अध्ययन क्षेत्र की रूपरेखा– इन्दौर प्रदेश का सबसे उन्नत नगर है। इसे प्रदेश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। निगम का क्षेत्रीय कार्यालाय 'पचंदीप भवन नन्दानगर' में स्थित है। इसके अधीन 21 शाखा और 6 भुगतान कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता हैं।

अनुसंधान डिजाइन– प्रस्तुत शोध प्रपत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक समको पर आधारित है। विभिन्न प्रतिष्ठानों और कारखानों में कार्य करने वाले और क.रा.बी. निगम, इन्दौर के शाखा कार्यालयों के तहत पंजीकृत पचास बीमित कर्मचारियों से प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक आकडें एकत्र किया गया है। इनमें से केवल 45 उत्तर सही साबित हुए। क.रा.बी.निगम की सेवाओं का लाभ प्राप्त करनें और क.रा.बी. द्वारा प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा हितलाभों का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में एकत्र किए समंको का विश्लेषण श्रेणी विश्लेषण की विधि से किया है। द्वितीयक समंको क.रा.बी. प्रकाशनों, वेबसाइड, पत्रिकाओं के माध्यम से एकत्र किए है।

तालिका क्र. – 1: लाभार्थियों का जनसांख्यिकी चर विवरण

क्र.	जनसांख्यिकी चर		आवृत्ति	प्रतिशत
1	लिंग	पुरुष	28	63
		महिला	17	39
2	आयु	35 वर्ष से कम	5	12
		35 से 45 वर्ष	16	34
		46 वर्ष से अधिक	24	54
3	शिक्षा	स्कूल स्तर	32	72
		तकनीकी शिक्षा	6	14
		स्नातक	4	9
		स्नातकोत्तर	3	7
4	वैवाहिक स्थिति	विवाहित	35	79
		अविवाहित	10	23
5	मासिक आय	10000 से कम	6	14
		10000 – 15000	24	54
		15000 से अधिक	15	34
6	रोजगार की प्रवृत्ति	अस्थायी	17	39
		स्थायी	28	64

स्त्रोत: सर्वेक्षण के आकडें

उपरोक्त तालिका –1 के विश्लेषण से पता चलता है, कि अधिकांश उत्तरदाता (63%) पुरूष है, अधिकांश उत्तरदाताओं (54%) की आयु 46 वर्ष से अधिक है। अधिकांश उत्तरदाता (72%)के पास केवल स्कूल स्तर की शिक्षा है, अधिकांश उत्तरदाता (79%) उत्तरदाता विवाहित हैं, अधिकांश उत्तरदाता (54%) प्रति माह 10000–15000 रुपये के बीच है। यह देखा गया है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के पास स्थायी रोजगार है।

तालिका क्र. 2: क.रा.बी. निगम की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने वाले बीमित व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याएंउत्तरदाताओं की समस्याएं

	श्रेणी 1	श्रेणी 2	श्रेणी 3	श्रेणी 4	श्रेणी 5	माध्य	श्रेणी
औपचारिकता की अधिकता	18	5	7	6	9	39.25	1
अस्पताल/ औषधालय से दूर	9	7	8	10	11	26.43	5
औषधालय का अनुपयुक्त समय	10	9	5	12	9	31.18	4
अधिक समय तक इंतजार करना	6	17	11	5	6	36.56	2
कर्मचारियों का व्यवहार	5	6	12	14	8	33.10	3

स्त्रोत: सर्वेक्षण के आकडें

उपरोक्त तालिका क्र.–2 यह दर्शाती है,कि क.रा.बी. निगम की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने वाले बीमित व्यक्तियों के सामने आने आने वाली समस्याओं में अधिकांश हितग्राहियों को लगता है कि क.रा.बी के लाभ के लिए अधिकतम औचारिकताएं 39.25 के उच्चतम औसत गणना

है, अधिक प्रतीक्षा अवधि, कर्मचारियों का अशिष्ट व्यवहार और औषधालयों की अनुपयुक्त समय क्रमशः 36.56 ,33.10 और 31.18 की औसत गणना उत्तरदाताओं ने समस्याओं का सामना किया है, औषधालयो एवं अस्पतालों से दूरी का औसत 26.43 के साथ पांचवे स्थान पर है।

तालिका क्र. 3: बीमित व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा सेवा का लाभ प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं

उपचार से संबंधित समस्याएं	श्रेणी 1	श्रेणी 2	श्रेणी 3	श्रेणी 4	श्रेणी 5	माध्य	श्रेणी
उपचार की खराब गुणवत्ता	2	6	5	11	21	49.87	5
खराब नैदानिक सेवाएं	18	10	7	9	1	44.65	1
दवाओं का आभाव	6	13	10	12	4	34.26	2
दवाओं की गुणवत्ता स्तर खराब	1	3	8	15	18	31.24	4
इलाज की रकम की प्रतिपूर्ति में विलंब	13	7	11	8	6	35.02	3

स्रोत: सर्वेक्षण के आकडें

उपरोक्त तालिका क्र.-3 यह दर्शाती है,कि क.रा.बी. योजना द्वारा प्रदान चिकित्सा हितलाभों का प्राप्त करने वाले इन्दौर जिले के हितग्राहियों की समस्याओं पर प्रकाश डालती है। खराब नैदानिक सेवाओं को 44.65 के औसत पर पहली समस्या है, दवाओं का आभाव को औसत 34.26 को दूसरे समस्या के रूप में अनुभव किया जाता है। वही इलाज की रकम की प्रतिपूर्ति में देरी तीसरे समस्या है, उपचार की खराब गुणवत्ता और दवाओं की खराब गुणवत्ता 31.24 और 49.87 के औसत के साथ चौथे एवं पांचवे स्थान पर है।

सुझाव – इस अध्ययन से ज्ञात होता है कि बीमित व्यक्तियों को हितलाभ प्राप्त करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनका अधिकार है। औचारिकताओं को कम एवं सरलीकरण किया जाना चाहिए, जिससे लाभार्थी अधिक सेवाएं प्राप्त कर सके। सभी औषधायलों में स्वयं के रिकार्ड को रखना एक कठिन प्रक्रिया है, इस हेतु औषधालयों के कम्प्यूटरीकरण से निश्चित रूप में समस्या का समाधान होगा। दवाओं की उपलब्ध करना और क.रा.बी. अस्पताल के कर्मचारियों को रोगियों को सहानुभूति पूर्वक संभालने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उपचार की राशि की शीघ्र स्वीकृति और वितरण से श्रमिक वर्ग की समस्या दूर होगी।

निष्कर्ष – क.रा.बी निगम का उद्देश्य कम आय वर्ग के अन्तर्गत आने वाले श्रमिक वर्ग के कल्याण और जीवन स्तर में सुधार करना है। आज के परिदृष्य में श्रमिक वर्ग चिकित्सा देखरेख पर अधिक खर्च नही कर सकता है, सेवा की गुणवत्ता में सुधार और हितग्राहियों के सामने आने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए निगम उपरोक्त सुझावों पर विचार कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. क.रा.बी. निगम की वार्षिक रिपोर्ट (2017-18)
2. डैश यू और मुरलीधर वी आर (2011) भारत में क.रा.बी. योजना कितनी न्यायसंगत है। तमिलनाडु कंसोर्टिएम फॉर रिसर्च आफन इक्विटेबल हेल्थ सिस्टम्स का एक केस स्टडी : 1-26।
3. बिद्युम विकास बैश्य, दीपिन चक्रवर्ती (2015) सामाजिक सुरक्षा के रूप में स्वास्थ्य बीमा - असम में क.रा.बी. निगम की सेवा वितरण पर एक अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ कॉमर्स वॉल्यूम 68, नंबर 1,जनवरी -मार्च 2015 : 71-78.
4. शिंगाडे, पूनम, पी माधवी एच. (2016) गुलबर्गा सिटी इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्टूबर-दिसम्बर 2016 वॉल्यूम 7 अंक 4: 271-275.5 पी के लाभार्थियों के बीच क.रा.बी.योजना के बारे जागरूकता और सन्तुष्टि।
5. वेबसाइट: http://www.esic.nic.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Rootlessness and Nostalgia in Some of the Novels of Bharti Mukherjee

Dr. Vishal Sen*

*Assistant Professor (English) S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - This paper will highlight the themes of homelessness and rootlessness in some of the novels of Bharti Mukherjee. It will cover the experiences of Indian immigrants on the alien foreign land. The characters in her novels suffer as they are dislocated. Through this paper, the problematic situations of such portrayals in Bharti Mukherjee's novels have been pictured. The negative circumstances lead the characters to existential problems, identity crisis and loneliness. They also suffer from cultural alienation and exile. These miserable conditions result in utter dislocation and extreme sorrow. This paper will project the afflictions and sorrowful situations that take place in the lives of Indian immigrants.

Keywords- Indian immigrants, existential problems, identity crisis, cultural alienation, utter homelessness, extreme rootlessness.

Introduction - Bharti Mukherjee is one of the most significant authors from the group of Indian Women Novelists. Mukherjee is a renowned novelist with difference. She has secured a distinctive place among Indian Women Novelists. Her novels concentrate on the subjects of existentialism, identity questions, alienation, loneliness, feminism etc. Her fictional world is full of different kinds of afflictions and miseries, encountered by her characters. She has highlighted cross-cultural issues confronted by the feminine portrayals in her novels.

Rootlessness and Nostalgia in the Novels of Bharti Mukherjee: Bharti Mukherjee's novel The Tiger's Daughter is manifestation of rootlessness and cultural discord. Tara is the female protagonist in this novel. She belongs to Calcutta. After completing her studies in New York, Tara is married to an American man. Tara suffers from cultural discord. The novelist herself wrote somewhere that this novel is her own expression of the expatriate consciousness. Tara Benerjee Cartwright comes back to India to recreate her memories and identity as a citizen of India. She is shocked to see that the Indianness which was there has been westernized now. Finally, Tara feels identity crisis and alienation. Dimple Dasgupta is another heroine of Bharti Mukherjee in her next novel Wife. Dimple also becomes a victim of cultural dislocation and solitude in United States. The novelist presents gruesome immigrant experiences, faced by Dimple, a very different kind of woman. She is unable to adjust in her husband's home. Even after reaching America with her husband, she does find the foreign land right for her. She feels herself as rootless and homeless as an immigrant. Dimple longs for her native country India. Nostalgia covers her complete self. She experiences herself as locked inside the four walls alone like an alien. She is unable to breathe in American air.

Another victim of rootlessness and nostalgia is Jasmine in Bharti Mukherjee's next novel Jasmine. Completely different atmosphere becomes a cage for Jasmine in which she feels herself unable to adjust. She tries her level best to live in dislocated American culture. Jasmine's quest for identity as an immigrant is presented. The journey of the life of Jasmine is full of traumatic experiences and afflicting situations. She longs for personal identity. She remains an outsider always in American society. She shifts her identity as she reaches different places. Her life is just a journey from nowhere to nowhere.

In the novel, **The Holder of the World**, the novelist Bharti Mukherjee again pictures the themes of rootlessness and nostalgia through some experiences of the characters in India and America. The protagonist Hannah Easton from America comes to India and meets different immigrant experiences. The cultural transformation in the life of Hannah is the mentionable aspect of this novel.

Desirable Daughters is one of the most significant novels of Bharti Mukherjee in which she projects the themes of homelessness, rootlessness and nostalgia. Through this work, the novelist has presented the South Asian immigrant experiences. Cultural dissonance, alienation, loneliness etc. become the hazardous situations for the female characters in this novel. After her marriage, Tara the female protagonist of this novel goes to the United States

with her husband Bish Chatterjee. Tara attempts to assimilate in the American atmosphere but on the contrary she is looked down due to her Asian identity. Tara's life remains just a dilemma as she is never able to justify her true identity. Tara suffers a lot because of identity crisis on the foreign land. She confronts the situation of utter solitude and rootlessness. Finally, she becomes nostalgic and decides to go back to India is search of home.

Suggestions and Findings: The novelist Bharti Mukherjee has pictured her novels with the colours of rootlessness and nostalgia. The themes of nostalgia and rootlessness have been scattered in most of her novels. Through some excellent feminine character sketches, Bharti Mukherjee has provided new way to fiction writing through deadly immigrant experiences. Her fictional world is full of the feelings and emotions of sense of belonging and nostalgia. Not only Indians but some characters from other countries have also been pictured as very emotional and sentimental, trying to assimilate in other culture but they feel themselves unable to do so. The novelist outstandingly presented the fatal experiences of immigrants on foreign land. Mukherjee also becomes subjective in case of some novels written by her.

Conclusion : Through the above study, some inferences are drawn. The novelist Bharti Mukhrjeee has rightly projected the subjects of rootlessness and nostalgia through some of her novels. Her characters suffer a lot due to the shifting of cultural localities. The encounter between native atmosphere and foreign settings create very much problematic situations for Mukherjee's portrayals. They feel a sense of loss in such contrary surroundings, full of loneliness, homelessness, rootlessness, alienation etc. The result comes in the form of nostalgia. Due to cultural clashes, the immigrants develop a new identity for themselves as being outsiders on some strange foreign land. Transformation of cultures and settings in the lives of the characters lead them to walk on an unending path.

References:-

1. Alam,Fakrul. Bharti Mukherjee. New York: Prestige Publishers, 1996.
2. Dhawan,R.K. . Indian Women Writers. New Delhi : Prestige Books, 2001.
3. Dhawan, R.K. The Fiction of Bharti Mukherjee: A Critical Symposium. New Delhi: Prestige Books, 1996.
4. Iyenger, K.R.S. Indian Writing in English. New Delhi: Sterling Publications, 1985.
5. Krishnaswami, Shantha. The Women in Indian Fiction in English. New Delhi; Asian Publishing House, 1983.
6. Kumar, Nagendra. The Fiction of Bharti Mukherjee: A Critical Perspective. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors Private Limited, 2013.
7. Shirwadkar, M. Image of Women in Indo-Anglian Novel. New Delhi: Sterling Publications, 1979.
8. Singh, Vandana. The Fictional World of Bharti Mukherjee. New Delhi: Prestige Books, 2010.
9. Stephen, M.S. .Bharti Mukherjee: A Study in Immigrant Sensibility. New Delhi: Prestige Books, 2010.
10. Tandon, S. Bharti Mukherjee's Fiction: A Perespective. New Delhi: Swarup and Sons Publishers,2007.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण में वृद्धि का विश्लेषणात्मक अध्ययन (इंदौर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

माधुरी यादव* **डॉ. एल.एन. शर्मा****

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) भेरुलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बेडकर नगर, महू (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लिए गए भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे में कृषि की महत्ता को इस तथ्य से महसूस किया जा सकता है कि देश की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर है। कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 18 प्रतिशत है, जबकि 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या इस पर निर्भर है, जिसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम है। इससे यह भी पता चलता है कि कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय के बीच बड़ी असमानता है। अत: इन सभी का प्रभाव किसानों की आय स्तर को प्रभावित करता है। आय का स्तर कुल उत्पादन तथा उचित उत्पादकता स्तर और किसानों द्वारा प्राप्त मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है। लघु और सीमांत जोतों का आधिक्य जो कुल जोतों का लगभग 82 प्रतिशत है, अपूर्ण बाजार दशाएँ तथा पश्च और अग्र संपर्कों की कमी जैसी बाधाऐं भी किसान के आय स्तरों को दुष्प्रभावित करती है। तदनुसार, कृषि कार्यकलाप अधिक व्यवहार्य बने और नवीन तकनीक का उपयोग करके कृषि भूमि की उत्पादकता को बढ़ाया जाऐ, इसके लिए कृषकों को ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है।

प्रस्तावना – किसान क्रेडिट कार्ड योजना केंद्र सरकार की एक विशेष महत्वपूर्ण योजना है, जिसका संबंध देश की बैंकिंग प्रणाली एवं किसानों के परस्पर संबंधों से है। इसका मूल उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। कोई भी पहचान- पत्र बैंक उपलब्ध कराकर अपनी फसल हेतु आवश्यकता बैंक से ले सकता है। उनकी जोत के आधार पर ऋण की राशि निर्धारित की जाती है।वे उधार (क्रेडिट) ली गई राशि का प्रयोग का प्रयोग कर एक बार में आवश्यकतानुसार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। इसके विशेष लाभ यह है कि जितनी पूँजी कृषक खर्च करता है। क्रेडिट कार्ड का लाभ उन किसानों को भी मिल सकता है, जो अपनी निजी पूँजी पर खेती नहीं करते, लेकिन इसके लिए उन्हें इस आशय का प्रमाणित प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं।

अधिकतर कृषक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण लेते हैं, कुछ वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंकों पर निर्भर है व कुछ कृषक गांव के साहूकारों से ऋण लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ने कृषकों की समस्या को खत्म कर दिया है। इसके माध्यम से किसानों को समय पर राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर पर भी ऊँचा हो रहा है, साथ ही ग्रामीण वित्त संबंधित अनेकों योजनाएँ चलाई गयी व उन्हीं योजनाओं के जरिए करोड़ों लोग फिर से खेती से जुड़ गए हैं। शासन द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कृषकों की संख्या को दर्शाया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिशत कृषकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया व प्रतिशत कृषकों ने अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक, साहूकारों इत्यादि से ऋण प्राप्त किया है।

सरकार ने अपने विभिन्न आयामों द्वारा देश के सभी क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कृषि व्यापार, पशु-पालन, लघु-सीमांत कृषकों और ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर व्यक्तियों को विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से जिसका मुख्यत: किसान क्रेडिट कार्ड योजना से प्राचीन ऋण व्यवस्था से छुटकारा भी मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि ऋण व्यवस्था को ओर सरल किया जाए ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो और भारत का स्वप्न साकार हो सके। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि के क्षेत्र में लाभ पहुंचाना है, जिसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को तकनीक का प्रयोग, यंत्रीकरण के संदर्भ में ऋण दिया जाता है ताकि वे अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकें-मशीन, बीज क्रय, स्टोरेज के साधन आदि।

साहित्य का पुर्नावलोकन

जी. श्रीनिवासन और अन्य (2010) ने अपने अध्ययन में स्व-सहायता समूह और किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा प्रदत कृषिगत योजनाओं का अध्ययन किया और पाया कि कृषि सतत् रूप से विकास के लिए आवश्यक है। प्रयोगात्मक खेती की नई तकनीक द्वारा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि ने देश की आर्थिक परिस्थिति को एक नया मोड़ दिया। देश ने उत्तर-पश्चिम राज्यों पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न विशेषकर गेहूँ के उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा हरित क्रांति का आविर्भाव हुआ।

सिंह, राजू (2010) इन्होंने अपने अध्ययन में बताया है कि राजस्थान राज्य के जिन किसानों के पास खुद की जमीन नहीं है, उनको भी अब सरकार नाबार्ड की सहायता से कृषि ऋण दिलाएगी। पहले जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उन्हें ऋण नहीं मिलता था। अब ऐसा होने से किसानों को सेठ साहूकारों से अधिक ब्याज देकर ऋण लेने से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए 4 से 10 किसानों का एक समूह बनाना होगा। नाबार्ड के तहत दस किसान सामूहिक रूप से 5 लाख रूपए तक ऋण ले सकेगें। कृषि विभाग के पर्यवेक्षक जो किसान भूमिहीन हैं, उनको इस योजना की जानकारी देगें व

ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। वर्तमान में किसानों के पास जमीन होने पर ही बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं, इससे किसान किसी भी समय ऋण ले सकते हैं।

बलदेव सिंह शेरगिल, मनमीत कौर एवं सत्यजीत सिंह टिवाना (2018) ने अपने शोध में हरियाणा के लघु एवं सीमान्त कृषकों के आजीविका का अध्ययन किया गया। लघु एवं सीमान्त कृषकों की साक्षारता दर, शिक्षा, आय-व्यय के पैटर्न, गैर कृषि व्यावसायिक विकल्प, आवास की स्थिति, सामाजिक और वित्तीय पूंजी की भूमिका इत्यादि के माध्यम से उनके जीवन के संदर्भो का विश्लेषण किया गया है। शोध के निष्कर्ष के आधार पर यह सुझाव दिया गया कि उनकी अंसतोषजनक स्थिति का मुख्य कारण उनकी निरक्षरता है। अत: साक्षरता दर को बढ़ाना आवश्यक है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का सामना न करना पड़े। अत: सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर हितग्राही को मिलना चाहिए। जिसके लिए गैर सरकारी संगठन का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है।

अनूपसिंह सांगवान (2018) के शोध के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास व प्रगति में कृषि क्षेत्र का एक अहम् स्थान है। प्रस्तुत शोध में लघु एवं सीमान्त कृषकों की संख्या में वृद्धि होने के काण, इनकी समस्याएँ व सरकारी उपायों व समाधान के विषय में जानने का प्रयास किया गया। उन्होंने अपने शोध में बताया कि देश की राष्ट्रीय आय में 18 प्रतिशत भागीदारी कृषि से व कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा कृषि व सम्बद्ध कार्यो में लगा हुआ है। देश के निर्यातों में भी कृषि क्षेत्र का 16 प्रतिशत हिस्सा है तथा देश की तीव गति से बढ़ती जनसंख्या को आवश्यक खाद्यानों, फलों व सब्जियों की आपूर्ति कृषक के द्वारा ही की जाती है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. इंदौर जिले के लघु एवं सीमांत कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि:

1. **अध्ययन क्षेत्र** -संपूर्ण इंदौर जिला
2. **अध्ययन का समग्र** -संपूर्ण इंदौर जिले में निवासरत लघु एवं सीमांत कृषक।

अ. **लघु कृषक :** वे कृषक जिसके पास 4 बीघा से अधिक और 8 बीघा से कम खेती होती है।

ब. **सीमांत कृषक :** वे कृषक जिनके पास 4 बीघा तक कृषि भूमि होती है।

3. **अध्ययन में इकाई** - इंदौर जिले के इन चार विकासखंडों (सांवेर, महू, राऊ एवं देपालपुर) में से प्रत्येक विकासखंडों में निवास करने वाला एवं लघु एवं सीमांत कृषक जिसने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है।(वर्ष 2012-17 के दौरान) को अध्ययन की इकाई के रूप में लिया गया है।

शोध विधि:- प्रस्तुत शोध कार्य हेतु मुख्य रूप में निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। दैव निर्देशन विधि की लॉटरी पद्धति से इन चार विकासखंडों में से प्रत्येक विकासखंड से 100 अर्थात् (4 विकासखंडों से 400) लघु एवं सीमांत कृषकों का अध्ययन इकाई के रूप में चयन करके शोध अध्ययन कार्य पूर्ण किया गया है।

सभी प्रकार के प्रमाणिक द्वितीयक संमको को इस शोध कार्य का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है तथा समस्या के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंको का संकलन करके अधिकाधिक सही एवं व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्राथमिक संमक-एकत्रित करने हेतु मुख्य रूप से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग किया गया है। इसके अन्तर्गत शोधार्थी द्वारा स्वंय शोध क्षेत्र में उपस्थित होकर न्यादर्श इकाइयों से संपर्क किया गया जिससे संमक सबसे अधिक प्रमाणिक, शुद्ध तथा विश्वसनीय प्राप्त हो। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक संमक एकत्रित किए गए हैं। नीचे दी गई तालिका में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पूर्व व पश्चात् विभिन्न फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि को दर्शाया गया है-

तालिका क्रमांक 1: किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पूर्व व पश्चात् विभिन्न फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन में परिवर्तन

क्र.	फसलें	ऋण लेने से पूर्व प्रति एकड़ उत्पादन	ऋण पश्चात प्रति एकड़ उत्पादन	पूर्ण परिवर्तन (रुपये में)	सापेक्ष परिवर्तन (%)
1	सोयाबीन	5.88	7.81	1.93	32%
2	अरहर	3.74	5.65	1.91	51%
3	गेहूं	6.41	11.69	5.28	52%
4	चना	3.43	5.98	2.55	74%

Source: Department of Agricultural Development Bulletin 2020

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि ऋण लेने से पूर्व सोयाबीन का प्रति एकड़ उत्पादन 5.88 था, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने के पश्चात 7.81 प्रति एकड़ उत्पादन रहा, जो 1.93 प्रतिशत में परिवर्तन (रुपये में) का सांकेतिक है। इसी प्रकार से ऋण लेने से पूर्व अरहर का प्रति एकड़ उत्पादन 3.74 था, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने के पश्चात 5.65 प्रति एकड़ उत्पादन रहा, जो 1.91 प्रतिशत में परिवर्तन (रुपये में)का सांकेतिक है। ऋण लेने से पूर्व गेहूँ का प्रति एकड़ उत्पादन 6.41 था, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने के पश्चात 11.69 प्रति एकड़ उत्पादन रहा, जो 5.28 प्रतिशत में परिवर्तन(रुपये में) का सांकेतिक है। ऋण लेने से पूर्व चना का प्रतिएकड़ उत्पादन 3.43 था, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने के पश्चात 5.98 प्रति एकड़ उत्पादन रहा, जो 2.55 प्रतिशत में परिवर्तन (रुपये में)का सांकेतिक है। अत: स्पष्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा प्रदत लाभ से प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक 2: पूर्व व पश्चात आय में परिवर्तन (प्रति एकड़)

क्र.	फसलें	ऋण पूर्व पूर्व प्रति एकड़ (रुपये में)	ऋण पश्चात प्रति एकड़ (रुपये में)	पूर्ण परिवर्तन (रुपये में)	सापेक्ष परिवर्तन (%)
1	सोयाबीन	6174	8519	2417	39.14
2	अरहर	13090	19210	6120	46.75
3	गेहूँ	7051	12089	5308	75.28
4	चना	8149	13754	5605	68.78

Source: Department of Agricultural Development Bulletin 2020

उपरोक्त तालिका में किसान क्रेडिट कार्ड के पूर्व व पश्चात आय में परिवर्तन (प्रति एकड़) को दर्शाया गया है। सोयाबीन के संदर्भ में ऋण पूर्व आय प्रति एकड़ (रुपये में) 6174 थी, जो कि बढ़कर ऋण पश्चात आय प्रति एकड़ (रुपये में)8519 रही। अरहर के संदर्भ में ऋण पूर्व आय प्रति एकड़ (रुपये में)13090 थी, जो कि बढ़कर ऋण पश्चात आय प्रति एकड़ (रुपये में)19210 रही। गेहूँ के संदर्भ में ऋण पूर्व आय प्रति एकड़ (रुपये में) 7051 थी, जो कि बढ़कर ऋण पश्चात आय प्रति एकड़ (रुपये में) 12089 रही। चना के संदर्भ में ऋण पूर्व आय प्रति एकड़ (रुपये में) 8149 थी, जो कि बढ़कर ऋण पश्चात आय प्रति एकड़ (रुपये में) 13754 रही। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड के पूर्व आय व किसान क्रेडिट कार्ड के पश्चात आय में परिवर्तन रहा।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना से कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण में वृद्धि की जानकारी के आधार पर लघु एवं सीमांत कृषकों का वर्गीकरण

तालिका क्रमांक 3: किसान क्रेडिट कार्ड योजना से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता में वृद्धि

वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
पूर्णतः असहमत	18	4.5%
असहमत	16	4%
तटस्थ	10	2.5%
सहमत	233	58.25%
पूर्णतः सहमत	123	30.75%
कुल	**400**	**100**

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

किसान क्रेडिट कार्ड योजना से आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है तथा लघु एवं सीमांत कृषक आत्मनिर्भर हुए हैं।किसान क्रेडिट कार्ड योजना से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता में वृद्धि की जानकारी के संदर्भ में 4.5 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक पूर्णतः असहमत, 4 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक असहमत, 2.5 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक तटस्थ, 58.25 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक सहमत, व शेष 30.75 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक पूर्णतः सहमत हैं।

$H_0$1:किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण ही लघु एवं सीमांत कृषकों का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो रहा है।

H_a1:किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण ही लघु एवं सीमांत कृषकों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है।

तालिका क्रमांक- 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

दोनों कारकों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व लघु एवं सीमांत कृषकों का आर्थिक सशक्तिकरण के मध्य पियर्सन सहसंबंध परीक्षण करने पर 0.828 मान प्राप्त हुआ है, तथा सार्थकता मूल्य (p-value) का मान 0.000 जो स्तरीय मान 0.05 से कम है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों कारकों के मध्य पियर्सन मान व सार्थकता मूल्य (p-value) स्तर मान 0.05 से कम होने पर कारकों के मध्य सार्थक संबंध है। साथ ही मॉडल समरी में प्रतिपगमन विश्लेषण का प्रयोग दोनों कारकों के मध्य सकारात्मक संबंध को ज्ञात करने हेतु किया गया है। मॉडल समरी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि, लिनियर सहसंबंध गुणांक ठका मान 0.686 है, व आर. स्क्वेयर (0.685) है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों कारकों के मध्य संबंध है। आर.स्क्वेयर (गुणांक का निर्धारण) का मान 0.686 प्राप्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि लघु एवं सीमांत कृषकों का आर्थिक सशक्तिकरण में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के मापदण्ड पर 68.6% है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व लघु एवं सीमांत कृषकों का आर्थिक सशक्तिकरण के बीच संबंध को जानने के लिए 'अनोवा परीक्षण' का प्रयोग किया गया है। तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि F का मान 868.040 है, जो सारणीमान 2.47 से अधिक है व सार्थकता मूल्य .000[a] है, जो स्तरीय मान 0.05 से कम है। अतः परिकल्पना **किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण ही लघु एवं सीमांत कृषकों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है** को स्वीकृत किया जाता है तथा परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव: ग्रामीण एवं कृषि विकास हेतु ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को योगदान भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।इन बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बैंक कृषि श्रमिकों, लघु, कुटीर तथा दस्तकारी उद्यमियों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं किंतु यह भी सच है कि वर्तमान में इन बैंकों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के बैंकों से प्रतिस्पर्धा, पूंजी आधार अर्जक आस्तियों का उच्च प्रतिशत, समन्वय का अभाव आदि चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना द्वारा प्रदत लाभ से कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। कृषि साख के बढ़ते हुए महत्व को कृषि यंत्रों का उपभोग, ट्रैक्टरों के उपयोग, सिंचाई हेतु पंपसेटों के प्रयोग, फसल कटाई हेतु हार्वेस्टर के प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है:

1. केसीसी व्यवस्था के फलस्वरुप कृषि में मशीनों एवं यंत्रों का उपयोग बढ़ा है, जिससे कृषि कार्य उचित समय, उचित दक्षता तथा न्यूनतम लागत पर कर पाना संभव हो गया है।
2. केसीसी द्वारा प्रदत लाभ के फलस्वरूप किसानों को ट्रैक्टर क्रय की सुविधा में वृद्धि हुई है। पूर्व में यह कार्य बैलों की शक्ति से किऐ जाते थे, जिससे अधिक समय और धन व्यय होता था। इस प्रकार कृषि लागत में कमी आई है व उनके आर्थिक जीवन में सुधार आया है।
3. साख व्यवस्था के विस्तार के फलस्वरुप भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता भी कम हुई है। किसानों ने डीजल चालित एवं विद्युत चालित पंपसेटों का प्रयोग करना आरंभ हुआ है।
4. कृषि में आधुनिकीकरण की वजह से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा इसी क्रम में नयी कृषि तकनीक के आगतों तथा उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी से संबंधित उद्योगों का तीव्र विकास संभव हुआ है।
5. शासकीय योजनाओं के प्रति हितग्राहियों में जागरूकता लाना आवश्यक है, जिसके लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर शिविर व गोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए ताकि हितग्राही इस अवसर का लाभ उठा सके। शासकीय योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त ऋण राशि या अनुदान राशि व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का क्षेत्र एवं लगने वाले साधनों के आधार पर तय की जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Anjani Kumar at al " Performance of Rural Credit and

Factors affecting the choice of Credit Sources". Indian Journal of Agricultural Economics. Voigime 62. No 3 July - Sept 2007

2. Dhanabhakyan.M. Malarvizhi.J, (2012),"A study on the awareness utilization and problem of using kisan Credit Card of Canara Bank" , international journal of marketing, financial services & management research,vol.1,issue.10,
3. Dharmendra Mehta & Hitandra Trivedi, (2016),"India Kisan Credit Card Scheme: An Analytical study ", BRAND Broad research, vol.7.Issue.1.
4. Diwas Raj & Pramod kumar (2012),"progress and performance of Kisan Credit Card", agricultural economics research review, vol.25.pp125-135.
5. Dube, L. K. (1972) "Micro-Scale Agriculture Geo-graphical studies as a basic for territory Analysis and Programming Agricultural Progress". The European Regional Conference Symposium of Agricultural Typology and Agricultural Settlement. 50-58.
6. Dutt, A. & Robin, S. G. (1969) "An Assessment of Agricultural development in West Bengal". The Journal of Tropical Geographer 28. 17-22.
7. Gulati, A. Kalra, G. T. (1992) Fertiliser Subsidy issued related to equality and efficiently. Economic and Political weekly. March 28, p. 48.
8. Gupta, R. (1977) Poverty and quality of life in Tribal areas. In Gupta ed. `Planning for Tribal Development' Ankur Publishing House. New Delhi. P. 81-126.
9. Kalliir. M.S. `Impact of KCC on flow of credit and repayment rate in a backward region. .A case of agricultural development bank in Shorapur Tali|ka, Gulbarga district Karnataka. : Summary: Indian Journal of Agricultural Economics. Vol. 60. No 3. July-September 2005
10. K.H, Vedini and P Kanaka Durga. `Evaluation of Kisan Credit Card Scheme in t N State of Andhra Pradesh'. Indian Journal of Agricultural Economics. Vol. 62 July-Sept 2007)
11. Mahavir, S. A. (2010). An Economic Evaluation of Kisan Credit Card Scheme in Belgaum District of Karnataka and in Sangli District of Maharashtra (Thesis, University of Agriculture Sciences, Dharwad). Retrieved from www.etd.uasd.edu/abst/th9995.pdf.
12. Mehta, D., Trivedi, H., Mehta, N.K. (2016). Indian Kisan Credit Card Scheme: An Analytical Study .Brand, Broad research in Accounting, Negotiation and Distribution, 6(1), 23-27.
13. Mellor, J.W. & Johnston, B. (1961) "The Role of Agriculture in Economic Development". American Economic Review. (44), pp. 566-93.
14. Olekar, Ramesh. O. (2012). Effectiveness of Kisan Credit Card Scheme in Karnataka State International Journal of Research in Commerce & Management, 2(7),104-109
15. Parwate, P.,Sharma, M.L., and Maske M. (2012). A study on utilization pattern of Kisan credit card (KCC) among the farmers in Raipur district of Chhattisgarh. International journal of Agronomy and Plant Production, 3(2),54-58.
16. Rajmohan, S., Subha. K. (2014),"Kisan Credit Card Scheme in India", International journal of Scientific research, vol.3, Issue.10
17. R.Ki Khatkar and others: Role of Kisan Credit Cards and Self Help Groups in Rural Financing in Haryana' Indian Journal of Agricultural Economics. Vol|60. No 3. July- September 2005.
18. Samberni, I, (1977) Area Planning for Tribal Development: Concept and Experiments". In Gupta ed. `Planning for Tribal Development' Ankur Publishing House. New Delhi. P. 193-211.
19. Sanleer Kumar : `Kishan Crdit Card. Cross Road Ahead" Vilakshan. XIMB Journal of Management. Sept 2009.
20. Santhi, A. (2012). Impact of Kisan Credit Card Scheme on the Farmers of Kanyakumari District A study (Ph.D Thesis, Manonmaniam Sundaranar University). Retrieved from shodhganga.inflibinet.ac.in/ handle/ 15603/27862
21. Sharma Anil (2005) The Kisan Credit Card Scheme: Impact, Weaknesses and Further reforms. Published by National Council of Applied Economics Research, New Delhi
22. Sharma, A., Choudhary, S., Swarnakar, V.K. (2013). A Study on Impact of Kisan Credit Card Scheme among the Beneficiary Farmers in Sehore District of Madhya Pradesh. International Journal of Science and Research, 2(1), 154-157.
23. Singh Harpreet and M.K. Sekhon. `Cash in Benefits of the Kisan Credit Card Scheme. Onus is up on the farmer'. Indian Journal of Agricultural Economics. Vol. 60. No 3 July-Sept 2005.
24. Singh, S. N. (1976) "Modernization of Agriculture-A Case Study in eastern U. P.". Heritage Publisher, new Delhi.126-137.
25. S.S. Sangwan. `Innovative Loan Products and Agricultural Credit: A study of Kisan Credit Card scheme with special reference to Maharashtra, Sunmmary. Indian Journal of Agricultural Economics. Vol 60. No 3. July -September 2005.
26. Uppal, R. K., Juneja, A. (2012). Kisan Credit Card Scheme in India-Issues and Progress. Asian Journal of Research in Social Science and Humanities, 2(6), 17-26.
27. Vohra, B.B. (1980) Policy for Land and Water. Sardar Patel Memorial Lecture: New Delhi. December. P. 22-23.
28. Yogesh Kumar Dubey. `Access to Kisan Credit Cards in Uttar Pradesh by different Social groups in Different Regions'-. Summary. Indian Journal of Agricultural Economics. Volume 62. No 3 July - Sept 2007.

तालिका क्रमांक4: Model Summary[b]
लघु एवं सीमांत कृषकों का आर्थिक सशक्तिकरण

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.828a	.686	.685	.72659	.686	868.040	1	398	.000

a. Predictors: (Constant), प्रभावी क्रियान्वयन

b. Dependent Variable: आर्थिक सशक्तिकरण

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

जनजातीय क्षेत्रों में मानव अधिकारों के संरक्षण की स्थिति (झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन)

संजु अलावा*

* पीएच.डी शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मानव अधिकारों की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है, जितनी कि मानव जाति, समाज और राज्य की। मानव अधिकारों की धारणा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव सुख से है, जिसमें विकास के क्रम में सामाजिक सुख, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुख का स्वरूप धारण कर लिया गया है। **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मान्यता प्रदान करने से मानव अधिकारों का स्वरूप विश्वव्यापी हो गया है।

शब्द कुंजी –मानव अधिकार, सामाजिक सुख, संयुक्त राष्ट्रसंघ।

प्रस्तावना – मानव अधिकार सभी अधिकारों का एक समूह है, जो हर व्यक्ति को उसके लिंग, जाति, पंथ, धर्म, राष्ट्र, स्थान या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना दिया जाता है, जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को स्पष्ट करते है। कानून द्वारा संरक्षित ये अधिकार हर जगह और हर समय लागू होते है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 की वजह से केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग और जिला स्तर पर जिला मानव अधिकार संगठन की स्थापना करना कानूनी रूप से आवश्यक हो गया है। यह आयोग मानव अधिकारों तथा उससे संबंधित विषयों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग अब नागरिक के रोजमर्रा के जीवन का अंग बन गया है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है, जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक होता है। मानव अधिकारों में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के समक्ष समानता का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। मानव अधिकार मुनष्य के विशेष अस्तित्व के कारण उनसे संबंधित है, इसलिए ये जन्म से ही प्राप्त हैं और इसकी प्राप्ति में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग और राष्ट्रीयता बाधक नहीं होती। मानव अधिकार को दूसरे अर्थो में मूलाधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार एवं नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है।

शोध विषय का चयन – जनजाति क्षेत्र में मानवाधिकारों का पालन हो रहा है या नहीं ? क्या आज भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में पीछे है ? इसलिए जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मानव अधिकारों के संरक्षण की स्थिति का अध्ययन करने के लिए इस शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. जनजातीय क्षेत्रों में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु कार्यरत् विभिन्न अभिकरणों की भूमिका का अध्ययन करना है।
2. जनजातीय क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति की विवेचन एवं विश्लेषण करना।

अध्ययन का महत्व एवं क्षेत्र– इस शोध अध्ययन से यह ज्ञात हो सकेगा कि जनजातीय क्षेत्रों में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्यरत् विभिन्न अभिकरणों की भूमिका क्या है और वे मानवाधिकारों का संरक्षण किस प्रकार से करते है ? यह शोध कार्य जनजातीय क्षेत्र में विकास कार्य करने वाली संस्थाओं एवं नीति निर्माताओं एवं शोध कार्यो में संलग्न व्यक्तियों के लिए उपयोगी साबित होगा। इस शोध के लिए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित आदिवासी बहुल झाबुआ जिले का चयन किया गया है। झाबुआ जिले की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1025048 है, जिसमें 515023 पुरूष एवं 510025 महिलाएँ है। झाबुआ जिले की कुल जनसंख्या में अनुसचित जनजाति की कुल जनंसख्या 819818 है, जो जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत है।[1]

निदर्षन प्रक्रिया – इस शोध कार्य के लिए निम्न प्रकार से निदर्शन प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. अध्ययन के समग्र – अध्ययन के समग्र के रूप में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अनुसूचित जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है।

ख. अध्ययन की इकाई – समग्र में से अध्ययन की इकाई के रूप में झाबुआ जिले के अनुसूचित जनजाति परिवारों में से उन परिवारों को शामिल किया गया, जो किसी भी शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।

उत्तरदाताओं का चयन – इस शोध की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदाताओं का चयन शोध कार्य के निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है।[2] झाबुआ जिले से कुल 245 उत्तरदाताओं का चयन **दैव निदर्शन पद्धति** से किया गया है।[3] उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिले स्तर से कुल 20 उत्तरदाता, तहसील स्तर से कुल 75 उत्तरदाता एवं ग्राम पंचायत स्तर से कुल 150 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। इस प्रकार जिले से कुल 245 जनजाति उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया।

आँकड़ों का संकलन – इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्त्रोत – इस शोध कार्य के लिए **प्राथमिक आँकड़ों**

का संकलन अध्ययन क्षेत्र से चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से किया गया है।[4] वहीं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन विभिन्न मानक पुस्तकों, शोध-प्रबंध एवं लघु शोध प्रबंध, विभिन्न शोध पत्र एवं पत्रिकाओं, विभिन्न विभागों के प्रकतवेदनों, भारत की जनगणना-2011, झाबुआ जिले की सांख्यिकी पुस्तिकाओं, शासकीय तथा अषासकीय विभागों की अधिकृत वेबसाइटस् से प्राप्त आँकड़ों एवं अभिलेखों के आधार पर किया गया है।

इस प्रकार संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की प्रतिपूर्ति की गई है।

शोध अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

1. **मानवाधिकारों की जानकारी होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 78.37 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मानवाधिकारों की जानकारी है, जबकि 21.63 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें मानवाधिकारों की जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं को मानवाधिकारों की जानकारी है।

2. **मानवाधिकारों का संरक्षण करने वाली संस्थाओं के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** मानवाधिकारों की जानकारी रखने वाले कुल उत्तरदाताओं में से 48.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि मानवाधिकारों का संरक्षण मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जाता है, वहीं 29.17 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि मानवाधिकारों का संरक्षण न्यायालय द्वारा किया जाता है। 22.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मानवाधिकारों का संरक्षण पुलिस द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार मानवाधिकारों का संरक्षण मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जाता है।

3. **मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति/घटना के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** मानवाधिकारों की जानकारी रखने वाले कुल उत्तरदाताओं में से 26.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि सार्वजनिक भूमि/रास्ते पर कब्जा करना ही मानवाधिकारों का उल्लंघन है, 49.48 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित करना मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटना है। वहीं 23.96 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य घटनाओं जैसे निजी कार्य में दखल करना आदि को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित करना ही मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटना है।

4. **मानवाधिकारों का उल्लंघन होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** चयनित कुल उत्तरदाताओं में से 19.59 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वहीं 80.41 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

5. **मानवाधिकारों के उल्लंघन होने के प्रकार के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के जिन उत्तरदाताओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उनमें से 27.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि पात्र होने पर भी उन्हें शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित किया गया था। 72.92 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन अन्य प्रकार की घटनाओं के रूप में हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन अन्य प्रकार की घटनाओं के रूप में हुआ है।

6. **मानवाधिकारों के उल्लंघन होने का विरोध करने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** जिन उत्तरदाताओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उनमें से 70.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर उन्होंने विरोध किया था, जबकि 29.17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन के संबंध में सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने विरोध किया था।

7. **मानवाधिकारों के उल्लंघन होने पर मानवाधिकार आयोग में आवेदन करने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** जिन उत्तरदाताओं ने मानवाधिकारों का उल्लंघन का विरोध किया है, उनमें से 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मानवाधिकार आयोग में आवदेन या शिकायत दर्ज की थी, वहीं 85.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मानवाधिकार आयोग में आवदेन या शिकायत दर्ज नहीं की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन के संबंध में भी सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने मानवाधिकार आयोग में आवदेन या शिकायत दर्ज नहीं की थी।

उपसंहार - उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर निकले निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में मानवाधिकारों की दृष्टि से स्थिति बहुत अच्छी है और यह स्थिति जनजातीय वर्ग के लिए सकारात्मकता को स्पष्ट करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका-2016
2. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)
3. शुक्ल,एस.एम.,सहाय,एस.पी.(2005)सांख्यिकीय के सिद्धांत, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा(उ.प्र.)
4. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

श्रमण संस्कृति की वैदिक संस्कृति को देन

डॉ. रणजीतसिंह मेवाड़े *

*सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – जिस वर्ग, समाज या राष्ट्र की कला, साहित्य, रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, पहनाव-औढ़ाव, धर्म-नीति, व्रत-पर्व आदि प्रवृत्तियाँ जिस विचार और आचार से अनुप्रमाणित होती है या की जाती है, वे उस वर्ग, समाज या राष्ट्र के उस विचार और आधारमूलक मानी जाती है। ऐसी प्रवृत्तियाँ ही संस्कृति कही जाती है।

भारत एक विशाल देश है। इसके भिन्न-भिन्न भागों में सदा से ही भिन्न-भिन्न विचार और आचार रहे हैं तथा आज भी ऐसा ही है। इसलिए यहाँ कभी क व्यापक और सर्वाग्राहा संस्कृति रही हो, यह संभव नहीं और न ज्ञात ही है। हाँ इतना आवश्यक जान पड़ता है कि दूर अतीत में दो संस्कृतियों का प्राधान्य अवश्य रहा है। ये संस्कृतियाँ है- 1 वैदिक संस्कृति, 2. श्रवण संस्कृति। वैदिक संस्कृति का आधार वेदानुसारी आचार-विचार है और श्रवण संस्कृति का मूल है पुरूष विशेष का अनुभवाश्रित आचार-विचार। ये दोनों संस्कृतियाँ जहाँ परस्पर से संघर्षशील हैं, वहाँ वे परस्पर में संर्घषशील रही है, वहाँ वे परस्पर में प्रभावित भी होती रही एवं आदान-प्रदान करती रही है।

वैदिक संस्कृति – वैदिक संस्कृति वेद को ही सर्वोपरि मानकार उनके अनुयायियों की सारी प्रवृत्तियाँ तदनुसारी रही है। इस संस्कृति में वेद प्रतिपादित यज्ञों का प्राधान्य रहा है और उनमें अनेक प्रकार की हिंसा का विधेय स्वीकार किया गया है। 'याज्ञिकी हिंसा हिंसा न भवति' कहकर हिंसा का विधान करके उसे खुल्लम-खुल्ला छूट दे दी गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर काल में माँस भक्षण, मद्य-पान और मैथुन-सेवन दोषाभाव का भी प्रतिपादन कियास गया है, यथा-

'न मांसभक्षणे दोषों, न मद्ये न च मैथुने।
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला।।'

इतना ही नहीं, उन्हें जीवों की प्रवृत्ति बतलाकर उन्हें स्वच्छंद कर दिया गया है- उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया। फलत: उनसे निवृत्ति होना दु:साध्य है। सोमयज्ञ में एक वर्ष की लाल गाय के हवन का विधान, एक दूसरे यज्ञ में श्वेत बकरे की बलि का निर्देश जैसे सैकड़ों प्रतिपादक अनुष्ठानादेश वेदविहित है। 'एक हायन्या अरूणागवा सोमं क्रीणाति', 'श्वेतमजमालभेत' आदि।

वैदिक मीमांसक विचार और अनुष्ठान प्रधान है। इसलिए आरंभ में इसमें ईश्वर का कोई स्थान न था। क्रिया ही अनुष्ठेय एवं उपास्य है। किसी पुरूष विशेष को उपास्य या ईश्वर मानना इस संस्कृति के लिए इष्ट नहीं है। क्योंकि उसे मानने पर वेद की अपौरूषेयता और प्रमाण्य पर आँच आती है तथा वे खतरे में पड़ते है। इसलिए वैदिक मंत्रों में केवल इंद्र, वरूण जैसे देवताओं का ही आव्हान किया जाता है। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु जैसे पुरूषावतारी ईश्वर की उपासना इस संस्कृति में आरम्भ से नहीं रही। वह तो उत्तरकाल में आई और उनके उपासना गृहों (मंदिरों) तथा तीर्थों की सृष्टि हुई है।

जहाँ तक समीक्षक मनीषियों का विचार हैं, यह संस्कृति क्रिया प्रधान है, अध्यात्म प्रधान नहीं। वेदों में आत्मा का विवेचन अनुपलब्ध है। वह उपनिषदों के माध्यम से इस संस्कृति में पीछे से आया है। माण्डूक्य उपनिषद् में कहा है कि विद्या दो प्रकार की है- 1 परा और, 2. अपरा। परा विद्या आत्मविद्या है और अपरा विद्या कर्मकाण्डहै। छान्दोग्योपनिषद् में आत्मविद्या की प्राप्ति क्षत्रियों से और क्रियाकाण्ड का ज्ञान ब्राम्हणों से बतलाया है। इससे प्रतीत होता है कि उस सुदूर काल में आत्म विद्या इस संस्कृति में नहीं थी।

वेदों में यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति का प्रतिपादन है, मोक्ष या नि:श्रेयस का कोई निर्देश या चर्चा नहीं है, मोक्ष या नि:श्रेयस का कोई निर्देश या चर्चा नहीं है। उसका प्रतिपादन इस संस्कृति में पीछे समाविष्ट हुआ है।

वेदों में तप, त्याग, ध्यान, संयम और शम जैसे आध्यात्मिक साधनों का कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तथ्य-ज्ञान का भी प्रतिपादन नहीं है। उसमें केवल 'यज्ञेत स्वर्गकाम:' जैसे निर्देशों द्वारा स्वर्गकामी के लिए यज्ञ का ही विधान है। लौकिकों के लिए खेती आदि का भी प्रतिपादन है, पर मोक्ष का नहीं।

श्रमण संस्कृति – इसके विपरित श्रमण संस्कृति में, जो पुरूष विशेष के अनुभव पर आधारित है और जो आर्हत संस्कृति या तीर्थंकर संस्कृति के नाम से जानी-पहचानी जाती है, वे सभी बातें पाई जाती हैं, जो वैदिक संस्कृति में आरम्भ में नहीं थी। यद्यपि जैन और बौद्ध दोनों की संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहा जाता है, पर यथार्थ में आर्हत् संस्कृति कहा जाता हैं। पर यथार्थ में आर्हत् संस्कृति ही श्रमण संस्कृति है, क्योंकि उसे समण-सम+उपदेशक अहंत् के अनुभव केवल ज्ञानमूलक माना गया है। दूसरे, महात्मा बुद्ध आरंभ में भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा में हुए निर्ग्रंथ मुनी पिहितास्त्रव से दीक्षित हुए थे और वर्षों तक तद्नुसार दया, समाधि, केशलुंचन, अनशनादि तक इत्यादि प्रवृत्तियों का आचरण करते रहे थे। बाद में निर्ग्रथ तप की कठोरता को सहन न कर सकने के कारण उन्होंने निर्ग्रंथ मार्ग को छोड़ दिया, समाधि और आदि कुशल कर्मों को नहीं त्यागा और बोधि प्राप्त हो जाने के बाद भी उन्होंने निर्ग्रंथ संस्कृति के दया, समाधि आदि का उपदेश दिया तथा वैदिक क्रियाकाण्ड को बिना आत्मज्ञान (तत्वज्ञान) के थोथा बतलाया। इसलिए उनकी विचारधारा और आचरण वैदिक संस्कृति के अनुकूल न होने और मात्र ज्ञानमूलक श्रमण संस्कृति के कुछ अनुकूल होने से उसे श्रमण संस्कृति में समाहित कर लिया गया।

विदित है कि श्रमण संस्कृति में हिंसा को कहीं स्थान नहीं है। अहिंसा

की ही सर्वत्र प्रतिष्ठा है। न केवल क्रिया में, अपितु वाणी और मानस में भी अहिंसा की अनिवार्यता प्रतिपादित है। आचार्य समन्तभद्र ने इसकी से अहिंसा को जगतविदित 'परम ब्रम्हा' निरूपित किया है- 'अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रम्हापरमम्', इस अहिंसा का सर्वप्रथम विचार और आचार युग के आदि में भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रगट हुआ। वही अहिंसा का विचार और आचारा परम्परा मध्यवर्ती से तीर्थंकर द्वारा भगवान नेमिनाथ को प्राप्त हुआ। उससे भगवान पार्श्वनाथ को और भगवाना पार्श्वनाथ से तीर्थंकर महावीर को मिला। इसी से शासन को स्वामी समन्तभद्र ने दया, समाधि, दम, त्याग से ओतप्रोत बतलाया है- 'दया-दम-त्याग-समाधि निष्ठं'। इससे यह समज में समझा जा कता है कि वैदिक संस्कृति को अहिंसा की उपलब्धि श्रमण संस्कृति की देन है। युगादि से लेकर अहिंसा का आमूलचूल आचार-विचार उसकी का है।

श्रमण संस्कृति की दूसरी देन यह है कि उसने वेद के स्थान में पुरूष विशेष का प्रामाण्य स्थापित किया और उसके अनुभव पर बल दिया। उसने बतलाया कि पुरूष विशेष अकलंक अर्थात ईश्वर हो सकता है।

दोषावरणयोर्हानिनिंश्शेषास्त्यतिशायनात्।
क्वचिद्य था स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षय:।। आ.मी.

अतएव इस संस्कृति में पुरूष विशेष का महत्व आरम्भ से रहा और उन पुरूषविशेषों -तीर्थंकरों की पूजा उपासना प्रचलित हुई तथा उनकी उपासना मंदिरों एवं तीर्थों को निर्माण हुआ। इसका इतना प्रभाव पड़ा कि अपौरूषय वेद के अनुयायियों द्वारा भी राम, कृष्ण, शिव, विष्णु जैसे पुरूषावतारी ईश्वर की कल्पना की गई और उनकी उपासना के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ तथा तीर्थ भी माने गए।

वैदिक संस्कृति जहाँ क्रियाप्रधान है, तत्वज्ञान उसमें गौण है, वहीं श्रमण संस्कृति तत्वज्ञान प्रधान है और क्रिया उसमें गौण है। यह भी इतिहास से प्रकट है कि यह संस्कृति क्षत्रियों की संस्कृति है, जो उनकी आत्मविद्या से नि:सृत हुई। इस संस्कृति के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे। अत: वैदिक संस्कृति में जो आत्मविद्या का विचार उपनिषदों के माध्यम से आया और जिसने वेदांत (वेदों के अंत) का प्रचार एवं प्रसार किया, वह श्रमण (तीर्थंकर) संस्कृति का ही प्रभाव ज्ञात होता है और इसलिए भारतीय संस्कृति की आत्मविद्या की देन भी श्रमण संस्कृति की विशिष्ट एवं अनुपम देन है।

उपसंहार- वेदों में स्वर्ग से उत्तम अन्य स्थान नहीं है। अत: वैदिक संस्कृति में यज्ञादि करने वाले को स्वर्ग प्राप्ति का निर्देश है। इसके विपरित श्रमण संस्कृति में स्वर्ग को सुख का सर्वोच्च और शाश्वत स्थान न मानकर मोक्ष को माना है। स्वर्ग तो एक प्रकार का संसार ही है, जहाँ से मनुष्य को वापस आना पड़ता है। परन्तु मोक्ष शाश्वत और स्वाभाविक सुख का स्थान है। उसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य परमात्मा हो जाता है और वहाँ से उसे लौटकर आना नहीं पड़ता है। इस तरह मोक्ष या नि:श्रेयस की मान्यता श्रमण संस्कृति की है, जिसे उत्तरकाल में वैदिक संस्कृति में भी अपना लिया गया है।

श्रमण संस्कृति में आत्मा को उपादेय और शरीर, इंद्रिय तथा भोगों को हेय बतलाया गया है। संसार बंधन से मुक्ति पाने के लिए दया (अहिंसा), दम (इंद्रिय-निग्रह), त्याग (अपरिग्रह) और समाधि (ध्यान, योग) का निरूपण इस संस्कृति में किया गया है। ये सब आत्म गुण ही है। प्रमाण और नय से तत्व (आत्मा) का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रतिपादन भी इसी संस्कृति में है- 'दया-दम-त्याग-समाधिनिष्ठं नय प्रमाण प्रकृताञ्जसार्थम्।' (युक्तानुशासन)। इससे प्रकट है कि अहिंसा, इंद्रिय-निग्रह, अपरिग्रह, समाधि और तत्वज्ञान जो वैदिक संस्कृति में आरम्भ में नहीं थे और वेदों में प्रतिपादित है, बाद में वे उसमें समाहित हुए हैं। यह श्रमण संस्कृति की भारतीय संस्कृति को अन्यतम देन है।

यदि दोनों संस्कृतियों के मूल का सूक्ष्म अन्वेक्षण किया जाए तो ऐसे तथ्य उपलब्ध होगें जो यह सिद्ध करने में सक्षम होंगे कि उनमें परस्पर में कितना और क्या आदान-प्रदान हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पं. जमुनालाल : तत्वार्थ सार श्री गणेश प्रसाद वर्णी, ग्रंथ वाराणसी, 1970.
2. जैन, डॉ. नेमीचंद : तीर्थंकर हीरा भैंया प्रकाशन, इंदौर, 1987
3. जैन, प्रेमचंद : डॉ.नेमीचंद जैन, साहित्य एवं अवलोकन, हीरा भैंया प्रकाशन, 1998
4. जैन, बलभद्र : अहिंसा दर्शन, जैन साहित्य एकेडमी, खकड़ा, मेरठ, 1957
5. जैन, पन्नालाल : हरिवंश पुराण, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2001
6. दिनकर रामधारी सिंह : संस्कृति के चार अध्याय, लोक भारतीय प्रकाश, संस्करण 2003
7. शास्त्री कैलाशचन्द्र : जैन साहित्य का इतिहास, भाग-1, श्री गणेश प्रकाश वर्णी, जैन ग्रंथमाला वाराणसी, 1962
8. परमानंद शास्त्री : जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, 1981
9. डॉ. गुलाबचन्द्र चौधरी : जैन साहित्य का वृहद इतिहास, भाग-6, पार्श्वनाथ विद्याश्रम, शोध संस्थान, वाराणसी
10. आचार्य श्री : जैन धर्म का मौलिक इतिहास, भाग-3, 2002-2003
11. आर.डी. बेनर्जी : ए.एज.ऑफ दी इम्पीरियल गुप्ताज
12. एस.सी. राय चौधरी : प्राचीन भारत का इतिहास, सुरजीत पब्लिकेशन

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Benefit of Fiber

Dr. S.K. Udaipure*

***Prof. & Head (Chemistry) Govt. Narmada P.G.College, Narmadapurma (M.P.) INDIA**

Introduction - Today's one of the emerging problem is our health. Health of human being is totally dependent on our stomach. Stomach is the main analyzer of human being. If function of stomach take place properly then whole body may feel well. if there is problem in our stomach then person may feel well. If there is problem in our stomach then person may feel uneasiness. Our health is depends upon our food we eat also. for keeping good health healthy. What is Fiber? Dietary fiber is plant- based nutrient that is sometimes called roughage or bulk. It is a type of carbohydrate, it cannot be broken down into digestible sugar molecules. Therefore, fiber passes through the intestinal tract relatively intact. However on its journey. Fiber does a lot of work. Fiber is important for digestion and regularity weight management, blood sugar regulation. Cholesterol maintenance and more. It has also been linked to longevity and decreasing the risk of cancer also (F- Fullness I- Insulin control B- Beneficial bacteria E- Expectancy R- Regulation) Type of Fiber - There are two of fiber which are given below.

Soluble Fiber - Soluble fiber, such as pectin, gum, and mucilage, dissolves in water. It dissolves and becomes a gel-like substance. It is known to help decrease blood glucose (blood sugar) levels. It also helps lower blood cholesterol. Good source of soluble fiber include bean, lentils, oatmeal, peas, citrus fruits, blueberries, apple and barley.

Insoluble Fiber- Insoluble fiber. such as hemicelluloses, cellulose and lignin, do not dissolves in water. Insoluble fiber mostly retains its shapes while in the body. It speeds up the passages of food through the digestive system. This helps maintain regularity and digestive system. This helps maintain regularity and prevant constipation. It also increases fecal bulk, which makes stools easier to pass. Good source of insoluble fiber includes foods with whole wheat flour, Wheat bran, brown rice, cauliflower, potatoes, tomatoes and cucumber. Some foods like nuts and carrots are good source of both types of fiber.

Benefit of Fiber - There are many benefit of fiber which is given below

Digestion - Dietary fiber aids in improving digestion by increasing stool bulk and regularity. This is probably fiber's best know benefit is that it softer stools are easier to pass than hard or watery ones, which not only makes life more comfortable, but also helps maintains colorectal health. A high-fiber diet may help reduce the risk of hemorrhoids and diverticulitis (small, painful, pouches on the colon)

Heart Health - Fiber also helps lower cholesterol. The digestive process requires bile acids, Which are made partly with cholesterol. As your digestion improves the liver pull cholesterol from the blood to create more bile acid. In this way our bad cholesterol decreases from the body.

Possible Cancer Prevention - The research has been mixed regarding the link between fiber and colorectal cancer prevention. British Journal of Medicine found an association between cereal fiber and whole grain intake and reduced risk of colorectal cancer. Fiber might only cause this benefit if a person possesses the right kind and amount of gut bacteria. Fiber naturally reacts with bacteria in the lower colon and can sometimes ferment into a chemical called butyrate, which may cause cancer cells to self destruct. Some people naturally have more butyrate- producing bacteria than others, and a high fiber diet can help encourage the bacteria's growth.

Longevity - Fiber could actually help people live longer, a meta- analysis of relevant studies published in the American Journal of Epidemiology concluded. "High dietary fiber intake may reduce the risk of total mortality".

Food Allergies and Asthma - New research suggests that fiber could play a role in preventing food allergies. Fiber helps produce a bacterium called Clostridia, which helps keep the gut secure. Why fiber might help people with asthma. Unwanted particles escaping the gut and entering the bloodstream can cause an autoimmune response like asthmatic inflammation. A 2013 animal found that mice eating high- fiber diet were less likely to experience asthmatic inflammation than mice on low or average - fiber diet.

Natural Detoxification - Fiber naturally scrubs and promotes the elimination or toxins from your G.I tract. Soluble fiber soaks up potentially harmful compounds, such as excess estrogen and unhealthy facts, before they can be absorbed by the body and also insoluble fiber makes

things move along more quickly, it limits the amount of times that chemicals like BPA, mercury and pesticides stay in your system. The faster they go through you, the less chance they have to cause harm.

Cut Your Type 2 diabetes Risk - It's a well established fact. A recent analysis of 19 studies for example, found that people who ate the most fiber- more than 26 grams a day- lowered their odds of the disease by 18 precent, compared to those who consumed the least (less than 19 grams daily) The researchers believe that it's fiber's one two punch of keeping blood sugar levels steady and keeping you at a health weight that may help stave off the development of diabetes.

Skin Health - When yeast and fungus are excreted through the skin, they can trigger outbreaks or acne. Eating fiber, especially psyllium husks (a type of plant seed), can flush toxins out of your body, improving the health and appearance of your skin.

Hemorrhoids - A high fiber diet may lower your risk of hemorrhoids.

Irritable bowel syndrome (IBS) - Fiber may provide some relief from IBS.

Gallstones and Kidney stones - A high fiber diet may reduce the risk of gallstones and kidney stones, likely because of its ability to help regulate blood sugar.

Conclusion - Its is old says that after character of person next health is given preference in his life. If health is well than all things is in your hand. But being author of this paper I am not only concentrate on individual health only. It is duty of every head of every family to take care of health of his family members. My intention is that why we are dependent on medicine for our health. By doing less exercise, some important asana, pranayam and intake of balanced diet with dietary fiber, we become live health life and have more potential to do any kind of hard work means our society gain more potential. In this way, our states and naton have full of potential to do any kind of hard work. If people of our country automatically in all fields.

Refrences:-

1. https://www.bodybuilding.com/content/5-amazing-health-benifits-of-fiber.html
2. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/25/9-fibre-health-benifits.aspx
3. https://www.helpguide.org/articles/healthy-eating/high-fibre-foods.htm
4. https://www.eatingwell.com/article/287742/10-amazing-health-benifits-of-eatting-mpre-fibre/
5. https://www.livescience.com/51998-dietary-fibre.html.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विस्फोट के पूर्व निमाड़

डॉ. महेशलाल गर्ग *

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - होलकर राज्य के अधीन निमाड़ का भू-भाग - 1857 के समय पश्चिमी निमाड़ का एक बड़ा भू-भाग उन दिनों होलकर राज्य का अंग था, जिसमें खरगोन, बरूड़, ऊन, सेगांव, जुलवानिया, सेन्धवा, भीकनगाँव, बीजागढ़ दुर्ग, पीपलगोन, कसरावद, महेश्वर, मण्डलेश्वर तथा नागलवाड़ी उल्लेखनीय है। पश्चिम-निमाड़ का खरगोन होलकर प्रशासन व सैन्य गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र था। खरगोन का दुर्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होकर सेना को सुरक्षा प्रदान करता था। बरूड़, खरगोन से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है, जिसे टाण्डा-बरूड़ के नाम से जाना जाता है। 1857 के समय बरूड़ का जागीरदार रघुनाथसिंह मण्डलोई था।

सुबेदार मल्हारराव (प्रथम) होलकर के अधीन मालवा पर हो रहे मराठा आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा के लिए बड़वानी के शासक मोहनसिंह (1708-1730) ने सूबेदार मल्हाररव की पत्नी गौतमाबाई (प्रथम) को अपनी बहन बना कर राखी बंधवाई थी तथा रक्षाबंधन की भेट स्वरूप नांगलवाड़ी का परगना प्रदान किया था साथ ही मोहनसिंह ने ब्राम्हणगांव को भी बन्धक स्वरूप रखा था।[1]

बीजागढ़ का दुर्ग मुगलों के शासनकाल से ही प्रशासनिक मुख्यालय था। उस समय यहाँ घनी बस्ती थी और बीजागढ़ का दुर्ग बस्ती को सुरक्षा प्रदान करता था। बीजागढ़ में प्रान्तीय सरकार कार्यरत थी और यहाँ की टकसाल से जारी सिक्कों पर 'सरकार बीजागढ़' अंकित किया जाता था। यहाँ का पर्वतीय दुर्ग अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत महत्वपूर्ण था, उस समय बीजागढ़ का मामलेदार ठाकुर खेतसिंह था।

आगरा-बम्बई मार्ग, जो निमाड़ के लम्बे भू-भाग से होकर गुजरता था, एक तरह से भू-भाग के मध्य सीमा रेखा का कार्य करता था।

बड़वानी रियासत का संक्षिप्त इतिहास और उसका विस्तार - सतपुड़ा पर्वतमाला व नर्मदा के दक्षिण में स्थित भू-भाग घने वनों से आच्छादित था, जिसमें अनेक प्रजाति के हिंसक पशु भी थे। इन वनों में भील-भिलाले, तड़वी, बंजारे व अन्य जातियों के लोग निवास करते थे। जिनकी आजिविका वनोपज, साधारण खेती, आखेट व पशुपालन पर निर्भर थी। आदिवासियों के समूह कबीलों में बसे हुए थे। इन कबीलों के मुखिया होते थे, जिनके नियंत्रण में आदिवासी रहा करते थे। प्राय: इन कबीलों में संघर्ष भी हुआ करता था।

ऐसी पृष्ठभूमि वाले निमाड़ में मेवाड़ के राणा राजवंश की एक शाखा का आगमन हुआ। बड़वानी रियासत का राजवंश अपना उद्‌भव स्थान चित्तौड़ के राणाओं से बताते है। मेवाड़ राज्य का संस्थापक बप्पा रावल (735 ई.) की आठवीं पीढ़ी में राणा खलभोज गहलोत नामक शासक हुआ था। खलभोज की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र खुमान चित्तौड़ का शासक बना। खलभोज का दूसरा पुत्र धानक था, जो पृथक राज्य की स्थापना की लालसा से चित्तौड़ से देशाटन के निकला। मान्धाता में उसने अपने इष्टदेव के दर्शन किये और वह ओंकारेश्वर से निमाड़ के वन प्रदेशों की ओर आगे बढ़ा। धानक ने मैनापुर (मेणीमाता) में आकर सर्वप्रथम अपना निवास स्थान बनाया। यह स्थान वर्तमान में बड़वानी से 24 कि.मी. दूरी पर दक्षिण में घने जंगलों के बीच अवस्थित है, इस स्थान पर आकर धानक ने नहारदेवी अथवा मियानदेवी के मंदिर में शरण प्राप्त की।[2] मैनापुर गांव के लोगों ने जब किसी अनजान परदेशी को मंदिर में आश्रय लिये हुए देखा, तो परदेशी के प्रति स्वभाविक ही वे उत्सुक हो उठे। गांव के लोग जो मुख्यत: अहीर जाति के थे, धानक से परिचय पाकर उससे मेलजोल और निकटता बढ़ा ली। स्थानीय अहीर धानक के कुलीन होने के कारण उससे प्रभावित होकर उसके प्रति आदर के भाव रखने लगे।

एक दिन ग्रामवासियों ने एक नरभक्षी सिंह के आतंक से मुक्त होने की धानक से विनती की। धानक ने नरभक्षी सिंह को मारकर ग्रामवासियों के दिलों पर अपनी धाक स्थापित की। ग्रामवासियों ने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापिक कर उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया, साथ ही उसकी प्रभुसत्ता भी।[3] धानक ने शनै:-शनै: अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया और चालुक्य वंशीय सामन्त पल्लीजन को पराजित कर, उसने आवासगढ़ को जीत लिया। सतपुड़ा पर्वत में निवासरत आदिम जातियों ने भी इन सिसोदिया योद्धाओं को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। बड़वानी के राणा शासकों का राजतिलक 'सिरसाणी' का भील जागीरदार अपनी तर्जनी उंगली काटकर अपने रक्त से करता था। जब तक यह रस्म पुरी नहीं होती तब तक बड़वानी के नये शासक को पूर्ण वैद्यता प्राप्त नहीं होती थी। रक्त द्वारा राजतिलक की यह परम्परा भारत की आजादी तक बनी रही।

बड़वानी रियासत के संस्थापक सूर्यवंशी 'गुहिलोत' थे। ये शासक 'गुहिल' वंश के थे, अत: गहलोत कहलाये। इनके पूर्वज कालान्तर में राजस्थान के 'सिसोदा' ग्राम से रहे, अत: इन्हें सिसोदिया कहा जाने लगा। ये सनातन हिन्दू धर्म के पालक थे। बड़वानी के राजाओं का गौत्र 'वेश्यपायन' वेद यजुर्वेद तथा शाखा माध्यम दिनी थी। बड़वानी के राणा शासकों के राजपुरोहित गौतम वंश के मालवी ब्राम्हण तथा दसौंधी राव भाट इनके आश्रित थे। इनकी कुल देवी आदि शक्ति माँ दुर्गा एवं कुलदेवता एकलिंग महादेव थे।

राज्य संस्थापक धानक की मृत्यु होने के पश्चात् उसका पुत्र भट्टनी कुमार उसका उत्तराधिकारी बना। उसके पश्चात् लडावन्स वत्सराज, आपाल, हरीराज, महीराज, पृथ्वीपाल व रावल उदेराज हुए थे। उदेराज का पुत्र राणा हुआ। उसकी राणा ने रावल की पदवी त्याग दी और कालान्तर के शासक भी अपने नाम के साथ राणा का विरूद जोड़ने लगे। राणा के उत्तराधिकारी क्रमश: कुमार, श्रेवराज, गोगबाण, भीमसिंह, रणसिंह, इन्द्रजीत, चन्द्रसेन, श्रीकेन्द्र, कामराणा, मोकालराणा तथा बाघ राणा हुए।

बाघराणा के उत्तराधिकारी श्याम राणा ने बालकुंआ के जमीदार को परास्त कर बालकुंआ को बड़वानी राज्य में मिला लिया। श्याम राणा के मोकल (द्वितीय) हुए, जिन्होंने सतपुड़ा के घने जंगलों व दुर्गम पहाड़ियों व घाटियों में रहने वाले भीलों पर विजय प्राप्त की तथा वहाँ के जंगलों को साफ करवाकर खेती को आबाद किया।

राणा रणमल ने अपने शासनकाल में तोरणमाल और खेतिया को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। कालान्तर में तोरणमाल बाम्बे प्रेसीडेन्सी में चला गया, किन्तु खेतिया आजादी तक बड़वानी रिसासत का अंग बना रहा। डोम राणा के पश्चात् राजा मालसिंह हुए। मालसिंह के पश्चात् अर्जुनसिंह व उसके उत्तराधिकारी राणा बागसिंह हुए। बागसिंह के पश्चात् राणा परसनसिंह आवासगढ़ की गादी पर बैठे।

माण्डव सुल्तान महमूद खलजी ने 1450 ई. में आवासगढ़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राणा परसनसिंह ने पराजित होकर तथा इस्लाम को अंगीकार कर अपना राज्य पुन: प्राप्त किया।[4] अवसर प्राप्त होते ही परसनसिंह ने अपना शुद्धिकरण कर, पुन: हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया।

राणा भीमसिंह के पश्चात् क्रमश: अगले शासक बच्छराजसिंह हुए, जिन्होंने राजपुर के राजा यशवंतराव पर आक्रमण कर, उस पर विजय प्राप्त की और राजपुर को बड़वानी राज्य में मिला लिया गया।

राणा बच्छराज के पश्चात् राणा परसनसिंह (द्वितीय) हुए, जो एक सफल योद्धा थे। परसनसिंह (द्वितीय) ने बीजागढ़ के यादव को परास्त कर सिलावद और निवाली पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। परसनसिंह के पश्चात् राणा लिम्बा हुए जो धार्मिक और साहित्यिक अभिरूचि के व्यक्ति थे। ई. 1617 में जब मुगल सम्राट जहाँगीर का माण्डव में आगमन हुआ, तब राणा लिम्बा ने अपने पुत्र मदनसिंह को माण्डू दरबार में भेजा था, जहाँ जहाँगीर ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया।[5]

राणा लिम्बा के पश्चात् उसका पुत्र चन्द्रसिंह रिसासत का शासक बना। चन्द्रसिंह ने पर्वतीय क्षेत्र में असुरक्षित तथा दुर्गम मार्ग से पहुंचने वाले अपनी राजधानी अवासगढ़ को अपने लिए अनुपयुक्त पाया। अत: उसने 'सिद्धनगर' (बड़वानी) को अपनी राजधानी बनाया, जो पूर्व से ही आबाद कस्बा था। इस नगर के चारों ओर मिट्टी की दीवार का परकोटा बनवाया गया और वन्य पशुओं से बचने के लिए खाई खोदी गई। इस प्रकार आधुनिक बड़वानी नगर की नींव राणा चन्द्रसिंह द्वारा रखी गई।[6]

ई. 1659 में राणा चन्द्रसिंह ने दिल्ली दरबार में मुगल शासक औरंगजेब से भेट की और वह दरबार में लगभग 6 माह तक रहा। सम्राट औरंगजेब की सहायता से उसने बीजागढ़ के दुर्ग पर आक्रमण कर तथा उसे जीत कर बड़वानी राज्य में मिला लिया। राणा चन्द्रसिंह ने विद्रोही नायक कल्याणमल का दमन किया तथा खरगोन परगने को आबाद किया।

राणा सूरसिंह के समय ही उस्मान खाँ मुगलाई, जो संभवत: मुगल सैन्य अधिकारी था, ने बड़वानी राज्य पर आक्रमण किया। राणा की पराजय हुई और उस्मान खां आवासगढ़ के किले में आग लगाकर सेंधवा की ओर आगे बढ़ गया।[7]

इस प्रकार बड़वानी रिसायत में क्रमश: एक के पश्चात् अनेक वारिस हुए। गादी की प्राप्ति के लिए शासकों के मध्य रक्त रंजित संघर्ष भी हुआ। ई. 1700 से 1708 के मध्य पर्वतसिंह बड़वानी का शासक रहा। उसके पश्चात् मोहनसिंह बड़वानी का शासक बना।

मोहनसिंह (प्रथम) : 1708 से 1730 ई.– मोहनसिंह ने आवासगढ़ के पास रामगढ़ के किले का पुन: निर्माण करवाया। मराठा आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मोहनसिंह, मल्हारराव (प्रथम) की पत्नी गौतमाबाई (प्रथम) का राखीबंध भाई बन गया और भेंट स्वरूप उसने होलकर को नांगलवाड़ी का परगना प्रदान कर दिया, साथ ही उसने ब्राम्हणगांव का जिला होलकर के अधीन बन्धक कर दिया।[8]

राणा अनूपसिंह : 1730 से 1760 ई.– मोहनसिंह प्रथम के क्रमश: तीन पुत्र थे– माधुसिंह, अनूपसिंह तथा पहाड़सिंह। सवाई मोहनसिंह ने अपने जीवनकाल में ही ज्येष्ठ पुत्र माधवसिंह के राज्य प्राप्ति के पारम्परिक अधिकार का हनन करते हुए अपने द्वितीय पुत्र अपूनसिंह को गादी पर बैठाया। ज्येष्ठ पुत्र माधवसिंह ने अपने पिता मोहनसिंह के इस फैसले का विरोध करते हुए विश्वासघात द्वारा मुस्लिमों की सहायता से पिता की हत्या करवा दी।[9] तत्पश्चात् पेंशवा बाजीराव (प्रथम) के विरोधी हो गये सेनापति ऊदाजी पंवार एवं कण्ठाजी कदम बांडे को माधवसिंह ने अपने पक्ष में कर लिया। इन दोनों सेनापतियों से उसने राज्य में भारी लूटमार करवाई तथा अशांति फैलवाई। दोनों सेनापतियों ने उस समय बड़वानी राज्य से बहुत सा धन लूटा।[10]

पेंशवा को जब इस लूटपाट का समाचार मिला तो उसने दोनों मराठा सरदारों को अनूपसिंह को क्षति पहुंचाने का आदेश दिया, क्योंकि अनूपसिंह को पेंशवा ने शासक के रूप में मान्यता प्रदान की थी।[11]

राणाउम्मेदसिंह : 1760 से 1794 ई.– राणा अनूपसिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उम्मेदसिंह बड़वानी का राणा शासक हुआ। उसके काल में मराठों ने मालवा पर अपनी प्रभुत्ता जमाली थी और पेंशवा प्रतिनिधि के रूप में होलकर ने बड़वानी की सीमाओं को छूते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया था।

राणामोहनसिंह (द्वितीय) : 1794 से 1839 ई.– राणा उम्मेदसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र मोहनसिंह (द्वितीय) बड़वानी की गादी पर आसीन हुआ। मोहनसिंह के काल में इस रियासत में पुन: अशांति व्याप्त हो गई। जिसका प्रमुख कारण भीलों का उपद्रव था। इस अराजकता का लाभ उठाते हुए होलकर सेनापति तुकोजीराव ने जलगोन दुर्ग पर अधिकार कर लिया किन्तु पेंशवा के हस्तक्षेप के कारण होलकर को जलगोन का किला बड़वानी शासक को वापस लोटा दिया।

1818 ई. में सर मालकम जब मालवा में अपनी व्यवस्था कायम कर रहा था, तब उस समय बड़वानी का शासक मोहनसिंह (द्वितीय) ही था, मालकम ने अपनी व्यवस्था कायम करते समय बड़वानी राज्य की स्वतंत्र स्थिति को मान्यता दी थी। इस व्यवस्था के माध्यम से मालकम ने बड़वानी रियासत में हस्तक्षेप का मार्ग खोल दिया।

राणाजसवंतसिंह : 1839से 1850 ई.– राणा मोहनसिंह (द्वितीय) की मृत्यु के पश्चात् राणा यशवंतसिंह बड़वानी रियासत के शासक हुए। यशवंतसिंह के शासनकाल में ही बड़वानी राज्य ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

की विभिन्न घटनाओं को देखा।

इस प्रकार 1857 ई. के समय बड़वानी रियासत निमाड़ के एक लम्बे भू-भाग में विस्तारित थी, जिसके क्रमश: राजपुर, ढवाना, अंजड़, बड़वानी, खेतिया, पानसेमल, ठीकरी, निवाली तथा सेंधवा आदि रियासत सम्मिलित थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची: -

1. बड़वानी स्टेट गजेटियर, पृ. 5.
2. भट्ट : बड़वानी राज्य का इतिहास, पृ. 3.
3. भट्ट : बड़वानी राज्य का इतिहास, पृ. 3.
4. बड़वानी स्टेट गजेटियर, पृ. 5.
5. भट्ट : बड़वानी राज्य का इतिहास, पृ. 12.
6. बड़वानी स्टेट गजेटियर, पृ. 3.
7. भट्ट : बड़वानी राज्य का इतिहास, पृ. 14.
8. बड़वानी स्टेट गजेटियर, पृ. 3.
9. रघुवीरसिंह – मालवा में युगान्तर, पृ. 318.
10. रघुवीरसिंह – मालवा में युगान्तर, पृ. 318.
11. सिलेक्शन फाम पेंशवा डायरी, भाग 1, पृ. 203.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

अनुसूचित जनजाति का विकास एवं सरकारी नीतियाँ-झाबुआ जिले के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन

रमेश अमलियार *

* पीएच.डी शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसका सम्बन्ध आर्थिक घटक से अधिक है। लेकिन सामाजिक विकास केवल आर्थिक घटक से ही नहीं है, अपितु सांस्कृतिक तत्वों एवं सामाजिक संस्थाओं से भी सम्बन्धित है। '**सामाजिक विकास**' विकास के समाजशास्त्र का केन्द्र बिन्दु हैं, जे.ए. पान्सीओ ने सामाजिक विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि '**विकास एक आंशिक अथवा शुद्ध प्रक्रिया है, जो आर्थिक पहलू में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। आर्थिक जगत में विकास से आशय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से लगाया जाता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य जन सम्बन्धों एवं ढाँचे से है, जो किसी समाज को इस योग्य बनाती है कि उसके सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।**'

शब्द कुंजी –सामाजिक विकास, जनजाति, विकास।

प्रस्तावना – भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक समाज का अपना महत्व है और उस समाज का विकास करना एक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। चाहे वो विकसित समाज हो अथवा आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा समुदाय हो। वैश्विक दृष्टि से देश को सभी पहलूओं की दृष्टि से समृद्ध बनाना है, तो यह आवश्यक है कि देश के सभी समाजों का सर्वांगीण विकास किया जाए। भारत देश में विकसित समाज के साथ ही विकास की दृष्टि से पिछड़ा जनजाति समुदाय भी है, जो विकास की दौड़ में शेष अन्य समुदायों से अभी थोड़ा पीछे है। जनजातीय समुदाय के अधिकांश लोग वर्तमान में भी अत्यन्त दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों में निवास करते है और जो विकास की मुख्यधारा से अलग है। ये जनजाति समुदाय आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से तो पिछड़े है ही, लेकिन साथ ही कई क्षेत्रों में शिक्षा की किरणें आज भी उन तक पहुँच नही पाई है। आज भी जनजाति समाज दो वक्त के भोजन के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। लेकिन अब सरकार ने इनके विकास की ओर ध्यान देकर आगे कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना और बाकी है। सरकार ने जनजाति समाज में विकास की धारा से जोड़ने के उद्देश्य से कमर कस ली है और उनके विकास के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास प्रारंभ कर दिए है।

शोध विषय का चयन – सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों का जनजाति वर्ग की शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन-स्तर, रोजगार की स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव हुआ है ? विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन से पलायन पर क्या प्रभाव हुआ है ? इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आधार बनाकर ही शोधार्थी द्वारा '**अनुसूचित जनजाति का विकास एवं सरकार की नीतियाँ- झाबुआ जिले के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन**' नामक शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अनुसूचित जनजाति के उत्तरदाताओं की आर्थिक-सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व एवं क्षेत्र – इस शोध का महत्व यह है कि इस शोध कार्य के माध्यम से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग को मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्रियान्वित की जा रही नीतियों अर्थात् योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ मिल रहा है या नहीं। जनजाति बहुल जिले में योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सही प्रकार से क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहीं ? इस शोध कार्य के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का चयन किया गया है। झाबुआ जिला इन्दौर संभाग के अन्तर्गत इन्दौर-अहमदाबाद राजमार्ग पर इन्दौर से 150 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। यह जिला भौगोलिक दृष्टि से ऊँचे-नीचे असमतल धरातल में बसा हुआ है। यह जनजाति बाहुल्य जिला 22.77^0 उत्तरी अक्षांश एवं 74.6^0 देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है तथा इसकी समुद्र तल से ऊँचाई 318 मीटर है। झाबुआ जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3782 वर्ग किलोमीटर है।[1]

निदर्शन प्रक्रिया – अनुसूचित जनजाति का विकास एवं मध्य प्रदेश सरकार की नीतियाँ से संबंधित इस शोध कार्य के लिए निदर्शन प्रक्रिया निम्न प्रकार से अपनाई गई है-

1. **अध्ययन के समग्र –** अध्ययन के समग्र के रूप में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है।
2. **अध्ययन की इकाई –** समग्र (Universal) में से अध्ययन की इकाई के रूप में झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों में से किसी योजना से लाभान्वित परिवार को शामिल किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन – उत्तरदाताओं का चयन शोध कार्य के निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सोद्देश्य प्रतिचयन विधि से किया गया है। शोध

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

कार्य के लिए उत्तरदाताओं के रूप में में झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों में से किसी योजना से लाभान्वित परिवार को शामिल किया गया है। झाबुआ जिले की कुल 6 जनपद पंचायतों में से कुल 30 गाँवों (प्रत्येक जनपद पंचायत से 05 गाँव) का चयन **दैव निदर्शन पद्धति** से किया गया है।[4] गाँवों के चयन के पश्चात् प्रत्येक गाँव से 10 लाभान्वित जनजाति परिवारों (30x10) का चयन अध्ययन के उत्तरदाताओं के रूप में किया गया है। इस प्रकार जिले के कुल 30 गाँवों से 300 उत्तरदाताओं (30x10) का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है।

आँकड़ों का संकलन – इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्रोत – अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की प्रतिपूर्ति की गई है।

शोध कार्य के निष्कर्ष

1. **उत्तरदातओं की आयु के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में 41 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 25 वर्ष से कम है। 42.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 25-50 वर्ष की है, जबकि 16.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 50 वर्ष से अधिक है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस शोध के लिए चयनित अधिकांश उत्तरदाता 25-50 वर्ष के मध्य की है।

2. **शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 37.67 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित है तथा 62. 33 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक उत्तरदाताअशिक्षितहै।

3. **शिक्षा के स्तर के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के जो शिक्षित उत्तरदाताओं है, उनमें से 5.31 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है। 3.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक की है, वहीं 2.66 प्रतिशत उत्तरदाता हाई स्कूल/ हा. से. तक शिक्षित है। सर्वाधिक 88.49 प्रतिशत उत्तरदाता महाविद्यालयीन स्तर तक शिक्षा प्राप्त है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के शिक्षित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक उत्तरदाता महाविद्यालयीन स्तर तक शिक्षा प्राप्त है।

4. **वैवाहिक स्थिति के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के चयनित कुल उत्तरदाताओं में 73.67 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित है एवं 26.33 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि चयनित सर्वाधिक उत्तरदाता विवाहित है।

5. **परिवार के स्वरूप के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 27 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार प्रणाली में रहते है, वहीं दूसरी ओर 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप एकाकी परिवार प्रणाली का है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र सर्वाधिक उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप एकल परिवार प्रणाली का है।

6. **घर में शौचालय के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 89.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर में शौचालय है और 10.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि उनके घर में शौचालय नहीं है। इस प्रकार से उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित सर्वाधिक उत्तरदाताओं के घर में शौचालय की सुविधा है।

7. **उत्तरदाताओं की व्यासायिक संरचना के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 47.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वे मजदूरी करते है और 52.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं कृषि कार्य करते है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाता कृषि कार्य करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते है।

उपसंहार – उक्त आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में अनुसचित जनजातीय वर्ग के लोगों की स्थिति संतोषजनक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. झाबुआ जिला सांख्यिकीय पुस्तिका
2. शुक्ल,एस.एम.,सहाय,एस.पी.(2005)सांख्यिकीय के सिद्धांत, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा(उ.प्र.)
3. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Operational and Financial Performance of Madhya Pradesh Financial Corporation- An Overview

Sweety Ohlan* Dr. P.K. Sanse**

***Research Scholar, School of Commerce, DAVV Indore (M.P.) INDIA**
**** Professor (Commerce) B.L.P. Govt. P.G College, Mhow (M.P.) INDIA**

Abstract - State Financial Corporations (SFCs) provide finance to industries. They were established with the purpose of promoting the growth of small, medium and large-scale industries in the country in order to expand the growth of industries and make the nation autonomous. They play a major role in the industrial development of regions. SFCs have been providing finance, technical competence, etc., to the small and medium-scale industries in the states. In order to provide an instant picture of the performance of the MPFC during the last ten years, the researcher has under taken the present study entitled **"Operational and Financial Performance of Madhya Pradesh State Financial Corporation- An Overview"**. The study is analytical in nature. The data for the present study have been obtained from the annual reports of MPFC. The Finding reveal that the Financial and Operational Performance of MPFC is declining from last ten years due to heavy losses, poor Solvency and liquidity status as well as downward recoveries of loans. So there is actual need to take some major and effective steps by MPFC for improving its financial as well as operational status.
Keywords- SFC's, MPFC, Financial, Performance, Operational.

Introduction - Industrialization plays an important role in the economic progress of underdeveloped countries, like India. Development of industries by increasing income, output and employment can accelerate the rate of growth of Indian economy. Madhya Pradesh is predominantly an agricultural state. From industrialization point of view Madhya Pradesh is backward as compared to many other states. Industries have great significance for its balanced and rapid growth.

While emphasizing the importance of industrialization Pt. Jawaharlal Nehru said, "The God which the countries worship is God of industrialization, the God of machine, the God of high production and utilisation of national power and resources for great advantages." Thus, for an industrially backward state like Madhya Pradesh industrialization holds, the key to economic progress. By developing industrial base of the state, income, output and employment can be increased. In fact, the level of economic growth of an economic is known by the level of its industrialization.

Rapid industrialization of a country depends upon a number of factors such as opportunities, initiative, incentives and facilities. Amongst the various incentives and facilities, finance is the most important factor. As an early stage of development, the entrepreneurs normally find their own financial resources inadequate and most of them resort to external sources. Finance may be available either in the form of ownership or creditorship securities. Besides, borrowings and retained earnings also constitute sources both quantitatively and qualitatively.

In the industrial development of Madhya Pradesh, the Central Financial Institutions (such as IFCI, NSIC, ICICI, RCI, LIC, UTI, and IDBI) as well as state Financial Institutions consist of state Financial Corporation (SFCs) and state industrial development corporation (SIDCs) play a very dominant role. MPFC is one of the most important financial institutions.

The Madhya Pradesh Financial Corporation (MPFC) was established as a separate organization on the 30th June 1955 under the state Financial Corporation's Act 1951(No. LXIII of 1951). MPFC is essentially a development bank. Its main business is to provide medium and long term financial assistance to the medium and small-scale industries located in Madhya Pradesh. The loans are advanced primarily for acquiring fixed assets such as land, building, plant & machinery etc. The Corporation has its Head Office at Indore- the industrial hub of Madhya Pradesh, and20 Offices at different places.

Related Literature

Singh (2000) in his study entitled, "The role of Financial Institutions in the Industrial Development of Punjab" observed that from amongst the 18 SFCs in the country Tamil Nadu state Financial Corporation (T.N. SFC) with sanctions of 92.41 percent to S.S.I sector and Himachal

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Pradesh state Financial Corporation (HPSFC) with 59.6 percent of sanctions to SSI sector were at the top and bottom of the group respectively.

P. Jeyabaskaran (2002), in his study entitled, “Performance evaluation of Industrial Finance Corporation of India”, has analysed the resources mobilized, lending performance and Financial performance of IFCI. He stated that IFCI had concentrated on assisting small firms, encouraging new enterprises, overcoming the problems ofcritical shortage of viable projects and it helps for regional development. The profitability of IFCI was meagre during his study period.

JagtapUttam Rao (2005), in his thesis entitled “Critical evaluation of the role of MPFC in revival of SSI sick units (with special reference to Indore division)”. The main objective of their research was focused on the contribution of MPFC vis-à-vis sick industrial units. His research was based on primary and secondary data. Different statistical tools were applied like average, percentage, correlation etc. In this study he described the role of MPFC in elevating the sick industrial units of Madhya Pradesh. He observed that it is a matter of great concern that industrial growth is intimately connected with the creation of money.

Dr.Uttam Rao Jagtap, Prof. Rahul Deo&Dr. Sandeep Malu (2012), conducted a study on “An Analytical Study of Sanction, Disbursement & Recoveries of MPFC After Liberalization (1991-2003)”. This research paper finds that MPFC faced many problems in recoveries due to new economic policy. There were fluctuation conditions during the period under report. The highest percentage of net recovery as against total dues was 16.33% and MPFC net recovery percentage could not increase more than 16.33% in the last 12 years. They conclude that recovery position of MPFC is not up to the mark and MPFC should take substantial step for improving its recovery performance.

Objective of the Study: The main objective of the present study focuses on the performance of the MPFC. The objectives of the study are as follows:

1. To analyse and evaluate the Financial performance of MPFC through trend and ratio analysis.
2. To analyse and evaluate the operational performance of MPFC.

Research Methodology: For the purpose of studying the operational and financial performance of Madhya Pradesh state financial corporation- An overview, secondary source of data collection has been used. The present study is based on secondary data and other information provided by the MPFC in its published annual report i.e., Financial statement of the MPFC for last ten years i.e., 2011-12 to 2020-21.the relevant data have been collected from the published annual reports of MPFC. As well as, the interviews are conducted with MPFC officers in order to get various type of information in regard their experience and hurdles faced by them in relation to the working of MPFC.

Findings

Table 1: Performance of MPFC through Trend Analysis

S.	Parameters	Average growth Rate
1	Trends of loans and advances	-1.92
2	Trends in Total Assets	-1.94
3	Trends in Fixed Assets	19.44
4	Trends in Current Assets	-1.70
5	Trends in Net Capital employed	-1.57
6	Trends in shareholders fund	-11.57
7	Trends in working Capital	-2.47

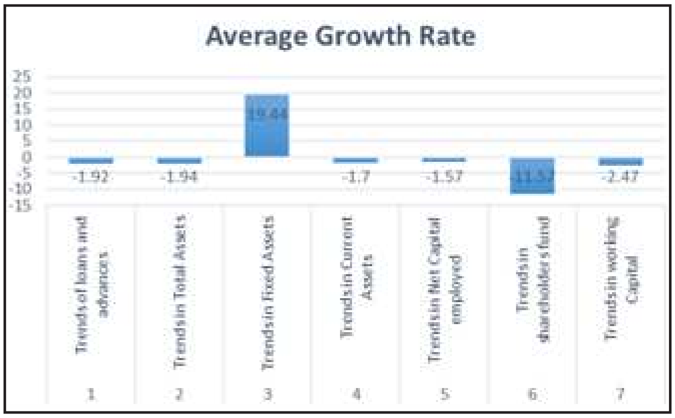

The performance of MPFC through trend analysis shows downwards trends in total assets as -1.94, trends in shareholder’s fund as -11.57 and trends in working capital -2.47 during the study period. That means the corporation is not running its business smoothly. The reason is that the corporation is suffering from huge losses and is facing problems of liquidity and solvency.

Table 2 (see in last page)

The performance of MPFC on the basis of ratio analysis shows bad performance of the corporation during the study period. The annual average growth rate of FixedAssets Turnover and shareholders fund ratio of the corporation shows negative. MPFC have no resources of fund to meet its short and long term obligation.

Table 3: Operational Performance of MPFC

Years	Loan Sanction	Loan Disbursements	Loan Recoveries
2011-12	260.03	163.03	181.15
2012-13	324.41	209.58	202.82
2013-14	403.53	287.79	226.58
2014-15	490.29	336.77	273.45
2015-16	432.79	293.10	293.10
2016-17	280.91	259.16	398.96
2017-18	222.98	187.24	430.72
2018-19	144.52	138.52	244.25
2019-20	2.75	37.20	232.50
2020-21	1.30	7.92	180.74

In the year 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the loan sanction and disbursement reduced year by year. The recoveries of loan made by MPFC shows declining continuously for the last three years. Due to downward Financial Performance of MPFC, its operational

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

performance is going to be effective reversely. Therefore, first of all, MPFC should improve its financial performance.

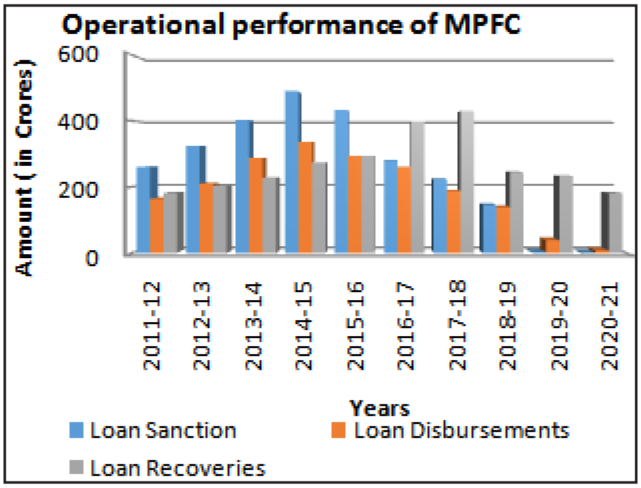

Conclusion: The Financial Performance of MPFC is not good. The main problem of the corporation is identified as its liquid balance sheet and poor asset quality. To overcome these problems, the State Government should provide adequate funds to the MPFC to overcome the loss and to maintain the smooth working of the corporation. The MPFC should organize the workshops/ seminars to aware the people about the different scheme.

From the study of the operational performance of the MPFC, it is noticed that it occupies a premier place among all the SFCs in lending operations. The sanctions and disbursements made by it have more volatile during the study period. It is due to constraints in resource mobilization and poor recovery performance. The amount of sanctions and disbursements of SFC shows ups and downs during the study period.

Recovery performance of the MPFC is not good and shows decreasing trend during the study period. It reveals that the recovery policies, strategies and plans are not good, and implementing improperly by the corporation.

References :-

1. Agarwal B.R., “A Study of Industrial Finance in Rajasthan” Ph.D. thesis, Biral Institute of Technology and Science, Pilani, 1966.
2. Singh, Prabhu N, “Role of Development Banks in a Planned Economy”, Vikas Publishing House, Delhi, 1974.
3. Jain, S.C., “Institutional Finance to Small-Scale Industries in U.P. since 1956” submitted to Agra University, Agra 1980-81.
4. Appa, Rao, B., and Sujatha, “Recovery performance of SFC’s: Analysis” Lok Udyog, August 1985, pp.21-27.
5. Khan, M.Y., Industrial Finance, Tata Mc-Graw Hill, Publishing Company Ltd., New Delhi, 1982.
6. Annual Reports of Madhya Pradesh financial corporation.

Table 2: Performance of MPFC through ratio Analysis

Years	Total assets	Fixed assets	Current assets	Net capital employed	Shareholders Fund	Working Capital
2011-12	0.09	7.81	0.12	0.14	0.41	0.14
2012-13	0.10	9.44	0.12	0.13	0.46	0.13
2013-14	0.09	11.43	0.11	0.12	0.51	0.13
2014-15	0.10	14.20	0.12	0.12	0.56	0.13
2015-16	0.11	17.22	0.13	0.13	0.62	0.14
2016-17	0.11	17.11	0.13	0.13	0.61	0.14
2017-18	0.11	10.78	0.13	0.13	0.48	0.14
2018-19	0.10	9.80	0.13	0.14	0.58	0.14
2019-20	0.10	7.34	0.12	0.14	0.75	0.14
2020-21	0.11	5.65	0.15	0.16	1.24	0.17
Average Growth rate	2.25	-3.53	2.51	1.49	-13.08	2.18

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Study of the Influence of Sodium chloride and Sodium corbonate on Photocatalytic Degradation of Pararosanilin Dye

Dr. David Swami*

* **Department of Chemistry, S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA**

Abstract - Pararosanilin dye belongs to triarynethane class having basic nature. These groups of dyes are the oldest known synthetic groups. It is water soluble dye used in coloring paper, type writing ribbons, calico printing. The decoloration and mineralization of the pararosanilin dye under condition of visible light and TiO_2 photocatalyst was studied. The photocatalytic degradation rates proved to be strongly influenced by sodium chloride and sodium corbonate. The waste water from testile industries also contains considerable Na_2CO_3 and NaCl. It is import to study the effect of chloride and corbonate on the treatment efficiency This study confirms that the presence of NaCl and Na_2CO_3. led to inhibition of the degradation process.

Introduction - Paper, dyeing, plastic and textile industries use color for dyeing their products and thus use a huge amount of water which results in the production of a dye-containing waste water with hazardous effects on the environment[(1)]. Purification of waste water contaminated with textile pollutants is very difficult since they are resistant to conventional treatment techniques. The colour and high COD of effluents from dye house cause serious invironment contaimination problems nowadays. Photocatalytic degradation of organic compound is based on semiconductor photochemistry[(2)]. The most effective photocatalyst for this purpose is titanium dicoscide; Various types of dyes have been successfully degraded in a both artificial irradiation and solar technology. The aim of this study is to analyze the pararosanilin dye present in aqueous phase under mild condition of temperature and pressure leading to the complete mineralization of dyes to CO_2, H_2O and inorganic ions. The aim of the present study is to carry out detailed studies of the influence of sodium chloride and sodium corbonate on photodegradation of pararosanilin.

Experimental: Pararosanilin was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst TiO_2 was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution (3.8x10-5 mol dm-3) using 300mg of TiO2 photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double-walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of 30$\pm$0.3.c. Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss. During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for ½ h in order to establish equilibrium between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing aqueous dye solution and TiO2 was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3ml) was withdrawn and centrifuges for 2 min at 3500 rpm to remove TiO2 particle from aliquot to assess extent of decolourisation photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter[(3)].

Results and Discussion: An aliquot was taken from the reaction mixture at regular time interval and the absorbance was measured spectra photo metrically at max value of 630 nm. The absorbance of the solution was found to decrease with increasing time. Which indicates that the concentration of Pararosanilin dye decreased with increasing time of exposure.

Effect of NaCl and Na_2CO_3: The result of the studies carried out with the addition of NaCl revealed that the rate of degradation of the dye decreased from 3.22×10^{-4} s^{-1} to 1.03×10^{-4} s^{-1} with increase in the amount of chloride ion. The decrease of photodegradation of dye in presence of chloride ions could be due to the hole scavenging properties of chloride ions, a typical example of competitive inhibition

where reaction of dye molecules with the holes would compete with this reaction. Although chlorine radicals form slowly, they are converted into chloride anions instantly, surface site normally available at the TiO_2 / dye solution interface for adsorption and electron transfer from the dye can be blocked by anions such as chloride which are not oxidisable but yet effective inhibitors for detoxification process [4]. Experiments were also performed with sodium carbonate, the rate of degradation gradually decreased from 3.22×10^{-4} s^{-1} to 1.22×10^{-4} s^{-1} with increasing carbonate ion concentration. This was due to the hydroxyl scavenging property of carbonate ion, which could be accounted from the following equations. Thus the free hydroxyl radical, a primary source for the photocatalytic degradation decreased gradually with increase in the carbonate ion concentration resulting into the ultimate decrease in the rate of degradation of the dye significantly [5].

$TiO_2 \longrightarrow TiO_2\,(h^+_{vE},\, e^-_{cb})$ (1)

$Cl^- + {}^{\bullet}OH \longrightarrow Cl^{\bullet} + OH^-$ (2)

$Cl^- + h^+_{vE} \longrightarrow Cl^{\bullet}$ (3)

$Cl^{\bullet} + Cl^- \longrightarrow Cl_2^{-\,\bullet}$ (4)

${}^{\bullet}OH + CO_3^{2-} \longrightarrow OH^- + CO_3^{\bullet -}$ (5)

${}^{\bullet}OH + HCO_3^- \longrightarrow H_2O + CO_3^{\bullet -}$ (6)

Effect of NaCl and Na_2CO_3: [PR] = 4.0×10^{-5} mol dm^{-3}, pH = 8.0

TiO_2 = 150 mg/100 mL, Light intensity = 20×10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

[Salt] × $10^6 mol^{-1} dm^3$	NaCl		Na_2CO_3	
	$k \times 10^{-4}\ s^{-1}$	$t_{1/2} \times 10^3\ s^{-1}$	$k \times 10^{-4}\ s^{-1}$	$t_{1/2} \times 10^3\ s^{-1}$
0.0	3.22	2.15	3.22	2.15
2.0	3.02	2.29	2.99	2.31
4.0	2.76	2.51	2.61	2.65
6.0	2.53	2.73	2.34	2.96
8.0	2.14	3.23	2.11	3.28
10.0	1.76	3.93	1.88	3.68
12.0	1.42	4.88	1.49	4.65
14.0	1.03	6.72	1.22	5.68

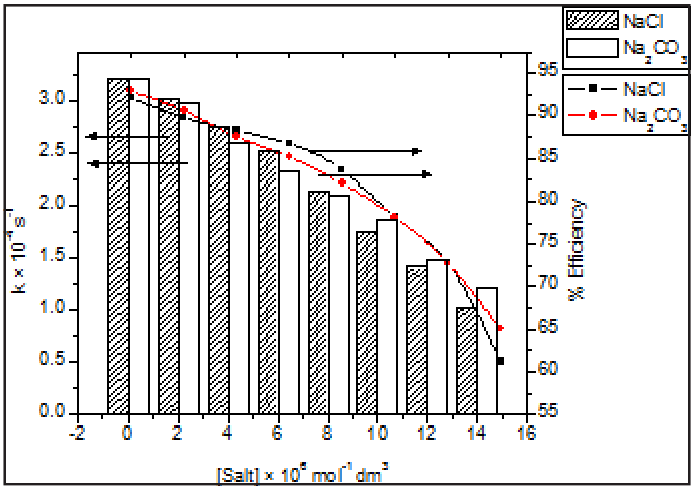

Fig: Effect of Salt NaCl and Na_2CO_3

Conclusion: This study confirms that photo assisted mineralization of Pararosanilin dye can be effectively carried out utilizing TiO_2 with visible light. The presence of inorganic salts such as NaCl and Na_2CO_3 hinders the photocatalytic degradation of Pararosanilin dye.

Acknowledgement: Author acknowledgment the support and Laboratory facilities provided by Chemistry Department S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.)

References:-

1. Huseh C.L., Huang Y.H., Wang C.C. and Chen C.Y., Chemosphere, 58, (2005) 1409-1414.
2. Fujishima A., Hashimoto K. and Ohko Y.,J. Phys.Chem.A.,101(1997)8062.
3. Dobbs R.A. and R.T. Williams, Anal.Chem. 35 (1963)1064.
4. Laat De, Gallard J., AncelinH. and Legube B., Chemosphere, 39, (1999) 2693.
5. Feng W and Nansheng F.T.T., Chemosphere 33, (1996) 547.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Socio-Economic Status of Nuh District of Haryana: A Case Study of the Bhogipur Village

Dr. Mukesh Kumar* Dr. Rajpal Bhiduri**

*Associate Professor & Head (Geography) H.L.G. Govt. College Tauru, Dist. Nuh (Haryana) INDIA
** Assistant Professor (Geography) H.L.G. Govt. College Tauru, Dist. Nuh (Haryana) INDIA

Introduction - Socio-economic factors are the necessary aspect of life. Social and economic development is defined both in positive and in negative senses. In the positive senses, it is a condition of physical, mental and social well-being. While in the negative senses; it is the absence of any crime, corruption, and other socio-economic bad activities. Thus, mind, body and society interact in reciprocity to produce healthy human being. Development is holistic and is thus seen in the entirely of human society. It is not only physical, biological or genetic but also has other dimensions like economic and political, social and psychological, cultural, environmental, medical, individual and societal. Since it is holistic, both individual and society are the ultimate units of analysis. Although, both individual and society play their roles, it is argued that the individual have greater responsibility than society for maintenances and it is society that plays a decisive role for socio-economic development *(Mehta, 1996).* Socio-economic condition of people of any area depicts the level of development in the region of the country. Socio-economic activities in space have a definite pattern. It may be observed that in some areas these activities are concentrated whereas in other areas there is a dearth of many basic amenities. The socio-economic factors play vital role in the process of resource allocation to various production activities for achieving income maximization. These factors are responsible for such spatial variation. Many factors, such as demand function, accessibility by rail and road, cost of obtaining these functions, level of development and administrative structure of region play significant role in developing the social amenities. Land tenure and ownership pattern, farm size, family size, allocation of labour within the family, customs and religious factors, on-farm and off-farm employment opportunities, migration and market and credit facilities are accounted for estimating and analyzing alternative production. Thus, socio-economic factors govern to a large extent the actual agricultural production process.

In developing countries, agro-ecological and socio-ecological conditions differ considerably in both space and time. The socio-economic development of the region is based on land resources and water resources. Due to increase in population, these resources are over stretched often leading to resource depletion. So, there is dire need to manage these delicate resources. Resources from the bases of economic growth of a country as well as the society, in terms of their requirement, availability at the present level and so more for future conservation. Thus a precise assessment of the consumption quantum of existing and potential resources, their structure and process is very essential particularly to keep pace with the planning development today. Haryana is among one of the economically developed states of India. But southern part of Haryana is least developed since long time. The study of socio-economic condition of rural area in the most backward districts of Haryana i.e. Nuh situated in its southern part has a specific significance as it reflects the influence of economic development of the society.

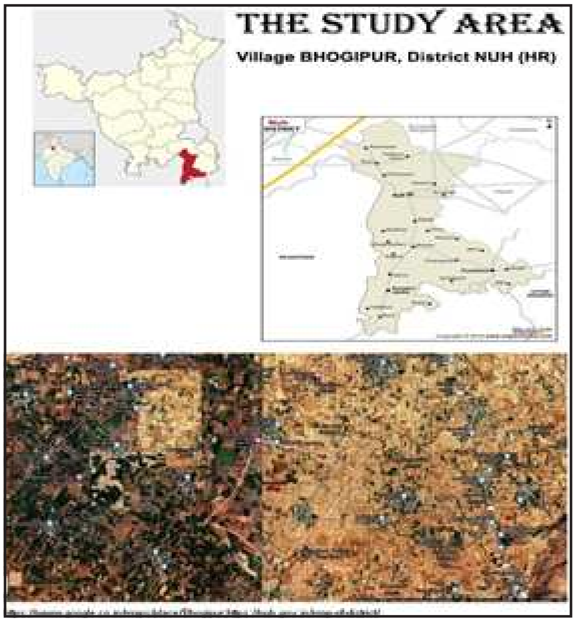

The study area: The present micro-level study pertains to Bhogipur village in Tauru tehsil in Nuh district of the Haryana. It lies from ***76° 55' 3.37" E to 76° 56' 18.61" E Longitude***

***and from 28° 9' 44.5" N to 28° 10' 48.1 1" N** Latitudes.* The village is located in south-western direction from Tauru town and north-west of Nuh, district headquarter. It is about 20 kilometres away from the district headquarter. The village is surrounded by Raniaki in the north, khaikat Tauru in south, Sewka in north-west, kheri in west and Chilawali in east. The land in the village is almost a level plain with medium textured sandy and sandy loam soils which are poor in organic matter content and nutrients.

This study area lies in Nuh district of the Haryana State of India. It is predominantly populated by the Meos, who are agriculturalists, and Muslims. Which is known by Mewat region., comprising the portions of ancient Matsya-desh and Surasena or modern southern part of Haryana and north-eastern Rajasthan. Mewat is historically very important region lies in the south of Delhi, takes its name from its inhabitants, the Meos.

Mewat possesses several hill ranges of Aravali Mountain. Mewat region in modern times generally comprising a very small portion in comparison of ancient and medieval one, starts from north of Sohna in Gurgaon district, in the south the Deeg and Kama in Bharatpur and Alwar districts, in east the Tijara and Tapokra, in west the Punhana in Nuh district and Hodal in Palwal district. The average elevation of Mewat(Nuh) area above the surrounding alluvial plain is 500 feet. The Aravali Hills falling Mewat area popularly known as Kala Pahar has a special significance in Mewat. The Nuh district falls under the Sub-Tropical, Semi-arid climatic zone with extremely hot temperature in summer. Dryness of air is a standard feature in Nuh district except during the monsoon season. May and June are the hottest months of the year with the temperature ranging from 30C to 48C. January, on the other hand, is the coldest month with temperature ranging between 2 °C to 25 °C. S trong dusty winds are conspicuous during summer. The maximum rainfall is experienced during the monsoon season. The average rainfall varies from 336 mm to 440 mm in the district. Humidity is considerably low during the greater part of the year.

Table 1: Basic demographic indicators, 2011

S.	Indicator	India	Haryana	Mewat
1	Population	1,210,854,977	25,351,462	1,089,263
2	Growth Rate	17.64 %	19.90 %	37.93 %
3	Sex Ratio	940	879	907
4	Literacy rate	74.04%	75.55	54.08 %
5	Density	382	573	723

Source: Census of India, 2011

The village grows crop during Kharif and Rabi both seasons. Wheat and mustard are the major crops grown in the village. While, Bajra and Jowar are minor crops. Buffalo, cows, sheep and goats constitute the livestock in the village. This village is inhabited by both Hindu as well as Meo (Islamic) population. The total population is 425 persons with 225 male and female 200 (Field Survey, 2021). The village economy is primarily based on agriculture and livestocks.

The survey area chosen for the study is in the Nuh district of the Haryana, which is the most backward district of the state in term of basic infrastructure of socio-economic and wealth index. Nuh is not only the most backward district in the state but also has the lowest population living in the urban area. The Nuh district shows a low literacy rate of 54 percent compared with 75 percent of the state. Female and male literacy rate in the district is also lower than the state average.

Aims & Objectives: The specific objectives of the socio-economic survey are as follows:

1. To analyse the social condition of the study area.
2. To analyse the economic condition of the study area.
3. To assess of basic amenities and infrastructure of household head of the family in the village.
4. To understand the proper reasons of least development in the area.

Database and Methodology: The present field survey is based on both the primary and secondary data collected from different sources.

Secondary Data Base: Secondary data have been collected from the District Census Handbook of Mewat district, different Census series for the state of Haryana and the related information from district headquarters and from Govt. Websites such data as literacy rate, percent of total population, percent of SC &ST population, sex ratio, marital status, growth rate, level of urban population etc.

Primary Data Base: Intensive survey work in February month, 2021 has been conducted to collect the primary data. The primary data have been collected through Field survey of 70 households from whole Bhogipur village (Tauru Tehsil of Nuh District, Haryana) complete census.

Methodology: In the present study, both techniques of research, i.e., scientific and social have been applied to achieve the desired objectives of the study. Under scientific technique, after having formulation of research problem, objectives, conceptual and operational definitions, pertinent secondary and primary data have been collected and analyzed. Under social technique, primary data have been collected through intensive field work with the help of structured questionnaire. The questionnaire has been divided into three parts: village status, household status and socio-economic status. The information is collected through questionnaire from 70 households of Bhogipur village of Mewat district of the Haryana. Household level interviews have been carried out with the head of the household. The present research work is largely accomplished by computer software such as Microsoft word, Microsoft excel, SPSS 20.0, Adobe Photoshop and other computer based techniques. These techniques have been applied in mapping, making Graphs & Diagrams and analysis of primary as well as secondary data.

Analysis of Results: The study of population characteristics such as age, sex, religion, language, literacy, occupation

etc. holds the prime place for Population Geographers *(Thomlinson, 1965).* These phenomena have great significance to both the individual and society. Thus, an analysis of population characteristics is important for understanding the demographic behaviour and addressing the population problems of any area. In this study, attempt has been made to analyse the varied characteristics of the population in the study area.

Availability and accessibility of the basic infrastructural facilities in the village: In this section, information is collected on various infrastructural facilities available in villages, including educational and health facilities. It is further ascertained whether a village has availability of ashram school or madrasa, primary, secondary and higher secondary school, college, technical college. Next, it is also enquired whether the village has any ICDS (Anganwadi), sub-centre, other government health facilities, private clinic, including ISMH, Private hospital, and club/mandal. Finally, information on the availability of 14 specified facilities is collected; it is recorded whether the facilities are available within the village; if not, the distance of the village from the nearest such facility. The Indian constitution commits itself to the cause of education in the country. The Article 21A spells out that it shall be the duty of the state to give free basic education to the citizen. Similarly, Article 45 states that the Government shall concentrate its efforts in providing care and education for all its children. Last but not the least the Indian Constitution also states in Article 51A (K) that parents/guardians should provide their children with proper educational opportunities. However, ground realities present a totally different picture from what the Constitution stipulates. The rate of school level attainment is still marred by social inequality and regional disparities. As per the study Primary schools are available within the village. Secondary or higher secondary schools are not available in the study area. Colleges and other higher educational institutions are hardly accessible in the village. So, it can be said that the infrastructure for education is limited for the study area.

Under 'Right to Life' – Article 21 of the constitution of India, it is true that right to health and healthcare should be part of it as it is a human right. Although healthcare is a State-list entity, meaning State governments are largely responsible for these services, the constitution has also placed it in concurrent-list. The central government also has a responsibility to take care of these services. While fundamental rights are justifiable, the socio-economic rights such as health, education, among others are under the constitutional instrument of directive principles, hence not justifiable. These socio-economic rights are the subjects of planned development which state takes care of through its five-year plans and other policies.

Although, anganwadi is avail in most rural areas in the country but access to basic health facilities is limited. For healthcare, the studied area is more or less fighting against the same lack of facilities as in higher-education centres. It is surprising that the studied area has not even one club/ mandal in its catchment area. Stating the obvious, it clearly implies that the health infrastructure in the studied area is insufficient; on a harsher tone, it is next to zero.

Socio-economic characteristics of the household: This metrics underscore information on ownership of residence, land ownership and basic amenities in the house. To collect data on housing type, it was easy to judge and for that reason interviewer's observations were used. The questions were about source of lighting, drinking water, toilet facilities were accessed and a couple of questions on cooking fuel generally used. The data is available in the table below. According to the study each household has an average of 6 members. While as it is more comparing to state average. The Sex ratio is low in Bhogipur village. The sex ratio of the village is 889 which is less than the Nuh district average. That is a proximate indicator of social status of women in a society

Households:In the family type categories, 41 % of households have nuclear families and 59 % believe in Joint family. This shows the strong roots of society importance in the study area. Here majority of this rural population has owned their houses. Overall, data is shown that around 71 percent of households live in semi-pucca houses, while 29 percent live in pucca houses in the study area. The condition of the house is a strong indicator of the economic status of the family living in it and responsibilities towards their families.

Table: 2 Type of the Family

Type of Family	Number of Household	Percentage
Joint Family	41	59.4
Nuclear family	28	40.6
Total	69	100

Source: Field Survey, 2021 (Primary data)

Table: 3 Type of House

Type of house	Number of Household	Percentage
Kuchcha	00	00
Semi Pucca	49	71
Pucca	20	29

Source: Field Survey, 2021 (Primary data)

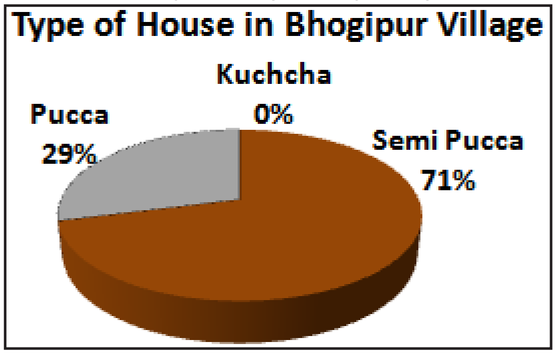

Figure:-1 Type of House

Landholdings: Table 4 shows the distribution of size of land holding and households in Bhogipur village. It reveals that about 35 percent of households in the village do not have

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

own land. Only about 5 households fall in the category of the large farmers having holding size larger than 10 acres. It indicates low economic level of people in this area.

Table: 4 Land Ownership

Agriculture land	No. of Household	Percent
No Land	24	34.8
Less than 5	25	36.2
5 to 10	15	21.7
10 to above	5	7.2
Total	69	100

Source: Field Survey, 2021 (Primary data)

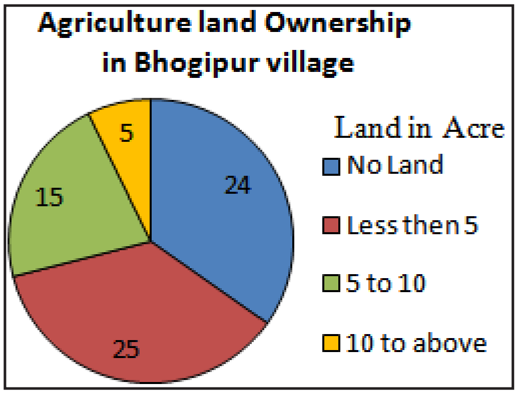

Figure:-2 Agriculture land Ownership

Income status: About 40 households have monthly income between 5000 to 20,000 rupees, 5 households have below 5000 and 5 households have monthly income more than 50,000 thousand rupees. It shows that major part of the population is struggling to fulfil their family needs.

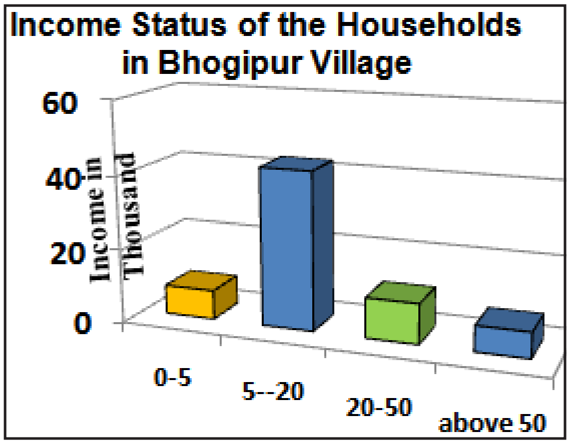

Figure:-3 Income Status

Level of Poverty: The government provided special rations cards to the households falling below poverty line. These are called BPL (Below Poverty Line) cards. Table 5 shows the distribution of BPL cards among Bhogipur village. It is evident that about 23.4 percent households in the village hold BPL cards. The 43 % of the population don't have any ration card which suspects a poor indicator of economy.

Table: 5 Availability of Ration card

Type of Ration Card	No. of Household	Percentage
APL	23	33.3
BPL	16	23.3
NO	30	43.4
Total	69	100

Source: Field Survey, 2021 (Primary data)

Amenities: According to the responses regarding fuel used for cooking, it became evident that it is based on prominently Liquid petroleum gas (LPG). It is around 85 percent of the total fuel used in kitchen in the study area. A meagre 15 percent of the households use traditional methods for cooking fuel. While around 57 percent houses have separate kitchen. All the households have electricity facilities. Households have water from tube wells are the main source of drinking water. Availability and accessibility of safe drinking water are crucial for healthy life.

Table: 6 Type of the Kitchen Used

Separate kitchen	No. of Household	Percentage
Yes	39	57
No	30	43
Total	69	100

Source: Field Survey, 2021 (Primary data)

Around 29 percent respondents said that they don't have a toilet facility. So, they have no access to toilet facilities. Open defecation causes a number of diseases. Availability and use of toilet facilities within the premises of the house is crucial for the security and health of women. It reveals that only 29 percent of houses in the village have separate toilet facilities with flush. It shows that total sanitation programmed has not been effectively implemented in the village. The people have not changed their attitude towards sanitation as well.

Table: 7 Availability of Toilet facilities

Toilet facility	No.of Household	Percentage
Flush Toilet	20	29.0
Shared flush Toilet	19	27.5
Shared/pit Toilet	10	14.5
No facility	20	29.0
Total	69	100

Source: Field Survey, 2021 (Primary data)

Level of Participation in Election: It is a proximate indicator of political status of human being in a society. Around 83 percent voter cast their vote in last election. They are very aware about their political rights. Result is shown in table below. But, 17 percent of voter did not cast their ballet in last election. It is a serious concern.

Table: 8 Casting of Vote in the Last Election

Casting of Vote in last Election	No. of Household	Percentage
Yes	57	83
No	12	17
Total	69	100

Source: Field Survey, 2021 (Primary data)

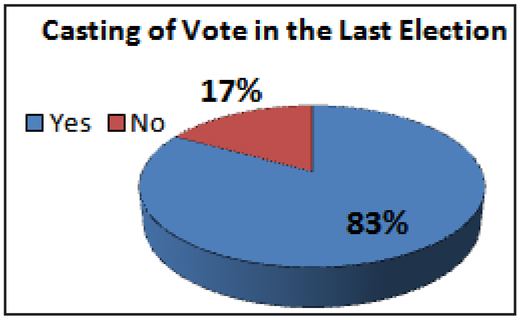

Figure:-4 Casting of Vote in the Last Election

In this study it is found that about two fifth of the families in the village are nucleated. It shows that breaking down of joint families is prevalent in the village. The village has mostly medium and large size families (6 person average). There is also a significant difference in family size across the religion and caste. The Family size is high among Muslim community and SC category people than the Hindu community and rest caste groups. The land distribution in the village is not equitable. About one-third households are landless. Landless households are high among Muslim community and SC category people than the Hindu community and others caste groups. On the other hand the extreme highlighted aspect seen in the study area is only less than two percent people have attained higher education. There is much difference between male and females under this aspect at this level. Females are less likely to attend higher compare to their male parts.

The sex ratio in the village is above than state average. Hindu community have better sex ratio than Muslims community in almost all age groups. The conditions and construction of houses are quite satisfactory. There are no mud houses in the village all houses are either Semi-Pucca or Pucca category. The village faces the major problem of drainage in village road. Only few houses in the village have reported availability of toilet facilities in the premises of house. It shows that total sanitation programme has not been effectively implemented in the village. In terms of possession of BPL Cards, one-fifth households in the village are below poverty line. The proportion of such households is very high in scheduled castes people. Right to Education is the primary right of every citizen of India, whether a child resides in a high profile society or in a far away not so developed secluded village.

In India, condition of rural education is still improving, the conditions of these rural schools is still very poor. There are only one school in the study area which has facility to educate middle standard (8th Class) only. The availability of teachers against pupils is also not adequate. Therefore, the quality of education is very poor due to the Burdon of work to the available teachers. Bhogipur village has lack proper infrastructure facilities also in the school since long time. There are no proper facilities for sitting in the school due to non-availability of furniture. Even the basic amenities like drinking water, clean toilets etc are also not available in school at village. There is also need secondary and senior secondary school in the village. A special school for girls is also demanded by villagers during the survey work. There is no proper drainage system available in study area. The study discusses about the availability and accessibility to health care services in Bhogipur village. Study area did not have any sub-centre for health facility in the village. The quality health care services and its access to the rural communities have long struggle of accessibility. Nearly 86 percent of all the medical visit in India are made by rural people with majority still travelling more than 100 km to avail health care facility of which 70-80 percent is born out of pocket landing them in poverty.

Conclusions: The real India live in villages, this saying is as true today as it was when the country got independence 71 years back. As more than two-third of the population of the country lives in villages, rural development is an eminent factor for the development of our economy. The present study at a broad level, presents the scenario of the level of socio-economic development in Bhogipur village in Nuh District. In this study breaking down of joint families can be seen but the Family size is high among Muslim community and SC category. The awareness about attaining higher education is very low, only two percent people have attained higher education. The conditions of schools are still very poor. Despite of maximum pucca houses and metalled gallies major problem of drainage can be seen among the settlements. One-third households are landless and maximum have low income group which shows reason behind the lack of basic amenities in their houses. That is the basic reason for the poor health awareness in this area.

The Government focused in generating infrastructures in urban area only but fail to do so in rural, where 70 percent of Indian population are struggling to their lives. Though existing infrastructural setup for providing health care in rural India is on a right track, yet the qualitative and quantitative availability of primary health care facilities is far less than the defined norms by the World Health Organization or really demanded by local people. There is also lack of public transport in the village. It is connected by road to near town but no private and public transport is available for students and others villagers for their daily commercial, educational etc. local visits.

At last as conclusion excreted in this field work study we feel our duty to suggest some ideas and plans towards the balanced development of each region or area of the Nation. Some suggestions for the Government, Administrators, Policy makers and the Social workers are given such as availability and accessibility of health and education facility, basic infrastructure for all-road, transport, drainage and playground for adaptation and implementations. If these suggestions are implemented by true heart then no such least developed area will be left in the country. The present socio-economic study of Bhogipur village help the planners, policy makers and administrators

in appropriately evolving re-orienting and remodelling effective and meaningful policies and programmes for their successful implementation for improvement of socio-economic profile of Bhogipur village.

References:-

1. Bhalla, L. R. 2008.*Geography of Rajasthan*.Kuldeep Publishing House, Jaipur.
2. BhendeAaha and Kanitkar Tara. 2004.*Principles of Population Studies*. Himalaya Publishing House, Mumbai.
3. Census of India. 2011. Ministry of Home Affairs, Government of India
4. Chandana, R. C. 2009.*Geography of Population*. Kalyani Publishers, New Delhi.
5. Coale, A. J. 1973. "The demographic transition." Paper presented in International union for the scientific study of Population Liege, Belgium.
6. Davis, K. 1951.*The Population of India and Pakistan*. Princeton University Press, Princeton.
7. Desai, Mihir and Kamayani Bali Mahabal. 2007. "Health care case law in India: A reader," Centre for Enquiry into Health and allied themes and India centre for human Rights & Law, Mumbai.
8. Geological survey of India. 2017. *District resource map,* Nuh, Haryana.
9. Government of India. 2000.*National Population Policy 2000*. National Commission on Population.
10. Government of India. 2003. "Report on Village facilities: NSS 58th Round (July-December 2002), National Sample Survey Organisation Ministry of Statistics and Programme Implementation.
11. Government of India. 2012. "Rural Health Statistics in India 2011", Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
12. Government of India. 2013. "Rural Health Statistics in India 2012," Statistics Division, Ministry of Health and Family welfare.
13. International institute for population science (IIPS). 2006-07. "*Youth in India: situation and needs 2006-07*", Government of India.
14. Kothari, C. R. 2004. "*Research Methodology, Methods and Techniques*." New Age International Publishers, New Delhi.
15. Mehta, S. R. 1996. "*Society and health*,"Vikash publisher, Delhi
16. Pathak, L. 1998.*Populations Studies*, Rawat Publications, Jaipur.
17. Premi, M. K. 2003.*Social Demography- A Systematic Exposition*, Jawahar Publishers & Distributors, New Delhi.
18. Premi, M. K. 2009.*India's Changing population Profile*, National Book Trust, India, New Delhi.
19. Premi, M. K. 2011.*Population of India in the New Millennium: Census 2001*, National Book Trust, India, New Delhi.
20. Rogerson, P. A. 1994.*The Geographical Analysis of Population*, John Wiley, New York.
21. Singh, R. L. (ed.), 1971.*India: A Regional Geography*, National Geographical Society of India, Varanasi.
22. Srinivasan, K. 2004."Population and Development in India since Independence: An Overview," *The Journal of Family Welfare*50: 5-12.
23. United Nations. 2000. "*Millennium Development Goals*", United Nations Millennium Declaration.
24. Visaria, L. and Visaria, P. 1995. "India's Population in Transition," *Population Bulletin*50:1-51.
25. WHO. 2014. "Progress on drinking water and sanitation 2014 update", World Health Organization and UNICEF. Geneva.
26. World Health Organization. 1989. "*Health principles of housing*," WHO, Geneva.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

मोबलिंचिंग : मानवता के विरुद्ध अपराध

डॉ. श्यामसिंह राजपुरोहित*

* असिस्टेंट प्रोफेसर, पेसिफिक स्कूल ऑफ लॉ, पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – वसुधैवकुटुम्बकम की अवधारणा लेकर पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की भावना से विश्व गुरु की और बढ़ता भारत देश, आज खुद ही के घर में अपने लोगो की अपने ही लोगों द्वारा बर्बर एव निर्मम हत्या का मूकदर्शक बना बैठा हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बीते कुछ वर्षों में अपराध का एक नया पहलू सामने आया हैं जिसे मोबलीचिंग कहा जाता हैं, ये भी सामान्य अपराध की तरह ही हैं किन्तु केवल फर्क इतना सा है की सामान्य अपराधो में तो अपराधी 1,2, या गिने चुने होते हैं, लेकिन मोबलीचिंग में अपराधी अनगिनत संख्या में होते हैं या, यूं कहे भीड़ के रूप में होते है, जो किसी न किसी अफवाहों से गुस्से एव क्रोध वैमनस्य की भावना से उत्प्रेरित होकर भय का माहौल बनाया जाता हैं, हिंसा आगजनी तोड़फोड़ और निर्दोष व्यक्तियों के शरीर और सम्पति को नुकसान पहुंचाते हैं, अब अफवाहे कभी, धर्म को लेकर कभी गौ हत्या, गौ तस्करी, कभी बच्चा चोरी कभी चोर एव लुटेरे के रूप में होती हैं।

'जाने अनजाने हम भी कभी, उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, मिशाल बनने की ख्वाहिश लेकर, महज एक किस्सा बन जाते हैं, अफवाहों के जाल में फंसकर, कितने मासूमों पर डंडे बरसाते हैं, आज हाथों में डंडे लिए, तो कल खुद ही उन्ही डंडों से पीटे जाते हैं, कानून की तो जरूरत ही नही, हम खुद ही कात्या की अदालत बनकर फैंसले सुनाते हैं, जाने अनजाने हम भी कभी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं।'

मोबलिंचिंग दरअसल आज से नही बल्कि सैकड़ों सालों से किसी न किसी रूप में हो रही हैं। शुरुआत में, लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध अमेरिका में देखने को मिलते थे, एक वक्त था जब अमेरिका में नस्ल भेद की समस्या अपने चरम पर थी। उस दौरान, यदि कोई गैर श्वेत अपराध करता था तो उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी। वहां के श्वेत लोगों का मानना था की इसके जरिये वे पीड़ित को न्याय देने का काम कर रहे हैं।

मॉबलिंचिंग की उत्पत्ति 18 वी शताब्दी में अमेरीकी क्रांति के दौरान चार्ल्स लिंच और विलियम लिंच से हुई। चार्ल्स लिंच निजी अदलत बिठाने लगा और अपराधियों और विरोधियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सजा देने लगा।धीरे–धीरे 'लिंचिंग' के रूप मे यह शब्द पूरे अमेरिका मे फैल गया, इस अत्याचार का सर्वाधिक शिकार अमेरिका के दक्षिण हिस्से मे बसे अश्वेत अमेरिकी समुदाय के लोग हुए।

बीते कुछ वर्षों में मोबलीचिंग की बढती घटनाओं ने सामाजिक एव आर्थिक रूप से शोषित वर्गों और हाशिये पर मौजूद समुदायों के मध्य एक भय का माहौल पैदा कर दिया हैं, 2015 के बाद से NCRB ने मोबलिंचिंग के मामले से सम्बंधित आंकड़े भी संकलित नहीकिये हैं इस संदर्भ में NCRB का कहना हैं की मोबलिंचिंग को लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

सोशलमिडिया यानी 21वी सदी में तकनीक का वो मंच जो हैं लोगो की जिंदगी में प्यार मोहबत और दोस्ती फैलाने के लिए आया था, शुरुआत में ये हुआ भी कई बिछड़े दोस्त मिले कई रिश्तेदार बने तो कई उम्र भर के लिए एक दुसरे का हो गया लेकिन धीरे धीरे हम उस दौर में पाँव रख गये जो नफरत शक और अफवाहों की दुनिया हैं।

सोशल मीडिया अब दोस्ती और प्यार की नही बल्कि मौत और अफवाहों की दुनिया साबित होती जा रही हैं, एक झूठा वीडियो एक झूठा मेसेज एक झूठा सन्देश कैसे लोगो को भीड़ को, और पूरे समाज को वैशी बना देता हैं,इसकी कई मिशाल हमारे सामने हैं।

इस वक्त हम अफवाहों के ऐसे बाजार में खड़े हैं, जहाँ देखते ही देखते निर्दोष को भीड़ पीट पीट कर मार डालती हैं, हम आधुनिकता के उस द्वंद्व में जी रहे हैं, जहाँ सोशल मीडिया विकास और तकनीक का सबक नहीं बल्कि झूठी जानलेवा अफवाहों का जरिया साबित हो रहा हैं।चिंता इस बात की हैं की इन अफवाहों को फैलाने वाले भी हम ही हैं, और तो और इन अफवाहों के शिकार भी हम और हमारे अपने ही हो रहे हैं, ये हमारेसमाज के लिए शर्मिंदगी, और सरकारों के लिए चिंता का विषय ही नही बल्कि, हमारे देश के प्रेम सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को बनाये रखने के लिए चुनौती बन गया हैं।

मोबलिंचिंग का तात्पर्य – 'सच हैं भीड़ की कोई शक्ल नही होती, आवाज नही होती, ना ही होती हैं रीढ़, घर में उठने वाले चित्त और बुद्धि रहित, हजारों हाथ पैर भर से बाहर आकर कहलाते हैं भीड़'

लिंचिंग सामूहिक नफरत से जुडा एक ऐसा अपराध हैं, जिसमे एक भीड़ कानून के दायरे से बहार जाकर, महज वहम एव शक के बिनाह पर, किसी तथाकथित अपराधी को सजा दे देती हैं।

जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किये गये अपराध के लिए, या कभी कभी अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध कियेभी तत्काल सजा दे दी जाती हैं, अथवा उसे पीट पीटकर अधमरा करदिया जाता हैं, या मार ही दिया जाता हैं तो इसे भीड़ द्वारा की गयी हिंसा या मोबलिंचिंग कहते हैं, यह हिंसा का ऐसा रूप होता हैं,जिसमे असंख्य लोगों का झुण्ड बिना व्यक्ति को सुने भावुकतावश पीड़ित को तुरंत राहत देने के लिए बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के कानून अपने हाथ में लेकर सजा दे देते हैं।इस तरह की हिंसा में किसी कानून, प्रक्रिया या सिद्धांतों का पालन नही किया जाता हैं और यह पूर्णत: गैर कानूनी होता हैं।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

मोबलिंचिंग की प्रमुख घटनाएँ– वैसे तो सरासर दृष्टि से देखा जाए तो हर एक दो दिन में देश के किसी न किसी राज्य के हिस्से से मोबलिंचिंग की घटनाये दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया :

1. महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरीके से दो साधू संतों की मोबलिंचिंग द्वारा निर्मम हत्या हुयी हैं वो पूरे देश को झकझोर देने वाली घटनाओं में से एक हैं तब ये दो पंक्तियाँ पूरे देश में गूँज उठी 'झूठ नही हैं, आखिर क्यों हैं, भीड़ इतना बदनाम, संतों के लिए जानलेवा बना, चोरी का इल्जाम' उनके साथ भी वहीहुआ उनको चोर एव लुटेरा होने की अफवाह फैलाई गयी और गाडी रोककर भीड़ द्वारा घेरकर सुनियोजित रूप से उनकी हमला किया और उनकी निर्मम हत्या हुयी।
2. इसी क्रम में वर्ष 2017 का पहलू खान हत्याकांड,मोबलिंचिंग का बहुचर्चित एव झकझोर देनें वाला मामला था,गाय की तस्करी एव हत्या की अफवाह फैलाकर भीड़ द्वारा उसकी हत्या कर दी, एक जिसमे कुछ तथाकथित गो रक्षकों की भीड़ ने गो तस्करी के झूठे एव बेबुनियाद आरोप में पहलू खान की पीट पीट कर हत्या कर दी थी।
3. कर्नाटक के बीदर में 13 जुलाई 2018 को बच्चा चोरी करने की अफवाह ने मोहम्मद आजम उस्माननाम के इंजिनियर को गाडी से घसीट कर और पीट पीट कर हत्या कर दी गयी,क्योंकि लोगो का कहना था की व्हाट्सएप पर ऐसी न्यूज आयी की ये बच्चे चुराने वाला व्यक्ति था।
4. महाराष्ट्र के धुले में 1 जुलाई 2018 को बच्चा चोर होने के शक में भीड़ ने 5 लोगो की पीट पीट कर हत्या कर दी।
5. 8 जून को महारष्ट्र के ओरंगाबाद जिले के बीजापुरताल्लुका में 2 लोगो को लुटेरा होने के संदेह में पीट पीट कर हत्या कर दी, पिछले डेढ़ महीने में महाराष्ट्र में अफवाह के चलते भीड़ की हिंसा या पीट पीट कर हत्या करने की 14 घटनाएँ और 10 लोगो की जान जा चुकी हैं।
6. त्रिपुरा में 28 जून को 33 वर्षीय सुकान चक्रवर्ती बच्चाचोरी होने के प्रति जागरूकता फैलाने में जुटे थे दक्षिणी त्रिपुरा जिले के सब उपमंडल में भीड़ ने सुकांत को पीट पीट कर मार डाला।
7. असम के कारबीआंगलोंग इलाके की घटना बच्चा चुराने वाले एक गैंग से जुडी अफवाह फैली 8 जून को उन्मादी भीड़ ने दो युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी दोनों युवक गुवाहाटी से कारबीआंगलोंग छुट्टियां मानाने आये थे।
8. अहमदाबाद में बच्चा चुराने के शक में 26 जून को महिला की हत्या।
9. छतीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में बच्चा चोरी की अफवाह फैली भीड़ ने एक शख्स की हत्या कर दी।
10. उत्तार प्रदेश में हापुड़ में गोहत्या की अफवाह फैली 19 जून को अल्पसंख्यक समुदाय के दो शख्स की पिटाई बाद में इनमे से एक व्यक्ति की मौत हो गयी।
11. पश्चिम बंगाल में बच्चा चोरी की अफवाह 13 जून को एक शख्स की पीट पीट कर हत्या।
12. झारखण्ड के गोव जिले में जून में मवेशी चोरी की अफवाहअल्पसंख्यक समुदाय के दो लोगों की हत्या।
13. तमिलनाडू में 14 अप्रेल से 10 मई के बीच पांच लोगो की हत्या।
14. जुलाई के शुरू में तमिलनाडू में बिहार के दो मजदूरों की पिटाई।
15. जून के आखिरी हफ्ते में त्रिपुरा में दो और लोगो की हत्या।

इस तरह देश के तमाम हिस्सों में इस तरह मोबलिंचिंग की घटनाएँ सामने आती रहती हैं, कभी बच्चा चोर गैंग की अफवाहे फैलाकर निर्दोश लोगों को भीड़ द्वारा अपना शिकार बनाया जाता हैं, तो कभी धर्म जातिके नाम पर अफवाहे फैलाई जाती हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में नासूर बन गया हैं कुछेकपालघरएव पहलू खान जैसी घटनाएँ मिडिया के द्वारा हाईलाईट हो जातीहैं जो हमारे ध्यान में आती हैं और काफी सारी घटनाएँ लोगो के सामने भी नही आती।

केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये गये कदम – अफवाहों की वजह से हो रही मौतों पर केंद्र सरकार गंभीर हैं, केंद्र सरकार नेराज्यों को इसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दिया हैं।

इस तरह के मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए केंद्र सरकार नेगृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह यानी जीओएम और गृह सचिव राजीव गाबा की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया है।

1. समिति ने इस विषय पर विचारद्दविमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में, सोशल मीडिया ।लेटफॉर्मो को समयबद्ध तरीके' से काम करने की जरुरत बताई गयी है।
2. गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को परामर्श जारी कर इन घटनाओं पर अंकुश लगाने को कहा है। परामर्श में कहा गया कि सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इन अफवाहों पर कड़ी नजर रखें और इन पर अंकुश लगाने के लिए कडे कदम उठाएं।
3. सरकार द्वारा अफवाहों को रोकने के लिये जल्द ही एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई जाएगी, देश के आईटी मंत्रालय को इसका ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है।
4. इन क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर विश्वास बढाने के उपाय करने पर भी जोर दिया गया है।

सोशल मीडिया के जरिये बच्चा चोरी की अफवाहों की घटनाओं को फैलने और इसकी वजह से हुयी मौतों पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रोक अख्तियार किया हैं औरकेंद्र सरकार द्वाराकुछ निर्देश भी जारी किये हैं।

1. राज्य अफवाहों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठायें।
2. बच्चा चोरी की अफवाहों का जल्दी पता लगाने के लिए पैनी नजर।
3. अफवाहों को रोकने के लिए असरदार उपाय शुरू हो।
4. ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ अफवाह फैलने की संभावना ज्यादा हो।
5. उन इलाकों में जागरूकता फैलाने का और विश्वास बहाली करने का काम।
6. बच्चों के अपहरण की शिकायतों की जांच तेजी से करने का निर्देश।
7. गैर जिम्मेदार और बवाल मचाने वाले संदेशों को फैलने से रोका जाए
8. व्हाट्सएपको तत्काल कदम उठाने का निर्देश।
9. अपने मंच का दुरूपयोगनही होने दे।
10. फर्जी खबरों वीडियो और तस्वीरों पर लगाम लगे।
11. व्हाट्सएपया दुसरेसोशलसाईट जिम्मेदारी और जवाबदेही से नही बच सकते।

अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए व्हाट्सएपद्वारा उठाये गये कदम– केंद्र सरकार की सख्ती के बाद अफवाहों को रोकने की दिशा में व्हाट्सएप ने कुछ सुझाव भी दिए, और इस दिशा में कदम भी उठा रहा हैं व्हाट्सएपने

फारवर्डेडमेसेज को बिना सोचे समझे आगे बढ़ने से रोकने के लिए एप में जरूरी बदलाव किये और, सरकार औरआम नागरिकों से सहयोग की भी अपील की हैं:

1. एक मेसेज को पांच से ज्यादा सदस्यों या ग्रुप में नही भेज सकते एक साथ।
2. फारवर्डेड मेसेज पर लिखाहोता हैं की यह फारवर्डेड हैं और कितनी बार फारवर्ड हुआ हैं किसने सन्देश लिखा इत्यादि।
3. हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों में विज्ञापन कि कैसे अफवाहों और फेकन्यूज से बचेफोरवर्ड मैसेज के संदेशों से सावधान रहे।
4. व्हाट्सएप फोरवर्ड मेसेज का फीचरजारीकर रहा हैं।
5. फोरवर्डमेसेज के परेशान करने वाले तथ्यों पर सवाल उठाये।
6. भावनाओं को भडकाने वाले मेसेज को साझा नही करें।
7. यकीन से परे तथ्यों की दुसरे स्त्रोत से जांच करें ऐसे संदेशों से बचे जो अलग दिखते हो।
8. संदेशों में मौजूद फोटो को ध्यान से देखे।
9. कभी कभी फोटो सच्ची होती हैं लेकिन उससे कहानी झूठी होती हैं।
10. ऑनलाइन फोटो का स्त्रोत पता करना चाहिए।
11. संदेशों में मौजूद लिंक की जांच भी करनी चाहिए।
12. लिंक में गलत वर्तनी या विचित्र वर्ण हो तो सच्चाई की गुंजाईश कम होती हैं।
13. खबर की जांच के लिए अन्य समाचार साईट या एप की मदद ले।
14. संदेशों में मौजूद जानकारी झूठी प्रतीत होने पर साझा करने से बचे।
15. उलटे सीधे मेसेज को ब्लोक करे।
16. अफवाह फैलाने वाले ग्रुप को भी छोड़ सकते हैं।
17. कई बार साझा होना खबर के सच होने का प्रमाण नही होता।

मोबलिंचिंग पर न्यायिक सक्रियता – तहसीन पूनावाला ने वर्ष 2018 में मोबलिंचिंग को लेकर मुद्दा उठाया और उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की उस याचिका पर संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मोबलिंचिंग को 'भीड़ तंत्रके एक भयावह कृत्य' के रूप में संबोधित करते हुए केंद्र एव राज्य सरकारोंको कानून बनाने के दिशा निर्देश दिए थेएव कहा की समाज में वैमनस्य तथा नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 A के तहत FIR दर्ज करके दण्डित किया जाये।

1. राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में मोबलिंचिग और हिंसा को रोकने के उपायों के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत करेगी।
2. राज्य सरकारें शीघ्रता से उन जिलों उप खण्डों तहसीलों ओए गाँवों की पहचान करेगी जहाँ हाल ही में मोबलिंचिंग की घटनाएँ हुयी हैं।
3. नोडल अधिकारी मोबलिंचिंग से सम्बंधित अंतर जिला स्तरीय मुद्दों को राज्य के क्ळच के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
4. केंद्र तथा राज्य सरकारों को रेडियो टेलीविजन और अन्य सोशल मीडिया ।लेटफार्म पर यह प्रसारित कराना होगा की किसी भी प्रकार की मोबलिंचिंगएव हिंसा की घटना में शामिल होने पर विधि के अनुसार कठोर दंड दिया जा सकता हैं।
5. विभिन्न सोशल मीडिया ।लेटफार्म पर प्रसारित ऐसे गैर जिम्मेदार और भड़काऊ संदेशों तथा अन्य सामग्री पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए जिनसे समाज में मोबलिंचिंग जैसी घटनाएँ होती हैं ऐसे संदेशों को फैलाने वालों पर उचित प्रावधानों के अंतर्गत थ्प्त् दर्ज करनी चाहिये।
6. राज्य सरकारेंमोबलिंचिंग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना प्रारंभ करेगी।
7. राज्य सरकारे यह सुनिश्चित करेगी की पीड़ित परिवार के किसी भी व्यक्ति का पुन: उत्पीडन न हो।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पश्चात राज्य सरकारों द्वारा किये गये विधायी प्रयास – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सर्वप्रथम मणिपुर ने वर्ष 2018 में ही लिंचिंग के विरुद्ध विधेयक पारित किया था, जिसके पश्चात राजस्थान सरकार ने भी अगस्त 2019 में लिंचिंग विरुद्ध विधेयक पारित किया, राजस्थान के पश्चात पश्चिम बंगाल ने भी लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया ।मणिपुर,राजस्थानऔर पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अब तक देश में किसी भी अन्य राज्य ने इस सम्बन्ध में कोईविधायी प्रयास नहीकिये हैं ।

मणिपुर का लिंचिंग विरोधी विधेयक

मणिपुर के लिंचिंग विरोधी विधेयक में में निम्न बिंदु शामिल थे:

1. लिंचिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो।
2. अपने क्षेत्राधिकार में लिंचिंग के अपराध को रोकने में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारीयों के लिए जुर्माने तथा कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया हैं।
3. लिंचिंग सम्बन्धी अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति प्राप्त करने की भी आवश्यकता नही हैं।
4. पीड़ित या उनके परिजनों को पर्याप्त मुआवजा राशि प्रदान करने सम्बन्धी भी प्रावधान किया गया।

विशेषज्ञों ने तर्क और प्रासंगिकता की दृष्टी से मणिपुर के विधेयक को काफी अच्छा बताया था।

राजस्थान का लिंचिंग विरोधी विधेयक – राजस्थान विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों से यह बात सामने आयी थी की वर्ष 2014के बाद देश में घटित लिंचिंग घटनाओं में से 78 प्रतिशत घटनाएं राजस्थान में घटित हुयी।

1. नये कानून के तहत इस संदर्भ में दर्ज किये गये सभी मामलोकी जांच इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही की जाएगी।
2. इसके अलावा राज्य का DIG लिंचिंग को रोकने के लिए राज्य समन्वयक के रूप में एक IG या उससे ऊपर के रैंक केअधिकारीकी नियुक्ति भी करेगा।
3. यदि लिंचिंग का शिकार हुए पीड़ित व्यक्ति को सामान्य चोटेंया फिर गंभीर चोटें आती हैं तो अभियुक्त को क्रमश: सात या दस साल तक की सजा हो सकती है।
4. यदि इस हमले के कारण पीड़ित की मृत्यु हो जाती हैं तो अभियुक्त को उम्र कैद की सजा हो सकती हैं।
5. यह विधेयक षड्यंत्रकारियों को भी जवाब देह बनाता हैं।

राजस्थान सरकार के लिंचिंग विधेयक को लेकर विश्लेषकों का कहना हैं, की इनमे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना की गयी हैं, मसलन यह विधेयक लिंचिंग की घटनाओं को रोकने में विफल रहने वाले जिम्मेदार अधिकारीयों के सम्बन्ध में सजा का कोई प्रावधान नही करता ।

पश्चिम बंगाल का लिंचिंग विरोधी विधेयक– पश्चिम बंगाल के विधेयक में किसी व्यक्ति को घायल करने वालो को तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया हैं और यदि किसी व्यक्ति की लिंचिंग से मृत्यु हो जाती हैं तो उस दशा में मृत्युदंड या कठोर आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया हैं ।

लिंचिंग के कारण – नफरत की राजनीति:नफरत की राजनीति हिंसात्मक भीड़ की एक बड़ी वजह है। श्भीड़तंत्रश तो वोट बैंक के लिये प्रायोजित हिंसा या धर्म के नाम पर करवाई गई हिंसा का एक जरिया है।

तमाम समुदायों के बीच आपसी अविश्वास: भारत में धर्म और जाति के नाम पर होने वाली हिंसा की जड़ें काफी मजबूत हैं वर्तमान में लगातार बढ़ रही लिंचिंग की घटनाएँ अधिकांशत:असहिष्णुता और अन्य धर्म तथा जाति के प्रति घृणा का परिणाम हैं, यह कहा जा सकता हैं की देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास की एक गहरी खाई हैं।एक कौम के लोग दूसरे कौम को शक के निगाह से देख रहे हैं। और फिर मौका मिलने पर वे एक दुसरे से बदला लेने के लिए भीड़ को उकसाते हैंएव भीड़ का इस्तेमाल करते हैं । सरकारी तंत्र की विफलता ऐसी घटनाओं में आग में घी का काम करता है।

वर्ष 2002 में हरियाणा के पांच दलितों की गौहत्या के आरोप में लिंचिंग कर दी गयी थी।

वही सितम्बर 2015में अज्ञात समूह ने मोहम्मदअखलाकऔर उनके बेटे दानिश पर गाय की हत्या करने और मांस का भंडारण करने का आरोप लगते हुए पीट पीट कर हत्या कर दी गयी थी।इन घटनाओं से मोबलिंचिंग में धर्म और जाति का दृष्टिकोण स्पष्ट तौर परजाहिर होता हैं,

समाज में व्याप्त गुस्सा: लोगों के मन में शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या फिर सुरक्षा को लेकर गुस्सा हो सकता है। ये गुस्सा भी इन घटनाओं को किसी न किसी रूप में बढ़ावा दे रहा है। जो कि बाद में उन्मादी भीड़ के जरिये देखने को मिलता है।

अफवाह और जागरूकता की कमी: अफवाह और जागरूकता की कमी के चलते 'लिंचिंग' की जो घटनाएं हुईं उनमें भीड़ का अलग ही रूप देखने को मिलता है। इसमें भीड़ के गुस्से के पीछे एक गहरी चिंता भी दिखाई देती है। बच्चे चोरी होना किसी के लिए भी बहुत बड़ा डर है। यहां हिंसा ताकत से नहीं बल्कि घबराहट से जन्म लेती है।

तकनीक का दुरुपयोग: इस तरह की 'भीड़तंत्र' में सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक बड़ा कारक है। देशभर के अलग-अलग हिस्सों से सामने आ रहे मॉबलिंचिंग के मामले बताते हैं कि वॉट्सएप इसकी सबसे बड़ी वजह रहा है।

स्थानांतरण एक बड़ी समस्या: अक्सर आर्थिक जरूरतों के कारण लोग एक इलाके से दूसरे इलाकों में आकर बसने लगते हैं। इन लोगों को रहने की जगह तो मिल जाती है, लेकिन उन पर लोगों को विश्वास नहीं हो पाता। तमिलनाडु में इस तरह की कुछ घटनाएं देखने को मिली थीं।

व्यक्तिवाद की भावना का विकासरू आधुनिकता के साथ ही हमारे अंदर व्यक्तिवाद की भावना का विकास हुआ और हमारे सामाजिक जुड़ाव में कमी आई हैं, जिसके कारण हम विविधता की सराहना करना भूल गये हैं, अक्सर यहाँ कहा जाता हैं की भीड़ का कोई चेहरा नही होता और शायद इसी वजह से भीड़ में मौजूद लोग सही और गलत में फर्क नही करते ।

मोबलिंचिंग के परिप्रेक्ष्य में भारतीय कानून – भारतीय दंड संहिता में लिंचिंग जैसी घटनाओं के विरुद्ध कारवाई को लेकर विशेष रूप किसी तरह का स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं और इन्हें धारा 302(हत्या),307 (हत्या का प्रयास),323 (जानबूझकर चोटें कारित करना),147-148 (दंगा फसाद),149 (विधि विरुद्ध इकठा होना) तथा धारा 34 (सामान्य आशय) इन धाराओंके प्रावधानों के अंतर्गत ही अपराध पंजीबद्ध किया जाता हैं।

भीड़ द्वारा किसी की हत्याकिये जाने पर IPC की धारा 302 और 149 को मिलाकर पढ़ा जाता हैं और इसी तरह भीड़ द्वारा किसी की हत्या का प्रयास करने पर 307 के साथ 149 को पढ़ा जाता हैं तथा इसी के अंतर्गत अपराध दर्ज कर कानूनी कार्यवाही होती हैं।

IPC की धारा 223A में भी इस तरह के अपराध के लिए उपयुक्त कानून के इस्तेमाल की बात कही गयी हैं CRPC में भी स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ भी नही कहा गया हैं।

भीड़ द्वारा की गयी हिंसा की प्रकृति और उत्प्रेरणा सामान्य हत्या से अलग होते हैं इसके बावजूद भारत में इसके लिए अलग से कोई कानून नही हैं।

मोबलिंचिंग के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान – भारत में विभिन्न संगठन हैं, जिन्हें मानवाधिकारों की रक्षा करने और किसी भी अधिकारो के उल्लंघन के मामले में पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय मानवाधिकार संगठन नीचे दिए गए हैं–

- **NCHRO (National Confederation of Human Rights Organizations)** – एनएचआरसीओ विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के लिए एक ऐसा ।लेटफार्म है जो भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक जुट होकर उनके खिलाफ आवाज उठाते है।
- **NHRC (National Human Rights Commission of India)** – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्ता सार्वजनिक निकाय, हैमानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। यह संविधान द्वारा गारंटीकृतस्वतंत्रता, गरिमा, धर्म और समानता के अधिकार के संरक्षण हेतु संकल्पित है।मॉबलिंचिंग मानवाधिकार काखुल्ला उल्लंघन है पीड़ित स्वयं अथवा अन्य कोई भी इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार अथवा राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष कर सकता है। महाराष्ट्र के पालघर की घटना में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेना और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजाना यह दिखाता है की मॉबलिंचिंग की घटनाका स्वरूप कितनाभयानक है ।
- **ANHAD (Act Now for Harmony and Democracy)- ANHAD** एक भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जिसका गठन 2003 में 2002 के गुजरात दंगों की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था। ।छभ्।व का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रसार करना है।
- **Human Rights Law Network –** मानवाधिकार कानून नेटवर्क पूरे भारत में वकीलों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क है। इसका उद्देश्य गरीब वर्ग के पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करना है।यह बाल अधिकारों, मानव तस्करी, विकलांगता अधिकारों, कैदियों और शरणार्थियों के अधिकारों और विभिन्न अन्य वर्गों पर काम करता है।
- **Legal Rights Observatory –** कानूनी अधिकार वेधशाला भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करने के मुख्य उद्देश्य के

साथ एक संगठन है। यह राजनीति, सैन्य या आम जनता के सदस्यों के राजनीतिक, धार्मिक और सामान्य अधिकारों की रक्षा करता है।

- **MASS (Manav Adhikaar Sangram Samiti) –** MASS का गठन असम में राजनीतिक और नागरिक दोनों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए किया गया था। यह सशस्त्र बलों द्वारा किसी भी नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम और रिपोर्टिंग के लिए काम करता है, जबकि सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम या ।थ्ैच। का उपयोग करते हैं।
- **People's Vigilance Committee on Human Rights–** PVCHR एक गैर सरकारी संगठन है जो कई उत्तर भारतीय राज्यों, विशेष रूप से वाराणसी जिले में वंचित और हाशिए के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है।

मानवाधिकार भारत के नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्ता अधिकार हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी सरकार या प्राधिकरण को इन अधिकारों के प्रयोग पर रोक लगाने की अनुमति नहीं है। गरिमा के अधिकार, न्याय की समानता, जैसे अधिकारों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है।

मानव अधिकारो की सार्वभौमिक घोषणापत्र – मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में भी सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने की बात कही गई है किसी भी व्यक्ति को न्याय के सम्यकप्रक्रिया के बिनादंडित नहीं किया जा सकता है।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र मानव अधिकारों का वर्णन किया गया है । अनुच्छेद 22 से 27 जिसमें आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश किया गया है।

अनुच्छेद 5 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र यंत्रणा अपमानित अथवा परिभृष्टकरने वाला व्यवहार या दंड के प्रतिषेध का अधिकार ।

अनुच्छेद 7 मानव विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 8 केस्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा एक न्याय पूर्ण एवं लोक सुनवाई हेतु पूर्ण समानता का अधिकार प्रदान करता है ।अनुच्छेद 11पैरा 1 जब तक लोक सुनवाई के अनुसार दोषी सिद्ध ना हो निर्दोष माने जाने का अधिकार देता है।

वहीं आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की बात की जाए तो अनुच्छेद 22 मानव सुरक्षा का अधिकार तथा आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार जो व्यक्ति की गरिमा विकास तथा व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए अपरिहार्य हैकी बात करता है।

मानव अधिकारों काअमेरिकी अभिसमय 1969 – मानव अधिकारों का अमेरिकी अभी समय 1969 निम्नलिखित सिविल राजनीतिक अधिकारों की गारंटी देता है।

1. अनुच्छेद 8 न्यायोचित परीक्षण के अधिकार की बात करता है ।
2. अनुच्छेद 5 मानवीय व्यवहार का अधिकार देता है ।
3. अनुच्छेद24 विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार देता है।

निष्कर्ष – केंद्र सरकार ने 2011 के सूचना अधिनियम के नियम अधिसूचित किये, जो विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदाता जिन मे सोशल मीडिया भी हैं, उनको हिदायत देता हैं कि उनको अधिसूचना में उल्लेखित कदम उठाने हैं, ताकि कानून का पालन कर सके ।

भारत एक इकलौता देश हैं,जिसमे इंटरनेट के उपयोग और डाटा प्राइवेसी को लेकर जो दुविधाएं हैं, उनको लेकर कोई पुख्ता कानून नहीहैं,अमेरिका का अपना कानून हैं, यूरोप का अपना **GDPR** नाम से नया कानून बनाया गया हैं, चीन पहले से ही इस मामले में रेगुलेटेडकानून वाला देश हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश हैं जहाँ अभी सोशल मीडिया व्हाट्सएप और अन्य ।लेटफार्म के उपयोगकर्ताओं लेकर पुख्ता कानून नही हैं । अभी तक हम यहाँ निर्धारित नही कर पाए हैं की, कोई न्यूज व्हाट्सएप पर फैल रही हैं, तो उसको लेकर हम किसे दोषी माने किसकी जिम्मेदारी हैं की वो मेसेज वेरिफाइड होना चाहिए ।सबसे बड़ा सवाल यह उठता हैं की इन अफवाहों के फैलने पर अंकुश आखिर कैसे लगेगी ?एक समाज के तौर पर हम सबके लिए शर्मिन्दगी का सबब शायद कुछ और नही होगा की, ऐसे झूठे वीडियोहमे आपस में बाँट रहे हैं बल्कि इंसान को इंसान का दुश्मन भी बना रहे ।

हाल ही में 2013में मुज्जफरपुर दंगों में एक बच्चे को गोली मारने का वीडियोवायरल हुआ बाद में कई मीडिया संस्थानों ने पुष्टी की,कि वीडियो पाकिस्तान के किसी कबायली इलाके का था । ठीक इसी तरह बिहार के नवादा के एक व्यक्ति को फंसी पर लटकाने का वीडियो वायरल हुआ तो इलाके में तनाव फैल गया बाद में मीडिया ने इसे बांग्लादेश का वीडियो बताया ।

सिर्फ यही वीडियो नही बल्कि इसे सैकड़ो वीडियो जो आपके और हमारे बीच व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्वीटर और दूसरे ।लेटफार्म के जरिये वायरल हो रहे हैं, जिन्हें बिना पड़ताल के आगे बढ़ा देते हैं बिना सोचे की इससे किसी की जान भी जा सकती हैं, सामाजिक समरसता बिगड़ सकती हैं बतौर समाज पुरी दुनिया के सामने हमारा सर झुक सकता हैंये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, जिनमे बच्चा चोरी, गौ हत्या, धर्म विशेष का अपमान, एक दूसरे धर्मो को नीचा दिखाना, महिलाओं की अस्मिता ताड़ ताड़ कर देने वाली झूठी तस्वीरें, और कई झूठे आंकड़ों से झूठी तमाम वीडियो संदेशों और तस्वीरों से सोशल मीडिया भरा पडा हैं दरअसल ऐसे झूठे और अफवाहों से भरे वीडियो उस बारूद की तरह हैं, जो कभी भी किसी की भी जान ले सकता हैं ।स्पष्ट हैं की मोबलिंचिंग और ऑनरकिलिंग का हमारे सामाजिक सद्भाव पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं इसलिए राजस्थान सरकार की तरह सभी राज्यों की सरकारों तथा केंद्र सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और सामाजिक संतुलन तथा सामाजिक सद्भाव को बनाएं रखने हेतु कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए ।

आगे की राह – अभी तक आम हत्या और भीड़ द्वारा की गयी हत्या को कानून की दृष्टि में सामान माना जाता हैं,आवश्यक हैं की इन दोनों को कानून की दृष्टीसे अलग अलग परिभाषित किया जाए और कठोर दंड का प्रावधान किया जाए।

भीड़ द्वारा की गयी हत्या या मोबलिंचिंग की पहचान कर उसके लिए पोस्को और **NDPS,SC/ST** एक्ट की तरह विशेष और सख्त एवअसरदायक कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाये एवकानूनों का बेहतर क्रियान्वयन करते हुए त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिये।

1. अपराधियों को राजनैतिक शरण नहीं मिलना चाहिये।
2. पुलिस सुधार समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
3. इस तरह की घटनाओं में सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई अफवाहों की बड़ी भूमिका होती है अत: इन पर लगाम लगाने और जागरूकता फैलाने की सख्त जरूरत है।

4. भीड़ द्धारा की गई हत्या की पहचान करनी होगी और फिर उसके बाद इसके अलग से असरदायक कानून बनाना पड़ेगा।

लिंचिंग में संलिप्तलोगो की गिरफ्तारी न होना देश में एक बड़ी समस्या हैं यहाँ न केवल पुलिस व्यवस्था की नाकामी को जागर करता हैं बल्कि अपराधियों को प्रोत्साहन देने का भी कार्य करता हैं।भारत में जनप्रतिनिधियों के नैतिक आचरण को नियंत्रित करने को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं जिसके कारन भारत में निजी हमलेतथा अपमानजनक और नफरत फैलाने वाले भाषण काफी सामान्य हो गये हैं और ये भाषण भी मोबलिंचिंग में बड़ी भूमिका अदा करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Lynch & law :An Investigation into the history of lynching in the United State
2. दृष्टि The vission मोबलिंचिंग और ओनरकिलिंग के विरुद्ध विधेयक राष्ट्रीय मुद्दे मॉबलिंचिंग : कानून और समस्या (Mob Lynching: Law and Problems- ध्येय IAS
3. मोबलिंचिंग विधिक एवं सामाजिक आयाम – डॉ. शीतल प्रसाद मीणा, 2021
4. भारतीय दंड संहिता –परांजपे
5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राजा राम यादव सेंट्रल लॉ एजेंसी।
6. डॉ. एस.के.कपूर मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन।
7. भारतीय संविधान–जे.एन. पाण्डेय
8. मॉबलिंचिंग : (डिवाइड एण्ड रूल का सबसे तत्कालिकऔर नया हथियार ।फर्स्ट पोस्ट,शनिवार,सितंबर 26,2020
9. जागरण Publish Date:Sat] 18 Apr 2020
10. वाल्तेयर RajasthanPatrika
11. मॉबलिंचिंग: कारण और प्रभावद्रष्टि द विजन वेब–www.drashtiias.com
12. BBCHINDINEWS मॉबलिंचिंग: जान से मार देने वाली ये भीड़ कहा से आती है ?शिव विश्वनाथन समाजशास्त्री,4जुलाई2018
13. Moblynching: Adesecration of the Rule of law- TheTimes of India April 21]2020
14. Lynch & law : An Investigation into the history of lynching in the United State
15. मॉबलिंचिंग का समाजशास्त्र web.sociologyguide.com
16. राजस्थान पत्रिका
17. इंडियन एक्सप्रेस
18. दैनिक भास्कर
19. Tehseen S- Poonawalla vs Union Of India on 17 July] 2018
20. aajtak.intoday.com
21. RstvVishesh–Mov Lynching & Social Media Rumours
22. DeshDeshantar: mob Lynching and the law
23. https://www.yourquote.in/tags/moblynching/quotes/savitajha
24. https://www.yourquote.in/tags/moblynching/quotes/Neha Singh
25. https://www.yourquote.in/tags/moblynching/quotes/supriyamishra

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

नीमच एवं मन्दसौर जिले के मध्य मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का तुलनात्मक अध्ययन

रुचि कण्डारा* डॉ. एल.एन. शर्मा **

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राचार्य एवं प्राध्यापक (वाणिज्य) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – उद्यमिता क्या है ? उद्यमी कौन है? ये अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं ? जैसे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उद्यमिता के प्रति उत्सुकता जागृत करते हैं। किसी नये व्यवसाय को आरम्भ करने व उसका संचालन करने में पर्याप्त जोखिम व कड़े प्रयत्न शामिल होते हैं। यह जड़ता के विरुद्ध कुछ नया करने का प्रयास होता है। यह जोखिम उठाने की क्षमता, संसाधानों को उत्पादक कार्यो में लगाने के प्रयास नये विचारों को कार्यरूप देने की ललक तथा भावी चुनौतियों का लाभ उठाने के अवसर प्राप्त करना जैसे उद्यमशीलता के गुणों पर निर्भर करता है।

उद्यमशीलता के कारण ही न केवल नवीन रोजगार अवसरों का सृजन होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होती है तथा राष्ट्र के संसाधानों का समुचित दोहन होता है।

उद्यमशीलता जीवन का एक आवश्यक अंग है। यह मानव जीवन का एक आधारभूत दर्शन एवं स्वभाव है, जो कि व्यक्ति को स्वभावत: 'कर्म' करने हेतु प्रेरित करता है। यह मात्र धान सृजन का एक तरीका ही नहीं है, वरन् व्यक्तित्व विकास एवं समग्र सामाजिक आर्थिक विकास का एक महामन्त्र है, जो आत्मनिर्भरता एवं आत्मसहायता के साथ बेहतर रूप से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है तथा मानवीय प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त मार्ग प्रदान करता है। वस्तुत: उद्यमशीलता एक तकनीक, कौशल एवं चिन्तन के साथ एक जीवन पद्धति भी है। **जोसेफ सुगरमेन** ने ठीक ही कहा है कि, 'उद्यमी वास्तव में आज के समाज का सच्चा नायक है। किसी देश की सफलता का आंकलन करने के लिए उद्यमियों ने नवप्रवर्तन से लेकर कार्य सृजन तक अनेक कार्य किये हैं जो शायद ही किसी एक समूह ने किये हों। वे भावी समाज के सच्चे स्वप्न-द्दष्टा हैं।' उद्यमशीलता राष्ट्र में आय, रोजगार पूँजी निर्माण, उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने वाली तथा जटिल आर्थिक समस्याओं को सहज रूप से सुलझाने वाली एक उत्प्रेरक क्रिया है, जो राष्ट्र के दीर्घकालीन एवं स्थायी आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के अग्रदूत के रूप में विशिष्ट भूमिका निभाती है। जोखिम एवं अनिश्चितताओं का मुकाबला, नये अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता, वातावरण के साथ सतत् समन्वय तथा भावी विकास की दूरदर्शी कल्पना उद्यमशील नेतृत्व पर ही निर्भर होती है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य – किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पीछे किसी उद्देश्य का होना आवश्यक है। ये उद्देश्य ही वे प्रेरक तत्व होते है, जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करते है। बिना उद्देश्य का कार्य मानो बिना किसी गंतव्य स्थान के पते के यात्रा करने के समान होता है। शोध के क्षेत्र में उद्देश्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रत्येक शोधार्थी को अपने मस्तिष्क में अपने शोध के उद्देश्य स्पष्ट करने चाहिए, जिससे कि शोध कार्य अपने विषय से न भटके तथा और अधिक कुशलता से सम्पन्न हो पाए तथा जनहित में योगदान दे पाएं। अपने शोध में शोधार्थी किन कारणों का पता लगाना चाहता है तथा क्या खोजना चाहता है, यह उसे आरंभ से ही स्पष्ट रखना चाहिए तथा उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोध को अंजाम देना चाहिए।

उपर्युक्त शोध-कार्य के प्रस्तुत करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. उद्यमिता के विकास का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करना तथा इसके क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना।
2. समाज के सभी वर्गो को उद्यमिता के लाभ व आवश्यकता की जानकारी प्रदान करना।
3. उद्यमिता विकास की ओर सरकार की भूमिका की जानकारी प्राप्त करना।
4. उद्यमिता विकास में बाधक साबित हो रहे कारकों का पता लगाना तथा उनके निराकरण के संभावित उपायो को खोजना।
5. गत वर्षो का तुलनात्मक अध्ययन करके उद्यमिता विकास की वास्तविक स्थिति एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त करना।
6. उद्यमिता विकास में महिलाओं की भूमिका का पता लगाना तथा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु जानकारी प्रदान करना।
7. उद्यमिता विकास में बैंकों की भूमिका का पता लगाना।
8. जिला उद्योग केन्द्र को हितग्राहियों के वास्तविक समस्याओं से अवगत कराना तथा इस हेतु सुझाव प्रदान करना।
9. शासन के द्वारा लाई जाने वाली नवीन नीतियों में सुधार हेतु जानकारी प्रदान करना।
10. जिला उद्योग केंद्र तथा बैंकों की भूमिका में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना।

शोध परिकल्पना – किसी भी समस्या के संबंध में जो हमारे प्रारंभिक विचार या सामान्य कल्पना होती है,उसे ही शोध क्षेत्र में उपकल्पना का नाम दिया जाता है। उपकल्पना को पूर्व विचार या पूर्व चिंतन भी कहा जाता है। शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न परिकल्पनाएँ शोध का आधार रही है :-

H_1 उद्यमिता विकास में शासकीय योजनाओं की बड़ी भूमिका है।
H_2 युवा वर्ग उद्यमिता तथा स्टार्ट-अप की ओर आकर्षित हो रहा है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

H_3 उद्यमिता विकास के द्वारा समाज के सभी वर्गो का विकास हो रहा है।

शोध प्रविधि :-

1. समंक संकलन- प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण किया गया तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किए गए।

(अ)प्राथमिक संमक । (i) साक्षात्कार अनुसूची (ii) प्रश्नावली (iii) अवलोकन (iv) समूह चर्चा

(इ) द्वितीयक संमक

2. तकनीक व उपकरण - प्रस्तुत शोध कार्य को सटीक व अधिक उपयोगी बनाने के लिए शोध एवं अनुसंधान की विभिन्न तकनीकों व उपकरणों को आवश्यकतानुसार उपयोग किया गया है जिसमें कि साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन, समूह चर्चा आदि का उपयोग किया गया है। द्वितीयक समंकों की सहायता से शोध को तुलनात्मक रुप से भी स्वजाँचित किया गया है। सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग कर परिकल्पनाओं की यथार्थता का परीक्षण किया गया है। शोध प्रतिवेदन का प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु आँकड़ों का सारणीयन श्रेणीयन किया गया है तथा समय-समय पर ग्राफ्स तथा फोटोग्राफी का उपयोग कर तथ्यों का सरलीकरण किया गया है।

3. समंक का विश्लेषण एवं सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग- नीमच एवं मदंसौर जिले में उद्यमिता विकास से संबंधित रोजगारमूलक योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् समंकों का विश्लेषण करने हेतु समंकों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण किया गया। उसके पश्चात् समंकों पर सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग करने हेतु शोध एवं अनुसंधान से संबंधित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एस.पी.एस.एस. पैकेज का प्रयोग किया गया, जिससे कि संकलित आँकड़ों को आरेखीय प्रस्तुतिकरण में परिवर्तित किया जा सके। आँकड़ों का सारणीकरण भी किया गया।

शोध व्याख्या - मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का परिचय

1. योजना का नाम । मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

2. योजना का प्रारम्भ । 01 अगस्त, 2014

3. योजना का उद्देश्य । योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारण्टी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा।

4. योजना का क्रियान्वयन - योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से योजना को क्रियान्वित किया जावेगा।

5. पात्रता

5.1 योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।

5.2 आवेदक :-

5.2.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

5.2.2 न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

5.2.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।

5.2.4 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्त्ता/अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए।

5.2.5 यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

5.2.6 यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

5.2.7 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

5.3 योजना केवल उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE अंतर्गत बैंक ऋण गांरटी के लिए पात्र है, के लिए मान्य होगी, परन्तु व्यापारिक गतिविधियाँ, समस्त प्रकार के वाहन, भैंस पालन, पशु पालन एवं कुक्कुट पालन संबंधी परियोजनाओं को पात्रता नहीं होगी।

6. वित्तीय सहायता:

6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 10 लाख से अधिकतम रूपये 02 करोड़ होगी।

6.2 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 12 लाख) तथा बीपीएल हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 18 लाख) देय होगी।

6.3 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से, अधिकतम 7 वर्ष तक (अधिकतम रुपये 5 लाख प्रतिवर्ष) ब्याज-अनुदान देय होगा।

6.4 इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

7. आवेदन प्रक्रिया :

7.1 आवेदक द्वारा एमपी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सहपत्रों सहित ऑनलाईन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

7.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु आवेदक को सूचित किया जाएगा।

7.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।

8. आवेदन पत्रों का निराकरण :

8.1 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा बैंक में प्राप्त आवेदन पत्र तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन योजनान्तर्गत गठित जिला टास्क फोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जावेगें।

8.2 आवेदन पत्रों निराकरण एवं समीक्षा के लिए निम्नानुसार जिला टास्क फोर्स समिति गठित होगी।

a) संबंधित विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख - अध्यक्ष

b) जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक/प्रतिनिधि - सदस्य

c) कोई एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि - सदस्य

d) सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान, इन्दौर का प्रतिनिधि - सदस्य

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

e) परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण - सदस्य
f) संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि - सदस्य
g) आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि - सदस्य
h) महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र - सदस्य-सचिव

टीप- आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/ संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

8.3 जिला टास्क फोर्स समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणों को निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जावेगा।

8.4 उद्योग एवं सेवा संबंधित इकाई के लिये गारण्टी, ऋण गारण्टी निधि योजना (क्रेडिट गारण्टी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेस) के माध्यम से दी जावेगी। अत: बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (Collateral Security) की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी।

8.5 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं. RBI/FIDD/2017-18/56 Master Direction FIDD.MSME & NFS. 12/06/02.31/2017-18 दिनांक 24 जुलाई 2017 की कंडिका 5.4 में बैंकिंग कोड्स एण्ड स्टेण्डर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा (रु. 5 लाख तक का प्रकरण दो सप्ताह में, रु. 5 लाख से अधिक एवं रु. 25 लाख तक का प्रकरण तीन सप्ताह में तथा रु. 25 लाख से अधिक का प्रकरण छ: सप्ताह में) के अंतर्गत ही प्रकरणों का निराकरण किया जाना चाहिए।

8.6 प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक के द्वारा ऋण वितरण (disbursement) प्रारंभ किया जावेगा।

8.7 योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय की समीक्षा जिला टास्क फोर्स समिति के द्वारा की जावेगी।

9. प्रशिक्षण :

9.1 योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात् उद्यमी के विकल्प पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण शासन के द्वारा दिया जावेगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जावेंगे।

9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित आवेदक को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

10. मार्जिन मनी सहायता एवं ऋण अदायगी :

10.1 सामान्य वर्ग हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 12 लाख) तथा बीपीएल हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 18 लाख) देय होगी तथा शेष मार्जिन मनी हितग्राही को स्वयं जमा करनी होगी।

10.2 आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।

10.3 आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद ऋण अदायगी 5 से 7 वर्षों के बीच होगी।

टीप -आस्थगन के संबंध में बैंकों के द्वारा प्रयास होगा कि वो अधिक से अधिक समय नियत करें लेकिन यह अवधि कम से कम 6 माह की अवश्य हो। अवधि के संबंध में बैंकों एवं हितग्राही द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिए और बैंकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि ऋण चुकाने की अवधि अधिक से अधिक हो अर्थात् 7 वर्ष तक हो।

11. वित्तीय प्रवाह :

11.1 बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् परियोजना की पूंजीगत लागत पर बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी सहायता एवं ब्याज अनुदान की राशि क्लेम किया जावेगा। इस हेतु प्रदेश के लीड बैंकों के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल एकाउंट (Pool Account) खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जाएगी। बैंक योजनांतर्गत राशि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण संबंधित नोडल बैंक को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे।

11.2 ऋण वितरण एवं इकाई स्थापित होने के पश्चात् उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किए जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंक से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

11.3 ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे।

12 परिभाषाएँ :

12.1 पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है।

12.2 परियोजना की स्थापना में हितग्राही के अंशदान तथा शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा, मार्जिन मनी सहायता कहलाती है।

12.3 परियोजना में उपयोग किए जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य पूंजीगत लागत है।

12.4 क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फार माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेस योजना अंतर्गत शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा गारण्टी शुल्क कहलाती है।

12.5 उद्यम प्रारंभ करने के 6 माह पश्चात, ऋण वसूली की कार्यवाही आरंभिक स्थगन कहलाती है।

12.6 परिवार से आशय :

12.6.1 आवेदक के अविवाहित होने पर माता-पिता एवं अविवाहित एवं आश्रित भाई-बहन से है।

12.6.2 आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों से है।

नीमच एवं मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना - नीमच एवं मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का वर्गो के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन वर्ष 2014-15 से 2018-19

तालिका 01 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सर्वेक्षित तालिका क्रं. 01 के आधार पर नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का विभिन्न वर्गो (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) के आधार पर, वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक, तुलनात्मक अध्ययन करने पर निम्नलिखित बिंदु ज्ञात हुए है :-

1. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य सामान्य वर्ग के हितग्राहियों की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में सामान्य वर्ग के 6 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में वर्ष 2014-15 के आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण हितग्राहियों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकी है। अत: उक्त वर्ष में नीमच एवं मंदसौर जिलों के मध्य हितग्राहियों की तुलना नहीं की जा सकती है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में सामान्य वर्ग के 13 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 14 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 01 हितग्राही अधिक है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में सामान्य वर्ग के 15 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 20 हितग्राही है

अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 05 हितग्राही अधिक है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में सामान्य वर्ग के 10 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 12 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 02 हितग्राही अधिक है।

वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में सामान्य वर्ग के 06 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 09 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 03 हितग्राही अधिक है।

2. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 04 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में वर्ष 2014-15 के आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण हितग्राहियों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकी है। अत: उक्त वर्ष में नीमच एवं मंदसौर जिलों के मध्य हितग्राहियों की तुलना नहीं की जा सकती है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 07 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 12 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 05 हितग्राही अधिक है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 06 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 14 हितग्राही अधिक है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 08 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 01 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में नीमच जिले में 07 हितग्राही अधिक है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 08 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 07 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में नीमच जिले में 01 हितग्राही अधिक है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले में कुल 33 तथा वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के चार वर्षो में मंदसौर जिले में कुल 40 अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही हुए है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 07 युवाओं ने अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाया है तथा नीमच एवं मंदसौर जिले में पिछड़ा वर्ग के कुल 73 हितग्राहियों में नीमच जिले में 45.20 प्रतिशत तथा मंदसौर जिले में 54.80 प्रतिशत युवा उद्यमी है। इस प्रकार मंदसौर जिले में 9.60 प्रतिशत हितग्राही अधिक है।

3. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य अनुसूचित जाति के हितग्राहियों की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच एवं मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के कोई भी हितग्राही नहीं है। अत: उक्त वर्ष में नीमच एवं मंदसौर जिलों के मध्य हितग्राहियों की तुलना का परिणाम शून्य है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अनुसूचित जाति के 00 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के 04 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में हितग्राही अधिक है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अनुसूचित जाति के 01 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के 02 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 01 हितग्राही अधिक है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच एवं मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के कोई भी हितग्राही नहीं है। अत: उक्त वर्ष में नीमच एवं मंदसौर जिलों के मध्य हितग्राहियों की तुलना का परिणाम शून्य है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच एवं मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के कोई भी हितग्राही नहीं है। अत: उक्त वर्ष में नीमच एवं मंदसौर जिलों के मध्य हितग्राहियों की तुलना का परिणाम शून्य है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले में कुल 01 तथा वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के चार वर्षो में मंदसौर जिले में कुल 06 अनुसूचित जाति के हितग्राही हुए है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के 05 युवाओं ने अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाया है तथा नीमच एवं मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के कुल 07 हितग्राहियों में नीमच जिले में 14.30 प्रतिशत तथा मंदसौर जिले में 85.70 प्रतिशत युवा उद्यमी है। इस प्रकार मंदसौर जिले में 71.40 प्रतिशत हितग्राही अधिक है।

4. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों की तुलना करने पर :-

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच एवं मंदसौर जिले में अनुसूचित जनजाति के किसी भी युवा द्वारा योजना का लाभ नहीं लिया गया है। अत: यहाँ तुलना करने के लिए कोई आधार नहीं है।

5. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य कुल हितग्राहियों की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में कुल 10 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में वर्ष 2014-15 के आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण हितग्राहियों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकी है। अत: उक्त वर्ष में नीमच एवं मंदसौर जिलों के मध्य कुल हितग्राहियों की तुलना नहीं की जा सकती है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में कुल 20 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में कुल 30 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में कुल 10 हितग्राही अधिक है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में कुल 22 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में कुल 42 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में कुल 20 हितग्राही अधिक है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में कुल 18 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में कुल 13 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में नीमच जिले में कुल 05 हितग्राही अधिक है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में कुल 14 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में कुल 16 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में कुल 02 हितग्राही अधिक है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले में कुल 84 हितग्राही तथा वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के चार वर्षो में मंदसौर जिले में कुल 101 हितग्राही हुए है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले में कुल 17 हितग्राही अधिक रहे है तथा नीमच एवं मंदसौर जिले में कुल 185 हितग्राहियों में नीमच जिले में 45.40 प्रतिशत तथा मंदसौर जिले में 54.60 प्रतिशत युवा उद्यमी है। इस प्रकार मंदसौर जिले में 9.20 प्रतिशत हितग्राही अधिक है।

नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य कुल हितग्राहियों का अध्ययन
वर्ष 2014-15 से 2018-19
आरेख 6.1.5

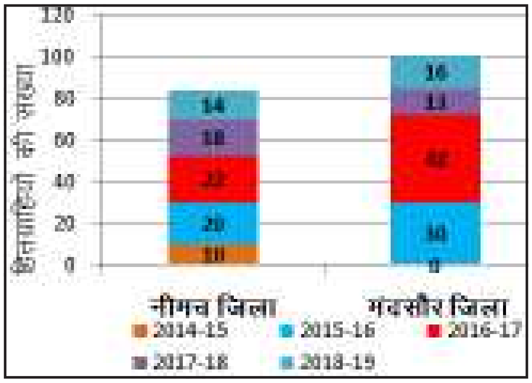

तालिका 02 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सर्वेक्षित तालिका क्रं. 02 के आधार पर नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर, वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक, तुलनात्मक अध्ययन करने पर निम्नलिखित बिंदु ज्ञात हुए है :-

1. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 567 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि मंदसौर जिले में आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण हितग्राहियों के लिए स्वीकृत राशि ज्ञात नहीं की जा सकी है। अत: उक्त वर्ष में दोनों जिलों के मध्य स्वीकृत राशि की तुलना नहीं की जा सकती है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 1000.84 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 540.07 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है अर्थात मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए 460.77 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 887 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है,जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 998.95 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 111.95 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 752 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 331.96 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है अर्थात मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए 420.04 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 335 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 509.08 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 174.08 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए कुल 3541.84 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के चार वर्षो में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए कुल 2380.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए 1164.84 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

2. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य बैंकों द्वारा वितरित राशि की तुलना करने पर:-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 567 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जबकि मंदसौर जिले में आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण हितग्राहियों के लिए वितरित राशि ज्ञात नहीं की जा सकी है। अत: उक्त वर्ष में दोनों जिलों के मध्य वितरित राशि की तुलना नहीं की जा सकती है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 1000.84 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 540.07 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है अर्थात मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए 460.77 लाख रुपये अधिक वितरित किए गए है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 887 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 446.85 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है अर्थात मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए 440.15 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 752 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 327.91 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है अर्थात मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए 424.09 लाख रुपये अधिक वितरित किए गए है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 295 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 487.41 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 192.41 लाख रुपये अधिक वितरित किए गए है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए कुल 3501.84 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जबकि वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के चार वर्षो में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए कुल 1802.24 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए 1699.60 लाख रुपये अधिक वितरित किए गए है।

3. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य लक्ष्य प्राप्ति के प्रतिशत के आधार पर तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 प्रतिशत है, जबकि मंदसौर जिले में आँकड़ो की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत ज्ञात नहीं किया जा सका है। अत: उक्त वर्ष में दोनों जिलों के मध्य लक्ष्य प्राप्ति के प्रतिशत की तुलना नहीं की जा सकती है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में स्वीकृत राशि

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

का शत-प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 प्रतिशत है तथा मंदसौर जिले में भी स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् मंदसौर जिले में भी लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 प्रतिशत है। अत: उक्त दोनों जिलों में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत समान है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 प्रतिशत है, जबकि मंदसौर जिले में स्वीकृत राशि का 44.73 प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 55.27 प्रतिशत अधिक है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 प्रतिशत है, जबकि मंदसौर जिले में स्वीकृत राशि का 98.78 प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 1.22 प्रतिशत अधिक है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में स्वीकृत राशि का 88 प्रतिशत वितरण किया गया है, जबकि मंदसौर जिले में स्वीकृत राशि का 95.74 प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 7.74 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 98.87 प्रतिशत रहा है, जबकि वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के चार वर्षो में मंदसौर जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 75.72 प्रतिशत रहा है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 23.15 प्रतिशत अधिक रहा है, जबकि नीमच जिले की अपेक्षा मंदसौर जिले में हितग्राहियों की संख्या अधिक है।

नीमच एवं मंदसौर जिले के बैंकों मध्य लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत का अध्ययन
वर्ष 2014-15 से 2018-19
आरेख 6.3.3

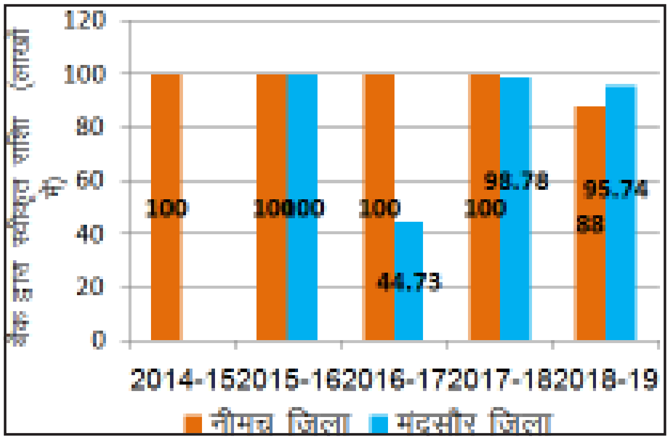

शोध के निष्कर्ष – मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के जाँच परिणाम एवं निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध के अंतर्गत अध्याय तृतीय में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक नीमच एवं मंदसौर जिले में विभिन्न वर्गो के आधार पर, लिंग के आधार पर तथा बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है, जिनके परिणाम एवं निष्कर्ष इस प्रकार है :-

1. **विभिन्न वर्गो के आधार पर नीमच जिले के परिणाम** – वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक नीमच जिले में कुल 84 हितग्राही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए है।

i) **वर्ष 2014-15** में कुल 10 हितग्राही हुए है, जिसमें 06 सामान्य वर्ग के तथा 04 पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का कोई भी लाभार्थी नहीं है।

ii) इसी प्रकार **वर्ष 2015-16** में कुल 20 हितग्राहियों में से 13 लाभार्थी सामान्य वर्ग के तथा 07 लाभार्थी पिछड़ा वर्ग के है। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कोई भी लाभार्थी नहीं है।

iii) **वर्ष 2016-17** में कुल 22 युवाओं ने नीमच जिले में योजना का लाभ उठाया है, जिसमें कि सामान्य वर्ग के 15, पिछड़ा वर्ग के 06, अनुसूचित जाति के 01 हितग्राहियों की भागीदारी रही है। अनुसूचित जनजाति के कोई भी लाभार्थी इस वर्ष भी नहीं है।

iv) **वर्ष 2017-18** में जिले में कुल 18 हितग्राही हुए जिसमें से 10 सामान्य वर्ग के व 08 पिछड़ा वर्ग के है। इस वर्ष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कोई भी हितग्राही नहीं है।

v) **वर्ष 2018-19** में जिले में कुल 14 युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिसमें 06 सामान्य वर्ग के युवा है व 08 पिछड़ा वर्ग के युवा है। इस वर्ष भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कोई लाभार्थी नहीं है।

2. **विभिन्न वर्गो के आधार पर नीमच जिले के निष्कर्ष –** नीमच जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक सबसे अधिक सामान्य वर्ग के 59.52 प्रतिशत युवाओं ने योजना का लाभ उठाया है तथा पिछडा वर्ग के 39.28 प्रतिशत युवाओं ने योजना का लाभ उठाया है परन्तु जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों की स्थिति विचारणीय व चिंताजनक रही है। योजना के पाँच वर्षो में अनुसूचित जाति के केवल 01 हितग्राही रहे है, जबकि अनुसूचित जनजाति के कोई भी हितग्राही नहीं है।

3. **बैंको द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर नीमच जिले के परिणाम –**

1) वर्ष 2014-15 के लिए 567 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई व 567 लाख रुपये का वितरण बैंकों द्वारा किया गया। लक्ष्य प्राप्ति 100 प्रतिशत रहा।

2) वर्ष 2015-16 में 1000.84 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जबकि बैंकों द्वारा 1000.84 लाख रुपये का वितरण किया गया। लक्ष्य प्राप्ति 100 प्रतिशत रहा।

3) वर्ष 2016-17 के लिए 887 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई व 887 लाख रुपये का वितरण बैंक द्वारा किया गया। लक्ष्य प्राप्ति 100 प्रतिशत रहा।

4) वर्ष 2017-18 के लिए 752 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई किंतु 752 लाख रुपये का वितरण बैंक द्वारा किया गया। लक्ष्य प्राप्ति 100 प्रतिशत रहा।

5) वर्ष 2018-19 में बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि 335 लाख रुपये थी, जबकि उक्त अवधि में 295 लाख रुपये ही हितग्राहियों को वितरित हो सके इस प्रकार लक्ष्य से 88 प्रतिशत ही राशि का वितरण हो पाया।

4. बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर नीमच जिले के निष्कर्ष - वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 तक नीमच जिले में बैंकों द्वारा 3541.84 लाख रुपये स्वीकृत हुई किंतु 3501.84 लाख रुपये का ही वितरण बैंकों द्वारा किया गया। जो लक्ष्य का 98.87 प्रतिशत था।

5. विभिन्न वर्गो के आधार पर मन्दसौर जिले के परिणाम- वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक मन्दसौर जिले में कुल 101 हितग्राही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए है।

i) **वर्ष 2015-16** में कुल 30 हितग्राहियों में से 14 लाभार्थी सामान्य वर्ग के, 12 लाभार्थी पिछड़ा वर्ग के एवं 04 लाभार्थी अनुसूचित जाति के है। अनुसूचित जनजाति के कोई भी लाभार्थी नहीं है।

ii) **वर्ष 2016-17** में कुल 42 युवाओं ने नीमच जिले में योजना का लाभ उठाया है, जिसमें कि सामान्य वर्ग के 20, पिछड़ा वर्ग के 20, अनुसूचित जाति के 02 हितग्राहियों की भागीदारी रही है। अनुसूचित जनजाति के कोई भी लाभार्थी इस वर्ष भी नहीं है।

iii) **वर्ष 2017-18** में जिले में कुल 13 हितग्राही हुए, जिसमें से 12 सामान्य वर्ग के व 01 पिछड़ा वर्ग के है। इस वर्ष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कोई भी हितग्राही नहीं है।

iv) **वर्ष 2018-19** में जिले में कुल 16 युवाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिसमें 09 सामान्य वर्ग के युवा है व 07 पिछड़ा वर्ग के युवा है। इस वर्ष भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कोई लाभार्थी नहीं है।

6. विभिन्न वर्गो के आधार पर मन्दसौर जिले के निष्कर्ष - मन्दसौर जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक सबसे अधिक सामान्य वर्ग के 54.45 प्रतिशत युवाओं ने योजना का लाभ उठाया है तथा पिछडा वर्ग के 39.60 प्रतिशत युवाओं ने योजना का लाभ उठाया है परन्तु जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों की स्थिति विचारणीय व चिंताजनक रही है। योजना के पाँच वर्षो में अनुसूचित जाति के केवल 06 हितग्राही रहे है, जबकि अनुसूचित जनजाति के कोई भी हितग्राही नहीं है।

7. बैंको द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर मन्दसौर जिले के परिणाम -

i) वर्ष 2015-16 में 540.07 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जबकि बैंकों द्वारा 540.07 लाख रुपये का वितरण किया गया। लक्ष्य प्राप्ति 100 प्रतिशत रहा।

ii) वर्ष 2016-17 के लिए 998.95 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई व 446.85 लाख रुपये का वितरण बैंक द्वारा किया गया। लक्ष्य प्राप्ति 44.73 प्रतिशत रहा।

iii) वर्ष 2017-18 के लिए 331.96 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई किंतु 327.91 लाख रुपये का वितरण बैंक द्वारा किया गया। लक्ष्य प्राप्ति 98.78 प्रतिशत रहा।

iv) वर्ष 2018-19 में बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि 509.08 लाख रुपये थी, जबकि उक्त अवधि में 487.41 लाख रुपये ही हितग्राहियों को वितरित हो सके इस प्रकार लक्ष्य से 95.74 प्रतिशत ही राशि का वितरण हो पाया।

8. बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर मन्दसौर जिले के निष्कर्ष - वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-2019 तक मन्दसौर जिले में बैंकों द्वारा 2380 लाख रुपये स्वीकृत हुए किंतु 1802.24 लाख रुपये का ही वितरण बैंकों द्वारा किया गया। जो लक्ष्य का 75.72 प्रतिशत था।

शोध की समस्याएँ - मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की समस्याएँ:

1. जिला उद्योग केंद्र व बैंकों के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आवेदकों से रुखा व्यवहार किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय बार-बार बुलाना, चिढ़कर जवाब देना, टालमटोली करना आदि के द्वारा हतोत्साहित किया जाता है।
2. जिला उद्योग केन्द्र से परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करवाने हेतु चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट के द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन ही मान्य होता है, जिसके कारण अतिरिक्त धन व समय का अपव्यय होता है।
3. हितग्राहियों को कम्प्यूटर का व नयी तकनीक का अल्प ज्ञान होने के कारण ऑनलाईन आवेदन करने में समस्या आती है, जिस हेतु जिला उद्योग केंद्र द्वारा हेल्पडेस्क उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
4. जो हितग्राही स्वयं से ऑनलाईन आवेदन करना चाहते है लेकिन आवेदन का प्रारुप जटिल होने के कारण वे आवेदन पूर्ण नहीं कर पाते है।
5. परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करने में जिला उद्योग केंद्र द्वारा काफी समय लगाया जाता है तथा इसके कारण हितग्राहियों को बार-बार जिला उद्योग केंद्र से चक्कर लगाने पड़ते है।
6. परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करने के पश्चात् जिला उद्योग केंद्र का कार्य पूरा हो जाता है। उनके द्वारा आगे की प्रक्रिया जैसे कि बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करवाने, उद्यम स्थापित करवाने व उसे सफलतापूर्वक संचालित करवाने में कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जाती है। जिसके कारण हितग्राहियों को बैंकों के भी चक्कर लगाने पड़ते है।
7. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में यह स्पष्टतया: व्यक्त है कि बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्यूरिटी की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी परंतु व्यावहारिक रुप में सत्य इसके विपरीत है। कोई भी बैंक बिना गारण्टी अथवा कोलेटरल सिक्यूरिटी के ऋण स्वीकृत नहीं करता है।
8. जिला उद्योग केंद्र एवं बैंकों द्वारा हितग्राहियों को आवेदन के साथ लगाये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी एक ही बार में नहीं दी जाती है तथा हर बार उनसे किसी भी अन्य प्रपत्र की मांग कर ली जाती है, जिसके कारण वे हताश व मानसिक रुप से परेशान हो जाते है।
9. योजना में स्वीकृत ऋण के ऊपर मिलने वाली छूट/सब्सिडी का लाभ आवेदकों को समय पर नहीं मिलता है जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त ब्याज भरना पड़ता है तथा कई बार बैंक के और कुछ विशिष्ट प्रकरणों में बैंक मुख्यालय के भी चक्कर लगाने पड़ते है।
10. जिला उद्योग केंद्र द्वारा नये उद्यमियों को ऋण देने के बजाय प्रोफेशनल्स या पूर्व से स्थापित उद्यमों को ऋण देने में प्राथमिकता अधिक दी जाती है।

शोध के सुझाव - मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के सुझाव:

1. जिला उद्योग केंद्र व बैंकों के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आवेदकों के साथ सद्भाव एवं शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें बार-बार बुलाना, चिढ़कर जवाब देना, टालमटोली करना आदि न करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से सुनकर, समझकर उचित कार्यवाही की जाना चाहिए।
2. परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाने हेतु चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट जिला उद्योग केंद्रों द्वारा ही नियुक्त किया जाना चाहिए एवं आवेदकों हेतु उसका

न्यूनतम निश्चित शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे कि आवेदकों के धन व समय के अपव्यय की रोक हो।

3. जिला उद्योग केंद्र द्वारा हेल्पडेस्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए एवं आवेदन जिला उद्योग केंद्रों पर ही भरवाए जाने चाहिए।

4. आवेदन का प्रारुप सरल किया जाना चाहिए ताकि जो आवेदक स्वयं से ऑनलाईन आवेदन करना चाहते है, वो आसानी से आवेदन कर सके।

5. परियोजना प्रतिवेदन को जिला उद्योग केंद्र द्वारा कम से कम समयावधि में स्वीकृत किया जाना चाहिए है तथा आवेदन की स्थिति की जानकारी समय-समय पर आवेदक के मोबाईल पर मैसेज या व्हाट्सएप या कॉल पर दी जानी चाहिए, जिससे की बार-बार जिला उद्योग केंद्र से चक्कर लगाने से बच सके।।

6. परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करने के पश्चात् भी जिला उद्योग केंद्रों को अपनी भागीदारी की सीमा को बढ़ाना चाहिए। प्रतिवेदन स्वीकृत होने के पश्चात् आवेदक को बैंक से समय पर ऋण मिल जाए इसमें भी आवेदक की सहायता करनी चाहिए तथा आवेदक के उद्यम स्थापित कर उसे सफलतापूर्वक संचालित करने तक जिला उद्योग केंद्र को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

7. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में यह स्पष्टतया: व्यक्त है कि बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्यूरिटी की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी परंतु कोई भी बैंक बिना गारण्टी अथवा कोलेटरल सिक्यूरिटी के ऋण स्वीकृत नहीं करता है। अत: इस संबंध में बैंकों के द्वारा शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

8. जिला उद्योग केंद्र एवं बैंकों द्वारा आवेदकों को आवेदन के साथ लगाए जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी अथवा सूची व्यक्तिगत रुप से दी जाना चाहिए। जिससे कि आवेदक बार-बार बैंकों एवं जिला उद्योग केंद्र के चक्कर लगाने से बच सके।

9. योजना में स्वीकृत ऋण के ऊपर मिलने वाली छूट/सब्सिडी का लाभ आवेदकों को समय पर मिलना चाहिए ।

10. जिला उद्योग केंद्रों व बैंकों द्वारा नये उद्यमियों को ऋण देने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नये उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. रमेश मंगल एंव डॉ. अशोक तिवारी, 2012, 'उद्यमिता विकास' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स
2. अग्रवाल, ए. एन., चतुर्थ संस्करण, 'उद्यमी उद्योग एवं स्वरोजगार', उद्यमिता विकास केन्द्र, भोपाल
3. जी. एस. सुधा., 'व्यावसायिक उद्यमिता', 2007 रमेश बुक डिपों, जयपुर
4. इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, मुम्बई
5. सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास द्वारा संचालित MYUY's/MSY उद्योग संचालनालय, म.प्र.
6. https://msme.gov.in
7. yojana.gov.in
8. नवीन शोध संसार ISSN 2320-8767 Impact Factor 5.610 (2018) (International)
9. दिव्य शोध समीक्षा ISSN 2394-3807 Impact Factor 5.190 (2018) (International)
10. www.inflibnet.ac.in
11. www.India.gov.in
12. www.mpinfo.org

नीमच एवं मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का वर्गो के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन वर्ष 2014-15 से 2018-19 तालिका 01

नीमच जिला							मन्दसौर जिला						
क्रं.	वर्ष	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनु. जाति	अनु.जन जाति	कुल हितग्राही	क्रं.	वर्ष	सामान्य	पिछड़ा वर्ग	अनु. जाति	अनु.जन जाति	कुल हितग्राही
1	2014-15	06	04	-	-	**10**	1	2014-15	-	-	-	-	**-**
2	2015-16	13	07	-	-	**20**	2	2015-16	14	12	04	-	**30**
3	2016-17	15	06	01	-	**22**	3	2016-17	20	20	02	-	**42**
4	2017-18	10	08	-	-	**18**	4	2017-18	12	01	-	-	**13**
5	2018-19	06	08	-	-	**14**	5	2018-19	09	07	-	-	**16**
	कुल	**50**	**33**	**01**	-	**84**		**कुल**	**55**	**40**	**06**	-	**101**

स्त्रोत :- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच एवं मंदसौर

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

नीमच एवं मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन वर्ष 2014-15 से 2018-19 तालिका 02

नीमच जिला				मन्दसौर जिला			
वर्ष	बैंक द्वारा स्वीकृत राशि(लाखों में)	बैंक द्वारा वितरित राशि(लाखों में)	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत	वर्ष	बैंक द्वारा स्वीकृत राशि(लाखों में)	बैंक द्वारा वितरित राशि(लाखों में)	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
2014-15	567.00	567.00	100	2014-15	-	-	-
2015-16	1000.84	1000.84	100	2015-16	540.07	540.07	100
2016-17	887.00	887.00	100	2016-17	998.95	446.85	44.73
2017-18	752.00	752.00	100	2017-18	331.96	327.91	98.78
2018-19	335.00	295.00	88	2018-19	509.08	487.41	**95.74**
कुल	**3541.84**	**3501.84**	**98.87**	**कुल**	**2380.00**	**1802.24**	**75.72**

स्रोत :- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच एवं मंदसौर

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

एकांकी एवं संयुक्त परिवारों की किशोरियों के कुपोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. मीता श्रीवास्तव* डॉ. मंजू दुबे**

* प्रवक्ता, हनुमान प्रसाद रस्तोगी, गर्ल्स इन्टर कॉलेज, सुभाष मार्ग, लखनऊ (उ.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शा.क.रा.क.स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर(म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – 'विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या विकराल है। इसका प्रमुख कारण गरीबी है। धन के अभाव में गरीब लोग पर्याप्त पौष्टिक चीजों जैसे दूध, फल, घी इत्यादि नहीं खरीद पाते। कुछ तो केवल अनाज से पेट भर पाते हैं। लेकिन गरीबी के साथ ही अज्ञानता व निरक्षता भी इसका बड़ा कारण है।'[1] 'भारत में हर साल कुपोषण से पाँच साल से कम उम्र के दस लाख बच्चों की मौत हो जाती है। इन मौतों में से अकेले हर साल 3.8 लाख मौतें उत्तरप्रदेश में हो रही हैं।'[2] 'बच्चों में कुपोषण की स्थिति को सुधारने के लिए पूरे देश में पोषण पुर्नवास केन्द्र चलाये जाते हैं। इन केन्द्रों में उन अति कुपोषित बच्चों को रखा जाता है जिन्हें क्लीनिकल उपचार की जरूरत होती है। इन बच्चों को केन्द्र पर रखकर 14 दिन तक निशुल्क दवाई और विशेष आहार दिया जाता है। साथ ही माँ को दैनिक भत्ता, खाना और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित सलाह दी जाती है। सितम्बर के महीने में पोषण माह के दौरान उत्तरप्रदेश में 6 साल तक के 15 लाख से अधिक कुपोषित बच्चे मिले। इनमें से 1.88 लाख बच्चे अति कुपोषित पाये गये। अति कुपोषित बच्चों में से 2,823 को उपचार के लिये पोषण पुर्नवास केन्द्र भेजा गया।'[3] 'विश्व स्तर पर किये गये एक ताजा शोध में दुनियाँ की हर पाँचवी मौत में से एक मौत के लिये खानपान की गुणवत्ता और उनमें पोषक तत्वों की कमी को जिम्मेदार बताया है।'[4] पारिवारिक संरचना भी बच्चों के पोषण स्तर को प्रभावित कर सकती है। एकांकी एवं संयुक्त परिवारों में बच्चों का पोषण भिन्न होता है। दोनों प्रकार के परिवारों के बच्चों में कुपोषण की स्थिति ज्ञात करने हेतु मैंने अपने शोध का विषय 'एकांकी एवं संयुक्त परिवारों की किशोरियों के कुपोषण का तुलनात्मक अध्ययन' चुना है।

उद्देश्य:

1. एकांकी परिवारों की किशोरियों के कुपोषण स्तर का अध्ययन करना।
2. संयुक्त परिवारों की किशोरियों के कुपोषण स्तर का अध्ययन करना।
3. एकांकी एवं सयुंक्त परिवारों की किशोरियों के कुपोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना– शोध अध्ययन हेतु निम्नानुसार शून्य परिकल्पना निर्मित की गई है–'लखनऊ शहर के एकांकी एवं संयुक्त परिवारों की किशोरियों के कुपोषण स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।'

शोध प्रविधि– शोध अध्ययन हेतु लखनऊ शहर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं में अध्ययनरत् 17-18 वर्ष की किशोरियाँ अध्ययन का समग्र हैं। निदर्श का चयन करने हेतु सविचार निदर्शन विधि से 150 शासकीय एवं 150 अशासकीय विद्यालयों से कुल 300 किशोरियों का चयन किया गया है। कुपोषण स्तर ज्ञात करने के लिये मानवमिति परीक्षण का उपयोग किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–परीक्षण का उपयोग किया गया है।

वर्गीकरण एवं सारणीयन– शोध अध्ययन से संकलित तथ्यों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है:

तालिका क्रमांक – 1: पारिवारिक संरचना के अनुसार किशोरियों का वर्गीकरण

पारिवारिक संरचना	संख्या	प्रतिशत
एकांकी परिवार	244	81.33
संयुक्त परिवार	56	18.67
योग	300	100.0

तालिका क्रमांक–1 में सर्वेक्षित किशोरियों का उनकी पारिवारिक संरचना के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 244(81.33%) किशोरियाँ एकांकी परिवारों की तथा 56(18.67%) तथा संयुक्त परिवारों की पाई गई हैं। इस प्रकार एकांकी परिवारों की किशोरियों का प्रतिशत संयुक्त परिवारों की किशोरियों के प्रतिशत की तुलना में अधिक पाया गया है।

तालिका क्रमांक–2: एकांकी परिवारों की किशोरियों का कुपोषण स्तर

वजन (कि.ग्रा.)	संख्या	प्रतिशत
80% व अधिक (सामान्य)	122	50.00
70-80% (प्रथम डिग्री कुपोषण)	88	36.06
60-70% (द्वितीय डिग्री कुपोषण)	30	12.29
50-60% (तृतीय डिग्री कुपोषण)	04	01.63
50% से कम (चतुर्थ डिग्री कुपोषण)	-	-
योग	244	100.0

तालिका क्रमांक–2 में एकांकी परिवारों की किशोरियों का कुपोषण स्तर प्रदर्शित किया गया है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 122(50.0%)किशोरिया का स्वास्थ्य सामान्य है वे कुपोषण ग्रसित नहीं है। कुपोषण ग्रसित किशोरियों में 88(36.06%) किशेरियाँ प्रथम डिग्री कुपोषण से ग्रसित हैं। 30(12.29%) किशोरियाँ द्वितीय डिग्री कुपोषण से ग्रसित हैं तथा 04(1.63%) किशोरियाँ तृतीय डिग्री कुपोषण से ग्रसित हैं। चतुर्थ डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों की संख्या निरंक है।

तालिका क्रमांक–3: संयुक्त परिवारों की किशोरियों का कुपोषण स्तर

वजन (कि.ग्रा.)	संख्या	प्रतिशत
80% व अधिक (सामान्य)	38	67.85
70-80% (प्रथम डिग्री कुपोषण)	07	12.50
60-70% (द्वितीय डिग्री कुपोषण)	05	08.92
50-60% (तृतीय डिग्री कुपोषण)	06	10.71
50% से कम (चतुर्थ डिग्री कुपोषण)	00	00.00
योग	56	100.0

तालिका क्रमांक-3 में लखनऊ शहर के संयुक्त परिवारों की सर्वेक्षित 56 किशोरियों का कुपोषण स्तर प्रदर्शित किया गया है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि संयुक्त परिवारों में अधिकांश किशोरियाँ 38(67.85%) कुपोषण ग्रसित नहीं हैं। उनका स्वास्थ्य सामान्य है। 07(12.50%) किशोरियाँ प्रथम डिग्री कुपोषण से ग्रसित हैं। 5(8.92%) किशोरियाँ द्वितीय डिग्री कुपोषण से ग्रसित हैं तथा 06(10.71%) किशोरियाँ तृतीय डिग्री कुपोषण से ग्रसित हैं। चतुर्थ डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों की संख्या निरंक है।

तालिका क्रमांक-4: एकांकी एवं संयुक्त परिवारों में किशोरियों के कुपोषण स्तर की तुलनात्मक तालिका

वजन (कि.ग्रा.)	एकांकी परिवार		संयुक्त परिवार		योग	
	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.
80% व अधिक (सामान्य)	122	40.66	38	12.66	140	46.66
70-80% (प्रथम डिग्री कुपोषण)	88	29.33	07	2.33	115	38.33
60-70%(द्वितीय डिग्री कुपोषण)	30	10.00	05	1.66	35	11.66
50-60%(तृतीय डिग्री कुपोषण)	04	1.33	06	2.00	10	3.33
50% से कम(चतुर्थ डिग्री कुपोषण)	-	-	-	-	-	-
योग	244	81.33	56	18.66	300	100.0

तालिका क्रमांक 4 में किशोरियों की पारिवारिक संरचना के अनुसार उनके कुपोषण स्तर को प्रदर्शित किया गया है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि एकांकी परिवार की 122(40.66%) तथा 38(12.66%) संयुक्त परिवार की किशोरियाँ सामान्य स्वस्थ अवस्था में पाई गईं। इस प्रकार स्वस्थ किशोरियाँ संयुक्त परिवार की तुलना में एकांकी परिवार में अधिक पाई गईं। प्रथम डिग्री कुपोषण से ग्रसित किशोरियों की संख्या 88(29.33%) एकांकी परिवार में तथा 07(2.33%) संयुक्त परिवार में पाई गई। द्वितीय डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों में एकांकी परिवार में 30(10.0%) तथा 05(1.66%) संयुक्त परिवार में पाई गईं। तृतीय डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों में 04(1.33%) एकांकी परिवार तथा 06(2.0%) संयुक्त परिवार में पाई गई है। दोनों ही परिवारों में चतुर्थ डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों की संख्या निरंक पाई गई है।

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम तथा द्वितीय डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों की संख्या एकांकी परिवार में तथा तृतीय डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों की संख्या संयुक्त परिवार में अधिक पाई गई हैं। दोनों ही परिवारों में चतुर्थ डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों की संख्या निरंक पाई गई है।

निष्कर्ष:

1. सर्वेक्षित किशोरियों में एकांकी परिवारों की किशोरियों का प्रतिशत संयुक्त परिवारों की किशोरियों की तुलना में अधिक पाया गया।
2. एकांकी परिवारों में 50.0% किशोरियाँ कुपोषण ग्रसित पाई गई हैं जिनमें प्रथम डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों की संख्या 88(36.06%) सर्वाधिक है।
3. संयुक्त परिवारों में 32.15% किशोरियाँ कुपोषण ग्रसित पाई गई हैं जिनमें सर्वाधिक किशोरियाँ 07(12.50%) प्रथम डिग्री कुपोषण ग्रसित हैं।
4. एकांकी एवं सयुंक्त परिवारों की किशोरियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया कि दोनों ही परिवारों में अधिकांश किशोरियाँ 50% से अधिक स्वस्थ्य हैं। दोनों परिवारों की कुपोषित किशोरियों में प्रथम डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों का प्रतिशत सर्वाधिक है अर्थात् प्रतिशत क्रमश: 29.33% व 2.33% है। प्रथम एवं द्वितीय डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों की संख्या एकांकी परिवारों में तथा तृतीय डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों की संख्या संयुक्त परिवारों में अधिक पाई गई। चतुर्थ डिग्री कुपोषण ग्रसित किशोरियों की संख्या दोनों ही परिवारों में निरंक पाई गई है।

सुझाव:

1. किशोरियों के फास्टफूड का सेवन अधिक नहीं करना चाहिये।
2. प्रतिदिन के आहार में दाल, चावल, सब्जी, रोटी के अलावा दूध, फल, सलाद, खट्टे भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिये।
3. मैदा व बेकरी में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिये।
4. खानपान, क्रियाकलाप, निद्रा आदि में संतुलन रखना चाहिये।
5. प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिये।
6. पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिये।
7. मूंगफली की चिक्की, पिण्डखजूर व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. hi.m.wikipedia.org
2. https://www.patrika.com>malnutrit
3. https://indiaspendhindi.com>health
4. https://www.patrika.com>malnutrition

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

चम्पारण सत्याग्रह - एक शुभारंभ

डॉ. शुक्ला ओझा*

* प्राध्यापक (इतिहास) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में चम्पारण सत्याग्रह को राष्ट्रीय आन्दोलन के उद्घोष के रूप में जाना जाता है। नील के किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरूद्ध यहाँ गांधीजी ने जो संघर्ष छेड़ा वह सत्य एवं अहिंसा एवं साहसिक सत्याग्रह पर आधारित अहिंसक सामूहिक आन्दोलन था जो कालान्तर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी युग का प्रमुख आधार बना तथा जिसने विविध आन्दोलनों की जड़ों को भी पुष्ट बनाया।

बिहार में नेपाल की तराई वाले स्थल पर बसा चम्पारण बिहार के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यहाँ चम्पा के फूलों की अधिकता होने के कारण प्राचीन काल में 'चम्पा अभ्यारण्य' के नाम से जाना जाता था, जिसका अपभ्रंश 'चम्पारण' नाम प्रचलित हो गया। महर्षि बाल्मीक की कर्मभूमि होने तथा पाण्डवों के बनवास के समय सम्राट विराट का स्थान होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व प्राचीन काल से ही रहा। इस छोटे से चम्पारण की भारतीय इतिहास में बड़ी सी पहचान है, और वह है गांधीजी के भारतीय राजनीति में पदार्पण की। चम्पारण का क्षेत्र नील उत्पादक क्षेत्र था जिसका अधिकांश भाग बेतिया के राजा की जमींदारी के अन्तर्गत आता था जो किसानों से अधिक कर जबरन वसूलने में असफल होने के कारण 36 हजार पाउण्ड के कर्जदार हो गये थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वार्थी अंग्रेजों ने कर्ज के नाम पर उनसे चार लाख एकड़ जमीन का पट्टा अपने नाम करवाकर उसे 68 उपजमींदारों में बांट दिया था जिन्हें 'कोठी' कहा जाता था। इन निलहों के अपने क्षेत्र में पंचकठिया व्यवस्था लागू की जिसे बाद में किसानों के भारी विरोध के कारण 'तिनकोठिया' कर दिया गया जिसके अनुसार किसानों को अपनी कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था अर्थात् वे एक बीघा जमीन में तीन कट्टा जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य थे तथा उन्हें नील भी नाममात्र के मूल्य पर निलहे गोरों को बेचना पड़ता था। जिसे अंग्रेज उत्तर बिहार में सर्वप्रथम सन् 1785 ई. में नील की खेती का प्रारंभ करने वाला तिरहुत का अंग्रेज कलेक्टर जी. फ्रेंक्शि ग्रेड था। चम्पारण तो वैसे भी नील उत्पादन बाहुल्य क्षेत्र था। यूरोप में ऊँचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। चम्पारण जिले के तुरकौलिया, बोरा, बगहा, मोतिहारी, सुगौली, साठी, तेलहरा, परसा इत्यादि में नील की फैक्ट्रियों का जाल सा बिछा था। उत्तर विहार में सर्वप्रथम नील की खेती का प्रारंभ करने वाला तिरूहुत का अंग्रेज कलेक्टर जी. फ्रेंक्शि ग्रेड था। नील की खेती के अतिरिक्त किसानों को गोरे निलहों के खेतों में बेगार करने के लिये भी बाध्य किया जाता था तथा अंग्रेज साहबों के घोड़ा गाड़ी, मोटर गाड़ी खरीदने, शिकार, घूमने जाने इत्यादि के लिये भी उनसे अंशदान वसूल किया जाता था। ये किसान लगभग 42 दमनात्मक करों से दबे हुये थे। रैय्यतों के मवेशी हाक ले जाने, झोंपड़ी जलाने, मार पिटाई बेदखली जैसे प्रतिदिन होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं थी। चम्पारण की दुखित पीड़ित नील रैय्यतों की व्यथा कथा समय-समय पर विभिन्न पत्रों में छपती रही। हिन्दू पैट्रियर, स्टेट्समेन, पायोनियर, अमृतबाजार पत्रिका, भारत मित्र, हितवार्ता प्रताप, अभ्युदय और हिन्द केसरी में चम्पारण के मामले में कई लेख छपे। 'बिहारी' के सम्पादक महेश्वर प्रसाद ने 1913 ई० में लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें निलहें बागान मालिकों तथा उनके कारिन्दों के अत्याचारों की कठोर निंदा की गयी। चम्पारण मुद्दे पर सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये की भी समाचार पत्रों में खुलकर आलोचना की गयी। किन्तु चम्पारण के रैय्यतों के विद्रोहों को नीलहे प्लान्टर्स और स्थानीय औपनिवेशिक प्रशासन मिलकर दबा देते थे।

चम्पारण के किसानों की दुर्दशा के विरुद्ध आवाज उठाने का श्रेय चम्पारण के ही एक मामूली, सीधे-साधे, बहुत कम पढ़े-लिखे किसान राजकुमार शुक्ल को जाता है। प्रसिद्ध समाजसेवी श्री अरूण गोले के शब्दानुसार- 'उन्हें न जाने क्या सूझी कि वे किसानों की दुर्दशा मिटाने के लिये गाँधी जी को चम्पारण ले आये। उन दिनों भारत में गाँधी को कम ही लोग जानते थे। उनकी अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय एवं श्रीमती एनी बीसेन्ट ज्यादा मशहूर थे।' भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन् 1916 के लखनऊ वार्षिक सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले लगभग दो सौ बिहार एवं उड़ीसा के प्रतिनिधियों में से राजकुमार शुक्ल भी एक थे। यद्यपि उन्होंने पहले बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं से नील की खेती के विषय पर चर्चा करने के प्रयास किये। लखनउ अधिवेशन में बिहार के खेतिहरों संबंधी प्रस्ताव पर भी बोलते हुये वहाँ की समस्या को खुल कर रखा किन्तु बात नहीं बन पायी। स्वयं शुक्ल ने लिखा है कि उन्होंने गांधी के पैर पकड़ लिये और उनसे कहा कि कृपा कर चम्पारण आइये और हम किसानों को नील मालिकों की ज्यादतियों से बचाईये। तत्पश्चात उन्होंने दिनांक 27 फरवरी 1917 को गाँधी जी को ऐतिहासिक पत्र लिखकर चम्पारण आमंत्रित किया।

राजकुमार शुक्ल का गांधी जी को लिखा पत्र :(वो पत्र जो पंडित राजकुमार शुक्ल ने गाँधी जी को चंपारण आने के लिये भेजा था)

मान्यवर महात्मा, दिनांक 27 फरवरी 1917

किस्सा सुनते हो रोज औरों के,
आज मेरी भी दास्तान सुनो,
आपने उस अनहोनी को प्रत्यक्ष कर कार्य रूप में परिणत कर दिखलाया,

जिसे टॉलस्टॉय जैसे महात्मा केवल विचार करते थे इसी आशा और विश्वास के वशीभूत होकर हम आपके निकट अपनी राम कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं, हमारी दुख भरी कथा दक्षिण अफ्रीका में हुए अत्याचारों से, जो आप और आपके अनुयायी वीर सत्याग्रही बहनों और भाईयों के साथ हुआ, कहीं अधिक है।

हम अपना वो दुख, जो हमारी 19 लाख आत्माओं के हत्रिय पर बीत रहा है, सुनाकर आपके कोमल हृदय को दुखित करना उचित नहीं समझते, बस, केवल इतनी ही प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर अपनी आँखों से देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरह विश्वास हो जाएगा कि भारतवर्ष के एक कोने में यहां की प्रजा, जिसको ब्रिटिश छत्र की सुशीतल छाया में रहने का अभिमान प्राप्त है, किस प्रकार के कष्ट सहकर पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा है।

हम और अधिक न लिखकर आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं, जो लखनऊ-कांग्रेस के समय और फिर वहां से लौटते समय कानपुर में आपने की थी, अर्थात् मैं मार्च-अप्रैल महीने में चम्पारण आऊंगा, बस अब समय आ गया है श्रीमान्, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें, चम्पारण की 19 लाख दुखी प्रजा श्रीमान् के चरण कमल के दर्शन के लिए टकटकी लगाए बैठी हे, और उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से अहल्या तर गई, उसी प्रकार श्रीमान् के चंपारण में पैर रखते ही हम 19 लाख प्रजाओं का उद्धार हो जाएगा।

श्रीमान् का दर्शनाभिलाषी
राजकुमार शुक्ल

राजकुमार शुक्ल के आत्मीय एवं हठपूर्ण आमंत्रण के वशीभूत होकर अनिच्छापूर्वक ही गाँधीजी चम्पारण पहुँचे। वहाँ पहुँचने से पूर्व पटना में उनके सहपाठी बैरिस्टर मजहरूत हक साहब ने गांधी जी को सावधान रहने की परामर्श देते हुए बताया कि निलहा साहबों के साथ-साथ सरकार से भी टक्कर लेनी होगी तथा हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े। गांधीजी पटना, मुजफ्फरपुर होते हुये चम्पारण के मुख्यालय मोतिहारी पहुँचे जहाँ सरकारी नाराजगी की संभावना की उपेक्षा करते हुए वहाँ के स्थानीय वकील गोरख प्रसाद एवं नामी साहूकार रामदयाल साह ने गांधीजी की भरपूर मदद की। फिर तो राजेन्द्र बाबू, बींत्रकिशोर बाबू (जे.पी. के ससुर) धरणीधर बाबू, रामनवमी बाबू, बिन्दा बाबू, जनकधारी बाबू, शंभू बाबू जैसे लोग उनके इस कार्य में जुड़ते चले गये।

गांधीजी के तो मुजफ्फरपुर पहुँचते ही नीलहा साहबों के संगठन 'प्लांटर्स एसोसिएशन' ने बड़ी नाराजगी के साथ प्रश्न उठाया कि कोठी की जायदाद काश्तकारी आदि के मामले में कोई बाहरी व्यक्ति क्यों दखल दे रहा है? उन्होंने कमिश्नर को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी प्रदर्शित भी की। इतिहासकार रामचन्द्र गुहा के अनुसार यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन की स्थानीय शाखा ने तो यह प्रस्ताव ही पारित कर दिया कि जिले में गाँधी जी की मौजूदगी का मतलब अशांति और अपराध है तथा उनकी लगातार उपस्थिति चम्पारण की प्रगति में बाधक है। उन्हें खतरे की घण्टी माना गया। डब्ल्यू.एम. इर्विन ने तो यहाँ तक भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि गांधीजी के चम्पारण आने से पूर्व वहाँ के किसान पूर्णत: संतुष्ट थे। उन्होंने गांधीजी एवं कस्तूरबा की मंशा पर भारी संदेह प्रकट किया। तेरहुत के कमिश्नर ने तो उन्हें तुरन्त वापिस चले जाने की सलाह ही दे डाली। 16 अप्रैल 1917 की सुबह जांच पड़ताल हेतु केसरिया थाने के जसौली पटटी गाँव जाते समय एस.पी. ने उन्हें बुलवा भेजा तथा उन्हें सारी जांच पड़ताल बंद कर तुरन्त चम्पारण छोड़ने का हुक्म अर्थात् जिला बदर का आदेश दिया गया। इस नोटिस की पावती रसीद पर गाँधी जी ने लिख दिया कि जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती है, उनका चम्पारण छोड़ने का बिल्कुल इराढा नहीं है। इसके बाद तो प्रशासन में खलबली मच गयी। 18 अप्रैल 1917 को अनुमण्डल पदाधिकारी मोतिहारी के कोर्ट में उनकी पेशी हुयी तथा गांधी जी ने वकील लेने से इन्कार कर स्वयं अपना पक्ष रखा। लगभग 2000 किसानों के उपस्थिति वाले कोर्ट में उन्होंने अंग्रेजी में लिखा अपना बयान पढ़ना शुरू किया 'मैंने सरकारी आदेश का उल्लंघन इसलिये नहीं किया कि मेरे मन में सरकार के प्रति अनादर के भाव हैं, बल्कि इसलिये कि अन्तरात्मा की उच्चतर आज्ञा का पालन मैंने अधिक उचित समझा है। मेरे विचार में यह विषय स्थानीय स्थिति के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों तथा मेरे बीच मतभेद का है .... मैं यहां उन रैय्यतों के आग्रह पर आया हूँ जिनकी शिकायत है कि नीलहा साहेब लोग उनके साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं करते। मैं उन लोगों का कोई सहयोग कैसे कर सकता था, जब तक वस्तु स्थिति की सच्चाई स्वयं देख समझ न लूँ? अपना काम यथा संभव मैं प्रशासनिक अधिकारियों तथा कोठी मालिकों के सहयोग से ही करना चाहता हूँ............ मैं स्वेच्छापूव्रक यह इलाका तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक काम पूरा न हो जाये। अत: अपने निष्कासन का भार अपनी ओर से मैं भी प्रशासन को ही सौंपता हूँ। मैंने कानून की अवज्ञा अवश्य की है, परन्तु बिना किसी विरोध के उसका दण्ड भुगतान को भी तैयार हूँ ....।'

गाँधी जी के इस बयान से कोर्ट में सन्नाटा छा गया, गाँधी जी द्वारा आरोप स्वीकार कर स्वयं दण्ड की माँग करने तथा अपने मत पर अडिग रहने से उत्पन्न उहापोह की स्थिति में मुकदमें की तारीख पंडित मदन मोहन मालवीय, दीनबन्धु, एंड्रूज, मिस्टर पोलक तथा मजहरूत हक जैसे लोगों को सूचना दे दी। स्टेट्समेन जैसे प्रसिद्ध अखबारों की रिपोर्टिंग के कारण मामला राजनैतिक रूप से चर्चित होने लगा। अंग्रेजी सरकार प्रथम विश्वयुद्ध, रूस में क्रान्ति जैसी परिस्थितियों में इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी। अतएव स्थानीय प्रशासन को गर्वनर के आदेश देकर गाँधी के खिलाफ मामला तुरन्त समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें चम्पारण में जाने की छूट भी दे दी गयी। इसके साथ ही सरकार ने एक 'कृषि जाँच समिति' भी गठित कर दी जिसमें गाँधी जी को भी सदस्य बनाया गया। इस समिति के अन्य सदस्य एफ.जी. स्लाई, एल.सी. एडमी, डी.जे. रीड, जी. रेनी, राजा हरिहर प्रसाद इत्यादि थे। इस समिति के प्रमुख दायित्व थे चम्पारण जिले के किसानों एवं जमींदारों के संबंधों की पड़ताल, प्रस्तुत बयानों की जाँच पड़ताल अर्थात् क्रॉस चैकिंग, निष्कर्षों की रिपोर्ट एवं सुझाव सरकार को प्रेषित करना था। यह गाँधी युगीन प्रतिरोध की प्रथम विजय थी। अनुचित आदेश की अवज्ञा एवं शांतिपूर्ण प्रतिरोध की नीति का श्रीगणेश था। इसके बाद जांच पड़ताल में तेजी आयी। मोतिहारी के बंजरिया पण्डाल स्थित सत्याग्रह कार्यालय में बयान दर्ज करने हेतु नील रैय्यतों की भीड़ लग गयी तथा अप्रैल से मई 1917 के मध्य लगभग 25000 रैय्यतों के बयान दर्ज हुये जो गांधी जी की ग्रामों की सघन यात्राओं एवं जन-सम्पर्क का सुपरिणाम था तथा कृषकों के हृदय से अंग्रेजी भय के निवारण के साथ कृषक राष्ट्रवाद का भी उदय था। समिति की बैठकों में रैय्यतों के बयानों की सघन जाँच के उपरांत 3 अक्टूबर 1917 को सदस्यों द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गये जिसकी

प्रमुख अनुशंसा थी।

1. तीन कठिया प्रथा पूर्णत: समाप्त की जानी चाहिये।

2. नील उपजाने के लिये व्यवस्था तीन शर्तो पर आधारित होना चाहिये- प्रथम यह व्यवस्था स्वैच्छिक हो, द्वितीय नील की विक्रय दर रैय्यत की इच्छानुसार तय की जाये, तृतीय लगान वसूली संबंधी अव्यवस्थाओं के निवारण हेतु भी अनुशंसा की गयी।

समिति की इस रिपोर्ट को लेफ्टिनेंट गर्वनर सर एडवर्ड ने सही माना एवं 29 नवम्बर 1917 को विधानसभा में चम्पारण कृषि विधेयक प्रस्तुत किया गया तथा 1 मई 1918 को गर्वनर जनरल के हस्ताक्षर होते ही कानूनी रूप से तीन कठिया प्रथा हमेशा के लिये समाप्त घोषित कर दी गयी। स्वराज और समाजवादी आन्दोलन से जुड़े बिहार के जाने-माने समाजसेवी श्री अरूण भोले के अनुसार -'सौ साल पुरानी तीन कठिया प्रथा के समाप्त होते ही नीलहा साहबों ने बोरिया बिस्तर बांधे और वतन लौट गये। स्वयं महात्मा गाँधी चम्पारण सत्याग्रह को गांधीयुगीन प्रतिकार का उद्घोष एवं श्रीगणेश मानते थे। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में भी यह उल्लेख किया है कि 'सौ साल से चले आने वाले 'तीन कठिया' के कानून रद्द होते ही निलहे गोरों के राज्य का अस्त हुआ और जनता का जो समुदाय बराबर दबा ही रहता था, उसे अपनी शक्ति का भान हुआ और लोगों का यह भ्रम भी दूर हुआ कि नील का दाग धोए से धुल नहीं सकता। मैं तो चाहता था कि चम्पारण में शुरू किये गये रचनात्मक काम को जारी रखकर लोगों के लिये कुछ वर्षो तक काम करूँ। क्षेत्र तैयार था पर ईश्वर ने मेरे मनोरथ प्राय: पूरे नहीं होने दिये। जो स्वयंसेवक मिले थे, वे निश्चित अवधि के लिये मिले थे। दूसरे नये स्वयंसेवक नहीं मिल सके। मुझे भी चम्पारण से दूसरे काम में घसीट लिया गया। यह काम अन्य साधारण काम नहीं वरन सन् 1920 से 1922 तक चलने वाला असहयोग आन्दोलन था। चम्पारण सत्याग्रह को गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना है। इसके कई वर्षो उपरान्त 6 मार्च 1925 को जनकधारी बाबू को भेजे अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि - 'चम्पारण के अपने सहयोगियों की स्मृति मेरी अमूल्य निधि है। उन जैसे निष्ठावान सहकर्मियों की मण्डली न मुझे पहले कभी मिली थी और शायद फिर मिले भी नहीं। यदि मिल गयी तो भारत को आजादी मिलते देर न लगेगी। चम्पारण सत्याग्रह इतिहास का एक ऐसा प्रयोग था जिसने भारतीय इतिहास में न केवल गांधी जी की भूमिका तय कर दी, बल्कि आजादी के आन्दोलन का श्रीगणेश भी कर दिया। यह पहला अहिंसक आन्दोलन था और अजेय ब्रिटिश सरकारी झुक गयी। यह गांधी जी का करिश्मा था। यह सत्याग्रह महज एक राजनीतिक आन्दोलन नहीं था, वह समाज के आत्म सम्मान का भी आंदोलन था जिसे संयोग से गांधी जी का कुशल नेतृत्व भी मिल गया। यह पहला आन्दोलन था जो कांग्रेस की परम्परागत राजनीति से अलग था और जमीन से उठा था। चम्पारण सत्याग्रह से जुड़े यही तथ्य उसे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में गौरवपूर्ण एवं स्वर्णिम स्थान दिलाते हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के संगठनात्मक एवं अनुशासनात्मक आधार को मजबूत बनाकर उसे प्रभावी बनाया तथा इसमें सामाजिक न्याय की भावना, समान की इच्छा, दलित वर्गो की मुक्ति की चाह जैसे भावनात्मक प्रयासों को भी स्थापित किया। इन विचारों के व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण के प्रारंभ का श्रेय चम्पारण सत्याग्रह को ही दिया जाता है। चम्पारण सत्याग्रह में जिस रणनीति, साहस एवं जन सहयोग का प्रयोग किया गया इन्हीं का व्यापक प्रदर्शन असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में किया गया जो आजादी के संघर्ष में मील का पत्थर साबित हुए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गांधी, एम.के. - एन आटोबायोग्राफी ओर दि स्टोरी ऑफ दि एक्सपेरेमेन्ट विथ टुथ - पृष्ठ 354
2. राजेन्द्र प्रसाद - आलेख- गांधीजी की पहली प्रयोगशाला।
3. ओझा, फणीश्वरनाथ - दि हिस्ट्री ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस इन विहार, पष्ठ 152
4. गुहा, रामचंद - गांधीजी का चम्पारण सत्याग्रह, कादम्बिनी, पृष्ठ 8
5. सीतारमैया, पट्टाभि- दि हिस्ट्री ऑफ दि इण्डियन नेशनल कांग्रेस,पृष्ठ 399
6. राय चौधरी, पी.सी.- गांधीजीस फर्स्ट स्ट्रगल इन इण्डिया, पृष्ठ 27
7. बोस, सुभाषचन्द्र - इण्डियन स्ट्रगल, पृष्ठ 112

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

वैदिक दर्शन में अहिंसा की अवधारणा

मलय वर्मा *

* शोधार्थी (दर्शनशास्त्र) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय दर्शन के आदि ग्रन्थ वेद हैं। डॉ. वल्देव उपाध्याय के अनुसार वेद भारतीय धर्म तथा दर्शन का प्राण हैं। भारतीय धर्म में जो जीवनि शक्ति दृष्टिगोचर होती है उसका मूल कारण वेद ही हैं।[1] वेद का विकास तीन भागों में हुआ है– संहिता, ब्राह्मण एवं अरण्यक। मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं। संहिता 04 हैं– ऋग्संहिता, यर्जुसंहिता, सामसंहिता एवं अर्थव संहिता। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ विधान का विस्तृत विवरण है। अरण्यक ग्रन्थों में यज्ञ के आध्यात्मिक रहस्य की मीमांसा की गई है। अरण्यक के अन्तिम भाग उपनिषद हैं जिन्हें वेदान्त् भी कहा जाता है।

ग्रन्थकारों ने भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया है। वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करने वाले अर्थात वेदानुकूल दर्शन को आस्तिक दर्शन कहा गया। षड्दर्शन के नाम से विख्यात ये दर्शन हैं– सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदान्त्। वेदविरोधी या नास्तिक दर्शन में परिगणित दर्शन हैं– चार्वाक्, जैन एवं बौद्ध।

वैदिक दर्शन में अहिंसा सिद्धान्त–हिन्दू धर्म के वैदिक स्वरूप को सामान्यत: अहिंसा के सन्दर्भ में स्मरण नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि वैदिक यज्ञों में पशुबलि की अनुमति दी गई है। भारत में यह विश्वास अत्यन्त प्रबल है कि वैदिक परम्परा में अनुमत इस हिंसा वृत्ति के प्रतिकार स्वरूप ही बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास हुआ। यहाँ एक तथ्य ध्यान में रखना चाहिये कि वैदिक एवं अवैदिक परम्पराओं में मूल भेद दोनों की तत्त्वमीमांसा में है। नीति मामांसा में दोनों ही परम्पराएँ अहिंसा मार्ग के अनुकरण पर बल देती हैं। शाब्दिक दृष्टि से हिंसा का त्याग ही अहिंसा है किन्तु व्यापक दृष्टि से इसका अभिप्राय दूसरों को अपने समान प्रेम करना है। उपनिषदों में प्राप्त 'आत्मवत सर्वभूतेषु' की भावना के बीज वेदों में मिलते हैं। ऋग्वेद में सहजीवन की जो कल्पना और प्रार्थना की गई है वह स्पष्टत: मानवजाति के एकत्तव के बोध का परिचायक है। ऋग्वेद में कहा गया है 'यजमान पुरोहितों तुम्हारा अध्यवसाय एक हो और तुम्हारा अन्त:करण (मन) एक हो।'[2] पशु बलि और मांसाहार की मान्यता के बावजूद अहिंसा और उसके सकारात्मक रूपों दया, क्षमा, परोपकार आदि का प्रशंसात्मक उल्लेख वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में कथित है 'अन्न की इच्छा से किसी दुर्बल व्यक्ति के भिक्षा मांगने पर जो अन्नदान करता है उसे सम्पूर्ण यज्ञफल मिलता है।'[3] ऋग्वेद का ही मंत्र है 'हम अदिति से पापरहित, अक्षीण, हिंसा रहित और स्वर्ग तुल्य धन के लिये प्रार्थना करते हैं।'[4] संहिता ग्रन्थों में बीजरूप में उपलब्ध दार्शनिक सिद्धान्तों का पूर्ण विकास उपनिषदों में विस्तृत रूप में उपलब्ध है। उपनिषदों का 'सर्वचैतन्यवाद' अहिंसा सिद्धान्त की सुदृढ़ तत्वमीमांसीय आधारभूमि है। सर्वचैतन्यवाद के अनुसार समस्त चर–अचर में एक ही चित्शक्ति व्याप्त है वह स्वयं प्रतिष्ठित सत्य सर्वात्म रूप में सर्वगत है। वृहदारण्यक उपनिषद कहता है 'स त आत्मा सर्वान्तर:'[5] छान्दोग्य का मंत्र है– 'सर्वखल्विदं ब्रह्म'।[6]

वेदान्त का यह अद्वैतभाव अहिंसा की ठोस आधारभूमि है। कोई भी व्यक्ति जब यह धारणा रखता है कि जो चित्शक्ति मुझ में है वही अन्य प्राणियों में भी है तो किसी के प्रति हिंसक होने की संभावना शून्य हो जाती है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है जो (साधक) सम्पूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है वह इस सर्वात्म्य दर्शन के कारण किसी से घृणा नहीं करता

'यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानु पश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते।'[7]

हिंसा का मूल इन्द्रिय एवं मन पर अनियंत्रण है इसलिये उपनिषदों में शम, दम, तितिक्षा अनअहंकारिता आदि भावों को अहिंसा का पर्याय या जनक कहा गया है। सुकृत, शुभ, संयम आदि शब्द अहिंसा के अर्थ में और दुष्कृत, अशुभ, अनिष्ट आदि शब्दों का प्रयोग अहिंसा के पर्याय के रूप में किया गया है। कठोपनिषद कहता है सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी परमात्मा को न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्ता नहीं हुआ है, न वह प्राप्त कर सकता है जो अशान्त है न वह जिसके मन और इन्द्रिय संयत नहीं है।

'ना विरतो दुश्चरितान्नाशान्तो न समाहित:।
न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनभाप्नुयात।।'[8]

उपनिषदों का परम लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार है। इस चरम लक्ष्य का उपाय श्रवण मनन निदिध्यासन, ध्यान, योग आदि विधियाँ हैं आत्म साक्षात्कार से हिंसा नष्ट हो जाती है अत: आत्मसाक्षात्कार की सभी विधियाँ अहिंसा के प्रतिफलन की भी हैं। अहिंसक वृत्ति से ही आत्मसाक्षात्कार संभव है। यह तथ्य प्रश्नोपनिषद के इस सूत्र से स्पष्ट होता है जिसमें कहा गया है कि जिसमें न तो कुटिलता है और न झूठ है तथा न माया (कपट) है, उन्हीं को वह विकार रहित ब्रह्म लोक मिलता है।

'तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येषु
जिह्ममनृतं न माया चेति'[9]

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह धारणा स्थापित कर लेना युक्तियुक्त नहीं होगा कि उपनिषदों में अहिंसा की अवधारणा पुष्ट करने के लिये अहिंसा के पर्यायवाची कुछ शब्दों का प्रयोग ही किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद में अहिंसा शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है 'अथ यत्रयो दानमार्जवअहिंसा सत्य वचन मिति ता अस्य दक्षिणा:'[10] अर्थात जो व्यक्ति तप, दान, सरलता, अहिंसा और सत्य वचन का पालन करता है उसका जीवन मानो दक्षिणा (त्यागमय) का जीवन है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

षड् दर्शन के नाम से विख्यात सभी वेदनिष्ठ दर्शनों की नैतिकी में भी अहिन्सा सिद्धान्त सर्वोपरि स्थान धारण करता है। श्रीधर द्वारा रचित ग्रन्थ न्यायकंदली में अहिंसा को सर्वाभौम सनातन कर्त्तव्य बताया गया है। वैशेषिक दर्शन भी अक्रोध एवं अहिंसा को सनातन कर्त्ताव्यों में सम्मिलित करता है। सांख्य दर्शन में जीवहत्या को पाप की जननी कहा गया है। योग दर्शन के आष्टांगिक मार्ग में प्रथम यम है। यम के पांच अंगों में अहिंसा सम्मिलित है। अद्वैत वेदान्त के आचार्य शंकर अहिंसा को सर्वभूतहित का अविरोध कहते हैं। रामानुज के विशिष्टाद्वैत दर्शन में मुक्ति का साधन भक्ति है। भक्ति का अर्थ है सब कुछ का त्याग कर केवल ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखना एवं प्राणिमात्र के प्रति अहिंसा दया एवं कल्याण भाव को महत्व देना।

उपसंहार- वैदिक धर्म को सामान्यत: यज्ञ प्रधान धर्म माना जाता है। यज्ञ के साथ पशुबलि की परम्परा संयुक्त होने से वैदिक धर्म एवं दर्शन में अहिंसा की अवधारणा का संधान करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने की अपेक्षा रखता है कि यज्ञ का आशय सदैव पशुबलि वाले यज्ञ से नहीं है। उपनिषद काल आते-आते यज्ञ की परिभाषा और व्याख्या में बहुत अन्तर आ गया। वृहदारण्यक उपनिषद में मनुष्य को यज्ञ स्वरूप कहा गया तथा सत्य, उदारता, आत्मसंयम विनयशीलता तथा अहिंसा को इस यज्ञ में किया जाने वाला दान माना गया है। यज्ञ का अभिप्राय मात्र श्रौत यज्ञ या पशु बंध ही नहीं है। वैदिक परम्परा में गृहस्थों के लिये पंचमहायज्ञों का विधान किया गया। ये पंचमहायज्ञ है- भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ, श्रौतयज्ञों से पंचमहायज्ञों का अन्तर एवं पंचमहायज्ञों की श्रेष्ठता निरूपित करते हुए डॉ. पांडुरंग वामन काणे लिखते हैं। 'पंचमहायज्ञों में मुख्य उद्देश्य है विधाता, प्राचीन ऋषियों, पितरों, जीवों एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति (जिसमें असंख्य जीव रहते हैं) अपने कर्त्तव्यों का पालन। किन्तु श्रौत यज्ञों में क्रिया की प्रमुख प्रेरणा है स्वर्ग, सम्पत्ति, सुख आदि की कामना। अत: पंचमहायज्ञों की व्यवस्था में श्रौत यज्ञों की अपेक्षा अधिक नैतिकता आध्यात्मिकता, प्रगतिशीलता एवं सदाशयता देखने में आती है।'[11]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बल्देव उपाध्याय, भारतीय दर्शन चौखंभा, ओरियान्टालिया, वाराणसी 1976 पृ. 27
2. ऋग्वेद, चौखंभा विद्याभवन चौक, वाराणसी, पुनर्मुद्रित 1997 10/12/191/4
3. वही, 1/18/125/6
4. वही, 1/24/185/3
5. वृहदारण्यक उपनिषद गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत-2078 3/4/1
6. छान्दोग्य उपनिषद गीताप्रेस, गोरखपुर संवत-2078 13/10
7. ईशावास्पोपनिषद, गीताप्रेस, गोरखपुर, संवत-2078 06
8. कठोपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत-2078, 1/16
9. प्रश्नोपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत-2078, 1/16
10. छान्दोग्य उपनिषद गीताप्रेस, गोरखपुर संवत-2078 3/17/04
11. मूल लेखक पांडुरंग वामन काणे। अनुवादक अर्जुन चौबे कश्यप। हिन्दी समिति सूचना विभाग, उ.प्र. लखनऊ 1963 पृ. 384-385

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Louisa May Alcott's Little Women: Redefining Feminism in the Nineteenth Century

Dr. Nempal Singh*

***Assistant Professor (English) S. P. C. PG College, Baghpat (U.P.) INDIA**

Abstract - Little Women by Louisa May Alcott was originally published as two separate books in 1868 and 1869, with the first twenty three chapters in one book titled Little Women and the rest of the chapters in a separate book titled Good Wives. It was written just after the Civil war on the demand of a publisher. Today, both these books are set together as Little Women. This novel revolves around the March family with four daughters, Margaret, Josephine, Elizabeth, and Amy, all with their distinct and quite unique characteristics. Little Women talks about the life, growth and development of these four March sisters. At the same, it also highlights the issue of equality of women. This is a feminist novel with females as the centre of attention of the novel. This is the story of young brave girls and their transition to little women. While this novel is feminist, it is also rather traditional. Louis May Alcott writes about how women with low to no financial resources can empower themselves in a male dominated society while keeping their purity intact. This novel by Louisa May Alcott is a very good example of early feminism and it's role in the literary and scholarly sphere. She presents to the readers a story of four young women who are independent and have an identity of their own which is not determined by their male counterparts.

Keywords- Femininity, ideology, freedom, family, womanhood, domesticity.

Introduction - Little Women can be studied in two parts. While the first part talks about the methods and ways of empowerment that are undertaken by the March sisters, the second part is more inclined to the question as to whether these actually work and to what extent these are successful. In the first part, the author talks about how the March sisters struggle to find and empower their position in the society while tackling a poor financial situation at the same time. Their mother, Marmee, describes this empowerment in terms of a domestic ideology. She teaches her daughters about the ideals of womanhood and her domestic ideology says that a woman empowers herself by creating a warm domestic household space. Later in the novel, in the second part, we can find Louisa May Alcott questioning this ideology. She describes how the daughters turn out after following this idea of being a true woman. They follow all the ideals but are still in a position where they are dominated by men. So the question arises as to whether being a true woman is the answer to all the problems of womanhood and is it sufficient to empower oneself? She also remarks how the March sisters trade some parts of their unique and interesting identity for this domestic obligation. They lose their self assertion, artistic freedom, etc. This exchange and loss of identity is the same as Marmee herself made years ago. And all the March sisters are essentially the same as their mother and they inherit her status in the society, one with a lot of responsibilities but limited authority. Their fate ultimately coincides with that of their mother. Marmee is indeed the role model for her daughters and she is the one to teach them about the society, the world, and even about their own identity as the young women they are. She makes them like her in some way and all this is done only to make sure that they all achieve the common goal of true womanhood. The author does not describe the character of Marmee in a very astonishing manner and it is rather very conventional. She describes her as "a cheery voice at the door . . . with a 'can I help you' look about her . . . She was not elegantly dressed, but a noble-looking woman". The character of Marmee is kind of subdued.

"The look, of course, is one of servitude, and her voice is 'cheery' with self-denial. When she feels the urge to speak for herself, she presses her lips tightly together or leaves the room"

If we consider Marmee to be Alcott's attempt of portraying true womanhood, it can be concluded that she does not think highly of this concept of womanhood because there is nothing astonishing or even idealistic in Marmee's character. She, instead, is very conventional and mainstream and does not stir any strong emotions in the readers. Her character is rather bland. But it must also be noted that Alcott says that this might not be the true ideal

but it is true to the daughters and their mother and towards the end, they all finally achieve this position of a true woman as described by their mother. Marmee focuses on the personal or private sphere in the lives of young women. She teaches her daughters how their private or personal sphere can be the most powerful for them. She inculcates values and virtues of true womanhood in her daughters and expects them to stand and live by then for the rest of their lives. She does not tell her daughters to seek power and authority straight away but instead teaches them about certain tactics of ensuring they have power and an authoritative place in the social world. For her, power is measured in terms of influence a person exercises on their counterparts. The March sisters learn and absorb these values from their mother over time and use these "tactics" to achieve the status of a true woman.

In the beginning, we see the March sisters lamenting over their poor financial and social status, which is because of their gender identity as well. As they can be seen celebrating Christmas, we find them frustrated with their financial situations. Meg remarks, "It's so dreadful to be poor!" The other daughters agree with this and they envy the people who have way more materialistic comforts than them. They are frustrated with their lives. Even Beth can be seen complaining about the household chores she has to do. "I do think washing dishes and keeping things tidy is the worst work in the world. It makes me cross, and my hands get so stiff. . . "

This rejection of domesticity represents a grievance with both class and gender. The family's working class forces the children to perform menial labor in exchange for wages; and domesticity by nature marks the trade of nineteenth-century American women. There is also the presence of slight differences among the sisters. While Meg and Amy spend the whole of their life trying to rise above the poor financial status they were born in, Jo is more focused towards reestablishing the traditional gender roles. It can also be said Jo's struggle is more significant because in the 19th century, gender what's the main determinant of anyone's identity, especially a woman's. For the March sisters, a rise and their position in society, be it in terms of gender or financial status, means an increase in their influence. We can also see a stark contrast between Jo and her sisters when the former suggests to use the money for themselves on Christmas while her sister is of the view that they all should get something for their mother instead of getting something for themselves.

"Mother didn't say anything about our money, and she won't wish us to give up everything. Let's each buy what we want, and have a little fun. I'm sure we work hard enough to earn it."

> "I'll tell you what we'll do," says Beth, "let's each get (Marmee) something for Christmas, and not get anything for ourselves"

This is symbolic of the things they have been taught from the very beginning. The young girls have been taught to be the perfect true woman. And according to the standards of the society, they can only become so when they sacrifice or do the bigger task. This is the stereotypical and conventional role that has been assigned to women for various years now. And this is being taken forward as Marmee teaches her daughters to do the same. While Jo challenges this and comes off as selfish and self centred, her younger sister behaves like the young woman she is supposed to be and puts forward the idea of sacrifice. While Beth seems to have accepted the traditional gender roles and appears to have moulded herself according to these norms, Jo, on the other hand, is dissatisfied with these conventional expectations that force her to sacrifice things and give up her own desires in order to please others. This shows that the concept of womanhood and the notion of a true woman is not something that can be easily achieved by someone. It is not a position that can be easily attained. And the March sisters face this throughout their journey from little girls to young women. They constantly strive to fit into the mould of a perfect woman that expects a lot of things out of them. They are wasted away creating a strong private sphere which they believe will be their source of authority and power in the social and family structure.

Louisa May Alcott has also focused on the intensity and importance of female connections in the novel The Little Women. As soon as their mother returns home, all four of the March sisters are overly enthusiastic and they all work together in their little chores to make things comfortable and warm for their mother.

> "Meg arranged the tea table, Jo brought wood and set chairs . . . Beth trotted to and fro between parlor and kitchen . . . while Amy gave directions to everyone."

They function as a little community in themselves and they strive to create a private sphere as their mother suggests to establish an identity of their own. Female bonding, according to Smith-Rosenberg, comprises an important part of true womanhood in nineteenth-century America. In her article, "The Power of Women's Networks," Mary Ryan suggests power exists among women who band together. Though Ryan does not refer specifically to familial networks, she does claim that any unified sisterhood contains the seeds for "diverted feminist possibilities". According to Ryan, "Connections with everyday associations and informal social networks of local and neighborhood women" strengthen and reinforce female ambition. In this case, the girls' very sisterhood provides each sister with the positive reinforcement needed to work toward a common goal. When they work together, the March children successfully alleviate their down trodden spirits. This is their way of elevating their self esteem. This shows that it is only when they overcome their self pity that they find true happiness. Before their mother came, the March sisters were seen lamenting over their financial and social

status but as soon as their mother entered the scene, they forgot about their misery as they engaged themselves in the household tasks to make their mother feel comfortable and this is when they found happiness in the moment. And it is through their network that they are able to overcome this stage of self pity and grief.

When Father March writes home to tell his daughters to be ready for womanhood, the sisterhood offers mutual support for its members. In order for Father March to be pleased with his "little women," he exhorts the girls to "perform their duty sincerely, fight their bosom enemies heroically, and overcome themselves so sweetly". Marmee supports Father March's sanctioned images of restraint for his daughters. Marmee only calls her daughters to independent survival at her husband's encouragement. The benchmark they must meet is the sublimation of these internal yearnings, which are their burdens. Marmee says;

"Our burdens are here, our road is before us, and the longing for goodness and happiness is the guide that leads us through many troubles and mistakes to the peace which is a true Celestial City. Now my little pilgrims, suppose you . . . see how far on you can get before Father comes home. "

Marmee is also the role model for her young daughters. She guides them through the various stages of life and imbibes in them the true ethics, morals and values of a woman and a human being. She teaches them a lot about life, the world and their own identity. She is a role model with all sorts of internal passion. Father March sets out certain moral standards and the girls follow these in their journey to independence. He motivates them to carry their burden which is their own internal yearnings and a standard they need to achieve is to sublimate these yearnings. Marmee teaches her daughters to sublimate their own yearnings by giving her own example as she has done the same. This role model that Marmee has become for her daughters is one that suppresses all internal passion. She teaches them to live for others instead of themselves. According to her, the sole aim of their life is in pleasing others and giving up their own desires and wishes. The sisters also support each other in this journey. They encourage and inspire each other. Meg teaches her sisters the importance of reading and understanding the guidebooks their mother has got them. They are enthusiastic to read them and Meg expresses her desire to start reading them as soon as possible and inspires her sisters to do the same. In this way, Louisa May Alcott shows us how mutual encouragement helps the sisters to achieve any task. And this is how they learn about female networking. They not only encourage each other but also validate and appreciate each other. This proves to be a good driving force in their journey and helps them all keep going. They follow each other's examples and mutually walk the path to true womanhood. This also becomes a source of self esteem in the girls.

Marmee teaches them about the aspects of domesticity and each of the girls learns how they have a unique and separate role in the household.

"I wanted you to see how the comfort of all depends on each doing her share faithfully. While Hannah and I did your work, you got on pretty well, though I don't think you were very happy or amiable; so I thought, as a little lesson, I would show you what happens when everyone thinks only of herself. Don't you feel that it is pleasanter to help one another, to have daily duties which make leisure sweet when it comes, and to bear and forbear, that at home may be comfortable and lovely to us all?"

The significance of domestic labour and its capacity to make life worthwhile are affirmed by Marmee's exaltation of it in this experience. Marmee has "shown the girls that doing the girls' laundry is actual work." In the world of a real woman, self-indulgence has no place. She advises her girls to use employment as a means of empowerment. In spite of poverty, life is "a magnificent success" when there are set hours for labour and enjoyment. The girls are empowered by domestic work for two reasons. They can perfect domesticity, which in Little Women is the poor woman's trade, by being dedicated to household duties. Jo successfully demonstrates her domestic prowess by organising his parlour and putting "everything into place," earning Laurie's "respectful silence." Domestic work not only raises women's status but also prevents idleness, which breeds "ennui and mischief." The girls are empowered by their dislike of inactivity, which elevates them above Laurie in terms of moral stature. Laurie is "ashamed of the indolent life he led" because of the girls' ongoing travel. The girls gain an understanding of how domestic work elevates their character and boosts self-esteem by using their newly acquired talents. More so than money or style, it provides people "a sense of authority and freedom." Alcott claims that perseverance is a tried-and-true strategy for empowering women.

Finally, Meg, Amy, and Jo all reach the pinnacle of womanhood—motherhood—by doing so. Each has given up their lofty positions in order to respond to the appeal that all women in America during the nineteenth century had. The ideal path for a woman's life, according to Cott, "followed a continuum from infancy upbringing in a family, through adolescent apprenticeship in caring and household chores, to wife-and-motherhood." The Little Women narrative by Louisa May Alcott is faithfully portrayed in the cycle. All three daughters find secure marriages as a result of their adult development of the qualities of a true woman. Alcott has contributed to ensuring that her characters lead happy, meaningful lives as adults.

References:-

1. Alcott Louisa May, *Little Women,* Bernhard Tauchnitz, 1876.
2. ArslanOzlem, *Gender Roles and Feminism in Louisa*

May Alcott's "Little Women" (1868/69) and Anna Todd's "The Spring Girls" (2018), GRIN Verlag, 2020.

3. Clark Beverly Lyon, Alberghene Janice M, *LITTLE WOMEN and THE FEMINIST IMAGINATION Criticism, Controversy, Personal Essays,* Taylor and Francis, 2014.
4. Hermeling Ines, *The Image of Society and Women in Louisa May Alcott's "Little Women*", GRIN Verlag, 2010.

****

Right To Cohabit: A Human Right

Dr. Nisha Sharma*

***Baba Nursing Das PG College, Necchwa, Sikar (Raj.) INDIA**

Abstract - India is a country which is world known for its unique cultural diversity and cultural variation. This article works an attempt to sort out and find out why cohabitation have to face legal and cultural issues, even when, it is a right of every person to cohabit whether heterosexually or homosexually. It clears the idea that cohabitation is a human right and is nothing for which a separate demand is to be made. Human rights are natural rights and are vested into a person by Mother Nature and may not require a backbone of any statute. The article has been divided into seven major heads starting with Introduction to the topic which gives the statement of problem and object of the study. Further the article explains the concept of human rights and relationship of human rights with other existent rights. The article proceeds with the concept of cohabitation and legal provisions which support cohabitation in India. There are no any explicit provisions which legalize cohabitation but judicial interpretation is done in such a way that it has become legal and have been said to be human right of every person. Now, cohabitation is not only about living together of heterosexual people but also of homosexuals which is elaborated upon in the article. The second to last head is an endeavor to identify the role of judiciary to identify cohabitation as a right. The last part of the article gives conclusion of the research and certain valuable suggestions which are to be made applicable.
Key Words- Marriage, Cohabitation, Human Rights, Moral Rights, Homosexuality.

Introduction - The story of human rights in the world is the story of humans wronged. It is the story of humans left from enjoying equality and freedom in full measure. The state and society are equally to blame, as often human rights are used as cliché for suppressing the voice of the people and committing atrocities.[1] Unfortunately, the phrase 'Consent of the Governed' is somewhere tactfully manipulated by power of the purse or even basic considerations of ethnicity, language and religion. Protection of human rights is greatly dependant on participative governance. India is known for its unique cultural diversity on the global level, where the cultural variation is represented in various forms and variety of faces. All legal rights and obligation of laws emerge from a social foundation which is marriage, though at national level, laws are not very clear on cohabitation, showing a common theme of standoffishness and reluctance amongst countries to recognize such relationships. Traditionally, the legal system has been biased in favor of marriage. Public policy supports marriage as necessary to the stability of the basic societal unit, i.e., family. Unrealistic number of privileges and rights are provided to people who are married to maintain the importance of the relation in the eyes of the society. It is sometimes said that cohabitation has all of the headaches of marriage without any of the benefits. Recently, honorable Supreme Court have spoke through its judgments on cohabitation and found that there is nothing wrong in this respect.

Concept Of Human Rights: Any right which is inherent to each and every homosapien, irrespective of his gender, nationality, sex, color, place of birth, place of residence or ethnicity can be said to be a human right. The subject of human rights is the most powerful new addition to the national agenda of items demanding immediate implementation. In today's scenario, human rights are an accepted term and briefly refer to those rights which are possessed by any human being because they are a human being.

In ancient times, the state was the sovereign having the prime importance. With no actual identity of the states' individuals, but, in the present era, with the growth of society, individual is becoming conscious of his basic rights, i.e., the human rights, for which he is actually entitled to. Human rights are basically natural rights that have been bestowed upon humans by nature. Human rights are generally referred to as egalitarian rights and they do impose an obligation on persons to respect the rights of other person. Every such right is indivisible, interdependent and interrelated.

Article 1 of Universal Declaration of Human Rights says all human beings are born free and equal in dignity and rights.[2] Hugo Grotius developed a theory of natural law,

according to which man made laws were simply imperfect aspects of an eternal and immutable law applicable to the whole cosmos. He began with the proposition that the will of the god was law and was known through man's sociability, which was the basis of all the other laws of nature. Thomas Hobbes also said that in the natural condition of mankind, everyone had the natural right to do anything which was conducive to their preservation. John Locke propounded that an individual possessed basic human rights inherent in his personality, independent of whether these rights were recognized or not by the rules. Human rights could not be denied to the individual or legally taken from him by the ruler or society, since any denial or deprivation of the individual of his human rights by the ruler constituted a double violation, i.e., violation of rights of an individual and violation by the ruler of his duty of the protection of an individual. Jeremy Bentham opposed this mechanism. As per him, nature was a very indefinite term and therefore natural law and natural rights were meaningless. Rights, according to him were not natural but are created by law whose worth depended on its utility. He called natural rights as complete nonsense as they might make a stable society impossible, while John Austin considered natural law to be very vague and meaningless. He said that political and civil liberty constituted the freedom of action left or granted by a sovereign to its subjects.

Some of the basic principles of any human right are that it is universal, inalienable, indivisible as well as interdependent, and have certain prohibitions. The modern concept of human rights is thus traditionally traced to the ideas and texts adopted at the end of the 18th century, like the 1776 American Declaration of Independence and The French Declaration of The Rights of Man and the Citizen, 1789. For proper realization of human rights, it is essential that the society as a whole accepts the basic norms of human rights. According to Hersch Lauterpacht, "The protection of human personality and of its fundamental rights is the ultimate purpose of all law, national and international."[3]

Relationship Between Human Rights And Other Rights: The main point of relation as well as difference between a human right and any other right is simply the reason as to why one possesses them. Human rights are part of human nature and reason and are inherited directly from the nature. In its 1987 publication- Human Rights: Questions and Answers, the United Nations describes human rights as follows- "Human rights can well be usually outlined as those rights that are inherent in our nature and while not that we cannot live as mortals. Human rights and elementary freedom permit absolutely developing and mistreatment of one's human qualities, intelligence, abilities and conscience and to satisfy our religious and different wants. These are simply supported by mankind's increasing demand for a life during which the inherent dignity and price of ever creature receives respect and protection."

A social and political unrest is created by a mere denial of fundamental freedoms which may not only be because of personal and individual issues. This unrest gives a pedestal for performing acts of conflict between the people and society.

In comparison to human rights, Moral Rights are those rights which are directly or indirectly, related to human consciousness. As moral rights are not enforceable by state like legal rights, hence no legal action occurs on violation of any moral right. Basically moral rights include one's moral behavior, courtesy and good conduct. On the other hand, Legal Rights are the type of rights which are provided by the statute and can broadly be classified into three- Civil Rights, Political Rights and Economic Rights. Legal rights are derived from the Constitution or the laws of the country while the human rights are inalienable, universal and are not allowed to be waived. After interpretation of International Humanitarian Law, one can find out that every state has three obligations- the obligation to respect, the obligation to protect and the obligation to fulfill human rights. In the case of **Virginia**[4] the American Supreme Court had said- "A state resides on a pedestal with three pillars- legislature, executive and judiciary and there can be no other road for it to perform and function." Hence any such statute shall be struck down as the judiciary has a tendency to make changes to fundamental principles while acting on behalf of the state.

The rights which differentiate any resident from a visitor are the fundamental rights which are highly bizarre. Fundamental are those rights which are required for one's mere existence as a citizen or resident of any state. Sometimes fundamental and human rights do overlap each other as the latter serves as foundation to the former.

Meaning And Concept Of Cohabitation: Cohabitation means a relationship where there is no marriage between the boy and girl, in the sense of solemnization of marriage under any prevailing law. Yet, both live as couple and there is stability and continuity in this relationship. Two perspectives to cohabitation seem as evidence of selfish individualism and breakdown of family, while other perspective describe it as a less institutionalized way in which people express commitment and build their families. Marriage defined womanhood, manhood and adult status; it governed living arrangement and was also central in determining the division of labour and authority within the family and between the sexes. Marriages, for many, have religious significance, and for others have a mere contractual significance. Parents also understand the importance of marriage in affecting the quality of children's lives. Similar considerations suggest that parents will try to influence the decision of the children about cohabitation as well, although, as with marriage decisions, parents understand the ultimate power to make and break unions lies with their children. The main 5 principles which influence cohabitation are:

1. Role squabble and Role affinity

2. Beliefs and Values
3. Life Course
4. Organization of Social Activities
5. Interpersonal Bargaining and Marriage Markets

India stands on the grounds of traditional integrity and strong moral values. Somehow, with the changing times, values are changing or better if putted as rigidity of values is changing with the spinning time wheel. Today, India is adopting liberal culture and is being influenced by the western lifestyle. But it is only being influenced by western culture; it still holds it original grounds.

As per Article 21[5] we all have got right to live and living together is a form of living, then there are no pointing fingers from legal perspective in this regard. For the Indian law, it's fine to live together before marriage. As per the old tales of Indian civilization there are many types of marriages and one of which is the 'Gandharva Vivah'. In this mould of matrimony the duo used to consider each other as husband and wife in front of god and kept there association confidential for the society. So you see that the society that denies accepting cohabitation as a form of relationship had its traces in its culture. In the case of **Revanasiddappa v. Mallikarjun**,[6] the honorable court held that cohabitation is one of the areas which is under criticism and highly debated in India regarding its legality and implication on the societal relationships.

Sacramental bonding between two person who are consenting and adults is known as marriage and is of utmost importance in Indian culture. The concept of husband, wife and family is still of utmost importance in many communities of the country. Though, it is not illegal in India, majority considers it to be aberrant and is looked down upon. It is a pure form of modern adultery which is formed purely on the pillars of fashion ability and individual life style. Youth generation of today is more interested in cohabitation by which they can get a friendlier approach to their relationship. India is a country which is slowly opening its doors for western ideas and lifestyles and one of the most crucial episodes amongst it, is the concept of cohabitation.

Legal Provisions Related To Cohabitation: At present there is no special law in India to deal with the concept of cohabitation and its legality. However, the courts in India, through their decisions in various cases, have interpreted the law in respect of such relationships. Some of them are-

A. Premarital Sex and Cohabitation: Under Article 21, the Constitution of India grants to all its citizens, "Right to Life and Personal Liberty" which means that one is free to live the way one wants. When seen from the spectacles of orthodox Indian society, Cohabitation is a concept which is unethical but clearly it is accepted under Article 21 and is not illegal in any way. In **Ramdev Food Products (P) Ltd. v. Arvindbhai Rambhai Patel**,[7] the apex court held that cohabitation between two adults without a formal marriage cannot be construed as an offence.

B. Presumption of marriage: According to Section 114 of The Indian Evidence Act, 1872 the act of marriage are often presumed from the common course of natural events and therefore the conduct of parties as they are borne out by the facts of a specific case. Where the partners lived together for long spell as husband and wife, there would be presumption in favor of wedlock. In the case of **Lolo v. Durghatiya**,[8] the court held that Radhika and Lolo lived together and a number of children were born out of the so called wedlock, but living together continuously for long period and giving birth to child by itself does not give rise to presumption of a valid marriage, but in case of **Hymavathi Devi v. Setti Gangadhara Swamy,**[9] the court opined that continuous cohabitation of man and woman for a long time as husband and wife, gives rise to presumption of marriage between them. But said presumption is rebuttable. The court cannot ignore the circumstances which weaken the presumption of marriage.

C. Legitimacy of Children: A necessary corollary of making a presumption in favor of marriage is the presumption of legitimacy of child born out of such relationship. When it comes to the right of child born under cohabitation, we find the law to be groping in the dark. It is not a matter of concern that whether a marriage is void, valid or voidable, any child procuring out of a marital tie is legitimate and this status of legitimacy have been provided by The Hindu Marriage Act, 1955. However, they may not have property and maintenance rights. If at any time, the cohabiting parents desire to get out of relationship, the future of child comes into question. In the case of **Radhika v. State of Madhya Pradesh,**[10] it was held that cohabitation is nothing but a valid marriage. The court added further that any child out of such a relationship is legitimate and will have property rights in their parents' property.

D. Maintenance Rights: The courts have also conferred to a woman under cohabitation, the right to claim maintenance. In June, 2008, The National Commission for Women recommended to the Ministry of Women and Child Development to include cohabiting female partners for the right of maintenance under section 125 of The Code of Criminal Procedure, 1973. A similar approach was taken by the court in **Abhijit Bhikaseth Auti v. State of Maharashtra**.[11] A flurry of precedents is available regarding maintenance of a cohabiting wife. The issue is whether a mistress can claim maintenance or not just because she is residing with a man who is already legally married.

E. Bigamy: In the case of **Payal Katara v. Superintendent, Nari Niketan Kandri Vihar, Agra**,[12] Rajendra Prasad, the person with whom plaintiff was living was already married. No discussion was made as to the rights of cohabiting wife. The question that seeks answer as with the elevation of concept, what will be the status of wife, if a person who is in live in relationship is already married as law also seek to protect the right of cohabiting partner under statutes like The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, etc. This promotes bigamy,

as the person who is getting into live in might be already married. The position of wife is disadvantageous in such situation as court on the one hand is giving all the rights of wife to cohabiting female partner, while on the other hand it prohibits bigamy.

F. Application of The Domestic Violence Act, 2005: Section 2(f) of The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 describes Domestic Relationship means a relationship between two persons who live or have, at any point of time, lived together in a shared household, when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption or are family members living together as a joint family, simply it does not only applies to a marriage couple, but also to a relationship in nature of marriage.

Cohabitation Of Homosexuals: "Sex is what you are born with, gender is what you recognize and sexuality is what you wish."

Since the 1980s, a growing number of states and municipalities have passed laws allowing unmarried couples, irrespective of them being heterosexual or homosexual to register as domestic partners. A few states still prohibit fornication, or sexual relations between two people of same sex, but such laws are no longer enforceable.

In India, with the advent of the contemporary epoch, the movement against the repressive and oppressive nature of Section 377 grew exponentially and it was finally on July, 2009 that the Delhi High Court passed a judgment in favor of the LGBTs in the landmark judgment of **NAZ Foundation v. Government of NCT, Delhi**,[13] declaring Section 377 of The Indian Penal Code, 1860 which criminalizes homosexuality in India to be unconstitutional and violative of The Army Act, 1950, the Workmen Compensation Act, 1923 and Article 14, 15 and 21 of the constitution of India, allowing consensual sexual activity between two homosexuals above 18 years of age.

In the leading judgment of **Navtej Singh Johar v. Union of India**[14] the five judge constitution bench comprising of Chief Justice Dipak Misra and others held Section 377 unconstitutional in so far it criminalized gay cohabitation between consenting adults, and reversed the two judge bench decision in the case of **Suresh Kumar Koushal v. NAZ Foundation**.[15] While giving judgment, Justice R.F.Nariman told that present definition of mental illness in The Mental Healthcare Act, 2017 makes it clear that homosexuality is not considered a mental illness and when viewed in the light of Yogyakarta principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender of identity, section 377 will have to be declared unconstitutional. Justice Indu Malhotra added that homosexuality is not an aberration but a variation of sexuality. Sexual orientation is not a choice, and homosexual cohabitation cannot be treated as against the order of nature.[16]

Role Of Judiciary: In India, cohabitation is considered a taboo since British rule. However, this is no longer true in big cities, but is still a conservative concept in rural areas. India is a country, which is slowly opening its doors for western ideas and lifestyles and one of the most crucial episodes amongst it, it is the concept of cohabitation. Indian judiciary have always presented mixed views regarding cohabitation, where sometimes they say that cohabiting couples have all the rights of a married couple but for the other times, kept them out of the ambit of marital laws.

In **D. Velusamy v. D. Patchaiammal**[17] the Supreme Court co-examined the term 'Aggrieved person' and 'Domestic Relationship' and opined that phrase 'Relationship in nature of marriage' included in Section 2(f) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 is not anywhere cleared up in the act and held that relationship in nature of marriage is akin to a common law marriage. The couple although not being formally married, shall hold themselves out to society as being akin to spouses, shall be qualified to enter into a legal marriage and must have cohabited voluntarily.[18]

In **Lata Singh v. State of Uttar Pradesh**,[19] the question raised in the front of Supreme Court was whether any person have a right to choose, i.e., to marry a person of her own choice. The apex court held that there is no bar for inter-caste marriage, and every person have a right to choose their life partner as well as inter caste marriage would help in uprooting the caste system.

In **S. Khushboo v. Kanniammal & another**,[20] the special bench derived a question-" If two people, man and woman, want to live together, who can oppose them? What is the offence they commit here? This happens because of the cultural exchange between people," and opined that cohabitation is a wedge of right to life and cannot be said to be a criminal offence by doing logicless interpretation of any theory or rules of morality. Nearly same was reiterated in the case of **Indra Sarma v. V.K.V.Sarma**[21] where the court held that live in or marriage, like relationship, is neither a crime nor a sin though socially unacceptable in this country. One judgment which gave a new angle to the concept and law of cohabitation was **Nand Kumar v. State of Kerela**[22] where the apex court clearly held that even if parties are not competent to enter into wedlock, they have the right to live together even outside the wedlock.

In **Mohabbat Ali v. Mohammad Ibrahim Khan**,[23] the court observed that when a man and a woman cohabited continuously for a number of years, the law presumes that they are a married couple and are not in a state of concubinage. When the concept of natural law came into force, there was no any difference between woman who was married and who was in cohabitation. But, with changing dimensions of society, it had certainly become required to recognize relation of a woman and a man living together even without marriage.

Conclusion and Suggestions: Human rights have been

defined as a group of ethical principles having legal dimension, which arise out of the need of each and every individual to enjoy the conditions essential for a decent life. Protection of human rights in India is not only proclaimed by general laws but also by the Constitution which is the supreme law of the land. British jurist and philosopher, Jeremy Bentham gives the concept of 'Greatest good of greatest number.' It means that every human being wishes and desires to be happy at every human being wishes and desires to be happy at every aspect of life. There is no meaning to the existence of life of any person if he is not happy. Right to happiness have been in existence since ancient times, and is considered to be one of the primary natural right. One way to keep a person happy is to put very less restrictions on him and allow doing him any act exception being that it is not illegal. The concept of cohabitation also has a direct linkage to Right of Happiness and other natural right. Cohabitation is not a very current and unfamiliar concept in India. Cohabitation is an individualistic and human rightist approach although cohabitation is quite prevalent in western countries, but reality in India is different as marriage is still an institution, which is to be preferred over any form of union. Ironically, the land of Kamasutra has always had an unadventurous outlook towards the concept of marriage and relationships. In India, matrimony is sacrosanct but today marriage doesn't hold the same values anymore. Even the Indian apex court has now agreed to the fact that cohabitation is a part of right to life and liberty and is nothing illegal. The view of Indian judiciary is a welcome step towards describing cohabitation as a human right.

The following suggestions may be followed with an aim to give legality to concept of cohabitation as well as securing the rights of cohabiting partners and related relationships:

1. There shall be a formulation of a whole new set of laws for governing relations including protection in case of desertion, cheating in such relationships, maintenance, inheritance, etc. so as to protect the rights of the cohabiting partners.[24]
2. The statutes shall be made on the basis of the exhortations put forward by The Justice Malimath Committee.
3. Article 21, when interpreted liberally with a humanistic approach, it makes it clear that there is nothing illegal in cohabitation.
4. Making cohabitation legal would also create a need to make a law regarding the rights of the cohabiting partners and related relations like children.
5. Supreme Court has given a green flag to right of cohabitation but the legislature is not enough bold and brave to create a statute and to create awareness in young minds. Awareness campaign about the right of cohabitation shall be made to make every person to agree with its pros and non-legality.

References:-

1. Sorabjee, J. Soli, World of All Human Rights, xvii (Universal Law Publishing Company, New Delhi, 2010 Edition)
2. Article 1, Universal Declaration of Human Rights, 1948
3. Asish Das and Prasanta Mohanty, Human Rights in India 07 (Sarup and Sons, New Delhi, 1st edition, 2007)
4. (1880) 100 US 339
5. Article 21, The Constitution of India
6. 2011 (2) UJ 1342 (SC)
7. (2006) 8 SCC 726
8. AIR 2001 MP 188
9. AIR 2005 SCW 718
10. AIR 2008 SC 1986
11. Criminal Writ Petition No. 2218 of 2007
12. 2001 (3) AWC 1778
13. 2009 SCC OnLine Del 1762
14. (2018) 10 SCC 01
15. (2014) 1 SCC 01
16. https://www.scconline.com/blog/post/2018/09/06/gender-identity-and-self-expression-basic-to-human-dignity-article-377-unconstitutional-in-so-far-it-penalises-consensual-sexual-acts-between-adults-in-private-sc/
17. AIR 2011 SC 479
18. Iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue12/version-4/F0191242838.pdf
19. AIR 2006 SC 2522
20. MANU/SC/0310/2010
21. Criminal Appeal No. 2009 of 2013
22. 2018 SCC OnLine SC 492
23. AIR 1929 PC 135
24. Researchgate.net/publication/286440123_socio-legal_dimensions_of_live_in_relationaship_in_india

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

सामाजिक विकास और महिला सशक्तिकरण : महिला विकास का एक विकल्प

मंजु मीणा* डॉ. रेखा माली**

* शोधार्थी, पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च युनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत
** सहायक आचार्य (राजनिति विज्ञान) पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च युनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – सामाजिक विकास का पूर्ण अर्थ जानने से पहले विकास शब्द को परिभाषित करना आवश्यक है। 'विकास' शब्द का शाब्दिक अर्थ है, 'वृद्धि-क्रमिक प्रगति का होना। पश्चिम देशों में इसे प्रधानत: एक आर्थिक प्रक्रिया जाना जाता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या के सभी स्तरों के जीवन स्तर में सुधार करना होता है। इसे वस्तुओं के निरन्तर बढ़ते हुए उत्पादन के द्वारा जाना जाता है, परन्तु विकासशील देशों के विकास 'सर्वाधिक विशिष्ट कार्यरत परिवर्तन प्रक्रियाओं का योग है।' वे इसे एक बहुपक्षीय अवधारणा मानते है, उनके लिए **'विकास साररूप से चेतन, तर्कसंगत एवं जानबूझकर प्रयत्न करने का मुद्दा है। विकास की प्रक्रिया एक दैत्याकार पैमान पर समाज का सकारात्मक कार्य है तथा इसका उद्देश्य रणनीतियों, धन और आर्थिक प्रगति से ही नहीं किन्तु सामाजिक दृष्टिकोण और संस्थाओं, मूल्य धारणाओं, अवसरों, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आराम, राजनीति, शासन और विधि से ही सम्बन्धित है।'**

सामाजिक विकास का अर्थ एवं अवधारणा – विकास एक निरन्तर परिवर्तनशील और गतिशील प्रक्रिया है। सभ्यता के विकास के साथ इसके विभिन्न रूप और अवधारणा रही है। 19वीं सदी की तुलना में आज विकास की प्रकृति अलग प्रकार की है। विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसकी निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। सच तो यह है कि विकास की एक सन्तोषप्रद सर्वव्यापी परिभाषा न तो हो सकती है और न ही की जा सकती है, फिर भी विद्वानों ने इस अवधारणा का अर्थ बताने का प्रयास किया है।

जेराल्ड ई. काइडन के अनुसार, 'विकास शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। अर्थशास्त्री इसे आधुनिक उत्पादकता के रूप में परिभाषित करते है, समाजशास्त्री इसका प्रयोग सामाजिक परिवर्तन से करते है, राजनीतिक विचारक इसे जनतन्त्रीकरण, राजनीतिक क्षमता अथवा विकासशील सरकार के रूप में करते है, प्रशासक इसे अधिकारी तन्त्र, प्रशासनिक कुशलता एवं क्षमता के रूप में मानते है।'

ऑक्सफोर्ड शब्दकोष ने विकास को 'उच्चतर, पूर्णत्तर और प्रौढ़ स्थिति की और बढ़ना बताया है।'

एडवर्ड वाइडनर के शब्दों में, 'विकास गतिशील है, जो सदैव चलता रहता है। विकास मन की स्थिति, प्रकृति और एक दशा है जो एक निश्चित लक्ष्य के बजाय एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की गति है।'

जॉन मॉण्टगोमरी के अनुसार 'विकास जो अभीष्ट अथवा परिवर्तन होता है।'

रिग्ज महोदय ने 'विकास को विवर्तन के उभरते स्तर द्वारा सम्भाव्य सामाजिक प्रणालियों की वर्द्धमान स्वायत्तता (विवेक) की प्रक्रिया के रूप में माना है।' इस परिभाषा में दो शब्द 'विवेक' और 'विवर्तन' महत्वपूर्ण है। विवेक का अर्थ है विकल्पों में से चुनाव करने की क्षमता और विवतर्न का तात्पर्य है सामाजिक प्रणाली में विशिष्टीकरण की मात्रा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विकास परिवर्तन कि वह स्थिति है, जिसके द्वारा परम्परागति स्थिति से हम आधुनिक स्थिति पर आते है। विकास सामाजिक गतिविधियों से प्रभावित होता है। जो सदैव राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक-आर्थिक प्रगति की और निर्देशित होती है।

विकास का विस्तार (दिशाएँ) – विकास एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो कुछ परिलक्षित होता है, यथार्थ बन जाता है।

विकास की चर्चा केवल आर्थिक विकास के रूप में नहीं करनी चाहिए। इसके राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक घटक भी होते है। यद्यपि विकास के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटकों के बीच विभाजन रेखा खींचना संभव नहीं है, ये सब मिलकर विकास की प्रक्रिया में योगदान देते है। अत: विकास एक जटिल घटना है, जिसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक दिशाएँ होती है।

1. **राजनीतिक विकास –** राजनीतिक विकास में राजनीतिक व्यवस्था स्वयं की मौलिकता समस्याओं से निपटने की क्षमता रखती हो तथा जनता की मांगों के अनुरूप बनने हेतु सक्षम हो। राजनीतिक विकास में आर्थिक औद्योगिक विकास, आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण, लोकतन्त्र की स्थापना, राजनीतिक स्थापित्य आदि बातें सम्मिलित है।
2. **आर्थिक विकास –** विकासशील देशों का आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आर्थिक विकास एक लम्बी परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसका कोई सन्तोषजनक एवं सर्वमान्य सूचक निश्चित करना संभव नहीं है। प्रो. लिप्से के अनुसार, आर्थिक विकास के कुछ संभावित माप है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति पूंजी, प्रति व्यक्ति बचत, सामाजिक पूंजी, रहन-सहन का स्तर, राष्ट्रीय आय, आदि। आर्थिक विकास का प्रमुख उद्देश्य देश का आर्थिक दृष्टि से विकास करना है।
3. **सांस्कृतिक विकास –** संस्कृति का अर्थ किसी समुदाय की जीवन शैली है जो नागरिकों को अनेक आदर्शात्मक मूल्य प्रदान करती है। इन मूल्यों से प्रशासन भी अछूता नहीं है। ग्लैडन के अनुसार यदि प्रशासनिक संस्कृति रूपान्तरण के कारण हुई प्रगति से सामंजस्य स्थापित नहीं करती, तो सामाजिक असन्तोष और हिंसा से सामाजिक ढांचा अन्तत: ध्वस्त हो

जायेगा। सामाजिक संस्कृति की अनुकूल क्षमता ही प्रशासन में लोक-सामंजस्य और व्यवस्था बनाये रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है।

4. **प्रशासनिक विकास -** प्रशासनिक विकास, विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह परितर्वन शील और गतिशील अवधारणा है। जो समाज में आर्थिक, सामाजिक, एवं राजनैतिक परितर्वन के लिए प्रयत्नीशील है। इसका सम्बन्ध विकासशील देशो के प्रशासन है। इसमें प्रशासनिक संरचनाओं, संगठनों, नीतियों, प्रक्रियाओं आदि में परिवर्तन करके प्रशसन को समयानुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है।

5. **सामाजिक विकास -** यह एक विस्तृत अवधारणा है, जो आर्थिक विकास के अधिक समीप है। सामाजिक विकास से तात्पर्य समाज में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाते हुए उन्नति करने से है। इसमें वस्त्र, भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधाएँ, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि बातें सम्मिलित होती है।

सामाजिक विकास - हरबर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक **'सोसियोलॉजी'** में सामाजिक विकास का उल्लेख किया है तथा **आर.हापस्टेडर** ने **'सोशल डाविनिज्म इन अमेरिकन थॉट'** में सामाजिक विकास के सिद्धान्तों का उल्लेख किया है।

जे.एफ.एक्स.पैवा (अप्रकाशित उल्लेख) के अनुसा सामाजिक विकास के 'दो परस्पर सम्बद्ध आयाम है पहला है - लोगों में अपने और समाज के कल्याण के लिए निरन्तर काम करने की क्षमता का विकास। दूसरा है, समाज की संस्थाओं में बदलाव या विकास, जिसके सभी स्तरों पर, विशेषत: निचले स्तर पर, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। यह व्यक्तियों और सामाजिक-आर्थिक संस्थाओं के बीच के सम्बन्धों के सुधार और इस पहचान के द्वारा संभव होता है कि मानवीय आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति और उन्हें पाने के तरीके मनुष्य और प्रकृति की शक्तियों के बीच सतत् अन्त: क्रिया पर निर्भर है।' वह यह भी कहते हैं कि 'इस प्रक्रिया में सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग में परिवर्तन द्वारा परिणात्मक और गुणात्मक ढंग से आवश्यकताओं की सन्तुष्टि में सन्तुलन प्राप्त किया जाता है।'

अत: सामाजिक विकास का एक मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और विकास के लाभागों का समान वितरण है। सामाजिक विकास का लक्ष्य अन्ततोगत्वा एक अधिक मानवतावादी समाज की प्राप्ति है, जिसकी संस्थाएँ और संगठन मानवीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक उपयुक्त ढंग से प्रतिक्रिया करे।

सामाजिक विकास की अवधारणा का निश्चित रूप से यह अर्थ नहीं है कि व्यक्तियों को भावहीन स्वचालित यन्त्र और आत्मविहीन रोबोट बना दिया जाए। उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए और उन्हें समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंग भी होना चाहिए। यहां इस बात पर बल दिया जा रहा है कि व्यक्ति की चिन्तन प्रक्रिया और जीवन शैली में सामाजिक कल्याण को प्रमुखता मिलेगी और व्यक्ति के स्तर पर संतुष्टि सामाजिक माध्यमों से होगी।

विकासशील देश विकास के जनकल्याणकारी पक्ष को प्रति व्यक्ति आय को उत्पादकता की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते है। संक्षेप में सामाजिक विकास में तीन वस्तुएँ समाहित होती है - प्रथम एक लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गृह आदि सुविधाओं में अभिवृद्धि करना होता है।

इसका तीसरा लक्ष्य एक 'नवीन सामाजिक व्यवस्था' की रचना करना है। विकासशील देशों के पास इस नवीन सामाजिक व्यवस्था की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है, परन्तु वे अवसर की समानता, नियोजित अर्थव्यवस्था और 'गरीबी हटाओ' को इसका आवश्यक अंग मानते है।

सामाजिक विकास एक और मानव आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बीच और दूसरी और सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक नियोजित संस्थात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह समाज में व्यक्तियों के लिए आर्थिक प्रगति को अच्छी जीवन स्थितियों में परिवर्तित करता है। यह गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, असमानता, विवेकहीनता तथा समाज में प्रचलित दमन आदि के विरूद्ध एक युद्ध की घोषणा है। इसका उद्देश्य न केवल निर्बल तथा विशेषाधिकार वंचितों का उत्थान करना है, बल्कि सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। यदि सामाजिक विकास की पूर्वावश्यकता सभी नागरिको की अपने समाज निर्माण में भागीदारी है, तो लोगों का यह भी विशेषाधिकार है कि सामान्य प्रयत्नों के भागीदारी के लाभों का भी वे आनन्द ले।

आर्थिक विकास तक तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि सामाजिक विकास न हो। सामाजिक विकास के अनेक क्षेत्र है, जिनमें रोजगार के नये अवसर, शिक्षा, महिला साक्षरता तथा समाज में बराबर की सहभागिता, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, जनसंख्या नियंत्रण, शिशु कल्याण, अपंग तथा वृद्धजनों का कल्याण, स्वच्छ पीने का पानी और संचार आदि सम्मिलित है।

वास्तव में सामाजिक विकास की आवश्कता प्रगति की प्राप्ति के लिए होती है। पार्सन्स ने लिखा है कि 'विकास संकुचित अर्थो में परिवर्तन है। यह वृद्धि से संबधित है जो पहले से ही किसी वस्तु में गुप्त अवस्था में विद्यमान है।'

प्रश्न उठता है कि वे कौनसे आधार है? जिसमें यह कहा जा सकता है कि समाज विकास कर रहा या नही।

हॉब हाउस ने अपनी पुस्तक **'सोशल डेवलपमेंट'** में विकास के लिए जिन मापदंडों का उल्लेख किया है, उनमे मात्रा की वृद्धि कार्य क्षमता में वृद्धि आपसी सहयोग एवं मानचीय स्वतन्त्रता प्रमुख है।

'विकास' सम्प्रत्यय अपने लक्ष्य, उद्देश्य और पूर्व शर्तो के लिए विकासशील देशों की नियोजन और संवृद्धि के दस्तावेजी प्रशासन और राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में सन्निहित हो चुका है।

सामाजिक विकास इन संदर्भ में समाज वैज्ञानिक चिन्तन का क्षेत्र है, जो सामाजिक संरचनात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों को राष्ट्र विकास सिद्धान्त से अनुगमन करेगा। सामन्तवादी तथा अणुवादी सिद्धान्त है। जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठे यह सामाजिक विकास का उद्देश्य है। सामाजिक विकास के प्रावधान और प्राथमिकताएँ समजा के निर्बल वर्ग की अैर झुकी रहती दिखाई पड़ती है। लर्नर ने सामाजिक विकास के सूचकों में नगरीकरण, समानुभूति, जन सहभागिता, शिक्षा को शामिल किया गया है। सामाजिक सेवाऐं जब निचले स्तर तक पहुंचेगी तभी विकास क लक्षण प्रकट होंगे या वांछित विकास होगा।

सामाजिक विकास के मार्ग में सबसे अधिक बाधक 'अपरिवर्तकारी कारक' होते है। सामाजिक विकास का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अतएव सामाजिक विकास को प्रथमत: सामजकीय विनिमय के श्रृंखला भाग और द्विगुणित विस्तार, द्वितीय नए विभेदक, विशिष्टीकृत भूमिकाऐं, संस्थानिक संगठन एवं स्वतन्त्र व्यवस्था जिनमें अन्तर्निभरत बढ़ती हो, तृतीय प्रणाली

की छनन प्रणालीबद्ध या क्रमबद्ध जुड़ाव, चतुर्थ पूर्व प्रक्रिया व्यवस्था के बीच अधिकृत प्रणाली निर्मित है। इन चारों दृष्टिकोण से 'सामाजिक विकास' का विवेचन किया जा सकता है।

सामाजिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है जो आर्थिक विकास से अधिक निकट है। सामाजिक विकास से हमारा आशय समाज में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन में परितर्वन लाते हुए उन्नति करता है। सामाजिक विकास कोई नवीन अवधारणा नहीं है। यह पहले भी विद्यमान थी और भी है। यह गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा है जो समय के अनुसार नया स्वरूप ग्रहण कर लेती है। 17वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के कारण सामाजिक विकास का क्षेत्र बढ़ा है तथ उसनें त्रीवता आयी है।

भारत में महिलाओं को सम्पूर्ण दृष्टि से देवीय शक्ति स्वरूपा समझा जाता रहा है –

'नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनग पग तल में
यू पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।'

उपर्युक्त वर्णित पंक्तियाँ आमजन के मानस में विचरण करती है। हमारे समाज में भावनात्मक, सजीव जीव को देवी स्वरूप का दर्जा दे दिया है, लेकिन उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं की परवाह करना भूल गया है, जो केवल एक सामान्य मनुष्य के रूप में जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष प्रधान समाज की सहभागी बनने की लालसा रखती है। पुरुष के समान ही जीवन के घर की चार दीवारी के से बाहर निकलकर संघर्ष करना चाहती है।

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय है 'महिलाओं सामाजिक और आर्थिक प्रस्थिति में सुधार लाना है, जिसके फलस्वरूप महिलाएं शिक्षा, रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे पक्षों पर अपनी सुदृढ़ता स्थापित कर सकें, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और उन्नति प्राप्त कर सकें, यह जीवन यात्रा का वह पक्ष है, जिसमें महिलाएं पुरुषों के समान अपनी प्रत्येक आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करती है।'

समाज ने महिलाओं को कभी माँ के कभी बनह, कभी पत्नी तो कभी बेटी के रूप में ही अपने जीवन का सहभागीदार समझ कर उसको स्वतंत्र होने से वंचित रखा है। और इसी वजह से वह सिर्फ घर में काम करने वाली प्राणी बनकर बिना मजदूरी लिए अपने घर के सभी सदस्यों की सेवा बड़ी ही आत्मीयता से करती है।

अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा स्वंय के निर्णय लेने के लिए महिलाओं को अधिकार प्रदान करना ही महिला सशक्तिकरण है। महिला जिसे कभी केवल संतान उत्पत्ति और भोग की वस्तु समझा जाता था, आज वह पुरुषों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। धरती से लेकर आसमान तक कोई क्षेत्र अछुता नहीं रहा है। जहां महिलाओं ने अपनी क्षमता से विजय का परचम न लहराया हो। हालांकि यहां तक का सफर तय करने के लिए महिलाओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।

देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण बेहद आश्चर्य और आवश्यक है। महिलाओं के कई क्षेत्र में विकास की जरूरत है। भारत में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, जहां महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाह्य समाज के भेदभाव और बुरे व्यवहार से पीड़ित है। महिला सशक्तिकरण का असलइद अर्थ तब समझ आयेगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी। और उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वह हर क्षेत्र में स्वंतत्र होकर निर्णय कर सकें।

पं. नेहरू जी ने कहा है कि 'लोगों को जमाने के लिए महिलाओं को लगाना जरूरी है, गांव आगे बढ़ता है, तथा राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होता है।' भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना अनिवार्य होगा।

जैसे – अशिक्षा, यौन हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृति, अशिक्षा, मानव तस्करी इत्यादि विषय। भारत में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।

महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे हर परिवार में बाल्यपन से ही प्रसारित करना चाहिए। ताकि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो। वर्तमान में कई पिछडे क्षेत्रों में माता–पिता में विवाह होना बच्चे पैदा करने का प्रचलन है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के विरूद्ध होने वाले दुर्व्यहार, लैंगिक असमानता, हिंसा और सामाजिक उठा रही है। महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए महिला आरक्षण जिला पारित होना अनिवार्य है।

महिलाओं वास्तविक विकास के लिए सरकार ने 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन कर देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान की उनकी भूमिका को सशक्त करने का प्रयास किया है।

महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें समाज में पुरुष के समान महत्व और दर्जा मिले। महिला सशक्तिकरण में यह ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। वह समाज की सभी समस्याओं का निदान पुरुषों से बेहतर ढंग से कर सकती है। महिलाएं अच्छे पारिवारिक योजना से वह देश और परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रबंधन करने में पूर्ण तरह से सक्षम है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं किसी भी प्रभावकारी हिंसा को संभालने में सक्षम है। चाहे वह पारिवारिक हो या सामाजिक। महिला सशक्तिकरण की सहायता से बिना अधिक प्रयास किए परिवार के प्रत्येक सदस्य का विकास सरलता से हो सकता है। महिलाएँ अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, और परिवार देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को लेकर सदैव अत्यधिक जागरूक और सचेत रहती है।

कानूनी अधिकारी के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा पारित किए गए कुछ अनिनियम है – पारिश्रमिक एक्ट (1976), दहेज निषेध अधिनियम (1961), अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (1956), बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (2006), घरेलु हिंसा सुरक्षा अधिनियम (2005), कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013 आदि।

कानून अधिकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे रहे है। किन्तु केवल कानून बनाने और उनके बारे में बात करने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। महिला सशक्तिकरण लाने हेतु समाज के लोगों की सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना होगा।

प्रत्येक राष्ट्र हमेशा की महिलाओं के सशक्त होने से सशक्त होता है और और जब तक महिलाओं के स्व–अस्तित्व को उन्नयन नहीं होगा तब तक राष्ट्र विकास के मार्ग पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जीने महिला जनप्रतिनिधियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा था कि 'महिलाएँ विविध भूमिकाओं में अपने नागरिकों का पालन पोषण करती है। तब जाकर ये सशक्त नागरिक एवं सशक्त समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते है।' प्रबन्धकीय संसार में

मल्टी टासंकिग होना एक विशेषता है और हमारे भारत की महिलाएं तय समय सीमा में एक साथ विभिन्न कार्यों को संचालित करने में दक्ष होती है।

नि:संदेह महिलाओं की निर्णय क्षमता एवं विचार शक्ति का सही उपयोग हेतु विविध क्षेत्रों में नीति निर्धारण से लेकर उनके क्रियान्वयन तक के सभी पुरुषों में महिलाओं की महत्ता और नागरिकों को सशक्त करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. विपलव : महिला सशक्तिकरण : विविध आयाम, पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, 2013
2. भसीन, कमला : भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तिकरण, योजना, नई दिल्ली, सितम्बर, 2016
3. सिंह, राजथाला, भारत में महिलाएं
4. सिंह, वन्दना, नारी सशक्तिकरण दशा – दिशा, जुलाई, प्रतियोगिता दर्पण, 2006
5. गोयल, प्रतिप्रभा, 'भारतीय नारी विकास की ओर', राजस्थानी ग्रंथ सभागार, जोधपुर, 2009
6. कुमार, विपिन, वैश्वीकरण एवं महिला सशक्तिकरण : विविध आयाम, रीगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

भारतीय सीमाओं का वर्तमान भू राजनीतिक महत्व

डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी *

* एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारत विश्व की महत्वपूर्ण सामरिक ताकत है। यह ताकत सीमा की सुरक्षा से और भी बढ़ जाती है। विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा शांत सीमा वाले उदाहरण माने जाते हैं इसीलिए वहां पर विकास निरंतर चल रहा है। वहीं भारत विश्व की 138 करोड़ की जनसंख्या रखते हुए भी चीन और पाकिस्तानी क्षेत्र की सीमाओं से चुनौती ले रहा है। पाकिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्र में जहां आतंकवादी घुसपैठ की चुनौती है। वहीं चीन की सीमावर्ती क्षेत्र में चीन द्वारा निरंतर भारतीय सीमा में घुसपैठ हो रही है। बांग्लादेश की सीमा से जनसंख्या संबंधी अवैधानिक घुसपैठ के कारण भारत समस्या ग्रसित है। समुद्री सीमा में श्रीलंका के बंदरगाहों एवं पाकिस्तान के बंदरगाहों से चीन द्वारा भारत को चुनौती मिल रही है। भारतीय सीमाओं के बारे में इस पत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश किया जा रहा है।

भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं – भारत विश्व के 7 देशों से लगभग 15106.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत की पश्चिमी सीमाएं पाकिस्तान के साथ मिलती है। जो 3332 किलोमीटर है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर सीमा बनती है। उत्तर में चीन के द्वारा भारत की सीमाएं 3448 किलोमीटर बनती है। नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान से 699 किलोमीटर तथा म्यांमार से 1646 किमी तथा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किमी सीमाएं बनती है। भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार से सीमा चुनौती का सामना कर रहा है, इसका तथ्यात्मक वर्णन आगे किया जा रहा है।

स्त्रोत–https://lotusarise.com/indian-geographical-extent-and-frontiers-upsc/

Name of the Country	Length of the Border (in Km)
Bangladesh	4,096.7
China	3,488
Pakistan	3,323
Nepal	1,751
Myanmar	1,643
Bhutan	699
Afghanistan	106
Total	15,106.7

Ministry Of Home Affairs

स्त्रोत–https://lotusarise.com/indian-geographical-extent-and-frontiers-upsc/

भारत और चीन की सीमा – भारत और चीन की वर्तमान सीमा का निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में तिब्बत भारत एवं इंग्लैंड के मध्य हुई बैठक के आधार पर हुआ था। इसको भारत ने स्वीकार किया था परंतु चीन इस समझौते को नकार रहा है और भारतीय सीमा में निरंतर घुसपैठ करता है।

भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने 61 महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर भारतीय सुरक्षा की योजना बनाई है। इन महत्वपूर्ण स्थानों में से कांग्ला एवं देप्सांग – दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र, चारडिंग–डेमचोक, बलवान घाटी, तवांग, डोकलाम, जाकरलुंग और पसामलुंग घाटियां, गोगरा–हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र, जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत ने अपनी चौकियां मजबूत कर दी है। पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र में, जून 2020 में चीनी सैनिकों के साथ भारत के सैनिकों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में भारत के 20 सैनिक मारे गए, वहां तनाव बढ़ा और इस झील के पास चीनी सैनिकों को भी ठिकाने लगा दिया गयाद्य 16 दौर की वार्ता के पश्चात भी आज हम नहीं कह सकते कि चीन की घुसपैठ नीति में कोई परिवर्तन आया होगाद्य 2017 में भारत और भूटान की सीमा के पास डोकलाम क्षेत्र में चीन की सेना 71 दिन तक पडी रही।72 वे दिन वहां से सेनाएं पीछे हटी, चीन का यह बदलाव इसलिए हुआ कि भारत वहां डटा रहा।

इस बदलाव का मूल कारण यह था कि भारत में उस समय चीन के

विरोध में एक आंदोलन चल रहा था चीनी वस्तुओं के बहिस्कर का। दुसरी तरफ China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) रोड का भी भारत में विरोधी हो रहा है क्यूंकि CPEC भारत के अंदर कश्मीर से निकलने वाला है और कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है।CPEC के बार बार विरोध का कारण उसकी भारतीसीमा से निकटता है।

भारत चीन सागर में भी चीन का विरोध करता हैं क्योंकि विश्व में व्यापार की दृष्टि से हिंद महासागर से लगभग 70% व्यापार किया जाता है। चीन सागर और हिंद महासागर का कनेक्शन है। श्रीलंका और पाकिस्तान से जुड़ी हुई कुछ बातें और भी हम लोगों को समझना चाहिए। श्रीलंका में चीन ने हंबनटोटा बंदरगाह का निर्माण किया है,और उस के माध्यम से वह भारत को नियंत्रित करना चाहता है। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर चीन ने अपना अधिकार कर लिया है और वहां निर्माण कर रहा है। वहां से भी चीन भारत को नियंत्रित करना चाहता है। हम लोगों को अपनी सीमा की सुरक्षा के नाते निश्चित रूप से सावधान रहना होगा।

भारत-पाकिस्तान की सीमा के बारे में हम सबको मालूम है कि 3323 किलोमीटर भारत-पाकिस्तान की सीमा है। भारत पाकिस्तान की सीमा राजस्थान गुजरात और पंजाब और कश्मीर तक फैली हुई है। 1949 में कराची समझौता और 1972 में शिमला समझौता हुआ और भारत की सीमा और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण हुआ। भारत पर 1947 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया और भारत का लगभग 76000 वर्ग किमी क्षेत्र पाकिस्तान ने नाजायज कब्जे में कर लिया जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है। भारतीय उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के नाम से जानते हैं। हमारे नियंत्रण में यह भाग नहीं होने के कारण चीन और पाकिस्तान CPEC मार्ग को यहां से निकालना चाहते हैं भारत इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। और वर्तमान में पाकिस्तान के साथ पिछले 2 वर्षों से व्यापारिक गतिविधियां समाप्त हो गई है।

नेपाल में पिछले दिनों लिपुलेख के नजदीक भारतीय सीमा पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। चीन के द्वारा नेपाल को दिया जाने वाला आर्थिक सहयोग उसको मजबूरन भारत के विरोध में खड़ा कर रहा है। भारत के नेपाल के जो प्राचीन संबंध है, उनके अंदर भी और खटास पैदा हो रही है। हम लोगों को इस बारे में और समझना पड़ेगा कि भारत और नेपाल की वर्षों से सांसे एक है। परंतु सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के व्यवहार के कारण नेपाल भी विवाद खड़ा कर रहा है।

सीमा की दृष्टि से श्रीलंका में चीन ने प्रमुख बंदरगाहों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है। यह नियंत्रण इसलिए स्थापित किया गया है कि भारत को वहां यहां से नियंत्रित करना चाहता है। तथा चीन ने हिंद महासागर के लगभग 18 देशों में अपने सैनिक अड्डे बंदरगाहों के अंदर तैयार किए हैं जो उस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर एक तरह से कब्जा करने का प्रयास है। भारत में इस बारे में हिंद महासागर में विभिन्न देशों से बातचीत करना प्रारंभ किया है। भारत- quad समझौते के माध्यम से अपनी रणनीति बना रहा है। जिसमें अमेरिका जापान भारत और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है।

भारत और पाकिस्तान की सीमा - भारत और पाकिस्तान की सीमा के बारे में कुछ तथ्य इस आलेख में स्पष्ट करना चाह रहा हूं 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ की मध्यस्था में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्माण हुआ। आज भारत और पाकिस्तान के बीच में 3323 किलोमीटर सीमा है। इसमें से 425 किलोमीटर पंजाब में और 506 किलोमीटर गुजरात में 1170 किलोमीटर राजस्थान में तथा जम्मू कश्मीर में 1222 किलोमीटर है। वर्तमान में कश्मीर के अंदर एक जो कश्मीर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 55% भाग ही केवल मात्र भारत के पास में है। वही इस समय 30% भाग पाकिस्तान के पास में है और 15% भाग चीन के पास में है। 1954 में धारा 370 लगी और अगस्त 2019 में यह धारा समाप्त कर दी गई ।उसका प्रभाव वहां पर आतंकवाद में नियंत्रण पर हुआ है। युवा पीढ़ी नई योजनाओं के साथ जुड़ने लगी है। और वहां पर नए-नए विकास होने लगे है। भारतीय और पाकिस्तानी सीमा में सबसे महत्वपूर्ण समस्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान से कश्मीर में निरंतर हमले होते रहते हैं ,इसका समाधान हमें निकालना अति आवश्यक है।

स्रोत-https://www.mapsofindia.com/neighbouring&-countries-maps/india-pakistan-map.html

भारत और बांग्लादेश की सीमा - भारत और बांग्लादेश की सीमा भी निश्चित रूप से हम लोग विवादित कह सकते हैं। यद्यपि सीमा क्षेत्र में भारत की सुरक्षा गार्ड है और भारतीय सैनिक वहां पर मुस्तैद हैं, फिर भी बांग्लादेश के माध्यम से भारत में अनेक लोग जो अवैध रूप से भारतीय राज्यों के अंदर रह रहे हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी भारत के अंदर इस समय लगभग 3.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। सीमा की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके और देश की सीमा पर कठोरता लानी पड़ेगी वरना उस क्षेत्र से भारत में निरंतर जनता आती रहेगी।

बांग्लादेश से आए घुसपैठिए जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कोलकता, बेनीपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, हरदोई, सीतापुर, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, मिजोरम में, सिक्किम में, तथा दिल्ली तक आ चुके हैं। इस बारे में,गृह मंत्रालय से भी समय-समय पर रिपोर्ट आती रही है कि भारत के अंदर अवैधानिक रूप से बांग्लादेश घुसपैठिए आ रहे हैं।

भारत और म्यांमार की सीमा - भारत की सीमा पर खतरे और बढ़ रहे है। म्यांमार से आने वाले लोग भारत के लिए खतरे की तरह खड़े हो गए हैं। यह असम में और अरुणाचल प्रदेश में बिखरे पड़े हैं इसलिए हमें म्यांमार की

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

सीमा पर भी बहुत कठोरता अपनानी चाहिए।

भारत और चीन की सीमा पर सेना – भारत और चीन की सीमा पर वर्तमान में लगभग 225000 सैनिक तैनात हैं। पिछले दिनों गलवान घाटी में हुए चीन और भारतीय सैनिक के बीच में संघर्ष के कारण 35000 सैनिकों की टुकड़ी को वहां पर और तैनात किया गया था ।वर्तमान में वहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल क्षेत्र में 35000 सैनिक है। उत्तराखंड में 15500 सैनिक है। पूर्वाचल क्षेत्र में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और बंगाल के क्षेत्र में 175000 सैनिकों की टुकड़ीया वहां पर है। वर्तमान में सेना की दृष्टि से हम लोग चीन से कहीं भी कम नहीं है। और भारतीय सैनिकों की दृष्टि से वहां पर आने जाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सड़कें बन चुकी है। 1962 से अक्साई चीन पर चीन का अवैध कब्जा है और गलवान घाटी वाले क्षेत्र में भी चीन निरंतर आगे बढ़ रहा था। उसको रोकने के लिए भारत ने 35000 अतिरिक्त सैनिकों को वापस जमा किया परिणाम स्वरुप 16 चक्रों की वार्ता हुई।

भारत के सीमा सुरक्षा संबंधी प्रयास – भारत और चीन की सीमा के मध्य में पिछले 5 वर्षों में 2088 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हुआ है। इसकी लागत लगभग 15477 करोड़ रूपया है। इन पर बाराही महीने आवागमन संभव है। 2014 से लगाकर 2020 तक 4764 किलोमीटर सड़कें इस क्षेत्र में बनी है। एक महत्वपूर्ण सुरंग जिसको अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है उसका भी निर्माण हुआ है। वर्तमान में कनेक्टिविटी के नाते 10023 किलोमीटर सड़कें बीआरओ द्वारा सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है और इसका 95% काम पूर्ण हो गया है। वर्तमान में भारतीय संसद के अंदर इस बात की घोषणा श्रीमान गृहमंत्री द्वारा की गई कि भारत की उत्तरी सीमा पर अब हम लोग किसी भी मायने में चीन की सड़कों की तुलना में कमजोर नहीं है। भारत और पाकिस्तान की सीमा में भी 1336 किलोमीटर सीमा बनकर तैयार हुई म्यांमार की सीमा पर 151.15 किलोमीटर सीमा बनी है।

भारत की सीमा के लिए जो सुरक्षा के लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ती है,उसका 60% भारत आयात करता है। परंतु ,इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री एंड एजेंडा फॉर मेकिंग इन इंडिया के अनुसार 2019 के अंदर यह निर्णय हुआ कि भारत में 100% हथियार बनाने के लिए बाहर की 358 कंपनियों को एफडीआई के नाते आमंत्रित किया गया है और उन्हें संबंधित उपकरण बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं ।अब धीरे-धीरे भारत हथियारों का निर्यात करने लगा है। और वर्तमान में भारत का रक्षा बजट 1.4% के आसपास है। जो विश्व के मानको के अनुसार लगभग 1% कम है। इसे हमें बढ़ाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. स्थापना दिवस 2014 के अवसर पर महानिदेशक बीएसएफ का संदेश। 24 दिसंबर 2014 को मूल से संग्रहीत। 10 दिसंबर 2014 को पुन:प्राप्त।
2. 'भारत सरकार गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17' (पीडीएफ)। 8 अगस्त 2017 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत। 12 अगस्त 2017 को पुन:प्राप्त।
3. 'बजट में गृह मंत्रालय को 1.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन'। द इकोनॉमिक टाइम्स। 1 फरवरी 2022 को पुन:प्राप्त।
4. 'पंकज कुमार सिंह ने बीएसएफ के नए डीजी, संजय अरोड़ा को आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया'। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। 5 फरवरी 2022 को पुन:प्राप्त।
5. भारत सरकार (2 सितंबर 1968)। 'सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 संख्या 1968 का 47' (पीडीएफ) (अंग्रेजी और हिंदी में)। कानून मंत्रालय (विधायी विभाग)। पीपी। 1-2। 17 अक्टूबर 2014 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत। 8 सितंबर 2014 को पुन:प्राप्त।
6. 'बीएसएफ की भूमिका'। सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत। 8 सितंबर 2014 को मूल सेसंग्रहीत। 8 सितंबर 2014पुन:प्राप्त।
7. 'बीएसएफ एयर विंग'। सीमा सुरक्षा बल। 20 अगस्त 2014 को मूल से संग्रहीत। 8 सितंबर 2014 को पुन:प्राप्त।
8. 'गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017' (पीडीएफ)। 8 अगस्त 2017 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत।
9. '13वें अलंकरण समारोह में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बीएसएफ भारत की रक्षा की पहली दीवार है।' बिहारप्रभा न्यूज। एएनआई। 22 मई 2015। मूल से 22 मई 2015 को पुरालेखित। 22 मई 2015 को पुन:प्राप्त।
10. 'परिचय सीमा सुरक्षा बल'। बीएसएफ.एनआईसी.इन। 5 फरवरी 2015 कोमूलसे संग्रहीत
11. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित अध्याय 20 भारत 2013 के 636 और 637। भारत की
12. 'कुत्तों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र... जहां कुत्तो प्रशिक्षित होते हैं!' कुत्तो और पिल्ले पत्रिका।13 सितंबर 2011।7 मार्च 2022 को पुन:प्राप्त।
13. सिंह, राकेश के (3 अक्टूबर 2014)।'बीएसएफ की टियर स्मोक यूनिट ऑटोमेशन ड्राइव पर'। पायनियर। 7 मार्च 2022 को पुन:प्राप्त।
14. 'बीएसएफ आंसू गैस इकाई सरकार के ध्यान के लिए रोती है'। रेडिफ। 7 मार्च 2022 को पुन:प्राप्त।
15. 'केंद्रीय गृह मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग की शुरुआत की, अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक प्रभावी निवारक'। प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार। 5 मार्च 2019। 5 मार्च 2019 को पुन:प्राप्त।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Capital Punishment is Justified or Not?

Manaswi Agrawal*

***Research Scholar, University of Technology, Jaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - The study about whether Capital Punishment is justified or not is the topical understanding of the domains is broadly classified into the morality factor and then the utility factors. Based on the arguments presented politically and mouth word analysis reflects the intensity of the crime and its effect on society. The brief classification of the morality aspects is retributive and the restorative measures are taken under the construction of the law as such. The idea of abolishing the death penalty is because it is thought of as a death given by law which is not human to pursue provides protection. Lastly, it is based on the laws that have been made so far.

Introduction - The idea of capital punishment came from the word capitalist, which means head, and the idea of capitalism refers to beheading someone's head. The *Offences* are referred to as *capital offenses* include the ***death penalty***. Punishment by law is categorized under three kinds of crimes section that law deals with ***restorative*** which prevails in the idea of restoration back to society. This domain is concerned with restoring normal life. The other kinds are retributive which is broadly classified into two categories; the main goal of this section of punishment is to take vengeance. The law when taking vengeance against someone then it is classified into two categories life imprisonment or in extreme cases death penalty. The theme of the discussion focuses on the areas like an overview of the death penalty in India. Then the idea prevails on some more analytical and philosophical questions like, the Point of morality inside Capital punishment and Utilitarian and Political arguments on capital punishment.

Overview of the death penalty in India: In the last two centuries, there were at least six forms of capital punishment practiced. The first one is hanging, and then the second one is shooting a person[1]. The third punishment is a lethal injection which is injected and the person gets killed. The last two are very brutal: one is electrocuted and the other one is beheaded. Recent studies say that 106 counties have completely abolished the death penalty and eight countries have abolished it but not fully, not only in ordinary circumstances but special cases that are punishable by death by law. Abolitionism is one of the practices that reflect the idea that in the last decade, no one has been given the death penalty. During the Bombay Blast, in 1993 the main mastermind behind it was Abu Salim, who moved to Portugal where capital punishment is not practiced[2]. Thus when India tried to reach Portugal with this condition their government got knocked off the specific idea of how this abolition of the death penalty can be dangerously used. *"Article 72 of the Constitution states the President has executive powers to grant pardon to any person, even the person who is on death row"*. During the period of three decades, from 1991 to 2020 around 30 people have been executed with the judgment of the death penalty. There are a lot of ways to grant an appeal under the regulation of Article 136, and Article 134. Governor maximum can allow the person to live his whole life in prison, instead of facing the death penalty by the judgment by law[3]. The case of Macchi Singh which took place in 1983 was a giant; the whole state is analyzed to be fractured under the set of prolonged decisions. The death penalty needs a set of confirmations in a particular sequence and place of articles that needed to be passed out from different levels of law bodies[4]. In section 3030, it is perfectly analyzed and deduced that if a person is sentenced to be under the course of the death penalty can be overruled to grant permission, in the best case scenario leads to life imprisonment. Out of the various categories of the punishment policy the base factor that motivate it to be a punishable offense, is due to cost of the various categories under the observatory conditions. The idea which motivates it is the category of the crime and its intensity; this is analyzed under the specific categories of the restive and responsive measures[5]. The target is to analyze the factors related to the intensity of the crime and the restrictive measure factors as the measures which are taken to restore the criminal as a normal human being in society. The retributive punishment on the other hand holds a vengeance kind of flare into it, which means life imprisonment or in some extreme cases death penalty. The morality of the question arises when a state kills a person on the idea of vengeance. The crime must be hated,

not the criminal so much as a legal procedure to kill someone or hang them.

Point of morality inside Capital punishment : The main point that requires it to be addressed in the context of morality in the case of capital punishment is that it is worth it every time. There are tons of examples where the law was on the problematic side when it came to the right judgment[6]. Some cases are such that once a death penalty is given after a few years the guilty-charged person was found to be not guilty. The process through the painstaking process of taking a life and murder by law is in falsehood. Thus, this procedure is to date questioned in the eyes of intellectuals and philosophers.

The idea is involved with a vengeance as the idea goes perhaps with the categorical study of the phenomenon and the cases that have happened so far[7]. The idea is divided into three domains petty crimes, then comes the restorative format, and lastly is the retributive format. In the course of understanding these terms in more detail, some prerequisites are important, the state cannot kill any life it generous than one person killing another out of rage. In times back, when beheading-like rituals were there in the name of punishment. Philosophers had always questioned if it is justified to kill someone in the name of crime, and if is there no restoration possible to take the person back to life. However many have argued about who is addicted to killing people like serial killers or a deeper field of crime when there is a threat to society. Their idea of perceiving things is the language of vengeance. The idea which is to be looked upon is that the restoration is being prescribed for years and the idea is designed in the form of a sentence to a particular number of years of jail. The specifics are not important in the topic of capital punishment; the idea is that the crime rate and the intensity of it will further decide what would be the punishment and the category of it.

Restorative Discipline: The idea which is discussed here is to bring a person back to normal life and the idea behind the improvement factor is still there in that specific case[8]. The understanding of the importance of the factors related to treatment concerning the betterment of life as a whole in a society. The factor which motivates this domain is to bring a healthy perspective to society that criminals can be dealt with patiently and can be improved as a person in society. There are various modes of education down there, in the time of imprisonment they can study, take exams and pursue courses and skills. There is a very healthy environment for those who want to improve as a person. The analysis represents that some human beings have the persona to improve and be a healthy outcome for society.

Retributive Discipline: The retributive method of punishment includes the set of two specific categories like crime by nature if a criminal performs a crime by nature and has some irreversible changes in the psychology that especially comes under life imprisonment[9]. Then come the top list of who cannot be kept alive. It is too harmful to society to exist and they are terrorists and the set of mafias who deal with cities and promote mass-level crime[10]Salihu, Mustapha, and Chigozie Enwere. “The Novel Corona Virus a Global Pandemic: An overview of the Blame on China and the Global Response to the Pandemic.”

They easily destroy cities and kill thousands of people only to create fear and are hanged and present to be criminals under capital punishment.

Utilitarian and Political arguments on capital punishment: This domain will discuss the utility of capital punishment, whether there is at all any utility and how it is related to political arguments. The sole purpose of the analysis is the way of representing the factors in such a way that reflects the sole purpose behind them. The fabrication of thought is interlinked with the admiration of the understanding of the effects related to its establishment of it[11].

Analyzing based on the point of view that capital punishment is good, there is a philosophy named as “deterrent effect”. This leads to less crime while fearing the death sentence punishment. The supporters of the view capital punishment must go on which is based on a utilitarian point of view[12]. The dreaded terrorist who plans to attack a city or a large group of people kills them without any reason just to spread fear, the long-term imprisonment

“Based on this aspect, the Supreme Court of India has, in several instances, upheld capital punishment to be constitutional”, thus empowering the constitutional measures.

“*Article 21 of the Constitution of India, guarantees the right to life as a fundamental right*”. These do not guarantee the fundamental right requirement and thus provide the oriented revoke of the constitutional laws. The idea of deterrent effect is observed when capital punishment is in the picture, this prevents criminals from committing crimes.

The idea which has generated the deterrent effect is the main concern that one gets afraid to commit crime as they see someone get hanged by the state. The idea of killing a person is regulated under the highest forum and the department of crime[1313] Hickey, Gordon M., et al. “On the architecture of collaboration in inter-organizational natural resource management networks.” Journal of Environmental Management 328 (2023): 116994.

The supporters of capital punishment think that it is also a political issue to deal with since the president of India has the power to withdraw the death sentence in some special cases. The idea of the death of a person by law is subjective and can be manipulated. The opposition to them thinks that when some are murdered then in return a country or a state cannot pursue the same mentality by killing the guilty. Capital punishment can never be reversed, thus if a person is found guilty by a wrong prosecution process and the real criminal gets caught after some time, then the state or the law must be responsible for punishing a life without any cause.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Conclusion: The whole idea of capital punishment revolves around the denominations of morality, utility, and political and people aspects. The presented format of this study concludes that the idea of killing a person for some heinous crime is justified in some cases where the respective person is harmful to society and can destroy a life further. Some aspects deal with the mild version of this properly on the restorative measures and the idea is to distribute the analysis of the fact that is related to the establishment of the factors which join the restoration process as a whole for the society; a long discussion on various domains of the punishment by the law. The perception through which it is developed is the intensity of crime and how much it harms society[14]. Heinousness is the dependent factor when a state decides to take a person's life by capital punishment. The judgment still questions the outrageous debate that has happened in the past. Morality always strikes with the analytical thought behind the utility[15]. The political approach to portraying this scenario is the government can take action on the behalf of the person to be hanged president has that power. Even the governor has power to some extent and the question again arises does it get used often, and if not why not. The conclusion is to the decision to integrity and the intensified effect on society.

References:-

1. Arnold, Denis G., and Roxanne L. Ross. "Care in Management: A Review and Justification of an Organizational Value." *Business Ethics Quarterly* (2023): 1-38.
2. Avery, Derek R., et al. "Is Justice Colorblind? A Review of Workplace Racioethnic Differences Through the Lens of Organizational Justice." *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 10 (2023): 389-412.
3. Baziliauskas, Andy, and Adonis Yatchew. "Assessment of AESO Recommendations to Adopt a Sealed-Bid Auction for Operating Reserves." (2023).
4. Brown, Colin, and Chelsea Kaufman. "Showing the Other Side: What Kinds of Empathy Should Political Science Teach?." (2023).
5. Chuang, Rebecca. "'Criminal Beasts': Metaphors that Reveal Common Oppression to Humans and Animals." *Animal Ethics Review* 3.1 (2023): 19-28.
6. Cobbina-Dungy, Jennifer E., and Delores Jones-Brown. "Too much policing: Why calls are made to defund the police." *Punishment & society* 25.1 (2023): 3-20.
7. Davis, Ernest. "Benchmarks for Automated Commonsense Reasoning: A Survey." *arXiv preprint arXiv:2302.04752* (2023).
8. Dhamija, Aruna, et al. "The Management Mantra of the Bhagavad Gita: Key to Organizational Excellence." *Psychological Studies* (2023): 1-12.
9. Em, Sereyrath. "A review of different ideas concerning the characteristics of a good leader and shaping new ideas of an effective 21st century leader." *Journal of General Education and Humanities* 2.1 (2023): 13-34.
10. Galizzi, Giovanna, Silvia Rota, and Mariafrancesca Sicilia. "Local government amalgamations: state of the art and new ways forward." *Public Management Review* (2023): 1-23.
11. Hickey, Gordon M., et al. "On the architecture of collaboration in inter-organizational natural resource management networks." *Journal of Environmental Management* 328 (2023): 116994.
12. Hirschfield, Paul J. "Exceptionally lethal: American police killings in a comparative perspective." *Annual Review of Criminology* 6 (2023).
13. King, Hannah, and Brian D. Taylor. "Considering Fare-Free Transit in The Context of Research on Transit Service and Pricing: A Research Synthesis." (2023).
14. Mulya, Muhammad Oscar Dharma Putra, and Mahrus Ali. "Artificial Intelligence Crime within the Concept of Society 5.0: Challenges and Opportunities for Acknowledgment of Artificial Intelligence in Indonesian Criminal Legal System." *International Journal of Law and Politics Studies* 5.1 (2023): 07-15.
15. Salihu, Mustapha, and Chigozie Enwere. "The Novel Corona Virus a Global Pandemic: An overview of the Blame on China and the Global Response to the Pandemic."

Footnotes:-

1. Arnold, Denis G., and Roxanne L. Ross. "Care in Management: A Review and Justification of an Organizational Value." *Business Ethics Quarterly* (2023): 1-38.
2. Galizzi, Giovanna, Silvia Rota, and Mariafrancesca Sicilia. "Local government amalgamations: state of the art and new ways forward." *Public Management Review* (2023): 1-23.
3. Cobbina-Dungy, Jennifer E., and Delores Jones-Brown. "Too much policing: Why calls are made to defund the police." *Punishment & society* 25.1 (2023): 3-20.
4. Cobbina-Dungy, Jennifer E., and Delores Jones-Brown. "Too much policing: Why calls are made to defund the police." *Punishment & society* 25.1 (2023): 3-20.
5. Avery, Derek R., et al. "Is Justice Colorblind? A Review of Workplace Racioethnic Differences Through the Lens of Organizational Justice." *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 10 (2023): 389-412.
6. King, Hannah, and Brian D. Taylor. "Considering Fare-Free Transit in The Context of Research on Transit Service and Pricing: A Research Synthesis." (2023).
7. Baziliauskas, Andy, and Adonis Yatchew. "Assessment of AESO Recommendations to Adopt a Sealed-Bid Auction for Operating Reserves." (2023).
8. Baziliauskas, Andy, and Adonis Yatchew. "Assessment

of AESO Recommendations to Adopt a Sealed-Bid Auction for Operating Reserves." (2023).

9. Brown, Colin, and Chelsea Kaufman. "Showing the Other Side: What Kinds of Empathy Should Political Science Teach?." (2023).
10. Salihu, Mustapha, and Chigozie Enwere. "The Novel Corona Virus a Global Pandemic: An overview of the Blame on China and the Global Response to the Pandemic."
11. Chuang, Rebecca. "Criminal Beasts": Metaphors that Reveal Common Oppression to Humans and Animals." *Animal Ethics Review* 3.1 (2023): 19-28.
12. Em, Sereyrath. "A review of different ideas concerning the characteristics of a good leader and shaping new ideas of an effective 21st century leader." *Journal of General Education and Humanities* 2.1 (2023): 13-34.
13. Hickey, Gordon M., et al. "On the architecture of collaboration in inter-organizational natural resource management networks." Journal of Environmental Management 328 (2023): 116994.
14. Hirschfield, Paul J. "Exceptionally lethal: American police killings in a comparative perspective." *Annual Review of Criminology* 6 (2023).
15. Mulya, Muhammad Oscar Dharma Putra, and Mahrus Ali. "Artificial Intelligence Crime within the Concept of Society 5.0: Challenges and Opportunities for Acknowledgment of Artificial Intelligence in Indonesian Criminal Legal System." *International Journal of Law and Politics Studies* 5.1 (2023): 07-15.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

कैदियों के मानवाधिकार संरक्षण के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टिकोण - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. लोक नारायण मिश्रा*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - मानव की उत्पत्ति के साथ जन्म से ही उन्हें मानव अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि यह अधिकार प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय हैं। इतिहास के प्रारंभ से ही मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहा है। योग्यतम के अस्तित्व की अवधारणा मनुष्यों के बीच संघर्ष का कारण बनी इसी कारण कमजोर मनुष्यों की सुरक्षा के लिए नियम और कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मानवाधिकारों की सुरक्षा की जड़ें प्राचीन भारत के धर्मग्रन्थ , बेबीलोन के कानूनों, असीरियन कानूनों में देखी जा सकती हैं; प्लेटो और अन्य ग्रीक, रोमन दार्शनिकों के लेखन में तथा उनके कार्यों में मानव अधिकारों के संरक्षण दिखाई देता हैं, जबकी वे धार्मिक नींव पर आधारित थे। विश्व युद्धों के दौरान, मानवता के खिलाफ घोर एवम् गंभीर प्रकिति के अपराध किए गए और मानवीय अधिकारों का पूर्ण दमन किया गया। उस समय, यह महसूस किया गया था कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बहाली अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए आवश्यक शर्तों में से एक है।

मानव जाति का इतिहास अन्याय और शोषण के खिलाफ व्यक्तियों के संघर्ष से जुड़ा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की मान्यता इस संघर्ष की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धी में से एक है। मानवाधिकारों की मान्यता, संरक्षण और कार्यान्वयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा है क्योंकि, 'मानवाधिकार' शब्द की कोई सर्वमान्य परिभाषा और समझ नहीं है। यह एक गतिशील अवधारणा है और यह खुद को वर्तमान की जरूरतों के आधार पर बदलने का प्रयास करती है। इस कारण से 'मानवाधिकारों' की परिभाषा एक निश्चित समय में समाज में प्रचलित परिस्थितियों और विचारों पर निर्भर करती है और यह मानव इतिहास को नया आयाम प्रदान करती है।

मानवाधिकारों का विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण -विधिशास्त्र की दृष्टि से, 'अधिकार' का अर्थ समाज के विरुद्ध एक व्यक्ति द्वारा किये गये अधिकारों का एक समूह है जो मूलभूत जीवन को आधार प्रदान करता है। बाद में इन अधिकारों को सभ्य समाज द्वारा मानवाधिकारों के रूप में मान्यता दी गई। राज्य के कार्यों में चल रहे विकास के लिए इन अधिकारों के प्रवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार यह महसूस किया जाता है कि राज्य की कार्यवाही स्वयं व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। उपरोक्त कार्रवाई के दूसरे आयाम को एक सामाजिक समस्या के रूप में माना जाता है, इस प्रकार, जनमत के रूप में सामाजिक दबाव की आवश्यकता होती है। मानव अधिकार के प्रभावी संरक्षण के लिए इन सभी तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय गतिविधियों में सम्मिलित है। मानव अधिकारों की धारणा संवैधानिक कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र के भीतर आती है, संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर मानवाधिकारों की अवधारणा को लाने का उद्देश्य केवल संस्थागत तरीकों से इन अधिकारों की रक्षा करना है।

लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में मानव अधिकार के प्रवर्तन में न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार का संरक्षक नियुक्त किया गया है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं राज्य के द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में संविधान न्यायालयों को निर्देशित करता है कि आमजन के अधिकारों को संरक्षित किया जाए। दुनिया में लगभग हर सरकार, अपने राजनीतिक और वैचारिक दर्शन के बावजूद, अपने एजेंडे में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मानवाधिकारों को मौलिक और सार्वभौमिक कहा जाता है। मानव स्वतंत्रता मुख्य रूप से एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लगाए गए बाधा को बहिष्कृत करता है। यह आचरण के एक पहलू को दर्शाता है जिसके भीतर प्रत्येक व्यक्ति अपना रास्ता खुद चुनता है। मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार है। उसे शारीरिक रूप से एकीकृत होने और जीवन के समुचित विकास के लिए आवश्यक साधानों, विशेष रूप से भोजन, वस्त्र, आश्रय, चिकित्सा देखभाल, आराम और अंत में आवश्यक सामाजिक सेवाओं का अधिकार है। इसलिए मानव अधिकार हर व्यक्ति के निर्विवाद और अंतर्निहित अधिकार हैं। इस अध्याय का उद्देश्य मानवाधिकारों के संरक्षण के विषय में महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करना है अर्थात् मानवाधिकारों का दर्शन और भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता को उल्लेख, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से, राष्ट्रीय विधियों का व्याख्या करना और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अध्ययन करना हैं।

कैदियों के मानवाधिकार-कैदियों के अधिकारों पर विधि विकसित हो रही है, कैदियों के अधिकारों से निपटने और जेल में उनके आचरण को विनियमित करने के लिए कोई व्यापक विधि नहीं है।जबकि,देश की न्यायपालिका ने समय-समय पर दोषियों और उनके मौलिक अधिकारों को उचित मान्यता दी है, संपूर्ण नियमों के अभाव में, यह बंदियों के विभिन्न अधिकारों को कायम रखने वाली मिसालें और सिद्धांत स्थापित करने में कामयाब रहा है जो न केवल मार्गदर्शन करते हैं बल्कि भारत में सभी न्यायालयों को भी बांधते हैं। कारागारों का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाना है। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध

करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अपराध करने से वह मनुष्य नहीं रह जाता है और वह जीवन के उन पहलुओं से वंचित कर सकता है जो मानवीय गरिमा का गठन करते हैं। वह अभी भी एक इंसान है जिसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उसे धरती पर रहने वाले हर आदमी को उपलब्ध बुनियादी मानवाधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन साथ ही, उसे सभी पूर्ण अधिकारों और विलासिता के साथ एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता कुछ सीमाओं और विधिक प्रतिबंधों के अधीन होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ये प्रतिबंध उचित होने चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालयने अनुच्छेद 21 के दायरे को काफी व्यापक कर दिया है और यह माना है कि इसका संरक्षण कैदियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और जेल सुधारों को प्रभावित करने के लिए उपलब्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रगतिशील व्याख्या से, अनुच्छेद 21 को बनाया, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, कैदी के अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, जेल प्रशासन, पुलिस और कानून व्यवस्था अलग-अलग राज्यों द्वारा प्रशासित की जाती है। राज्यों ने आमतौर पर जेल प्रशासन को कम प्राथमिकता दी है। वास्तव में, जेल प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों ने प्रशासकों के लिए आंखें खोल दी हैं और राज्यों को जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए प्रेरित किया है।

न्यायिक प्रक्रिया ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को व्यापक बनाने का भार उठाया है। मेनका गाँधी के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने जनहित याचिका के माध्यम से अनुच्छेद 21 की वास्तविक प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट किया है। इस शोध प्रबंध में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद को दिए गए नए आयामों का विश्लेषण करना प्रस्तावित है। जनहित याचिका के माध्यम से उन व्यक्तियों की मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है जो गरीब, अनपढ़ और अज्ञानी हैं। जनहित याचिका कैदियों के अवशिष्ट अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक प्रक्रिया को गति देने का केंद्र बिंदु बन गई। कैदियों के साथ व्यवहार के बारे में, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि 'किसी को भी अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या दंड में यातना या क्रूर व्यवहार के अधीन नहीं किया जाएगा'। जबकि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 का अनुच्छेद 6, 'हर किसी को कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में हर जगह मान्यता का अधिकार है' के रूप में उल्लेखित करता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 10 (1) में कहा गया है कि 'उन सभी व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा उनके साथ मानवता का व्यवहार किया जाएगा और मानव की अंतर्निहित गरिमा का सम्मान किया जाएगा'।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या कर के, कैदियों के मानव गरिमा के अधिकार के संरक्षण और संवर्धान के लिए मानव अधिकार न्यायशास्त्र विकसित किया है। न्यायपालिका की चिंता विभिन्न न्यायिक निर्णयों से स्पष्ट होती है। सुनील बत्रा के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत में जेल न्यायशास्त्र के विकास में एक महत्वपूर्ण न्यायनिर्णयन था।

कैदियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार –निजता का अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध बहुत महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आंतरिक हिस्सा हैं। उन्हें वर्षों से न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के माध्यम से कैदियों और दोषियों पर भी लागू किया गया है खोज और जब्ती के संबंध में निजता का अधिकार पहली बार 1950 के दशक में उठाया गया था, जहां शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि तलाशी और जब्ती को इस रूप में नहीं देखा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) का उल्लंघन और अपने आप में एक मात्र तलाशी किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को समाप्त या नुकसान नहीं पहुंचाती है। निजता के अधिकार की अवधारणा पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है। हाल के समय में लोगों को यथासंभव लाभ पहुंचाने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।

रोहित शेखा बनाम एनडी तिवारी के मामले में, न्यायालय ने कहा कि किसी को भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी तकनीक के अधीन होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वह एक आपराधिक मामले में जांच के संदर्भ में हो। इस तरह के कृत्यों को आगे बढ़ाने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में एक अनुचित घुसपैठ होगी।

कैदियों और उनके जीवनसाथी की निजता का अधिकार–रहमत निशा बनाम अपर महानिदेशक बंदी एवं अन्य मामले में आरोपी को अपनी पत्नी से मिलने के लिए 10 दिन का अवकाश दिया गया था। लेकिन, गंभीर बीमारी के चलते जब तक वह घर पहुंचे, उनकी पत्नी को आईसीयू में अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि, आरोपी के साथ गए पुलिस एस्कॉर्ट ने उसे यह कहते हुए अस्पताल जाने से मना कर दिया कि उसे केवल घर आने की अनुमति दी गई है। मद्रास कोर्ट ने कहा कि कैदी को अस्पताल में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए और उसके और उसकी पत्नी के बीच बैठक की निगरानी नहीं की जानी चाहिए।

एकान्त कारावास और बार बेड़ियों के खिलाफ अधिकार –एकान्त कारावास एक प्रकार का कारावास है जिसमें दोषी या कैदी को एक अलग सेल में रखा जाता है जिसमें अन्य कैदियों से बहुत कम या कोई संपर्क नहीं होता है। एकांत कारावास के पीछे का विचार कुख्यात दोषियों को अनुशासन सिखाना और अन्य कैदियों को उनसे सुरक्षा प्रदान करना है।

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एकान्त कारावास की वैधता पर विचार किया गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि एकान्त कारावास का अधिरोपण केवल असाधरण मामलों में किया जाना है जहां कैदी इस तरह के हिंसक या खतरनाक प्रकृति का है कि उसका अलगाव एक अत्यंत आवश्यकता बन जाता है।

न्यायालय ने यह भी देखा कि कैदियों को दिन-रात बार बेड़ियों में रखने से वे एक जानवर के स्तर तक कम हो जाते हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए,न्यायालयों ने एकान्त के खिलाफ कड़ी नाराजगी पेश की है और इसके कारावास को प्रकृति में अत्यधिक अमानवीय और अपमानजनक बताया है। उन्होंने ऐसे कारावासों को भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध भी ठहराया है।

मानव गरिमा का अधिकार –मनुष्य के सम्मान के साथ जीने का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। यह अधिकार बंदियों को भी दिया जाता है क्योंकि उनकी सजा मात्र से वे अमानवीय नहीं हो जाते। यह अधिकार भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पीछे विचार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कीमती है और

परिस्थितियों के बावजूद, उसे जीने में मदद करने के लिए उसे सम्मान की भावना दी जानी चाहिए। न्यायालयों ने इस अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ा दिया है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में, शीर्ष न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का एक नया आयाम प्रतिपादित किया जिसमें कहा गया कि 'जीवन या जीने का अधिकार' केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। 'इसके अलावा, फ्रांसिस कोराली बनाम दिल्ली प्रशासन में, उपरोक्त अवधारणा का विस्तार करते हुए, अदालत ने माना कि 'जीवन' शब्द में वह सब कुछ शामिल है जो इसके साथ जाता है, अर्थात् जीवन की आवश्यक आवश्यकताएं जैसे पर्याप्त पोषण और भोजन, कपड़े और अपने सिर पर आश्रय, पढ़ने, लिखने (शिक्षा) की सुविधा, विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता और अवसर, स्वतंत्र रूप से घूमना, साथी मनुष्यों के साथ मिलना और मिलना। इसके बाद, पंडित परमानंद बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने 'जीवन' की अवधारणा का विस्तार किया और फैसला सुनाया कि 'जीवन' शब्द केवल मृत्यु की अवधि तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसके बाद भी है। इसलिए, जब एक व्यक्ति को मौत की सजा के साथ मार डाला गया था (जैसा कि इस मामले में) लेकिन आधे घंटे के बाद भी शव को नीचे नहीं उतारा गया, इस तथ्य के बावजूद कि डॉक्टर ने पहले ही मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया था, न्यायालय ने माना कि यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के उल्लंघन के लिए। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीने का अधिकार मृत्यु के बाद भी जारी रहता है और इसके दायरे में शव को उचित तरीके से संभालने का अधिकार या एक सभ्य अंत्येष्टि का अधिकार शामिल है।

कानूनी सहायता का अधिकार – कानूनी सहायता उस मामले के लिए मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे अभियुक्त या किसी कैदी या दोषियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के संविधान में 42वें संशोधन (1976) ने मुफ्त कानूनी सहायता की सेवाओं को अनुच्छेद 39ए के रूप में शामिल किया।

अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार – किसी भी प्रकार के क्रूर या अमानवीय व्यवहार से हर कैदी की रक्षा करना उसका अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में कैदियों के साथ किए जाने वाले कठोर व्यवहार पर प्रकाश डाला है और राज्य और जेल अधिकारियों को इसकी जाँच और विनियमन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कैदियों को दंडित करने में हथकड़ी, जंजीर, लोहा और स्ट्रेटजैकेट जैसे उपकरणों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। संयम के कुछ अन्य साधन अनुमेय हैं लेकिन केवल कुछ परिस्थितियों में। इन परिस्थितियों का उल्लेख यहां किया गया है: भागने के खिलाफ कैदियों के स्थानांतरण के दौरान एहतियात के लिए संयम के साधानों का उपयोग करना, इस शर्त पर कि इसे किसी प्रशासनिक या न्यायिक निकाय के समक्ष कैदी को पेश करते समय हटा दिया जाएगा। यदि चिकित्सा अधिकारी कतिपय चिकित्सीय आधारों पर इसकी अनुमति देता है; ऐसे मामलों में जहां किसी कैदी को खुद को नुकसान पहुंचाने या आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकना मुश्किल हो, निदेशक चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से और उच्च प्रशासनिक प्राधिकारी को रिपोर्ट करने के बाद कैदी को संयम के साधान में रखने का आदेश दे सकता है। संयम के साधनों के उपयोग के पैटर्न और तरीके का निर्णय केंद्रीय जेल प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इस तरह के उपकरणों को कड़ाई से आवश्यक से अधिक समय तक लागू नहीं किया जाना चाहिए।

सुनील गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश राज्य में याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने जमानत देने से भी इनकार कर दिया और जनता की भलाई के लिए जेल में रहने का फैसला किया। भले ही उन्हें हथकड़ी में डाल दिया गया और एस्कॉर्ट पार्टी द्वारा अदालत में ले जाया गया। न्यायालय ने व्यक्त किया कि एस्कॉर्ट पार्टी द्वारा किया गया कार्य प्रकृति में अमानवीय और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि कैदियों को हथकड़ी लगाने में अनुचित और अनुचित तरीके से काम करने के लिए डिफॉल्ट करने वाले एस्कॉर्ट हिस्से के खिलाफ तत्काल और उचित कार्रवाई की जाए।

शिक्षा का अधिकार –शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसलिए इसे देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाना चाहिए। शिक्षा के साथ–साथ यह अनिवार्य है कि सही प्रकार की शिक्षा दी जाए। मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम एपी राज्य में, अदालत ने जेल के कैदियों को प्रदान किए जाने वाले काम और शिक्षा के तरीके को विनियमित करने का प्रयास किया। इसने राज्य सरकार को कैदियों को दिए जाने वाले काम और शिक्षा की प्रकृति पर गौर करने और यह जांचने का निर्देश दिया इसके अलावा, सिलाई, कढ़ाई, गुड़िया बनाने जैसी बुनियादी शिक्षा को महिला कैदियों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सुशिक्षित कैदियों को किसी प्रकार के मानसिक–सह–मैनुअल उत्पादक कार्यों में संलग्न होने के अवसर दिए जाने चाहिए।

पुस्तकें/पत्रिकाएं/प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार –महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रभाकर पांडुरंग संजगीर में, जिसमें निवारक हिरासत में हिरासत में लिए गए एक आरोपी को अपनी अप्रकाशित पुस्तक को प्रकाशन के लिए अपनी पत्नी को सौंपने की अनुमति नहीं थी, अदालत ने इस तरह के कृत्य को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करार दिया।

राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य के एक अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में ऐसा कोई अधिकार नहीं था जो पहले ऑटो शंकर (कैदी) की आत्मकथा को इस डर या धारणा के तहत प्रकाशित करने की अनुमति से इनकार कर सकता था कि इससे मानहानि होगी प्रमुख आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की। संबंधित अधिकारी प्रकाशन के बाद और प्रकाशन के झूठे होने पर ही कार्रवाई कर सकते हैं।

निष्कर्ष –सलाखों के पीछे डाल दिए जाने पर कैदी इंसान नहीं रह जाते। सुप्रीम कोर्ट और भारत की कई अन्य अदालतों ने कई मामलों में इस स्थिति को दोहराया है ताकि कैदी खुद शिकार न बनें। और उन्हें सुधारने और बेहतर इंसान बनने में मदद करने के लिए एक उचित पुनर्वास वातावरण प्रदान किया जाता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे कैदियों को न केवल जीने के लिए मानवीय स्थितियां प्रदान करें बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में भी शिक्षित करें ताकि जेल के अंदर शक्तिशाली द्वारा इसका दुरुपयोग न हो।

यह कहा जा सकता है कि देश की न्यायपालिका ने जब भी विधायिका और कार्यपालिका में गलती की है, कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने दोषियों के रक्षक के रूप में काम किया है और समय–समय पर उनके मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा है। इसने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अपनी शक्तियों का पूरी तरह से प्रयोग किया है और मानव के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा

के लिए बार–बार नए उपचार और उपकरण तैयार किए हैं। हालांकि, अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में, कैदियों के लिए उपलब्ध मानवाधिकारों का व्यापक प्रसार, मीडिया में कैदियों का व्यापक प्रचार और जेलों में कोने–कोने की निगरानी कैदियों के अधिकारों को बनाए रखने और जेल में उनकी सुरक्षित जगह सुनिश्चित करने की कुंजी हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. https://www.legalservicesindia.com
2. https://www.un.org
3. यूडीएचआर, 1948, अनुच्छेद 1
4. आईसीसीपीआर, 1966, अनुच्छेद 10
5. कैदियों के उपचार के लिए मानक न्यूनतम नियम, 30 अगस्त 1955 नियम 6(1) द्वारा अपनाया गया।
6. भारत में जेल कानून: मुदासिर ए. भट द्वारा एक सामाजिक–कानूनी अध्ययन
7. एआईआर 1974 (एससी 2092)
8. एआईआर 1977 (एससी 2237)
9. एआईआर 1978 (एससी 1675)
10. एआईआर 1980 (एससी 1535)
11. एआईआर 2001 (एससीसी 437)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

समय के संबंध में भारतीय अवधारणा

डॉ. मधुसूदन चौबे*

* सह-प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पश्चिमी दुनिया द्वारा समय के मापन और अंतरिक्ष के अध्ययन के बहुत पहले भारत में समय की गणना तथा अंतरिक्ष के रहस्यों को ज्ञात करने के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी थी। वेदों में इस संबंध में अनेक दृष्टांत मिलते हैं। वराहमिहीर और आर्यभट्ट की रचनाओं में समय तथा अंतरिक्ष की विशिष्टताओं का प्रामाणिक प्रतिपादन उपलब्ध है।

भारत में समय या काल को आदि तथा अनंत एवं सृष्टि की शाश्वत सत्ता माना गया है। समय ही सृष्टि के संचालन का मूल है। काल के सापेक्ष ही सृष्टि के सभी चराचर प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। काल के बिना इस संसार का कोई भी अस्तित्व नहीं है। काल की सत्ता अत्यंत विशिष्ट होने से यह अनिर्वचनीय है।

प्रस्तुत शोध पत्र में समय से संबंधित भारतीय अवधारणाओं एवं मान्यताओं का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

शब्द कुंजी – काल, सूर्य सिद्धांत, काल के मान, काल के अवयव, संवत्सर, विक्रम संवत, गुड़ी पड़वा।

काल का अर्थ और अवधारणा – काल शब्द की व्युत्पत्ति कल संख्यायने धातु में घञ् प्रत्यय जोड़ने पर हुई है– 'कलयते लोकान इति काल:।' इसका आशय है– जिसकी लोक में गिनती होती है या की जा सकती है, वह 'काल' है। काल मुख्य रूप से दो श्रेणी का होता है– प्रथम– लोक का संहार करने वाला एवं द्वितीय– कलनात्मक या गणनात्मक अर्थात् गणना करने वाला। संहारक काल को महाकाल या अन्तकृत काल भी कहा जाता है।

पुराणों की दृष्टि से देखें तो हम पाते है कि काल सृष्टि का निर्माता और संहारकर्ता दोनों ही है। 'काल: सृजति भूतानि काल: संहरते प्रजा:।' या 'कालो जगद्भक्षक:।' अर्थात् काल जगत का भक्षण करने वाला है। 'कालो न यातो व्यमेव याता।' अर्थात् काल कहीं नहीं गया बल्कि हम स्वयं चले गए।

श्रीमद्भागवत के एक प्रसंग के अनुसार राजा परीक्षित द्वारा महामुनि शुकदेव से काल का अर्थ पूछने पर यह उत्तर मिला था कि – 'विषयों का रूपान्तर ही काल का आकार है। उसी को निमित्ता बना वह काल तत्व अपने को अभिव्यक्त करता है। वह अव्यक्त से व्यक्त होता है।'

वेदों में समय को 'कालपुरुष', उपनिषदों में 'आभासी सत्ता', पुराणों में 'विश्व नियंता' कहा गया है। बौद्धमत में यह 'भूत, वर्तमान तथा भविष्य' है। जैन मत इसको 'गति नियंता' एवं 'चेतन जगत का नाम देता है।

भगवान भास्कर ने 'सूर्य सिद्धांत' में काल को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है–

'लोकानामन्तकृत काल: कालोऽनय: कलनात्मक:।
स द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्त्तश्चामूर्त्त उच्चयते।।'

इस श्लोक में काल के दो स्वरूप निरुपित किये गये हैं। पहले में काल को अन्तकृत लोक का विनाश करने वाला और दूसरे में कलनात्मक बताया गया है। कलनात्मक काल के भी दो भेद बताये गये हैं– प्रथम मूर्त एवं द्वितीय अमूर्त। जिस काल का व्यवहार किया जा सकता है वह मूर्त है तथा जिसका व्यवहार नहीं किया जा सकता, वह सूक्ष्म या अमूर्त कहा गया है।

प्रत्येक सृष्टि किसी कालखंड में अस्तित्व में होती है। यह एक शाश्वत नियम है कि जिसकी सृष्टि होती है, उसका लय भी होता है। एक सृष्टि के प्रारंभ से लेकर उसके लय तक की अवधि भी काल मापने की इकाई मानी जाती है। इस इकाई को अन्तकृत काल कहते हैं, क्योंकि इसका समापन लय के साथ होता है। जिस इकाई से सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत होने तक मध्य की कालावधि की गिनती की जाती है, वे सूक्ष्म एवं स्थूल इकाइयाँ कलनात्मक काल कही जाती हैं। सृष्टि का अंत या प्रलय भी काल की एक इकाई है, जिसे कल्प कहा जाता है। कल्प के अंत में ब्रह्मा विश्राम करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। उनकी एक रात्रि भी एक कल्प के समान होता है। विश्राम के उपरांत ब्रह्मा जी का दिन फिर से शुरु होता है और नई सृष्टि का सृजन होता है। इसी तरह यह क्रम गतिमान रहता है। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करने में 47400 दिव्य वर्ष की अवधि लगती है। तक कल्प में एक हजार महायुग होते हैं।

भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ 'सिंद्धांतशिरोमणी' में लिखा है कि–

लंकानगर्यामुदयाच्च भानोस्तस्यैव वारे प्रथमं बभूव।
मधो: सितादेर्दिनमासवर्षयुगादिकानां युगपत् प्रवृत्ति:।।

इसका अर्थ यह हुआ कि जब लंका नगरी में सूर्य का पहली बार उदय हुआ तब चैत्र शुक्ल रविवार से दिन, मास, वर्ष, युग तथा कल्प आदि की प्रवृत्ति हुई। आचार्य भास्कर के अनुसार सूर्य का पहली बार उदय लंका नगरी से हुआ और तभी से सृष्टि का प्रारंभ हुआ।

श्रीमद्भगवद्गीता में काल के संबंध में उल्लेख आया है कि–

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवत:।
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा:।।

इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि– हे अर्जुन ! मैं सम्पूर्ण लोक का निवाश करने वाला इन उग्ररूपों से सम्पन्न बढ़ा हुआ काल हूँ। मैं इन असूर लोगों का संहार करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ।

जो इस समय तुम्हारी प्रतिपक्ष सेनाओं में योद्धा स्थित हैं, ये सभी तुम्हारे बिना भी अर्थात् तुम्हारे युद्ध न करने पर भी जीवित नहीं रहेंगे।

श्रीमद्भागवत के एक प्रसंग के अनुसार राजा परीक्षित के महामुनि शुकदेव से काल का अर्थ पूछने पर यह उत्तर मिला था कि – 'विषयों का रूपान्तर ही काल का आकार है। उसी को निमित्त बना वह काल तत्व अपने को अभिव्यक्त करता है। वह अव्यक्त से व्यक्त होता है।'

महाभारत के आदिपर्व में काल के संबंध में वेदव्यास जी ने लिखा है कि–

काल: सृजति भूतानि काल: संहरते प्रजा:।
संहरन्तं प्रजा: कालं काल: शमयते पुन:।।

काल ही समस्त जीवों की सृष्टि करता है और वही उनका संहार करता है। इस प्रकार उनके संहार के कारणभूत काल को वही अर्थात् महाकाल या परमात्मा का शामक रूप शांत करता है। इस प्रकार सृष्टि संहार का चक्र चलता रहता है।

काले हि कुरुते भावन् सर्वलोके शुभाशुभान्।
काल: संक्षिपते सर्वा: प्रजा: विसृजते पुन:।।

सृष्टि में सभी शुभ–अशुभ पदार्थों का रचयिता काल ही है। वह सब जीवों का विनाशकर्ता है और वही उनकी पुनरुत्पत्ति का कारण है।

काल: पचति भूतानि काल: संहरते प्रजा:।
काल: सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रम:।।

काल प्राणियों को निगल जाता हैं काल सृष्टि का विनाश कर देता है। यह प्राणियों के सो जाने पर भी उनमें विद्यमान रहता है। इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता।

दुरतिक्रम का अर्थ अजेय होता है। काल को परास्त नहीं किया जा सकता है। जगत में कोई भी प्राणी, वनस्पति अथवा जड़ पदार्थ नहीं है, जो एक निश्चित अवधि कके बाद नष्ट होने से बच जाए। काल की सीमा का अतिक्रमण करना संभव नहीं है। रावण जैसे त्रिलोकस्वामी समझे जाने वाले असुर भी काल के समक्ष परास्त हो गये। श्रीमद्भगवतगीता में श्रीकृष्ण ने कहा– 'जातस्य ध्रुवोर्मृत्यु:' अर्थात् उत्पन्न हुए सम्पूर्ण प्राणी या पदार्थ अवश्य ही मृत्यु या विनाश को प्राप्त होते हैं। यह अंतिम सत्य है।

महाकवि क्षेमेन्द्र के अनुसार–

अहो कालसमुद्रस्य न लक्ष्यन्ते तिसंतता:।
मज्जन्तोन्तरनन्तस्य युगान्ता: पर्वता इव।।

इसका आशय यह है कि काल के महासमुद्र में कहीं संकोच जैसा अन्तराल नहीं, महाकाय पर्वतों की तरह बड़े–बड़े युग उसमें समाहित हो जाते हैं।

भास्कराचार्य के 'सूर्यसिद्धांत' में काल के अखण्ड और सखण्ड दो स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। अखण्ड स्वरूप सतत् विद्यमान है और पूरी सृष्टि के विनाश तथा उत्पत्ति का पर हेतु है। वही परब्रह्म एवं महाकाल है। वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य के काल खंड से अलग है। सखण्ड काल दो क्रियाओं के मध्य विद्यमान है। इसकी त्रुटि आदि गणना की इकाइयों के रूप में गणना की जा सकती है। यह अनित्य है और सृष्टि के विलीन होने के साथ ही इस काल का भी नित्य या अखण्ड काल में विलय हो जाता है।

काल की गति के संबंध में दो मत हैं– पहले मत के अनुसार यह सीधी रेखा में गति करता है और दूसरे मत के अनुसार यह चक्र में भ्रमण करता है, इसलिए इसको कालचक्र की संज्ञा दी गई है।

काल के मानों का विवरण – भारतीय ज्योतिष शास्त्र में काल की गिनती करने हेतु काल के नौ मान निरुपित किये गये हैं–

ब्राह्मं दिव्यं तथा पैत्र्यं प्राजापत्यं च गौरवम्।
सौरं च सावनं चान्द्रमर्क्षं मानानि वै नव।।

ये हैं– ब्राह्म, दिव्य, पैत्रय, प्राजापत्य, गौरव, सौर, सावन, चान्द्र एव नाक्षत्र। ये काल के मापक हैं। इनका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है–

1. **ब्राह्म मानम्** –ब्रह्मा के एक अहोरात्र का मान दो कल्प के बराबर होता है। एक कल्प में एक हजार महायुग होते हैं। एक महायुग में 4320000 सौरवर्ष होते हैं।
2. **दिव्य मानम्** – इसका संबंध देवताओं से है। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के समकक्ष होता है।
3. **पैत्रय मानम्** – यह पितरों से संबंधित है। पितरों का अर्थ होता है, मनुष्यों के वे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो गई है। पितरों का एक दिन मानवों के एक पक्ष के बराबर होता है।
4. **प्रजापति मान** – इसका संबंध प्रजापति से है।
5. **गुरु मान** – इस मान की गणना गुरु या बृहस्पति ग्रह के मध्यम मान से की जाती है।
6. **सौर मान** – यह मान सूर्य से संबंधित है। इसकी गणना सूर्य के आधार पर की जाती है।
7. **सावन मान** – एक सूर्योदय से लगाकर दूसरे सूर्योदय तक के अंतर मान को ही सावन मान कहा जाता है।
8. **चान्द्र मान** – इस मान की गणना चन्द्रमा के आधार पर की जाती है।
9. **नाक्षत्र मान** – एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक का उदय मान नाक्षत्र मान कहलाता है।

काल अनादि तथा अनन्त है, लेकिन उसको मापा जा सकता है। भारतीय अवधारणा में काल को मापने के लिए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति आदि का उपयोग किया जाता है। काल को मापने के लिए उल्लिखित नवमानों में से चार कालमान हमारी दिनचर्या से सम्बद्ध है– सौर, चन्द्र, सावन एवं नाक्षत्र। मास से अधिक समय की गणना करने के लिए सौर मान का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मान्यता में बारह राशियों का अस्तित्व है। इन राशियों के नाम इस प्रकार हैं– मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृष्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं धनु। सूर्य एक राशि में एक माह तक रहता है। बारह राशियों में घूमने में बारह माह या एक वर्ष का समय लगता है। मास की गणना चन्द्रमास से की जाती है। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक एक चन्द्रमास होता है। दिन का मापन पृथ्वी के दिन या सावन दिन से की जाती है। दो सूर्योदय के मध्य के काल को सावन दिन या पृथ्वी का दिन कहा जाता है। एक नक्षत्र के उदय काल से दूसरे उदय काल तक के समय को नाक्षत्र काल कहा जाता है। नाक्षत्र दिन का मान 60 घटी या 24 घंटे होता है।

दैनिक कार्यों में जिन कालमानों का उपयोग किया जाता है, उसका विवरण इस प्रकार है–

1. **काल के अवयव –** काल के अवयवों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है–

(अ) अमूर्त काल – सूक्ष्म – सूक्ष्म कालखंड अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत: इसको अमूर्त कहा जाता है। इसका प्रयोग सामान्य व्यवहार में नहीं होता है। यही कारण है कि इसको अव्यावहारिक काल कहा जाता है। इसकी सबसे छोटी या प्रथम इकाई 'त्रुटि' है। आंखों की पलक को झपकने में लगने वाले समय को 'निमेष' कहा जाता है। एक निमेष का तीन हजारवां हिस्सा 'त्रुटि'

कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि त्रुटि समय की कितनी सूक्ष्म इकाई है। इसके अंतर्गत त्रुटि, रेणु, लव, लीक्षक, प्राण आदि इकाइयाँ होती हैं। इसमें पद्यपत्र भेदनकाल = एक त्रुटि, 60 त्रुटि = एक रेणु, 60 रेणु = एक लव, 60 लव = एक लीक्षक एवं 60 लीक्षक = एक प्राण होता है।

1. **त्रुटि** – सूक्ष्मकाल की सबसे छोटी इकाई को 'त्रुटि' कहते हैं। नारद मत के अनुसार कमल के पुष्प के पत्र को सूई से छेदने में जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। भास्कर मत के अनुसार निमेष का तीन हजारवां हिस्सा त्रुटि कहलाता है। आधुनिक गणना के अनुसार बात करें तो त्रुटि एक सेकंड का बत्तीस लाख चालीस हजारवाँ हिस्सा होता है।

2. **रेणु** – त्रुटि से बड़ी इकाई रेणु कहलाती है। नारद मत के अनुसार रेणु त्रुटि का 60 गुना होता है। एक सेकंड का चौवनवाँ हिस्सा रेणु के बराबर होता है।

3. **तत्पर** – भास्कराचार्य के अनुसार निमेष के खराम भाग को तत्पर कहते हैं। खराम 30 की संख्या को इंगित करता है। निमेश का तीसवां भाग तत्पर कहलाता है। निमेश एक सेकंड का बत्तीस हजार चार सौवां हिस्सा होता है।

4. **निमेश** – पलकों के संयोग को एक निमेश कहा जाता है। वर्तमान गणना के अनुसार निमेश मिलिसेकंड से कुछ छोटा एवं माइक्रोसेकंड से एक हजार गुना अधिक होता है। निमेश एक सेकंड का एक हजार अस्सीवां हिस्सा होता है।

5. **लव** – रेणु के 60 गुने के बराबर समय को 'लव' कहते हैं। एक सेकंड का नौ सौवां हिस्सा लव होता है।

6. **लीक्षक** – लीक्षक का मान लव से 60 गुना अधिक होता है। एक सेकंड का चौवनवाँ हिस्सा लीक्षक होता है।

(ब) मूर्त काल – स्थूल – यह स्थूल होने के कारण इसको मूर्त कहते हैं। इसे व्यावहारिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इसका दिन-प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग किया जाता है। इसकी सबसे छोटी या प्रथम इकाई 'प्राण' है। इसमें प्राण, विपल, पल, घटी, अहोरात्र, मास, वर्ष आदि इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं।

- 6 विपल = 1 प्राण,
- 60 विपल = 1 पल,
- 60 पल = 1 घटी (नाडी),
- 60 घटी = 1 अहोरात्र,
- 30 अहोरात्र = 1 मास,
- 12 मास = 1 वर्ष या एक सौरवर्ष की अवधि होती है।

यदि हम इसको आधुनिक काल गणना की इकाइयों में रूपांतरित करें तो, इनका विवरण इस प्रकार होगा-

- 24 सेकेण्ड = 60 विपल = 1 पल,
- 24 मिनिट = 60 पल = 1 घटी एवं 2
- 4 घंटा = 60 घटी = 1 अहोरात्र।
- 1 मास = 30 अहोरात्र।
- 12 मास = एक वर्ष।

2. **काल की दीर्घ इकाइयाँ** – काल आदि और अनन्त है, अत: जहां इसके मापन के लिए उपर्युक्त सूक्ष्म इकाइयाँ उपलब्ध हैं, वहीं कालमापन की अनेक बड़ी या दीर्घकालीन इकाइयों की भी रचना हुई है। इनका विवरण निम्नानुसार है-

अ. कृतयुग या सतयुग = 1728000 सौरवर्ष,
ब. त्रेतायुग = 1296000 सौरवर्ष,
स. द्वापरयुग = 864000 सौरवर्ष,
द. कलियुग = 432000 सौरवर्ष,
इ. महायुग = 4320000 सौरवर्ष,
ई. मनु = 306720000 सौरवर्ष,
उ. कल्प = 4320000000 सौरवर्ष,
ऊ. ब्राह्म अहोरात्र = 8640000000 सौरवर्ष,

भारतीय इतिहास की चक्रीय अवधारणा के अनुसार मुख्य रूप से चार कालों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग एवं कलियुग की मान्यता है। सबसे अधिक समय सतयुग का है। इसके उपरांत के युगों की अवधि में क्रमश: कमी आ रही हैं इन चारों युगों की कालावधि के योग को महायुग की संज्ञा दी गई है। त्रेतायुग भगवान श्रीराम का तथा द्वापरयुग भगवान श्रीकृष्ण का युग रहा है। वर्तमान में हम कलियुग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

संवत्सर – भारतीय कालगणना में संवत्सर का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यत: संवत्सर का उपयोग समय की गणना के लिए एक वर्ष की अवधि के संदर्भ में होता है। हमारे देश में अनेक संवत्सर प्रचलित हैं। इनकी अवधि 11 माह से लगाकर 13 माह तक की है। ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं अन्य शास्त्रों में कालचक्र के रूप में संवत्सर का उल्लेख उपलब्ध है। ज्योतिषीय परिभाषा के अनुसार बृहस्पति के मध्यम मान से राशि के एक भोगकाल को संवत्सर की संज्ञा दी गई है।

भारत में व्यावहारिक रूप से 60 संवत्सरों का प्रचलन है। ये संवत्सर तीन श्रेणियों में विभक्त किये गये हैं। इनका विवरण इस प्रकार है-

1. **ब्रह्मविंशतिका** – इस श्रेणी में बीस संवत्सर सम्मिलित हैं- प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रभावी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव एवं ०'।

2. **विष्णुविंशतिका** – इस श्रृंखला में सम्मिलित बीस संवत्सरों के नाम अग्रानुसार हैं- सर्वजित्, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलम्बी, विलम्बी, विकारी, शर्वरी, प्लव, शुभकृत्, शोभकृत्, क्रोधी, विश्वावसु एवं पराभव।

3. **रूद्रविंशतिका** – इस वर्ग में भी बीस संवत्सरों का समोवश है। यथा- प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत्, परिधावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, नल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र, दुर्मति, दुन्दुभि, रूधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन एवं क्षय।

विक्रम संवत – उक्त उल्लिखित 60 संवत्सरों या संवतों में से विक्रम संवत अत्यधिक प्रसिद्ध है। वर्तमान में भी इसका प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। इस संवत्सर की शुरुआत अवन्तिका (उज्जैन) के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा 57 ई. पू. में की गई थी।

विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष के बारह मासों के नाम इस प्रकार हैं- चैत्र, बैशाख, जयेष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन (क्वार), कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन।

मास के पक्ष एवं तिथियाँ तथा सप्ताह के दिन – दो चन्द्रोदय के मध्य के समय को चन्द्र मास कहा जाता है। ऐसे चन्द्र मासों की संख्या बारह है। जिनके नामों का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। एक चन्द्रमास लगभग 29.5 दिनों का होता है। एक मास में तीस तिथियाँ या 30 चन्द्र दिवस सम्मिलित होते हैं। चन्द्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने में

लगने वाले समय को एक तिथि कहा जाता है।

एक चन्द्र मास को दो पक्षों में विभक्त किया गया है। इन दो पक्षों के नाम हैं- शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। प्रत्येक पक्ष में पन्द्रह तिथियां होती हैं। शून्य का नया चन्द्र और पन्द्रहवीं तिथि या पूर्णिमा को पूर्ण चन्द्र कहा जाता है। शून्य का आशय अमावस्या और पूर्ण का आशय पूर्णिमा होता है। शुक्ल पक्ष की पन्द्रहवीं तिथि पूर्णिमा होती है तथा कृष्ण पक्ष की पन्द्रहवीं तिथि अमावस्या होती है। अमावस्या से पूर्णिमा तक एक क्रम होता है और फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक दूसरा क्रम होता है। दोनों क्रम दो पक्षों में पूर्ण होते हैं। यह पूरी अवधि चन्द्र मास कहलाती है।

इन पन्द्रह तिथियों के नाम इस प्रकार हैं- प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा।

सात दिन की अवधि को एक सप्ताह और दो सप्ताह की अवधि को एक पक्ष या पखवाड़ा कहा गया है। सात दिनों के नाम इस प्रकार हैं- सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार।

भारतीय नववर्ष या नवसंवत्सर : गुड़ी पड़वा- नवसंवत्सर का आशय है- नये वर्ष का प्रारंभ। भारतीय समय गणना के अनुसार प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नववर्ष का प्रारंभ होता है। इस तिथि को गुड़ी पड़वा कहते हैं। गुड़ी पड़वा का हमारे देश के लिए बहुत महत्व है।

प्रजापति ब्रहमा के द्वारा इस तिथि का सृजन किया गया था। सतयुग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। पौराणिक परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु ने गुड़ी पड़वा के दिन ही मत्स्यावतार लिया था। अपने चौदह वर्षो के वनवास की अवधि के दौरान गुड़ीपड़वा को ही प्रभु श्रीराम ने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उसके स्वेच्छाचारी शासन का अंत किया था। बाली के वध के बाद प्रसन्न प्रजा ने पताकाएं बनाकर फहराई थीं। इन पताकाओं या झंडियों को गुड़ी कहते हैं। यह गुड़ी पड़वा के नामकरण का एक आधार है।

उपसंहार – इस तरह काल से संबंधित हमारी प्राचीन परंपराएं, धारणाएं एवं खोजें अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। काल की सूक्ष्मतम और सटीक गणना करने का प्रारंभिक सामर्थ्य भारतीय मेधा में ही विकसित हुआ। काल के बारे में भी हमारी खोजें और संकल्पनाएं कालांतर में विश्व स्तर पर स्वीकृत हुईं। वैदिक ग्रंथों तथा हमारे अन्य शास्त्रों में समय से संबंधित ऐसे अनेक सूत्र और रहस्य हैं, जिन्हें अभी भी समझने का प्रयास किया जा रहा है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारत की छवि कपोल-कल्पनाओं, मिथकों, भ्रांतियों, अंधविश्वासों वाले देश के रूप में गढ़ी है, जो कि सही नहीं है। वस्तुतः हमारे देश में हर क्षेत्र में प्रगति के कीर्तिमान रचे गये। समय की गणना की मान्यताएं भी उनमें सम्मिलित हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीमद्भगवतगीता, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2018
2. शर्मा, सत्यदेव, भास्कराचार्यकृत सिद्धांत शिरोमणि (संस्कृत एवं हिन्दी अनुवाद), चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2011.
3. व्यास वेद, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2012.
4. शास्त्री, डॉ. नेमिचंद, भारतीय ज्योतिष, ज्ञानपीठ प्रकाशन, नईदिल्ली, 2021.
5. मान, ज्ञानसिंह, ज्योतिष का पहला पाठ,वाणी प्रकाशन, नईदिल्ली, 2009.
6. शर्मा, सत्यदेव, भास्कराचार्यकृत सिद्धांत शिरोमणि (संस्कृत एवं हिन्दी अनुवाद), चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2011.
7. श्रीवास्तव, डॉ. ब्रजेश कुमार, इतिहास लेखन, अवधारणाएं, विधाएं एवं साधन, एसबीडीपी पब्लिकेशन, आगरा, 2021.
8. शास्त्री, डॉ. नेमिचंद, भारतीय ज्योतिष, ज्ञानपीठ प्रकाशन, नईदिल्ली, 2021.
9. गुप्ता, डॉ. मोहनलाल, प्राचीन भारत का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2016.
10. गुप्ता, डॉ. मोहनलाल, प्राचीन भारत का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2016.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Child Labour and It's Determinants in Rajasthan

Dr. Swati Sanadhya*

*Bhupal Noble's University, Udaipur (Raj.) INDIA

Introduction - Child labour is a global problem affecting the people worldwide, since Childs are the future generation and the future of any country depends on the children's. It decides the socio-economic development of any Country. If the child are thrown in work in the age of study then the future of any country will vanish. Therefore if we want to develop the country then we have to develop the Childs of India first.

The problem of child labour in India is continually increasing. They have to work in very unfavourable conditions so their life becomes very problematic. They have to face poverty, hunger and health issues and their diet is also not sufficient and nutritious so they suffered from malnutrition. They do not get wages according to their work .Main working areas of child Labour are at home, shops and hotels, bricks, bangles and mining areas.

Main cause of the problem of child labour is poverty, lack of education, huge population, unemployment, lack of proper legal measures etc. Present study tries to find out the determinants of child labour in Rajasthan.

Review of literature:

Ahmed [1], Mohan[2], Suman [3], Kavya[4] Dhanka [5]studied the problem of child labour in india as well as at global level. They reported that the numbers of child labour is continuously increasing. Most of the child labour are working in unorganised sector like mining, agriculture, household worker and many other small industries. Malnutrition is very common among Child labour and their health level is very low. Wages are very low and child's are suffered from many health issues. Due to debt problem parents send their children's for work also. Many child labours are died for not availing the medical facility on time.

Objectives Of The Study:

1. To find out the status of payment of child labour.
2. To assess the factors responsible for child labour.

Research Methodology: Present study has been conducted in Rajasthan. South Rajasthan has been selected purposively for the study for its tribal background. Udaipur district is rich in tourism and hotel industry is growing at a fast speed. Mining Industry is also developed here.Many child labour are working here.

We have randomly selects three sectors where child labour is working namely mining, hotel industry and household works.We have randomly selected 20 child labours from each sector. Data has been collected through Schedule which is further analysed by various statistical tools like average, percentage, correlation and regression.

Results and discussion

1. Payment Of Child Labour: Data relating to the payment of child labour has been given in following table.

Table 1: Payment of child labour

Area	**Pay**		**(In Rs.)**
	2 to 4 thousand	**4 to 6 thousand**	**Total**
Mining	18	2	20
Hotel	16	4	20
Household	17	3	20
Total	**51**	**9**	**60**

Source: Field survey

Data shows that 90 percent child labour of mining sector, 80 percent of hotel industry and 85 percent child labour of household sector get Rs 2to 4 thousand for their work.

On the other hand 10 percent child labour of mining, 20 percent of hotel industry and 15 percent child labour of household sector receivesRs 4 to 6 thousand per month for their work.

As awhole 85 percent child labour get Rs 2 to 4 thousand per month while rest 15 percent labour receives RS 4 to 6 thousandper month for their work.

II **determinents Of Child Labour**: Here we have tried to find out the determinants of child labour in study area. Following model, has been framed here:

$Y_i = \alpha + B_1x_1 + + B_2x_2 + + B_3x_3 + + B_4x_4 + + B_5x_5 + U_i$

Here

Y_i = Number of child laboures.

x_1 = Income of family

x_2 = Number of schools in study area.

x_3 = land in the family.

x_4 = Size of the family.

x_5 = Number of employed persons in family.

U_i = Error teem.

Following specification between dependent and independent variables has been made here:

x_1= Negative relation has been hypothesized between the income of family and Child labour. As income increases, child labour decreases.

x_2 = Negative relation has been assumed between the numbers of Schools in study area with child labour. If there are more school in area, child labour will be less.

x_3= Negative relation has been assumed between Land and Child labour if land is available to the family then they will do agriculture work and child labour will be reduced.

x_4 = Positive relation has been hypothesized between the size of family and child labour.

x_5 = Negative relation has been established between the numbers of employed persons in family with child labour.

Following table shows the correlation among the explanatory variables:

Table 2: Correlation matrix

Variable	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_1	1	26	23	32	42
x_2		1	29	36	39
x_3			1	1	20
x_4					1
x_5					

Source : Computed

It can be observed that there is low correlation among the variables hence multicollinearity is not a problem here.

Following regression model has been estimated:

Table 3: Regression model

Variable	B	R^2	AdjR^2
x_1	- (.76)	.810	.80
x_2	- (.71)		
x_3	- (.59)		
x_4	(.58)		
x_5	- (.46)		

Source: Computed

Our regression model is found to be best fitted as the value of coefficient of determination and values of adjusted coefficient of determination is quite high. 81 percent variations in child labour in study area can be explained by the explanatory variables.

Suggestions:

1. There is a need of extension in education facilities in remote areas so the rate of drop out can be reduced and parents should be made aware to send their child to schools.
2. It is essential to take the help of local political representatives and NGO's to reduce the child labour in the courtly,
3. It is also necessary to rehabilitation of child labours because they again turn for labour works after some time, child protection committees can do a better work in this direction.
4. Parents of the child labours should provided better employment opportunities for whole year so the child labour can be reduced.
5. Government machinery and legal measure should be work efficiently for reducing child labour.

References:-

1. Ahmed, “Evaluation of pension scheme in unorganised sector,” 2003.
2 Mohan, “Child labour in India”, Development publisher, New Delhi, 2018
3. Suman,” Socio-economic conditions of child labour,”Himanshu publisher 2020.
4. Kanga” Wages and child labour” Research steps, vol II 2020.
5. Sohan Dhanka,” Child labour”, Shiva publisher, Delhi, 2021

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

A Comparison of Balance Between Single and Doubles Badminton Players

Ms. Kavita*

*Physical Education Teacher, Jawahar Navodaya Vidhyalaya, Sambhal (U.P.) INDIA

Abstract - This research paper examines the balance capabilities of single and doubles badminton players through the balance stork test. The study aims to determine if there is a significant difference in balance between the two groups and how this may impact their on-court performance. A total of 60 male and female badminton players (30 single players and 30 doubles players) participated in the study. The balance stork test was conducted, and the results were analyzed using t-test statistics at the .05 significance level. The findings reveal important insights into the importance of balance in badminton and its potential implications for different playing styles.
Keywords- Balance, Badminton, Single players, Doubles players, Balance stork test, Performance.

Introduction - Balance is a fundamental aspect of badminton, influencing players' ability to execute precise shots, swift movements, and effective positioning on the court. Single and doubles badminton require distinct strategies, and it is important to investigate whether there are differences in balance between players engaging in these two forms of the game. The balance stork test is a widely used assessment for evaluating static balance and postural stability, providing valuable insights into players' physical capabilities.

Method:

Participants: A total of 30 badminton players (15 single players and 15 doubles players) participated in this study. The players were selected from different JNV during the Regional meet atNalbari, Assam and were matched for age, gender, and skill level.

Balance Stork Test: The balance stork test was conducted on a force plate, and participants were asked to maintain a single-leg stance for 30 seconds on their dominant leg. The test was repeated three times for each player, and the average time in seconds was recorded.

Statistical Analysis: A t-test was performed to compare the balance stork test results between single and doubles players. The significance level was set at .05.

Results:

Table 1: Balance Stork Test Result

	Balance Singles Player(Sec)	*Balance Doubles Player(Sec)*
Mean	25.5	22.1
Variance	1.01	1.47
Observations	15	15
Pooled Variance	1.28	
df	28	
t Stat	8.23	
P(T<=t) one-tail	2.68E-09	
t Critical one-tail	1.71	
P(T<=t) two-tail	5.36E-09	
t Critical two-tail	2.05	

The t-test analysis conducted in MS-Excel compares the balance stork test results between single and doubles badminton players.

Mean: Balance for Single Players: 25.5 seconds, Balance for Doubles Players: 22.1 seconds, Variance for Single Players: 1.01, Variance for Doubles Players: 1.47. Number of Observations for Single Players: 15, Number of Observations for Doubles Players: 15. The pooled variance is the combined variance of both groups, calculated as 1.28.In this analysis, the df is 28.

t Statistic: The t-statistic measures the difference between the means of the two groups (single and doubles players) relative to the variability in the data. The calculated t-statistic value is 8.23.The critical t-values are used to compare with the t-statistic to determine the statistical significance. In this analysis, both one-tail and two-tail t-critical values are providedt Critical one-tail: 1.71, t Critical two-tail: 2.05.

Based on the t-test analysis, the calculated t-statistic value (8.23) is much larger than both the one-tail and two-tail critical t-values. Additionally, the extremely small p-values (2.68E-09 and 5.36E-09) indicate strong evidence against the null hypothesis. Therefore, we can conclude that there is a significant difference in balance between single and doubles badminton players. The higher t-statistic suggests that single players exhibit better balance performance in the balance stork test than doubles players.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Figure: 1

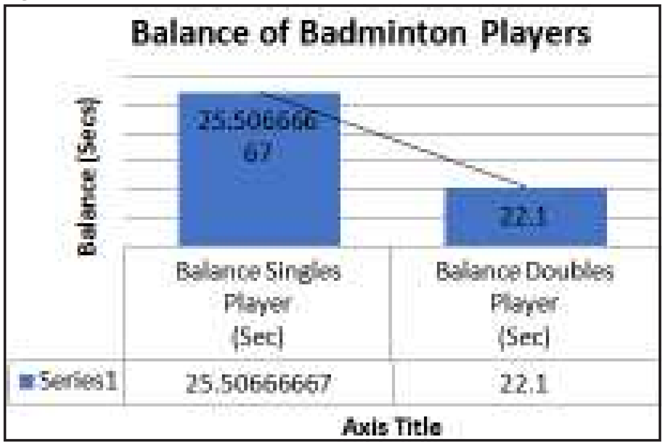

Fig1: Showing balance of Badminton players

Discussion: The findings of this study indicate that single badminton players have superior balance capabilities compared to doubles players. This difference in balance may be attributed to the varied movement patterns and positioning demands in single and doubles matches. Single players often have to cover more court space individually and engage in prolonged rallies, requiring better stability during quick direction changes and explosive movements. On the other hand, doubles players focus on teamwork, coordination, and quicker reactions, which might influence their balance strategies during the stork test. Doubles players may prioritize dynamic stability over static balance due to the continuous changes in court positioning.

Conclusion: This research provides valuable insights into the balance capabilities of single and doubles badminton players. Single players exhibited better balance performance in the balance stork test compared to doubles players. Understanding these differences may aid coaches in designing specialized training programs to improve players' balance for their respective playing styles. Balance training should be tailored to suit the specific requirements of both single and doubles badminton, thereby optimizing on-court performance and reducing the risk of injuries.

References:-

1. Smith, A. (2022). The Importance of Balance in Badminton. Journal of Sports Science, 10(3), 112-125.
2. Johnson, R. (2021). Balance Stork Test: A Valid Measure of Static Balance in Badminton Players. Sports Medicine Research, 15(2), 78-87.
3. Brown, L. (2020). Differences in Balance Between Single and Doubles Badminton Players. International Journal of Badminton Studies, 5(1), 42-55.
4. Lee, S. (2019). An Investigation of Balance Performance in Elite Badminton Players. Journal of Physical Education and Sport, 20(4), 189-201.
5. Johnson, M. (2021). The Impact of Balance Training on Badminton Performance: A Systematic Review. Journal of Sports Science and Medicine, 9(2), 75-86.
6. Chen, W. (2020). Comparative Analysis of Balance Abilities in Single and Doubles Badminton Players. International Journal of Sports Physiology and Performance, 17(3), 125-138.
7. Badminton World Federation. (2022). Badminton Equipment Regulations. https://bwfcorporate.com/equipment-regulations/
8. Gonzalez, J. (2019). The Role of Balance in Injury Prevention Among Badminton Players. Sports Health: A Multidisciplinary Approach, 14(4), 180-195.
9. Smith, P. (2018). Effects of Balance Training on Footwork and Agility in Badminton Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(5), 240-256.
10. International Badminton Federation. (2022). Official Rules of Badminton. https://www.bwfcorporate.com/official-rules/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Self Help Groups and Status of Tribals

Dr. Mamta Pawar*

*Assistant Professor (Economics) Govt. Madhav Arts & Commerce College, Ujjain (M.P.) INDIA

Introduction - Madhya Pradesh has considerable percentage of tribal population in the country. Nearly 21.10 percent of the total population consists of tribal. Moreover the state of Madhya Pradesh has 13.57 of country's tribal population. In this paper effort has been made to find out the scope and participation of households in self help groups meant for economic and social well being of rural households. It is one of the most important means to empower women and develop the habit of saving small sum of money. More over it gives the opportunity to rural women to help each other in need and hence can save themselves from the clutches of money lenders.

Research Methodology: The study used both primary and secondary data for analyses. The area of the study was one of the tribal district of Madhya Pradesh, i.e. Chinddwara district. As per census 2001, Chhindwara is fourth highest district and consist nearly 5.2 percent of total ST share of the state of Madhya Pradesh. Further the next step was to select two development blocks representing relatively high and low proportion of tribal population. Thus, one tribal dominated development block and another comparatively less number of tribal populated block from selected district, has been selected purposively. The selection of the villages was done on the basis of the following two criteria: high incidence of poverty represented by extent of dryness or lack of irrigation; and remoteness, two villages, representing an average 'remoteness' has been purposively selected for the detailed study. The micro-study, thus, involves collection of primary and secondary data from the sample villages. This included the group discussions to get familiarized with the surroundings of the villages and the villagers. However, the whole process was followed by a survey of randomly selected sample of 25 households from each of the village. Therefore, on a whole 400 households from the district constituted the part of study.

Profile of Chhindwara District

Administrative Setup: The district is administratively divided into 11 development blocks out of which four (36%) were classified as tribal blocks. The district is divided into 19 Revenue Circles, 319 Patwari Halkas.

Demographic and Educational Profile: According to the 2011 census Chhindwara District has a population of 2,090,306 of which male and female were 1,063,302 and 1,027,004 respectively. There was change of 13.03 percent in the population compared to population as per 2001. This gives it a ranking of 8th in the state. Three-fourth proportion of population resides in rural areas. The district had a population density of 177 inhabitants per square km.

As per Census 2011, the average literacy rate of the district is 72.2 percent, which is above the average of the MP state's 70.76%. While the literacy rate of tribals was found to be 57.60 percent.

Economic Profile: Agriculture is the mainstay of district's economy. As much as 49 percent of the total land area in the district is cultivable. The net sown area during 2004-2005 was estimated at about 5, 08,995 hectare. The net area under irrigation was 1,10,1 86 hectare in the year 2014-15. 73.80% Population of the district directly depends upon Agriculture related activities for their livelihood. The fertile area of the district is almost 5.24 lac hectare. As out of 45.82 percent workers, 29.55 percent were cultivators and 38.06 percent were reported to be agricultural laborers. Chindwara is famous for oranges and it is mainly grown here due to favorable climatic conditions. The other crops are Soyabean, Maize, Barley, Wheat, Gram, Tuar, Groundnuts, Cotton, and Orange. Pench and kanhan coalmines make it a mineral rich area. Most of its land is mountainous having dense forest cover. The forest are dominated mainly by Teak, Bamboo, Mahua, Dhowda, Saal, Amla, Palas, Sheesham etc from which the district gets several important forest products such as Lakh, Gum, Honey, Chironji, Mahua and tendu leaves. During offseason people move to districts of Maharashtra viz Nagpur and Amrawati, Hoshangabad and Narsinghpur for agriculture and non-agriculture labour.

Table 1 **(see in last page)**

In table 1 an attempt has been made to find out the extent of participation by rural women in self help groups across tribal and non-tribal households between various poverty profile groups. It is made from the table that 16 percent of the total households were involved in some of the other SHGs. The participation was found to be

comparatively more in non-tribal villages followed by tribal villages with 18 and 14.5 percent respectively. But the difference was not found to be significant. As far as membership across various poverty profile households is concerned, in non-tribal villages 21.1 percent households from poor non-chronic category followed by chronic poor and at last non-poor households were found to be associated with SHGs. On the other hand in tribal villages also maximum participation was from poor non-chronic households followed by non poor and chronic poor households respectively.

However it can be comprehended on the basis of above analysis that there does not exist any significant difference between the participation level of tribal and non-tribal households nor between any poverty profile households. Any household irrespective of any caste, community and region can be the part of SHGs.

Table 2: Membership in SHG and Distress Migration

Membership	Incidence of Seasonal Migration		Total
	Yes	No	
Yes	23 (14.2)	42 (17.6)	65 (16.2)
No	139 (85.5)	196 (82.4)	335 (83.8)
Total	162 (100)	238 (100)	400 (100)

Source: Primary data

*** Figures in Parenthesis Denotes Percentages**

Table 8.2 presents the participation in SHGs by households who were engaged in migration activities for livelihood has been analysis. It is evident that 14. 2 percent of the migrant households were member of SHGs in their village. While remaining large number of households who were SHG members did not migrated. However out-migration has emerged to be one of the major obstructions for migrant households as far as membership in SHGs is concerned.

Table 3:Designation in SHG

Designation	Poverty Profile			Total
	Very Poor	Poor	Non Poor	
Member	7 (15.5)	30 (66.6)	8 (17.7)	45 (69.2)
President	1 (7.6)	5 (38.4)	7 (53.8)	13 (20.0)
Secretary	0 (0.0)	3 (42.8)	4 (57.1)	7 (10.7)
Total	8 (12.3)	38 (58.4)	19 (29.2)	65 (16.2)

Source: Primary data

*** Figures in Parenthesis Denotes Percentages**

Table 3 reveals the level of participation in self help groups by various poverty profile households. It can be observed that maximum chronic poor households were involved in SHGs as members followed by 7.6 percent members who were president. Similarly maximum poor non-chronic households were also found to be involved as members followed by 42.8 percent as secretary and 38.4 percent as president of SHG. While among non-poor households maximum members were having the post of secretary followed by participants who were as president and members respectively. In other words maximum members were from poor non-chronic households, maximum number of presidents and secretary were from non-poor households. This means that the economic condition of the households determine their participation level in SHGs.

Table 4 : Reasons of Non-participation in SHG

S.	Reasons	Frequency	Percent
1	No SHG in Village	107	26.8
2	No Information about SHG	77	19.2
3	Lack of Time	71	17.8
4	Go Out For Work/Migration	26	6.5
5	Lack of Interest	25	6.2
6	Not Required	18	4.5
7	Not Involved by the SHG	6	1.5
8	No Recognition in SHG	5	1.2
	Total	335	83.75

Source: Primary data

*** Figures in Parenthesis Denotes Percentages**

Table 4 tries to identify the various reasons for non participation in SHGs by 83.75 percent households. As only very few households i.e.16.2 percent of the total from the entire sample were found to be members of SHGs. However one of the major reasons for non participation was reported to be non existence of any SHG in their respective village. Second reason was lack of time with villagers to get them involved in such type of activities due to their other works. Nearly 19.2 percent of the villagers claimed that they do not get any information about SHG being functional in their village. These are those households who if being aware can be the part of it. Another important reason given by 6.5 percent households was that they are not present in the village; hence they migrate to other places for work. Lack of interest by 6.2 percent household was also revealed as one of these reasons for non participation in self help groups. 4. 5 percent households disclosed that they themselves are sufficiently well-of which means that they do not depends on SHGs to get any financial support. Nearly 1.5 and 1.2 percent households declared that there are not involved by the SHG and no recognition is being given to them.

Table 5 (See inlast page)

The village wise reasons of non- participation in SHGs reveals the fact that in non-tribal as well as in tribal villages maximum number of households is disclosed that the main reason of non- participation is due to lack of any SHG in their village. Second important person reason given by households residing in non-tribal villages is that they do not have time for such activities followed by 16.6 percent households who declared that they were ignorant about existence of any SHG in their village. Lack of interest was another important reason given by 7 percent households. While in tribal villages the second important reason provided by 22 percent households was lack of information on SHGs followed by 17.5 percent respondents who revealed that they do not get time. Nearly 11.5 percent households in tribal villages reported that they were not present in village for number of days due to which they are unaware about

village activities. Lack of interest was also one of the important reasons given by 5. 5 percent households located in tribal villages.

Table 6: Advantages from SHG Membership

S.	Type of Advantage	Percentage of Respondents
1	Economically Empowered	90
2	Can Support Family	57
3	Can manage Small Expenses	82
4	Social Empowerment	98
5	Developed the Habit of Saving	99
6	Purchased Assets	42
7	Can Meet Sudden Expenses	72
8	Other Benefits	31
	Total	65 (100)

Source: Primary data

*** Figures in Parenthesis Denotes Percentages**

The table attempts to analyze the type of benefits the member households have received from SHGs. Almost all households i.e. 99 percent of the total were of the view that due to participation they are forced to save small amount of money which earlier they were not used to. Social empowerment of women and also been acknowledged by 95 person members, as due to the membership their social relationships have become strong. 90 percent of the members were of the view that they feel themselves economically empowered. Moreover 82 percent had admitted that with the help of SHG contribution they can know manage small expenses of family like education of children, purchasing food and non-food items and also during festivals. Sudden expenses like death, accident, crop failure, etc was also revealed by 72 percent of the total members. They declared that initially they were dependent on money lenders for such type of mis-happenings in family who charged huge interest rate and took the advantage of household misery. Whenever there is a need of money to cope up with such shocks SHG helps them with minimum rate of interest and high time period for deposit. 57 percent members happily agreed that now they can support the family also in the time of need, which had raised their importance in family. Lastly 42 percent women members reported that the support they have purchased assets like goat, hen, consumer durables etc for the family which was not possible either.

To sum up it can be comprehended that SHGs has played a major role in the life of rural women both socially as well as economically. On one hand they have tried to remove themselves from the clutches of money lenders and on the other hand acquired a social bond with fellow villagers. But the awareness level regarding functioning of SHGs in rural areas need to raised as the main issue emerged from the discussion was lack of awareness about functioning of such type of SHGs in villages. The scope of development of SHGs was found to be comparatively less in tribal villages which need to be strengthened by NGOs working in which sector. The future of this sector in generating microfinance can be very prospective particularly in remote tribal villages where savings could be mobilized to productive use rather than non productive purposes.

References:-

1. Carney D.(1998) (ed.), Sustainable Rural Livelihoods: What Contribution Can We Make? Department For International Development.
2. Census of India, 2011, Registrar General of Census, GOI, New Delhi
3. Clawen, A. (2002) ‘Female Labour Migration to Bangkok: Transforming Rural-Urban Interactions and Social Networks Through Globalization’, Asia-Pacific Population Journal 17.3.
4. Deshingkar, P. and Start, D. (2003) Seasonal Migration for Livelihoods, Coping, Accumulation and Exclusion, Working Paper No 220, London: Overseas Development Institute.
5. Deshingkar, P. (2005) ‘Temporary Internal Migration and Development in India’, paper presented at IOM SSRC_ESRC Workshop on Migration and Development Within and Across Borders
6. Deshingkar, P. (2006), ‘Internal Migration, Poverty and Development in Asia: Including the Excluded, IDS Bulletin, Volume 37, Issue 3.
7. Dwivedi D.N.(1974), Economic Concentration and Poverty in India, Dutta Book Center, Delhi.
8. Kathuria, P. (2012), Incidence and Co-relates of Chronic Poverty in Remote Rural Areas: A Study of Dhar District (Madhya Pradesh)” Anmol Publications Pvt Ltd, New Delhi.
9. Mishra Indira (2003), Micro Credit for Macro Impact on Poverty, National Publishing House, New Delhi. Nand Dhameja, K S Sastry, (1997) Finance and Accounting for managerial competitiveness,Wheeler publishing.
10. Neeta Tapan, (2000), Need for Women Empowerment, Rawat Publications.
11. Roy, N. & Debnath, A. (2011) ‘Impact of Migration on Economic Development: A Study of some selected state, International Conference on Social Science and Humanity IPEDR vol. 5 (2011) IACSIT Press, Singapore
12. Solmon Raj, D. (2005). “Employment Generation Programme through SHG’s in Thoothukudi panchayat union.” In Rural Labour Market [M. Soundara Pandian (ed.)]. New Delhi: Serials Publications.
13. Singh, B.K., (2005) Women Empowerment through Self-Help Groups, Adhyayan Publishers and Distributors, New Delhi.
14. Tripathi, S.N. (2005) Tribal Migration; Sonali Publications, New Delhi.
15. Z Meenai, Empowering rural women (2003) : an approach to empowering women through credit based self help groups, Aakar Books, New Delhi.

Table 1 : Membership of SHG

Type of Village	Membership	Poverty Profile			Total
		Very Poor	Poor	Non Poor	
Non-Tribal Village	Yes	5 (15.6)	19 (21.1)	12 (15.4)	36 (18.0)
	No	27 (84.4)	71 (78.9)	66 (84.6)	164 (82.0)
	Total	32 (100)	90 (100)	78 (100)	200 (100)
Tribal Village	Yes	3 (12.0)	19 (15.4)	7 (13.5)	29 (14.5)
	No	22 (88.0)	104 (84.6)	45 (86.5)	171 (85.5)
	Total	25 (100)	123 (100)	52 (100)	200 (100)

Source: Primary data

*** Figures in Parenthesis Denotes Percentages**

Table 5 : Reasons of Non-participation across Villages

S.	Reasons	Type of Village		Total
		Non-Tribal Village	Tribal Village	
1	No SHG in Village	60 (30.2)	47 (23.5)	107 (26.8)
2	No Information about SHG	33 (16.6)	44 (22.0)	77 (19.3)
3	Lack of Time	36 (18.1)	35 (17.5)	71 (17.8)
4	Go Out For Work/Migration	3 (1.5)	23 (11.5)	26 (6.5)
5	Lack of Interest	14 (7.0)	11 (5.5)	25 (6.3)
6	Not Required	11 (5.5)	7 (3.5)	18 (4.5)
7	Not Involved by the SHG	6 (3.0)	0 (0.0)	6 (1.5)
8	No Recognition in SHG	1 (0.5)	4 (2.0)	5 (1.3)
	Total			335 (83.75)

Source: Primary data

**** Figures in Parenthesis Denotes Percentages***

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Cultural Conflict and the Indian Diaspora in the non-fictional works of V.S.Naipaul

Prof. Aafia Zaman*

***Assistant Professor, Govt.Degree College, Surankote, Distt. Poonch (J & K) INDIA**

Abstract - This research paper is an attempt to study cultural conflict in the works of V.S.Naipaul with reference to Indian Diasporas. He is one of the foremost spokesperson in English prose of the post colonial Third World. It aims to explore the reasons behind the cultural fracture in Indian society.He nicely depicts the social, political, religious conditions of India and explains that Indian people suffer from many social dilemmas such as caste system, poverty and colonialism.

Introduction - The Indian Diaspora today constitutes an important and in some respects a unique force in world culture. The term "Diaspora" in Greek means "scattering or "dispersion". The Indian Diaspora is a generic term to describe the people who migrated from territories that are currently within the borders of the Republic of India, composed of "NRIS" (Indian citizens not residing in India) and "PIOS"(persons of Indian origin who has acquired the citizenship of some other country) , the diasporas covers practically every part of the world. The Diasporas is very special to India.

His nonfiction works have not only emerged as an artist's achievement in the new era of fiction but also have demanded worldwide attention for the most frank, free and sometimes even the most controversial observation that he made them. His nonfictional writings also reveal his attempt at changing from one field to another, from purely the fiction writer to a journalistic art of transforming facts into fiction which leads him to emerge as an established artist of new genre. In his nonfiction works like India: An Area of Darkness, India: A Wounded Civilization and India: A Million Mutinies Now. We find that he has freed to himself from the problems of experiment and exploration and deals with his experience and encounter which he records with greater liberty and also with his own observations and views which appears startling, controversial as well as astounding. Above all in hi nonfiction novel that brings him to a close analysis of this parent homeland in which he records his views and visions after his several visits to this country. His experiences & observations are based on his personal study, encounters and feelings. His journalistic eye for significant details, his views and visions regarding Indian's social, cultural and political scenario bring them to the category of this new genre.

Cultural conflict in his nonfictional works - Naipaul's involves with the issues of cultural and literary identity in a multiple ways. His intellectual and personal obsession with India is a country and metaphor that he evokes in a mood of anger and despair. His penetrating, opinionated travel writing makes up a remarkable running commentary on the clash of civilization. His works show a deep concern for the culture of the colonized countries, the socio-political and cultural history of India and the economic condition of a few Eastern countries passing through a period of transition from colonial domination to independence. Central themes in his works are damaging effects of colonialism upon the people of the third world, but he does not believe in the imported ideas of revolutionaries of the ability of the former colonies to avoid mistakes made by the western and consumer society.

His engagement with the social and cultural friction caused by ethnic traditions forced into proximity, and the rituals leads him to conclusions about the cultural and political poverty. In An Area of Darkness, he notes the workings of caste system in India and also observes the various rites and rituals observed by the Indian visits people. From the very beginning it is noticeable that he is enormously disenchanted with the reality that he has to face during his first sojourn in the country of his ancestors. He "attacks the culture and morality of India both collectively and individually."(Delany 50-51) It is his powerful emotional experience, which not only changed his whole life but, above all, it also strongly influenced his further writing.

Colonialism is defined as military, political, economic and cultural oppression and domination of one country over the other. Naipaul's nonfictional works shows that core of that society is destroyed by centuries of colonialism. Due to culture conflict, they suffer from dislocation, placeles-

sness, fragmentation, & loss of identity. They become mimic men who intimate and reflect the colonizer's life style, views and values. In 1947, after a long period of English supremacy, India gained its independence, but had not managed to enjoy its "triumph" as the new obstruction appeared the "internal discord of the country caused by the conflicts between the Hindus and the Muslims led to the division of India and the new country of Pakistan was created."(Keay 509) The inde- pendent India proved enormously incompetent in terms of governing its own nation and of economic development. Naipaul comes to India, which is adrift by its social and political crises.

He burdened by colonial prejudiced, poises a harshly critical lens on the land and the people and unearths dirt and filth alone. The Hindu-Muslim conflict is many times evoked in Naipaul's trilogy. The clashes and the mutual misunderstanding between the devotees of the two religious groups are usually shown on the way people are living. He writes about the Muslim ghettos placed out of the rest of the Hindu society. In the encounter of Naipaul, as a representative of Hindu, with Aziz,a representative of Muslim, one can trace a considerable misunderstanding between those two religions. He himself confesses that despite the fact that his relationship to Aziz was more or less warm and on friendly terms, there occurred some moments of misapprehension. He realizes that Muslims "were somewhat more different than others", because "they were not to be trusted; they would always do you down."(Rai 16)

Clash of culture in multiracial societies of West Indies are also seen in his fictional writings. He envisions the West Indies as a rubbish-heap or a sterile, debilitating place. Such environment can only produce rootlessness, futility and disillusionment. His comic vision picturing the clash of culture is done in terms of character made of flesh and blood. The comic novel also expresses it: "The conflict in the story has strong bearing on clash of culture which accounts for the background to and explanation of many events in the novel as well as Mr. Biswas difficulty of adjustment in his relationship with Tulsidom". (Naipaul AHMB 94)

Caste, sanctioned by the Gita with almost propagandist fervor, might be seen as part of the older Indian pragmatism for, the life of classical India. It has decayed and ossified with the society, and its corollary, function has become all. Every man is an island for each man to his function, his private contrast with god. This is caste. (AAOD 82-83)

For him, India means still a cultural shock to him. Caste he finds still dominates life in India, serving to imprison "a man in his function" rendering "millions faceless". Ten thousand years established caste system is one of the deficiencies of the society that makes the Indian people unable to transform their situation. Everyone has his own predi- spositions for living. The position within the society is inborn and any attempt to improve living conditions and to circumvent the long established caste system. It is regarded as the serious disruption of the fundamental principles of the Indian society and often leads to the expulsion from the community, because "every man knows his caste, his place, each group lives in its own immemorially defined area; and the pariahs, the scavengers, live at the end of the village". (AWC 28)

Then there was the affair of a mosque in the town of Ayodhya, 300 miles away which the Hindus had turned into temple. It was the birthplace of Lord Rama, the hero of the Ramayana; and there were Hindus who said that after their invasion the Muslims had built a Mosque on the site of Rama's birthplace. With independence Hindus wished to claim the site again.(AMMN 362). The Indian identity as seen from this comment is not that of knowing each other, but the people's identity, is that of being a social group divided caste, religion and family. This is one of the major reasons for India's cultural decay. Naipaul opines that India is a wounded civilization because its wounds are inflicted by continuous conquest, the slaughter and obliteration of culture and continuity that the conquests entailed. The 'culture fracture' that occurred to India is represented through the image of the destroyed monuments of Vijaynagar empire. It represented a fossilized Hinduism.

It was in Viyaynagar at this time ….. that I began to wonder about invasions and conquests of the last thousands years. What happened in Vijaynagar happened, in varying degrees, in other parts of the country. In the north ruin lies on ruin; Moslem ruin on Hindu ruin, Moslem on Moslem. In the history books, in the accounts of wars and conquests and plunder, the intellectual depletion passes unnoticed. (WC 17)

Conclusion - Finally, I reached to the conclusion that Naipaul is one of those writers who portray in his work alienation, cultural conflict and identity crisis, that a rootless, restless and luckless to person faces in an alien land. He has always possessed a nostalgic yearning for his religious, racial and cultural world. His subsequent visits to India over the years, he has acquired a working knowledge of the Indian socio-cultural ethos. The issue of cultural conflict and the multiple issues have been faithfully portrayed by him in his works. His writing refers to the debate between modernity and traditionalism. However, this conflict, in his work, leads to the conclusion that the Third World cannot preserve its traditional values in the modern world. The colonized individuals and cultures tend to repudiate their traditional past and mimic the lives and cultures of their colonial masters. Due to cultural conflict, the society is still divided on the basis of caste, creed and religion. People do not create bonds of unity in the masses belonging to different sections of society; rather they make all out efforts to create divisions in the society. They hardly make efforts to save and propagate the Indian languages, culture and

rich heritage; rather they have become promoters of English education and western culture. Colonialism is negative effects on Indian culture, there was loss of values, traditions, religious beliefs and language domination has its effect on the ruled who think the rulers as superior people. Naipaul describes the colonial affect on the Indians.

They had created in India something not of India. Simplicity, Where the Indian past had been abolished. And after 450 years, all they had left behind this emptiness and simplicity was their religion and their language. (AMMN 142)

It is rather painful that even after the years of independence, the Indians are not having the independent thinking of their own and the political system still runs on the borrowed institutions and instead of making efforts to frame the policies for the betterment of the society, the politicians are indulged in the game of minting money through corrupt practices. The colonizers exploited the country and its masses, the present day rulers follow the legacy of their ex-masters.

References :-

1. Naipaul, V.S. India: A House for Mr. Biswas, 1961 (London: Penguin, 1969) Print.
2. A Million Mutinies Now, 1990 (London: Penguin, 1998) Print.
3. An Area of Darkness: An Experience of India, 1964 (London: Penguin 1968) Print.
4. India: A wounded Civilization, 1977 (London: Penguin, 1979) Print.
5. Delany, Austin. Mother India at Bitch, Transition. (Duke: U.P., 1966) Print.
6. Keay, John. Indian: A History (London: Harper Perennial, 2004) Print.
7. Rai, Sudha .V.S.Naipaul:A Study in Expatriate Sensibility. (New Delhi: Arnold, 1982) Print.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

राजा राम मोहन राय: भारतीय पुनर्जागरण के जनक एवं आधुनिक भारत के निर्माता

मुकेश चन्द*

* सहायक आचार्य, इतिहास (विद्यासंबल योजना) राजकीय महाविद्यालय, सैपऊ, धौलपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – राजा राम मोहन राय भारत के एक महान सपूत थे जिन्होंने देश के विकास के लिए विभिन्न सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। वह एक बहुमुखी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधारक थे जो सती, बाल विवाह, सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने और शिक्षा की वकालत करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो पहले भारतीय सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों में से एक थी। उनके समय में लम्बे समय से चली आ रही अनेकों ऐसी कुरीतियां प्रचलित थीं जिनके विरुद्ध आवाज उठाने का और जिनको मिटाने का साहस किसी में नहीं था। ऐसे समय में उन अनेकों कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों के बारे में सोचने, समाज को उनके दुष्परिणामों के बारे में लोगों को बताने और अंतिम रूप से उन कुप्रथाओं को समाप्त करने में और भारत में पुनर्जागरण लाने में राजा राम मोहन राय द्वारा दिया गया योगदान इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा अंकित रहेगा।

प्रस्तुत शोधपत्र राजा राम मोहन के दार्शनिक व्यक्तित्व और उनके द्वारा किये गए तात्कालिक सामाजिक सुधारों पर केन्द्रित है।इस शोधपत्र में राजा राम मोहन राय के उन प्रमुख योगदानों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर उनको समाज सुधारक, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है।

शब्द कुंजी – भारतीय, पुनर्जागरण, जनक, आधुनिक, निर्माता, विकास, सुधारक।

प्रस्तावना – सन 1815 में राजाराम मोहन राय ने 'आत्मीय सभा' की स्थापना की। वो 1828 में ब्राह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया। बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े।राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद, ब्रह्म समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, भारतीय ब्रह्मसमाजऔर आदि ब्रह्म समाज। क्रमश: दोनों वर्गों के नेता केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर थे।राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और एक अथक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में प्रबोधन और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग का उद्घाटन किया।राजा राम मोहन के सामाजिक सुधारों एवं शैक्षिक सुधारों को पूर्ण रूपेण शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव डाली, निम्न प्रकार हैं-

राजा राम मोहन रायके समाज सुधार:

1. राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की।
2. उन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा, वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा (जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया) की स्थापना की।
3. उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया।
4. वह महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती एवं विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिये जाने जाते थे।
5. उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया तथा महिलाओं के लिये विरासत तथा संपत्ति के अधिकार की मांग की।

राजा राम मोहन राय के शैक्षिक सुधार:

1. राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिये बहुत प्रयास किये। उन्होंने वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज खोजने के लिये डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेजी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था।
2. वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की जहाँ भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था।

विशिष्ट उद्देश्य:

1. पुनर्जागरण के अर्थ और अवधारणा स्पष्ट करना।
2. भारतीय पुनर्जागरण पर प्रकाश डालना।
3. राजा राम मोहन राय के भारतीय पुनर्जागरण के क्षेत्र में दिए गए योगदान का अध्ययन करना।
4. राजा राम मोहन द्वारा किये गए विभिन्न सामाजिक सुधारों की समीक्षा करना।

सम्बंधित समीक्षित साहित्य

'राजा राम मोहन राय ने विभिन्न समाज सुधारक आंदोलनों का नेतृत्व कर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन भारतीय कुरीतियों को संकल्पित एवं

समर्पित होकर समाप्त करने में अपना योगदान दिया उनमें प्रमुख हैं– धर्म और पाखंड, अज्ञान, आडम्बर, सतीप्रथा,रूढ़िवादिता आदि। विश्व के विभिन्न धर्मो के अध्ययन एवं स्वयं के अवलोकन के आधार पर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था जो अनेकों कुरीतियों से ग्रसित थी, के बारे में निष्कर्ष था कि भारतीय समाज और संस्कृति को केवल पश्चिमी संस्कृति ही पुनर्जीवित कर सकती है। वे पश्चिम के युक्ति–संगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव गरिमा और सामाजिक एकता के सिद्धांत के पक्षधर थे'।[1]

'राजा राम मोहन राय भारत के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के विकास के लिए अथक प्रयास किया। वह वास्तविक अर्थो में आधुनिक भारत के पहले महान नेता थे जिन्होंने न केवल तत्कालीन भारतीय समाज में विपत विभिन्न सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों की ओर ध्यान दिया, अपितु उनको समाप्त करके अनेकों ऐतिहासिक सामाजिक सुधार किये। उन्होंने भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया और धर्म में एकेश्वरवादी सिद्धांत का प्रचार करने का प्रयास किया। उनका आधुनिकता में विश्वास और भारत में इसकी आवश्यकता उनके समाज सुधार सम्बन्धी चिंतन का प्रमुख आधार था। वह जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श स्वतंत्रता के अलगाव में नहीं, बल्कि व्यक्तियों और राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता के भाईचारे में निहित है। वे सती, बाल विवाह, जातिगत कठोरता जैसी सामाजिक कुरीतियों के कट्टर विरोधी थे। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय का योगदान सराहनीय है, इसलिए उन्हें 'भारत के आधुनिकता का जनक' और 'पुनर्जागरण का जनक' माना जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन आधुनिक भारत के सामाजिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिसके लिए राजा राम मोहन राय को याद किया जाएगा। वह शाश्वत हैं और अपनी महान विचारधाराओं, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधारों, पत्रकारिता, साहित्यिक और प्रकाशित कार्यो के लिए भारत के इतिहास में सदैव याद किये जायेंगे'।[2]

'राजा राम मोहन राय का सम्बन्ध 18 वीं शताब्दी से था जब बंगाल के साथ–साथ सम्पूर्ण भारत अनेकों ऐसी सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों में जकड़ा हुआ था जिनसे भारत को मुक्त किया जाना आवश्यक था। उन्होंने भारतीय समाज में नवजागरण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज को पाश्चात्य संस्कृति से जोड़कर तत्कालीन समस्याओं से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया। अतुलनीय दूरदृष्टि के धनी राजा राममोहन राय भारतीय सामाजिक विकास के सन्दर्भ में आधुनिक युग के महत्व को समझने में समर्थ थे'।[3]

'राममोहन राय, प्रत्येक मानक के आधार पर, आधुनिक इतिहास में एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। उनके द्वारा कलकत्ता और लंदन में बिताये गए अठारह वर्ष ऐसी गतिविधियों से जिन्होंने भारतीय समाज पर अमिट छाप छोड़ी है, से भरे पड़े हैं। राममोहन राय को न केवल अनेकों भाषाओं और धर्मो का ज्ञान था, अपितु वह धर्मशास्त्र के प्रकांड विद्वान भी थे। उन्होंने शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों के आधुनिक आलोचनात्मक अध्ययन में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया, कई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारम्भ किया औरबंगाल में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया'।[4]

'ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज के सुधार और आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। ब्रह्मसमाज के संस्थापक राम मोहन राय द्वारा सफलतापूर्वक सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया जिसके सुखद परिणाम आज सर्वत्र देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने अपने देश की परंपराओं की सर्वोत्ताम विशेषताओं वाली संस्कृति के साथ पश्चिमी देशों को एकीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने संस्कृत– आधारित शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी– आधारित शिक्षा प्रणाली को स्थापित कर अनेकों विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने तर्कसंगत, नैतिक, गैर–सत्तावादी और सामाजिक–सुधारवादी हिंदुत्व को प्रोत्साहित किया। समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का योगदान अतुलनीय और अद्वितीय है। हिंदू धर्म और भारतीय–अधिकारों का विरोध करने के उनके प्रयास और उनके ब्रिटिश सरकार के साथ उनकी निकटता के कारण उन्हें ष्भारतीय पुनर्जागरण के जनकष् की उपाधि मिली'।[5]

'आधुनिक भारत के निर्माता, महानतम सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान करने में अग्रणी और ब्रह्मसमाज के संस्थापक, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अंग्रेजी के अध्ययन को प्रसारित कर एवं आधुनिक चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और विज्ञान की वकालत करके भारतीय समाज में विभिन्न परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया। राजा राम मोहन राय एक भारतीय धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक सुधारक और मानवतावादी थे, जिन्होंने पारंपरिक हिंदू संस्कृति को चुनौती दी और समाज के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रारंभिक 19 वीं शताब्दी के अन्य प्रमुख बंगालियों सहयोग से वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसने ब्रह्म समाज को जन्म दिया, जो बंगाल पुनर्जागरण काल के दौरान विशिष्ट रूप से सराहनीय और प्रभावी भारतीय सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलन सिद्ध हुआ। राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत कहा जाता है। उनको केवल 'महान शिक्षा सुधारक' ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में भी जाना जाता है'।[6]

प्राक्कल्पना:

1. भारतीय इतिहास आदिकाल से भारतीय समाज में प्रचलित अनेकों सामाजिक बुराइयों, कुप्रथाओं और कुरीतियों पर पर्याप्त प्रकाश डालता है।
2. सामाजिक बुराइयों के निदान में समाज सुधारक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हैं।
3. आधुनिक भारत के निर्माण में समाज सुधारकों का योगदान रहा है।
4. राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण लाने और इसको त्वरित गति प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
5. ऐतिहासिक दृष्टि से राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक हैं।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोधपत्र गुणात्मक शोध एवं अनुसन्धान की श्रेणी में आता है और इसके केन्द्र में भारतीय पुनर्जागरण और आधुनिक भारत की नींव रखने में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रदत्त योगदान को स्पष्ट करना है। शोधपत्र को तैयार करने हेतु भारतीय इतिहास, पुस्तकों तथा विभिन्न इंटरनेट साइट्स पर उपलब्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ चुनिंदा शोध पत्रों और अध्ययनों का अध्ययन किया गया है, और इतिहास के व्यक्तिगत ज्ञान एवं अध्ययन, तथा साथ ही समीक्षित साहित्य के आधार पर अध्ययन हेतु निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। शोधपत्र लेखन में वैज्ञानिकों द्वारा सर्वसम्मत रूप से निर्धारित शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

निष्कर्ष – विश्व के प्रत्येक समाज में अनेकों समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने अपने–अपने समय में तत्कालीन समाज में फैली कुरीतियों और कुप्रथाओं

की ओर न केवल गंभीरता से ध्यान दिया, अपितु उनको समाप्त करने हेतु लोगों को जागरूक किया और उनको साथ लेकर व्यापक आंदोलन चलाये। वैश्विक स्तर पर वर्तमान में जो सुधारीकृत सामाजिक व्यवस्था दृष्टिगोचर हो रही है, उसकी स्थापना उन समाज सुधारकों के द्वारा ही की गई।

भारत में भी अनेकों समाज सुधारक हुए हैं जिनमें से प्रत्येक समाज सुधारक ने समाज को विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक दिशा प्रदान की। भारतीय इतिहास में जिन समाज सुधारकों को स्वर्णिम अक्षरों में स्थान प्राप्त हुआ है, उनमें से एक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भी हैं जिन्होंने भारत में पुनर्जागरण लाने में और सती प्रथा एवं अन्य कुरीतियों को समाप्त कर आधुनिक भारत का निर्माण करने में अपना विशेष योगदान दिया।समाज सुधार के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए न केवल समाज, अपितु भारतीय इतिहास हमेशा ऋणी रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर. पी. गुप्ता (2018). सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का योगदान। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, वॉल्यूम 6, इशू 1, मार्च 2018
2. विजय कुमार सराबू (2023). रेलेवंस ऑफ राजा राम मोहन राय इन वीमेन एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यू इंडिया, कांफ्रेंस एट ए जे इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मंगलोर, कर्नाटक स्टेट (इंडिया), फरवरी, 2023
3. गोपाल डे (2023). बैकग्राउंड टू दि ग्रेट रिवोल्ट: राममोहनश्स हिस्टोरिकल-सोशल थॉट्स एंड स्टेप्स। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, वॉल्यूम 11, इशू 2, फरवरी, 2023
4. ऐस ऐन मुखर्जी (1996). दि सोशल इम्प्लिकेशन्स ऑफ दि पोलिटिकल थॉट ऑफ राजा राम मोहन राय। सिटीजन हिस्टोरियन।
5. डॉ. प्रफुल्ल कुमार दास (2018). राजा राम मोहन राय: ए हार्बिंगेर ऑफ लिबरलिस्म। इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटिज, वॉल्यूम 4, इशू 11, नवंबर 2018
6. श्री मदन मोहन मंडल -डॉ. संतोष कुमार बेहरा (2015). राजा राम मोहन राय एज ऐन एजुकेशनल रिफॉर्मर: ऐन इवैल्यूएशन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्टडीज, वॉल्यूम 1, इशू 4, वर्ष 2015

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

प्राथमिक शिक्षा का विकास में महत्व

डॉ. उदय प्रताप सिंह*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (बी.एड.विभाग) किसान पी0जी0 कॉलेज, बहराइच (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की एक प्रक्रिया है। परिवर्तनशील संसार के साथ स्वयं को समायोजित करना एक सतत प्रक्रिया है। अत: शिक्षा का मानव जीवन से गहरा संबंध है। यह जन्म से शुरू होकर जीवन भर, मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। इसमें शैशवावस्था के दौरान अर्जित सभी ज्ञान और अनुभव शामिल हैं। बचपन, किशोरावस्था और जवानी वे स्कूल, घर, समाज या शिक्षा की किसी एजेंसी में सीखते हैं। शिक्षा व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र निर्माण और भविष्य का निर्धारण करने वाली सबसे शक्तिशाली एजेंसी है।

प्राथमिक शिक्षा शिक्षा की प्रवेश संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी अवस्था में बच्चा औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करता है। औपचारिक संस्थानों से बच्चे को जो शिक्षा मिलती है वह उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास की नींव प्रदान करती है। सुदृढ़ प्रारंभिक शिक्षा सुदृढ़ माध्यमिक और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देती है। भारत जैसे विकासशील देश में, प्रारंभिक शिक्षा को राष्ट्रीय शैक्षिक अधिरचना की ओर कदम माना जाता है। अत: लोकतांत्रिक परंपराओं एवं मूल्यों की स्थापना के संदर्भ में स्कूल जाने की उम्र के सभी बच्चों को साक्षरता का अवसर देना आवश्यक है। भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों में 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए संविधान के अनुकूलन के दस साल के भीतर मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार की लगातार पाँच वर्षों की योजनाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व गुणात्मक विकास किया है। भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को मानव संसाधन विकास के रूप में मान्यता दी गई है।

प्राथमिक शिक्षा न केवल सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के आधार पर, बल्कि औसत श्रमिकों की क्षमता बढ़ाने और प्राकृतिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता की हकदार है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद '45' में कहा गया है कि-'राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। लेकिन अब तक संविधान का गंभीर रूप अधूरा पड़ा है।' इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए प्राथमिक शिक्षा केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकार, विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ-साथ स्वैच्छिक संगठन की संयुक्त जिम्मेदारी बन जाती है। सामान्य और प्राथमिक शिक्षा के महत्व को जानना विशेष रूप से शिक्षा, भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, और 30, शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए कुछ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद, 99 जिला भाषाओं की लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। नागरिक का कोई भी वर्ग। किसी भी नागरिक को राज्य या धर्म, जाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा विभिन्न वर्गों के बच्चों को एक समान और सुविकसित आधार प्रदान करती है ताकि वे अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इसके माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्यों, जिम्मेदारी, और सामाजिक समरसता की महत्वपूर्णता का ज्ञान होता है।प्राथमिक शिक्षा साक्षरता की बढ़ोतरी में सहायक होती है और लोगों को अपने आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इसके माध्यम से बच्चे साक्षरता हासिल करके अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साहित होते हैं।इस शिक्षा का मकसद बच्चों को सिखाना नहीं होता कि कैसे सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि ज्ञान का अर्थ है समझ, उत्साह और रूचि से सीखना।

प्राथमिक शिक्षा एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव रखती है क्योंकि यह स्वास्थ्य, जीवन कौशल और सामाजिक जिम्मेदारियों की पहचान करती है। इसके माध्यम से बच्चों को स्वस्थ जीवनशैली के महत्व का आदान-प्रदान होता है जिससे वे एक सकारात्मक समृद्धि की दिशा में बढ़ सकते हैं।समाज में सामाजिक समांतरता बनाए रखने के लिए प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके माध्यम से बच्चों को समाज में एक उच्च स्थिति और समानता की महत्वपूर्णता समझाई जाती है।अधिकांश के लिए, प्राथमिक शिक्षा एक अभिभावक समूह का अभिवृद्धि में भी मदद करती है जिससे समृद्धि और सामरिक समृद्धि होती है। इसके माध्यम से बच्चों को समाज में जिम्मेदार नागरिक बनाने की शिक्षा मिलती है जिससे वे समाज में सही दिशा में योगदान कर सकते हैं।

आरंभिक शिक्षा का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह एक समाज के विकास की नींव होती है। यह बच्चों को मौलिक ज्ञान, नैतिकता, और सामाजिक मूल्यों का अधिग्रहण करने में मदद करती है और उन्हें सफल नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। यह समर्पित शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को स्वतंत्रता, सोचने की क्षमता, और सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। इसके माध्यम से ही समाज में सामंजस्य और समरसता का अभिवादन हो सकता है, जिससे समृद्धि और सबका सामाजिक और आर्थिक विकास संभव हो सकता है। इसके बिना, एक समृद्धि और समरसता भरा समाज संभावनाओं से वंचित रहता है।

भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास – प्राथमिक शिक्षा देश के प्रत्येक नागरिक की प्राथमिक आवश्यकता है। यह प्रत्येक बच्चे की औपचारिक

शिक्षा प्रणाली का मूल या आधार है। प्राथमिक शिक्षा देश के लिए स्थानीय औपचारिक शिक्षा प्रणाली का स्तंभ है। यह बच्चों की शिक्षा और चरित्र की नींव बनाने में मदद करता है।

शैक्षिक आयोग 1964-66 ने निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरण दोनों का वर्णन करने के लिए 'प्राथमिक' शब्द का उपयोग किया। निम्न प्राथमिक चरण में कक्षा I से कक्षा IV या V तक शामिल हैं, और उच्च प्राथमिक चरण में V से VII या VI से VIII तक शामिल हैं।

भारतीय इतिहास के हिंदू काल में प्राथमिक शिक्षा ब्राह्मण परिवारों के लड़कों और कुछ हद तक क्षत्रिय या वैश्य परिवारों के लड़कों तक ही सीमित थी। 'सूरदास' और 'महिलाआ' के लिए शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 'टोल' या 'पाठशाला' हिंदू शिक्षण विद्यालय था।

मुस्लिम काल में मकतब मुसलमानों का प्रमुख शिक्षा केन्द्र था। ये हिंदू की पाठशालाओं के संवाददाता हैं। इन दोनों प्रकार के संस्थानों में प्राथमिक शिक्षा 3R's और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन तक ही सीमित थी। (3आर-पढ़ना, लिखना और अंकगणित)।अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करने के लिए ब्रिटिश काल के नियम के दौरान सबसे पहला प्रयास 1838 में विलियम एडम द्वारा किया गया था। बाद में 1852 में बॉम्बे में राजस्व सर्वेक्षण आयुक्त कैप्टन विंगेट ने कृषकों के बेटों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा, उनसे पांच के शतरंज का एहसास हुआ। प्रतिशत गुजरात में भी रखा गया ऐसा ही प्रस्ताव हंटर कमीशन (1882) ने देश की प्राथमिक शिक्षा में बहुत गहरी रुचि ली। वास्तव में, यह उनकी जाँच का प्रमुख क्षेत्र था। इसलिए उन्होंने बुरी तरह से स्वीकार किया कि 'जबकि शिक्षा की प्रत्येक शाखा राज्य की पोषण संबंधी देखभाल का उचित दावा कर सकती है, देश की वर्तमान परिस्थितियों में, यह वांछनीय है कि जनता की प्राथमिक शिक्षा की घोषणा की जाए, इसके विस्तार और सुधार के लिए प्रावधान किया जाए शैक्षिक प्रणाली का वह भाग जिसके लिए राज्य के कठोर प्रयासों को अब भी बड़े पैमाने पर निर्देशित किया जाना चाहिए।'

राष्ट्रीय नेता और शाही विधान परिषद के सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910-1912 के भीतर भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए पहला मसौदा तैयार किया। यह इंग्लैंड के 1870, 1876 और 1880 के प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम के मॉडल पर था, दुर्भाग्य से इस बिल का अधिकारियों ने विरोध किया और 13 के मुकाबले 38 वोटों से हार गया। 1980 में, अनिवार्य शिक्षा पर ब्रिटिश शासन का पहला अधिनियम बॉम्बे में पारित किया गया था। श्री विट्ठल भाई पटेल द्वारा प्रेरित, इसे पटेल अधिनियम या बॉम्बे नगर पालिका प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के रूप में जाना गया। 1919 से 1920 की अवधि के दौरान कई अधिनियम, यानी बेगल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, बिहार और उड़ीसा अधिनियम, पंजाब अधिनियम, यू.पी. अधिनियम, मद्रास अधिनियम और बॉम्बे शहर अधिनियम। 1921 से 1947 की अवधि के दौरान अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करने के लिए कई कानून पारित किए गए। प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1926 में पारित किया गया था। हार्टोग समिति (1928) ने प्राथमिक शिक्षा का गहराई से अध्ययन किया और बताया कि अपव्यय और ठहराव इसकी प्रमुख समस्याएँ थीं। समिति ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने तथा इससे होने वाले अपव्यय तथा ठहराव पर विभिन्न सिफारिशें दीं। गांधीजी ने 1937 में भारत में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की और 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा बुनियादी शिक्षा अधिनियम लागू किए गए। शिक्षा की सरजीत योजना (1944) ने सिफारिश की कि 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक या बुनियादी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, इस योजना ने शैक्षणिक वातावरण के विकास के लिए विभिन्न सिफारिशें प्रदान कीं। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद शिक्षा के नतीजे बिल्कुल भी उत्साहवर्धक नहीं रहे। आजादी के बाद भी देश में बड़े पैमाने पर निरक्षरता थी। 1951 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में साहित्यिकों का प्रतिशत केवल 19.74 प्रतिशत था। इसलिए, भारत जैसे स्वतंत्र देश में जन शिक्षा की इस स्थिति के कारण हमारे संविधान निर्माताओं को इस विषय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी।

भारतीय समाज के विकास में प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उस काल से जुड़ा है जब भारतीय समाज में शिक्षा एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा का वैचारिक आधार भी भारतीय संस्कृति एवं दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है। भारतीय समाज में बच्चों को शिक्षित करने की प्रक्रिया प्राथमिक विद्यालय से शुरू होती है। यह उन्हें नैतिक मूल्यों, सामाजिक समझ और साक्षरता की नींव प्रदान करता है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों को स्वतंत्र, जागरूक और समाज द्वारा समर्थित होने की क्षमता प्रदान करना है। इसके लिए धन्यवाद, वे नैतिक मूल्यों को समझते हैं और समाज में ठीक से एकीकृत होते हैं। प्राथमिक शिक्षा का महत्व यह है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की नींव रखती है। यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि सोचने, समझने और राह पर बने रहने की क्षमता भी विकसित करता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास लंबे समय से एक कठिन कार्य रहा है। आर्थिक और सामाजिक असमानता, गरीबी और अधिकारों की कमी के कारण सहायता प्राप्त करना कठिन है। हालांकि, सरकार की कोशिशों के बावजूद अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। इसके बावजूद प्राथमिक शिक्षा भारतीय समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है और आने वाले समय में इसका महत्व और भी बढ़ने की संभावना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुमार, कृष्णा. (2005)।'शिक्षा का राजनीतिक एजेंडा: उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी विचारों का एक अध्ययन।' ऋषि प्रकाशन।
2. ड्रेज, जीन, और सेन, अमर्त्य। (2011). 'एक अनिश्चित महिमा: भारत और इसके विरोधाभास।' पेंगुइन पुस्तकें।
3. तपन, बी., और चौधरी, आर. (सं.). (2007)। 'भारत में प्राथमिक शिक्षा: प्रगति और चुनौतियाँ।' डोरलिंग किंडरस्ले (भारत)।
4. किंग्डन, गीता जी., और मुजम्मिल, एम. (2007)। 'भारत में प्राथमिक शिक्षा की राजनीतिक अर्थव्यवस्था।' जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 43(7), 1175-1200
5. टोली, जेम्स, और डिक्सन, पॉल। (2005)।'गरीबों के लिए निजी स्कूल: भारत से एक केस स्टडी।' जर्नल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, 20(3), 315-337
6. भट्टी, किरण. (2007)।'ग्रामीण भारत में शिक्षा: स्थिति और चुनौतियाँ।' इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,42(3),231-238
7. रामचन्द्रन, विमला. (2009)। 'भारत में प्राथमिक शिक्षा: स्कूली शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर।' इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 44(17), 43-51
8. वर्मा, अनुपमा. (2015)।'भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण: सतत चुनौतियाँ।' समसामयिक शिक्षा संवाद, 12(2), 223-245

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

भारत में भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानूनी प्रावधान: एक संक्षिप्त अध्ययन

प्रो. विकास चन्द्र वशिष्ठ* नवीन भास्कर**

* राजनीति विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ (उ.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) मेरठ कॉलेज, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – भ्रष्टाचार समाज के अंदर समाहित एक विघटनकारी समस्या है। इसके पीछे विभिन्न कारक जिम्मेदार है इन कारकों को किन्हीं प्रत्यक्ष उपायों उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि जब किसी मौलिक व्यवस्था में ढोस्त उत्पन्न हो जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का तात्कालिक एवं अस्थाई उपचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसे में भ्रष्टाचार पर एकदम सटीक बार करने के लिए एक सर्वमान्य एवं सटीक कार्य योजना होनी चाहिए। जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। जब हम भ्रष्टाचार संबंधी कानूनी प्रावधानों की बात करते हैं तो उसमें कानूनी प्रावधानों के रूप में 1860 की भारतीय दंड संहिता से लेकर वर्ष 2018 का भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल भी शामिल हो जाते है, वहीं अगर कमेटी व आयोग की बात करें तो उसमें गोरवाला समिति, पॉल एपलबी समिति, संथानम समिति, बोहरा समिति, प्रथम व द्वितीय भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग भी शामिल हो जाते हैं इसके अतिरिक्त संगठन व एजेंसियों के रूप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग इत्यादि शामिल है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. देश की मौजूदा भ्रष्टाचार संबंधी कानूनी व्यवस्था के स्वरूप को जानना।
2. देश में गठित विभिन्न कमेटी व आयोग के भ्रष्टाचार संबंधी प्रावधानों को जानना।
3. भ्रष्टाचार निवारण संबंधी सरकारी संगठन व एजेंसियों को जानना।

अध्ययन प्रविधि– प्रस्तुत शोधपत्र में विषय से संबंधित तथ्यों के संकलन हेतु द्वितीय स्रोतों के रूप में विभिन्न प्रकाशनों की पुस्तकों,शोध पत्रिकाओं और समाचार पत्रों इत्यादि का अध्ययन एवं वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

भूमिका–भ्रष्टाचार एक व्यापक एवं समाज के अन्दर तक समाहित एक विघटनकारी समस्या है जिसके पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। ये कारक किन्ही प्रत्यक्ष निवारण उपायों से समाप्त नहीं हो सकते। सामान्यत: हम यह देखते हैं कि किसी विशेष प्रकार के भ्रष्टाचार के निवारण के लिए कुछ विशेष प्रकार के उपायों का सहारा लिया जाता है परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार कुछ समय के लिए रूक जाता है लेकिन थोड़े समय बाद भ्रष्टाचार सम्बन्धित कानून की खामियों का फायदा उठाकर नये स्वरूप में फिर प्रकट हो जाता है। यह ऐसे ही होता है जैसे– जब किसी पहिये का ट्यूब जब पंचर हो जाता है तब पंचर की जगह पेस्ट लगा उसे बन्द कर देते है। लेकिन कुछ समय बाद उसी जगह दूसरा छेद हो जाता है और यह तब तक चलता है, जब तक कि हम उस ट्यूब को बदल नहीं देते। कुछ इस तरह जब किसी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के रूप में घुन लग जाता है तो उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था का पुनर्निरिक्षण करना जरूरी हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी मौलिक व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाये तो उसमें किसी भी प्रकार का तत्कालिक एवं अस्थाई उपचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही उससे कोई स्थायी समाधान होता है। भ्रष्टाचार पर एकदम सटीक वार करने के लिए एक सर्वमान्य एवं सम्पूर्ण कार्य योजना के अनुसार काम होना चाहिए जिसके लिए अंग्रेजी भाषा का शब्द 'होलिस्टिक' इस्तेमाल किया जाता है। भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए इस प्रकार के उपायों को शामिल किया जाना चाहिए जो एक तरह से जीन प्रत्यारोपण सरीखा परिवर्तन ला सके। जो बदलाव एक तरह बिल्कुल बदला हुआ हो और साथ–साथ व्यावहारिक परिस्थितियों से भी समायोजित हो। जब हम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, रोक या प्रावधानों की चर्चा करते हैं तो इसमें मौजूदा समय के कानून कमेटियाँ, प्रतिवेदन, आयोग व लेखा परीक्षण संस्थाएँ भी शामिल हो जाती हैं और गोपनीयता बनाये रखने सम्बन्धी उपाय भी शामिल हो जाते हैं।

भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान– भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए विभिन्न कानून, आयोग, कमेटी ,संगठन व एजेंसियों का गठन किया गया है जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर एक सुशासित राज्य के स्वरूप को बनाए रखना है। हम भारत में भ्रष्टाचार निवारण संबंधी प्रावधानों का अध्ययन निम्न प्रकार कर सकते हैं प्रथम, स्वतंत्रता से पूर्व भ्रष्टाचार निवारण संबंधी प्रावधान। द्वितीय, स्वतंत्रता के बाद भ्रष्टाचार निवारण संबंधी प्रावधान। तृतीय, नब्बे के दशक के बाद भ्रष्टाचार निवारण संबंधी प्रावधान। इन प्रावधानों के माधयम से हम देश में मौजूद विभिन्न प्रावधानों को जान सकते हैं जो भ्रष्टाचार निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं–

(क)स्वतन्त्रता पूर्व किये गये कानूनी प्रावधान– स्वतन्त्रता पूर्व भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनी प्रावधान के रूप में एकमात्र स्रोत भारतीय दण्ड संहिता 1860 है।

भारतीय दण्ड संहिता (1860) :भारतीय दण्ड संहिता भारत वर्ष की सबसे पुरानी एवं प्रमुख आपराधिक दण्ड संहिता है। यह संहिता भारत की सबसे

बड़ी कानूनी संहिता है जिसमें अपराधियों से सम्बन्धित सभी नियमों एवं पक्षों को शामिल किया गया है इसके साथ ही यह भारत के सभी भ्रष्टाचार रोधी कानूनों का मूल स्त्रोत भी है।

तत्कालीन भारत में भारतीय दण्ड संहिता ही सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का सर्वप्रमुख माध्यम था। भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह जनता की सेवा के नियुक्त सरकारी कर्मचारी हो, सीमाओं की सुरक्षा में तैनात अधिकारी हो, पुलिस सेवा में हो, न्यायाधीश हो, न्यायालय से सम्बन्धित कोई अधिकारी हो या फिर केन्द्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हों। इन सभी पदाधिकारियों पर भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय-9 के सेक्शन 161-169 तक सभी उपबन्ध इन पर लागू होते यदि ये इन उपबन्धों का उल्लंघन करते तो इन उपबन्धों के अनुसार दण्ड एवं सजा के भागी होंगे।

(ख)स्वतन्त्रता के बाद किये गये कानूनी प्रावधान-

भ्रष्टाचार निवारण कानून (1947) : भ्रष्टाचार निवारण कानून 1947 तत्कालीन भारत में भ्रष्टाचार से उत्पन्न विशेष अपराध के लिए दण्ड की व्यवस्था करता था, इस अधिनियम में सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में किये जाने वाले अपराधिक दुर्व्यवहार को एक नये अपराध में जरूर वर्णित किया गया है। अधिनियम में इस अपराधिक कृत्य के लिए एक से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है,

इस अधिनियम में उपहार भेंट को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारी व उसे भेंट या उपहार प्रदान करने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों का वर्णन किया गया है जिसके अन्तर्गत आई0पी0सी0 सेक्शन 161 यह उद्धत किया गया है कि सरकारी कर्मचारी को भेंट या उपहार प्रदान करने की प्रकृति क्या है जैसे- उपहार उसे (सरकारी कर्मचारी) सही नियत से या इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिश्वत देने वाले के बारे में यह माना गया है कि वह परिस्थितिवश रिश्वत देने के लए मजबूर हुआ होगा। इसी वजह से उसे इस तरह की रियायतें प्रदान की गयी हैं अगर उसे इस तरह की रियायत न प्रदान की जाये तो हर शिकायत करने वाला व्यक्ति ही पहले दण्ड का भागी बन जायेगा और वह भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के प्रति भी हतोत्साहित होगा। ईमानदार अधिकारियों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत यह भी प्रावधान किया गया था कि कोई भी न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161, 164 और 165 के अधीन दंडनीय अपराधों के संज्ञान आने पर लोकसेवक को पद से हटाने के लिए आदेश सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं देगा।

गोरवाला रिपोर्ट : वर्ष 1951 में गठित योजना आयोग के बाद देश के नियोजित विकास, तत्कालीन प्रशासन एवं उसकी प्रणालियों की जांच के लिए एक अवकाश प्राप्त सिविल अधिकारी ए0डी0 गोरवाला को नियुक्त किया गया था। जिन्होंने अपना प्रतिवेदन 30 अप्रैल 1951 को 'लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन' सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन नौ अध्ययन में विभक्त था, जिसके अन्तर्गत निम्न सिफारिशे की थीं।

देश के विकास हेतू सर्वाधिक महत्व वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाना चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था में सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी जैसे गुणों का होना परम आवश्यक है।

1. सरकार द्वारा विभिन्न मदों में व्ययों की स्वीकृति प्रदान करना काफी नहीं है बल्कि उनके परिणामों का परीक्षण व मूल्यांकन करना भी जरूरी है।
2. मंत्रियों, विधायको जैसे राजनैतिक व्यक्तियों एवं प्रशासको में पथभ्रष्टता के निवारण के लिए राजनैतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन में सावधानी अपनानी चाहिए।
3. लोक प्रशासन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक पद्धति को नहीं अपनाना चाहिए तथा जनकल्याण की भावना को लाभ के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
4. किसी भी योजना उन्नत क्रियान्वयन के लिए सुनियोजित भर्ती एवं प्रशिक्षण, सत्ता के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।
5. प्रशासनिक व्यवस्था में उचित समन्वय की स्थापना के लिए एक बिना विभाग का मंत्री तथा बिना विभाग का सचिव होना चाहिए।

उपर्युक्त सिफारिशों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ए0डी0 गोरावाला ने भारत में प्रचलित लोक प्रशासन में प्रशासनिक व्यवस्था और नौकरशाही के मौलिक ढाँचे को बिना किसी नुकसान के विद्यमान ढाँचे में समाहित बुराईयों को दूर करने और उसे अधिक सक्षम बनाने के सुझाव दिये थे। इन सुझावों एवं सक्षम बनाने मंशा के पीछे ए0डी0 गोरावाला कहीं न कहीं भ्रष्टाचार मुक्त एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था बनाना चाहते हैं।

पॉल एपलबी प्रतिवेदन : सितम्बर 1952 में अमेरिकी विशेषज्ञ पॉल एपलबी को भारत में प्रशासनिक सुधारों एवं भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का निष्पक्षता से अध्ययन करने के लिए बुलाया गया था। अपने अध्ययन में पॉल एपलबी ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को समूचित रूप से संगठित एवं विकसित मानते हुए महत्वपूर्ण सिफारिशें जी जो निम्न प्रकार हैं-

1. भारतीय संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिक स्वतंत्रता देना सही नहीं होगा।
2. भारत में लोक प्रशासन के सुनियोजित अध्ययन एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के समय समुचित प्रशिक्षण देने के लिए 'भारतीय लोक प्रशासन संस्थान' की स्थापना की जानी चाहिए।
3. योजना आयोग को केवल योजना निर्माण तक सीमित होना चाहिए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तारदायित्व योजना आयोग के पास नहीं होना चाहिए।
4. भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में संगठन से जुड़ी एवं प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याओं के गहन अध्ययन एवं सुधार के लिए केन्द्र स्तर पर जा।च ईकाई की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
5. भारत में प्रचलित सरकारी नियम की व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण बना रहना चाहिए उन्हें और स्वतंत्रता देना सहीं नहीं रहेगा।
6. भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सूत्र एवं स्टॉफ में अन्तर स्पष्ट चाहिए।
7. सरकार की आय में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों में कृषि आयकर लगाना चाहिए।
8. देश के प्रशासनिक व्यवस्था के सभी कर्मचारियों की परिचालन प्रभावकारिता में वृद्धि के लिए उनकी स्थिति एवं उत्तरदायित्व की भावना को उन्नत बनाना चाहिए।

इस तरह भारत में प्रशासनिक सुधारों के रूप में पॉल एपलवी द्वारा विभिन्न सिफारिशे की गयी थी जो भारत के केन्द्रीय प्रशासन के संगठन से जुड़ी एवं समन्वयात्मक समस्याओं से सम्बन्धित थी। जिनके प्रति पॉल एपलबी ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से देश के प्रबुद्ध वर्ग को आकर्षित

किया है। अत: स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को जनभावना के अनुकूल एवं भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था का रूप दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय 1956 : प्रवर्तन निदेशालयएक आर्थिक खुफिया ऐजेन्सी है जिसका कार्य आर्थिक कानूनों के उल्लंघन जिसमें काले धन या बिना हिसाब-किताब वाले पैसे का स्थानांतरण या रूपान्तरण जैसे अपराध शामिल हैं उसे क्रियान्वित करना है। प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की एक शाखा है जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और पुलिस सेवा के सभी अधिकारी तैनात व कार्यरत रहते हैं। इस निदेशालय की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा जून 2000 में मूल रूप से फेमा कानून या विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून 1992 के अनुपालन व इससे जनित मामलो की जांच का है।

सन्थानम कमेटी 1962: संथानम कमेटी का यह मानना है कि भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन इसमें काफी सीमा तक कमी जरूर लायी जा सकती है बशर्ते इसको लेकर कई तरह के प्रतिरोधी तरिके अपनाये जाये और उन्हें सतत् एवं प्रभावी तरीके से लागू करने की समुचित योजना बनायी जाए। कमेटी ने प्रशासनिक, वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उपायों को प्रतिबन्धात्मक उपायों के अन्तर्गत शामिल किया है। कमेटी का ऐसा मानना है कि भ्रष्टाचार को रोकने और उसमें बेहतर वातावरण बनाने के लिए सर्वप्रथम अपनी प्रमाणिकता को छोड़कर किसी तरह के लालच में फसने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाए।

सन्थानम कमेटी द्वारा भ्रष्टाचार पर एक अच्छी रिपोर्ट बनायी गयी जिसके द्वारा भ्रष्टाचार रहित वातावरण बनाने की अच्छे प्रावधान बताये गये। भारत में भ्रष्टाचार किन कारको से उत्पन्न होता है उन सभी पहलूओं को गहराई से तफ्तीश की। आजादी के बाद के समय में संथानम कमेटी रिपोर्ट पहली रिपोर्ट थी। जिसने हमारी समकालीन सार्वजनिक व्यवस्था या तंत्र की सच्ची एवं व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की और इसके अनेकानेक चलन प्रचलन और परम्पराओं को सामने रखा सन्थानम कमेटी ने अपनी सिफारिशों में भ्रष्टाचार को लेकर कई अच्छे समाधानों को सुझाया। इन सुझावों के अलावा कमेटी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी वह भ्रष्टाचार रहित वातावरण और परिवेश की बात की थी, जिसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारकों को बढ़ावा न मिले।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई 1963) :सीबीआई भारत सरकार का एक ऐसा संगठन हैं जो भारत सरकार को एक अपराधिक जांच एजेन्सी के रूप में और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खुफिया एजेंसी के रूप में भी काम करती है, मोटे तौर पर सीबीआई एक पुलिस जांच ऐजेन्सी हैं जो सार्वजनिक जीवन में सुचिता बनाये रखने के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के उत्तम स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

पहली बार यह फैसला किया गया कि सी0बी0आई0 में दो शाखा होगी जिसमें पहली शाखा विशेष अपराधों की जांच हेतू होगी तथा दूसरी भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न मामलो की जांच करेगी। पहली शाखा को परम्परागत अपराधो के साथ-साथ आर्थिक अपराधों की भी जांच का उत्तरदायित्व दिया गया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग : केन्द्रीय सतर्कता आयोग यानी सी0बी0सी0 सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। 1964 में गठित यह आयोग एक स्वायत्ता संस्था है जिस पर भारत सरकार के किसी भी कार्यकारी विभाग का नियंत्रण नहीं होता है। इस आयोग का कार्य भारत सरकार के प्रत्येक विभाग और कार्यालयों में हो रहे सरकारी कार्यों में सतर्ककता एवं निगरानी करना है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लेकर की गयी पहल:

1. राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार विरोध रणनीति का क्रियान्वयन।
2. भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए तकनीकी को प्रोत्साहन देना।
3. सार्वजनिक रूप से कि जाने वाली खरीद में ईमानदारी एवं प्रमाणिकता को महत्व देना।
4. भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना।
5. व्हिसलब्लोयर मुखबिरो को सक्रिय करना।
6. सतर्कता कार्यो में गुणवत्ता एवं मानको को और बेहतर करना।
7. आयोग के कार्यो में ज्यादा से ज्यादा कम्प्यूटरीकरण बढ़ावा देना।
8. सतर्कता और भ्रष्टाचार उन्मूलन की आधुनिक रूपरेखा का निर्माण करना।
9. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा देना।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग : वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में देश की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन हेतू एक आयोग का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य था कि ऐसे विचारों तथा उपायो पर गहन विचार-विमर्श किया जाए जिनमें लोक सेवकों में कार्य कुशलता एवं निष्ठा की भावना उच्च स्तर पर पहुँचाया जा सके। इसके साथ हीआयोग द्वारा देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उपर्युक्त विभिन्न सुझाव दिये जिनमें से कुछ का क्रियान्वयन जैसे-लोकपाल, लोकायुक्त की स्थापना सम्बन्धी, कार्मिक विभाग, योजना आयोग का पुनर्गठन व राष्ट्रीय विकास परिषद् का पुनर्मान सरकार द्वारा कर लिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य सुझाव भी थे जिनके लागू न होने के एक बड़ा कारण नौकरशाही की उदाशीनता है। जागरूक सरकारें इसी उदासीनता रूपी समस्या के निवारण के लिए प्रशासनिक सुधारों को वरियता दे रही जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधारों को प्रोत्साहित कर एक ऐसी नागरिक केन्द्रित व्यवस्था बनायी जाये जो सरल, उत्तरदायी, कर्तव्यनिष्ठ, तीव्र एवं सक्षम भ्रष्टाचार रहित प्रशासनिक व्यवस्था का रूप ले सके।

केन्द्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो : केन्द्रीय आर्थिक खूफिया ब्यूरो यानी सीईआईवी भी एक प्रकार की खूफिया एजेंसी है, जिसका कार्य आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में किये जाने वाले अपराधों और साजिशो को लेकर विभिन्न प्रकार सूचनाओं को एकत्र करना और उनकी निगरानी करना है। सीईआईवी की स्थापना जुलाई 1985 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन की गयी थी। आयकर विभाग के साथ-साथ यह देश में आर्थिक खूफिया मामलो की सबसे प्रमुख एजेंसी है। इनके कार्यो में करवंचना का पता लगाना, मुद्रा शोधन, तस्करी, धोखाधड़ी का पता लगाना सम्मिलित है।

भ्रष्टाचार निवारण कानून (1988) : भ्रष्टाचार निवारण कानून 1988 को भारत के राष्ट्रपति से 9 सितम्बर 1988 को स्वीकृति मिली। इसमें भ्रष्टाचार निवारण कानून 1947, अपराधिक कानून संशोधन 1952 और भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आई0पी0सी0 के कुछ प्रावधानों का समन्वय कर एक मजबूत कानून का निर्माण किया गया। इन सबके अतिरिक्त इस अधिनियम में कुछ ऐसे भी प्रावधान किये गये जिसके माध्यम से जनसेवकों में पायी जाने वाली भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति का भी समूल नष्ट किया

जा सकता है

भ्रष्टाचार निवारण कानून 1988 में रिश्वत एवं भ्रष्टाचार के कारण होने वाले अपराधों का कई तरह से उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम में सेक्शन 7 से 15 के बीच भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न अपराधों के लिए दण्ड सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जिसमें किसी भी जनसेवक द्वारा आधिकारिक कार्य के बदले हर तरह के चढ़ावे को प्राप्त करना, किसी व्यक्ति विशेष को ज्यादा तरजीह देना या न देना दोनों ही सम्मिलित हैं। इसके साथ ही किसी बहुमूल्य चीज को बिना कारण प्राप्त करना, ऐसा व्यवहार करना जिससे लोभ डरकर भेंट प्रदान करें, भवन या किसी भी प्रकार रूपये-पैसों से सम्बन्धित फायदा उठाना, हैसियत से ज्यादा सम्पत्ति का अर्जन करना है इत्यादि आपराधिक कृत्य माने जायेंगे।

बेनामी लेनदेन निरोध कानून (1988) : यह कानून फर्जीनामों पर की जाने वाली बेनामी सम्पत्तियों के लेन-देन को पूर्णत: प्रतिबन्धित करता है, इसके साथ यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या अविवाहित पुत्री के नाम पर कोई सम्पत्ति खरीदता है तो उसे प्रतिबन्धित नहीं किया गया है। बेनामी सम्पत्ति लेनदेन सम्बन्धी इस कानून के उपबन्धों अनुसार यदि कोई व्यक्ति बेनामी सम्पत्ति का लेनदेन करता है तो उसे तीन साल तक की सजा या दण्ड या दोनों का भागी होना पड़ सकता है।

बेनामी सम्पत्ति के लेनदेन सम्बन्धी कानून1988 में राजग सरकार द्वारा वर्ष 2016 में संशोधन किया गया तत्पश्चात् सभी संशोधित नियम व प्रावधान एक बार फिर लागू किये गये। इस अधिनियम में बेनामी लेनदेन को पुन: परिभाषित किया गया है। नयी व्यवस्था के अनुसार बेनामी सम्पत्ति रखे जाने पर उसका असल स्वामी नामित व्यक्ति सम्पत्ति की रिकवरी नहीं कर पायेगा कहने का आशय यह है कि इस प्रकार की सम्पत्ति को सरकार द्वारा बिना किसी हरजाने के जब्त भी किया जा सकता है।

(ग) नब्बे के दशक के बाद किये गये कानूनी प्रावधान-

वोहरा कमेटी रिपोर्ट : भारत सरकार के ग्रह सचिव एम0एन0 वोहरा को राजनीति के अपराधिकरण अध्ययन करने हेतु एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया जिससे उनके नाम पर ही वोहरा कमेटी कहा गया। इस कमेटी द्वारा वर्ष 1993 में रिपोर्ट पेश की गयी जिसमें कहा गया कि भारत में अपराधियों की एक समानांतर सरकार चलती है।

कमेटी ने यह भी उजागर किया है कि बरसो अपराधी तत्व स्थानीय ईकाइयों, विधानसभाओं और संसद में निर्वाचित होते रहे हैं, जो बाद में अपने राजनैतिक प्रभाव के कारण अपराधीकरण और भ्रष्टाचार सम्बन्धी क्रियाकलापों में शामिल हो जाते हैं।

ई-प्रशासन बिल (2000) : वर्तमान समय में आधुनिक सरकारें और उनका प्रशासन जिस बात पर जयादा ध्यान दे रही है, वह है ई-प्रशासन। ई-प्रशासन को महत्व देने का कारण यह भी है कि भ्रष्टाचार के निवारण में तकनीकी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि ई-प्रशासन का मतलब कुल मिलाकर उन सभी उपलब्ध उपकरणों और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है जिससे वही संख्या में आम लोगों को एक उन्नत ई-प्रशासन उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान में यह तकनीकी देश के शासन और प्रशासन के विभिन्न गतिविधियों को उन्नत, त्वरित, साफ सुथरा और चाक-चौबंद बनाने में खूब इस्तेमाल की जा रही हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस रूप से न केवल सरकार लोगों को उनकी जरूरतों से सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं को कम समय व अधिक कुशलता से भ्रष्टाचार रहित प्राप्त करा सकेगी।

प्रेवेन्सन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (2002) : काले धन को वैध साबित करने से रोकने के लिए वर्ष 2002 में संसद द्वारा प्रेवेन्सन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट को पारित किया गया। इस कानून के माध्यम से भारत सरकार ने काले धन को कई तरह के वैद्य स्त्रोतो में डालने से रोकने के लिए बनाया गया। इसके अन्तर्गत इस तरह के धन या सम्पत्ति को सरकार द्वारा सीज या जब्त कर लिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य है काले धन सफेद करने की प्रक्रिया साथ इस अवैध सम्पत्ति का जब्त करना भी होता है।

सूचना का अधिकार (2005) : आज के समय में सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की अनियमित्ताओं एवं गड़बड़झालो या भ्रष्टाचार सम्बन्धी कृत्यों को उजागर करने के लिए सूचना का अधिकार आम जनमानस के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गया है। इस कानून के माध्यम से आम जनमानस में जागरूकता बढ़ी है। अब वे सरकारी कार्यालयों में होने वाली लेटलतीफी एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी सभी कृत्यों के सम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त करने लगे हैं, इनमें वे चीजे भी शामिल हैं जो पहले से गोपनीय श्रेणी में रखी हुई हैं।इस कानून के माध्यम से देश के नागरिक केन्द्र एवं राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय से किसी भी प्रकार सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार के सूचना सम्बन्धी आवेदनों पर कार्यालय को तीस दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

हम जानते हैं कि सभी सरकारी दफ्तर इस नियम के दायरे में आते हैं। अत: इन सबको एक लोक सूचना प्राधिकारी पद का सृजन करना पड़ता है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सूचना की पाने के लिए अपना प्रार्थना पत्र उक्त अधिकारी को सौपता है तो लोक सूचना प्राधिकारी का यह दायित्व बनता है कि वह आवेदक द्वारा मांगी सूचनाओं को नियत समय पर उपलब्ध कराये।

सूचना के अधिकार के माध्यम से आज भारत का आम नागरिक अपने हितों को लेकर सजग हो गया है। सरकारों द्वारा किये जाने विभिन्न वायदो या योजनाओं को लागू करने में हीलाहवाली या कार्यों में घटिया गुणवत्ता को सामग्री का प्रयोग करना या फिर सिर्फ कागजो पर विकास से सम्बन्धी योजनाओं को पूरा दिखा कर बड़ी मात्रा में सरकारी पैसो का भ्रष्टाचार करने सम्बन्धी क्रियाकलापो पर इस सूचना के अधिकार के कानून के माध्यम से आज आम जनमानस नियंत्रण कर रहा है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग : भारत सरकार ने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित व उन्नत रूप प्रदान करने के लिए 31 अगस्त 2005 को श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया।

आयोग का कार्य था कि वह देश में एक सतत्, सक्रिय, उत्तरदायी, पारदर्शी एवं कार्य समर्थ प्रशासन को सुनिश्चित करने हेतु सुझाव प्रदान करें। इसके लिए आयोग ने 13 कार्य बिन्दूओं पर काम करते हुए 15 रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्टो के के सार की अगर बात करें तो उनसे स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त, सुगम एवं पारदर्शी बनाना है। भ्रष्टाचार उन्मूलन, ईमानदार लोकसेवकों, उत्पीड़न न करने सम्बन्धी, अधिकारियों के विवेकानुसार फैसले लेने के अवसरों को सीमित करने, व्यवस्था सम्बन्धी कमियों को दूर करने और भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित

करने सम्बन्धी अनिच्छा को दूर करने तथा प्रशासन में नैतिकता की भावना को प्रोत्साहन देने की बात कही गयी है।

व्हिसलब्लोयर प्रोटैक्सन एक्ट, 2010 :हमारे देश में व्हिसलब्लोयर प्रोटेक्सन एक्ट ऐसे प्रावधानों से जुड़ा है जिनका उद्देश्य उन लोगों को संरक्षण प्रदान करना जो किसी के गलत या भ्रष्ट कार्यों को उजागर करते रहते हैं। गलत या अनैतिक कार्य का आशय किसी भीतर के धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कुप्रबन्धन और इससे जुडा कुछ भी जो कानून व समाज की नजर में अनुचित एवं अनैतिक है। व्हिसलब्लोयर से पहले हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं था जो किसी भी व्यक्ति जो व्हिसलब्लोयर के रूप अनैतिक एवं अनुचित गतिविधियों को उजागर करने पर उन्हें अपराधिक तत्वों से संरक्षित रखता हो।

व्हिसलब्लोयर एक्ट के बनने से भ्रष्टाचार सम्बन्धी तहकीकात और जांच करने में काफी मदद मिलेगी साथ ही सूचनाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। इससे भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का कार्य भी सरलता से सम्भव हो सकेगा।

लोकपाल कानून 2013 : लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 को सामान्यता लोकपाल कानून के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार से भारतीय संसद का एक प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी कानून है जिसमें लोकपाल नाम से एक संस्था की स्थापना की बात की गयी। इस संस्था को किसी भी सार्वजनिक मामलो और उनसे जुड़े भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप की पूछताछ और सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया।

इस कानून में प्रमुख रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि लोकपाल का कार्यालय सिर्फ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलो की जांच और मुकदमों का निर्धारण करेंगे। लोकपाल के अधिकार व कार्यक्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, निवर्तमान व भूतपूर्व संसद सदस्य तथा विधान सभा सदस्य, सरकारी कर्मचारी और केन्द्र व राज्य सरकार से नियंत्रित व वित्तीय सहायता प्राप्त कम्पनियों के कर्मचारी शामिल होते हैं। लोकपाल को उन सभी संस्थाओं के भ्रष्टाचार पर भी कार्यवाही करता है जिन्हें विदेशो से प्रति वर्ष दस लाख रूपये या इससे भी ऊपर की रकम या इसको लेकर निश्चित राशि की सहायता व अनुदान हासिल होता हैं।

लोकायुक्त –मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिकों की शिकायतों के समाधान को लेकर 1966 में अपनी एक विशेष अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आयोग ने यह सिफारिश की थी कि देश नागरिकों की प्रशासन व सरकार से जुड़ी समस्याओं व शिकायतों के हल के लिए दो विशेष संस्थाओं लोकपाल एवं लोकायुक्त का गठन किया जाए। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राज्यों के लिए लोकायुक्त नामक संस्था के गठन प्रस्ताव किया है। राज्यों में इस प्रकार की संस्था के गठन का उद्देश्य था कि लोगों में राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में इसे आयकर विभाग एवं भ्रष्टाचार निगरानी ब्यौरो की तरह प्रचारित किया जाये। इस प्रकार की संस्थाओं के गठन होने से कई राज्यों में भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न मामले सामने आये हैं।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल, 2018 : आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से करीब बाहर हजार करोड़ रूपये की बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम देकर विदेश फरार हो गये इसी क्रम में एक और कारोबारी बड़ी गड़बड़ी कर विजय माल्या भी विदेश भाग गये। भारत सरकार इस प्रकार के अपराधिक क्रियाकलापो पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से एक नया कानून भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 बनाया जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को दण्डित किया जायेगा जो देश में भ्रष्टाचार के रूप में बड़ा घपला कर चालाकी से विदेश भाग गये हैं। इस विधेयक में कई तरह के आर्थिक अपराधो को शामिल किया गया है जैसे– लोन डिफाल्टरी, फरेबी, ठगी, कर वंचना, कर कानूनो का उल्लंघन, काले धन का धारक, बेनामी सम्पत्ति का मालिक, भ्रष्टाचार और वित्तीय हेराफेरी में शामिल है।

निष्कर्ष – आजादी के बाद देश में भ्रष्टाचार निवारण हेतू देश की विभिन्न सरकारों ने समय-समय पर विभिन्न कानूनों, संस्थाओं एवं संगठनों का निर्माण किया जिससे कि देश में भ्रष्टाचार रूपी इस महामारी पर नियंत्रण लगाया जा सके लेकिन आचरण में लिप्त होने वाले नीचे से लेकर ऊपर तक शीर्ष अफसर व राजनैतिक व्यक्ति कानूनों के कमजोर पक्ष का लाभ उठाकर भ्रष्ट आचरण में संलिप्त रहते हैं। यही कारण है कि सरकार द्वारा एक के बाद एक कानूनों व संस्थाओं एवं संगठनों को बनाया जाता रहा है। जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसना होता है। यह कानून भ्रष्टाचाररोधी संस्थाएँ एवं संगठन अपने उद्देश्यों में सफल भी जो जाये तो सरकार में बैठे लोग इस सरकारी मशीनरी को अपने राजनैतिक फायदे के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। परिणामस्वरूप भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति बाहर घूमते हैं और साफ स्वच्छ छवि वाले राजनेता एवं अफसरों पर भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कहने का आशय है देश में स्थित भ्रष्टाचार विरोधी विभिन्न कानून, संगठन एवं सरकार जब तक अपनी भूमिका से न्याय नहीं कर पायेंगे तब तक की इन्हें बनाने वाले व लागू करने वाले लोग ईमानदार, साफ व स्वच्छ छवि वाले होने चाहिए तब ही हमारे देश के कानून भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ0 अयोध्या सिंह : भारतीय प्रशासन : संरचना एवं स्वरूप, आविष्कार प्रकाशन, दिल्ली, 2008
2. डॉ0 राम अयोध्या सिंह : भारतीय प्रशासन संरचना एवं स्वरूप, आविष्कार प्रकाशन, दिल्ली, 2008
3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 9 सितम्बर 1988, अध्याय-4
4. www.rti.india.gov.in/cis-decisions/decision30112006-12 pdf
5. द इकोनॉमिक टाइम्स, 07.04.2018
6. चक्षु राय और श्रेया सिंह, लोक पाल अधिनियम, इम्लायमेंट न्यूज, 11 जनवरी, 2014
7. लोकायुक्त बिल, पीटीआई, द हिन्दू, नई दिल्ली, 2013
8. https://indiankanoon.org/search/?
9. darpg.gov.in/arc-reports
10. https//cbi.gov.in
11. त्रिपाठी, सीवीसी, दानवी प्रशासनिक कानून, 1986
12. www.wiki30.com/wa?3=central_vigilance_commission
13. https://cvc.gov.in.aboutus
14. https://erforcementdirectorate.gov.in
15. ceib.gov.in

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

Urbanization and Environmental Degradation: A Sociological Perspective in India

Mallu Ram Meena*

***Associate Professor (Sociology) SCRS Govt. College, Sawai Madhopur (Raj.) INDIA**

Abstract - Urbanization in India has led to significant environmental degradation, viewed through a sociological lens, highlighting the complex interplay between rapid urban growth and ecological harm. The migration to urban areas for better economic opportunities has resulted in overpopulation in cities, straining infrastructure and leading to issues like inadequate waste management and water pollution. The rise in construction activities and industrialization has contributed to deforestation, air pollution, and loss of biodiversity. Sociologically, this environmental degradation disproportionately affects marginalized communities, exacerbating social inequalities as these groups often reside in the most polluted areas with limited access to clean resources. Additionally, the cultural shift towards consumerism in urban centers accelerates resource depletion and waste generation. Addressing these challenges requires a holistic approach, incorporating sustainable urban planning, equitable resource distribution, and community participation to mitigate the adverse effects of urbanization on the environment and society.This paper aims to explore the intricate relationship between urbanization and environmental degradation from a sociological perspective, focusing on the context of India.

Keywords: Urbanization, Environmental Degradation,traditional lifestyles, Mega-City Growth, Social Movements.

Introduction - Urbanization in India has been a double-edged sword, driving economic growth while also contributing to significant environmental degradation. From a sociological perspective, the rapid urban expansion is reshaping the social fabric, with profound impacts on both the environment and the population. The influx of people into urban areas, driven by the promise of better employment opportunities and improved living standards, has led to the mushrooming of megacities. This urban sprawl exerts immense pressure on natural resources, leading to the depletion of water tables, deforestation, and loss of biodiversity. Cities like Delhi and Mumbai face severe air and water pollution, partly due to industrial emissions and vehicular exhaust. The unplanned growth often results in inadequate waste management systems, further exacerbating environmental pollution. According to the World Bank, India's urban population is expected to reach 60% of the total population by 2050, reflecting the magnitude of urbanization challenges and opportunities. However, this rapid urban expansion has been accompanied by a host of environmental issues, including air and water pollution, waste management challenges, deforestation, and loss of biodiversity.

Sociologically, the shift from rural to urban living is altering traditional lifestyles and community structures. In rural areas, social interactions and community bonds are typically strong, but urbanization tends to create more individualistic and fragmented societies. The disintegration of these social networks can lead to increased social alienation and mental health issues. Furthermore, the environmental degradation associated with urbanization disproportionately affects the urban poor, who often reside in slums and other marginalized areas. These communities are more vulnerable to the adverse effects of pollution and lack access to basic amenities such as clean water and sanitation. However, urbanization also brings opportunities for social innovation and policy interventions aimed at sustainable development. Urban planning that incorporates green spaces, promotes public transportation, and enforces strict pollution controls can mitigate some of the negative impacts. The challenge lies in balancing economic growth with environmental sustainability and social equity, ensuring that urbanization in India leads to inclusive and environmentally responsible development.

Urbanization Trends in India: Historically, India has been predominantly agrarian, with a large rural population engaged in agricultural activities. However, since the early 1990s, India has experienced a rapid urban transition driven by industrialization, globalization, and rural-to-urban migration.

Key trends in India's urbanization include:

1. Population Growth: India's urban population has been

growing at a rapid pace, driven by both natural increase and rural-urban migration. According to the United Nations, India is projected to add 416 million urban dwellers by 2050, making it one of the fastest urbanizing countries in the world.

2. Mega-City Growth: India is home to several mega-cities with populations exceeding ten million, including Mumbai, Delhi, Kolkata, and Bengaluru. These mega-cities serve as economic hubs, attracting migrants in search of employment opportunities, education, and better living standards. However, rapid urbanization has strained infrastructure, services, and resources in these cities, leading to overcrowding, congestion, and environmental degradation.

3. Secondary City Expansion: In addition to mega-cities, secondary cities and urban agglomerations have also witnessed significant growth. These cities play a crucial role in regional development, serving as centers of commerce, industry, and administration. However, secondary cities face challenges such as inadequate infrastructure, informal settlements, and environmental pollution, which require targeted interventions for sustainable development.

4. Urban Sprawl: Urbanization in India has been characterized by extensive urban sprawl, with cities expanding rapidly into peri-urban areas and rural hinterlands.This unplanned growth has led to land fragmentation, loss of agricultural land, and encroachment on natural habitats, contributing to environmental degradation and loss of biodiversity.

5. Smart Cities Initiative: In recent years, the Indian government has launched the Smart Cities Mission to promote sustainable urban development and improve the quality of life in urban areas. The initiative focuses on leveraging technology and innovation to enhance urban infrastructure, services, and governance, with the aim of creating livable, resilient, and inclusive cities.

In summary, urbanization trends in India reflect a complex interplay of demographic, economic, and social factors, with profound implications for environmental sustainability and quality of life.

Environmental Degradation in Urban Areas: Urban areas in India are grappling with a myriad of environmental challenges stemming from rapid urbanization, industrialization, and population growth.

A. Air Pollution: Causes, Effects, and Consequences: Urban air pollution in India is primarily attributed to vehicular emissions, industrial activities, construction dust, and biomass burning. The combustion of fossil fuels, particularly in vehicles and industries, releases harmful pollutants such as particulate matter (PM), nitrogen oxides (NOx), sulfur dioxide (SO2), and volatile organic compounds (VOCs) into the atmosphere.The inhalation of polluted air poses serious health risks, including respiratory diseases, cardiovascular ailments, and premature mortality. Moreover, air pollution has detrimental impacts on ecosystems, leading to soil acidification, water contamination, and biodiversity loss.The economic costs of air pollution in urban areas are substantial, encompassing healthcare expenditures, lost productivity, and environmental damage. Additionally, air pollution exacerbates social inequalities, as marginalized communities residing in polluted urban areas bear a disproportionate burden of health risks and environmental degradation.

B. Water Pollution: Sources, Impacts, and Challenges: Urban water pollution arises from various sources, including untreated sewage, industrial effluents, agricultural runoff, and solid waste disposal. Inadequate sanitation infrastructure and improper waste management practices contribute to the contamination of surface water bodies, groundwater aquifers, and drinking water sources.Water pollution poses significant risks to public health, with contaminated water sources serving as vectors for waterborne diseases such as cholera, typhoid, and hepatitis. Moreover, polluted water bodies degrade aquatic ecosystems, impairing biodiversity, and ecosystem services. The discharge of industrial pollutants into water bodies also affects downstream communities reliant on freshwater resources for drinking, agriculture, and livelihoods.Addressing water pollution in urban areas requires comprehensive measures, including wastewater treatment, pollution control regulations, and public awareness campaigns.

C. Solid Waste Management Issues and Solutions: Urban areas in India generate massive amounts of solid waste daily, presenting significant challenges for waste management and disposal. Improper waste segregation, collection, and disposal practices result in the accumulation of waste in streets, open dumps, and landfills, posing environmental and public health hazards. Adopting integrated solid waste management approaches, including source segregation, recycling, composting, and landfill management, is essential for mitigating the adverse impacts of solid waste pollution. Community-based initiatives, public-private partnerships, and decentralized waste management models can enhance waste collection efficiency and promote sustainable waste disposal practices.

Addressing air and water pollution, as well as solid waste management issues, requires concerted efforts from government agencies, civil society organizations, and the private sector.

Sociological Analysis: A sociological analysis of environmental degradation in urban India reveals the intricate interplay between social structures, power dynamics, and cultural norms.

A. Social Inequalities and Environmental Burdens: Residents of marginalized communities face higher risks of respiratory diseases, waterborne illnesses, and other health issues due to poor environmental conditions. The lack of healthcare facilities and social services further compounds their vulnerability.

Environmental degradation can exacerbate economic inequalities by affecting livelihoods. For instance, pollution of water bodies can impact fishing communities, while air pollution and poor living conditions can reduce productivity and increase healthcare costs for low-income families.

B. Power Dynamics and Governance: Ineffective enforcement of environmental regulations often results from corruption, bureaucratic inefficiencies, and lack of political will. Powerful industrial lobbies may influence policy decisions to favor economic interests over environmental protection, undermining efforts to address pollution and waste management.Inclusive governance that involves community participation can lead to more effective and equitable environmental policies. Empowering local communities to engage in decision-making processes ensures that their needs and perspectives are considered, leading to more sustainable and accepted solutions.

C. Cultural Norms and Social Behavior: Urbanization and rising incomes have led to increased consumerism, contributing to higher waste generation and resource consumption. Cultural shifts towards sustainable consumption and waste reduction are essential for mitigating environmental degradation.Environmental education and awareness campaigns can change behaviors and attitudes towards the environment. Initiatives that promote recycling, water conservation, and pollution reduction can empower citizens to take proactive steps in protecting their urban environment.

D. Social Movements and Environmental Activism: Social movements and environmental activism have emerged as powerful forces in addressing urban environmental degradation in India. Community-led efforts to clean up neighborhoods, restore water bodies, and promote sustainable practices demonstrate the power of collective action. These initiatives often serve as models for other communities and influence broader policy changes.Environmental activists and organizations work to influence policy by lobbying for stricter regulations, transparency in governance, and sustainable urban planning. High-profile campaigns and legal actions can pressure government agencies and corporations to adopt more environmentally friendly practices.

Inclusive governance, community participation, and public awareness are crucial for developing effective and equitable solutions to urban environmental challenges.

Government Policies and Interventions: The Indian government, recognizing the urgent need to mitigate environmental damage while supporting sustainable urban growth, has implemented a variety of initiatives targeting pollution control, waste management, and sustainable development.

A. National Policies and Frameworks

1. National Action Plan on Climate Change (NAPCC): Launched in 2008, the NAPCC outlines eight national missions to promote sustainable development while addressing climate change. Key missions relevant to urban areas include the National Solar Mission, aimed at increasing solar energy use, and the National Mission for Sustainable Habitat, focused on promoting energy efficiency in urban planning, recycling, and waste management.

2. Swachh BharatAbhiyan (Clean India Mission): Initiated in 2014, this nationwide campaign aims to improve solid waste management and sanitation infrastructure. It emphasizes the construction of toilets, the elimination of open defecation, and the implementation of effective waste segregation and recycling practices.

3. National Clean Air Programme (NCAP): Launched in 2019, the NCAP aims to reduce air pollution in the top 102 most polluted cities by 20-30% by 2024. The program focuses on comprehensive air quality management, including monitoring, regulation, and public awareness initiatives.

B. Urban Development Initiatives

1. Smart Cities Mission: This initiative aims to promote sustainable and inclusive urban development by leveraging technology and innovation. Smart cities focus on improving infrastructure, ensuring efficient resource management, and enhancing quality of life through smart solutions for waste management, water supply, and energy efficiency.

2. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT): Launched in 2015, AMRUT aims to provide basic urban infrastructure, including water supply, sewerage, and stormwater drainage systems, to enhance the quality of urban life. The mission also emphasizes the development of green spaces and parks to improve urban environments.

3. PradhanMantriAwasYojana (PMAY): This housing initiative seeks to provide affordable housing for all by 2022, focusing on the urban poor. By addressing housing shortages and promoting planned urban development, PMAY aims to reduce the environmental impact of informal settlements and slums.

C. Regulatory Measures and Enforcement

1. Air Quality Standards and Monitoring: The Central Pollution Control Board (CPCB) sets air quality standards and monitors pollution levels across urban areas. Stricter enforcement of industrial emissions regulations, vehicular pollution control measures, and the promotion of cleaner technologies are key strategies under these standards.

2. Waste Management Rules: The Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (MoEFCC) has enacted several rules to regulate waste management, including the Solid Waste Management Rules (2016) and the Plastic Waste Management Rules (2016). These regulations mandate waste segregation at the source, recycling, and the reduction of plastic usage.

D. Challenges and Opportunities

1. Challenges: Despite comprehensive policies, implementation remains a significant challenge due to inadequate infrastructure, limited financial resources, and

institutional capacity. Corruption, bureaucratic inefficiencies, and lack of political will further hinder effective policy enforcement. Additionally, rapid urbanization often outpaces the development of necessary environmental infrastructure.

2. Opportunities: Strengthening public-private partnerships can enhance resource mobilization and technological innovation. Community participation in environmental initiatives fosters local ownership and accountability. Furthermore, integrating traditional knowledge and practices with modern technology can offer sustainable solutions tailored to local contexts

E. Future Directions: Future government interventions must prioritize integrated urban planning that balances economic growth with environmental sustainability. Enhanced policy coherence, cross-sectoral collaboration, and adaptive governance mechanisms will be crucial. Investing in education and capacity-building can empower local authorities and communities to take proactive roles in environmental management. Additionally, leveraging data and technology for real-time monitoring and decision-making can significantly improve the efficacy of urban environmental policies.

In conclusion, while the Indian government has implemented several policies and initiatives to address urban environmental degradation, effective implementation and continuous innovation are essential.

Future Prospects and Recommendations: The future prospects of sustainable urban development hinge on the integration of economic, social, cultural, and environmental policies. This section outlines key future prospects and provides recommendations for achieving sustainable urbanization in India.

A. Future Prospects

1. Smart and Sustainable Cities: The development of smart cities represents a significant opportunity for integrating advanced technologies and sustainable practices into urban planning. Smart cities can leverage Internet of Things (IoT) devices, big data analytics, and artificial intelligence to optimize resource use, reduce waste, and enhance the quality of urban life.Initiatives like the Smart Cities Mission in India aim to create urban environments that are efficient, livable, and resilient. These cities are designed to address contemporary challenges such as traffic congestion, pollution, and resource management through innovative solutions.

2. Green Infrastructure and Urban Resilience: Investing in green infrastructure—such as green roofs, urban forests, and permeable pavements—can enhance urban resilience to climate change and environmental stresses. Green infrastructure helps manage stormwater, reduce urban heat island effects, and improve air quality.Urban resilience also involves preparing for and mitigating the impacts of natural disasters. Integrating disaster risk reduction strategies into urban planning ensures that cities are better equipped to handle extreme weather events and other environmental shocks.

3. Sustainable Transportation Systems: Developing efficient public transportation systems and promoting non-motorized transport options (e.g., cycling, walking) are critical for reducing urban air pollution and traffic congestion. Future urban transportation networks should focus on sustainability, affordability, and accessibility.Electric vehicles (EVs) and supporting infrastructure, such as charging stations, offer a cleaner alternative to traditional fossil fuel-based transportation. Policies that encourage the adoption of EVs can significantly reduce urban carbon emissions.

4. Circular Economy: Transitioning to a circular economy model, where waste is minimized and materials are reused and recycled, can mitigate the environmental impacts of urbanization. This approach promotes sustainable consumption and production patterns, reducing the strain on natural resources.Circular economy practices include promoting recycling industries, encouraging product design for longevity and recyclability, and establishing efficient waste management systems.

B. Recommendations

1. Policy Integration and Coherence: Policymakers should ensure coherence and integration across different sectors, such as urban planning, environmental protection, and economic development. This holistic approach enables the creation of comprehensive strategies that address multiple aspects of urban sustainability simultaneously.Enhancing intergovernmental coordination between local, state, and national authorities is essential for the effective implementation of policies and initiatives.

2. Community Engagement and Participation: Engaging local communities in urban planning and environmental management fosters a sense of ownership and responsibility. Public participation in decision-making processes ensures that policies reflect the needs and aspirations of residents.Educational programs and awareness campaigns can empower communities with the knowledge and tools needed to adopt sustainable practices.

3. Innovative Financing Mechanisms: Sustainable urban development requires significant financial investment. Innovative financing mechanisms, such as green bonds, public-private partnerships (PPPs), and international funding, can mobilize the necessary resources.Incentivizing private sector investment in sustainable infrastructure and technologies through tax breaks, subsidies, and grants can also accelerate progress.

4. Technological Innovation and Research: Supporting research and development (R&D) in sustainable technologies is crucial for addressing urban environmental challenges. Investments in clean energy, waste management, and pollution control technologies can drive innovation and create new economic opportunities. Collaboration between academia, industry, and government can facilitate the development and deployment of cutting-edge solutions.

5. Strengthening Regulatory Frameworks: Robust environmental regulations and effective enforcement mechanisms are essential for mitigating the negative impacts of urbanization. Strengthening regulatory frameworks to address air and water pollution, waste management, and land use can ensure sustainable urban growth.Regular monitoring and evaluation of environmental policies and programs can help identify gaps and areas for improvement, ensuring continuous progress towards sustainability goals.

6. Promoting Sustainable Lifestyles: Encouraging sustainable lifestyles among urban residents can reduce environmental footprints. Initiatives that promote energy conservation, water-saving practices, and eco-friendly products can drive behavioral change.Urban design that prioritizes green spaces, recreational areas, and pedestrian-friendly infrastructure can enhance the livability and sustainability of cities.

By leveraging smart technologies, green infrastructure, and innovative financing, India can transform its urban landscapes into models of sustainability and resilience.

Conclusion: The interplay between urbanization and environmental degradation in India presents a complex sociological challenge. Rapid urban growth has led to significant environmental consequences, including air and water pollution, deforestation, and waste management issues. Sociologically, this urban expansion has exacerbated social inequalities, as marginalized communities often bear the brunt of environmental hazards, living in areas with poor infrastructure and limited access to clean resources. Additionally, the cultural disconnection from nature, driven by urban lifestyles, has diminished the societal value placed on environmental conservation. Addressing these challenges requires an integrated approach that prioritizes sustainable urban planning, equitable resource distribution, and community engagement. Policymakers must ensure that development initiatives are inclusive and environmentally sound, promoting green spaces, renewable energy, and effective waste management systems. By fostering a societal ethos that values both progress and preservation, India can mitigate the adverse effects of urbanization and move towards a more sustainable future. This will ensure that India's cities remain vibrant, healthy, and livable for future generations, setting a global example for sustainable urban development.

References:-

1. https://smartcities.gov.in
2. https://swachhbharatmission.gov.in/
3. https://mohua.gov.in/
4. Singh, R. (2020). "Water Conservation through Traditional Practices: A Case Study of JalBiradari". Journal of Environmental Management, 45(2), 123-135. doi:10.1016/j.jenvman.2020.05.009
5. World Bank (2019). "Promoting Sustainable Urbanization in India: Strategies for Inclusive and Resilient Growth". World Bank Publications.
6. Chandramouli, C. (2011). "Urbanization in India: Trends and Patterns". Census of India 2011. Retrieved from censusindia.gov.in
7. Bhattacharya, S. (2021). "Urban Mobility and Sustainable Transportation in India". Transport Policy, 101, 142-153. doi:10.1016/j.tranpol.2020.12.015
8. Chakraborty, P. (2019). "The Circular Economy in India: Opportunities and Challenges". Journal of Industrial Ecology, 23(1), 143-154. doi:10.1111/jiec.12803
9. Sundar, P. (2022). "Corporate Social Responsibility and Environmental Sustainability".Asian Journal of Business Ethics, 9(2), 55-70. doi:10.1007/s13520-022-00112-5
10. Indian Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2018). "National Clean Air Programme (NCAP)". Government of India.
11. Raman, V. (2021). "Behavioral Economics and Environmental Policy: Nudging towards Sustainability". Journal of Environmental Economics and Management, 102, 92-108. doi:10.1016/j.jeem.2021.02.003
12. Vaidya, Chetan (2009); "Urban Issues, Reforms and Way Forward in India", Working paper No. 4, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, GOI.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
July to September 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XXXIX

धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता

डॉ. संध्या जयपाल*

* सह-आचार्य, स.ध. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (राज.) भारत

शोध सारांश – धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी भी समाज की स्थिरता, विकास और शांति के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। इस शोध पत्र में, हम धार्मिक विविधता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे विभिन्न धर्मों की सह-अस्तित्व सामाजिक समरसता को प्रभावित करती है। इसके अलावा, हम कुछ उदाहरणों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार धार्मिक विविधता ने ऐतिहासिक और आधुनिक समाजों में सामाजिक समरसता को प्रभावित किया है।

शब्द कुंजी – धार्मिक विविधता, सामाजिक समरसता, सह-अस्तित्व, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक स्थिरता, सांस्कृतिक विविधता।

धार्मिक विविधता का परिचय – धार्मिक विविधता का अर्थ विभिन्न धर्मों के अस्तित्व और उनके अनुयायियों की सह-अस्तित्व से है। यह एक समाज में विभिन्न धार्मिक विचारों, मान्यताओं और प्रथाओं का समावेश होता है। धार्मिक विविधता को समझने के लिए हमें पहले धर्म के मूल तत्वों को समझना होगा।

धर्म, सामान्यत: व्यक्ति के जीवन के नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति को अपने अस्तित्व का अर्थ समझने में सहायता करता है और उसे एक नैतिक दिशा प्रदान करता है। धार्मिक विविधता का अस्तित्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाता है।

धार्मिक विविधता की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समाजों तक, धार्मिक विविधता ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न धर्मों के विकास और उनके अनुयायियों के बीच अंत:क्रिया ने समाज की संरचना और उसकी दिशा को निर्धारित किया है।

धार्मिक विविधता का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह समाज को सहिष्णुता और समझ की दिशा में प्रेरित करती है। जब लोग विभिन्न धर्मों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो यह समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाता है।

सामाजिक समरसता की परिभाषा और महत्व– सामाजिक समरसता का अर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध। यह समाज की स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है। सामाजिक समरसता केवल एक आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसे निरंतर बनाए रखना होता है।

सामाजिक समरसता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह समाज में विभिन्नताओं के बावजूद एकता और सहयोग को प्रोत्साहित करती है। यह समाज को विभाजित करने वाले कारकों को कम करती है और एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। सामाजिक समरसता के बिना, समाज में तनाव और संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो समाज की स्थिरता और विकास के लिए हानिकारक होती हैं।

सामाजिक समरसता के कई घटक होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक समझ, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, और राजनीतिक सहभागिता। इन घटकों का सही संतुलन समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। धार्मिक विविधता, सामाजिक समरसता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह समाज को विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों से समृद्ध बनाती है।

धार्मिक विविधता के बावजूद सामाजिक समरसता कैसे संभव हो सकती है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संवाद और सहयोग में निहित है। जब विभिन्न धर्मों के लोग एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और उनके साथ संवाद स्थापित करते हैं, तो यह समाज में समझ और सहयोग को बढ़ाता है।

धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के बीच संबंध –धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के बीच एक गहरा संबंध है। विभिन्न धर्मों के अस्तित्व के बावजूद, यदि समाज में समरसता बनी रहती है, तो यह समाज के स्वास्थ्य और विकास के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के बीच संबंध को समझने के लिए हमें विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संवाद, सहिष्णुता और समझ की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना होगा।

धार्मिक विविधता समाज में विभिन्न सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाती है। यह विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को एक-दूसरे के विचारों और प्रथाओं को समझने का अवसर प्रदान करती है। इसके माध्यम से, लोग अपने पूर्वाग्रहों और मतभेदों को कम कर सकते हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित कर सकते हैं।

सामाजिक समरसता के लिए धार्मिक सहिष्णुता और संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ है विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का

एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना। यह समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धार्मिक संवाद के माध्यम से, लोग एक-दूसरे के धर्मों के बारे में अधिक जान सकते हैं और उनके बीच की गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं।

धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए शिक्षा और जागरूकता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जब लोग धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के महत्व को समझते हैं, तो वे समाज में सहिष्णुता और समझ का माहौल बना सकते हैं।

धार्मिक विविधता के लाभ और चुनौतियाँ –धार्मिक विविधता के कई लाभ होते हैं जो समाज को समृद्ध और स्थिर बनाते हैं। धार्मिक विविधता समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है और विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों का समावेश करती है। यह समाज में सहिष्णुता और समझ को प्रोत्साहित करती है और लोगों को एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव विकसित करने में मदद करती है।

धार्मिक विविधता के माध्यम से, समाज में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान होता है। यह समाज को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाता है। धार्मिक विविधता के माध्यम से, लोग अपने पूर्वाग्रहों और मतभेदों को कम कर सकते हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित कर सकते हैं।

हालांकि, धार्मिक विविधता के साथ कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं। इनमें से एक प्रमुख चुनौती धार्मिक संघर्ष और मतभेदों का है। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच मतभेद और संघर्ष समाज में तनाव और अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा, धार्मिक पूर्वाग्रह और असहिष्णुता भी एक बड़ी चुनौती होती है।

धार्मिक विविधता की इन चुनौतियों से निपटने के लिए, समाज में धार्मिक सहिष्णुता और संवाद को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसके माध्यम से, लोग एक-दूसरे के धर्मों के बारे में अधिक जान सकते हैं और उनके बीच की गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से भी धार्मिक विविधता की चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के उदाहरण- धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के कई ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण हैं जो इस संबंध को समझने में मदद करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समाजों तक, विभिन्न धर्मों के सह-अस्तित्व और उनके बीच के संवाद ने समाज की संरचना और उसकी दिशा को निर्धारित किया है।

उदाहरण के लिए, प्राचीन भारत में विभिन्न धर्मों के सह-अस्तित्व ने समाज को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाया। हिंदू, बौद्ध, जैन, और सिख धर्मों के अनुयायियों ने एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान किया और उनके साथ संवाद स्थापित किया। इसके माध्यम से, समाज में समझ और सहिष्णुता का माहौल बना।

आधुनिक समाजों में भी, धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के कई उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न धर्मों के सह-अस्तित्व ने समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया है। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संवाद और सहिष्णुता ने समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न धर्मों के सह-अस्तित्व और उनके बीच का संवाद समाज में शांति और समझ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

धार्मिक विविधता और शिक्षा का महत्व – शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षा के माध्यम से लोग विभिन्न धर्मों के बारे में जान सकते हैं, उनके मूल्यों और मान्यताओं को समझ सकते हैं और उनके बीच की गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। धार्मिक विविधता और शिक्षा के बीच संबंध को समझने के लिए हमें शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों का विश्लेषण करना होगा।

धार्मिक विविधता के बारे में शिक्षा बच्चों में सहिष्णुता और समझ की भावना विकसित करती है। जब बच्चे विभिन्न धर्मों के बारे में जानते हैं और उनके अनुयायियों के दृष्टिकोण को समझते हैं, तो वे सहानुभूति और समझ की भावना विकसित करते हैं। इसके माध्यम से, वे अपने पूर्वाग्रहों को कम कर सकते हैं और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं।

शिक्षा के माध्यम से, धार्मिक संवाद और सहयोग को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। विभिन्न धर्मों के विद्यार्थियों के बीच संवाद और सहयोग के माध्यम से, वे एक-दूसरे के धर्मों के बारे में अधिक जान सकते हैं और उनके बीच की गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से, धार्मिक विविधता की चुनौतियों से निपटा जा सकता है और समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखी जा सकती है।

इसके अलावा, शिक्षा प्रणाली में धार्मिक विविधता के मुद्दों को शामिल करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी शामिल करना और शिक्षकों को धार्मिक विविधता के महत्व के बारे में प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से, समाज में धार्मिक सहिष्णुता और समझ को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

धार्मिक विविधता और वैश्वीकरण –वैश्वीकरण का दौर धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के संदर्भ में नई चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करता है। वैश्वीकरण के माध्यम से, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संपर्क बढ़ता है और यह समाज में धार्मिक विविधता को बढ़ावा देता है। लेकिन, इसके साथ ही वैश्वीकरण धार्मिक संघर्ष और असहिष्णुता की चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है।

वैश्वीकरण के माध्यम से, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का संपर्क और संवाद बढ़ता है। इसके माध्यम से, वे एक-दूसरे के धर्मों के बारे में जान सकते हैं और उनके बीच की गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। वैश्वीकरण समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को प्रोत्साहित करता है और यह समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाता है।

हालांकि, वैश्वीकरण के साथ धार्मिक संघर्ष और असहिष्णुता की चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच मतभेद और संघर्ष समाज में तनाव और अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से, धार्मिक असहिष्णुता और पूर्वाग्रह भी बढ़ सकते हैं।

धार्मिक विविधता और वैश्वीकरण के बीच संबंध को समझने के लिए, हमें वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना होगा। वैश्वीकरण के माध्यम से, समाज में धार्मिक संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसके माध्यम से, समाज में शांति और समझ को बढ़ाया जा

सकता है।

धार्मिक विविधता और वैश्वीकरण के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए, शिक्षा और जागरूकता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जब लोग धार्मिक विविधता और वैश्वीकरण के महत्व को समझते हैं, तो वे समाज में सहिष्णुता और समझ का माहौल बना सकते हैं। इस प्रकार, धार्मिक विविधता और वैश्वीकरण के माध्यम से एक स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण संभव है।

निष्कर्ष - धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि समाज की स्थिरता, विकास और शांति के लिए यह तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक विविधता समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है और विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों का समावेश करती है। इसके माध्यम से, लोग अपने पूर्वाग्रहों और मतभेदों को कम कर सकते हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित कर सकते हैं।

सामाजिक समरसता के लिए धार्मिक सहिष्णुता और संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ है विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना। यह समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए शिक्षा और जागरूकता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जब लोग धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के महत्व को समझते हैं, तो वे समाज में सहिष्णुता और समझ का माहौल बना सकते हैं। इस प्रकार, धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता के माध्यम से एक स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अशरफ, एस. (2015). 'धार्मिक विविधता और सामाजिक समरसता', दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन.
2. कुमार, आर. (2018). 'सामाजिक समरसता और धार्मिक संवाद', भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 34(2), 45-67.
3. सिंह, एम. (2020). 'धार्मिक विविधता और उसका सामाजिक प्रभाव', भारतीय मानविकी अध्ययन, 22(1), 89-102.
4. वर्मा, पी. (2019).'धार्मिक सहिष्णुता और समाज', समाजशास्त्र अनुसंधान पत्रिका, 15(3), 112-125.
5. शर्मा, डी. (2016). 'भारत में धार्मिक विविधता: एक अध्ययन', भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र, 10(4), 78-91.

****